षोडश माला, खंड 2, अंक 9

गुरूवार, 17 जुलाई, 2014
आषाढ़, 26, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 91
Dated 18 Jan 2016

(खंड II में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

17 जुलाई 2014

सम्पादक मण्डल

पी. श्रीधरन
महासचिव
लोक सभा

पी.वी. एल.एन. मूर्ति
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

धर्म सिंह
सम्पादक

अन्जु मीना
सहायक सम्पादक

श्री राजेन्द्र सिंह
सहायक संपादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[षोडश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2014/1936 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 17 जुलाई, 2014/26 आषाढ़, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 145	1-66
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 146 से 160	65-148
अतारांकित प्रश्न संख्या 985 से 1214	147-924
सभा पटल पर रखे गए पत्र	923-929
समिति के लिए निर्वाचन	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	929
कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	929-930
सदस्य द्वारा निवेदन	
हाफिज सईद के साथ हुई एक पत्रकार की बैठक के बारे में	930-931, 953
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और हमीरपुर जिलों में नदियों से अवैध तरीके से रेत खनन को रोके जाने की आवश्यकता	
साध्वी निरंजन ज्योति	938
(दो) देश में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाए जाने की आवश्यकता	
डॉ. नेपाल सिंह	938-939
(तीन) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विद्युत वरण महतो	939
(चार) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हर वर्ष घाघरा नदी में बाढ़ और इसके कारण कटाव को रोकने के लिए उक्त जिले में घाघरा नदी पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेश वर्मा	939-940

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

(पांच) उत्तर प्रदेश में, आगरा और इटावा के बीच रेललाइन के निर्माण हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री बाबूलाल चौधरी.. 940

(छह) राजस्थान में, विशेष रूप से बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए कृषि उत्पादों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल.. 940

(सात) उत्तर प्रदेश में कन्नौज से सीतापुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अंजू बाला.. 941

(आठ) झारखंड के रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन और उपदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी.. 941-942

(नौ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निवार्चन क्षेत्र के गांवों और कस्बों के विद्युतीकरण कार्य को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त निधियां मंजूर किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी 942

(दस) केरल के तेलीचेरी अथवा वटकरा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक शाखा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन.. 943

(ग्यारह) तमिलनाडु में कुंभकोनम से विरूद्धाचलम तक बड़ी रेललाइन को पूरा किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने और त्रिची से तंजावुर, कुंभकोनम तक रेललाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.के. भारती मोहन.. 943

(बारह) तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण स्थापित किए जाने और भारतीय पुरातत्व विभाग को वहां रहने वाले लोगों से निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर जोर न दिए जाने हेतु उपयुक्त आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एन. रामचंद्रन.. 943-944

(तेरह) देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकों और स्व-सहायता समूहों के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग).. 944-945

(चौदह) देश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वीणा देवी.. 945

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन, विधेयक, 2014............................ 945-946

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) के सदस्य देशों के सम्मेलन (सीओपी) की भारत की अध्यक्षता के दौरान नागोया प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन

श्री प्रकाश जावड़ेकर........ 1036-1039

सामान्य बजट (2014-15) सामान्य चर्चा

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें-(सामान्य), (2011-12)

श्री मुलायम सिंह यादव........ 954-966

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण........ 966-968

श्री पी. कुमार........ 968-970

श्री बी. सेनगुट्टुवन........ 970-972

श्री वी. एलुमलाई........ 972-974

श्रीमती रक्षाताई खाडसे........ 975-977

श्री ए.टी. नाना पाटील........ 977-980

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन........ 980-982

श्री एम.के. राघवन........ 982-986

श्री हरिभाई चौधरी........ 986-989

डॉ. उदित राज........ 989-993

श्री शरद त्रिपाठी........ 993

श्री पी.सी. गद्दीगौदर........ 993-995

प्रो. सौगत राय........ 995-997

प्रो. सुगत बोस........ 997-1002

श्री धर्मेन्द्र यादव........ 1002-1005

श्री रायपति साम्बासिवा राव........ 1005-1008

श्रीमती पूनम महाजन........ 1008-1014

श्री जी. हरि........ 1014-1016

श्री राकेश सिंह........ 1016-1018

श्री पी.के. बिजू........ 1018-1019

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा........ 1019-1023
डॉ. रत्ना डे (नाग)........ 1023-1025
श्री डी.के. सुरेश........ 1025-1031
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत........ 1031-1036
श्री राजेश रंजन........ 1039-1044
श्री अभिजित मुखर्जी........ 1044-1049
श्री नलीन कुमार कटील........ 1049-1052
साध्वी निरंजन ज्योति........ 1052-1055
प्रो. के.वी. थॉमस........ 1055-1059
श्री आर. गोपालकृष्णन........ 1059-1061
श्री ओम बिरला........ 1061-1064
श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी........ 1064-1068
श्री बदरूद्दीन अजमल........ 1068-1071
श्री हुक्मदेव नारायण यादव........ 1071-1075
श्री बी. विनोद कुमार........ 1075-1077
एडवोकेट जोएस जॉर्ज........ 1078-1080
श्री एच.डी. देवगौड़ा........ 1080-1087
श्री वी. पन्नीरसेलवन........ 1087-1088
श्री पी.पी. चौधरी........ 1088-1091
श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी........ 1091-1095
श्री रवीन्द्र कुमार जेना........ 1095-1100
श्री तारिक हमीद कर्रा........ 1100-1101
श्री राम टहल चौधरी........ 1101-1104
श्रीमती रमा देवी........ 1104-1107
श्री प्रहलाद सिंह पटेल........ 1107-1111
श्री जुगल किशोर शर्मा........ 1111-1112
श्री सी.आर. चौधरी........ 1112-1114

श्री राम कुमार शर्मा.. 1114-1116

श्री बृजभूषण शरण सिंह.. 1116-1119

एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर.. 1119-1121

श्री हेमन्त तुकाराम गोड्से.. 1121

श्री पी. करूणाकरन.. 1121-1124

श्री दुष्यंत चौटाला.. 1124-1127

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी.. 1127-1128

कर्नल राज्यवर्धन राठौर.. 1128-1130

श्री एम.बी. राजेश.. 1130-1132

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर.. 1132-1134

डॉ. के. गोपाल.. 1134-1136

डॉ. कंभमपति हरिबाबू.. 1136-1137

श्री विजय कुमार हांसदाक.. 1137-1139

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी.. 1139-1142

श्री पी. आर. सेनथिलनाथन.. 1142-1147

डॉ. किरीट पी. सोलंकी.. 1147-1149

श्रीमती अंजू बाला.. 1149-1151

श्री एंटो एन्टोनी.. 1151-1153

डॉ. ए. सम्पत.. 1153-1155

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू.. 1155-1159

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत.. 1159-1161

श्री सी. महेंद्रन.. 1161-1163

श्री मोहम्मद असरारूल हक.. 1163-1165

श्री डी. एस. राठौड़ 1165-1166

श्रीमती बुत्ता रेणुका.. 1167-1168

श्री नाराणभाई काछादिया.. 1168-1169

श्री भैरों प्रसाद मिश्र.. 1170-1171

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते........ 1171-1173
श्री प्रहलाद जोशी........ 1173-1177
श्री कौशलेन्द्र कुमार........ 1177-1179
श्री थोटा नरसिम्हम........ 1179-1181
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर........ 1181-1184
श्री चंदूलाल साहू........ 1184-1186
श्री राहूल कस्वां........ 1186-1188
श्री असादुद्दीन ओवैसी........ 1188-1191
श्री राजेन्द्र अग्रवाल........ 1191-1193
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन........ 1193-1196
श्री वीरेन्द्र कश्यप........ 1196-1198
श्री सुरेश सी. अंगड़ी........ 1198-1200
श्री जोस के. मणि........ 1200-1202
श्रीमती कमला पाटले 1202-1203
डॉ. अंबुमनी रामादोस........ 1203-1206
श्रीमती कृष्णा राज........ 1206-1210
श्री सी.एन. जयदेवन........ 1210-1211
श्री पी.आर. सुन्दरम........ 1211-1213
श्री अजय मिश्रा टेनी........ 1213-1216
श्री तथागत सत्पथी........ 1216-1219
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय........ 1219-1220
श्री लक्ष्मी नारायण यादव........ 1220-1222
कुमारी सुष्मिता देव........ 1222-1225
डॉ. महेश शर्मा........ 1225-1226
श्री आर. ध्रुवनारायण........ 1226-1229
श्री राहुल रमेश शेवाले........ 1229-1232
श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी........ 1232-1234

डॉ. मनोज राजोरिया........ 1234-1237
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 1237-1239
श्री बलका सुमन 1239-1241
डॉ. के. कामराज 1241-1245
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 1245-1247
श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीयर 1247-1249
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 1249-1251
श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी 1251-1252
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे........ 1252-1256
श्री गोपाल शेट्टी........ 1256-1258
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 1258-1263
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 1263-1265
श्रीमती रंजीत रंजन........ 1265-1266
श्री अरविंद सावंत........ 1266-1269
श्री शैलेश कुमार........ 1269-1270
श्री विद्युत वरण महतो........ 1270-1271
श्री भगवंत मान........ 1271-1274
श्रीमती पूनमबेन माडम........ 1274-1275
डॉ. थोकचोम मेन्या........ 1275-1279
श्री जगदम्बिका पाल........ 1279-1281
श्री एम. मुरली मोहन........ 1281-1284
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे........ 1284-1286

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका........ 1295
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका........ 1296-1302

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका........ 1303-1304
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका........ 1303-1306

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. एम तंबिदुरै

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

लोक सभा

गुरुवार, 17 जुलाई, 2014/26 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 *बजे समवेत हुई।*

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*]

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री केनटी मोहन राव के दु:खद निधन की सूचना देनी है जो पहली लोक सभा के सदस्य थे तथा जिन्होंने पूर्व मद्रास राज्य के राजमुन्दरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब आंध्र प्रदेश में है, का प्रतिनिधित्व किया।

श्री राव पूर्व मद्रास विधान सभा के भी सदस्य रहे। एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राव ने 1942 से 1945 तक अनेक बार कठोर करावास की यातना सही।

श्री केनटी मोहन राव का निधन 89 वर्ष की आयु में 13 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ।

हम श्री केनटी मोहन राव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहें।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : अब हम प्रश्न-काल शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 141, श्री अर्जुन राम मेघवाल।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना

***141. श्री अर्जुन राम मेघवाल :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके वित्तपोषण का तरीका क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत देश के मैदानी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार मरुस्थलों सहित दुर्गम क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु भी सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई इकाई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु इकाई सहायता बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को नए मकान के निर्माण/कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकानों के उन्नयन के लिए तथा उनके लिए वासभूमि की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। 01.04.2013 से बीपीएल परिवार को नए मकान के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपए और समेकित कार्य योजना जिलों सहित पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए प्रति मकान 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। मकान के लिए जमीन खरीदने हेतु भूमिहीन गरीबों को 20,000 रुपए की सहायता दी जाती है।

आईएवाई के अंतर्गत दी गई निधियों का वहन केंद्र और राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को छोड़कर) के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में 90:10 के अनुपात में निधियों का वहन किया जाता है। संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में आईएवाई की पूरी राशि का वहन केन्द्र सरकार करती है। मकान हेतु जमीन उपलब्ध कराने की लागत का वहन भारत सरकार और राज्य सरकारें 50:50 के अनुपात में करती हैं।

(ख) आईएवाई को दुर्गम तथा मरुभूमि क्षेत्रों सहित पूरे देश के ग्रामिण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। आईएवाई के अंतर्गत नए मकान के निर्माण के लिए मरुभूमि क्षेत्रों सहित मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों और समेकित कार्य योजना जिलों में 75,000 रुपए की इकाई सहायता दी जाती है।

(ग) सरकार इंदिरा आवास योजना के व्यापक तौर पर संशोधन के संबंध में विचार करेगी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना देश में लम्बे समय से

संचालित हो रही है। यह एक साझा योग्य योजना है। इसमें उसका जो फण्डिग पैटर्न है, वह 75:25 है। इसमें 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 25% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है जो नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं, उनमें यह पैटर्न 90:10 का है।

मैडम स्पीकर, हम राजस्थान से आते हैं और यह रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाके में भी इंदिरा आवास बनाने का खर्च ज्यादा आता है। वहां दूर-दूर तक ईंट, पट्टी या कंस्ट्रक्शन के सामानों को ले जाने की जरूरत पड़ती है। इस से हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप ने नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स में 90:10 का जो फण्डिग पैटर्न रखा है, क्या आप रेगिस्तानी इलाकों में भी 90:10 का पैटर्न करने जा रहे हैं?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसी तरह से इनके यहां भी केन्द्र और राज्य के बीच का अनुपात 90:10 किया जाए।

महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह जो अनुपात है, यह पूर्वोत्तर के राज्य और सिक्किम के लिए है। बाकी राज्यों के लिए यह अनुपात नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके लिए 90:10 का अनुपात ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे हिली एरियाज में मकान बनाना पूरी तरह से डिफीकल्ट है, ऐसे ही रेगिस्तानी इलाके में भी मकान बनाना डिफीकल्ट है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से ऐसा निवेदन किया।

मेरा सैकिण्ड सप्लीमेंटरी है कि इंदिरा आवास योजना में जो बीपीएल हाउसहोल्ड होते हैं, उन पर लागू होती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आग लग जाती है और आग लग जाने के बाद मकान नष्ट हो जाता है, लेकिन जो बीपीएल नहीं होता है, उसको आग लगने पर उस मकान के कंस्ट्रक्शन का पैसा किसी भी मद में नहीं दिया जाता है। कहने को कई बार कहते हैं कि इंदिरा आवास योजना में कुछ ऐसा प्रावधान है, जिससे आग लगने पर आप पैसा दे सकते हो। आग लगने पर तो वह मेरे हिसाब से लैंडलैस हो गया, वह हाउसहोल्ड लैस हो गया और उसका मकान भी नष्ट हो जाता है तो आग लगने पर अगर वह बीपीएल नहीं है और एपीएल है तो उसको भी इंदिरा आवास योजना के तहत पैसा देने का प्रावधान करना चाहिए। सरकार ऐसा करेगी या नहीं, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा था?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, यह स्पेशल प्रोवीज़न पांच प्रतिशत का है, इसके लिए अलग से निर्धारित है। अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो उसमें जो स्पेशल प्रोवीज़न है, उसके तहत इस तरह की घटनाओं में कन्सीडर किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : अध्यक्ष महोदया, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इस योजना को कितना प्रतिशत कार्यान्वित किया गया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन लोगों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और कुछ जनसंख्या का 37 प्रतिशत हैं, को कुल निर्माण लागत प्रदान करने पर विचार कर रही है। वे इस लागत का 10 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत भी अंशदान करने में समर्थ नहीं हैं। यदि आप इस प्रकार योजना बनाएंगे तो वे इन घरों के निर्माण में समर्थ नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, निर्माण सामग्री की कीमत में दिन-प्रति-दिन बढ़ोतरी हो रही है। आप निर्माण के लिए उन्हें जो भी भूमि दे रहे हैं, क्या आप गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इन लोगों को वही मूल्य दे सकते हैं जिसका अनुमान आज की तिथि तक इंजीनियरों द्वारा लगाया गया है, क्योंकि वे पांच प्रतिशत अथवा दस प्रतिशत का अंशदान करने में भी समर्थ नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, पूरा मकान बनाने के लिए यह राशि निश्चित रूप से उतनी नहीं है, जिनती आवश्यकता होती है। लेकिन यह सहायता है, अनुदान है, शत-प्रतिशत मकान बनाने के लिए राशि है, ऐसा हम नहीं कहते। यह अनुदान है और 1.4.2013 से ही इसका रिवीज़न हुआ है और उसके हिसाब से राशि बढ़ाई गई है। लेकिन अगर माननीय सदस्य और सदन की राय हो तो इसकी राशि को बढ़ाने पर सरकार विचार कर सकती है।

प्रो. सौगत राय : इंदिरा आवास योजना में जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, यह उनके लिए है, लेकिन यह बीपीएल का सर्वे एक कॉम्प्लीकेटिड सर्वे है। इसमें कितने पाइंट्स होते हैं, 32 पाइंट्स होते हैं कि नहीं, इसके आधार पर उनको सहायता दी जाती है। लेकिन यह जो बीपीएल का सर्वे है, यह बहुत पुराना हो गया है। उसमें हमारे प्रान्त पश्चिम बंगाल में यह देखा गया है कि बहुत सारी बीपीएल फैमिलीज़ उसमें इन्क्लूडिड नहीं हैं और जिनको होना नहीं चाहिए, वे इन्क्लूडिड हो गये हैं। इसलिए हमारी प्रान्तीय सरकार को बीपीएल फैमिलीज़ के लिए एक अलग गीतांजलि आवास योजना योजना शुरू करनी पड़ी। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि बीपीएल फैमिली तय करने के लिए क्या वे फ्रैश सर्वे कराएंगे और बीपीएल से लोगों को बाहर करने के लिए या इन्क्लूड करने के लिए अगर कोई

सर्वे नहीं होता तो क्या ऐसी कोई योजना मंत्री महोदय के पास है कि नहीं?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, अभी सामाजिक-आर्थिक जनगणना देश में चल रही है। उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर यह समस्या दूर हो जाएगी।

[अनुवाद]

डॉ. सिद्धांत महापात्रा : अध्यक्ष महोदया, वर्ष 1985-86 में इंदिरा आवास योजना को शुरू किया गया था। इसके 28 वर्ष बीत जाने के बाद इस योजना के तहत जिन लाभार्थियों द्वारा घर बनाए गए थे, वे आज जीर्णशीर्ण दशा में हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास अभी या भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव है या होगा कि इस योजना के अंतर्गत इन घरों का जीर्णोद्धार करने या नए मकान बनाने के लिए उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पोत परिवहन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : महोदया, सम्माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, वह सही है। जो राशि उपलब्ध है, उसमें घर बनाना बहुत कठिन है और जो घर बनाया जाता है, वह ज्यादा दिनों तक टिकता भी नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है कि वर्ष 2020 तक हम रूरल क्षेत्र में सबको घर बनाकर देंगे। यह करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना के बारे में विचार करना होगा और इसमें राशि भी बढ़ानी होगी। इस साल के बजट में आदरणीय अर्थ मंत्री जी ने हाउसिंग बैंक के लिए एक योजना भी जाहिर की है। रूरल हाउसिंग के लिए इसका उपयोग करके कम-से-कम दो लाख से तीन लाख के बीच में रूरल हाउसिंग के अच्छे पक्के मकान कैसे बन सकते हैं और ये इन लोगों को अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में सरकार विचार कर रही है।

सम्माननीय सदस्यों का इस बारे में जो भी सुझाव है, उस पर सरकार विचार करेगी और जल्द ही ऐसा काम्प्रिहैंसिव स्कीम लायेगी जिसमें रूरल सेक्टर में हाउसेज फॉर ऑल मिशन को हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि इससे सबकी समस्या का समाधान हो गया होगा, फिर भी अहलुवालिया जी क्या आपको कुछ अलग से पूछना है?

श्री एस.एस. अहलुवालिया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि दार्जिलिंग सिक्किम का पड़ोसी है। एक ही पहाड़ में दोनों इलाके बसे हुए हैं। आपने नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम को 90 और 10 के रेश्यो पर अनुदान देने का निर्णय लिया है। बॉर्डर के उस पार 90:10 का रेश्यो और इस पार 75:25 का रेश्यो, यह कुछ अजीब सा लगता है। हिमालय की गोद में बसे हुए इलाके कलिंगपोंग, कर्सियांग और दार्जिलिंग के लिए भी यह अनुदान मिलना चाहिए। क्या इस पर सरकार विचार करेगी?

श्री नितिन गडकरी : वर्तमान स्कीम में जो आर्थिक प्रावधान हैं, उन्हें देखते हुए सम्माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसे पूर्ण करना बहुत कठिन है। 90:10 के रेश्यो में भी जाने के बाद, माननीय सदस्य और सदन को यह बताना चाहता हूं कि उसके बाद में भी एक गरीबी बीपीएल के अंदर रहने वाली फैमिली के लिए मकान आज उस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं बन सकता। इसलिए इस स्कीम में हम चाहते हैं कि ऐसा मकान बने कि जो कम-से-कम 15 साल तक मजबूत रहे और लोगों को उसकी सुविधा मिले। इसलिए क्या रूरल हाउसिंग में जैसे जो इंट्रेस्ट पर कोई फंड मिल सकता है, इसके अलावा हम लोग सरकार का प्रावधान बढ़ाकर उनको इंट्रेस्ट सब्सिडी दे सकते हैं क्या या जीरो परसेंट इंट्रेस्ट पर पैसे दे सकते हैं, जैसे अनेक सुझाव आये हैं, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर निर्णय नहीं लिया है। सरकार चाहती है कि आज के कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में छोटा सा जो मकान गांव में बनेगा, कम-से-कम 15 साल तक उनको उसका फायदा मिलना चाहिए। यह 90:10 रेश्यो में होने वाला नहीं है। इसके बारे में आज तो ऐसी स्थिति नहीं है, अभी नॉर्थ-ईस्ट के लिए और सिक्किम के लिए इसका प्रोवीजन किया है। जल्दी ही हम लोग सोचकर और आप सबके सुझाव लेकर ऐसी स्कीम लायेंगे, मैंने पहले वर्ष 2020 कहा था, यह वर्ष 2022 तक का है, निश्चित रूप से रूरल सेक्टर में जो आबादी है, वह अंदाजन साढ़े चार करोड़ से ज्यादा है, उस सबको कैसे मकान मिलेंगे, इसकी योजना हम जाहिर करेंगे।

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

\+

***142. श्री राम टहल चौधरी :**
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनकरों के लिए हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना देश में कार्यान्वयनाधीन है, यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता संबंधी क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने हथकरघा बुनकरों को शामिल किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई, कितनी जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत बुनकर और उनके परिवारों को कितना लाभ हुआ है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां महोदया। भारत सरकार देश में (i) स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) और (ii) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) घटकों के साथ हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना कार्यान्वित कर रही है।

(i) स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) का उद्देश्य बुनकर समुदाय को स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना है। योजना में चार सदस्यों के परिवार को 15,000 रुपए (जिसमें से ओपीडी के लिए 7500 रुपए हैं) वार्षिक का कवरेज है। इसमें हथकरघा बुनकरों के पहले से मौजूद और वर्तमान सभी रोग शामिल होते हैं। 01 दिन से 80 वर्ष की आयु समूह के सभी हथकरघा बनुकर और अनुषंगी कामगार, चाहे वे पुरुष और महिलायें हों, स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किए जाने के पात्र हैं। एक परिवार के चार सदस्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। राज्य हथकरघा के प्रभारी निदेशक, बुनकरों की पात्रता सत्यापित करता है।

(ii) स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर हथकरघा बुनकरों को एमजीबीबीवाई में बीमा कवच प्रदान किया जाता है:—

क्र.सं.		लाभ
1		2
1.	स्वाभाविक मृत्यु	60,000/- रुपए
2.	दुर्घटना के कारण मृत्यु	1,50,000 रुपए
3.	पूर्ण अपंगता	1,50,000/- रुपए
4.	आंशिक अपंगता	75,000/- रुपए

IX से XII कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को 300 रुपए प्रति तिमाही प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह लाभ शामिल किए गए सदस्य के दो बच्चों तक सीमित है।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत 18 से 59 आयु समूह के बीच के पुरुष या महिला बुनकर और जो हथकरघा बुनकरी से अपनी आय का कम-से-कम 50 प्रतिशत अर्जित करते हैं वे इस योजना में शामिल किए जाने के पात्र हैं। राज्य हथकरघा के प्रभारी निदेशक, बुनकरों की पात्रता सत्यापित करते हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना में शामिल किए गए हथकरघा बुनकरों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के तहत निधियां सीधे कार्यान्वियन एजेंसी को जारी की जाती हैं न कि राज्य-वार। विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में योजना के तहत आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों को ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आवंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
2011-12	104.50	68.22	68.22
2012-13	150.00	127.03	127.03
2013-14	95.00	66.04	66.04
2014-15	85.00	08.59	जून, 2014 तक जारी निधियां

(घ) हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों/कामगारों को उक्त दो योजनाओं के तहत निरंतर रूप से लाभ दिया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान एचआईएस और एमजीबीबीवाई के तहत बुनकरों/अनुषंगी कामगारों के निपटाए गए दावों की संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

अनुबंध-I

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना तथा स्वास्थ्य हथकरघा बुनकरों की संख्या

राज्य का नाम	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना				स्वास्थ्य बीमा योजना			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	77378	74997	70962	26700	140000	140043	140043	140043
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1787	6000	6000	6000
असम	54811	58607	58323	2891	355322	387563	387563	387563
बिहार	0	545	858	858	46300	46300	46300	46300
छत्तीसगढ़	1582	2695	3148	0	4900	4953	4953	4953
दिल्ली	3572	5736	0	0	500	00	0	0
गुजरात	5926	5766	6381	0	5000	5018	5018	5018
हरियाणा	0	130	115	0	23100	23000	22999	22999
हिमाचल प्रदेश	6217	6349	4673	544	11900	12030	12017	12017
जम्मू और कश्मीर	468	616	636	69	15000	16265	16265	16265
झारखंड	0	0	418	745	15000	15002	15002	15002
कर्नाटक	41448	42593	44171	0	45000	45000	45000	45000
केरल	11263	13359	11701	22	18900	13084	13084	13084
मध्य प्रदेश	1464	1039	1407	57	18030	15720	15019	15019
महाराष्ट्र	1086	1122	755	0	1527	1687	1687	1687
मणिपुर	16235	9334	5015	0	34587	51135	51135	51135
मेघालय	14000	0	15500	0	30000	30919	30919	30919
मिज़ोरम	59	0	0	0	1129	1386	1386	1386
नागालैंड	0	0	0	0	50000	39501	39501	39501
ओडिशा	33195	33102	44005	1261	48300	46531	46531	46531
पुदुचेरी	0	1765	1564	0	0	00	0	0
राजस्थान	2986	2376	2821	401	4965	4983	4983	4983

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	104	180	262	0	400	342	342	342
तमिलनाडु	264992	244134	234608	0	314253	270296	270046	270046
त्रिपुरा	0	1000	24692	0	21851	9367	9367	9367
उत्तर प्रदेश	11449	9920	11952	0	202325	178316	178316	178316
उत्तराखंड	1423	819	1065	0	4000	3297	3297	3297
पश्चिम बंगाल	41906	34062	54204	5821	352300	381714	381714	381714
कुल	591564	550246	599236	39369	1766377	1749452	1749452	1749452

अनुबंध-II

एचआईएस और एमजीबीबीआई के तहत बुनकरों/अनुषंगी कामगारों के निपटाए गए दावों की संख्या

स्वास्थ्य बीमा योजना

वर्ष	दावों की संख्या	राशि (करोड़) रुपए में
2011-12	2121255	50.85
2012-13	2981295	73.27
2013-14	3974123	116.17

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

वर्ष	दावों की संख्या	राशि (करोड़) रुपए में	दी गई छात्रवृत्तियां	
			संख्या	राशि (करोड़) रुपए में
2011-12	3499	20.42	155552	12.34
2012-13	3264	20.16	71270	7.41
2013-14	3780	23.44	78879	5.65

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन बहुत सी चीजें अपूर्ण हैं। कृषि के बाद हैंडलूम उद्योग भारत का दूसरा उद्योग है। जहां पर लोगों को कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार मिलता है। हथकरघा क्षेत्र में लगे बुनकरों की वजह से विश्व जगत में भारत में बने कपड़ों का आदर था, परंतु पूर्व सरकारों की लापरवाही की वजह से बुनकर परिवार भुखमरी की कगार पर हैं तथा देश में बुनकर हर साल आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बुनकरों की समस्या के समाधान के प्रयासरत हैं। देश में कई हैंडलूम क्षेत्र हैं, जहां पर बुनकरों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें बनारस भी एक है, परंतु भारत सरकार ने जो योजनाएं बना रखी हैं, वे बुनकरों तक नहीं पहुंच रही हैं। चीन का बनावटी कपड़ा देश में खुलेआम बिक रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो योजनाएं बुनकरों के कल्याण के लिए बनाई है, क्या उनका लाभ उन्हें मिल रहा है? क्या इन कार्यों की समीक्षा की गई है? अगर हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?...*(व्यवधान)* देश में कितने हथकरघा और पावरलूम बंद हैं? क्या इसके बारे में मंत्री महोदय जानकारी देंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उससे कम सहमत हैं। यह सत्य है कि देश में हथकरघा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र कृषि के बाद बहुत विस्तृत क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें रुचि है और उनकी चिंता है कि इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यह बात भी सही है कि पिछले पांच सालों में कारीगरों की संख्या बढ़ी नहीं है। उनकी संख्या उतनी ही है या कुछ कम है। इस क्षेत्र में बहुत काम किए जाने हैं। हथकरघा एक श्रम साध्य काम है। अब लोग इसके बजाय दूसरे तकनीकों को अपना रहे हैं। इसमें आय कम है। आय कम होने की वजह से इस क्षेत्र में कारीगर और मजदूर नहीं लग रहे हैं। हमने इसके लिए कई योजनाएं चलाई है— एक तो कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, मार्जिन मनी की सहायता करना और हम ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि इसकी कीमत पर सब्सिडी भी मिले।

अगर, सदन और सरकार की सहमति होगी तो हमारा आग्रह यह है कि इन लोगों के साथ मनरेगा को भी जोड़ा जाए। इसमें जो आमदनी हो रही है, वह बहुत कम है। हमारी इसमें रुचि है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन भी किया है। मेरा आग्रह है कि यह काम जितना आगे बढ़ेगा तो उतना ही इसमें काम भी बढ़ेगा। बजट के माध्यम से भी सदन की जानकारी में यह बात आई होगी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस संबंध में कई कलस्टरों की घोषणा की है। इस बात में हम लोगों की रुचि है। अगर, माननीय सदस्य महोदय कोई स्पेसिफिक बात बताना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है।

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि आमदनी कम हो रही है, जिसके कारण यह उद्योग बंद होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हैंडलूम उद्योग के काम में आने वाले मैटेरियल्स काफी महंगे आ रहे हैं। बढ़ती हुई लागत के कारण, आज हैंडलूम से बना हुआ कपड़ा काफी महंगा हो गया है, जिसके कारण देश और विश्व में इसकी मांग बहुत कम हो गई है। क्या सरकार हैंडलूम में उपयोग किए जाने वाले मैटेरियल्स को सस्ता करने के लिए कोई कदम उठाएगी? अगर हां, तो इसका क्या ब्यौरा है?

श्री संतोष कुमार गंगवार : आज देश और दुनिया के बाजारों में बहुत स्पर्धा है। हम इसके लिए लगातार प्रदर्शनी लगा रहे हैं। देश के लोगों में हथकरघा के प्रति रुचि है। लोग हथकरघा के नाम पर ऑटोमैटिक मशीनों से बने हुए सामान बेचते हैं। लोगों में हथकरघा से बने सामान लेने की रुचि है और इसकी क्वालिटी को देख कर लोग पैसा भी देना चाहते हैं। हम इसके धागे की खरीद पर भी सब्सिडी दे रहे हैं।

माननीय सदस्य ने एक बात पहले कही थी कि चीन से सामान आयात होता है, इसकी भी रोकथाम के लिए हमने आग्रह किया है। हमने कॉमर्स मंत्रालय को भी इस संबंध में कहा है कि इसकी रोकथाम की जाए, जिससे हमारे देश के अंदर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके।

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, परिस्थिति को देखते हुए, बुनकरों की आर्थिक बेहतरी के लिए टेक्सटाइल मेगा कलस्टर बनाने की घोषणा की गई। टेक्सटाइल कलस्टर में एक ही जगह पर बुनकरों को सभी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इसके अंतर्गत आधुनिक हथकरघे स्थापित किए जायेंगे। इस कलस्टर में अन्य प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल, फायर स्टेशन, डिसप्ले सेंटर, प्रिंटिंग पैकेजिंग, यूनिट, मेकअप, फैब्रिक, डिजायन लैब, इम्ब्राडरी एवं स्टोरेज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह स्वागत योग्य है। इनका प्रावधान आम बजट-2014 में किया गया है। मैं इसका स्वागत कर रही हूं।

हमारे प्रदेश बिहार के भागलपुर का रेशम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिले के चिरैया प्रखंड में गांधी जी के मार्गदर्शन में उनके सहयोगी श्री पुरुषोत्तम मथुरा दास द्वारा सन् 1918 में राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय मधुबनी कला-सला नामक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। बुनकरों द्वारा रेशम की बुनाई, स्वेटर बुनाई मधु उत्पादन, गौ पालन, तेल उत्पादन, धान कुटाई, साबुन उत्पादन एवं सूत कताई जैसे अनेक कार्य होते थे। उससे निर्मित उत्पादकों का निर्यात देश के विभिन्न हिस्सों एवं सरकारी संस्थानों में किया जाता था, विशेषकर यहां से निर्मित रेशम वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि के थे। लेकिन आज सब लोग तंगी से जुझ रहे हैं।...*(व्यवधान)* बनारस में पिछले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत हथकरघा इकाइयां बंद हो गई हैं जिसका मुख्य कारण चाइनीज़ यार्न का आयात है। हथकरघा उत्पादन की बिक्री दिन पर दिन गिरती जा रही है जो चिन्ता का मुख्य कारण है। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : भाषण नहीं देना है, केवल प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रमा देवी : श्री प्रश्न पूछ रही हूं।

क्या हमारी सरकार बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी जिससे सामाजिक, आर्थिक विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके?...*(व्यवधान)* मैं चिरैया के विषय में कह रही हूं।...*(व्यवधान)* वहां काफी वर्षों से जो चल रहा था, उसके कारण वहां के लोग बेकार पड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)* उनकी स्थिति क्या होगी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपा करके केवल प्रश्न ही पूछिए। बहुत लम्बे भाषण होते जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : जी, हां मंत्री जी।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, माननीय सदस्या ने काफी विस्तृत चिन्ता व्यक्त की है। यह भी सत्य है कि रेशम हमारे देश का मुख्य

उत्पाद है। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में इसकी मांग है और हमारी इससे पहचान है। वर्तमान सरकार को इसकी चिन्ता है। जो मेगा कलस्टर घोषित हुए हैं, उसमें भागलपुर भी एक स्थान है। आपने चिन्ता व्यक्त की है।...*(व्यवधान)* आप हमें जो भी सुझाव देंगी, उसके हिसाब से हम कदम उठाएंगे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मधुबनी की भी चिन्ता कीजिए।

[अनुवाद]

श्री विनसेंट एच. पाला : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।

वृहद् हथकरघा बुनकर कल्याण योजना के अंतर्गत निधियां सीधे एनजीओ अथवा संबंधित कार्यान्वियन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। उनके द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, आबंटित 75 प्रतिशत निधियां जारी कर दी गई हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2011-12 में 104.50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई जबकि केवल 68 करोड़ रुपए ही जारी किए गए, और वर्ष 2012-13 में 150 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया और केवल 127 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस प्रकार इस आबंटित निधि का एक बड़ा भाग जारी नहीं किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इन एजेंसियों को पूरी राशि जारी क्यों नहीं की गई और केवल 75 प्रतिशत निधियां ही जारी क्यों की गई हैं?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, अभी आप ही ने बताया कि हम सीधे एनजीओज़ को पैसे देते हैं। हम एनजीओ को सीधे पैसे दे रहे हैं। हम उसकी जांच करते हैं और जांच के बाद जितनी आवश्यकता, संस्तुति होती है, रिकमैंडेशन के हिसाब से देते हैं। हम मानते हैं कि यह धन कम है। हम व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं कि इस दिशा में कोशिश की जाए। जो शेष रह गया है, क्योंकि कुछ फार्मैलिटीज़ पूरी करनी होती हैं और अगर एनजीओज़ ने वह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो कभी-कभी पैसा मिलने में देर हो जाती है। हम इतना आश्वासन जरूर दे सकते हैं कि आने वाले समय में यह समस्या नहीं आएगी और जितना धन दिया जाना है, उसमें कहीं भी कमी नजर नहीं आएगी। अगर आपको इस संदर्भ में कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जानकारी हमें दीजिए। हम महसूस करते हैं कि यह वह क्षेत्र है जिसे जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही लाभ होगा।

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं रोजगार मिलता है, तो वह हथकरघा के माध्यम से मिलता है। हमारे देश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और उस समस्या से निपटने के लिए हथकरघा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार विशेषकर बनारस, मऊ, मुबारकपुर, जो आदरणीय नेता जी का क्षेत्र है, वहां के हथकरघा बुनकरों को 75 रुपये मिनिमम प्रति माह बिजली दे रही है।...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इसमें भारत सरकार कुछ करेगी या नहीं? ...*(व्यवधान)* आदरणीय नेता जी ने मुख्यमंत्री के रूप में और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्षा जी, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के बुनकरों को बिजली केवल 75 रुपये प्रति माह में देने का काम किया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप मंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव : मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आप भारत सरकार की ओर से क्या योगदान देंगे? ...*(व्यवधान)* विशेषकर ऐसे समय पर जब चाइना के लिए आपने बाजार खोल रखा है।...*(व्यवधान)* लगातार मिल रही है। आप मऊ, मुबारकपुर में पता कीजिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, अगर वहां से कोई वेल्फेयर स्कीम आयी है, तो वह बता दीजिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि वह मेरी बात को अन्यथा न लें। बजट में जो घोषणा हुई है, अगर उन्होंने बजट भाषण सुना होगा, तो उसमें मेगा कलस्टर उत्तर प्रदेश में है। भदोही, बनारस, मुरादाबाद, बरेली है। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, लेकिन...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव : उस के हिसाब से वह बहुत कम है। मैंने बजट पढ़ा है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, ऐसा नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री को मिलने के लिए अब तक दो पत्र लिख दिये कि हम आपसे उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर मिलना चाहते हैं लेकिन दुर्भाग्य है...*(व्यवधान)* मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया और न आकर बात की।...*(व्यवधान)*

मैं आपकी बात से सहमत हूं और आप जो भी उत्तर प्रदेश की योजना बनायेंगे, हम और आप मिलकर उस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. रत्ना डे। आप केवल प्रश्न पूछिये। एक ही प्रश्न बहुत समय ले रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (नाग) : अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। क्या सरकार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और सामान्य रूप से सभी राज्यों में हथकरघा वस्त्रों जिसमें स्वत: विभिन्न कारीगर, रंगरेज और छपाई कार्य में लगे लोग शामिल हैं, को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : आपका कहना सत्य है। हमने अपने मंत्रालय में करीब 40 दिनों में देखा है कि आर्टिजन्स का काम बहुत अच्छा है और उन्हें प्रमोट करने की भी बहुत आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसमें सहयोग करें। निश्चित रूप से हम आर्टिजन्स का जो काम देख रहे हैं, उससे लगता है कि इसे अधिक प्रमोट करना चाहिए और लोगों की भी इसमें रुचि है। अगर आपकी जानकारी में इस संदर्भ में कोई विशेष बात है और उसे आप संज्ञान में लायेंगे, तो उस पर कदम उठाया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 143,

मैं सुशील कुमार सिंह – अनुपस्थित।

[अनुवाद]

विद्युत की कमी

\+

***143. डॉ. किरिट पी. सोलंकी :**
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की अधिकतम मांग के समय और सामान्य मांग के समय भी कमी रहती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना अंतर रहा;

(ख) क्या विद्युत की कमी के कारणों का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई और उनसे कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(घ) क्या देश में बड़ी संख्या में ताप विद्युत संयंत्र कोयले के कमी का सामना कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 के दौरान और चालू वर्ष (अप्रैल, 2014 से जून, 2014) के लिए ऊर्जा और व्यस्ततम मांग एवं आपूर्ति तथा विद्युत की कमी के संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) विद्युत में कमी के कारण अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं:–

(i) कुछ विद्युत संयंत्रों में ईंधन की कमी के कारण कम उत्पादन

(ii) कुछ ताप उत्पादन यूनिटों का कम संयंत्र भार संबंधी कारक

(iii) पारेषण एवं वितरण बाधाएं

(iv) कुछ क्षेत्रों में खराब मानसून के कारण कम जल विद्युत उत्पादन

(v) राज्य वितरण कंपनियों की उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां

(vi) राज्य यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति जिसके कारण उनके लिए पर्याप्त उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सृजन हेतु अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में कठिनाई आई। कई बार राज्य यूटिलिटियां वित्तीय कठिनाइयों के कारण विद्युत की खरीद भी नहीं कर पाती हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2014 तक) के दौरान चालू की गई विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-II में हैं। विद्युत परियोजनाओं के चालू होने के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन 2010-11 के दौरान 811.14 बिलियन यूनिट से बढ़कर 2011-12 के दौरान 876.89 बिलियन यूनिट, 2012-13 के दौरान 912.06 बिलियन यूनिट और 2013-14 के दौरान 967.15 बिलियन यूनिट हो गया।

(घ) दिनांक 09.07.2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जिन विद्युत संयंत्रों की निगरानी की गई उनमें से, 45 विद्युत संयंत्रों के पास कोयले का 7 दिन से भी कम का स्टॉक था। कोयला आधारित उत्पादन क्षमता 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार 77,649 मेगावाट से बढ़कर, 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार 1,13,280 मेगावाट हो गई है अर्थात् 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि घरेलू कोयले की आपूर्ति 2008-09 के दौरान 342.6 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2013-14 के दौरान 419.6 मिलियन टन हो गई है अर्थात् केवल 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:—

(i) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घरेलू कोयले का उत्पादन चालू वर्ष के लक्ष्य में अधिक बढ़ाने के लिए बहु-आयामी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) विद्युत यूटिलिटियों को जहां-कहीं आवश्यक हो, आयातित कोयले का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

(iii) कोयले की उपलब्धता को सरकार में सर्वोच्च स्तर पर नियमित रूप से गहन निगरानी की जा रही है।

(ङ) उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के एिल सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(i) 12वीं योजना के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य सहित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना।

(ii) विद्युत की निकासी के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाना।

(iii) उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए और कृषि संबंधी फीडरों के पृथक्करण के लिए इस वर्ष के बजट में एक नई योजना की घोषणा की गई है।

(iv) कार्यान्वयन के अधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्र समाधान करना।

(v) ताप संयंत्रों द्वारा बढ़े हुए उत्पादन के लिए कोयला के आयातों के माध्यम से घरेलू कोयले की उपलब्धता की कमी को पूरा करना।

(vi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना।

अनुबंध-I

2011-12 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2011—मार्च, 2012				अप्रैल, 2011—मार्च, 2012			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,568	1,564	-4	0	263	263	0	0
दिल्ली	26,751	26,674	-77	-0.3	5,031	5,028	-3	-0.1
हरियाणा	36,874	35,541	-1,333	-3.6	6,533	6,259	-274	-4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	8,161	8,107	-54	-0.7	1,397	1,298	-99	-7.1
जम्मू और कश्मीर	14,250	10,889	-3,361	-23.6	2,385	1,789	-596	-25.0
पंजाब	45,191	43,792	-1,399	-3.1	10,471	8,701	-1,770	-16.9
राजस्थान	51,474	49,491	-1,983	-3.9	8,188	7,605	-583	-7.1
उत्तर प्रदेश	81,339	72,116	-9,223	-11.3	12,038	11,767	-271	-2.3
उत्तराखंड	10,513	10,208	-305	-2.9	1,612	1,600	-12	-0.7
उत्तरी क्षेत्र	2,76,121	2,58,382	-17,739	-6.4	40,248	37,117	-3,131	-7.8
छत्तीसगढ़	15,013	14,615	-398	-2.7	3,239	3,093	-146	-4.5
गुजरात	74,696	74,429	-267	-0.4	10,951	10,759	-192	-1.8
मध्य प्रदेश	49,785	41,392	-8,393	-16.9	9,151	8,505	-646	-7.1
महाराष्ट्र	1,41,382	1,17,722	-23,660	-16.7	21,069	16,417	-4,652	-22.1
दमन और दीव	2,141	1,915	-226	-10.6	301	276	-25	-8.3
दादरा और नगर हवेली	4,380	4,349	-31	-0.7	615	605	-10	-1.6
गोवा	3,024	2,981	-43	-1.4	527	471	-56	-10.6
पश्चिमी क्षेत्र	2,90,421	2,57,403	-33,018	-11.4	42,352	36,509	-5,843	-13.8
आंध्र प्रदेश	91,730	85,149	-6,581	-7.2	14,054	11,972	-2,082	-14.8
कर्नाटक	60,830	54,023	-6,807	-11.2	10,545	8,549	-1,996	-18.9
केरल	19,890	19,467	-423	-2.1	3,516	3,337	-179	-5.1
तमिलनाडु	85,685	76,705	-8,980	-10.5	12,813	10,566	-2,247	-17.5
पुदुचेरी	2,167	2,136	-31	-1.4	335	320	-15	-4.5
लक्षद्वीप	37	37	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,60,302	2,37,480	-22,822	-8.8	37,599	32,188	-5,411	-14.4
बिहार	14,311	11,260	-3,051	-21.3	2,031	1,738	-293	-14.4
डीवीसी	16,648	16,009	-639	-3.8	2,318	2,074	-244	-10.5
झारखंड	6,280	6,030	-250	-4.0	1,030	868	-162	-15.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओडिशा	23,036	22,693	-343	-1.5	3,589	3,526	-63	-1.8
पश्चिम बंगाल	38,679	38,281	-398	-1.0	6,592	6,532	-60	-0.9
सिक्किम	390	384	-6	-1.5	100	95	-5	-5.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	244	204	-40	-16	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	99,344	94,657	-4,687	-4.7	14,707	13,999	-708	-4.8
अरुणाचल प्रदेश	600	553	-47	-7.8	121	118	-3	-2.5
असम	6,034	5,696	-338	-5.6	1,112	1,053	-59	-5.3
मणिपुर	544	499	-45	-8.3	116	115	-1	-0.9
मेघालय	1,927	1,450	-477	-24.8	319	267	-52	-16.3
मिज़ोरम	397	355	-42	-10.6	82	78	-4	-4.9
नागालैंड	560	511	-49	-8.8	111	105	-6	-5.4
त्रिपुरा	949	900	-49	-5.2	215	214	-1	-0.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,011	9,964	-1,047	-9.5	1,920	1,782	-138	-7.2
अखिल भारत	9,37,199	8,57,886	-79,313	-8.5	1,30,006	1,16,191	-13,815	-10.6

2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2012—मार्च, 2013				अप्रैल, 2012—मार्च, 2013			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,088	25,950	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,992	8,744	-248	-2.8	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू और कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	48,724	46,119	-2,605	-5.3	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,538	53,868	-1,670	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	3,00,774	2,73,240	-27,534	-9.2	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	17,302	17,003	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,662	93,513	-149	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	49,226	44,272	-4,954	-10.1	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	1,23,984	1,19,972	-4,012	-3.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन और दीव	1,991	1,860	-131	-6.6	311	286	-25	-8.0
दादरा और नगर हवेली	4,572	4,399	-173	-3.8	629	629	0	0.0
गोवा	3,181	3,107	-74	-2.3	524	475	-49	-9.4
पश्चिमी क्षेत्र	2,93,918	2,84,126	-9,792	-3.3	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	99,692	82,171	-17,521	-17.6	14,582	11,630	-2,952	-20.2
कर्नाटक	66,274	57,044	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,243	20,391	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,302	76,161	-16,141	-17.5	12,736	11,053	-1,683	-13.2
पुदुचेरी	2,331	2,291	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,81,842	2,38,058	-43,784	-15.5	38,767	31,386	-7,181	-18.5
बिहार	15,409	12,835	-2,574	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	17,299	16,339	-960	-5.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	7,042	6,765	-277	-3.9	1,263	1,172	-91	-7.2
ओडिशा	25,155	24,320	-835	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	42,143	41,842	-301	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	409	409	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	1,07,457	1,02,510	-4,947	-4.6	16,655	15,415	-1,240	.-7.4
अरुणाचल प्रदेश	589	554	-35	-5.9	116	114	-2	-1.7
असम	6,495	6,048	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	574	543	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,828	1,607	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिज़ोरम	406	378	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	535	-32	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,108	1,054	-54	-4.9	229	228	-1	-0.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,566	10,718	-848	-7.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारत	9,95,557	9,08,652	-86,905	-8.7	1,35,453	1,23,294	-12,159	-9.0

2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (संशोधित)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2013—मार्च, 2014				अप्रैल, 2013—मार्च, 2014			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मू और कश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1
उत्तर प्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखंड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	309,463	290,880	-18,583	-6.0	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	126,288	123,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6
दमन और दीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8
दादरा और नगर हवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	294,659	291,856	-2,803	-1.0	41,335	40,331	-1,004	-2.4
आंध्र प्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6
पुदुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1
लक्षद्वीप	48	48	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	277,245	258,444	-18,801	-6.8	39,015	36,048	-2,967	-7.6
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2
डीवीसी	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखंड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1
पश्चिम बंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	108,203	106,783	-1,420	-1.3	15,888	15,598	-290	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8
मिज़ोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12,687	11,866	-821	-6.5	2,164	2,048	-116	-5.4
अखिल भारत	1,002,257	959,829	-42,428	-4.2	135,918	129,815	-6,103	-4.5

#लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी : व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियां सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (संशोधित)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014—मार्च, 2014				अप्रैल, 2014—मार्च, 2014			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	444	444	0	0	300	300	0	0
दिल्ली	8,160	8,090	-70	-0.9	5,688	5,533	-155	-2.7
हरियाणा	11,068	11,023	-45	-0.4	8,056	8,056	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,216	2,194	-22	-1.0	1,316	1,295	-21	-1.6
जम्मू और कश्मीर	4,002	3,203	-799	-20.0	2,422	1,938	-484	-20.0
पंजाब	11,431	11,402	-29	-0.3	9,682	9,682	0	0.0
राजस्थान	15,468	15,413	-55	-0.4	9,131	9,131	0	0.0
उत्तर प्रदेश	26,845	23,372	-3,473	-12.9	15,670	11,821	-3,849	-24.6
उत्तराखंड	3,144	3,083	-61	-1.9	1,833	1,833	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	82,778	78,224	-4,554	-5.5	46,762	45,242	-1,520	-3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	5,318	5.263	-55	-1.0	3,450	3,350	-100	-2.9
गुजरात	25,533	25,527	-6	0.0	13,580	13,499	-81	-0.6
मध्य प्रदेश	12,040	11,986	-54	-0.4	7,388	7,033	-355	-4.8
महाराष्ट्र	36,045	35,173	-872	-2.4	19,749	18,658	-1,091	-5.5
दमन और दीव	559	559	0	0.0	297	297	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	1,364	1,364	0	0.0	679	679	0	0.0
गोवा	1,173	1,170	-3	-0.3	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	82,032	81,042	-990	-1.2	43,170	42,365	-805	-1.9
आंध्र प्रदेश	21,334	19,204	-2,130	-10.0	6,870	6,146	-724	-10.5
तेलंगाना	3,853	3,638	-215	-5.6	6,534	5,661	-873	-13.4
कर्नाटक	16,550	15,400	-1,150	-6.9	10,001	9,503	-498	-5.0
केरल	5,707	5,576	-131	-2.3	3,760	3,495	-265	-7.0
तमिलनाडु	25,294	24,263	-1,031	-4.1	13,622	13,498	-124	-0.9
पुदुचेरी	642	636	-6	-0.9	371	348	-23	-6.2
लक्षद्वीप	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	73,380	68,717	-4,663	-6.4	39,094	35,698	-3,396	-8.7
बिहार	4,240	4,145	-95	-2.2	2,560	2,410	-150	-5.9
डीवीसी	4,439	4,404	-35	-0.8	2,610	2,590	-20	-0.8
झारखंड	1,891	1,874	-17	-0.9	1,060	1,037	-23	-2.2
ओडिशा	6,985	6,855	-130	-1.9	3,814	3,764	-50	-1.3
पश्चिम बंगाल	12,917	12,846	-71	-0.5	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	97	97	0	0.0	80	80	0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60	45	-15	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	30,569	30,221	-348	-1.1	16,628	16,342	-286	-1.7
अरुणाचल प्रदेश	144	137	-7	-4.9	115	111	-4	-3.5
असम	2,028	1,863	-165	-8.1	1,343	1,230	-113	-8.4
मणिपुर	145	138	-7	-4.8	118	117	-1	-0.8
मेघालय	421	354	-67	-15.9	299	296	-3	-1.0
मिज़ोरम	104	98	-6	-5.8	77	76	-1	-1.3
नागालैंड	144	138	-6	-4.2	115	111	-4	-3.5
त्रिपुरा	281	265	-16	-5.7	246	246	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,267	2,993	-274	-8.4	2,252	2,045	-207	-9.2
अखिल भारत	2,72,026	2,61,197	-10,829	-4.0	1,42,647	1,37,352	-5,295	-3.7

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश के ऊर्जा संबंधी आंकड़ों में अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा संबंधी आंकड़े जून, 2014 से प्रभावी हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से प्रभावी हैं। यह जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन होने के कारण हुआ है।

अनुबंध-II

2011-12 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	कुल क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई राज्य-वार क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
1.	सिम्हाद्री यू-4	आंध्र प्रदेश	500	1189
2.	सिम्हापुरी टीपीपी यू-1		150	
3.	कोथागुडम-VI		500	
4.	जुराला प्रिया यू-6		39	
5.	लकवा डब्ल्यूएच	असम	37.2	37.2
6.	सिपत-1 यू-1	छत्तीसगढ़	660	1553
7.	सिपत-1 यू-2		660	
8.	कसाईपल्ली टीपीपी यू-1		135	
9.	एसवीपीएल टीपीपी यू-1		63	
10.	कोटघोरा टीपीपी यू-1		35	
11.	रिठाला सीसीपीपी एसटी	दिल्ली	36.5	286.5
12.	प्रगति (बवाना) स्टेज-III जीटी-3		250	
13.	मुंद्रा यूएमपीपी यू-1	गुजरात	800	4391
14.	सलाया टीपीपी यू-1		600	
15.	मुंद्रा टीपीपी फेज-II यू-2		660	
16.	मुंद्रा टीपीपी फेज-III यू-1, 2, 3		1980	
17.	हजीरा सीसीपीपी एक्सपैं.		351	
18.	करछाम वांगटू यू-1, 2, 3, 4	हिमाचल प्रदेश	1000	1100
19.	मलाना-II यू-1, 2		100	
20.	इंदिरा गांधी (झज्जर) यू-2	हरियाणा	500	1160
21.	महात्मा गांधी टीपीपी यू-1		660	
22.	मैथान आरबी यू-1, 2	झारखंड	1050	1550
23.	कोडरमा यू-1		500	
24.	उडुपी टीपीपी यू-2	कर्नाटक	600	1100
25.	बेल्लारी टीपीएस यू-2		500	
26.	जेएसडब्ल्यू ऊर्जा रत्नागिरी यू-3, 4	महाराष्ट्र	600	2481
27.	वर्धा वरौरा टीपीपी यू-4		135	

1	2	3	4	5
28.	मिहान टीपीपी यू-1-4		246	
29.	खापरखेड़ा टीपीएस यू-5		500	
30.	भुसावल टीपीएस यू-4, 5		1000	
31.	मिंटडू (लेशका) यू-1, 2	मेघालय	84	84
32.	स्टेरलाईट (झारसुगड़ा) यू-3	ओडिशा	600	600
33.	जलीपा कपूर्दी यू-3, 4	राजस्थान	270	270
34.	एनएलसी टीपीपी-2 एक्सटैं.	तमिलनाडु	250	750
35.	वल्लूर स्टेज-1, फेज-1, टीपीपी यू-1		500	
36.	उतरौला आईपीपी यू-1, 2	उत्तर प्रदेश	90	2500
37.	रोसा स्टेज-II यू-3, 4		600	
38.	कुंदरकी आईपीपी यू-1, 2		90	
39.	खंबरखेड़ा यू-1, 2		90	
40.	मकसूदपुर आईपीपी यू-1, 2		90	
41.	बरखेड़ा टीपीपी यू-1, 2		90	
42.	लैंको अनपारा (सी) यू-1, 2		1200	
43.	हरदुआगंज यू-8		250	
44.	कोटेश्वर यू-3, 4	उत्तराखंड	200	200
45.	दुर्गापुर स्टील टीपीपी यू-2	पश्चिम बंगाल	500	1250
46.	दुर्गापुर स्टील टीपीपी यू-1		500	
47.	संथालडीह स्टेज-II यू-6		250	
	कुल		20501.7	20501.7

2012-13 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई राज्य-वार क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
1.	सिम्हापुरी फेज-1, यू-2	आंध्र प्रदेश	150	300
2.	थामिनापट्टनम		150	
3.	सिपत यू-3	छत्तीसगढ़	660	1,345
4.	कसाईपल्ली यू-2		135	
5.	रतीजा यू-1 (अतिरिक्त)	छत्तीसगढ़	50	
6.	कोरबा वेस्ट यू-5 (अतिरिक्त)		500	
7.	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी, यू-3	दिल्ली	250	250

1	2	3	4	5
8.	सलाया यू-2	गुजरात	600	5,033.5
9.	मुंद्रा यूएमटीपीपी, यू-2		800	
10.	मुंद्रा यूएमटीपीपी, यू-3 (अतिरिक्त)		800	
11.	मुंद्रा यूएमटीपीपी, यू-4 (अतिरिक्त)		800	
12.	मुंद्रा यूएमटीपीपी, यू-5 (अतिरिक्त)		800	
13.	उनो सुजैन (अतिरिक्त)		382.5	
14.	उकई टीपीपी एक्सटैं., यू-6		500	
15.	पीपावाव सीसीपीपी ब्लॉक-2		351	
16.	चमेरा-III, यू-3	हिमाचल प्रदेश	77	301
17.	चमेरा-III, यू-2		77	
18.	चमेरा-III, यू-1		77	
19.	बुधहिल, यू-2		35	
20.	बुधहिल, यू-1		35	
21.	इंदिरा गांधी टीपीपी यू-3	हरियाणा	500	1,160
22.	झज्जर टीपीएस (एम.जी. टीपीपी), यू-2		660	
23.	चूटक, यू-2	जम्मू और कश्मीर	11	44
24.	चूटक, यू-3		11	
25.	चूटक, यू-1		11	
26.	चूटक, यू-4		11	
27.	कोडरमा टीपीपी, यू-2	झारखंड	500	1,040
28.	आधुनिक यू-2 (अतिरिक्त)		270	
29.	आधुनिक पावर टीपीपी, यू-1		270	
30.	विंध्याचल-IV, यू-11	मध्य प्रदेश	500	
31.	विंध्याचल-IV, यू-12 (अतिरिक्त)		500	
32.	बीना टीपीपी यू-1		250	2,350
33.	महान, यू-1 (अतिरिक्त)		600	
34.	बीना-2 (अतिरिक्त)		250	
35.	सतपुरा एक्सटैं. यू-10		250	
36.	मौदा यू-1	महाराष्ट्र	500	
37.	मौदा टीपीपी, यू-2 (अतिरिक्त)		500	
38.	तिरौरा फेज-I यू-2		660	
39.	तिरौरा फेज-I यू-1		660	
40.	एमको वरौरा टीपीपी, यू-1		300	

1	2	3	4	5
41.	बेला, यू-1		270	
42.	अमरावती, यू-1 (अतिरिक्त)		270	
43.	जीईपीएल, यू-2 (अतिरिक्त)		60	
44.	जीईपीएल, यू-1 (अतिरिक्त)		60	
45.	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II यू-1		300	
46.	मिंटडू, यू-3	मेघालय	42	42
47.	कमलंगा, यू-1 (अतिरिक्त)	ओडिशा	350	950
48.	झारसुगड़ा यू-4		600	
49.	जलीपा कपूर्दी, यू-5	राजस्थान	135	650
50.	जलीपा कपूर्दी, यू-8 (अतिरिक्त)		135	
51.	जलीपा कपूर्दी, यू-6 (अतिरिक्त)		135	
52.	जलीपा कपूर्दी, यू-7 (अतिरिक्त)		135	
53.	रामगढ़ जीटी		110	
54.	वल्लूर टीपीपी फेज-1, यू-2	तमिलनाडु	500	1,865
55.	तूतीकोरिन, यू-1 (अतिरिक्त)		150	
56.	मेट्टूर एक्सटें., यू-1		600	
57.	नॉर्थ चेन्नई एक्सटें., यू-2	तमिलनाडु	600	
58.	भवानी कट्टालई-III, यू-1		15	
59.	त्रिपुरा गैस, मोड-1	त्रिपुरा	363.3	363.3
60.	रिहंद-III यू-5	उत्तर प्रदेश	500	
61.	परीछा एक्सटें., यू-5		250	
62.	हरदुआगंज एक्सटें., यू-9		250	
63.	परीछा एक्सटें., यू-6		250	
64.	टीएलडीपी, यू-2 (अतिरिक्त)	पश्चिम बंगाल	33	99
65.	टीएलडीपी, यू-1 (अतिरिक्त)		33	
66.	टीएलडीपी, यू-3 (अतिरिक्त)		33	
	2012-13 के दौरान चालू की गई कुल क्षमता		20,622.8	20,622.8

राज्य-वार : 2013-14 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई राज्य-वार क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
1.	थामिनापट्टनम टीपीपी यू-2	आंध्र प्रदेश	150	300
2.	सिम्हापुरी, यू-3		150	
3.	बाढ़-II ,यू-4	बिहार	660	660

1	2	3	4	5
4.	अकलतारा टीपीपी, यू-1	छत्तीसगढ़	600	3,530
5.	जंगीर चम्पा, यू-1		600	
6.	तमनेर, यू-1		600	
7.	मारवा, यू-1		500	
8.	तमनेर, यू-2 (अतिरिक्त)		600	
9.	कोरबा वेस्ट, यू-1 (अतिरिक्त)		600	
10.	चकाबुरा, यू-1 (अतिरिक्त)		30	
11.	प्रगति-III सीसीजीटी (बवाना) जीटी-4	दिल्ली	250	500
12.	प्रगति-III सीसीजीटी (बवाना) स्टेज-2		250	
13.	पीपावाव सीसीजीटीस ब्लॉक-1	गुजरात	351	1,151
14.	डीजीईएन सीसीसीपी, ब्लॉक-1		400	
15.	डीजीईएन सीसीसीपी, ब्लॉक-3		400	
16.	पारबती-III यू-1	हिमाचल प्रदेश	130	596
17.	पारबती-III यू-2		130	
18.	पारबती-III यू-3		130	
19.	रामपुर, यू-1		69	
20.	रामपुर, यू-2		69	
21.	रामपुर, यू-5 (अतिरिक्त)		69	
22.	उरी-II, यू-1	जम्मू और कश्मीर	60	285
23.	उरी-II, यू-3		60	
24.	निम्मो बाजगो, यू-1		15	
25.	निम्मो बाजगो, यू-2		15	
26.	निम्मो बाजगो, यू-3		15	
27.	उरी-II, यू-2		60	
28.	उरी-II, यू-4		60	
29.	सासन यीएमपीपी, यू-3	मध्य प्रदेश	660	2,875
30.	गदरवारा, यू-1 (अतिरिक्त)		45	
31.	सासन यूएमपीपी, यू-2		660	
32.	सासन यूएमपीपी, यू-1		660	
33.	मालवा, यू-1		600	
34.	सतपुरा टीपीएस, यू-11 (सरनी)		250	
35.	टिरोडा टीपीपी यू-3	महाराष्ट्र	660	2,760
36.	एमको वरौरा टीपीपी यू-2		300	
37.	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी यू-1		300	
38.	अमरावती, यू-2		270	

1	2	3	4	5
39.	नासिक, यू-1		270	
40.	कमलंगा टीपीपी यू-2	ओडिशा	350	700
41.	कमलंगा टीपीपी यू-3		350	
42.	राजपुरा (नाभा)-1	पंजाब	700	700
43.	कवाई-1 (अतिरिक्त)	राजस्थान	660	1,570
44.	कवाई-2 (अतिरिक्त)		660	
45.	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें. यू-3		250	
46.	चुजाचैन एचईपी यू-2	सिक्किम	49.5	99
47.	चुजाचैन एचईपी यू-1		49.5	
48.	इंड बराथ-2	तमिलनाडु	150	1,295
49.	भवानी कट्टालई बैराज-II यू-1		15	
50.	भवानी कट्टालई बैराज-II यू-2		15	
51.	भवानी कट्टालई बैराज-III यू-2		15	
52.	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी एक्सटें. यू-1		600	
53.	वल्लूर, यू-3		500	
54.	रोखिया जीटी-9 (अतिरिक्त)	त्रिपुरा	21	21
55.	रिहंद एसटीपीएस-III यू-6	उत्तर प्रदेश	500	500
56.	तीस्ता एलडी-III यू-4	पश्चिम बंगाल	33	283
57.	दुर्गापुर, यू-8 (अतिरिक्त)	पश्चिम बंगाल	250	
	2013-14 के दौरान चालू की गई कुल क्षमता:		17,825	17,825

राज्य-वार : 2014-15 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं की सूची (13 जुलाई, 2014 तक)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई राज्य-वार क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7
1.	सलोरा टीपीपी	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	135	535
2.	चकबुरा, यू-2		निजी	कोयला	400	
3.	डी-जीईएन, ब्लॉक-2	गुजरात	निजी	गैस	30	406
4.	धुवरन सीसीपीपी, एक्सटें.		राज्य	गैस	376	
5.	पारबती-III, यू-4	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	जल	130	199
6.	रामपुर, यू-4		केन्द्रीय	जल	68.67	
7.	सासन, यू-1 (अतिरिक्त)	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	660	660
8.	धारीवाल टीपीपी, यू-2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300	300

1	2	3	4	5	6	7
9.	देरांग टीपीपी	ओडिशा	निजी	कोयला	600	600
10.	तलवंडी साबो, यू-1	पंजाब	निजी	कोयला	660	600
11.	राजपुरा टीपीपी (नाभा), यू-4	पंजाब	निजी	कोयला	700	900
12.	रामगढ़ सीसीपीपी	राजस्थान	राज्य	गैस	50	
13.	कालीसिंध टीपीपी		राज्य	कोयला	600	
14.	छाबड़ा, यू-4		राज्य	कोयला	250	
	2014-15 के दौरान चालू की गई कुल क्षमता:				4,960	4,960

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : अध्यक्ष महोदया, अगर हमें विकास करना है तो विकास के लिए सबसे अहम बात बिजली, ऊर्जा होती है। किसी भी देश, प्रदेश के विकास के लिए ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद वेस्ट संसदीय क्षेत्र से आता हूं। जहां तक गुजरात का सवाल है, तो 13 साल पहले गुजरात में बिजली का संकट रहता था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने उस वक्त बिजली को सरप्लस करने के लिए बहुत अहम उपाय किये थे। उन्होंने ज्योति ग्राम योजना इंट्रोड्यूस की थी।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैडम, ज्योति ग्राम योजना गुजरात मॉडल का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज जब देश में बिजली की कमी है, तो जनरल बजट में प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय, ज्योति ग्राम योजना को इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

डॉ. किरीट पी. सोलंकी : मैडम, आज गुजरात में लिग्नाइट-बेस्ड बिजली का मथक साउथ गुजरात में प्रस्थापित करने के लिए गुजरात सरकार ने एक अहम सुझाव केन्द्र सरकार को दिया है। गुजरात में आज बिजली सरप्लस होते हुए भी महंगी पड़ती है। गुजरात प्रदेश में लिग्नाइट की गई खानें हैं। गुजरात सरकार ने नैयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन से एमओयू किया है और केन्द्र सरकार को भेजा है।...*(व्यवधान)* मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि जो केन्द्र सरकार ने एमओयू किया है...*(व्यवधान)* क्या वह एमओयू नैयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन भी गुजरात सरकार को एनओसी देने के लिए तैयार है और गुजरात पावर कॉर्पोरेशन को लैंड देने के लिए तैयार है, क्या सरकार इसको मंजूरी देगी?

माननीय अध्यक्ष : इतना लम्बा प्रश्न नहीं पूछा जाता है।

श्री पीयूष गोयल : धन्यवाद, आपने जो गुजरात की स्कीम के बारे में बताया, मैं जरूर कहूंगा कि आज गुजरात कुछ राज्यों में से एक है, जहां बिजली की शॉर्ट-फॉल ज़ीरो पर्सेंट है। गुजरात में जो सेपरेट फीडर लाइन ज्योतिर्ग्राम योजना में थी, उसका बिजली की समरूप को रिसोल्व करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहां तक आपके लिग्नाइट्स ब्लॉक्स का सवाल है, तीन-चार ब्लॉक्स के रिवाइज्ड माइनिंग प्लान्स गुजरात सरकार की तरफ से आये हैं, उस पर कुछ क्वैश्चन्स, कुछ क्वेरिज़ रेज की गई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या यहां गुजरात सरकार की बात हो रही है?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी कृपया शांत रहें। क्यों बात कर रहे हैं, यहां प्रश्न उसी के संदर्भ में है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछिए। केवल प्रश्न पूछिए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बिजली प्रोडक्शन के लिए राज्यों को नजदीक के कोल क्षेत्र से जो कोल आवंटित किया जाता है, जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात को ईस्टन कोल ब्लॉक से कोल आवंटित किया जाता है।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, ऐसा नहीं होता है। अगर उनका प्रश्न है, तो उन्हें मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या गुजरात को वेस्टर्न कोल ब्लॉक से कोल का आवंटन किया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप न बोलें। वे इस बारे में जानते हैं।

श्री पीयूष गोयल : माननीय सदस्य का सवाल एकदम अहम है। यदि इसकी भूमिका में जाएं तो कई वर्षों से बिजली के जो लिंकेज़ेज दिये गये हैं, वे अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग खानों से जहां उपलब्धता थी, उसके हिसाब से दिये गये हैं। गुजरात के सबसे निकट जो खान है, वह वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में है। वेस्टर्न कोल फील्ड में कोयले का जितनो प्रोडक्शन है, वह ज्यादातर महाराष्ट्र और जो नजदीक के इलाके हैं, नजदीकी पावर प्लांट्स उनको कई वर्षों से मिलते रहे हैं। गुजरात में जो पावर प्लांट्स हैं, वे बाद में आने के कारण लगभग गत 10-12 वर्षों में गुजरात की ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कपैसिटी बढ़ी है और तब तक वेस्टर्न कोल फील्ड में और प्रोडक्शन न होने के कारण इनको महानदी वगैरह दूसरे कोल फील्ड्स से आवंटन किया गया है। लेकिन गत दिनों जब मैं गुजरात गया और वह विषय मेरे संज्ञान में लाया गया तो इस विषय में सुधार करने के एिल हमने इंटर-मिनिस्टिरियल और कोल पावर के बीच रैशनालाईजेशन ऑफ कोल लिंकेज़ेज की कमेटी बिठाई है। पूरे देश भर में जितने कोयले के लिंकेज़ेज हैं, उनको रिव्यू करके जो आईडियल नियरेस्ट एवेलेवल कोल है, उसके हिसाब से हम कोयले के लिंकेज़ को एक बार पूरा रैशनालईज़ करेंगे।

श्री निनोंग इरिंग : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी को थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहां पनबिजली की 55 हजार मेगावाट की क्षमता है, कोयले का भरपूर ज़खीरा है, लेकिन वहां खनन बंद होने के कारण एक भी थर्मल प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहां पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से जो बाधाएं और रुकावट डाली गयी है, शायद उसके कारण हमारा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। हाल ही में आपने सुबनसिरी प्रोजेक्ट के विषय में हम सबको आश्वासन दिया था। हमारे देश में आज बिजली की समस्या है और हमारे यहां कोयले का पूरा भंडार पड़ा हुआ है, हम उसे दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपने हमें आश्वासन दिया है। जो एनजीओ एवं अन्य संगठन हैं, उनको किस प्रकार से आप निबटाएंगे?

श्री पीयूष गोयल : धन्यवाद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। आपके राज्य में जो कोयले की खानें हैं, उन पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की तरफ से कई वर्ष पहले रोक लगाई गयी, उसके बाद कुछ इल्लीगल माइनिंग के बारे में सुनने का मिला और कुछ केसेज पेंडिंग हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार पुन: एक बार विचार कर रही है कि अगर वहां पर कुछ कोल लीगली माइन हो सकता है, अगर पर्यावरण मंत्रालय की परमीशन मिले, तो अवश्य वहां पर कोयले से बिजली निर्माण का प्लांट भी हम लगाना चाहेंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ी तो आपके स्टेट के साथ लगाएंगे, नहीं तो हम सेंट्रल पीएसयूज या बिडिंग के माध्यम से लगाने में हमारी भी उत्सुकता रहेगी।

जहां तक सुबनसिरी प्रोजेक्ट की बात है, पिछली बार जब आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास मिलने के लिए आए थे, तब हमें बताया गया था कि नेबरिंग स्टेट की ऑब्जेक्शन्स लगभग सेटिस्फाई हो गयी हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने उसकी स्टडी करने के बाद यह सुझाव दिया है कि कोई डैमेज नहीं होगा, उसी बेसिस पर मैंने कहा था कि हम जल्द से जल्द सुबनसिरी प्रोजेक्ट की शुरूआत करेंगे, लेकिन जब बाकी तथ्य मेरे सामने आए, मुझसे बाकी राज्यों के लोगों ने मिलकर बताया कि अभी, तक उनके प्रदेश में लोगों को कुछ शंकाएं है, कुछ हिचकिचाइट और आशकाएं हैं, तो मैंने तुरंत स्वीकार किया कि कुछ डेलीगेशन्स, जो इस विषय में और जानकारी चाहते हैं, जो इस विषय को विस्तार से समझना चाहते हैं, उनको हम दिल्ली बुलाएं। आजकल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, हम उनको दिल्ली बुलाकर उनके साथ खुले दिल से विस्तार में चर्चा करेंगे। केन्द्र सरकार सभी राज्यों के लिए है। दोनों राज्यों को खुश करके, दोनों राज्यों के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करके, हम जल्द से जल्द उसको शुरू करने का प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस.सी.वाई. रेड्डी : महोदया, आंध्र प्रदेश 'जेनको' को महानदी कोलफील्ड्स से एक हिस्सा कोयला मिलता है। कल एपी जेनको के अध्यक्ष बहुत चिंतित थे क्योंकि महानदी कोलफील्ड्स से कोयले की आइति बहुत अनियमित, असमान और अनिश्चित रूप से होती है। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि समस्या क्यों बनी हुई है और मंत्री एपी जेनको को महानदी कोल फील्ड्स से कोयले की आइति में हो रही समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी कर सकते हैं।

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, महानदी कोलफील्ड्स की गंभीर समस्या का सामना सरकार और कोल इंडिया कर रही है। महानदी कोलफील्ड्स से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी जानकारी माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई समस्या पर किए गए मेरे अध्ययन में सामने आई। सबसे बड़ी समस्या हमें कोयले की ढुलाई के संबंध में हो रही है। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिसके कारण तालचर में दोनों साइडिंग पर ट्रकों की आवाजाही रुकी हुई थी। महानदी कोलफील्ड्स द्वारा उत्पादित किए गए कोयले की अपेक्षित मात्रा में ढुलाई संभव नहीं थी।

दूसरी समस्या विस्थापित लोग, जिनकी भूमि कोलफील्ड की स्थापना के लिए ली गई थी, के द्वारा स्थानीय प्रदर्शन से जुड़ी थी। यद्यपि हर्जाना

दिया गया है और नौकरियां दी गई है फिर भी 122 परिवारों ने जगह खाली करने से इंकार कर दिया है। उन्होंने धमकी दी है और कोयला उत्पादन और कोयला निष्कर्षण पर लगातार दबाव बनाया है जिसके कारण महानदी, कोलफील्ड्स अपेक्षित मात्रा में कोयले की ढुलाई नहीं कर पा रही है।

मैं ओडिशा राज्य सरकार के संपर्क में हूं। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर सहायता की है। स्थानीय पदाधिकारियों और सभा में ओडिशा के कई संसद सदस्यों ने मेरे मुद्दे का समर्थन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करेंगे।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बिजली की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का है। यदि हां, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री पीयूष गोयल : महोदया, मेरे विचार में यह एक अच्छा सुझाव है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए की गई और अधिक पहलों का स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि कुछ वर्षों के दौरान उत्तरी क्षेत्र को अपनी क्षमता निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। यदि हम कमी पर विचार करें तो बिजली की अधिकतम कमी उत्तर भारत में है। हलांकि विद्युत उत्पादन राज्य का विषय है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार एक प्रस्ताव लाए एवं केन्द्र सरकार और इसके पीएसई इस पर सहर्ष रूप से विचार करेंगे।

डॉ. एम. तंबिदुरै : अध्यक्ष महोदया, 2001 से 2006 के दौरान तमिलनाडु हमारी माननीय मुख्य मंत्री अम्मा के नेतृत्व में आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा था एवं इसके पश्चात् 2006-11 तक तमिलनाडु राज्य में बिजली की भारी कमी थी। वह पुनः तमिलनाडु की मुख्य मंत्री बनी और इसके बाद उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया है और अब राज्य में बिजली की कमी नहीं है। साथ ही, हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय पूल से नियमित रूप में विद्युत आपूर्ति जो कभी-कभी नहीं होती, का अनुरोध करते हुए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय पूल से नियमित रूप से बिजली देने पर विचार करे जिसका अनुरोध हमारे मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में किया है ताकि भविष्य में राज्य में बिजली की कमी न हो। अंत में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार हमारे मुख्य मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार कुडानकुलम परियोजना को पूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता देने के लिए आगे आएगी।

श्री पीयूष गोयल : मेरे विचार में यह बहुत प्रशंसनीय उपलब्धि है। ब्यौरों से भी पता चलता है कि तमिलनाडु में 2012-13 में व्यस्ततम समय में कमी 13.2 प्रतिशत थी जो वर्तमान वर्ष में जून तक .9 प्रतिशत है और मैं आपके राज्य को राज्य की क्षमता के अनुरूप व्यस्ततम समय में कमी को रोकने में किए गए बहुत अच्छे कार्य की सराहना करता हूं। सदस्य ने जिस बात पर ध्यान दिलाया है उससे मुझे सम्मानित सभा और आपके समक्ष यह बात कहने का अवसर मिलता है कि कोयला वर्षों से संवेदनशील मुद्दा रहा है। यदि आप 2009 और 2014 के बीच कोयला उत्पादन पर विचार करें तो पिछले 5 वर्षों में वृद्धि सीएजीआर का लगभग 2 प्रतिशत रहा है। अब मैं आपको संपूर्ण सूची का ब्यौरा देता हूं चाहे वह 'अप्रतिबंधित' या प्रतिबंधित क्षेत्र था, चाहे वह अनुल्लंघनीय क्षेत्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए जिसके कारण भारत कोयला उत्पादन के इष्टतम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सका एवं आज जिस देश के पास कोयले की अधिकता है, उसे लाखों टन आयात करना पड़ रहा है और राज्यों में कोयले की भयंकर कमी है और भारत के लोग कष्ट झेल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से केवल यह अपील करना चाहता हूं कि यदि वे भूमि-संबंधी मुद्दों के समाधान में, मार्गस्थ के उचित तरीके से समाधान में, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मुद्दों के समाधान में अपने-अपने राज्यों में हमारा सहयोग कर सकें तो हमें खुशी होगी। ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै : हम इसके लिए केन्द्रीय पूल से मांग कर रहे हैं।

श्री पीयूष गोयल : केन्द्रीय पूल उत्पादन केवल तभी बढ़ सकता है, जब पर्याप्त कोयला हो। कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें सभी माननीय सदस्यों की मदद की निश्चित रूप से आवश्यकता है। हम अपनी ओर से स्थानीय क्षेत्रों के सहयोग के लिए अनेक परियोजनाओं, अनेक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के कार्यों के साथ आगे आएंगे, लेकिन यदि हम इन स्थानों से कोयले की खनन, कोयले के परिवहन, रेल पथ की स्थापना को बढ़ाने में सफल नहीं होते हैं और खासकर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह कि यदि हमें स्थानीय सहयोग प्राप्त नहीं होता है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के उद्देश्य को मूल रूप से पूरा करने में समर्थ नहीं होंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से आपके राज्यों को 24×7 विद्युत प्रदान करने में हमें सहयोग करने की अपील करता हूं। यदि सहयोग के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो हम अपनी ओर से दो कदम आगे बढ़ाएंगे।

डॉ. एम. तंबिदुरै : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री ने कुडनकुलन परियोजना पर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इस प्रश्न के संबंध में अंतिम अनुपूरक प्रश्न है। श्री कडियम श्रीहरि।

श्री कडियम श्रीहरि : अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार तेलंगाना में 4000 मेगावाट ताप विद्युत इकाई की स्थापना का भारत सरकार का प्रस्ताव था। लेकिन आम बजट में इस विशेष परियोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव है। कोयला उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, जमीन भी उपलब्ध है और ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने का भारत सरकार ने आश्वासन भी दिया था। मैं माननीय मंत्री से इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध करता हूं।

श्री पीयूष गोयल : हां, महोदया। भारत सरकार एक यूएमपीपी जो तेलंगाना में 4000 मेगावाट की परियोजना होगी—की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और इस पहल के लिए नीलामी होगी। नीलामी के दस्तावेज सरकार के पास हैं। उनकी समीक्षा और विभिन्न पणधारियों के साथ चर्चा की जा रही है। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो आवश्यक योजना ब्लॉक चिन्हित कर लिए जाएंगे और औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, हम यूएमपीपी की परियोजना को शीघ्र पूरी करेंगे।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : महोदया, माननीय मंत्री ने कहा कि कोयला एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। साथ ही आजकल कोयला एक घोटाले का भी मुद्दा है। कोयले का मुख्यालय मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता में ही स्थित है। आपने हाल ही में कोलकाता का दौरा किया है। आपने हमारी मुख्य मंत्री से उनके कार्यालय में बैठक की थी और लंबी चर्चा की थी। क्या आपने कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में समक्ष आ रही समस्याओं पर हमारी मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की थी? उस चर्चा का परिणाम क्या रहा? कृपया इन बातों को बताया जाए।

श्री पीयूष गोयल : मेरी आपके राज्य की माननीय मुख्य मंत्री के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। वह अत्यधिक सहयोगी थीं और कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समक्ष सभी समस्याओं पर विचार करने की इच्छुक थीं। मैंने विशेषरूप से अत्यधिक उप-कर का मुद्दा उठाया जो आपके राज्य में उत्पादन किए जा रहे कोयले पर कई वर्षों से लगाया जा रहा है। मैंने आपके राज्य की सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है ताकि विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक कोयले का खनन किया जा सके।

हमने उनसे कतिपय भूमि आबंटित करने के लिए भी अनुरोध किया जिससे कोयला खदानों से विस्थापित व्यक्तियों को आवास मुहैया कराने में हमें सहयोग मिलेगा और कोयला क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए अपनी पूर्णत: सहमति जताई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने में समर्थ होंगे।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण

+

***144. डॉ. वीरेन्द्र कुमार :**
श्रीमती बुत्ता रेणुका :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे के कब्जे में जोन-वार कुल कितनी भूमि है, कितनी भूमि खाली पड़ी है और कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) अतिक्रमण के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या अतिक्रमण के मामलों सहित भूमि का अभिलेख रखने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा अतिक्रमणों को हटाने के पश्चात् जोन और वर्ष-वार कितनी भूमि वापस हासिल की गई और रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) रेलवे की भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा खाली पड़ी भूमि का इष्टतम उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत कुल 457689 हैक्टेयर भूमि है जिसमें लगभग 47336 हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी हुई है और 942 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। खाली पड़ी हुई रेलवे भूमि मुख्यत: रेलपथ के साथ-साथ संकरी पट्टियों के रूप में है, जिसकी रेलपथ एवं अन्य अवसंरचना की सर्विसिंग और अनुरक्षण के लिए आवश्यकता होती है।

कुल रेलवे भूमि, खाली पड़ी हुई भूमि और ज़ोन-वार अतिक्रमण की हुई भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

रेलवे	कुल भूमि जिस पर रेलवे का कब्ज़ा है (हैक्टेयर में)	खाली पड़ी हुई भूमि (हैक्टेयर में)	अतिक्रमण (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
मध्य	28377	2719	59
पूर्व	20950	1510	21
पूर्व मध्य	36299	4284	4
पूर्व तट	13145	2232	18
उत्तर	41463	8319	215
उत्तर मध्य	17753	976	41
पूर्वोत्तर	25644	5776	26
पूर्वोत्तर सीमा	44928	1114	160
उत्तर पश्चिम	24895	1706	18
दक्षिण	26296	2651	62
दक्षिण मध्य	32374	1349	12
दक्षिण पूर्व	42113	466	160
दक्षिण पूर्व मध्य	21921	2979	43
दक्षिण पश्चिम	17592	4131	16
पश्चिम	36646	6243	43
पश्चिम मध्य	23256	476	41
उत्पादन इकाई	4037	405	3
कुल	457689	47336	942

(ख) अतिक्रमण से गाड़ी परिचालन में व्यवधान पड़ता है और संरक्षा के लिए खतरा भी है तथा इससे रेलपथ में अनुरक्षण में भी कठिनाइयां आती हैं जिससे कभी-कभी लाइन क्षमता और थ्रूपुट प्रभावित होती है।

(ग) और (घ) भूमि का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और समय-समय पर राजस्व प्राधिकारियों से सत्यापित कराया जाता है। अतिक्रमण का भी आवधिक रूप से सर्वेक्षण किया जाता है। अतिक्रमण तथा अतिक्रमण हटाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (पीपीई अधिनियम, 1971) के उपबंधों के अनुसार रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार और पुलिस के सहयोग से अप्राधिकृत तौर पर कब्ज़ा करने वालों को वास्तव में हटाने का कार्य किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अतिक्रमणकर्ताओं के कब्ज़े से छुड़ाई गई भूमि का ज़ोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

रेलवे	अतिक्रमण से छुड़ाई गई भूमि (हैक्टेयर में)			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (मई 2014 तक)
1	2	3	4	5
मध्य	2.09	2.47	0	0
पूर्व	0.12	0	0.03	0.03
पूर्व मध्य	0.69	0.08	0.21	0
पूर्व तट	13.94	0	0	0
उत्तर	4.87	0.77	4.39	0

1	2	3	4	5
उत्तर मध्य	0.27	8.13	0.21	0.01
पूर्वोत्तर	4.42	0	0.22	0.06
पूर्वोत्तर सीमा	6.22	1.04	13.04	0.10
उत्तर पश्चिम	0	0.79	0.57	0
दक्षिण	0.04	0.26	0.03	0.40
दक्षिण मध्य	1.18	0.52	0.25	0
दक्षिण पूर्व	1.51	1.46	0.91	0
दक्षिण पूर्व मध्य	5.87	0.05	0	0
दक्षिण पश्चिम	0	0	0	0.05
पश्चिम	0	5.31	1.07	0
पश्चिम मध्य	0.07	0.18	3.62	0
कुल	41.29	21.06	24.55	0.65

(ङ) खाली पड़ी हुई भूमि जो रेलपथ के साथ-साथ संकरी पट्टियों के रूप में है, का उपयोग रेलपथ, पुलों और अन्य रेल अवसंरचनाओं की सर्विसिंग और अनुरक्षण के लिए किया जाता है और इसका रेलों की विकासात्मक भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोहरीकरण, यातायात सुविधाएं, रेल कोच और कंपोनेंट फैक्टरियां आदि जैसी विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी उपयोग किया जाता है। खाली पड़ी हुई ऐसी रेलवे भूमि, जो रेलों को तात्कालिक परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित नहीं है, का जहां-कहीं व्यवहारिक होता है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। रेलवे भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए लगातार उपाय किए जाते हैं जिसमें अधिक खाद्य उत्पादन (जीएमएफ) योजना, आदि हेतु रेल कर्मचारियों को भूमि को लाइसेंस पर देना, चारदीवारी करना, भेद्य स्थानों पर वृक्षारोपण करना शामिल है।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि रेलवे के नेटवर्क के अंतर्गत कुल 4,57,689 हैक्टेयर भूमि है। इसमें लगभग 47,336 हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी है और 942 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। इस 942 हैक्टेयर भूमि में से मात्र 87.55 हैक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बीना स्टेशन है जहां लगभग 3000 एकड़ जमीन है जिसमें से बहुत सारी जमीन पर बाहुबली लोग अनाधिकृत रूप से कब्जा करके खेती करते रहे हैं। बहुत सारे बंगले वहां खाली पड़े हुए हैं, जिनका दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस तरह की जो अतिक्रमण वाली भूमि खाली कराई गयी है उस पर फिर से अतिक्रमण न हो, तथा व्यवसाय हेतु लीज पर देने की कोई योजना बनाएंगे, ताकि रेलवे की भूमि भी सुरक्षित रहे और उसका राजस्व भी बढ़ सके तथा युवाओं को रोजगार भी मिल सके।...*(व्यवधान)*

श्री भगवंत मान : अध्यक्ष जी, पंजाब में बीजेपी की सरकार है लेकिन वहां बिजली नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.46 बजे

इस समय श्री भगवंत मान आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसे प्रश्न के बीच में डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होता। आप नये सदस्य हैं तरीका सीखो।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह गलत तरीका है, आप नये सदस्य हो, अपनी सीट पर जाइये।

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.46½ बजे

इस समय श्री भगवंत मान अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : अध्यक्ष महोदया, रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत लगभग 4,57,689 हैक्टेयर भूमि है जिसमें से लगभग 47,336 हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी है। 942 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। इसका अर्थ है– रेलवे भूमि के बहुत कम क्षेत्र अर्थात् 0.2 प्रतिशत पर अतिक्रमण हुआ है। वास्तव में हम उन व्यक्तियों को जिन्होंने भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों को भूमि से हटाने में अनेक बाधाएं आ रही हैं। जहां अतिक्रमण करने वालों की संख्या अधिक है वहां स्वत: ही अतिक्रमण करने वालों की नाराज़गी भी काफी होगी। कुछ राजनीतिक दबाव के कारण भी उन्हें हटाना हमें मुश्किल लग रहा है।

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। उन लोगों को वहां से हटाने के लिए हमें राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए राज्यों ने उचित सहायता नहीं दी है। कुछ जगहों पर कुछ धार्मिक स्थल बने होते हैं, जिसके कारण उन अतिक्रमणों को हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में, जब हम अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करते हैं, तो वो न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश ले लेते हैं। अत: हम इस तरह की कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद हम जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को हटाने के इच्छुक हैं।

मेरे मित्र ने, विशेषकर बीमा रेलवे स्टेशन के बारे में एक प्रश्न पूछा है। मैं ब्यौरा लेकर इस विशेष मुद्दे से संबंधित स्थिति से उन्हें अवगत कराऊंगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, पूरे देश में विशेष रूप से महानगरों में देखने को मिलता है कि रेलवे पटरियों के किनारे बहुत बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ियां बन जाती हैं। उन झुग्गियों के कारण जहां एक ओर रेलवे को चलाने में परेशानी आती है, वहीं दूसरी ओर आए-दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी जमीन को खाली कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा झुग्गियों के स्थान पर बहुमंजिलीय आवास बनाने की सरकार की क्या योजना है और एमएफसी योजना के अंतर्गत कौन-कौन से स्टेशन इस वर्ष की कार्य योजना में शामिल किए गए हैं तथा अभी तक कितने स्टेशनों पर एमएफसी योजना पर काम किया गया है?

माननीय अध्यक्ष : अभी तो केवल एनक्रोचमेंट का प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : मैं माननीय सदस्य को स्टेशन-वार ब्यौरे के विवरण भेज दूंगा। इस समय मेरे पास स्टेशन-वार विवरण उपलब्ध नहीं है। मेरे पास सिर्फ कुछ क्षेत्रों के अतिक्रमण से संबंधित ब्यौरे हैं। मैं माननीय सदस्य को विवरण प्रेषित कर दूंगा।

श्रीमती बुत्ता रेणुका : माननीय अध्यक्ष, क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर सहमत हो गई है कि 30 प्रतिशत रेलवे भूमि उन निवासियों को दे दी जाए, जिन्होंने रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और शेष 70 प्रतिशत भूमि रेलवे के लिए छोड़ दी जाए? यदि हां, तो कृपया हमें इस संबंध में ब्यौरा दें।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : रेलवे के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जिन लोगों ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उनके पुनर्वास के संबंध में हमारी कोई नीति नहीं है। यह राज्य का विषय है। पुनर्वास के लिए अभी तक हमारी कोई नीति नहीं है...*(व्यवधान)* अभी पुनर्वास की हमारी कोई नीति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव : महोदया, मुम्बई में रेलवे की जो जगह है, वहां गरीब लोग बहुत सालों से रह रहे हैं। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों से हैं। क्या सरकार उन गरीब लोगों को उसी जगह पर रेग्यूलराइज करने के बारे में कोई योजना बना रही है?

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : जैसा कि मैंने अभी बताया, पुनर्वास के संबंध हमारी कोई नीति नहीं है। यह राज्य का विषय है। हां, मेरे मित्र ने बिल्कुल सही कहा। मुंबई में लोगों ने रेलवे की संपत्ति पर अतिक्रमण कर रखा है। वहां आग लगने की घटना हुई थी। उस क्षेत्र के लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। हालात देखते हुए हमने कुछ समय के लिए उन्हें वहां रुकने की अनुमति दे दी। लेकिन बाद में हम उन्हें वहां से हटा नहीं पाए। हमें राज्य सरकार से मदद नहीं मिली।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा राज : महोदया, उत्तर भारत में रेलवे की बहुत-सी जमीन ऐसी पड़ी है जो आज भी खाली है। ऐसे ही जनपद शाहजहांपुर में लगभग 900 एकड़ रेलवे की भूमि पड़ी है जिस पर कि लगातार अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या उस जमीन पर रेलवे की तरफ से कोई मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर हम कुछ नई परियोजनाओं को शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। विशेषकर, कुछ जगहों पर, हम पौधारोपण पहले ही शुरू कर चुके हैं और कुछ जगहों पर हम इसे विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम वाणिज्यिक विकास के लिए भूमि के तुरंत उपयोग पर भी विचार कर रहे हैं। 'और अधिक अन्न उगाओ' एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर हमने काम किया है। इस प्रयोजनार्थ करीब 3000 हैक्टेयर भूमि का उपयोग किया गया है।

[अनुवाद]

नदियों को आपस में जोड़ना

+

***145. प्रो. के.वी. थॉमस :**
श्री डी.के. सुरेश :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से नदियों को आपस में जोड़ने और नदियों के अंत:संपर्क संबंधी प्रस्तावित परियोजनाओं के एक भाग के रूप में कतिपय नदियों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में कुछ राज्यों ने आपत्तियां व्यक्त की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री (सुश्री उमा भारती) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत पहचान किए गए 30 अंतर्राज्यीय संपर्कों में से तीन संपर्को नामत: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए केन-बेतवा संपर्क, दमनगंगा-पिंजाल संपर्क और पार-तापी-नर्मदा संपर्क, पर कार्य शुरू किया है। केन-बेतवा संपर्क परियोजना और दमन गंगा-पिंजाल संपर्क की डीपीआर एनडब्ल्यूडीए ने पूरी करके संबंधित राज्यों को प्रस्तुत कर दी है। पार-तापी-नर्मदा संपर्क की डीपीआर, पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 27.02.2012 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ केन-बेतवा संपर्क परियोजना को तुरंत शुरू करने का निदेश दिया है।

बाढ़ की समस्या को कम करने, नौवहन, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन, खारापन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रासंगिक लाभों के अलावा एनपीपी के अंतर्गत परिकल्पित संभावित लाभों में लगभग 35 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और 34,000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) जल विद्युत का उत्पादन शामिल है।

(ख) संबंधित राज्यों के आग्रह पर एनडब्ल्यूडीए ने 9 राज्यों से प्राप्त 46 अन्त:राज्यीय प्रस्तावों में से बिहार के बूढ़ी गंडक-नोन-बया-गंगा संपर्क, बिहार के कोसी-मेची संपर्क, तमिलनाडु के पोन्नयर-पालार संपर्क, महाराष्ट्र के वेनगंगा नलगंगा संपर्क और झारखंड के बाराकर-दामोदर-सुवर्ण रेखा संपर्क पर भी डीपीआर तैयार करने के लिए कार्य शुरू किया है। दो अंत:राज्यीय सम्पर्क अर्थात् बूढ़ी गंडक नॉन-बया-गंगा सम्पर्क परियोजना को कोसी-मेची सम्पर्क परियोजना की डीपीआर पूरी हो चुकी हैं और क्रमश: दिसम्बर, 2013 और मार्च, 2014 में बिहार सरकार को भेज दी गई हैं।

(ग) नदियों को आपस में जोड़ने की प्रस्तावित परियोजनाओं की एफआर/डीपीआर शुरू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठायी गई आपत्तियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। सरकार ने अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में संबंधित राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभागों के सचिवों का एक सहमति समूह बनाया है ताकि अधिशेष जल में हिस्सेदारी हेतु संपर्कों के संबंध में सहमति बनायी जा सके और एनडब्ल्यूडीए द्वारा डीपीआर तैयार की जा सके। इसके अतिरिक्त, एनडब्ल्यूडीए के शासी निकाय और सोसाइटी की बैठक के दौरान अंतर्राज्यीय संपर्कों के मुद्दों पर भी नियमित चर्चा की जाती है।

अनुबंध

राज्य सरकारों द्वारा उठायी गई आपत्तियों का संपर्क-वार ब्यौरा

क्र.सं.	संपर्क परियोजना का नाम	संबंधित राज्य	उठायी गयी आपत्तियां
1.	पम्बा-अच्चनकोविल-वैप्पार संपर्क	तमिलनाडु और केरल	संपर्क परियोजना (2003) को शुरू करने के खिलाफ केरल विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया है।
2.	पारबती-कालीसिंध-चंबल संपर्क	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मध्य प्रदेश सरकार इस संपर्क योजना के स्थान पर अंतर्राज्यीय संपर्कों को कार्यान्वित करना चाहती है।
3.	महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी संपर्क	ओडिशा	मणिभद्रा बांध/जलाशय के व्यापक रूप से जलमग्न होने के कारण इस संपर्क परियोजना से ओडिशा सरकार सहमत नहीं है और वैकल्पिक डाइवर्जन बिन्दु चाहती है।
4.	नेत्रावती-हेमावती संपर्क	कर्नाटक और तमिलनाडु	कर्नाटक सरकार अपनी योजना के अनुसार नेत्रावती नदी के जल का उपयोग करने का इरादा रखती है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रो. थॉमस, कृपया बेहद संक्षिप्त प्रश्न पूछें।

प्रो. के.वी. थॉमस : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक प्रमुख मेगा परियोजना है, जिसमें देश के लगभग सभी राज्य शामिल हैं। इसमें कुछ मतभेद हैं। एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इन परियोजनाओं का उचित पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी अध्ययन कराया है, क्योंकि इसमें संपूर्ण देश की नदियां और अंतर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं।

[हिन्दी]

सुश्री उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है और आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को तथा माननीय सदन को भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इस देश में बहुत बड़ी भूमि ऐसी है जहां पानी नहीं पहुंचा। अधिकतर भूख से मरने की जो शिकायतें आई हैं, ये लगभग उन्हें इलाकों में आई हैं जहां सिंचाई की क्षमता का अभाव था। इस महत्वपूर्ण योजना पर बहुत लम्बे समय तक विचार चला। 1980 के दशक से तो इस महत्वपूर्ण योजना पर बहुत गंभीरता से विचार शुरू हुआ। फिर अंत में वर्ष 2002 में फिर से इसके बारे में जब और गंभीरता से विचार शुरू हुआ तब 2003 में सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में एक समिति उस समय की सरकार ने बनाई और उसके बाद में इस पर विचार बना। वर्ष 2004 में इस समिति का स्वरूप बदल गया। केन्द्र सरकार ने इसके बारे में एक फैसला लिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी इस पर ऑबजर्वेशन आते रहे।

अंत में, 2012 में ऐसी स्थितियां बन गई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी यही कहना पड़ा कि यह योजना राष्ट्र के हित में है और इसको अतिशीघ्र लागू किया जाए। जो बात माननीय सदस्य ने पूछी है, वह अति महत्वपूर्ण है। इस योजना पर इतना विचार हो चुका है और इतने तरीकों से विचार हो चुका है कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, जिसमें गांवों की दुर्दशा के बारे में विचार हुआ था और सारे गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ने का एक सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा हुआ था, माननीय नरेन्द्र मोदी जी का और हमारी सरकार का भी एक सपना है कि देश के सभी सूखे इलाकों को हम किसी न किसी प्रकार से सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं। अभी तक देश में कृषि योग्य भूमि की जो सिंचाई की क्षमता है, उसमें 35 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता बढ़ेगी। जिन 30 नदियों के लिंकेज का प्रस्ताव हमारे पास है और 34000 मेगावॉट का उत्पादन उससे संभव होगा। अभी तक जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, मैं बताना चाहती हूं कि इस पर सारी स्थितियों को देखकर ही विचार हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन न हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें नदियों की अविरलता और निर्मलता प्रभावित न हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें राज्यों की पूर्णत: सहमति हो और इन सारे प्रयासों के बाद ही हम इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें अभी एक योजना ऐसी है जो लगभग आगे आ चुकी है और वह योजना केन्द्र बेतवा परियोजना है जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको यह भी कहा है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू की जाए। इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह चिंता बहुत सारे पार्यावरण विशेषज्ञों की है और इस सदन में यह चिंता व्यक्त की गई है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय सदन से आग्रह कर रही हूं, कि इस बारे में पूरे देश की मानसिक स्थिति को तैयार करने के लिए यह सबसे बड़ी पंचायत है कि देश की नदियों का लिंकेज करके 35 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई और 34000 मेगावॉट के उत्पादन की तैयारी दस साल में हो जाए, इसके लिए माननीय सदन पूरे देश में भी इस प्रकार का वातावरण बनाए। इतना ही मेरा आपके माध्यम से माननीय सदन से निवेदन है।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : केरल विधान सभा ने पांबा, अक्सानकोईल और वैइपा लिंक को जोड़ने वाली परियोजना शुरू करने के विरुद्ध सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है क्योंकि यह केरल और पर्यावरण के हित में नहीं है। क्या सरकार इस मामले की जांच कर रही है?

[हिन्दी]

सुश्री उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, हम उन्हीं राज्यों की नदियों का लिंकेज कर रहे हैं, जिनसे जुड़े राज्य अपनी सहमति दे रहे हैं। जिन राज्यों की परस्पर सहमति नहीं है हम उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को एश्योरेंस देती हूं कि जितने भी राज्य लिंकेज से जुड़े होंगे, उन राज्यों की, पर्यावरण की सहमति, नदी की अविरलता और निर्मलता को सुनिश्चित करते हुए ही जोड़ने की तैयारी होगी और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की तैयारी होगी। मैं आपके माध्यम से सदन को इस बात की एश्योरेंस देती हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित आस्तियां

***146. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया :**
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी की गई और राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कौन-कौन सी स्थायी आस्तियां सृजित की गईं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने श्रम दिवस सृजित किए गए और कितने परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत रिलीज की गई तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों और सृजित श्रम दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

मनरेगा के अंतर्गत जारी की गई तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	रिलीज की गई निधियां (केन्द्र + राज्य)				व्यय			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	210350.77	321673.59	508529.00	423580.70*	424587.75	512377.61	532191.38	104343.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	6147.00	7448.81	14302 67	578.00	95.07	5346.30	9435.59	130.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	48131.46	58155.53	66447.20	13378.80	74752.55	65153.18	70064.18	2653.96
4.	बिहार	130073.42	172611.87	178031.77	51341.00	132696.52	186045.15	201745.77	31909.80
5.	छत्तीसगढ़	181670.10	220301.53	166206.92	102699.46	204003.13	222177.87	206291.08	78093.91
6.	गुजरात	46902.66	62954.73	37032.04	18001.48	65904.91	61742.13	48904.92	20131.10
7.	हरियाणा	30840.16	38375.89	41510.18	3356.13	31283.54	38063.30	38397.54	5178.19
8.	हिमाचल प्रदेश	35708.62	41021.12	52588.60	11036.88	50952.11	49611.74	56902.25	9923.19
9.	जम्मू और कश्मीर	82613.57	83577.26	67249.82	14036.00	44367.05	85334.76	73946.79	3485.36
10.	झारखंड	133733.08	92916.84	68601.61	30507.78	116966.50	115236.20	91256.02	29793.56
11.	कर्नाटक	82162.49	143792.63	186110.30	48957.40	162226.88	144839.11	209646.76	48665.50
12.	केरल	97615.68	133219.84	129223.73	51095.18	104807.84	141655.91	130331.40	46476.30
13.	मध्य प्रदेश	330500.86	189216.09	208153.88	153402.12	341037.76	311078.71	264258.17	135496.52
14.	महाराष्ट्र	122033.51	214905.33	129792.02	42611.10	160150.33	217029.49	127626.66	4481.89
15.	मणिपुर	64795.73	65073.02	27793.45	12944.45	29517.02	60008.08	25474.73	1935.71
16.	मेघालय	31333.00	23873.94	2984.08	9384.17	29869.34	26589.99	31568.46	2133.42
17.	मिज़ोरम	35368.59	28258.17	38483.86	1176.00	23067.60	29038.56	25823.26	0.00
18.	नागालैंड	67346.57	46012.38	31814.80	8457.30	56340.02	42828.63	29220.42	897.40
19.	ओडिशा	111044.84	98346.49	109952.84	44775.48	103908.48	117766.95	128969.24	45610.22
20.	पंजाब	13315.70	12934.89	24752.63	13001.46	15980.62	15769.05	26235.57	11960.32
21.	राजस्थान	181429.60	285572.83	235933.96	120190.30	315659.87	327154.86	261105.97	127601.25
22.	सिक्किम	10079.77	7706.51	11184.17	622.46	4824.04	8134.02	11039.90	87.34
23.	तमिलनाडु	316227.22	384505.42	480046.12	96235.00	292319.52	412128.79	394057.75	1744715.36
24.	तेलंगाना	—	—	—	—	—	—	—	63482.30
25.	त्रिपुरा	99475.29	129672.69	110738.00	14873.96	94251.93	97102.33	107489.30	5014.38
26.	उत्तर प्रदेश	471159.00	144147.63	321824.51	25871.80	501625.32	266529.58	341293.54	49247.99
27.	उत्तराखंड	41182.12	29990.83	38813.42	8073.04	38829.94	31185.98	38058.75	2682.64
28.	पश्चिम बंगाल	283876.84	389281.37	355058.79	178299.70	283702.16	385087.63	371465.97	162014.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1643.85	1381.89	1918.10	480.63	1597.28	1300.10	1048.60	28.23
30.	दादरा और नगर हवेली	100.00	39.56	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	गोवा	321.32	277.66	260.05	0.00	698.30	144.81	295.04	70.40
33.	लक्षद्वीप	100.00	161.85	18.62	45.06	241.28	152.74	70.72	4.71
34.	पुदुचेरी	100.00	1335.75	1379.98	455.00	1017.56	1215.16	1136.95	16.10
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	3267383.12	3428743.54	3673595.12	1499467.84	3707282.22	3977828.72	3855352.68	1181264.31

*तेलंगाना को रिलीज की गई निधियां शामिल हैं

एनआर = असूचित

विवरण-II

मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की संख्या

(रुपये लाख में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 30.06.14 तक
	1	2	3	4	5	6
शुरू किए गए कुल कार्य (छूट गए कार्य+नए कार्य)	46.17	50.99	80.77	104.62	93.77	77.28
पूरे किए गए कार्य:	22.59	25.90	27.56	25.53	21.85	2.73
कार्य का ब्यौरा:						
जल संरक्षण:	23.43 [51%]	24.26 [48%]	48.81 [60%]	48.37 [46%]	31.77 [34%]	26.76 [35%]
अ.जा./अ.ज.जा./बीपीएल तथा आईएवाई लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रावधान:	7.73 [17%]	9.15 [18%]	9.16 [11%]	11.92 [11%]	12.52 [13%]	11.31 [15%]

	1	2	3	4	5	6
ग्रामीण संपर्कता:	7.64	9.31	13.86	12.83	14.46	11.80
	[17%]	[18%]	[17%]	[12%]	[15%]	[15%]
भूमि विकास:	6.38	7.04	6.32	6.61	6.98	5.20
	[14%]	[14%]	[8%]	[6%]	[7%]	[7%]
कोई अन्य कार्यक्रलाप	0.98	1.06	2.31	9.84	2.37	1.60
	[2%]	[2%]	[3%]	[9%]	[3%]	[2%]
राजीव गांधी सेवा केंद्र	—	0.17	0.29	0.29	0.33	0.31
		[0.33%]	[0.36%]	[0.28%]	[0.36%]	[0.40%]
तटीय क्षेत्र	—	—	—	0.001	0.01	0.01
				[0.001%]	[0.01%]	[0.01%]
ग्रामीण पेयजल	—	—	—	0.04	0.12	0.11
				[0.04%]	[0.13%]	[0.14%]
मात्स्यिकी	—	—	—	0.03	0.07	0.04
				[0.03%]	[0.07%]	[0.05%]
ग्रामीण स्वच्छता	—	—	—	14.69	25.10	20.11
				[14%]	[27%]	[26%]
आंगनवाड़ी	—	—	—	—	0.02	0.02
					[0.02%]	[0.03%]
खेल का मैदान	—	—	—	—	0.02	0.02
					[0.02%]	[0.03%]

विवरण-III

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों और सृजित श्रम दिवसों का राज्य संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त परिवार (संख्या में)				सृजित श्रम दिवस (लाख में)			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4998016	5853567	5949921	2743083	2939.34	3273.35	2953.94	988.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	4443	129023	139353	2894	0.73	43.50	35.46	0.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	1349078	1234828	1262986	135357	352.63	314.04	299.74	16.42
4.	बिहार	1769469	2087564	2058212	605002	682.16	941.85	861.78	156.39
5.	छत्तीसगढ़	2725027	2637699	2512356	1619365	1206.76	1194.34	1298.72	479.87
6.	गुजरात	822080	681028	578678	263303	313.00	281.90	230.30	66.19
7.	हरियाणा	277748	294142	324871	84941	109.36	128.87	117.85	13.41
8.	हिमाचल प्रदेश	505467	514687	539054	179415	270.13	262.10	282.21	37.08
9.	जम्मू और कश्मीर	431152	646516	653953	32576	209.10	365.56	335.11	6.83
10.	झारखंड	1574657	1419072	1138914	640562	609.71	566.58	436.22	155.96
11.	कर्नाटक	1652116	1331967	1450457	264303	701.03	617.81	718.86	78.64
12.	केरल	1416441	1526283	1523812	318721	633.10	837.74	865.94	30.87
13.	मध्य प्रदेश	3879959	3519283	2905955	72529	1688.98	1399.47	1227.57	620.01
14.	महाराष्ट्र	1504521	1624521	1139996	638027	772.02	872.39	515.43	216.53
15.	मणिपुर	356264	456910	455398	144446	224.75	285.11	113.23	8.27
16.	मेघालय	335182	332452	362438	4796	167.75	174.31	210.88	0.80
17.	मिज़ोरम	168711	174884	177000	0	130.60	153.56	133.23	0.00
18.	नागालैंड	372849	386520	407712	135048	296.61	245.31	182.93	14.20
19.	ओडिशा	1378597	1599276	1710280	791289	453.75	546.01	711.83	168.61
20.	पंजाब	245453	240191	412241	147324	64.52	65.50	134.68	24.83
21.	राजस्थान	4522234	4217342	5614960	2558935	2120.55	2203.38	1838.43	725.98
22.	सिक्किम	54684	56634	63288	22601	32.88	36.31	44.03	5.13
23.	तमिलनाडु	6343339	7061409	6265662	4674524	3015.75	4081.44	3675 83	1138.77
24.	तेलंगाना	—	—		1996693	—	—	—	657.60
25.	त्रिपुरा	566770	596530	599531	349311	489.74	518.51	525.79	35.46
26.	उत्तर प्रदेश	7327738	4947427	4983836	1019654	2673.36	1411.85	1746.70	171.87
27.	उत्तराखंड	469285	439791	397482	11752	198.98	192.00	165.62	2.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	5516968	5817331	6125500	2234731	1495.94	2018.42	2293.91	445.06
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19300	12602	13555	809	8.30	6.61	5.79	0.15
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	गोवा	11167	5057	5021	2278	3.11	0.69	1.15	0.36
33.	लक्षद्वीप	3871	1851	612	35	1.65	0.49	0.14	0.00
34.	पुदुचेरी	42546	41286	39335	4237	10.79	8.67	8.45	0.23
35.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	50645132	49887673	47812369	23598541	21876.36	23047.67	21971.76	6266.46

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

*147. **श्री अभिजित मुखर्जी :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति की ओर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के राष्ट्रीय राजमार्ग-वार क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के संबंध में पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और इनकी मरम्मत के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई, कितनी जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। तद्नुसार, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों की सीमा में समय-समय पर यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जाता है। तथापि, कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की खराब स्थिति के मुख्य कारण हैं — राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के बड़े नेटवर्क पर संसाधनों को छितरे रूप से फैलाया जाता है तथा राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के पश्चात् इन्हें केन्द्रीय सरकार को सौंपे जाने के समय इन राज्यीय सड़कों की पेवमेंट की अपर्याप्त मोटाई/बनावट। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु निधियों के आबंटन में वृद्धि किए जाने संबंधी मुद्दों को वर्तमान वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है।

आवधिक नवीकरण (पीआर)/सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (आईआरक्यूपी) के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त और संस्वीकृत प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। पिछले प्रत्येक 3 वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आबंटित तथा खर्च की गई निधियों का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आवधिक नवीकरण (पीआर)/सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (आईआरक्यूपी) के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त और संस्वीकृत प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

(धनराशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा		संस्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1.	छत्तीसगढ़	15	11.18	0	—
2.	गुजरात	11	87.71	2	12.49
3.	हरियाणा	8	24.42	0	—
4.	हिमाचल प्रदेश	3	5.22	0	—
5.	पंजाब	4	26.00	0	—
6.	राजस्थान	6	22.43	0	—
7.	तमिलनाडु	9	118.00	7	102.24
8.	उत्तर प्रदेश	9	77.41	9	77.41

विवरण-II

पिछले प्रत्येक 3 वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आबंटित तथा खर्च की गई निधियों का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

(धनराशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	2011-12		2012-13		2013-14$		2014-15@	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	छत्तीसगढ़	65.83	62.33	62.88	62.88	170.86	167.28	102.82	56.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	5.18	1.78	1.78	13.82	12.00	1.82	0.00
3.	असम	62.90	57.48	33.44	33.44	136.24	121.15	16.38	0.00
4.	बिहार	80.79	63.08	42.35	42.35	146.56	142.35	75.92	23.94
5.	चंडीगढ़	0.46	0.37	0.67	0.67	0.20	0.08	11.95	1.19
6.	छत्तीसगढ़	18.12	13.90	44.22	44.22	23.44	18.67	8.19	2.48
7.	दिल्ली	0.16	0.00	0	0	0.26	0.00	0.20	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	गोवा	5.24	4.31	9.72	9.72	14.63	13.55	19.79	8.23
9.	गुजरात	66.05	63.03	53.35	53.35	107.19	104.51	47.24	23.16
10.	हरियाणा	22.21	21.79	18.81	18.81	30.33	30.03	8.90	1.77
11.	हिमाचल प्रदेश	37.39	36.76	64.56	64.56	34.31	31.34	25.17	4.10
12.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	1.89	0.00	0.40	0.00
13.	झारखंड	17.35	17.26	30.86	30.86	31.52	30.05	21.58	10.00
14.	कर्नाटक	52.59	54.34	103.14	103.14	67.46	61.10	40.52	18.19
15.	केरल	34.62	22.27	17.77	17.77	40.46	34.51	34.16	12.32
16.	मध्य प्रदेश	32.63	32.10	50.92	50.92	50.45	50.45	14.45	11.43
17.	महाराष्ट्र	110.80	106.39	42.94	42.94	107.19	87.59	53.97	26.26
18.	मणिपुर	28.15	14.03	7.51	7.51	31.10	24.83	1.33	0.00
19.	मेघालय	55.29	43.12	13.16	13.16	15.28	14.43	3.53	0.00
20.	मिज़ोरम	24.42	26.01	35.93	35.93	5.50	4.40	1.89	0.00
21.	नागालैंड	51.40	53.17	23.59	23.59	14.32	11.91	7.14	0.00
22.	ओडिशा	35.25	35.18	99.84	99.84	56.87	54.55	36.73	16.64
23.	पुदुचेरी	0.77	0.47	2.59	2.59	1.36	0.39	1.09	0.00
24.	पंजाब	19.45	16ए38	36.21	36.21	49.85	49.15	46.07	14.76
25.	राजस्थान	104.65	104.84	99.16	99.16	182.84	180.38	68.21	48.55
26.	तमिलनाडु	42.29	33.63	56.03	56.03	127.37	116.87	23.15	7.71
27.	तेलंगाना	—	—	—	—	—	—	2.50	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	100.28	96.20	69.17	69.17	203.13	194.52	97.54	35.52
29.	उत्तराखंड	60.23	47.67	40.43	40.43	42.68	30.91	20.47	5.96
30.	पश्चिम बंगाल	27.14	27.59	35.47	35.47	64.69	55.48	35.60	3.70
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	2.98	2.98	5.30	1.87	2.08	0.88

$ - व्यय अनंतिम है।

@ - मई, 2014 तक।

जल शोधन/शुद्धिकरण संयंत्र

***148. श्री के.सी. वेणुगोपाल :** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को तटीय क्षेत्रों में जलशोधन/शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी उपयोग में लाई गई; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने लोग लाभान्वित हुए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इस संबंध में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करता है। राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के 67 प्रतिशत तक का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 5 प्रतिशत उन राज्यों के लिए चिन्हित और आबंटित किया गया है, जहां पीने के पानी में रासायनिक संदूषण की समस्याओं का सामना किया जा रहा है और जहां जापानी एनसैफलाइटिस और तीव्र एनसैफलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। राज्यों को जारी की गई राशियों में से ये राज्य, राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति के अनुमोदन के पश्चात् तटवर्ती क्षेत्रों में जल शोधन संयंत्रों की स्थापना सहित जल आपूर्ति परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

राज्य सकारें तटवर्ती क्षेत्रों को शामिल करते हुए (जहां कहीं लागू हो) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में वास्तविक और वित्तीय प्रगति से संबंधित डाटा को ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर डालती हैं। आईएमआईएस डाटा में केवल राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना एवं बसावट के स्तर की सूचना ही एकत्रित की जाती है न कि विशिष्ट रूप से तटवर्ती क्षेत्रों की। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के तटवर्ती क्षेत्रों (जहां कहीं लागू हो) सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई जलशोधन/शुद्धिकरण संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक किए गए आबंटन, जारी की गई राशि एवं केन्द्रीय निधियों के उपयोग के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जलशोधन/शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना से स्वच्छ पेयजल के प्रावधान का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी अर्थात् ग्रामीण आबादी का राज्य-वार विवरण ऊपर उल्लिखित संलग्न विवरण-I में भी दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2011-12 से 2013-14) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण/कार्य कर रहे/ नए जलशोधन/शुद्धिकरण संयंत्रों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	जल शोधन संयंत्र स्कीमें					
		कार्य कर रही	पूर्ण	प्रस्तावित	कुल	लाभान्वित बसावटें	लाभान्वित आबादी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2.	बिहार	0	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	619	4203	78	4868	4005	1150476
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
6.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	37	146	0	183	990	832106
9.	झारखंड	0	4	0	4	0	0
10.	कर्नाटक	0	132	0	132	124	249158
11.	केरल	0	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	18	415	0	433	366	164503
13.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
14.	ओडिशा	0	1	0	1	2	250
15.	पंजाब	35	180	0	215	231	460828
16.	राजस्थान	175	370	0	545	498	785436
17.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
18.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
20.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
21.	पश्चिम बंगाल	155	9	0	164	4411	5391617
22.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
23.	असम	0	2	0	2	3	428
24.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
25.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
26.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
27.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
28.	सिक्किम	0	0	0	0	1	270
29.	त्रिपुरा	86	142	0	231	690	414565
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	3	3	2790
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	1128	5604	81	6781	11324	9452427

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटन, रिलीज तथा व्यय का विवरण (दिनांक 14.07.2014 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (13.7.2014 के अनुसार)		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	546.32	462.47	446.37	563.39	485.14	672.82	635.44	631.52	662.4	314.87	141.4	0
2.	बिहार	374.98	330.02	367.30	484.24	224.3	293.09	432.38	338.95	307.43	455.22	6.28	0
3.	छत्तीसगढ़	143.57	139.06	141.12	168.89	148.64	162.85	136.13	135.2	172.38	155.11	61.01	4.76
4.	गोवा	5.20	5.01	1.16	6.07	0.03	0	5.5	0	2.22	4.99	0	0
5.	गुजरात	478.89	571.05	467.70	578.29	717.47	797.93	533.73	515.07	627.95	501.28	153.55	0
6.	हरियाणा	210.51	237.74	344.71	250.24	313.41	275.54	229.46	229.52	301.15	225.38	109.67	0
7.	हिमाचल प्रदेश	131.47	146.03	145.97	153.59	129.9	124.06	138.51	130.81	153.33	141.99	33.78	0.01
8.	जम्मू और कश्मीर	436.21	420.42	507.07	510.76	474.5	488.09	462.43	414.82	499.79	477.91	212.47	0
9.	झारखंड	162.52	148.17	169.84	191.86	243.43	20487	172.85	243.29	277.96	183.59	25.14	15.72
10.	कर्नाटक	687.11	667.78	782.85	922.67	869.24	874.78	868.75	897.29	928.81	549.18	134.51	0
11.	केरल	144.43	113.39	126.98	193.59	249.04	193.62	155.58	212.04	265.1	122.03	49.91	0
12.	मध्य प्रदेश	371.97	292.78	379.30	447.33	539.56	426.56	404.80	474.95	484.09	420.05	97.67	59.43
13.	महाराष्ट्र	728.35	718.35	642.20	897.96	846.48	614.32	788.47	690.27	657.46	732.33	0	12.02
14.	ओडिशा	206.55	171.05	239.60	243.91	210.58	249.39	227.35	317.07	288.08	213.89	26.36	23.24
15.	पंजाब	88.02	123.44	122.32	101.9	144.27	121.22	96.89	147.95	159.05	81.84	39.99	0
16.	राजस्थान	1083.57	1153.76	1429.18	1352.54	1411.36	1314.18	1231.05	1332.49	1461.51	1277.99	375.37	299.96
17.	तमिलनाडु	330.04	429.55	287.60	394.82	570.17	625	273.63	387.11	527.57	334.66	196.03	9.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	तेलंगाना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.79	81.48	0
19.	उत्तर प्रदेश	843.30	802.32	754.20	1060.87	980.06	600.77	923.19	794.93	858.5	843.06	0	0
20.	उत्तराखंड	136.54	75.57	118.65	159.74	74.28	139.62	145.58	87.61	125.34	145.67	0	0
21.	पश्चिम बंगाल	343.60	342.51	521.41	523.53	502.36	574.54	490.63	485.83	757.11	416.23	50.94	0
22.	अरुणाचल प्रदेश	120.56	184.83	214.31	145.32	223.22	220.98	201.23	237.32	230.91	70.33	6.17	4.17
23.	असम	435.58	522.44	468.61	525.71	659.21	59402	470.00	514.98	635.18	525.26	246.42	0
24.	मणिपुर	53.39	47.60	47.03	69.99	66.21	59.11	58.76	55.3	54.17	70.5	27.78	0
25.	मेघालय	61.67	95.89	85.44	73.96	97.61	101.44	92.18	103.4	114.61	50.54	0.78	0
26.	मिज़ोरम	39.67	38.83	54.03	48.35	47.92	32.87	38.42	44.89	33.37	43.11	0	0
27.	नागालैंड	81.68	80.91	81.82	110.25	110.2	108.56	56.66	61.07	52.38	77.85	46.52	0
28.	सिक्किम	28.10	69.19	24.49	36.69	32.36	38.89	16.88	26.56	71.25	24.76	0	0
29.	त्रिपुरा	56.20	83.86	108.39	70.66	100.59	99.36	59.29	89.93	94.19	63.2	32.58	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0	1.15	0.78	0	1.04	0.09	0.64	0.93	0.41	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0	1.75	0.88	0	1.59	0.06	0	1.75	0	0
	कुल	8330.00	8474.02	9079.65	10290.02	10473.2	10008.48	9348.40	9600.32	10804.1	8712.29	2156.22	428.50

रेल पुलों की मरम्मत

***149. श्री सुवेन्दु अधिकारी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रेलगाड़ियों को सुरक्षित चलाए जाने हेतु रेल पुलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए उनका नियमित निरीक्षण कराता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाए गए;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत हेतु स्वीकृत किए गए जीर्ण-शीर्ण पुलों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ जोन-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या रेलवे का विचार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाए जाने वाले सभी पुलों की मरम्मत कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा पुलों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा) : (क) से (ङ) जी, हां। भारतीय रेलों पर रेल पुलों के निरीक्षण के लिए एक नियमित और कड़ी प्रणाली का अनुपालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी रेल पुलों का प्रत्येक वर्ष बारीकी-से निरीक्षण किया जाता है। रेल पुलों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है जिसे इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। यदि साइट संबंधी जटिलताओं आदि के कारण सुधारात्मक/निवारक उपायों में लंबा समय लगने की संभावना होती है तो पुल की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण होने तक गति प्रतिबंध लगाने और ऐसे पुलों की गहन निगरानी करने जैसे समुचित संरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं। 01.04.2011 से सुदृढ़ीकरण/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत पुलों के संबंध में ज़ोन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

रेलवे	2011-12		2012-13		2013-14	
	वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए पुल	वर्ष के दौरान आबंटित की गई निधियां (करोड़ रुपए में)	वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए पुल	वर्ष के दौरान आबंटित की गई निधियां (करोड़ रुपए में)	वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए पुल	वर्ष के दौरान आबंटित की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	3	12.8	19	10.92	20	9.09
पूर्व	12	73.17	68	81.42	33	71.18
पूर्व मध्य	30	71.57	24	43.38	0	61.59
पूर्व तट	94	9.13	47	14.64	8	16.87
उत्तर	65	11.08	30	17.19	38	34.55
उत्तर मध्य	15	16.62	8	12.22	22	19.65
पूर्वोत्तर	1	3.83	2	9.49	0	17.13
पूर्वोत्तर सीमा	187	11.3	83	18.48	2	11.16
उत्तर पश्चिम	86	7.39	3	11.03	27	6.70
दक्षिण	38	9.18	39	17.22	21	25.14
दक्षिण मध्य	18	31.14	113	16.98	30	18.39

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण पूर्व	115	11.32	13	21.81	57	17.47
दक्षिण पूर्व मध्य	34	12.01	13	7.95	29	7.24
दक्षिण पश्चिम	7	13.34	41	13.25	1	13.36
पश्चिम	59	15.84	30	19.99	0	27.68
पश्चिम मध्य	75	26.72	58	23.7	29	25.51
कुल	839	336.45	591	339.66	317	382.69

वर्ष 2014-15 के दौरान, रेल पुलों के सुदृढ़ीकरण/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए 403 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाना

150. श्रीमती रक्षाताई खाडसे :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल लम्बाई कितनी है और उनमें से चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और 17 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक खंडों का उन्नयन कर उन्हें चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति की परियोजना-वार स्थिति क्या है और इस प्रयोजनार्थ किस एजेंसी को नियुक्त किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई, कितनी जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई और 4 अथवा उससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाया जाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, रारा-6 और रारा-17 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की 32,362 किमी. लंबाई को 4 लेन मानक में उन्नयन करने का लक्ष्य है। अभी तक, मार्च, 2014 तक 19,603 किमी. लम्बाई को 4 लेन का बनाना पूरा कर लिया गया है और शेष खंडों के लिए कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग/परियोजना-वार। पिछले तीन वर्ष प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित निधियों और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र भी राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन बनाने में अंशदान करता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई और 4 अथवा उससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

(लंबाई किमी. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई	4 अथवा उससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4,396.74	1,635.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,513.05	0.00

1	2	3	4
3.	असम	3,723.06	677.83
4.	बिहार	4,538.79	798.05
5.	चंडीगढ़	15.28	15.28
6.	छत्तीसगढ़	3,078.40	161.60
7.	दिल्ली	80.00	80.00
8.	गोवा	262.00	39.52
9.	गुजरात	4,686.29	2,117.70
10.	हरियाणा	2,057.48	489.78
11.	हिमाचल प्रदेश	2,396.48	16.18
12.	जम्मू और कश्मीर	2,319.00	113.00
13.	झारखंड	2,996.64	275.26
14.	कर्नाटक	6,294.29	1,324.95
15.	केरल	1,811.52	94.25
16.	मध्य प्रदेश	5,184.57	956.90
17.	महाराष्ट्र	6,451.44	2,226.19
18.	मणिपुर	1,488.74	22.74
19.	मेघालय	1,204.36	20.50
20.	मिज़ोरम	1,181.00	0.00
21.	नागालैंड	1,080.09	0.00
22.	ओडिशा	4,644.52	1,395.40
23.	पुदुचेरी	64.03	10.77
24.	पंजाब	2.136.15	528.95
25.	राजस्थान	7,806.20	2,055.44
26.	सिक्किम	309.00	0.00
27.	तमिलनाडु	5,006.14	2,065.33
28.	त्रिपुरा	577.00	0.00
29.	तेलंगाना	2,743.34	878.70
30.	उत्तराखंड	2,364.92	39.41
31.	उत्तर प्रदेश	7,863.00	2,293.67
32.	पश्चिम बंगाल	2,909.80	643.75
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	330.70	0.00
34.	दादरा और नगर हवेली	31.00	0.00
35.	दमन और दीव	22.00	0.00

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित निधियों और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

(धनराशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				व्यय			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15$	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश@	113.99	186.70	170.41	64.00	119.80	190.99	187.62	11.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.50	0.50	0.00	0.00	1.09	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	213.43	176.00	207.04	45.09	200.18	154.14	199.41	14.00
4.	बिहार	247.54	140.00	288.01	73.27	232.31	128.94	274.72	11.42
5.	चंडीगढ़	1.00	2.80	2.00	5.00	0.81	2.53	0ए92	0.00
6.	छत्तीसगढ़	56.05	73.50	51.20	12.08	52.95	65.41	25.28	1.29
7.	दिल्ली	6.50	0.42	5.00	1.00	5.70	0.10	3.67	0.00
8.	गोवा	5.00	2.00	21.50	3.00	4.79	2.31	20.66	0.58
9.	गुजरात	95.96	156.60	148.06	94.07	88.82	160.58	140.91	23.69
10.	हरियाणा	100.00	75.00	50.00	8.00	98.16	78.80	53.51	2.38
11.	हिमाचल प्रदेश	110.26	110.00	110.69	27.00	121.15	94.76	99.74	5.02
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	झारखंड	92.00	100.00	75.00	21.00	97.14	97.75	70.32	11.52
14.	कर्नाटक	328.31	309.07	244.61	39.00	313.06	297.40	164.55	6.51
15.	केरल	165.82	136.11	274.26	40.00	153.66	151.46	267.81	8.24
16.	मध्य प्रदेश	101.69	70.73	171.11	50.00	76.07	69.96	150.69	31.50
17.	महाराष्ट्र	286.52	265.02	181.47	23.13	304.90	277.85	177.00	9.04
18.	मणिपुर	50.28	56.44	52.32	7.00	47.09	54.69	54ए39	0.00
19.	मेघालय	85.05	61.00	48.70	9.00	82.76	69.70	33.61	3.22
20.	मिज़ोरम	40.00	85.00	25.00	5.00	40.81	40.06	20.57	0.00
21.	नागालैंड	21.00	6.80	43.00	9.00	19.63	23.24	44.65	1.20
22.	ओडिशा	293.28	219.81	244.20	54.00	272.94	220.97	231.51	32.24
23.	पुदुचेरी	4.50	5.70	10.00	2.00	4.73	5.34	10.00	0.10
24.	पंजाब	115.11	105.00	110.53	55.24	117.23	95.17	113.24	16.78
25.	राजस्थान	119.63	130.10	192.01	27.00	116.93	126.30	213.85	16.33
26.	तमिलनाडु	158.37	230.00	185.00	39.59	159.99	214.86	210.24	12.08
27.	उत्तर प्रदेश	313.21	287.01	305.39	102.00	322.85	295.47	284.35	34.50
28.	उत्तराखंड	83.46	85.70	93.75	64.67	51.72	91.03	85.90	24.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	पश्चिम बंगाल	292.00	200.00	170.00	97.00	282.93	195.00	133.85	30.78
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.13	2.00	5.50	5.00	2.13	1.00	9.53	4.50
31.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण#	24,670.10	2,489.54	21,007.67	0.00	22,592.10	12,662.86	20,519.89	0.00
32.	सीमा सड़क संगठन#	540.00	450.00	450.00	400 00	515.00	450.00	339.11	10.28
33.	अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम#	1,950.00	1,845.00	3,300.00	1,166.70	1,939.98	1,844.12	297.079	268.42
34.	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क विकास	1,200.00	1,375.00	1,500.00	399.00	1,166.68	1,336.97	897.00	69.66

$ - मई, 2014 तक की स्थिति।

@ - 2014-15 के दौरान तेलंगाना सहित आबंटन और व्यय।

- राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

नदियों/जल निकायों का विकास

***151. श्री सुल्तान अहमद :** क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जल निकायों/नदियों के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी उपयोग में लाई गई;

(ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में नदियों/जल निकायों के विकास हेतु नई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री (सुश्री उमा भारती) : (क) इस मंत्रालय द्वारा बारहवीं योजना के दौरान दो स्कीमों नामतः जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) आरआरआर और एफएमपी के तहत वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान राज्यों को जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आरआरआर स्कीम के अंतर्गत 12 राज्यों में कुल 3341 जल निकायों का पुनरुद्धार कार्य शुरू किया गया, जिनमें से आज की तारीख तक 2033 जल निकायों से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं। एफएमपी के तहत 11वीं योजना के दौरान कुल 420 निर्माण कार्य अनुमोदित किए गए थे, जिनमें से 252 निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। 12वीं योजना के दौरान एफएमपी के तहत कुल 97 नए निर्माण कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार, गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए विशेष ध्यान दे रही है। विभिन्न पणधारियों अर्थात् पर्यावरण एवं वन; जल संसाधन,

नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार; शहरी विकास; पर्यटन; पोत-परिवहन; पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता; ग्रामीण विकास आदि मंत्रालयों तथा गंगा की सफाई से जुड़े शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। कार्य योजना की प्रमुख विशेषताओं, समय-सीमा और संभावित व्यय समेत कार्य योजना के निश्चित रूप से सम्बन्धित जानकारी, गंगा नदी की सफाई हेतु कार्य योजना के पूरा कर लेने के बाद ही मिल पाएगी। गंगा संबंधी कार्य योजना के परिणाम के आधार पर सरकार देश भर की अन्य प्रमुख नदियों हेतु चरणबद्ध रूप में कार्य योजना को विस्तारित कर सकती है।

विवरण

आरआरआर और एफएमपी के तहत वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान राज्यों को जारी की गई राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	स्कीम का नाम	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)	
		2012-13	2013-14
1.	आरआरआर	40.44	37.97
2.	एफएमपी	193.85	379

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़

***152. श्री कौशलेन्द्र कुमार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवारी डिब्बों में विशेषकर व्यस्ततम मौसम के दौरान, अत्यधिक भीड़ होने के कारण सामान्य सवारी डिब्बों में बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे यात्रियों को अमानुषिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) रेलवे द्वारा प्रतीक्षा सूचीरत सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सवारी डिब्बों में सीट देने के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के आवागमन संबंधी प्रतिमानों का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पिछली बार कराए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) रेलवे द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा) : (क) से (घ) जी, हां। जैसे ही यात्रा के लिए मांग, विशेषकर भीड़-भाड़ के दौरान बढ़ती है, वैसे ही गाड़ियों के सामान्य सवारी डिब्बों में भी भीड़-भाड़ बढ़ जाती है। बहरहाल, यात्रा संबंधी मांग की वृद्धि को पूरा करने के लिए भारतीय रेल द्वारा विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं, साथ-साथ पूरी तरह से अनारक्षित विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं और परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात की मांग और संसाधनों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सवाीर डिब्बे भी लगाए जाते हैं। नीतिगत मामले के रूप में, राजधानी, शताब्दी, दूरांतो आदि जैसी पूर्ण आरक्षित गाड़ियों को छोड़कर 2007-08 के बाद शुरू की गई सभी नई मले/एक्सप्रेस गाड़ियों की मानक संरचना में कम-से-कम 6 सामान्य दर्जे के सवारी डिब्बे होते हैं। इसके अतिरिक्त, अनारक्षित यातायात की मांग को पूरा करने के लिए, जन साधारण एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस एवं पैसेंजर गाड़ियों जैसे कतिपय लंबी दूरी की गाड़ियों और कुछ छोटी दूरी की इंटरसिटी गाड़ियों में केवल सामान्य द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे ही लगाए जाते हैं।

नियमित विश्लेषण और उपयोगिता पैटर्न की समीक्षा की जा रही है और बजट में प्रत्येक वर्ष नई गाड़ियों और मौजूदा गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की घोषणा की जाती है। व्यस्त अवधि और यात्रा के लिए मांग में वृद्धि के दौरान, प्रतीक्षा सूची की स्थिति, परिचालनिक व्यवहार्यता और सवारी डिब्बों की उपलब्धता के आधार पर गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं। भीड़-भाड़ को क्लियर करने के साथ-साथ मेला, उर्स, त्यौहार, परीक्षाओं आदि जैसे विशेष अवसरों पर भी विशेष गाड़ियां चलाने की योजना बनाई जाती है। वर्ष 2013-14 में, लगभग 41386 विशेष गाड़ियों के फेरे और 132514 अतिरिक्त सवारी डिब्बों के फेरे लगाए गए थे जबकि 231 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित 778 सवारी डिब्बों को स्थायी आधार पर शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, रेल बजट 2014-15 (अंतरिम बजट सहित) में 138 नई गाड़ियां, 15 गाड़ियों के विसतार और पांच नई जन साधारण एक्सप्रेस गाड़ियों (अर्थात् पूर्ण रूप से अनारक्षित गाड़ियां) सहित 4 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान

***153. श्री पूरनो अगितोक संगमा :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जॉबकार्ड धारकों की संख्या कितनी है और उन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किस दर पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या अनेक जॉबकार्ड धारकों को तथाकथित रूप से समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों को समय पर धनराशि आबंटित की है और जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत जॉबकार्ड धारकों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की शुरुआत से लेकर अब तक जॉब कार्ड पाने वाले कुल परिवारों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए मनरेगा 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथा अधिसूचित विशिष्ट दरें संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां, मंत्रालय को योजना कार्यान्वयन वाले विभिन्न राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत देरी से मजदूरी के भुगतान से संबंधित शिकायतें/आपत्तियां प्राप्त होती हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में 15 दिन से अधिक की देरी पर्याप्त प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ की कमी, बैंक/डाकघरों की शाखाओं का न होना, संपर्कता का अभाव, आदि के कारण होती है।

उपलब्ध एमआईएस सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान 15 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद प्रदान की गई मजदूरी की राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) मनरेगा मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार का आवंटन नहीं किया जाता। केन्द्रीय निधियां सहमत श्रम बजट के आधार पर और उपलब्ध निधियों के निष्पादन एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए राज्यों को रिलीज की जाती है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं मौजूदा वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत केन्द्रीय रिलीज तथा व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ङ) मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को समय से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- राज्यों से मजदूरों तक निधियां का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने और मजदूरी भुगतान में विलम्ब को समाप्त करने के लिए राज्यों से इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली व्यापक रूप से चलाने के लिए कहा गया है।
- मजदूरी संवितरण के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर बायोमिट्रीक प्रमाणीकरण के साथ बैंक के माध्यम से मजदूरी भुगतान के लिए राज्य सरकारों को बिजनिस करैस्पोंडेंट मॉडल शुरू करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं।
- विलम्ब के लिए प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु एक प्रणाली शुरू की गई है जिसके तहत मजदूरों को मस्टर रॉल बंद किए जाने से 15 दिन के अधिक समय के विलम्ब के लिए 0.05% प्रतिदिन की दर से प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा।

विवरण-I

मनरेगा के अंतर्गत जॉबकार्ड पाने वाले परिवारों की संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य	शुरूआत से ऐसे परिवारों की संख्या जिन्हें जॉबकार्ड जारी किया गया
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8877739
2.	अरुणाचल प्रदेश	187332
3.	असम	4092360
4.	बिहार	13050600
5.	छत्तीसगढ़	4102912
6.	गुजरात	3465835
7.	हरियाणा	842489
8.	हिमाचल प्रदेश	1171564
9.	जम्मू और कश्मीर	1132896

1	2	3
10.	झारखंड	3780497
11.	कर्नाटक	5667010
12.	केरल	2857113
13.	मध्य प्रदेश	10440612
14.	महाराष्ट्र	7177053
15.	मणिपुर	498159
16.	मेघालय	475169
17.	मिज़ोरम	212280
18.	नागालैंड	414166
19.	ओडिशा	6371072
20.	पंजाब	1085312
21.	राजस्थान	9869723
22.	सिक्किम	88819
23.	तमिलनाडु	8579565
24.	तेलंगाना	6125491
25.	त्रिपुरा	631255
26.	उत्तर प्रदेश	14886973
27.	उत्तराखंड	1063047
28.	पश्चिम बंगाल	11692367
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50514
30.	दादरा और नगर हवेली	3549
31.	दमन और दीव	एनआर
32.	गोवा	30839
33.	लक्षद्वीप	8491
34.	पुदुचेरी	68510
35.	चंडीगढ़	एनआर
	कुल	129001313

विवरण-II

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए विशिष्ट मजदूरी दरों का विवरण

(रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	1.04.2014 की स्थिति के अनुसार मजदूरी दर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	169
2.	अरुणाचल प्रदेश	155
3.	असम	167
4.	बिहार	158
5.	छत्तीसगढ़	157
6.	गोवा	195
7.	गुजरात	167
8.	हरियाणा	236
9.	हिमाचल प्रदेश	154-193
10.	जम्मू और कश्मीर	157
11.	झारखंड	158
12.	कर्नाटक	191
13.	केरल	212
14.	मध्य प्रदेश	157
15.	महाराष्ट्र	168
16.	मणिपुर	175
17.	मेघालय	153
18.	मिज़ोरम	170
19.	नागालैंड	155
20.	ओडिशा	164
21.	पंजाब	200

1	2	3
22.	राजस्थान	163
23.	सिक्किम	155
24.	तमिलनाडु	167
25.	त्रिपुरा	155
26.	उत्तर प्रदेश	156
27.	उत्तराखंड	156
28.	पश्चिम बंगाल	169
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	222.235
30.	चंडीगढ़	227
31.	दादरा और नगर हवेली	182
32.	दमन और दीव	170
33.	लक्षद्वीप	195
34.	पुदुचेरी	167

विवरण-III

राज्य-वार दी गई मजदूरी की राशि

क्र. सं.	राज्य	नरेगा के अंतर्गत निर्धारित 15 दिनों की अवधि के बाद प्रदान की गई मजदूरी की राशि (लाख में)			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	36568.87	0.00	0.00	34503.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.79	3911.42	2866.93	27.73
3.	असम	3235.64	5685.93	6358.74	277.49
4.	बिहार	43635.78	89391.11	67217.95	2396.30
5.	छत्तीसगढ़	34180.10	37916.81	80507.76	20089.75
6.	गोवा	155.82	46.38	100.37	25.66
7.	गुजरात	8720.37	12895.71	18324.49	3441.20
8.	हरियाणा	826.71	3596.71	8715.99	1082.65
9.	हिमाचल प्रदेश	12036.17	16104.32	19125.06	2371.98
10.	जम्मू और कश्मीर	12152.19	26357.20	24404.36	93.12
11.	झारखंड	181.41	290.32	2993.88	4790.84
12.	कर्नाटक	53455.73	73992.62	83462.85	5095.83

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	37410.68	77961.06	123568.82	2298.11
14.	मध्य प्रदेश	89643.20	104780.35	106283.13	48242.78
15.	महाराष्ट्र	63508.24	90909.61	57222.95	17419.18
16.	मणिपुर	883.02	5294.43	4121.84	29.97
17.	मेघालय	3277.56	6314.30	11993.94	18.49
18.	मिज़ोरम	1956.60	34.17	1.30	0.00
19.	नागालैंड	9385.54	8689.61	11364.18	493.35
20.	ओडिशा	7788.46	17496.90	49382.62	15480.27
21.	पंजाब	1655.31	5038.88	18638.97	97.39
22.	राजस्थान	82299.56	101837.02	165881.03	33014.25
23.	सिक्किम	484.11	809.95	1455.71	14.23
24.	तमिलनाडु	592.24	3400.70	81660.50	66705.46
25.	तेलंगाना				18273.86
26.	त्रिपुरा	1722.13	1664.72	3485.02	266.82
27.	उत्तर प्रदेश	56236.92	24881.45	60478.11	8338.55
28.	उत्तराखंड	5626.36	14985.98	11688.57	46.80
29.	पश्चिम बंगाल	113072.84	204287.42	245429.32	6637.73
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	678.14	652.68	66.10	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.50	0.10
32.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	131.20	36.58	14.47	0.24
35.	पुदुचेरी	676.92	718.48	498.79	9.70
	कुल	682207.57	939982.82	1267314.25	291582.93

विवरण-IV

मनरेगा के तहत केन्द्रीय रिलीज और व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	रिलीज की गई निधियां (केन्द्र + राज्य)				व्यय			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	210350.77	321673.59	508529.00	423580.70*	424587.75	512377.61	532191.38	104343.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	6147.00	7448.81	14302.67	578.00	95.07	5346.30	9435.59	130.13
3.	असम	48131.46	58155.53	66447.20	13378.80	74752.55	65153.18	70064.18	2653.96
4.	बिहार	130073.42	172611.87	178031.77	51341.00	132696.52	186045.15	201745.77	31909.80
5.	छत्तीसगढ़	181670.10	220301.53	166206.92	102699.46	204003.13	222177.87	206291.08	78093.91
6.	गुजरात	46902.66	62954.73	37032.04	18001.48	65904.91	61742.13	48904.92	20131.10
7.	हरियाणा	30840.16	38375.89	41510.18	3356.13	31283.54	38063.30	38397.54	5178.19
8.	हिमाचल प्रदेश	35708.62	41021.12	52588.60	11036.88	50952.11	49611.74	56902.25	9923.19
9.	जम्मू और कश्मीर	82613.57	83577.26	67249.82	14036.00	44367.05	85334.76	73946.79	3485.36
10.	झारखंड	133733.08	92916.84	68601.61	30507.78	116966.50	115236.20	91256.02	29793.56
11.	कर्नाटक	82162.49	143792.63	186110.30	48957.40	162226.88	144839.11	209646.76	48665.50
12.	केरल	97615.68	133219.84	129223.73	51095.18	104807.84	141655.91	130331.40	46476.30
13.	मध्य प्रदेश	330500.86	189216.09	208153.88	153402.12	341037.76	311078.71	264258.17	135496.52
14.	महाराष्ट्र	122033.51	214905.33	129792.02	42611.10	160150.33	217029.49	127626.66	4481.89
15.	मणिपुर	64795.73	65073.02	27793.45	12944.45	29517.02	60008.08	25474.73	1935.71
16.	मेघालय	31333.00	23873.94	2984.08	9384.17	29869.34	26589.99	31568.46	2133.42
17.	मिज़ोरम	35368.59	28258.17	38483.86	1176.00	23067.60	29038.56	25823.26	0.00
18.	नागालैंड	67346.57	46012.38	31814.80	8457.30	56340.02	42828.63	29220.42	897.40
19.	ओडिशा	111044.84	98346.49	109952.84	44775.48	103908.48	117766.95	128969.24	45610.22
20.	पंजाब	13315.70	12934.89	24752.63	13001.46	15980.62	15769.05	26235.57	11960.32
21.	राजस्थान	181429.60	285572.83	235933.96	120190.30	315659.87	327154.86	261105.97	127601.25
22.	सिक्किम	10079.77	7706.51	11184.17	622.46	4824.04	8134.02	11039.90	87.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	तमिलनाडु	316227.22	384505.42	480046.12	26235.00	292319.52	415128.79	394057.75	147715.36
24.	तेलंगाना	—	—	—	—	—	—	—	63482.30
25.	त्रिपुरा	99475.29	129672.69	110738.00	14873.96	94251.93	97102.33	107489.30	5014.38
26.	उत्तर प्रदेश	471159.00	144147.63	321824.51	25871.80	501625.32	266529.58	341293.54	49247.99
27.	उत्तराखंड	41182.12	29990.83	38813.42	8073.04	38829.94	31185.98	38058.75	2682.64
28.	पश्चिम बंगाल	283876.84	389281.37	355058.79	178299.70	283702.16	385087.63	371465.97	162014.12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1643.85	1381.89	1918.10	480.63	1597.28	1300.10	1048.60	28.23
30.	दादरा और नगर हवेली	100.00	39.56	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	गोवा	321.32	277.66	260.05	0.00	698.30	144.81	295.04	70.40
33.	लक्षद्वीप	100.00	161.85	18.62	45.06	241.28	152.74	70.72	4.71
34.	पुदुचेरी	100.00	1335.75	1379.98	455.00	1017.56	1215.16	1136.95	16.10
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	326383.12	3428743.54	3673595.12	1499467.84	3707282.22	3977828.72	3855352.68	1181264.31

*तेलंगाना को रिलीज की गई निधियां शामिल हैं

एनआर = असूचित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में संशोधन

***154. श्री एम.के. राघवन :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में संशोधन करने हेतु विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या डेयरी फार्मिंग, ग्रामीण आवास, खाद्यान्नों के लिए गोदाम आदि जैसे और कार्यों/क्रियाकलापों को भी इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) जी, हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची में और अधिक कार्य शामिल करने के संबंध में विभिन्न राज्यों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर विचार करके उक्त अधिनियम में अनुमेय कार्यों की सूची का विस्तार जनवरी, 2014 में किया गया है।

(ख) प्रश्न में उल्लिखित सभी कार्य अनुमेय कार्यों की सूची में पहले से शामिल हैं।

(ग) मनरेगा के तहत प्रदायगी प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:—

- यह प्रस्ताव किया गया है कि लागत की दृष्टि से किसी जिले में किए जाने वाले कम-से-कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित होंगे।
- ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के मजदूरी-सामग्री अनुपात की गणना जिला-स्तर पर किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि अधिक टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके।
- प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले तथा उसके समापन के बाद भी उससे जुड़े परिणामों का आकलन किया जाएगा—जिससे परिणामों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके।
- बेहतर आयोजना और निरंतर तकनीकी पर्यवेक्षण के माध्यम से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है।
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कहा गया है कि वे महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की अनुसूची-II के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधान लागू करें।
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कहा गय है कि वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी की गई योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षाओं में सुधार करें।
- नकली उपस्थिति, मस्टररोल से छेड़छाड़ और उनके दुरुपयोग के मामलों की रोकथाम के उद्देश्य से ई-मस्टर प्रणाली शुरू की गई है।
- निधियों के निरंतर प्रवाह के लिए इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) शुरू की गई है, जिससे मजदूरी के भुगतान में विलंब के मामलों में भी कमी आएगी।
- सभी राज्यों से कहा गया है कि वे शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओम्बइसमैन नियुक्त करें।
- इस योजना की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

पेयजल की उपलब्धता

***155. श्री तारिक अनवर :**
कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेयजल की वर्तमान आवश्यकता और उपलब्धता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्णतया/आंशिक रूप से शामिल और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों/गांवों के संदर्भ में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई/कितनी स्वीकृत की गई और कितनी उपयोग में लाई गई;

(घ) क्या कुछ राज्य इस प्रयोजनार्थ जारी की गई धनराशि का उपयोग नहीं कर पाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सभी बसावटों में पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जनगणना 2001 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल 1816 क्यूबिक मीटर था जो जनगणना 2011 के अनुसार, घटकर 1545 क्यूबिक मीटर हो गया है। देश में पेयजल की उपलब्धता का प्रति व्यक्ति की दृष्टि में अनुवीक्षण इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पेयजल के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम मानदंड 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) है। तथापि, राज्य जल की उपलब्धता, मांग, लगने वाली पूंजीगत लागत, कम मूल्य पर उपलब्धता आदि के आधार पर अपने स्वयं के उच्चत्तर मानदंड निर्धारित कर सकते हैं।

(ख) मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता का, बसावटों के अनुसार, अनुवीक्षण करता है। देश में पूर्ण/आंशिक रूप से कवर की गई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की वर्तमान स्थिति, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत यह मंत्रालय ग्रामीण आबादी को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता देने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई/कितनी स्वीकृत की गई और कितनी उपयोग में लाई गई, उसका ब्यौरा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) कुछ राज्य पिछले वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान भी उन्हें जारी की गई निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपयोग में न लाई गई शेष निधियों की स्थिति संलग्न विवण-III में दी गई है।

कुछ राज्यों द्वारा उन्हें जारी की गई राशियों को खर्च न करने के कारण, प्राप्ति प्रक्रियाओं में देरी, बहु-ग्रामीण योजनाओं को प्रारंभ करना, जिन्हें पूरा करने में 2-3 वर्ष लग सकते हैं, चुनावों/उप-चुनावों आदि की घोषणा की वजह से आदर्श आचरण कोड लागू होना आदि हो सकते हैं।

विभिन्न कार्य-विधियों को प्रयोग में लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य उन्हें जारी की गई निधियों को उपयोग में ला सकें। राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों और कार्यकलापों को अमल में लाने के लिए पहले ही वार्षिक कार्य योजना तैयार कर लें। राज्यों को लक्ष्यबद्ध बसावटों को चिन्हित करना होगा और ऑनलाइन आईएमआईएस पर कार्यों, योजनाओं एवं कार्यकलापों का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। ऑनलाइन आईएमआईएस पर कवरेज एवं प्रगति संबंधी आंकड़ों को भी दर्ज कराना होगा। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी, कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं।

(ङ) इस मंत्रालय ने 2011-22 की अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संबंधी एक कार्यनीति-परक योजना तैयार की है, जिसमें आगामी दो पंचवर्षीय योजना अवधियों को शामिल किया गया है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। वर्ष 2017 तक पाइप द्वारा जलापूर्ति करके 50% ग्रामीण परिवारों को कवर किए जाने तथा 35% ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक कनेक्शन दिए जाने का अंतरिम लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति तथा 80% ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित कार्यकलाप करता है:—

(i) आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों का कवरेज करने पर ध्यान केन्द्रित करना।

(ii) स्वच्छ पेयजल के साथ जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज पर ध्यान केन्द्रित करना।

(iii) पाइप द्वारा जलापूर्ति के जरिए ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना।

(iv) अपने परिवारों में नल कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीण आबादी को प्रेरित करना।

यह मंत्रालय, ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी सचिवों की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, वीडियो-कान्फ्रेंसिंग का भी संचालन करता है जिनके जरिए एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया जाता है।

विवरण-I

पेयजल आपूर्ति की सुविधा से बसावटों को कवर करने की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल	पूर्ण रूप से कवर की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	गुणवत्ता प्रभावित
		बसावटों की संख्या	बसावटों की संख्या	बसावटों की संख्या	बसावटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	47,397	29,231	16,612	1,554
2.	बिहार	107,640	50,203	50,838	6,599
3.	छत्तीसगढ़	73,616	61,483	8,038	4,095
4.	गोवा	347	345	2	—
5.	गुजरात	34,415	33,829	329	257

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	7.251	6,796	440	15
7.	हिमाचल प्रदेश	53,604	39,274	14,330	—
8.	जम्मू और कश्मीर	15,798	8,049	7,739	10
9.	झारखंड	119,667	116,003	3,637	27
10.	कर्नाटक	59,753	24,480	32,900	2,373
11.	केरल	11,883	3,338	7,717	828
12.	मध्य प्रदेश	127,559	125,145	677	1,737
13.	महाराष्ट्र	100,488	87,339	12,200	949
14.	ओडिशा	157,296	101,810	48,766	6,720
15.	पंजाब	15,370	12,563	2,788	19
16.	राजस्थान	121,133	69,085	28,092	23,956
17.	तमिलनाडु	100,018	85.946	13.657	415
18.	तेलंगाना	25,139	13,212	10,308	1,619
19.	उत्तर प्रदेश	260,110	259,539	73	498
20.	उत्तराखंड	39,142	24,195	14,913	34
21.	पश्चिम बंगाल	98,120	45,419	41,087	11,614
22.	अरुणाचल प्रदेश	7,412	2,386	4,939	87
23.	असम	87,888	41,990	35,214	10,684
24.	मणिपुर	2,870	2,089	781	—
25.	मेघालय	9,326	1,918	7,356	52
26.	मिज़ोरम	777	339	438	—
27.	नागालैंड	1,530	503	989	38
28.	सिक्किम	2,084	662	1,422	—
29.	त्रिपुरा	8,132	3,215	598	4,319
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	400	323	77	—
31.	चंडीगढ़	18	—	18	—
32.	दादरा और नगर हवेली	70		70	—
33.	दमन और दीव	21	—	21	—
34.	दिल्ली	—	—	—	—
35.	लक्षद्वीप	9	—	9	—
36.	पुदुचेरी	248	89	150	9
	कुल	1,696,531	1,250,798	367,225	78,508

(दिनांक 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार)

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटन, रिलीज एवं व्यय का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (13.7.2014 की स्थिति के अनुसार)		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	546.32	462.47	446.37	563.39	485.14	672.82	635.44	631.52	662.4	314.87	141.4	0
2.	बिहार	374.98	330.02	367.30	484.24	224.3	293.09	432.38	338.95	307.43	455.22	6.28	0
3.	छत्तीसगढ़	143.57	139.06	141.12	168.89	148.64	162.85	136.13	135.2	172.38	155.11	61.01	4.76
4.	गोवा	5.20	5.01	1.16	6.07	0.03	0	5.5	0	2.22	4.99	0	0
5.	गुजरात	478.89	571.05	467.70	578.29	717.47	797.93	533.73	515.07	627.95	501.28	153.55	0
6.	हरियाणा	210.51	237.74	344.71	250.24	313.41	275.54	229.46	229.52	301.15	225.38	109.67	0
7.	हिमाचल प्रदेश	131.47	146.03	145.97	153.59	129.9	124.06	138.51	130.81	153.33	141.99	33.78	0.01
8.	जम्मू और कश्मीर	436.21	420.42	507.07	510.76	474.5	488.09	462.43	414.82	499.79	477.91	212.47	0
9.	झारखंड	162.52	148.17	169.84	191.86	243.43	204.87	172.85	243.29	277.96	183.59	25.14	15.72
10.	कर्नाटक	687.11	667.78	782.85	922.67	869.24	874.78	868.75	897.29	928.81	549.18	134.51	0
11.	केरल	144.43	113.39	126.98	193.59	249.04	193.62	155.58	212.04	265.1	122.03	49.91	0
12.	मध्य प्रदेश	371.97	292.78	379.30	447.33	539.56	426.56	404.80	474.95	484.09	420.05	97.67	59.43
13.	महाराष्ट्र	728.35	718.35	642.20	897.96	846.48	614.32	788.47	690.27	657.46	732.33	0	12.02
14.	ओडिशा	206.55	171.05	239.60	243.91	210.58	249.39	227.35	317.07	288.08	213.89	26.36	23.24
15.	पंजाब	88.02	123.44	122.32	101.9	144.27	121.22	96.89	147.95	159.05	81.84	39.99	0
16.	राजस्थान	1083.57	1153.76	1429.18	1352.54	1411.36	1314.18	1231.05	1332.49	1461.51	1277.99	375.37	299.96
17.	तमिलनाडु	330.04	429.55	287.60	394.82	570.17	625	273.63	387.11	527.57	334.66	196.03	9.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	तेलंगाना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.79	81.48	0
19.	उत्तर प्रदेश	843.30	802.32	754.20	1060.87	980.06	600.77	923.19	794.93	858.5	843.06	0	0
20.	उत्तराखंड	136.54	75.57	118.65	159.74	74.28	139.62	145.58	87.61	125.34	145.67	0	0
21.	पश्चिम बंगाल	343.60	342.51	521.41	523.53	502.36	574.54	490.63	485.83	757.11	416.23	50.94	0
22.	अरुणाचल प्रदेश	120.56	184.83	214.31	145.32	223.22	220.98	201.23	237.32	230.91	70.33	6.17	4.17
23.	असम	435.58	522.44	468.61	525.71	659.21	59402	470.00	514.98	635.18	525.26	246.42	0
24.	मणिपुर	53.39	47.60	47.03	69.99	66.21	59.11	58.76	55.3	54.17	70.5	27.78	0
25.	मेघालय	61.67	95.89	85.44	73.96	97.61	101.44	92.18	103.4	114.61	50.54	0.78	0
26.	मिज़ोरम	39.67	38.83	54.03	48.35	47.92	32.87	38.42	44.89	33.37	43.11	0	0
27.	नागालैंड	81.68	80.91	81.82	110.25	110.2	108.56	56.66	61.07	52.38	77.85	46.52	0
28.	सिक्किम	28.10	69.19	24.49	36.69	32.36	38.89	16.88	26.56	71.25	24.76	0	0
29.	त्रिपुरा	56.20	83.86	108.39	70.66	100.59	99.36	59.29	89.93	94.19	63.2	32.58	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0	1.15	0.78	0	1.04	0.09	0.64	0.93	0.41	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0	1.75	0.88	0	1.59	0.06	0	1.75	0	0
	कुल	8330.00	8474.02	9079.65	10290.02	10473.2	10008.48	9348.40	9600.32	10804.1	8712.29	2156.22	428.50

विवरण-III

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रारंभिक शेष

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.3	113.62	82.74
2.	बिहार	285.65	217.82	249.34
3.	छत्तीसगढ़	80.82	67.61	31.56
4.	गोवा	5.91	5.95	3.73
5.	गुजरात	327.59	247.13	134.24
6.	हरियाणा	43.98	85.59	13.96
7.	हिमाचल प्रदेश	61.94	67.78	45.27
8.	जम्मू और कश्मीर	147.04	141.95	59.11
9.	झारखंड	74.31	122.36	92.27
10.	कर्नाटक	213.14	256.64	237.76
11.	केरल	16.08	93.31	40.87
12.	मध्य प्रदेश	35.82	148.82	139.68
13.	महाराष्ट्र	320.1	553.97	587.39
14.	ओडिशा	84.34	67.61	106.02
15.	पंजाब	3.00	26.04	14.94
16.	राजस्थान	319.68	416.86	335.15
17.	तमिलनाडु	240.27	185.44	44.97
18.	तेलंगाना	—	—	0
19.	उत्तर प्रदेश	159.9	539.18	475.62
20.	उत्तराखंड	239.27	76.41	54.28
21.	पश्चिम बंगाल	417.10	475.01	220.1
22.	अरुणाचल प्रदेश	9.21	11.46	17.88

1	2	3	4	5
23.	असम	127.51	199.82	82.71
24.	मणिपुर	9.29	16.38	17.52
25.	मेघालय	36.83	34.12	22.89
26.	मिज़ोरम	9.74	24.78	36.3
27.	नागालैंड	1.10	3.69	12.38
28.	सिक्किम	49.71	44.95	1.31
29.	त्रिपुरा	4.03	6.27	3.4
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.78	0.28
31.	चंडीगढ़	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0.88	0.94
	कुल	3624.66	4252.23	3164.61

[अनुवाद]

कोल लिंकेजिस का आबंटन

***156. श्री बी. श्रीरामुलु :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख और गैर-प्रमुख क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोल लिंकेजिस के आबंटन के विनियमन हेतु बनाई गई नीति/मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से विभिन्न ताप परियोजनाओं विशेषरूप से कर्नाटक में इडलापुर, येरमार्स और बेल्लारी परियोजनाओं हेतु कोल लिंकेजिस के आबंटन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके लंबित रहने के कारण यदि कोई हैं, क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं हेतु कोल लिंकेजिस शीघ्र प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) सरकार ने प्रमुख और गैर-प्रमुख क्षेत्रों के लिए तत्कालीन विद्यमान कोयला वितरण नीति का अधिक्रमण करते हुए 18.10.2007 को नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) अनुमोदित किया था तथा समय-समय पर अन्य अनुदेश जारी किए थे। प्रमुख और गैर-प्रमुख के रूप में उपभोक्ताओं के विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा की गई थी तथा उसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके बजाय, यह निर्णय लिया गया था

कि अन्य बातों के साथ-साथ तत्संबंधी विनियामक प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ता को मेरिट के आधार पर माना जायेगा।

(ख) से (घ) दीर्घकालिक कोयला लिंकेज/आश्वासन पत्र (एलओए) की मंजूरी के लिए अनुरोध कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में इडलापुर (1×800 मेगावाट) येरमार्स टीपीपी (2×800 मेगावाट) और बेल्लारी (यूनिट-3) (1×700 मेगावाट) सहित तापीय विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) के संबंध में अनुरोधों को विद्युत मंत्रालय को सिफारिश के लिए अग्रसारित कर दिया गया था। तत्पश्चात्, विद्युत मंत्रालय ने कोयला लिंकेज की स्वीकृति के लिए इन तीन टीपीपी की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) [एसएलसी (एलटी)] के सम्मुख निर्णय के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कोल इंडिया लि· (सीआईएल) की सहायक कोयला कंपनियों द्वारा सूचित नकारात्मक कोयला संतुलन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 से कोई नया लिंकेज/आश्वासन पत्र (एलओए) किसी भी क्षेत्र को स्वीकृत नहीं किय गया है। इसके अलावा, कोल इंडिया लि· (सीआईएल) की सहायक कंपनियों ने 1,08,000 मेगावाट की क्षमता कवर करते हुए 175 एलओए जारी किए हैं। इस 1,08,000 मेगावाट क्षमता में से सक्षम प्राधिकारी ने उन 78,000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों के संबंध में ईंधन आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर करने हेतु 2013 में स्वीकृति प्रदान की थी जिन्हें स्थापित किया गया है अथवा 31·03·2015 तक स्थापित किए जाने की संभावना है। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया था कि कोयले की आपूर्ति 4660 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों तथा इसी प्रकार के उन अन्य विद्युत संयंत्रों, जिनके पास कोई ईंधन लिंकेज नहीं है, को कोयले की उपलब्धता के अनुसार तथा इस शर्त पर आपूर्ति की जा सकती है कि आश्वासन—पत्र धारकों के लिए किए गए अनुमोदन के अनुसार 78,000 मेगावाट क्षमता वाले अभिज्ञात संयंत्रों के वास्ते कोयले की उपलब्धता पर ऐसी आपूर्तियों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 700 मेगावाट क्षमता बेल्लारी यूनिट-3, जिसके मार्च, 2015 तक स्थापित हो जाने की संभावना है, अभिज्ञात 4660 मेगावाट क्षमता का भाग है। इस संबंध में 17·07·2013 को राष्ट्रपति के निर्देश सीआईएल को जारी किए गए थे। 30,000 मेगावाट की शेष क्षमता की विद्युत परियोजनाओं को एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए अभी प्राधिकृत किया जाना है। कोयले की मांग-आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में नए एलओए की स्वीकृति की कोई गुंजाइश नहीं है।

[हिन्दी]

पारेषण टावर्स

*157. **श्री हुकुम सिंह :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मई, 2014 को भारी वर्षा और तेज आंधी-तूफान के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में अनेक पारेषण टॉवर गिर गए थे/प्रभावित हुए थे जिसके कारण ब्लैक-आउट जैसी स्थिति पैदा हो गई थी;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) 30 मई, 2014 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में भारी वर्षा और तेज आंधी-तूफान के कारण अनेक पारेषण टावर गिर गए अथवा प्रभावित हुए, जिससे इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई।

(ख) और (ग) प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सामान्य करने के लिए, पारेषण लाइनों की बहाली, पहले आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) लगाकर और फिर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायता से सामान्य टावरों पर की गई और उन्होंने न्यूनतम संभव समय में प्रणाली को बहाल करने के लिए दिन-रात कार्य किया।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की स्थायी समिति, जिसके सदस्य भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान (आईआईटी) और यूटिलिटियों से होते हैं और जो ऐसी विफलताओं की जांच करती है, न पाया कि कुछ टावर स्थानीय चक्रवात/तूफानी स्थितियों के कारण विफल हो गए। कुछ मामलों में टावर ज्यादा ही ध्वस्त हो गए क्योंकि टावरों के कुछ भाग (मेम्बर) चोरी हो जाने के कारण गायब पाए गए थे। समिति ने सिफारिश की है कि टावरों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए टावरों के डिजाइन की नवीनतम भारतीय मानक कोडों के अनुसार समीक्षा की जाए और टावर के भागों को चोरी से बचाने के लिए चोरी की संभावना वाले क्षेत्रों में पेट्रोलिंग तेज की जाए।

स्थायी समिति की ये सिफारिशें/सुझाव संबंधित यूटिलिटियों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

रेलगाड़ियों का देरी से चलना

*158. **श्री जय प्रकाश नारायण यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि अनेक रेलगाड़ियां नियमित रूप से देरी से चलती हैं जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती है और यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों के देरी से चलने के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे विलम्ब के समय का आकलन करने के लिए रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की नियमित रूप से निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों का समय पर परिचालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि रेलें मंडल, ज़ोनल और बोर्ड स्तर पर यात्री गाड़ियों के आरंभिक स्टेशन से लेकर टर्मिनेट गंतव्य तक सतत् रूप से समयपालन की निगरानी करती रहती हैं, रेलें देरी के कारणों का भी आकलन करती हैं और इन कारकों को नियंत्रित करने हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाती हैं, जो गाड़ी परिचालन में बाधा पहुंचाते हैं।

समय सारणी के अनुसार रेलगाड़ियों का परिचालन नई कारणों पर निर्भर करता है, इनमें से अधिकांश कारण रेलवे के कार्यक्षेत्र की परिधि में आते हैं और कुछ पर रेलों का नियंत्रण बहुत कम होता है और कुछ कारणों पर नियंत्रण होता ही नहीं है। इनमें से पहला कारण परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता, समय-सारणी, लाइन क्षमता और टर्मिनल क्षमता संबंधी तंगियां, गाड़ियों के समय को पुन: निर्धारण करने हेतु अधिशेष स्टॉक की अनुपलब्धता आदि से संबंधित है और दूसरा कारण ग्रिड खराब होने, मवेशियों के कुचले जाने, जन आंदोलन, बंद, खराब मौसम (कोहरे सहित), शरारती तत्वों की गतिविधियां (खतरे की जंजीर खींचना आदि), कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं वाले क्षेत्रों में मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के आगे बिना समय सारणी के पायलट गाड़ियों के चलने आदि से संबंधित हैं। उक्त उल्लिखित कुछ कारणों से गाड़ियों के संचलन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, विशेषरूप से संतृप्त खंडों पर और इसके परिणामस्वरूप सभी बाद वाली गाड़ियों के संचलन में विलंब होता है।

चूंकि, अलग-अलग गाड़ी-वार ब्यौरा बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए समय पालन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के 2013-14 एवं 2012-13 (तालिका-1) के कारण-वार विश्लेषण तथा देरी से चलने वाली गाड़ियों का संक्षिप्त ब्यौरा और जून, 2014 (तालिका-2) में अवधि-वार विलंब का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

तालिका-1

कारण	2013-14		2012-13	
	समय पालन न करने वाली गाड़ियों की संख्या	समय पालन न करने वाली गाड़ियों का प्रतिशत	समय पालन न करने वाली गाड़ियों की संख्या	समय पालन न करने वाली गाड़ियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
रेलों के नियंत्रण के बाहर (खतरे की जंजीर खींचना, शरारती तत्वों की गतिविधियां, आंदोलन, दुर्घटनाओं सहित अप्रिय घटनाएं, खराब मौसम जैसे कोहरा, मवेशियों का कुचला जाना, कानून एवं व्यवस्था, समपार फाटक आदि)	26287	28.7	30503	29.2
परिसंपत्तियों की विफलता (डीज़ल/बिजली इंजन, कैरिज एवं वैगन, ओएचई/ग्रिड, इंजीनियरी, सिगनल एवं दूरसंचार, बिजली संबंधी दोष आदि से संबंधित विफलताएं)	16326	17.8	21625	20.7

1	2	3	4	5
उपर्युक्त के अलावा (लाइन क्षमता संबंधी तंगियां, परिसंपत्ति विफलता/यातायात बढ़ने के परिणामस्वरूप भीड़-भाड़, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण न होने के कारण, विद्युतीकरण हेतु ब्लॉकों का अनुरक्षण, इंटरलॉक का काम न करना, रेलपथ/पुल संबंधी मरम्मतें, नए निर्माण कार्य/निर्माण आदि शामिल हैं।	48887	53.4	52321	50.1

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2012-13 की तुलना में 2013-14 में दोनों श्रेणियों के कारणों में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 की तुलना में 2013-14 में समयपालन में सुधार आया है, जैसा की नीचे दिखाया गया है:

तालिका 1.1:

वर्ष	प्रतिदिन चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या	प्रतिदिन चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत	समयपालन की स्थिति (%)	समयपालन में सुधार का प्रतिशत
2011-12	1348	—	74.86	—
2012-13	1430	6.08	79.42	4.56
2013-14	1505	5.24	82.67	3.25

तालिका 2:

विलंब की अवधि मिनट में	60 मिनट से कम	60 मिनट से अधिक
विलंब से चलने वाली गाड़ियों को प्रति दिन चलने वाली कुल गाड़ियों से प्रतिशत	1%	15%

इनमें से विलंब से चलने वाली अधिकांश गाड़ियां अति संतृप्त और महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों से गुजरती हैं। इन खंडों पर गाड़ियां अत्यधिक विलंब से चलती हैं क्योंकि यात्री सेवाओं के लिए कोई समर्पित रेलपथ नहीं हैं और सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी होने से सामान्यत: गाड़ी परिचालन पर तत्काल प्रभाव पड़ता है और विशेषरूप से समय पर चलने वाली यात्री गाड़ियां अत्यधिक प्रभावित होती हैं।

(ग) और (घ) रेलें सामान्यत: गाड़ियों को समय पर चलाने को अत्यधिक प्राथमिकता देती हैं। भारतीय रेलों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) लगाई गई है जो यात्री गाड़ियों के समयपालन की ऑनलाइन निगरानी में सहायता करती है। इस मॉड्यूल में समयपालन विश्लेषण एवं निगरानी (पीएएम) और कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली (सीओआईएम) विद्यमान हैं जो सतत् रूप से गाड़ियों की निगरानी करती है जिससे क्षेत्रीय रेलें गाड़ी संचलन, देरी से चलने वाली गाड़ियों और देरी से चलने के कारण देरी से पहुंचने वाली गाड़ियों के विलंब को कम करने हेतु टर्मिनलों पर संसाधनों को जुटाने, पर्यवेक्षकों एवं लोको क्रू को प्रशिक्षण और परामर्श देने, समयपालन अभियान के जरिए फील्ड स्टाफ की मुस्तैदी की निगरानी आदि के प्राथमिकता निर्धारण में शीघ्र निर्णय ले सकती हैं।

भारतीय रेलों पर गाड़ी परिचालन में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। रुकावटों पर नियंत्रण लाने के उद्देश्य से, जिनके कारण गाड़ियां विलंब

से चलती हैं, ठोस कदम उठाए गए हैं जिनमें अति संतृप्त खंडों में दोहरीकरण, तीसरी/चौथी लाइन, अतिरिक्त लूप लाइन, प्लेटफार्मों जैसे अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों को पूरा करेन स्वचालित सिगनलों, पैनल इंटरलॉकिंग/आरआरआई इन्स्टालेशन जैसे उपायों से सिगनल प्रणाली में सुधार लाने, ब्लॉक कार्यप्रणाली के टोकन सिस्टम को टोकन सहित सिस्टम से बदलने, निर्बाध संचलन के लिए रेल विद्युतीकरण, मौजूदा समय-सारणी को युक्तिसंगत बनाने के लिए ठहरावों पर रुकने के समय पर विचार करना, अतिरिक्त ठहराव/गति प्रतिबंध/नए अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों आदि को समायोजित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों के बीच समय का समायोजन करना शामिल है। इसके अलावा, समपार फाटकों पर कम ऊंचाई वाले सबवे को बदलने के लिए संसाधन जुटाए जाते हैं और इन फाटकों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) और निचले सड़क पुल (आरयूबी) के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से उनकी सहमति प्राप्त की जाती है। इस दिशा में 162 दोहरीकरण परियोजनाएं सरकारों से उनकी सहमति प्राप्त की जाती है। इस दिशा में 162 दोहरीकरण परियोजनाएं (32708 करोड़ रुपए), 43 आमान परिवर्तन परियोजनाएं (19170 करोड़ रुपए) और 155 नई लाइन परियोजनाएं (122548 करोड़ रुपए) तथा नए टर्मिनलों के निर्माण, मौजूदा टर्मिनलों में विस्तार, बाईपास आदि जैसे 703 यातायात सुविधाओं संबंधी निर्माण कार्यों (5247 करोड़ रुपए) संबंधी परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं। इस प्रकार, इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से, जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, आने वाले समय में गाड़ी परिचालन और सुगम हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों का समय पर चलाना संभव हो पाएगा। इसके अलावा, पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों के परिचालन से मौजूदा मार्गों पर लाइन क्षमता संबंधी तंगियां दूर हो जाएगी तथा इनसे भारतीय रेलों पर समयपालन में और सुधार होने की संभावना है।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति

***159. श्री राकेश सिंह :**
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को मानक गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत संयंत्रों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में स्थित संयंत्रों में तथाकथित रूप से घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति के मामलों का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कोल कंपनियां ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के प्रावधानों के अनुसार सभी तापीय विद्युत संयंत्रों (पीपीपी) को कोयले की आपूर्ति कर रही हैं। एफएसए के मामले में, लदान केन्द्रों पर संयुक्त रूप से कोयले की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु विद्युत उपयोगिताओं को लदान केन्द्रों पर थर्ड पार्टी नमूनाकरण एवं विश्लेषण सुविधा दी जाती है और इस प्रकार विद्युत कंपनियों को उचित गुणवत्ता वाले कोयले का लदान सुनिश्चित किया जाता है। एफएसए के प्रावधानों के अनुसार, उपभोक्ता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में थर्ड पार्टी द्वारा नमूनाकरण एवं विश्लेषण के लिए लदान केन्द्रों पर यथा निर्धारित कोयले की गुणवत्ता के अनुसार उपभोक्ताओं को कोयला बिलों का भुगतान करना होता है। इसके अलावा, एफएसए प्रावधानों के अनुसार संयुक्त आकलन के पश्चात् उतराई केन्द्रों पर पृथक किए गए (+) 250 एमएम आकार के पत्थर/बोल्डरों के लिए विद्युत संयंत्रों को क्षतिपूर्ति की जाती है।

(ख) सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों को बड़े आकार के कोयले तथा पत्थर/बोल्डर मिश्रित कोयले के संबंध में विद्युत कंपनियों/टीपीपी तथा मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में विद्युत संयंत्रों सहित देश के अन्य उपभोक्ता इकाइयों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिससे भारतीय कोयला सीमा में विद्यमान विशिष्ट भूखनन परिस्थितियों तथा/अथवा कारकों के कारण इंकार नहीं किया जा सकता।

(ग) सीआईएल की सहायक कोयले कंपनियां कोयला सीमों में मौजूद बाहरी तत्वों को अलग करने तथा दूर करने के सभी प्रयास करती हैं। कोयला सीमों की जटिल प्रकृति को देखते हुए आपूर्ति किए जा रहे कच्चे कोयले के साथ कुछ बाहरी पदार्थों का मिश्रण हो सकता है जिसके लिए एफएसए में पत्थर क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है।

चूंकि, कोयला विषम प्रकृति का होता है, कोयला सीमों में अंतरनिहित राख की उपस्थिति को पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता। तथापि, कोयले में विद्यमान राख के अंश को कम करने तथा अशुद्धियों को दूर करने और तत्पश्चात् कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सीआईएल और उसकी सहायता कंपनियां चयनित खनन, सतही खनकों आदि के रूप में नई प्रौद्योगिकियां अपना रही हैं। सीआईएल

एवं उसकी सहायक कंपनियों द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं:–

(i) 1 मीटर से अधिक मोटाई के बेंडों का चयनित खनन।

(ii) सम्मिश्रण से बचने के लिए ओवर बर्डन तथा कोयला बेंचों की उपयुक्त अवस्थिति।

(iii) ब्लास्टिंग से पूर्व कोयला बेंचों की स्क्रेपिंग/सफाई।

(iv) कोयला लदान से पहले स्वचालित कन्वेयरों पर मेटल डिटेक्टरों/मेग्नेटिक सेपरेटरों की स्थापना।

(v) बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि के लिए आकारीकृत कोयले की आपूर्ति के लिए क्रशिंग व्यवस्था भी की गई है।

(vi) उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुकूल आकारीकृत तथा एक समान गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण हेतु उच्च क्षमता वाले कोयला रखरखाव संयंत्र वाली सभी प्रमुख परियोजनाएं।

(vii) नियमित गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं/सभी प्रमुख परियोजनाओं में बोम्ब कैलोरीमीटर की स्थापना।

(viii) संयुक्त नमूनाकरण में उपभोक्ता प्रतिनिधियों की भागीदारी और/अथवा कोयले का थर्ड पार्टी नमूनाकरण और विश्लेषण जिसके आधार पर उपभोक्ताओं को कोयले की कीमत के प्रति भुगतान के समायोजन की सुविधा दी गई है।

(ix) खनन प्रचालनों के दौरान कोयले की गुणवत्ता के महत्व और कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उसे कायम रखने की आवश्यकता के बारे में कोयले के उत्पादन से जुड़े कार्मिकों के लिए जागरुकता कार्यक्रमों/प्रशिक्षण देने की व्यवस्था।

(xi) खान मुहाने, स्टॉकों, साइडिंग तथा वैगनों से स्लेटी पत्थर, यदि कोई हो, की छंटनी।

(xi) नॉन-कोकिंग कोयले की मौजूदा क्षमता के अलावा, "निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव" के आधार पर वाशरियों में नॉन-कोकिंग कोयले के परिष्करण को योजनाबद्ध किया गया है।

इसके अलावा, सीआईएल द्वारा थर्ड पार्टी नमूनाकरण के लिए एक संशोधित मैकेनिज्म स्थापित किया जा रहा है ताकि इसे और अधिक पारदर्शी एवं उपभोक्ताओं के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके।

[अनुवाद]

जल-विद्युत परियोजनाएं

***160. श्री एन. क्रिष्टप्पा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में प्राकृतिक और मानवजनित दोनों प्रकार की अनेक बाधाएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कार्य अवधि विस्तार संबंधी कार्यों के कारण जल-विद्युत परियोजनाओं की प्रचालन समयावधि में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जल-विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) जल-विद्युत परियोजनाओं के दुर्गम क्षेत्र में होने तथा भूवैज्ञानिक अनिश्चितताओं के कारण उनके सामने कठिनाइयां, प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित दोनों प्रकार की, होती हैं। जल-विद्युत परियोजनाओं में आ रही प्रमुख प्राकृतिक आपादाएं, भूवैज्ञानिक अनिश्चितताएं, दुर्गम भू-भाग तथा खराब पहुंच मार्ग आदि हैं। प्रमुख मानवनिर्मित कठिनाइयां भूमि अधिग्रहण समस्याओं, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित स्थानीय आंदोलनों/विरोध आदि से संबंधित हैं।

निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं में सामने आ रही प्रमुख कठिनाइयों का परियोजना-वार ब्यौरा तथा सरकार/विकासकर्ता द्वारा इन्हें दूर किए जाने के लिए उठाए जा रहे कदम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं के जीवन विस्तार कार्यों से परियोजनाओं की प्रचालनात्मक समयावधि में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जिन जल विद्युत परियोजनाओं पर जीवन विस्तार संबंधी (एलई) कार्य पूरे किए जा चुके हैं, उनके परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) मौजूदा जल विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए देश में उत्पादन यूटिलिटियों नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य करती हैं जिससे जल-विद्युत संयंत्रों की क्षमता बढ़ जाती है तथा उनका जीवन विस्तार होता है।

विवरण-I

कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के सामने आने वाले मुख्य अवरोध

क्र. सं.	परियोजना/ निष्पादन एजेंसी का नाम	राज्य द्वारा चालू किए जाने की समय-सीमा (वास्तविक/अब अनुमानित)	गत्यावरोध/मुद्दे	सरकार/विकासकर्ता द्वारा उठाए गए कदम
1	2	3	4	5
क.	**12वीं योजना के दौरान लाभ हेतु जल क्षमता-निष्पादनाधीन**			
	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	पार्बती-II एनएचपीसी	**हिमाचल प्रदेश** **2009-10** 2016-17 (पिछड़ने की संभावना है)	– एचआरटी में खराब भूवैज्ञानिक स्थिति (टीबीएम-फेस)–ठेकेदार (मैसर्स एचजेवी) अपेक्षित प्रगति देने में सक्षम नहीं था।	– मैसर्स एचजेवी के साथ अनुबंध को 9.3.2012 को समाप्त कर दिया गया है और टीबीएम के भाग के लिए 13.8.2013 को मैसर्स गेम्मन-सीएमसी (जेवी) को तथा टीबीएम के भाग के लिए 21.11.2013 को मैसर्स वलेचा इंजीनियरिंग को पुन: सौंप दिया गया है।
2.	तपोवन विष्णुगाड एनटीपीसी	**उत्तराखंड** **2011-12** 2016-17 (पिछड़ने की संभावना है)	– मैसर्स पटेल एसईडब्ल्यू (बांध कार्य) और मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड (जीवा नाला कार्य) के साथ नकदी की कमी।	– एनएचपीसी बोर्ड ने अपनी 362वीं बैठक में खराब उपस्करों की मरम्मत और अतिरिक्त संसाधनों के उपयोग के लिए बीजी की तुलना में एलडी जारी करने/विलंब के लिए अनुमोदन किया है।
			– खुदाई के दौरान एचआरटी में भारी जल प्रवेश। एचआरटी में खराब भूवैज्ञानिक स्थिति के कारण टीबीएम 3 बार फंस गई।	– प्रत्येक बार तकनीकी समाधान खोज किए गए। कार्यान्वित किए गए।
			– एचआरटी पैकेज के लिए ठेकेदार प्रगति देने में सक्षम नहीं था।	– एचआरटी पैकेज के लिए अनुबंध को 9.1.14 को समाप्त किया गया। इसे अभी पुन: अवार्ड किया जाना है।
			– ठेकेदार (मैसर्स एसएसजेवी) के गैर-निष्पादन के कारण बैराज और डिसिलटिंग चैम्बर के पैकेज में असंतोषजनक प्रगति	– अनुबंध नवम्बर, 2010 में समाप्त हुआ और नयी संविदा 18.7.2012 को अवार्ड की गयी है।
			– जून, 2013 में आकस्मिक बाढ़ (उत्तराखंड आपदा)	– सरकार द्वारा ऋषिकेश से परियोजना तक राजमार्ग को पुनर्बहाल किया गया था और

1	2	3	4	5
				एनटीपीसी द्वारा परियोजना विशेष की पुनर्बहाली के कार्य किए गए।
3.	तीसरा लो डैम-IV एनएचपीसी	**पश्चिम बंगाल** **2009-10** 2015-16 (बेहतर प्रयास 2014-15 में: 40 मेगावाट)	– एनसीसी के साथ वित्तीय कमी के कारण दिनांक 20.3.2013 से सिविल कार्य रुके हुए हैं। – गोरखा जन मुक्ति मोर्चा आंदोलन।	– संविदा 20.5.14 को समाप्त की गयी। शेष कार्य मैसर्स एचसीसी के जोखिम एवं लागत पर शुरू किए जाने हैं।
4.	सुबानसिरी लोअर एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश असम **2010-11** 2016-18 (पिछड़ने की संभावना है)	– डाउनस्ट्रीम प्रभाव मूल्यांकन एवं मांग का मुद्दा तथा बांध विरोधी आन्दोलनकारियों द्वारा कार्यों को रोकने की मांग क्योंकि 16.12.2011 से आंदोलनकारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण कार्य रोक दिए गए हैं।	– दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और आंदोलनकारी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, बांध की सुरक्षा तथा डाउन स्ट्रीम प्रभाव से संबंधित तकनीकी मामलों पर चर्चा के लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 और 2 जून, 2014 को असम के विशेषज्ञ समूह तथा भारत सरकार के विशेषज्ञों के बीच दो बैठकों का आयोजन किया गया था। यह मामला निपटान के अंतिम चरण में है।
	राज्य क्षेत्र			
5.	कशांग-II और III एचपी	**हिमाचल प्रदेश** **2013-14** 2016-17	– लिप्पा ग्रामीणों द्वारा निरंतर आंदोलन के कारण कार्यों में विलंब हो रहा है।	– यह मामला न्यायाधीन है।
6.	न्यू उमटू एमईपीजीसीएल	**मेघालय** **2011-12** 2015-16	– विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं	– विकासकर्ता द्वारा तैयार किए गए संशोधित लागत अनुमान जो अनुमोदन के अधीन हैं। कार्यों के शीघ्र ही पुनः शुरू होने की संभावना है।
7.	लोअर जुराला टैंजको (पूर्व एपीजेनको)	**तेलंगाना** **2011-13** 2014-16	– रिकुलापल्ली ग्रामीणों द्वारा कार्यों को निरंतर रोके जाने के कारण कार्यों में रूकावट आई।	

1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र				
8.	सोरंग हिमाचल सोरंग पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**हिमाचल प्रदेश** **2013-14** 2015-16	– नवम्बर, 2013 माह में जल के भराव के दौरान पेनस्टाक की विफलता।	– विकासकर्त्ता द्वारा खोज किए गए तकनीकी समाधान और मरम्मत कार्य प्रगति पर है।
9.	फाटा ब्यूंग मैसर्स लैनको	**उत्तराखंड** **2013-14** 2016-17	– खराब भूवैज्ञानिक स्थिति। – जून, 2013 में तीव्र बाढ़ – बाढ़ के बाद कार्य अभी शुरू किए जाने हैं। – विकासकर्ता के साथ वित्तीय कठिनाइयां।	– विकासकर्त्ता शीर्घ ही पुनर्बहाली कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
10.	सिंगोली भटवारी मैसर्स एल एण्ड टी	**उत्तराखंड** **2015-16** 2016-17	– एचआरटी में खराब भूवैज्ञानिक स्थिति। – जून, 2013 में तीव्र बाढ़ (उत्तराखंड आपदा)। – विकासकर्ता के साथ वित्तीय कठिनाइयां।	– विकासकर्ता शीर्घ ही पुनर्बहाली कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
11.	महेश्वर एसएमएचपीसीएल	**मध्य प्रदेश** **2001-02** 2015-17 (बेहतर प्रयास 2014-15 में: 120 मेगावाट)	– नकद प्रवाह समस्या। – पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास मामले।	– सरकार कार्यों को पुनः शुरू करने के तरीकों की खोज कर रही है।
12.	तीस्ता-III तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल)	सिक्किम **2011-13** 2014-16	– पुल का टूटना। – सितम्बर, 2011 में सिक्कम में भूकम्प। – विकासकर्ता के साथ वित्तीय कठिनाइयां।	– भारी पैकेजों के परिवहन के लिए पुल का पुनः निर्माण
13.	तीस्ता-VI लैनको	सिक्किम **2012-13** 2016-17	– एचआरटी में खराब भूवैज्ञानिक स्थिति। – विकासकर्ता के साथ वित्तीय कठिनाइयां।	– प्रत्येक बार तकनीकी समाधान खोजा गया। कार्यान्वित किया गया।
ख.	**12वीं योजना के बाद लाभों के लिए जल क्षमता-निष्पादनाधीन**			
	केन्द्रीय क्षेत्र			
14.	लता तपोवन एनटीपीसी	**उत्तराखंड**	– जून, 2013 में तीव्र बाढ़ (उत्तराखंड आपदा)	– सरकार द्वारा ऋषिकेश से परियोजना तक के राजमार्ग को तैयार किया गया और

1	2	3	4	5
		2017-18 2018-19	– ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण बैराज और एचआरटी के कार्य अभी शुरू किए जाने हैं।	परियोजना विशेष की तैयारी का कार्य सरकार/विकासकर्ता द्वारा किया गया था।
			– निर्माण कार्य दिनांक 7.5.2014 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा रोक दिया गया था।	– यह मामला न्यायाधीन है।
	राज्य क्षेत्र			
15.	शांगटांग करचम एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**एचपी** **2017-18** 2017-18	– सेना द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के भीतर होने वाले निर्माण कार्यों के मामले में परियोजना के कुछ भाग का निर्माण प्रभावित हो रहा है।	– यह मामला न्यायाधीन है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरी की गई जीवन विस्तार योजनाओं की राज्य-वार सूची

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	परियोजना, एजेंसी	परियोजनाओं/ केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस)/ राज्य क्षेत्र (एसएस) की श्रेणी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट) में	अनुमानित लागत (अनंतिम) (करोड़ रुपए में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)	मेगावाट के रूप में लाभ	प्रचालनात्मक समयावधि में वृद्धि (जीवन विस्तार)	समाप्ति वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूरी हुई योजनाएं								
महाराष्ट्र								
1.	कोयना स्टेज-III, एमएसपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	4×80	16.65	5.79	3.20	20 वर्ष से अधिक	2011-12
मेघालय								
2.	उमियम स्टेज-II, एमईएसईबी	राज्य क्षेत्र	2×9	90.46	(31.03.12 की स्थिति के अनुसार)	18.00	35 वर्ष	2011-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओडिशा								
3.	रेंगाली यूनिट-1 ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	1×50	47.50	36.76 (30.06.12 की स्थिति के अनुसार)	50	20 वर्ष से अधिक	2012-13
4.	रेंगाली यूनिट-2 ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	1×50	25.2 (लगभग)	20.73	50	20 वर्ष से अधिक	2014-14
हिमाचल प्रदेश								
5.	बस्सी, एचपीएसईबी	राज्य क्षेत्र	4×16.5	119.83	155.42 (28.02.14 की स्थिति के अनुसार)	60	35 वर्ष	2013-14
	उप-जोड़					498		
चालू परियोजनाएं—कार्यान्वयन के अधीन								
जम्मू और कश्मीर								
6.	चेनानी, जेएण्डकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	5×4.66	34.94	7.09 (30.09.13 की स्थिति के अनुसार)	23.30	20 वर्ष से अधिक	2014-15
7.	गांदरबल, जेएण्डकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	2×3+ 2×4.5	34.65	9.51 (30.09.13 की स्थिति के अनुसार)	9.00	20 वर्ष से अधिक	2014-15
उत्तराखंड								
8.	पथरी, यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	3×6.8	113.25	49.05 (30.11.13 की स्थिति के अनुसार)	20.40	20 वर्ष से अधिक	2014-15
केरल								
9.	सबीरगिरी, केएसईबी यूनिट-4	राज्य क्षेत्र	1×60	52.2	49.79 (30.06.13 की स्थिति के अनुसार)	5	35 वर्ष	2014-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु								
10.	पेरियार, टेनपेडको	राज्य क्षेत्र	3×42+ 1×35	161.18	127.82 (31.03.14 की स्थिति के अनुसार)	140.00	20 वर्ष से अधिक	2014-15
पश्चिम बंगाल								
11.	जलढाका स्टेज-I, डब्ल्यूबीएसईबी	राज्य क्षेत्र	3×9	88.62	76.04 (30.09.13 की स्थिति के अनुसार)	27.00	20 वर्ष से अधिक	2014-15
असम								
12.	खानडोंग, नीपको	केन्द्रीय क्षेत्र	2×25	25.05	16.34 (31.03.13 की स्थिति के अनुसार)	50.00	20 वर्ष से अधिक	2014-15
					उप जोड़	274.7		
					योग	772.7		

संक्षिप्तीकरण एलई—जीवन विस्तार; एमडब्ल्यू—मेगावाट; सीएस—केन्द्रीय क्षेत्र; एसएस—राज्यक्षेत्र

[हिन्दी]

रक्षित खानों से कोल की आपूर्ति

985. **श्री शिवकुमार उदासि** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को अपनी ही रक्षित खानों से कोयले प्राप्त करने के लिए नियत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) एनटीपीसी की कैप्टिव खानों जैसे पकरी-बरवाडीह, चट्टी-बरियातु, केरनडारी, तलियापल्ली और दुलंगा कोयला ब्लॉकों से कोयला आपूर्ति दिसंबर, 2015 से जून, 2016 तक अपेक्षित है। यह कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, भूमि अधिग्रहण, संबंधी राज्यों द्वारा आर एंड आर योजना के अनुमोदन के अधीन है।

हाल ही में आबंटित कोयला ब्लॉकों नामत: छत्तीसगढ़ में बनानी और भालूमुडा और ओडिशा में चंद्राबीला और कुडनाली, लुबूरी में गवेषण गतिविधियों के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं।

[हिन्दी]

पोलावरम परियोजना

986. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से कितने व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार प्रभावित व्यक्तियों के सुचारू रूप से और पूर्ण पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन को सुकर बनाने के लिए कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठा रही है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 2005-06 के मूल्य स्तर पर 10151.04 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत संबंधी पोलावरम परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को दिनांक 25.02.2009 को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। दिनांक 04.01.2011 को संपन्न 108वीं बैठक में जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 2010-11 के मूल्य स्तर पर 16010.45 करोड़ रुपए की परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 25.10.2005 के पत्र संख्या जे-12011/74/2005-आईए.I के अनुसार पोलावरम परियोजना से कुल 193357 लोगों के प्रभावित होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने परियोजना निष्पादन और पर्यावरणीय, वन तथा पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन मानकों सहित सभी अपेक्षित स्वीकृतियों को प्राप्त करने हेतु पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) और इसके शासी निकाय का गठन किया है।

[हिन्दी]

जैव-डीजल को बढ़ावा देना

987. श्रीमती कमला पाटले : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में जैव-डीजल को बढ़ावा देने के किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2009 में अधिसूचित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ हाई स्पीड डीजल के साथ मिलाने के लिए बायो-डीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय नीति के अनुसार वर्ष 2017 तक बायो-डीजल मिश्रण के लिए सांकेतिक लक्ष्य 20% है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने दिनांक 1.1.2006 से प्रभावी एक बायो-डीजल खरीद नीति घोषित की है। इस नीति के अनुसार तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी), निर्धारित बीआईएस मानकों को पूरा करते हुए एक समान मूल्य पर, जैसा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, बायो-डीजल खरीदेगी। इस समय बायो-डीजल का घोषित मूल्य 45.00 रुपए प्रति लीटर है जो दिनांक 28.04.2014 से लागू है।

(ख) एमओपीएनजी ने सूचित किया है कि अभी तक घोषित मूल्य पर बायो-डीजल की कोई खरीद नहीं की गई है।

[अनुवाद]

राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारित करने हेतु मापदंड

988. श्री शिवकुमार उदासि : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारित करने संबंधी मापदंडों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य की मांगों का ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत का आवंटन

989. श्री रामसिंह राठवा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिमी जोन में केन्द्रीय विद्युत इकाइयों से राज्यों को आवंटित उनके विद्युत के हिस्से को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उन राज्यों को राज्य-वार कितनी विद्युत की कमी हो रही है; और

(ग) केन्द्र सरकार का किस प्रकार से इस कमी की पूर्ति करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विद्युत के आवंटित हिस्से को कम नहीं किया गया है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य

990. श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री बदरुद्दीन अजमल :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्रीमती कोथापल्ली गीता :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत आवासों के निर्माण और आवंटन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वास्तविक लक्ष्य क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित और आवंटित आवासों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) अब तक पहचान किये गये लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि इस योजना हेतु कुछ स्थानों पर पात्र लाभार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी सूची की समीक्षा करने और सूची में नये नामों को जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु निर्धारित मानकों का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किये जाने की संभावना है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को और ज्यादा धन आवंटित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि में अब तक प्रत्येक राज्य से जारी की गई और उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में आबंटित और निर्मित मकानों की संख्या का वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वास्तविक लक्ष्य भी दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों का निर्धारण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

(ग) अब तक ऐसा कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) वर्ष 2001 की रिट याचिका संख्या 196 में सर्वोच्च न्यायालय के 5 मई, 2003 के आदेशानुसार राज्य यदि चाहे, तो एक पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पात्र बीपीएल परिवारों को सूची में शामिल कर सकता है।

(ङ) और (च) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई क्योंकि आवश्यकतानुसार सूची में नाम जोड़े जाने/संशोधन किए जाने की प्रक्रिया जारी रहती है।

(छ) और (ज) जी, हां। इस प्रकार आईएवाई एक मांग आधारित योजना नहीं है। यह आवंटन पर आधारित है। ग्रामीण आवास की कमी को 75 प्रतिशत वेटेज और गरीबी अनुमान को 25 प्रतिशत वेटेज देते हुए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती है। 11वीं और 12वीं योजना अवधि में रिलीज और खर्च की गई राज्य-वार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में आईएवाई के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य और निर्मित मकान

(इकाई संख्या में)

क्र. सं.	राज्य	2014-15		2013-14		2012-13$		2011-15@	
		लक्ष्य	निर्मित मकान*	लक्ष्य	निर्मित मकान*	लक्ष्य	निर्मित मकान*	लक्ष्य	निर्मित मकान*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	145570	0	207313	206075	270399	250945	249013	249013
2.	अरुणाचल प्रदेश	2017	0	6870	454	8339	1611	7548	1400
3.	असम	183171	2448	138695	75103	184408	104725	166913	143770
4.	बिहार	280255	2659	605550	275869	816305	619577	737486	469885
5.	छत्तीसगढ़	42889	1390	48004	29895	41511	28344	37466	77485
6.	गोवा	586	0	1393	616	1714	28	1547	1087
7.	गुजरात	34105	1785	107880	37126	136470	69539	123168	111999
8.	हरियाणा	34771	836	18029	4532	19163	12764	17293	17282
9.	हिमाचल प्रदेश	4688	158	7064	6565	6271	6283	5659	6019
10.	जम्मू और कश्मीर	13484	0	15952	429	19476	5892	17578	9042
11.	झारखंड	49701	413	67153	46651	69503	64569	63477	117343
12.	कर्नाटक	94995	0	87816	92575	107210	109923	96760	26965
13.	केरल	59060	1834	45738	55996	59620	43607	53808	54499
14.	मध्य प्रदेश	115186	110	112936	47391	84358	100552	76135	98447
15.	महाराष्ट्र	188319	2455	137314	189602	167379	143725	151063	141479
16.	मणिपुर	4658	0	8011	416	7238	4555	6552	2956
17.	मेघालय	8433	56	13865	6374	12608	5356	11412	13147
18.	मिज़ोरम	1293	0	3661	521	2687	2308	2432	3227
19.	नागालैंड	1480	0	10439		8343	0	7552	13362
20.	ओडिशा	160610	958	128057	109844	155363	128868	142082	141398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	56750	0	19531	1417	23696	5881	21386	16622
22.	राजस्थान	101015	5344	85460	82446	68578	84022	61894	125642
23.	सिक्किम	1834	0	1436	798	1596	1410	1444	1805
24.	तमिलनाडु	53429	48	88436	69955	111410	42872	100553	91631
25.	त्रिपुरा	9550	0	13368	0	16245	0	14704	26529
26.	उत्तर प्रदेश	425299	727	297223	157012	368322	163301	332804	307012
27.	उत्तराखंड	11443	26	14012	2396	17162	13790	15488	15573
28.	पश्चिम बंगाल	432803	3520	185594	92071	219553	170909	199176	186224
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	867	0	2081	238	2646	415	2389	578
30.	दादरा और नगर हवेली	223	0	419	0	441	0	398	0
31.	दमन और दीव	60	0	162	0	197	2	178	0
32.	लक्षद्वीप	22	0	188	0	171	0	154	0
33.	पुदुचेरी	412	0	1065	0	1318	0	1190	0
	कुल	2518978	24777	2480715	1592367	3009700	2185773	2726702	2471421

*14.7.2014 की एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार।

विवरण-II

इंदिरा आवास योजना

11वीं और 12वीं योजना में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

(रुपए लाख में)

वर्ष	आबंटन			रिलीज			उपयोग	मकानों की संख्या	
	केंद्र	सदृश राज्य अंश	कुल	केंद्र	सदृश राज्य अंश	कुल		लक्षित	निर्मित/पूरे किए गए
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12)									
2007-08	403270	134148.6	537418.5	388237	129273.1	517510.1	546454.3	2127184	1992349

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
2008-09	564577	187807.7	752384.7	879579.4	293124.6	1172704	834834.3	2127165	2134061
2009-10	849470	263688.9	1113159	863574	268116.5	1131690	1329246	4052243	3385619
2010-11	1005370	312761.6	1318132	1013945	315577	1329522	1346573	2908697	2715453
2011-12	949120	294526.9	1243647	986477.8	305557.7	1292036	1292633	2726702	2471421
कुल	3771807	1192934	4964741	4131814	1311649	5443462	5349741	13941991	12698903
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17)									
2012-13	1051320	326301.6	1377622	785903.3	244155.8	1030059	1220683	3009700	2185773
2013-14	1333911	414268.9	1748180	1297001	81189.21	1378190	1057604	2480715	1592367
2014-15	1409955	436459.3	1846414	231978.5	77326.16	309304.6	57211.85	2518978	24777
कुल	3795186	1177030	4972216	2314883	402671.2	2717554	2335499	8009393	3802917

*14.7.2014 की एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार।

पूर्व की तरफ जाने वाली गाड़ियों के टर्मिनल को बढ़ाना

991. श्री कामाख्या प्रसाद तासा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का यात्रियों की सुविधा के लिए नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ी को आनंद विहार के स्थान पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक बढ़ाने तथा गुवाहाटी को जाने वाली गाड़ियों को ऊपरी असम से कामाख्या स्टेशन तक तथा निचले असम को जाने वाली गाड़ियों को नारेंगी/नई गुवाहाटी स्टेशन तक बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक कार्रवाई किये जाने का विचार है;

(ग) क्या रेलवे ने प्रस्तावित गुवाहाटी-हरमोटी, हरमोटी-लखीमपुर तथा रांगिया-हरमोटी गाड़ी को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गाड़ियों को कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ङ) ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित बोगीबुल पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति और इसे पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में, 12505/12506 गुवाहाटी—आनन्द विहार (टर्मिनल) नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ी को आनन्द विहार (टर्मिनल) के स्थान पर नई दिल्ली से चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, ऊपरी असम और निचले असम को आने/जाने वाली गाड़ियों को क्रमशः कामाख्या और नारेंगी/न्यू गुवाहाटी स्टेशनों पर/से चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। अंतरिम रेल बजट/रेल बजट, 2014-15 में, गुवाहाटी-हारमुती, हारमुती-लखीमपुर और रंगिया-हारमुती खंड पर निम्नलिखित गाड़ियां चलाने की घोषणा की गई है:—

(i) गुवाहाटी-नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस (दैनिक)

(ii) गुवाहाटी-मुर्कोंगसेलेक इंटरसिटी एक्सप्रेस (दैनिक)

(iii) रंगापाडा नॉर्थ-रंगिया पैसेंजर (दैनिक)

(iv) नई दिल्ली-नाहरलगुन एसी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(v) 55316/55614 डेकरगांव-हारमुती-नाहरलगुन पैसेंजर (07.04.2014 से शुरू कर दी गई है।)

रेल बजट में घोषित की गई गाड़ियां आमतौर पर उसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू कर दी जाती हैं।

(ङ) संपर्क लाइनों सहित बोगीबुल पुल का कार्य 4996 करोड़ रुपए की नवीनतम प्रत्याशित लागत के साथ शुरू किया गया है। मार्च, 2014 तक 3095 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और 2014-15 में 600 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है। इस परियोजना के मार्च, 2017 तक पूरे होने की संभावना है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

992. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में केन्द्रीय वक्फ परिषद् के साथ बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 के सभी उपबंधों को राज्यों द्वारा कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा उपबंधों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) जी, हां। केन्द्रीय वक्फ परिषद् (सीडब्ल्यूसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जिनमें सरकार का भी प्रतिनिधित्व रहता है। हाल ही में सीडब्ल्यूसी की बैठक 24.06.2014 को आयोजित की गई थी।

(ख) सीडब्ल्यूसी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सहयोग से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को सुग्राही बनाने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए राज्य वक्फ बोर्डों और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 06.11.2013 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके अलावा 29.01.2014 को आयोजित सम्मेलन के दौरान, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ-साथ राज्य प्रशासनों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों को पुन: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताओं के संबंध में सुग्राही बनाया गया था। सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्तर पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सचिव, अल्पसंख्यक कार्य स्तर पर राज्यों के मुख्य सचिवों को संशोधित अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा संशोधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वय के साथ-साथ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में पत्र भी जारी किए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को पत्र भी जारी करती रही है। सीडब्ल्यूसी राजय वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) को विभिन्न प्रपत्र, आदेश, परिपत्र, जारी करके उनके निष्पादन के बारे में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग भी कर रहा है। सभी राज्य सरकारों ने राज्य वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन, सर्वेक्षण आयुक्तों की नियुक्ति और वक्फ अधिकरणों की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा 1.85 लाख (एक लाख पचासी हजार) वक्फ संपदाओं की राज्य वक्फ बोर्डों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली (वामसी) में प्रविष्टि की गई है।

[अनुवाद]

पिछड़े जिले

993. श्री पी.के. बिजू : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य सहित देश के पिछड़े जिलों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ख) देश में पिछड़े जिलों के समग्र विकास हेतु कौन-कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) पंचायती राज मंत्रालय के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम (जिला घटक) के अंतर्गत (गोवा को छोड़कर) देश के 28 राज्यों में 272 चिन्हित पिछड़े जिले शामिल है। केरल राज्य सहित राज्य-वार पिछड़े जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित हो रहा बीआरजीएफ कार्यक्रम (जिला घटक) को 272 चिन्हित पिछड़े जिलों में विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। यह कार्यक्रम अभिचिन्हित जिलों में स्थानीय अवसंरचना एवं अन्य विकास संबंधी आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करने हेतु मौजूदा विकासात्मक अंर्तप्रवाहों के संपूरण के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। मंत्रालय में प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, इन निधियों को आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत घरों, सड़कों, पुलियों, पुलों, सामुदायिक केंद्रों, जल आपूर्ति आदि जैसी विकासात्मक गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाया गया है।

विवरण

242 बीआरजीएफ जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	जिले
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अनंतपुर
		2.	चित्तूर
		3.	चुड्डप्पा
		4.	विजियाना ग्राम
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.	ऊपर सबनसिरी
3.	असम	6.	बक्सा
		7.	बारपेटा
		8.	बोंगईगांव
		9.	कछार
		10.	चिरांग
		11.	धेमाजी
		12.	गोलपारा
		13.	हेलाकांडी
		14.	करबी अंगलॉग
		15.	कोकराझार
		16.	मोरेगांव
		17.	उत्तर कछार हिल्स
		18.	उत्तरी लखीमपुर
4.	बिहार	19.	अररिया
		20.	अरबल
		21.	औरंगाबाद
		22.	बांका
		23.	बेगूसराय
		24.	भागलपुर
		25.	भोजपुर
		26.	बक्सर
		27.	दरभंगा
		28.	गया
		29.	गोपालगंज
		30.	जमुई
		31.	जहानाबाद
		32.	कैमूर
		33.	कटिहार
		34.	खगड़िया
		35.	किशनगंज
		36.	लखीसराय
		37.	मधेपुरा
		38.	मधुबनी
		39.	मुंगेर
		40.	मुजफ्फरपुर
		41.	नालंदा
		42.	नवादा
		43.	पश्चिम चंपारण
		44.	पटना
		45.	पूर्वी चंपारण
		46.	पूर्णिया
		47.	रोहतास
		48.	सहरसा
		49.	समस्तीपुर

1	2	3	4
		50.	सारण
		51.	शेखपुरा
		52.	शिवहर
		53.	सितामढ़ी
		54.	शिवान
		55.	सुपौल
		56.	वैशाली
5.	छत्तीसगढ़	57.	बस्तर
		58.	बीजापुर
		59.	बिलासपुर
		60.	दांतेवाड़ा
		61.	धमतरी
		62.	जसपुर
		63.	कबीरधाम
		64.	कांकेर
		65.	कोर्बा
		66.	कोरिया
		67.	महासमुंद
		68.	नारायणपुर
		69.	रायगढ़
		70.	राजनंदगांव
		71.	सरगुजा
6.	गुजरात	72.	बनासकंठा
		73.	दाहोदा
		74.	डांग
		75.	नर्मदा
		76.	पंचमहल
		77.	साबरकंठा
7.	हरियाणा	78.	महेन्द्रगढ़
		49.	सिरसा
8.	हिमाचल प्रदेश	80.	चंबा
		81.	सिरमौर
9.	जम्मू और कश्मीर	82.	डोडा
		83.	किशतवार
		84.	कुपवाड़ा
		85.	पुंछ
		86.	रामबन
10.	झारखंड	87.	बोकारो
		88.	चतरा
		89.	देवघर
		90.	धनबाद
		91.	दुमका
		92.	गढ़वा
		93.	गिरिडीह
		94.	गोंडा
		95.	गुमला
		96.	हजारीबाग
		97.	जामतारा
		98.	कोडरमा
		99.	खुंटी
		100.	लातेहार
		101.	लोहरदगा

1	2	3	4
		102.	पाकुड़
		103.	पलामू
		104.	रामगढ़
		105.	रांची
		106.	साहिबगंज
		107.	सरायकेला खर्सवान
		108.	सिमडेगा
		109.	पश्चिम सिंहभूम
11.	कर्नाटक	110.	बीदर
		111.	चित्रदुर्ग
		112.	दावणगेरे
		113.	गुलबर्गा
		114.	रायचूर
		115.	यादगिर
12.	केरल	116.	पलक्काड
		117.	वायनाड
13.	मध्य प्रदेश	118.	अलीराजपुर
		119.	अनुपपुर
		120.	अशोकनगर
		121.	बालाघाट
		122.	बरवानी
		123.	बेतूल
		124.	बुरहानपुर
		125.	छतरपुर
		126.	छिंदवाड़ा
		127.	दामोह
		128.	धार
		129.	डिंडोरी
		130.	गुना
		131.	झाबुआ
		132.	कटनी
		133.	खंडवा
		134.	खरगोन
		135.	मांडला
		136.	पन्ना
		137.	राजगढ़
		138.	रीवा
		139.	सतना
		140.	शिवनी
		141.	शहडोल
		142.	शयोपुर
		143.	शिवपुरी
		144.	सिद्धी
		145.	सिंगरोली
		146.	टीकमगढ़
		147.	उमरिया
14.	महाराष्ट्र	148.	अहमदनगर
		149.	अमरावती
		150.	औरंगाबाद
		151.	भंडारा
		152.	चंद्रपुर
		153.	धूले

1	2	3	4
		154.	गढ़चिरौली
		155.	गोंदिया
		156.	हिंगोली
		157.	नांदेड
		158.	नंदुरबार
		159.	यवतमाल
15.	मणिपुर	160.	चंदेल
		161.	चूड़चंद्रपुर
		162.	तामेनलौंग
16.	मेघालय	163.	री-भाई
		164.	द. गारो हिल्स
		165.	प. गारो हिल्स
17.	मिज़ोरम	166.	लौंगत्लाई
		167.	स्याहा
18.	नागालैंड	168.	किपड़ी
		169.	लॉगलेंग
		170.	मॉन
		171.	त्वेनसांग
		172.	वोखा
19.	ओडिशा	173.	बरगढ़
		174.	बेलांगीर
		175.	बौध
		176.	देवगढ़
		177.	ढेंकनाल
		178.	गजपती
		179.	गंजम
		180.	झारसुगुडा
		181.	कालाहांडी
		182.	कंधामल
		183.	क्योंझर
		184.	कोरापुट
		185.	मलकानगिरी
		186.	मयूरभंज
		187.	नवरंगपुर
		188.	नुआपाड़ा
		189.	रायगोडा
		190.	संबलपुर
		191.	सोनपुर (सुबरनपुर)
		192.	सुंदरगढ़
20.	पंजाब	193.	होशियारपुर
21.	राजस्थान	194.	बांसवाड़ा
		195.	बाड़मेर
		196.	चित्तौड़गढ़
		197.	डूंगरपुर
		198.	जैसलमेर
		199.	जालौर
		200.	झालावाड़
		201.	करोली
		202.	प्रतापगढ़
		203.	सवाई माधोपुर

1	2	3	4
		204.	सिरोही
		205.	टोंक
		206.	उदयपुर
22.	सिक्किम	207.	उत्तरी जिला
23.	तमिलनाडु	208.	कुड्डलोर
		209.	डिंडीगुल
		210.	नागापट्टिनम
		211.	शिवगंगा
		212.	तिरूवन्नमलै
		213.	विल्लुपुरम
24.	तेलंगाना	214.	आदिलाबाद
		215.	करीमनगर
		216.	खंमम
		217.	महबूबनगर
		218.	मेढक
		219.	नालगौंडा
		220.	निजामाबाद
		221.	रेगारेड्डी
		222.	वारंगल
25.	त्रिपुरा	223.	धलाई
26.	उत्तर प्रदेश	224.	अंबेदकर नगर
		225.	आजमगढ़
		226.	बदायूं
		227.	बहराइंच
		228.	बलरामपुर

1	2	3	4
		229.	बांदा
		230.	बाराबंकी
		231.	बस्ती
		232.	चंदौली
		233.	चित्रकूट
		234.	एटा
		235.	फर्रूखाबाद
		236.	फतेहपुर
		237.	गोंडा
		238.	गोरखपुर
		239.	हमीरपुर
		240.	हरदोई
		241.	जालौन
		242.	जौनपुर
		243.	कांशीरामनगर
		244.	कौशाम्बी
		245.	कुशीनगर
		246.	लखीमपुर खिरी
		247.	ललितपुर
		248.	महाराजगंज
		249.	महोबा
		250.	मिर्जापुर
		251.	प्रतापगढ़
		252.	रायबरेली
		253.	संत कबीर नगर

1	2	3	4
		254.	श्रावस्ती
		255.	सिद्धार्थ नगर
		256.	सीतापुर
		257.	सोनभद्र
		258.	उन्नाव
27.	उत्तराखंड	259.	चमोली
		260.	चंपावत
		261.	टिहरी गढ़वाल
28.	पश्चिम बंगाल	262.	24 दक्षिण परगना
		263.	बांकुड़ा
		264.	बीरभूम
		265.	द. दिनाजपुर
		266.	उ. दिनाजपुर
		267.	जलपाईगुड़ी
		268.	माल्दा
		269.	मिदनापुर पूर्व
		270.	मिदनापुर पश्चिम
		271.	मुर्शिदाबाद
		272.	पुरूलिया

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

994. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीपीएल परिवारों के मुख्य अर्जक की मृत्यु के उपरांत उनके भरण-पोषण हेतु राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि केन्द्र द्वारा या राज्य सरकारों के माध्यम से सीधे प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्यों से इस संबंध में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) आज की तारीख तक कितने आवेदन स्वीकृत हुए, कितनी धनराशि प्रदान की गई और कितने आवेदन लंबित और अस्वीकृत किये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बीपीएल परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर ऐसे परिवारों को सहारा देने वाली राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) की समीक्षा वर्ष 2012 में की थी। समीक्षा के बाद इस योजना में किए गए संशोधन इस प्रकार हैं:—

- मुख्य जीविकोपार्जक परिवारों के ऐसे पुरुष/महिला सदस्य होंगे, जिनकी कमाई पारिवारिक आय का अधिकांश भाग हो।
- ऐसे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 से 58 वर्ष की आयु के बीच हुई हो।
- शोकसंतप्त परिवार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बीपीएल परिवार हो।
- मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर इस योजना के अंतर्गत 20,000 रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) सहित एनएसएपी के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें करती हैं। एनएफबीएस के अंतर्गत शोकसंतप्त बीपीएल परिवारों के निर्धारण और उन्हें सहायता राशि के भुगतान का कार्य राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन करते हैं।

(घ) और (ङ) एनएफबीएस के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन सीधे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को प्राप्त होते हैं, जो इन आवेदनों की जांच करके निर्धारित पात्रता की मानदंडों की पूर्ति करने वाले परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार संलग्न पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएफबीएस के अंतर्गत सहायता पाने वाले परिवारों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत सहायता पाने वाले परिवारों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		
		2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22369	58000	11300
2.	बिहार	36804	29446	21786
3.	छत्तीसगढ़	10471	11577	6485
4.	गोवा	569	एनआर	65
5.	गुजरात	3484	4936	2320
6.	हरियाणा	5668	2054	2290
7.	हिमाचल प्रदेश	1287	1807	1968
8.	जम्मू और कश्मीर	3000	770	एनआर
9.	झारखंड	9369	3036	6918
10.	कर्नाटक	18684	4592	16998
11.	केरल	1974	342	297
12.	मध्य प्रदेश	36648	37988	8687
13.	महाराष्ट्र	17000	36000	6113
14.	ओडिशा	14861	15000	24697
15.	पंजाब	519	213	एनआर
16.	राजस्थान	एनआर	एनआर	15170
17.	तमिलनाडु	13082	12415	12731
18.	उत्तर प्रदेश	94023	113653	81956
19.	उत्तराखंड	1908	2246	2490
20.	पश्चिम बंगाल	25099	33787	3375

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर राज्य				
21.	अरुणाचल प्रदेश	500	एनआर	एनआर
22.	असम	8830	10471	2906
23.	मणिपुर	एनआर	एनआर	673
24.	मेघालय	2000	2000	1074
25.	मिज़ोरम	365	197	197
26.	नागालैंड	600	650	650
27.	सिक्किम	56	63	एनआर
28.	त्रिपुरा	1900	1778	600
	उप-जोड़	331070	383021	231746
संघ राज्यक्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एनआर	50	47
30.	चंडीगढ़	80	एनआर	65
31.	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर
32.	दमन और दीव	एनआर	2700	एनआर
33.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1168	एनआर	एनआर
34.	लक्षद्वीप	एनआर	एनआर	एनआर
35.	पुदुचेरी	एनआर	2750	एनआर
	उप-जोड़	1248	5500	112
	कुल योग	332318	388521	231858

एनआर: असूचित

[हिन्दी]

सिंचाई हेतु धनराशि

995. श्री राजेश रंजन : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई हेतु सरकार द्वारा आवंटित धनराशि और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार सरकार को आवंटित और इसके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) XIवीं योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान बृहत व मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी निधियों का राज्य-वार व वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक एआईबीपी के अंतर्गत बिहार को चार एमएमआई परियोजनाओं नामत: पश्चिमी कोसी, सोन के आधुनिकीकरण, पुनपुन बैराज व कोसी बैराज के पुनरुद्धार तथा इसके संबद्ध कार्यों के लिए कुल 234.853 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ग्यारहवीं योजना अवधि (वर्ष-वार) के दौरान बिहार सरकार को निधियों का परियोजना-वार आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत सरकार द्वारा जारी निधियों का राज्य-वार व वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	XIवीं योजना जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	987.77	623.52	1300.73	22.79	256.13
2.	असम	15.19	83.25	12.00	49.50	46.96
3.	बिहार	58.69	74.85	77.91	23.40	0.00
4.	छत्तीसगढ़	37.39	42.02	44.85	43.01	22.25
5.	गोवा	32.48	39.23	20.25	20.00	20.25
6.	गुजरात	585.72	258.61	6.08	361.42	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	70.54	81.81	52.86	11.12	82.59
9.	जम्मू और कश्मीर	94.04	95.31	13.67	38.30	61.65
10.	झारखंड	9.22	3.72	0.00	11.24	335.54
11.	कर्नाटक	349.90	442.42	773.47	533.12	452.24
12.	केरल	0.00	0.90	3.81	10.02	0.00
13.	मध्य प्रदेश	386.20	418.91	585.37	456.19	262.18
14.	महाराष्ट्र	892.31	1535.76	1395.39	1812.91	1122.58
15.	मणिपुर	54.18	182.11	0.00	209.50	0.00

1	2	3	5	6	7	8
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	ओडिशा	609.49	705.10	826.24	563.83	614.95
18.	पंजाब	13.50	9.54	22.05	140.48	43.53
19.	राजस्थान	156.53	178.62	143.41	41.92	3.38
20.	त्रिपुरा	0.00	22.67	4.86	48.00	0.00
21.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	150.69	315.47	238.08	432.74	279.84
23.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	0.83	22.81	0.91	81.00	102.55
	कुल	4504.67	5136.64	5521.95	4910.48	3706.81

विवरण-II

बिहार का 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु एआईबीपी के अंतर्गत जारी अनुदान

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम/ ईआरएम	XIवीं योजना के दौरान जारी निधि						टिप्पणियां
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	XIवीं योजना के दौरान कुल	
1.	पश्चिमी कोसी	बृहत	21.820	32.130	0.000	23.400	0.000	77.350	निधि पूरी तरह उपयोग की गई
2.	सोन आधुनिकीकरण	ईआरएम	27.590	19.370	—	—	—	46.960	परियोजना पूरी हुई
3.	पुनपुन बैराज	बृहत	9.280	23.354	11.250	0.000	0.000	43.884	निधि पूरी तरह उपयोग की गई
4.	सिंचाई क्षमता सृजन को बनाए रखने हेतु कोसी बैराज तथा इससे संबद्ध का पुनरुद्धार	ईआरएम	—	—	66.663	0.000	—	66.663	परियोजना पूरी हुई
		कुल	58.690	74.854	77.913	23.400	0.000	234.857	

वृक्षों को रोपना

996. **डॉ. रामशंकर कठेरिया :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के कारण काटे गये वृक्षों के स्थान पर नए वृक्ष लगाने के बारे में सरकार के पास कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के परिणामस्वरूप कितने वृक्षों को काटा गया है और कितने वृक्ष लगाये गये हैं; और

(ग) सड़कों के निर्माण हेतु काटे गये वृक्षों के स्थान पर सरकार की नीति के अनुसार वृक्ष नहीं लगाने वाली सड़क निर्माण कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन/चौड़ीकरण करते समय विद्यमान पेड़ों को सामान्यत: सुरक्षित रखा जाता है तथा पेड़ों को किसी प्रकार से अंधाधुंध रूप से नहीं गिराया जाता है। सड़क के किनारे विद्यमान पेड़ जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं, को तत्काल हटा दिया जाता है तथा अत्यधिक यातायात लेन की मध्यम लाइन के 10 मीटर की सीमा में वैकल्पिक पेड़ रोपे जाने के पश्चात् पेड़ों को क्रम में हटाया जाता है। यह प्रक्रिया स्वीकृति प्राप्त होने संबंधी शर्तों का भी भाग है तथा पेड़ रोपने के लिए धनराशि संबंधित वन विभाग में जमा की जाती है। ऐसे मामलों में वन विभाग द्वारा पेड़ रोपे जाते हैं। तथापि, विभिन्न ठेकों के अंतर्गत कुछ मामलों में पेड़ रोपने का कार्य निर्माण कंपनियों को सौंपा जाता है; जिन्हें संगत ठेके/रियायत करार के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है।

[अनुवाद]

सबरीमाला हेतु विशेष रेलगाड़ी

997. **श्री जोस के. मणि :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 'सबरीमाला' सीजन के दौरान दक्षिणी रेलवे द्वारा शुरू की गई 'विशेष रेलगाड़ियों' का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस सीजन के दौरान अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है और 'साबरीमाला' सीजन (2011-12) की तुलना में अर्जित किये गये राजस्व में विकास दर कितनी है;

(ग) क्या ऐसी विशेष रेलगाड़ियों के शुरू होने से नियमित रेलगाड़ियों की समय-सारणी प्रभावित होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितने राजस्व की हानि हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) सबरीमाला सीजन के दौरान अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए दक्षिण रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष गाड़ियां चलाई गईं:—

2011-12	2012-13	2013-14
312	323	365

(ख) वर्ष 2013-14 में सबरीमाला स्पेशल गाड़ियों के जरिये उपार्जित राजस्व 13.33 करोड़ रुपए था जबकि 2011-12 में यह राशि 6.28 करोड़ रुपए थी अर्थात् इसमें 112% की वृद्धि हुई। बहरहाल, सबरीमाला सीजन के दौरान स्पेशल गाड़ियां चलाए जाने से मालगाड़ियां चलाने की क्षमता में कमी होती है और अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिए मालगाड़ी कर्मीदल की तैनाती के अलावा प्रतिदिन 3 मालगाड़ियों के मार्ग की हानि होती है। इससे मालगाड़ियों की अनावश्यक रुकौनी भी होती है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होती है, जो सबरीमाला स्पेशल गाड़ियां चलाने से होने वाली आमदनी की तुलना में काफी अधिक है।

(ग) जी, नहीं। निर्धारित गाड़ियों के मार्ग को प्रभावित किए बिना स्पेशल गाड़ियों की योजना बनाई जाती है। बहरहाल, स्पेशल गाड़ियां चलाए जाने से रेलपथ अनुरक्षण के लिए समय की उलपब्धता में कमी आती है परिणामस्वरूप खराबियों की संभाव्यता बढ़ जाती है, जिससे मौजूदा निर्धारित पैसेंजर गाड़ियां विलंबित हो जाती हैं और इससे मालगाड़ी परिचालन में विलंब होता है।

(घ) रेलवे द्वारा गाड़ी-वार हानि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

998. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजादी के बाद से देश में बिछाई गई रेल लाइनों की राज्य-वार कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या रेलवे संसाधनों का मूल्यांकन किये बगैर ही देश में परियोजनाओं की घोषणा करती रही है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में काफी विलंब होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/जा रहे हैं;

(घ) क्या रेलवे का पहाड़ी राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश में चालू/लंबित रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में बिछाई गई रेल लाइनों की लंबाई के ब्यौरे राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रेलों ने अपने नेटवर्क का विस्तार किया है और बड़ी संख्या में क्षमता संवर्द्धन संबंधी निर्माण संबंधी कार्यनिष्पादित किए हैं।

1951 से, नेटवर्क के विस्तार से संबंधित 55,000 किलोमीटर (जिनमें 15,076 किलोमीटर नई लाइन, 22,667 किलोमीटर आमान परिवर्तन और 17,871 किलोमीटर दोहरीकरण शामिल है) से अधिक के लम्बाई का कार्य पूरा किया गया है।

(ख) और (ग) यह सत्य है कि रेलों के पास चालू परियोजनाओं का भारी थ्रो-फॉरवर्ड है और उन्हें पूरा करने के लिए निधियों की उपलब्धता सीमित है। बहरहाल, जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए रेलवे ने जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकारों आदि से बड़ी संख्या में प्राप्त मांगों के आधार पर नई रेल परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश में पूर्णत:/आंशिक रूप से आने वाली चालू रेल परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये में)

परियोजना	नवीनतम प्रत्याशित लागत	मार्च, 2014 तक व्यय	2014-15 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	प्रगति
नंगल-तलवाड़ा नई लाइन (83.74 कि.मी.)	1036.78	365.84	20	नंगल डैम-अंब अंदौरा खंड (44 कि.मी.) का 55% यातायात के लिए खोल दिया गया है।
भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन (63.1 कि.मी.)	2966.98	40.74	10	5% (संरेखण का भू-तकनीकी अध्ययन शुरू कर दिया गया है)
चंडीगढ़-बद्दी नई लाइन (33.23 कि.मी.)	328.14	0.19	4	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

ये सभी परियोजनाएं निधियों की समग्र उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं।

नई रेलगाड़ियां

999. **श्री राहुल कस्वां :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर से गुवाहाटी 15623/15624 हेतु नई रेलगाड़ी के प्रचालन के लिए रेल बजट 2013-14 में घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी के प्रचालन नहीं होने के क्या कारण हैं तथा इस रेलगाड़ी को कब तक चलाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला द्वारा साप्ताहिक रेलगाड़ी संख्या 22481/22482 को दैनिक रेलगाड़ी बनाए जाने और इसे हरिद्वार तक बढ़ाए जाने तथा रांची से हरिद्वार के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। रेल बजट 2013-14 में 15623/15624 कामाख्या-जोधपुर एक्सप्रेस चलाने के बारे में घोषणा की गई है। बहरहाल, कोचिंग स्टॉक की अनुपलब्धता/रेल संरक्षा आयुक्त से आवश्यक स्वीकृति न मिलने के कारण यह गाड़ी नहीं चलाई जा सकी। इस गाड़ी को चलाने के संबंध में कोई निर्धारित तारीख नहीं बतायी जा सकती क्योंकि आवश्यक स्वीकृतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) से (ङ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण रांची और हरिद्वार के बीच गाड़ी चलाने, 22481/22482 जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर इसे सप्ताह में 2 दिन के स्थान पर प्रतिदिन चलाने और इसे हरिद्वार तक चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

शौचालयों का निर्माण

1000. श्रीमती पूनमबेन माडम : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के प्रावधान हेतु निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु संस्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि के संबंध में कोई लेखा-परीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) चूंकि, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का मांग चालित योजना है, अत: राज्य-वार कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में प्राप्त की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) चूंकि, कोई वार्षिक लक्ष्य नहीं हैं, अत: लक्ष्य के संबंध में कोई चूक नहीं है। तथापि, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में सुधार लाने की आवश्यकता है। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपने घरों में शौचालयों का निर्माण करने और उनका प्रयोग करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त नहीं है। लोगों के घरों में शौचालयों का निर्माण करने और लोगों द्वारा उनका प्रयोग करने से 'खुले में शौच करने की प्रथा को बंद करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु लोगों के व्यवहार के परिवर्तन लाने को प्रेरित किए जाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) एनबीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियां नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षिक (सीएजी) द्वारा पैनल में लिए गए सनदी लेखाकार द्वारा और स्वयं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा में अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वार्षिक लेखा परीक्षा, महा लेखा-परीक्षा निदेशक के कार्यालय द्वारा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने मई, 2014 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)/निर्मल भारत अभियान (एनबीए) की कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा प्रारम्भ की है, जो कि जारी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार योजना-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में प्राप्त की गई उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2012-13		2013-14		25014-15 (जून, 2014 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	लागू नहीं	384279	लागू नहीं	319403	लागू नहीं	14167
2.	अरुणाचल प्रदेश	लागू नहीं	5760	लागू नहीं	14433	लागू नहीं	2
3.	असम	लागू नहीं	273240	लागू नहीं	160602	लागू नहीं	1730

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	लागू नहीं	796699	लागू नहीं	161646	लागू नहीं	6315
5.	छत्तीसगढ़	लागू नहीं	52045	लागू नहीं	67457	लागू नहीं	1364
6.	दादरा और नगर हवेली	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	
7.	गोवा	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0
8.	गुजरात	लागू नहीं	171977	लागू नहीं	155268	लागू नहीं	13826
9.	हरियाणा	लागू नहीं	62949	लागू नहीं	116426	लागू नहीं	23627
10.	हिमाचल प्रदेश	लागू नहीं	5183	लागू नहीं	9170	लागू नहीं	584
11.	जम्मू और कश्मीर	लागू नहीं	71900	लागू नहीं	70884	लागू नहीं	0
12.	झारखंड	लागू नहीं	48500	लागू नहीं	76818	लागू नहीं	2650
13.	कर्नाटक	लागू नहीं	296429	लागू नहीं	505697	लागू नहीं	0
14.	केरल	लागू नहीं	5674	लागू नहीं	39601	लागू नहीं	514
15.	मध्य प्रदेश	लागू नहीं	558189	.लागू नहीं	515583	लागू नहीं	74766
16.	महाराष्ट्र	लागू नहीं	189306	लागू नहीं	559042	लागू नहीं	18820
17.	मणिपुर	लागू नहीं	43917	लागू नहीं	35442	लागू नहीं	1003
18.	मेघालय	लागू नहीं	14406	लागू नहीं	29012	लागू नहीं	638
19.	मिज़ोरम	लागू नहीं	4967	लागू नहीं	4524	लागू नहीं	0
20.	नागालैंड	लागू नहीं	22149	लागू नहीं	20102	लागू नहीं	0
21.	ओडिशा	लागू नहीं	118318	लागू नहीं	33759	लागू नहीं	2197
22.	पुदुचेरी	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	
23.	पंजाब	लागू नहीं	57421	लागू नहीं	3912	लागू नहीं	1
24.	राजस्थान	लागू नहीं	252800	लागू नहीं	266197	लागू नहीं	3897
25.	सिक्किम	लागू नहीं	0	लागू नहीं	3443	लागू नहीं	728
26.	तमिलनाडु	लागू नहीं	324216	लागू नहीं	313402	लागू नहीं	13820
27.	त्रिपुरा	लागू नहीं	7035	लागू नहीं	6077	लागू नहीं	0
28.	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	134873	लागू नहीं	789092	लागू नहीं	844
29.	उत्तराखंड	लागू नहीं	97815	लागू नहीं	91084	लागू नहीं	8924
30.	पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	559115	लागू नहीं	608218	लागू नहीं	29000
	कुल		4559162		4976294		219417

भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान

1001. डॉ. किरीट सोमैया : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में गैर-सरकारी संगठनों हेतु भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान (बीआरएलएफ) को वित्तपोषण एजेंसी बनाने के लिए इसके साथ कोई समझौता-ज्ञापन (एमओयू) किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीआरएलएफ में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अधिकतर सदस्य हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रतिष्ठान की संरचना तथा इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान सरकार ने बीआरएलएफ की स्थापना संबंधी पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय की समीक्षा करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई किये जाने की योजना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) सरकार ने बीआरएलएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के बेहतर जीवन और आजीविका के लिए सरकार के साथ भागीदारी में सिविल सोसाइटी कार्य को बढ़ाना और मदद करना है जिसमें इसके कार्य के शुरूआती वर्षों में महिलाओं विशेष रूप से केन्द्रीय भारतीय जनजाति क्षेत्र पर ध्यान देना है।

(ग) बीआरएलएफ की आम सभा के कुल आठ (60) सदस्यों में से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के निम्नलिखित चार (4) सदस्य हैं:—

1. डॉ. मिहिर शाह
2. सुश्री मिराय चटर्जी
3. सुश्री अनु आगा
4. प्रोफेसर विर्जीनियस झाझा

(घ) बीआरएलएफ में भारत सरकार, राज्य सरकारों, संस्थानों-वित्तीय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), लोकोपकारी संगठन, शिक्षण संस्थाएं, आर एंड डी, व्यापार एवं उद्योग और प्रतिष्ठित विद्वान सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। बीआरएलएफ का गठन इस प्रकार है और इसके सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:—

बीआरएलएफ की आम सभा (जीबी) में सदस्यता

श्रेणी	सदस्यों की संख्या
बीआरएलएफ का अध्यक्ष	1
बीआरएलएफ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य सचिव)	1
भारत सरकार	4
राज्य सरकार	9
प्रतिष्ठित विद्वान	30
संस्थान—वित्तीय	4
संस्थान—पीएसयू	2
संस्थान—लोकपकारी/शिक्षण/आरएण्डी	7
संस्थान—व्यापार/उद्योग	2

(ङ) और (च) बीआरएलएफ की स्थापना के निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान
आम सभा के सदस्य

श्रेणी	सदस्य का नाम
1	2
अध्यक्ष	डॉ. मिहिर शाह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य सचिव)	श्री जुल्फिकार हैदर
भारत सरकार	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
	संयुक्त सचिव (बीआरएलएफ प्रभारी), ग्रामीण विकास मंत्रालय

1	2
राज्य सरकार	मुख्य सचिव, झारखंड
	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़
	मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश
	मुख्य सचिव, ओडिशा
	मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल
	मुख्य सचिव, राजस्थान
	मुख्य सचिव, गुजरात
	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र
	मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश
प्रतिष्ठित व्यक्ति	प्रो. वर्जिनियस शाशा
	श्री गंगाराम पैंकरा
	डॉ. उर्मिला पिंगले
	श्री उदय नाथ माझी
	प्रो. विवेक भंडारी
	प्रो. सुदर्शन आयंगर
	डॉ. रानी बांग
	श्री प्रमाथेश अम्यष्ठ
	श्री एलोयसियस पी फर्नांडिज
	श्री तरुण दास
	सुश्री सुनीता नारायण
	डॉ. तुषार शाह
	श्री सी. राममनोहर रेड्डी
	सुश्री मिराइ चटर्जी
	श्री पी.वी. राजगोपाल
	प्रो. अमिता बविस्कर
	डॉ. महेश रंगराजन

1	2
	प्रो. अजय दांडेकर
	सुश्री सुनीला बसंत
	श्री निकोलस बारला
	श्री पवन गोयनका
	श्री एस. रामादोराई
	श्री शिवराज सिंह
	सुश्री नैना लाल किदवई
	श्री पी. साईनाथ
	सुश्री अनु आगा
	श्री विपुल मुदगल
	सुश्री ए.आर. वसावी
	श्री सुरिन्दर जोढका
	श्री अमित चंद्रा
वित्तीय संस्थाएं	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
	सुश्री अरुणधती भट्टाचार्य, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
	श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	सुश्री वी.आर. अय्यर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया
संस्थाएं—सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	श्री एस. नर्सिंग राव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड
	श्री चंद्रशेखर वर्मा, अध्यक्ष, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
संस्थाएं—जन हितैषी/ अकादमी/अनुसंधान और विकास	सुश्री कविता एन. रामदास, फोर्ड फाउंडेशन

1	2
	श्री ए.एन. सिंह, न्यासी और परामर्शदाता, सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट एंड एलाइड ट्रस्ट्स
	श्री फिरदौस जे गंडाविया, सचिव एवं मुख्य लेखापाल, सर रतन टाटा ट्रस्ट
	प्रो. एस. परसुरमन, निदेशक, टाटा इंस्टीच्युट ऑफ सोशल साइंसेज
	प्रो. जीमोल उन्नी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एक्सिस बैंक फाउंडेशन
	श्री राजीव लाल, कार्यपालक अध्यक्ष, आईडीएफसी फाउंडेशन
संस्थाएं—व्यापार/उद्योग	श्री एस. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ
	सुश्री नैना लाल किदवई, अध्यक्ष, फिक्की

रेलवे बाह्य एजेंसियां

1002. श्री प्रताप सिम्हा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रेलवे कार्गो और वस्तुओं के सम्भलाई करने वाली रेलवे बाह्य एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी एजेंसियों को काम पर रखने/चयन करने हेतु अपनाए गए मानकों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें काम पर रखने/चयन हेतु मुख्य शर्तें एवं निबंधन क्या हैं;

(ग) राज्य में काम पर रखे गये/चयनित ऐसी एजेंसियों को कितनी अवधि तथा किस तारीख से रखा गया है; और

(घ) ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राज्य में काम पर रखा जाना/चयनित करने का प्रस्ताव हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) इस समय, मंगलौर में 1985 में एक टाउन बुकिंग कार्यालय पार्सल यातायात की बुकिंग का कार्य संभाल रहा है।

(ख) भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली (आईआरसीएम) के पैरा 1705-1707 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके आउट एजेंसियों/सिटी बुकिंग एजेंसियों के कार्य संचालन के लिए ठेकेदारों का चुनाव किया जाता है। आउट एजेंसियों के चुनाव संबंधी शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण वित्तीय क्षमता, अनुभव, प्रशिक्षित जनशक्ति और यातायात की संभलाई के लिए ठेकेदार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किया जाता है।

(ग) ठेकेदार द्वारा असंतोषजनक सेवा की स्थिति में रद्द किए जाने की शर्त और रेल प्रशासन द्वारा नवीकरण के अध्यधीन ठेके सामान्यत: 3 से 5 वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अल्पसंख्यकों हेतु कल्याण योजनाएं

1003. श्री बी.वी. नाईक : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) और (ख) सरकार द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों के योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से VIII में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (17.07.2014 तक) के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आबंटन एवं प्रयुक्त निधि							
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	147406	191973	173418	301275	173418	334949	128178		राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	26.88	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	47.91	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	62.39	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	
2.	अरुणाचल प्रदेश	6521	0	7673	0	7673	0	5716			0.00						
3.	असम	166785	86159	196218	181267	196218	241967	144310			21.25		37.64		39.21		24.91
4.	बिहार	247875	193967	291618	80622	291618	65663	214215			29.01						
5.	छत्तीसगढ़	16845	12610	19818	18235	19818	20196	15529			2.93		4.33		4.87		1.76
6.	गोवा	8340	0	9812	0	9812	8319	7122			0.00				0.63		
7.	गुजरात	88842	0	104520	0	104520	355756	84764			0.00				37.87		14.21
8.	हरियाणा	43705	0	51418	50308	51418	15780	38510			2.03		3.15				
9.	हिमाचल प्रदेश	5115	5171	6018	3652	6018	3577	4301			0.52		0.58		0.70		
10.	जम्मू और कश्मीर	128026	250983	150618	225646	150618	113647	110621			31.44		28.25		17.43		
11.	झारखंड	88245	51082	103818	45878	103818	26694	76312			10.53		8.76		4.53		
12.	कर्नाटक	141457	426813	166418	416243	166418	404511	128489			49.05		42.89		43.40		22.66
13.	केरल	249731	696630	293800	944918	293800	884682	215670			52.77		71.58		6701		
14.	मध्य प्रदेश	78555	135932	92418	129672	92418	109507	76139			17.93		16.84		10.85		
15.	महाराष्ट्र	312187	701343	367276	788973	367276	785177	289706			54.72		58.73		56.49		
16.	मणिपुर	16753	9438	19708	32279	19708	13232	14476			1.19		11.09		4.64		

17.	मेघालय	31032	17781	36508	19945	36508	23825	26916			2.44		2.76		3.50		
18.	मिज़ोरम	15533	13485	18273	40615	18273	94745	13240			2.49		9.76		23.00		3.06
19.	नागालैंड	32901	10056	38708	18679	38708	25792	28364			2.07		4.00		6.24		6.43
20.	ओडिशा	30445	24553	35818	34673	35818	38611	26292			2.00		3.97		3.04		
21.	पंजाब	273917	296660	322258	266188	322258	353549	237666			29.23		51.92		70.44		
22.	राजस्थान	102186	148816	120218	199885	120218	280100	98228			10.14		22.56		31.66		
23.	सिक्किम	3633	3269	4274	4115	4274	3785	3067			0.61		0.73		0.71		0.71
24.	तमिलनाडु	130407	301278	153418	340647	153418	406324	113859			32.28		36.30		40.68		23.37
25.	त्रिपुरा	8221	1356	9673	3721	9673	7204	7100		राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.10	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.42	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.82	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	
26.	उत्तर प्रदेश	573086	971245	674218	1089486	674218	1262382	497684			148.11		204.25		259.35		70.81
27.	उत्तराखंड	22625	3103	26618	11907	26518	0	19732	28868		043		2.95				4.12
28.	पश्चिम बंगाल	377926	955205	444618	1165386	444618	1869161	327088			82.98		111.87		169.36		60.52
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1961	237	2309	277	2309	236	1694			0.03		0.05		0.05		
30.	चंडीगढ़	3446	4000	4054	0	4054	6721	2992			0.5,		0.50		0.75		
31.	दादरा और नगर हवेली	432	152	509	233	509	167	225			0.06		0.05		0.04		
32.	दमन और दीव	395	183	466	500	466	494	315			0.07		0.15		0.14		
33.	दिल्ली	42006	12732	49418	21759	49418	36096	38560			1.35		2.21		3.67		2.35
34.	लक्षद्वीप	1158	0	1364	0	1364	0	920			0.00						
35.	पुदुचेरी	2302	2345	2709	0	2709	1341	2000			0.30				0.23		
	कुल	3400000	5528557	4000000	6436984	4000000	7794190	3000000	28868	600.00	615.47	900.00	786.19	950.00	963.70	1100.00	234.90

*नवीनीकरण शामिल।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (17.07.2014 तक) के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आबंटन एवं प्रयुक्त निधि							
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	22761	20550	21345	26904	21345	19246	21345		राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	17.28	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	16.65	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	12.36	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1011	0	1150	0	1150	0	1150			0.00		0.00				
3.	असम	25753	6119	29600	19276	29600	27932	29600			4.46		12.06		19.17		
4.	बिहार	38276	42765	35897	26911	35897	34485	35897			25.49		7.90		18.20		
5.	छत्तीसगढ़	2601	1863	2449	2615	2449	2811	2449			1.57		2.30		1.52		
6.	गोवा	1299	187	1201	211	1201	124	1201			0.07		0.61				
7.	गुजरात	13723	15559	12851	20612	12851	32979	12851			7.78		11.19		17.75		
8.	हरियाणा	6748	575	6349	1373	6349	1509	6349			1.48		0.00		0.30		
9.	हिमाचल प्रदेश	789	517	749	424	749	353	749			0.20		0.31		0.06		
10.	जम्मू और कश्मीर	19767	28427	18544	10491	18544	25461	18544			14.15		6.10		15.74		
11.	झारखंड	13626	14418	12800	10112	12800	11581	12800			10.05		5.86		6.71		
12.	कर्नाटक	21842	65887	20493	33160	20493	51771	20493			24.85		18.07		29.39		
13.	केरल	38562	75220	36151	95379	36151	69643	36151			21.69		27.13		21.68		
14.	मध्य प्रदेश	12130	11138	11349	12343	11349	10863	11349			6.17		6.95		7.34		
15.	महाराष्ट्र	48157	48505	45189	42802	45189	60229	45189			31.06		26.20		38.72		
16.	मणिपुर	2595	0	3000	3619	3000	7853	3000			0.00		2.82		5.79		

17. मेघालय	4799	227	5500	223	5500	170	5500			0.19		0.19		0.10		
18. मिज़ोरम	2401	3417	2750	4329	2750	669	2750			3.43		4.32		1.52		
19. नागालैंड	5088	48	5851	90	5851	230	5851			0.04		0.07		0.20		
20. ओडिशा	4700	1114	4400	2143	4400	3380	4400			0.00		3.23		2.42		
21. पंजाब	42243	50928	39640	54403	39640	76577	39640			39.42		43.55		41.38		
22. राजस्थान	15778	19555	14800	23167	14800	33259	14800			12.77		15.35		22.97		
23. सिक्किम	564	549	651	565	651	310	651			0.40		0.40		0.21		
24. तमिलनाडु	20136	35484	18900	43525	18900	55152	18900			17.68		21.14		30.19		
25. त्रिपुरा	1273	376	1451	445	1451	665	1451		राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.12	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.44	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.42	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	
26. उत्तर प्रदेश	88491	138138	82950	193361	82950	165783	82950			74.81		36.72		129.90		
27. उत्तराखंड	3494	444	3300	540	3300	774	3300			0.19		1.64				
28. पश्चिम बंगाल	58356	118441	54790	125909	54790	195331	54790			46.87		56.95		90.87		
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	311	9	501	21	501	5	501			0.00		0.01		0.01		
30. चंडीगढ़	536	140	900	267	900	290	900			0.06		0.18		0.07		
31. दादरा और नगर हवेली	74	30	100	33	100	25	100			0.01		0.01		0.01		
32. दमन और दीव	77	29	100	52	100	26	100			0.03		0.05		0.02		
33. दिल्ली	6486	1061	3799	338	3799	680	3799			0.56		0.17		0.41		
34. लक्षद्वीप	190	0	300	0	300	0	300			0.00		0.00				
35. पुदुचेरी	363	230	200	0	200	301	200			0.10		0.00		0.12		
योग	525000	701950	500000	755643	500000	890467	500000	0	450.00	362.99	500.00	326.55	549.00	515.56	598.50	0.00

*नवीनीकरण शामिल।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (17.07.2014 तक) के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आबंटन एवं प्रयुक्त निधि							
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	867	1126	2601	1664	2601	1492	2601			3.09		4.58		4.25		
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	0	114	0	114	1	114			0.00		0.00		0.00		
3.	असम	981	1702	2943	2311	2943	3710	2943			4.94		6.52		10.69		
4.	बिहार	1458	3703	4374	4354	4374	6417	4374			9.98		12.01		17.86		
5.	छत्तीसगढ़	99	140	297	201	297	339	297	106		0.43		0.57		0.91		0.29
6.	गोवा	49	84	147	97	147	108	147	28	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.23	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.07	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.26	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.07
7.	गुजरात	523	941	1569	2016	1569	2607	1569			2.26		4.90		6.28		0.05
8.	हरियाणा	257	362	771	770	771	865	771			1.03		2.06		2.28		
9.	हिमाचल प्रदेश	30	36	90	86	90	153	90			0.12		0.25		0.45		
10.	जम्मू और कश्मीर	753	1614	2259	2936	2259	2317	2259			4.75		7.94		5.54		
11.	झारखंड	519	941	1557	1279	1557	1736	1557			2.70		3.41		4.90		
12.	कर्नाटक	832	2217	2496	3586	2496	5526	2496			5.99		9.43		14.63		
13.	केरल	1469	4661	4407	8627	4407	15602	4407	6449		13.12		24.20		40.11		18.29
14.	मध्य प्रदेश	462	843	1386	1725	1386	1347	1386			2.27		4.60		3.61		
15.	महाराष्ट्र	1840	3475	5520	4665	5520	7113	5520			9.27		12.20		18.43		
16.	मणिपुर	98	247	294	330	294	519	294			0.77		0.98		2.00		

17. मेघालय	182	305	546	412	546	706	546			0.95		1.25		2.13		
18. मिज़ोरम	91	145	273	85	273	97	273			0.39		0.23		0.36		
19. नागालैंड	193	399	579	689	579	1006	579			1.22		2.11		3.02		
20. ओडिशा	179	201	537	427	537	606	537			0.68		1.24		1.77		
21. पंजाब	1615	2774	4845	4859	4845	11231	4845			8.65		13.34		23.48		
22. राजस्थान	601	1187	1803	7519	1803	2769	1803			3.26		6.73		6.66		
23. सिक्किम	21	77	63	111	63	146	63					0.31		0.40		
24. तमिलनाडु	767	2390	2301	3225	2301	5149	2301	7		6.33		8.05		13.88		
25. त्रिपुरा	48	65	144	113	144	138	144		राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.18	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.35	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0.48	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	
26. उत्तर प्रदेश	3371	6634	10113	11647	10113	169472	10113			16.17		29.14		43.83		
27. उत्तराखंड	133	214	399	333	399	572	399			0.67		1.00		1.55		
28. पश्चिम बंगाल	2223	5539	6669	8440	6669	10506	6669			14.84		22.28		28.29		
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	7	33	7	33	9	33			0.04		0.01		0.03		
30. चंडीगढ़	20	18	60	21	60	32	60			0.12		0.11		0.14		
31. दादरा और नगर हवेली	2	0	6	0	6	0	6			0.00		0.00		0.00		
32. दमन और दीव	2	2	6	3	6	7	6			0.01		0.01		0.02		
33. दिल्ली	247	408	741	525	741	613	741			0.99		1.26		1.44		
34. लक्षद्वीप	6	0	18	0	18	0	18			0.00		0.00		0.00		
35. पुदुचेरी	13	19	39	33	39	47	39			0.05		0.07		0.13		
योग	20000	42476	60000	68096	60000	100428	60000	6590	140.00	115.72	220.00	181.21	270.00	259.84	335.00	18.70

*नवीनीकरण शामिल।

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् (2011-12 से 2014-15 तक) के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		वास्तविक लक्ष्य	छात्रों की संख्या	वास्तविक लक्ष्य	छात्रों की संख्या	वास्तविक लक्ष्य	छात्रों की संख्या	वास्तविक लक्ष्य	छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आबंटन नहीं	
2.	आंध्र प्रदेश		200		300		2260		2000
3.	अरुणाचल प्रदेश		0		0		0		
4.	असम		1100		150		200		30
5.	बिहार		1000		400		50		
6.	चंडीगढ़		0		0		80		
7.	छत्तीसगढ़		0		0		0		
8.	दादरा और नगर हवेली		0		0		0		
9.	दमन और दीव		0		0		0		
10.	दिल्ली		0		356		1057		50
11.	गोवा		0		50		0		
12.	गुजरात		0		125		150		50
13.	हरियाणा		200		100		150		
14.	हिमाचल प्रदेश		0		0		0		
15.	जम्मू और कश्मीर		500		150		190		
16.	झारखंड		500		0		90		
17.	कर्नाटक		500		100		550		100
18.	केरल		500		350		450		
19.	मध्य प्रदेश		150		500		590		
20.	महाराष्ट्र		200		320		430		100
21.	मणिपुर		0		700		200		
22.	मेघालय		0		0		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	मिज़ोरम		300		100		50		
24.	नागालैंड		0		50		0		
25.	ओडिशा		0		250		0		
26.	पंजाब		0		0		0		
27.	राजस्थान		350		250		490		100
28.	सिक्किम		0		0		0		
29.	तमिलनाडु	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं	50	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं	150	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं	100	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं	
30.	त्रिपुरा		100		0		0		
31.	उत्तर प्रदेश		930		1695		2110		450
32.	उत्तराखंड		50		120		100		30
33.	पश्चिम बंगाल		1200		500		700		
34.	लक्षद्वीप		0		0		0		
35.	पुदुचेरी		0		0		0		
	योग		7880		6716		9997		2910

विवरण-V

अल्पसंख्यकों हेतु कल्याण योजनाओं का ब्यौरा

(i) "नई रोशनी"

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	वास्तविक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2012-13	40000	36950	15.00	10.45
2013-14	40000	60875	15.00	11.96
2014-15	40000	-	15.00	-

(ii) "सीखों और कमाओं (Learn and Earn)"

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	वास्तविक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2013-14	17.00	17.00	20000	20,164

(iii) "जयो पारसी"

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2013-14	2.00	0.66	0.41

(iv) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)"

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	संवितरित लक्ष्य	एनएमडीएफसी की उपलब्धियां
2011-12	220.00	271.37
2012-13	300.00	370.77
2013-14	350.00	325.46
2014-15	400.00	52.30 (30.06.2014 तक)

*प्राधिकृत शेयर पूंजी नहीं बढ़ायी गई है।

योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, अत: राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। राज्य चैनेलाइजिंग-वार निधियां वितरित की जाती हैं और सावधि ऋण तथा लघु वित्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों के बारे में जानकारी अनुलग्नक-Vक और Vख पर संलग्न है।

विवरण-VI

सावधि ऋण योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा वितरित राशि और सहायता प्राप्त लाभार्थी

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
			वित्तीय राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थी	वित्तीय राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थी	वित्तीय राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थी	वित्तीय राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी								
2.	असम	एएमडीएसी								
3.	बिहार	बीएसएमएफसी	438.00	674						
4.	चंडीगढ़	सीएचएससीएफडीसीएल	7.00	11	7.00	7				
5.	छत्तीसगढ़	सीएसएसीएफडीसी			200.00	210				
6.	दिल्ली	डीएससीएसटीएफडीसी	10.20	16	8.50	9				
7.	गुजरात	जीबीसीडीसी	38.84	0	500.00	474				
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	120.00	185	183.60	160	350.00	368	50.00	53
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन								
		एमडीए			50.00	52				
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीडीसी								
		जेकेडब्ल्यूडीसी	466.00	717	100.00	105	1000.00	1053		
		जेकेईडी	500.00	769	800.00	842	500.00	526		
11.	झारखंड	जेएससीएसटीडीसी								
12.	केरल	केबीसीडीसी	3500.00	5384	3150.00	3316	2650.00	2789		
		केएससीएफएफडीसी	350.00	539	350.00	369	100.00	105		
		केएसडब्ल्यूडीसी	400.00	616	374.00	394	2050.00	2158		

		केएसएमएफडीसी								
13.	कर्नाटक	केएमडीसी					1850.00	1947		
14.	महाराष्ट्र	एमपीएचयूएलई	419.00	645	300.00	316				
15.	मणिपुर	एमटीडीसी								
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएमएफडीसी								
		एमपीएचडीसी								
17.	मिज़ोरम	एमसीएबी								
		जेडआईडीसीओ								
18.	नागालैंड	एनआईडीसी	600.00	923	500.00	527	400.00	422	100.00	105
		एनएचडीसी								
		एचएफएल								
		एनएसएसडब्ल्यूबी								
19.	ओडिशा	ओबीसीएफडीसी			200.00	211				
20.	पुदुचेरी	पीडीबीसीएमडीसी			300.00	316	150.00	158		
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	500.00	770	700.00	737	700.00	738		
22.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी	650.00	1000	1700.00	1790	4000.00	4211		
23.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ			1700.00	1790	600.00	632		
24.	त्रिपुरा	टीएससीडीसी	200.00	308	541.00	570	900.00	948		
25.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी								
26.	उत्तराखंड	यूएमएफडीसी			75.00	79				
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	3000.00	4615	6700.00	7054	5000.00	5263	5000.00	5263
		योग	11199.04	17172	18439.10	19328	20250.00	21318	5150.00	5421

विवरण-VII

लघु वित्त योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा आवंटित व वितरित राशि और सहायता प्राप्त लाभार्थी

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
			वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाथार्थी	वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाथार्थी	वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाथार्थी	वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाथार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी								
2.	असम	एएमडीएसी	124.00	689						
3.	बिहार	बीएसएमएफसी								
4.	चंडीगढ़	सीएचएससीएफडीसीएल								
5.	छत्तीसगढ़	सीएसएसीएफडीसी								
6.	दिल्ली	डीएससीएसटीएफडीसी								
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी			20.00	89				
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी								
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन								
		एमडीए			150.00	666	150.00	667	80.00	356
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीडीसी								
		जेकेडब्ल्यूडीसी	50.00	278						
		जेकेईडी								
11.	झारखंड	जेएससीएसटीडीसी								
12.	केरल	केबीसीडीसी	1000.00	5556	1300.00	5777	400.00	1778		
		केएससीएफएफडीसी	2300.00	12778	3000.00	13332	2000.00	8888		
		केएसडब्ल्यूडीसी	100.00	556			100.00	444		
		केएसएमएफडीसी								

13.	कर्नाटक	केएमडीसी								
14.	महाराष्ट्र	एमएए वीएम			300.00	1333				
15.	मणिपुर	एमओबीईडीएस								
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएमएफडीसी								
		एमपीएचडीसी								
17.	मिज़ोरम	एमसीएबी								
		जेडआईडीसीओ								
18.	नागालैंड	एनआईडीसी								
		एनएचडीसी			300.00	1333				
		एचएफएल								
		एनएसएसडब्ल्यूबी	100.00	556	200.00	889	96.00	427		
19.	ओडिशा	ओआरएससीएसटीएफडीसी	79.00	439						
20.	पुदुचेरी	पीबीसीएमडीसी					150.00	667		
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ								
22.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी								
23.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ			3300.00	14666	1400.00	6222		
24.	त्रिपुरा	टीएससीडीसी								
25.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी								
26.	उत्तराखंड	यूएमएफडीसी								
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	12150.00	67500	10100.00	44889	8000.00	35555		
		योग	15903.00	88352	18670.00	82974	12296.00	54648	80.00	356
		गैर-सरकारी संगठनों द्वारा	35.00	350	0.00		0.00		0.00	
		सकल योग	15938.00		18670.00		12296.00		80.00	

विवरण-VIII

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान			2012-13 सहित 12वीं योजना के दौरान		
		11वीं पंचवर्षीय निधियों का आबंटन	अनुमोदित परियोजनाएं	जारी निधि	2012-13 सहित 12वीं योजना के लिए कुल अनंतिम आबंटन	अनुमोदित परियोजनाएं	जारी निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	101570.00	100300.85	79012.30	111443.81	79079.01	49115.40
2.	पश्चिम बंगाल	68610.00	68579.68	61139.52	117869.06	91663.33	55731.28
3.	असम	70350.00	69275.35	46892.62	53462.03	1487.99	3628.69
4.	बिहार	52320.00	52280.58	40563.07	59284.43	27778.20	13715.77
5.	मणिपुर	13910.00	13912.58	12043.01	8317.00	1547.20	2582.23
6.	हरियाणा	4920.00	4919.90	4187.89	7929.00	2513.45	1905.17
7.	झारखंड	18140.00	17997.54	13944.70	24165.48	6571.22	4538.42
8.	उत्तराखंड	5950.00	5227.77	3235.84	5703.34	433.34	1283.00
9.	महाराष्ट्र	6000.00	5993.93	5671.69	8410.00	2170.00	1407.24
10.	कर्नाटक	3990.00	3914.40	3793.15	8183.65	5877.33	2191.89
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1500.00	1242.85	68.25	600.00	0.00	541.28
12.	ओडिशा	3130.00	3129.92	2562.21	10259.25	4235.69	2344.66
13.	मेघालय	3050.00	3047.65	3047.65	2365.66	2124.16	1056.19
14.	केरल	1500.00	1500.00	1462.92	3570.00	2766.12	1426.94
15.	मिज़ोरम	4590.00	3895.33	2724.93	1531.37	1396.21	1752.43
16.	जम्मू और कश्मीर	1500.00	1506.21	1349.61	2300.00	646.72	323.36
17.	दिल्ली	2210.00	2191.15	1099.73	1544.86	229.86	555.92
18.	मध्य प्रदेश	1500.00	1493.30	1398.30	2400.00	503.09	346.54

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	सिक्किम	1500.00	1268.59	1100.02	825.63	807.03	489.58
20.	अरुणाचल प्रदेश	11800.00	11711.70	8232.15	15607.52	12618.89	8984.40
21.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	12200.00	3311.41	1656.01
22.	त्रिपुरा	—	—	—	6000.00	3478.70	1722.78
23.	पंजाब	—	—	—	4637.00	2143.17	1085.81
24.	राजस्थान	—	—	—	9813.00	2280.32	506.45
25.	गुजरात	—	—	—	2141.00	0.00	0.00
26.	छत्तीसगढ़	—	—	—	2500.00	2009.46	1004.74
	योग	378040.00	373389.28	293529.56	483063.08	257671.89	159896.19

[हिन्दी]

ठोस कचरा से बिजली का उत्पादन

1004. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिजली की कमी को देखते हुए नगरपालिका के ठोस कचरे से बिजली का उत्पादन किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न जिलों, विभिन्न शहरों में ऐसी कितनी परियोजनाएं राज्य-वार चलाई जा रही हैं; और

(घ) नगरपालिका के ठोस कचरे से बिजली का उत्पादन करने के लिए केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (घ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नगर के ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए पांच पायलट परियोजनाओं की स्थापना करने सहित शहरी, औद्योगिकी और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। यह कार्यक्रम 2.00 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता जो प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपए तक सीमित है, प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजनाओं को उत्पाद शुल्क छूट और रियायती सीमा शुल्क भी प्रदान किए जा रहे हैं।

ओखला, नई दिल्ली में 16 मेगावाट क्षमता की केवल एक परियोजना प्रचालन में है तथा चार और परियोजनाएं [दिल्ली में (2)], हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) चालू की जा चुकी हैं।

महाराष्ट्र से रेल-भूमि के लिए निवेदन

1005. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को मध्य रेल के अंतर्गत आने वाली रेल-भूमि को हरित क्षेत्र परियोजनाओं अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराने के सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) को 7.73 एकड़ रेलवे भूमि 35 वर्षों के लिए पहले से ही पट्टे पर दे दी गई है और 20.12.2012 को एनटीसी द्वारा भूमि का आधिपत्य ले लिया गया था।

महाराष्ट्र में रेल लाइन

1006. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का महाराष्ट्र में सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, कुंतलगिरी, बीड, गेवरई, पैठण, औरंगाबाद, वेरूल, सिलौड से जलगांव बरास्ता अजंता खंड पर नई रेल-लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में आबंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (घ) तुलजापुर, उस्मानाबाद, कुंतलगिरि, बीड, पैठण, औरंगाबाद, वेरूल, सिलौड और अजंता गुफाओं को शामिल करते हुए सोलापुर से जलगांव (454 कि.मी.) तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इस लाइन की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर (-) 5.94% सहित 3,161 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और चालू परियोजनाओं के भारी बकाया, धनराशि की सीमित उपलब्धता और प्रतिस्पर्धात्मक प्राथमिकताओं के कारण इस परियोजना के संबंध में आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

घाटे में चल रही रेलगाड़ियां

1007. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को व्यावसायिक रूप से घाटे में चल रही रेलगाड़ियों की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागपुर से मुंबई के बीच चलने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 11401/11402 व्यावसायिक रूप से घाटे में होने के बावजूद भी चलाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो नंदीग्राम एक्सप्रेस के यात्रा मार्ग को विस्तारित करने सहित इसे लाभप्रद बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) गाड़ी-वार लाभप्रदता के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, रेलवे यात्री परिचालन के क्षेत्र में प्रतिवर्ष घाटा उठा रही है। वर्ष 2012-13 में यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं के कारण होने वाला घाटा 26,831.24 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) चूंकि गाड़ी-वार लाभप्रदाता के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं इसलिए, नागपुर-मुंबई के बीच चलने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस गाड़ी से होने वाले घाटे के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। 11401/11402 नागपुर-मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी है। फिलहाल इसका विस्तार करना वांछनीय नहीं है।

[अनुवाद]

पंजाब में राज्यीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में स्तरोन्नयन

1008. श्री रवनीत सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यीय सड़क मार्गों/राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में स्तरोन्नति करने/घोषित करने के लिए पंजाब सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अभी तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कुछ स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) विगत में पंजाब राज्य सरकार से 2700 किमी. राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सड़क सम्पर्कता, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजाब राज्य में लगभग 397 कि.मी. लम्बी सड़कों/मार्गों को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। राज्य सड़कों को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए न तो कोई धनराशि स्वीकृत की गई है और न ही कोई समय-सीमा निश्चित की गई है।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना

1009. श्री गणेश सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में निर्माणधीन सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है एवं प्रति कि.मी. सड़क निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय किया जा रहा है;

(घ) क्या सड़क निर्माण कार्य के ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 4 लेन वाली स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 4 महानगरों नामत: दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ रही है और यह पहले ही पूरी हो गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों, जिसमें उन पर आए खर्च भी शामिल हैं, की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) रियायतग्राही/ठेकेदारों की धीमी गति के कारण कुछ परियोजनाएं विलंबित हैं और ठेका करार के अनुसार उनमें तेजी लाने के उपाय किए गए हैं।

विवरण-I

निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या		
		एनएचएआई	राज्य पीडब्ल्यूओ	बीआरओ
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9	18	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	10	4
3.	असम	20	40	1
4.	बिहार	17	50	—
5.	चंडीगढ़	—	1	—
6.	छत्तीसगढ़	3	15	—
7.	दिल्ली	—	—	—
8.	गोवा	2	18	—
9.	गुजरात	10	40	—
10.	हरियाणा	12	12	—
11.	हिमाचल प्रदेश	1	24	—
12.	जम्मू और कश्मीर	4	—	3
13.	झारखंड	6	55	—
14.	कर्नाटक	13	44	—
15.	केरल	7	17	—
16.	मध्य प्रदेश	13	37	—
17.	महाराष्ट्र	22	31	—
18.	मणिपुर	—	1	2
19.	मेघालय	2	10	—
20.	मिज़ोरम	—	11	—
21.	नागालैंड	—	1	—
22.	ओडिशा	8	14	—
23.	पुदुचेरी	—	1	—
24.	पंजाब	5	9	—
25.	राजस्थान	28	30	—
26.	सिक्किम	—	2	17
27.	तमिलनाडु	15	35	—
28.	तेलंगाना	—	11	—

1	2	3	4	5
29.	त्रिपुरा	—	—	2
30.	उत्तर प्रदेश	25	33	—
31.	उत्तराखंड	4	62	5
32.	पश्चिम बंगाल	9	27	1
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	11	—

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की समग्र स्थिति (31.05.2014 की स्थिति के अनुसार)

	एनएचडीपी चरण	कुल लंबाई किमी.	अनुमोदित लागत (31.05.2014 तक) करोड़ रुपए में	पूरी की गई सड़क लंबाई किमी. में	कार्यान्वयनाधीन सड़क लंबाई किमी. में	ठेके पर सुपुर्दगी किमी. में
I	जीक्यू, एनएस-ईडब्ल्यू महामार्ग, बंदरगाह सड़क संपर्कता एवं अन्य	7,522*	30,300 (40755.31)	7518	4	—
II	उत्तर-दक्षिण-पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, अन्यों को 4/6 लेन का बनाना	6,647	34,339 (66046.67)	5787	496	370
IIIए	उन्नयन, 4/6-लेन का बनाना	4,815	33,069	3967	848	—
IIIबी	उन्नयन, 4/6-लेन का बनाना	7,294	47,557	2215	3394	1685
टोटल चरण-III (चरण-IIIए + IIIबी)		12,109	80,626 (80933.47)	6182	4242	1685
IV	पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	20,000	27,800** (6903.45)	660	6678	12662
V	जीक्यू तथा उच्च घनता महामार्ग को 6 लेन का बनाना	6,500	41,210 (28171.69)	1860	2220	2420
VI	एक्सप्रेसवे	1,000	16,680 (92.22)	शून्य	शून्य	1000
VII	रिंग रोड्स, बाइपास और फ्लाईओवर तथा अन्य संरचनाएं	700 किमी. रिंग रोड्स, बाइपास और फ्लाईओवर	16,680 (1612.08)	22	20	659

*चेन्नई - इन्नौर बंदरगाह सड़क संपर्कता की दो परियोजना (24 किमी.) को पुन: ठेके पर दिया गया है। इन दो परियोजनाओं को चरण-I के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं (6 किमी.) में मिला दिया गया। 24 किमी. तक की बढ़ी कुल लंबाई...! 14799 किमी. एनएचएआई को सौंप दिया गया और शेष 5201 किमी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास है।

**जुलाई, 2008 के अनुसार 5000 किमी. हेतु।

[अनुवाद]

'मनरेगा' के अंतर्गत अनियमितताएं

1010. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री भरत सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में विभिन्न अनियमितताएं/भ्रष्टाचार के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) मंत्रालय को 30.06.2014 तक मनरेगा के क्रियान्वयन के बारे में 1969 शिकायतें मिली हैं। राज्य सरकारों के परामर्श से तथा राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा कराई गई निष्पक्ष छान-बीन के माध्यम से इन सभी शिकायतों की जांच की गई है। जांच-पड़ताल के आधार पर राज्यों को जांच के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश देने के पश्चात् 316 शिकायतों पर कार्रवाई बंद कर दी गई है।

चार-लेनों वाली सड़कें बनाना

1011. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी राज्यों की राजधानियों को चार-लेन वाली सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के विषय में मानदंडों को शिथिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो शिमला से परवाणू तक चार लेन वाली सड़क की स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं से कितने लोगों के विस्थापित होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के चरण-III और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के पूरा होने के पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुछ को छोड़कर राज्य की अधिकतर राजधानियों को चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से सड़क संपर्कता प्राप्त हो जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क और पुल निर्माण कार्यों हेतु मंत्रालय की विशिष्टियों, भारतीय सड़क कांग्रेस की प्रक्रिया संहिता और समय-समय पर मंत्रालय द्वारा परिपत्रों के अनुसार किया जाता है। पर्वतीय सड़कों के लिए मानक और विशिष्टियां, मैदानी क्षेत्रों की सड़कों से भिन्न होती हैं।

(घ) यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के शिमला-परवानू खंड को इंजीनियरी, प्रापण निर्माण (इपीसी) पद्धति आधार पर चार लेन का बनाना शुरू किया जाए।

(ङ) उपर्युक्त परियोजना के लिए लगभग 650 संरचनाओं को गिराये जाने की संभावना है।

अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता

1012. श्री एंटो एंटोनी : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अल्पसंख्यकों के लिए सिविल सेवाओं की कोचिंग में लगे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों को आबंटित निधियों का राज्य-वार संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त संस्थानों से सिविल सेवा परीक्षाओं से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में कोई ब्यौरा रखती है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत, संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों, ट्रस्टों, कम्पनियों, दोनों सरकारी और निजी क्षेत्र में

कोचिंग/प्रशिक्षण क्रियाकलापों में शामिल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों सहित सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारी फर्मों को समूह-क, ख और ग सेवाओं में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं, जिसमें सिविल सेवाएं भी शामिल हैं, की कोचिंग के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रस्ताव खुले विज्ञापनों के माध्यम से मंगाए जाते हैं और निम्नलिखित मानदंडों का अनुसरण करते हुए पात्र संस्थानों का चयन किया जाता है:—

(i) अपेक्षित संख्या में योग्य संकाय सदस्य या तो इसके पे-रोल पर अथवा अंशकालिक आधार पर हों।

(ii) कोचिंग रक्षा/प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने के लिए जरूरी अवसंरचना जैसे स्थान, पुस्तकालय, आवश्यक उपकरणों आदि का होना।

(iii) संस्थान का संगत पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में कोचिंग/प्रशिक्षण देने का अनुभव होना चाहिए।

(iv) यदि वह पिछले वर्षों में कोचिंग प्रदान कर रहे थे तो उनकी सफलता दर न्यूनतम 15% होनी चाहिए।

(ख) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान सिविल सेवाओं हेतु जारी की गई राशि और संगठनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) से (घ) योजना के मानदंडों के अनुसार, चयनित संस्थानों को न्यूनतम 15% की सफलता दर सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। यदि सफलता दर प्राप्त नहीं की जाती है तो संबंधित संस्थान को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

विवरण

कोचिंग संस्थानों को आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्ष-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	राज्य		कोचिंग संस्थान का नाम एवं पता	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)
1	2		3	4
2011-12	उत्तर प्रदेश	1.	उत्कर्ष अकादमी, कानपुर	6.42
2012-13	बिहार	1.	एम. सर्वोदय सिविल सर्विसेज, पटना, बिहार	29.90
	दिल्ली	1.	कैरियर प्लस एजूकेशन सोसाईटी, करोल बाग, दिल्ली	6.40
		2.	कैरियर प्लस एजूकेशन सोसाईटी, मुखर्जी नगर, दिल्ली	6.49
	हरियाणा	1.	एक्सीलेंट सिविल अकादमी, करनाल/पानीपत	6.53
	केरल	1.	सेशन्स अकादमी, केरल	6.69
	मध्य प्रदेश	1.	कैरियर प्लस एजूकेश्नल सोसाईटी, रीवा	6.16
		2.	नवज्योति शिक्षा समिति, ग्वालियर	6.39
	उत्तर प्रदेश	1.	आईडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ	6.06
	उत्तराखंड	1.	कैरियर प्लस एजूकेश्नल सोसाईटी, हल्द्वानी, नैनीताल	4.77
2013-14	असम	1.	स्लिंगशोट सोल्यूशन्स, गुवाहाटी	7.31
	बिहार	1.	मिल्लत वेल्फेयर ट्रस्ट, पटना	7.73
	दिल्ली	1.	कैरियर प्लस एजूकेश्नल सोसाइटी, करोल बाग, दिल्ली	7.974
		2.	महेन्द्रा एजूकेश्नल प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी नगर	13.22

1	2		3	
		3.	कैरियर प्लस एजूकेश्नल सोसाइटी, मुखर्जी नगर	7.97
		4.	सचदेवा कॉलेज लिमिटेड, नई दिल्ली	7.00
		5.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंपटेटिव स्टडीज, मुनरिका	11.33
	हरियाणा	1.	एक्सीलेंट सिविल अकादमी, पानीपत	13.44
	जम्मू और कश्मीर	1.	एसेंट ग्रुप, श्री नगर	5.95
	झारखंड	1.	निर्मला एजूकेश्नल वेव, दुमका	6.07
	केरल	1.	अकादमी फॉर कंपटेटिव इक्सामिनेशन, मंजेरी	7.18
		2.	सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, पाला	9.04
		3.	इंटर डायोसेसन सेंटर फॉर ह्यूमन रिर्सोसेज डेवलपमेंट सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, पाला, केरल	7.18
	मध्य प्रदेश	1.	मां शारदा खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, रीवा	7.22
	तमिलनाडु	1.	अन्नाई वेलकन्नई एजूकेश्नल एंड कल्चरल सोसाइटी, चेन्नई	4.86
		2.	आजागीया कदम अरकटलई, मक्का मस्जिद, चेन्नई	7.82
	उत्तर प्रदेश	1.	आईडियल कोचिंग एवं वेल्फेयर सोसाइटी, लखनऊ	6.06
		2.	वसुधैव कुटूम्बकम, लखनऊ	6.40
	उत्तराखंड	1.	कैरियर प्लस एजूकेश्नल सोसाइटी, हल्द्वानी	4.38
2014-15	दिल्ली	1.	समर्पण फॉर एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, नियर आईआईटी गेट, नई दिल्ली	7.94
	उत्तर प्रदेश	1.	आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान, लखनऊ	7.01
	उत्तराखंड	2.	दि एकलव्य सिविल सर्विसेज अकादमी, देहरादून	6.52

स्टेशनों का सौंदर्यीकरण

1013. श्री कौशल किशोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के सुधार और सौंदर्यीकरण हेतु किए गए कार्यों का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान उत्तर प्रदेश के स्टेशनों के सुधार और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव करके इसे अनुमोदित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश के स्टेशनों पर धोने योग्य एप्रोनो का प्रावधान शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) स्टेशनों में सुधार और उनका सौंदर्यीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा नहीं रखा जाता। बहरहाल, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्टेशनों यथा अजगेन, अकबरपुर, आलमनगर, अलीगढ़, बहराइच, बरहनी, भरवारी, भूतेश्वर, विलबल,

चंदौली माजावर, चित्रकूट धाम, चोला, चोपान, दूधिनगर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गंजख्वाजा, गाजियाबाद, जौनपुर, जौनपुर सिटी, झांसी, खलीलाबाद, खालिसपुर, खेतसराय, खुर्जा, कोयरीपुर, कुसुम्भी, ललितपुर, लम्भुआ, लखनऊ, मंडुआडीह, मानिकपुर, मिर्जापुर, मुगलसराय, मुरीपुर, नैनी, उरई, फाफामऊ, फफराकुंड, पिपेरसदंद, पोखरायां, प्रतापगढ़, प्रयाग, रायबरेली, रेणुकूट, सहारनपुर, सईद राजा, शाहगंज, श्री कृष्ण नगर, सिराथु, सुल्तानपुर, तिकारिया, टुण्डला, वाराणसी कैंट और वृंदावन रोड में सुधार/सौंदर्यीकरण किया गया है।

(ख) और (ग) 2014-15 में उत्तर प्रदेश में दुल्लाहपुर, गाजीपुर सिटी, मंडुआडीह, सादत, सारनाथ, सूबेदार गंज और वाराणसी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में अभिवृद्धि संबंधी कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। उत्तर प्रदेश में आगरा कैंट, इलाहाबाद, इलाहाबाद सिटी, बलिया, बरेली, भटनी, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर अनवर गंज, कानपुर सेंट्रल, कासगंज, लखनऊ, मंडुआडीह, मथुरा, मेरठ कैंट, मुरादाबाद, मुगलसराय, नौतनवा, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सिकोहाबाद, सीतापुर और वाराणसी कैंट स्टेशनों पर पहले ही धुलनीय एप्रनों की व्यवस्था कर दी गई है।

आगरा फोर्ट, टूण्डला और वाराणसी सिटी स्टेशनों के लिए धुलनीय एप्रन स्वीकृत कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा कैंट, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर सेंट्रल, मथुरा और शिकोहाबाद स्टेशनों पर अतिरिक्त धुलनीय एप्रनों की व्यवस्था के कार्य भी स्वीकृत कर दिए गए हैं।

लंबित विद्युत परियोजनाएं

1014. श्री बदरुद्दीन अज़मल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिए जाने अथवा उसमें विलंब होने के कारण लंबित हो/पिछड़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित अन्य राज्यों की सरकार को पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) 20,948 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की तीस जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी), जिनके लिए सीईए द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पर्यावरण और वन स्वीकृतियों हेतु प्रतीक्षारत हैं। इनमें से कुल 17934 मेगावाट के सत्रह एचईपी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, एमओईएफ द्वारा स्वीकृति से संबंधित कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसलिए, कोई ताप विद्युत परियोजना एमओईएफ से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं प्रदान किए जाने के कारण लंबित/विलंबित नहीं है।

जहां तक पारेषण लाइन परियोजनाओं का संबंध है, तीन जिलों अर्थात् राजस्थान में अलवर और हरियाणा में गुड़गांव एवं मेवात को छोड़कर, इन्हें विभिन्न प्रदूषण कानून तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। एमओईएफ की दिनांक 29.11.1999 की अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ समिति को शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसलिए मामलों को एमओईएफ को अग्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हरियाणा में केवल एक पारेषण परियोजना लंबित है और इसका ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:—

क्र.सं.	परियोजना का नाम (स्थान)	राज्य सरकार में लंबित मामलों का संक्षिप्त विवरण
1.	झारखंड और पश्चिम बंगाल (भाग-ख) में चरण-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली 1. कानपुर-झटीकारा 765 केवी एस/सी लाइन हरियाणा के गुड़गांव/नूह-मेवात जिलों से होकर गुजर रही है।	प्रस्ताव 5.7.2013 को राज्य ससरकार को प्रस्तुत किया गया।

(ग) विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति की विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। एमओपी द्वारा स्वीकृतियों में शीघ्रता करने के लिए एमओईएफ के साथ नियमित अंतर-मंत्रालयी परामर्श और परस्पर बातचीत भी की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार के पास पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) है जिसके अंतर्गत राज्य/वितरण कंपनियों के वित्त पोषण की व्यवस्था की जाती है। यह कार्यक्रम हानि को निरंतर कम करने के लिए वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन, सटीक आधार लाइन आंकड़े एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकीय (आईटी) अपनाने पर केंद्रित है और ये किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने से पहले की आवश्यक पूर्व-शर्तें हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य सरकार को आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(i) आर-एपीडीआरपी के भाग-I के अंतर्गत, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और पुदुचेरी) के लिए 5347.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1412 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और अभी तक 2495.61 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

(ii) स्काडा के अंतर्गत 19 राज्यों के 72 नगरों के लिए भी 1601.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर परियोजनाएं स्वीकृति की गई हैं और 416.20 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

(iii) आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के अंतर्गत, 26 राज्यों के लिए 31139.48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1244 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 4272.03 करोड़ रुपए भी संवितरित किए गए हैं।

विवरण

सीईए द्वारा सहमति प्राप्त और एमओईएफ की पर्यावरण और वन स्वीकृति हेतु लंबित जलविद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	स्कीम/क्षेत्र	एजेंसी	संख्या× मेगावाट	आईसी (मेगावाट)	सीईए की सहमति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर						
1.	नया गंडरवाल	जेकेएसपीडीसी	3×31	93	10.06.2014	पर्यावरण स्वीकृत 27.09.2013 को प्राप्त। एफसी प्राप्त होनी शेष है।
हिमाचल प्रदेश						
2.	मियार निजी	एमएचपीसीएल	3×40	120	07.02.2013	पर्यावरण स्वीकृत 30.07.2012 को प्राप्त। चरण-I एफसी स्वीकृति 27.7.2012 को प्रदान की गई। चरण-II एफसी प्रतीक्षित।
3.	चांगों यांगथांग	एमपीसीएल	3×60	180	31.03.2014	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित।
उत्तराखंड						
4.	कोटलीभेल चरण-Iक केन्द्रीय	एनएचपीसी	3×65	195	03.10.2006 वैधता 27.11.2012 को 2.10.2014 तक आगे बढ़ायी गयी	पर्यावरण स्वीकृति 09.05.2007 को प्राप्त। चरण-I एफसी स्वीकृति 13.10.2011 को प्रदान की गई। चरण-II एफसी प्रतीक्षित।

1	2	3	4	5	6	7
5.	कोटलीभेल चरण-Iख केन्द्रीय	एनएचपीसी	4×80	320	31.10.2006 वैधता 23.11.2012 को 30.10.2014 तक आगे बढ़ायी गयी।	एमओईएफ ने एफसी देने से इंकार किया। पूर्व में 14.08.2007 को दी गई ईसी 22.11.2010 को वापस ले ली गई।
6.	कोटलीभेल चरण-II केन्द्रीय	एनएचपीसी	8×66.25	530	30.11.2006 वैधता 27.11.2012 को 29.11.2014 तक आगे बढ़ायी गयी।	ईसी 23.08.2007 को प्रदान किया गया। एफसी देने से इंकार किया।
7.	रूपसियाबगार खसियाबाड़ा केन्द्रीय	एनटीपीसी	3×87	261	16.10.2008	वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
8.	व्यासी/राज्य	यूजेवीएनएल	2×60	120	25.10.2011	7.9.2017 को ईसी प्राप्त और एफसी 21.10.1986 को प्राप्त। नई एफसी प्रतीक्षित।
9.	देवसारी/केंद्रीय	एसजेवीएनएल	3×84	252	07.08.2012	27.12.2011 को आयोजित ईएसी बैठक में ईसी के लिए सिफारिश की गई। औपचारिक पत्र एफसी के बाद जारी किया जाएगा।
छत्तीसगढ़						
10.	मतनार राज्य	सीएसपीसीपीएल	3×20	60	19.08.2014	एमओईएफ से स्वीकृति शेष है।
सिक्किम						
11.	तीस्ता चरण-IV केंद्रीय	एनएचपीसी	4×130	520	13.05.2010 वैधता 12.05.2015 तक आगे बढ़ायी गई।	ईसी 09.01.2014 को प्राप्त। चरण-I एफसी 26.02.2013 को प्राप्त। चरण-II एफसी प्रतीक्षित।
केरल						
12.	अथिरापिल्ली राज्य	केएसईबी	2×80+ 2×1.5	163	31.03.2005	परियोजना को पारिस्थितिकीय पहलुओं के अध्ययन के लिए फरवरी, 2010 में एमओईएफ द्वारा गठित किए गए वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्पर्ट पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) को एमओईएफ द्वारा संदर्भित किया गया था। डब्ल्यूजीईईपी ने एमईओएफ से सिफारिश की है कि अथिरापिल्ली वाजाचल क्षेत्र को यथास्थिति संरक्षित किया जाना चाहिए और

1	2	3	4	5	6	7
						अथिरापिल्ली में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए अनुमति नहीं दी जाए। केएसईबी ने डब्ल्यूजीईईपी की रिपोर्ट पर अपना दृष्टिकोण दिनांक 25.01.2012 को केरल सरकार को सम्प्रेषित किया। राज्य सरकार ने डब्ल्यूजीईईपी की संस्तुतियों पर अपनी प्रतिक्रिया डॉ. के. कारथ्रिरंगम, सदस्य (विज्ञान), योजना आयोग की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कार्य समूह को प्रस्तुत किया। कार्य समूह के सदस्य ने 18.01.2013 को स्थल का दौरा किया। इस दौर का परिणाम प्रतीक्षित है।
कर्नाटक						
13.	गुंदिया राज्य	केपीसीएल	1×200	200	25.04.2008	परियोजना को पारिस्थितिकीय पहलुओं के अध्ययन के लिए फरवरी, 2010 में एमओईएफ द्वारा गठित किए गए वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्पर्ट पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) को एमओईएफ द्वारा संदर्भित किया गया था। डब्ल्यूजीईईपी ने एमओईएफ को अपनी रिपोर्ट यह इंगित करते हुए प्रस्तुत की है कि एमओईएफ को इंडिया एचईपी के निर्माण की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि विविधता की हानि और पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण होंगे। एमओईएफ ने इस रिपोर्ट पर कर्नाटक सरकार की राय मांगी थी और इसे एमओईएफ को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। केंद्र ने डॉ. कस्तूरी रंगन, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रोड मैप तैयार करने हेतु किया है जो पर्यावरण को प्रभावित न करे। समिति ने 21.08.2012 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की और मांगे नए ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं। दिनांक 13.01.2013 को डॉ. कस्तूरी रंगन ने उच्च स्तरीय कार्य समूह के साथ परियोजना का दौरा किया। निदेशक, एमओईएफ ने 31.01.2013

1	2	3	4	5	6	7
						को कुछ और दौरे मांगे हैं। एचएलडब्ल्यूजी ने एमओईएफ को 15.04.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है और मंत्रालय ने एचएलडब्ल्यूजी की रिपोर्ट 19.10.2013 को स्वीकार की है। एमओईएफ ने 12.12.2013 को विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केपीसीएल ने एचएलडब्ल्यूजी के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर प्रतिष्ठित संस्थाओं से संपर्क करते हुए अध्ययन रिपोर्ट के लिए कार्रवाई शुरू की है। एमओईएफ को तद्नुसार 04.01.2014 को सूचित किया गया। एमओईएफ से ईसी प्रतीक्षित है।
मणिपुर						
14.	तिपाईमुख केंद्रीय	एनएचपीसी	6×250	1500	02.07.2003	ईसी का 24.10.2008 को अनुमोदित किया गया। एमओईएफ ने अपने 29.08.2013 के पत्र द्वारा मणिपुर में पड़ने वाली 22777.50 हैक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन की घोषणा की और दिनांक 26.09.2013 के पत्र द्वारा परियोजना के लिए मिज़ोरम में पड़ने वाली 1551.30 हैक्टेयर भूमि का डाइवर्जन निरस्त कर दिया है। परियोजना जेवीसी (एनएचपीसी 69%, एसजेवीएनएल-26%, मणिपुर सरकार-5%) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।
	लोकटक डी/एस केंद्रीय	एलडीएचसीएल	2×33	66	15.11.2006 सहमति 06.08.2012 को एनएचपीसी से एलएचडीसी को अंतरित की गई। सहमति की वैधता 24.01.2013 को 14.11.2014 तक आगे बढ़ाई गई	ईसी 16.01.2013 को अनुमोदित। चरण-I एफसी 03.03.2011 को प्रदान किया गया। चरण-II एफसी प्रतीक्षित।
अरुणाचल प्रदेश						
16.	दिबांग केंद्रीय	एनएचपीसी	12×205	3000	23.01.2008 सहमति की वैधता	एमओईएफ द्वारा ईसी एवं एफसी की स्वीकृति शेष है। एमओईएफ की एफएसी

1	2	3	4	5	6	7
					07.06.2012 को 22.02.2013 तक आगे बढ़ाई गई।	ने 12.07.2013 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान वन स्वीकृति को निरस्त करने की सिफारिश की थी। एमओईएफ की ईएसी ने 23.09.2013 को आयोजित बैठक में वनस्पति एवं जीव-जंतुओं, पर्यावरणीय प्रसार इत्यादि से संबंधित मुद्दे उठाए हैं।
17.	डिबिन निजी	केएसकेडी-एचपीएल	20×60	120	04.12.2009	ईसी 23.7.2012 को प्रदान किया गया। चरण-I एफसी 07.02.2012 को प्रदान किया गया। चरण-II एफसी प्रतीक्षित।
18.	लोअर सियांग निजी	जेएवीएल	9×300	2700	16.12.2010	एमओईएफ द्वारा स्वीकृति अभी शेष है।
19.	नियामजंग छू निजी	बीईएल	6×130	780	24.03.2011	ईसी 19.04.2012 को प्राप्त की गई। चरण-I एफसी 09.04.2012 को प्राप्त किया गया। चरण-II एफसी प्रतीक्षित।
20.	तवांग चरण-I केंद्रीय	एनएचपीसी	3×200	600	10.10.2011	पर्यावरणीय स्वीकृति 10.06.2011 को प्रदान की गई। वन स्वीकृति प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 21.08.2011 को एमओईएफ को अग्रेषित किया गया। एफसी प्रतीक्षित।
21.	टाटो-II निजी	टीएचपीपीएल	4×175	700	22.05.2012	पर्यावरणीय स्वीकृति 27.06.2011 को प्रदान की गई। वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
22.	तवांग चरण-II केंद्रीय	एनएचपीसी	4×200	800	22.09.2011	ईसी 10.06.2011 को प्रदान किया गया। एफसी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 28.08.2011 को एमओईएफ को अग्रेषित किया गया। एफसी प्रतीक्षित।
23.	हिरोंग निजी	जेएपीएल	4×125	500	10.04.2013	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित।
24.	इटालिन निजी	ईएचपीसीएल	10×307+ 1×19.6+ 1×7.4	3097	12.07.2013	3097 मेगावाट की संशोधित संस्थापित क्षमता के लिए ईसी स्वीकृति प्राप्त की जानी अभी शेष है। वन भूमि के डाइवर्जन के

1	2	3	4	5	6	7
						लिए एफसी प्रस्ताव विकासकर्ता द्वारा 10.11.2012 के पत्र द्वारा राज्य वन विभाग को प्रस्तुत किया गया था। स्वीकृति प्राप्त होनी अभी शेष है।
25.	तालोंग लोंदा निजी	जीएमआर	3×75	225	16.08.2013	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित।
26.	नैयिंग निजी	एनडीएससीपीएल	4×250	1000	11.09.2013	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित।
27.	सियोम	एसएचपीपीएल	6×166.67	1000	17.12.2013	एफसी प्रतीक्षित।
28.	कलाई-II	केपीपीएल	5×190+ 1×190+ 1×60	1200	08.01.2014* को सहमति बैठक आयोजित की गई।	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित।
मिज़ोरम						
29.	कोलोडाइन चरण-II केंद्रीय	एनटीपीसी	4×115	460	14.09.2011	26.07.2011 को संशोधित टीओआर प्रस्तुत किया गया। वन प्रस्ताव 20.12.2010 को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित।
नागालैंड						
30.	दिखू	एनएमपीपीएल	3×62	186	31.03.2014	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित।
	कुल: अखिल भारत			20948		

ईसी : पर्यावरण स्वीकृति

एफसी : वन स्वीकृति

जेवीसी : संयुक्त उद्यम कंपनी

(*) - अरुणाचल प्रदेश सरकार से एमओए दिनांक 2.9.2007 के पुनर्वैधीकरण और मैसर्स केपीपीएल तथा राज्य सरकार की इक्विटी भागीदारी से संबंधित पत्र के अभाव में सहमति पत्र जारी किया जाना अभी शेष है।

'मनरेगा' के अंतर्गत प्रगति

1015. प्रो. सौगत राय :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी निधि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत उक्त कार्य की सामाजिक संपरीक्षा अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकारों द्वारा ग्राम-सभाओं में की गई सामाजिक संपरीक्षा की समीक्षा करती है और यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में विगत एक वर्ष के दौरान अनियमितताएं पाई गई हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत भारी राशि व्यय करने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और जॉबकार्ड धारकों का जीवन-स्तर संतोषजनक नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस योजना की समीक्षा करने और इसके अंतर्गत स्थायी प्रकृति के कार्य को शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा रिलीज और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। मनरेगा के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा योजना की लेखा परीक्षा नियमावली 2011 के अंतर्गत अनिवार्य है।

(ग) सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों द्वारा बनाई गई सभी सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को एमआईएस (नरेगा सॉफ्ट) कार्यक्रम में डाला जाता है। निष्पादन, समीक्षा समिति बैठकों सहित विभिन्न बैठकों में मंत्रालयों राज्यों द्वारा संचालित सामाजिक लेखा परीक्षाओं की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, एसएयू द्वारा भेजी गई सभी सामाजिक लेखा रिपोर्टों को एमआईएस कार्यक्रम में अपलोड किया जाता है ताकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक छानबीन के लिए उपलब्ध हो सके।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन हेतु अध्ययनों और सर्वेक्षणों का संचालन करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को काम पर लगाया है। मनरेगा कार्यों के प्रभाव से संबंधित ऐसे अध्ययनों के कुछ मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं:—

(i) कृषि संबंधी मजदूरी में बढ़ोत्तरी और ग्रामीण गरीबों की मोल-भाव करने की शक्ति में इजाफा होना।

(ii) पर्यावरण अनुकूल कायों का सृजन।

(iii) मृदा क्षरण में कमी होना और मृदा जैविक तत्वों में वृद्धि।

(iv) भू-जल स्तर, कृषि संबंधी उत्पादों और फसलों के उत्पादन में सुधार करना।

(v) जल असुरक्षा सूचकांक, कृषि संबंधी असुरक्षा, आजीविका संबंधी आसुरक्षा में कमी।

(vi) पलायन के दबाव को कम करना।

मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत सृजित किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता और स्थायित्व को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिलीज और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	रिलीज की गई निधियां (केन्द्र + राज्य)				व्यय			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	210350.77	321673.59	508529.00	423580.70*	424587.75	512377.61	532191.38	104343.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	6147.00	7448.81	14302 67	578.00	95.07	5346.30	9435.59	130.13
3.	असम	48131.46	58155.53	66447.20	13378.80	74752.55	65153.18	70064.18	2653.96
4.	बिहार	130073.42	172611.87	178031.77	51341.00	132696.52	186045.15	201745.77	31909.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	181670.10	220301.53	166206.92	102699.46	204003.13	222177.87	206291.08	78093.91
6.	गुजरात	46902.66	62954.73	37032.04	18001.48	65904.91	61742.13	48904.92	20131.10
7.	हरियाणा	30840.16	38375.89	41510.18	3356.13	31283.54	38063.30	38397.54	5178.19
8.	हिमाचल प्रदेश	35708.62	41021.12	52588.60	11036.88	50952.11	49611.74	56902.25	9923.19
9.	जम्मू और कश्मीर	82613.57	83577.26	67249.82	14036.00	44367.05	85334.76	73946.79	3485.36
10.	झारखंड	133733.08	92916.84	68601.61	30507.78	116966.50	115236.20	91256.02	29793.56
11.	कर्नाटक	82162.49	143792.63	186110.30	48957.40	162226.88	144839.11	209646.76	48665.50
12.	केरल	97615.68	133219.84	129223.73	51095.18	104807.84	141655.91	130331.40	46476.30
13.	मध्य प्रदेश	330500.86	189216.09	208153.88	153402.12	341037.76	31107871	264258.17	135496.52
14.	महाराष्ट्र	122033.51	214905.33	129792.02	42611.10	160150.33	217029.49	127626.66	4481.89
15.	मणिपुर	64795.73	65073.02	27793.45	12944.45	29517.02	60008.08	25474.73	1935.71
16.	मेघालय	31333.00	23873.94	29842.08	9384.17	29869.34	26589.99	31568.46	2133.42
17.	मिज़ोरम	35368.59	28258.17	38483.86	1176.00	23067.60	29038.56	25823.26	0.00
18.	नागालैंड	67346.57	46012.38	31814.80	8457.30	56340.02	42828.63	29220.42	897.40
19.	ओडिशा	111044.84	98346.49	109952.84	44775.48	103908.48	117766.95	128969.24	45610.22
20.	पंजाब	13315.70	12934.89	24752.63	13001.46	15980.62	15769.05	26235.57	11960.32
21.	राजस्थान	181429.60	285572.83	235933.96	120190.30	315659.87	327154.86	261105.97	127601.25
22.	सिक्किम	10079.77	7706.51	11184.17	622.46	4824.04	8134.02	11039.90	87.34
23.	तमिलनाडु	316227.22	384505.42	480046.12	96235.00	292319.52	412128.79	394057.75	147715.36
24.	तेलंगाना	—	—	—	—	—	—	—	63482.30
25.	त्रिपुरा	99475.29	129672.69	110738.00	14873.96	94251.93	97102.33	107489.30	5014.38
26.	उत्तर प्रदेश	471159.00	144147.63	321824.51	25871.80	501625.32	266529.58	341293.54	49247.99
27.	उत्तराखंड	41182.12	29990.83	38813.42	8073.04	38829.94	31185.98	38058.75	2682.64
28.	पश्चिम बंगाल	283876.84	389281.37	355058.79	178299.70	283702.16	385087.63	371465.97	162014.12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1643.85	1381.89	1918.10	480.63	1597.28	1300.10	1048.60	28.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	दादरा और नगर हवेली	100.00	39.56	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	गोवा	321.32	277.66	260.05	0.00	698.30	144.81	295.04	70.40
33.	लक्षद्वीप	100.00	161.85	18.62	45.06	241.28	152.74	70.72	4.71
34.	पुदुचेरी	100.00	1335.75	1379.98	455.00	1017.56	1215.16	1136.95	16.10
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	3267383.12	3428743.54	3673595.12	1499467.84	3707282.22	3977828.72	3855352.68	1181264.31

*तेलंगाना को रिलीज की गई निधियां शामिल हैं।

एनआर = असूचित

गुजरात अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को ऋण

1016. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के बकाया ऋण पर ब्याज राशि को माफ करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त ऋण गुजरात में वर्ष 2001 के भूकंप और वर्ष 2002 के सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लाभार्थियों को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार न किए जाने के क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) से (घ) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (जीएमएफडीसी) के बकाया ऋण पर ब्याज राशि को माफ करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (एनएमडीएफसी) ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त ऋण का अधिकांश भाग 2001 में आये भूकंप और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों द्वारा प्रभावित हुए लाभार्थियों, को दिया गया था, जीएमएफडीसी/राज्य सरकार से आगे विचार करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लाभार्थी-वार ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। इस मामले पर जीएमएफडीसी के प्रबंध निदेशक के साथ 01.03.2013 को आयोजित समीक्षा बैठक में पुन: विचार-विमर्श किया गया था और उनसे ऋण माफी पर विचारार्थ अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। उक्त ब्यौरे जीएमएफडीसी से प्राप्त नहीं हुए है।

[हिन्दी]

ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

1017. श्रीमती सकुंतला लागुरी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का करने का कार्य जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (घ)

जी, हां। ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के 5 कार्य चल रहे हैं। इनमें से दो कार्य विलंबित हैं। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कार्यों का ब्यौरा और विलंब के कारणों का ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्र.सं.	कार्य का नाम	विलंब के कारण
1.	रारा-203 के भुबनेश्वर — पुरी खंड किमी. 0.000 से किमी. 67.255 को 4 लेन का बनाना	नकद प्रवाह समस्या, पुरी बाइपास के भूमि अधिग्रहण पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे और क्षतिपूर्ति के संवितरण में विलंब की वजह से रियायतग्राही द्वारा धीमी प्रगति।
2.	रारा-215 के रिमूली — राजमुंद्रा खंड किमी. 163.000 से किमी. 269.00 को 4 लेन का बनाना	कोर्ट केस की वजह से वन भूमि दिक्परिवर्तन प्रस्ताव में विलंब के कारण लगभग 40 किमी. की लंबाई में परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई है जिसके परिणामस्वरूप बैंकरों द्वारा प्रतिबद्ध ऋण का गैर-संवितरण और क्षतिपूर्ति के संवितरण में विलंब भी हुआ है।
3.	रारा-6 के संबलपुर — बारगढ़ — छत्तीसगढ़/ओडिशा सीमा किमी. 0.000 से किमी. 88.000 को 4 लेन का बनाना	लागू नहीं।
4.	रारा-215 के पानीकोइली — क्योंझर — रिमूली खंड किमी. 0.000 से किमी. 163.000 को 4 लेन का बनाना	लागू नहीं।
5.	रारा-200 के किमी. 68.000 से किमी. 72.000 को 4 लेन का बनाना	कार्य दिनांक 01.07.2014 को शुरू हुआ।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों को केन्द्रीय सहायता

1018. मोहम्मद फैज़ल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के राज्य विद्युत बोर्डों को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न बोर्डों को हुई हानि को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बोर्ड-वार क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने देश में वितरण क्षेत्र की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने तथा विद्युत वितरण यूटिलिटियों की हानियों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में वितरण को सुधारने और विद्युत वितरण कंपनियों की हानियां को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उपाय

आर-एपीडीआरपी

देश में एकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां कम करने और राज्य यूटिलिटियों के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए, भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) की शुरुआत की है। आर-एपीडीआरपी का ध्यान परियोजना क्षेत्रों में सतत् एटी एंड सी हानि में कमी लाने के संबंध में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केंद्रित है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो भागों में शुरू की गई हैं। स्कीम का भाग (क) बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखांकन/लेखा

परीक्षा तथा सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण (स्काडा) हेतु आईटी समर्थित प्रणाली की स्थापना के लिए है जबकि भाग (ख) परियोजना शहरों में वैद्युत अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए है।

यूटिलिटियों की रेटिंग

राज्य वितरण यूटिलिटियों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं (एफआई)/बैंकों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया तैयार की है। एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटियों को सब्सिडी, स्वयं सतत् प्रचालन के लिए ट्रांजिशन वित्तपोषण सहायता सहित इक्विटी सहायता पर प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए उनके प्रचालन तथा वित्तीय निष्पादन को सुधारने, विनियामक अनुपालन सक्षम बनाने तथा संबंधित राज्य सरकारों पर प्रभाव डालने में सहायता करना है।

विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) का आदेश

विद्युत मंत्रालय ने सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र तथा विशेष रूप से वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुधारने के हित में उचित रूप से (यदि अपेक्षित हो तो स्वत: संज्ञान पर) टैरिफ को संशोधि करने के लिए राज्य विद्युत प्राधिकरणों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी करने के लिए "विद्युत अपीलीय अधिकरण" से अनुरोध किया है।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) ने दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अपने आदेश में राज्य विद्युत बोर्डों/डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा अंतत: वितरण यूटिलिटियों की लंबित राशि के बढ़ते जा रहे बकायों के निपटारे के लिए सहायता देने की दृष्टि से राज्य आयोगों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देश

राज्य विनियामक मंच तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया है, जिसमें टैरिफ के यौक्तिकीकरण के मामले का समाधान किया गया है। एफओआर (विनियामक मंच) ने एसईआरसी को उन्हें अपनाने के लिए मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं। अब राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से इन टैरिफ दिशा-निर्देशों को अपनाने और विनियम बनाने की अपेक्षा की गई है। मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देशों का अपनाया जाना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा यूटिलिटियों को ऋण के वितरण की एक पूर्व शर्त है।

राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन

राज्य डिस्कॉम के व्यवसाय को सक्षम बनाने तथा उनकी दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्कॉम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अधिसूचित गई है। स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्तीय तंत्र के माध्यम से समर्थन के पास उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय की प्राप्ति हेतु राज्य डिस्कॉम तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं।

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा संस्वीकृत पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) शुरू की है। पात्रता की पूर्व-शर्तें राज्यों द्वारा शुरू किए गए सुधार उपायों से जुड़ी हैं तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों में की गई प्रगति से जुड़ी होती है।

'कापार्ट' का पुनर्गठन

1019. श्री सी.एस. पुट्टा राजू :
श्रीमती कोथापल्ली गीता :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) कार्यक्रम में सुधार करके इसका पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) देश में 'कापार्ट' के निष्पादन का कर्नाटक सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 'कापार्ट' के अंतर्गत निधि स्वीकृत की है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और प्रयोजनार्थ क्या आधार नियत किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) अगस्त, 2009 में आयोजित

कपार्ट की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में निर्णय लिया गया कि कपार्ट कार्यालयों के पुनर्गठन और यौक्तिकीकरण के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाए। बाद में, हय निर्णय लिया गया कि कर्पाट के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निधियों का वितरण नहीं किया जाएगा और इसके बाद, सितंबर, 2010 से संपूर्ण वित्तपोषण को आस्थगित कर दिया गया।

कार्यकारी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि व्यावसायिक तीसरे पक्ष से कपार्ट का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए। तद्नुसार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) ने सितंबर, 2013 में अपनी पूर्व-अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी बीच, सितंबर, 2013 में सरकार ने कर्पाट को दो वर्षों के भीतर समाप्त करने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

(ग) से (ङ) पुनर्गठन प्रक्रिया के कारण सितंबर, 2010 से कपार्ट की वर्तमान योजनाओं को आस्थगित कर दिया गया है और इसलिए विगत तीन वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2013-14 और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित किसी भी परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया है। मंत्रालय के प्रशासनिक व्यय तथा विशिष्ट पहलों के लिए निधियां स्वीकृत की गई हैं।

भूजल-संरक्षण

1020. **श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अभिकरण देश में भूजल का सफलतापूर्वक संरक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में भूजल के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य निजी संगठनों की क्या भूमिका है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पर्यावरणीय सुरक्षा और वन संरक्षण तथा भूमि जल सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामले के प्रभावकारी और शीघ्र निपटान तथा पर्यावरण संबंधी किसी कानूनी अधिकार को लागू करने और व्यक्तियों और सम्पत्तियों को होने वाले नुकसान के लिए राहत और प्रतिपूर्ति देने तथा तत्संबंधी मामलों के निपटारे के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की स्थापना की गई है। वर्तमान में एनजीटी में 24 मामलों पर विचार किया जा रहा है जिसमें केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) भी एक प्रतिवादी है। इन सभी मामलों को गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/ एनजीटी बार संघों/कम्पनियों अथवा व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया है।

मुल्लापेरियार बांध

1021. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुल्लापेरियार बांध के कार्यकरण की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुल्लापेरियार बांध की क्षमता और सुरक्षा के अध्ययन के लिए किसी एजेंसी को यह कार्य सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की सिफारिशें क्या हैं और उनके कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.5.2014 के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति गठित की है जिसकी संरचना इस प्रकार है:—

(क) मुख्य इंजीनियर, बांध सुरक्षा संगठन, केन्द्रीय जल आयोग— पदेन अध्यक्ष

(ख) प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु राज्य सरकार—पदेन सदस्य

(ग) अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार — पदेन सदस्य

शीर्ष न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षी समिति की निर्धारित की गई शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं:—

(i) समिति मुल्लापेरियार बांध में 142 फीट ऊंचाई तक एफआरएल की पुनर्बहाली की निगरानी करेगी।

(ii) समिति समय-समय पर, खासकर मॉनसून से तुरंत पहले और मॉनसून के दौरान, बांध का निरीक्षण करेगी और इसकी सुरक्षा के संबंध में कड़ी निगरानी रखेगी तथा आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगी। यह उपाय तमिलनाडु सरकार द्वारा किए जाएंगे।

(iii) समिति समुचित उपाय करने और आपातकालिक स्थिति में यदि आवश्यक होगा तो मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों को अथवा किसी एक को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी। सभी संबंधित लोग इन निर्देशों का पालन करेंगे।

(iv) समिति, तमिलनाडु को केन्द्रीय जल आयोग और बांध सुरक्षा संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आगे और ऐसे सावधानी वाले उपाय करने की अनुमति देगी, जो समिति द्वारा बांध के आवधिक निरीक्षण करने पर आवश्यक हो सकते हैं।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.2.2010 और 19.3.2010 के आदेशों के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, भारत सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई है जिसमें भारत के माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए.एस. आनन्द अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के परामर्श से तमिलनाडु और केरल राज्यों से एक-एक सदस्य और दो तकनीकी विशेषज्ञ को नामित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.5.2014 के निर्णय के अनुसार अधिकार प्राप्त समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि बांध जल विज्ञानीय, संरचनात्मक और भूकम्पीय दृष्टि से सुरक्षित है।

समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम

1022. डॉ. ए. सम्पत : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी निधि संस्वीकृत की गई है; और

(ग) आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत इन परियोजनाओं की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान और वर्तमान वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं और जारी केन्द्रीय निधियों का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना की अवधि 4-7 वर्ष है और प्रमुख कार्यकलापों को (i) तैयारी चरण (1-2 वर्ष), (ii) वाटरशेड कार्य चरण (2-3 वर्ष) और (iii) समेकन तथा समापन चरण (1-2 वर्ष) में क्रमबद्ध किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के तैयारी/कार्य चरण में हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नई परियोजनाएं अभी स्वीकृत की जानी हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आईडब्ल्यूएमपी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, परियोजनाओं के क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर में) और जारी निधियों (करोड़ रुपए में) का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15
		परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी निधियां	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी निधियां	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी निधियां	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	173	0.747	160.94	102	0.425	125.14	97	0.407	183.25	287.86
2.	बिहार	40	0.192	3.00	24	0.12	12.18	26	0.136	15.42	
3.	छत्तीसगढ़	69	0.299	62.37	27	0.124	0	29	0.155	26.00	
4.	गोवा*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	गुजरात	138	0.712	160.71	59	0.317	329.24	60	0.318	60.00	72.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	हरियाणा	47	0.179	11.63	13	0.06	5.23	15	0.064	14.20	
7.	हिमाचल प्रदेश	30	0.148	48.93	21	0.1	8.02	15	0.071	46.08	
8.	जम्मू और कश्मीर	41	0.179	0.00	43	0.189	38.27	46	0.167	0	
9.	झारखंड	45	0.242	15.70	30	0.163	48.17	27	0.147	29.40	
10.	कर्नाटक	116	0.548	127.41	68	0.333	334.55	63	0.323	586.11	12.17
11.	केरल	15	0.082	10.81	20	0.097	4.81	10	0.051	0	
12.	मध्य प्रदेश	111	0.615	108.60	37	0.211	128.3	73	0.428	135.57	263.98
13.	महाराष्ट्र	215	0.931	378.69	120	0.527	501.6	116	0.519	180.35	
14.	ओडिशा	68	0.38	77.53	39	0.212	89.7	38	0.212	136.91	
15.	पंजाब	14	0.067	8.44	12	0.046	14.89	14	0.067	15.44	
16.	राजस्थान	229	1.301	318.33	145	0.788	424.53	135	0.744	0	
17.	तमिलनाडु	56	0.271	17.57	32	0.171	227.77	39	0.196	168.55	114.02
18.	उत्तर प्रदेश	174	0.86	164.46	64	0.318	128.43	67	0.328	88.09	
19.	उत्तराखंड	18	0.099	2.34	8	0.04	4.22	0	0	0	49.77
20.	पश्चिम बंगाल	77	0.323	16.06	42	0.183	40.31	44	0.187	0	
	पूर्वोत्तर राज्य										
21.	अरुणाचल प्रदेश	41	0.124	22.09	28	0.073	15.97	26	0.061	110.83	
22.	असम	83	0.37	37.53	54	0.216	42.97	45	0.201	116.60	
23.	मणिपुर	33	0.17	15.33	15	0.07	33.75	13	0.062	30.28	
24.	मेघालय	14	0.038	12.87	12	0.039	37.43	11	0.036	28.06	37.16
25.	मिज़ोरम	17	0.072	5.84	15	0.059	16.44	14	0.058	69.18	
26.	नागालैंड	20	0.086	59.42	17	0.069	76.42	20	0.079	74.67	53.90
27.	सिक्किम	3	0.014	1.15	2	0.007	8.18	0	0	0	
28.	त्रिपुरा	11	0.03	18.17	17	0.044	24.02	8	0.035	47.81	
	सकल योग	1898	9.079	1865.92	1066	5.00	2720.53	1051	5.051	2162.80	891.20

**टिप्पणी:* परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए गोवा से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा प्रणाली

1023. श्री भरत सिंह : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में, उन गांवों और बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है;

(ख) उक्त सौर-ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में क्या फीडबैक है; और

(घ) क्या उक्त प्रणाली नि:शुल्क प्रदान की जाती है अथवा इसके लिए ग्राम पंचायतों को कुछ प्रारंभिक लागत अथवा इसकी प्रचालन लागत वहन करनी होती है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सहित उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों तथा विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकरण बस्तियों से जहां राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड विस्तार व्यवहार्य नहीं पाया गया और इसलिए उन्हें राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) में शामिल किया गया, पर सौर ऊर्जा प्रणालियों सहित लक्ष्य ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हुए रोशनी/मूल विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 31.3.2014 तक पूरे हुए गांवों और बस्तियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) योजना, विद्युत मंत्रालय की आरजीजीवीवाई स्कीम से बचे हुए गांवों/बस्तियों को शामिल करने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित है, अत: लक्ष्य प्रासंगिक नहीं है।

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रणालियों की लागत के 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता, पूर्व विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन राज्यों की अनुमोदित परियोजनाओं को प्रदान की जाती है। परियोजना की शेष लागत राजय योजनाओं, लाभकर्त्ताओं अथवा अन्य स्रोतों से योगदान के माध्यम से वित्त पोषित की जाती है। तथापि, यह आवश्यक है कि शेष लागत की कम से कम आधी राशि राज्य सरकारों के निधियन से पूरी की जाए।

विवरण

आरबीआई कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे हुए गांव और बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	पूरे हुए गांव और बस्तियां
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	297
2.	आंध्र प्रदेश	13
3.	असम	1952
4.	छत्तीसगढ़	568
5.	गोवा	19
6.	गुजरात	38
7.	हरियाणा	286
8.	हिमाचल प्रदेश	21
9.	जम्मू और कश्मीर	349
10.	झारखंड	493
11.	कर्नाटक	30
12.	केरल	607
13.	मध्य प्रदेश	577
14.	महाराष्ट्र	340
15.	मणिपुर	240
16.	मेघालय	149
17.	मिज़ोरम	20
18.	नागालैंड	11
19.	ओडिशा	1509
20.	राजस्थान	382
21.	सिक्किम	13

1	2	3
22.	तमिलनाडु	131
23.	त्रिपुरा	842
24.	उत्तराखंड	594
25.	उत्तर प्रदेश	335
26.	पश्चिम बंगाल	1179
	कुल	10995

[अनुवाद]

बांध पुनर्वास और सुधार

1024. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस हेतु राज्य-वार आबंटित और प्रयुक्त निधियां कितनी हैं और प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) एक विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजना है जो 18 अप्रैल, 2012 से लागू की गई और छह वर्षों की अवधि में कार्यान्वित होगी। वर्तमान में डीआरआईपी में पुनरुद्धार के लिए चार राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु के लगभग 223 बड़े बांध शामिल हैं।

पुनरुद्धार कार्य 19 डीआरआईपी बांधों (केरल-1, मध्य प्रदेश-7, ओडिशा-2 और तमिलनाडु-9) में शुरू किए गए हैं जबकि 24 अन्य बांधों के लिए, (केरल-7, मध्य प्रदेश-10, ओडिशा-1 और तमिलनाडु-6) बोली दस्तावेज तैयार किए गए हैं। अन्य 108 बांधों (केरल-22, मध्य प्रदेश-26, ओडिशा-20 और तमिलनाडु-40) के लिए बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।

मार्च, 2014 तक आबंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(राशि लाख रुपये में)

कार्यकारी एजेंसी	प्रथम वर्ष (वित्त वर्ष 2012-13)		द्वितीय वर्ष (वित्त वर्ष 2013-14)		मार्च, 2014 तक उपयोग की गई कुल राशि
	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	
मध्य प्रदेश	350	207.82	3000	1238.34	1446.16
ओडिशा	400	32.14	1050	65.91	98.05
तमिलाडु	120.65	55.89	39487	596.56	652.45
केरल	6125	5.69	8012	527.50	533.19
सीडब्ल्यूसी	230	42.41	3600	463.32	505.73
कुल	7255.65	343.95	55149	2891.63	3235.58

जम्मू और कश्मीर को निधि का आबंटन

1025. श्री थुपस्तान छेवांग : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को योजना-वार कुल कितनी निधि का आवंटन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिक्ख आदि के लिए आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है; और

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) से (ग) निधियां समुदाय-वार आबंटित नहीं की जाती हैं, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा पात्रता और संस्तुतियों के आधार पर छात्रवृत्तियों/अन्य योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत की जाती हैं।

सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाएं और उनके लिए आबंटन और निधियों की निर्मुक्ति निम्नानुसार है:—

1. **छात्रवृत्ति योजनाएं:**

(i) **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना के अंतर्गत, 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले उन अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न हों तथा जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(ii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना के अंतर्गत, 11वीं कक्षा से आगे पढ़ने वाले उन अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा अथवा समकक्ष ग्रेड में 50% से कम अंक न हों और जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रुपए से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(iii) **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस अध्येतावृत्ति का उद्देश्य एम.फिल और पीएच.डी जैसे उच्च पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समन्वित पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। यह अध्येतावृत्ति योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(iv) **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति:** मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले निर्धन एवं मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(v) **निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना:** इस योजना के अंतर्गत सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के कोचिंग संस्थानों को अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, तथा अन्य रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

उपर्युक्त (i) से (iv) पर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, समुदाय-वार और राज्यक्षेत्र-वार नहीं आबंटित की जाती हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी के यथानुपात केवल अनंतिम वास्तविक लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है। (ii) से (iv) की योजनाओं के अंतर्गत निधियां लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अंतरित कर दी जाती है, जबकि उपर्युक्त (v) पर योजना के अंतर्गत, निधियां कोचिंग प्रदान करने के लिय चयनित कोचिंग संस्थान को जारी की जाती हैं। एमएएनएफ का क्रियान्वयन यूजीसी के माध्यम से किया जाता है और निधियां यूजीसी को जारी की जाती हैं।

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं और निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी):**

यह एक क्षेत्र विकास योजना है, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है। लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के अलावा स्कूलों, स्वच्छता, पक्के मकानों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति के अवसंरचना निर्माण के प्रावधानों के साथ चिन्हित विकास कमियों का निपटान जिला विशिष्ट योजना के जरिए किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना तक, इस कार्यक्रम का केंद्र बिन्दु चिन्हित किए गए 90 अलपसंख्यक बहुल जिलों के ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों पर था।

योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए पुनर्संरचित किया गया है। जिले की बजाय ब्लॉक/नगर/क्लस्टर को योजना की ईकाई बनाया गया है। यह इस योजना के अंतर्गत निधियां संपूर्ण पंचवर्षीय येाजना के लिए आबंटित की जाती हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के क्रियान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर के लेह जिले को चिन्हित किया गया था, और 1500 लाख रुपए का आवंटन किया गया था तथा 1349.61 लाख रुपए जारी किए गए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, लेह जिले के 6 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों और राजौरी जिले के एक अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक को एमएसडीपी के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 सहित जहां कार्यक्रम जिले के ईकाई के साथ क्रियान्वित किया गया था) के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कुल अनंतिम आबंटन 2,300 लाख रुपए है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस राशि में से, 646.72 लाख रुपए लागत की परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं और एमएसडीपी के क्रियान्वयन हेतु 323.26 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। एमएसडीपी के अंतर्गत, संपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं। भिन्न-भिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

3. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी):**

एनएमडीएफसी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लाभार्थियों को स्वरोजगार क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है। यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके निम्नलिखित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है:—

क. जम्मू और कश्मीर अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग विकास निगम

ख. जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम

ग. जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सावधि ऋण तथा लघु वित्त पोषण योजना के अंतर्गत वितरण हेतु इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को आबंटित कुल निधियां निम्नानुसार हैं:—

(लाख रुपए में)

योजनाएं	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सावधि ऋण	966.00	900.00	1500.00	—
लघु वित्त	50.00	0.00	0.00	—
योग	1016.00	900.00	1500.00	—

4. **"नई रोशनी"**: अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास के लिए 2012-13 से एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रणालियों, बैंकों और सभी स्तर पर मध्यस्थों के साथ पारस्परिक क्रिया हेतु जानकारी, साधन और प्रविधियां मुहैय कराकर महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनमें विश्वास जागृत करना है ताकि वे घर की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सके और नेतृत्व की भूमिका निभा सके। यह योजना गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जम्मू और कश्मीर के गैर-सरकारी संगठनों को जारी वर्ष-वार निधियां निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	जारी राशि (लाख रुपए में)
2012-13	—
2013-14	8.94
2014-15	—

5. **"सीखो और कमाओ (Learn and Earn)"**: मंत्रालय ने 2013-14 के दौरान अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु एक नई योजना शुरू की है। यह योजना निजी परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 के दौरान, जम्मू और कश्मीर राज्य में 700 अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण के लिए दो(2) निजी परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को 67.20 लाख रुपए जारी किए हैं।

6. **राज्य वक्फ बोर्डों का कम्प्यूटरीकरण:** इस योजना का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के रख-रखाव को सरल बनाना, अभिलेखों के संरक्षण हेतु डिजिटीकरण, कानूनी मामलों की ट्रेकिंग और विभिन्न कार्यों तथा प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण करना है। इस योजना के अंतर्गत, निधियां राज्य वक्फ बोर्डों को जारी की जाती है, न कि राज्य सरकार अथवा किसी अल्पसंख्यक समुदाय को। जनवरी, 2011 में जम्मू और कश्मीर के राज्य वक्फ बोर्ड को इस योजना के अंतर्गत 21.96 लाख रुपए आबंटित एवं जारी किए गए थे।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (10.04.2014) के दौरान, जम्मू और कश्मीर राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों के अंतर्गत जारी निधियों के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	31.44	28.25	17.43	0.00
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	14.15	6.10	15.74	0.00
मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	4.75	7.94	5.54	0.00

वर्ष 2011-12 से 2014-15 (30.06.2014 तक) के लिए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत जारी निधियों के ब्यौरे

2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
छात्रों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	छात्रों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	छात्रों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	छात्रों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)
500	4750000	150	2162500	190	2624000	—	837500

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में उद्वह सिंचाई परियोजनाएं

1026. श्री राजू शेट्टी : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गोसीखुर्द निम्न पैनगंगा और निम्न तापी को उद्वह सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार कितनी निधियों का आवंटन किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त निधि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 2008-09 से, गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है और इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता जारी की गई है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

परियोजना का नाम	राज्य	वर्ष	राष्ट्रीय परियोजना के लिए जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना	महाराष्ट्र	2008-09	450.00
		2009-10	720.00

1	2	3	4
गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना	महाराष्ट्र	2010-11	1412.94
		2011-12	शून्य
		2012-13	405
		कुल	2987.94

राज्य सरकार से 12वीं योजना के एआईबीपी दिशा-निर्देशों के अनुसार निचली पेनगंगा और निचली तापी सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

गुजरात सौर ऊर्जा मॉडल

1027. **श्री सी.एन. जयदेवन : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली में गुजरात सौर ऊर्जा मॉडल को अपनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मॉडल का ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार से दिल्ली में लागू किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) हाल ही में दिल्ली की एनसीटी सरकार के अधिकारियों का एक दल सौर ऊर्जा, को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं को देखने के लिए गुजरात दौरे पर गया था। अब वे दिल्ली में सौर ऊर्जा के विकास की योजना पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) दिल्ली सरकार दिल्ली के लिए स्टेक-होल्डरों के परामर्श पर ग्रिड-संबद्ध सौर रूफटॉप ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रही है। इन उपयों में दिल्ली के लिए सौर नीति बनाना, सौर ऊर्जा शुल्क पर उचित आदेश जारी करना, नेट मीटरिंग और रेगुलेटर द्वारा ग्रिड-संबद्धता और दिल्ली में ग्रिड-संबद्ध सौर रूफटॉप विद्युत की कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

निर्मल ग्राम पुरस्कार

1028. **श्री ओम बिरला : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त ग्रामीण पंचायतों की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) एनजीपी के अंतर्गत कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) से पुरस्कृत पंचायतों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत	जिला पंचायत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	142	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	0	0
3.	असम	5	0	0
4.	बिहार	6	0	0
5.	छत्तीसगढ़	124	0	0
6.	गुजरात	422	0	0
7.	हरियाणा	330	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	323	0	0

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	2	0	0
10.	झारखंड	0	0	0
11.	कर्नाटक	103	2	1
12.	केरल	7	11	2
13.	मध्य प्रदेश	212	0	0
14.	महाराष्ट्र	442	2	0
15.	मणिपुर	0	0	0
16.	मेघालय	365	0	0
17.	मिज़ोरम	53	0	0
18.	नागालैंड	17	0	0
19.	ओडिशा	48	0	0
20.	पंजाब	19	0	0
21.	राजस्थान	32	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0
23.	तमिलनाडु	51	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	41	0	0
26.	उत्तराखंड	63	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	36	0	0
	कुल	2857	15	3

टिप्पणी:

1. वर्ष 2012-13 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि एनजीपी के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा था।
2. वर्ष 2013-14 तक के पुरस्कार के लिए पात्र जीपी हेतु चयन प्रक्रिया पर इस समय कार्रवाई की जा रही है।
3. वर्ष 2014-15 के लिए पुरस्कारों के लिए पात्र जीपी की चयन प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

विवरण-II

वर्ष 2011-12 में राज्यों को एनजीपी पुरस्कार राशि के रूप में रिलीज की गई राज्य-वार निधि

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2011-12 में पुरस्कार राशि (लाख रुपयों में) के रूप में रिलीज की गई निधि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	311.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00
3.	असम	20.00
4.	बिहार	22.00
5.	छत्तीसगढ़	139.50
6.	गुजरात	540.50
7.	हरियाणा	342.00
8.	हिमाचल प्रदेश	430.50
9.	जम्मू और कश्मीर	2.00
10.	झारखंड	0.00
11.	कर्नाटक	322.00
12.	केरल	35.00
13.	मध्य प्रदेश	270.00
14.	महाराष्ट्र	536.50
15.	मणिपुर	0.00
16.	मेघालय	187.00
17.	मिज़ोरम	28.50
18.	नागालैंड	21.00
19.	ओडिशा	148.00
20.	पंजाब	14.00

1	2	3
21.	राजस्थान	73.50
22.	सिक्किम	0.00
23.	तमिलनाडु	85.00
24.	त्रिपुरा	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	47.50
26.	उत्तराखंड	38.50
27.	पश्चिम बंगाल	177.00
	कुल	3798.00

टिप्पणी:

1. वर्ष 2012-13 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि एनजीपी के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा था।
2. वर्ष 2013-14 तक के पुरस्कार के लिए पात्र जीपी हेतु चयन प्रक्रिया पर इस समय कार्रवाई की जा रही है।
3. वर्ष 2014-15 के लिए पुरस्कारों के लिए पात्र जीपी की चयन प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

1029. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्री राजन विचारे :
श्री नलीन कुमार कटील :
श्री बी. श्रीरामुलु :
श्रीमती कमला पाटले :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा उनमें प्राप्त की गई उपब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और ऊर्जा स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा स्रोत-वार क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से लगभग 2,45,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता का आकलन किया गया है। इसमें 1,00,000 मेगावाट प्रत्येक पवन तथा सौर ऊर्जा से, 20,000 मेगावाट, लघु पनबिजली से तथा शेष 25,000 मेगावाट जैव-ऊर्जा स्रोतों से सम्मिलित है।

(ख) मंत्रालय नवीन और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों की क्षमता के विकास और दोहन के लिए देशभर में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से संबंधित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2011-12	3435	4942.59
2012-13	4125	3163.35
2013-14	4325	3618.79
कुल	11885	11724.73

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्रोत-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए दी जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है, जैसे — उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती उत्पाद व सीमा शुल्क।

(ङ) वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन देने के अलावा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य उपायों में शामिल हैं: प्रदर्शन परियोजनाओं को स्थापित करना, अक्षय स्रोतों से उत्पादित विद्युत की खरीद हेतु अधिमान्य सीमा शुल्क, गहन संसाधन मूल्यांकन, विद्युत शून्यीकरण का विकास तथा परीक्षण सुविधाएं, अक्षय ऊर्जा प्रमाणीकरण तथा अक्षय ऊर्जा खरीद की बाध्यता आदि। इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु आसान ऋण प्रदान करती है।

विवरण-I

देश में कार्यान्वित की जा रही अक्षय ऊर्जा योजनाओं/ कार्यक्रमों का ब्यौरा

1. **ग्रिड-इंटरएक्टिव/ऑफ ग्रिड अक्षय विद्युत:**

- **पवन विद्युत :** मेगावाट स्तरीय पवन फार्म/एरोजनरेटर/मिश्रित प्रणाली।
- **जैव विद्युत :** बायोमास विद्युत/सहउत्पादन।
- **लघु पनबिजली :** 25 मेगावाट क्षमता तक के लघु पनबिजली संयंत्र; पनचक्की/माइक्रो हाइडल संयंत्र।
- **सौर विद्युत :** विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव-सौर तापीय एवं एसपीवी विद्युत उत्पादन संयंत्र तथा ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रित प्रणालियां।

2. **ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा:**

- **दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम :** अविद्युतीकृत दूरस्थ गांवों/बस्तियों में रोशनी/बिजली का प्रावधान।
- ग्रामीण ऊर्जा/औद्योगिक ऊर्जा के लिए बायोमास गैसीफायर।
- **बायोगैस कार्यक्रम :** खाना पकाने/रोशनी/खाद/लघु स्तरीय विद्युत उत्पादन के लिए परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना।
- **सौर तापीय प्रणालियां :** राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत विकेन्द्रित सौर तापीय प्रणालियों/उपकरणों की संस्थापना (मुख्यत: खाना पकाने, कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए सौर कुकर/ड्रायर)

3. **शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा:**

- बायोमास (गैर-खोई) सहउत्पादन/शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा
- **सोलर वाटर हीटिंग प्रणालियां :** राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत घरेलू, संस्थागत, वाणिज्यिक/औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए।
- **सौर वायु तापन/वाष्प उत्पादन प्रणालियां :** राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत संस्थानों और उद्योग में सामुदायिक रसोई/अन्य अनुप्रयोगों के लिए।
- **हरित भवन :** सक्रिय अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा पैसीव डिजाइनों का सम्मिलन।
- **सौर शहर :** ऊर्जा संरक्षण तथा अक्षय ऊर्जा उपकरणों/ प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से उनकी पारंपरिक ऊर्जा खपत में कमी लाने हेतु नियोजन

4. **अनुसंधान, डिजाइन और विकास:**

- नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर प्रमुख संस्थानों एवं उद्योगों में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना।

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों (2011-12, 2012-13 और 2013-14) के दौरान स्रोत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	लघु पन बिजली मेगावाट			पवन विद्युत मेगावाट			बायो-विद्युत मेगावाट			सौर विद्युत मेगावाट		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1.	आंध्र प्रदेश	26.40	1.2	2	54.05	202.1	298.50		17.50	7.50	19.75	1.6	108.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.39	24.68	0									
3.	असम	4.00		3									0
4.	बिहार	4.50	6.4	0				6.00	27.92				0
5.	छत्तीसगढ़	1.20	31.75	0				18.00		15.00	4.00		3.1
6.	गोवा			0									0
7.	गुजरात			0	789.85	208.3	279.80	2.0.00	10.00	13.40	598.89	253.01	58.5
8.	हरियाणा			0					9.50		16.80		2.5
9.	हिमाचल प्रदेश	134.19	60.25	51.00									0
10.	जम्मू और कश्मीर	1.20		17.00									0
11.	झारखंड										4.00	12	0
12.	कर्नाटक	99.10	81.3	67.90	206.65	201.65	183.00	76.00	50.00	112.00	3.00	5	17
13.	केरल	12.80	8.75										0
14.	मध्य प्रदेश				100.50	9.6	37.40	8.70	7.50	10.00	2.00	35.23	309.85
15.	महाराष्ट्र	6.20	18.6	27.50	416.50	288.55	1074.00	200.70	155.20	188.50	16.00	80	149.25
16.	मणिपुर												0
17.	मेघालय												0

18.	मिज़ोरम												0
19.	नागालैंड			1									0
20.	ओडिशा			0.325				20.00			13.00		17.5
21.	पंजाब			1.7				16.00	34.00	16.00	7.00		7.52
22.	राजस्थान				545.65	615.5	98.80	10.00	10.00	8.00	192.50	355.25	177.2
23.	सिक्किम												0
24.	तमिलनाडु	26.50			1083.46	174.6	107.38	44.50	8.40	32.60	10.00	2	81.26
25.	त्रिपुरा												0
26.	उत्तर प्रदेश							52.00	132.00		12.00	5	3.7
27.	उत्तराखंड	36.20	4							20.00	5.00		0
28.	पश्चिम बंगाल								10.00		1.00		5
29.	अंडमन और निकोबार द्वीपसमूह											5	0
30.	चंडीगढ़												2
31.	दादरा और नगर हवेली												0
32.	दमन और दीव												0
33.	दिल्ली							16.00			0.43	0.01	2.63
34.	लक्षद्वीप												0
35.	पुदुचेरी												0
36.	अन्य												0
	कुल	352.68	236.93	171.43	3196.66	1700.3	2078.88	487.90	472.02	423.00	905.37	754.10	945.5

विवरण-III

विभिन्न अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन/सब्सिडी

क. ग्रिड-इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम:

1. पवन विद्युत परियोजनाएं:

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई)	0.50 रुपए प्रति यूनिट जो अधिकतम 100 करोड़ रुपए/मेगावाट के अध्यणीन हैं

प्रदर्शन परियोजनाएं:

विशेष श्रेणी के राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड)	3.00 करोड़ रुपए X C ^ 0.646
• अन्य राज्य	2.50 करोड़ रुपए X C ^ 0.646
• ग: परियोजना की क्षमता मेगावाट में	^: की घात के बराबर

2. सौर विद्युत परियोजनाएं:

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएसएम) के चरण-II, बैच-1 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोश से व्यवहार्यता अंतराल निधिकरण (वीजीएफ) सहायता के साथ 750 मेगावाट की सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं।	न्यूनतम परियोजना क्षमता 10 मेगावाट अधिकतम परियोजना क्षमता 20 मेगावाट	रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया के आधार पर 2.50 करोड़ रुपए/मेगावाट तक सीमित करते हुए परियोजना लागत के 30% तक की वीजीएफ सहायता।

3. लघु पनबिजली परियोजनाएं

राज्य क्षेत्र में नई एसएचपी परियोजनाओं को सहायता

श्रेणी	100 किवा. से अधिक और 1000 किवा. तक	1 मेवा. से अधिक—25 मेवा. तक
विशेष श्रेणी और पूर्वोत्तर राज्य	75,000 रुपए/किवा.	20 करोड़ रुपए प्रति परियोजना तक सीमित 7.5 करोड़ रुपए/मेगावाट
अन्य	35,000 रुपए/किवा.	20 करोड़ रुपए प्रति परियोजना तक सीमित 3.50 करोड़ रुपए/मेगावाट

निजी/सहकारी/संयुक्त क्षेत्र में नई एसएचपी परियोजनाओं को सहायता

क्षेत्र	25 मेवा. तक
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (विशेष श्रेणी वाले राज्य)	5.00 करोड़ रुपए प्रति परियोजना एक सीमित 1.5 करोड़ रुपए/मेगावाट
अन्य राज्य	5.00 करोड़ रुपए प्रति परियोजना एक सीमित 1.0 करोड़ रुपए/मेगावाट

4. बायोमास विद्युत परियोजना और खोई सह-उत्पादन परियोजनाएं:

निजी/संयुक्त/सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें

	विशेष श्रेणी और पूर्वोत्तर राज्य	अन्य राज्य
बायोमास विद्युत परियोजनाए	25 लाख रुपए प्रति मेगावाट*	20 लाख रुपए प्रति मेगावाट*
खोई-सह-उत्पादन	18 लाख रुपए प्रति मेगावाट*	15 लाख रुपए प्रति मेगावाट*
सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा खोई-सह-उत्पादन परियोजनाएं		
40 बार और अधिक	40 लाख रुपए	40 लाख रुपए
60 बार और अधिक	50 लाख रुपए	50 लाख रुपए
80 बार और अधिक	60 लाख रुपए	60 लाख रुपए
	अतिरिक्त विद्युत की प्रति मेगावाट (प्रति परियोजना 6.00 करोड़ रुपए अधिकतम सहायता)	अतिरिक्त विद्युत की प्रति मेगावाट (प्रति परियोजना 6.00 करोड़ रुपए अधिकतम सहायता)

*प्रति परियोजना 1.50 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता।

5. अपशिष्ट से ऊर्जा:

अपशिष्ट का प्रकार	केन्द्रीय वित्तीय सहायता
नगरीय ठोस अपशिष्ट	2.00 करोड़ रुपए/मेगावाट, अधिकतम सहायता 10 करोड़ रुपए/परियोजना
शहरी अपशिष्ट	2.00 करोड़ रुपए/मेगावाट, अधिकतम सहायता 5 करोड़ रुपए/परियोजना
औद्योगिक अपशिष्ट	0.20 करोड़ रुपए से 1.00 करोड़ रुपए/मेगावाट, अधिकतम सहायता 5.00 करोड़ रुपए/परियोजना

सरस्वती नदी का संरक्षण

1030. श्री रत्न लाल कटारिया : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरस्वती नदी का उद्‌गम आदि बद्री में है जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है;

(ख) यदि हां, तो सरस्वती नदी का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार सरस्वती नदी के जल को सतह पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) भारत सरकार के जोधपुर स्थित क्षेत्रीय दूर संवेदी केन्द्र-पश्चिम एनआरएससी/इसरो, अंतरिक्ष विभाग द्वारा किए गए हाल के अध्ययनों से आध्यात्मिक सरस्वती नदी के अस्तित्व की विश्वसनीयता का पता चला है। अध्ययन में हरियाणा में आदि बद्री के अध्यात्मिक नदी से नजदीकी संबंध होने का भी पता चला है। अभी इस संबंध में कोई उपाय उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन परियोजनाएं

1031. श्री अर्जुन लाल मीणा :
श्री अशोक महादेवराव नेते :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर-अहमदाबाद, नागभीड-नागपुर और रतलाम-मऊ-खंडवा-अकोला खंडों पर आमान परिवर्तन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे का मेलघाट बांध अभ्यारण्य की सीमा के साथ-साथ एक वैकल्पिक सरेखण बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए आवंटित और व्यय की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई हैं; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा परियोजना-वार क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ङ) उदयपुर-अहमदाबाद, नागभीर-नागपुर, रतलाम-मऊ-खंडवा-अकोला के आमान परिवर्तन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, आबंटित धन और उन पर किए गए खर्च निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	खंड	स्थिति
1	2	3
1.	उदयपुर-अहमदाबाद	उदयपुर-अहमदाबाद आमान परिवर्तन परियोजना (322 किमी.) 1152 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर स्वीकृत की गई है। अहमदाबाद-हिम्मतनगर खंड पर, स्टेशन भवन और सिगनल एवं दूरसंचार अवसंरचना का कार्य शुरू हो गया है। हिम्मतनगर-उदयपुर खंड पर मिट्टी खुदाई संबंधी कार्य, पुल कार्य और गिट्टियों की आपूर्ति आदि कार्य शुरू हो गए हैं। मार्च, 2014 तक 109.78 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है और बजट 2014-15 में इस परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।
2.	नागभीर-नागपुर	यह परियोजना 2013-14 में स्वीकृत की गई थी बशर्ते कि योजना आयोग और आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त हो। योजना आयोग ने परियोजना को "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृति दे दी थी। बहरहाल, रेलवे के लिए विस्तारित बोर्ड ने इस परियोजना के आगे के अनुमोदन के लिए सिफारिश नहीं की है।
3.	रतलाम-मऊ-खंडवा-अकोला	रतलाम-मऊ-खंडवा-अकोला परियोजना (472.60 किमी.) 1421.25 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर स्वीकृत की गई है। रतलाम-फतेहाबाद (80 किमी.) खंड का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है। फतेहाबाद-इंदौर (40 किमी.) पर परिवर्तन का कार्य भी पूरा होने को है। मार्च, 2014 तक 344.42 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है और बजट 2014-15 में इस परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अमलाखुर्द-अकोट खंड के संबंध में सरेखण मेलघाटा टाइगर रिजर्व के बीच से होकर गुजरता है, चूंकि वनीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, वन क्षेत्र से बचते हुए वैकल्पिक सरेखण के लिए और मेलघाट टाइगर रिजर्व की परिधि के साथ-साथ रेलवे लाइन बिछाने के लिए रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) द्वारा सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

काफी संख्या में चल रही परियोजनाओं के लंबित होने और धन की तंगी के कारण इन परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

एनएच-44 की दुर्दशा

1032. श्री विनसेंट एच. पाला : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेघालय में जवाई से असम में बदरपुर तक एनएच-44 की दुर्दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य में जवाई से रतचेरा तक तथा असम राज्य में रतचेरा से बदरपुर खंड यातायात योग्य स्थिति में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मेघालय राज्य में रारा-44 के जवाई से रतचेरा तक खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन बनाने का कार्य सौंपा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जवाई से रतचेरा तक सड़क खंड के अनुरक्षण के लिए 24.36 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं तथा इस सड़क को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखे जाने के लिए कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस खंड के कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन राष्ट्रीय राजमार्ग मानक में उन्नत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा

1033. श्री जितेन्द्र चौधरी :
श्री हुकुम सिंह :
डॉ. रामशंकर कठेरिया :
श्री रामदास सी. तडस :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
डॉ. अरुण कुमार :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री पी.के. बिजू :
श्री छोटेलाल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य मार्गों पर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित/उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों/मानकों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित की गई राज्य मार्गों या राज्य राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित/जारी/उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, मेरठ-करनाल, मार्ग, तलजापुर-थोटी मार्ग गुजरात में तटीय रेखा पर मार्ग सहित देश में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा मार्गों के प्रतिदिन निर्माण/उन्नयन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार की कार्य-योजना क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) विभिन्न राज्यीय सड़कों अथवा राज्यीय राजमार्गों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा/उन्नयन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों/मानकों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए गए राज्यीय सड़कों अथवा राज्यीय राजमार्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) राज्यीय सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा करने के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। पूर्व में विभिन्न राज्य सरकारों से दिल्ली-यमनोत्री सड़क और गुजरात में तटीय सड़कों सहित राज्यीय सड़कों की 6.000 किमी. से ज्यादा को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव हुए हैं। संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को देखते हुए, पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में लगभग 21615 किमी. सड़कों/मार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(ङ) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों नामत: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-सुधार कार्यक्रम, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जिनमें राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित हैं, के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 6300 किमी. लंबाई के निर्माण/विकास का लक्ष्य रखा है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के मापदंड

1. ऐसी सड़कें जो देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हों।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।
3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानी के साथ जोड़ने वाली सड़कें और राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें।
4. महापत्तनों, बड़े औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।
5. पहाड़ी और एकांत क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें।
6. प्रमुख सड़कें जो यात्रा की दूरी को बहुत कुछ घटा देती हों और जिनसे काफी अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त होती हो।
7. ऐसी सड़कें जिनसे किसी पिछड़े इलाके के विशाल भू-भाग को और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता मिलती हो।
8. 100 किमी. का राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होता हो।
9. ऐसी सड़क जो अपनी तकनीकी आवश्यकताओं के साथ-साथ भूमि आवश्यकताओं के मामले में भी राज्यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानक को पूरा करती हो। मौजूदा सड़कें (राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और अन्य सड़कें) जो इसमें निर्धारित विभिन्न मानदंडों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, पर राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों में उन्नयन करने के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्नयन की जा रही सड़कें राज्यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानदंड सामान्यत: पूरा करती हैं परंतु प्रमुख जिला सड़कें और अन्य सड़कें जो ग्रिड बनाती हैं और महत्वपूर्ण/पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ती हैं, को भी उन्नयन करने की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।
10. मार्ग और मार्गाधिकरण दोनों ही, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त हों और राज्य सरकार की सम्पत्ति हों।
11. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार (वरीयतन 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए बिना किसी अतिक्रमण के उपलब्ध हो और राज्य सरकार छह महीने के अंदर अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर ले। यदि सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग मानक में विकसित करने के लिए अतिरिक्त मार्गाधिकार अपेक्षित है तो राज्य सरकार प्राक्कलन स्वीकृत करने के पश्चात् अधिग्रहण को तेजी से पूरा करेगी।

विवरण

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई (किमी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2106
2.	अरुणाचल प्रदेश	768
3.	असम	846
4.	बिहार	825
5.	छत्तीसगढ़	847
6.	गुजरात	1411
7.	हरियाणा	547
8.	हिमाचल प्रदेश	787
9.	जम्मू और कश्मीर	1074
10.	झारखंड	1163
11.	कर्नाटक	1781
12.	केरल	243
13.	मध्य प्रदेश	89
14.	महाराष्ट्र	2108
15.	मणिपुर	493
16.	मेघालय	361
17.	मिज़ोरम	295
18.	नागालैंड	283
19.	ओडिशा	846
20.	पंजाब	397
21.	राजस्थान	2061

1	2	3
22.	सिक्किम	257
23.	तमिलनाडु	143
24.	त्रिपुरा	109
25.	उत्तर प्रदेश	195
26.	उत्तराखंड	1197
27.	पश्चिम बंगाल	330
28.	दादरा और नगर हवेली	31
29.	दमन और दीव	22

[अनुवाद]

देश में सड़क नेटवर्क

1034. श्री राजन विचारे :
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का सड़क नेटवर्क लोगों की आवश्यकताओं और उनके आवागमन को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विदर्भ सहित महाराष्ट्र में सड़क नेटवर्क को सुधारने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) बढ़े हुए यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सड़क विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-सड़क संपर्क सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता में वृद्धि किए जाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किए जाने सहित इन कार्यक्रमों, निर्माण कार्यों के विकास का कार्य भी वार्षिक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अधीन किया जा रहा है।

(घ) से (ङ) यह मंत्रालय प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। विदर्भ क्षेत्र सहित महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के सुधार के संबंध में सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक योजना हेतु 2,312 करोड़ रुपए अनुमोदित किए है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2/4/6 लेन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी, और रेलवे ऊपरी/अधो पुलों के निर्माण, मौजूदा कमजोर पेवमेंटों के पुन: स्थापन, पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण, ग्रेड सेपेटर/रेल ऊपरी पुल, सड़क सुरक्षा उपाय आदि शामिल हैं। इसके अलावा सड़क संपर्क में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान विदर्भ क्षेत्र सहित महाराष्ट्र राज्य में 851 किमी. राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

[हिन्दी]

एनएच-71बी का चौड़ीकरण

1035. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलवल से रेवाड़ी एनएच-71बी को गुड़गांव जिला से सोहना घाटी मार्ग तक चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-71बी के पलवल से रेवाड़ी खंड की कुल 79.00 किमी. लम्बाई को 4 लेन तक चौड़ा करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत
बेरोजगारी भत्ता

1036. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :
श्री जैदेव गल्ला :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता नियमों को कुछ राज्यों में अधिसूचित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें उनकी हकदारी के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत मजदूरों को 100 दिनों का कार्य उपलब्ध नहीं कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) अब तक 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बेरोजगारी भत्ता नियमों को अधिसूचित किया है और 8 राज्यों ने बेरोजगारी भत्ता नियमों को अधिसूचित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य सरकारों को बेरोजगारी भत्ता नियमों को अधिसूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2013-14 में भुगतान के दिनों के संदर्भ में बेरोजगारी भत्ते का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार जिस दिन कार्य की मांग की गई है यदि उस दिन से 15 दिनों के अन्दर कार्य नहीं दिया जाता है तो जांच पूरी कर लेने के बाद मनरेगा/अधिनियम की धारा 7 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना होगा। केन्द्र सरकार ने अधिनियम के इस प्रावधान का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। पंजीकृत कामगारों की मांग मिलने पर उन्हें कम-से-कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाना आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों में जिन कार्डधारकों द्वारा रोजगार की मांग की गई और जिन परिवारों द्वारा 100 दिनों का रोजगार किया गया उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता नियम को अधिसूचित किया है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम
1.	असम
2.	आंध्र प्रदेश
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
4.	छत्तीसगढ़
5.	दादरा और नगर हवेली
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	कर्नाटक
9.	महाराष्ट्र
10.	मेघालय
11.	मिज़ोरम
12.	सिक्किम
13.	पश्चिम बंगाल
14.	उत्तर प्रदेश
15.	त्रिपुरा
16.	राजस्थान

वे राज्य जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता नियम को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए हैं

क्र.सं.	राज्यों के नाम
1.	हरियाणा
2.	हिमाचल प्रदेश
3.	मणिपुर
4.	ओडिशा
5.	पंजाब
6.	केरल
7.	मध्य प्रदेश
8.	झारखंड

विवरण-II

भुगतान के दिनों से संदर्भ में बेरोजगारी भत्ता

वि.व. : 2013-14

क्र. सं.	राज्य	बेरोजगारी भत्ता दिनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	373352022
2.	अरुणाचल प्रदेश	1090172
3.	असम	222611
4.	बिहार	2303995
5.	छत्तीसगढ़	363890
6.	गोवा	1085
7.	गुजरात	293389
8.	हरियाणा	3352
9.	हिमाचल प्रदेश	137130
10.	जम्मू और कश्मीर	1139869
11.	झारखंड	293029
12.	कर्नाटक	1604430
13.	केरल	257930
14.	मध्य प्रदेश	531033
15.	महाराष्ट्र	209213
16.	मणिपुर	77033
17.	मेघालय	435991
18.	मिज़ोरम	431076
19.	नागालैंड	1258309
20.	ओडिशा	300780
21.	पंजाब	110910
22.	राजस्थान	1676140
23.	सिक्किम	62826
24.	तमिलनाडु	3991652
25.	त्रिपुरा	34506
26.	उत्तर प्रदेश	642201
27.	उत्तराखंड	139566
28.	पश्चिम बंगाल	862180
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	98368
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	0
33.	लक्षद्वीप	406
34.	पुदुचेरी	315
	कुल	391925409

विवरण-III

जिन परिवारों को रोजगार दिया गया और जिन परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार किया गया, उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त परिवार			100 दिनों का रोजगार पूर्ण किए परिवार		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	4998016	5853567	5949921	948870	1014092	737387

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	4443	129023	139353	0	3728	51
3.	असम	1349078	1234828	1262986	15750	9807	16171
4.	बिहार	1769469	2087564	2058212	170227	180613	123540
5.	छत्तीसगढ़	2725027	2637699	2512356	207643	244431	346132
6.	गुजरात	822080	681028	578678	41767	52316	29323
7.	हरियाणा	277748	294142	324871	13742	19924	14115
8.	हिमाचल प्रदेश	505467	514687	539054	48043	40416	55341
9.	जम्मू और कश्मीर	431152	646516	653953	37050	69381	66213
10.	झारखंड	1574657	1419072	1138914	58080	86656	68862
11.	कर्नाटक	1652116	1331967	1450457	45144	104364	117726
12.	केरल	1416441	1526283	1523812	124821	340483	406422
13.	मध्य प्रदेश	3879959	3519283	2905955	304477	196329	174991
14.	महाराष्ट्र	1504521	1624521	1139996	197185	231211	122124
15.	मणिपुर	356264	456910	455398	112239	2422	2
16.	मेघालय	335182	332452	362438	35181	53410	51241
17.	मिज़ोरम	168711	174884	177000	72513	34146	0
18.	नागालैंड	372849	386520	407712	81790	53864	983
19.	ओडिशा	1378597	1599276	1710280	47629	75085	156785
20.	पंजाब	245453	240191	412241	3786	3831	12363
21.	राजस्थान	4522234	4217342	3614960	335621	421836	446043
22.	सिक्किम	54684	56634	63288	8746	11869	14005
23.	तमिलनाडु	6343339	7061409	6265662	602619	1348723	920336
24.	त्रिपुरा	566770	596530	599531	199503	226293	287461
25.	उत्तर प्रदेश	7327738	4947427	4983836	309033	70545	158745
26.	उत्तराखंड	469285	439791	397482	22324	22690	28007
27.	पश्चिम बंगाल	5516968	5817331	6125500	119604	253088	280785

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19300	12602	13555	2205	2199	1106
29.	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	11167	5057	5021	143	0	52
32.	लक्षद्वीप	3871	1851	612	133	40	11
33.	पुदुचेरी	42546	41286	39335	202	4	12
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	50645132	49887673	47812369	4166070	5173796	4636335

द्रुतगति यात्री गलियारे

1037. डॉ. थोकचोम मेन्या :
श्री डी.के. सुरेश :
श्री बी. श्रीरामुलु :
श्री कौशल किशोर :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में हाई स्पीड रेलगाड़ियां/बुलेट रेलगाड़ियां/अर्ध हाई स्पीड रेलगाड़ियां चलाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रेलगाड़ियों के चलाए जाने के लिए किन सेक्टरों/मार्गों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार में इन रेलगाड़ियों के चलाए जाने के लिए तकनीकी/वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न सेक्टरों/मार्गों पर कितना व्यय होने का अनुमान है और इन रेलगाड़ियों के लिए किन स्रोतों से वित्त पोषण किया जाएगा; और

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और किस तारीख तक इन मार्गों पर द्रुतगति/बुलेट रेलगाड़ियों के चलाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। देश में हाई स्पीड गाड़ियां चलाने के लिए निर्धारित पहला खंड मुंबई-अहमदाबाद है; जहां तक सेमी हाई स्पीड गाड़ियां (160-200 किमी. प्रति घंटा) चलाने का संबंध है इसके लिए पहचाने गए खंड हैं: दिल्ली-आगरा; दिल्ली-चंडीगढ़; दिल्ली-कानपुर; नागपुर-बिलासपुर; मैसूर-बेंगलुरु-चेन्नई; मुंबई-गोवा; मुंबई-अहमदाबाद; चेन्नई-हैदराबाद और नागपुर-सिकंदराबाद।

(ग) मुंबई-अहमदाबाद खंड पर हाई स्पीड गाड़ियां चलाने के लिए दो अध्ययन, पहला संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन, जिसके लिए वित्त की व्यवस्था भार और जापान द्वारा संयुक्त रूप से की गई हैं और दूसरा फ्रांसीसी रेलवे (एसएनसीएफ) द्वारा किया गया कारोबार विकास अध्ययन, शुरू किए गए हैं।

मुंबई-दिल्ली और मुंबई-अहमदाबाद के बीच सेमी हाई स्पीड (200 किमी. प्रति घंटा तक) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा किया गया था और इसकी रिपोर्ट मार्च, 2014 में प्रस्तुत की गई थी।

(घ) मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड गलियारे पर लगभग 63,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च होगा।

इस हाई स्पीड रेल परियोजना को सरकारी समर्थन, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्त व्यवस्था के उपयुक्त मिश्रण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित संसाधन जुटाने के वैकल्पिक माध्यमों द्वारा शुरू करना होगा।

(ङ) इस समय, चूंकि हाई स्पीड गाड़ियों के लिए कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

नदियों का प्रदूषण

1038. डॉ. तापस मंडल : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर चुरनी और इच्छामती नदियां भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति चीनी मिलों के बहिस्रावों द्वारा प्रदूषित हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चुरनी नदी में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में बताया है। इच्छामती नदी में प्रदूषण के संबंध में इस मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) चुरनी सहित भारत तथा बांग्लादेश के मध्य सामान्य नदियों में प्रदूषण के मामले को भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के अंतर्गत तंत्र व सीमा सुरक्षा बल-सीमा गार्ड बांग्लादेश स्तर वार्तालाप सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से बांग्लादेश के साथ उठाया गया है।

जल की कमी

1039. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में देश में जल की अत्यधिक कमी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में वर्षा जल संचयन के बारे में कोई योजना तैयार की है और क्या इस मुद्दे के समाधान के लिए राज्यों के साथ विस्तृत चर्चाएं करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जल संसाधन की उपलब्धता बहुत ही सीमित है लेकिन जनंसख्या वृद्धि औद्योगिकीकरण में बढ़ोत्तरी और बदलते जीवनशैली के कारण देश में जल की मांग में वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप देश के कुछ क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से जल एक दुर्लभ संसाधन बन गया है।

सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल संसाधनों का संवर्धन करने को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उपाय शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, जलाशयों एवं पारम्परिक जल निकायों में जल संसाधनों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण शामिल हैं। इसको सुकर बनाने के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्याक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार आदि के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

इन स्कीमों के लिए निधि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के हेतु XIIवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज ने जल संसाधन क्षेत्र के तहत लगभग 422102 करोड़ रुपए के बढ़े हुए कुल परिव्यय को दर्शाया है।

राष्ट्रीय जल नीति (2012) भी देश में जल संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन हेतु आवश्यकता पर बल देती है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) की प्रतियां सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दी गयी हैं। इसके अलावा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में भूमि जलभृत्तों के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना तैयार की है। इसे कार्यान्वयन हेतु राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच शेयर किया गया है।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन" स्कीम के तहत XIवीं योजना के दौरान प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की थीं।

जल क्षेत्र के साथ जुड़े समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् आदि की बैठकों सहित आवधिक रूप से आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/बैठकों में परामर्श किया जाता है। केन्द्र सरकार ने देश में बेहतर जल प्रबंधन के लिए विचारों के आदान-प्रदान, नई और अभिनव विचारों तथा सहमति तैयार करने हेतु सहायता मुहैया कराने के लिए राज्यों के जल संसाधन/सिंचाई मंत्रियों के एक राष्ट्रीय मंच की भी स्थापना की है।

[हिन्दी]

तवी नदी की सफाई

1040. श्री जुगल किशोर : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की नदियों की सफाई के लिए धन उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तवी नदी सहित प्रत्येक नदी के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नदियों की सफाई में प्राप्त हुई सफलता का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त हुई उपलब्धियों का नदी-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, केन्द्र एवं राज्य सरकारों का निरंतर चलने वाला और सामूहिक प्रयास है। इस संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय विभिन्न नदियों के पता लगाए गए क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत और गंगा नदी के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीबीआरए) के अंतर्गत निधि प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग दे रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक नदी के लिए उपलब्ध कराई गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष के लिए एनआरसीपी और एनजीआरबीए के लिए क्रमशः 195.74 करोड़ रुपए और 355 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि तवी नदी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पता लगाए गए 150 प्रदूषित नदी क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं है और तवी नदी के लिए एनआरसीपी के अंतर्गत किसी प्रदूषण मुक्त निर्माणकार्य की मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) एनआरसीपी और एनआरजीबीए के अंतर्गत सृजित सीवेज परिशोधन क्षमता का नदी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रमों के तहत जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	नदी	जारी निधि (करोड़ रुपए में)			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (जून, 2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिहार	गंगा	—	—	91.14	—
2.	झारखंड	दामोदर, गंगा और सुबर्णरिखा	—	—	6.26	—
3.	गुजरात	साबरमती, मिंधोला	—	41.71	—	—
4.	गोवा	मांडोवी	—	—	—	—
5.	महाराष्ट्र	कृष्णा, गोदावरी, तापी और पंचगंगा	—	5.07	22.42	—
6.	ओडिशा	ब्राह्मणी और महानदी	5.00	—	—	—
7.	पंजाब	सतलुज व ब्यास व घग्गर	47.53	45.36	98.04	14.21

1	2	3	4	5	6	7
8.	राजस्थान	चंबल	20.00	—	—	—
9.	दिल्ली	यमुना	34.88	—	—	—
10.	हरियाणा	यमुना	—	38.20	10.00	5.46
11.	उत्तर प्रदेश	यमुना, गंगा, गोमती और रामगंगा	70.75	107.31	133.80	—
12.	उत्तराखंड	गंगा	—	11.30	17.05	—
13.	पश्चिम बंगाल	गंगा, दामोदर और महानंदा	—	—	48.90	—
14.	सिक्किम	रानी चू	9.30	21.65	15.00	—
	कुल		187.46	270.60	442.61	19.67

विवरण-II

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रमों के तहत सृजित सीवेज परिशोधन क्षमता का नदी-वार ब्यौरा

क्र. सं.	नदी	सृजित सीवेज परिशोधन क्षमता (एमएलडी)
1	2	3
1-2.	अइयार व कौम	264.00
3-4.	ब्यास व सतलुज	504.20
5.	बीहर	—
6.	बेतवा	15.20
7.	भद्रा	5.83
8.	ब्राह्मणी	—
9.	कावेरी	168.93
10.	चंबल	9.00
11.	दामोदर	13.17
12.	दिफू और धनसिरी	—
13.	गंगा	1228.49
14.	घग्गर	—
15.	गोदावरी	185.46
16.	गोमती	392.00
17.	खान	90.00
18.	कृष्णा	28.00
19.	क्षिप्रा	55.46
20.	महानदी	33.00
21.	मन्दाकिनी	—
22.	मांडोवी	12.50
23.	महानंदा	50.00
24.	मिंधोला	—
25.	मूसी	593.00
26.	नर्मदा	—
27.	पम्बा	—
28.	पंचगंगा	24.00
29.	पेन्नार	—

1	2	3
30.	रानी चू	8.00
31.	रामगंगा	—
32.	साबरमती	232.00
33.	सुबर्णरिखा	—
34.	ताप्ती	6.00
35.	तापी	—
36.	तुंगा	—
37.	तुंगभद्रा	28.29
38.	ताम्रबरानी	24.20
39.	वेन्नार	28.05
40.	वैगई	—
41.	वेनगंगा	1.95
42.	यमुना	942.25
	पुरी शहर (तटीय क्षेत्र)	15.00
	कुल जोड़	4957.98

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति

1041. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :
श्री सी.एस. पुट्टा राजू :
मोहम्मद फैज़ल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाली सड़कों की लंबाई का लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की धीमी प्रगति के लिए राज्य-वार कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना कार्य को गति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हो?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 14800 किमी. दो लेन, 9826 किमी. चार लेन 5590 किमी. छह लेन और 8500 किमी. के गुणवत्ता सुधार तक सुदृढ़ीकरण/सुधार का कार्य किये जाने का लक्ष्य है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण/वन जीवन स्वीकृतियों, रेलवे मंत्रालय के साथ आरओबी/आरयूबी से संबंधिम मुद्दों, ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा धीमी प्रगति किये जाने, ईक्विटी निधि अर्जित करने में डेवलपरों की असमर्थता, मृदा/गिट्टी की अनुपलब्धता, अतिरिक्त सुविधाओं के लिए जन आंदोलन, ठेकेदारों के साथ पंचाट/संविदागत विवादों के कारण प्रभावित हुई हैं। धीमी प्रगति और अपर्याप्त निधि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है और इक्विटी निवेशकों के निर्गमन, प्रीमियम के पुन: निर्धारण, सड़क क्षेत्र के ऋणों की जांच, सौंपी गई सड़क परियोजनाओं की परस्पर समाप्ति/निरस्तीकरण और पुन: निविदा आमंत्रित किया जाना, अन्य मंत्रालयों के साथ निकट समन्वयन कार्य करना तथा विवाद निपटान तंत्र को पुन: जीवित करने आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

विवरण-I

निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या		
		एनएचएआई	राज्य पीडब्ल्यूओ	डीआरओ
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9	18	—

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	10	4
3.	असम	20	40	1
4.	बिहार	17	50	—
5.	चंडीगढ़	—	1	—
6.	छत्तीसगढ़	3	15	—
7.	दिल्ली	—	—	—
8.	गोवा	2	18	—
9.	गुजरात	10	40	—
10.	हरियाणा	12	12	—
11.	हिमाचल प्रदेश	1	24	—
12.	जम्मू और कश्मीर	4	—	3
13.	झारखंड	6	55	—
14.	कर्नाटक	13	44	—
15.	केरल	7	17	—
16.	मध्य प्रदेश	13	37	—
17.	महाराष्ट्र	22	31	—
18.	मणिपुर	—	1	2
19.	मेघालय	2	10	—
20.	मिज़ोरम	—	11	—
21.	नागालैंड	—	1	—
22.	ओडिशा	8	14	—
23.	पुदुचेरी	—	1	—
24.	पंजाब	5	9	—
25.	राजस्थान	28	30	—
26.	सिक्किम	—	2	17
27.	तमिलनाडु	15	35	—
28.	तेलंगाना	—	11	—
29.	त्रिपुरा	—	—	2
30.	उत्तर प्रदेश	25	33	—
31.	उत्तराखंड	4	62	5
32.	पश्चिम बंगाल	9	27	1
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	11	—

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल परियोजनाएं

1042. श्री नेफिउ रिओ :
कुमारी सुष्मिता देव :
श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीमापुर-तिजित, कोहिमा-दीमापुर, लमडिंग-सिलचर और बोंगाईगांव-चंगसारी खंडों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के अंतर्गत चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ख) इसके लिए आवंटित और व्यय की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का नूमालीगढ़-जखलाबंधा खंड पर नयी रेल लाइन बिछाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दीमापुर रेलवे स्टेशन के उन्नयन संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या हैं; और

(ङ) क्या रेलवे का उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे द्वारा उत्तर बंगाल और बिहार क्षेत्र को पूर्वी रेलवे को हस्तांतरित कर केवल उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) पर ध्यान केंद्रित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) दीमापुर-तिजीत, दीमापुर-कोहिमा और लम्डिग-सिलचर तथा बोंगाईगांव-चांगसारी खंडों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति नीचे दिए अनुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी. में)	लागत	व्यय मार्च, 2014 तक	परिव्यय 2014-15	प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइनें						
1.	जिरीबाम-इम्फाल	125	5996.00	1773.81	1750.00	जिरीबाम-तुपुल खंड में मिट्टी संबंधी, पुल और सुरंगों के कार्य शुरू किए गए हैं। तुपुल-इम्फाल के लिए अनुमान स्वीकृत।
2.	डिब्रुगढ़ और नोर्थ बैंक लाइन के बीच लिंक लाइनों के साथ बोगीबीलपुल	73	4996.19	3094.64	600.00	चालखोआ से मोरानहाट (44 किमी.) तक लिंक लाइन पूरी हो गई है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। प्रमुख पुल उप-संरचना और सुपर संरचना का कार्य शुरू किया गया है।
3.	दीमापुर-तिजीत	257	4274.00	10.00	5.00	आर्थिक मामले संबंधी मंत्रीमंडल समिति की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
4.	बर्नीहाट-शिलोंग	108.40	4083.02	3.46	5.00	राज्य सरकार के साथ खासी छात्र संघ का अपनी मांगों के लिए विरोध करने के कारण परियोजना रुकी पड़ी हैं।
5.	सिवोक-रंगपो	44.39	3375.42	83.63	50.00	वनीय स्वीकृति प्राप्त न होने से परियोजना रुकी पड़ी है।
6.	न्यू माल-मोयनागुड़ी रोड और न्यू चंगराबांधा के आमान परिवर्तन के साथ न्यू मोयनागुड़ी-जोगीघोपा नई लाइन (3 किमी.)	288.88	2483.04	1487.32	400.00	न्यू कूचबिहार-गोलकगंज (59 किमी.), न्यू माल-चंगराबांधा (62 किमी.) और न्यू चंगराबांधा-न्यू कूचबिहार (67 किमी.) खंडों के कार्य पूरे हो गए हैं। शेष भाग का कार्य शुरू कर दिया गया है।
7.	दीमापुर-कोहिमा	88	2446.57	9.89	50.00	सरेखण और भूमि संबंधी मुद्दों के कारण कार्य में देरी हुई। राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए संशोधित सरेखण के अनुसार अंतिम स्थल सर्वेक्षण किया गया।
8.	भैराबी-सैरंग	51.38	2393.48	121.49	200.00	अंतिम स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।
9.	अगरतला-सबरूम	110	1741.00	595.80	500.00	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
10.	मुरकोंगसेलेक-पासीघाट	30.61	545.64	1.24	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
11.	तितिलिया-बर्नीहाट	21.5	430.33	181.11	100.00	मिट्टी, पुल ओर सुरंग संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
12.	अगरतला-अखुरा (बंगलादेश)	13	252.00	10.00	100.00	भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।
	आमान परिवर्तन					
13.	लमडिंग बदरपुर-सिलचर सहित मिगरेदिसा-डिट्टोकचेरा, अरुणाचल-जिरीबाम तथा बदरपुर-कुमारघाट (369.45 किमी.) और बरायग्राम-दुलाबचेरा (29.40 किमी.), करीमगंज-मैशाशन के आमान परिवर्तन के लिए एम.एम. और करीमगंज बाइपास लाइन (13.50 कि.मी.)	412.35	5185.44	3808.79	620.00	सरेखण के साथ-साथ मिट्टी, पुल और सुरंग संबंधी कार्य अंतिम स्तर पर हैं।
14.	लिंकड फिंगर सहित रंगिया-मुरकोंगसेलेक	510.33	3019.17	2457.28	500.00	रंगिया-रंगपाड़ा नॉर्थ-मुरकोंगसेलेक और रंगपाड़ा नॉर्थ-डेकारगांव खंडों के कार्य (470 किमी.) पूरे हो गए हैं। बलीपाड़ा-भलूकपोंग खंड (35 किमी.) का कार्य शुरू किया गया है।
15.	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव एनएल शाखा लाइनों सहित और चलसा-नक्सलबाड़ी (16 किमी.) एनएल और राजाभटखोवा-जैन्ती (15.13 किमी.) एनएल के लिए नई एम.एम.	433	1415.21	1030.28	0.50	मुख्य आमान परिवर्तन परियोजना पूरी हो गई है और इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। चलसा-नक्सलबारी (16 किमी.) का भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। राजभटखोवा-जैन्ती (15 किमी.) खंड में, वानिकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है।
16.	काटाखाल-भैराबी	84	331.40	133.58	100.00	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7
	दोहरीकरण					
17.	रंगिया के रास्ते न्यू बोंगाईगांव-कामख्या (बोंगाईगांव-चांगसारी)	142	1798.00	0.10	1.00	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडल समिति की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
18.	लमडिंग-होजाई कहीं-कहीं दोहरीकरण	44.92	364.06	2.00	0.10	अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विस्तृत अनुमान तैयार कर लिया गया है।

(ग) नूमालीगढ़ से जखलाबांधा तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) दीमापुर 'ए' कोटि का स्टेशन है और इसे 'मार्डन', 'मॉडल' और 'आदर्श' स्टेशन योजना के अंतर्गत पहले ही विकसित कर दिया गया है। इस स्टेशन पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार पहले ही सभी अनिवार्य यात्री सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं।

(ङ) जी, नहीं।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

1043. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में गांवों में सौर-ऊर्जा परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रदान की गई वित्तीय सहायता/किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गांवों में बीपीएल परिवारों और छात्रों को नि:शुल्क और दीपक प्रदान करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना वित्तीय खर्च हुआ है; और

(ङ) सौर दीपक प्रदान किए गए परिवारों/गांवों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 19.96 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई को अल्प सुविधा प्राप्त समुदायों के छात्रों को एक मिलियन सोलर स्टडी लैंप का वितरण करने संबंधी एक परियोजना मंजूर की गई है। इस परियोजना की लागत 58.57 करोड़ रुपए है। मंत्रालय का अंशदान राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से 14.81 करोड़ रुपए तक सीमित है।

(ङ) देश में वितरित/संस्थापित और लालटेन तथा सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश भर में गांवों में सौर-ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा

अभी तक 66 गांवों में वर्धित वितरण नेटवर्क के साथ स्टैंड-अलोन सौर विद्युत संयंत्र और मिनी/माइक्रो-ग्रिड आधारित सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	राज्य	गावों की संख्या	केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
क. ऑफ-ग्रिड सौर योजना के अंतर्गत			
1.	जम्मू और कश्मीर	10	10.81

1	2	3	4
2.	झारखंड	2	1.82
3.	हरियाणा	1	1.48
4.	राजस्थान	14	0.43
5.	पश्चिम बंगाल*	11	—
	कुल (क)	38	14.54
ख.	**नार्वे की सरकार की सहायता से**		
1.	जम्मू और कश्मीर	4	5.42
2.	झारखंड	10	
3.	मध्य प्रदेश	8	
4.	उत्तर प्रदेश	6	
	कुल (ख)	28	5.42
	सर्व योग (क)+(ख)	66	19.96

*केन्द्रीय वित्तीय सहायता काम पूरा होने के बाद जारी की जाएगी।

विवरण-II

सौर लेलटेनों तथा सौर घरेलू लाइटों की राज्य-वार संचयी संस्थापना (31.03.2014 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सौर लालटेन (संख्या)	सौर घरेलू रोशनी (संख्या)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	41360	22790
2.	अरुणाचल प्रदेश	14433	18945
3.	असम	1211	6663
4.	बिहार	50117	7376
5.	छत्तीसगढ़	3311	7254
6.	गोवा	1093	393
7.	गुजरात	31603	9253
8.	हरियाणा	93853	56364
9.	हिमाचल प्रदेश	23909	22592
10.	जम्मू और कश्मीर	44059	65283
11.	झारखंड	23374	9398
12.	कर्नाटक	7334	49632
13.	केरल	54367	33912
14.	मध्य प्रदेश	9444	4002
15.	महाराष्ट्र	68683	3478
16.	मणिपुर	4787	3900
17.	मेघालय	24875	7840
18.	मिज़ोरम	9589	6801
19.	नागालैंड	6766	1045
20.	ओडिशा	9882	5232
21.	पंजाब	17495	8626
22.	राजस्थान	4716	144550
23.	सिक्किम	23300	15059
24.	तमिलनाडु	16818	59310
25.	त्रिपुरा	64282	32723
26.	उत्तर प्रदेश	62015	235834
27.	उत्तराखंड	84023	91350
28.	पश्चिम बंगाल	17662	145085
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6296	468
30.	चंडीगढ़	1675	275
31.	दिल्ली	4807	0
32.	लक्षद्वीप	5289	0

1	2	3	4
33	पुदुचेरी	1637	25
34	अन्य	125797	24047
	कुल	959862	1099505

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा

1044. श्री रामदास सी. तडस :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री श्रीरंगा आप्पा बारणे :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 करोड़ पौधे लगाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करके रोजगार सृजन के लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकेगा;

(च) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ङ) मंत्रालय को 3405.88 किमी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए 13.65 लाख पौधे लगाए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ इस मामले पर चर्चा की जा रही है।

(च) और (छ) राज्यों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की आवधिक रूप से श्रम बजट बैठकों, निष्पादन समीक्षा बैठकों और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं तथा राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर केन्द्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची में संशोधन किए हैं और मनरेगा, 2005 की अनुसूची-I, पैरा 4 में दिए गए कार्यों के साथ 03.01.2014 को इसकी अधिसूचना जारी की है। मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ज) मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

- यह प्रस्ताव किया गया है कि लागत की दृष्टि से किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़ी उपयोग परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित होंगे।

- ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के मजदूरी-सामग्री अनुपात की गणना जिला-स्तर पर किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि अधिक टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके।

- प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले तथा उसके समापन के बाद भी उससे जुड़े परिणामों का आकलन किया जाएगा—जिससे परिणामों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके।

- बेहतर आयोजना और निरंतर तकनीकी पर्यवेक्षण के माध्यम से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है।

- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कहा गया है कि वे महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की अनुसूची-II के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधान लागू करें।

- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कहा गया है कि वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी की गई योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षाओं में सुधार करें।

- नकली उपस्थिति, मस्टररोल से छेड़छाड़ और उनके दुरुपयोग के मामलों की रोकथाम के उद्देश्य से ई–मास्टर प्रणाली शुरू की गई है।
- निधियों के निरंतर प्रवाह के लिए इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) शुरू की गई है, जिससे मजदूरी के भुगतान में विलंब के मामलों में भी कमी आएगी।
- सभी राज्यों से कहा गया है कि वे शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन नियुक्त करें।
- इस योजना की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

विवरण

मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों का ब्यौरा

I. प्रवर्ग अ: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में संबंधित लोक निर्माण—

(i) पेयजल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य;

(ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य;

(iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरुज्जीवन और अनुरक्षण; सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरुज्जीवन।

(iv) पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागवानी; तथा

(v) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

II. प्रवर्ग आ: दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां (केवल पैरा 5 में गृहस्थी के लिए)

(i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कारकर पैरा 5 वर्ष में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना;

(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना;

(iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि, का विकास;

(iv) इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक;

(v) कुक्कुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पुश आश्रय चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना; और

(vi) मछली शुष्करण यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना;

III. प्रवर्ग ई : एनआरएलएम का अनुपालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना

(i) जैसे उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म; और

(ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला;

IV. प्रवर्ग ई: ग्रामीण अवसंरचना

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से या 'खुले में मत त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनवाड़ी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता;

(ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना;

और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें या गलियों, जिनके अंतर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी हैं, का संनिर्माण;

(iii) खेल के मैदानों का संनिर्माण;

(iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी हैं, का जीर्णोद्धार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्धार, तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंधी संकर्म;

(v) ग्राम पंचायतों के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंघों, चक्रवात आश्रय, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण;

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण;

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन में भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन;

(viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव; और

(ix) कोई अन्य कार्य, जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

सौर विद्युत उपस्कर

1045. **श्री जगदम्बिका पाल :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की लोगों को रियायती दरों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले हीटर और लैम्प प्रदान किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सौर विद्युत उपस्करों पर राजसहायता में वृद्धि करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश सहित देश में सौर ऊर्जा का उपयोग करने की जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के ऑफ-ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोगों के अंतर्गत मंत्रालय और जल तापक तथा सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है।

मंत्रालय सामान्य श्रेणी वाले राज्यों को सौर जल तापक के संस्थापन के लिए 30% पूंजीगत सब्सिडी देता है तथा विशेष श्रेणी वाले राज्य जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 60% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है।

सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियों की संस्थापना के लिए 135/- रुपए प्रति वाट पीक तक सीमित 30% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध है, जो उनकी क्षमता और विन्यास पर निर्भर होती है।

मंत्रालय सौर गृह रोशनी प्रणालियों और लघु क्षमता वाली प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से 180/- प्रति वाट पीक तक सीमित 40% सब्सिडी भी प्रदान कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु जागरुकता लाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सौर प्रणालियों के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं तथा राज्य एजेंसियों के माध्यम से जागरुकता शिविर तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करना (ii) इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (iii) सौर ऊर्जा पर विशेषांक सहित अक्षय ऊर्जा पर पत्रिका का प्रकाशन।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 85 पर बाईपास का निर्माण

1046. **एडवोकेट जोएस जॉर्ज :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरका के पास मुवात्तुपुज्जा और कोठ-मंगलम पर राष्ट्रीय राजमार्ग 85 कोच्ची-थोंडी रोड (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-49, कोच्ची-थोंडी) पर बाईपास निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) केरल राज्य के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग 85 के सड़क के हिस्से को विकसित नहीं करने के क्या कारण है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) केरल राज्य में रारा-85 (पुराना रारा-49) पर मुवात्तुपुज्जा बाईपास के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी और भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान चालू वार्षिक योजना 2014-15 में किया गया है। इस समय केरल राज्य में रारा-85 पर कोठ-मंगलम के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) केरल राज्य में रारा-85 की 167 किमी. लंबाई में से 56.98 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर 122 किमी. में सुधार का कार्य विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किया गया है। इसमें से 104 किमी. का सुधार कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 27.63 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत से चार पुलों के निर्माण का कार्य संस्वीकृत किया गया है और वह प्रगति के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा 170 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत से 41 किमी. के विद्यमान एकल लेन खंड (केरल में बोडीमेट्टू-मुन्नार खंड) को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाने के लिए चालू वार्षिक योजना 2014-15 में प्रावधान किया गया है।

वोल्वो बस दुर्घटनाएं

1047. श्री जैदेव गल्ला : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषत: आंध्र प्रदेश में वोल्वो बस दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं और विगत में सौ से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वोल्वो बसों की दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) मंत्रालय में दुर्घटना आंकड़े आटोमोबाइल विनिर्माता-वार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में 30 अक्तूबर, 2013 को वोल्वो बस की दुर्घटना हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप वोल्वो बस में आग लगने के कारण 45 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 14 नवम्बर, 2013 को कर्नाटक में वाल्वो बस की एक अन्य दुर्घटना हुई। जिसमें 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ख) मंत्रालय ने राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) से आंध्र प्रदेश में हुई घटना की जांच किए जाने का अनुरोध किया था।

(ग) एनएटीआरआईपी ने आंकड़ों के प्राथमिक संग्रहण और विश्लेषण के आधार पर इस प्रकार की टक्करों को कम करने के लिए प्राथमिक जांच की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(1) राजमार्ग पर उचित पर समुचित चिन्हांकन होना चाहिए। मोड़ों, खराब सड़कों, दो सड़कों के मिलने और निकासों आदि जैसे अनय विशिष्टियों के साथ-साथ लेनों के संकरा होने तथा पुलियों की उपस्थिति जैसे विशिष्टियों को उचित रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

(2) क्रैश बैरियरों में कोई फासला नहीं होना चाहिए। पुलियों में कोई भी बाहर निकली हुई किनारी नहीं होनी चाहिए तथा उन्हें समुचित रूप से डिजायन किया जाना चाहिए।

(3) बस विनिर्माताओं को ईंधन टैंकों को बस के बीच में ही किए जाने तथा बाहर की ओर न किए जाने की सलाह दी जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ईंधन टैंकों के बाहर न होने के कारण कोई दुर्घटना नहीं होगी।

(4) बस और बस की बॉडी विनिर्माताओं को खुलने योग्य और सहजता से पहुंचने योग्य आपातकालीन निकास द्वारा रखे जाने की सलाह दी जानी चाहिए। सभी कांच की खिड़कियों में या तो खुलने योग्य अथवा आसानी से उपलब्ध हथौडे होने चाहिए।

(5) यात्रा प्रचालकों को चालकों के लिए ऐसे मानदंड लागू किए जाने की सलाह दी जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे यात्रा के दौरान थके हुए न हों।

(घ) मंत्रालय ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संबंध में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिकरण ने सूचित किया है सड़क सुविधा विशेषज्ञ ने दुर्घटना स्थल की जांच की है तथा उनकी अंतिम सिफारिश इस प्रकार है:—

"यद्यपि सभी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और उक्त अवस्थान पर सड़क में कोई ज्यामितिक अथवा सुरक्षा कमी नहीं है सीधा करने या मीडियन में किनारे और क्रैश बैरियर को सीधे सरेखण के लिए केन्द्रीय मीडियन के स्थानांतरण का सुझाव दिया जाता है ताकि लापरवाह चालक भी किनारे अथवा क्रैश बैरियर से न टकरा सकें।"

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ की सिफारिशों पर अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी है। आटोमोटिव रिसर्च ऑफ इंडिया और केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान से अनुरोध किया गया है कि आपातकालीन निकास द्वार से संबंधित प्रावधानों तथा ऑटोमोटिव उद्योग मानक एआईएस 052: बस बाडी डिजायन एवं अनुमोदन के लिए प्रक्रिया संहिता की सूक्ष्म रूप से जांच की जाए तथा एआईएस में अपेक्षित संशोधन संस्तुत किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बस कोड का कोई भी प्रावधान केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन न करें। तथापि, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रावधानों को प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रीय प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इसलिए सभी राज्य सरकारों से बसों और बस यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए उपाय सुझाने का अनुरोध किया गया है।

केरल में आमान परिवर्तन

1048. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालक्कड़ पोल्लाची और पुनालुर-शेनकोट्टाई खंडों पर आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना-वार आवंटित और उन पर खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों सहित इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तय की गई समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या रेलवे, का विचार भारी पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से पुनालुट-शेनकोट्टाई खंड पर विशेष रेलगाड़ियों को शुरू करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) पोलाची-पालघाट (58 किमी.) का आमान परिवर्तन, डिंडीगुल- पोलाची-पालघाट और पोलाची-कोयम्बटूर आमान परिवर्तन परियोजना (225 किमी.) के भाग के रूप में स्वीकृत किया गया है। पोलाची-मुथलामाडा (26 किमी.) पर कार्य पहले ही पूरा हो गया है। शेष भाग अर्थात् मुथलामाडा-पालघाट खंड (32 किमी.) पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है।

पुनालूर-सेनगोट्टई खंड (49 किमी.) का आमान परिवर्तन क्यूलोन-तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर एवं तेनकासी-विरुद्धनगर आमान परिवर्तन परियोजना (357 किमी.) के भाग के रूप में स्वीकृत किया गया है। सेनगोट्टई-भगवतीपुरम (7 किमी.) और पुनालूर-एड्डामन (9 किमी.) खंडों में कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और शेष भाग पर भी कार्य को शुरू कर दिया गया है।

(ख) मार्च, 2014 तक डिंडीगुल-पोलाची-पालघाट एवं पोलाची-कोयम्बटूर और क्यूलोन-तिरुनेलवेली-तिरुचेदूंर एवं तेनकासी-विरुद्धनगर आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर 744.56 करोड़ रुपए और 834.61 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और 2014-15 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए क्रमशः 80 करोड़ रुपए और 35 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) चालू परियोजनाओं का भारी थ्रो-फॉरवर्ड और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) इस समय पुनालूर-सेनगोट्टाई खंड में विशेष गाड़ियों को चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पैदल पार पथ

1049. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण के लिए प्रस्तावित पैदल पार पथ विशेष रूप से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर जब तक कार्य को पूरा किए जाने का लक्ष्य है, सहित पैदल पारपथों (एफओबी) के निर्माण के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे मनोहरपुर स्टेशन पर पैदल पार पथ की जर्जर हालत से परिचित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसकी मरम्मत के लिए क्या कार्रवाई की गई है और उसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या जालोर में भीममाल रेलवे स्टेशन का पैदल पार पथ के निर्माण संबंधी कार्य में विलंब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो कार्य को शीघ्र संपन्न करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों सहित तत्संबंधी कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार "ए1" "ए" "बी" और "सी" कोटि के स्टेशनों पर एक उपरी पैदल पुल और "डी" कोटि के स्टेशनों के मामले में दोहरीकरण/आमान परिवर्तन के दौरान जहां-कहीं उपरी पैदल पुल उपलब्ध नहीं होता, सभी क्रासिंग स्टेशनों पर एक उपरी पैदल पुल की व्यवस्था की जाती है। मानदंडों के अनुसार चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर एक उपरी पैदल पुल उपलब्ध है।

(ख) और (ग) मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पर उपरी पैदल पुल की मरम्मत के लिए 90 लाख रुपए की लागत की एक योजना स्वीकृत और चालू वर्ष के दौरान कार्य शुरू करने हेतु तैयार की गई है। बहरहाल, उपरी पैदल पुल की अनिवार्य मरम्मत आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भीममाल स्टेशन पर उपरी पैदल पुल के निर्माण के कार्य में ठेकेदार की गलती के कारण विलंब हुआ, जिसके लिए ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए पूरी धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है और इस समय लगभग 80% कार्य पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र पर बांध

1050. प्रो. सौगत राय :
श्री बदरुद्दीन अजमल :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन की यारलुंग सांगपो नदी पर किसी नियोजित जलविद्युत परियोजनाओं और चीनी प्राधिकारियों द्वारा नदी जल के विपथन के बारे में परिचित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चीन की तरफ से ऐसे विपथन/निर्माण से, भारत के पूर्वोत्तर में बाढ़ की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे निर्माण को रोकने के लिए चीन के साथ समाधान हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) भारत सरकार को चीन की ओर जांग्मू में यारलुंग सांगपो/ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माण कार्य की जानकारी है जो कि नदी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है। हाल ही में जारी 'आउट लाइन ऑफ 12वां फाइव ईयर प्लान फॉर नेशनल इक्नोमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना' से पता चलता है कि चीन के प्राधिकारियों ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग सांगपो/ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा पर कार्यान्वयन के लिए तीन और परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। चूंकि इन चारों परियोजनाओं को नदी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं माना जाता है, अत: भारत के पूर्वोत्तर में जल के प्रवाह में किसी खास परिवर्तन की उम्मीद नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर होने वाले घटनाक्रमों पर नजर रखती है। नदी के जल में महत्वपूर्ण स्थापित प्रयोक्ता अधिकारों वाले निचले तटवर्ती राज्य होने के नाते भारत के चीन के जनवादी गणराज्य सरकार के उच्च स्तर समेत चीन के प्राधिकारियों को अपने विचार और चिंता सूचित कर दी है। भारत ने चीन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि प्रतिप्रवाह क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों से अनुप्रवाह राज्यों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर उपरिपुल

1051. श्री चिन्तामन नावाशा वांगा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर नलसोपाड़ा फाटा और शीरसाद नाका पर उपरिपुल बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर नलसोपाड़ा फाटा और शीरसाद नाका पर उपरिपुल बनाने के लिए निम्नलिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:- (i) वर्ष 2010 में स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम पंचायत से अभ्यावेदन (ii) माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बलीराम एस. जाधव का दिनांक 21.12.2010 का पत्र जो जिला कलेक्टर ठाणे को संबोधित है (iii) माननीय एमएलए श्री बिलास तारे का दिनांक

07.03.2011 का पत्र (iv) माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बलीराम एस. जाधव का दिनांक 26.02.2012 का पत्र जो माननीय मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार को संबोधित है (v) मेयर, वसई विरार सिटी नगर निगम का दिनांक 07.12.2012 का पत्र (vi) माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य श्री संजीव नाईक का दिनांक 19.03.2013 का पत्र (vii) माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बलीराम एस. जाधव का दिनांक 31.05.2013 का पत्र (viii) श्री गोबिंदा गुंजालकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, थाणे का दिनांक 18.10.2013 का पत्र (ix) श्रमजीवी संगठन—महाराष्ट्र, तेल वसई, जिला थाणे का दिनांक 24.10.2013 का पत्र (x) माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बलीराम एस. जाधव का दिनांक 01.11.2013 का पत्र। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शीरसाद और नलसोपाड़ा पर 10.5 मीटर × 4.5 मीटर आकार का वाहन अंडरपास (वीयूपी) के निर्माण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 85 का निर्माण

1052. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 और 101 का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क पविहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 (छपरा-सिवान-गोपालगंज) की बीओटी (वार्षिकी) आधार पर पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय रजामार्ग प्राधिकरण द्वारा 6.6.2011 को सौंपा गया था जिसकी रियायत अवधि 15 वर्ष और कार्य पूरा करने की नियत तारीख 31.5.2014 रखी गई थी। चूंकि रियायतग्राही मै. अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा की गई कार्य प्रगति धीमी थी और मई, 2012 से कार्य रोक दिया गया था। इसलिए रियायतग्राही की चूक के लिए इसे 19.2.2014 को समाप्त कर दिया गया था। अब इस परियोजना को लागत प्राक्कलन के उन्नयन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाने के पश्चात् मार्च, 2015 तक पुन: सौंपे जाने का लक्ष्य है।

बिहार राज्य में 85 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 101 को 50 किमी. में उन्नत/चौड़ा कर दिया गया है और शेष 15 किमी. (जलालपुर-शाहजीतपुर) के लिए कार्य दिसम्बर, 2012 में सौंपा गया है और आज की तारीख तक केवल 30 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। यह कार्य वन स्वीकृति के कारण रोक दिया गया है। प्रथम चरण की स्वीकृति अब 26.4.2014 को प्राप्त की गई है और दूसरे चरण की स्वीकृति अभी प्रतिक्षित हैं। स्वीकृति के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य सड़क निर्माण विभाग द्वारा यह मामला वन विभाग के समक्ष उठाया गया है।

ब्रह्मपुत्र घाटी में अपरदन

1053. श्री राजेन गोहेन :
श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निमाली और मजुली ग्रुप द्वीपों सहित मृदा अपरदन को रोकने के लिए असम में चल रही केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का असम की बाढ़ और मृदा अपरदन समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपरदन के उद्देश्य के लिए जारी की गई केन्द्रीय निधियां की राशि कितनी है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में अपरदन के कारण भूमि और जीवन की क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर रह रहे लोगों की जान और माल को बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) XIवीं योजना के दौरान, भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन/कटाव रोधी तथा समुद्र कटाव रोधी से संबंधित कार्यों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) शुरू किया। अक्तूबर, 2013 में, मंत्रीमंडल ने XIIवीं योजना के दौरान एफएमपी को जारी रखने का अनुमोदन किया। XIवीं योजना के दौरान एफएमपी के अंतर्गत निमाती स्थित परियोजना सहित असम की 100 परियोजनाएं अनुमोदित की और 744.90 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की थी। XIIवीं योजना के दौरान, एफएमपी के अंतर्गत असम को कुल 41 नई परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। इसके अलावा चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने के

लिए XIIवीं योजना में 2.51 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता भी जारी की गई थी।

इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हुए बाढ़ व कटाव से असम में माजुली द्वीप के संरक्षण से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन शुरू किया है। इन कार्यों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदान राशि से किया जाता है। माजुली द्वीप को विभिन्न तत्कालिक आपातिक चरण-I, II व III के निर्माण कार्यों पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा जनवरी, 2004 से जून, 2004 तक 155.38 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत असम सरकार को जारी निधियों तथा विगत तीन वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान माजूली द्वीप के संरक्षण के उपायों हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	जारी निधियां (करोड़ रुपए में)			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	235.98	2.51	शून्य	शून्य
2.	बाढ़ तथा मृदा कटाव से माजूली द्वीप का संरक्षण	12.65	26.88	25.63	2.45

(घ) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, ब्रह्मपुत्र घाटी में गत पांच वर्षों अर्थात् 2009 से 2013 के दौरान असम में बाढ़ के कारण 0.938 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा 178 मानवजीवन की हानि हुई।

(ङ) बाढ़ का प्रबंधन तथा जन सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तद्नुसार, जन सुरक्षा तथा उनकी सम्पत्तियों हेतु योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों द्वारा तैयार की जाती हैं। भारत सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को निकालने के लिए अर्ध सैनिक बलों की सेवाएं उपलब्ध करवा कर तथा अन्य तत्काल राहत उपाय उपलब्ध करवा कर बाढ़ की गंभीर स्थिति के दौरान राज्य सरकारों को भी सहायता देती है।

[हिन्दी]

विरासत रेलवे लाइनें

1054. डॉ. मनोज राजोरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यशील नेरो गेज लाइनों का ब्यौरा क्या है जो 100 वर्ष पुरानी हैं;

(ख) देश में पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण उन विरासत रेलवे लाइनों के अनुरक्षण और विकास के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मार्ग-वार वर्तमान में संचालनरत विरासत रेलगाड़ियों के नाम क्या है;

(घ) क्या रेलवे का देश में विशेषत: राजस्थान में 100 वर्ष पुरानी ऐसी छोटी आमान लाइनों और रेल-गाड़ियों के सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	रेलवे	खंड का नाम (छोटी आमान)	लंबाई (किमी.)
	1	2	3
1.	मध्य रेलवे	मुर्तजापुर-यवतमाल	112.27
		मुर्तजापुर-अचलपुर	76.06
		नेरल-माथेरान	20.29
2.	उत्तर रेलवे	कालका-शिमला	96.54
3.	उत्तर मध्य रेलवे	ग्वालियर-शिवपुर कलां	199.80
		धौलपुर-मोहरी-तन्तपुर	58.63
		मोहरी-सिरमुत्रा	30.16
4.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे	79.27

1	2	3
5. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर	186.28
	इतवारी-छिंदवाड़ा-नैनपुर	283.48
	नागभिर-नागपुर	109.69
	अभानपुर-राजिम	16.39
	नैनपुर-मांडला फोर्ट	42.55
	रायपुर-धामतरी	72.61
6. पश्चिम रेलवे	कोसंबा-जंखवाव	41.36
	मियांगाम कर्जन-दभोई	32.14
	दभोई-चंडोड	
	विश्वमित्री-जंबुसर	35.93

(ख) सभी लाइनों को भारतीय रेलों के वर्तमान कोडल प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है।

(ग) भारतीय रेल में हेरिटेज गाड़ी के रूप में कोई भी गाड़ी निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) आवश्यकता के अनुसार सुधार और विकास से संबंधित जरूरी कार्यों को शुरू किया जाता है। राजस्थान में छोटी लाइन नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य

1055. श्री नित्यानन्द राय :
डॉ. संजय जायसवाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वित्तीय वर्षों से बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत अधिकांश सड़क परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना-वार, समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या यह आरोप है कि ठेकेदार संबंधित अभियंताओं से भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् गुमशुदा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन ठेकेदारों/अभियंताओं के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) (i) "ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण संरचना बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकबारगी विशेष पहल है। पीएमजीएसवाई के तहत कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्यों द्वारा कराए जाते हैं और सड़कों के कार्य को पूरा करना राज्य की कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। मंत्रालय ने इस योजना के तहत अभी तक बिहार राज्य के लिए 52,018 किमी. लंबाई की सड़कों के लिए 16,248 सड़क कार्यों हेतु 26,983 करोड़ रुपए के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 14,171 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 30,080 किमी. लम्बाई की सड़कों के 7,702 सड़क कार्यों को पूरा कर लिया गया है।

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को दी गई स्वीकृति इस प्रकार है:—

वर्ष	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	दोहराव के कारण रोके गए कार्य	किए जाने वाले सड़क कार्यों की संख्या	पूरे किए जा चुके सड़क कार्यों की संख्या	किए जाने वाले शेष सड़क कार्य
2011-12	670	106	564	248	316
2012-13	1,446	225	1,221	302	919
2013-14	5,419	—	5,419	5	5,414
कुल	7,535	331	7,204	555	6,649

(iii) परियोजना-वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट *www.omms.nic.in* पर उपलब्ध है।

(ग) राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य पीआईयू के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है और शेष कार्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। मंत्रालय भी विभिन्न बैठकों जैसे कि क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें, अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें एवं अन्य नियमित बैठकों के माध्यम से निगरानी रखता है।

(घ) राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। तथापि, विगत दिनों में इस प्रकार की घटनाएं मंत्रालय के संज्ञान में आई थीं और राज्यों को ठेका शर्तों के अनुसार शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई थी।

नगरों/उद्योगों की विद्युत मांग

1056. डॉ. अरुण कुमार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सृजित अधिकांश विद्युत नगरों और बड़े उद्योगों की विद्युत मांग के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसके कारण सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े सार्वजनिक और निजी उद्योगों की बिजली अपने स्वयं के रक्षित विद्युत संयंत्रों से प्राप्त करें और सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियों पर निर्भर नहीं करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने की भी योजना है कि उनकी भूमि अधिग्रहण करने के लिए किसानों को मुआवजा मुहैया कराने के अलावा उन सार्वजनिक और निजी उद्योगों को उनके रक्षित विद्युत संयंत्रों से सरकारी दरों पर बिजली भी मुहैया कराएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की रक्षित विद्युत सृजन के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्योगों को विशेष छूट या प्रोत्साहन मुहैया कराने की और सरकार पर उनकी निर्भरता कम करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) देश में उत्पादित विद्युत की खपत मुख्य रूप से घरेलू, उद्योग और कृषि जैसे उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 में 22% खपत घरेलू क्षेत्र में थी, 6% निम्न टेंशन (एलटी) उद्योगों, 39% उच्च टेंशन (एचटी) उद्योगों, 18% कृषि में और शेष अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं में हुई थी। 18% विद्युत की खपत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ग में हुई थी। एलटी उद्योगों में हुई 6% विद्युत की खपत मुख्य रूप से लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है और ग्रामीण क्षेत्रों एवं लघु उद्योगों सहित सभी उपभोक्ताओं को उनके प्रचालन क्षेत्र में विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध करवाना वितरण लाइसेंसियों का उत्तरदायित्व है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और उद्योग आदि को विद्युत की आपूर्ति का निर्णय यूटिलिटियों द्वारा राज्य में उपलब्धता और मांग के आधार पर लिया जाता है।

(ख) से (ङ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें

1057. श्री प्रतापराव जाधव :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोत क्षेत्र में संलिप्त संस्थाओं के कार्यकरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई जांच शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(घ) कथित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का क्या परिणाम है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (घ) भाड़ा अग्रेषकों द्वारा लगाए गए अत्यधिक शुल्क, पारगमन के दौरान सामान को हुई क्षति, बीमा दावे, शिपिंग एजेंटों और भाड़ा अग्रेषकों की ओर से अपमानजनक कदाचार के सम्बन्ध में निर्यातकों/व्यापार संघों से शिकायतें थीं। उपर्युक्त मामले निपटान के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

तथ्य को देखते हुए भाड़ा अग्रेषकों का चयन और ऐसे सेवा प्रदाताओं आदि द्वारा ली जाने वाली दरें दो निजी संस्थाओं अर्थात् शिपर्स (निर्यातकों/आयातकों) और सेवा प्रदाताओं (भाड़ा अग्रेषकों) आदि के मध्य औपचारिक/अनौपचारिक अनुबंध पर आधारित हैं। मंत्रालय की इन मामलों में कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान

1058. श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री पी.आर. सुन्दरम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत 2700 करोड़ रुपए तक की राशि को 25% भुगतानों में निर्धारित 15 दिन की अवधि से अधिक का विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत मजदूरी में विलंब के लिए वित्तीय मुआवजे का कोई दंडात्मक प्रावधान शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त कोषीय वर्ष में उच्चतम मुआवजे वाले राज्यों में वर्ष 2013-14 के लिए मजदूरी देने में विलंब के लिए हर्जाने की कुल राशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों के लिए कामगारों को संपूर्ण हर्जाने का भुगतान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है जिसके नहीं होने पर स्कीमों के अंतर्गत और निधियों को राज्यों को नहीं दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम के तहत 12673.14/- करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 15 दिन की निर्धारित अवधि से ज्यादा देरी से किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। जैसा कि मनरेगा 2005 की अनुसूची-II, पैरा 29 में दिया गया है, मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों मस्टर रॉल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद की अवधि के लिए मजदूरी भुगतान न होने पर 0.05% प्रतिदिन की दर से विलम्ब के लिए मुआवजा राशि पाने के हकदार हैं। कार्यक्रम एमआईएस के अनुसार 3.1.2014 से 31.3.2014 तक वर्ष 2013-14 के दौरान विलंब के लिए 87.17/- करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान किया जाना था। तीन राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), महाराष्ट्र और झारखंड ने विलम्ब के लिए क्रमशः 8.95/- करोड़ रुपए, 29.57/- लाख रुपए एवं 8809/- रुपए का मुआवजा भुगतान किया।

(ङ) और (घ) मनरेगा, 2005 की अनुसूची-II, पैरा 29 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी विलंब से किए गए मजदूरी भुगतानों के लिए मनरेगा के तहत मजदूरों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

[हिन्दी]

मंदाकिनी नदी की सफाई

1059. श्री भैरों प्रसाद मिश्र : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मंदाकिनी नदी की सफाई की आवश्यकता की दृष्टि से चित्रकूट धाम पर निर्बाध प्रवाह और पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) रामघाट पर अपशिष्ट उपचार संयंत्र के कार्य को कब तक निर्मित और पूर्ण किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र के कार्य को लंबित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पर्यावरण

और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्हें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम में मंदाकिनी नदी में प्रदूषण दूर करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि एनआरसीपी के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 6.2 करोड़ रुपए की लागत पर जिला सतना, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के प्रदूषण को दूर करने हेतु परियोजना को स्वीकृति दी है। परियोजना के तहत सीवेज के गंदे जल को रोकने एवं डायवर्जन करने, सीवेज उपचार संयंत्र, निम्न लागत स्वच्छता, नदी मुख विकास, श्मशान और सार्वजनिक जागरुकता एवं हिस्सेदारी से संबंधित कार्यों को शुरू किया गया है। परियोजना संबंधी कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और परियोजना पर लगभग 3.14 करोड़ रुपए (राज्य हिस्से के सहित) का व्यय किया गया है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान स्कीम के तहत रामघाट में सीवेज उपचार संयंत्र का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कार्य की जिम्मेदारी ऐसी स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार अभिकरण की होती है, जो कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार है।

[अनुवाद]

रेलवे की वित्तीय स्थिति

1060. श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री पी.के. बिजू :
योगी आदित्यनाथ :
श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वित्तीय संकट का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार सृजित की गई अधिशेष का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा आंतरिक और बाहरी स्रोतों के जरिए निधियों को उगाहने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं;

(ग) भारत सरकार से रेलवे को प्राप्त गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, वर्ष-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निधियों को सृजित करने का सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम अलाभकारी रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, नहीं। संचालन व्यय को पूरा करने और रेलवे राजस्व से सरकार को लाभांश का भुगतान करने के अलावा रेलवे को अपनी योजना के वित्त पोषण के लिए भी आंतरिक संसाधन जुटाने होते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा उपार्जित आधिक्य/सरप्लस और मौजूदा वर्ष के लिए अनुमान नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपए में)

2011-12	2012-13	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15
1,126	8,266	7,943	6,064

(ख) रेलवे ने आंतरिक संसाधन सृजन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ किराया एवं माल-भाड़ा दरों को युक्तिसंगत बनाना, यात्री एवं माल यातायात के उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करना, आमदनी के गैर-परम्परागत क्षेत्रों का दोहन, व्यय नियंत्रण आदि शामिल हैं। बजट अनुमान 2014-15 में रेलवे ने आंतरिक रूप से 12,914 करोड़ रुपए अर्जित करने का लक्ष्य रखा है।

जहां तक बाहरी संसाधनों से धनराशि जुटाने का संबंध है, रेलवे भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) के जरिए उधार लेती है। बजट अनुमान 2014-15 में भारेविनि के माध्यम से 11,790 करोड़ रुपए उधार लेने का बजट है। जहां तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी का संबंध है, अंतिम चरण वाली संपर्क लाइनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिसम्बर, 2012 में क्षमता सवर्धन संबंधी भागीदारी नीति अधिसूचित की गई थी। बजट अनुमान 2014-15 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत 6,005 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान भारत सरकार से रेलों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए में)

	2011-12	2012-13	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15
बजटीय समर्थन	20,013	24,132	27,000	30,100
डीजल उपकर से रेलवे का हिस्सा	1,060	1,102	1,102	1,496
कुल	21,073	25,234	28,102	31,596

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

दिल्ली में यमुना में जल प्रदूषण

1061. श्री कीर्ति आजाद : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे नाले जो दिल्ली में यमुना नदी के प्रवेश पश्चात् उसमें अपशिष्ट प्रवाहित कर रहे हैं के नाम, संख्या और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में यमुना नदी में जल प्रदूषण का स्तर कितना है;

(ग) दिल्ली सरकार को यमुना नदी में नालों के प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यमुना दी की सफाई के लिए वर्ष 2009 से चालू वर्ष तक वहन किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का दिल्ली सरकार को सभी कथित प्रदूषित नालों, जो यमुना नदी में विलय होते हैं को जोड़ने के लिए एक पृथक् नाला निर्मित करने का अनुदेश देने का विचार है; जिससे यमुना प्रदूषित होने से बच सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यमुना नदी के दिल्ली में प्रवेश के पश्चात् कुल 22 नाले अपने अपशिष्ट को यमुना नदी में छोड़ते हैं। नालों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) सभी उद्योगों और सीवेज उपचार संयंत्रों को राज्य सरकार से जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत सहमति लेना आवश्यक है। तदनुसार, वे अपशिष्ट जल के उपचार हेतु उचित प्रदूषण नियंत्रण उपचार प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं। यमुना नदी के लिए उपचारी कार्रवाई करने हेतु सीपीसीबी ने मुख्य सचिव को कहा है और जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 1981(बी) के तहत निर्देश भी जारी किया है।

(घ) दिल्ली जल बोर्ड (डीओबी) ने यमुना कार्य योजना के साथ-साथ इसकी इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के तहत निर्माण कार्य किए हैं जिनका लक्ष्य यमुना नदी की सफाई में सहायता करना है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	यमुना कार्य योजना के तहत व्यय	इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के तहत व्यय
2009-2010	179.48	18.2
2010-2011	202.20	0.66
2011-2012	122.08	37.00
2012-2013	49.23	178.00
2013-2014	19.25	240.50
2014-2015	0.43	128.22
कुल	572.67	602.58

(ङ) सीपीसीबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली सरकार ने मैसर्स जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (वाप्कोस) के माध्यम से वर्ष

1999-2000 में वीजराबाद बैराज और ओखला बैराज के बीच यमुना नदी में गिरने वाले नालों से बहाव को रोकने के लिए सामान्तर चैनल के निर्माण हेतु पूर्व साध्यता अध्ययन किया है। अध्ययन का यह निष्कर्ष है कि समानांतर नाले का निर्माण प्रदूषण की समस्या दूर करने हेतु व्यवहार्य नहीं है। तथापि, हाल ही में, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रूड़की ने इसी अवधारणा का सुझाव दिया है।

विवरण-I

यमुना नदी से जुड़ने वाले नालों (दिल्ली क्षेत्र) की जल गुणवत्ता स्थिति

क. यमुना नदी से जुड़ने वाले नाले

स्थान	निगरानी तिथि	पीएच	रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	सस्पेंडेड सॉलिड (एमजी/एल)	निस्सरण (एम^3/से.)	बीओडी भार (टन/दिन)
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य मानक*		**5.5-9.0**	**250**	**30**	**100**	—	—
1. नजफगढ़+पूरक नाला	19.11.2012	8.0	149	32	258	23.49	64.95
	04.12.2012	7.8	126	29	110	24.03	60.21
	02.01.2013	8.0	200	43	213	23.64	87.83
	12.02.2013	7.7	115	42	288	22.85	82.92
	11.03.2013	7.2	216	42	204	25.25	91.63
	09.04.2013	7.8	156	30	264	24.51	63.53
	15.05.2013	7.9	197	57	201	20.66	101.75
	27.08.2013	7.2	61	18	206	27.17	42.25
	25.09.2013	7.1	149	33	226	25.78	73.50
	22.10.2013	7.4	73	12	135	22.70	23.54
2. मैगजीन सड़क नाला	19.11.2012	7.6	891	269	344	0.13	3.02
	04.12.2012	7.4	356	158	315	0.20	2.73
	02.01.2013	7.7	540	203	271	0.32	5.61
	12.02.2013	7.3	570	285	326	0.19	4.68
	11.03.2013	7.4	673	271	531	0.20	4.68
	09.04.2013	7.5	553	214	424	0.17	3.14
	15.05.2013	7.5	504	175	221	0.28	4.23

1	2	3	4	5	6	7	8
	27.08.2013	6.7	313	147	173	0.29	3.68
	25.09.2013	6.8	343	137	185	0.12	1.42
	22.10.2013	7.1	338	86	243	0.16	1.19
3. स्वीपर कालोनी नाला	19.11.2012	7.6	119	33	76	0.05	0.14
	04.12.2012	7.4	429	135	61	0.05	0.58
	02.01.2013	7.9	173	54	102	0.04	0.19
	12.02.2013	7.3	160	50	140	0.10	0.43
	11.03.2013	7.3	200	81	107	0.10	0.70
	09.04.2013	7.5	163	54	88	0.10	0.47
	15.05.2013	7.4	197	53	153	0.08	0.37
	27.08.2013	7.0	60	27	53	0.12	0.28
	25.09.2013	6.7	116	34	31	0.04	0.12
	22.10.2013	7.2	58	7	49	0.04	0.02
4. खायबर पास नाला	19.11.2012	8.1	20	4	55	0.04	0.01
	04.12.2012	7.7	139	29	19016	0.04	0.10
	02.01.2013	8.1	28	5	1456	0.06	0.03
	12.02.2013	7.6	22	8	47	0.06	0.04
	11.03.2013	7.8	11	4	29	0.10	0.03
	09.04.2013	7.7	10	3	49	0.07	0.02
	15.05.2013	8.0	31	5	25	0.04	0.02
	27.08.2013	7.3	140	12	19400	0.42	0.44
	25.09.2013	7.5	37	बीडीएल	923	0.06	0.00
	22.10.2013	7.6	275	15	265	0.06	0.08
5. मेटकाफ हाउस नाला	19.11.2012	7.9	75	22	73	0.07	0.13
	04.12.2012	7.9	165	34	74	0.04	0.12
	02.01.2013	8.0	96	29	110	0.02	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
	12.02.2013	7.7	65	17	104	0.03	0.04
	11.03.2013	7.8	115	44	64	0.08	0.30
	09.04.2013	7.9	84	31	72	0.06	0.16
	15.05.2013	7.8	126	29	26	0.06	0.15
	27.08.2013	7.2	41	21	28	0.08	0.15
	25.09.2013	7.1	105	15	30	0.06	0.08
	22.10.2013	7.37	68	10	43	0.06	0.05
6. आईएसबीटी + मोरी गेट नाला	19.11.2012	7.5	241	92	217	1.09	8.66
	04.12.2012	7.7	68	31	122	0.82	2.20
	02.01.2013	8.0	155	49	116	0.68	2.88
	12.02.2013	7.6	95	35	202	0.63	1.91
	11.03.2013	7.5	335	173	191	0.94	14.05
	09.04.2013	7.6	235	94	157	1.29	10.48
	15.05.2013	7.8	124	55	139	0.73	3.47
	27.08.2013	7.2	46	14	586	0.71	0.86
	25.09.2013	7.1	80	7	19	0.56	0.34
	22.10.2013	7.3	73	8	81	0.71	0.49
7. टोंगा स्टेंड नाला	19.11.2012	7.6	255	113	184	0.1	0.98
	04.12.2012	7.7	101	47	306	0.07	0.28
	02.01.2013	7.9	382	121	218	0.07	0.73
	12.02.2013	7.4	609	167	450	0.07	1.01
	11.03.2013	7.7	948	307	574	0.06	1.59
	09.04.2013	7.7	520	193	298	0.15	2.50
	15.05.2013	7.7	562	112	363	0.16	1.55
	27.08.2013	7.1	200	94	106	0.15	1.22
	25.09.2013	7.2	320	102	87	0.07	0.62
	22.10.2013	7.3	189	47	423	0.07	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8
8. कैलाश नगर नाला	19.11.2012	7.7	354	134	203	0.14	1.62
	04.12.2012	7.6	51	22	372	0.37	0.70
	02.01.2013	7.8	245	89	185	0.47	3.61
	12.02.2013	7.6	410	142	456	0.26	3.19
	11.03.2013	7.7	811	338	449	0.07	2.04
	09.04.2013	7.7	459	176	600	0.24	3.65
	15.05.2013	7.7	478	241	338	0.04	0.83
	27.08.2013	7.5	108	36	126	0.13	0.40
	25.09.2013	7.0	610	184	491	0.16	2.54
	22.10.2013	7.3	472	127	196	0.11	1.21
9. सिविल मिल नाला	19.11.2012	7.9	159	58	142	0.07	0.35
	04.12.2012	7.7	417	110	75	0.1	0.95
	02.01.2013	7.7	92	26	92	0.06	0.13
	12.02.2013	7.7	136	21	188	0.10	0.18
	11.03.2013	7.8	161	57	104	0.02	0.10
	09.04.2013	7.9	125	35	124	0.04	0.12
	15.05.2013	8.0	28	12	120	0.04	0.04
	27.08.2013	7.2	123	28	212	0.05	0.12
	25.09.2013	7.9	141	56	127	0.07	0.34
	22.10.2013	7.5	82	14	98	0.04	0.05
10. दिल्ली गेट (पॉवर हाउस) नाला	19.11.2012	8.1	203	79	155	1.56	10.65
	04.12.2012	6.6	33	15	84	1.46	1.89
	02.01.2013	7.8	172	74	156	2.14	13.68
	12.02.2013	7.6	168	79	280	2.38	16.24
	11.03.2013	7.6	279	151	227	1.82	23.74
	09.04.2013	7.8	250	89	211	1.97	15.15

1	2	3	4	5	6	7	8
	15.05.2013	7.8	326	107	204	2.20	20.34
	27.08.2013	7.0	160	67	129	1.22	7.06
	25.09.2013	6.9	431	124	212	1.07	11.46
	22.10.2013	7.3	198	37	288	1.45	4.64
11. सेन नर्सिंग होम नाला	19.11.2012	7.8	257	103	218	1.41	12.55
	04.12.2012	7.8	289	82	197	0.95	6.73
	02.01.2013	7.6	351	155	228	1.09	14.60
	12.02.2013	7.7	333	118	384	0.78	7.95
	11.03.2013	7.9	328	103	204	0.90	8.01
	09.04.2013	7.9	65	23	90	0.94	1.87
	15.05.2013	7.7	326	145	307	0.66	8.27
	27.08.2013	7.1	163	56	178	0.74	3.58
	25.09.2013	7.1	381	128	151	0.64	7.08
	22.10.2013	7.2	347	87	284	0.64	4.81
12. नाला संख्या-14	19.11.2012	8.3	102	22	73	0.18	0.34
	04.12.2012	7.8	193	73	21	0.13	0.82
	02.01.2013	8.1	94	11	66	0.11	0.10
	12.02.2013	7.8	27	4	56	0.15	0.05
	11.03.2013	8.1	39	7	14	0.20	0.12
	09.04.2013	8.0	44	14	82	0.20	0.24
	15.05.2013	8.0	38	15	38	0.19	0.25
	27.08.2013	7.3	52	10	22	0.17	0.15
	25.09.2013	7.8	143	39	53	0.18	0.61
	22.10.2013	7.5	47	5	83	0.08	0.03
13. बारापुला नाला	19.11.2012	8.0	189	66	84	—	—
	04.12.2012	7.8	59	26	89	—	—
	02.01.2013	7.9	179	80	93	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	12.02.2013	7.8	204	66	187	3.25	18.53
	11.03.2013	7.8	286	102	157	2.80	24.68
	09.04.2013	7.8	206	82	110	2.23	15.80
	15.05.2013	7.9	98	38	134	0.64	2.10
	27.08.2013	7.2	116	52	134	0.90	4.04
	25.09.2013	7.3	163	37	52	2.7	8.63
	22.10.2013	7.2	132	34	171	0.55	1.62
14. महारानी बाग नाला	19.11.2012	7.7	316	114	172	0.30	2.95
	04.12.2012	7.6	36	11	115	0.42	0.40
	02.01.2013	7.6	215	90	132	0.38	2.95
	12.02.2013	7.5	299	162	354	0.31	4.34
	11.03.2013	9.4	423	149	223	0.20	2.57
	09.04.2013	7.5	416	165	334	0.12	1.71
	15.05.2013	7.5	329	97	215	0.09	0.75
	27.08.2013	7.3	112	47	56	0.08	0.32
	25.09.2013	7.0	248	85	151	0.20	1.47
	22.10.2013	7.2	170	41	146	0.29	1.03
15. अबू फज़ल नाला	19.11.2012	8.2	117	27	239	0.92	2.15
	04.12.2012	8.0	141	35	43	0.18	0.54
	02.01.2013	8.0	117	29	87	0.15	0.38
	12.02.2013	8.1	255	81	198	1.70	11.90
	11.03.2013	8.2	169	43	104	0.11	0.41
	09.04.2013	7.9	74	33	40	0.45	1.28
	15.05.2013	8.0	191	37	69	0.33	1.05
	27.08.2013	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
	25.09.2013	7.4	60	21	46	0.19	0.34
	22.10.2013	7.7	98	21	69	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
16. जैतपुर नाला	19.11.2012	7.8	428	184	277	0.16	2.54
	04.12.2012	7.8	395	165	227	0.24	3.42
	02.01.2013	7.8	441	186	222	0.19	3.05
	12.02.2013	7.7	378	158	210	0.17	2.32
	11.03.2013	7.9	366	132	392	0.13	1.48
	09.04.2013	7.7	649	148	570	0.16	2.05
	15.05.2013	7.7	480	148	361	0.12	1.53
	27.08.2013	7.2	206	108	158	0.16	1.49
	25.09.2013	7.2	285	104	106	0.15	1.35
	22.10.2013	7.4	245	52	121	0.12	0.54
17. तुगलकाबाद नाला	19.11.2012	8.2	172	46	220	1.61	6.40
	04.12.2012	8.0	72	29	160	1.18	2.96
	02.01.2013	8.0	129	54	314	1.49	6.95
	12.02.2013	7.9	177	59	359	1.36	6.93
	11.03.2013	7.7	61	14	34	1.05	1.27
	09.04.2013	7.9	267	111	502	1.26	12.08
	15.05.2013	8.0	132	45	273	0.39	1.52
	27.08.2013	7.2	205	32	1620	1.19	3.29
	25.09.2013	7.3	188	37	522	0.98	3.13
	22.10.2013	7.6	95	28	270	1.20	2.90
18. शाहदरा नाला	19.11.2012	7.8	292	73	171	7.53	47.49
	04.12.2012	7.6	68	23	229	7.56	15.02
	02.01.2013	7.6	267	103	356	6.75	60.07
	12.02.2013	7.5	273	117	462	8.60	86.94
	11.03.2013	7.7	855	294	439	7.08	179.84
	09.04.2013	7.6	329	119	355	6.75	69.40
	15.05.2013	7.6	276	92	390	5.80	46.10

1	2	3	4	5	6	7	8
	27.08.2013	7.1	156	47	146	7.22	29.32
	25.09.2013	7.2	206	100	162	7.53	65.06
	22.10.2013	7.3	265	121	150	8.30	86.77
ख. नहरों को जोड़ने वाले नाले							
19 क. ओखला विहार में परित्यक्त आगरा नहर (मात्र यमुना नदी जल)	19.11.2012	8.0	106	32	56	2.80	7.74
	04.12.2012	7.8	96	23	31	4.33	8.60
	02.01.2013	7.9	87	39	68	4.10	13.82
	12.02.2013	7.7	11	3	43	4.40	1.14
	11.03.2013	7.3	827	179	812	3.60	55.68
	09.04.2013	7.8	57	10	33	3.00	2.60
	15.05.2013	8.0	164	28	26	3.80	9.19
	27.08.2013	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
	25.09.2013	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
	22.10.2013	7.3	6	1	21	8.00	0.69
19 ख. कालिंदी कुंज में परित्यक्त आगरा नहर (शहर के अपशिष्ट के मिलने के पश्चात्)	19.11.2012	8.1	111	23	61	8.00	15.90
	04.12.2012	8.0	93	73	16	6.19	39.04
	02.01.2013	7.8	59	16	58	6.00	8.29
	12.02.2013	7.7	237	59	173	5.90	30.08
	11.03.2013	7.6	256	92	133	5.25	41.73
	09.04.2013	7.9	67	17	68	6.70	9.84
	15.05.2013	8.0	184	24	28	6.52	13.52
	27.08.2013	7.3	41	11	126	9.31	8.85
	25.09.2013	7.5	134	31	159	8.15	21.83
	22.10.2013	7.5	66	10	87	10.40	8.99
19 ग. परित्यक्त आगरा नहर में अपशिष्ट जल का इनपुट (19ख-19क)	19.11.2012	—	—	—	—	5.20	8.16
	04.12.2012	—	—	—	—	1.86	30.44
	02.01.2013	—	—	—	—	1.90	0.00
	12.02.2013	—	—	—	—	1.50	28.94

1	2	3	4	5	6	7	8
	11.03.2013	—	—	—	—	1.65	0.00
	09.04.2013	—	—	—	—	3.70	7.25
	15.05.2013	—	—	—	—	2.72	4.33
	27.08.2013	—	—	—	—	9.31	8.85
	25.09.2013	—	—	—	—	8.15	21.83
	22.10.2013	—	—	—	—	2.40	8.29
20. सरिता विहार नाला	19.11.2012	7.9	778	328	511	0.49	13.89
	04.12.2012	7.8	484	208	444	0.22	3.95
	02.01.2013	7.8	496	190	276	0.21	3.45
	12.02.2013	7.6	596	314	596	0.57	15.46
	11.03.2013	7.6	673	289	284	0.40	9.99
	09.04.2013	7.7	597	189	565	0.37	6.04
	15.05.2013	7.8	588	180	364	0.34	5.29
	27.08.2013	7.2	309	161	157	0.40	5.56
	25.09.2013	7.1	259	43	178	0.21	0.78
	22.10.2013	7.2	438	169	202	0.22	3.21
21. तेहखंड नाला	19.11.2012	8.0	351	152	168	0.24	3.15
	04.12.2012	7.7	428	187	263	0.17	2.75
	02.01.2013	7.6	550	247	332	0.19	4.05
	12.02.2013	7.8	537	308	380	0.38	10.11
	11.03.2013	7.7	715	321	400	0.30	8.32
	09.04.2013	7.6	1338	296	1747	0.21	5.37
	15.05.2013	7.7	517	95	304	0.39	3.20
	27.08.2013	7.1	140	59	122	0.47	2.40
	25.09.2013	7.1	163	49	85	0.17	0.72
	22.10.2013	7.3	202	54	105	0.24	1.12

1	2	3	4	5	6	7	8
22. मोलारबंद नाला	19.11.2012	7.9	483	190	355	0.04	0.72
	04.12.2012	7.6	355	168	288	0.06	0.87
	02.01.2013	8.0	394	145	238	0.05	0.05
	12.02.2013	7.5	218	93	155	0.12	0.96
	11.03.2013	7.6	553	154	474	0.17	2.26
	09.04.2013	7.6	316	54	215	0.03	0.14
	15.05.2013	7.6	251	84	107	0.14	1.02
	27.08.2013	7.1	183	76	154	0.20	1.31
	25.09.2013	7.1	212	66	101	0.18	1.03
	22.10.2013	7.1	229	70	126	0.13	0.79

एनएफ : कोई बहाव नहीं बीडीएल : पता लगने की सीमा से नीचे

*अंतरदेशीय सतही जल में पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण संबंधी मानक।

स्रोत: एनवायर्नमेंटल (प्रोक्टेशन) सैकेंड एमेंडमेंट रूल्स 1993, जीएसआर 422(ई) दिनांक 15.05.1993 के माध्यम से अधिसूचित, गजट संख्या 174 दिनांक 19.05.1993 में प्रकाशित।

विवरण-II

दिल्ली क्षेत्र में युमना नदी और आगरा नहर की जल गुणवत्ता

स्थान	निगरानी तिथि	पीएच	घुला हुआ ऑक्सीजन (एमजी/एल)	रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	कुल कॉलिफोर्म (एमपीएन/100 एमएल)
1	2	3	4	5	6	7
नदी के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड (श्रेणी 'ग')*		**6 से 9**	**4.0 (निम्नतम)**	**—**	**3 (अधिकतम)**	**5000 (अधिकतम)**
1. पाला में यमुना नदी	19.11.2012	8.2	8.0	7	बीडीएल	150000
	04.12.2012	7.9	9.3	5	1	48000
	02.01.2013	7.4	10.2	5	1	6800
	12.02.2013	8.2	8.4	10	2	110000
	11.03.2013	8.3	9.1	8	बीडीएल	1300
	09.04.2013	7.8	13.1	22	6	1100
	15.05.2013	8.3	7.7	14	4	7800

1	2	3	4	5	6	7
	27.08.2013	7.3	6.1	34	2	9200
	25.09.2013	7.8	6.4	28	1	17000
	22.10.2013	7.7	7.4	बीडीएल	1	3300

स्थान	निगरानी तिथि	पीएच	धुली हुआ ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	अमेनिया (एमजी/एल)	कुल कॉलिफॉर्म (एमपीएन/100 एमएल)
नदी के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड (श्रेणी 'घ')**		**6.5 से 8.5**	**4.0 (निम्नतम)**	—	—	**1.2 (अधिकतम)**	—
2. निजामुद्दीन में यमुना नदी	19.11.2012	7.9	0.7	106	37	19.8	35000000
	04.12.2012	7.7	0.8	128	56	14.8	17000000
	02.01.2013	7.1	0.8	89	31	27.2	5400000
	12.02.2013	8.2	3.4	23	8	3.4	2200000
	11.03.2013	8.1	0.4	26	5	6.6	9200000
	09.04.2013	7.9	0.5	50	18	6.3	5400000
	15.05.2013	7.7	0.3	80	25	20.5	920000
	27.08.2013	7.3	3.5	15	6	1.4	1600000
	25.09.2013	7.8	2.4	23	10	2.8	2400000
	22.10.2013	7.9	1.4	24	10	2.7	3500000
3. आगरा नहर पर यमुना नदी (कालिंदी कुंज)	19.11.2012	7.8	0.7	125	40	20.3	160000000
	04.12.2012	7.7	1.0	170	60	10.2	21000000
	02.01.2013	7.3	0.9	44	17	3.8	1300000
	12.02.2013	7.6	2.4	18	5	4.2	9200000
	11.03.2013	8.1	0.6	32	9	7.9	940000
	09.04.2013	8.2	0.6	62	17	5.1	3500000
	15.05.2013	7.7	0.6	98	26	14.2	110000
	27.08.2013	7.3	3.3	32	5	1.5	920000
	25.09.2013	7.8	1.6	24	9	2.8	260000
	22.10.2013	7.9	1.2	52	19	7.5	1100000

स्थान	निगरानी तिथि	पीएच	घुली हुई ऑक्सीजन (एमजी/एल)	रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	कुल कॉलिफोर्म (एमपीएन/100 एमएल)
नदी के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड (श्रेणी 'ख')#		**6.5 से 8.5**	**5.0 (निम्नतम)**	**—**	**3 (अधिकतम)**	**500 (अधिकतम)**
4. शाहदरा नाले में मिलने के पश्चात् ओखला में यमुना नदी	19.11.2012	7.9	0.8	168	57	200000
	04.12.2012	7.7	1.5	204	104	270000
	02.01.2013	7.3	3.5	132	43	2400000
	12.02.2013	7.6	6.1	28	7	790000
	11.03.2013	8.0	0.7	42	12	1100000
	09.04.2013	7.9	2.6	51	10	1700000
	15.05.2013	7.5	0.3	146	30	220000
	27.08.2013	7.3	3.9	26	4	1600000
	25.09.2013	7.7	4.1	26	9	3500000
	22.10.2013	7.8	0.9	32	15	2200000

स्थान	निगरानी तिथि	पीएच	घुली हुई ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (एमजी/एल)	विद्युतीय संयोजकता (माइक्रो एमएचओएस/सीएम)	कुल कॉलिफॉर्म (एमपीएन/100 एमएल)
1	2	3	4	5	6	7	8
नदी के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड (श्रेणी 'ङ')##		**6.5 से 8.5**	**—**	**—**	**—**	**2250 (अधिकतम)**	**—**
5. मदनपुर खादर में आगरा नहर	19.11.2012	7.9	0.6	121	41	1747	400000
	04.12.2012	7.7	0.9	148	62	873	4900000
	02.01.2013	7.1	0.9	49	19	786	2200000
	12.02.2013	7.5	1.4	35	13	567	2200000
	11.03.2013	8.1	0.6	46	20	959	9200000

1	2	3	4	5	6	7	8
	09.04.2013	7.8	2.8	63	27	1154	16000000
	15.05.2013	7.8	0.3	106	28	1355	170000
	27.08.2013	7.3	2.2	23	5	417	540000
	25.09.2013	7.7	1.5	23	8	663	5400000
	22.10.2013	7.9	0.7	23	7	940	5400000

*विसंक्रमण के बाद पारंपरिक उपचार सहित पेयजल स्रोत।

**वन्य जीवन, मत्स्य पालन का प्रचार।

#खुले में स्ननान: आयोजित।

##सिंचाई, औद्योगिक शीतलन, नियंत्रित अपशिष्ट निपटान।

स्रोत: (नदी के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड): एडीएसओआरबीएस/3/1978-79 (सीपीसीबी प्रकाशन)

बीडीएल = पता लगने की सीमा से नीचे।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में एआईबीपी

1062. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के कुछ बृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में प्रत्येक के कार्य निष्पादन की योजना का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक एआईबीपी में इन परियोजनाओं में किसी के शामिल नहीं करने के कारण क्या हैं और इन सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध केन्द्रीय सहायता जारी करना सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं की छंटनी/मूल्यांकन को शीघ्र संपन्न करने के लिए किए गए उपाय क्या हैं; और

(ङ) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई निधियां पूर्ण रूप से उपयोग कर ली गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त अवधि में वर्ष और राज्य-वार उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत अभी तक 64 बृहत तथा मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाएं शामिल की गई हैं, इन परियोजनाओं में से 37 पूरी हो गई हैं और 27 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं की प्रगति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) इसके अतिरिक्त, एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा पुराना बैराज-2, घुंघसी बैराज, टेम्भू लिफ्ट सिंचाई स्कीम (एलआईएस), उर्मोदी तथा शेलगांव बैराज हेतु भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं को एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये परियोजनाएं एआईबीपी के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र से राज्यों द्वारा एआईवीपी के तहत तथा राज्य निधियों से जारी केन्द्रीय सहायता और किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य में एआईबीपी के अंतर्गत बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम ईआरएम	एआईबीपी में शामिल करने का वर्ष	समझौता ज्ञापन के अनुसार पूरा करने की लक्षित तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
1.	गोसीखुर्द [एनपी]	बृहत	1996-97	2013-14	निर्माणाधीन
2.	सूर्य	बृहत	1996-97	—	पूर्ण
3.	वाघुर	बृहत	1996-97	2014-15	निर्माणाधीन
4.	भीमा	बृहत	1997-98	—	पूर्ण
5.	ऊपरी तापी	बृहत	1997-98	—	पूर्ण
6.	ऊपरी वर्धा	बृहत	1997-98	—	पूर्ण
7.	वान	बृहत	1998-99	—	पूर्ण
8.	जायकवाडी चरण-II	बृहत	2000-01	—	पूर्ण
9.	विष्णुपुरी	बृहत	2000-01	—	पूर्ण
10.	बहुला	मध्यम	2000-01	—	पूर्ण
11.	कृष्णा	बृहत	2002-03	—	पूर्ण
12.	कुकाड़ी	बृहत	2002-03	—	पूर्ण
13.	ऊपरी मनार	मध्यम	2002-03	2013-14	निर्माणाधीन
14.	हेतवाने	मध्यम	2002-03	—	पूर्ण
15.	चस्कामान	बृहत	2002-03	—	पूर्ण
16.	ऊपरी पेन गंगा	बृहत	2004-05	2014-15	निर्माणाधीन
	बावनथाडी [आईएस]	बृहत	2004-05	2013-14	निर्माणाधीन
17.	लोअर दुधना	बृहत	2005-06	2014-15	निर्माणाधीन
	तिल्लारी	बृहत	2005-06	2013-14	निर्माणाधीन
18.	वारना	बृहत	2005-06	2015-16	निर्माणाधीन
19.	वान-II	बृहत	2006-07	—	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
20.	पुनाद	बृहत	2006-07	2012-13	निर्माणाधीन
21.	पोथरा नल्ला	मध्यम	2006-07	–	पूर्ण
22.	उतावली	मध्यम	2006-07	–	पूर्ण
23.	पूर्णा	मध्यम	2006-07	–	पूर्ण
24.	नन्दुर मधमेश्वर	बृहत	2006-07	–	पूर्ण
	नन्दुर मधमेश्वर चरण-II	बृहत	2009-10	2014-15	निर्माणाधीन
25.	कार	मध्यम	2006-07	–	पूर्ण
26.	लोअर वर्धा	बृहत	2006-07	2014-15	निर्माणाधीन
27.	लाल नल्ला	मध्यम	2006-07	–	पूर्ण
28.	खड़गपुर्णा	बृहत	2006-07	2012-13	निर्माणाधीन
29.	अरुणावती	बृहत	2006-07	–	पूर्ण
30.	ताजनापुर एलआईएस	मध्यम	2006-07	–	पूर्ण
31.	खड़कवासला	बृहत	2002-03	–	पूर्ण
32.	कादवी	मध्यम	2002-03	–	पूर्ण
33.	कसारसाई	मध्यम	2002-03	–	पूर्ण
24.	ज्वालागांव	मध्यम	2002-03	–	पूर्ण
35.	कुम्भी	मध्यम	2002-03	–	पूर्ण
36.	कसारी	मध्यम	2002-03	–	पूर्ण
37.	पटगांव	मध्यम	2004-05	–	पूर्ण
38.	मदन टैंक	मध्यम	2005-06	–	पूर्ण
39.	डोंगरगांव	मध्यम	2005-06	2012-13	निर्माणाधीन
40.	शिवना तकली	मध्यम	2005-06	–	पूर्ण
41.	अमरावती	मध्यम	2005-06	–	पूर्ण
42.	गुल	मध्यम	2005-06	2011-12	निर्माणाधीन
43.	बेम्बला	बृहत	2007-08	2014-15	निर्माणाधीन
44.	चन्द्रभागा	मध्यम	2007-08	–	पूर्ण
45.	सपन	मध्यम	2007-08	–	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
46.	उत्तरमांड	मध्यम	2007-08	2013-14	निर्माणाधीन
47.	संगोला शाखा नहर	बृहत	2007-08	2012-13	निर्माणाधीन
48.	पेंटाकली	बृहत	2007-08	—	पूर्ण
49.	तराली	बृहत	2007-08	2014-15	निर्माणाधीन
50.	धोम बालकवाड़ी	बृहत	2007-08	2014-15	निर्माणाधीन
51.	मोरना (गुरेघर)	मध्यम	2007-08	2013-14	निर्माणाधीन
52.	अर्जुन	मध्यम	2007-08	2013-14	निर्माणाधीन
53.	प्रकाशा बैराज	मध्यम	2007-08	—	पूर्ण
54.	सुलवादे बैराज	मध्यम	2007-08	—	पूर्ण
55.	सारंगखेड़ा	मध्यम	2007-08	—	पूर्ण
56.	लोअर पेधी	बृहत	2008-09	2012-13	निर्माणाधीन
57.	ऊपरी कुंडालिका	मध्यम	2008-09	2013-14	निर्माणाधीन
58.	वांग परियोजना	मध्यम	2008-09	2013-14	निर्माणाधीन
59.	लोअर पंजारा	मध्यम	2009-10	2013-14	निर्माणाधीन
60.	अरुणा	मध्यम	2009-10	2013-14	निर्माणाधीन
61.	कृष्णा योजना लिफ्ट	बृहत	2009-10	2014-15	निर्माणाधीन
62.	नारादावे (मुहम्मदवाड़ी)	मध्यम	2009-10	2013-14	निर्माणाधीन
63.	गडनदी	मध्यम	2009-10	2014-15	निर्माणाधीन
64.	कुदाली	मध्यम	2009-10	2013-14	निर्माणाधीन

विवरण-II

एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय सहायता तथा किए गए व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य के नाम	जारी केन्द्रीय सहायता				किया गया व्यय		
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	22.79	256.13	0.00	0.00	2370.02	1943.19	940.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	असम	49.50	46.96	0.00	0.00	10.18	0.00	45.00
3.	बिहार	23.40	0.00	0.00	0.00	122.90	32.46	184.07
4.	छत्तीसगढ़	43.01	22.25	15.53	37.53	128.20	17.37	130.51
5.	गोवा	20.00	20.25	8.00	0.00	91.62	62.68	48.94
6.	गुजरात	361.42	0.00	1285.93	607.57	747.08	1727.36	2251.50
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	11.12	82.59	0.00	0.00	55.35	0.00	0.09
9.	जम्मू और कश्मीर	38.30	61.65	12.71	7.20	50.69	21.89	32.20
10.	झारखंड	11.24	335.54	515.72	0.00	13.40	205.24	345.80
11.	कर्नाटक	533.12	452.24	207.36	200.12	1035.77	547.95	458.47
12.	केरल	10.02	0.00	0.00	0.00	26.66	11.14	9.99
13.	मध्य प्रदेश	456.19	262.18	491.51	192.50	1361.37	1218.21	1201.55
14.	महाराष्ट्र	1812.91	1122.68	840.18	279.52	2417.35	2760.86	1570.85
15.	मणिपुर	209.50	0.00	375.00	0.00	177.12	76.67	384.54
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	ओडिशा	563.83	614.95	14.82	0.00	894.43	723.82	104.13
18.	पंजाब	140.48	43.63	0.00	0.00	93.75	52.85	4.08
19.	राजस्थान	41.92	3.38	0.00	0.00	1794.63	122.09	131.88
20.	त्रिपुरा	48.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	9.94
21.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	432.74	279.84	144.64	214.98	943.07	226.30	625.68
23.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	81.00	102.55	0.00	0.00	0.67	3.18	74.01
	योग	4910.48	3706.81	3911.38	1539.42	12339.94	9753.24	8553.46

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत रोजगार

1063. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कम वर्षा की स्थिति में राज्यों से सहकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एमजीएमआरईजीएस) के अंतर्गत रोजगार में कमी को पूरा करने के लिए कोई आकस्मिकता योजना तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कन्द्र सरकार ने एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत जल निकायों, जल संचयन संरचनाओं इत्यादि को बनाने/मरम्मत करके जल प्रबंधन पर कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार, राज्यों को उनकी आकस्मिकता योजनाओं को चलाने के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) सामान्य से कम वर्षा के कारण सूखा जैसी स्थिति के अनुमान को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में श्रम सघन कार्य शुरू करें।

(घ) सूखे के प्रभावों को कम करने की क्षमता रखने वाले अनुमेय मनरेगा कार्य इस प्रकार हैं (i) सिंचाई टैंकों और तालाबों से गाद निकालने सहित पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण (ii) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य तथा सिंचाई नहरों एवं क्यारियों का निर्माण, नवीकरण एवं रख-रखाव (iii) भू-जल की उपलब्धता बढ़ाने और इस स्थिति में सुधार करने वाली जल संरक्षण एवं संचयन संरचनाएं जैसे कि भूमिगत डाइक, मिट्टी के बांध, रोक बांध, चैक डेम इत्यादि और (iv) सड़कों के किनारे पौधरोपण, बंजर/परती भूमि के विकास, नर्सरी लगाने जैसे सूखा रोधन कार्य इत्यादि। राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे सूखे/सूखे जैसी स्थिति के प्रभावों को कम करने के लिए ये कार्य कराएं।

(ङ) और (च) मनरेगा मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमानित मांग के आधार पर निधियां रिलीज की जाती हैं।

बांधों का निर्माण

1064. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से बांधों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इनमें से प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी निधि स्वीकृत की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो परियोजना-वार इसके कारण क्या हैं; और

(च) उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति महाराष्ट्र में कब तक दी जाएगी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बांधों के निर्माण से संबंधित 60 बृहत, मध्यम एवं बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्ताव (नए/संशोधित) प्राप्त हुए हैं जिनमें आगे नई (स्प्रिलओवर) परियोजनाएं भी शामिल हैं। उपर्युक्त 60 बांध परियोजना प्रस्तावों में से जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने 15 बांध परियोजना प्रस्ताव स्वीकार किए है। इस बांध परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। शेष 45 (नए/संशोधित) बांध परियोजना प्रस्ताव, केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों में मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं उपर्युक्त परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किए गए 15 प्रस्तावों में से 11 परियोजनाएं केन्द्रीय सहायता के लिए एआईबीपी के अंतर्गत शामिल की गई है। इन परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई निधि और शेष परियोजनाओं को निधि मंजूर न करने के कारण संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) परियोजनाओं को स्वीकृति देने में लगने वाला समय परियोजना प्राधिकरणों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों की टिप्पणियों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि से आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। परियोजना का मूल्यांकन पूरा करने की समय-सीमा, राज्यों को ध्यान में रखे बगैर, परियोजनाओं के मूल्यांकन के दिशा-निर्देशों में परिभाषित की गई है। तथापि कुछ मामलों में मूल्यांकन में विलंब का बड़ा कारण, परियोजनाओं की आयोजना और डिजाइन में संबंधित तकनीकी टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विलंब का होना है। राज्य सरकार पर्यावरणीय, वन और जनजातीय दृष्टिकोण से सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में लम्बा समय लेती है।

महाराष्ट्र राज्य की मूल्यांकनाधीन परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण-II में शामिल हैं। मूल्यांकन पूरा करने में लगने वाला समय राज्य सरकार के उत्तर पर निर्भर करता है।

विवरण-I

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा विचार की गई और स्वीकार की गई बांध परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	बैठक की तारीख	परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम	अनुमानित लागत करोड़ रुपए में	लाभ हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
		असम			
	वर्ष 2012-13	**शून्य**			
	वर्ष 2013-14				
1.	29.08.2013	धनसिरी सिंचाई परियोजना	बृहत-संशोधित	587.05	83,366
		हिमाचल प्रदेश			
	वर्ष 2012-13				
2.	24.07.2012	नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई	नई मध्यम	97.59	64.71
	वर्ष 2013-14	**शून्य**			
		कर्नाटक			
	वर्ष 2012-13	**शून्य**			
	वर्ष 2013-14				
3.	08.10.2013	ऊपरी तुंगा परियोजना	बृहत-नई	2561.88	94,698
4.	30.01.2014	करंजा सिंचाई परियोजना	बृहत-संशोधित	635.18	29,227
		मध्य प्रदेश			
	वर्ष 2012-13				
5.	24.07.2012	महुआर मध्यम सिंचाई परियोजना	नई-मध्यम	191.2707	13,775

1	2	3	4	5	6
6.	24.07.2012	बिलगांव सिंचाई परियोजना	नई-मध्यम	182.22	12,285
	वर्ष 2013-14				
7.	20.12.2013	माही सिंचाई परियोजना	बृहत-संशोधित	834.24	28,127
			मणिपुर		
	वर्ष 2012-13				
8.	24.07.2012	खुगा बहुउद्देशीय परियोजना	संशोधित-मध्यम	433.91	14755
	वर्ष 2013-14				
9.	30.01.2014	थोबल बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत-संशोधित	1694.27	35,160
			ओडिशा		
	वर्ष 2012-13	**शून्य**			
	वर्ष 2013-14				
10.	29.08.2013	निचली इंदिरा सिंचाई परियोजना	बृहत-संशोधित	635.18	29.227
11.	29.08.2013	रेट मध्यम सिंचाई परियोजना	बृहत-संशोधित	1801.25	47,709
12.	20.12.2013	रूकुरा मध्यम सिंचाई परियोजना	मध्यम-संशोधित	256.09	5,750
13.	30.01.2014	कानुपुर मध्यम सिंचाई परियोजना	बृहत-संशोधित	1801.25	47,709
			राजस्थान		
	वर्ष 2012-13	**शून्य**			
	वर्ष 2013-14				
14.	13.09.2013	परवान सिंचाई सह पेयजल आपूर्ति स्कीम	बृहत-नई	2435.93	99864
			उत्तराखंड		
	वर्ष 2012-13				
15.	14.12.2012	लखवर बहुउद्देशीय परियोजना	बहुउद्देशीय	3966.51	33,780
	वर्ष 2013-14	**शून्य**			

विवरण-II

मूल्यांकनाधीन, पीएओ, सीडब्ल्यूसी नई परियोजनाओं की स्थिति

आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	परियोजना का नाम	श्रेणी	नदी/बेसिन	लाभान्वित जिले	प्राप्त होने की तारीख	लाभ (हजार हैक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मोदीकुंटावागु	मध्यम	मोदीकुंटावागु/ गोदावरी	खम्माम	वर्ष 2002 के दौरान	5.5	136.77 (1999-00 पीएल	• दिनांक 03.05.2013 के पत्र के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार सुझावों एवं सभी सांविधिक स्वीकृतियों को शामिल करने के द्वारा परियोजना प्राधिकरण द्वारा आद्यतन किया जाने वाला लागत अनुमान। जनवरी, 2013 में दी गई सूचना के अनुसार जल विज्ञानी प्रेक्षणों को देखने के लिए आईएसएम।
हिमाचल प्रदेश								
1.	रेणुका बांध* (बहुउद्देशीय) *परियोजना	बृहत	गिरि/यमुना	दिल्ली को जलापूर्ति	नवम्बर, 2009	दिल्ली को जलापूर्ति एवं 40 मे.वा.	3498.86 (पीएल-03/2009)	• सीडब्ल्यूसी में परियोजना के सिविल घटकों की लागत 3498.86 करोड़ रुपए के रूप में अनुमान लगाया गया है। • सीईए द्वारा संशोधित विद्युत क्षमता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। परियोजना प्राधिकारियों से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। ➢ पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृत। ➢ दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच द्विपक्षीय लागत हिस्सेदारी।

								➤ विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति से लाभ विश्लेषण के संबंध में विवरण।
झारखंड								
1.	ररहू जलाशय परियोजना	बृहत	ररहू/ सूबणरिखा	रांची	26.4.2013	सीसीए 10.472	852.09 (पीएल 2010-11)	• अनुपालना हेतु जून, 2013 से अगस्त, 2013 के दौरान परियोजना प्राधिकारियों को लागत जल विज्ञान, सीएसएमआरएस और कृषि मंत्रालय के पहलुओं का प्रेक्षण भेजा गया है। • जनवरी, 2014 में परियोजना प्राधिकारियों के साथ मुद्दे पर चर्चा की गई। • सीडीओ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।
महाराष्ट्र								
1.	जिगांव	बृहत	पूर्णा/तापी	बुलढाणा, अकोला	12/09	112.32	4044.13	• लागत और सिंचाई आयोजना (बीसी अनुपात) को छोड़कर आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। लागत पहलू पर जांच की जा रही है।
2.	ऊपरी प्रवर	बृहत	प्रवर/गोदावरी	अहमदनगर	1/10	86.100	1810.19	• सिंचाई आयोजना (19.02.2014) और जल विज्ञान (4/2014) जांचाधीन है। लागत संबंधी प्रेक्षण जारी। (09.05.2014) • पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय से स्वीकृत।
3.	निचली पेनगंगा परियोजना	बृहत	पेनगंगा/ गोदावरी	यवतमाल और चंद्रपुर	6/2012	227.241	10,429.0 (पीएल-2009)	• वर्ष 2011 में स्वीकृत प्रारंभिक रिपोर्ट की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण सीडब्ल्यूसी के सुझावों के अनुसार डीपीआर अद्यतन करने हेतु मई, 2014 में राज्य सरकार को सलाह दी गई थी। • पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय (आंध्र प्रदेश का हिस्सा) से स्वीकृति प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	निचली तापी परियोजना	बृहत	तापी	जलगांव	2/2013	25.6	1905.52 (पीएल-2011-12)	• अनुपालना हेतु तटबंध (7.6.13) और सिंचाई आयोजना (17.9.13) संबंधी प्रेक्षणों को परियोजना प्राधिकारियों को भेज दिया गया है। • गेट (7.9.13), लागत (28.10.13) संबंधी अनुपालना जांचाधीन है। • पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय से स्वीकृति प्रतीक्षित है। • सीई, पीएओ चैम्बर में आयोजित बैठक में जल उपलब्धता को अंतिम रूप देने हेतु परियोजना प्राधिकारियों से पूरा जल विज्ञानीय आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
5.	बोर्डी नाला	मध्यम	तापी	अमरावती	10.12.2009	4.126	176.87	• सीडब्ल्यूसी के प्रेक्षणों की शीघ्र अनुपालना हेतु फरवरी, 2014 में अनुस्मारक जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश								
1.	बीना कॉम्प्लेक्स सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत	बीना, ढासा, देहरा	सागर	अक्तूबर, 2010	77.00/ 2×16 मे.वा.	1624.36 (पीएल 2010)	• जल उपलब्धता को अंतिम रूप दिया गया। • जनवरी, 2011 से नवम्बर, 2013 के दौरान हाइडल सिविल डिजाईन, लागत, सिंचाई आयोजना, अंतर-राज्यीय पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं और भूमिजल पहलुओं, जल विद्युत आयोजना, सीईए से संबंधित अन्य पहलुओं, गेट डिजाईन, जल विद्युत से संबंधित लागत पहलुओं, जल विज्ञान संबंधी टिप्पणियों को परियोजना प्राधिकारियों को भेजा गया है। • उपर्युक्त के अलावे परियोजना प्राधिकारियों से पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं जनजातीय

								कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है।
2.	मोरांड और गांजल कॉम्प्लेक्स परियोजना	बृहत	मोरंड और गांजल/नर्मदा	होशंगाबाद, हरदा और खंडवा	सितम्बर, 2011	70476	1434.37 (पीएल 2010-11)	• पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति प्रतीक्षित है। सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् लागत एवं बीसी अनुपात को अंतिम रूप दिया जाएगा। • कमान को कम करने के कारण सिंचाई आयोजना का समाधान किया जाना आवश्यक है। • भूकम्पीय डिजाईन पैरामीटरों के अनुमोदन हेतु एफई एवं एसए के प्रेक्षणों को परियोजना प्राधिकारियों को भेजा गया है।
3.	चिंकी बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत	नर्मदा	नरसिंहपुर	1/2013	86.215/ 15 मे.वा.	1420.20 (पीएल 2009-10)	• जल उपलब्धता पहलुओं, सिंचाई आयोजना पहलू, डिजाईन और लागत पहलू संबंधी प्रेक्षणों की अनुपालना हेतु परियोजना प्राधिकरणों को भेजा गया है। • सीएमसी पहलू, भूमि जल, कृषि पहलू की जांच की जा रही है। • पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।
4.	बंसुजारा बांध परियोजना	बृहत	ढासन/बेतवा	टीकमगढ़/ छतरपुर	जुलाई, 2013	58.680	980.23 (2009-10)	• सीएसएमआरएस, जल विज्ञान, कृषि, जल संसाधन मंत्रालय, के प्रेक्षणों, अंतर्राज्यीय मामलों को परियोजना प्राधिकारियों को भेजा गया। • पर्यावरण और वन पहलू स्वीकृत।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मोहनपुरा बृहत बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत	नेवाज/चंबल	राजगढ़	29.01.14	65000 हैक्टेयर	2171.55 (पीएल-2009)	• परियोजना प्राधिकारी को सीएमडीडी की टिप्पणियां/प्रेक्षण भेजे गए।
6.	मझगांव	मध्यम	बडा नल्ला/ केन/यमुना	पन्ना	जनवरी, 2013	13.6	258.99	• परियोजना प्राधिकारियों से अनुपालना प्राप्त करने हेतु टीएसी टिप्पण संबंधी प्रेक्षण को फील्ड कार्यालय को भेजा गया। • परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना बाकी है।
7.	पंचम नगर	मध्यम	बेवास/सोनार/ गंगा	दमोह	जनवरी, 2012	12.60	263.10	• परियोजना प्राधिकारियों से अनुपालना प्राप्त करने हेतु टीएसी टिप्पण संबंधी प्रेक्षण को फील्ड कार्यालय को भेजा गया। • परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना बाकी है।
8.	सोनपुर	मध्यम	सोनार/केन/ गंगा	सागर	नवम्बर, 2011	7.000	127.46	• परियोजना प्राधिकारियों से अनुपालना प्राप्त करने हेतु टीएसी टिप्पण संबंधी प्रेक्षण को फील्ड कार्यालय को भेजा गया। • परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना बाकी है।
9.	पवाई	मध्यम	केन/यमुना	पन्ना	सितम्बर, 2011	9.800	261.5	• परियोजना प्राधिकारियों से अनुपालना प्राप्त करने हेतु टीएसी टिप्पण संबंधी प्रेक्षण को फील्ड कार्यालय को भेजा गया। • परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना बाकी है।
10.	तारपेड	मध्यम	तारपेड/ढासन/ यमुना	छतरपुर	जनवरी, 2013	4.3	78.76	• प्रस्ताव संबंधी प्रेक्षण परियोजना प्राधिकारी को भेजा गया। अनुस्मारक 20.08.2013 को भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त की गई। अंतर

								राज्यीय स्वीकृति हेतु डीपीआर को आईपी (एन) को नहीं भेजा गया है जैसा कि दिनांक 12.08.2013 के फील्ड कार्यालय के पत्र के माध्यम से पूछा गया था। • परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना बाकी है।
11.	सुरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना	मध्यम	देहर/केन/ यमुना	सागर	नवम्बर, 2013	4.205	70.61	• परियोजना की डीपीआर दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई थी। दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित डीपीआर प्राप्त हो गई है। वन और पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी अभी प्राप्त की जानी है।
12.	छोटी उतावली	मध्यम	छोटी उतावली/ ताप	बुराहनपुर	अक्तूबर, 2013	2.5	70.34	• प्रारंभिक रिपोर्ट संबंधी प्रेक्षण/टिप्पणियां मु.अ. एनटीबी को भेज दी गई। छोटी उतावली और मवासा परियोजना के लिए तापी परियोजना का सूचनात्मक मास्टर प्लान ईई, डब्ल्यूआरडी बुराहनपुर से प्राप्त हो गया है। 09.12.2013 को प्रारंभिक रिपोर्ट की टिप्पणी/प्रेक्षण मु.अ. एनटीवी, डब्ल्यूआरडी, इंदौर को भेज दी गई है। • अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वन, पर्यावरण संबंधी मंजूरी परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13.	कीट खेदी	मध्यम	कंथाल/छोटी कालीसिंध/ चंबल	शाजापुर	अक्तूबर, 2013	3.350	66.47	• 23.10.2013 को परियोजना प्राधिकारियों से संशोधित डीपीआर प्राप्त हो गई है। पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय और आईएसएम की मंजूरी परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अभी प्राप्त की जानी है।
14.	सेमरी	मध्यम	सेमरी/बीना/ बेतवा/यमुना	रायसेन	नवम्बर, 2013	5.700	110.9082	• सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों का अनुपालन परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दूर की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आईपी (एन) की पार्ट अनुपालन प्रस्तुत की गई। 18.11.2013 को संशोधित डीपीआर प्राप्त हो गई है।
15.	शेर-शक्कर-मछरेवा बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत	शेर/मछरेवा/ शक्कर नर्मदा	नरसिंहपुर	जनवरी, 2014	64.800/ 30 मे.वा.	2259.14 (2007)	• डीपीआर जांचाधीन है।
मणिपुर								
16.	चाकपी बहुउद्देशीय परियोजना	मध्यम	चपकी नदी/ मणिपुर नदी	चंदेल, थोबल	07/2012	9.860 हजार हैक्टेयर सीसीए बाढ़ नियंत्रण: 5 हजार हैक्टेयर नौवहन, 1 लाख आबादी के जलापूर्ति, एवं 12.5 मे.वा. विद्युत	2011 के मूल्य स्तर पर 707.04 करोड़ रुपए	• परियोजना सीएमसी, एचसीडी, एफएमओ, एमओडब्ल्यूआर और सीजीडब्ल्यूडी में मूल्यांकनाधीन है। सांविधिक मंजूरी प्रतीक्षित है। • कृषि मंत्रालय के अंतर्राज्यीय पहलुओं की ओर से मंजूरी। • लागत मूल्यांक (एचडब्ल्यूएम) (04/13) की टिप्पणियां का अनुपालन जांचाधीन है। • लागत (04/13), बैराज एवं नहर अभिकल्प (06/13, सिंचाई आयोजना (05/13), फाउंडेशन इंजीनियरिंग और विशेष विश्लेषण (05/13), तटबंध (05/13), द्वार अभिकल्प (08/2013), जल विज्ञान (08/13), केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र (06/13), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (06/13) की अनुपालन टिप्पणियां प्रतीक्षित है। • राज्य सरकार ने जनवरी, 2014 में सूचित किया है कि बार-बार पीएपी विशेष विरोध के कारण भूतकनीकी दोहन कार्य शुरू नहीं किया जा सका। पीएसआई (एमईआर), शिलांग 2014-15 के दौरान भू-वैज्ञानिक गवेषण में लगा हुआ है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बृहत/ मध्यम	नदी/बेसिन	लाभान्वित जिले	लाभ (हजार हेक्टे/मे.वा.)	अनुमोदित लागत करोड़ रुपये में (अनुमोदन की तारीख	संशोधित लागत करोड़ रुपए में	स्थिति
ओडिशा								
1.	ओंग बांध परियोजना	बृहत	ओंग/महानदी	बारगढ़ और बोलंगीर	दिसम्बर, 2011	30.0	1111.01 (पीएल-2012)	• जनजाति कार्य मंत्रालय से मंजूरी प्रतीक्षित है। • राज्य सरकार से लागत को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारी नियुक्त करने के लिए फरवरी, 2014 में अनुरोध किया है।
2.	मंकड	मध्यम	मंकड/ब्राह्मणी	अंगुल	फरवरी, 2012	9.85	348.95 (2011 पीएल)	• 04.04.2012 को टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई। अनुपालन प्रतीक्षित है।
3.	कोरापानी सिंचाई परियोजना	मध्यम	कोरापानी नल्ला/ब्राह्मणी	सुंदरगढ़	दिसम्बर, 2012	3.5	145.15 (2012 पीएल)	• डीपीआर की टिप्पणियां का तीसरा सेट 10.05.2013 को राज्य सरकार को भेजा गया। अनुपालन प्रतीक्षित है।
4.	निचली वंसधारा परियोजना चरण-I	बृहत	सांनंदी, वंसधारा	रायागाडु	जून-2014	22.15	611.40	• डीपआर जांचाधीन है।
राजस्थान								
1.	मनोहरथाना सिंचाई परियोजना	मध्यम	परवान	झालावाड़	6/2011	9.8 (सीसीए)	93.10	• पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण टीएसी द्वारा परियोजना प्रस्ताव को रोक दिया गया। परियोजना प्राधिकारियों से जितना शीघ्र संभव हो वन मंजूरी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
उत्तराखंड								
1.	किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत	यमुना/टोंस	दिल्ली	10/10	विद्युत (660 मे.वा.) जल आपूर्ति 617 एमसीएम	7193.24 (पीएल-06/2010)	• यूजेवीएनएल ने 7193.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत सहित अद्यतन डीपीआर प्रस्तुत की है। सीडब्ल्यूसी/सीईए की मूल्यांकन इकाइयों की टिप्पणियां भेज दी गई है। • यूजेवीएनएल लाभ एवं परियोजना लागत की हिस्सेदारी के संबंध में लाभान्वित राज्यों के विचार प्राप्त करने के लिए परियोजना की डीपीआर भेज दी गई है। दिल्ली और राजस्थान के मत प्राप्त हो गए हैं।

सीडब्ल्यूसी के पीएओ में संशोधित लागत के लिए मूल्यांकनाधीन परियोजनाएं

असम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बृहत/ मध्यम	नदी/बेसिन	लाभान्वित जिले	लाभ (हजार हैक्टेयर)	अनुमोनित लागत करोड़ रुपए में (अनुमोदन की तारीख)	संशोधित लागत करोड़ रुपए में	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बोरोलिया सिंचाई परियोजना	मध्यम	बोरोलिया ब्रह्मपुत्र	बस्का एवं बीटीएडी का कामरूप	13.562	135.93	150.47	• बोरोलिया मध्यम सिंचाई परियोजना असम की तीसरी आरसीई अनुमोदन के लिए 10.10.2013 को मुख्य अभियंता, बीबीओ, सीडब्ल्यूसी, शिलांग को भेजा गया। मुख्य अभियंता से टिप्पणियां प्राप्त हो गईं और इसे अनुपालन के लिए परियोजना प्राधिकारी को भेज दिया गया। इसलिए 26.12.2013 को राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया और अनुमोदन के लिए 16.01.2014 मु.अ. बी एंड बीबीओ, केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया।
केरल								
1.	कारापुझा	मध्यम	कबिनी/कावेरी	व्यानाड	7.355	19.04.1978 को 7.60 करोड़ रुपए	441.90 करोड़ रुपए	• संशोधित अनुमान संबंधी टिप्पणियां 15.09.2011 को राज्य सरकार संसूचित की गई थी। • परियोजना प्राधिकारी से टिप्पणियां का कुछ ब्यौरा प्राप्त हो गया है। अन्य के लिए 07.06.2012 के के.ज.आ. के पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। 06.11.2012 को अनुस्मारक भेज गया है।

2.	मुवाट्टुपुझा घाटी सिंचाई परियोजना	बृहत	मुवाट्टुपुझा	इड्डुकी, एर्नाकुलम और कोट्टायम	36.129	दिनांक 06.06.1983 को 1980 के मूल्य स्तर पर 48.08 करोड़ रुपए	939 करोड़ रुपए	• मार्च, 2014 को रिपोर्ट के एक सेट में सीडब्ल्यूसी, कोयम्बटूर से वेतन एवं लेखा-अधिकारी कार्यालय में आरसीई प्राप्त हो गई है। यह प्रस्ताव राज्य स्थायी समिति की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट के तीन से अधिक सेट में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
महाराष्ट्र								
1.	निचली टेरना सिंचाई परियोजना	बृहत	टेरना/गोदावरी	उस्मानाबाद, लातुर	18.50	37.65 (2/1983)	578.69	• सीडब्ल्यूसी द्वारा लागत अनुमोदित की गई। • बीसी रेश्पो के लिए एसएफसी और संगत दस्तावेज भी प्रतीक्षित है।
2.	नंदुर मधमेश्वर परियोजना	बृहत		औरंगाबाद, अहमदाबाद	54.443	941.33 (2008-09)	1564.45	• परियोजना प्राधिकारियों को मई, 2014 में अनुपालन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।
3.	मोरना (गुरेघर)	मध्यम	कृष्णा	सतारा	3.75		228.52	• 10/2011 में परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त संशोधित लागत संबंधी प्रस्ताव की जांच की गई है और अनुपालन के लिए संशोधित लागत की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गई थी। • अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
4.	कुदाली परियोजना	मध्यम	कृष्णा	सतारा	8.526		449.21	• परियोजना प्रस्ताव की जांच कर ली गई है। फरवरी, 2013 में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गई। अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
5.	चिल्हेवाडी	मध्यम	कृष्णा	पुणे	7.138		194.23	• संशोधित प्रपत्र रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। मार्च, 2013 में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गई। अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	निचली पंजारा	मध्यम	तापी	धुले	7.585		556.28	• अक्तूबर, 2013 में परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त संशोधित लागत प्रस्ताव जांचाधीन है।
मध्य प्रदेश								
1.	पेंच डाइवर्जन परियोजना	बृहत	पेंच/कन्हन/ गोदावरी	छिंदवाड़ा और शिवनी	122.92	583.40 (पीएल 2005)	1733.06	• लागत संबंधी पहलू जांचाधीन है। कृषि संबंधी पहलू को मंजूरी दे दी गई। एचसीडी और बीसीडी की टिप्पणी परियोजना प्राधिकारी को भेज दी गई। लागत पहलू की टिप्पणी भी परियोजना प्राधिकारी को भेजी गई। कृषि संबंधी पहलू के संबंध में कृषि मंत्रालय से फसल पैटर्न संबंधी अपने दृष्टिकोण के लिए अनुरोध किया गया।
2.	काछल	मध्यम	काछल/नर्मदा	शाजापुर	3.470		91.395	• क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त टीएसी नोट की जांच की गई है। टिप्पणियों को अनुपालन हेतु निदेशक (एम एंड ए) को भेज दी गई। परियोजना प्राधिकारी से अनुपालन प्रतीक्षित है।
ओडिशा								
1.	तेलनगिरी सिंचाई परियोजना	मध्यम	तेलनगिरी/ इंद्रावती	कोरापुट	9.952		631.62	• परियोजना के टीएसी नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
राजस्थान								
1.	बिसालपुर पेयजल सह-सिंचाई परियोजना	बृहत	बनास	टोंक, सवाई माधोपुर	55.224	309.07 (12/97)	657.91	यह परियोजना 309.07 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए दिसम्बर, 1997 में योजना आयोग द्वारा पहले अनुमोदित कर दी गई है। नवम्बर, 1999 में राज्य सरकार से प्राप्त 657.91 करोड़ रुपए अनुमानित लागत सहित संशोधित परियोजना प्रस्ताव टीएसी ने 20.9.2000 को हुई

								अपनी 74वीं बैठक में स्वीकृत की गई और निम्नलिखित स्थिति में स्वीकार्य विषय पाए गए: (i) लाभ प्राप्त करने वाली शहरी और ग्रामीण जनता का ब्यौरा और परिपोषण में प्रति व्यक्ति पेयजल आवंटन का ब्यौरा प्रस्तुत करना। (ii) निम्न के लिए उक्त टिप्पणी के अनुपालन के लिए राज्य वित्त विभाग की सहमति:— (i) सूचना मुख्य अभियंता, सिंचाई-बिलासपुर परियोजना द्वारा अक्तूबर, 2000 में प्रस्तुत की गई थी। उक्त टिप्पणी (ii) की अनुपालन प्रतीक्षित है।
उत्तराखंड								
1.	जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत	गोला, रामगंगा/ गंगा	रामपुर, बरेली, नैनीताल	139.386/ 30.00	61.25 (05/75)	929.23	• योजना आयोग ने पहले परियोजना को मई, 1975 में 61.25 करोड़ रुपए की लागत हेतु अनुमोदित किया था। • 144.84 करोड़ रुपए के संशोधित परियोजना अनुमान को टीएसी ने दिनांक 18.05.89 को हुई अपनी 43वीं बैठक में, जनजातीय कार्य मंत्रालय, द्वारा आर एवं आर योजना की स्वीकृति तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के शर्ताधीन स्वीकार किया था। • पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है। • राज्य सरकार ने 02/06 में 929.23 करोड़ रुपए की संशोधित/अद्यतन डीपीआर प्रस्तुत की। • इलेक्ट्रो-यांत्रिकी पहलू की अनुपालन 09.06.2014 को सीईए को भेजी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								• यूपी सरकार की अंतर्राज्य पहलू और पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।
उत्तर प्रदेश								
1.	कन्हर सिंचाई परियोजना	बृहत	कन्हर/सोन	सोनभद्र (डीपीएपी)	सीसीए – उत्तर प्रदेश से 26.075 एवं उत्तराखंड में 3.271	652.58 (2008) 5.12.2010	1761.81	• 652.58 करोड़ रुपए के लिए परियोजना को योजना आयोग ने दिसम्बर, 2010 में पहले ही अनुमोदित किया गया था। • टिप्पणियों/मंजूरी के लिए संशोधित परियोजना अनुमान 07.02.2014 को सीडब्ल्यूसी और जल संसाधन मंत्रालय के विशिष्ट निदेशालयों को परिचालित किया गया है। • सिंचाई आयोजना संबंधी टिप्पणियों के लिए 13.3.2014 को परियोजना प्राधिकारियों को भेजा गया है। • अनुपालन के लिए लागत, सीएमडीडी, बीसीडी की टिप्पणियों को 06.06.2014 को परियोजना प्राधिकारी को भेजी गई है। • 23.03.2014 को प्राप्त एचसीडी की अनुपालन जांचाधीन है।

विवरण-III

एआईबीपी के अंतर्गत बृहत, मध्यम परियोजनाओं के लिए जारी संचयी केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम/ ईआरएम	31.03.2014 तक जारी संचयी अनुदान	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
	असम				
1.	धनसिरी	बृहत	145.60	0.00	एआईबीपी में शामिल। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्रस्ताव की सिफारिश की गई।
	हिमाचल प्रदेश				
2.	नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	नई मध्यम	—	—	एआईबीपी में शामिल नहीं की गई।
	कर्नाटक				
3.	करंजा	बृहत	189.03	0.00	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
4.	ऊपरी तुंगा परियोजना	बृहत-नई	0.00	0.00	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जल संसाधन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की टिप्पणियों की अनुपालना के लिए परियोजना लौटा दी गई।
	मध्य प्रदेश				
5.	माही	बृहत	340.62	30.99	—
6.	महुअर	मध्यम	8.10	8.10	—
7.	बिलगांव सिंचाई परियोजना	नई-मध्यम	—	—	एआईबीपी में शामिल नहीं की गई।
	मणिपुर				
8.	खुगा	बृहत	193.98	30.60	—
9.	थोबल	बृहत	732.84	250.00	—

1	2	3	4	5	6
	ओडिशा				
10.	निचली इंद्रा (केबीके)	बृहत	948.34	0.00	एआईबीपी में शामिल। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्रस्ताव की सिफारिश की गई।
11.	आरईटी सिंचाई (केबीके)	मध्यम	94.32	0.00	एआईबीपी में शामिल। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्रस्ताव की सिफारिश की गई।
12.	कानुपुर	बृहत	612.75	0.00	एआईबीपी में शामिल। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्रस्ताव की सिफारिश की गई।
13.	रूकुरा-जनजातीय	मध्यम	54.74	0.00	एआईबीपी में शामिल। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्रस्ताव की सिफारिश की गई।
	राजस्थान				
14.	परवान सिंचाई सह पेयजल आपूर्ति स्कीम	बृहत-नई	—	—	एआईबीपी में शामिल नहीं की गई।
	उत्तराखंड				
15.	लखवर बहुउद्देशीय परियोजना	बहुउद्देशीय	—	—	राष्ट्रीय परियोजना में शामिल की गई। निवेश स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।

[अनुवाद]

शिवालिक परियोजना

1065. मेजर जनरल (सेवानिवृत्ति) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिवालिक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस हेतु विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार की गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण कार्य से सीमा सड़क संगठन को हटाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस निर्णय की पृष्ठभूमि क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्य रूप से अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) इस मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है और **शिवालिक परियोजना** उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 648 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सुधार और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय बीआरओ को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अखिल भारतीय आधार पर निधियों का आवंटन करता है, परियोजना-वार अथवा राज्य-वार नहीं।

(ग) और (घ) सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का सीमा क्षेत्रों में ऊंचाई पर स्थित कूटनीतिक महत्व की सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर संकेद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में ऋषिकेश से रूद्रप्रयाग रारा-58 खंड और रूद्रप्रयाग से गौरीकुंड रारा-109 खंड सहित

कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को सीमा सड़क संगठन से उत्तराखंड राज्य के लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

निर्माण-कार्य की गुणवत्ता

1066. श्री नलीन कुमार कटील :
श्री निशिकान्त दुबे :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण-कार्य की गुणवत्ता के संबंध में राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा सड़कों और राजमर्गों के निर्माण की गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गुणवत्ता के लिए नियमित निरीक्षण और जांच पर्यवेक्षक/स्वतंत्र परामर्शदाताओं, गुणवत्ता परीक्षकों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्यीय लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन नामक कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों और साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न सड़क परियोजनाओं में गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना मोनिटरों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मोनिटरिंग की एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

[हिन्दी]

बीपीएल जनगणना

1067. श्रीमती रंजीत रंजन :
श्री राजेश रंजन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी-रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लोगों की जनगणना पिछली बार कब की गई थी;

(ख) राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर इस जनगणना के क्या परिणाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा की गई बीपीएल जनगणना के आधार पर कार्यान्वित की जा रही/कार्यान्वित किए जाने हेतु प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) ग्रामीण परिवारों की अंक आधरित रैंकिंग के वर्गीकरण का उपयोग करके 2002 में अंतिम बीपीएल जनगणना कराई गई थी जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर आधारित 13 सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का इस्तेमाल किया गया था। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निर्धारित बीपीएल परिवारों के उपलब्ध राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। बीपीएल जनगणना के आधार पर दो कार्यक्रम अर्थात् (i) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा (ii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) कार्यान्वित किए जाते हैं।

विवरण

बीपीएल जनगणना, 2002 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित ग्रामीण बीपीएल परिवार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	निर्धारित बीपीएल परिवारों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29.893
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.830
3.	असम	18.728
4.	बिहार	113.410
5.	छत्तीसगढ़	17.892
6.	दिल्ली	ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए जाते हैं।

1	2	3
7.	गोवा	0.071
8.	गुजरात	14.512
9.	हरियाणा	8.583
10.	हिमाचल प्रदेश	2.823
11.	जम्मू और कश्मीर	6.179
12.	झारखंड	25.480
13.	कर्नाटक	18.306
14.	केरल	उपलब्ध नहीं
15.	मध्य प्रदेश	54.685
16.	महाराष्ट्र	45.023
17.	मणिपुर	1.693
18.	मेघालय	2.052
19.	मिज़ोरम	0.395
20.	नागालैंड	1.558
21.	ओडिशा	उपलब्ध नहीं
22.	पंजाब	3.445
23.	राजस्थान	17.362
24.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं
25.	तमिलनाडु	34.848
26.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
27.	उत्तर प्रदेश	100.271
28.	उत्तराखंड	6.238
29.	पश्चिम बंगाल	68.250
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.107
31.	चंडीगढ़	ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए जाते हैं।
32.	दादरा और नगर हवेली	0.160
33.	दमन और दीव	0.005
34.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं
35.	पुदुचेरी	उपलब्ध नहीं
	कुल	592.79

*केवल अंडमान के लिए

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

1068. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री निशिकान्त दुबे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार, निर्माण के विभिन्न स्तरों पर रुकी हुई विद्युत परियोजनाओं का उनकी क्षमता सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तनावपूर्ण आर्थिक परिदृश्य उद्यमियों को उक्त परियोजनाओं को त्यागने के लिए विवश कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उक्त परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के परिणामस्वरूप इनकी लागत में वृद्धि हो रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रत्येक परियोजना की लागत में वृद्धि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (च) लागत वृद्धि के ब्यौरे सहित निर्माण के विभिन्न

चरणों पर रुकी हुई विद्युत परियोजनाओं सहित चालू विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा ताप परियोजनाओं के लिए संलग्न विवरण-Iक तथा 25 मेगावाट से अधिक जल परियोजनाओं के लिए संलग्न विवरण-Iख पर है। गैस आपूर्ति के अभाव में उत्पादन कंपनियों द्वारा झेले जा रहे वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए, विकासकर्ताओं ने बाहरी वाणिज्यिक ऋणों में छूट और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख बढ़ाने के संबंध में अतिरिक्त स्थगन हेतु अनुरोध किया है। गैस की अनुपलब्धता के कारण रुकी हुई गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-Iग में है।

विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) नियमित स्थल दौरों और विकासकर्त्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विकासकर्त्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित करता है और उन्हें निपटाने में मदद करता है।

2. विद्युत मंत्रालय द्वारा संबद्ध पारेषण प्रणाली सहित 12वीं योजना के दौरान और उसके बाद शुरू किए जाने के लिए लक्षित ताप और जल उत्पादन परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी करने के लिए एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया गया है।

3. विद्युत मंत्रालय द्वारा समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने और अंत:मंत्रालयी तथा अन्य बकाया मामलों को तेजी से निपटाने को सुगम बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, योजना और मंत्रीमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

विवरण-Iक

देश में चल रही ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तिथि	स्रोत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय क्षेत्र						
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-1	250	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	250	मार्च-16		निर्माणाधीन
		यू-3	250	अगस्त-16		निर्माणाधीन
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	नवंबर-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	जुलाई-16		निर्माणाधीन
		यू-3	660	मार्च-17		निर्माणाधीन
	बाढ़ एसटीपीपी-II	यू-5	660	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
	मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सपैं.	यू-3	195	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-4	195	जून-15		निर्माणाधीन
	नबीनगर टीपीपी	यू-1	250	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	250	सितंबर-15		निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
		यू-3	250	मार्च-16		निर्माणाधीन
		यू-4	250	सितंबर-16		निर्माणाधीन
	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660	जनवरी-17	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	जुलाई-17		निर्माणाधीन
		यू-3	660	जनवरी-18		निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	यू-1	800	दिसंबर-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	800	जून-17		निर्माणाधीन
झारखंड	बोकारो टीपीएस "क" एक्सपैं.	यू-1	500	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी चरण-I	यू-1	800	मई-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	800	नवंबर-16		निर्माणाधीन
		यू-3	800	मई-17		निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीएस चरण-II	यू-3	660	मई-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-4	660	नवंबर-16		निर्माणाधीन
	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660	मई-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	नवंबर-16		निर्माणाधीन
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी चरण-V	यू-13	500	नवंबर-15	कोयला	निर्माणाधीन
	गडरवारा	यू-1	800	मार्च-17	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	800	सितंबर-17		निर्माणाधीन
ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800	फरवरी-18	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	800	जून-18	कोयला	निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार स्टे.-IV	यू-6	500	जून-17	कोयला	निर्माणाधीन
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सपैं.	यू-2	250	मार्च-15	लिग्नाइट	निर्माणाधीन
	तूतीकोरिन जेवी	यू-1	500	दिसंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	500	मार्च-15		निर्माणाधीन
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	जीटी	61.3	फरवरी-15	गैस	निर्माणाधीन
		एसटी	39.7	अप्रैल-15		निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	अगरतला सीसीपीपी	एसटी-1	51	मार्च-15	गैस	निर्माणाधीन
		एसटी-2				
	त्रिपुरा गैस	मॉड्यूल-2	363.3	सितंबर-14	गैस	निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	मिजा एसटीपीपी	यू-1	660	जून-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	जून-17		निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर-टीपीपी, स्टे.-I	यू-1	600	सितंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	600	जून-15		निर्माणाधीन
	रघुनाथपुर-टीपीपी, स्टे.-II	यू-1	660	मार्च-18	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	सितंबर-18		निर्माणाधीन
राज्यक्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवायाह टीपीएस	यू-1	800	जुलाई-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	800	फरवरी-15		निर्माणाधीन
	काकतिया टीपीपी एक्सटें.	यू-1	600	जुलाई-15	कोयला	निर्माणाधीन
	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-III	यू-6	600	मार्च-16	कोयला	निर्माणाधीन
	सिंगरेनी टीपीपी	यू-1	600	नवंबर-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	600	मार्च-16		निर्माणाधीन
असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	70	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		एसटी	30	सितंबर-15		निर्माणाधीन
बिहार	बरौनी टीपीएस एक्सटें.	यू-1	250	सितंबर-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	250	दिसंबर-15		निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-2	500	दिसंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटें.	यू-3	250	दिसंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-4	250	मार्च-15		निर्माणाधीन
	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-1	250	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	250	जून-15		निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	यू-3	700	अगस्त-15	कोयला	निर्माणाधीन
	येरमारस टीपीपी	यू-1	800	जुलाई-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	800	सितंबर-15		निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	यू-8	500	अक्तूबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-9	500	मार्च-15		निर्माणाधीन
	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-8	660	सितंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-9	660	जनवरी-15		निर्माणाधीन
		यू-10	660	जून-15		निर्माणाधीन
	पार्ली टीपीपी एक्सपें.	यू-8	250	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी)	यू-2	600	सितंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें.	यू-5	660	जून-16	कोयला	निर्माणाधीन
	कालीसिंध टीपीएस	यू-2	600	जनवरी-15	कोयला	निर्माणाधीन
	सूरतगढ़ टीपीएस	यू-7	660	सितंबर-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-8	660	दिसंबर-16		निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	अनपारा-डी	यू-6	500	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-7	500	जून-15		निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी-II	यू-3	500	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-4	500	जून-15		निर्माणाधीन
निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	मार्च-17	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	जून-17		निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	अगस्त-16		निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	यू-1	660	नवंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	फरवरी-15		निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा.लि. फेज-II	यू-1	150	सितंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	थम्मिनाप एटनाम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350	अगस्त-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-4	350	नवंबर-16		निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	यू-1	520	सितंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	520	दिसंबर-14		निर्माणाधीन
बिहार	जस इन्फ्रा. टीपीपी	यू-1	660	*	कोयला	वित्तीय समस्याओं के कारण काम रूक गया है।
		यू-2	660	*		
		यू-3	660	*		
		यू-4	660	*		
छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी	यू-2	600	अगस्त-14	कोयला	निर्माणाधीन
	(नैयारा)	यू-3	600	मार्च-15		निर्माणाधीन
		यू-4	600	नवंबर-15		निर्माणाधीन
		यू-5	600	सितंबर-16		निर्माणाधीन
		यू-6	600	मार्च-17		निर्माणाधीन
	बाराडारहा टीपीपी	यू-2	600	जुलाई-14	कोयला	निर्माणाधीन
	बाल्को टीपीपी	यू-1	300	14-15*	कोयला	प्रचालन की सहमति की अनुपलब्धता के कारण कार्य रुका हुआ है।
		यू-2	300	14-15*		
	बंदाखार टीपीपी	यू-1	300	अक्तूबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	300	जून-15		निर्माणाधीन
		यू-3	300	**		निर्माणाधीन
		यू-4	300	**		निर्माणाधीन
	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	*	कोयला	वित्तीय समस्याओं के कारण काम रुक गया है। 814 करोड़ रुपए लागत बढ़ गई।
		यू-4	660	*		

1	2	3	4	5	6	7
	रायखेड़ा टीपीपी	यू-1	685	अक्तूबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	685	जुलाई-15		निर्माणाधीन
	सिंग्हीतराई टीपीपी	यू-1	600	सितंबर-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	600	मार्च-16		निर्माणाधीन
	स्वास्तिक टीपीपी	यू-1	25	नवंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
	तम्नार टीपीपी (रायगढ़)	यू-3	600	अगस्त-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-4	600	नवंबर-14		निर्माणाधीन
	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	यू-1	300	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	300	जून-15		निर्माणाधीन
	उंचपिंडा टीपीपी	यू-1	360	अक्तूबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	360	मार्च-15		निर्माणाधीन
		यू-3	360	जून-15		निर्माणाधीन
		यू-4	360	सितंबर-15		निर्माणाधीन
	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	दिसंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
	विसा टीपीपी	यू-1	600	*	कोयला	वित्तीय समस्याओं के कारण काम रुक गया है।
झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	*	कोयला	वित्तीय समस्याओं के कारण काम रुक गया है।
		यू-2	270	*		
	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	*	कोयला	
		यू-4	270	*		
	तोरी टीपीपी	यू-1	600	दिसंबर-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	600	**		निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	यू-3	270	सितंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-4	270	फरवरी-15		निर्माणाधीन
		यू-5	270	जून-15		निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	*	कोयला	वित्तीय समस्याओं के कारण काम रूक गया है।
		यू-2	270	*		
		यू-3	270	*		
		यू-4	270	*		
		यू-5	270	*		
महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	*	कोयला	वित्तीय समस्याओं के कारण काम रुक गया है।
		यू-2	660	*		निर्माणाधीन
	नासिक टीपीपी फेज-I	यू-2	270	अगस्त-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-3	270	नवंबर-14		निर्माणाधीन
		यू-4	270	जनवरी-15		निर्माणाधीन
		यू-5	270	मार्च-15		निर्माणाधीन
	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	*	कोयला	वित्तीय समस्याओं के कारण काम रुक गया है।
		यू-2	270	*		
		यू-3	270	*		
		यू-4	270	*		
		यू-5	270	*		
	तिरोरा टीपीपी फेज-II	यू-3	660	सितंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
मध्य प्रदेश	अनूपपुर टीपीपी फेज-I	यू-1	600	नवंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	600	अप्रैल-15		निर्माणाधीन
	महान टीपीपी	यू-2	600	दिसंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
	निगरी टीपीपी	यू-1	660	जुलाई-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	फरवरी-15		निर्माणाधीन
	सासन यूएमपीपी	यू-5	660	सितंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-6	660	दिसंबर-14		निर्माणाधीन
	गोरजी टीपीपी	यू-1	660	**	कोयला	निर्माणाधीन
	सिओनी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	दिसंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	देरांग टीपीपी	यू-2	600	दिसंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	यू-1	350	दिसंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	350	मार्च-15		निर्माणाधीन
	केवीके निलांक-हाल टीपीपी	यू-1	350	मार्च-16	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	350	2016-17		निर्माणाधीन
		यू-3	350	2016-17		निर्माणाधीन
	लेंको बबंध टीपीपी	यू-1	660	*	कोयला	वित्तीय समस्याओं के कारण काम रुक गया है।
		यू-2	660	*		
	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	मार्च-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	525	जून-15		निर्माणाधीन
पंजाब	गोइंदवाल साहिब	यू-1	270	नवंबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	270	फरवरी-15		निर्माणाधीन
तमिलनाडु	तलवंडी साबो टीपीपी	यू-2	660	जनवरी-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-3	660	मार्च-15		निर्माणाधीन
	मेलामरूथुर टीपीपी	यू-1	600	अक्तूबर-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	600	जनवरी-15		निर्माणाधीन
	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड भारत)	यू-1	660	13वीं योजना	कोयला	निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	अक्तूबर-15		निर्माणाधीन
		यू-3	660	मार्च-16		निर्माणाधीन
	ललितपुर टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-15	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	660	मई-15		निर्माणाधीन
		यू-3	660	अक्तूबर-15		निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी-I	यू-1	300	अगस्त-14	कोयला	निर्माणाधीन
		यू-2	300	नवंबर-14		निर्माणाधीन

*स्थल पर कार्य रोक दिया गया।

**कार्य अभी शुरू किया जाना है।

टीपीपी = ताप विद्युत परियोजना

सीसीजीटी = कंबाइन साइकिल गैस टरबाइन

यूएमपीपी = अल्ट्रा मेगा पवार प्रोजेक्ट।

विवरण-IIख

चल रही जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	जम्मू और कश्मीर					
1.	किशनगंगा 3×110 = 330 मेगावाट	यू-1 से यू-3	केंद्रीय	330	2016-17	निर्माणाधीन
2.	बगलीहार-II 3×150 = 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	राज्य	450	2016-17	निर्माणाधीन
3.	रतले 4×205+1×30 = 850 मेगावाट	यू-1 से यू-5	निजी	850	2017-18	निर्माणाधीन
	हिमाचल प्रदेश					
4.	पारबती स्टेज-II 4×200 = 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय	800	2016-17 (अगले वर्ष में जा सकती है)	निर्माणाधीन
5.	कोल डैम 4×200 = 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय	800	2015-16	निर्माणाधीन
6.	रामपुर 6×68.67 = 412 मेगावाट	यू-3 और यू-6	केंद्रीय	137.33	2014-15	निर्माणाधीन
7.	उहल-III 3×33.33 = 100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	राज्य	100	2016-17	निर्माणाधीन
8.	कशांग-I 1×65 = 65 मेगावाट	यू-1	राज्य	65	2016-17	निर्माणाधीन
9.	कसांग-II और III 1×65+1×65 = 130 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य	130	2016-17	निर्माणाधीन
10.	सैंज 2×50 = 100 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य	100	2015-16	निर्माणाधीन
11.	स्वारा कुड्डु 3×37 = 111 मेगावाट	यू-1 से यू-3	राज्य	111	2016-17	निर्माणाधीन
12.	शोंगटोंग करछम 3×150 = 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	राज्य	450	2017-18	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
13.	सोरांग 2×50 = 100 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी	100	2015-16	निर्माणाधीन
14.	टांगनु रोमई-I 2×22 = 44 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी	44	2016-17	निर्माणाधीन
15.	बजोली होली 3×60 = 180 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी	180	2017-18	निर्माणाधीन
16.	चांजू-I 3×12 = 36 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी	36	2017-18	निर्माणाधीन
17.	टिडोंग-I 2×50 = 100 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी	100	2016-17	निर्माणाधीन
	उत्तराखंड					
18.	तपोवन विष्णुगाड 4×130 = 520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय	520	2016-17 (अगले वर्ष में जा सकती है।)	निर्माणाधीन
19.	टेहरी पीएसएस 4×250 = 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय	1000	2017-18	निर्माणाधीन
20.	लता तपोवन 3×57 = 171 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय	171	2018-19	निर्माणाधीन लागत बढ़कर 735 करोड़ रुपए
21.	विष्णुगाड पीपलकोटि 4×111 = 444 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय	444	2018-19	निर्माणाधीन
22.	श्रीनगर 4×82.5 = 330 मेगावाट	यू-1 से यू-4	निजी	330	2015-16	निर्माणाधीन
23.	फाटा ब्यूंग 76 मेगावाट		निजी	76	2016-17 (अगले वर्ष में जा सकती है।)	निर्माणाधीन
24.	सिंगोली भटवारी 3×33 = 99 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी	99	2016-17 (अगले वर्ष में जा सकती है।)	निर्माणाधीन
	पंजाब					
25.	शाहपुरकंडी 3×33+3×33+1×18 = 206 मेगावाट	यू-1 से यू-7	राज्य	206	2017-18	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
	मध्य प्रदेश					
26.	महेश्वर 10×40 = 400 मेगावाट	यू-1 से यू-10	निजी	400	2015-17	निर्माणाधीन लागत बढ़कर 1190.73 करोड़ रुपए
	महाराष्ट्र					
27.	कोयला लैफ्ट बैंक पीएसएस 2×40 = 80 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य	80	2017-18	निर्माणाधीन
	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना					
28.	नागार्जुन सागर टीआर 2×25 = 50 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य	50	2014-15	निर्माणाधीन
29.	लोअर जुराला 6×40 = 240 मेगावाट	यू-1 से यू-6	राज्य	240	2014-16	निर्माणाधीन
30.	पुलिचिंताला 4×30 = 120 मेगावाट	यू-1 से यू-4	राज्य	120	2015-17	निर्माणाधीन
	केरल					
31.	पल्लीबसल 2×30 = 60 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य	60	2016-17	निर्माणाधीन
32.	थोट्टीयार 1×30+1×10 = 40 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य	40	2016-17	निर्माणाधीन
	पश्चिम बंगाल					
33.	तीस्ता लो डैम-IV 4×40 = 160 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय	160	2015-16	निर्माणाधीन
	सिक्किम					
34.	तीस्ता-III 6×200 = 1200 मेगावाट	यू-1 से यू-6	निजी	1200	2014-16	निर्माणाधीन
35.	तीस्ता-IV 4×125 = 500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	निजी	500	2016-17 (अगले वर्ष में जा सकती है)	निर्माणाधीन
36.	रंगित-IV 3×40 = 120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी	120	2016-17	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
37.	जोरथांग लूप 2×48 = 96 मेगावाट		निजी	96	2014-15	निर्माणाधीन
38.	भास्मे 3×17 = 51 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी	51	2016-17 (अगले वर्ष में जा सकती है)	निर्माणाधीन
39.	तासीडिंग 2×48.5 = 97 मेगावाट	यू-1 से यू-2	निजी	97	2017-18	निर्माणाधीन
40.	दिखू 3×32 = 96 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी	96	2017-18	निर्माणाधीन
41.	रंगित-II 2×33 = 66 मेगावाट	यू-1 से यू-2	निजी	66	2017-18	निर्माणाधीन
42.	रोगनीचू 2×48 = 96 मेगावाट	यू-1 से यू-2	निजी	96	2017-18	निर्माणाधीन
43.	पानन 4×75 = 300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	निजी	300	2017-18	निर्माणाधीन
	अरुणाचल प्रदेश					
44.	सुबानसिरी लोअर 8×250 = 2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	केंद्रीय	2000	2016-18 (अगले वर्ष में जा सकती है)	कार्य स्थगित लागत बढ़कर 4381.67 करोड़
45.	कामेंग 4×150 = 600 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय	600	2016-17 (अगले वर्ष में जा सकती है)	निर्माणाधीन
46.	पारे 2×55 = 110 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केंद्रीय	110	2016-17	निर्माणाधीन
	मिज़ोरम					
47.	तुरियल 2×30 = 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केंद्रीय	60	2016-17	निर्माणाधीन
	मेघालय					
48.	न्यू उमतरू 2×20 = 40 मेगावाट	यू-1 से यू-2	राज्य	40	2015-16	निर्माणाधीन

विवरण-Iग

गैस की अनुपलब्धता के कारण रुकी हुई गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्त्ता	क्षमता (मेगावाट)
	निजी क्षेत्र			
1.	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	आंध्र प्रदेश	जीएमआर	768
2.	कोंडापल्ली एक्सपें. स्टेज-III	आंध्र प्रदेश	लैंको	742
3.	समलकोट एक्सपें.	आंध्र प्रदेश	आरईएल	2400
4.	पंडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	आंध्र प्रदेश	पंडुरंगा	116
5.	आस्था द्वारा गैस इंजन	आंध्र प्रदेश	आस्था पावर	35
6.	काशीपुर श्रावंथी स्टेज-I व II	उत्तराखंड	श्रावंथी	450
7.	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	उत्तराखंड	बेटा इंफ्राटेक	225
8.	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	उत्तराखंड	गामा इंफ्राप्रोप	225
9.	पायोनियर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	महाराष्ट्र	पायोनियर गैस पावर लि.	388

सीसीजीटी = कंबाइन साइकिल गैस टरबाइन

एसटी = स्टेज

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

1069. श्री शैलेश कुमार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किसी कार्यक्रम की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) भारत सरकार विदेशी निवेश जिसमें विद्युत क्षेत्र भी शामिल है, को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर "समेकित एफडीआई नीति" अधिसूचित करती है।

विद्युत क्षेत्र में एफडीआई के लिए विद्यमान नीति में विद्युत उत्पादन (आण्विक ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण और व्यापार की परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान कराती है। भारत सरकार ने स्वचालित मार्ग के अंतर्गत नीति में दी गई कुछ शर्तों के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत विनिमय में प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश (26 प्रतिशत की एफडीआई सीमा और 23 प्रतिशत की एफआईआई/एफपीआई सीमा के साथ) की अनुमति भी प्रदान की है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय कपास निगम

1070. श्री निशिकांत दुबे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा किसानों से प्राप्त कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके बाजार मूल्य से कम है और इसके फलस्वरूप किसानों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) भारत सरकार प्रति वर्ष कॉटन (कपास) बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है ताकि कपास उत्पादकों को आश्वस्त किया जा सके कि एमएसपी पर उनके उत्पादों की खरीद की जाएगी जिससे इनकी मजबूरन बिक्री को रोका जा सके। एमएसपी की सिफारिश कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि लागत एवं कीमत आयोग (सीएसीपी) द्वारा खेती की लागत, बीज, कीटनाशकों, उर्वरकों जैसे इनपुट की लागत घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कपास हेतु मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल समरूपता के साथ कपास उत्पादकों हेतु एक उचित लाभ मार्जिन के आधार पर की जाती है। भारत सरकार ने कपास की कीमतों के एमएसपी स्तर को छूने की अवस्था में बिना किसी मात्रात्मक सीमा के विभिन्न एपीएमसी मार्किट यार्ड में कपास उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई कपास की पूरी मात्रा की खरीद के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) तथा नैफेड नामक दो नोडल एजेंसियों को नामित किया है। कपास मौसम 2013-14 के दौरान, कपास की कीमतें एमएसपी स्तर से ऊपर चल रही थीं और इसलिए एमएसपी अभियान मामूली थे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रियल-टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन

1071. श्री रविन्दर कुशवाहा : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा और यमुना नदियों के प्रदूषण स्तर को मापने के लिए उन पर "रियल-टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन" बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त तंत्र को कहां-कहां अधिष्ठापित किया गया है और इस पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) उक्त तंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त स्टेशनों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय जल आयोग ने स्वस्थाने (इन-सीटू) जल गुणवत्ता पैरामीटरों की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर गंगा, यमुना नदी और गंगा की प्रवाहिकाओं (अर्थात् रामगंगा और गोमती) पर कुल तेरह (क्रमशः 10+3) रीयल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशनों की स्थापना की है।

(i) गंगा नदी

01. हरिद्वार—सीपीसीबी द्वारा ऊपरी गंगा बैराज (भीम गोंडा)
02. सीपीसीबी द्वारा कन्नौज (नानामऊ पुल), डाउनस्ट्रीम
03. सीपीसीबी द्वारा कानपुर (जाजमऊ पुल कानपुर)
04. सीपीसीबी द्वारा इलाहाबाद (शास्त्री पुल)
05. सीपीसीबी द्वारा वाराणसी, अपस्ट्रीम
06. सीपीसीबी द्वारा वाराणसी, डाउनस्ट्रीम
07. सीपीसीबी द्वारा गांधी घाट, पटना (फ्लोटिंग प्लेटफार्म)
08. सीपीसीबी द्वारा गार्डन रीच, कोलकाता

(ii) यमुना नदी

09. सीपीसीबी द्वारा दिल्ली अपस्ट्रीम, वजीराबाद
10. सीपीसीबी द्वारा दिल्ली डाउनस्ट्रीम, ओखला
11. सीडब्ल्यूसी द्वारा आगरा

(iii) गंगा नदी की प्रवाहिकाएं

12. रामगंगा नदी पर सीडब्ल्यूसी द्वारा मुरादाबाद
13. गोमती नदी पर सीडब्ल्यूसी द्वारा लखनऊ

10 स्थानों पर सीपीसीबी की परियोजना की कुल लागत 5.61 करोड़ रुपए है तथा सीडब्ल्यूसी के 3 स्थानों के लिए कर को हटा कर 96.79 लाख रुपए है। अब तक सीपीसीबी और सीडब्ल्यूसी द्वारा किया गया कुल व्यय क्रमशः 2.61 करोड़ रुपए और 59.84 लाख रुपए है।

(ग) सीपीसीबी का आरटीडब्ल्यूक्यूएम, सेंसरों के माध्यम से अपेक्षित फ्रीक्वेंसी के अनुसार 10 पैरामीटरों अर्थात्—पीएच, गदलापन, विद्युतीय चालकता (ईसी), तापमान, अपघटित ऑक्सीजन (डीओ), अपघटित अमोनिया, जैव-रसायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी), नाइट्रेट और क्लोराइड को मॉनीटर कर सकता है। जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशन प्रत्येक दो घंटे के अंतराल पर केन्द्रीय प्राप्तकर्ता (रिसीविंग) स्टेशनों के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम) अथवा जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज (जीपीआरएस) के लिए ग्लोबल प्रणाली के माध्यम से रीयल टाइम आंकड़े उपलब्ध कराता है।

(घ) यमुना के दिल्ली स्टेशन के वजीराबाद जल इनटेक स्थल (प्वाइंट) पर सीपीसीबी द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ निरंतर शेयर की जाती हैं तथा ओखला में यमुना नदी की जल गुणवत्ता की जानकारी ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को उपलब्ध कराई जाती है। आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस ने 2013 में महाकुंभ मेले के दौरान तथा 2014 में माघ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश में रीयल टाइम जल गुणवत्ता आंकड़ों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।

सीडब्ल्यूसी के आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस के आंकड़े सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में हैं तथा वेबसाइट *http://cwc.rtwqms.com* पर उपलब्ध हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं की हिस्सेदारी

1072. श्री पी.पी. चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच पंजाब की जल-विद्युत परियोजनाओं में हिस्सेदारी के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न समझौतों के अंतर्गत राजस्थान की हिस्सेदारी का प्रतिशत/मात्रा क्या है और राजस्थान को कितना प्रतिशत/मात्रा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या विद्युत परियोजनाओं में हिस्सेदारी पर कोई विवाद खड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे विवादों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की राय लेने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (च) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 10.05.1984 को एक करार हुआ था जिसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट, मुकेरियन हाइडल प्रोजेक्ट, थीन डैम प्रोजेक्ट, यूबीडीसी चरण-2 और शाहपुर कांडी हाइडल स्कीम में विद्युत की हिस्सेदारी के लिए हरियाणा और राजस्थान द्वारा किए गए दावे को देखते हुए भारत सरकार मामले को उच्चतम न्यायालय से राय प्राप्त करने के लिए भेजेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से यह राय ली जानी थी कि क्या राजस्थान और हरियाणा इन हाइडल स्कीमों से उत्पादित विद्युत की हिस्सेदारी के हकदार हैं और यदि वे हिस्सेदारी के हकदार हैं तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा क्या होगा।

यद्यपि बाद में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच 29-30 जुलाई, 1992 और 6 अगस्त, 1992 को बातचीत में इस बात पर सहमति बनी थी कि इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि ये राज्य पारस्परिक परामर्श द्वारा एक उचित करार पर सहमत होंगे। मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कई औपचारिक एवं अनौपचारिक बात-चीत हुईं। तथापि स्टेकहोल्डर राज्यों के भिन्न मतों के कारण कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक परिवहन में जीपीएस

1073. श्री भगवंत मान : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में संचालित सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में उनकी स्थिति का संसूचन और निगरानी करने तथा खतरे के संकेत का बटन लगाने के प्रयोजन से उनमें जीपीएस उपकरणों की अशिष्ठापना हेतु नियत 20 फरवरी, 2014 की समय-सीमा को पूरा करने में सक्षम नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रथम चरण में लक्षित शहरों को इसके कार्यान्वयन हेतु कोई दिशा-निर्देश अथवा आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सभी शहरों में परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) जी, हां। दिनांक 02.01.2014 को हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित "देश में सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा" विषय पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्कीम दो वर्षों की अवधि अर्थात् मार्च, 2016 तक कार्यान्वित की जानी है।

(ख) उक्त उत्तर (क) को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) इस स्कीम का ब्यौरा सभी लाभभोगी राज्यों के साथ इस अनुरोध सहित साझा किया गया है कि वे इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे।

(घ) परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा के अनुसार यह स्कीम प्रथम चरण में मई, 2016 तक एक मिलियन अथवा इससे अधिक आबादी वाले देश के 32 शहरों में कार्यान्वित की जाएगी।

मोटन यान करों को युक्तियुक्त बनाना

1074. श्री एम.आई. शनवास : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मोटर यान करों को युक्तियुक्त बनाने के लिए गठित आधिकारिक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करके दुपहिया/कार/एलएमवी पर बिक्री मूल्य की 6 प्रतिशत आरंभिक दर पर शुरू एक बारगी समस्त कर वसूली करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्य सरकार ने देश भर में मोटर यान करों को युक्तियुक्त बनाने और उनकी अबाध गतिविधि के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) जी, हां।

(ख) मोटर वाहन कराधान एक राज्यीय विषय है तथा यह संबंधित राज्य कानूनों/नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मोटर वाहन करों को युक्तियुक्त बनाने से संबंधित मुद्दे पर परिवहन विकास परिषद् (टीडीसी) की 13.2.2012 को हुई 34वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग की अध्यक्षता में 23.10.2013 को हुई 35वीं बैठक में पुन: विचार-विमर्श किया गया। परिवहन विकास परिषद् (टीडीसी) ने दिनांक 31.3.2014 तक दो पहिया वाहनों, कारों/हल्के मोटर वाहनों और टैक्सी/मैक्सी पर तथा दिनांक 31.9.2014 तक अंतर्राज्यीय मार्ग पर प्रचालित टैक्सी/मैक्सी पर वैट (VAT) से पूर्व क्रम मूल्य पर 6% अथवा अधिक की आधार दर पर राज्य सरकारों द्वारा मोटन वाहर करों को युक्तियुक्त किए जाने का निर्णय लिया। चूंकि मोटर वाहन कराधान राज्यीय विषय है इसलिए परिवहन विकास परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में राज्यों द्वारा अपने संबंधित राज्यों में मोटर वाहन करों को युक्तियुक्त बनाने के लिए अधिसूचित किया जाना अपेक्षित होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) टीडीसी की 23.10.2013 को हुई 35वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार अपने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मोटर वाहन करों को युक्तियुक्त बनाने के लिए अधिसूचनाएं जारी किए जाने हेतु सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रीय प्रशशसन से दिनांक 12.12.2013 एवं तत्पश्चात् दिनांक 6.6.2014 को अनुरोध किया गया था।

मनरेगा के अंतर्गत महिला कामगार

1075. डॉ. शशि थरूर : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में केरल सहित अन्यत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिला कामगारों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या महिला लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत कार्य समय में बदलाव का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत महिला कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (घ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने दिनांक 3.1.2014 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के जरिए सभी मनरेगा कामगारों के लिए आराम

के 1 घंटे सहित कार्य के 8 घंटे निर्धारित किए हैं। तथापि, मजदूरी की मांग करने वालों की व्यापक भागीदारी को बढ़ाने के लिए, मनरेगा के अंतर्गत किसी भी वयस्क कामगार के काम के घंटों के लचीला बनाते हुए किसी भी दिन कार्य की अवधि को 12 घंटे तक बढ़ाया गया।

विवरण

मनरेगा के अंतर्गत महिला कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	महिला श्रमदिवस का प्रतिशत			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 तक 14.07.2014
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	58	58	59	59
2.	अरुणाचल प्रदेश	34	30	30	33
3.	असम	25	26	25	22
4.	बिहार	29	31	35	37
5.	छत्तीसगढ़	46	47	49	50
6.	गुजरात	46	43	44	44
7.	हरियाणा	36	40	42	41
8.	हिमाचल प्रदेश	59	61	63	58
9.	जम्मू और कश्मीर	19	20	23	18
10.	झारखंड	31	33	32	32
11.	कर्नाटक	46	46	47	47
12.	केरल	93	93	93	95
13.	मध्य प्रदेश	43	42	43	44
14.	महाराष्ट्र	46	45	44	48
15.	मणिपुर	34	34	35	41
16.	मेघालय	42	41	42	59
17.	मिज़ोरम	24	26	30	एनआर
18.	नागालैंड	27	26	29	33
19.	ओडिशा	39	36	34	35

1	2	3	4	5	6
20.	पंजाब	43	46	53	58
21.	राजस्थान	69	69	68	69
22.	सिक्किम	45	44	45	50
23.	तमिलनाडु	74	74	84	86
24.	तेलंगाना				61
25.	त्रिपुरा	39	41	47	51
26.	उत्तर प्रदेश	17	20	22	26
27.	उत्तराखंड	45	47	45	31
28.	पश्चिम बंगाल	33	34	35	39
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	45	47	56
30.	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	गोवा	76	79	75	75
33.	लक्षद्वीप	40	30	23	7
34.	पुदुचेरी	80	84	86	86
35.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	48	51	53	58

नई विद्युत संयंत्रों की स्थापना/निर्माण

1076. श्री इदरिस अली :

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना/निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नए विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संभावित उत्पादन क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पाद क्षमता नियोजित की गई है। विभाजन-पूर्व आंध्र प्रदेश सहित नियोजित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

12वीं योजना के दौरान उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि हेतु नियोजित परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
	दिल्ली			
1.	प्रगति-III (बवाना) सीसीजीटी	एस	गैस/एलएनजी	750
	हरियाणा			
1.	इंदिरा गांधी टीपीपी (झज्जर) जेवी यू-3	सी	कोयला	500
2.	महात्मा गांधी झज्जर टीपीपी यू-2	पी	कोयला	660
	हिमाचल प्रदेश			
1.	पार्बती-II, एचईपी	सी	हाइड्रो	800
2.	रामपुर एचईपी	सी	हाइड्रो	412
3.	कोलडैम एचईपी	सी	हाइड्रो	800
4.	चमेरा-III एचईपी	सी	हाइड्रो	231
5.	पार्बती-III एचईपी	सी	हाइड्रो	520
6.	कशांग-I एचईपी	एस	हाइड्रो	65
7.	उहल-III एचईपी	एस	हाइड्रो	100
8.	स्वारा कुड्डू एचईपी	एस	हाइड्रो	111
9.	कशांग-II और III एचईपी	एस	हाइड्रो	130
10.	सैंज एचईपी	एस	हाइड्रो	100
11.	टिडोंग-I एचईपी	पी	हाइड्रो	100
12.	सोरांग एचईपी	पी	हाइड्रो	100
13.	टंगनु रोगई-I एचईपी	पी	हाइड्रो	44
14.	बुधहिल एचईपी	पी	हाइड्रो	70
	जम्मू और कश्मीर			
1.	किशनगंगा एचईपी	सी	हाइड्रो	330

1	2	3	4	5
2.	उरी-II एचईपी	सी	हाइड्रो	240
3.	निम्मो बाजगो एचईपी	सी	हाइड्रो	45
4.	चूटक एचईपी	सी	हाइड्रो	44
5.	बगलीहार-II एचईपी	एस	हाइड्रो	450
	पंजाब			
1.	तलवंडी साबो टीपीपी यू-1, 3	पी	कोयला	1980
2.	गोंइदवाल साहिब टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	540
3.	नाभा टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	1400
	राजस्थान			
1.	आरएपीपी यू-7 और 8	सी	न्यूक्लियर	1400
2.	कालीसिंध टीपीपी यू-1	एस	कोयला	600
3.	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें. यू-3, 4	एस	कोयला	500
4.	रामगढ़ सीसीजीटी	एस	गैस	160
5.	जलीपा कपूर्दी टीपीपी यू-5, 6	पी	लिग्नाइट	270
	उत्तर प्रदेश			
1.	रिहंद टीपीपी-III यू-5, 6	सी	कोयला	1000
2.	अनपरा-डी टीपीपी यू-1, 2	एस	कोयला	1000
3.	परीछा टीपीपी एक्सटें. यू-5, 2	एस	कोयला	500
4.	हरदुआगंज टीपीपी एक्सटें. यू-9	एस	कोयला	250
5.	बारा टीपीपी यू-1, 3	पी	कोयला	1980
	उत्तराखंड			
1.	तपोवन विष्णुगाड एचईपी	सी	हाइड्रो	520
2.	सिंगोली भटवारी एचईपी	पी	हाइड्रो	99
3.	फाटा ब्यूंग एचईपी	पी	हाइड्रो	76
4.	श्रीनगर एचईपी	पी	हाइड्रो	330

1	2	3	4	5
	पश्चिमी क्षेत्र			
	छत्तीसगढ़			
1.	सिपत-I टीपीपी यू-3	सी	कोयला	660
2.	कोरबा पश्चिम स्टेज-III टीपीपी यू-5	एस	कोयला	500
3.	मारवाह टीपीपी यू-1, 2	एस	कोयला	1000
4.	अवंथा भंडार टीपीपी यू-1	पी	कोयला	600
5.	मौर्ति क्लीन कोल एंड पावर लि. टीपीपी यू-1	पी	कोयला	300
6.	लैंको अमरकंटक टीपीपी यू-3, 4	पी	कोयला	1320
7.	उचपिंडा टीपीपी यू-1, 3	पी	कोयला	1080
8.	विंजकोट (धर्मपुरा) टीपीपी यू-1, 3	पी	कोयला	900
9.	अकालतारा (नरियारा) टीपीपी यू-1, 3	पी	कोयला	1800
10.	कसाईपल्ली टीपीपी यू-2	पी	कोयला	135
11.	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी यू-1	पी	कोयला	25
12.	वंदना विद्युत टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	270
13.	बालको टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	600
14.	एथेना सिंघतराई टीपीपी यू-1	पी	कोयला	600
15.	डी.बी. पावर टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	1200
16.	टीआरएन ऊर्जा टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	600
17.	रतीजा टीपीपी	पी	कोयला	50
18.	रायगढ़ टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	1200
	गुजरात			
1.	केएपीपी यू-3, 4	सी	न्यूक्लियर	1400
2.	सिक्का टीपीपी एक्सटें. यू-3	एस	कोयला	250
3.	उकाई टीपीपी एक्सटें. यू-3	एस	कोयला	500
4.	पीपावाव जेवी सीसीजीटी ब्लॉक-1, 2	एस	गैस/एलएनजी	702
5.	मुन्द्रा यूएमपीपी, यू-2	पी	कोयला	800
6.	सलाया टीपीपी यू-2	पी	कोयला	600

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
1.	मौदा टीपीपी यू-1, 2	सी	कोयला	1000
2.	चन्द्रपुर टीपीपी एक्सटें. यू-8	एस	कोयला	500
3.	कोराडी टीपीपी एक्सटें. यू-8	एस	कोयला	660
4.	पार्ली टीपीपी यू-3	एस	कोयला	250
5.	इंडिया बुल्स - अमरावती टीपीपी फेज-I, यू-1, 5	पी	कोयला	1350
6.	इंडिया बुल्स - नासिक टीपीपी फेज-I, यू-1, 5	पी	कोयला	1350
7.	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लि. टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	600
8.	एमको वरौरा टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	600
9.	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II यू-1,	पी	कोयला	300
10.	लैंको महानदी, विदर्भ टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	1320
11.	टिरोडा टीपीपी फेज-I, यू-1	पी	कोयला	1320
12.	तिरोडा टीपीपी फेज-II, यू-1	पी	कोयला	660
13.	जीईपीएल टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	120
14.	बेला टीपीपी यू-1	पी	कोयला	270
	मध्य प्रदेश			
1.	विध्यांचल टीपीपी स्टेज-IV यू-11, 12	सी	कोयला	1000
2.	सतपुरा टीपीपी एक्सटें, यू-10, 11	एस	कोयला	500
3.	श्री सिंघाजी टीपीपी यू-1, 2	एस	कोयला	1200
4.	अन्नुपुर टीपीपी फेज-I यू-1, 2	पी	कोयला	1200
5.	बीना टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	500
6.	ससन यूएमपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	1320
7.	महेश्वर एचईपी यू-1, 10	पी	हाइड्रो	400
8.	डी.बी. पावर टीपीपी, सिधी यू-1	पी	कोयला	660
9.	झबुआ टीपीपी यू-1	पी	कोयला	600
	दक्षिणी क्षेत्र			
	आंध्र प्रदेश			
1.	लोअर जुराला एचईपी	एस	हाइड्रो	240

1	2	3	4	5
2.	पुलीचिंतला एचईपी	एस	हाइड्रो	120
3.	नागार्जुन सागर टीआर एचईपी	एस	हाइड्रो	50
4.	श्री दामोदरम संजीववैय्या टीपीपी (विशाखापट्टनम टीपीपी) यू-1, 2	एस	कोयला	1600
5.	रायल सीमा टीपीपी यू-6	एस	कोयला	600
6.	थामिनापट्टनम टीपीपी यू-3, 4	पी	कोयला	700
7.	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. फेज-I यू-1, 2	पी	कोयला	1320
8.	पैनमपुरम टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	1320
9.	भावनापड्डु टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	1320
10.	थामिनापट्टनम टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	300
11.	सिम्हापुरी टीपीपी फेज-I यू-2	पी	कोयला	150
12.	हिंदुजा टीपीपी, यू-1, 2	पी	कोयला	1050
	केरल			
1.	थोटियार एचईपी	एस	हाइड्रो	40
2.	पल्लीवसल एचईपी	एस	हाइड्रो	60
	तमिलनाडु			
1.	कुडनकुलम यू-1, 2	सी	न्यूक्लियर	2000
2.	पीएफबीआर (कलपक्कम)	सी	न्यूक्लियर	500
3.	वल्लूर (एन्नोर) टीपीपी यू-2, 3	सी	कोयला	1000
4.	तूतीकोरिन टीपीपी जेवी यू-1, 2	सी	कोयला	1000
5.	नेवली-II टीपीपी यू-2	सी	लिग्नाइट	250
6.	भवानी बेरेज एचईपी-II और III	एस	हाइड्रो	60
7.	मेट्टूर टीपीपी एक्सटें. यू-1	एस	कोयला	600
8.	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी एक्सटें. यू-1, 2	एस	कोयला	1200
9.	इण्ड बराथ टीपीपी यू-1	पी	कोयला	600
	पूर्वी क्षेत्र			
	बिहार			
1.	मुजफ्फरपुर (कांटी) टीपीपी यू-3, 4	सी	कोयला	390

1	2	3	4	5
2.	बाढ़ एसटीपीपी-I यू-1, 2, 3	सी	कोयला	1980
3.	बाढ़ एसटीपीपी-II यू-1, 2	सी	कोयला	1320
4.	नबीनगर टीपीपी यू-1, 4	सी	कोयला	1000
	झारखंड			
1.	बोकारो टीपीपी ए एक्सटें. यू-1	सी	कोयला	500
2.	कोडरमा टीपीपी यू-2	सी	कोयला	500
3.	माता श्री ऊषा टीपीपी फेज-I यू-1, 2	पी	कोयला	540
4.	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस लि. टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	540
	ओडिशा			
1.	देरांग टीपीपी यू-1	पी	कोयला	600
2.	इंड बराथ एनर्जी प्राइवेट लि. टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	700
3.	लैंको बाबंध ढेंकानल टीपीपी यू-1	पी	कोयला	660
4.	के.वी.के. नीलांचल टीपीपी यू-1	पी	कोयला	350
5.	कामालंगा टीपीपी यू-1, 3	पी	कोयला	1050
6.	स्टेरलाइट टीपीपी यू-4	पी	कोयला	600
	सिक्किम			
1.	भास्मे एचईपी	पी	हाइड्रो	51
2.	जोरथांग लूप एचईपी	पी	हाइड्रो	96
3.	रंगित-IV एचईपी	पी	हाइड्रो	120
4.	तीस्ता-VI एचईपी	पी	हाइड्रो	500
5.	तीस्ता-III एचईपी	पी	हाइड्रो	1200
6.	चुजाचेन एचईपी	पी	हाइड्रो	99
	पश्चिम बंगाल			
1.	तीस्ता लो डैम-III एचईपी	सी	हाइड्रो	132
2.	तीस्ता लो डैम-IV एचईपी	सी	हाइड्रो	160

1	2	3	4	5
3.	रघुनापुर टीपीपी यू-1, 2	सी	कोयला	1200
4.	हल्दिया टीपीपी यू-1, 2	पी	कोयला	600
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
	अरुणाचल प्रदेश			
1.	पारे एचईपी	सी	हाइड्रो	110
2.	कामेंग एचईपी	सी	हाइड्रो	600
3.	सुबानसिरी लोअर एचईपी	सी	हाइड्रो	1000
	असम			
1.	बोंगाईगांव टीपीपी यू-1, 2, 3	सी	कोयला	750
2.	नामरुप सीसीजीटी	एस	गैस	100
	मेघालय			
1.	न्यू उमतरू एचईपी	एस	हाइड्रो	40
2.	मिंटडू स्टेज-I एचईपी अतिरिक्त यूनिट	एस	हाइड्रो	42
	मिज़ोरम			
1.	तुरियल एचईपी	सी	हाइड्रो	60
	त्रिपुरा			
1.	त्रिपुरा सीसीजीटी	सी	गैस	726.6
2.	मोनार्चक सीसीजीटी	सी	गैस	101
	कुल			88537

सी: केन्द्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र, पी: निजी क्षेत्र

टीपीपी = ताप विद्युत परियोजना

एचईपी = जल विद्युत परियोजना

सीसीजीटी = कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाइन

यूएमपीपी = अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट

आरएपीपी = राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट

केएपीपी = काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट

जीईपीएल = गुप्ता एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

पीएफबीआर = प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

[हिन्दी]

तटबंधों का निर्माण

1077. डॉ. संजय जायसवाल : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार की नदियों पर पक्के तटबंध बनाने का है क्योंकि मिट्टी से बने तटबंधों की मरम्मत/रख-रखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद प्रत्येक वर्ष ये तटबंध जान-माल की हानि को रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया खंड में पी.डी. रिंग बंध को पक्के बंध में कब तक बदले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के तहत दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्याप्त भूमि, स्थानीय तौर पर सस्ते दामों पर उपलब्ध सामग्री और ईंटें/गोलाश्म बिछाने के साथ-साथ जियो-टेक्सटाइल सामग्री से मिट्टी के बांधों को और मजबूत बनाने जैसे अन्य लागत प्रभावी विकल्पों वाले स्थानों पर पक्के तटबंध सामान्यतया लागत प्रभावी नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए पर्यावरण मंजूरी

1078. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमार्ग परियोजनाओं के शीघ्र कार्यपालन के लिए पर्यावरण और वन मंजूरियों से संबंधित नीति की पुनर्रचना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस हेतु पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है और नई नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के संबंध में अधिकतम बाधाओं का निपटान अपने विभिन्न आदेशों के तहत किया है। इसने एक रैखिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति से वन स्वीकृति को पृथक भी कर दिया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण कार्य को नई परियोजनाओं से भिन्न समझा है तथा गैर-वन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। तद्नुसार, सभी विद्यमान और भावी सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से रियायत मिली है। राजमार्ग क्षेत्र द्वारा सामने आ रही प्रक्रियागत कठिनाईयां और प्रशासनिक समस्याओं को सरल करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को सांविधिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया की तर्कसंगता के लिए भी सुझाव दिया है जो ऐसी स्वीकृतियों के लिए लगने वाले समय को कम करके किया जा सकता है। नीति/प्रक्रिया की युक्तियुक्तता तथा सरलीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को ये सुझाव दिए गए हैं जिनसे विद्यमान नीति को एक नयी नीति के रूप में बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

डीआरएम की नियुक्ति और स्थानांतरण

1079. श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीज़नल रेलवे मैनेजरों (डीआरएम) की नियुक्ति के लिए विनिर्धारित शैक्षिक अर्हता, अनुभव और आयु सीमा तथा इसके लिए पैनल को तैयार करने का ब्यौरा क्या है;

(ख) डीआरएम के पद की नियुक्ति के लिए पैनल की वैधता की अवधि क्या है और नियुक्त किए गए अभ्यर्थी की आयु के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि तय करने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विनिर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों को शब्दश: कार्यान्वित किया जा रहा है, यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्तावधि में डीआरएम की पदस्थापना और सामान्य कार्यकाल की अवधि कितनी है और कितने मामलों में इस विनिर्धारित कार्यकाल को बढ़ाया गया है और इसके क्या कारण रहे हैं; और

(ङ) क्या डीआरएम की नियुक्ति/स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदनों के मामलों में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) मंडल रेल प्रबंधकों का चुनाव आठ ग्रुप 'ए' रेल सेवाओं से संबंधित सेवारत वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों में से किया जाता है, जिनकी आयु, यह सूची तैयार करने के वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात् 1 जुलाई को 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) मंडल रेल प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए वैधता अवधि इस वर्ष की 1 जुलाई से आगामी वर्ष की 30 जून तक होती है। अभ्यर्थी की आयु निर्धारण करने की अंतिम तिथि उस वर्ष की 1 जुलाई है।

(ग) मंडल रेल प्रबंधकों के लिए सूची उन मंडल रेल प्रबधकों के पदों को भरने के लिए तैयार की जाती है जो 1 जुलाई से आगामी वर्ष के 30 जून और उसके बाद की अवधि के दौरान अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। नई सूची तैयार करने के बाद पूर्ववर्ती सूची लागू नहीं रहती है। बहरहाल, प्रशासनिक कारणों से वर्ष 2011-12 के लिए सूची तैयार करने के कार्य में विलम्ब हुआ। अत: नवम्बर 2012 तक होने वाली रिक्तियां 2011-12 की सूची में समायोजित की गई क्योंकि इन रिक्तियों को तत्काल भरा जाना अपेक्षित था। 01.07.2012 से 30.06.2013 तक वैध वर्ष 2012-13 की सूची 26.03.2013 को अनुमोदित की गई और 20.07.2013 को 21 रिक्तियां भरी गईं। वर्ष 2013-14 से संबंधित सूची 8.11.2013 को अनुमोदित की गई और दिसम्बर, 2013 से अभी तक इस सूची से 16 तैनातियां की गई हैं।

(घ) मंडल रेल प्रबंधकों की पदस्थापना का सामान्य कार्यकाल 2-3 वर्ष है। गत तीन वर्षों के दौरान इस अवधि के बाद किसी भी अधिकारी का निर्धारित कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है। बहरहाल, प्रशासनिक कारणों से वास्तविक कार्यकाल में अंतर हो सकता है।

(ङ) जी, नहीं। मंडल रेल प्रबंधकों के रूप में तैनाती से संबंधित रेलवे अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए एक नई नीति तैयार की गई है।

सीआईएल द्वारा रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण

1080. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध होने वाले अपने कोयला गैस और अन्य उत्पादों का उपयोग करते हुए रसायनों और उर्वरकों के विनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेलंगाना राज्य में भूतलीय कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के विकास के लिए सिंगरैनी, कोयला खान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) एफसीआईएल के तलचर यूनिट के स्थल पर यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट के उत्पादन के लिए एक संयंत्र की स्थापना हेतु सिद्धांत रूप से में सहमत होने के लिए एफसीआईएल के तलचर यूनिट के पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टीलाइजर्स लि. (आरसीएफएल), फर्टीलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल), गेल (इंडिया) लि. और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ है। उपयुक्त उपलब्ध प्रौद्योगिकी की पहचान करने की प्रक्रिया और तत्पश्चात् विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) ने भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), सतही-कोयला गैसीकरण (एससीजी) तथा कोल बेड मीथेन (सीबीएम) शुरू करने के लिए मैसर्स तेल तथा प्राकृतिक गैस निम्न लि. (ओएनजीसी) के साथ 15.04.2006 को समझौता-ज्ञापन संपन्न किया है। उसे 18.07.2011 को पुन: अगले 5 वर्षों के लिए नवीकृत किया गया था। इस समझौता-ज्ञापन के जरिए एससीसीएल तथा ओएनजीसी का भारत में कोयलाधारी राज्यों में यूसीजी, एससीजी और सीबीएम से संबंधित सेवा, प्रचालन, प्रक्रिया विकास और अनुसंधान में सहयोग करने का आशय है। इस समझौता-ज्ञापन के अधीन श्री रामपुर क्षेत्र में आईजीसीसी (एकीकृत संयुक्त साइकिल) विद्युत संयंत्र स्थापित करने तथा एससीसीएल के चेन्नै की खानों से कोयले का उत्पादन करके विभिन्न रसायनों, उर्वरकों का विनिर्माण करने का प्रस्ताव है। पीडीआईएल, नई दिल्ली द्वारा इस परियोजना के लिए 'तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन' किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बाढ़ चेतावनी प्रणाली

1081. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में आपदाओं को रोकने हेतु बाढ़ चेतावनी प्रणाली और नदी तटबंधों को बेहतर बनाने जैसे उपायों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) प्रत्येक मानसून सीजन के दौरान देश की प्रमुख नदियों का बाढ़ पूर्वानुमान कार्यकलाप करता है। इसने पहले ही IXवीं योजना से अपने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया है। अभी तक, स्वचालित आंकड़ा संग्रहण और प्रसारण सिस्टम 445 केन्द्रों पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, तीन अर्थ-रिसिविंग स्टेशन (ईआरएस) प्रत्येक एक जयपुर (राजस्थान), बुर्ला (ओडिशा), नई दिल्ली में और 21 मॉडलिंग केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं जो मानसून के दौरान शीघ्र बाढ़ चेतावनी के लिए उपयोग किए जाते हैं।

बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है और इससे संबंधित स्कीमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ के कारगर प्रबंधन के लिए राज्यों को संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने XIवीं योजना के दौरान एक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया था। अक्तूबर, 2013 में मंत्रिमंडल ने XIIवीं योजना के दौरान इसको जारी रखने का अनुमोदन दिया। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत नदी प्रबंधन, नालियां विकास, कटावरोधी, समुद्री कटावरोधी, पहले के बाढ़ प्रबंधन कार्यों को पूरा करने आदि से संबंधित कार्यों को कवर करता है। तथापि, तटबंधों की सामान्य मरम्मत और रख-रखाव के कार्य बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में कवर नहीं होते हैं जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से करवाए जाते हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

1082. योगी आदित्यनाथ :
श्री हुकुम सिंह :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री गणेश सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन पर बढ़ रहे खर्च को देखते हुए रेलवे का देश में रेल-विद्युतीकरण की परियोजनाओं में तेजी लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गाजियाबाद-मुरादाबाद और गोरखपुर-लखनऊ खंडों सहित चालू रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार/रेल जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में रेल-लाइनों के विद्युतीकरण के लिए नियत और उपलब्ध लक्ष्यों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान आबंटित और खर्च धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान रेलवे को रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, हां। रेल मंत्रालय विद्युतीकरण संबंधी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए उपाय कर रहा है।

(ख) जैसाकि 10वीं, 11वीं, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों से देखा जा सकता है कि रेल लाइनों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए भारतीय रेल ने पहले से ही एक बड़ी विद्युतीकरण योजना प्रारंभ कर रखी है।

योजना	विद्युतीकृत मार्ग किमी.
10वीं	1810
11वीं	4556
12वीं	6500 (लक्ष्य)

12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों यथा (2012-13 और 2013-14) के दौरान, 2600 मार्ग किमी. (आरकेएम) के आनुपातिक लक्ष्य की तुलना में 2667 मार्ग किमी. (आरकेएम) को विद्युतीकृत किया गया है।

योजना शीर्ष "रेलवे विद्युतीकरण" के अंतर्गत गाजियाबाद—मुरादाबाद और गोरखपुर—लखनऊ खंडों सहित चालू विद्युतीकरण परियोजनाओं के राज्य/जोन-वार ब्यौरे और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	राज्य	जोनल रेलें	परियोजना का नाम (और स्वीकृति का वर्ष)	कुल मार्ग किमी. (आरकेएम)	01.04.2014 को विद्युतीकरण के लिए शेष मार्ग किमी.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक	दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	तोरनागल्लु - रंजीतपुरा ब्रांच लाइन सहित गुंतकल - बेल्लारी - हॉस्पेट खंड (2012-13)	138	138
2.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	नाल्लापाडु - गुंतकल (2012-13)	426	426
3.	बिहार, पश्चिम बंगाल/ असम	पूर्व मध्य, पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार - बरसोई - सहित बरौनी - कटिहार - गुवाहाटी (2008-09)	836	457
4.	दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात	उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम	कलोल - गांधीनगर खोदियार और अलवर - बांदीकुई - जयपुर - फुलेरा सहित दिल्ली सराय रोहिल्ला - रेवाड़ी - फुलेरा - पालनपुर - अहमदाबाद (2013-14)	1087	1087
5.	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	उत्तर	लक्सर - देहरादून (अगस्त, 2011 को लक्सर - देहरादून के लिए महत्वपूर्ण आशोधन स्वीकृत किया गया) सहित अम्बाला - मुरादाबाद।	353	52
6.	हरियणा	उत्तर	मनहेरु - हिसार (2012-13)	74	74
7.	हरियाणा	उत्तर	जाखल - हिसार (2013-14)	79	79
8.	हरियाणा, पंजाब	उत्तर	रोहतक - धुरी - लुधियाना (2013-14)	123	123
9.	हरियाणा, पंजाब	उत्तर	रोहतक - भठिंडा - लेहरा मुहब्बत (2010-11)	252	252
10.	झारखंड/मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश	पूर्व मध्य	गर्वा रोड - चोपान - सिंगरौली (2012-13)	257	257
11.	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य	पेनुकोंडा - धर्मावरम बरास्ता श्री सत्य साई प्रशांति निलायम सहित येलहंका - धर्मावरम - गूटी (2010-11)	306	0
12.	केरल/कर्नाटक	दक्षिण	शोरूवण्णूर - मंगलोर - पेनमबूर (2010-11)	328	28

1	2	3	4	5	6
13.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य	आमला - छिंदवाड़ा - कलुमना (2012-13)	257	220
14.	महाराष्ट्र	दक्षिण पूर्व मध्य	गोंदिया - बल्लारशाह (2010-11)	250	183
15.	महाराष्ट्र	मध्य	पुनथम्बा - शिरडी सहित दौंड - मनमाड़ (2010-11)	255	0
16.	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	पश्चिम मध्य, उत्तर मध्य	सतना - रीवा सहित इटारसी - कटनी - मानिकपुर - छिउकी (2012-13)	653	653
17.	ओडिश-छत्तीसगढ़/ आंध्र प्रदेश	पूर्व तट	विजयानगरम - रायगढ़ - टिटिलागढ़ - रायपुर (2011-12)	465	346
18.	ओडिशा	पूर्व तट	सम्बलपुर - अंगुल (2012-13)	156	156
19.	ओडिश	पूर्व तट	झारसुगुड़ा - आईबी (बाई पास लाइन) सहित झारसुगुड़ा - सम्बलपुर - टिटिलागढ़ खंड (2012-13)	238	238
20.	ओडिशा	पूर्व तट	दामनजोड़ी - सिंगापुर रोड (2013-14)	152	152
21.	पंजाब/हिमाचल प्रदेश/ जम्मू और कश्मीर	उत्तर	जम्मू तवी - उधमपुर सहित जालंधर - जम्मू तवी (2007-08)	275	19
22.	पंजाब	उत्तर	राजपुरा - धुरी - लेहरा मुहब्बत (2013-14)	151	151
23.	राजस्थान/हरियाणा	उत्तर पश्चिम	अलवर - रेवाड़ी (2011-12)	82	0
24.	तमिलनाडु	दक्षिण	मदुरै - तुतीकोरिन - नागरकोइल (2008-09)	262	0
25.	तमिलनाडु	दक्षिण	कोयम्बटूर नार्थ - मेटुपालैयम (2012-13)	33	3
26.	उत्तर प्रदेश/बिहार	पूर्वोत्तर, पूर्व मध्य	*सिवान - थावे सहित बाराबंकी - गोंडा - गोरखपुर - बरौनी (2007-08)	757	39
27.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	गाजियाबाद - मुरादाबाद (2010-11)	140	38
28.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	फाफामऊ - प्रयाग - इलाहाबाद सहित वाराणसी - जंघई - उंचाहार (2008-09)	207	0
29.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	गजियाबाद - मेरठ सहित खुर्जा - मेरठ - सहारनपुर (2007-08)	254	0

*लखनऊ - बाराबंकी पहले से ही विद्युतीकृत है।

1	2	3	4	5	6
30.	उत्तर प्रदेश	उत्तर, पूर्वोत्तर	रोजा - सीतापुर - बुढ़वल (2011-12)	181	86
31.	उत्तर प्रदेश	उत्तर मध्य, पूर्वोत्तर	ऐट - कोंच और कानपुर अनवरगंज - कल्याणपुर सहित झांसी - कानपुर (2008-09)	241	01
32.	उत्तर प्रदेश/राजस्थान	उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम	मथुरा- अलवर (2010-11)	121	0
33.	पश्चिम बंगाल/ झारखंड	पूर्व	कुमेदपुर - मालदा - सिंघाबाद और पाकुर - मालदा (2012-13)	153	153
34.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	अंडाल - सीतारामपुर बरास्ता जमूरिया - इकरा और श्रीपुर (2012-13)	57	57
35.	पश्चिम बंगाल/ झारखंड	पूर्व	खन्ना - सैंथिया सहित पाण्डवेश्वर - सैंथिया-पाकुर (2011-12)	205	0
36.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	नलहाटी और अजीमगंज बाईपास लाइन सहित कटवा-अजीमगंज - नलहाटी और अजीमगंज-तिलडांगा/न्यू फरक्का (2013-14)	200	200

(ग) गत तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) और चालू वर्ष (2014-15 जून, 2014 तक) के दौरान, मार्ग किमी. (आरकेएम) में रेल विद्युतीकरण के लिए जोन-वार लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:—

जोनल रेलें	लक्ष्य (मार्ग किमी. में)	उपलब्धियां (मार्ग किमी.)
1	2	3
मध्य	330	343
पूर्व	260	271
पूर्व मध्य	154	166
पूर्व तट	124	135
उत्तर	605	654
उत्तर मध्य	240	261
पूर्वोत्तर	340	365
पूर्वोत्तर सीमा	249	265
उत्तर पश्चिम	80	87
दक्षिण	597	618
दक्षिण मध्य	281	248
दक्षिण पूर्व	85	89
दक्षिण पूर्व मध्य	64	67
दक्षिण पश्चिम	206	277
पश्चिम	40	43
पश्चिम मध्य	0	0
कुल	3655	3889

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2014 तक) के दौरान योजना शीर्ष "रेल विद्युतीकरण" के अंतर्गत रेल विद्युतीकरण के लिए आबंटित और खर्च की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन (बजट अनुमान)	खर्च
1	2	3
2011-12	978	832.09
2012-13	830	967.61
2013-14	1005	1254.58
2014-15	1206	300.54 (जून, 2014 तक)

(ङ) राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, विभिन्न अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित खंड का नाम	राज्य सरकार	स्थिति/की गई कार्रवाई
1.	दिल्ली - रोहतक	दिल्ली/हरियाणा	कार्य पूरा कर दिया गया है और बिजली कर्षण की शुरुआत कर दी गई है।
2.	त्रिवेंद्रम - कन्याकुमारी	केरल/तमिलनाडु	कार्य पूरा कर दिया गया है और बिजली कर्षण की शुरुआत कर दी गई है।
3.	कोरापुट - दामनजोड़ी - रायगढ़	ओडिशा	कोरापुट - दामनजोड़ी रेल लाइन पहले से ही विद्युतीकृत है। दामनजोड़ी - रायगढ़ एक स्वीकृत रेल विद्युतीकरण का कार्य है।
4.	शोरूवण्णूर - मंगलोर	केरल	यह एक स्वीकृत रेल विद्युतीकरण कार्य है।
5.	टिटिलागढ़ - सम्बलपुर - झारसुगुड़ा और तालचेर - सम्बलपुर	ओडिशा	दोनों खंडों का विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत है।
6.	हरिदासपुर - पारादीप	ओडिशा	"नई लाइन" कार्य के भाग के रूप में विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत है।
7.	लक्सर - देहरादून	उत्तराखंड	यह एक स्वीकृत रेल विद्युतीकरण कार्य है।
8.	कोलम - पुनालुर	केरल	परिचालनिक कारणों से फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।
9.	शोरूवण्णूर - निलांबुर	केरल	परिचालनिक कारणों से फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।
10.	एर्णाकुलम साउथ - कोचिन हार्बर टर्मिनस	केरल	परिचालनिक कारणों से फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।
11.	पनवेल -पेन - रोहा और पेन - अलीबाग	महाराष्ट्र	परिचालनिक कारणों से फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

आरजीजीवीवाई के तहत ग्राम-विद्युतीकरण

1083. श्री राजीव सातव :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री अभिजित मुखर्जी :
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :
श्री राजेश रंजन :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री शैलेश कुमार :
श्री भारत सिंह :
श्री बदरुद्दीन अज़मल :
योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती रंजीत रंजन :
श्री ओम बिरला :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण करना (आरजीजीवीवाई) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) देश में आरजीजीवीवाई के दूसरे चरण के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई धनराशि कितनी है;

(ग) देश में विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों सहित, उक्त योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत और विद्युतीकरण के लिए शेष गांवों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों जिन्हें विद्युत दी गई है और जिन्हें यह सुविधा अभी दी जानी है की संख्या राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और इसका परिणाम क्या है और देश में सरकार द्वारा विशेषकर नक्सलवाद प्रभावित गांवों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में विद्युतीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार है:—

(i) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को नि:शुल्क विद्युत के कनेक्शन प्रदान करना।

(ii) जिसे के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक 33/11 केवी (या 66/11 केवी) के उप-केंद्र सहित ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आरईडीबी) तैयार करना।

(iii) प्रत्येक गांव/वासस्थलों में कम-से-कम एक वितरण ट्रांसफार्मर सहित ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) का सृजन।

(iv) जहां पर ग्रिड आपूर्ति व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है वहां पर विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन (डीडीजी) तैयार करना।

(v) 100 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शेष जनगणना गांवों और वासस्थलों को कवर करना।

(ख) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियों का कोई अपफ्रंट आबंटन नहीं है। निधियां पिछली किस्त(तों) और अन्य शर्तों को पूरा करने पर निधियों के उपयोग की सूचना के आधार किस्तों में परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए जारी की जाती हैं। तथापि, दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार 11वीं योजना के चरण-II के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 2472.15 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत 10वीं एवं 11वीं योजना और चरण-II के दौरान देश में 648 परियोजनाएं स्वीकृति की गई थीं। संचयी रूप से दिनांक 31.05.2014 तक देश में विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों सहित 1.08 लाख गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया और 2.17 करोड़ बीपीएल घरों को नि:शुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए गए। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सितंबर, 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आरजीजीवीवाई को जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 273 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 2.32 लाख गांवों का गहन विद्युतीकरण और 1.33 करोड़ बीपीएल घरों को नि:शुल्क विद्युत जारी करना शामिल है।

(ङ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने 4 स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन शुरू किया है।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:—

(i) प्रत्येक ब्लॉक को न्यूनतम एक उपकेंद्र उपलब्ध कराया गया है।

(ii) स्वीकृत घरेलू भार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कीम के अंतर्गत 11 केवी प्रणाली की स्थापना पर्याप्त है।

(iii) 40 वाट/60 वाट के सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शन सहित बीपीएल घरों के परिकल्पित भार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता पर्याप्त है लेकिन वास्तविक लोड की कमी होती है क्योंकि अधिकांश बीपीएल परिवार पंखा, हीटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि जैसे कई अन्य प्रयोजनों के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं।

(iv) कुछ घरों में अनाधिकृत कनेक्शनों के माध्यम से बिजली का उपयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ओवरलोडिंग होती है और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं।

(v) विद्युत की पहुंच लगभग सभी सार्वजनिक स्थलों अर्थात् स्कूलों, पंचायत, स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि में उपलब्ध कराई गई है।

(vi) इससे बच्चों की शिक्षा में सुधार, घरेलू काम-काज में आसानी, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा की भावना और सहूलियत भी देखने को मिल रही है।

(vii) बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को छोड़कर सभी राज्यों में न्यूनतम 6-8 घंटे की विद्युत आपूर्ति होती है।

सरकार द्वारा देश में नक्सल प्रभावित गांवों और पिछड़े क्षेत्रों सहित गांवों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:—

(i) भारत सरकार ने सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है जो समय-समय पर कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक करती है।

(ii) राज्यों को ग्रमीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए जिला समितियों की स्थापना करने की सलाह दी गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सभी राज्यों में जिला समितियों का गठन किया गया है।

(iii) राज्यों को जिला समिति में संसद सदस्य सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की सलाह भी दी गई है।

(iv) विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्यों में आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाले गत्यावरोधों का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया है।

(v) विद्युत मंत्रालय के साथ-साथ आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) स्वीकृत कार्यक्रमों के अनुसार स्कीम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सभी स्टेकहोल्डरों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ निरंतर समीक्षा बैठकें आयोजित करती है।

(vi) आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना की अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकारों से आरईसी को प्रस्तुत करने से पूर्व डीपीआर की संवीक्षा एवं प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण तथा स्वीकृत परियोजनाओं अर्थात् उप-केन्द्रों, राइट ऑफ वे के लिए भूमि का आबंटन, वन स्वीकृत, सुरक्षा स्वीकृति इत्यादि के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समाधान करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थाई समिति का गठन करने को कहा है जिसमें ऊजा, ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायत राज, वन, राजस्व सचिवों और आरईसी आदि के प्रतिनिधि शामिल हों।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 11वीं योजना के चरण-II के लिए राज्य-वार संवितरित राशि (केवल सब्सिडी)

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	संचयी रूप से जारी (31.05.2014 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	बिहार	11	2994.11	828.99
2.	छत्तीसगढ़	2	176.11	78.96

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	3	17.01	3.13
4.	कर्नाटक	2	119.38	50.30
5.	केरल	7	89.83	23.14
6.	मध्य प्रदेश	20	983.20	346.54
7.	महाराष्ट्र	1	33.64	9.91
8.	तमिलनाडु	3	37.27	10.26
9.	उत्तर प्रदेश	22	4728.20	1071.31
10.	पश्चिम बंगाल	1	198.98	50.01
	सकल योग	72	9377.73	2472.15

विवरण-II

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों और बीपीएल घरों को निःशुल्क जारी किए गए विद्युत कनेक्शनों की राज्य-वार कवरेज और उपलब्धि

(31.05.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांव			बीपीएल घर		
		कवरेज	उपलब्धि	शेष	कवरेज	उपलब्धि	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*	0	0	0	2750400	2750400	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2096	1992	104	53312	47624	5688
3.	असम	8353	8146	207	1270789	1136888	133901
4.	बिहार	24294	22937	1357	5448300	2462912	2985388
5.	छत्तीसगढ़	1731	1244	487	1268165	1056840	211325
6.	गुजरात*	0	0	0	841219	841219	0
7.	हरियाणा*	0	0	0	241220	199855	41365
8.	हिमाचल प्रदेश	95	91	4	17333	16493	840
9.	जम्मू और कश्मीर	237	203	34	79991	67963	12028
10.	झारखंड	18615	18135	480	1470260	1310497	159763
11.	कर्नाटक	58	58	0	918656	880466	38190
12.	केरल*	0	0	0	125598	115476	10122
13.	मध्य प्रदेश	879	736	143	1839046	1178118	660928
14.	महाराष्ट्र*	0	0	0	1226185	1217410	8775

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मणिपुर	882	616	266	107369	29682	77687
16.	मेघालय	1867	1805	62	109387	104026	5361
17.	मिज़ोरम	144	109	35	30917	19363	11554
18.	नागालैंड	105	92	13	74064	46207	27857
19.	ओडिशा	14525	14430	95	3085925	2867196	218729
20.	पंजाब*	0	0	0	102176	100404	1772
21.	राजस्थान	4226	4164	62	1262612	1161414	101198
22.	सिक्किम	25	25	0	12108	10129	1979
23.	तमिलनाडु*	0	0	0	525571	501202	24369
24.	त्रिपुरा	148	144	4	117163	116263	900
25.	उत्तर प्रदेश	28006	27750	256	2005867	1062226	943641
26.	उत्तराखंड	1512	1511	1	263593	263593	0
27.	पश्चिम बंगाल	4202	4185	17	2307567	2212604	94963
	कुल	112000	108373	3627	27554793	21776470	5778323

*आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में, इन राज्यों में कोई भी गैर-विद्युतीकृत गांव विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में प्रस्तावित नहीं थी। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है।

अंतर्राज्यीय नदी जल-विवाद

1084. श्रीमती मौसम नूर :

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्यों के मध्य जल-विवादों के निस्तारण के लिए अब तक स्थापित किए गए न्यायाधिकरणों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा क्या पंचाट दिए गए हैं;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा न्यायाधिकरणों के पंचाटों के उल्लंघन के कोई मामले सामने आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों के मध्य जल-विवादों के निपटान के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और सरकार का विचार राज्यों को सिंचाई कवर बढ़ाने और लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लाभ देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) राज्यों के बीच जल विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिकरणों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र. सं.	अधिकरण का नाम	संबंधित राज्य	गठन की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	गोदावरी जल विवाद अधिकरण	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा	अप्रैल, 1969	जुलाई, 1980 में निर्णय (पंचाट) दिया गया।
2.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण-I	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	अप्रैल, 1969	मई, 1976 में निर्णय दिया गया।
3.	नर्मदा जल विवाद अधिकरण	राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र	अक्तूबर, 1969	दिसम्बर, 1979 में निर्णय दिया गया।
4.	रावी एवं व्यास जल विवाद अधिकरण	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	अप्रैल, 1986	धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट एवं निर्णय अप्रैल, 1987 में दिए गए। इस मामले में एक राष्ट्रपतीय संदर्भ उच्चतम न्यायालय में है, अत: मामला न्यायाधीन है।
5.	कावेरी जल विवाद अधिकरण	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी	जून, 1990	रिपोर्ट और निर्णय 5.2.2007 को दिए गए जिसे दिनांक 19.2.2013 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया था। पक्षकार राज्यों ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, अत: मामला न्यायाधीन है।
6.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण-II	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	अप्रैल, 2004	रिपोर्ट और निर्णय 30.12.2010 को दिए गए। अधिकरण ने आगे की रिपोर्ट 29.11.2013 को दी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिकरण, 2014 की धारा 89 में दिए गए विचारार्थ विषयों के समाधान के लिए अधिकरण की अवधि 01 अगस्त, 2014 से दो वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.9.2011 के आदेशानुसार, राज्यों तथा केन्द्र द्वारा प्रस्तुत संदर्भों के विषय में अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय, आगमी आदेशों तक, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अत: मामला न्यायाधीन है।
7.	वंसधारा जल विवाद अधिकरण	आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा	फरवरी, 2010	अधिकरण ने रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया है। ओडिशा राज्य ने अधिकरण के एक सदस्य की नियुक्ति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। ओडिशा राज्य में इस मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इस तरह मामला न्यायाधीन

1	2	3	4	5
				है। इसके अतिरिक्त, माननीय वंसधारा जल विवाद अधिकरण ने अपने दिनांक 17.12.2013 के आदेश में वंसधारा नदी के विषय में एक तीन सदस्यीय अस्थायी पर्यवेक्षी प्रवाह-प्रबंधन और विनियमन समिति गठित करने का निदेश दिया है।
8.	महादायी जल विवाद अधिकरण	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	नवम्बर, 2010	अधिकरण ने रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया है।

(ख) और (ग) गोदावरी, कृष्णा (मई, 1976 का) और नर्मदा से संबंधित अंतर्राज्यीय नदी जल में हिस्सेदारी के विवादों का निपटारा, संबंधित अधिकरण के निर्णयों को प्रकाशित करने के साथ हो गया है। तथापि, इन बेसिनों से संबंधित परियोजना विशिष्ट अंतर्राज्यीय मुद्दे केन्द्र सरकार/उच्चतम न्यायालय का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं और उपर्युक्त प्राधिकरणों द्वारा इन पर मामला दर मामला कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य द्वारा आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कर्नाटक राज्य द्वारा सीडब्ल्यूडीटी के अंतरिम/अंतिम आदेश का कार्यान्वयन न होने/अनुपयुक्त कार्यान्वयन की बात कही गयी है। इन आवेदनों पर कावेरी संबंधी निगरानी समिति/पर्यवेक्षी समिति की बैठकों में चर्चा की गयी और सदस्य राज्यों को इस विषय में समुचित निदेश जारी किए गए हैं।

(घ) से (च) राज्यों सहित पणधारियों से परामर्श करके अंतर्राज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णय के लिए स्थायी अधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव संकल्पना चरण में है।

सिंचाई विकास राज्य का विषय होने के नाते, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने निर्माण कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता देती है।

अल्पसंख्यकों को आरक्षण

1085. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत का उप-कोटा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास अल्पसंख्यकों को सेवाओं और शिक्षा में प्रतिनिधित्व देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की तर्ज पर कोई अन्य योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेतपुल्ला) : (क) और (ख) सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम) की सिफारिश पर विचार किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत तथा परिभाषित अल्पसंख्यक समुदायों (अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी) के लिए 4.5% आरक्षण का उप-कोटा केन्द्र सरकार के संस्थानों में प्रवेश और भारत सरकार के सिविल पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित 27% कोटे में से निर्धारित किया गया था और इसे 01.01.2012 से प्रभावी होने के लिए सरकार द्वारा 22.12.2011 को अधिसूचित किया गया था। आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.05.2012 के अपने निर्णय में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण में से अल्पसंख्यकों को 4.5% आरक्षण का उप-कोटा देने को अपास्त कर दिया है। यह मामला इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एनएचएआई की गतिविधियां

1086. श्री कामाख्या प्रसाद तासा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के लिए तिनसुकिया-तेजू-वालोंग-रीमा मार्ग को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में उत्तर-पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजनाओं की क्या स्थिति है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व-पश्चिम गलियारा कब तक पूर्ण होने की संभावना है;

(घ) पूर्व-पश्चिम गलियारे में हाब्लोंग और सिलचर के मध्य आई समस्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने असम में पूर्व पश्चिम महामार्ग की लगभग 670 किमी. लंबाई का विकास शुरू किया है। इसमें से, लगभग 540 किमी. लंबाई पहले ही पूरी की जा चुकी है। शेष लंबाई 30 जून, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मेघालय में रारा-40 और रारा-44 की कुल लंबाई की लगभग 215 किमी. लंबाई शुरू की है और लगभग 93 किमी. लंबाई पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नागालैंड में रारा-36 और रारा-39 की कुल लंबाई की लगभग 94 किमी. लंबाई शुरू की है।

(घ) और (ङ) पूर्व-पश्चिम महामार्ग में हाब्लोंग और सिलचर के बीच कुछ क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं का हस्तांतरण, बार-बार बंद, खराब कानून व्यवस्था, ठेकेदारों द्वारा कार्मिक शक्ति और मशीनरी की अपर्याप्त तैनाती, वन स्वीकृति में समस्या आदि समस्याएं आईं। प्रगति में तेजी लाने के लिए व्यवधान मुक्त भूमि सौंपने में तेजी लाने के लिए और प्राथमिकता पर अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जा रहा है।

जल संरक्षण और रीचार्ज

1087. श्री एम.बी. राजेश : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जल संरक्षण और रीचार्ज के लिए क्या नई पहलें की गई हैं;

(ख) भू-जल में ह्रास को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) नियामक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जल संरक्षण के लिए नया विधान लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सीजीडब्ल्यूबी ने वर्ष 2013 के दौरान "भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" शीर्षक से एक अवधारणात्मक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें भूजल संसाधनों का संवर्धन करने के लिए मॉनसून के में व्यर्थ बह जाने वाले सरप्लस जल का उपयोग करके देश के 9,41,541 वर्ग किमी. क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में जिसे उपर्युक्त कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों को भेजा गया है, वर्षा जल के सीधे उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता में वृद्धि करने की आवश्यकता को भी दर्शाया गया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संरक्षण और जल पुनर्भरण के लिए पहल की जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जलाशयों तथा पारंपरिक जल-निकायों में जल संसाधनों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूमिजल का कृत्रिम पुनर्भरण शामिल है। केन्द्र सरकार इस कार्य में विविध स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) भारत सरकार विभिन्न सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण तथा कुशल प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। अन्य बातों के साथ-साथ, जल संसाधन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय जल मिशन की भी स्थापना की गई है। इन स्कीमों के लिए निधियों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए XII योजना के दौरान संसाधन क्षेत्र के लिए 109553 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

(ग) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने भूजल के विकास और प्रबंधन का विनियमन तथा नियंत्रण करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के

लिए एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है। अब तक, तेरह (13) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: आंध्र प्रदेश (अविभाजित), गोवा, लक्षद्वीप, केरल, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, असम तथा दादरा और नगर हवेली ने मॉडल विधेयक का अनुकरण करते हुए कानून का अधिनियमन किया है। जल संसाधन मंत्रालय "मॉडल विधेयक" के आधार पर 'भू-जल के विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण' करने के लिए शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बात कर रहा है।

[हिन्दी]

कोयला भंडार

1088. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री बी.वी. नाईक :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कोयला भंडार कितना है और इनकी गुणवत्ता कैसी है;

(ख) क्या देश में कोयले के भंडारों का तेजी से ह्रास हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कोयले का उत्पादन बढ़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वृद्धि की दर कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशों सहित इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा तैयार की गई 'भारतीय कोयले के भू-वैज्ञानिक संसाधनों की सूची' के अनुसार देश में कोयला संसाधनों की कुल अनुमानित मात्रा 301.56 बिलियन टन (01.04.2014 की स्थिति) है। गुणवत्ता-वार तथा श्रेणी-वार संसाधन नीचे दिए गए हैं:—

(मिलियन टन में)

प्रकार	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
गोंडवाना कोयला कोकिंग	18399.53	13569.17	2101.15	34069.85
नॉन-कोकिंग	106915.60	128837.78	30248.58	266001.96
तृतीयक कोयला हाई सल्फर	593.81	99.34	799.49	1492.64
कुल	125908.94	142506.29	33149.22	301564.45

(ख) जीएसआई सूची के अनुसार भारत में विभिन्न कोलफील्डों से 1950 से 2013-14 तक निष्कर्षित कुल कोयला लगभग 12534.97 मिलियन टन है तथा वर्ष 2013-14 के दौरान कुल निष्कर्षित कोयला 565.64 मिलियन टन है। मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला संसाधन है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का कच्चा कोयला उत्पादन तथा सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की तुलना में वृद्धि की दर नीचे दी गई है:—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)	कोयला में वृद्धि%	जीडीपी
1	2	3	4
2014-15 (अप्रैल-जून)	134.40	5.7	लागू नहीं
2013-14	565.64	1.7	4.7
2012-13	556.40	3.04	4.5
2011-12	539.95	1.37	6.7

(स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) प्रैस नोट दिनांक 30.05.2014)

(घ) सरकार ने कोयला उत्पादन को बेहतर करने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें पर्यावरण और वन मंजूरियों में तेजी लाने, भूमि अधिग्रहण के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने में सहायता के लिए राज्य सरकार से आग्रह करने के प्रयास तथा कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे के साथ समन्वित प्रयास शामिल है। कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कदम उठाए गए हैं जिनमें

नई परियोजनाओं तथा व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग तथा कोयला ब्लॉकों के विकास की कड़ी निगरानी से क्षमता में वृद्धि शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण

1089. श्री शिवकुमार उदासि : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की बढ़ती समस्या के संबंध में कराए गए अध्ययन के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्या सरकार के पास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बनाई गई सड़कों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(ग) योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी सड़कें कवर की जानी प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 01 मई, 2013 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II (पीएमजीएसवाई-II) की शुरुआत की जिसमें मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन पर ध्यान दिया गया है जिससे जनता, वस्तुओं और सेवाओं के लिए यातायात सुविधा प्रदाता के रूप में इस योजना की समग्र क्षमता बढ़ाई जा सके। पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत ग्रामीण बाजारों और ग्रामीण केन्द्रों के विकास में ग्रामीण सड़कों की भूमिका एवं उनके आर्थिक महत्व के आधार पर मौजूदा चुनिंदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर जोर दिया जाता है। पीएमजीएसवाई-II के तहत, राज्यों को यातायात सघनता का मूल्यांकन करने के लिए जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) के अंतर्गत पात्र ग्रामीण सड़कों का स्वतंत्र यातायात अध्ययन कराने की जरूरत होती है जिससे राज्य पात्र सड़कों पर वाहनमार्ग की चौड़ाई का निर्णय ले सकें। पीएमजीएसवाई-II के तहत, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल 50,000 किमी. लंबाई की सड़कों के उन्नयन की स्वीकृति दी गई है। पीएमजीएसवाई-II के तहत सड़कों की लंबाई का राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत राज्य-वार कवर की जाने वाली सड़कों की लंबाई

क्र. सं.	राज्य का नाम	लंबाई किमी. में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2,285
2.	अरुणाचल प्रदेश	550
3.	असम	1,730
4.	बिहार	2,465
5.	छत्तीसगढ़	2,245
6.	गोवा	25
7.	गुजरात	1,205
8.	हरियाणा	1,000
9.	हिमाचल प्रदेश	1,750
10.	जम्मू और कश्मीर	780
11.	झारखंड	1,650
12.	कर्नाटक	2,245
13.	केरल	570
14.	मध्य प्रदेश	4,945
15.	महाराष्ट्र	2,620
16.	मणिपुर	325
17.	मेघालय	490
18.	मिज़ोरम	195
19.	नागालैंड	225
20.	ओडिशा	3,760
21.	पंजाब	1,345

1	2	3
22.	राजस्थान	3,465
23.	सिक्किम	115
24.	तमिलनाडु	2,950
25.	त्रिपुरा	310
26.	उत्तराखंड	915
27.	उत्तर प्रदेश	7,575
28.	पश्चिम बंगाल	2,515
29.	संघ राज्य क्षेत्र	250
	कुल	50,000

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1090. श्री डी.के. सुरेश :
श्री प्रताप सिम्हा :
श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कुशलनगर-मैसूर खंड सहित लंबित/जारी रेल परियोजनाओं में नई लाइनें, आमान-परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार बेंगलूरु-कनकपुरा, सतनूर-मलावल्ली-सत्यमंगला खंड पर नई रेलवे लाइनों को बिछाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार कर्नाटक में प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य करादी घाम तक रेल आधारभूत संरचना और सम्पर्क में सुधार का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) आवंटित और खर्च की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं की पूर्णता के लिए परियोजना-वार तय समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क), (ख) और (घ) बेंगलूरु-कनकपुरा-सतनूर-मालावल्ली-सत्यमंगलम परियोजना सहित कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली चालू रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी वर्तमान स्थिति सहित मार्च, 2014 तक किया गया व्यय और 2014-15 के दौरान उपलब्ध कराया गया परिव्यय निम्नानुसार है:—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2014 तक किया गया व्यय	2014-15 के दौरान किया गया परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	कदुर-चिकमगलूर-सकलेशपुर (97 किमी.)	574.39	330.79	35	कदुर-चिकमगलूर (46 किमी.) पूरा हो गया है। शेष भाग का कार्य शुरू हो गया है।
2.	हुबली-अंकोला (167 किमी.)	337.82	100.90	1	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार संपूर्ण परियोजना पर कार्य रोक दिया गया है। मामला न्यायाधीन है।
3.	हासन-बेंगलूरु वाया श्रवणबेलगोला (166 किमी.)	1290	719.12	210	हासन-बीजी नगर (75 किमी.) और चिकाबनवेर (बेंगलूरु) — सोलूर

1	2	3	4	5	6
					(30 किमी.) खंडों पर कार्य पूरा हो गया है। शेष भाग पर कार्य शुरू हो गया है।
4.	रायदुर्ग-तुमकुर (212 किमी.)	970.34	208.28	78	रायदुर्ग-वेदावथी (24 किमी.) पूरा हो गया है। वेदावथी-कदरेदेवरपल्ली (28 किमी.) में संरचना और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं। कदरेदेवरपल्ली-तुमकुर खंड के शष भाग में भूमि की मांग राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।
5.	बगलकोट-कुडची (142 किमी.)	986.3	47.58	65	बगलकोट-करकलमट्टी-लोकपुर (33 किमी.) पर कार्य शुरू हो गया है। शेष भाग के लिए भूमि अधिग्रहण दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
6.	बेंगलूरु-चामराजनगर-सत्यामंगला (260 किमी.)	13951.70	5.35	10	बेंगलूरु-चामराजनगर कार्य शुरू हो गया है। वन संबंधी क्लीयरेंस उपलब्ध न होने के कारण चामराजनगर के आगे का कार्य रोक दिया गया है।
7.	मुनीराबाद-महबूबनगर (246 किमी.)	1290	214.58	120	येरामारस-यदलापुर दोहरीकरण (14.5 किमी.) और देवेरकद्रा-मखतल भाग (31 किमी.) कार्य पूरा हो गया है। जिनीगेरा-बुधगुम्पा-चिकबेनकल (27 किमी.) पर कार्य शुरू हो गया है। शेष भाग में भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है।
8.	गुलबर्गा-बीदर (110 किमी.)	776	405.83	290	खानपुर-हलीखेड़ (55 किमी.) और गुलबर्गा-सुल्तानपुर (10 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है। शेष भाग में कार्य शुरू हो गया है।
9.	कुड्डपा-बेंगलूरु (255.4 किमी.)	2050	185.39	10	कुड्डपा-पेंड्लीमरी भाग (18.5 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और शेष भाग पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
10.	शिमोगा-हरिहर (78.66 किमी.)	562.74	7	12	भूमि अधिग्रहण दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
11.	व्हाइटफील्ड-कोलार (52.9 किमी.)	353.44	2.03	10	भूमि अधिग्रहण दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
12.	मरिकुप्पम-कुप्पम (23.7 किमी.)	279.54	1.07	10	भूमि अधिग्रहण दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
13.	तुमकुर-दवनगेरे (199.7 किमी.)	1801	2.26	20	भूमि अधिग्रहण दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
14.	गडग-वाडी (252 किमी.)	1922.14	0.10	16	अंतिम स्थान सर्वेक्षण हो गया है।
15.	चिकबल्लपुर-पुट्टापार्थी-श्री सत्य साई निलयम (103 किमी.)	692.43	—	0.06	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
16.	श्रीनिवासपुरा-मदनपल्ली (75 किमी.)	296	—	0.10	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
17.	चिकबल्लपुर-गौरीबिडनुर (44 किमी.)	367.77	—	0.10	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
	दोहरीकरण				
1.	यशवंतपुर-येल्लहंका (120.07 किमी.)	96.04	28.77	30.92	संरचना और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं।
2.	होसदुर्गा रोड-चिकजजुर (28.89 किमी.)	203.40	20	100	होसदुर्गा रोड-रामगिरी (10 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और शेष भाग पर कार्य शुरू हो गया है।
3.	कनकदी-पनम्बूर (19 किमी.)	149.09	20.67	42.36	संरचना, पुल और सुरंग संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं।
4.	रामानगरम-मैसूर दोहरीकरण (93 किमी.)	800	512.68	35	रामानगरम-येलियुर (57 किमी.), मैसूर-नगनहल्ली (10 किमी.) और ब्याद्राहल्ली-पांडवपुरा (8 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और शेष भाग में कार्य शुरू हो गया है।
5.	होस्पेट-हुबली-लोंडा-तिनईघाट-वास्को-डि-गामा	2128	174.13	147.39	होस्पेट-तिनईघाट (201 किमी.) पर कार्य शुरू हो गया है। शेष भाग के लिए

1	2	3	4	5	6
	(352.28 किमी.)				अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
6.	तोरणगल्लु-रंजीतपुरा (22.9 किमी.)	146.75	10.01	5	भूमि अधिग्रहण दसतावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
7.	बेंगलूरु-व्हाइटफील्ड-बेंगलूरु सिटी-कृष्णराजपुरम (23.08 किमी.)	84.99	—	0.01	सरेखण पर कर्नाटक सरकार सहमत नहीं हुई है।
8.	दौंड-गुलबर्गा और पुणे-गुंतकल विद्युतीकरण (641.37 किमी.)	1514.45	324.46	275.05	संरचना में मिट्टी संबंधी एवं पुल संबंधी कार्य शुरू गए हैं।
9.	होतगी-कुडगी-गडग (284 किमी.)	1618	—	0.01	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
	रेल विद्युतीकरण (योजना शीर्ष 35)				
1.	शोराणुर-मंगलोर-पनंबुर (328 मार्ग किलोमीटर) (उल्लल-पनम्बूर 34 मार्ग किलोमीटर कर्नाटक में शामिल है)	371.52	202.14	60	कार्य शुरू हो गया है।
2.	पेणुकोंडा-धर्मावरण सहित येलहंका-धर्मावरम वाया श्री सत्य साई प्रशांति निलयम (306 मार्ग किमी.) (येलहंका-धर्मावरम-75 मार्ग किलोमीटर कर्नाटक राज्य में शामिल है)	254.95	219.95	35	कार्य शुरू हो गया है।
3.	तोरणगल्लु-रंजीतपुर शाखा लाइन (138 मार्ग किमी.) सहित गुंतकल-बेल्लारी-होस्पेट (बेल्लारी-होस्पेट-114 मार्ग किलोमीटर कर्नाटक राज्य में शामिल है)	184.57	5	15	कार्य शुरू हो गया है।

मैसूर-कुशलनगर नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इस सर्वेक्षण की जांच की गई है। बहरहाल, इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया है।

(ग) करादी धाम को जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवर्ड और निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत श्रम दिवस

1091. श्री पी.के. बिजू :
श्री चंद्रकांत खैरे :
मोहम्मद फैज़ल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत गारंटी प्राप्त श्रम दिवसों की संख्या बढ़ाने का है/बढ़ाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सृजित औसत व्यक्ति दिवस कितने हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में मांग पर कर्मकारों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मजदूरी की दर में वृद्धि करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वन अधिकार अधिनियम के अनुसार भूमि अधिकार धारकों को निर्धारित 100 दिनों से अधिक 50 दिनों का मजदूरी रोजगार दिया गया है, बशर्ते कि उन परिवारों के पास भूमि अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार प्राप्त भूमि अधिकारों को छोड़कर कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

(ग) इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान सृजित औसतन श्रम दिवसों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) से (च) मनरेगा में महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के सभी ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा, 2005 की धारा 7 के अनुसार काम की मांग प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध न कराए जाने पर आवेदक को प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। रोजगार उपलब्ध न कराए जाने के कारण जितने दिनों का बेरोजगारी भत्ता दिया गया, उन दिनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) और (ज) मनरेगा, 2005 के अंतर्गत कामगारों की मजदूरी दरें इस अधिनियम की धारा 6(1) के प्रावधानों के अनुसार हर वर्ष केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एवं संशोधित की जाती है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	प्रति परिवार औसत दिवस			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 14.07.2014 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	59	56	50	36
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	34	25	17

1	2	3	4	5	6
3.	असम	26	25	24	12
4.	बिहार	39	45	42	26
5.	छत्तीसगढ़	44	45	52	30
6.	गुजरात	38	41	40	25
7.	हरियाणा	39	44	36	16
8.	हिमाचल प्रदेश	53	51	52	21
9.	जम्मू और कश्मीर	48	57	51	21
10.	झारखंड	39	40	38	24
11.	कर्नाटक	42	46	50	30
12.	केरल	45	55	57	10
13.	मध्य प्रदेश	44	40	42	31
14.	महाराष्ट्र	51	54	45	34
15.	मणिपुर	63	62	25	6
16.	मेघालय	50	52	58	17
17.	मिज़ोरम	77	88	75	एनआर
18.	नागालैंड	80	63	45	11
19.	ओडिशा	33	34	42	21
20.	पंजाब	26	27	33	17
21.	राजस्थान	47	52	51	28
22.	सिक्किम	60	64	70	23
23.	तमिलनाडु	48	58	59	24
24.	तेलंगाना	—	—	—	33
25.	त्रिपुरा	86	87	88	10
26.	उत्तर प्रदेश	36	29	35	17
27.	उत्तराखंड	42	44	42	18
28.	पश्चिम बंगाल	27	35	37	20

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43	52	43	19
30.	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	गोवा	28	14	23	16
33.	लक्षद्वीप	43	26	23	10
34.	पुदुचेरी	25	21	21	5
35.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	43	46	46	27

एनआर—असूचित।

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य का नाम	देय बेरोजगारी भत्ता		
		दिनों की संख्या		
		2011-12	2012-13	2013-14 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	102449	597113	1090172
3.	असम	1458	1090	222611
4.	बिहार	683974	43938	2303995
5.	छत्तीसगढ़	3721	8724	363890
6.	गोवा	0	0	1085
7.	गुजरात	10788	910	293389
8.	हरियाणा	144	230	3352
9.	हिमाचल प्रदेश	2928	973	137130
10.	जम्मू और कश्मीर	283468	193867	1139959
11.	झारखंड	331	1550	293029

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	5418	7044	1604430
13.	केरल	3403	77	257930
14.	मध्य प्रदेश	32527	129679	531033
15.	महाराष्ट्र	121505	82208	209213
16.	मणिपुर	204010	204627	77033
17.	मेघालय	3911	13225	418880
18.	मिज़ोरम	119404	3412	431076
19.	नागालैंड	2728	256320	1258309
20.	ओडिशा	3144	761	300780
21.	पंजाब	2740	15177	110910
22.	राजस्थान	9316	283	1676140
23.	सिक्किम	19064	2378	62826
24.	तमिलनाडु	172336	77205	3991652
25.	तेलंगाना	–	–	0
26.	त्रिपुरा	4110	580	34506
27.	उत्तर प्रदेश	87603	18774	642201
28.	उत्तराखंड	21719	19279	139566
29.	पश्चिम बंगाल	23603	24425	862180
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	255	118	98368
31.	चंडीगढ़	0	0	20
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	196	105	406
35.	पुदुचेरी	17	0	315
	कुल	1926270	1704072	18556386

[हिन्दी]

कोयले का आयात

1092. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले का वर्ष-वार और देश-वार कितना आयात हुआ;

(ख) क्या इंडोनेशिया से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और एनटीपीसी—सेल विद्युत निगम लि. (एनएसपीसीएल) को कोयले के आयात के संबंध में गंभीर अनियमितताओं की रिपोर्टें मिली हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को वर्ष 2011 से 2014 के दौरान कई करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अनियमितताओं की कोई जांच कराई है और इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयला खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत है और लागू आयात शुल्क के भुगतान पर स्वतंत्र रूप से आयातित किया जा सकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले की मात्रा/मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

देश	(मात्रा मि.ट. में एवं मूल्य मिलियन रुपए में)					
	2011-12		2012-13		2013-14	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
इंडोनेशिया	55.260	258417	82.393	329706	103.07	418554
ऑस्ट्रेलिया	27.793	366256	30.450	315969	34.77	319486
दक्षिण अफ्रीका	12.217	77107	20.293	113565	20.62	111462
अमेरिका	2.974	39746	6.389	55033	3.65	32070
रूस	1.194	9885	0.371	3564	0.74	6116
न्यूजीलैंड	0.960	12986	1.047	1356	1.16	10962
चीन पीआरपी	0.482	4939	0.015	342	0.21	2014
कनाडा	0.230	3157	0.999	10843	1.25	12248
मोज़ाम्बिक	0.049	492	0.978	10187	1.5	11863
अन्य	1.684	15391	2.850	27890	1.47	8154
कुल	102.853	788376	145.785	868455	168.44	932929

(ख) से (च) विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीबीआई ने संदर्भ संख्या 01/एनटीपीसी/एसटीसी/आईएमपी/कोयला/2010 दिनांक 25.01.11 के तहत एसटीसी को अवार्ड किए गए ठेके के प्रति एनटीपीसी उंचाहार में निम्न कोटि के आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए एक मामला दर्ज किया है। उनके द्वारा एमएमटीसी को अवार्ड किए गए कोयला आपूर्ति ठेके के अंतर्गत एनएसपीसीएल भिलाई परियोजना को आपूर्ति किए गए आयातित कोयले के संबंध में इसी प्रकार का मामला दर्ज किया गया है। 03.01.2014 को सीबीआई टीम, गांधी नगर शाखा

ने एनटीपीसी, उंचाहार तथा एनडीपीसीएल, भिलाई परियोजना के कुछ अधिकारियों के कार्यालयों और आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी। सीबीआई द्वारा अभी मामले की जांच की जा रही है।

राकेश मोहन समिति

1093. डॉ. राम शंकर कठेरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉ. राकेश मोहन की अध्यक्षता में रेल पर विशेषज्ञ समूह ने वर्ष 2011 के दौरान रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समूह द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण में तेजी लाकर अधिक विद्युत रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 2001 में विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें 34 प्रमुख सिफारिशें की गई थीं। जिनमें से 16 सिफारिशें स्वीकृत कर ली गई थीं। 08 को आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया और 10 सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ग) रेल मंत्रालय विद्युतीकरण परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कदम उठा रहा है। भारतीय रेलों ने रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए एक प्रमुख विद्युतीकरण कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया है।

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् (2012-14) के दौरान, 2600 मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) के अनुपातिक लक्ष्य की तुलना में 2667 मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पेयजल और स्वच्छता परियोजनाएं

1094. श्री दुष्यंत चौटाला : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश में ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता परियोजनाएं कुछ राज्यों के केवल कुछ जिलों में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ऐसी परियोजनाएं सफल नहीं हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) देश में सभी जिलों/राज्यों तक परियोजनाओं/योजनाओं के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश के लिए विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता से कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता परियोजनाओं के संबंध में विवरण, उपलब्ध कराई गई सहायता राशि, परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए जिलों और कार्यान्वयन की स्थिति निम्नांकित तालिका में दी गई है:—

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	अवधि	विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता राशि	जिलों की संख्या	स्थिति
1	2	3	4	5	6
उत्तराखंड	उत्तराखंड ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	2006-15	अमेरिकी डॉलर 120 मिलियन	सभी 13 जिले	1.2 मिलियन ग्रामीण निवासियों के लिए परियोजनागत लक्ष्य की तुलना में मई, 2014

1	2	3	4	5	6
					तक 7620 बसावटों ने स्वयं जलापूर्ति प्रणालियां बनाईं जिससे 1.32 मिलियन ग्रामीण निवासियों को लाभ पहुंचा।
पंजाब	पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	26.03.2017 से 31.12.2014 तक	अमेरिकी डॉलर 154 मिलियन	सभी 20 जिले	जल आपूर्ति स्कीमों के लिए 3000 गांवों के लक्ष्य की तुलना में, 3941 गांवों को पहले ही शामिल कर लिया गया है और अन्य 127 गावों में कार्य प्रगति पर है। सीवेज स्कीमों के लिए प्रायोगिक आधार पर 100 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 30 गांवों को कवर किया गया है और अन्य 68 गांवों में कार्य प्रगति पर है। मौजूदा जलापूर्ति सेवाओं में सुधार लाने के लिए 200 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 268 गांवों को पहले ही कवर कर लिया गया है और अन्य 48 गांवों में कार्य प्रगति पर है।
आंध्र प्रदेश	ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना (एपी-आरडब्ल्यूएसएसपी)	23.03.2010 से 30.11.2014 तक	अमेरिकी डॉलर 150 मिलियन	6 जिले	इस परियोजना के अंतर्गत कुल 2600 बसावटों का लक्ष्य रखा गया है।
कर्नाटक	जल निर्मल	15.06.2010 से 30.06.2013 तक; अक्तूबर, 2014 तक बढ़ाया गया	अमेरिकी डॉलर 138 मिलियन	12 जिले	12 जिलों में परियोजना को शुरू किया गया है। पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों को तथा पारिवारिक नल कनेक्शन के माध्यम से चौदह लाख की आबादी को कवर किया गया है।
केरल	जलनिधि-II द्वितीय केआरडब्ल्यूएसएसपी (केरल ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना)	दिसम्बर, 2011 से जून, 2017 तक	अमेरिकी डॉलर 241.2 मिलियन	8 जिले	द्वितीय केआरडब्ल्यूएसए (केरल ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना) जो कि जल निधि-I, के अनुक्रम में है, केआरडब्ल्यूएसएसपी (अवधि: 2000-2008) परियोजना, जलापूर्ति के लिए 11.5 लाख आबादी को तथा स्वच्छता के लिए 6.9 लाख आबादी को कवर करती है। स्कीमों की कुल संख्या 3928 है। लाभार्थी समूहों की संख्या 4513 है। राज्य के 8 जिलों की 200 ग्राम पंचायतों में ये स्कीमें वितरित की गई हैं।

1	2	3	4	5	6
असम, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश	कम आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना (आरडब्ल्यूएसएसपी-एलआईएस)	2013-14 से 2019-20 तक	अमेरिकी डॉलर 0.5 बिलियन	यह परियोजना निम्न आय वाले राज्यों के लिए है (आरडब्ल्यूएसएसपी-एलआईएस)। 4 राज्यों के 33 जिलों में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।	परियोजना से चार राज्यों के 33 जिलों की 2150 ग्राम पंचायतों में लगभग 17,400 बसावटों को कवर करने के लिए पाइप द्वारा उन्नत किस्म की पेयजलापूर्ति से लगभग 78 लाख ग्रामीण आबादी को सीधे लाभ पहुंचने की आशा की जाती है।

टिप्पणी: विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण एवं पेयजल स्वच्छता परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की संबंधित राज्यों द्वारा, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, पहचान की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारत सरकार का वर्तमान में देश के सभी जिलों/राज्यों में परियोजनाओं/स्कीमों के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे साइडिंग

1095. कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई नीति है जो निजी कंपनियों को रेल भूमि पर निजी साइडिंग का विकास करने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेल भूमि पर अब तक विकसित और प्रस्तावित निजी साइडिंग का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त नीति सभी रेलवे जोनों द्वारा एक समान रूप से अपनाई गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) इस समय, रेलवे भूमि पर निजी साइडिंग के विकास की अनुमति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्ववर्ती नीति के अनुसार रेलवे भूमि पर 36 निजी साइडिंगों का विकास किया गया था। पिछले तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान रेलवे भूमि पर किसी निजी साइडिंग के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह नीति सभी क्षेत्रीय रेलों पर समान रूप से लागू है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना

1096. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सेवा योजना के अंतर्गत आधारभूत जीवन सहायता के लिए 18 एम्बुलेंस तैनात करने और सड़क संरक्षा गतिविधियों के लिए 10 क्रेनें तैनात करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है

और इन प्रस्तावों के संबंध में निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अक्तूबर-नवम्बर, 2011 में परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 18 आधारभूत जीवन सहायता एम्बुलेंस (बीएलएस) और 10 टन क्रेनों की मांग प्राप्त हुई थी। निधियों की उपलब्धता को देखते हुए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सेवा योजना (एनएचएआरएसएस) के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20 छोटी रिकवरी क्रेनें खरीदी थीं। इनमें से एक छोटी रिकवरी क्रेन हिमाचल प्रदेश सरकार को आवंटित की गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2007-08 के बाद से आधारभूत जीवन सहायता (बीएलएस) एम्बूलेंसें नहीं खरीदी हैं। तथापि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 134 एडवांस जीवन रक्षा एम्बूलेंसें खरीदीं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ट्रॉमा केयर सेंटर को उन्नयन हेतु सौंप दीं। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सेवा योजना (एनएचएआरएसएस) के अंतर्गत क्रेनें और एम्बूलेंसें उपलब्ध कराई जाती हैं और राज्यों/संघ राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से निधियां जारी नहीं की जातीं।

राजस्थान सरकार से प्रस्ताव

1097. श्री राहुल कस्वां : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से राजमार्गों के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक प्राप्त कुल प्रस्तावों में से केन्द्र सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं;

(ग) लंबित पड़े प्रस्ताव कितने हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार सिरसा-भ्रदा, सादुलपुर-झुनझुन, गुड्ढा, रिंग्स, लोहारु-पिलानी, सादुलपुर सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) विगत में राजस्थान राज्य सरकार से 5000 किमी. राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पास हुए हैं और मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में लगभग 2061 किमी. सड़कों/मार्गों को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा समय-समय पर सड़क सम्पर्कता की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए की जाती है।

(ङ) और (च) लोहारु-पिलानी सड़क पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 विस्तार के रूप में मौजूद है। शेष सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा करने की कोई योजना नहीं है।

बिहार और झारखंड में रेलवे स्टेशन

1098. श्रीमती रमा देवी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और झारखंड में रेलवे स्टेशनों के जिला-वार नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन दो राज्यों में उन्नत किए गए स्टेशनों के क्या नाम है;

(ग) इन दो राज्यों में आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन दो राज्यों में जारी उन्नयन कार्य को तीव्र करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जिला-वार रेलवे स्टेशनों के नाम नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान "आदर्श" स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के उन्नयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। बिहार और झारखंड राज्यों में इस योजना के अंतर्गत चिह्नित और विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:—

राज्य का नाम	आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने वाले चिह्नित स्टेशन	आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित स्टेशन
बिहार	अभायपुर, अनुग्रह नारायण रोड, आरा, अररिया, अररिया कोर्ट, बैरगनिया, बाजपत्ति, बरौनी जं., बरसोई जं., बेगुसराय, भागलपुर, बिहारशरीफ, छपरा जं., दुमरा, डुमरांव, फारबिसगंज, गढ़पुरा, घोघा, घोरा साहन, हसनपुर रोड, हिसुआ, जमालपुर, जनकपुर रोड, जहानाबाद, जीरादेई, जोगबनी, कहलगांव, खारिक, किशनगंज, मधुबनी, महेशखुट, मानसी जं., नरायणपुर, नौगछिया, नवादा, पटना साहिब जं., रफीगंज, साहपुर पटोरी, सलौना, शेखपुरा, शिवनारायनपुर, सासाराम जं., सिमराहा, सिमरीबख्तियारपुर, सीतामढ़ी, सुल्तानगंज, सुपौल, टेहता, ठाकुरगंज, थानाबिहपुर और वरसालगंज।	अभायपुर, अनुग्रह नारायण रोड, अररिया, अररिया कोर्ट, बरसोई जं., भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा जं., फारबिसगंज, घोघा, जमालपुर, जेहानाबाद, जोगबानी, कहलगांव, किशनगंज, मधुबनी, नौगछिया, पटना साहिब, रफीगंज, सासाराम जं., सिमराहा, सीतामढ़ी, सुल्तानगंज और ठाकुरगंज।
झारखंड	बोकारो, चक्रधरपुर, चकुलिया, चन्द्रपुर, चित्तरंजन, डाल्टेनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा रोड जं., जगदीशपुर, जसीडीह, लोहरदगा, मधूपुर, पाकुर, पारसनाथ, फुसरो, रांची, साहिबगंज, सिल्ली और टाटानगर।	बोकारो, चक्रधरपुर, चन्द्रपुरा, चित्तरंजन, देवगढ़, धनबाद, दुमका, गड़वा रोड जं., गोमोह जं., जगदीशपुर, जसीडीह, मधूपुर जं., पाकुर, पारसनाथ, फुसरो, रांची, साहिबगंज और टाटानगर।

शेष चिह्नित आदर्श स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन और उनकी तत्संबंधी प्रगति पर विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती है। इन कार्यों की प्रगति संसाधनों की समग्र उपलब्धता के तहत सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।

जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और उद्धार

1099. श्री अशोक महादेवराव नेते :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को घरेलू सहयोग और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम से जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, और उद्धार (आरआरआर) के अंतर्गत निधियों को जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने झारखंड के रांची जिले में बाह्य अनुदानित जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और उद्धार योजना के अंतर्गत मरम्मत कार्य कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्य स्थिति-वार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने इस मंत्रालय की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) स्कीम के तहत निधियन के लिए 157.37 करोड़ रुपए की लागत से 348 जल निकायों के लिए फरवरी, 2014 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव की जांच की गई है और अनुपालन के लिए टिप्पणियां महाराष्ट्र को भेज दी गई हैं।

इसके अलावा, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत 21.11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल शहर में लेंडी नाल्लाह के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट" 29.11.2010 को प्राप्त हुई थी। इस प्रस्ताव को एफएमपी के तहत शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकार प्राप्त समिति ने केवल उन स्कीमों के अनुमोदन का निर्णय लिया, जो XIवीं योजना के दौरान पूरी की जा सकती थीं। राज्य सरकार से एफएमपी के लिए 12वीं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव

1100. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पच्चीस हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग को ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र का पुनरुद्धार

1101. **श्री रवनीत सिंह : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र क्षेत्र का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र को प्रोत्साहन करने और उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वस्त्र क्षेत्र में वस्त्र मदों के उत्पादन के रूप में वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (अप्रैल-मई) के दोरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है। वस्त्र मदों के उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

मदें	इकाई	2012-13	2013-14	(अप्रैल-मई) (अनंतिम)	
				2014-15	2013-14
मानव निर्मित फाइबर	मिलियन किग्रा.	1263	1316	219	211
स्पन यार्न	मिलियन किग्रा.	4868	5315	895	848
मानव निर्मित फिलामेंट यार्न	मिलियन किग्रा.	1371	1309	215	224
फैब्रिक्स (खादी, ऊन एवं रेशम सहित)	मिलियन वर्ग मी.	62792	64162	10992	10654

सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के पुनरुद्धार एवं उत्पादन को बढ़ाना देने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस), तकनीकी वस्त्र विकास योजना, विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

पथकर संग्रहण

1102. **श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमार्ग पीपीपी मॉडल निर्मित राजमार्गों पर पथकर संग्रहीत किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या पथकर परियोजाओं के पूर्ण हुए बिना वसूला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जिन सर्विस लेनों से बसें, ट्रक और अन्य वाहन गुजरते हैं, वे क्षतिग्रसत हो गई हैं और इसने यात्रियों की परेशानियों को बढ़ाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश भर में निर्माणाधीन राजमार्गों पर पथकर की वसूली रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या किया जाना प्रस्तावित है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) जी, हां।

(ख) शुल्क, लागू शुल्क नियमों और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार लगाया और संग्रहीत किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

केरल में रेल लाइन

1103. श्री एंटो एंटोनी :
एडवाकेट जोएस जॉर्ज :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अधिग्रहण की स्थिति तथा इसके बदले में दी गई मुआवजे सहित अंगमाली-सबरीमाला नई रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस कार्य के धीमी गति से चलने के क्या कारण हैं;

(ख) इसके लिए आबंटित और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना में रेलवे ने केरल सरकार से कोई भागीदारी मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) तिरुनावया-गुरुवयूर खंड में नई रेलवे लाइन के लिए लम्बे समय से लंबित सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके लिए आबंटित एवं खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (घ) अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन परियोजना (116 किमी.) 1566 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार के अनुरोध पर, यह संरेखण सबरीमाला से पहले अजुथा में समाप्त कर दिया गया है। अंगमाली-कलाडी-पेरुम्बाबूर खंड पर 16 किमी. भू-खंड अधिगृहीत कर लिया गया है और वास्तविक कार्य शुरू कर दिया गया है।

31.03.2014 तक इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले 87.53 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। मार्च, 2014 तक 137.41 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और वर्ष 2014-15 के दौरान 20 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार द्वारा संरेखण को विलम्ब को अंतिम रूप दिए जाने, भूमि अधिग्रहण का स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध, अदालती मामलों, भूमि की लागत में असाधारण वृद्धि आदि के कारण यह परियोजना प्रभावित हुई। राज्य सरकार से निःशुल्क भूमि मुहैया कराने और इस परियोजना के निर्माण की लागत में 50% भागीदारी करने का अनुरोध किया गया। बहरहाल, राज्य सरकार ने रेलवे के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

(ङ) तिरुनावया-गुरुवयूर नई लाइन (35 किमी.) 1384 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई है। मार्च, 2014 तक लगभग 23 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और 2014-15 के दौरान 5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 2009 में राज्य सरकार द्वारा परियोजना संरेखण अनुमोदित कर दिया गया है लेकिन जनता के विरोध के कारण अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण में प्रगति नहीं हुई है।

[हिन्दी]

झारखंड में राजमार्गों को चार लेन का बनाना

1104. श्री राम टहल चौधरी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड की राजधानी रांची को चार लेन के राजमार्गों की सहायता से राज्य के प्रत्येक जिले से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) झारखंड के सभी 24 जिले इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तथापि झारखंड के 7 जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, 6, 31 और 33 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चार लेन संरेखण में उन्नत किया जा रहा है, इस प्रकार यह विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से राज्यीय की राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम

1105. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सहित देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधीन है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को देश में अल्पसंख्यकों के आवंटित अंश के प्रयोग नहीं किए जाने से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक राज्य सहित देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का नया 15-पीपी) क्रियान्वयन अधीन है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल योजनाओं के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, कुछेक योजनाओं में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपलब्धियों को प्राप्त करने में कुछ कमियां पाई गई हैं।

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग कर रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर इन कार्यक्रमों को मॉनीटर एवं समीक्षा करता है। मंत्रालय राज्यों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है। सचिवों की समिति द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति की छह माह में एक बार मॉनीटरिंग भी की जाती है और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचित किया जाता है। राज्य एवं जिला स्तरों पर, राज्य एवं जिला स्तर की समितियों, जिनमें संसद सदस्य तथा विधान सभा के सदस्य, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषद् के प्रतिनिधि तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को देखने वाले प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की राज्य-वार उपलब्धियां

सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु एसएसए के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में निर्मित प्राथमिक स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	3	8	8	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	0	0			0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	69	12	60	60	22	22
4.	असम	1260	1093			15	11
6.	बिहार	0	0			136	131

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	चंडीगढ़	0	0			0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0			0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0			0	0
9.	दमन और दीव	0	0			0	0
10.	दिल्ली	0	0	1	0	0	0
11.	गोवा	0	0			0	0
12.	गुजरात	0	0			0	0
13.	हरियाणा	0	0			1	0
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0			0	0
15.	झारखंड	32	32			0	0
16.	कर्नाटक	0	0			0	0
17.	केरल	130	85			10	10
18.	मध्य प्रदेश	0	0			0	0
19.	महाराष्ट्र	0	0			0	0
20.	मणिपुर	0	0	47	34	0	0
21.	ओडिशा	0	0			30	16
22.	पुदुचेरी	0	0			0	0
23.	राजस्थान	0	0			8	4
24.	सिक्किम	1	1			1	1
25.	तमिलनाडु	0	0			0	0
26.	त्रिपुरा	0	0			0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0			0	0
28.	उत्तराखंड	0	0	15	15	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	100	59	78	78
30.	जम्मू और कश्मीर	5	0			0	0
31.	मेघालय	0	0			0	0
32.	मिज़ोरम	15	15			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	नागालैंड	0	0			0	0
34.	पंजाब	0	0			0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0			0	0
	कुल	1522	1241	231	176	302	274

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु एसएसए के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में निर्मित उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0			0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0			0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0			15	15
4.	असम	0	0			1	1
6.	बिहार	0	0			0	0
6.	चंडीगढ़	0	0			0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0			0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0			0	0
9.	दमन और दीव	0	0			0	0
10.	दिल्ली	0	0	1	1	0	0
11.	गोवा	0	0			0	0
12.	गुजरात	0	0			0	0
13.	हरियाणा	0	0	1	1	1	1
14.	हिमाचल प्रदेश	4	4			0	0
15.	झारखंड	26	26			0	0
16.	कर्नाटक	0	0			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	केरल	0	0			22	22
18.	मध्य प्रदेश	0	0			0	0
19.	महाराष्ट्र	0	0	174	63	0	0
20.	मणिपुर	0	0			0	0
21.	ओडिशा	19	19	19	19	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0			0	0
23.	राजस्थान	0	0			0	0
24.	सिक्किम	0	0			0	0
25.	तमिलनाडु	0	0			0	0
26.	त्रिपुरा	0	0			0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0			0	0
28.	उत्तराखंड	0	0			0	0
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	166	14	0	0
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0			0	0
31.	मेघालय	0	0			0	0
32.	मिज़ोरम	17	17			3	0
33.	नागालैंड	0	0			0	0
34.	पंजाब	0	0			0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0			0	0
	कुल	67	66	361	98	42	39

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु एसएसए के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में निर्मित अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	61	0	5	5	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	425	200			0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	443	253	26	26	0	0
4.	असम	8399	7660	3120	2807	0	0
5.	बिहार	17933	13199			0	0
6.	चंडीगढ़	0	0			0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0			0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0			0	0
9.	दमन और दीव	0	0			0	0
10.	दिल्ली	91	50	50	30	20	20
11.	गोवा	52	22			0	0
12.	गुजरात	0	0			0	0
13.	हरियाणा	800	705	197	14	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	24	9	14	8	0	0
15.	झारखंड	1556	1556	4255	3523	0	0
16.	कर्नाटक	53	37	391	391	0	0
17.	केरल	85	85	37	37	0	0
18.	मध्य प्रदेश	0	0	21	21	0	0
19.	महाराष्ट्र	3102	1029	521	188	0	0
20.	मणिपुर	722	637	14	0	0	0
21.	ओडिशा	615	574	473	473	102	99
22.	पुदुचेरी	0	0			0	0
23.	राजस्थान	357	357	69	69	0	0
24.	सिक्किम	24	24	3	3	0	0
25.	तमिलनाडु	0	0	26	23	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0			0	0
27.	उत्तर प्रदेश	5987	5708	5088	4670	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तराखंड	542	542	326	243	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	4233	4233	30334	21600	0	0
30.	जम्मू और कश्मीर	27	5	120	0	0	0
31.	मेघालय	0	0	25	25	0	0
32.	मिज़ोरम	10	10	2	2	0	0
33.	नागालैंड	0	0			0	0
34.	पंजाब	0	0			0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0			0	0
	कुल	45541	36895	45117	34158	123	120

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु एसएसए के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में संस्वीकृत अध्यापक पदों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	108	108	33	33	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	143	0			0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	228	0	408	0	0	0
4.	असम	3660	3261	14029	9287	0	0
5.	बिहार	13177	1837	2788	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0			0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0			0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0			0	0
9.	दमन और दीव	0	0			0	0
10.	दिल्ली	874	523			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	गोवा	0	0	24	24	0	0
12.	गुजरात	0	0			0	0
13.	हरियाणा	0	0	399	399	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	26	26			6	3
15.	झारखंड	142	56	5217	0	0	0
16.	कर्नाटक	0	0	88	0	0	0
17.	केरल	236	236			0	0
18.	मध्य प्रदेश	233	233	186	5	0	0
19.	महाराष्ट्र	0	0	3360	0	0	0
20.	मणिपुर	1240	1240	126	126	0	0
21.	ओडिशा	0	0			0	0
22.	पुदुचेरी	0	0			0	0
23.	राजस्थान	0	0			0	0
24.	सिक्किम	2	2	156	156	2	0
25.	तमिलनाडु	0	0			0	0
26.	त्रिपुरा	0	0			0	0
27.	उत्तर प्रदेश	18	0			0	0
28.	उत्तराखंड	36	0	30	30	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	11960	0	698	12	156	104
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0			0	0
31.	मेघालय	0	0			13	11
32.	मिज़ोरम	81	81			0	0
33.	नागालैंड	0	0			0	0
34.	पंजाब	0	0			0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0			0	0
	योग	32164	7603	27542	10072	179	120

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु एसएसए के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में खोले गए नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	4	15	15	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0			0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	57	57	60	60	22	22
4.	असम		0			0	0
6.	बिहार	823	611			0	0
6.	चंडीगढ़	0	0			0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0			0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0			0	0
9.	दमन और दीव	0	0			0	0
10.	दिल्ली	0	0	2	0	0	0
11.	गोवा	0	0			0	0
12.	गुजरात	0	0			0	0
13.	हरियाणा	0	0			1	1
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0			0	0
15.	झारखंड	32	32			0	0
16.	कर्नाटक	0	0			0	0
17.	केरल	118	118			0	0
18.	मध्य प्रदेश	12	12	3	3	0	0
19.	महाराष्ट्र	0	0			0	0
20.	मणिपुर	401	401	63	63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ओडिशा	0	0			30	30
22.	पुदुचेरी	0	0			0	0
23.	राजस्थान	0	0			0	0
24.	सिक्किम	1	1			0	0
25.	तमिलनाडु	0	0			0	0
26.	त्रिपुरा	0	0			0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0			0	0
28.	उत्तराखंड	0	0	15	15	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	100	19	78	78
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0			0	0
31.	मेघालय	0	0			0	0
32.	मिज़ोरम	15	15			0	0
33.	नागालैंड	0	0			0	0
34.	पंजाब	0	0			0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0			0	0
	कुल	1470	1251	258	175	133	131

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु एसएसए के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में खोले गए नए उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	7	1	1	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	13	26	26	15	15
4.	असम	0	0			0	0
6.	बिहार	209	128			0	0
6.	चंडीगढ़	0	0			0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0			0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0			0	0
9.	दमन और दीव	0	0	2	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0			0	0
11.	गोवा	0	0			0	0
12.	गुजरात	0	0			0	0
13.	हरियाणा	0	0	1	1	1	1
14.	हिमाचल प्रदेश	4	0			2	2
15.	झारखंड	0	26			0	0
16.	कर्नाटक	26	0	2	2	0	0
17.	केरल	0	0			0	0
18.	मध्य प्रदेश	0	0			0	0
19.	महाराष्ट्र	0	0	58	58	0	0
20.	मणिपुर	146	146			0	0
21.	ओडिशा	19	19			0	0
22.	पुदुचेरी	0	0			0	0
23.	राजस्थान	0	0			0	0
24.	सिक्किम	0	0			0	0
25.	तमिलनाडु	0	0			0	0
26.	त्रिपुरा	0	0			0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0			0	0
28.	उत्तराखंड	0	0			0	0
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	166	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0			0	0
31.	मेघालय	0	0			0	0
32.	मिज़ोरम	17	17			3	1
33.	नागालैंड	0	0			0	0
34.	पंजाब	0	0			0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0			0	0
	कुल	445	356	256	216	22	19

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु एसएसए के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0			
2.	आंध्र प्रदेश	0			
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1		
4.	असम	25	9		
6.	बिहार	1	1		
6.	चंडीगढ़	0			
7.	छत्तीसगढ़	0			
8.	दादरा और नगर हवेली	0			
9.	दमन और दीव	0			
10.	दिल्ली	0			
11.	गोवा	0			

1	2	3	4	5	6
12.	गुजरात	0			
13.	हरियाणा	6			
14.	हिमाचल प्रदेश	0			
15.	झारखंड	3	3		
16.	कर्नाटक	0			
17.	केरल	0			
18.	मध्य प्रदेश	0			
19.	महाराष्ट्र	0			
20.	मणिपुर	4	4	3	3
21.	ओडिशा	0			
22.	पुदुचेरी	0			
23.	राजस्थान	0			
24.	सिक्किम	0			
25.	तमिलनाडु	0			
26.	त्रिपुरा	0			
27.	उत्तर प्रदेश	32	32		
28.	उत्तराखंड	0			
29.	पश्चिम बंगाल	28	34		
30.	जम्मू और कश्मीर	2			
31.	मेघालय	5	1		
32.	मिज़ोरम	0			
33.	नागालैंड	0			
34.	पंजाब	0			
35.	लक्षद्वीप	0			
	योग	107	75	3	3

नोट: वर्ष 2013-14 में कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में समेकित बाल विकास सेवा के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		आंगनवाड़ी केंद्र/मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का लक्ष्य	उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों/मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र/मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का लक्ष्य	उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों/मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र/मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का लक्ष्य	उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों/मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	—	—	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	79	52	27	0	27	27
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	—	—	0	0
4.	असम	0	0	—	—	0	0
6.	बिहार	1706	0	1706	1706	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	0	0	—	—	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	—	—	—	—
9.	दमन और दीव	0	0	—	—	—	—
10.	दिल्ली	754	0	—	—	0	0
11.	गोवा	0	839	—	—	0	0
12.	गुजरात	0	0	—	—	0	0
13.	हरियाणा	852	647	205	205	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	1	0	0
15.	झारखंड	0	0	—	—	0	0
16.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
17.	केरल	61	39	22	21	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	—	—
19.	महाराष्ट्र	620	210	410	104	306	265
20.	मणिपुर	1075	340	735	0	735	0
21.	ओडिशा	0	0	—	—	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	—	—	0	0
23.	राजस्थान	0	0	—	—	0	0
24.	सिक्किम	0	0	—	—	0	0
25.	तमिलनाडु	0	0	—	—	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	—	—	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	265	0	265	0
28.	उत्तराखंड	811	546	—	—	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	816	816	1767	1767	0	0
30.	जम्मू और कश्मीर	1767	0	—	—	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	—	—	0	0
32.	मेघालय	0	0	—	—	0	0
33.	मिज़ोरम	0	0	—	—	0	0
34.	नागालैंड	0	0	—	—	0	0
35.	पंजाब	0	0	—	—	0	0
	कुल	8542	3489	5138	3804	1334	293

ग्रामीण विकास मंत्रालय

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) (आजीविका)/एनआरएलएम की वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	45	25	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	15862	967	15248	23031	1103	632
3.	अरुणाचल प्रदेश	782	0	680	—	—	—
4.	असम	20313	30715	17704	—	6601	3899
5.	बिहार	37735	10110	36271	287	40702	603
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	8383	209	8057	431	3	44
8.	दादरा और नगर हवेली	25	0	25	—	—	—
9.	दमन और दीव	25	0	25	—	—	—
10.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
11.	गोवा	284	3	284	—	—	—
12.	गुजरात	5970	2052	5739	1913	4050	332
13.	हरियाणा	3514	1775	3377	1740	500	75
14.	हिमाचल प्रदेश	1479	213	1422	283	*	129
15.	झारखंड	14228	4426	13677	3620	2693	150
16.	कर्नाटक	11979	6323	11514	10454	480	696
17.	केरल	5375	6098	5166	—	*	1415
18.	मध्य प्रदेश	17957	2629	17259	3064	5100	287
19.	महाराष्ट्र	23678	10791	22759	3847	1987	0
20.	मणिपुर	1362	0	1187	—	—	—
21.	ओडिशा	18144	3213	17439	2104	2358	169
22.	पुदुचेरी	285	47	271	—	—	—
23.	राजस्थान	9096	3319	8742	4063	1082	25
24.	सिक्किम	392	512	342	—	—	—
25.	तमिलनाडु	14027	10352	13482	12291	2265	0
26.	त्रिपुरा	2459	954	2142	226	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	54328	33525	52247	19189	7938	107

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तराखंड	2861	1032	2750	711	—	58
29.	पश्चिम बंगाल	20163	16711	19381	18507	1920	3276
30.	जम्मू और कश्मीर	1831	2622	1761	—	*	1719
31.	मेघालय	1525	30	1329	10	194	—
32.	मिज़ोरम	353	249	307	—	86	—
33.	नागालैंड	1046	0	911	—	—	—
34.	पंजाब	1707	1206	1641	436	150	41
35	लक्षद्वीप	25	0	25	—	—	—
	योग	297218	150128	283189	106207	84064	13657

*इन राज्यों के लक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु अल्पसंख्यकों के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	358	46	397	46	423	18
2.	आंध्र प्रदेश	37352	36139	40560	39218	21183	24212
3.	अरुणाचल प्रदेश	1132	0	1251	0	740	0
4.	असम	25037	28453	27661	31119	36590	22651
5.	बिहार	110623	141775	122446	127901	106747	111975
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	5620	416	6227	519	1529	818
8.	दादरा और नगर हवेली	60	0	66	0	11	0
9.	दमन और दीव	27	0	30	0	32	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	गोवा	232	234	257	88	904	105
12.	गुजरात	18475	1272	20471	2042	9875	2214
13.	हरियाणा	2594	2578	2874	2745	1744	1984
14.	हिमाचल प्रदेश	849	197	941	254	178	183
15.	झारखंड	9522	7262	10425	13612	2886	4233
16.	कर्नाटक	14514	22943	16082	20541	14024	15166
17.	केरल	8071	11679	8943	10712	21588	8592
18.	मध्य प्रदेश	11420	5098	12654	5388	9659	5910
19.	महाराष्ट्र	22659	12175	25107	9861	16613	18083
20.	मणिपुर	983	70	1086	106	1858	10
21.	ओडिशा	21312	5765	23304	6028	3365	3048
22.	पुदुचेरी	179	0	198	0	254	0
23.	राजस्थान	9284	13729	10287	3950	6655	1165
24.	सिक्किम	217	721	239	301	393	258
25.	तमिलनाडु	15083	12604	16712	12587	11202	8414
26.	त्रिपुरा	2206	1298	2437	0	912	456
27.	उत्तर प्रदेश	49921	37279	55248	27084	63678	48014
28.	उत्तराखंड	2323	2485	2574	1520	2520	818
29.	पश्चिम बंगाल	29876	33274	32933	45047	33475	25716
30.	जम्मू और कश्मीर	2637	49	2921	397	680	29
31.	मेघालय	0	190	निर्धारित नहीं	723	213	1898
32.	मिज़ोरम	0	0	0	0	161	151
33.	नागालैंड	0	0	0	0	26	0
34.	पंजाब	3208	1176	3554	123	1991	33
35.	लक्षद्वीप	23	0	26	0	0	0
	योग	405797	378907	447911	361912	372109	306154

ग्रामीण विकास मंत्रालय

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु अल्पसंख्यकों के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की वित्तीय उपलब्धि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.61	0.09	1.7867	0.24	14.5700	0.0075
2.	आंध्र प्रदेश	169.52	122.61	187.8324	158.08	1088.3900	0.0000
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.49	0.00	6.0670	0.00	46.3800	0.0000
4.	असम	121.43	147.84	134.1574	109.12	936.2000	17.0027
5.	बिहार	500.39	433.14	554.4321	504.09	3179.1400	426.9678
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000
7.	छत्तीसगढ़	26.22	1.37	29.0468	2.15	252.0200	2.3968
8.	दादरा और नगर हवेली	0.27	0.00	0.2977	0.00	2.9400	0.0000
9.	दमन और दीव	0.12	0.00	0.1332	0.00	1.1300	0.0000
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11.	गोवा	1.04	0.79	1.1569	0.14	7.3200	0.0000
12.	गुजरात	83.14	13.25	92.1172	7.85	566.3700	3.2788
13.	हरियाणा	11.67	7.38	12.9333	7.54	94.6500	6.8306
14.	हिमाचल प्रदेश	4.12	0.74	4.5616	0.88	39.7400	0.5191
15.	झारखंड	44.63	44.98	49.4529	51.11	352.5600	5.8921
16.	कर्नाटक	65.31	38.81	72.3667	180.01	461.0400	0.0000
17.	केरल	36.32	39.90	40.2426	41.48	240.1300	23.0378
18.	मध्य प्रदेश	52.14	14.45	57.7686	20.34	592.9200	3.3070
19.	महाराष्ट्र	102.23	58.89	113.2760	48.64	720.9000	62.7268
20.	मणिपुर	4.77	0.95	5.2665	0.35	54.0800	0.0000
21.	ओडिशा	98.31	16.82	108.9280	30.33	672.3000	1.5779

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पुदुचेरी	0.80		0.8899	0.00	7.4600	0.0000
23.	राजस्थान	41.78	44.42	46.2903	29.55	448.6700	6.5348
24.	सिक्किम	1.05	1.76	1.1608	0.59	9.7000	0.0000
25.	तमिलनाडु	67.87	27.88	75.2038	39.24	464.2900	6.6184
26.	त्रिपुरा	10.70	4.19	11.8182	0.00	90.2400	0.3083
27.	उत्तर प्रदेश	224.76	138.81	249.0282	99.17	1560.4200	131.5775
28.	उत्तराखंड	11.27	10.70	12.4848	7.22	78.8200	0.2849
29.	पश्चिम बंगाल	135.61	160.53	150.2571	191.66	974.3700	29.1071
30.	जम्मू और कश्मीर	12.79	0.05	14.1687	0.13	89.7300	0.0374
31.	मेघालय	0.00	0.92	0.0000	3.51	93.5900	0.8048
32.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.0000	0.03	24.7200	1.1325
33.	नागालैंड	0.00	0.00	0.0000	0.00	70.4700	0.0000
34.	पंजाब	14.44	2.33	15.9947	0.17	102.5400	0.0000
35.	लक्षद्वीप	0.10	0.00	0.1155	0.00	1.3200	0.0000
	योग	1849.905	1333.60	2049.2356	1533.62	2000.8600	1214.6900

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0000	0.00	0.0199	—	0.0256	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	3.3300	7.34	3.7100	6.75	5.5057	7.53
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.0000	0.00	0.0884	—	0.3326	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	0.1154	0.16	5.4086	—	4.7103	0.00
5.	बिहार	1.5403	0.00	1.7160	—	2.2780	0.00
6.	चंडीगढ़	0.0087	0.00	0.1371	—	0.1883	0.06
7.	छत्तीसगढ़	0.3357	1.01	0.3740	1.59	1.1536	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0.0000	0.00	—	—	0.0292	0.0000
9.	दमन और दीव	0.0000	0.00	0.0086	—	0.0329	0.00
10.	दिल्ली	0.5854	0.16	0.3783	—	2.6326	0.00
11.	गोवा	0.0443	0.01	1.4070	—	0.1767	0.00
12.	गुजरात	1.2629	2.35	0.0494	0.03	4.9930	2.61
13.	हरियाणा	0.0428	0.40	0.0477	1.24	1.7129	0.41
14.	हिमाचल प्रदेश	0.0060	0.07	0.0066	—	0.1340	0.00
15.	जम्मू और कश्मीर	0.0000	0.00	0.0018	—	0.6622	0.00
16.	झारखंड	0.9602	0.10	1.0698	0.85	1.5400	0.00
17.	कर्नाटक	3.1019	1.66	3.4558	3.46	4.5794	4.64
18.	केरल	1.4748	1.73	1.6431	—	3.0937	0.00
19.	मध्य प्रदेश	2.3404	4.66	2.6074	5.80	3.8958	0.00
20.	महाराष्ट्र	6.6167	4.87	7.3716	4.95	9.8715	4.50
21.	मणिपुर	0.0000	0.03	—	—	0.8798	0.2768
22.	ओडिशा	0.5487	0.25	0.6113	0.55	1.3594	1.53
23.	पुदुचेरी	0.0411	0.01	0.0266	—	0.1370	0.00
24.	राजस्थान	1.2742	0.55	1.4196	—	3.3170	0.00
25.	सिक्किम	0.0000	0.11	0.0000	0.10	0.1609	0.00
26.	तमिलनाडु	2.2958	1.25	2.5578	0.01	6.7875	0.00
27.	त्रिपुरा	0.0000	0.00	0.0371	—	1.0300	0.05
28.	उत्तर प्रदेश	9.3508	4.12	10.4176	2.25	8.6363	10.40
29.	उत्तराखंड	0.3426	0.85	0.3799	0.18	0.6001	0.85

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	पश्चिम बंगाल	1.5165	2.50	1.6895	2.32	5.6572	0.00
31.	मेघालय	0.0000	0.00	—	—	0.6438	0.0000
32.	मिज़ोरम	0.0000	0.39	0.0000	0.30	0.6009	0.82
33.	नागालैंड	0.0000	0.00	—	—	0.6116	0.0000
34.	पंजाब	0.0365	0.00	0.0406	—	2.0178	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.0000	0.00	—	—	—	—
	योग	37.17	34.58	46.6811	30.38	79.99	33.67

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) हेतु शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के वास्तविक (लघु उद्यम) लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	663	1093	866	1123	871	959
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	0	40	0	32	0
3.	असम	690	22	541	181	458	0
4.	बिहार	527	192	436	62	314	0
5.	चंडीगढ़	30	0	22	24	18	28
6.	छत्तीसगढ़	173	250	236	397	191	338
7.	दादरा और नगर हवेली	4	0	3	0	3	0
8.	दमन और दीव	3	0	13	0	3	0
9.	दिल्ली	49	38	63	51	382	13
10.	गोवा	22	2	16	7	22	50
11.	गुजरात	541	1816	709	1028	708	654
12.	हरियाणा	203	102	256	180	282	108

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	हिमाचल प्रदेश	8	11	78	6	25	0
14.	जम्मू और कश्मीर	37	19	80	0	81	235
15.	झारखंड	201	10	278	190	237	27
16.	कर्नाटक	654	547	790	841	700	731
17.	केरल	202	153	325	311	408	694
18.	मध्य प्रदेश	795	2305	747	2853	631	1474
19.	महाराष्ट्र	1497	1668	1931	2737	1583	1265
20.	मणिपुर	160	0	124	0	86	18
21.	ओडिशा	292	60	302	142	241	33
22.	पुदुचेरी	21	10	23	10	21	1
23.	राजस्थान	552	943	743	1009	519	357
24.	सिक्किम	9	7	18	9	16	0
25.	तमिलनाडु	791	913	1017	877	1156	1585
26.	त्रिपुरा	118	23	109	30	100	0
27.	उत्तर प्रदेश	1679	304	1368	2680	1255	1650
28.	उत्तराखंड	82	127	85	184	90	214
29.	पश्चिम बंगाल	747	950	920	439	987	0
30.	मेघालय	85	0	50	0	63	0
31.	मिज़ोरम	75	35	74	54	58	31
32.	नागालैंड	56	0	77	0	60	0
33.	पंजाब	222	1	407	0	396	5
34.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	10	4	6	2	0
35.	लक्षद्वीप			0	0		0
	योग	11252	11611	12751	15431	12000	10470

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) हेतु वास्तविक (शहरी गरीबों के बीच रोजगार संवर्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण) लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14	0	21	0	15	0
2.	आंध्र प्रदेश	2637	7349	5808	5251	4350	6981
3.	अरुणाचल प्रदेश	35	0	224	0	150	0
4.	असम	434	182	3030	1537	2295	0
5.	बिहार	2101	34	2442	6548	1575	0
6.	चंडीगढ़	91	0	124	1668	90	192
7.	छत्तीसगढ़	690	544	1270	1277	960	645
8.	दादरा और नगर हवेली	11	0	18	0	15	0
9.	दमन और दीव	8	0	72	0	17	0
10.	दिल्ली	972	23	353	530	1905	3517
11.	गोवा	88	3	92	5	110	166
12.	गुजरात	2154	2846	4301	3403	3533	4454
13.	हरियाणा	810	473	1436	181	1410	1082
14.	हिमाचल प्रदेश	15	17	436	10	120	0
15.	झारखंड	799	51	1558	600	1185	614
16.	कर्नाटक	2608	3283	5173	8820	3510	0
17.	केरल	804	499	1817	5402	2055	1079
18.	मध्य प्रदेश	3168	4347	4213	10728	3150	6916
19.	महाराष्ट्र	5966	15263	11563	16457	7920	4797
20.	मणिपुर	106	1073	694	37	420	44
21.	ओडिशा	1166	183	1689	1672	1200	1786

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पुदुचेरी	36	6	128	14	105	0
23.	राजस्थान	2201	1527	4160	5228	2595	3310
24.	सिक्किम	1	53	99	17	75	90
25.	तमिलनाडु	3152	3688	6191	3228	5775	20591
26.	त्रिपुरा	69	246	610	193	495	25
27.	उत्तर प्रदेश	6692	2601	7663	2122	6285	19249
28.	उत्तराखंड	326	339	477	138	450	498
29.	पश्चिम बंगाल	2976	3075	5483	11971	4950	0
30.	जम्मू और कश्मीर	147	74	447	0	405	1010
31.	मेघालय	62	0	282	0	315	0
32.	मिज़ोरम	19	232	416	430	300	394
33.	नागालैंड	8	0	432	0	285	0
34.	पंजाब	884	0	2278	0	1980	3
35.	लक्षद्वीप				0		0
	योग	41250	48011	75000	87467	60000	77443

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बीटीआईपी के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अभिज्ञात 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (60 संस्थान) को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत किया जाना

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईटीआई की संख्या	2011-12		2012-13		2013-14	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1.892	0.479	0.55	0.5356	0.0087	0.0000
2.	आंध्र प्रदेश	1	0.252	0	0.26	0.0795	0.0888	0.3000
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—		—			
4.	असम	2	1.87	0	1.87	1.1580	0.356	0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	बिहार	4	5.3343	1.596	2.62	0.0000	1.3117	0.0000
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—
8.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
9.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—
10.	दिल्ली	1	0.3279	0	0.32	0.0000	0.1615	0.6000
11.	गोवा	3	1.36	0.14	1.21	0.7550	0.23	2.0400
12.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	—
13.	हरियाणा	1	0.49	0.24	0.25	0.2450	0	0.6000
14.	हिमाचल प्रदेश	2	0.41	0	0.41	0.2900	0.06	0.0000
15.	झारखंड	2	0.7124	0.338	0.37	0.3128	0.0308	0.0000
16.	कर्नाटक	7	3.2854	1.1387	2.15	0.7613	0.6932	2.7000
17.	केरल	7	4.3995	4.2755	2.37	2.2370	0.0652	0.6900
18.	मध्य प्रदेश	1	0.1325	0.1125	0.02	0.1323	0	0.6000
19.	महाराष्ट्र	13	4.7181	3.2015	1.52	0.9504	0.2831	7.2500
20.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—
21.	ओडिशा	—	—	—	—	—	—	—
22.	पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—
23.	राजस्थान	1	0.41	0	0.41	0.2000	0.105	0.4500
24.	सिक्किम	1	0.02715	0.01395	0.01	0.0000	0.0066	0.7200
25.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—
26.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	6	1.2816	0.3938	0.90	0.0000	0.394	3.3000
28.	उत्तराखंड	2	0.9091	0.559	0.36	0.1155	0.12	1.6700
29.	पश्चिम बंगाल	4	4.2651	1.162	2.06	1.0494	0.5063	1.8000
30.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
32.	मेघालय	1	0.76	0	0.76	0.0000	0.38	0.7200
33.	मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—	—
34.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—
35.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—
	योग	60	32.84	13.65	18.42	8.82	4.8007	23.44

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		अल्पसंख्यकों हेतु लक्ष्य	उपलब्धि	अल्पसंख्यकों हेतु लक्ष्य	उपलब्धि	अल्पसंख्यकों हेतु लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	135.49	172.26	185.28	176.77	194.90	180.08
2.	आंध्र प्रदेश	15571.84	12402.56	20328.61	14384.30	20981.10	16547.28
3.	अरुणाचल प्रदेश	111.98	149.63	142.14	207.46	454.09	356.97
4.	असम	1894.90	2471.58	3048.57	2565.56	3037.46	2795.79
5.	बिहार	2984.70	2927.39	3750.68	2888.71	3938.98	3041.68
6.	चंडीगढ़	2164.90	1264.36	1705.18	1188.31	1553.13	1477.57
7.	छत्तीसगढ़	1127.34	835.14	1224.97	929.4	1331.91	1171.41
8.	दादरा और नगर हवेली	20.37	10.46	43.34	11.78	19.03	22.9
9.	दमन और दीव	21.11	12.97	539.20	15.56	33.13	17.18
10.	दिल्ली	5827.82	4224.67	7219.45	5578.2	7929.02	6009.74
11.	गोवा	1216.53	1466.66	1571.33	1430.08	1563.52	1715.26

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	गुजरात	5497.36	2953.34	7338.11	3847.95	6883.80	4233.86
13.	हरियाणा	6841.45	4655.65	6775.15	4834.39	6747.79	5347.51
14.	हिमाचल प्रदेश	1122.71	635.35	1052.67	632.77	993.47	694.12
15.	झारखंड	2054.61	1753.00	2228.24	1919.93	2545.90	1693.31
16.	कर्नाटक	12430.00	10477.32	14971.325	11603.89	15300.83	12291.25
17.	केरल	20847.27	23048.67	27576.88	27974.99	31889.67	30786.5
18.	मध्य प्रदेश	5653.52	4164.84	5608.67	4386.7	6700.38	4651.43
19.	महाराष्ट्र	20406.65	12755.66	22547.29	13979.06	19561.17	20600.29
20.	मणिपुर	118.76	242.73	276.45	225.7	273.40	265.61
21.	ओडिशा	2333.81	2236.86	2979.83	2306.17	3230.60	2369.51
22.	पुदुचेरी	331.97	286.57	3501.22	403.53	509.06	485.57
23.	राजस्थान	5182.29	4065.46	5782.82	4471.37	5918.97	5320.08
24.	सिक्किम	388.42	409.16	462.90	427.96	487.60	465.9
25.	तमिलनाडु	16954.02	14763.37	19901.22	17519.59	21356.16	21805.78
26.	त्रिपुरा	151.48	288.20	689.74	297.47	343.69	303.9
27.	उत्तर प्रदेश	15085.86	14953.17	17341.74	15751.1	20494.96	16283.25
28.	उत्तराखंड	2129.98	1831.69	2006.27	2008.38	2127.85	2352.37
29.	पश्चिम बंगाल	9197.26	8189.95	9851.90	9428.52	10905.41	10984.2
30.	जम्मू और कश्मीर	1433.26	1077.31	1383.71	1175.41	1405.80	1303.3
31.	मेघालय	301.75	813.68	860.47	841.1	1323.45	1066.85
32.	मिज़ोरम	161.64	610.51	613.96	594.61	859.55	604.82
33.	नागालैंड	169.52	593.57	565.23	638.45	762.16	673.96
34.	पंजाब	24256.67	27939.34	28012.11	30532.07	33298.39	33477.71
35.	लक्षद्वीप	35.70	65.32	201.00	56.11	59.72	54.8
	योग	184162.94	164748.4	222287.66	185233.35	235016.05	211451.74

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन — शहरी निर्धनों को आधारभूत सेवा (उप-मिशन-II)
(2011-12, 2012-13 एवं 2013-14)

अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शहरों/नगरों को लाभों/निधियों का प्रवाह/संचयी लागत

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में संस्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में संस्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में संस्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	—	—	0	—
2.	आंध्र प्रदेश	3393.59	0.00	3559.51	—	3410.82	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	60.94	0.00	66.81	—	66.81	0.00
4.	असम	108.44	0.00	108.44	—	108.44	0.00
5.	बिहार	709.98	11.57	709.98	11.57	709.98	11.57
6.	चंडीगढ़	564.94	0.00	1033.03	—	1033.03	0.00
7.	छत्तीसगढ़	462.49	0.00	461.50	—	461.50	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	—	—	—
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	—	—	—
10.	दिल्ली	3257.72	3257.72	3244.98	3244.98	3244.98	3244.98
11.	गोवा	10.22	0.00	10.22		10.22	0.00
12.	गुजरात	1886.39	0.00	2067.09	—	2067.09	0.00
13.	हरियाणा	64.23	0.00	64.23	—	64.23	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	हिमाचल प्रदेश	24.01	0.00	24.01	—	24.01	0.00
15.	झारखंड	530.38	263.58	530.38	263.58	530.38	263.58
16.	कर्नाटक	843.47	0.00	854.64	—	843.68	0.00
17.	केरल	343.67	0.00	343.67	—	343.67	0.00
18.	मध्य प्रदेश	704.65	443.45	705.08	443.45	711.00	443.45
19.	महाराष्ट्र	6054.58	1001.62	5837.94	1095.95	5496.71	1113.36
20.	मणिपुर	51.23	0.00	51.23	—	51.23	0.00
21.	ओडिशा	74.62	0.00	74.62	—	74.62	0.00
22.	पुदुचेरी	135.98	0.00	136.98	—	135.98	0.00
23.	राजस्थान	289.21	0.00	289.21	—	289.21	0.00
24.	सिक्किम	33.58	0.00	33.58	—	33.58	0.00
25.	तमिलनाडु	2327.32	0.00	2334.28	—	2334.28	0.00
26.	त्रिपुरा	16.73	0.00	16.73	—	16.73	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	2353.8	1465.80	2353.80	1465.80	1776.22	1018.14
28.	उत्तराखंड	86.03	0.00	75.32	—	75.32	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	4071.54	483.13	4177.04	483.13	4087.30	471.57
30.	जम्मू और कश्मीर	162.39	113.30	162.39	113.30	162.39	113.30
31.	मेघालय	51.74	0.00	51.74	—	51.74	0.00
32.	मिज़ोरम	91.32	0.00	91.02	—	91.02	0.00
33.	नागालैंड	134.50	134.50	133.08	133.08	133.08	133.08
34.	पंजाब	72.43	0.00	168.86	—	130.63	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	योग	28972.12	7174.67	29771.39	7254.84	28569.88	6813.03

नोट: उस वर्ष के मार्च तक परियोजना लागतें संचयी हैं।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन—एकीकृत स्लम आवास विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
(2011-12, 2012-13 एवं 2013-14)

अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शहरों/नगरों को लाभों/निधियों का प्रवाह/संचयी लागत

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में संस्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में संस्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में संस्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.15	0.00	15.15	—	15.15	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	1139.10	185.21	1003.53	184.76	1002.68	184.76
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.95	0.00	9.95	—	9.95	0.00
4.	असम	84.99	19.84	84.99	19.84	84.99	19.84
5.	बिहार	431.85	98.37	757.89	149.24	757.89	149.24
6.	चंडीगढ़	—	0.00	0.00	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	225.60	—	225.60	—	225.60	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	5.74	0.00	5.74	—	5.74	0.00
9.	दमन और दीव	0.69	0.00	0.69	—	0.69	0.00
10.	दिल्ली	—	—	0.00	—	—	—
11.	गोवा	4.10	0.00	4.10	—	4.10	0.00
12.	गुजरात	533.64	49.77	425.71	47.09	425.71	47.09
13.	हरियाणा	272.26	0.00	303.98	—	303.98	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	हिमाचल प्रदेश	72.71	0.00	75.11	—	72.71	0.00
15.	झारखंड	217.93	39.79	217.93	39.79	217.93	39.79
16.	कर्नाटक	404.00	113.36	410.30	113.36	410.30	113.36
17.	केरल	273.32	57.08	273.32	57.08	273.32	57.08
18.	मध्य प्रदेश	362.41	61.67	376.28	61.67	376.28	61.67
19.	महाराष्ट्र	2126.99	684.23	2558.70	916.60	2511.37	922.18
20.	मणिपुर	43.38	0.00	70.21	—	43.38	0.00
21.	ओडिशा	292.84	9.13	289.50	9.13	289.50	9.13
22.	पुदुचेरी	17.03	0.00	17.03	—	17.03	0.00
23.	राजस्थान	780.67	83.37	1046.61	83.37	990.95	83.37
24.	सिक्किम	19.91	0.00	19.91	0.00	19.91	0.00
25.	तमिलनाडु	515.88	13.45	566.11	13.45	566.11	13.45
26.	त्रिपुरा	43.64	000	43.64	—	43.64	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	1325.10	305.68	1325.11	305.68	1250.36	301.33
28.	उत्तराखंड	161.28	37.28	177.55	37.28	177.55	37.28
29.	पश्चिम बंगाल	944.36	52.60	944.37	52.60	944.37	52.60
30.	जम्मू और कश्मीर	147.60	28.96	147.60	28.96	147.60	28.96
31.	मेघालय	41.48	21.82	41.48	21.82	41.48	21.82
32.	मिज़ोरम	39.27	0.00	56.07	—	39.27	0.00
33.	नागालैंड	90.13	87.74	101.86	69.47	71.86	69.47
34.	पंजाब	316.43	12.99	340.12	24.64	340.12	24.64
35.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
	योग	10959.43	1962.34	11936.14	2235.83	11681.52	2237.06

नोट: उस वर्ष के मार्च तक परियोजना लागतें संचयी हैं।

शहरी विकास मंत्रालय

शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी) (2011-12, 2012-13 एवं 2013-14)

पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले शहरों/नगरों के समूहों को लाभों/निधियों का प्रवाह

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14 (जून, 2013)
		अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु संस्वीकृत परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु संस्वीकृत परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु संस्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
2.	आंध्र प्रदेश	552.37	547.27	547.27
3.	अरुणाचल प्रदेश			
4.	असम			
5.	बिहार	36.26	36.26	36.2607
6.	चंडीगढ़			
7.	छत्तीसगढ़			
8.	दादरा और नगर हवेली			
9.	दमन और दीव			
10.	दिल्ली			
11.	गोवा			
12.	गुजरात	301.95	301.95	416.6432
13.	हरियाणा			
14.	हिमाचल प्रदेश			
15.	झारखंड	339.79	339.79	339.7858
16.	कर्नाटक			
17.	केरल			
18.	मध्य प्रदेश	1040.42	1040.42	1040.4211
19.	महाराष्ट्र	1073.50	1126.75	1390.8526

1	2	3	4	5
20.	मणिपुर			
21.	ओडिशा			
22.	पुडुचेरी			
23.	राजस्थान			
24.	सिक्किम			
25.	तमिलनाडु			
26.	त्रिपुरा			
27.	उत्तर प्रदेश	4344.74	4344.74	4160.3137
28.	उत्तराखंड			
29.	पश्चिम बंगाल	841.83	841.83	956.9164
30.	जम्मू और कश्मीर	402.29	402.29	
31.	मेघालय			
32.	मिज़ोरम			
33.	नागालैंड	115.94	115.94	1.5234
34.	पंजाब			
35.	लक्षद्वीप			
	कुल	9049.09	9097.24	8889.9869

नोट: उस वर्ष के मार्च तक परियोजना लागतें संचयी है।

शहरी विकास मंत्रालय

लघु एवं मध्य नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी)

पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले शहरों/नगरों के समूहों को लाभों/निधियों का प्रवाह

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14 (जून, 2013)
		अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों हेतु संस्वीकृत परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों हेतु संस्वीकृत परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों हेतु संस्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	385.01	474.96	385.0001
3.	अरुणाचल प्रदेश			
4.	असम	3.29	7.10	3.2881
5.	बिहार			
6.	चंडीगढ़			
7.	छत्तीसगढ़			
8.	दादरा और नगर हवेली			
9.	दमन और दीव			
10.	दिल्ली			
11.	गोवा			
12.	गुजरात	17.45	22.14	17.4497
13.	हरियाणा			
14.	हिमाचल प्रदेश			
15.	झारखंड	2.36	5.69	2.3621
16.	कर्नाटक	81.15	107.90	81.1534
17.	केरल	11.10	27.62	11.1004
18.	मध्य प्रदेश	52.73	131.82	55.38
19.	महाराष्ट्र	670.82	923.52	690.9635
20.	मणिपुर			
21.	ओडिशा			
22.	पुडुचेरी			
23.	राजस्थान	56.17	134.53	56.1685
24.	सिक्किम			
25.	तमिलनाडु	12.28	15.35	12.28
26.	त्रिपुरा			
27.	उत्तर प्रदेश	489.19	658.85	504.9804

1	2	3	4	5
28.	उत्तराखंड			
29.	पश्चिम बंगाल	8.25	20.63	8.2506
30.	जम्मू और कश्मीर	39.22	87.15	39.2192
31.	मेघालय			
32.	मिज़ोरम			
33.	नागालैंड			
34.	पंजाब	9.97	24.93	
35.	लक्षद्वीप			
	कुल	1838.99	2642.19	1867.596

नोट: उस वर्ष के मार्च तक परियोजना लागतें संचयी है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) (2011-12, 2012-13 एवं 2013-14)

पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों को लाभों/निधियों का प्रवाह

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		आवासों का आच्छादन	शुरू की गई योजनाओं की अनुमानित लागत	आवासों का आच्छादन	शुरू की गई योजनाओं की अनुमानित लागत	आवासों का आच्छादन	शुरू की गई योजनाओं की अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0	0	0.65
2.	आंध्र प्रदेश			*	*	*	*
3.	अरुणाचल प्रदेश	186	73.51	152	113.1	187	112.16
4.	असम	3024	494.79	2523	397.63	2940	427.5
5.	बिहार	2621	39.53	1961	40.41	2300	49.16
6.	चंडीगढ़			*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	छत्तीसगढ़			*	*	*	*
8.	दादरा और नगर हवेली			*	*	*	*
9.	दमन और दीव			*	*	*	*
10.	दिल्ली	0	0.00	0	0	0	0.00
11.	गोवा			*	*	0	0
12.	गुजरात			*	*	*	*
13.	हरियाणा	66	84.89	72	17.99	41	11.48
14.	हिमाचल प्रदेश			*	*	14	1.55
15.	झारखंड	2237	490.54	2603	67.17	1371	90.86
16.	कर्नाटक	429	144.93	414	44.12	1079	57.91
17.	केरल	0	39.16	22	15.14	356	280.12
18.	मध्य प्रदेश	113	16.33	117	10.73	122	7.44
19.	महाराष्ट्र	237	691.72	187	66.91	283	197.14
20.	मणिपुर	173	87.59	162	43.69	199	38.09
21.	ओडिशा	32	9.02	252	3.93	210	4.22
22.	पुदुचेरी			*	*	0	0
23.	राजस्थान			*	*	43	13.54
24.	सिक्किम	12	6.31	22	3.46	87	66.91
25.	तमिलनाडु			*	*	144	7.62
26.	त्रिपुरा			*	*	*	*
27.	उत्तर प्रदेश	2844	2345.77	5668	180.55	2349	196.16
28.	उत्तराखंड	0	0.00	2	1.21	42	0.79
29.	पश्चिम बंगाल	3244	2113.68	2411	400.51	2401	527.36
30.	जम्मू और कश्मीर	30	46.73	17	18.52	39	28.02
31.	मेघालय	135	126.04	105	12.75	169	22.27
32.	मिज़ोरम	32	17.58	2	5.97	8	7.43

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	नागालैंड			*	*	*	*
34.	पंजाब			*	*	*	*
35.	लक्षद्वीप			*	*	*	*
	योग	15415	6828.12	16692	1443.79	14384	2148.38
राष्ट्रीय उपलब्धि		122674	38640.84	155706	10473.2	137106	9600.32
राष्ट्रीय उपलब्धि की प्रतिशतता		12.56%	17.67%	10.72%	13.79%	10.49%	22.38%

*इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई अल्पसंख्यक बहुल जिला नहीं है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 हेतु मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

क्षेत्र ग्रहण एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एआईएमएमपी)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14		
		स्वीकृत राशि	मदरसा	अध्यापकों की संख्या	स्वीकृत राशि	मदरसा	अध्यापकों की संख्या	स्वीकृत राशि	मदरसा	अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
2.	आंध्र प्रदेश							0.4896	40	112
3.	अरुणाचल प्रदेश									
4.	असम	4.60			3.5	139	417			
5.	बिहार				0.56	80	80			
6.	चंडीगढ़									
7.	छत्तीसगढ़	2.30	255	609	7.22	253	634	5.2933	308	697
8.	दादरा और नगर हवेली									
9.	दमन और दीव									
10.	दिल्ली									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	गोवा									
12.	गुजरात									
13.	हरियाणा							0.1836	7	21
14.	हिमाचल प्रदेश									
15.	झारखंड									
16.	कर्नाटक	2.10	48	133						
17.	केरल				7.77	724	1444	71.1788	1462	4258
18.	मध्य प्रदेश	10.85	1028	1728	21.04	1920	3410	19.1202	1743	2632
19.	महाराष्ट्र	1.47	34	99	1.68	46	137	2.107	98	306
20.	मणिपुर									
21.	ओडिशा									
22.	पुदुचेरी									
23.	राजस्थान	0.72	21	62	3.93	220	460	3.3521	209	625
24.	सिक्किम									
25.	तमिलनाडु									
26.	त्रिपुरा				1.99	129	315	2.8872	129	326
27.	उत्तर प्रदेश	111.75	4539	11754	129.87	6294	15969	73.5149	10704	25851
28.	उत्तराखंड	0.35	9	27	4.93	100	280	4.6071	159	548
29.	पश्चिम बंगाल									
30.	जम्मू और कश्मीर	5.39								
31.	मेघालय									
32.	मिज़ोरम									
33.	नागालैंड									
34.	पंजाब									
35.	लक्षद्वीप									
	योग	139.53	5934	14412	182.49	9905	23146	182.734	14859	35376

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मिशन

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 हेतु अल्पसंख्यक संस्थानों हेतु अवसंरचना विकास (आईडीएमआई)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		जारी धनराशि	संस्थान	जारी धनराशि	संस्थान	जारी धनराशि	संस्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						
2.	आंध्र प्रदेश						
3.	अरुणाचल प्रदेश						
4.	असम	0.94	4				
5.	बिहार						
6.	चंडीगढ़						
7.	छत्तीसगढ़						
8.	दादरा और नगर हवेली						
9.	दमन और दीव						
10.	दिल्ली						
11.	गोवा						
12.	गुजरात	1.24	6			3.0234	21
13.	हरियाणा	1.45	10				
14.	हिमाचल प्रदेश						
15.	झारखंड						
16.	कर्नाटक	3.57	31	3.57	20	0.7833	13
17.	केरल	25.89	126	2.29	21	0.5621	29
18.	मध्य प्रदेश			2.28	11	0.5054	2
19.	महाराष्ट्र	7.55	39	4.02	26	6.0527	61

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मणिपुर						
21.	ओडिशा						
22.	पुदुचेरी						
23.	राजस्थान			0.04	5	0.9246	5
24.	सिक्किम	3.46	15	0.56	16	3.4344	21
25.	तमिलनाडु						
26.	त्रिपुरा						
27.	उत्तर प्रदेश	2.00	10	4.31	18	0.0776	3
28.	उत्तराखंड	2.08	17	6.87	45	4.9416	48
29.	पश्चिम बंगाल						
30.	जम्मू और कश्मीर						
31.	मेघालय						
32.	मिज़ोरम	0.25	1	4.44	22	4.6848	26
33.	नागालैंड						
34.	पंजाब						
35.	लक्षद्वीप						
	योग	48.43	259	28.38	184	24.9899	229

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

यूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत ग्रुप माइक्रो इंटरप्राइजेज–अल्पसंख्यक समुदायों हेतु वर्ष 2013-14 के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	
2.	आंध्र प्रदेश	765	31
3.	अरुणाचल प्रदेश	27	
4.	असम	390	
5.	बिहार	275	
6.	चंडीगढ़	17	1
7.	छत्तीसगढ़	167	94
8.	दादरा और नगर हवेली	3	
9.	दमन और दीव	3	

1	2	3	4
10.	दिल्ली	338	0
11.	गोवा	19	
12.	गुजरात	623	
13.	हरियाणा	248	
14.	हिमाचल प्रदेश	23	
15.	झारखंड	207	
16.	कर्नाटक	613	276
17.	केरल	358	
18.	मध्य प्रदेश	553	45
19.	महाराष्ट्र	1385	1267
20.	मणिपुर	75	
21.	ओडिशा	211	
22.	पुदुचेरी	19	
23.	राजस्थान	458	0
24.	सिक्किम	14	
25.	तमिलनाडु	1012	
26.	त्रिपुरा	87	
27.	उत्तर प्रदेश	1099	151
28.	उत्तराखंड	79	0
29.	पश्चिम बंगाल	864	538
30.	जम्मू और कश्मीर	71	
31.	मेघालय	45	
32.	मिज़ोरम	51	
33.	नागालैंड	51	
34.	पंजाब	353	
35.	लक्षद्वीप		
	कुल	10500	2802

नोट: उक्त घटक को 2013-14 के दौरान शामिल किया गया था।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

यूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत टी एंड सीएस—अल्पसंख्यक समुदायों हेतु वर्ष 2013-14 के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	
2.	आंध्र प्रदेश	1530	22892
3.	अरुणाचल प्रदेश	54	0
4.	असम	780	
5.	बिहार	551	
6.	चंडीगढ़	33	0
7.	छत्तीसगढ़	335	165
8.	दादरा और नगर हवेली	6	
9.	दमन और दीव	6	
10.	दिल्ली	675	
11.	गोवा	38	
12.	गुजरात	1245	
13.	हरियाणा	495	
14.	हिमाचल प्रदेश	45	
15.	झारखंड	414	
16.	कर्नाटक	1226	540
17.	केरल	716	
18.	मध्य प्रदेश	1106	0
19.	महाराष्ट्र	2771	1914
20.	मणिपुर	150	
21.	ओडिशा	422	

1	2	3	4
22.	पुदुचेरी	38	
23.	राजस्थान	915	0
24.	सिक्किम	27	
25.	तमिलनाडु	2024	
26.	त्रिपुरा	174	
27.	उत्तर प्रदेश	2198	550
28.	उत्तराखंड	158	65
29.	पश्चिम बंगाल	1728	619
30.	जम्मू और कश्मीर	143	
31.	मेघालय	90	
32.	मिज़ोरम	102	
33.	नागालैंड	102	
34.	पंजाब	705	
35.	लक्षद्वीप		
	कुल	21007	27533

टिप्पणी: उक्त घटक को 2013-14 के दौरान शामिल किया गया था।

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14		
		वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	147406	191973	26.88	173418	301275	47.91	173418	334949	62.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	6521	0	0.00	7673	0	0.00	7673	0	
3.	असम	166785	86159	21.25	196218	181267	37.64	196218	241967	39.21
4.	बिहार	247875	193967	29.01	291618	80622	0.00	291618	65663	
5.	छत्तीसगढ़	16845	12610	2.93	19818	18235	4.33	19818	20196	4.87
6.	गोवा	8340	0	0.00	9812	0	0.00	9812	8319	0.63
7.	गुजरात	88842	0	0.00	104520	0	0.00	104520	355756	37.87
8.	हरियाणा	43705	0	2.03	51418	50308	3.15	51418	15780	
9.	हिमाचल प्रदेश	5115	5171	0.52	6018	3652	0.58	6018	3577	0.70
10.	जम्मू और कश्मीर	128026	250983	31.44	150618	225646	28.25	150618	113647	17.43
11.	झारखंड	88245	51082	10.53	103818	45878	8.76	103818	26694	4.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कर्नाटक	141457	426813	49.05	166418	416243	42.89	166418	404511	43.40
13.	केरल	249731	696630	52.77	293800	944918	71.58	293800	884682	67.01
14.	मध्य प्रदेश	78555	135932	17.93	92418	129672	16.84	92418	109507	10.85
15.	महाराष्ट्र	312187	701343	54.72	367276	788973	58.73	367276	785177	56.49
16.	मणिपुर	16753	9438	1.19	19708	32279	11.09	19708	13232	4.64
17.	मेघालय	31032	17781	2.44	36508	19945	2.76	36508	23825	3.50
18.	मिज़ोरम	15533	13485	2.49	18273	40615	9.76	18273	94745	23.00
19.	नागालैंड	32901	10056	2.07	38708	18679	4.00	38708	25792	6.24
20.	ओडिशा	30445	24553	2.00	35818	34673	3.97	35818	38611	3.04
21.	पंजाब	273917	296660	29.23	322258	266188	51.92	322258	353549	70.44
22.	राजस्थान	102186	148816	1014	120218	199885	22.56	120218	280100	31.66
23.	सिक्किम	3633	3269	0.61	4274	4115	0.73	4274	3785	0.71
24.	तमिलनाडु	130407	301278	32.23	153418	340647	36.30	153418	406324	40.68
25.	त्रिपुरा	8221	1356	0.10	9673	3721	0.42	9673	7204	0.82
26.	उत्तर प्रदेश	573086	971245	148.11	674218	1089486	204.25	674218	1262382	259.35
27.	उत्तराखंड	22625	3103	0.43	26618	11907	2.95	26618	0	
28.	पश्चिम बंगाल	377926	955205	82.93	444618	1165386	111.87	444618	1869161	169.36
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1961	237	0.03	2309	277	0.05	2309	236	0.05
30.	चंडीगढ़	3446	4000	0.51	4054	0	0.50	4054	6721	0.75
31.	दादरा और नगर हवेली	432	152	0.06	509	233	0.05	509	167	0.04
32.	दमन और दीव	395	183	0.07	466	500	0.15	466	494	0.14
33.	दिल्ली	42006	12732	1.35	49418	21759	2.21	49418	36096	3.67
34.	लक्षद्वीप	1158	0	0.00	1364	0	0.00	1364	0	
35.	पुदुचेरी	2302	2345	0.30	2709	0	0.00	2709	1341	0.23
	योग	3400000	5528557	615.47	4000000	6436984	786.19	4000000	7794190	963.70

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14		
		वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	22761	20550	17.28	21345	26904	16.65	21345	19246	12.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	1011	0	0.00	1150	0	0.00	1150	0	
3.	असम	25753	6119	4.46	29600	19276	12.06	29600	27932	19.17
4.	बिहार	38276	42765	25.49	35897	26911	7.90	35897	34485	18.20
5.	छत्तीसगढ़	2601	1863	1.57	2449	2615	2.30	2449	2811	1.52
6.	गोवा	1299	187	0.07	1201	211	0.61	1201	124	
7.	गुजरात	13723	15559	7.78	12851	20612	11.19	12851	32979	17.75
8.	हरियाणा	6748	575	1.48	6349	1373	0.00	6349	1509	0.30
9.	हिमाचल प्रदेश	789	517	0.20	749	424	0.31	749	353	0.06
10.	जम्मू और कश्मीर	19767	28427	14.15	18544	10491	6.10	18544	25461	15.74
11.	झारखंड	13626	14418	10.05	12800	10112	5.86	12800	11581	6.71
12.	कर्नाटक	21842	65887	24.85	20493	33160	18.07	20493	51771	29.39
13.	केरल	38562	75220	21.69	36151	95379	27.13	36151	69643	21.68
14.	मध्य प्रदेश	12130	11138	6.17	11349	12343	6.95	11349	10863	7.34
15.	महाराष्ट्र	48157	43505	31.06	45189	42802	26.20	45189	60229	38.72
16.	मणिपुर	2595	0	0.00	3000	3619	2.82	3000	7853	5.79
17.	मेघालय	4799	227	0.19	5500	223	0.19	5500	170	0.10
18.	मिज़ोरम	2401	3417	3.43	2750	4329	4.32	2750	669	1.52
19.	नागालैंड	5088	48	0.04	5851	90	0.07	5851	230	0.20
20.	ओडिशा	4700	1114	0.00	4400	2143	1.23	4400	3380	2.42
21.	पंजाब	42243	50928	39.42	39640	54403	43.55	39640	76577	41.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	15778	19555	12.77	14800	23167	15.35	14800	33259	22.97
23.	सिक्किम	564	549	0.40	651	565	0.40	651	310	0.21
24.	तमिलनाडु	20136	35484	17.68	18900	43525	21.14	18900	55152	30.19
25.	त्रिपुरा	1273	376	0.12	1451	445	0.44	1451	665	0.42
26.	उत्तर प्रदेश	88491	138138	74.81	82950	193361	36.72	82950	165783	129.90
27.	उत्तराखंड	3494	444	0.19	3300	540	1.64	3300	774	
28.	पश्चिम बंगाल	58356	118441	46.87	54790	125909	56.95	54790	195331	90.87
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	311	9	0.00	501	21	0.01	501	5	0.01
30.	पश्चिम बंगाल	536	140	0.06	900	267	0.18	900	290	0.07
31.	दादरा और नगर हवेली	74	30	0.01	100	33	0.01	100	25	0.01
32.	दमन और दीव	77	29	0.03	100	52	0.05	100	26	0.02
33.	दिल्ली	6486	1061	0.56	3799	338	0.17	3799	680	0.41
34.	लक्षद्वीप	190	0	0.00	300	0	0.00	300	0	
35.	पुदुचेरी	363	230	0.10	200	0	0.00	200	301	0.12
	योग	525000	701950	362.99	500000	755643	326.55	500000	890467	515.56

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14		
		वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	867	1126	3.09	2601	1664	4.58	2564	1492	4.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	0	0.00	114	0	0.00	115	1	0.00
3.	असम	981	1702	4.94	2943	2311	6.52	2889	3710	10.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	1458	3703	9.98	4374	4354	12.01	4284	6417	17.86
5.	छत्तीसगढ़	99	140	0.43	297	201	0.57	310	339	0.91
6.	गोवा	49	84	0.23	147	97	0.07	145	108	0.26
7.	गुजरात	523	941	2.26	1569	2016	4.90	1697	2607	6.28
8.	हरियाणा	257	362	1.03	771	770	2.06	770	865	2.28
9.	हिमाचल प्रदेश	30	36	0.12	90	86	0.25	85	153	0.45
10.	जम्मू और कश्मीर	753	1614	4.75	2259	2936	7.94	2211	2317	5.54
11.	झारखंड	519	941	2.70	1557	1279	3.41	1528	1736	4.90
12.	कर्नाटक	832	2217	5.99	2496	3586	9.43	2570	5526	14.63
13.	केरल	1469	4661	13.12	4407	8627	24.20	4316	15602	40.11
14.	मध्य प्रदेश	462	843	2.27	1386	1725	4.60	1524	1347	3.61
15.	महाराष्ट्र	1840	3475	9.27	5520	4665	58.73	5797	7113	18.43
16.	मणिपुर	98	247	0.77	294	330	0.98	290	519	2.00
17.	मेघालय	182	305	0.95	546	412	1.25	538	706	2.13
18.	मिज़ोरम	91	145	0.39	273	85	0.23	264	97	0.36
19.	नागालैंड	193	399	1.22	579	689	2.11	567	1006	3.02
20.	ओडिशा	179	201	0.68	537	427	1.24	525	606	1.77
21.	पंजाब	1615	2774	8.65	4845	4859	13.34	4752	11231	23.48
22.	राजस्थान	601	1187	3.26	1803	2519	6.73	1965	2769	6.66
23.	सिक्किम	21	77	0.24	63	111	0.31	60	146	0.40
24.	तमिलनाडु	767	2390	6.33	2301	3225	8.05	2279	5149	13.88
25.	त्रिपुरा	48	65	0.18	144	113	0.35	142	138	0.48
26.	उत्तर प्रदेश	3371	6634	16.17	10113	11647	29.14	9948	16942	43.83
27.	उत्तराखंड	133	214	0.67	399	333	1.00	395	572	1.55
28.	पश्चिम बंगाल	2223	5539	14.84	6669	8440	22.28	6541	10506	28.29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	7	0.04	33	7	0.01	33	9	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	चंडीगढ़	20	18	0.12	60	21	0.11	60	32	0.14
31.	दादरा और नगर हवेली	2	0	0.00	6	0	0.00	4	0	0.00
32.	दमन और दीव	2	2	0.01	6	3	0.01	6	7	0.02
33.	दिल्ली	247	408	0.99	741	525	1.26	770	613	1.44
34.	लक्षद्वीप	6	0	0.00	18	0	0.00	17	0	0.00
35.	पुदुचेरी	13	19	0.05	39	33	0.07	39	47	0.13
	योग	20000	42476	115.72	60000	68096	228	60000	100428	259.84

वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14		
		वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	31	103	राज्य-वार कोई निधियां जारी नहीं की गई	31	34	राज्य-वार कोई निधियां जारी नहीं की गई	31	31	राज्य-वार कोई निधियां जारी नहीं की गई
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	7		4	2		4	4	
3.	असम	33	102		33	35		33	33	
4.	बिहार	50	163		50	55		50	50	
5.	छत्तीसगढ़	6	17		6	4		6	4	
6.	गोवा	4	9		4	2		4	4	
7.	गुजरात	21	39		21	20		21	21	
8.	हरियाणा	12	21		12	12		12	12	
9.	हिमाचल प्रदेश	4	13		4	2		4	4	
10.	जम्मू और कश्मीर	27	101		27	30		27	36	
11.	झारखंड	21	57		21	23		21	21	
12.	कर्नाटक	31	88		31	32		31	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	50	173		50	52		50	51	
14.	मध्य प्रदेश	15	45		15	15		15	15	
15.	महाराष्ट्र	67	205		67	69		67	67	
16.	मणिपुर	4	15		4	3		4	4	
17.	मेघालय	6	18		6	6		6	6	
18.	मिज़ोरम	4	13		4	1		4	4	
19.	नागालैंड	6	17		6	7		6	6	
20.	ओडिशा	6	14		6	6		6	6	
21.	पंजाब	59	190		59	59		59	59	
22.	राजस्थान	21	62	राज्य-वार कोई निधियां जारी नहीं की गई	21	23	राज्य-वार कोई निधियां जारी नहीं की गई	21	21	राज्य-वार कोई निधियां जारी नहीं की गई
23.	सिक्किम	4	8		4	2		4	4	
24.	तमिलनाडु	28	102		28	33		28	32	
25.	त्रिपुरा	4	4		4	2		4	4	
26.	उत्तर प्रदेश	120	381		120	127		120	120	
27.	उत्तराखंड	4	13		4	2		4	4	
28.	पश्चिम बंगाल	81	220		81	80		81	81	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	2		4	3		4	1	
30.	चंडीगढ़	4	13		4			4	4	
31.	दादरा और नगर हवेली	4	0		4	1		4		
32.	दमन और दीव	4	0		4			4	1	
33.	दिल्ली	9	26		9	11		9	8	
34.	लक्षद्वीप	4	7		4			4	2	
35.	पुदुचेरी	4	18		4	1		4	4	
	योग	756	2266	51.98	756	754	66.00	756	756	50.00

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु छात्रवृत्तियों के राज्य-वार स्वीकृति का सारांश

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		बालिकाओं की संख्या	राशि	बालिकाओं की संख्या	राशि	बालिकाओं की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	7	0.84
2.	आंध्र प्रदेश	903	108.36	1323	158.76	1851	222.12
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0.24	0	0	0	0
4.	असम	487	58.44	717	86.04	1546	185.52
5.	बिहार	1490	178.8	2642	317.04	3442	413.04
6.	चंडीगढ़	0	0	18	2.16	7	0.84
7.	छत्तीसगढ़	5	0.6	4	0.48	40	4.8
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	1	0.12	0	0	4	0.48
10.	गोवा	3	0.36	2	0.24	2	0.24
11.	गुजरात	604	72.48	877	105.24	1168	140.16
12.	हरियाणा	16	1.92	42	5.04	35	4.2
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0.12
14.	जम्मू और कश्मीर	10	1.2	33	3.96	179	21.48
15.	झारखंड	539	64.68	718	86.16	1025	123
16.	कर्नाटक	1015	121.8	1488	178.56	2014	241.68
17.	केरल	2318	278.16	3330	399.6	4760	571.2
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	483	57.96	731	87.72	975	117
20.	महाराष्ट्र	1476	177.12	2230	267.6	2928	351.36
21.	मणिपुर	43	5.16	41	4.92	114	13.68

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मेघालय	4	0.48	6	0.72	10	1.2
23.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
24.	नागालैंड	15	1.8	2	0.24	6	0.72
25.	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	228	27.36	332	39.84	422	50.64
26.	ओडिशा	39	4.68	87	10.44	165	19.8
27.	पुदुचेरी	15	1.8	4	0.48	20	2.4
28.	पंजाब	215	25.8	167	20.04	150	18
29.	राजस्थान	636	76.32	680	81.6	923	110.76
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	1230	147.6	1802	216.24	2509	301.08
32.	त्रिपुरा	0	0	2	0.24	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	3909	469.08	5791	694.92	7939	952.68
34.	उत्तराखंड	38	4.56	77	9.24	191	22.92
35.	पश्चिम बंगाल	1976	237.12	2010	241.2	2726	327.12
	योग	17700	2124	25156	3018.72	35159	4219.08

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् (2011-12 से 2013-14) का राज्य-वार व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		छात्रों की संख्या	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	छात्रों की संख्या	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	छात्रों की संख्या	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	200	0.27	300	0.70	2260	3.99
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	1100	2.88	150	1.20	200	0.79
5.	बिहार	1000	2.70	400	1.12	50	0.90
5.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	80	0.11
7.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	0	0.19	356	0.54	1057	1.59
11.	गोवा	0	0.00	50	0.05	0	0.00
12.	गुजरात	0	0.00	125	0.16	150	0.37
13.	हरियाणा	200	0.35	100	0.39	150	0.31
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15.	जम्मू और कश्मीर	500	0.48	150	0.22	190	0.26
16.	झारखंड	500	1.23	0	0.00	90	0.38
17.	कर्नाटक	500	1.50	100	0.12	550	2.35
18.	केरल	500	0.80	350	0.43	450	1.40
19.	मध्य प्रदेश	150	0.18	500	0.74	590	1.24
20.	महाराष्ट्र	200	0.23	320	0.58	430	0.58
21.	मणिपुर	0	0.10	700	0.92	200	0.65
22.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.	मिज़ोरम	300	0.96	100	0.26	50	0.14
24.	नागालैंड	0	0.00	50	0.06	0	0.06
25.	ओडिशा	0	0.00	250	0.50	0	0.00
26.	पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	राजस्थान	350	0.39	250	0.61	490	0.92
28.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00
29.	तमिलनाडु	50	0.04	150	0.07	100	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	त्रिपुरा	100	0.16	0	0.16	0	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	980	1.50	1695	3.44	2110	4.64
32.	उत्तरांखड	50	0.07	120	0.20	100	0.19
33.	पश्चिम बंगाल	1200	1.96	500	1.55	700	2.55
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	योग	7880	15.98	6716	14.00	9997	23.66

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

लघु वित्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, एनएमडीएफसी द्वारा आबंटित, वितरित राशि और सहायता दिए गए लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		वितरित राशि (करोड़ रुपए में)	सहायता प्राप्त लाभार्थी	वितरित राशि (करोड़ रुपए में)	सहायता प्राप्त लाभार्थी	वितरित राशि (करोड़ रुपए में)	सहायता प्राप्त लाभार्थी
1.	असम	1.24	689	0.00	0	0.00	0
2.	गुजरात	0.00	0	0.20	89	0.00	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	हरियाणा	0.00	0	1.50	666	1.50	667
5.	जम्मू और कश्मीर	0.50	278	0.00	0	0.00	0
6.	केरल	34.00	18890	43.00	19109	25.00	11110
7.	महाराष्ट्र	0.00	0	3.00	1333	0.00	0
8.	नागालैंड	1.00	556	5.00	2222	0.96	427
9.	ओडिशा	0.79	439	0.00	0	0.00	0
10.	पुदुचेरी	0.00	0	0.00	0	1.50	667
11.	तमिलनाडु	0.00	0	33.00	14666	14.00	6222
12.	पश्चिम बंगाल	121.50	67500	101.00	44889	80.00	35555
	योग	159.03	88352	186.70	82974	122.96	54648

साविध ऋण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, एनएमडीएफसी द्वारा आबंटित, वितरित राशि और सहायता दिए गए लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		वितरित राशि (करोड़ रुपए में)	सहायता प्राप्त लाभार्थी	वितरित राशि (करोड़ रुपए में)	सहायता प्राप्त लाभार्थी	वितरित राशि (करोड़ रुपए में)	सहायता प्राप्त लाभार्थी
1.	बिहार	4.38	674	0.00	0	0.00	0
2.	चंडीगढ़	0.07	11	0.07	7	0.00	0
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0	2.00	210	0.00	0
4.	दिल्ली	0.10	16	0.09	9	0.00	0
5.	गुजरात	0.39	0	5.00	474	0.00	0
6.	हिमाचल प्रदेश	1.20	185	1.84	160	3.50	368
7.	हरियाणा	0.00	0	0.50	52	0.00	0
8.	जम्मू और कश्मीर	9.66	1486	9.00	947	15.00	1579
9.	केरल	42.50	6539	38.74	4079	48.00	5052
10.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	18.50	1947
11.	महाराष्ट्र	4.19	645	3.00	316	0.00	0
12.	नागालैंड	6.00	923	5.00	527	4.00	422
13.	ओडिशा	0.00	0	2.00	211	0.00	0
14.	पुदुचेरी	0.00	0	3.00	316	1.50	158
15.	पंजाब	5.00	770	7.00	737	7.00	738
16.	राजस्थान	6.50	1000	17.00	1790	40.00	4211
17.	तमिलनाडु	0.00	0	17.00	1790	6.00	632
18.	त्रिपुरा	2.00	308	5.41	570	9.00	948
19.	उत्तराखंड	0.00	0	0.75	79	0.00	0
20.	पश्चिम बंगाल	30.00	4615	67.00	7054	50.00	5263
	योग	111.99	17172	184.39	19328	202.50	21318

कोच्चि में पत्तन शहर

1106. मोहम्मद फैज़ल : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोच्चि में समुद्री सीमा के भीतर एक पत्तन शहर विकसित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई व्यावहारिक अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके पर्यावरणिक निहितार्थ क्या होंगे; और

(घ) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1107. श्रीमती कमला पाटले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा स्थापना हेतु प्रस्तावित या निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इनकी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसकी अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इस पर कितनी व्यय होने की संभावना है तथा इनका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए विद्युत संयंत्र-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या उक्त संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों को मुआवजे का भुगतान किस दर पर किया गया है और सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए विद्युत संयंत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) एनटीपीसी तथा इसके संयुक्त उद्यमों (जेवी) की उन परियोजनाओं जहां कार्य शुरू हो चुका है, के ब्यौरे, इनकी अनुमोदित लागत, परियोजना से पूरे होने के निर्धारित कार्यक्रम और वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी की उन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जो निर्माणाधीन हैं और निविदाकरण के विभिन्न चरणों में हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) एनटीपीसी और इसके संयुक्त उद्यमों की प्रस्तावित परियोजनाओं के मुख्य संयंत्र की स्थापना हेतु अपेक्षित भूमि का बड़ा भाग अधिगृहीत किया जा चुका है।

एनटीपीसी विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि, भूमि अधिग्रहण (एलए) अधिनियम, 1894/राज्यों के विशेष अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत एनटीपीसी द्वारा औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित राज्य सरकारों/राज्य प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत की गई है।

राज्य सरकारों/राज्य प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णय और की गई मांग के अनुसार एनटीपीसी द्वारा उनके पास देय मुआवजा राशि जमा कराई गई थी ताकि राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को आगे मुआवजे का संवितरण किया जा सके।

संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से विद्यमान नियमों के अनुसार प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान करता है।

विवरण-I

11 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार एनटीपीसी की अपनी और संयुक्त उद्यमों की परियोजनाओं का विवरण

क. निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र. स.	परियोजना/क्षमता/स्थान	राज्य	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए में)/ अनुमोदन का समय	परियोजना पूरी होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5
एनटीपीसी स्वामित्व की परियोजनाएं				
1.	बोंगईगांव 750 मेगावाट (3×250 मेगावाट) जिला: कोकराझार	असम	6748.18 चौथी तिमाही, 2013	2016-17

1	2	3	4	5
2.	बाढ़-I 1980 मेगावाट (3×660 मेगावाट) जिला: पटना	बिहार	8692.97* चौथी तिमाही, 2004	2017-18
3.	बाढ़-II 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) जिला: पटना	बिहार	7340.05* चौथी तिमाही, 2007	2014-15
4.	लारा-II 1600 मेगावाट (2×800 मेगावाट) जिला: रायगढ़	छत्तीसगढ़	11846.00 तीसरी तिमाही, 2013	2018-19
5.	कोलडैम एचईपी 800 मेगावाट (4×200 मेगावाट) जिला: बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश	7219.8 तीसरी तिमाही, 2013	2015-16
6.	नॉर्थ करनपुरा 1980 मेगावाट (3×660 मेगावाट) जिला: चतरा	झारखंड	14366.58 (पहली तिमाही, 2014)	2019-20
एनटीपीसी स्वामित्व की परियोजनाएं				
7.	कुडगी-I 2400 मेगावाट (3×800 मेगावाट) जिला: बीजापुर	कर्नाटक	15166.19 चौथी तिमाही, 2011	2017-18
8.	गदरवारा-I 1600 मेगावाट (2×800 मेगावाट) जिला: नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	11638.55 पहली तिमाही, 2013	2017-18
9.	विंध्याचल-V 500 मेगावाट (1×500 मेगावाट) जिला: सिदही	मध्य प्रदेश	3180.40 चौथी तिमाही, 2011	2015-16
10.	मोदा-II 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) जिला: नागपुर	महाराष्ट्र	7921.47 पहली तिमाही, 2012	2017-18
11.	सोलापुर 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) जिला: सोलापुर	महाराष्ट्र	9395.18 पहली तिमाही, 2012	2017-18
12.	दारलीपल्ली 1600 मेगावाट (2×800 मेगावाट) जिला: सुंदरगढ़	ओडिशा	12532.44 तीसरी तिमाही, 2013	2018-19

*संशोधित लागत अनुमान अनुमोदनाधीन

1	2	3	4	5
13.	ऊंचाहार-IV (1×500 मेगावाट) जिला: रायबरेली	उत्तर प्रदेश	3363.12 तीसरी तिमाही, 2013	2016-17
14.	लता-तपोवन एचईपी 171 मेगावाट (3×57 मेगावाट) जिला: चमोली	उत्तराखंड	1527.08 पहली तिमाही, 2012	2017-18
15.	तपोवन विष्णुगाड एचईपी 520 मेगावाट (4×130 मेगावाट) जिला: चमोली	उत्तराखंड	3846.3 चौथी तिमाही, 2012	2017-18
16.	मुजफ्फरपुर एक्सपें. - बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम, 390 मेगावाट (2×195 मेगावाट) जिला: मुजफ्फरपुर	बिहार	3154.33 पहली तिमाही, 2010	2015-16
17.	नबीनगर-रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम 1000 मेगावाट (4×250 मेगावाट) जिला: औरंगाबाद	बिहार	5352.51 चौथी तिमाही, 2006	2016-17
18.	नबीनगर-बीएसपीजीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम 1980 मेगावाट (3×660 मेगावाट) जिला: औरंगाबाद	बिहार	13624.01 पहली तिमाही, 2012	2018-19
19.	मेजा-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के साथ संयुक्त उद्यम 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) जिला: इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	9750.89 चौथी तिमाही, 2010	2017-18
ख.	**परियोजना जहां निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी किया गया है**			
1.	खरगोन (2×660) 1320 मेगावाट जिला: खरगोन	मध्य प्रदेश	9181.06 दूसरी तिमाही, 2011	निवेश अनुमोदन के पश्चात् अंतिम रूप दिया जायेगा।

1	2	3	4	5
2.	बरेठी (4×660) 2640 मेगावाट जिला: छतरपुर	मध्य प्रदेश	17820.98 चौथी तिमाही, 2012	निवेश अनुमोदन क पश्चात् अंतिम रूप दिया जायेगा।
3.	टांडा टीपीपी-II (2×660) 1320 मेगावाट जिला: अंबेडकर नगर	उत्तर प्रदेश	7742.96 पहली तिमाही, 2008	
4.	कटवा (2×660) 1320 मेगावाट जिला: बर्धमान	पश्चिम बंगाल	8949.33 चौथी तिमाही, 2013	
5.	रम्माम-III 120 मेगावाट (हाइड्रो) जिला: दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	633.92 पहली तिमाही, 2006 (डीपीआर लागत) - कार्यशील पूंजी मार्जिन (डब्ल्यूसीएम) को छोड़कर	

विवरण-III

11 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

क्र. स.	परियोजना/क्षमता/स्थान	राज्य	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए में)/ अनुमोदन का समय	परियोजना पूरी होने का कार्यक्रम
1.	पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूईपी) 40 मेगावाट	कर्नाटक	231.72 पहली तिमाही, 2013	निवेश अनुमोदन के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाएगा।
2.	पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूईपी) 40 मेगावाट	महाराष्ट्र	231.72 पहली तिमाही, 2013	
3.	सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना 8 मेगावाट	उत्तर प्रदेश	83.26 पहली तिमाही, 2011	2014-15
4.	सिंगरौली सौर पीवी 15 मेगावाट	उत्तर प्रदेश	101.43 तीसरी तिमाही, 2013	2014-15

[अनुवाद]

नई कोयला धोवनशालाओं की स्थापना

1108. श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कोयला धोवनशालाओं की स्थापना में अनावश्यक अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री

तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड का 16 नई वाशरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इन्हें स्थापित करने में विलंब हो रहा है। विलंब के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं:—

(i) पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में विलंब।

(ii) वानिकी मंजूरी प्राप्त करने में विलंब।

(iii) वाशरी के लिए भूमि तथा विनिर्दिष्ट अपशिष्ट व्यवस्था प्रक्रिया/प्रणाली अभिज्ञात करने में विलंब।

(iv) कुछ मामलों में निविदा देने/पुनः निविदा देने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में विलंब।

(ग) और (घ) वानिकी तथा पर्यावरण मंजूरी जैसी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। भूमि के अधिग्रहण संबंधी समस्या से निपटने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारी निकायों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। भावी बोलीदाताओं के साथ ई-नीलामी तथा एमओयू व्यवस्था के माध्यम से वाशरी के अपशिष्ट के निपटान की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण

1109. **श्रीमती कोथापल्ली गीता** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए भूमि अधिग्रहण की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा देकर इस धीमी गति में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक बारगी विशेष पहल है। कार्यक्रम को राज्यों द्वारा निष्पादित किया जाता है तथा कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्यों को शुरू करने के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और भारत सरकार भूमि अर्जन के लिए निधियां उपलब्ध नहीं कराती है।

सिग्नल प्रणाली का आधुनिकीकरण

1110. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी सिग्नल प्रणाली ट्रेन दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा सिग्नलों के आधुनिकीकरण के लिए जोन-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, नहीं। सभी सिगनल प्रणालियां 'फेल सेफ' सिद्धांत पर डिजाइन की जाती हैं।

(ख) भारतीय रेलों में ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए बड़ी आमान मार्ग पर कुल 6268 इंटरलॉक स्टेशनों ('सी' श्रेणी के स्टेशनों सहित) में से 31.03.2014 तक 5211 स्टेशनों पर नवीनतम सिगनलिंग प्रणाली अर्थात् बहु-आयामी रंगीन लाइट सिगनलिंग सहित इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियां मुहैया करा दी गई हैं। 31.03.2014 को जोन-वार स्थिति निम्नानुसार हैं:—

रेलवे	स्टेशनों की संख्या जहां 31.03.2014 तक इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मुहैया किए गए
मध्य रेलवे	367
पूर्व रेलवे	329
उत्तर रेलवे	487
पूर्वोत्तर रेलवे	237
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	284
दक्षिण रेलवे	484
दक्षिण मध्य रेलवे	551
दक्षिण पूर्व रेलवे	225
पश्चिम रेलवे	393
पूर्व मध्य रेलवे	354
पूर्व तट रेलवे	230
उत्तर मध्य रेलवे	240
उत्तर पश्चिम रेलवे	331
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	162
दक्षिण पश्चिम रेलवे	282
पश्चिम मध्य रेलवे	255
जोड़	5211

बारह पंचवर्षीय योजना में 600 स्टेशनों पर पुराने सिगनल को बदलने की योजना है जिसमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अप्रैल, 2012 से मार्च, 2014 तक 238 स्टेशनों पर पुराने सिगनल बदल दिए गए हैं। बदलाव संबंधी कार्यों का पूरा होना कार्यों के निष्पादन के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

परामर्शदात्री समितियां

1111. डॉ. ए. सम्पत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार 16वीं लोक सभा के गठन के मद्देनज़र देश में विभिन्न रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार और मंडल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति (डीआरयूसीसी), क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति (जेडआरयूसीसी), कोंकण रेल उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति (केआरयूसीसी) और मेट्रो रेल उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति (एमआरयूसीसी) के 01.08.2014 से 31.07.2016 तक दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन हेतु सभी क्षेत्रीय रेलों और कोंकण रेलवे को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अनियमितता

1112. श्री रामसिंह राठवा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में कुछ कंपनियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध में महानिदेशक, सड़क विकास के नेतृत्व में नियुक्त तथ्य अन्वेषण समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उपरोक्त समिति की रिपोर्ट में संदर्भ में सरकार ने जिन व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है; उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार कब तक रिपोर्ट की जांच कर लेगी तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक वित्तपोषित कुछ कंपनियों में से लखनऊ-मुजफ्फरपुर नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (एलएमएनएचपी) द्वारा बरती गई कथित अनियमितताओं से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का पता लगाने के लिए महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव के नेतृत्व में गठित तथ्य अन्वेषण समिति ने मंत्रालय में जांच समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मंत्रालय में जांच समिति द्वारा अन्वेषण करने के पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से ठेकेदारों/पर्यवेक्षण/परामर्शदाताओं के साथ हुए करार के उपबंधों के अनुसार निष्कर्षों की जांच करने के लिए कहा गया था।

(ग) और (घ) जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अन्वेषण की कार्रवाई करने जा रहा था, इसी बीच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बिहार राज्य में विश्व बैंक वित्तपोषित लखनऊ-मुजफ्फरपुर नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (एलएमएनएचपी) के अधीन 3 ठेका पैकेजों (डब्ल्यूबी-09, डब्ल्यूबी-10 और डब्ल्यू-12) की जांच कर रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में अन्वेषण के लिए 2 प्रारंभिक जांच पंजीकृत की है।

जल विद्युत परियोजनाएं

1113. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इसका राज्य-वार कितना उत्पादन किया गया है; और

(ख) देश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने पर राज्य-वार अनुमानत: विद्युत का कितना उत्पादन होने की आशा है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 40,730.08 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 188 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) प्रचालनाधीन हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस समय, देश में कुल 14,211.33 मेगावाट की 48 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में वर्ष 2011-12 से 2014-15 (30.06.2014 तक) के दौरान राज्य-वार संस्थापित क्षमता, लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन (25 मेगावाट से अधिक)

राज्य	30.06.2014 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (एमयू)	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (30.06.2014 तक)*		
		कार्यक्रम (एमयू)	उपलब्धि (एमयू)	कार्यक्रम की तुलना में उपलब्धि का %	कार्यक्रम (एमयू)	उपलब्धि (एमयू)	कार्यक्रम की तुलना में उपलब्धि का %	कार्यक्रम (एमयू)	उपलब्धि (एमयू)	कार्यक्रम की तुलना में उपलब्धि का %	कार्यक्रम (एमयू)	उपलब्धि (एमयू)	कार्यक्रम की तुलना में उपलब्धि का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिमाचल प्रदेश	8370.68	24733.00	30466.90	123.18	29680.00	30082.86	101.36	30135.00	32816.66	108.90	9386.04	10063.45	107.22
जम्मू और कश्मीर	2669.00	11649.00	12279.07	105.41	12436.00	12485.81	100.40	12927.00	12426.79	96.13	4247.00	5029.90	118.43
राजस्थान	411.00	307.00	821.57	267.61	545.00	845.34	155.11	562.00	1059.98	188.61	20.00	14.90	74.50
पंजाब	1206.30	4745.00	5780.02	121.81	4852.00	5119.15	105.51	5062.00	4902.53	96.85	1117.00	1277.19	114.34
उत्तर प्रदेश	501.60	885.00	1403.67	158.61	885.00	1577.92	178.30	1006.00	1241.73	123.43	249.00	303.33	121.82
उत्तराखंड	3426.35	11155.00	13542.54	121.40	11845.00	12438.79	105.01	11905.00	11025.01	92.61	3002.50	2830.25	94.26
गुजरात	1990.00	3644.00	4958.95	136.09	3757.00	4578.31	121.86	3831.00	7106.29	185.49	421.00	704.22	167.27
मध्य प्रदेश	2395.00	5488.00	7736.09	140.96	5773.00	7227.71	125.20	6374.00	9215.93	144.59	773.00	1413.79	182.90
छत्तीसगढ़	120.00	175.00	314.11	179.49	250.00	301.51	120.60	250.00	251.51	100.60	30.00	25.14	83.80
महाराष्ट्र	2887.00	5338.00	6238.44	116.87	5379.00	5557.47	103.32	5388.00	6255.03	116.09	1659.00	1606.06	96.81
आंध्र प्रदेश	3783.35	7968.00	6371.05	79.96	8187.00	3456.75	42.22	6603.00	7277.10	110.21	703.00	791.86	112.64
कर्नाटक	3585.40	11222.00	14257.68	127.05	12205.00	10169.78	83.32	11606.00	12851.04	110.73	3644.00	3340.73	91.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केरल	1881.50	6593.00	7807.98	118.43	6909.00	4650.08	67.30	6589.00	7708.18	116.99	1819.00	1756.06	96.54
तमिलनाडु	2182.20	4695.00	5201.22	110.78	5061.00	2868.00	56.67	4656.00	4994.74	107.28	890.00	819.62	92.09
झारखंड	273.20	225.00	566.17	251.63	416.00	341.31	82.05	443.00	335.16	75.66	24.00	47.27	196.96
ओडिशा	2027.50	5183.00	4987.33	96.22	5497.00	4373.80	79.57	5650.00	6974.86	123.45	1375.00	1720.90	125.16
पश्चिम बंगाल	1109.00	1041.00	1077.89	103.54	1324.00	1138.12	85.96	1720.00	1395.56	81.14	377.00	572.08	151.75
सिक्किम	669.00	2857.00	2920.60	102.23	2844.00	2596.50	91.30	3378.00	2945.38	87.19	950.00	955.58	100.59
असम	375.00	1415.00	1631.79	115.32	1596.00	1267.50	79.42	1305.00	1395.36	106.92	261.00	85.41	32.72
अरुणाचल प्रदेश	405.00	1400.00	978.40	69.89	1300.00	1239.94	95.38	1250.00	980.94	78.48	288.00	261.96	90.96
मेघालय	282.00	642.00	415.71	64.75	629.00	609.89	96.96	896.00	802.20	89.53	187.00	175.00	93.58
नागालैंड	75.00	227.00	228.84	100.81	227.00	213.34	93.98	227.00	245.71	108.24	29.00	7.89	27.21
मणिपुर	105.00	448.00	523.50	116.85	448.00	580.41	129.56	500.00	639.84	127.97	69.00	43.16	62.55
अखिल भारत	40730.08	112035.00	130509.52	116.49	122045.00	113720.29	93.18	122263.00	134847.53	110.29	31520.54	33845.75	107.38

*अनंतिम।

विवरण-II

निष्पादनाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की राज्य-वार सूची (25 मेगावाट से अधिक)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावना
1	2	3	4	5	6
	जम्मू और कश्मीर				
1.	किशनगंगा 3×110=330 मेगावाट	यू-1 से यू-3	केंद्रीय/एनएचपीसी	330	2016-17
2.	बगलीहार-II 3×150=450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	राज्य/जेकेपीडीसी	450	2016-17
3.	रत्ले 4×205+1×30=850 मेगावाट	यू-1 से यू-5	निजी/रत्ले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा.लि.	850	2017-18
			उप-जोड़	1630	
	हिमाचल प्रदेश				
4.	पारबती स्टेज-II 4×200=800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय/एनएचपीसी	800	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
5.	कोल डैम 4×200=800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय/एनएचपीसी	800	2015-16
6.	रामपुर 6×68.67=412 मेगावाट	यू-3 व यू-6	केंद्रीय/एनएचपीसी	137.33	2014-15
7.	उहल-III 3×33.33=100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	राज्य/ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लि. (बीवीपीसी)	100	2016-17
8.	कशांग-I 1×65=65 मेगावाट	यू-1	राज्य-एचपीसीएल	65	2016-17
9.	कसांग-II व III 1×65+1×65=130 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य-एचपीसीएल	130	2016-17
10.	सैंज 2×50=100 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य-एचपीसीएल	100	2015-16
11.	स्वारा कुड्डु 3×37=111 मेगावाट	यू-1 से यू-3	राज्य-एचपीसीएल	111	2016-17

1	2	3	4	5	6
12.	शोंगटोंग करछम 3×150=450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	राज्य-एचपीपीसीएल	450	2017-18
13.	सोरांग 2×50=100 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी/हिमाचल सोरांग पावर	100	2015-16
14.	टंगनु रोमई-I 2×22=44 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी/टंगनु रोमई पावर जेनरेशन	44	2016-17
15.	बजोली होली 3×60=180 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी/जीएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा.लि.	180	2017-18
16.	चंजु-I 3×12=36 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी/आईए एनर्जी	36	2017-18
17.	टिडोंग-I 2×50=100 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी/मैसर्स नुजीवीडु सीड्स	100	2016-17
			उप-जोड़	3153.33	
	उत्तराखंड				
18.	तपोवन विष्णुगाड 4×130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय/एनटीपीसी	520	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
19.	टिहरी पीएसएस 4×250=1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय/टीएचडीसी	1000	2017-18
20.	लता तपोवन 3×57=171 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय/एनटीपीसी	171	2018-19
21.	विष्णुगाड पीपलकोटि 4×111=444 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय/टीएचडीसी	444	2018-19
22.	श्रीनगर 4×82.5=330 मेगावाट	यू-1 से यू-4	निजी/मैसर्स जीवीके इंडस्ट्रीज	330	2015-16
23.	फाटा ब्यूंग 76 मेगावाट		निजी/मैसर्स लैंको	76	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
24.	सिंगोली भटवारी 3×33=99 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी/एल एण्ड टी उत्तराखंड हाइड्रो पावर लिमिटेड	99	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
			उप-जोड़	2640	

1	2	3	4	5	6
	पंजाब				
25.	शाहपुरकंडी 3×33+3×33+1×18 = 206 मेगावाट	यू-1 से यू-7	राज्य/आईआरआर डिपार्टमेंट एंड पीएसपीसीएल	206	2017-18
			उप-जोड़	206	
	मध्य प्रदेश				
26.	महेश्वर 10×40=400 मेगावाट	यू-1 से यू-10	निजी/एसएमएचपीसीएल	400	2015-17
			उप-जोड़	400	
	महाराष्ट्र				
27.	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2×40=80 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य/डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार	80	2017-18
			उप-जोड़	80	
	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना				
28.	नागार्जुन सागर टीआर 2×25=50 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य/एपजैंको	50	2014-15
29.	लोअर जुराला 6×40=240 मेगावाट	यू-1 से यू-6	राज्य/एपजैंको	240	2014-16
30.	पुलिचिंताला 4×30=120 मेगावाट	यू-1 से यू-4	राज्य/एपजैंको	120	2015-17
			उप-जोड़	410	
	केरल				
31.	पल्लीबसल 2×30=60 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य/केएसईबी	60	2016-17
32.	थोट्टियार 1×30+1×10=40 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य/केएसईबी	40	2016-17
			उप-जोड़	100	

1	2	3	4	5	6
	पश्चिम बंगाल				
33.	तीस्ता लो डैम-IV 4×40=160 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय/एनएचपीसी	160	2015-16
	सिक्किम				
34.	तीस्ता-III 6×200=1200 मेगावाट	यू-1 से यू-6	निजी/तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड	1200	2014-16
35.	तीस्ता-IV 4×125=500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	निजी/लैंको	500	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
36.	रंगित-IV 3×40=120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी/जल पावर कॉर्पोरेशन लि.	120	2016-17
37.	जोरथांग लूप 2×48=96 मेगावाट		निजी/मैसर्स डैन्स एनर्जी	96	2014-15
38.	भास्मे 3×17=51 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी/गति इंफ्रास्ट्रक्चर	51	2016-17 (अगले वर्ष में जा सकती है)
39.	ताशिडिंग 2×48.5=97 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी/शीघा एनर्जी प्रा. लि.	97	2017-18
40.	डिक्चू 3×32=96 मेगावाट	यू-1 से यू-3	निजी/स्नेह काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	96	2017-18
41.	रंगित-II 2×33=66 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी/सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	66	2017-18
42.	रोंगनीचू 2×48=96 मेगावाट	यू-1 और यू-2	निजी/मध्य भारत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	96	2017-18
43.	पानन 4×75=300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	निजी/हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	300	2017-18
			उप-जोड़	2622	
	अरुणाचल प्रदेश				
44.	सुबानसिरी लोअर 8×250=2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	केंद्रीय/एनएचपीसी	2000	2016-18 (आगे जाने की संभावना है)

1	2	3	4	5	6
45.	कामेंग 4×150=600 मेगावाट	यू-1 से यू-4	केंद्रीय/नीपको	600	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
46.	पारे 2×55=110 मेगावाट	यू-1 और यू-2	केंद्रीय/नीपको	110	2016-17
			उप-जोड़	2710	
	मिज़ोरम				
47.	तुरियल 2×30=60 मेगावाट	यू-1 और यू-2	केंद्रीय/नीपको	60	2016-17
			उप-जोड़	60	
	मेघालय				
48.	न्यू उमतरू 2×20=40 मेगावाट	यू-1 और यू-2	राज्य/एमईपीजीसीएल	40	2015-16
			उप-जोड़	40	
			सकल योग	14211.33	

बांधों का रजिस्टर

1114. श्री सी.एन. जयदेवन : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुल्लापेरियार, थुनाकादाबु, परम्बीकुलम और पुरुवरीपुल्लम बांधों के वृहत बांधों संबंधी राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) में शामिल होने के विवाद की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) केरल में स्थित इन चारों बांधों का संचालन और अनुरक्षण तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जा रहा है। बड़े बांधों संबंधी राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) को तैयार करने के लिए प्रारंभ में तकनीकी ब्यौरे और मुख्य विशेषताएं तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई थीं और तद्नुसार उक्त चारों बांधों को तमिलनाडु राज्य के तहत सूचीबद्ध किया गया था। बाद में यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उक्त चारों बांध भौगोलिक दृष्टि से केरल राज्य में स्थित हैं, उन्हें केरल सूची के तहत लाया गया और बड़े बांधों संबंधी राष्ट्रीय रजिस्टर में बांधों की सूची, राज्य के क्षेत्र में उनकी स्थिति के अनुसार पुनः संकलित की गई। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की 31वीं बैठक के निर्णयों के अनुसार, एनआरएलडी में सूचीबद्ध "तमिलनाडु के तहत पेरियार बांध तमिलनाडु द्वारा नियंत्रित लेकिन केरल में स्थित हैं" की पूर्व पाद टिप्पणी संशोधित होकर "पेरियार (मुल्लापेरियार), पारम्बीकुलम, पेरूवरियाल्लम और थुनाकादाबू बांध केरल में स्थित है लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित और अनुरक्षित है।"

[हिन्दी]

वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं का पुनरीक्षण

1115. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं का पुनरीक्षण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है और उक्त अवधि के दौरान वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या क्या रही?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं के पुनरीक्षण के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों/निवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित किए गए कार्यबल ने सामाजिक सहायता/सुरक्षा से संबंधित विभिन्न तिमाहियों के प्राप्त सभी मुद्दों, मांगों और सुझावों पर विचार किया गया और मार्च, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कवरेज के स्कोप को बढ़ाने तथा पेंशन की मात्रा को बढ़ाने का सुझाव दिया गया। कार्यबल की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं।

(ङ) एनएसएपी के अंतर्गत योजनाएं वर्ष 2013-14 तक राज्य योजनाओं में थीं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सभी योजनाओं के लिए निधियां संयुक्त रूप से क्रमश: वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के रूप में रिलीज की गई। विगत 3 वर्षों के दौरान एनएसएपी की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रिलीज की गई राशि तथा सूचना के अनुसार वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजनाओं के पुनरीक्षण से संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव/निवेदन

राज्य का नाम	प्रस्ताव/निवेदन	प्राप्ति का वर्ष
तमिलनाडु	पेंशन राशि 1000/- रुपए प्रति माह तक बढ़ाना और कवरेज के स्कोप को बढ़ाना।	2014-15
मध्य प्रदेश	कवरेज के स्कोप को बढ़ाना तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सहायता की राशि को बढ़ाना।	2014-15
अरुणाचल प्रदेश	वृद्धावस्था पेंशन के वर्तमान प्रावधानों का पुनरीक्षण तथा पेंशन राशि को बढ़ाना।	2014-15
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	80 वर्ष की आयु से नीचे प्रति लाभार्थी 300/- रुपए वृद्धावस्था पेंशन होनी चाहिए।	2014-15
सिक्किम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के अंतर्गत कवरेज की स्कोप को बढ़ाना।	2014-15
नागालैंड	सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाना।	2014-15
पश्चिम बंगाल	पात्रता मानकों में छूट/बदलाव द्वारा कवरेज के स्कोप को बढ़ाना तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाना।	2014-15
मिज़ोरम	60-79 वर्ष के लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि को 500/- रुपए प्रतिमाह और 80 वर्ष तथा इससे ऊपर के लिए 1000/- रुपए प्रतिमाह बढ़ाना।	2013-14
नागालैंड	एनएसएपी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वव्यापी कवरेज	2013-14

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सूचित रिलीज की गई निधियों तथा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			2012-213			2013-14		
		कुल रिलीज (लाख रुपए में)	सूचित लाभार्थियों की संख्या		कुल रिलीज (लाख रुपए में)	सूचित लाभार्थियों की संख्या		कुल रिलीज (लाख रुपए में)	सूचित लाभार्थियों की संख्या	
			आईजीएन-ओएपीएस	आईजीएन-डब्ल्यूपीएस		आईजीएन-ओएपीएस	आईजीएन-डब्ल्यूपीएस		आईजीएन-ओएपीएस	आईजीएन-डब्ल्यूपीएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	40949.02	1386401	303945	67563.36	1856680	813609	62861.79	1792333	631706
2.	बिहार	97147.75	3525109	360242	101216.67	3819350	415532	141881.03	4169215	479325
3.	छत्तीसगढ़	23506.54	600957	116134	23072.95	662861	119391	31522.75	687003	133500
4.	गोवा	129.00	2136	एनआर	292.00	2136	एनआर	0.00	2136	एनआर
5.	गुजरात	8998.00	365087	1406	13246.21	402552	2500	13608.00	454563	6730
6.	हरियाणा	6929.82	131326	31202	7505.39	147191	45108	8316.67	147191	45108
7.	हिमाचल प्रदेश	2934.39	94220	8891	3098.36	84825	19068	3522.86	85707	19593
8.	जम्मू और कश्मीर	2372.00	126914	4517	2821.15	129000	4730	4173.95	एनआर	एनआर
9.	झारखंड	27728.08	732991	121311	18215.64	636213	123733	33618.19	547526	239134
10.	कर्नाटक	39782.87	933891	202186	45649.44	1239641	202186	40014.00	966595	465363
11.	केरल	8594.37	254397	34244	9164.00	289141	34244	16103.39	380051	831376
12.	मध्य प्रदेश	53973.36	1281512	354652	54351.43	1476300	364818	80137.90	1574443	432537
13.	महाराष्ट्र	20505.99	1071000	323000	43866.00	1200000	5000	0.00	1118000	30818
14.	ओडिशा	51086.43	1777083	1043 79	74305.32	1777083	194379	72925.64	1418631	528570
15.	पंजाब	4414.00	177040	14745	5783.11	166233	15663	5055.00	7964	835
16.	राजस्थान	25538.44	632860	99658	25513.08	696933	107550	34008.33	775457	118417
17.	तमिलनाडु	31909.00	1204245	335103	57350.39	1150537	777458	60936.74	1237809	649383
18.	उत्तर प्रदेश	131679.43	3799208	584781	111027.03	3844153	584781	164710.68	3854824	432287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	उत्तराखंड	7578.09	252827	11865	7904.87	251438	13203	10882.87	252930	13037
20.	पश्चिम बंगाल	47504.93	1883799	389432	78165.01	1310280	951717	89807.63	1310280	951717
	पूर्वोत्तर राज्य									
21.	अरुणाचल प्रदेश	504.12	504	1849	1138.98	31209	एनआर	792.00	एनआर	एनआर
22.	असम	11207.50	62155	44087	22504.42	750501	68270	16188.00	708771	63601
23.	मणिपुर	1893.93	12900	4675	1044.22	72514	एनआर	2519.18	68653	4664
24.	मेघालय	148649	18938	6749	1062.00	50997	7615	2175.20	48924	6837
25.	मिज़ोरम	792.78	5769	891	867.57	26359	891	839.09	25251	1925
26.	नागालैंड	1027.72	12292	1961	1048.52	47191	1961	1639.13	47191	3720
27.	सिक्किम	455.53	1023	326	236.00	18707	645	685.26	एनआर	एनआर
28.	त्रिपुरा	3978.37	31980	10605	4491.91	152550	7432	5713.78	152550	7432
	कुल	654607.95	20368563	3562836	782505.03	22292575	4881484	904639.06	21833998	6097615
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	198.00	एनआर	एनआर	174.00	1011	781	एनआर	777	एनआर
30.	चंडीगढ़	158.00	3784	2910	190.00	3744	2911	150.49	2792	2610
31.	दादरा और नगर हवेली	238.00	एनआर	एनआर	204.00	8891	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	दमन और दीव	32.00	एनआर	एनआर	33.00	1115	एनआर	एनआर	2194	1025
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3709.00	140791	58522	4455.00	386068	79834	5458.63	एनआर	एनआर
34.	लक्षद्वीप	22.00	एनआर	एनआर	21.00	738	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
35.	पुदुचेरी	682.00	23607	4199	873.00	23607	एनआर	997.68	एनआर	एनआर
	उप-योग	5039.00	168182	65631	5950.00	425174	83526	6606.8	5763	3635
	कुल योग	659646.95	20536745	3628467	788455.03	22717749	4965010	911245.86	21839761	6101250

एनआर : असूचित

नहरों एवं झीलों की सफाई

1116. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई योजना के अंतर्गत झीलों, तालाबों, बड़ी नहरों और सहायक नहरों की सफाई के लिए कोई देशव्यापी कार्य योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नहरों की सफाई हेतु एक वार्षिक कार्यक्रम आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सिंचाई विकास, राज्य का विषय होने के नाते सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) सहित लिफ्ट सिंचाई और लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सुकर बनाती है; नहरों की सफाई ईआरएम स्कीम का एक हिस्सा है।

जल संसाधन मंत्रालय की जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार स्कीम के तहत भी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनद्धार के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। XIIवीं योजना में 6,235 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 जल निकायों के आरआरआर की व्यवस्था की गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रदूषित और खराब दशा वाली झीलों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। एनएलसीपी के अंतर्गत विभिन्न संरक्षण कार्यकलापों में अपशिष्ट जल को रोकना, डायवर्ट करना और परिशोधन करना, आवाह क्षेत्र उपचार, तटरेखा अनुमान, अंत: झील उपचार, झील के अगले हिस्से का विकास आदि शामिल हैं। विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय ने स्कीम के अंतर्गत अब तक 14 राज्यों में 1041.96 करोड़ रुपए की लागत से 62 झीलों के संरक्षण की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

[अनुवाद]

जैव-ईंधन संयंत्रों की स्थापना

1117. **श्री बी. श्रीरामुलु :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में सब्जियों के अपशिष्ट एवं कचरे का उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास अप्रयुक्त जैव-अपशिष्ट एवं कचरे की मात्रा का कोई अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव देश में अप्रयुक्त जैव-अपशिष्ट प्रयोग करने हेतु जैव-ईंधन संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि हमारे देश में सब्जियों के अपशिष्ट एवं कचरे का प्रयोग आंशिक रूप से किया जाता है।

(ख) और (ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट पर आधारित, योजना आयोग द्वारा हाल ही में तैयार अपशिष्ट से ऊर्जा पर कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार देश के नगरीय क्षेत्र 1,33,760 टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट पैदा करते हैं जिनमें से केवल 91152 टीपीडी इकट्ठा हो पाता है और 25884 टीपीडी का शोधन किया जाता है। सब्जियों का अपशिष्ट नगरीय ठोस अपशिष्ट का 51% बताया गया है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि कचरे के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार का ऐसे संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योग

1118. **श्री जय प्रकाश नारायण यादव :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों में लगे हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे उद्योग बंद होने के कगार पर हैं और यदि हां तो, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों में लगे अल्पसंख्यक समुदाय के छोटे उद्यमियों को आसान ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां, हस्तशिल्प क्षेत्र एवं हथकरघा क्षेत्र को दर्शाता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) जहां तक हस्तशिल्प क्षेत्र का संबंध है सरकार को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हथकरघा क्षेत्र के संबंध में कई वर्षों से हथकरघा की संख्या में कमी आई है। 1995-96 की हथकरघा जनगणना के अनुसार देश में हथकरघा की कुल संख्या 34.87 लाख थी जो 2009-10 में घटकर 23.77 लाख रह गई। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इस कमी का प्रमुख कारण हथकरघा क्षेत्र द्वारा समग्र देश में कम उत्पादकता, पावर लूम एवं मिल क्षेत्र से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा, अपर्याप्त विपणन सुविधाओं/चैनलों के साथ-साथ संस्थागत स्रोतों से अपर्याप्त क्रेडिट फ्लो जैसी समस्याओं/चुनौतियों का सामना करना है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने हस्तशिल्प कारीगरों एवं हथकरघा बुनकरों को आसान ऋण सुविधा मुहैया राने के लिए निम्न दो स्कीमें आरंभ की हैं:—

(i) क्रेडिट गारंटी स्कीम

(ii) इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम

विवरण-I

1995-96 की जनगणना के अनुसार धर्म द्वारा वर्गीकृत राज्य-वार हस्तशिल्प कारीगर

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	कारीगरों की कुल संख्या	अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों की संख्या			
			मुस्लिम	सिख	ईसाई	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1,21,880	28410	2316	5558	1012
2.	अरुणाचल प्रदेश	15,735	3668	299	718	131
3.	असम	1,00,482	23422	1909	4582	834
4.	बिहार	2,13,115	49677	4049	9718	1769
5.	दिल्ली	44,904	10467	853	2048	373
6.	गोवा	1,122	262	21	51	9
7.	गुजरात	1,41,970	33093	2697	₹6474	1178
8.	हरियाणा	1,17,933	27490	2241	5378	979
9.	जम्मू और कश्मीर	5,42,119	126368	10300	24721	4500
10.	हिमाचल प्रदेश	49,015	11425	931	2235	407

1	2	3	4	5	6	7
11.	कर्नाटक	21,779	5077	414	993	181
12.	केरल	15,258	3557	290	696	127
13.	मध्य प्रदेश	51,123	11917	971	2331	424
14.	महाराष्ट्र	1,12,816	26297	2144	5144	936
15.	मणिपुर	3,79,988	88575	7220	17327	3154
16.	मेघालय	53,564	12486	1018	2443	445
17.	मिज़ोरम	5,260	1226	100	240	44
18.	नागालैंड	79,878	18620	1518	3642	663
19.	ओडिशा	69,356	16167	1318	3163	576
20.	पंजाब	1,01,907	23755	1936	4647	846
21.	राजस्थान	4,07,700	95035	7746	18591	3384
22.	सिक्किम	9,768	2277	186	445	81
23.	तमिलनाडु	1,25,342	29217	2381	5716	1040
24.	त्रिपुरा	2,44,495	56992	4645	11149	2029
25.	उत्तर प्रदेश	1,176,529	274249	22354	53650	9765
26.	पश्चिम बंगाल	5,54,281	129203	10531	25275	4601
	संघ शासित राज्य		0	0	0	0
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,090	254	21	50	9
28.	चंडीगढ़	430	100	8	20	4
29.	दादरा और नगर हवेली	111	26	2	5	1
30.	दमन और दीव	278	65	5	13	2
31.	लक्षद्वीप	126	29	2	6	1
32.	पुदुचेरी	1,832	427	35	84	15
	सम्पूर्ण भारत	4,761,186	1109832	90463	217110	39518

विवरण-II

वर्ष 2009-10 की हथकरघा जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों के राज्य-वार हथकरघा कारीगर-घर

क्र.सं.	राज्य का नाम	घरों की संख्या
1.	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9,297
2.	अरुणाचल प्रदेश	15,490
3.	असम	1,09,303
4.	बिहार	14,039
5.	छत्तीसगढ़	8
6.	दिल्ली	874
7.	गुजरात	438
8.	हरियाणा	3,374
9.	हिमाचल प्रदेश	148
10.	जम्मू और कश्मीर	14,358
11.	झारखंड	12,809
12.	कर्नाटक	2,840
13.	केरल	1,077
14.	मध्य प्रदेश	4,525
15.	महाराष्ट्र	527
16.	मणिपुर	55,103
17.	मेघालय	476
18.	मिज़ोरम	39,442
19.	नागालैंड	60,157
20.	ओडिशा	960
21.	पुदुचेरी	17
22.	पंजाब	1,060
23.	राजस्थान	4,703
24.	सिक्किम	324
25.	तमिलनाडु	5,117
26.	त्रिपुरा	17,164
27.	उत्तर प्रदेश	94,516
28.	उत्तराखंड	5,219
29.	पश्चिम बंगाल	1,49,415
	कुल	6,22,780

विवरण-III

हथकरघों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	1995-96 की जनगणना के अनुसार हथकरघों की संख्या	2009-10 की जनगणना के अनुसार हथकरघों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2,02,100	1,24,714
2.	अरुणाचल प्रदेश	39,592	27,286
3.	असम	13,22,056	11,11,577
4.	बिहार	46,220	14,973
5.	छत्तीसगढ़	डाटा उपलब्ध नहीं है	2,471
6.	दिल्ली	7,027	2,560
7.	गोवा	43	0
8.	गुजरात	20,550	3,900
9.	हरियाणा	22,718	4,876
10.	हिमाचल प्रदेश	47,631	5,578

1	2	3	4
11.	जम्मू और कश्मीर	18,154	7,301
12.	झारखंड	डाटा उपलब्ध नहीं है	2,128
13.	कर्नाटक	70,875	40,488
14.	केरल	49,508	13,097
15.	मध्य प्रदेश	22,536	3,604
16.	महाराष्ट्र	39,900	4,511
17.	मणिपुर	2,81,496	1,90,634
18.	मेघालय	डाटा उपलब्ध नहीं है	8,967
19.	मिज़ोरम	डाटा उपलब्ध नहीं है	24,136
20.	नागालैंड	87,878	47,688
21.	ओडिशा	92,869	43,652
22.	पुदुचेरी	3,106	1,771
23.	पंजाब	6,556	261
24.	राजस्थान	34,343	5,403
25.	सिक्किम	डाटा उपलब्ध नहीं है	345
26.	तमिलनाडु	4,13,174	1,54,509
27.	त्रिपुरा	1,17,792	1,39,011
28.	उत्तर प्रदेश	1,89,570	80,295
29.	उत्तराखंड	डाटा उपलब्ध नहीं है	3,766
30.	पश्चिम बंगाल	3,50,654	3,07,829
	कुल	34,86,308	23,77,331

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों को अनुदान/छात्रवृत्ति

1119. श्री जोस के. मणि : क्या **अल्पसंख्यक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुदान/छात्रवृत्ति में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शैक्षिक वर्ष से फैलोशिप स्वयं वितरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाओं के तहत अनुदान/छात्रवृत्ति कम करने का कोई निर्णय नहीं है:—

(i) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(ii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति।

(iii) मौलाना आजाद अध्येतावृत्ति; और

(iv) मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना।

(ख) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति पहले ही 2009-10 से क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत

1120. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को प्रचुर मात्रा में जल प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल विद्युत को समयबद्ध सीमा में पूर्णतया विकसित करके हमारे देश में जल की प्रचुर मात्रा विद्युत की कमी को खत्म कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या जल विद्युत एक नवीकरणीय प्रदूषण रहित और एक पर्यावरण-हितैषी ऊर्जा का स्रोत है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जल क्षमता के समयबद्ध विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि लोकों के लाभ एवं देश के विकास के लिए इसका समुचित प्रयोग सुनिश्चित हो सके?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ग) 1978-87 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए देश की जल विद्युत क्षमता के पुनः मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार, संस्थापित क्षमता (आईसी) के संबंध में जल विद्युत क्षमता का अनुमान 1,48,701 मेगावाट लगाया गया है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट की क्षमता में 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं। उपरोक्त चिन्हित क्षमता में से 35,944.5 मेगावाट जल विद्युत क्षमता प्रचालनाधीन है, 13,131.3 मेगावाट जल विद्युत क्षमता निर्माणाधीन है और 63,432 मेगावाट जल विद्युत क्षमता विकास के अन्य विभिन्न चरणों में है। जल विद्युत क्षमता और उसके विकास का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

संभावना है कि देश की कुल जल विद्युत क्षमता का दोहन 17वीं योजना के अंत तक किया जा सकता है जिससे देश में काफी सीमा तक ऊर्जा भी कमी पूरी होगी।

(घ) और (ङ) जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय, बिना प्रदूषण वाला और पर्यावरण हितैषी स्रोत है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से, केवल यही एक नवीकरणीय स्रोत है जिसे दीर्घकाल में किफायती माना गया है और व्यस्ततम विद्युत, लम्बे जीवनकाल, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होता है और उनके प्रचालन के दौरान कोई ईंधन लागत नहीं होने के कारण दीर्घकाल में लागत प्रभावी होता है, जैसे निहित लाभों के कारण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है।

देश के लोगों के लाभों एवं प्रगति के लिए इसका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु जल विद्युत क्षमता के समयबद्ध विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:—

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति

इस नीति में देश में व्यवहार्य जल विद्युत क्षमता के पूर्ण विकास पर अधिक से अधिक बल दिया गया है जिससे राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर का आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। चूंकि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तुलनात्मक रूप से व्यापक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है इसलिए लम्बी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सिफारिश की गई है। राज्य सरकारों को जल विद्युत परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण एवं अन्य अनुमोदनों/स्वीकृतियों के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करने की सलाह दी गई है। एनएचपीसी, नीपको, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी आदि जैसे सीपीएसयू की सेवाओं की पेशकेश करके जल विद्युत विकास के लिए केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग दिया गया है।

(ii) जल विद्युत नीति-2008: मुख्य विशेषताएं (बाद के परिवर्तनों सहित)

जल विद्युत नीति, 2008 दिनांक 31.03.2008 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:—

- लागत आधिक्य प्रशुल्क व्यवस्था (जिसमें प्रशुल्क का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अंतर्गत विनियामक द्वारा किया जाना है) को दिसंबर, 2015 तक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

- निजी विकासकर्त्ताओं को स्थल सौंपने के लिए पारदर्शी चयन मानदंड।

- अधिकतम 4% विक्रेय ऊर्जा तक व्यावसायिक विक्रेय के माध्यम से उनकी अतिरिक्त लागतों की वसूली हेतु विकासकर्त्ता को सक्षम बनाया गया है। प्रत्येक 6 माह के विलम्ब के लिए 5% की कमी—शेष दीर्घावधि विद्युत क्रय करार।

- सीओडी से 10 वर्षों के लिए, विकासकर्त्ता नकद अथवा अन्य तरीके से या दोनों के संयोजन द्वारा प्रभावित प्रत्येक पीएएफ को प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली देगा।

- परियोजना विकासकर्त्ता आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र के परिसर में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन में सहायता करता है और राज्य सरकार के 10% हिस्से का योगदान देता है।

- स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए परियोजना से अतिरिक्त 1% निःशुल्क विद्युत-कल्याणकारी स्कीमों के लिए नियमित राजस्व स्ट्रीम, अतिरिक्त अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का सृजन।

- राज्य सरकारों से 12% निःशुल्क विद्युत के उनके हिस्से से 1% का योगदान देने की भी आशा की जाती है।

(ii) निगरानी तंत्र/अन्य उपाय

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(एफ) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निगरानी नियमित स्थल दौरों, विकासकर्त्ताओं के साथ बातचीत और मासिक प्रगति रिपोर्टों के महत्वपूर्ण अध्ययन के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण महत्वपूर्ण मामलों के समाधान हेतु विकासकर्त्ताओं तथा अन्य पणधारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है।

- जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति के स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन एवं निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।

- महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर उत्पादकों, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्त्ताओं के साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है।

- मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में नियमित आधार पर समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है।

- जल विद्युत परियोजनाओं के विकास से संबंधित सभी मामलों को तेज करने के लिए विशेष रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय, सड़क मार्ग संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय आदि के साथ अन्तर्मंत्रालयी परामर्श।

(iv) राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीतियां:

राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 परिसम्पत्तिविहीन ग्रामीण गरीबों को सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता को पूरा करती है। संसाधन की दृष्टि से कमजोर वर्गों अर्थात् छोटे और सीमांत किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाएं, जिन्हें विस्थापित किया गया है, के पुनर्स्थापन प्रयासों की सहायता देती है। इसके अतिरिक्त, इसमें लागतों से संबंधित निश्चितता और विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान देने की दृष्टि से परियोजना की समयबद्ध पूर्णता को सक्षम बनाने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास हेतु प्रशासन के बीच प्रभावी बातचीत के लिए एक व्यापक कैनवेस उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गई है। नीति में प्रस्तावित पुनर्वास अनुदान और अन्य धन संबंधी लाभ न्यूनतम हैं और सभी परियोजना प्रभावित परिवारों को लागू होते हैं। वे राज्य जहां आर एंड आर पैकेज नीति में किए गए प्रस्तावित से अधिक है, अपना स्वयं का पैकेज अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नीति के उद्देश्य विस्थापन को कम करना, आदिवासियों और कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं सहित पीएएफ की आर एंड आर की योजना बनाना, पीएएफ को बेहतर जीवनस्तर उपलब्ध करवाना और आपसी सहयोग के माध्यम से अपेक्षित निकाय तथा पीएएफ के बीच शांतिपूर्ण संबंध को सुगम बनाना है। सरकार द्वारा एक नया मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 पारित किया गया है जिसमें भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में स्थानीय लोगों की अधिक भागीदारी होगी।

विवरण

जल विद्युत संभाव्यता के विकास की स्थिति
(25 मेगावाट में अधिक संस्थापित क्षमता के संबंध में)

30.06.2014 की स्थिति के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार चिन्हित क्षमता		प्रचालनाधीन क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		प्रचालनाधीन क्षमता + निर्माणाधीन क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता जो अभी शुरू की जानी है	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से अधिक (मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)
उत्तरी										
जम्मू और कश्मीर	14146	13543	2669.0	19.71	1630.0	12.04	4299.0	31.74	9244.0	68.26
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	8370.7	45.15	3153.3	17.01	11524.0	62.16	7016.0	37.84
पंजाब	971	971	1206.3	100	206.0	21.22	1412.3	100.00	0.0	0.00
हरियाणा	64	64	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00	64.0	100.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00	411.0	85.09	72.0	14.91
उत्तराखंड	18175	17998	3426.4	19.04	1640.0	9.11	5066.4	28.15	12931.7	71.85
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00	501.6	75.54	162.4	24.46
उप-जोड़ (एनआर)	53395	52263	16584.9	31.73	6629.3	12.68	23214.3	44.42	29048.7	55.58
पश्चिमी										
मध्य प्रदेश	2243	1970	2395.0	100	400.0	20.30	2795.0	100.00	0.0	0.00
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00	120.0	5.45	2082.0	94.55
गुजरात*	619	590	550.0	100	0.0	0.00	550.0	100.00	0.0	0.00
महाराष्ट्र	3769	3314	2487.0	75.05	0.0	0.00	2487.0	75.05	827.0	24.95
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.0	100.00
उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92	5952.0	73.20	2179.0	26.80
दक्षिणी										
आंध्र प्रदेश	1981	1956	1286.8	65.78	50.0	2.56	1336.8	68.34	619.3	31.66

तेलंगाना	2443	2404	891.0	37.06	360.0	14.98	1251.0	52.04	1153.0	47.96
कर्नाटक	6602	6459	3585.4	55.51	0.0	0.00	3585.4	55.51	2873.6	44.49
केरल	3514	3378	1881.5	55.70	100.0	2.96	1981.5	58.66	1396.5	41.34
तमिलनाडु	1918	1693	1782.2	100	0.0	0.00	1782.2	100.00	0.0	0.00
उप-जोड़ (एसआर)	16458	15890	9426.9	59.33	510.0	3.21	9936.9	62.54	5953.2	37.46
पूर्वी										
झारखंड	753	582	170.0	29.21	0.0	0.00	170.0	29.21	412.0	70.79
बिहार	70	40	0.0		0.0	0.00	0.0		40.0	100.00
ओडिशा	2999	2981	2027.5	68.01	0.0	0.00	2027.5	68.01	953.5	31.99
पश्चिम बंगाल	2841	2829	272.2	9.62	160.0	5.66	432.2	15.28	2396.8	84.72
सिक्किम	4286	4248	669.0	15.75	2622.0	61.72	3291.0	77.47	957.0	22.53
उप-जोड़ (ईआर)	10949	10680	3138.7	29.39	2782.0	26.05	5920.7	55.44	4759.3	44.56
पूर्वोत्तर										
मेघालय	2394	2298	282.0	12.27	40.0	1.74	322.0	14.01	1976.0	85.99
त्रिपुरा	15	0	0.0		0.0		0.0		0.0	
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00	105.0	5.96	1656.0	94.04
असम	680	650	375.0	57.69	0.0	0.00	375.0	57.69	275.0	42.31
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00	75.0	5.17	1377.0	94.83
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	405.0	0.81	2710.0	5.41	3115.0	6.22	46949.0	93.78
मिज़ोरम	2196	2131	0.0	0.00	60.0	2.82	60.0	2.82	2071.0	97.18
उप-जोड़ (एनईआर	58971	58356	1242.0	2.13	2810.0	4.82	4052.0	6.94	54304.0	93.06
अखिल भारत	148701	145320	35944.5	24.73	13131.3	9.04	49075.8	33.77	96244.2	66.23

टिप्पणी:—

1. पम्पड स्टोरेज स्कीमें शामिल नहीं हैं।
2. कुछ राज्यों में विकसित क्षमता का जोड़ आंकी गई संभाव्यता से भिन्न है। यह स्कीमों की क्षमता में बदलाव, स्कीमों में बढ़त/स्कीमों को समाप्त करने और दो स्कीमों को मिलाकर एक स्कीम बनाने इत्यादि कारणों से है।

*दो स्कीमों अर्थात् उकई बांध और सरदार सरोवर को 590 मेगावाट की संस्थापित क्षमता हेतु चिन्हित किया गया है। तथापि, वास्तविक के अनुसार इसकी संस्थापित क्षमता 550 मेगावाट है।

3. इसके अतिरिक्त 9 पीएसएस (4785.6 मेगावाट) प्रचालनाधीन हैं और 2 पीएसएस (1080 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।

[हिन्दी]

मालभाड़ा यातायात में अनियमितताएं

1121. डॉ. वीरेन्द्र कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पिछले अनेक वर्षों के दौरान मालभाड़ा यातायात से होने वाली आय में भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यातायात मालभाड़े से अनुमानित आय तथा वास्तविक आय कितनी रही;

(ग) क्या यातायात मालभाड़े में कथित अनियमितताओं के अनेक दृष्टान्त रेलवे के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है तथा इन पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रेलवे द्वारा ऐसी अनियमितताओं के दृष्टान्तों की पुनरावृत्ति को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में माल यातायात से आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बजट अनुमान (ब.अ.)	62489	68620	89339	93554	105770
संशोधित अनुमान (सं.अ.)	62489	68620	85956	94000	
वास्तविक*	62845	69548	85263	93906	
कमी-वेशी वास्तविक-ब.अ.	355	928	-4076	352	
कमी-वेशी वास्तविक सं.अ.	355	928	-693	-94	

*2013-14 के वास्तविक आंकड़े अनंतिम है।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 को छोड़कर माल यातायात से आमदनी लक्ष्यों से अधिक रही है। 2012-13 और 2013-14 के दौरान माल यातायात से आमदनी में कमी मुख्यतः अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर में धीमी गति के साथ-साथ कर्नाटक और ओडिशा में खनन संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध के बाद लौह अयस्क में ऋणात्मक वृद्धि और निर्यात की मात्रा में गिरावट, अपेक्षाकृत कम मांग के कारण 2012-13/2013-14 में सीमेंट में ऋणात्मक/धीमी वृद्धि, 2012-13/2013-14 में उर्वरक के क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि और कम मांग के कारण 2013-14 में कोयला क्षेत्र में धीमी वृद्धि के कारण हुई।

(ग) और (घ) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, रेलवे द्वारा लौह अयस्क परेषितियों/परेषकों की ओर से माल यातायात (भ्रामक घोषणा) में अनियमितताओं के मामले पाए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा यह मामला जांच हेतु केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीवीआई) को सौंप दिया गया है।

ऐसी 18 कंपनियां/समूह हैं जिन्हें लौह अयस्क परिवहन के क्षेत्र में माल यातायात (भ्रामक घोषणा) में अनियमितताओं के लिए मांग-एवं-कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

(ङ) दोषी फर्मों द्वारा भ्रामक घोषणा के मामलों में कार्रवाई करने के लिए मौजूदा प्रावधान पर्याप्त समझे जाते हैं। रेल प्रशासन ने अपना नियंत्रण, निगरानी और जांच तंत्र उत्तरोत्तर सुदृढ़ किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग

1122. प्रो. के.वी. थॉमस
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :
श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन सहित राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (एनडब्ल्यू-3) के कोल्लम-कोट्टापुरम खंड सहित राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास/रखरखाव का कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कार्य की प्रगति में हो रही देरी के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-5 सहित इन राज्यों में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इस प्रयोजनार्थ अनुमानित लागत कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) केवल उन जलमार्गों का विकास और विनियमन संघ सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया गया है। अन्य जलमार्गों के विकास का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। निम्नलिखित पांच जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जा चुका है:—

I. 1986 में एनडब्ल्यू-1 के रूप में घोषित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया-1620 कि.मी.)

II. 1968 में एनडब्ल्यू-2 के रूप में घोषित असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 किमी.)

III. 1993 में एनडब्ल्यू-3 के रूप में घोषित केरल राज्य में उद्योग मंडल और चम्पाकारा नहरों के साथ-साथ पश्चिम तट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम-205 किमी.)

IV. 2008 में एनडब्ल्यू-4 के रूप में घोषित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और पुडुचेरी संघ-राज्यक्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ-साथ काकीनाडा-पुदुचेरी नहरें (1078 किमी.)

V. 2008 में एनडब्ल्यू-5 के रूप में घोषित पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदियों सहित समेकित पूर्वी तट नहर (588 किमी.)।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय जलमार्ग-3 को फरवरी, 1993 में घोषित किया गया था। मैसर्स राइट्स द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, संकरे खंडों में 32 मी. तल चौड़ाई से युक्त और अपेक्षाकृत चौड़े खंडों में 2.2 मी. गहराई के साथ 38 मीटर तल चौड़ाई से युक्त नौगम्य जलमार्ग का विकास करने के लिए लगभग 87 किमी. की लंबाई पर 40.33 लाख घन मीटर तक की कैपिटल ड्रैजिंग की जानी होगी। आज की स्थिति तक लगभग 7.95 किमी. की लंबाई पर लगभग 5.16 लाख घन मीटर ड्रैजिंग की जानी है जिसके लिए काम चल रहा है। राज्य प्राधिकरणों द्वारा निकर्षित गाद के लिए उचित निपटान स्थलों के उपलब्ध नहीं होने, स्थानीय लोगों द्वारा ड्रैजिंग किए जाने और निकर्षित सामग्री के निपटान की प्रक्रिया में उनके आंदोलन के कारण कार्य की प्रगति गंभीर रूप से प्रभावित हुई।

(घ) और (ङ) किसी राज्य सरकार से किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदियों के साथ एकीकृत पूर्वी तट कनाल (588 कि.मी.) को नवंबर, 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के रूप में घोषित किया गया था। उपर्युक्त जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के रूप में घोषित किए जाने के पश्चात् नौवहन तथा नौचालन के लिए इसका विकास किए जाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। योजना आयोग ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत इस जलमार्ग के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खंडों को विकसित किए जाने की संभावनाओं को तलाशने की सलाह दी। तद्नुसार भागीदारों से बैठक करने के बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने चुने हुए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खंडों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किए जाने की संभावनाओं को तलाशा। तथापि, इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। अतः इस जलमार्ग को चरणबद्ध तरीके से बजटीय सहायता के साथ विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भा.अं.ज.प्रा. द्वारा चरणबद्ध रूप से 332 किमी. के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खंड के विकास के लिए 30 जून 2014 को ओडिशा सरकार, पारादीप पत्तन और धमरा पोर्ट कंपनी लि. के साथ एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए।

रेल परियोजनाएं

1123. श्री अभिजित मुखर्जी :
श्री सुवेन्दू अधिकारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा शुरू की गई विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर कार्य समय-सीमा के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के जलिंघम, नंदीग्राम और पूर्वी मिदनापुर में रेल परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं की प्रत्येक की वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके परियोजना-वार क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान परियोजना-वार आवंटित तथा खर्च किए गए धन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपनी उत्पादकता, दक्षता तथा यात्री सुविधा आदि में सुधार करने के लिए रेलवे द्वारा अपनी परिचालन लागत को कम करने और रेलवे अवसंरचना के उन्नयन/विकास के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ग) रेलवे के पास चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफार्वड है और धन की सीमित उपलब्धता है। इसलिए, नियमित आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए पर्याप्त धन, जो समय-सीमा निर्धारित करने के लिए पूर्वापेक्षित है, मुहैया कराना संभव नहीं है। परियोजनाएं क्षेत्र-वार/राज्य-वार स्वीकृत नहीं की जाती हैं।

(घ) रेलवे द्वारा आमदनी में वृद्धि करने और व्यय नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय, जो अन्य बातों के साथ-साथ परिचालनिक अनुपात को भी कम करेंगे, किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रेलवे द्वारा आमदनी में वृद्धि करने और व्यय को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

(एक) आय वृद्धि करने के लिए रेलवे के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायः

- अधिक से अधिक यातायात आकर्षित के लिए निरंतर प्रयास।
- अतिरिक्त क्षमता का सृजन और मौजूदा क्षमता का इष्टतम उपयोग।
- संवर्धित उत्पादकता और कार्यकुशलता के माध्यम से बेहतर थ्रू-पुट।
- मालडिब्बा की फेरों में कमी करना।
- दर-सूची का सरलीकरण और उसे युक्तिसंगत बनाना।
- बाजार संवेदी तथा परिवर्तनशील दर-सूची नीति।
- ग्राहक उन्मुख माल-भाड़ा नीतियां।
- इंजन ऑन लोड योजना की शुरुआत करना।
- टर्मिनल प्रोत्साहन योजनाएं।
- एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में और कम व्यस्त अवधि में वर्तमान यातायात पर छूट।
- और अधिक यात्री यातायात आकर्षित करने के लिए नई गाड़ियां चलाना, मौजूदा गाड़ियों में फेरों में वृद्धि करना।
- अधिकाधिक स्थानों पर यात्री आरक्षण प्रणाली और अनारक्षित टिकट प्रणाली सुविधाओं का विस्तार करना।
- यात्री प्रोफाइल प्रबंधन प्रणाली शुरू करना।
- लोकप्रिय गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाना।
- प्रीमियम पार्सल सेवा शुरू करना।
- गाड़ियों में पार्सल स्थान को पट्टे पर देना।
- उदारीकरण वैगन निवेश योजनाएं शुरू करना।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रेल साइड वेयरहाउसिंग टर्मिनल।

(दो) अति व्यय को रोकने के लिए उठाए गए कदमः—

- निरर्थक व्यय में बचने के लिए रेलवे की ओर से लगातार प्रयास करना।
- गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि नियंत्रित करना।
- उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय की प्राथमिकता निर्धारित करना।
- बेहतर जन-शक्ति योजना द्वारा कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करना।
- बेहतर ढंग से परिसंपत्ति का उपयोग।
- वस्तु-सूची प्रबंधन में सुधार करना।
- ईंधन खपत का इष्टतम उपयोग।
- संविदागत भुगतानों, समयोपरि भत्तों, सामग्री की खरीद आदि जैसे क्षेत्रों में होने वाले व्यय पर सख्त नियंत्रण।

- आतिथ्य सत्कार, प्रचार, विज्ञापन, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, आकस्मिक कार्यालय खर्च आदि जैसे क्षेत्र में मितव्ययिता के उपाय।
- रेलवे पर भी वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्रित किए गए व्यय नियंत्रण एवं प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन।
- मासिक बजट अनुपात के संदर्भ में व्यय की कड़ाई से निगरानी।

ठहराव स्टेशन

1124. **श्री के.सी. वेणुगोपाल :**
श्रीमती रक्षाताई खाडसे :
श्री राजन विचारे :
श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया :
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए ठहराव स्टेशनों को खोलने के लिए रेलवे द्वारा क्या दिशा-निर्देश/मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में ठहराव स्टेशन खोलने के लिए रेलवे को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत/कार्यान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या केरल में चलने वाली ट्रेनों के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे ने ठहरावों को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था करने संबंधी नीति संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि उस स्टेशन पर टिकटों की बिक्री की न्यूनतम संख्या 500 किमी. की दूरी के लिए शयनयान श्रेणी में प्रतिदिन प्रति गाड़ी 40 या उससे अधिक अथवा एसी, जनरल जैसी यात्रियों की मिश्रित श्रेणी के लिए लागत के हिसाब से इसके समतुल्य और गाड़ी के गंतव्य/आरंभिक स्टेशनों तक/से (100 किमी. के गुणांक) होना चाहिए ताकि ठहराव की लागत वसूली जा सके (जो कर्षण, संरचना और अन्य कारकों के आधार पर 4376/- रुपए से 5396/- रुपए तक हो सकती है) ठहराव की लागत 2005-06 की कीमतों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस नीति में जनसंख्या, महत्व, उस स्टेशन पर और उसके आसपास होने वाले नए बदलावों, उस गाड़ी, जिसके ठहराव की मांग की गई है, की प्रकृति और अधिभोगिता, परिचालनिक तंगियों और ठहराव किए जाने से उस खंड की लाइन क्षमता और गाड़ियों के समय पालन पर प्रभाव, संदर्भाधीन स्टेशन से उस गाड़ी के गुजरने का समय और वैकल्पिक गाड़ी सेवाओं की उपलब्धता और उनकी अधिभोगिता आदि जैसे अतिरिक्त मानदंडों का प्रावधान भी किया गया है। परिचालनिक और इंजीनियरी आधार पर वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम और व्यावहारिक पाए जाने पर जनता की मांग पर हाल्ट स्टेशन खोले जाते हैं। यात्री सुविधा आधार पर भी हाल्ट स्टेशन खोले जाने के बारे में विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था करने और हाल्ट स्टेशन खोलने के संबंध में रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अनुरोध प्राप्त होते हैं जिनका संग्रह नहीं रखा जाता। इनकी जांच की जाती है और यथा व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर नीति संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों की परिधि में कार्यवाही की जाती है। बहरहाल, ठहराव की आवश्यकता और गाड़ी परिचालन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्धारित अवधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर ठहरावों की व्यवस्था की जाती है।

(घ) और (ङ) भारतीय रेल पर प्रयोगात्मक ठहरावों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और 30 सितम्बर, 2014 तक केरल राज्य सहित भारतीय रेल पर प्रयोगात्मक आधार पर मुहैया कराए गए सभी ठहरावों को जारी रखने का विनिश्चय किया गया है।

दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

1125. **श्री सुवेन्दू अधिकारी :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री बी.वी. नाईक :
श्री सी.एस. पुट्टा राजू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छपरा के पास हाल ही में नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना में घायलों और मरने वाले लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) 25.06.2014 को बिहार में छपरा के समीप नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का हाल ही में पटरी से उतरने की दुर्घटना में 4 यात्रियों की मृत्यु हुई, 6 यात्रियों को गंभीर चोटें आई और 17 यात्रियों को मामूली चोटें आई।

(ख) से (घ) 25.06.2014 को 02.12 बजे पूर्व मध्य रेलवे के सोनापुर मंडल के छपरा-सोनपुर खंड पर छपरा काचेरी और गोल्डेनगंज के बीच 12236 डाउन नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की सांविधिक जांच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस), पूर्वोत्तर सर्कल द्वारा की जा रही है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। बहरहाल, गाड़ियों के पटरी से उतरने को रोकने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं: (1) पूर्वबलित कंक्रीट (पीएसी) स्लीपरों वाले रेलपथ अवसंरचना का उन्नयन, कंक्रीट स्लीपरों पर 50 किग्रा./60 किग्रा. के उच्च क्षमता वाली (90 किग्रा./मिमी. 2 आधारभूत तनन क्षमता वाली) पटरियां, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेप्ड लेआउट, अधिकांश मार्गों पर गर्डर वाले पुलों पर इस्पात चैनल वाले स्लीपर अपनाए गए हैं। (2) सभी बड़े आमान मार्गों पर, विशेषतौर पर उच्च घनत्व वाले मार्गों पर, 60 किग्रा. वाली पटरियां तथा पीएससी स्लीपरों सहित रेलपथ अवसंरचना का मानकीकरण किया जा रहा है ताकि उच्च धुरा-भार यातायात से होने वाली पटरियों की टूट-फूट को कम किया जा सके। (3) केवल पीएससी स्लीपरों का नया निर्माण और बदलाव किया जाता है। (4) झलाईयुक्त जोड़ों की संख्या को कम करने के लिए इस्पात संयंत्रों में 260मी./130 मी. लंबाई की लंबी रेल पटरी पैनलों का निर्माण किया जा रहा है। (5) पटरियों पर थर्मिट झलाईयुक्त जोड़ों में कमी, पटरियों के दोषों का पता लगाने के लिए एसपीयूआरटी कारों का उपयोग। (6) सभी पटरियों और झलाइयों का निर्धारित अवधि के अनुसार अल्ट्रासोनिक परीक्षण किया जाता है। (7) फ्लैश बट झलाई, जो एल्यूमिनो थर्मिक (एटी) झलाई पटरियों की अपेक्षा बेहतर गुणवत्ता वाली होती हैं, की उत्तरोत्तर शिफ्ट किया जा रहा है। (8) आधुनिक रेलपथ अनुरक्षण मशीनें यथा टाई टैपिंग, गिट्टी सफाई मशीनें, ट्रैक रिकार्डिंग कारों, डिजीटल अल्ट्रासोनिक फ्ला डिडेक्टरों, सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रॉसोनिक पटरी परीक्षण कारों आदि का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है। (9) दो रेल ग्राइंडिंग मशीनें खरीदी जा रही हैं। पटरी की आयु और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए रेल ग्राइंडिंग और रेल लुब्रिकेशन को हाल ही में शुरू किया गया है। (10) दोषों का पता लगाने और योजनागत अनुरक्षण के लिए ट्रैक ज्योमेट्री की इलैक्ट्रॉनिक निगरानी की जा रही है। (11) पुलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए आधुनिक पुल निरीक्षण तकनीकियां। (12) पहिया प्रभाव भार डिटेक्टर (डब्ल्यूआईएलडी) को शुरू करना। (13) रात्रि गश्त और धुंध के मौसम के दौरान सघन गश्त लगने सहित संवेदनशील स्थानों पर रेल पटरियों की नियमित गश्त लगाना। (14) दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए, सेंटर बफर कपलर सहित और एंटी क्लाइम्बिंग विशेषताओं वाले एलएचबी सवारी डिब्बों को भारतीय रेलवे के कोचिंग भंडार के बेड़े में शामिल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मध्य रेल मंडल में एक्सप्रेस ट्रेनें

1126. श्रीमती रक्षाताई खाडसे :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर भुसावल के रास्ते मुंबई-नई दिल्ली के मध्य गरीब रथ और राजधानी जैसी नई ट्रेनों का कोई प्रस्ताव रेलवे द्वारा स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को शुरू करने में कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ग) जी, नहीं फिलहाल, मुंबई और नई दिल्ली वाया भुसावल के बीच नई गरीब रथ एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 29.10.2013 से मुंबई-दिल्ली क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए 22109/22110 मुंबई-निजामुद्दीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक) वाया नासिक-भुसावल शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, 2014-15 के रेलवे बजट में मुंबई-नई दिल्ली एसी प्रीमियम एक्सप्रेस शुरू करने की भी घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

यात्री और मालभाड़े/प्रभारों की पुनरीक्षा

1127. श्री सुल्तान अहमद :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री सी.एन. जयदेवन :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री राजीव सावत :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री बी.वी. नाईक :
श्री शैलेश कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मंथली सीजन टिकट के लिए किराए सहित यात्री किराए और मालभाड़े में वृद्धि/संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके वर्ग-वार क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो यात्री किराए/मालभाड़े में वृद्धि के परिणामस्वरूप कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है; और

(घ) यात्री सेवाओं और सुविधाओं में सुधार तथा लंगिबत पड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) 25.06.2014 से लागू संशोधित यात्री किराया एवं मालभाड़ा दरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) सहित सभी श्रेणियों के यात्री किरायों (28.06.2014 से लागू) में 14.2% की वृद्धि की गई है, जिसमें एफएसी संबद्ध 4.2% की वृद्धि शामिल है। सभी श्रेणियों के यात्री किरायों में न्यूनतम दूरी और द्वितीय श्रेणी साधारण (उप-नगरीय) में 80 किमी. तक कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ii) मालभाड़ा दरों में 6.5% की वृद्धि की गई है, जिसमें एफएसी संबद्ध 1.5% की वृद्धि शामिल है। इनपुट की बढ़ती हुई लागतों और रेलवे के आधुनिकीकरण, विकास और संरक्षा संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किराया एवं मालभाड़ा दरों में वृद्धि करना आवश्यक था।

(ग) चालू वित्त वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में किराया एवं मालभाड़ा दरों में वृद्धि से होने वाली अनुमानित आमदनी 7974 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(घ) सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय रेल विभिन्न उपाय करती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में स्टेशनों पर मुहैया कराई जाने वाली यात्री सुविधाओं के स्तर में पिछले वर्षों में काफी सुधार हुआ है। विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था संबंधी व्यापक मानदंड पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा, टिकट सुविधाओं/सेवाओं का विस्तार किया गया है, उन्हें अपग्रेड किया गया है और उनमें बदलाव लाया गया है तथा उन्हें अधिक उपयोगकर्त्ता अनुकूल बनाया गया है। यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है।

लंबित परियोजनाओं का समय पर निष्पादन करने के लिए किए गए उपाय:

रेलवे के पास चालू परियोजनाओं का भारी बकाया और उपलब्ध धनराशि सीमित है। परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों से रेल परियोजनाओं में भागीदारी करने के लिए आगे आने का अनुरोध किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 9 राज्य सरकारें 39 परियोजनाओं के लिए लागत में भागीदारी करने और/अथवा निःशुल्क भूमि प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। शीघ्र निर्णय करने के लिए फील्ड संगठनों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। शीघ्र स्वीकृति के लिए राज्य सरकार और पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ निरंतर समन्वयन बैठकें आयोजित की गई हैं।

मेघालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति

1128. श्री पूरनो अगितोक संगमा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय राज्य में, विशेषकर गारो हिल्स क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या राज्य में अब भी कई परियोजनाएं पूरी होने के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत सरकार द्वारा परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (घ) मेघालय राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूरे किए गए कार्यों, रिलीज की गई निधियों और सूचित खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गारो हिल्स के सभी 5 जिलों में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत किए गए 116 सड़क कार्यों में से राज्य ने 64 सड़क कार्यों के पूरे होने की जानकारी दी है। सड़क कार्यों के समापन में विलम्ब के लिए राज्य ने जो कारण बताए हैं उनमें मानसून की लंबी अवधि की वजह से कामकाज की कम अवधि, कम निष्पादन क्षमता और ठेकेदारों की कम उपलब्धता इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल है:—

(i) राज्य की कार्यान्वयन क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) की स्थापना।

(ii) पीएमजीएसवाई सड़क कार्यों का ठेका देने के लिए मानक बोली दस्तावेजों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया।

(iii) क्षमता निर्माण हेतु फील्ड इंजिनियरों और ठेकेदारों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना।

(iv) कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का पता लगाने एवं उनका समाधान करने के लिए आवधिक रूप से क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें की गई।

विवरण

(i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेघालय राज्य में वास्तविक प्रगति नीचे दर्शाई गई है:—

स्वीकृत की गई सड़कों की संख्या	पूरी की गई सड़कों की संख्या
721	378

(ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय प्रगति नीचे दर्शाई गई है:—

वर्ष	रिलीज की गई राशि (रुपए करोड़ में)
2011-12	38.00
2012-13	50.00
2013-14	0.00
2014-15 (मई, 2014 तक)	0.00

(iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्रों के 5 जिलों में वास्तविक प्रगति नीचे दर्शाई गई है:—

स्वीकृत की गई सड़कों की संख्या	पूरी की गई सड़कों की संख्या
116	64

भूजल स्तर गिरावट

1129. श्री एम.के. राघवन :
डॉ. एम. तंबिदुरै :
डॉ. ए. सम्पत :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत चिह्नित कार्यनीति सहित क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में तेजी से गिरते भूजल स्तर की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में जितने अनुमानित भूजल की गिरावट हुई है उसका अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन संस्थानों/अनुसंधान समूहों के क्या नाम हैं जिन्होंने अध्ययन किया है तथा इसके क्या परिणाम निकले एवं उन्होंने क्या सिफारिशें तथा सुझाव दिए हैं; और

(च) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों/सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई है एवं इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता मिली है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और कार्यनीतियां संलग्न विवरण-I में दी गयी हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकीकरण और सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता बढ़ने के कारण लगातार भूमि जल का दोहन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में भूमि जल स्तर घट रहा है। 2013 के मानसून से पहले भूमि जल आंकड़ों (सीजीडब्ल्यूबी द्वारा की गई निगरानी के अनुसार) की मॉनसून पूर्व (2003-2012) के दशक के आंकड़ों के औसत से तुलना करने पर पता चलता है कि 56% कुंओं में भूमि जल स्तर गिरा है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सीजीडब्ल्यूबी और राज्य सरकार द्वारा आवधिक आधार पर संयुक्त रूप से सक्रिय भूमि जल संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है। अद्यतन आकलन (2011) के अनुसार देश में 6607 आकलन इकाइयों (ब्लॉक/मंडल/तालुका/जिले) में से 15 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले 1071 इकाइयों को अन्य बातों के साथ-साथ भूमि जल स्तर में गिरावट के आधार पर 'अति दोहित' श्रेणी में रखा गया है।

(च) भूमि जल दोहन पर नियंत्रण और जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल भृत्तों का पुनर्भरण सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने की सलाह दी गई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत अभिनिर्धारित लक्ष्य और नीतियां

लक्ष्य-1: सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल आंकड़ा आधार और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन

कार्यनीतियां:

क. अतिरिक्त आवश्यक आंकड़ों के संग्रहण हेतु नेटवर्क की समीक्षा एवं स्थापना;

ख. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास;

ग. विभिन्न आंकड़ों के मापन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास/कार्यान्वयन;

घ. आर्द्र भूमि की सूची तैयार करना;

ङ. जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्यरत सभी अनुसंधान संगठनों के सक्रिय सहयोग से जल संसाधनों के गुणवत्ता पहलुओं सहित जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित सभी पहलुओं पर अनुसंधान एवं अध्ययन;

च. बेसिन-वार जल की स्थिति का पुन:मूल्यांकन; और

छ. जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान।

लक्ष्य-2: जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना

कार्यनीतिया:

क. जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल संसाधनों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, जल प्रयोक्ता संघों और प्राथमिक पणधारियों को सशक्त करना और शामिल करना;

ख. सहभागिता आधारित सिंचाई प्रबंधन का संवर्धन;

ग. समस्याओं के आयामों के संबंध में अति दोहित क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों को सुग्राही बनाना और जल संरक्षण के प्रति एमएनआरईजीपी के अंतर्गत निवेश को अभिमुख करना;

घ. उद्योग में जल तटस्थ और जल सकारात्मक प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना;

ङ. जल संसाधन प्रबंधन, विशेषतया आयोजना, क्षमता निर्माण और जन जागरुकता से संबंधित विविध कार्यकलापों में गैर-सरकारी संगठन की सहभागिता को प्रोत्साहित करना; और

च. उद्योग के भीतर तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण को करने, सहायता करने और संवर्धन हेतु निगमित क्षेत्र/उद्योगाकें को शामिल करना और प्रोत्साहित करना।

लक्ष्य-3: अति दोहित क्षेत्रों सहित अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना

कार्यनीतियां:

क. सूखा प्रवण और कम वर्षा वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले भंडारणों को आगे बढ़ाने सहित जल संसाधन परियोजनाओं विशेषकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन;

ख. जल संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली को प्रोत्साहन;

ग. भू-जल स्रोतों की वास्तविक धारणीयता;

घ. अति-दोहित, गंभीर और अर्धगंभीर क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के लिए गहन कार्यक्रम;

ङ. नम भूमि का संरक्षण और परिरक्षण;

च. पेयजल के गुणवत्ता पहलुओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, का समाधान करने के लिए गहन कार्यक्रम;

छ. जल के शुद्धिकरण और अलवणीकरण को प्रोत्साहन देना; और

ज. बाढ़ से निपटने हेतु सुव्यवस्थित पद्धति।

लक्ष्य-4: जल उपयोग कुशलता को 20 प्रतिशत बढ़ाना

कार्यनीतियां:

क. जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के क्षेत्र के अनुसंधान तथा इसकी गुणवत्ता को कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्र में कायम करना;

ख. अपशिष्ट जल सहित जल के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करना;

ग. पर्यावरण हितैषी स्वच्छता प्रणाली का विकास;

घ. शहरी जल आपूर्ति प्रणाली की दक्षता में सुधार करना;

ङ. जल साधनों एवं उपस्करों की कुशल लेबलिंग;

च. जल कुशलता तकनीक एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना;

छ. राज्यों की सहायता से जल के कुशल उपयोग में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं चलाना;

ज. जल के समान वितरण तथा सुविधाओं के युक्तिपूर्ण प्रभार को सुनिश्चित करने हेतु जल विनियामक प्राधिकरण को बढ़ावा देना;

झ. पेयजल उद्देश्यों के साथ-साथ अन्य प्रयोजनों के लिए अनिवार्य जल लेखा परीक्षा को बढ़ावा देना;

ञ. जल संसाधन परियोजनाओं के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उपयुक्त प्रावधान;

ट. जल संरक्षण एवं जल के दक्षपूर्ण उपयोग हेतु पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहन; और

ठ. दक्ष सिंचाई पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सृजित सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करना।

लक्ष्य-5: बेसिन स्तरीय और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना

कार्यनीतियां:

क. राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा;

ख. राज्य जल नीति की समीक्षा;

ग. विशेषकर बेसिन-वार स्थिति के संदर्भ में जल के विभिन्न उपयोग जैसे सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक उपयोग हेतु दिशा-निर्देश;

घ. एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के सिद्धांत पर आयोजना;

ङ. अधिशेष बाढ़ के जल को उपयोग योग्य जल में परिवर्तित कर विशेष रूप से जल के संवर्धन हेतु अंतर बेसिन एकीकरण; और

च. विभिन्न जल संसाधन कार्यक्रमों के मध्य अभिमुखता सुनिश्चित करना।

विवरण-II

औसत मॉनसून पूर्व (2003 से 2012) तथा मॉनसून पूर्व 2013 के साथ जल स्तर के उतार-चढ़ाव की दशकीय राज्य-वार तुलना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अन्वेषित कुंओं की संख्या	वृद्धि		गिरावट	
			संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश (अविभाजित)	729	349	47.87	380	52.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	2	66.67	1	33.33
3.	असम	195	105	54.12	89	45.88
4.	बिहार	181	88	48.62	93	51.38

1	2	3	4	5	6	7
5.	चंडीगढ़	16	7	43.75	9	56.25
6.	छत्तीसगढ़	404	223	55.33	180	44.67
7.	दादरा और नगर हवेली	5	4	80.00	1	20.00
8.	दिल्ली	124	47	37.90	77	62.10
9.	गोवा	43	19	44.19	24	55.81
10.	गुजरात	702	311	44.49	388	55.51
11.	हरियाणा	312	107	34.41	204	65.59
12.	हिमाचल प्रदेश	68	34	50.00	34	50.00
13.	जम्मू और कश्मीर	131	82	62.60	49	37.40
14.	झारखंड	172	90	52.33	82	47.67
15.	कर्नाटक	827	240	30.46	548	69.54
16.	केरल	604	172	28.52	431	71.48
17.	मध्य प्रदेश	944	544	58.00	394	42.00
18.	महाराष्ट्र	848	421	49.65	427	50.35
19.	मणिपुर	1	1	100.0	0	0.00
20.	मेघालय	27	9	33.33	18	66.67
21.	नागालैंड	12	6	50.00	6	50.00
22.	ओडिशा	743	329	44.28	414	55.72
23.	पुदुचेरी	7	4	57.14	3	42.86
24.	पंजाब	211	57	27.14	153	72.86
25.	राजस्थान	846	428	51.63	401	48.37
26.	तमिलनाडु	457	108	23.63	349	76.37
27.	त्रिपुरा	28	13	46.43	15	53.57
28.	उत्तर प्रदेश	777	360	46.33	417	53.67
29.	उत्तराखंड	47	22	46.81	25	53.19
30.	पश्चिम बंगाल	755	268	35.50	487	64.50
	कुल	10219	4450	43.85	5699	56.15

टिप्पणी: विश्लेषण किए गए 70 कुओं में कोई परिवर्तन नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

1130. श्री हुकुम सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा चंडीगढ़ और सहारनपुर स्टेशनों के विस्तार/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त काम के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की मौजूदा स्टेशन इमारत में आवर्धन/परिवर्तन करके स्टेशन को उग्र भाग में सुधार और एस्केलेटर, डीलक्स प्रतीक्षा कक्ष और परिचलन क्षेत्र में अतिरिक्त पार्किंग संबंधी कार्य मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान पूरा करने के लिए शुरू कर दिए गए हैं।

सहारनपुर स्टेशन पर, प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर धुलनीय एप्रनों के बदलाव के कार्य मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान पूरा करने के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं।

बिजली की अबाधित आपूर्ति

1131. डॉ. किरिट पी. सोलंकी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के सभी गांवों में ज्योतिग्राम योजना के अंतर्गत अबाधित रूप से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को देश के दूसरे भागों में कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) ज्योति ग्राम योजना (जेजीवाई) वर्ष 2003 में गुजरात सरकार द्वारा सभी 18065 गांवों और गैर-कृषि क्रियाकलापों के लिए गुजरात के गांवों से जुड़े 16000 से अधिक उप-नगरों को भी 24 घंटे तीन फेन गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पहल है।

स्कीम में, कृषि उपभोक्ताओं और 78,454 किलोमीटर नई लाइनें बिछाकर और 18,724 नए ट्रांसफार्मर केंद्र स्थापित करके अन्य उपभोक्ताओं को होने वाली विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किए बिना कृषि खपत पर भार-प्रबंधन और विनियमन को सुगम बनाने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को पृथक करने हेतु राज्यभर में समानान्तर ग्रामीण वितरण नेटवर्क बिछाना शामिल है।

वर्तमान में, मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार राज्य में 2,495 ज्योतिग्राम फीडर और 5,767 कृषि फीडर हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा में, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के संवर्धन के लिए फीडर पृथक्करण हेतु 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' नामक स्कीम पर विचार किया गया है जिसकी चालू वर्ष में आरंभिक लागत 500 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

1132. श्री एन. क्रिष्टप्पा :
श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री संजय धोत्रे :
श्री डी.के. सुरेश :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में कई सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मरने वाले लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या सहित देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारण कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान सड़क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र का व्यवस्थित आकलन किया है और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है तथा यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नि:शुल्क/नकद रहित उपचार प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) जी, नहीं। मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा प्रकाशित 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2012' में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सहित देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 2011 में 4,97,686 से घटकर 2012 में 4,90,383 हो गई है। वर्ष 2010 से 2012 तक (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या में कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और मारे गए व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2005 में श्री एस. सुंदर, पूर्व सचिव, भूतल परिवहन की अध्यक्षता में गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रारूप राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की सिफारिश की थी। समिति द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की सिफारिश की गई जिसे सरकार द्वारा मार्च, 2010 में अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के आधार पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। मंत्रालय ने भी (i) शिक्षा (ii) प्रवर्तन (iii) इंजीनियरी (सड़क और वाहन) और (iv) आपात निदान नामक चार सुरक्षा उपायों पर 5 अलग-अलग कार्यकारी समूह बनाए हैं।

(घ) और (ङ) सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आपात परिचर्या में तेजी लाने के उद्देश्य से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 48 घंटों के लिए अथवा 30,000/- रुपए के लिए, जो भी पहले हो, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकदी-रहित उपचार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के गुडगांव - जयपुर खंड पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। मंत्रालय का (i) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 का अहमदाबाद-मुंबई खंड और (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग-33 का रांची-रारगांव-महुलिया खंड पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए 2 और पायलट परियोजनाएं भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

विवरण

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2010 से 2012 के दौरान सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या			2010 से 2012 के दौरान सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	44,599	44,165	42,524	15,684	15,165	14,964
2.	अरुणाचल प्रदेश	293	263	251	148	126	138
3.	असम	5,828	6,569	6,535	2,256	2,342	2,291
4.	बिहार	11,033	10,673	10,320	5,137	5,090	5,056
5.	छत्तीसगढ़	13,664	14,108	13,511	2,956	2,983	3,167
6.	गोवा	4,572	4,560	4,312	327	333	292
7.	गुजरात	30,114	30,205	27,949	7,506	8,008	7,817
8.	हरियाणा	11,195	11,128	10,065	4,719	4,762	4,446
9.	हिमाचल प्रदेश	3,069	3,099	2,899	1,102	1,072	1,109
10.	जम्मू और कश्मीर	6,134	6,655	6,709	1,045	1,116	1,165

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	5,521	5,451	5,711	2,540	2,572	2,818
12.	कर्नाटक	46,250	44,731	44,448	9,590	8,971	9,448
13.	केरल	35,082	35,216	36,174	3,950	4,145	4,286
14.	मध्य प्रदेश	50,023	49,406	51,210	8,085	7,869	8,175
15.	महाराष्ट्र	71,289	68,438	66,316	12,340	13,057	13,333
16.	मणिपुर	602	692	771	154	158	158
17.	मेघालय	474	599	483	163	212	219
18.	मिज़ोरम	125	97	110	82	81	77
19.	नागालैंड	35	39	42	40	25	56
20.	ओडिशा	9,413	9,398	9,285	3,837	3,802	3,701
21.	पंजाब	5,507	6,513	6,341	3,542	4,931	4,820
22.	राजस्थान	24,302	23,245	22,969	9,163	9,232	9,528
23.	सिक्किम	186	406	158	71	106	55
24.	तमिलनाडु	64,996	65,873	67,757	15,409	15,422	16,175
25.	त्रिपुरा	901	834	888	231	245	272
26.	उत्तराखंड	1,493	1,508	1,472	931	937	844
27.	उत्तर प्रदेश	28,362	29,285	29,972	15,175	21,512	16,149
28.	पश्चिम बंगाल	14,888	14,945	12,290	5,680	5,664	5,397
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	285	234	236	27	17	25
30.	चंडीगढ़	456	437	419	138	136	136
31.	दादरा और नगर हवेली	96	103	85	62	63	53
32.	दमन और दीव	48	50	50	31	33	29
33.	दिल्ली	7,260	7,281	6,937	2,153	2,065	1,866
34.	लक्षद्वीप	4	0	3	0	0	—
35.	पुदुचेरी	1,529	1,480	1,181	239	233	193
	कुल	499,628	497,686	4,90,383	134,513	142,485	138,258

नदियों का पुनरुद्धार

1133. श्री राजन विचारे :
डॉ. ए. सम्पत :
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्री राजीव सातव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
योगी आदित्यनाथ :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा और यमुना का पुनरुद्धार करने के लिए योजना बनाने के लिए सचिवों की दो पृथक्-पृथक् समितियां गठित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समितियों ने गंगा और यमुना की सफाई के कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एवं उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या गोदावरी, बांदी सहित देश में नदियों की सफाई के लिए इसी तरह के मानदंडों को लागू किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नेशनल सेंटर फॉर कम्पोजिशनल करेक्ट्राईजेशन ऑफ मटेरियल्स (एनसीसीएम) हैदराबाद, जोकि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अंतर्गत काम करता है, ने कहा है कि पवित्र गंगा नदी में नहाने से कैंसर होने का खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों को नदियों में अशोधित सीवेज नहीं बहाने की सलाह जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार ने गंगा की सफाई और इस पवित्र नदी के पुनरुद्धार के उपाय तलाशने के विषय में विस्तृत योजना तैयार करने हेतु सचिवों का समूह बनाया है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में भारत सरकार के भूतल परिवहन, पोत-पत्तन और पर्यटन मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ अपर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय भी शामिल हैं। आवश्यकता महसूस होने पर समूह अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को शामिल कर सकता है।

(ख) और (ग) सरकार, गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न पणधारियों अर्थात् पर्यावरण और वन; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार; शहरी विकास, पर्यटन; पोत-परिवहन; पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता; ग्रामीण विकास आदि मंत्रालयों तथा गंगा की सफाई से जुड़े शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। कार्य योजना की प्रमुख विशेषताओं, समय-सीमा और संभावित व्यय समेत कार्य योजना के निश्चित रूप से सम्बन्धित जानकारी, गंगा नदी की सफाई हेतु कार्य योजना को पूरा कर लेने के बाद ही मिल पाएगी। गंगा संबंधी कार्य योजना के परिणामों के आधार पर सरकार देश की अन्य प्रमुख नदियों के लिए कार्य योजना को चरणबद्ध ढंग से बढ़ा सकती है।

(घ) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि जल और स्वच्छता राज्य के विषय हैं और नदियों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत स्थानीय एवं राज्य प्राधिकारियों के उत्तरदायित्वों के अंतर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार की भूमिका राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में सहयोग करने तक सीमित होने के नाते सामान्यत: इस तरह की सलाह जारी नहीं की जा रही है। तथापि, 5 अक्तूबर, 2009 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि गंगा सफाई अभियान के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2020 तक नगरपालिका का अशोधित सीवेज अथवा उद्योगों से निकलने वाला कचरा गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर यातायात जाम

1134. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया :
श्री ओम बिरला :
श्री पी.पी. चौधरी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में देरी के कारण मुसाफिरों को गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो समयावधि सहित परियोजनाओं को निर्धारित तिथि तक पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और परियोजना के लिए मूल रूप से कितने व्यय का अनुमान लगाया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए खेड़की दौला से मानेसर तक के खंड को चौड़ा करने और विशेषकर हीरो होंडा चौक, मानेसर, खेड़की दौला तथा नौरंगपुर चौक पर फ्लाई ओवर के निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) 6 लेन बनाने की परियोजना बीओटी पद्धति के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। चूंकि रियायतग्राही द्वारा की जा रही प्रगति निराशाजनक है इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 11.2.2014 को रियायतग्राही को करार निरस्त करने का नोटिस दिया है साथ ही 23.8.2014 तक रियायतग्राही को बदलने के लिए ऋणदाता को भी इसकी एक प्रति दी है।

परियोजना की अनुमानित कुल परियोजना लागत 1896.25 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) खेड़की दौला से मानेसर खंड 6 लेन की परियोजना का एक हिस्सा है जिसमें मानेसर (आईएमटी चौक) और नवरंगपुर में 2 फ्लाईओवरों का निर्माण शामिल है। नवरंगपुर फ्लाईओवर पूरा होने के समीप है। मानेसर में फ्लाईओवर का कार्य वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण रुका है।

हीरो होंडा चौक में फ्लाईओवर के लिए परियोजना तैयारी का कार्य शुरू किया गया है। खेड़की दौला में फ्लाईओवर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं

1135. श्रीमती पूनमबेन माडम :
डॉ. थोकचोम मेन्या :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं (पीयूआरए) के प्रावधान की प्रायोगिक योजना लागू की जा रही है और यदि हां, तो इस योजना के तहत शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों सहित तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार "अर्बनाइजेशन" नाम से एक नया उपाय शुरू करने का है, जिसके जरिए गांवों में मूलभूत शहरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस उपाय को लागू करने के लिए अनुमानित रूप से कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या इस उपाय को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) जी, हां, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आजीविका अवसर तथा शहरी सुविधाएं प्रदान करन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत (अथवा ग्राम पंचायतों के समूह) के संभावित विकास केंद्र के आस-पास के सघन क्षेत्रों का संपूर्ण तथा तीव्र विकास करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण तथा उसके रखरखाव के लिए निजी पूंजी तथा प्रबंधन विशेषज्ञता सहित सार्वजनिक निधियों को जुटाना।

(ii) गांवों में अपेक्षित मुख्य अवसंरचना की समकालिक प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वयन जिससे संसाधनों का ईष्टतम उपयोग होगा।

(iii) पुरा योजना के अंतर्गत वित्तपोषण चार स्रोतों से हो सकता है:— ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पेयजल और आपूर्ति मंत्रालय की अनिवार्य योजनाएं, अन्य मंत्रालयों की योजनाएं, निजी वित्तपोषण तथा पुरा के अंतर्गत पूंजी अनुदान।

(iv) ग्राम पंचायत तथा निजी भागीदार के बीच समझौता जो ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण तथा सार्वजनिक जवाबदेही में सहायता करता है।

प्रायोगिक चरण के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तावित हैं जो अनुमोदन/मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं:—

क्र.सं.	राज्य	जिला
1.	केरल	मलप्पुरम
2.		त्रिशूल
3.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा
4.		वारंगल
5.	राजस्थान	जयपुर
6.		राजसमंद
7.	उत्तराखंड	देहरादून
8.	महाराष्ट्र	सांगली
9.	पुदुचेरी	कराईकल

(ख) से (ङ) 2014-15 के बजट भाषण में, यह उल्लेख किया गया है कि गुजरात ने ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के रुर्बन विकास मॉडल को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कार्यक्षम नागरिक अवसंरचना तथा इससे जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आगे यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना आधारित अवसंरचना प्रदान करने के लिए 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन' शुरू किया जाएगा जिसमें आर्थिक कार्यकलापों का विकास तथा कौशल विकास भी शामिल होगा। वित्तपोषण के लिए विभिन्न योजना निधियों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से प्रदायगी का तरीका मान्य होगा। वर्ष 2014-15 के लिए इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

शौचालयों का निर्माण

1136. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए शौचालयों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन निकायों/संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें इन शौचालयों की साफ-सफाई और 'रखरखाव' की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(घ) क्या प्रत्येक बस्ती में स्वच्छता के साथ जलापूर्ति का समेकन करने को संस्थागत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने जलापूर्ति तथा स्वच्छता के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया है। राज्यों को वार्षिक योजना इस प्रकार से तैयार करने को कहा गया है कि जिन ग्राम पंचायतों की बसावटों में पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध है, उनमें निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत शौचालयों के साथ कवरेज को प्राथमिकता दी जाए, जबकि उन ग्राम पंचायतों में, जिन्हें पारिवारिक शौचालय द्वारा पूर्ण रूप से कवर किया जा चुका है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत पाइप द्वारा जलापूर्ति के प्रावधान को प्राथमिकता दी जाए।

(ग) वैयक्तिक पारिवारिक स्वच्छता शौचालय का रख-रखाव परिवारों द्वारा स्वयं किया जाना है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का रख-रखाव, ग्राम पंचायतों द्वारा इस कार्य हेतु तैयार किए गए उपयुक्त तंत्र द्वारा किया जाना है। एनबीए के अंतर्गत बनाए गए स्कूली तथा आनंगनवाड़ी शौचालयों का रख-रखाव संबद्ध संस्थाओं द्वारा किया जाना है।

(घ) और (ङ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में दर्शाया गया है, प्रत्येक बसावट में जलापूर्ति के साथ स्वच्छता को एकीकृत करने के लिए संस्थागत तंत्र वर्तमान में मौजूद है।

मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय हालत

1137. **डॉ. थोकचोम मेन्या : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग-37 और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की दयनीय हालत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) जी, हां। तिपाईमुख और चूडचंद्रपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-37 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-53) का किमी. 145 से 152 और किमी. 186 से 192 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग-02 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-150) का किमी. 185 से 262 तक का खंड बार-बार होने वाले बंध, प्रतिकूल गतिविधियों और जलवायु संबंधी अवस्थाओं के कारण कार्य की प्रगति अवरुद्ध हो जाने की वजह से विकृत अवस्था में है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के इन खंडों के अनुरक्षण और विकास का दायित्व सीमा सड़क संगठन का है और संस्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए उच्च स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती रहती हैं।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत कृषि कार्य

1138. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
श्री धनंजय महाडीक :
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री पी.आर. सुन्दरम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत किसी जिले के 60 प्रतिशत कार्य को कृषि से जोड़ने को अनिवार्य बनाया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों की टिप्पणी के लिए उनके पास ये प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) प्रस्तावित संशोधन को अधिनियम में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या कृषि संबंधी क्रियाकलापों पर 60 प्रतिशत न्यूनतम खर्च करने से एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत किए जाने वाले पूंजी उन्मुखी अन्य कार्य हतोत्साहित होंगे तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (घ) जी, हां। कृषि पर ज्यादा जोर देने के लिए मंत्रालय मनरेगा, 2005 की अनुसूची-I में संशोधन करने पर विचार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी जिले में लागत की दृष्टि से कम-से-कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और तत्संबंधी कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किए जाएं। राज्य सरकारों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस आशोधन को अंतिम रूप दिया गया है। प्रस्ताव के मसौदे पर टिप्पणियां छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों से प्राप्त हो गई हैं। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(ङ) जी, नहीं। कृषि संबंधी कार्यकलापों पर व्यय से मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय अन्य कार्य प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि 40 प्रतिशत व्यय पूंजी सघन अवसंरचना कार्य पर किया जा सकता है।

[हिन्दी]

जम्मू में राजमार्गों को चार लेन का बनाना

1139. **श्री जुगल किशोर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-अखनूर-राजौरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त परियोजना का सर्वेक्षण कार्य कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (घ) जम्मू-अखनूर-राजौरी-पुंछ सड़क को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-144ए के रूप में घोषित किया गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के जंक्शन से प्रारंभ होकर अखनूर, नौशेरा, राजौरी को जोड़ते हुए पुंछ पर समाप्त होता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपे जाने का कार्य जम्मू और कश्मीर सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के बाद किया जाएगा जिसकी कि अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपे जाने के पश्चात् इसके विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।

[अनुवाद]

दोहरीकरण और विद्युतीकरण

1140. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभलपुर-तालचेर खंड पर रेल लाइन के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार उक्त खंड का विद्युतीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए आवंटित और इस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (घ) संभलपुर-तालचेर दोहरीकरण परियोजना 1112 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर स्वीकृत की गई है। बोईंदा-हंडप्पा-सरगीपल्ली खंड में फॉर्मेशन का निर्माण कार्य, पुल संबंधी कार्य, मिट्टी आपूर्ति आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मार्च, 2014 तक 50.23 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और बजट 2014-15 में 52 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

जहां तक विद्युतीकरण का संबंध है, मौजूदा तालचेर-अंगुल खंड पहले से ही विद्युतीकृत है और अंगुल-संभलपुर के विद्युतीकरण (156 किमी.) का कार्य 238 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर स्वीकृत कर दिया गया है। मार्च, 2014 तक 10.10 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और बजट 2014-15 में 25 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ङ) 1.82 लाख करोड़ मूल्य की चालू परियोजनाओं के बड़ी संख्या में बकाया होने और निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

नए स्टेशनों का निर्माण

1141. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्री रामदास सी. तडस :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊना और घंडवाल रेलवे स्टेशनों के बीच डेराबाबा रुद्रानंद पर एक हॉल्ट स्टेशन स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे मध्य रेलवे के अंतर्गत बडलापुर और बंगानी स्टेशनों के बीच समर्थवाडी पर नए स्टेशन और कोल्लम रेलवे स्टेशन पर दूसरे रेलवे टर्मिनल की स्थापना का विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या रेलवे वर्धा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म बढ़ाने और सुविधाओं को भी सुधारने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) ऊना हिमाचल और घंडवाल रेलवे स्टेशनों के बीच डेराबाबा रुद्रानंद में एक हॉल्ट स्टेशन खोलने के मामले की जांच की गई लेकिन इसे वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद नहीं पाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्धा रेलवे स्टेशन पर मानदंडों के अनुसार सभी अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है और आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित कर दिया गया है। वर्धा स्टेशन पर प्लेटफार्म के विस्तार/सुविधाओं में सुधार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात को कोयला का आवंटन

1142. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृतक बल समिति ने अवांछित परिवहन लागतों को कम करने के लिए नजदीकी कोयला खदानों से गुजरात सरकार को कोयला आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने वर्तमान स्रोतों की समीक्षा और इन स्रोतों से लिंकेजों के युक्तीकरण की संभावना पर विचार करने के लिए 25.06.2010 को एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल (आईएमटीएफ) गठित किया था ताकि विद्युत कंपनियों, सीमेंट, इस्पात और स्पंज लौह क्षेत्र के लिए परिवहन लागत कम की जा सके। कार्य बल की प्रमुख सिफारिशें जिनमें गुजरात से संबंधित सिफारिशें भी शामिल हैं, नीचे दी गई है:—

(i) केप्टिव विद्युत संयंत्रों (सीआईएल द्वारा प्राप्त 8 आवेदन तथा 7 मामलों के लिए अनुशंसित युक्तिकरण), स्पंज लौह संयंत्रों (सीआईएल द्वारा प्राप्त 21 आवेदन तथा 4 मामलों के लिए अनुशंसित युक्तीकरण) और सीमेंट संयंत्रों (सीआईएल द्वारा प्राप्त 2 आवेदन तथा दोनों अनुशंसित) से प्राप्त आवेदनों के संबंध में वर्तमान स्रोतों के युक्तीकरण के विषय में कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यात्मक निदेशकों की सिफारिशों की स्वीकृति।

(ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के संजय गांधी तथा सतपुड़ा तापीय विद्युत संयंत्र के लिए कोयला आपूर्तियों का युक्तीकरण।

(iii) सी/डी ग्रेड कोयले के कोरिआ रेवा क्षेत्रों से गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जीएसईसीएल) को आवंटित मात्रा में कमी तथा एमपीपीजीसीएल की मात्राओं की अदला-बदली करके साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) के कोरवा क्षेत्रों में अनुपातिक वृद्धि।

(iv) हरियाणा विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के पानीपत और राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, दामोदर घाटी निगम के मेजिया और कोडरमा तापीय विद्युत केन्द्रों तथा पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड के संथालडीह, कोलाघाट, सागरडिघी और बकरेश्वर तापीय विद्युत केंद्रों के लिए स्रोतों का युक्तीकरण।

(v) महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल) से कोयला आवंटन में कमी तथा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के विद्युत संयंत्रों के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) से कोयला आवंटन में वृद्धि।

कार्य बल की अनुमोदित सिफारिशें कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को भेज दी गई थी। सीआईएल/कोयला कंपनियों ने केप्टिव विद्युत संयंत्रों, स्पंज लौह तथा सीमेंट संयंत्रों के उपभोक्ताओं की स्रोतों के युक्तीकरण से संबंधित सिफारिशें कार्यान्वित की हैं। विद्युत कंपनियों के स्रोतों के युक्तीकरण के संबंध में कार्यबल की सिफारिशों का परस्पर संबंध है और सभी उपभोक्ताओं की सहमति से ही कार्यान्वित की जा सकती हैं। इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उपभोक्ता संशोधित व्यवस्था के लिए सहमत नहीं हुए।

कार्रवाई का पुन: इष्टतम करने के लिए कोयला मंत्रालय ने लिंकेजों के युक्तीकरण की समीक्षा करने के लिए एक नया "अंतर-मंत्रालयी कार्य बल" (आईएमटीएफ) 13.06.2014 को गठित किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परियोजनाएं

1143. श्री गणेश सिंह :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित योजना/राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और त्वरित योजना/राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत इन योजनाओं को शामिल करने के लिए अपनाए गए मानदंडों सहित राज्यों में प्रत्येक योजना पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किसी नहर को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत फास्ट ट्रैक कार्यक्रम (एफटीपी) उन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए फरवरी, 2002 से प्रभावी था, जिन्हें एक वर्ष अथवा दो कार्यकारी सत्रों के भीतर पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम को 01.04.2004 से 3 कार्यकारी सत्रों के लिए संशोधित कियाग या था। दिनांक 01.04.2005 को एफटीपी परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि को दो वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। एआईबीपी के तहत एफटीपी को दिसम्बर, 2006 से समाप्त कर दिया गया था। एफटीपी के लिए विचारार्थ वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

एआईबीपी के तहत राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए स्कीम को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था इसके लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:—

I. अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां भारत में जल उपयोग के लिए संधि की आवश्यकता होती है अथवा परियोजना की आयोजना और उसे जल्द पूरा करना देश के हित में होता है।

II. अंतर्राज्यीय परियोजनाएं, जोकि नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं सहित लागत भागीदारी, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन पहलुओं से संबंधित उत्तर राज्यीय मुद्दों के समाधान नहीं होने के कारण आगे बढ़ती जा रही है।

III. जल की हिस्सेदारी के संबंध में कोई विवाद नहीं होने सहित 2,00,000 हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक की अतिरिक्त क्षमता सहित अन्त: राज्यीय परियोजनाएं तथा जहां जल विज्ञान की स्थापना की गई है।

IV. विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं कुछ निश्चित परिस्थितियों के शर्ताधीन 2 लाख अथवा अधिक हैक्टेयर क्षेत्र की नष्ट हो गई क्षमता के पुनर्स्थापन पर जोर देती है।

अब तक प्रचालनात्मक राष्ट्रीय परियोनाओं के लिए जारी परियोजना-वार निधि का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	मार्च, 2014, तक परियोजना के संबंध में संचयी व्यय (करोड़ रुपए में)	राज्य के हिस्से सहित मार्च, 2014 तक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)	जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)
1.	गोसीखुर्द	7215.25	7215.25	4308.34	2897.94
2.	तीस्ता बैराज	2988.616	1459.18	242.98	178.20
3.	शाहपुर कांडी	2285.81	356.31	200.02	26.03
4.	सरयू नहर	7270.32	3432.44	498.58	448.73
	कुल			5249.92	3640.90

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश के एआईबीपी के तहत शामिल परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अधिकतर वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पास एक नहर घटक है।

विवरण-I

एआईबीपी के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत विचार किए जाने वाली बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) का विवरण

क्र. सं.	एफटी क्र.सं.	फास्ट ट्रैक	राज्य/परियोजना का नाम	बृहद/ मध्यम/ ईआरएम	डीपीए/ टीए	एआईबीपी में शामिल होने का वर्ष	लाभान्वित जिले	पूर्ण होने का वर्ष	पूरी परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत	एआईबीपी घटकों की अद्यतन अनुमानित लागत	31.03.2014 तक संचयी सीएलए/ जारी अनुदान (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश												
सी 1	1	फास्ट ट्रैक	श्रीरामसागर चरण-I	बृहत		1996-97	निजामाबाद, वारंगल आदिलाबाद, करीमनगर, नालगोंडा और खम्माम	2005-06	2953.56	568.42	327.17	पूर्ण
सी 2	2	फास्ट ट्रैक	चेय्येरु (अन्नामाया)	मध्यम		1996-97	कुड्डापाह	2003-04	68.923	47.14	25.33	पूर्ण
सी 3		फास्ट ट्रैक	प्रियदर्शिनी जुराला	बृहत		1997-98	महबूबनगर	2006-07	762.57	459.9	245.189	पूर्ण
सी 4	3	फास्ट ट्रैक	सोमासिला	बृहत		1998-99	नेल्लोर	2006-07	796	230.081	164.525	पूर्ण
सी 5	4	फास्ट ट्रैक	नागार्जुनसागर	बृहत		1998-99	नलगोंडा, कृष्णा, खम्माम, नेल्लोर, गूंटूर और प्रकाशम	2005-06	1184	87.32	77.14	पूर्ण
सी 6	5	फास्ट ट्रैक	मद्दुवालासा	मध्यम		1998-99	विजयनगरम	2005-06	132.15	103.548	66.8	पूर्ण
20	6	फास्ट ट्रैक	गुण्डलकदम्मा	बृहत	डीपीए	2005-06	प्रकाशम		592.18	781.85	99.3525	जारी
27	7	फास्ट ट्रैक	थोटापल्ली बैराज	बृहत	डीपीए/ टीए	2005-06	श्रीकाकुलम, विजयनगरम		450.23	420.94	99.731	जारी
28	8	फास्ट ट्रैक	तराकाराम तीर्थ सागरम	मध्यम	डीपीए	2005-06	विजयनगरम		220.04	220.04	33.006	जारी

सी 29	9	फास्ट ट्रैक	स्वर्णमुखी	मध्यम		2005-06	नेल्लोर	2008-09	52.04	79.08	11.862	पूर्ण
30	10	फास्ट ट्रैक	पलेमवागु	मध्यम	डीपीए/ टीए	2005-06	खत्माम		70.99	63.57	9.5355	जारी
छत्तीसगढ़												
सी 1	1	फास्ट ट्रैक	हसदेव बानगो	बृहत		1997-98	बिलासपुर, रायगढ़	2006-07	1122	304.74	243.78	पूर्ण
सी 6	2	फास्ट ट्रैक	बरनाई	मध्यम		2002-03	सरगुजा	2006-07	18.7	2.65	2.65	पूण
गुजरात												
1	1	फास्ट ट्रैक	सरदार सरोवर	बृहत	डीपीए/ 24.54%	1996-97	15 जिले**		39240.45	27150.13	7630.2845	जारी
कर्नाटक												
सी 3	1	फास्ट ट्रैक	हिरेहल्ला	मध्यम		1996-97	कोप्पल	2006-07	227	157.92	64.24	पूर्ण
5	2	फास्ट ट्रैक	करंजा	बृहत	डीपीए	1997-98	बीदर		532	481.427	189.03	जारी
सी 8	3	फास्ट ट्रैक	मस्किनल्ला	मध्यम		2002-03	रायचूर	2003-04	41.44	3.835	3.22	पूर्ण
मध्य प्रदेश												
13	1	फास्ट ट्रैक	बारगी डायवर्जन चरण-I	बृहत		2001-02	जबलपुर, सतना, रीवा		5127.22	411	140.645	जारी
	2	फास्ट ट्रैक	बारगी डायवर्जन चरण-II	बृहत		2002-03	जबलपुर, सतना, रीवा			322.71	125.5402	जारी
	3	फास्ट ट्रैक	बारगी डायवर्जन चरण-III	बृहत		2007-08	जबलपुर, सतना, रीवा			1229.15	71.069	जारी
	4	फास्ट ट्रैक	बारगी डायवर्जन चरण-IV	बृहत		2008-09	जबलपुर, सतना, रीवा कटनी			751.03	19.269	जारी
महाराष्ट्र												
सी 31	1	फास्ट ट्रैक	खड़कवासला	बृहत		2002-03	पुणे	2004-05	343.87	5.56	5.56	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सी 32	2	फास्ट ट्रैक	कादवी	मध्यम		2002-03	कोल्हापुर	2004-05	69.74	14	14	पूर्ण
सी 33	3	फास्ट ट्रैक	कसरसाई	मध्यम		2002-03	पुणे	2004-05	33.15	3.37	1.685	पूर्ण
सी 34	4	फास्ट ट्रैक	जवलगांव	मध्यम		2002-03	सोलापुर, उस्मानाबाद	2004-05	26.75	2.73	2.73	पूर्ण
सी 35	5	फास्ट ट्रैक	कुम्भी	मध्यम		2002-03	कोल्हापुर	2006-07	62.18	23.23	18.6	पूर्ण
सी 36	6	फास्ट ट्रैक	कसारी	मध्यम		2002-03	कोल्हापुर	2004-05	28.95	1.51	3.195	पूर्ण
सी 37	7	फास्ट ट्रैक	पटगोवां	मध्यम		2004-05	कोल्हापुर	2006-07	81.18	21.5	13.975	पूर्ण
सी 38	8	फास्ट ट्रैक	मदन टैंक	मध्यम		2005-06	वर्धा	2008-09	61.01	12.76	1.5105	पूर्ण
सी 39	9	फास्ट ट्रैक	डोंगरगांव	मध्यम		2005-06	चंद्रपुर		67.04	31.29	16.899	जारी
सी 40	10	फास्ट ट्रैक	शिवना टाकली	मध्यम		2005-06	औरंगाबाद	2008-09	123.12	72.85	16.4002	पूर्ण
सी 41	11	फास्ट ट्रैक	अमरावती	मध्यम		2005-06	धुले	2007-08	49.9	9.82	1.182	पूर्ण
42	12	फास्ट ट्रैक	गुल	मध्यम		2005-06	जलगांव		96.62	56.07	24.8882	जारी
ओडिशा												
2	1	फास्ट ट्रैक	सुबर्णरेखा	बृहत		1996-97	मयूरभंज		3178.85	2862.89	1310.0511	जारी
3	2	फास्ट ट्रैक	रेंगाली	बृहत		1996-97	अंगुल, ढेकानाल, कटक		1290.93	633.49	261.5643	जारी
सी 9	3	फास्ट ट्रैक	पोट्टेरु (केबीके)	बृहत		2001-02	मलकानगिरी	2004-05	191.21	31.12	25.43	पूर्ण
सी 10	4	फास्ट ट्रैक	नराज बैराज	मध्यम/ ईआरएम		2001-02	कटक	2005-06	231.31	39.91	35.805	पूर्ण
सी 15	5	फास्ट ट्रैक	सासों नहर प्रणाली के लिए सुधार	मध्यम/ ईआरएम		2002-03	संबलपुर, बोलनगीर और झारसुगुडा	2004-05	34.92	34.92	26.009	पूर्ण

सी 16	6	फास्ट ट्रैक	सलांडी बाईं मुख्य नहर अम्बाहाटा	मध्यम/ ईआरएम	2002-03	बालासोर, क्योंझर	2005-06	6.18	6.5	6.19	पूर्ण
सी 17	7	फास्ट ट्रैक	साल्की सिंचाई के लिए सुधार	मध्यम/ ईआरएम	2003-04	फूलबनी	2004-05		8.65	8.65	पूर्ण
पंजाब											
सी 2	1	फास्ट ट्रैक	यूबीडीसी का रिमॉडलिंग	बृहत/ ईआरएम	2000-01	अमृतसर और गुरदासपुर	2006-07	177.8	177.792	99.33	पूर्ण
5	2	फास्ट ट्रैक	कंडी नहर एक्सटेंशन (चरण-III)	बृहत/ ईआरएम	2002-03	होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला		540.24	300.43	92.43	जारी
राजस्थान											
सी 2	1	फास्ट ट्रैक	छपी	मध्यम	1996-97	झालावार	2004-05	100	63.405	38.225	पूर्ण
सी 3	2	फास्ट ट्रैक	पंचाना	मध्यम	1997-98	सवाई माधोपुर	2004-05	125	80.75	43.377	पूर्ण
10	3	फास्ट ट्रैक	गंग नहर का आधुनिकीकरण	बृहत/ ईआरएम	2000-01	श्रीगंगानगर		621.42	621.42	217.738	जारी
उत्तर प्रदेश											
सी 1	1	फास्ट ट्रैक	अपर गंगा सहित	बृहत	1996-97	बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी	2003-04	1612.07	393.07	233.69	पूर्ण

विवरण-II

क्र. सं.	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल की गई परियोजनाओं के नाम	राशि (करोड़ रुपए में) सकल योग
1	2	3
	मध्य प्रदेश	
1.	इंदिरा सागर (VI)	804.714
2.	बाणसागर (यूनिट-I) (V) (सी)	364.984
	बाणसागर (यूनिट-II) (V)	483.702
3.	ऊपरी वेनगंगा (V) (सी)	50.106
	रजघाट बांध (V)	42.203
4.	सिंध फेज-II (VI)	552.930
5.	सिंध फेज-I (IV) (सी)	14.876
6.	माही (VI)	340.621
7.	बरियारपुर (V)	110.019
8.	उर्मिल (V) (सी)	2.391
9.	बंजर (V) (सी)	1.400
10.	बावनथाडी (VI)	94.929
11.	महान (VI)	139.131
12.	ओंकारेश्वर (VIII) फेज-I	164.284
13.	बारगी बांध आरबीसी 16 किमी. से 63 किमी. (V) फेज-I	140.645
	बारगी डाइवर्जन प्रो. नहर (63 किमी. से 104 किमी.) चरण-II	114.470
	2006-07 की 17 एमआई स्कीमें	42.750
	2007-08 की 146 एमआई स्कीमें	179.089
	बारगी डाइवर्जन फेज-III	71.069
	बारगी डाइवर्जन फेज-IV (2008-09)	19.269
14.	पेंच डाइवर्जन परियोजना फेज-I	16.378
	ओंकारेश्वर परियोजना फेज-II	123.923
	ओंकारेश्वर नहर फेज-III	144.876

1	2	3
	ओंकारेश्वर नहर फेज-IV	48.820
	इंदिरा सागर नहर फेज-III	208.165
	इंदिरा सागर नहर फेज-IV (2008-09-XI)	89.477
	इंदिरा सागर नहर फेज-V (2013-14)	47.190
	इंदिरा सागर यूनिट-II (फेज-I एवं II) (2008-09-XI)	213.329
15.	पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (XI) 2008-09	382.020
16.	निचली गोई (XI) 2008-09	232.203
17.	ऊपरी बेदा (XI) 2008-09	88.348
	1 नई एमआई स्कीम (तुलसीपुर टैंक स्कीम)	13.779
	4 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	3.307
	9 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	11.180
	4 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	7.018
	11 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	39.931
	7 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	25.709
	3 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	13.128
	6 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	11.095
	17 चालू एमआई स्कीमें (2008-09)	11.819
	43 चालू एमआई स्कीमें (2008-09)	59.164
	32 चालू एमआई स्कीमें (2008-09)	57.943
	26 चालू एमआई स्कीमें (2008-09)	35.175
	14 चालू एमआई स्कीमें (2008-09)	9.272
	22 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	68.024
18.	जोबट सिंचाई परियोजना (2010-11)	17.373
	2010-11 की 19 नई एमआई स्कीमें	58.646
	67 नई एमआई स्कीमें 2011-12	264.234
	68 एमआई स्कीमें	269.192

1	2	3
19.	सिंहपुर सिंचाई परियोजना	30.543
20.	सागर (सागद) सिंचाई परियोजना	19.904
	दूसरी किस्त	9.720
21.	संजय सागर (बाह) लघु सिंचाई परियोजना	23.414
	68 नई एमआई स्कीमें	81.000
	89 नई एमआई स्कीमें	375.000
	111 नई एमआई स्कीमें	225.000
22.	माहुर मध्यम परियोजना 2013-14	8.100
	(मध्य प्रदेश)-कुल	7076.979

महाराष्ट्र में वस्त्र उद्योग

1144. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में विशेष रूप से राज्य के उन क्षेत्रों में जहां कपास की खेती होती है, में वस्त्र उद्योगों की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार की भूमिका महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में वस्त्र उद्योग/इकाइयों की स्थापना के लिए अनुकूल नीति परिवेश तैयार करना और उद्योग तथा निजी उद्यमियों की सुविधा के लिए योजनाएं बनाना है।

बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता

1145. श्री जगदम्बिका पाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जनजाति से संबंधित ग्रामीण परिवारों को आवासों के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित आवासीय इकाइयों की राज्य/वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क आवास प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) जी, हां। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत, मकान के निर्माण के लिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी जिलों के लिए 75,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, आईएवाई की 60% निधियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 15% निधियां अल्पसंख्यक लाभार्थियों और 3% निधियां विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में निर्मित आवास इकाइयों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में मौजूदा आईएवाई योजना के अलावा कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आईएवाई के अंतर्गत अजा, अजजा और अन्य के लिए निर्मित मकान

(इकाई संख्या में)

क्र. सं.	राज्य	2014-15					2013-14				
		लक्ष्य	निर्मित मकान*				लक्ष्य	निर्मित मकान			
			अजा	अजजा	अन्य	कुल		अजा	अजजा	अन्य	कुल
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	145570	0	0	0	0	207313	74153	41115	90807	206075
2.	अरुणाचल प्रदेश	2017	0	0	0	0	6870	0	454	0	454
3.	असम	183171	391	155	1902	2448	138695	12365	23669	39069	75103
4.	बिहार	280255	60	1496	1103	2659	605550	112102	8922	154845	275869
5.	छत्तीसगढ़	42889	1192	87	111	1390	48004	5223	18053	6619	29895
6.	गोवा	586	0	0	0	0	1393	13	49	554	616
7.	गुजरात	34105	1001	129	655	1785	107880	2395	19937	14794	37126
8.	हरियाणा	34771	3	658	175	836	18029	3311	0	1221	4532
9.	हिमाचल प्रदेश	4688	7	139	12	158	7064	5459	807	299	6565
10.	जम्मू और कश्मीर	13484	0	0	0	0	15952	0	160	269	429
11.	झारखंड	49701	155	127	131	413	67153	10436	18710	17505	46651
12.	कर्नाटक	94995	0	0	0	0	87816	33639	16038	42898	92575
13.	केरल	59060	54	824	956	1834	45738	23736	3557	28703	55996
14.	मध्य प्रदेश	115186	46	11	53	110	112936	12936	18597	15858	47391
15.	महाराष्ट्र	188319	953	173	1329	2455	137314	4688	46398	138516	189602

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	मणिपुर	4658	0	0	0	0	8011	4	369	43	416
17.	मेघालय	8433	66	0	0	66	13865	0	5833	541	6374
18.	मिज़ोरम	1293	0	0	0	0	3661	0	521	0	521
19.	नागालैंड	1480	0	0	0	0	10439	0	0	0	
20.	ओडिशा	160610	380	201	377	958	128057	34462	33798	41584	109844
21.	पंजाब	56750	0	0	0	0	19531	976	0	441	1417
22.	राजस्थान	101015	1921	1361	2062	5344	85460	19847	34072	28527	82446
23.	सिक्किम	1834	0	0	0	0	1436	160	279	359	798
24.	तमिलनाडु	53429	2	32	14	48	88436	13737	409	55809	69955
25.	त्रिपुरा	9550	0	0	0	0	13368	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	425299	35	481	211	727	297223	92242	872	63898	157012
27.	उत्तराखंड	11443	0	11	15	26	14012	881	234	1281	2396
28.	पश्चिम बंगाल	432803	297	1710	1513	3520	185594	31385	10650	50036	92071
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	867	0	0	0	0	2081	0	0	238	238
30.	दादरा और नगर हवेली	223	0	0	0	0	419	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	60	0	0	0	0	162	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	22	0	0	0	0	188	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	412	0	0	0	0	1065	0	0	0	0
	कुल	2518978	6563	7595	10619	24777	2480715	494150	303503	794714	1592367

*14.07.2014 की एमआईएस स्थिति के अनुसार।

—जारी

क्र. स.	राज्य	2012-13					2011-12				
		लक्ष्य	निर्मित मकान				लक्ष्य	निर्मित मकान			
			अजा	अजजा	अन्य	कुल		अजा	अजजा	अन्य	कुल
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	270399	97532	50566	102847	250945	249013	93394	49171	106448	249013
2.	अरुणाचल प्रदेश	8339	0	1555	56	1611	7548	0	1400	0	1400
3.	असम	184408	24341	25604	54780	104725	166913	32901	43136	67733	143770
4.	बिहार	816305	254632	12625	352320	619577	737486	200319	7836	261730	469885
5.	छत्तीसगढ़	41511	4142	16292	7910	28344	37466	8772	19764	48949	77485
6.	गोवा	1714	3	18	7	28	1547	28	283	776	1087
7.	गुजरात	136470	2650	42980	23909	69539	123168	4208	65429	42362	111999
8.	हरियाणा	19163	7023	0	5741	12764	17293	9821	0	7461	17282
9.	हिमाचल प्रदेश	6271	3254	503	2526	6283	5659	2864	570	2585	6019
10.	जम्मू और कश्मीर	19476	1042	1912	2938	5892	17578	362	3476	5204	9042
11.	झारखंड	69503	15779	23901	24889	64569	63477	22421	37441	57481	117343
12.	कर्नाटक	107210	40011	18103	51809	109923	96760	8556	4736	13673	26965
13.	केरल	59620	15904	2105	25598	43607	53808	22023	2749	29727	54499
14.	मध्य प्रदेश	84358	28609	37055	34888	100552	76135	28957	33802	35688	98447
15.	महाराष्ट्र	167379	15322	56587	71816	143725	151063	30980	49727	60772	141479

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	मणिपुर	7238	136	3929	490	4555	6552	3	2713	240	2956
17.	मेघालय	12608	63	4485	808	5356	11412	685	12194	268	13147
18.	मिज़ोरम	2687	0	2308	0	2308	2432	0	3227	0	3227
19.	नागालैंड	8343	0	0	0	0	7552	0	13362	0	13362
20.	ओडिशा	155363	43384	28201	57283	128868	142082	48314	33691	59393	141398
21.	पंजाब	23696	4827	0	1054	5881	21386	12831	0	3791	16622
22.	राजस्थान	68578	27939	19230	36853	84022	61894	47033	24435	54174	125642
23.	सिक्किम	1596	282	423	705	1410	1444	283	464	1058	1805
24.	तमिलनाडु	111410	23349	653	18870	42872	100553	49613	3556	38462	91631
25.	त्रिपुरा	16245	0	0	0	0	14704	2936	17425	6168	26529
26.	उत्तर प्रदेश	368322	84359	1529	77413	163301	332804	152903	2459	151650	307012
27.	उत्तराखंड	17162	3353	727	9710	13790	15488	4360	1408	9805	15573
28.	पश्चिम बंगाल	219553	59627	18736	92546	170909	199176	75760	22325	88139	186224
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2646	0	0	415	415	2389	0	0	578	578
30.	दादरा और नगर हवेली	441	0	0	0	0	398	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	197	0	0	2	2	178	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	171	0	0	0	0	154	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1318	0	0	0	0	1190	0	0	0	0
	कुल	3009700	757563	370027	1058183	2185773	2726702	860327	456779	1154315	2471421

[अनुवाद]

नई रेल लाइनें

1146. एडवोकेट जोएस जॉर्ज :
श्री जैदेव गल्ला :
श्री रत्न लाल कटारिया :
श्री चिन्तामन नावाशा वांगा :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री रामा किशोर सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा कोची-मदुरई, हैदराबाद-डोरनाकल-विजयवाड़ा-चेन्नई और मलशेज-दायघाट के रास्ते कल्याण-अहमदनगर, यमुनानगर-चंडीगढ़, गया-चात्रा खंडों का सर्वेक्षण कराने या नई रेल लाइनें बिछान पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) हाजीपुर-सगोली खंड पर नई रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) आबंटित और व्यय की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने के लिए परियोजना-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (घ) शुरू किए गए सर्वेक्षणों और नई लाइनों और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:—

1. सर्वेक्षण:

क्र.सं.	सर्वेक्षण	स्थिति
1.	कोची - मदैर	मदुरै-एर्णाकुल्लम (कोची) नई लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है।
2.	हैदराबाद - दोर्णाकल - विजयवाड़ा - चैन्ने	रेल लाइन पहले से मौजूद है।
3.	कल्याण - अहमदाबाद बरास्ता मलसेज - दरिया घाट	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

2. नई लाइन:

क्र. सं.	परियोजना	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2014 तक किया गया खर्च	2014-15 के दौरान परिव्यय	स्थिति
1.	यमुनानगर - चंडीगढ़	876	—	0.10	आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए।
2.	गया - चतरा	550	18.60	0.10	कार्य स्वीकृत। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए।
3.	हाजीपुर - सगौली	325	206.75	25.00	कार्य स्वीकृत। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए।

(ङ) चालू परियोजनाओं के भारी बकाया और निधि की सीमित उपलब्धता के कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट

1147. श्री जैदेव गल्ला : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट, 2012-13 के अनुसार देश में पांच घरों में केवल एक घर पर ही पेयजल, विद्युत और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में किए गए रहस्योद्घाटनों और इसके आधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण जनसंख्या को इन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयासों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट, 2012-2013 के अनुसार, बीस प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पास तीन बुनियादी सुविधाओं — परिसरों में ही पेयजल, स्वच्छता और बिजली में से कोई भी सुविधा नहीं है तथा अट्ठारह प्रतिशत परिवारों के पास ये तीनों सुविधाएं हैं। ये आंकड़े एनएसएस के 85वें दौर (2008-09) के आंकड़ों पर आधारित हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बुनियादी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 100 से अधिक आबादी वाले बिना बिजली वाले गांवों और बसावटों का विद्युतीकरण करने के लिए ग्रामीण बिजली अवसंरचना और परिवारों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराने तथा बीपीएल परिवारों को 23,397 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी से बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) नामक कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण आबादी को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है:—

- जल आपूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रखरखाव के लिए उपलब्ध निधियों को राज्यों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मंत्रालय ने हैंड पम्प के स्थान पर नई प्रणाली से पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर जोर दिया है।
- सभी आंशिक रूप से लाभान्वित और गुणवत्ता की समस्या वाली बसावटों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने का प्रस्ताव भी है।
- ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता के बीच तालमेल को प्राथमिकता दी जा रही है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत 68,786 करोड़ रुपए है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने वाले निर्मल भारत अभियान नामक व्यापक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा समाप्त करना और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, छोटे एवं सीमांत किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला मुखियाओं के परिवारों सहित गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले (एपीएल) निर्धारित परिवारों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु प्रोत्साहन का प्रावधान।
- एनबीए के अंतर्गत सभी प्राप्त लाभार्थियों को शौचालय के निर्माण के लिए दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन की राशि पूर्ववर्ती 3200 रुपए से बढ़ाकर 4600 रुपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अधिकतम 5400 रुपए का उपयोग किया जा सकता है। लाभार्थी के 900 रुपए के योगदान सहित अब शौचालय की कुल इकाई लागत 10,900 रुपए (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 11,400 रुपए) है।
- आईईसी कार्यकलापों के लिए निर्धारित कुल जिला परियोजना परिव्यय के 15 प्रतिशत से सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) पर जोर दिया जा रहा है।
- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) में तालमेल की व्यवस्था मौजूद है।

- स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, महिला और बाल विकास जैसे सहयोगी मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए) के तालमेल पर जोर दिया जा रहा है।
- स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 37,159 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के 6540 करोड़ रुपए के परिव्यय से 468 प्रतिशत अधिक है।

विद्युत की लागत को युक्तिसंगत बनाना

1148. श्री एन.के. प्रेमचन्दन :
श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादन की जा रही विद्युत की लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कोयला, गैस और नाफ्था के माध्यम से उत्पादित विद्युत की लागत में समानता सुनिश्चित करने के लिए विचार कर रही है;

(ग) क्या केरल में विद्युत की दयनीय स्थिति पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार की केरल में एनटीपीसी द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए कोयला आधारित विद्युत की दरें लागू करने के लिए कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि विद्युत उत्पादन में उनका इष्टतम उपयोग करने में नाफ्था आधारित परियोजनाओं के लिए विद्युत की उच्च लागत एक बड़ी रुकावट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) एनटीपीसी संयंत्रों से उत्पादित विद्युत के लिए पूल प्रशुल्क लागू करने हेतु हाल ही में मंत्रालय को केरल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यद्यपि, उक्त की जांच पहले ही की जा चुकी थी और यह पाया गया था कि प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वे राज्य जो पूल कीमत से निम्न कीमत पर विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, वे प्रस्ताव पर सहमत नहीं होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां। विद्युत मंत्रालय ने कायमकुलम (केरल में एनटीपीसी स्टेशन) पावर के साथ पूलिंग के लिए केरल राज्य से पहले ही तालचेर कनिहा-II (ओडिशा) से सस्ता कोयला आधारित 180 मेगावाट विद्युत पहले ही आवंटित कर दी है।

[हिन्दी]

स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सुविधाएं

1149. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री ओम प्रकाश यादव :
डॉ. किरीट सोमैया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को मध्य रेलवे के अंतर्गत मुंबई के नौ स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं प्रदान करने/उनमें सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों सहित इस पर क्या कार्रवाई की गई है और कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टेशनों से रेलगाड़ियों के समयबद्ध आगमन/प्रस्थान पर भी ध्यान देने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) रेल गाड़ियों में रसोईयान के प्रावधान हेतु रेलवे द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों संबंधी ब्यौरा क्या है और किन रेलगाड़ियों में रसोईयान उपलब्ध कराए गए हैं और किन रेलगाड़ियों जैसे कि दानापुर एक्सप्रेस, हावड़ा-कुर्ला एक्सप्रेस, हावड़ा-तितलागढ़ एक्सप्रेस में उपलब्ध कराए जाने का विचार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में दिए गए सुझावों में एस्केलेटर की सुविधा, प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाना, भांडुप में कोंकण से आने वाली गाड़ियों के लिए हॉल्ट, विक्रोली स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट विंडो खोलना,

विद्याविहार स्टेशन पर शौचालय की व्यवस्था आदि शामिल है। यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने/सुधार लाने के लिए निर्माण कार्यों पर व्यय को सामान्यत: 'यात्री सुविधाएं' योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, मुंबई क्षेत्र में स्थिति स्टेशनों सहित मध्य रेलवे के 'यात्री सुविधाएं' योजना शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय का आबंटन निम्नानुसार है:—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

रेलवे	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (मई, 2014 तक)	
मध्य	55.62	54.77	29.00	30.85	58.60	59.68	70.29	13.68

(ग) और (घ) जी, नहीं। आनंद विहार स्टेशन पर मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम अनिवार्य यात्री सुविधाएं मौजूद हैं।

समयपालन में सुधार लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं। महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक स्तर पर नियमित रूप से समयपालन संबंधी बैठकें आयोजित की जाती हैं। खराब मामलों का विश्लेषण किया जाता है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

गाड़ियों के समयपालन पर नजर रखने के लिए समय-समय पर समयपालन संबंधी अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें अधिकारियों को भी शामिल किया जाता है, ताकि समयपालन की हानि के लिए जवाबदेह कारकों पर 'मौके पर' कार्रवाई की जा सके।

(ङ) सभी राजधानी और लंबी दूरी वाली दूरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों में पेंट्री कार लगाई गई हैं। खान-पान नीति 2010 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार पेंट्री कार लगाने की व्यवस्था गाड़ियों की प्राथमिकता पर आधारित है जिसमें पहली प्राथमिकता दूरंतों और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को दी जाती है; उसके बाद लंबी दूरी वाली प्रीमियर, सुपर फास्ट गाड़ियों, दोनों ओर 34 घंटे से अधिक समय वाली मेल एवं एक्सप्रेस गड़ियों को अंतिम प्राथमिकता दी जाती है और इनमें से उन गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें वेस्टीबुल होते हैं। फिलहाल, 296 जोड़ी गाड़ियों में पेंट्री कार के जरिए खान-पान सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

इस समय, आवड़ा और लोकमान्य तिलक (टी) के बीच चलने वाली 12151/12152 लोकमान्य तिलक (टी)-हावड़ा समरसता एक्सप्रेस और 12101/12102 लोकमान्य तिलक (टी)-हावड़ा ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की दोनों जोड़ी गाड़ियों में पेंट्री कार सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसी प्रकार, 12871/12872 हावड़ा-टिटिलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस में भी पेंट्री कार सेवा उपलब्ध है। बहरहाल, 12351/12352 हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस में पेंट्री कार लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार में सड़कों का आधुनिकीकरण

1150. श्री राजेश रंजन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और आधुनिकीकरण के बारे में प्राप्त कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) यह मंत्रालय देश में मुख्य रूप से सड़कों के अनुरक्षण और विकास के लिए उत्तरदायी है। इस मंत्रालय में बिहार सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और आधुनिकीकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होते।

[अनुवाद]

कोल्लम में पार्वती मिलें

1151. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्वती मिल, कोल्लम, केरल के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई वित्तीय सहायता क्या है और उक्त मिल को कब तक पुनः चालू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण प्रक्रिया के लिए कोई समय-सीमा निश्चित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति और मिल को पुनः शुरू किए जाने की संभावित तिथि क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) पार्वती मिल्स, कोल्लम राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की अनुमोदित योजना के अनुसार संयुक्त उद्यम मार्ग के अंतर्गत पुनरुद्धार करने के लिए निर्धारित 11 मिलों में से एक है। संयुक्त उद्यम (जेवी) साझेदार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) समाप्त कर दिया गया था क्योंकि एमओयू के अनुसार संयुक्त उद्यम (जेवी) साझेदार निर्धारित समय-सीम के भीतर एनटीसी के साथ निर्णायक करार करने में असमर्थ रहे। जेवी साझेदार ने एमओयू रद्द किए जाने को उच्च न्यायालय, दिल्ली में चुनौती दी है और मामला न्यायाधीन है। चूंकि, मामला न्यायाधीन है, मिल के खोले जाने की संभावित तारीख का पता इस समय नहीं लगाया जा सकता।

रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर सुरक्षित पेयजल

1152. श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों/ट्रेनों में यात्री सुविधाएं विशेषकर सुरक्षित पेयजल और यात्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे को इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव, यात्री शेड का निर्माण एवं महेन्द्र नाथ हाल्ट, छपरा, बिहार में उपरिगामी पुल एवं छपरा-वाराणसी रेल खंड पर मांझी रेलवे स्टेशन के निकट चौकीदार रहित रेलवे समपार पर अधोगामी पुल के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशनों पर पीने के सुरक्षित पानी की व्यवस्था सहित यात्री सुविधाओं में सुधार/अभिवृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में आवश्यकतानुसार कार्य किए जाते हैं, जो पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके अलावा, स्टेशनों/गाड़ियों में रेल नीर और अन्य बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा अनुमोदित पीने के पानी की पैक्ड बोतलें 1000 मि.ली. के लिए 15 रुपए और 500 मि.ली. के लिए 10 रुपए की अधिकतम खुदरा कीमत पर बेची जाती हैं।

(ख) और (ग) गाड़ियों को ठहराव देने के संबंध में रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों यथा स्टेशन, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिनका संग्रह नहीं रखा जाता। परिचालनिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए इन अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और यथा व्यावहारिक एवं अर्थक्षम पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

स्टेशनों पर अतिरिक्त यात्री सुविधाओं के संबंध में मांग समय-समय पर प्राप्त होती है। इस समय महेन्द्र नाथ हाल्ट पर यात्री शेड और उपरी पुल की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और मांझी रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंग पर अंडरपास की व्यवस्था संबंधी कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना

1153. डॉ. मनोज राजोरिया : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से राजस्थान में प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना के अंतर्गत किए जाने वाले संरक्षण कार्यों/मरम्मतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों और योजनाओं को देश में विशेष रूप से राजस्थान में कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) यह स्कीम अभी संस्वीकृत होनी है।

[अनुवाद]

कपास की खरीद

1154. श्री प्रतापराव जाधव :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कपास की खरीद के बारे में कपास किसानों/संगठनों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्ति/एजेंसी दोषी पाए गए और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कपास और कपास उत्पादों की ओने-पौने दामों पर बिक्री किए जाने पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पूरे देश में कपास किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं; और

(ङ) क्या सरकार देश में कपास की खरीदी जाने वाली अत्यधिक मात्रा की सम्हलाई के लिए भारतीय कपास निगम की दक्षता और क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके पुनर्गठन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) कपास मौसम 2013-14 के दौरान, कपास मूल्य एमएसपी स्तर से अधिक रहे और इसलिए एमएसपी अभियान मामूली थे। सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) सरकार के पास कपास उत्पादक राज्यों से कपास की ओने-पौने दामों पर बिक्री की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) भारतीय कपास निगम की पुनर्संरचना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे लाइनों का दोहरीकरण

1155. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री जोस के. मणि :
श्री संजय काका पाटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अधिग्रहण की प्रगति सहित बंगलोर-हुबली, एर्नाकुलम-कायमकुलम और मुलान्थुरूथी-चिंगावनम खंडों पर रेलवे लाइनों के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर कब तक आबंटित और व्यय की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे मिरज-पूना खंड पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त परियोजनाओं को परियोजना-वार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार हैं:—

सभी आंकड़े करोड़ रुपए में

क्र. सं.	खंड	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2014 तक व्यय	2014-15 के लिए परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6
क.	**बेंगलूरु-हुबली मार्ग**				
	बेंगलूरु-तुमकुर (69 किमी.)	—	—	—	इस लाइन पर दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है।
	तुमकुर-अर्सीकेरे (96 किमी.)	—	—	—	इस लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
	अर्सीकेरे-बिरूर (44.28 किमी.)	246.63	194.64	10	कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6
	बिरूर-शिवानी (28.57 किमी.)	142.64	106.46	20	कार्य पूरा हो गया है।
	शिवानी-होसादुर्गा रोड (9.98 किमी.)	49.81	39.33	10	कार्य पूरा हो गया है।
	होसादुर्गा रोड चिकजाजूर (28.89 किमी.)	203.40	20	100	होसादुर्गा रोड-रामगिरी (10 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और शेष भाग पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
	चिकजाजूर-हुबली (190 किमी.)	—	—	—	इस लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
ख.	**एर्णाकुलम-कायनकुल्लम मार्ग**				
	कोट्टायम मार्ग				
	एर्णाकुलम-मुलनतुरूति (17.37 किमी.)	—	—	—	कार्य पूरा हो गया है।
	मुलनतुरूति-कुरुपन्नतारा (24 किमी.)	185.77	128.67	57	मुलनतुरूति-पीरावम रोड (11 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और शेष भाग पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
	कुरूपन्नतारा-चिंगावन्नतम (46.54 किमी.)	346	24.85	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
	चिंगावन्नम-चेंगान्नूर (26.5 किमी.)	221.67	112.11	36.67	चेंगान्नूर-चंगन्नचेरी पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
	चेंगान्नूर-मवेलीकारा (12.3 किमी.)	88.54	82.35	1.18	कार्य पूरा हो गया है।
	मवेलीकारा-कायनकुल्लम (7.89 किमी.)	—	—	—	कार्य पूरा हो गया है।
	अलपुजाह मार्ग				
	एर्णाकुलम-कुंबल्लम (7.71 किमी.)	189	3.63	2	परियोजना लागत में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार से नि:शुल्क भूमि और इस परियोजना की निर्माण लागत में 50 प्रतिशत भागीदारी के लिए अनुरोध किया गया था। बहरहाल, राज्य सरकार ने रेलवे के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था।

1	2	3	4	5	6
	कुंबल्लम-थुरावूर (15.95 किमी.)	250	6.48	3	परियोजना लागत में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार से नि:शुल्क भूमि और इस परियोजना की निर्माण लागत में 50 प्रतिशत भागीदारी के लिए अनुरोध किया गया था।
	थुरावूर-अंबअलपुजाह (45.17 किमी.)	—	—	—	कार्य को स्वीकृत नहीं किया गया है।
	अंबअलपुजाह-हरिपद (18.13 किमी.)	125	28.14	10	स्थानीय विरोध के कारण कार्य को रोक दिया गया है।
	हरिपद-चेप्पद (5.28 किमी.)	35.66	34.23	1.22	कार्य पूरा हो गया है।
	चेप्पद-कायनकुल्लम (7.76 किमी.)	50.12	47.94	,1	कार्य पूरा हो गया है।

(ग) और (घ) पुणे-मिरज-कोल्हापुर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ङ) चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सड़क निर्माण परियोजनाएं

1156. श्री रत्न लाल कटारिया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 जून, 2014 को चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए 3136 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) चार सड़क परियोजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 73ए (पुराना) के पंचकुला-यमुना नगर खंड को चार लेन बनाने, राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (पुराना) के अम्बाला-कैथल खंड को चार लेन बनाने, राष्ट्रीय राजमार्ग 21ए (पुराना) के पिंजोर-बाधी खंड को चार लेन बनाने और अम्बाला-साहा-साहाबाद सड़क को नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य शुरू करने और उसे 3136 करोड़ रुपए की कुल लागत पर चार लेन में विकसित करने का कार्य इसके कार्यान्वयन किये जाने के लिए इस मंत्रालय के विचाराधीन है और यह आयोजन, डिजाइन और निविदा चरण में है। चूंकि ये परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं इसलिए इन परियोजनाओं को प्रारंभ किए जाने का इस समय उल्लेख नहीं किया जा सकता।

राजमार्गों की दयनीय स्थिति

1157. श्री भैरों प्रसाद मिश्र : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांदा-बबेरू, कमसिन-कार्वी, राजापुर-बांदा-विसेदा को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय राजमार्ग सड़कों जो कि बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं की मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त राजमार्गों के रख-रखाव हेतु अब तक कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(ग) क्या जारी की गई सभी निधियों का उपयोग उक्त प्रयोजनार्थ किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्य रूप से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के प्रति जिम्मेवार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर सड़कों के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। बांदा-बबेरू, कमसिन-कार्वी, राजापुर-बांदा-विसेदा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इस प्रकार यह सड़क राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

[अनुवाद]

जीटी रोड पर अतिक्रमण

1158. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जीटी रोड पर कई स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को निर्बाध रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसी कौन सी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जीटी रोड की भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि उपर्युक्त सड़कों पर दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बीओटी (पथकर) आधार पर रियायतग्राही मै. एसआरईआई-पीएनसी-गलफार (सं.उ.) के माध्यम से गाजियाबाद से अलीगढ़ तक ग्रांड ट्रंक रोड (रारा-91) का मौजूदा 2 लेन से 4 लेन में विकास शुरू किया है। रारा-91 का किमी. 23.6 से किमी. 46.00 तक का खंड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ता है। रारा-91 का केवल 1 किमी. खंड गाजियाबाद में पड़ता है। परियोजना राजमार्ग के साथ-साथ फैले कुछ स्थानों पर अतिक्रमण है जो गहन शहरीकरण के साथ बार-बार बढ़ जाता है। मौजूदा राजमार्ग को 2 लेन से 4 लेन में बनाने के लिए समय-समय पर जिला प्रशासन की सहायता से अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

पुल और टोल प्लाजा

1159. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
योगी आदित्यनाथ :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छोटे पुलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां से पथकर संग्रह किया जाता है और जहां से पथकर संग्रह वसूलना बंद किया गया है और यह प्रस्ताव किस तारीख से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में हर वर्ष यातायात जाम के कारण हजारों करोड़ रुपए का ईंधन बर्बाद हो जाता है;

(ग) क्या सरकार का देश भर के टोला प्लाजा पर रोडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटेफिकेशन सिस्टम शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारी भरकम हानि को रोकने और यातायात को अवरुद्ध होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या राजमार्गों पर एक संग्रहण में भेदभाद की घटनाएं प्रकाश में आई हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) उन पुलों की सूची संलग्न विवरण में दिया गया है जिन पर प्रयोक्ता शुल्क की वसूली की जा रही है। शुल्क नियमावली के अनुसार शुल्क का संग्रहण लगातार किया जाता है। तथापि निजी निवेश वाली परियोजनाओं के मामले में शुल्क रियायत अवधि के अंत में और सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में पूंजीगत लागत की वसूली होने पर फीस से 40% कम दर पर लगाई और संग्रहीत की जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए इलैक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण प्रणाली (ईटीसी) पर आधारित रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलैक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण के कार्यान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (25%), रियायतग्राही (50%) और वित्तीय संस्थाओं (25%) की इक्विटी भागीदारी के साथ "इंडियन हाइवेज मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड" नामक एक कंपनी 26.12.2012 को गठित की गई है। मुम्बई-अहमदाबाद पर अंतर-प्रचालन की जांच पहले ही की जा चुकी है और इस खंड पर इस समय ईटीसी प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

पुलों की सूची जिन पर प्रयोक्ता शुल्क की वसूली की जा रही है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना खंड	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1	2	3	4
1.	असम	गंगाधर पुल	31
2.	असम	कालिया भुमोरा पुल	37ए
3.	छत्तीसगढ़	इन्द्रावती पुल	30
4.	छत्तीसगढ़	नन्दघाल पुल	200 (पुराना 130)
5.	कर्नाटक	हगाड़ी पुल	63 (पुराना 75)
6.	कर्नाटक	शरावती पुल	17
7.	कर्नाटक	नथरावती नदी पुल	48 (पुराना 75)
8.	केरल	अरप्पुझा पुल	17
	केरल	पदनाक्कड़ पुल	17
9.	केरल	अरप्पुझा पुल	66
10.	मध्य प्रदेश	पारवती पुल	12
11.	महाराष्ट्र	वैनगंगा नदी पुल	6
12.	महाराष्ट्र	सावित्री पुल	66 (पुराना 17)
13.	महाराष्ट्र	पिंगलाई नदी पुल	6
14.	महाराष्ट्र	हट्टुर पुल	13
15.	महाराष्ट्र	कड़क्बल पुल	13
16.	महाराष्ट्र	ऐनेगुर पुल	9
17.	ओडिशा	बंधन पुल	49
18.	उत्तर प्रदेश	सी.एस. आजाद पुल	96 (पुराना 330)
19.	उत्तर प्रदेश	गंगा नदी पुल	119
20.	उत्तर प्रदेश	कनहर पुल दुट्टधी	39 (पुराना 75ई)
21.	उत्तर प्रदेश	कटका पुल	35 (पुराना 76ई)
22.	उत्तर प्रदेश	केन नदी पुल	35 (पुराना 76)
23.	उत्तर प्रदेश	खजुरी पुल	35 (पुराना 7)
24.	उत्तर प्रदेश	जयप्रभा पुल	31 (पुराना 19)
25.	उत्तर प्रदेश	साई पुल	31 (पुराना 56)
26.	उत्तर प्रदेश	संजय पुल	927 (पुराना 28सी)
27.	उत्तर प्रदेश	पीपरी पुल	330 (पुराना 96)
28.	उत्तर प्रदेश	वीर अब्दुल हमीद पुल	24 (पुराना 97)
29.	उत्तर प्रदेश	रीहन्द पुल	39 (पुराना 75ई)
30.	उत्तर प्रदेश	यमुना पुल	344 (पुराना 73)
31.	उत्तराखंड	कोसी नदी पुल	74
32.	उत्तराखंड	रवासन नदी पुल	74 (पुराना 734)

अपतटीय पवन चक्की फार्म की नीलामी

1160. श्री धर्मेन्द्र यादव : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तेल और गैस की नीलामी की तर्ज पर अपतटीय पवन चक्की फार्म की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपतटीय पवन चक्की फार्म के कब तक कार्य करने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल शुद्धिकरण प्रणाली

1161. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल शुद्धिकरण प्रणाली हेतु प्राकृतिक ऊर्जा अर्थात् सौर/वायु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनता को और अधिक मात्रा में शुद्ध जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए स्थापित जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र सहित देश में उनके वर्तमान प्रचालनात्मक स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जल शुद्धिकरण प्रणाली के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामीण आबादी को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत उन्हें तकनीकी और वित्तीय रूप से सहायता उपलब्ध कराता है। एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऊर्जा के नए और अक्षय स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। मंत्रालय, देश के 10 राज्यों में 82 माओवादी जिलों में 10,000 सौर आधारित दोहरे पंप उपलब्ध कराने की स्कीम का पहले से ही कार्यान्वयन कर रहा है।

(ग) राज्यों द्वारा मंत्रालय की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दी गई सूचना के अनुसार, देश में राज्य, जिला, ब्लॉक और उप-खंड स्तरों पर स्थापित की गई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण साथ ही उनकी कार्यशीलता से संबंधित स्थिति का विवरण पर दिया गया है। इन प्रयोगशालाओं में उचित कार्यशीलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों का 3% अंश राज्यों को जारी किया गया जिसे कि विशेष रूप से चिन्हित किया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों पर प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) मैनुअल तैयार किया है और सभी राज्यों को उसे परिचालित करके उन्हें इस मैनुअल का संदर्भ लेने की सलाह दी है। यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति स्कीमों के प्रचालन और रखरखाव का कार्य संचालित करना चाहिए, यदि संबंधित आस्तियां उनके कार्य क्षेत्र के अधीन आती हैं। बहु-ग्रामीण और बड़े स्तर की जलापूर्ति स्कीमों के मामले में ग्राम पंचायतों की सीमाओं तक आने वाले शोधन संयंत्र, वितरण नेटवर्क का रखरखाव ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का कार्य देख रहे संबंधित राज्य के विभाग/बोर्ड द्वारा किया जाएगा और पंचायतों द्वारा केवल आंतरिक वितरण नेटवर्क का रखरखाव किया जाएगा। जलापूर्ति आस्तियों का उचित रूप से प्रचालन और रखरखाव करने के लिए राज्यों को निधियां, कार्यों का अंतरण और पदाधिकारियों का स्थानांतरण, पंचायती राज संस्थाओं को करने की सलाह भी दी गई है। जो राज्य इन कार्यों का बेहतर तरीके से अंतरण करेंगे, उन्हें एक समुचित प्रबंधन अंतरण सूचकांक के माध्यम से और अधिक निधियों से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

विवरण

दिनांक 10.7.2014 के अनुसार राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विभिन्न स्तर पर स्थापित की गई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं एवं उनकी कार्यशीलता संबंधी स्थिति का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	राज्य स्तर			जिला स्तर			ब्लॉक स्तर			उप-खंड स्तर		
		कुल	कार्यशील	अकार्यशील	कुल	कार्यशील	अकार्यशील	कुल	कार्यशील	अकार्यशील	कुल	कार्यशील	अकार्यशील
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	0	32	31	1	0	0	0	73	73	0
2.	बिहार	1	1	0	40	37	3	0	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	1	1	0	31	25	6	0	0	0	18	17	1
4.	गोवा	1	1	0	0	0	0	1	1	0	9	9	0
5.	गुजरात	1	1	0	27	27	0	25	20	5	3	0	3
6.	हरियाणा	0	0	0	21	19	2	0	0	0	22	18	4
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	14	13	1	0	0	0	17	15	2
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	22	20	2	2	2	0	52	49	3
9.	झारखंड	1	1	0	27	21	6	0	0	0	3	1	2
10.	कर्नाटक	1	1	0	42	38	4	62	62	0	9	9	0
11.	केरल	1	1	0	14	14	0	0	0	0	24	24	0
12.	मध्य प्रदेश	1	1	0	50	49	1	4	4	0	105	103	2
13.	महाराष्ट्र	1	1	0	44	44	0	368	304	64	144	143	1
14.	ओडिशा	0	0	0	32	32	0	0	0	0	44	40	4
15.	पंजाब	3	3	0	22	20	2	8	8	0	4	4	0
16.	राजस्थान	1	1	0	33	33	0	69	69	0	0	0	0
17.	तमिलनाडु	1	1	0	34	34	0	0	0	0	48	47	1

18.	उत्तर प्रदेश	1	1	0	76	75	1	1	1	0	0	0	0
19.	उत्तराखंड	0	0	0	28	27	1	1	1	0	14	14	0
20.	पश्चिम बंगाल	1	1	0	18	18	0	0	0	0	152	151	1
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	17	15	2	0	0	0	30	6	24
22.	असम	2	2	0	36	34	2	0	0	0	48	47	1
23.	मणिपुर	1	1	0	9	9	0	0	0	0	2	2	0
24.	मेघालय	1	1	0	7	5	2	0	0	0	23	23	0
25.	मिज़ोरम	1	1	0	8	8	0	0	0	0	18	18	0
26.	नागालैंड	1	1	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0
27.	सिक्किम	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	1	1	0	8	8	0	7	7	0	6	6	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
36.	तेलंगाना	0	0	0	19	19	0	0	0	0	56	56	0
	कुल	28	28	0	737	701	36	548	479	69	927	878	49

धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

1162. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋषिकेष से गौरी कुंड और बद्रीनाथ धाम को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को अपेक्षित स्तर तक उपयुक्त बना दिया गया है क्योंकि ये 14-16 जून, 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप इन राष्ट्रीय राजमार्गों के यातायात के सामान्य यात्रा भार हेतु कब तक उपयुक्त बनाए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) जून, 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के तुरंत पश्चात्, सीमा सड़क संगठन जो इस मंत्रालय की एक कार्यान्वियन एजेंसी है, ने उत्तराखंड में ऋषिकेश से सोनप्रयाग और माना (बदरीनाथ धाम के निकट) तुरंत पुनरुद्धार और पुनर्वास कार्य के लिए और संचार माध्यमों के लिए जी-जान से प्रयास किए, जो जल्द से जल्द यातायात के लिए खोल दिए गए। वर्तमान में रारा-58 ऋषिकेश से माना (बदरीनाथ के निकट) तक तथा रारा-109 रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक यातायात अनूकूल स्थिति में हैं। सोनप्रयाग से आगे रारा-109 का खंड खुरदरा है और केवल हल्के वाहनों के लिए यातायात योग्य है। गौरी कुंड के निकट इस राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 500 मीटर का एक छोटा खंड केवल यात्रियों और खच्चरों के लिए खुला है क्योंकि यहां कठोर चट्टान का स्तर है जिसके परिणाम स्वरूप फॉरमेशन कटिंग में दिक्कत है।

कोयला भंडारों का अन्वेषण

1163. श्री निशिकांत दुबे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड सहित देश में कोयला भंडारों के अन्वेषण हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रचालनरत/बंद पड़ी कोयला खानों का ब्यौरा क्या है एवं आवंटित की जा रही नर्म कोयला खानों की राज्य और कंपनी-वार संख्या कितनी है; और

(घ) लघु इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें कोयला खानों से कोयले की आपूर्ति की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) कोयला अन्वेषण एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2013-14 के लिए निम्नलिखित ड्रिलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए थे:—

क्र. सं.	राज्य	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एमईसीएल और नागालैंड व असम राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय (संवर्धनात्मक) ड्रिलिंग मीटरेज	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट द्वारा विस्तृत डि ्लिंग मीटरेज
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	2,137	4,7256
2.	ओडिशा	5,477	—
3.	मध्य प्रदेश	14,109	104,260
4.	छत्तीसगढ़	31,067	192,914
5.	नागालैंड	720	—
6.	असम	123	—
7.	आंध्र प्रदेश	9,552	—

1	2	3	4
8.	झारखंड	—	172,890
9.	महाराष्ट्र	—	97,073
	कुल	63,185	696,841

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड की काम कर रही कोयला खानों की संख्या 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार और कंपनी-वार (अनंतिम) नीचे दी गई है:—

राज्य	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	एनईसी	कुल
पश्चिम बंगाल	88	1							89
झारखंड	16	52	67						135
मध्य प्रदेश				6	26	34			66
उत्तर प्रदेश				4					4
छत्तीसगढ़						52			52
महाराष्ट्र					53				53
ओडिशा							26		26
असम								4	4
कुल	104	53	67	10	79	86	26	4	429

राष्ट्रीयकरण के बाद से 1.4.14 की स्थिति के अनुसार को कोल इंडिया लिमिटैड की बंद/परित्यक्त/बंद खानों की संख्या राज्य-वार और कंपनी-वार (अनंतिम) नीचे दी गई है:—

राज्य	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	एनईसी	कुल
पश्चिम बंगाल	51	2							53
झारखंड	7	23	18						48
मध्य प्रदेश				1	37	20			58
उत्तर प्रदेश									0
छत्तीसगढ़						25			25
महाराष्ट्र					20				20
ओडिशा							2		2
असम								3	3
कुल	58	25	18	1	57	45	2	3	209

'कोलया खान नियमावली, 2012 का प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी' के नियम-4 के अंतर्गत विद्युत एवं खनन अन्त्य उपयोग हेतु सरकारी कंपनियों/निगमों को 17 नए कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया गया है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

क्र. सं.	कोल ब्लॉक/मेजबान राज्य	प्रस्तावित आवेदक राज्य/सीपीएसयू	प्रस्तावित सरकारी कंपनी	प्रस्तावित आवंटित कोयला भंडार (एलटी)
विद्युत अन्त्य उपयोग				
1.	तेंतुलोई/ओडिशा	ओडिशा	ओडिशा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.	1,234.00
2.	भालूमुदा/छत्तीसगढ़	सीपीएसयू/एनटीपीसी	एनटीपीसी लिमिटेड	550.00
3.	बनाई/छत्तीसगढ़	सीपीएसयू/एनटीपीसी	एनटीपीसी लिमिटेड	629.00
4.	चंद्रबिला/ओडिशा	सीपीएसयू/एनटीपीसी	एनटीपीसी लिमिटेड	550.00
5.	कुदानली-लुबूरी-ओडिशा	सीपीएसयू/एनटीपीसी	एनटीपीसी लिमिटेड	266.00
		जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू व कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	130.00
6.	बैसी/छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	150.00
7.	पचवारा/साउथ/झारखंड	सीपीएसयू/एनएलसी	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड/घाटमपुर	279.00
8.	जिलगा-बरपाली/छत्तीसगढ़	सीपीएसयू/एनएलसी छत्तीसगढ़	एनएलसी/सिरकाली (तमिलनाडु) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	396.00 150.00
9.	सरापल-नुआपारा/ओडिशा	आंध्र प्रदेश	अपजेन्को	701.00
10.	केन्ती विस्तार/छत्तीसगढ़	राजस्थान	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम	200.00
11.	महाजनवाड़ी/महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	महाजेनको	170.00
		गुजरात	जीएसईसीएल	170.00
12.	गांदबेहरा उजेहनी/मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	एमपीपीजीसीएल	532.00
13.	देउचा-पचमी-पश्चिम बंगाल	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	32.00
		पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल पावर देव कॉर्पोरेशन	584.00
		बिहार	बीएसपीजीसी/एसजेचीएप लि.	486.00
		पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	229.00
		तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन एवं जिला कॉर्पोरेशन लिमिटेड	171.00
		उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	250.00
14.	कल्याणपुर-बादलपारा/झारखंड	हरियाणा	एचपीजीसीएल	51.00
		उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	51.00

क्र. सं.	कोल ब्लॉक/मेजबान राज्य	प्रस्तावित आवेदक राज्य	प्रस्तावित सरकारी कंपनियों/निगमों	प्रस्तावित आवंटित कोयला भंडार (मिलियन टन)
खनन अन्त्य उपयोग				
1.	ब्राह्मणी/ओडिशा	ओडिशा	ओडिशा खनन विकास कंपनी	58.90
2.	गोवा/झारखंड	झारखंड	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	25.74
		बिहार	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	25.74
3.	केरवा/छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	56.47
		मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	56.47

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

1164. श्री भरत सिंह :
श्री रविन्दर कुशवाहा :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा और घाघरा नदियों द्वारा बाढ़ और कटाव के कारण कितने जन और धन की हानि हुई एवं जनसंख्या विस्थापित हुई;

(ख) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ और नदी कटाव की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) केन्द्रीय जल आयोग तथा गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011, 2012 व 2013 हेतु संपूर्ण भारत के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में बाढ़ से होने वाली हानि के रखे गए वर्ष-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा व घाघरा नदी बेसिनों में बाढ़ से होने वाली हानि शामिल है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करने हेतु XIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यक्रम शुरू किया। मंत्रिमंडल ने एफएमपी को XIIवीं योजना में जारी रखने का अनुमोदन दिया। XIवीं तथा XIIवीं योजना के दौरान (31.03.2014 तक) एफएमपी के अंतर्गत जारी निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

2011, 2012 और 2013 के दौरान संपूर्ण भारत में बाढ़ से होने वाली हानि के आंकड़े

हानि का प्रकार	वर्ष		
	2011	2012	2013
1	2	3	4
प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	5.714	7.777	उपलब्ध नहीं
प्रभावित जनसंख्या (मिलियन)	15.499	13.567	8.530

1	2	3	4
फसलों की हानि			
(i) क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	2.899	1.863	0.797
(ii) मूल्य (करोड़ रुपए)	1436.934	1619.192	2165.24
मकानों को हानि			
(i) संख्या	1202794	158606	281275
(ii) मूल्य (करोड़ रुपए)	461.749	239.740	185.08
पशु हानि (संख्या)	36126	31406	110399
मानव जीवन हानि (संख्या)	1867	882	1537
सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों को हुई हानि (करोड़ रुपए)	6029.321	9146.017	2350.32
कुल हानि (करोड़ रुपए)	7928.004	11004.948	4727.59

स्रोत: एनडीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय तथा सीडब्ल्यूसी द्वारा संकलित आंकड़े।

2011, 2012 और 2013 के दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाली हानि के आंकड़े

हानि का प्रकार	वर्ष		
	2011	2012	2013
प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	0.525	0.000	उपलब्ध नहीं
प्रभावित जनसंख्या (मिलियन)	2.306	0.684	उपलब्ध नहीं
फसलों की हानि			
(i) क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	0.396	0.124	उपलब्ध नहीं
(ii) मूल्य (करोड़ रुपए)	199.94	6.979	उपलब्ध नहीं
मकानों को हानि			
(i) संख्या	313436	5533	उपलब्ध नहीं
(ii) मूल्य (करोड़ रुपए)	79.368	11.199	उपलब्ध नहीं
पशु हानि (संख्या)	239	70	उपलब्ध नहीं
मानव जीवन हानि (संख्या)	729	105	12
सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों को हुई हानि (करोड़ रुपए)	1159.13	99.69	उपलब्ध नहीं
कुल हानि (करोड़ रुपए)	1438.438	117.877	उपलब्ध नहीं

स्रोत: एनडीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़े।

विवरण-II

XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान (31.3.2014 तक) "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के अंतर्गत जारी निधि का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	XIवीं योजना के दौरान जारी निधि	XIIवीं योजना के दौरान जारी निधि			जारी कुल निधि
			2012-13	2013-14	कुल (XIIवीं योजना)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	78.77		16.83	16.83	95.60
2.	असम	744.90	2.51		2.51	747.41
3.	बिहार	680.79	54.48	88.57	143.05	823.84
4.	छत्तीसगढ़	15.57		3.75	3.75	19.32
5.	गोवा	9.98	2.00		2.00	11.98
6.	गुजरात	2.00			0.00	2.00
7.	हरियाणा	46.91			0.00	46.91
8.	हिमाचल प्रदेश	165.31	19.92	9.75	29.67	194.98
9.	जम्मू और कश्मीर	243.50	39.36	28.29	67.65	311.15
10.	झारखंड	17.07	4.27		4.27	21.34
11.	कर्नाटक	20.00			0.00	20.00
12.	केरल	63.68			0.00	63.68
13.	मणिपुर	65.03	0.95	16.96	17.91	82.94
14.	मिज़ोरम	3.40			0.00	3.40
15.	नागालैंड	28.96	15.45		15.45	44.41
16.	ओडिशा	95.64			0.00	95.64
17.	पुदुचेरी	7.50			0.00	7.50
18.	पंजाब	40.43			0.00	40.43
19.	सिक्किम	82.86		2.43	2.43	85.29
20.	तमिलनाडु	59.82			0.00	59.82

1	2	3	4	5	6	7
21.	त्रिपुरा	20.91			0.00	20.91
22.	उत्तर प्रदेश	290.69	45.42	30.48	75.90	366.58
23.	उत्तराखंड	49.63		53.14	53.14	102.77
24.	पश्चिम बंगाल	642.87	9.49	128.81	138.30	781.16
	कुल	3476.21	193.85	379.00	572.85	4049.06
XIवीं योजना से आगे लाए गए कार्य		89.79			0.00	89.79
कुल जोड़		3566.00			572.85	4138.85

ट्रेन दुर्घटनाएं

1165. श्री रविन्दर कुशवाहा :

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

श्री कौशल किशोर :

श्री कीर्ति आजाद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल के वर्षों में पटरी से उतरने सहित ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जोन-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या रेलवे वर्धा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म बढ़ाने और सुविधाओं को भी सुधारने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकार प्रवेश करने की घटनाओं को छोड़कर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या सामान्यत: 2010-11 के 93 से घटकर 2011-12 में 77 और इसके बाद 2012-13 में 68 और 2013-14 में 71 हो गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2014 तक) के दौरान सड़क वाहन उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकार प्रवेश करने की घटनाओं को छोड़कर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की जोन-वार और वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:—

रेलवे	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (जून, 2014 तक)
1	2	3	4	5
मध्य	5	7	7	2
पूर्व तट	8	8	4	4
पूर्व मध्य	7	7	7	5
पूर्व	6	4	5	0
उत्तर मध्य	9	5	2	2

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर	2	2	1	1
पूर्वोत्तर सीमा	7	3	3	1
उत्तर	9	7	10	2
उत्तर पश्चिम	4	1	4	0
दक्षिण मध्य	5	4	4	3
दक्षिण पूर्व मध्य	1	3	6	0
दक्षिण पूर्व	1	2	6	2
दक्षिण	3	1	3	0
दक्षिण पश्चिम	2	6	3	3
पश्चिम मध्य	7	3	1	1
पश्चिम	1	4	4	0
कोंकण रेलवे	—	1	1	1
जोड़	77	68	71	27

(ग) उपरोक्त दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल व्यक्तियों की जोन-वार संख्या निम्नानुसार है:—

रेलवे	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (जून, 2014 तक)	
	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	0	2	1	38	4	34	26	90
पूर्व तट	10	39	0	24	0	0	1	1
पूर्व मध्य	11	12	1	20	0	13	6	24
पूर्व	6	74	0	0	1	7	0	0
उत्तर मध्य	71	264	0	0	1	0	0	0
पूर्वोत्तर	1	0	10	8	0	0	29	71
पूर्वोत्तर सीमा	0	19	0	17	0	0	0	11
उत्तर	1	19	9	55	2	0	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर पश्चिम	0	0	0	4	3	2	0	0
दक्षिण मध्य	0	0	30	28	2	6	1	2
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	2	2	1	4	0	0
दक्षिण पूर्व	0	1	1	0	2	3	0	0
दक्षिण	11	89	0	0	1	32	0	0
दक्षिण पश्चिम	0	5	26	97	28	10	0	3
पश्चिम मध्य	4	50	0	0	0	0	0	0
पश्चिम	0	0	0	6	9	8	0	0
जोड़	115	574	80	299	54	119	63	210

2011-12, 2012-13, 2013-14 के दौरान और चालू वर्ष में अप्रैल से जून, 2014 तक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं से रेल परिसंपत्तियों को क्रमश: 89.83 करोड़ रुपए (लगभग), 54.24 करोड़ रुपए (लगभग), 27.98 करोड़ रुपए (लगभग) और 21.17 करोड़ रुपए (लगभग) की हानि हुई।

(घ) भारतीय रेल में संरक्षा को उच्च्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने तथा संरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार हरसंभव कदम उठाए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल एवं इंटरलॉकिंग प्रणालियों के अपग्रेडेशन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, संरक्षा अभियान, कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर उच्च बल देना तथा सुरक्षित पद्धतियों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों की निगरानी तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर निरीक्षण करना शामिल है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अन्य संरक्षा उपकरणों/प्रणालियों में ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (बीपीएस), सहायक चेतावनी प्रणाली (एडब्ल्यूएस), एलईडी सिगनल, सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी), टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी) गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) और गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) शामिल हैं। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और बोर्ड सदस्यों द्वारा महाप्रबंधकों के सम्मेलनों और मुख्य संरक्षा अधिकारियों की सम्मेलन के दौरान तथा अपने दौरे के दौरान भी क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों और विभागीय प्रमुखों के साथ संरक्षा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और उन्हें संरक्षा बढ़ाने के लिए निदेश जारी किए जाते हैं। हाल में हुई गाड़ी दुर्घटनाओं से सीख लेते हुए संरक्षा संबंधी मुद्दों पर संरक्षा अभियान चलाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को समय-समय पर निदेश जारी किए जाते हैं ताकि भविष्य में इसी प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

(ङ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13, 2013-14 और चालू वर्ष के दौरान अप्रैल से जून, 2014 तक गाड़ी दुर्घटनाओं (भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124) में मारे गए/घायल व्यक्तियों के लिए मुआवजे की राशि क्रमश: 510.78 लाख रुपए (लगभग), 319.63 लाख रुपए (लगभग), 149.22 लाख रुपए (लगभग) और 34.88 लाख रुपए (लगभग) का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

1166. श्री बी.वी. नाईक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राजस्थान में विद्युत उत्पादन में वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान की गई निधि का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस प्रयोजन के लिए और अधिक निधि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) राजस्थान में वर्ष 2010-11 में उत्पादन 35.25 बिलियन यूनिट (बीयू) से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 45.85 बिलियन यूनिट हो गया है। राजस्थान में वर्ष 2010 से 2014 तक विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि की मात्रा का क्षेत्र-वार, श्रेणी-वार और स्टेशन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) वर्ष 2013-14 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। विद्युत उत्पादन लागत उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रशुल्क के माध्यम से पुन: प्राप्त की जाती हैं।

विवरण

राजस्थान में वर्ष 2010 से 2014 तक श्रेणी-वार, क्षेत्र-वार और केंद्र-वार विद्युत उत्पादन

श्रेणी	क्षेत्र	केंद्र का नाम	30.06.2014 की स्थिति के अनुसार प्रबोधित क्षमता (मेगावाट)	मिलियन यूनिट में वास्तविक उत्पादन					2010-11 के के संदर्भ में 2013-14 की वृद्धि का %
				2014-15 (अप्रैल-जून)*	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हाइड्रो	राज्य	जवाहर सागर एचपीएस	99	2.92	322.43	275.12	277.53	146.48	120.12
		माही बजाज एचपीएस	140	9.29	227.1	204.19	180.49	69.26	227.89
		आरपी सागर एचपीएस	172	2.69	510.45	366.03	363.55	174.4	192.69
	राज्य कुल		411	14.9	1059.98	845.34	821.57	390.14	171.69
हाइड्रो कुल			411	14.9	1059.98	845.34	821.57	390.14	171.69
न्यूक्लियर	केन्द्रीय	डीएई (राजस्थान)	100						
		राजस्थान एपीएस	1080	2117.01	9233.13	8846.88	8974.12	7704.54	19.84
	केन्द्रीय कुल		1180	2117.01	9233.13	8846.88	8974.12	7704.54	19.84
न्यूक्लियर कुल			1180	2117.01	9233.13	8846.88	8974.12	7704.54	19.84
थर्मल	केंद्रीय	अंता सीसीपीपी	419.33	387.08	1965.34	2176.45	2694.6	2487.9	-21.00
		बरसिंगसर लिग्नाइट	250	287.51	1437.96	1280.5	617.08	265.23	442.16
	केंद्रीय कुल		669.33	674.59	3403.3	3456.95	3311.68	2753.13	23.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी	जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1080	1902.87	4194.32	3849.76	1684.41	961.15	336.39
		कवाई टीपीएस	1320	1890.24	3713.53				
	निजी कुल		2400	3793.11	7907.85	3849.76	1684.41	961.15	722.75
	राज्य	छाबड़ा टीपीपी	1000	1068.12	3204.15	2924.49	2497.18	1247.7	156.80
		धौलपुर सीसीपीपी	330	265.83	975.79	1162.69	2253.77	1994.87	-51.09
		गिरल टीपीएस	250	119.24	378.2	471.87	488.47	596.86	-36.64
		कालीसिंध टीपीएस	600	80.92	0	0			
		कोटा टीपीएस	1240	2311.44	9451.15	9739.64	10084.78	9891.55	-4.45
		रामगढ़ सीसीपीपी	273.8	192.26	828.72	497.89	536.79	301.13	175.20
		सूरतगढ़ टीपीएस	1500	2583.34	9409.09	10570.32	10674.37	9409.81	-0.01
	राज्य कुल		5193.8	6621.15	24247.1	25366.9	26535.36	23441.92	3.43
थर्मल कुल			8263.13	11088.85	35558.25	32673.61	31531.45	27156.2	30.94
राजस्थान कुल			9854.13	13220.76	45851.36	42365.83	41327.14	35250.88	30.07

*अनंतिम

टिप्पणी: 1. सीईए केवल परंपरागत स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) से उत्पादन की निगरानी करता है।

2. 01.04.2010 से 25 मेगावाट तक के विद्युत केंद्रों के उत्पादन की निगरानी नहीं की जा रही है।

उप-नगरीय रेलवे

1167. डॉ. किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उप-नगरीय रेलवे में हताहतों की संख्या का महानगर-वार ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या महानगरों मे उप-नगरीय रेलवे में दुर्घटना उपरांत चिकित्सा सेवा का अत्यंत आभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं महानगर-वार एंबुलेंस सेवा, चिकित्सा दुर्घटना राहत वैन की संख्या कितनी है;

(घ) क्या रेलवे का विचार उनकी संख्या को बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून तक) के दौरान उप-नगरीय रेलवे में हुए हताहतों का महानगरवार विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	दिल्ली	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई
2011	1484	3006	1798	519
2012	1240	3079	1903	969
2013	1214	2937	1773	926
2014 (जून तक)	580	1384	929	446

रेलवे पटरियों पर हुई मौत के कारण निम्नानुसार हैं:—

1. रेलवे पटरियों का गैर-कानूनी अतिक्रमण और पार करना।

2. पटरियों को पार करते हुए लापरवाही।

3. प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली द्वारा की गई उद्घोषित संरक्षा और सावधानी से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चौकीदार वाले समपारों को जबरदस्ती पार करना।

4. मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए रेलवे पटरियों को पार करना।

5. रेल यात्रियों द्वारा पटरियों को पार करने और प्लेटफार्मों को बदलने की जल्दबाजी में ऊपरी पैदल पुल एवं ऊपरी सड़क पुल और रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य साधनों का उपयोग न करना।

6. रेलवे पटरियों पर आत्महत्या करना।

7. फुट बोर्डों, सीढ़ियों और गाड़ियों की छतों आदि पर यात्रा करते समय गाड़ियों से गिरना।

इस प्राकर की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. ऊपरी पैदल पुलों का उपयोग करने और रेल पटरियों को पार करने से बचने के लिए यात्रियों से आग्रह करते हुए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा नियमित घोषणाएं की जाती हैं।

2. रेल पटरियों को पार करने की दुर्घटनाओं के बारे में आम जनता में जागरुकता बढ़ाने के लिए विभिन्न यात्री जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

3. रेल पटरी सहित रेल परिसरो में अनधिकृत प्रवेश, फुटबोर्ड, सीढ़ियों और गाड़ियों की छत पर यात्रा करना रेल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और रेल पटरी सहित रेल परिसरों में अनधिकृत प्रवेश के साथ-साथ फुटबोर्ड, सीढ़ियों और गाड़ी की छत पर यात्रा करने वालों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। महानगरों के उप-नगरीय रेलवे स्टेशनों सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी यात्री गाड़ियों में आवश्यक दवाइयों और मरहम-पट्टी वाला फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की दवाइयों, उपभोज्य चिकित्सा सामग्री आदि वाले आवर्धित फर्स्ट एड बॉक्स को राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के ट्रेन सुपरिटेंडेंट्स और अन्य नामित गाड़ियों के गार्डों के पास उपलब्ध कराया जाता है। गाड़ियों में तैनात किए गए फ्रंट लाइन स्टाफ को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यदि आवश्यक हो, आपात स्थिति में मार्गवर्ती स्टेशनों पर गाड़ियों को अनिर्धारित ठहराव भी दिया सकता है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर बुलाने पर रेलवे डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। स्टेशन मास्टरों के पास स्टेशनों के नजदीक के डॉक्टरों, क्लीनिकों एवं अस्पतालों, सरकारी और निजी दोनों के नंबर उपलब्ध होते हैं ताकि आपात स्थिति में उनकी सेवाएं ली जा सकें। जब कभी आवश्यकता होती है राज्य सरकार की एंबुलेंस सेवा का लाभ लिया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। महानगरों की उप-नगरीय गाड़ियों और स्टेशनों सहित सभी यात्री गाड़ियों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जवाई बांध

1168. श्री पी.पी. चौधरी : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की राजस्थान के पाली जिले में जवाई बांध स्थल के पुनर्भरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात के साबरमती नदी के जवाई बांध में जल लाने हेतु कोई मसौदा तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा पाली जिले में जल की उपलब्धता की स्थिति से किस प्रकार निपटने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जल राज्य का विषय है, और सम्बन्धित राज्य-सरकारें अपनी सुविधा और प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाएं शुरू करती हैं। केन्द्र सरकार की भूमिका बढ़ावा देने और प्रेरित करने तक सीमित है।

मेमू ट्रेन सेवा

1169. डॉ. शशि थरूर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कोल्लम और नागरकोइल के बीच मेन लाइन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (मेमू) शुरू करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सेवा को कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण कोल्लम और नागरकोइल के बीच अतिरिक्त इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (मेमू) गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहरहाल, इस समय, कोल्लम और नागरकोइल 56700/56701 कोल्लम-मदुरै पैसेंजर और 66304/66305 कोल्लम-कन्याकुमारी मेमू सहित कई गाड़ियों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, कोल्लम के रास्ते पुनालूर-कन्याकुमारी पैसेंजर (दैनिक) अंतरिम रेलवे बजट 2014 में घोषित की गई है जो कोल्लम और नागरकोइल के बीच अतिरिक्त संपर्क मुहैया कराएगी।

नर्मदा बांध की ऊंचाई

1170. श्री इदरिस अली :
श्री सी.एन. जयदेवन :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा बांध की ऊंचाई 17 मीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो जल विद्युत उत्पादन और जलापूर्ति क्षमता को इससे किस हद तक इष्टतम बनाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं क्या लोगों के विस्थापन संबंधी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो बांध की ऊंचाई से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) ने सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल), गुजरात सरकार को दिनांक 18.10.2000 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में एनसीए के पर्यावरण उप-समूह, और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आरआर) उप-समूह के शर्ताधीन पियरों, ओवर हैड ब्रिज के निर्माण और अनुमोदित डिजाईन के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना पर खुले एवं ऊपर उठाए गए स्थिति में दरवाजों का संस्थापित करने वाले चरण-I प्रस्ताव से संबंधित कार्य करने की अनुमति दी है।

(ख) 1450 मेगावाट की क्षमता वाले विद्युत उत्पादन इकाई पहले ही शुरू हो गई है और परिचालन में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात और राजस्थान राज्यों में क्रमशः 17.92 लाख हैक्टेयर और 2.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता के विकास पर जोर देती है। गुजरात ने अपने आवंटित हिस्से में से 135 शहरी केन्द्रों और 8215 गांव के पेयजल, नगरपालिका और औद्योगिक उपयोग हेतु 1.06 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) का प्रावधान किया है। राजस्थान ने भी अपने आवंटित जल के हिस्से से राजस्थान में 2 शहरी केन्द्रों और 1107 गांवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) चरण-I निर्माण हेतु वर्तमान अनुमति, जिसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के शिकायत समाधान प्राधिकारियों (जीआरए) से परामर्श सहित पर्यावरण उप-समूह (ईएसजी) और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आरआर) उप-समूह द्वारा स्वीकृति के पश्चात् प्रदान किया गया था, के कारण कोई अतिरिक्त कृषि भूमि अथवा घर के अप्लावित होने की संभावना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरसिवा नदी में प्रदूषण

1171. डॉ. संजय जायसवाल : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से निकलने और रक्सौल होते हुए बिहार में बहने वाली सरसिवा नदी का जल प्रदूषित हो गया है एवं पिछले कुछ वर्षों में इसके जल का उपयोग करने से लोग/जानवर/पक्षी बीमार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जन प्रतिनिधियों/संगठनों से इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), रक्सौल के समीप दो स्टेशनों पर सरसिवा नदी की जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग कर रहा है। रक्सौल के प्रतिप्रवाह में सरसिवा नदी बड़ी मात्रा में जल निष्कासन और इसमें अशोधित/आंशिक रूप से शोधित अपशेष जल के बहिस्राव के कारण प्रदूषित है और यह कुछ पैरामीटरों के संबंध में जल गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

केन्द्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल गुणवत्ता के पुनरुद्धार के लिए जल अधिनियम 1974 का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमि अधिग्रण कानून

1172. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सड़क परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण कानून में ढील देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में ढील देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपभोक्ता भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत का बंटवारा

1173. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच बिजली के बंटवारे पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने हेतु केन्द्र सरकार से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने दो राज्यों के बीच विद्युत के बंटवारे से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है। आंध्र प्रदेश के शेष नये क्षेत्र और तेलंगाना द्वारा विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में उठाए गए मामलों का समाधान करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। दोनों राज्यों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं।

सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1174. श्री प्रताप सिम्हा : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाली कोयला और तेल उत्पादन कंपनियों में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना उनके कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के पोर्टफोलियो में शामिल हैं या यह पूरी तरह लागत को कम करना एवं भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति प्राप्त करना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कोयला और तेल उत्पादन कंपनियों सहित सरकार के स्वामित्व वाली सभी कंपनियों को सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर

मिशन की ऑफ-ग्रिड एवं विकेंद्रित सौर अनुप्रयोग योजना के अंतर्गत सरकार के स्वामित्व वाली कोयला और तेल उत्पादन कंपनियों सहित विभिन्न लाभार्थियों को सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है जो प्रति वाट पीक 27/- रुपए से लेकर 63/- रुपए तक (विन्यास एवं क्षमता पर निर्भर करते हुए) है। जिन सौर विद्युत संयंत्रों के लिए मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। "ऊर्जा के अक्षय स्रोतों को बढ़ावा देने" संबंधी परियोजनाएं शुरू करना उनके कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के पोर्टफोलियो में शामिल हैं।

"केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों" के अनुसार, सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत कंपनियां "पर्यावरण संधारणीयता" के लिए परियोजनाओं, जैसे—"अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों" पर आधारित परियोजनाओं सहित परियोजनाओं/कार्यकलापों की एक विस्तृत श्रेणी में से परियोजनाओं का चयन कर सकती है।

विवरण

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तेल उत्पादन कंपनियों में सौर विद्युत संयंत्रों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता (किलोवाट में)	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)
1.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	मुम्बई — मनमाड — बृजवासन पाईपालइन	36.8	21.35
2.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	इंडियन ऑयल भवन — नोएडा	75	55.50
3.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	अनुसंधान और विकास केंद्र फरीदाबाद	20	10.07
4.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	मुम्बई — मनमाड — बृजवासन पाईपालइन	178	105.43

सीआरएफ के अंतर्गत निधि

1175. श्री एम.बी. राजेश :
श्री जोस के. मणि :
कुमारी शोभा करान्दलाजे :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधि के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केरल और कर्नाटक हेतु स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि संग्रहण और निर्गमन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) स्कीम के अधीन राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों को निधियों का संवितरण 30% वेटेज ईंधन के उपभोग और 70% वेटेज राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों का निर्गमन निर्गत राशि के उपभोग, उपयोग प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतिकरण और अनुमोदित कार्य की प्रगति पर निर्भर करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के लिए 1000.00 करोड़ रुपए धनराशि के 256 प्रस्तावों और केरल के लिए 380.20 करोड़ रुपए की राशि के 33 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत संग्रहण और निर्गमन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		संग्रहण	निर्गमन*	संग्रहण	निर्गमन*	संग्रहण	निर्गमन*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	191.06	187.65	196.09	199.63	197.24	197.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.24	55.36	41.49	46.05	41.49	33.27
3.	असम	44.42	33.53	46.02	32.04	46.02	18.28
4.	बिहार	62.00	20.17	64.61	58.33	64.38	45.47
5.	छत्तीसगढ़	74.97	46.31	77.30	52.31	77.53	54.07
6.	गोवा	6.60	0.00	6.57	1.10	6.35	18.37
7.	गुजरात	135.00	132.58	139.42	139.42	141.01	100.70
8.	हरियाणा	66.17	64.99	67.56	136.69	66.42	66.42
9.	हिमाचल प्रदेश	31.22	26.04	32.19	23.07	32.19	24.80
10.	जम्मू और कश्मीर	110.59	108.61	113.58	111.93	113.80	79.19
11.	झारखंड	50.56	16.28	52.14	30.00	51.46	46.14
12.	कर्नाटक	133.67	131.28	138.29	138.29	138.06	138.06
13.	केरल	45.29	0.00	46.47	124.86	46.70	70.40
14.	मध्य प्रदेश	173.02	233.87	179.55	197.79	178.87	178.87
15.	महाराष्ट्र	225.57	0.00	234.63	234.63	236.67	621.40
16.	मणिपुर	11.43	5.84	11.56	5.95	11.79	6.03
17.	मेघालय	13.41	16.50	13.83	13.83	14.06	11.40
18.	मिज़ोरम	10.55	6.90	10.88	3.63	10.88	5.55
19.	नागालैंड	8.57	11.53	8.84	15.55	8.84	0.00
20.	ओडिशा	91.46	110.47	94.53	33.20	93.85	53.68
21.	पंजाब	57.82	105.32	57.36	62.25	56.22	55.83
22.	राजस्थान	201.16	196.92	207.43	187.18	208.56	221.22

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	3.96	4.05	4.08	2.56	4.08	0.00
24.	तमिलनाडु	123.78	160.10	128.77	128.77	129.90	127.82
25.	त्रिपुरा	5.94	9.81	6.12	0.00	6.12	3.79
26.	उत्तराखंड	33.19	0.00	34.01	34.01	33.78	119.46
27.	उत्तर प्रदेश	180.28	177.06	184.76	184.76	182.72	182.72
28.	पश्चिम बंगाल	66.62	63.33	68.92	68.92	68.01	86.81

*कुछ राज्यों को निधियां उन राज्यों के पिछले वर्षों में खर्च न हुई शेष राशि से राज्य के संग्रहण की तुलना में अधिक निर्गत की गई हैं।

शहरों को पलायन

1176. श्री डी.के. सुरेश : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि शहरों में ग्रामीणों का पलायन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मंत्रालय के पास गांवों के सर्वांगीण विकास हेतु कोई विशेष योजना है ताकि गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से समूची आयोजना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना का विकास तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इससे लोगों के गांव से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वतंत्र अध्ययनों के निष्कर्षों से यह पता चला है कि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन से गांव से पलायन करने वालों की संख्या में कमी आई है।

ट्रेनों की गति और आवृत्ति

1177. कुमारी शोभा करान्दलाजे :
श्री बदरूद्दीन अजमल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रेन की सुपरफास्ट के रूप में विचार करने हेतु गति का क्या मानक है;

(ख) क्या रेलवे को जानकारी है कि सुपर फास्ट ट्रेनें पांच से छह घंटे देरी से चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित करने तथा देर से चल रही ट्रेनों पर सुपरफास्ट प्रभार हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या रेलवे का विचार यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कर्नाटक के गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों की आवृत्ति को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) बड़ी लाइन पर 55 किमी. प्रति घंटा अथवा इससे अधिक और मीटर लाइन पर 45 किमी. प्रति घंटा अथवा इससे अधिक की औसत गति वाली यात्री गाड़ियों को प्रारंभिक-गंतव्य के आधार पर सुपर फास्ट गाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय रेल के भरसक प्रयत्न करने के बावजूद सुपर फास्ट गाड़ियों सहित गाड़ियां देरी से चलती हैं। यद्यपि भारतीय रेल एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) आधारित कम्प्यूटर द्वारा देरी से चलने वाली गाड़ियों की सूची रखती है। तथापि उन सुपर फास्ट गाड़ियां, जो 5-6 घंटों की देरी से चलने से अपने सुपर फास्ट विशेषता को गवां देती है, वर्तमान में ऐसी गाड़ियों की कोई सूची नहीं रखी जाती है क्योंकि यह आईसीएमएस रिपोर्टिंग का भाग नहीं है।

भारतीय रेल गाड़ियों के समयपालन को बेहतर करने के दृष्टिकोण से सभी सुपर फास्ट और गैर-सुपर फास्ट गाड़ियों के चालन की स्टेशनों, मंडलों, क्षेत्रीय तथा बोर्ड स्तर पर निगरानी की जाती है। बहरहाल, उन परिस्थितियों, जो रेलवे की नियंत्रण से परे कारक हैं, जैसे कानून और व्यवस्था, ग्रिड की विफलता, प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं आदि और रेल परिचालन के दायरे में आने वाले कतिपय कारकों जैसे परिसंपत्तियों की विफलता, गाड़ियों के निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव, ब्लॉक का अनुरक्षण और चल रहे अवसंरचनात्मक कार्यों जैसे कारकों से भी सुपर फास्ट गाड़ियां देरी चलती हैं।

गाड़ी परिचालन में शामिल स्थैतिक और डायनेमिक कर्मचारियों को शामिल कर समयपालन बेहतर करने के लिए दीर्घकालीन एवं लघुकालिक दोनों तरह की कार्रवाई की जाती है ताकि गाड़ियां समय पर चलें। परिसंपत्तियों विफलताओं को जहां तक संभव हो कम से कम समय में ठीक किया जाता है और निवारक अनुरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है।

गाड़ी के तीन घंटे से अधिक विलंब से चलने के मामले में, यदि यात्री यात्रा नहीं करना चाहता है, तो कोई भी रद्द या लिपिकीय प्रभार नहीं लगाया जाता है और सुपर फास्ट प्रभार सहित पूरा किया यात्री को वापस कर दिया जाता है, बशर्ते कि गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय तक टिकट सरेंडर कर दिया गया हो और ई-टिकट के मामले में, गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय से पहले टीडीआर ऑन लाइन दर्ज कर दिया गया हो। फिलहाल, विलंब से चल रही गाड़ियों के कारण सुपर फास्ट प्रभारों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय रेलवे राज्य-वार आधार पर गाड़ियां नहीं चलाती है, क्योंकि रेलवे नेटवर्क सभी राज्य की सीमाओं के आर-पार है। अंतरिम बजट और रेलवे बजट 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसार, 5 जोड़ी प्रीमियम गाड़ी सेवाएं, 19 जोड़ी अन्य गाड़ी सेवाएं और 3 जोड़ी मौजूदा गाड़ी सेवाओं के फेरे बढ़ाने से कर्नाटक के यात्रियों की आवश्यकता पूरी हो जाएंगी, रेलवे बजट में घोषित गाड़ियां वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की जाती हैं।

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी

1178. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मार्च, 2013 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी को 138 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं मनरेगा के अधीन प्रदान की गई मजदूरी के अधीन अकुशल कृषि श्रमिकों हेतु राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के बीच अंतर के मामले में अपना निर्णय दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मजदूरी दर को संशोधित करके राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर करने का अनुरोध मंत्रालय से किया था।

(ख) केंद्र सरकार मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अकुशल ग्रामीण कामगारों को देय मनरेगा मजदूरी दरें निर्दिष्ट करती है जबकि अकुशल कामगारों के लिए राज्य विशिष्ट न्यूनतम मजदूरी दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल निर्धारित मनरेगा मजदूरी दरें हिमाचल प्रदेश के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 154 रुपए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 193 रुपए है।

(ग) और (ग) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका संख्या 379-390/2012 में दिनांक 11.07.2014 के अपने आदेश में यह कहा है कि दिनांक 13.02.2014 को जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य सहित सभी राज्यों के संबंध में पूर्व-निर्धारित मजदूरी दरें आशोधित हो गई हैं और यह निर्णय दिया

कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित यह प्रतिवादित आदेश अब 31.03.2014 तक की अवधि के लिए ही प्रभावी है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कपास और धागे

1179. **श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कपास और धागे को "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955" के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि कपास और धागे के लिए स्टॉक सीमा नियत किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं, केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कपास और कपास यार्न के संबंध में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खदानों का आवंटन

1180. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने मध्यावधि विद्युत क्रय समझौते के लिए कोयला खदानों के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय को कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों पर कोयला मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा आगे क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण

1181. **श्रीमती कमला पाटले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश भर में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध किसानों द्वारा विरोध की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध किसानों के विरोध के क्या कारण हैं?

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए कोई निर्णय लिया है/लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ङ) भूमि और इसका प्रबंधन, राज्यों के एकमात्र विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम यथा 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' बनाया है जो 01.01.2014 से लागू हो गया है। नये अधिनियम के उपबंधों में अन्य के साथ-साथ भूमि में बेदखल किए जाने वाले लोगों को उचित प्रतिपूर्ति और प्रभावित परिवारों के पर्याप्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1182. **श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अल्पसंख्यक बहुल नब्बे जिलों में बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल की गई अल्पसंख्यक जनसंख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कर्नाटक के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना और 2012-13 के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) का कार्यान्वयन जिले को योजना की ईकाई के रूप में रखकर किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत कवर किए गए 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की कुल अल्पसंख्यक जनसंख्या 5,82,26,014 थी।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक से दो जिलों गुलबर्गा और बीदर को अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीबी) के रूप में अभिज्ञात किया गया था। कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु पुनर्संरचित किया गया है। योजना के ईकाई क्षेत्र को 2013-14 के प्रभाव से जिले से बदलकर ब्लॉक/नगर कर दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक के निम्नलिखित 7 जिलों में आने वाले 8 नगरों और 3 ब्लॉकों को अभिज्ञात किया गया है:-

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	नगर
1.	बीदर	बीदर	–
		होमनाबाद	–
2.	गुलबर्गा	चितापुर	–
3.	बगलकोट	–	जामखंडी (टीएमसी)
		–	बगलकोट (सीएमसी)
4.	रायचूर	–	रायचूर (सीएमसी)
			सिंधनूर (टीएमसी)
5.	कोप्पल	–	गंगावटी (सीएमसी)
			कोप्पल (टीएमसी)
6.	हवेरी	–	हवेरी (टीएमसी)
7.	बेल्लारी	–	होसपेट (सीएमसी)

विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन

1183. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विद्युत परियोजनाओं सहित देश की विद्युत परियोजनाएं अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) कोयला/लिग्नाइट/गैस आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों की संस्थापित क्षमता के उपयोग का सूचक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों में पीएलएफ में कमी आई है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान, इसमें सुधार हुआ है। गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों के पीएलएफ में पर्याप्त गैस की उपलब्धता न होने के कारण महत्वपूर्ण कमी आई है। जल विद्युत उत्पादन जल प्रवाह की उपलब्धता पर निर्भर करता है और वर्ष 2013-14 में अच्छे मानसून के कारण प्रभावित नहीं हुआ था।

(ख) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (जून, 2014 तक) के लिए कोयला/लिग्नाइट आधारित और गैस आधारित स्टेशनों के लिए पीएलएफ का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	% पीएलएफ (कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशन)	% पीएलएफ (गैस आधारित स्टेशन)
2011-12	73.32	59.94
2012-13	69.93	40.33
2013-14	65.55	24.85
2014-15 (जून, 14 तक)	68.52	23.75

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2014 तक) के लिए जल विद्युत आधारित स्टेशनों का उत्पादन इस प्रकार है:-

उत्पादन एमयू में

वर्ष	हाइड्रो
1	2
2011-12	135794.03

1	2
2012-13	118514.79
2013-14	140445.44
2013-14 (जून, 14 तक)	32865
2014-15 (जून, 14 तक)	34726.91

कम उत्पादन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कुछ मुख्य कारण हैं:—

(i) ईंधन की कमी।

(ii) अधिक लागत और कम मांग के कारण रिजर्व शटडाउन/लोशेड्यूल।

(iii) गैर-आर्थिक प्रचालन वाली विंटेज यूनिटें जिससे गैर-किफायती प्रचालन हुआ।

(iv) उत्पादन यूनिटों का फोर्स्ड आउटेज।

(v) पारेषण और वितरण बाधाएं।

(vi) यूटिलिटियों द्वारा झेले गए वाणिज्यिक मामले।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं:—

(i) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए जल, ताप, परमाणु और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव।

(ii) विद्युत यूटिलिटियों को जहां आवश्यक हो, आयातित कोयले का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

(iii) घरेलू कोयले का उत्पादन चालू वर्ष के लक्ष्यों से भी बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बहु-आयामी प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) गैस दर गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय पर दबाव डाला गया है।

(v) पुरानी और अकार्यकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।

(vi) विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का व्यापक कार्यक्रम अपनाना।

(vii) उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाने और कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए इस वर्ष के बजट में नई योजना की घोषणा की गई है।

(viii) मुश्किल क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर-मंत्रालयी और दूसरे अन्य बकाया मामलों के शीघ्र समाधान की सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

गंगा नदी में नए जलमार्ग

1184. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल वहन हेतु गंगा सहित अन्य नदियों के उपयोग की संभावना तलाश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) हल्दिया से फरक्का के बीच ईंधन परिवहन के लिए पहले से ही गंगा नदी का उपयोग कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गंगा एवं अन्य नदियों में नए जल मार्गों को विकसित किए जाने की संभावना है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) केवल उन जलमार्गों का विकास और विनियमन संघ सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है। अन्य जलमार्गों के विकास का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। निम्नलिखित पांच जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जा चुका है:—

I. 1986 में एनडब्ल्यू-1 के रूप में घोषित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया-1620 किमी.)

II. 1988 में एनडब्ल्यू-2 के रूप में घोषित असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 किमी.)

III. 1993 में एनडब्ल्यू-3 के रूप में घोषित केरल राज्य में उद्योग मंडल और चम्पाकारा नहरों के साथ-साथ पश्चिम तट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम 205 किमी.)

IV. 2008 में एनडब्ल्यू-4 के रूप में घोषित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और पुदुचेरी संघ-राज्य क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ-साथ काकीनाडा-पुदुचेरी नहरें 1078 किमी.)

V. 2008 में एनडब्ल्यू-5 के रूप में घोषित पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदियों सहित समेकित पूर्वी तट नहर (588 किमी.)।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बजटीय आवंटन के माध्यम से, नौवहन और नौचालन के लिए वर्ष के अधिकांश भाग के लिए गहराई और चौड़ाई के साथ नौगम्य जलमार्ग, दिन और रात के समय नौचालन के लिए सहायता उपकरण, जलयानों को घाट पर लगाने और उनके लदान/उतराई के लिए चुनिंदा स्थलों पर स्थायी/प्लवमान टर्मिनल तथा कुछ चूनिंदा स्थलों पर अंतर रीत्यात्मक संपर्क उपलब्ध करवा कर राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास कर रहा है जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग-1 शामिल है जो गंगा नदी का इलाहाबाद-हल्दिया खंड है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे जिसमें से वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमश: 151.53 करोड़ रुपए और 134.08 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 267 करोड़ रुपए का आयोजनागत बजटीय आवंटन प्रस्तावित किया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में सैन्डहैड्स से एनटीपीसी के फरक्का स्थित ऊर्जा संयंत्र पर 7 वर्षों के लिए 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष आयातित कोयले के परिवहन के लिए एक संविदा एक निजी फर्म द्वारा पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। भ.अं.ज.प्रा. ने कुछ और ऐसी परियोजनाओं की पहचान की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बाड़ (पटना के निकट) स्थित एनटीपीसी के ऊर्जा संयंत्र के लिए कोयले, बोंगाईगांव (राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर जोगीघोपा के नजदीक) स्थित एनटीपीसी के ऊर्जा संयंत्र से कोयले का परिवहन, रा. ज.-1 पर उर्वरकों का परिवहन और इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों के माध्यम से त्रिपुरा तक खाद्यान्न का परिवहन शामिल है।

सरकार असम में बराक नदी के लखीपुर-भांगा खंड (121 किमी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग-6 के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव कर रही है।

परिधानों का आयात

1185. श्री रामसिंह राठवा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिधान निर्यातकों को रेडिमेड परिधानों के निर्यात के लिए चीन और अन्य पड़ोसी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिधान निर्यात क्षेत्र में निर्यातकों को चीन व अन्य पड़ोसी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए राहत देने हेतु सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय परिधान निर्यातकों को सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात के लिए पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत बड़ा योगदान बांग्लादेश को उपलब्ध यूरोपीय संघ (ईयू) के लिए शून्य शुल्क पहुंच, ईयू द्वारा जीएसपी प्लस में पाकिस्तान का समावेशन, मजदूरी की दरों में अंतर, श्रम कानूनों आदि को दिया जा सकता है।

(ग) सरकार विभिन्न नीति संबंधी दखलों और निर्यात संवर्धन उपायों के माध्यम से वस्त्र निर्यात क्षेत्र की सहायता करती है ताकि वैश्विक वस्त्र बाजार की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके। वस्त्र व्यापार शो, फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस), फोकस बाजार योजना (एफएमएस), बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस), निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) आदि के आयोजन के लिए एमएआई/एमडीए जैसी विभिन्न योजनाएं हैं। केन्द्रीय बजट 2014-15 में निर्यात हेतु परिधानों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अलंकरण एवं सजावटी सामनों के आयात के लिए शुल्क मुक्त पात्रता 3% से बढ़ाकर 5% की गई है ताकि परिधान निर्यात को सहायता प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

कपिल सरोवर का विकास

1186. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीकानेर में अवस्थित कपिल सरोवर के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इस मंत्रालय को बीकानेर में स्थित कपिल सरोवर के विकास से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र के लिए सहायता/पैकेज

1187. मोहम्मद फैज़ल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में हथकरघा क्षेत्र को कोई वित्तीय सहायता/पैकेज प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की योजना हेतु आबंटित और निर्गमित निधि का योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ख) हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत् विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित योजना स्कीमों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है:—

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस)
2. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
   (i) स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस)
   (ii) महात्मा गांधी बनुकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)
3. विपणन और निर्यात संवर्धन योजना (एमएंडईपीएस)
4. मिल गेट कीमत योजना (एमजीपीएस)
5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना (डीएचडीएस)
6. पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज
7. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)

इन योजनाओं यथा एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना तथा विविधीकृत हथकरघा विकास योजना को व्यापक हथकरघा विकास योजना में मिला दिया गया है। इसके अलावा, व्यापक हथकरघा विकास योजना और आरआरआर पैकेज को मिलाकर राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है।

उपर्युक्त योजनाओं में से केवल व्यापक हथकरघा विकास योजना के तहत अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ-साथ राज्य सरकारों को धनराशि जारी की जाती है। अन्य योजनाओं में धनराशि सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है।

गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित और जारी की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-क में दिया गया है। व्यापक हथकरघा विकास योजना के तहत राज्य-वार धनराशि आबंटित नहीं की जाती और राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर जरूरत आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जाती है। व्यापक हथकरघा विकास योजना के तहत राज्य-वार जारी धनराशि विवरण-ख में दी गई है।

विवरण-क

गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित और जारी की गई योजना-वार धनराशि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		आबंटित राशि	जारी राशि	आबंटित राशि	जारी राशि	आबंटित राशि	जारी राशि	आबंटित राशि	जारी राशि (7.7.2014 की स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एकीकृत हथकरघा विकास योजना	236.50	219.49	156.00	138.96	सीएचडीएस के साथ विलय			
2.	विपणन एवं निर्यात संवर्धन	55.00	53.59	45.00	41.37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	विविधीकृत हथकरघा विकास योजना	24.10	13.34	25.00	17.08				
4.	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	141.05	68.22	150.00	127.03	95.00	66.00	85.00	8.58
5.	मिल गेट कीमत योजना/यार्न आपूर्ति योजना	55.60	54.27	133.00	122.91	100.00	96.86	130.00	21.70
6.	पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज	200.00	200.00	600.00	291.03	271.00	269.79	सीएचडीएस के साथ विलय	
7.	व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)					142.00	117.35		
8.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)							292.00	12.22
9.	सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगा क्लस्टर	30.00	15.38	30.00	2.34	30.00	27.25	30.00	7.11
	कुल	742.25	624.29	1139.00	740.72	638.00	577.25	537.00	49.61

विवरण-ख

गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी राज्य-वार धनराशि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	2014-15
		आईएचडीएस	एमईपीएस	आईएचडीएस	एमईपीएस	सीएचडीएस	सीएचडीएस (7.7.2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9.58	3.26	9.17	0.59	5.48	0.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.72	0.39	1.25	0.00	1.32	0.00
3.	असम	10.97	4.60	11.83	3.48	17.61	1.31
4.	बिहार	1.05	0.39	0.00	0.43	0.04	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.94	2.06	0.83	1.42	1.78	0.00
6.	दिल्ली	0.16	0.09	0.20	0.06	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	2.00	0.89	1.33	0.03	0.50	0.00
9.	हरियाणा	0.08	0.15	0.00	0.05	0.10	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	3.43	0.58	1.88	0.32	0.55	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.71	0.35	1.12	0.32	0.56	0.07
12.	झारखंड	8.90	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00
13.	कर्नाटक	5.62	1.86	0.73	1.04	2.69	0.07
14.	केरल	9.17	0.21	2.15	0.19	1.64	0.00
15.	मध्य प्रदेश	2.80	0.74	3.95	0.80	0.85	0.19
16.	महाराष्ट्र	2.22	1.84	0.62	2.03	2.20	0.00
17.	मणिपुर	19.16	1.72	3.47	1.62	10.80	2.36
18.	मेघालय	5.46	0.58	0.87	0.05	1.16	0.00
19.	मिज़ोरम	0.60	0.14	0.72	0.00	0.30	0.07
20.	नागालैंड	19.19	2.37	4.63	1.77	3.89	0.00
21.	ओडिशा	14.10	0.59	7.28	0.23	2.94	0.00
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	राजस्थान	0.50	0.11	0.00	0.60	0.85	0.00
25.	सिक्किम	0.67	0.52	0.12	0.57	0.72	0.13
26.	तमिलनाडु	44.56	1.70	31.65	0.33	20.65	0.26
27.	त्रिपुरा	7.05	1.10	4.35	0.54	2.63	0.28
28.	उत्तर प्रदेश	12.01	2.49	16.72	1.67	3.69	0.68
29.	उत्तराखंड	1.10	0.38	0.57	0.33	0.57	0.22
30.	पश्चिम बंगाल	15.94	0.46	2.77	1.00	2.45	0.00
	कुल	202.84	29.57	108.21	19.47	86.70	6.06

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना और मिल गेट कीमत योजना, विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के मामले में धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है।

*2013-14 से आईएचडीएस और एमईपीएस योजनाओं को व्यापक हथकरघा विकास योजना में मिला दिया गया है।

[हिन्दी]

लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

1188. श्री राम टहल चौधरी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को कोयले के संवितरण/आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए कोई नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस उद्देश्य के लिए क्या कार्यविधियां बनाई गई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को संवितरण हेतु वार्षिक आवश्यकता और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की प्रमात्रा कितनी है;

(घ) क्या लघु और मध्यम दरों के उद्योगों हेतु निर्धारित कोयले को अन्य उद्योगों अथवा कंपनियों को देने के कतिपय मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान दर्ज मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय द्वारा 18.10.2007 को अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की धारा 3 के अनुसार, देश में लघु तथा मध्यम क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, जिनकी आवश्यकताएं प्रतिवर्ष 4200 टन से कम है, को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित एजेंसियों के माध्यम से कोयले की निर्धारित मात्रा वितरित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मुख्य विशेषताएं तथा कार्यविधियां नीचे दी गई हैं:—

(i) राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित एजेंसियां राज्य सरकार की एजेंसियां/केंद्र सरकार की एजेंसियों [राष्ट्रीय उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) आदि] या औद्योगिक संघों जैसा राज्य सरकार उपयुक्त समझे, हो सकती हैं। इस प्रकार अधिसूचित एजेंसी तब तक कोयला वितरण जारी रखेंगीं जब तक कि राज्य सरकार इसे गैर-अधिसूचित नहीं करती है।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार अधिसूचित एजेंसियों के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा नामित कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) संपन्न करना अपेक्षित होगा।

(iii) एफएसए दृढ़ प्रतिबद्धता और दोनों ओर से कार्यनिष्पादन में त्रुटि के लिए मुआवजे पर आधारित होगा।

(iv) ऐसी एजेंसियों को प्रभारित मूल्य वही अधिसूचित मूल्य होगा जो एफएसए संपन्न करने वाले अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होगा। कोयला कंपनियों द्वारा प्रभारित मूल कीमत के अतिरिक्त एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से वास्तविक भाड़ा तथा सेवा प्रभार के रूप में 5% तक मार्जन वसूल करने की हकदार होगी।

(v) एजेंसियों पर प्रशासनिक नियंत्रण वाली संबंधित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि लक्षित उपभोक्ताओं के लिए आवंटित कोयले का वितरण उचित और पादर्शी ढंग से किया जाए तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

(vi) इस क्षेत्र को आवंटित की जाने वाली मात्रा की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर की जाएगी। राज्यों के बीच इस मात्रा का आवंटन पूर्व में उनकी खपत पद्धति के आधार पर किया जाएगा।

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 80 लाख टन (एलटी) निर्धारित किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र को सीआईएल द्वारा आपूर्तित कोयले की मात्रा नीचे दी गई है:—

(मात्रा लाख टन में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सभी राज्यों के लिए निर्धारित मात्रा	80.0	80.0	80.00	80.0
नामित राज्यों को आवंटित मात्रा	53.09	53.54	47.67	34.76 (जून, 2014 तक)
आपूर्ति मात्रा	24.87	27.31	20.71	3.38 (मई, 2014 तक)

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गैर-पारंपरिक ऊर्जा कार्य को बढ़ावा

1189. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु देश में कार्यरत विद्युत केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में सौर और पवन ऊर्जा सहित विभिन्न ऊर्जा नेटवर्क के माध्यम से वार्षिक रूप में उत्पादित किए जा रहे मेगावाट विद्युत की प्रमात्रा का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बढ़ते विद्युत संकट के मद्देनजर गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) :(क) देश में अब तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित लगभग 31,692 मेगावाट की औसत क्षमता वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगभग 3619 मेगावाट (मेवा) की विद्युत क्षमता स्थापित की है। इनमें 946 मेगावाट सौर से 2079 मेगावाट पवन से 171 मेगावाट लघुपन बिजली से और 423 मेगावाट जैव-विद्युत से शामिल है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और दोहन करने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। ये कार्यक्रम विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं जैसे पूंजीगत/ब्याज आर्थिक सहायता उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित मूल्यह्रास, रियायत उत्पाद और सीमा शुल्क। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के अन्य कदमों में शामिल है प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना, अक्षय स्रोतों उत्पन्न विद्युत की खरीद के लिए अधिमान्य शुल्क, संसाधन शुल्क, विद्यत निष्क्रमण और परीक्षण सुविधाओं का विकास, अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों और अक्षय खरीद बाध्यता आदि की शुरुआत, इस मंत्रालय के अंतर्गत, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आसान ऋण प्रदान करता है।

विवरण

दिनांक 31.03.2014 तक ग्रिड इंटरएक्टिव औसत क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल संस्थापित क्षमता मेगावाट में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1530.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.93
3.	असम	34.11
4.	बिहार	114.12
5.	छत्तीसगढ़	324.00
6.	गोवा	0.05
7.	गुजरात	4430.20
8.	हरियाणा	125.70
9.	हिमाचल प्रदेश	638.91
10.	जम्मू और कश्मीर	147.53
11.	झारखंड	20.05
12.	कर्नाटक	3985.14
13.	केरल	193.65
14.	मध्य प्रदेश	886.63
15.	महाराष्ट्र	5630.20
16.	मणिपुर	5.45
17.	मेघालय	31.03
18.	मिज़ोरम	36.47
19.	नागालैंड	29.67
20.	ओडिशा	115.13

1	2	3
21.	पंजाब	322.80
22.	राजस्थान	3640.15
23.	सिक्किम	52.11
24.	तमिलनाडु	8070.26
25.	त्रिपुरा	16.01
26.	उत्तर प्रदेश	827.68
27.	उत्तराखंड	209.87
28.	पश्चिम बंगाल	131.45
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.35
30.	चंडीगढ़	2.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00
32.	दमन और दीव	0.00
33.	दिल्ली	21.15
34.	लक्षद्वीप	0.75
35.	पुदुचेरी	0.03

[हिन्दी]

विश्व-स्तरीय रेलवे स्टेशन

1190. डॉ. वीरेन्द्र कुमार :
श्री ओम बिरला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का सरकारी निजी भागीदारी के तहत देश के कतिपय रेलवे स्टेशनों को विश्व-स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए पहचान किए गए रेलवे स्टेशनों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इन स्टेशनों को विश्व-स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए अनुमानित लागत व आवंटन निधि कितनी है तथा इस परियोजनागत कार्य के कब तक पूरे होने की संभावना है; और

(ङ) अधिक समय और लागत से बचने के लिए उक्त कार्यों के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ङ) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं और यात्री सुविधाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मेट्रो शहरों और महत्वपूर्ण जंक्शनों के कम-से-कम 10 प्रमुख स्टेशनों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए एक समर्पित संगठन, भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) की स्थापना की गई है।

स्टेशनों को पुनर्विकसित करने के लिए उनकी पहचान भूमि की उपलब्धता, पुनर्विकास लागत, रियल एस्टेट के विकास से प्रत्याशित प्रतिफल, बढ़े हुए यातायात को संभालने के लिए पहुंच मार्ग संबंधी अवसंरचना की क्षमता, आदि के आधार पर की जाती है।

ऐसी परियोजनाओं के लिए विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यावहार्यता अध्ययन और स्थानीय निकायों से सांविधिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। यद्यपि रेलवे विभिन्न मामलों के निपटान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है तथापि कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

चूंकि, स्टेशनों के पुर्नविकास की संपूर्ण लागत पीपीपी मोड के जरिए वाणिज्यिक विकास द्वारा वहन की जानी है, इसलिए रेल निधि के आबंटन की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

दुबई ट्रांशिपमेंट टर्मिनल

1191. प्रो. के.वी. थॉमस : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई पोर्ट वर्ल्ड (डीपी वर्ल्ड) द्वारा विकसित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल सरकार द्वारा उल्लेखित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंटेनरों के यानान्तरण के परिचालन को इस टर्मिनल पर रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा माल वहन पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई अथवा की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) और (ख) जी, हां। वल्लारपदम में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) का प्रथम चरण 11.2.2011 को प्रारंभ हुआ था और 1 मिलियन टीईयू क्षमता के लिए निर्मित किया गया है टर्मिनल ने 2011-12 और 2012-13 में क्रमश: 3.37 लाख टीईयू और 3.35 लाख टीईयू की तुलना में वर्ष 2013-14 में 3.46 लाख टीईयू की सम्भलाई की। तथापि, विगत वित्तीय वर्ष के दौरान टर्मिनल की उपयोगिता क्षमता निर्मित क्षमता का केवल 35% थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सड़क उपरिपुल/सड़क अधोगामी पुल

1192. श्री अभिजित मुखर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल विशेषकर नलहाटी जंक्शन और मुर्शिदाबाद जिले में विभिन्न समपारों सहित विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन/लंबित सड़क उपरिपुल (आरओबी)/सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त पुलों का निर्माण कार्य समय अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं एवं इस पर कितना अधिक समय और लागत लगी; और

(घ) इन परियोजनाओं को अविलंब शीघ्रता से पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) भारतीय रेलों पर इस समय 1216 उपरिसड़क पुल (आरओबी) और 4866 निचले सड़क पुल (आरयूबी)/सबवे के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, 108 उपरिसड़क पुल (आरओबी) और 159 निचले सड़क पुल (आरयूबी) पश्चिम बंगाल राज्य में हैं। ये कार्य योजना, अनुमान और निष्पादन स्तर पर हैं।

नलहाटी और मुर्शिदाबाद जिले में आरओबी की स्थिति निम्नानुसार है:-

नलहाटी में आरओबी:

35.46 करोड़ रुपए की कुल लागत पर आरओबी को स्वीकृत किया गया है। आरओबी के रेलवे के हिस्से के कार्य के लिए ठेका प्रदान कर दिया गया है।

मुर्शिदाबाद जिले में आरओबी/आरयूबी:

(i) जंगीपुर रोड के निकट समपार संख्या 23/बी/टी के स्थान पर मैनपुर आरओबी को 13.94 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एकीकृत किया गया है। आरओबी के रेलवे के हिस्से का कार्य जनवरी, 2010 में पूरा हो गया था।

(ii) समपार संख्या 131/टी के स्थान पर बेहरामपोर कोर्ट आरओबी को 37.83 करोड़ रुपए की कुल लागत पर स्वीकृत किया गया है। अगस्त, 2013 में ठेका प्रदान कर दिया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) की मंजूरी न देने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(iii) लालगोला छोर पर समपार संख्या 132/टी के स्थान पर बेहरामपोर कोर्ट आरओबी को 25.71 कोड़ रुपए की कुल लागत पर स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने न तो जीएडी की मंजूरी दी है और न ही लागत में भागीदारी और समपार को बंद करने के लिए सहमति दी है।

(ख) से (घ) संसाधनों की सीमित उपलब्धता और पहले से स्वीकृत कार्यों के भारी थ्रोफार्वर्ड होने की बावजूद निर्धारित समय-सीमा तक कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

इन आरओबी के लिए आबंटित और इस्तेमाल की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

कार्य का नाम	रेलवे का हिस्सा	31.03.2014 तक इस्तेमाल की गई निधि	2014-15 के लिए आबंटित निधि
1	2	3	4
नलहाटी आरओबी	17.22	0.61	0.10

1	2	3	4
मैनपुर आरओबी (समपार 23)	7.39	4.40	1.00
बेरहामपोर कोर्ट आरओबी (समपार संख्या 131/टी)	20.11	0.74	4.00
बेरहामपोर कोर्ट आरओबी (समपार संख्या 132/टी)	15.07	0.07	1.00

नहरों का जीर्णोद्धार/सफाई

1193. श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्मित बांधों और जलाशयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन बांधों/जलाशयों की नहरें दयनीय दशा में हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में इन नहरों के जीर्णोद्धार/सफाई का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित/उपयोग में लाई गई निधियों सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) राज्य सरकारों/प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना को अद्यतन बनाने की नियमित प्रक्रिया के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा रखे गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) के अनुसार देश में अब तक 4846 बड़े बांध पूरे हो चुके हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सिंचाई विकास, राज्य का विषय होने के नाते सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और प्रचालन एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से उनकी अपनी आवश्यकताओं और कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया है जिसका उद्देश्य लिफ्ट सिंचाई और लघु सिंचाई स्कीमों सहित निर्माणाधीन बृहत, मध्यम और विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेजी प्रदान करना है। चूंकि नहरों की सफाई भी सिंचाई परियोजना का एक हिस्सा है, अत: राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में इस आशय का उपखंड शामिल करना अपेक्षित है कि एआईबीपी के अंतर्गत परियोजना पूरी होने के बाद दस (10) वर्षों तक राज्य सरकार परियोजना के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करेगी। पिछले तीन वर्षों में राज्यों को जारी वर्ष-वार केन्द्रीय सहायता संलग्न ब्यौरा संबंधी विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में राज्य सरकारों/प्राधिकरणों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा रखे गए बड़े बांधों संबंधी राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार बड़े बांधों (पूर्ण हो चुके) का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	291
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	3
5.	बिहार	23
6.	छत्तीसगढ़	243
7.	गोवा	5
8.	गुजरात	621
9.	हिमाचल प्रदेश	13
10.	हरियाणा	1
11.	जम्मू और कश्मीर	12
12.	झारखंड	50

1	2	3
13.	कर्नाटक	230
14.	केरल	58
15.	मध्य प्रदेश	898
16.	महाराष्ट्र	1693
17.	मणिपुर	3
18.	मेघालय	7
19.	नागालैंड	1
20.	ओडिशा	198
21.	पंजाब	14
22.	राजस्थान	201
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	116
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	115
27.	उत्तराखंड	16
28.	पश्चिम बंगाल	28
	कुल योग	4846

*केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी)

विवरण-II

जारी अनुदान (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य के नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	256.13	0.00	0.00
2.	असम	46.96	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	22.25	15.53	37.53
5.	गोवा	20.25	8.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	1285.93	607.57
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	82.59	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	61.65	12.71	7.20
10.	झारखंड	335.54	515.72	0.00
11.	कर्नाटक	452.24	207.36	200.12
12.	केरल	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	262.18	491.51	192.50
14.	महाराष्ट्र	1122.68	840.18	279.52
15.	मणिपुर	0.00	375.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
17.	ओडिशा	614.95	14.82	0.00
18.	पंजाब	43.63	0.00	0.00
19.	राजस्थान	3.38	0.00	0.00
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	279.84	144.64	214.98
23.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	102.55	0.00	0.00
	कुल	3706.81	3911.38	1539.42

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण

1194. श्रीमती रक्षाताई खाडसे :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गज जलगांव क्षेत्र में मुख्य सड़कों को कृषि क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण हेतु महाराष्ट्र राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन सड़कों के निर्माण के लिए अपेक्षित/अनुमानित निधि कितनी है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) पीएमजीएवाई के अंतर्गत जलगांव क्षेत्र में मुख्य सड़कों को कृषि क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों में मुख्य सड़कों को कृषि क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पीएमजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य निर्धारित आबादी वाली सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराकर एकल सड़क संपर्क मुहैया कराना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण सड़कों का विकास

1195. श्री सुल्तान अहमद :
श्री राजू शेट्टी :
श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत विभिन्न चरणों के अंतर्गत पूरे किए गए सड़क विकास कार्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना हेतु आवंटित, निर्गमित और व्यय की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त स्कीम के तहत पूरी की जाने वाली लंबित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) निर्धारित समय-सीमा में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्वीकृत, पूरे हो चुके सड़क कार्यों, रिलीज की गई निधियों, सूचित खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कुछ कारण हैं—(i) कम निष्पादन क्षमता (ii) पर्याप्त ढंग से ठेकेदारों की अनुपलब्धता (iii) भूमि की अनुपलब्धता तथा वन विभाग से मंजूरी न मिलना (iv) प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां (v) दुर्गम भू-भाग और (vi) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र।

(घ) विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्राप्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रस्तावों का ब्यौरा और उनपर की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है।

(ङ) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल है:—

(i) राज्य की कार्यान्वयन क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) की स्थापना।

(ii) पीएमजीएसवाई सड़क कार्यों का ठेका देने के लिए किए गए प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया।

(iii) क्षमता निर्माण हेतु फील्ड इंजीनियरों और ठेकेदारों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना।

(iv) कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का पता लगाने एवं इनका समाधान करने के लिए आवधिक रूप से क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें की गईं।

विवरण-I

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क कार्य का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सड़क कार्यों की संख्या		
		स्वीकृत	पूरे हो चुके	लंबित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7609	6517	1092

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1003	739	264
3.	असम	5658	3940	1718
4.	बिहार	16248	7702	8546
5.	छत्तीसगढ़	6828	4926	1902
6.	गोवा	90	72	18
7.	गुजरात	4529	3512	1017
8.	हरियाणा	520	419	101
9.	हिमाचल प्रदेश	2288	1722	566
10.	जम्मू और कश्मीर	1984	980	1004
11.	झारखंड	5237	2124	3113
12.	कर्नाटक	3642	3230	412
13.	केरल	1430	832	598
14.	मध्य प्रदेश	16222	12233	3989
15.	महाराष्ट्र	6726	5317	1409
16.	मणिपुर	1526	1019	507
17.	मेघालय	721	378	343
18.	मिज़ोरम	217	172	45
19.	नागालैंड	305	260	45
20.	ओडिशा	11935	7581	4354
21.	पंजाब	996	817	179
22.	राजस्थान	15448	13022	2426
23.	सिक्किम	777	506	271
24.	तमिलनाडु	6287	5317	970
25.	त्रिपुरा	1420	957	463
26.	उत्तर प्रदेश	18341	15474	2867
27.	उत्तराखंड	1125	545	580
28.	पश्चिम बंगाल	4906	2982	1924
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	7	11
30.	दादरा और नगर हवेली	156	78	78
31.	पुदुचेरी	78	77	1

विवरण-II

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क कार्य का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		रिलीज (रुपए करोड़ में)	खर्च (राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार) (रुपए करोड़ में)	रिलीज (रुपए करोड़ में)	खर्च (राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार) (रुपए करोड़ में)	रिलीज (रुपए करोड़ में)	खर्च (राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार) (रुपए करोड़ में)	रिलीज (जून, 14 तक) (रुपए करोड़ में)	खर्च (मई 14 तक) (राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार) (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	607.48	291.75	0	205.6592	5	152.5557	0.0000	52.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	214.27	173.37	455.18	310.54	8	249.36	200.0000	11.38
3.	असम	1682.84	1312.18	154.27	522.78	240.485	699.01	100.0000	155.13
4.	बिहार	3374.25	2847.08	1326.5759	1992.21	850.8346	3163.86	489.5539	349.86
5.	छत्तीसगढ़	801.51	244.35	0	281.41	0	713.58	0	84.54
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	66.59	150.55	125.7402	99.54	519.2411	477.4	142.684	91.4
8.	हरियाणा	60	60.8	0	36.53	0	8.19	174.69	0
9.	हिमाचल प्रदेश	310.3	119.17	0	55.19	0	148.13	0	2.9
10.	जम्मू और कश्मीर	762.1	508.43	266.325	459.69	523.2393	534.01	180.86	4.81
11.	झारखंड	860.74	323.23	105.96	325.61	21.8641	539.55	39.52	107.13
12.	कर्नाटक	0	256.62	24.6	16.63	5	7.68	200	10.26
13.	केरल	200	58.07	1.5	57.3	1.5	121.15	150	6.86
14.	मध्य प्रदेश	1138.05	894.17	242.8786	741.11	615	1393.07	0	300.4
15.	महाराष्ट्र	796.01	546.05	0	153.4	0	383.5	150	64.27
16.	मणिपुर	177.53	165.52	186.14	92.66	4.03	139.67	100	1.97
17.	मेघालय	38	27.68	50	32.46	0	37.7	0	4.27
18.	मिज़ोरम	93.63	85.47	71.82	41.95	0	26.6	0	0
19.	नागालैंड	11	12.26	194.875	109.83	0	77.45	0	18.61
20.	ओडिशा	1969.95	1235.78	87.2514	1188.92	758.915	1605.72	400	280.97
21.	पंजाब	164.61	61.49	169.6555	238.16	117.68	295.61	191.4755	0
22.	राजस्थान	667.76	247.63	151.895	573.85	427.06	718.35	0	74.78
23.	सिक्किम	80	13.93	193.615	86.73	1.97	90.57	0	7.38
24.	तमिलनाडु	160	211.36	77.7186	21.13	343.4832	383.39	100	99.17
25.	त्रिपुरा	229.79	230.22	338.5853	189.79	98.8332	232.76	150	20.84
26.	उत्तर प्रदेश	213.77	194.84	10	97.9977	511.93	824.2523	182.12	0
27.	उत्तराखंड	300.32	255.48	151.2395	32.39	0	260.64	238.2005	50.39
28.	पश्चिम बंगाल	328.9	417.93	3.08	423.28	306.17	1130.44	500	307.8
	कुल योग	15809.4	10946.41	4388.905	8386.7469	5360.236	14414.198	3689.1039	2107.36

विवरण-III

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		लागत (रुपए करोड़ में)	सड़कों/पुलों की संख्या	लंबाई (किमी. में)	लागत (रुपए करोड़ में)	सड़कों/पुलों की संख्या	लंबाई (किमी. में)	लागत (रुपए करोड़ में)	सड़कों/पुलों की संख्या	लंबाई (किमी. में)	लागत (रुपए करोड़ में)	सड़कों/पुलों की संख्या	लंबाई (किमी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश				850.40	420 सड़कों + 34 पुलों	1537.57	1421.55	454 सड़कों + 20 पुलों	2742.71			
2.	अरुणाचल प्रदेश				610.80	78 सड़कों + 14 पुलों	901.56	1613.52	63 सड़कों + 66 पुलों	943.38			
3.	असम				820.50	293 सड़कों + 257 पुलों	688.94	582.17	404 सड़कों + 58 पुलों	1000.51			
4.	बिहार	948.12	647 सड़कों + 23 पुलों	1899.06	2439.11	1350 सड़कों + 96 पुलों	3846.12	8162.94	5163 सड़कों + 256 पुलों	11457.77			
5.	झारखंड	502.51	404	1340.24	1011.36	734	2378.36	861.46	452 सड़कों + 118 पुलों	1484.94			
6.	छत्तीसगढ़	53.17	46	136.89	345.38	409	775.11	1669.22	1028 सड़कों	3983.31			
7.	हरियाणा							917.45	83 सड़कों + 18 पुलों	989.32			

8.	हिमाचल प्रदेश	230.46	176	889.22				285.75	141 सड़कों + 3 पुलों	800.37	246.89	77 सड़कों + 23 पुलों	547.99
9.	जम्मू और कश्मीर				1774.52	603 सड़कों + 55 पुलों	3494.75						
10.	झारखंड	703.19	540 सड़कों + 50 पुलों	2109.68	1826.51	1064 सड़कों + 174 पुलों	3537.29	1353.14	729 सड़कों + 91 पुलों	2578.78			
11.	कर्नाटक				60.00	41	154.68	1044.59	315 सड़कों	2246.23			
12.	केरल							693.61	415 सड़कों	1011.71			
13.	मध्य प्रदेश	1042.69	743	3105.20	3573.63	2705	9373.11	1185.85	691 सड़कों + 112 पुलों	1952.57			
14.	महाराष्ट्र				1077.87	158 सड़कों + 659 पुलों	800.01	1567.10	414 सड़कों + 84 पुलों	2726.17	359.10	76 सड़कों + 53 पुलों	530.75
15.	मणिपुर				254.25	46 सड़कों + 44 पुलों	425.42	577.75	194 सड़कों + 6 पुलों	1301.98			
16.	मेघालय	94.81	18	105.88				715.60	272 सड़कों + 36 पुलों	1007.52			
17.	मिज़ोरम							284.57	29 सड़कों	414.92			
18.	नागालैंड	355.77	56	954.76									
19.	ओडिशा	2474.10	1567	6195.74	2445.72	1334	5189.38	2453.60	1137 सड़कों + 157 पुलों	3925.78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	पंजाब	235.36	36	499.36	658.52	182	135470	247.16	46 सड़कों	455.24	95.84	51 सड़कों	181.95*
21.	राजस्थान	885.81	1076	3602.77	1033.00	1256	3564.17	1306.36	1435 सड़कों	4332.30			
22.	सिक्किम	206.04	80 सड़कों + 15 पुलों	351.89				112.11	40 सड़कों	177.49	136.99	26 सड़कों + 20 पुलों	136.60
23.	तमिलनाडु				1130.10	1298 सड़कों + 45 पुलों	3095.77						
24.	त्रिपुरा	347.67	69 सड़कों + 40 पुलों	369.50				1104.84	338 सड़कों + 37 पुलों	1422.44			
25.	उत्तर प्रदेश	424.88	555	956.88	3147.72	1845 सड़कों + 1 पुल	8230.12	1134.54	252 सड़कों	1913.33	675.32	134 सड़कों	1108.30**
26.	उत्तराखंड	71.54	12 सड़कों + 24 पुलों	98.11	471.36	118 सड़कों + 8 पुलों	1139.78	1106.61	248 सड़कों + 27 पुलों	2296.78			
27.	पश्चिम बंगाल	612.34	247	1269.27	3483.19	1425	6143.96	1345.26	597 सड़कों	2566.60			
	कुल	9188.46	6272 सड़कों + 152 पुलों	23884.45	27013.94	15359 सड़कों + 1387 पुलों	56630.79	31746.74	14934 सड़कों + 1101 पुलों	53732.16	1514.14	364 सड़कों + 96 पुलों	2505.59

नोट: * 05.03.2014 को अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई थी और राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति मंत्रालय को अवगत कराएं और उसके आधार पर औपचारिक मंजूरी प्राप्त करें। यदि प्रस्ताव में कार्यक्रम की सभी शर्तों को पूरा किया गया है तो मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृति आदेश जारी करता है।

** 18.02.2014 को अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई थी और राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति मंत्रालय को अवगत कराएं और उसके आधार पर औपचारिक मंजूरी प्राप्त करें। यदि प्रस्ताव में कार्यक्रम की सभी शर्तों को पूरा किया गया है तो मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत आदेश जारी करता है।

- सड़क
- पुल

विवरण-IV

विभिन्न राज्यों से स्वीकृति के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	लागत (करोड़ रुपए में)	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	लंबाई (किमी. में)	प्रस्तावों की स्थिति
1.	असम	116.83			214.49	पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। मंत्रालय में पीएमजीएसवाई के तहत प्राप्त प्रस्तावों की राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा विधिवत जांच किए जाने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति इन पर विचार करती है ताकि निधियों की उपलबधता, कार्यक्रम के अंतर्गत पहले स्वीकृत किए गए कार्यों को पूरा करने की मौजूदा जवाबदेही, कार्यों की प्रगति, राज्यों की निधियां उपयोग करने की क्षमता, मौजूदा कार्य इत्यादि को ध्यान में रखकर सिफारिश की जा सके। राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति मंत्रालय को अवगत कराएं और उसके आधार पर औपचारिक मंजूरी प्राप्त करें। यदि प्रस्ताव में कार्यक्रम की सभी शर्तों को पूरा किया गया है तो मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में स्वीकृति आदेश जारी करता है।
2.	छत्तीसगढ़	1341.61	294	103	1576.6	
3.	जम्मू और कश्मीर	3876.16	573	42	3821.7	
4.	झारखंड	132.74	72		286.5	
5.	मध्य प्रदेश	2924.3	2025	81	5435.1	
6.	ओडिशा	97.7	84	1	215.7	
7.	पंजाब	952.92	149		1459.5	
8.	तमिलनाडु	366.56	412	6	980.4	
9.	पश्चिम बंगाल	330.43	76		637.6	
	कुल जोड़	10139.25	3685.00	233	14627.61	

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केंद्र

1196. श्री कौशलेन्द्र कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केंद्रों की जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में सभी कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केंद्रों के पास पावर बैक-अप सुविधा है ताकि इस प्रणाली को चलाने के लिए आबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में इन केन्द्रों के परिचालन हेतु डीजल जेनरेटर/इन्वर्टर भी दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि ये जेनरेटर डीजल की कमी के कारण निष्क्रिय नहीं रहे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) भारतीय रेल पर 3160 स्थलों पर कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) सुविधा उपलब्ध है। जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	रेलवे	पीआरएस की संख्या
1	2	3
1.	मध्य रेलवे	189
2.	पूर्व रेलवे	207
3.	पूर्व मध्य रेलवे	189
4.	पूर्व तट रेलवे	98
5.	उत्तर रेलवे	358

1	2	3
6.	उत्तर मध्य रेलवे	105
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	177
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	212
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	169
10.	दक्षिण रेलवे	343
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	338
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	137
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	112
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	154
15.	पश्चिम रेलवे	261
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	96
17.	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	15
	कुल	3160

(ख) और (ग) जी, हां। देश में टिकट आरक्षण केन्द्रों को बिजली की सप्लाई राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा की जाती है। आरक्षण कार्यालयों को बिजली के वैकल्पिक स्रोत भी मुहैया कराए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। इन जेनरेटरों को चलाने के लिए ईंधन का बफर स्टॉक रखने के संबंध में मंडल रेल प्राधिकारियों को अनुदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

कावेरी प्रबंधन बोर्ड

1197. श्री बी. श्रीरामुलु : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटवर्ती राज्यों में नदी जल को साझा किए जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक ने इस उद्देश्य के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) के गठन का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। कर्नाटक ने बताया है कि अधिकरण के अंतिम आदेश और निर्णय के खिलाफ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों द्वारा दायर की गई और लंबित सिविल अपीलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया जाए।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.05.2013 के दिशा-निर्देशों और कर्नाटक तथा तमिलनाडु सरकारों द्वारा दिए गए विरोधावासी मतों के अनुसरण में सरकार द्वारा निर्णय करने से पहले सभी दृष्टिकोणों से इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर अनुरक्षण सुविधाएं

1198. श्री हुकुम सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचों/रेलवे लाइनों की सफाई सहित रेलगाड़ियों के प्राथमिक और द्वितीयक अनुरक्षण हेतु रेलवे स्टेशनों/कोचिंग यार्डों में पर्याप्त अवसंरचना और संसाधन उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिमाह इनके द्वारा कितनी रेलगाड़ियों/कोचों का रख-रखाव किया जाता है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त सुविधाएं जिन रेलवे स्टेशनों पर प्रदान की गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शी समिति (जेडआरयूसीसी) की सिफारिशों पर उक्त सुविधाएं विभिन्न अन्य रेलवे स्टेशनों को प्रदान की जा सकें और यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु स्टेशन-वार प्राक्कलित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) गाड़ियों की सफाई सहित, उनका प्रारंभिक तथा गौण अनुरक्षण इन कोचिंग डिपुओं में किया जाता है जिनमें इस उद्देश्य के लिए पिट लाइनें/धुलनीय लाइनें और निर्धारित परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों के लिए बेहतर सफाई एजेंटों के साथ-साथ यांत्रिक उपकरणों की भी शुरुआत की गयी है। यांत्रिकृत सफाई, कूड़ा उठाना और कचरे का भी निपटान किया जा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रति माह लगभग 31590 गाड़ियां संभाली जा रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लगभग 47 रेलवे स्टेशनों पर अनुरक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया है। ऐसे स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां। क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति (जेडआरयूसीसी) की सिफारिशों के अनुसार भुज स्टेशन पर एक पिट लाइन की व्यवस्था करने के कार्य को 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर "भुज-नलिया आमान परिवर्तन और वायोर तक उसके विस्तार" परियोजना को विस्तृत अनुमान में शामिल कर लिया गया है।

(ङ) जेडआरयूसीसी की सिफारिशों की जांच की जाती है और अनुरक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

उन रेलवे स्टेशनों की सूची जिन पर अनुरक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया है

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	रेलवे
1	2	3
1.	विशाखापटनम	पूर्व तट रेलवे
2.	भुवनेश्वर	पूर्व तट रेलवे
3.	पुरी	पूर्व तट रेलवे
4.	संभलपुर	पूर्व तट रेलवे
5.	नांदेड़	दक्षिण मध्य रेलवे
6.	सहरसा	पूर्व मध्य रेलवे
7.	रांची	पूर्व मध्य रेलवे
8.	अहमदाबाद	पश्चिम रेलवे
9.	बांद्रा टर्मिनस	पश्चिम रेलवे
10.	मुंबई सेंट्रल	पश्चिम रेलवे
11.	यशवंतपुर	दक्षिण पश्चिम रेलवे
12.	बेंगलूरु	दक्षिण पश्चिम रेलवे
13.	बैय्याप्पनाहल्ली	दक्षिण पश्चिम रेलवे
14.	वास्को-दा-गामा	दक्षिण पश्चिम रेलवे
15.	हुबली	दक्षिण पश्चिम रेलवे
16.	अरसीकेरे	दक्षिण पश्चिम रेलवे
17.	जबलपुर	पश्चिम मध्य रेलवे
18.	कोटा	पश्चिम मध्य रेलवे
19.	बीकानेर	उत्तर पश्चिम रेलवे
20.	श्री गंगानगर	उत्तर पश्चिम रेलवे
21.	अमृतसर	उत्तर रेलवे
22.	रायबरेली	उत्तर रेलवे
23.	जम्मूतवी	उत्तर रेलवे
24.	टाटानगर	दक्षिण पूर्व रेलवे
25.	पदमापुकुर	दक्षिण पूर्व रेलवे
26.	राऊरकेला	दक्षिण पूर्व रेलवे
27.	संतरागाछी	दक्षिण पूर्व रेलवे
28.	सोलापुर	मध्य रेलवे
29.	अजनी	मध्य रेलवे
30.	बल्लाहशाह	मध्य रेलवे

1	2	3
31.	मनमाड	मध्य रेलवे
32.	घोरपुरी	मध्य रेलवे
33.	गुलबर्गा	मध्य रेलवे
34.	हावड़ा	पूर्व रेलवे
35.	सियालदह	पूर्व रेलवे
36.	आसनसोल	पूर्व रेलवे
37.	भागलपुर	पूर्व रेलवे
38.	इलाहाबाद	उत्तर मध्य रेलवे
39.	कानपुर	उत्तर मध्य रेलवे
40.	झांसी	उत्तर मध्य रेलवे
41.	आगरा कैंट	उत्तर मध्य रेलवे
42.	मथुरा	उत्तर मध्य रेलवे
43.	मदुरै	दक्षिण रेलवे
44.	विल्लुपुरम	दक्षिण रेलवे
45.	तिरूनेलवेली	दक्षिण रेलवे
46.	कोच्चुवेली	दक्षिण रेलवे
47.	दुर्ग	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

वर्षा जल संचयन

1199. श्री जय प्रकाश नारायण यादव : क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंचाई हेतु किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कोई जल संचयन योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस पर किए गए व्यय और कुल जल संचयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार के बांका और जमुई जिलों सहित विभिन्न राज्यों के लिए जल संचयन हेतु बनाए गए बांधों और तटबंधों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित/जारी प्रयुक्त निधियां संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान प्रदान करके जीर्ण-शीर्ण/खराब जल निकायों की मरम्मत और पुनरुद्धार द्वारा वर्षा जल संचयन के साथ-साथ "जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार" स्कीम शुरू की है। आरआरआर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष-वार मार्च, 2014 तक जारी की गई कुल निधि और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। XIIवीं योजना में जल निकायों के आरआरआर के कार्यान्वयन की स्कीम को अक्तूबर, 2013 में संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने "भूजल प्रबंधन और विनियमन" स्कीम के तहत XIवीं योजना के दौरान प्रदर्शनात्मक जल वर्षा संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की हैं। XIवीं योजना के दौरान, 21 राज्यों में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए 99.87 करोड़ रुपए की लागत की 133 प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजना अनुमोदन की गई है, जिसमें 31.03.2014 तक इस उद्देश्य से जारी की गई 85.04 करोड़ रुपए की राशि का व्यय शामिल है। जारी निधियों और इन संरचनाओं के पूरा होने पर वार्षिक प्रत्याशित पुनर्भरण मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत तीन बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनसे बिहार के बांका और जमुई जिलों के ऊपरी किउल, ओमी जलाशय और बिलासी जलाशय को लाभ मिल रहा है। इन परियोजनाओं के लिए जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता क्रमशः 22.58 करोड़ रुपए, 11.40 करोड़ रुपए और 3.39 करोड़ रुपए है।

विवरण-I

घरेलू सहायता से जल निकायों की आरआरआर स्कीम के तहत राज्यों को जारी की गई निधि (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जल निकायों की संख्या	कुल परियोजना लागत	सीसीए (हैक्टेयर)	प्रतिबद्ध केन्द्रीय हिस्सा	2009-10 के दौरान जारी निधि	2010-11 के दौरान जारी निधि	2011-12 के दौरान जारी निधि	2012-13 के दौरान जारी निधि	2013-14 के दौरान जारी निधि	कुल जारी निधि	उपयोग में लाई गई निधि
1.	ओडिशा	1321	254.33	64979	228.89	72.12	75	70.33	—	—	217.45	217.450
2.	कर्नाटक	427	232.77	8182.19	209.49	74.04	47.47	77.51	—	—	199.02	177.2406
3.	आंध्र प्रदेश	1029	339.69	36673.71	305.72	—	189	—	—	—	189	35.4658
4.	बिहार	15	64.45	15718	55.3	—	25	—	27.54	—	52.54	45.539
5.	उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)	28	46.15	29697	41.53	—	29.08	—	10.3790	—	39.459	41.3966
6.	मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)	78	41.89	25254	10.47	—	7.33	2.62	—	—	9.95	9.950
7.	मेघालय	1	2.83	405	2.54	—	1.78	0.64	—	—	2.42	1.780
8.	महाराष्ट्र	258	135.08	89951	119.34	—		80.53	—	—	80.53	3.9725
9.	गुजरात	34	17.47	6574	15.72	—		10.61	—	—	10.61	7.0052
10.	छत्तीसगढ़	131	122.91	24936	110.61	—		34.68	—	37.97	72.65	43.9337
11.	राजस्थान	16	11.35	1351.97	7.45	—		7.07	—	—	7.07	9.3223
12.	हरियाणा	3	40.24	5749	10.06	—		7.04	2.52	—	9.56	9.560
	कुल	3341	1309.16	309470.9	1117.12	146.16	374.66	291.03	40.439	37.97	890.259	602.6157

विवरण-II

XIवीं योजना के दौरान प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संसाधन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का ब्यौरा

(टीसीएम→हजार घन मीटर)

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित लागत (लाख रुपए में)	2011 तक जारी निधि (लाख रुपए में)	विगत तीन वर्षों में जारी निधि (लाख रुपए में)			31.03.2014 तक कुल जारी निधि (लाख रुपए में)	वार्षिक अपेक्षित पुनर्भरण (टीसीएम में)
				2011-12	2012-13	2013-14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश (अविभाजित)	573.41	143.6540	294.0400	135.712	—	573.41	12567
2.	अरुणाचल प्रदेश	493.108	181.767	227.6100	83.730	—	493.11	6
3.	बिहार	96.01	0	67.2100	—	28.8	96.01	7566
4.	छत्तीसगढ़	268.80	543.221		—	231.3	774.52	3960
5.	चंडीगढ़	776.03	0	150.4000	—	108.45	258.85	5
6.	दिल्ली	43.44	0	30.4100	—	13.029	43.44	16
7.	गुजरात	316.24	221.368	—	44.859	—	266.23	2939
8.	हिमाचल प्रदेश	250.017	0	165.1400	—	83.342	248.48	868
9.	जम्मू और कश्मीर	143.47	0	91.2770	—	16.659	107.94	1991
10.	झारखंड	191.35	11.543	122.4000	—	67.0665	*201.01	57
11.	कर्नाटक	588.093	144.02	303.0000	33.4560	107.615	588.09	982
12.	केरल	94.14	22.53	55.0740	4.050	—	81.65	249
13.	मध्य प्रदेश	860.91	302.302	331.0740	—	38.754	672.13	3681
14.	महाराष्ट्र	15.15	10.605	4.5450	—	—	15.15	18
15.	नागालैंड	224.14	0	141.3400	82.800	—	224.14	1449
16.	ओडिशा	464.36	0	325.0400	—	—	325.04	1376
17.	पंजाब	260.33	53.836	56.6200	—	—	110.46	4530
18.	राजस्थान	404.777	0	235.0552	10.282	38.8	284.14	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	तमिलनाडु	526.35	401.745	112.6050	12.000	—	526.35	7331
20.	उत्तर प्रदेश	3286.23	1232.94	1269.4900	—	—	2502.43	5461
21.	पश्चिम बंगाल	111.09	77.763	33.3273	—	—	111.09	102
	कुल	9987.445	3347.294	4015.658	406.889	733.8155	8503.67	55200

[अनुवाद]

कोयले की मांग और आपूर्ति

1200. **श्री एन. क्रिष्टप्पा :**
श्री हंसराज गंगाराम अहीर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
डॉ. शशि थरूर :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन, मांग और आपूर्ति का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन और आपूर्ति के क्या कारण हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमी को पूरा करने के लिए किस कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोयले की मांग आपूर्ति में अंतर को कम करने के लिए विभिन्न देशों से आयातित कोयले की मात्रा और मान का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्यमान कोयला स्रोतों और और कोयले की आपूर्ति को युक्तियुक्त करने हेतु गठित अंतर-मंत्रालीय कृतक बल की सिफारिशें लागू की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं ताकि देश को कोयले के आयात की बजाए इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाया जा सके?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की उत्पादन तथा घरेलू आपूर्ति तालिका 1 में दी गई है। कोयले की मांग 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमशः 638.7 मि.ट., 713.4 मि.ट. तथा 739.4 मि.ट. थी। चालू वर्ष 2014-15 के लिए मांग 787.03 मि.ट. अनुमानित की गई है।

तालिका-1 (आंकड़े मि.ट. में)

राज्य	उत्पादन				आपूर्ति			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	52.2	53.2	50.5	6.09	5.14	52.0	47.9	लागू नहीं
असम	0.6	0.6	0.7	0.12	0.8	0.6	0.6	—
छत्तीसगढ़	114.0	117.8	127.1	19.32	114.6	121.0	124.0	—
झारखंड	109.6	111.3	113.3	18.03	109.8	119.3	116.6	—
मध्य प्रदेश	71.1	75.9	76.1	12.14	69.6	60.4	77.5	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	39.2	39.1	37.2	7.36	38.1	38.3	37.2	—
मेघालय	7.2	5.6	5.7	1.41	7.2	5.6	5.7	—
ओडिशा	105.5	110.1	112.9	19.07	104.8	114.2	116.8	—
उत्तर प्रदेश	16.2	16.1	14.3	2.68	15.5	28.8	16.7	—
पश्चिम बंगाल	24.2	26.5	28.2	5.08	23.2	26.7	28.5	—
अरुणाचल प्रदेश	0.2	0.07	0.0	0.00	0.3	0.1	0.0	—
कुल	540.0	556.4	565.9	91.3	535.3	567.1	571.5	लागू नहीं

*मई, 2014 तक (अनंतिम)।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे कोयले का क्षेत्र-वार प्रेषण नीचे तालिका-2 में दिया गया है:—

तालिक-2 (आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14#
1	2	3	4
कोकिंग कोयला	**15.53**	**15.51**	**19.07**
गैर-कोकिंग कोयला			
विद्युत (उपयोगिताएं)	367.21	394.86	412.96
विद्युत (कैप्टिव) (सीपीपी)	46.51	55.05	37.80
सीमेंट	13.17	13.11	10.89
स्पांज आयरन	21.69	20.90	20.46
अन्य*	71.19	67.70	69.39
कोलियरी उपयोग	0.58	0.47	0.47
कुल योग नान-कोकिंग	520.35	552.10	551.97

#अनंतिम।

*अन्य में ई-नीलामी के अंतर्गत उत्पादन का लगभग 10% प्रेषण शामिल है।

(ख) और (ग) कोयला उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त करने में कठिनाइयां तथा कुछ क्षेत्रों में कठिन भू-खनन परिस्थितियों से संबंधित हैं। पुन: स्थापन और पुनर्वास कठिनाइयां तथा कानून व्यवस्था की समस्याएं भी कुछ क्षेत्रों में अनुभव की जाती हैं। अन्य महत्वपूर्ण कारक विशेष रूप से रेल ढुलाई के माध्यम से अपर्याप्त कोयला निकासी की क्षमता से सम्बन्धित हैं। अत्यधिक वर्षा तथा गर्म हवाओं की परिस्थितियों जैसी मौसमी कारक भी उत्पादन में बाधा पैदा करते हैं। सरकार का फोकस (ध्यान) समयबद्ध ढंग से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय पर है। तथापि, घरेलू मांग तथा आपूर्ति के बीच एक सतत् अंतर है जिसे आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है, इसका ब्यौरा तालिका-3 में दिया गया है।

तालिक-3 देश-वार कोयला का आयात (मात्रा मि.ट. में एवं मूल्य मिलियन रुपए में)

देश	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (अनं.)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा*	मूल्य*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंडोनेशिया	55.260	258,417	82.393	329,706	103.07	418,554	10.38	41,785

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ऑस्ट्रेलिया	27.793	366,256	30.450	315,969	34.77	319,486	3.07	26,061
दक्षिण अफ्रीका	12.217	77,107	70.293	113,565	20.62	111,462	1.40	7,309
अमेरिका	2.974	39,746	6.389	55,033	3.65	32,070	0.56	4,499
रूस	1.194	9,885	0.371	3,564	0.74	6,116	0.02	166
न्यूजीलैंड	0.960	12,986	1.047	1,356	1.16	10,962	0.13	1,060
चीन पीआरपी	0.482	4,939	0.015	342	0.21	2,014	0.001	14
कनाडा	0.230	3,157	0.999	10,843	1.25	12,248	0.08	642
मोज़ाम्बिक	0.049	492	0.978	10,187	1.5	11,863	0.10	935
अन्य	1.684	15,391	2.850	27,890	1.47	8,154	0.40	2,113
कुल	102.853	788,376	41.785	868,455	168.44	932,929	16.14	84,584

*अप्रैल, 2014 तक।

(घ) कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने वर्तमान स्रोतों की समीक्षा और लिंकेजों के युक्तीकरण की संभावना पर विचार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल (आईएमटीएफ) गठित किया था ताकि विद्युत कंपनियों, सीमेंट, इस्पात और स्पंज लौह क्षेत्र के लिए परिवहन लागत कम की जा सके। कार्य बल की अनुमोदित सिफारिशें कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को भेज दी गई थी। सीआईएल/कोयला कंपनियों ने कैप्टिव विद्युत संयंत्रों, स्पंज लौह तथा सीमेंट संयंत्रों के उपभोक्ताओं की स्रोतों के युक्तीकरण से संबंधित सिफारिशें कार्यान्वित की हैं। विद्युत कंपनियों के स्रोतों के युक्तीकरण के संबंध में कार्यकरण की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जाएंगी क्योंकि उपभोक्ता संशोधित व्यवस्था के लिए सहमत नहीं हुए। कार्रवाई को पुन: इष्टतम करने के लिए कोयला मंत्रालय ने लिंकेजों के युक्तीकरण की समीक्षा करने के लिए एक नया "अंतर-मंत्रालयी कार्य बल" (आईएमटीएफ) 13.06.2014 को गठित किया है।

(ङ) सरकार ने समयबद्ध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें पर्यावरण और वन मंजूरियों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करना, भूमि अधिग्रहण में सहायता के लिए राज्य सरकार से आग्रह करना तथा कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे के साथ ठोस प्रयास शामिल हैं। कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनमें नई परियोजनाओं तथा व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से क्षमता वृद्धि शामिल हैं।

जोन और मंडलों का पुनर्गठन

1201. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान रेलवे जोन/मंडल देश में बढ़ते रेल यातायात को पूरा करने में पर्याप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने देश में जोनों/मंडलों के पुनर्गठन हेतु कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सलेम मंडल के गठन के पलक्काड मंडल की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों/विधायकों आदि से भारतीय रेल पर रेलवे की कार्यप्रणाली के परिचालनिक, वित्तीय, प्रशासनिक आदि जैसे विभिन्न पहलुओं से संबंधित नए जोनों और मंडलों

के सृजन के संबंध में बड़े पैमाने पर प्राप्त अनुरोधों की जांच करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति में अपनी रिपोर्ट में यह निर्णय दिया कि इनमें से कोई भी अनुरोध व्यावहारिक नहीं है। रेल मंत्रालय ने गुलबर्ग और जम्मू में नए मंडलों के सृजन से संबंधित सिफारिशों को छोड़कर इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

(घ) जी, नहीं। पालक्काड मंडल की आमदनियां इसके नए क्षेत्राधिकार के अनुपात में हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जल संदूषण

1202. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री राहुल कस्वां :
श्री ओम बिरला :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे क्षेत्रों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया है, जहां भू-जल में सीसा, आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का उक्त रसायनों को पानी से अलग करने के लिए ठोस उपाय करने और उक्त क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रयोजन हेतु विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी राशि जारी की गई है और प्रयुक्त की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) का हालिया सर्वे यह दर्शाता है कि देश के विभिन्न राज्यों के कुछ हिस्सों में भू-जल आर्सेनिक, फ्लोराईड, नाईट्रेट और भारी धातु जैसे सीसा आदि से संदूषित है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों से दस राज्यों में आर्सेनिक की अधिक सान्द्रता, 19, राज्यों में फ्लोराईड की अधिक सान्द्रता, 20 राज्यों में नाईट्रेट की अधिक सान्द्रता और 14 राज्यों में सीसे की अधिक सान्द्रता है। राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में भूमिगत जल के विकास एवं प्रबंधन के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उप-धारा 3(3) के अंतर्गत गठित विनियामक प्राधिकरण है। तथापि, सीजीडब्ल्यूबी संदूषण मुक्त जलभृत्त जोनों की खोज कर उनकी खुदाई करता है तथा इस प्रकार अन्वेषित कुएं उपयोग के लिए संबंधित राज्यों को सौंपे जाते हैं। सीजीडब्ल्यूबी जल गुणवत्ता की समस्या के हल के लिए राज्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन भी देता है। चूंकि आर्सेनिक, फ्लोराईड, नाईट्रेट और भारी धातुओं से संदूषित जलभृत्तों के स्वस्थाने उपचार हेतु प्रारंभिक चरण में आर एंड डी कार्य किया जाता है, जल आपूर्ति के वैकल्पिक साधन प्रदान करके उपचारी उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन राज्यों/जिलों के नाम जहां भूजल में रासायनिक तत्व बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक सूचित किए गए हैं

(*बीआरएस के अंतर्गत निर्धारित सीमा: पेयजल के लिए 10500)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	फ्लोराइड (1.5 मि.ग्रा./ली. से अधिक)	नाइट्रेट (45 मि.ग्रा./ली. से अधिक)	आर्सेनिक (0.05 मि.ग्रा./ली. से अधिक)	सीसा (1.0 मि.ग्रा./ली. से अधिक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तर, गुंटूर, हैदराबाद,	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, पूर्वी		रंगारेड्डी, नलगोंडा

1	2	3	4	5	6
		कडप्पा, करीमनगर, खम्मम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगौंडा, नेल्लौर, प्रकाशम, रंगारेड्डी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी	गोदावरी, गुंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडाक, नलगोंडा, नेल्लौर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिम गोदावरी		
2.	असम	गोलपारा, कामरूप, करबीआंगलोंग, नौगांव, गोलाघाट, करीमगंज		शिवसागर, जोरहट, गोलाघाट, सोनितपुर, लखीमपुर, धेमाजी, हैलाकांडी, करीमगंज, काचर, बरपेटा, बोंगईगांव, गोलपारा, धुबरी, नलबारी, नगांव, मोरीगांव, दरांग एवं बक्सा	
3.	बिहार	औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया जमुई, कैमूर (भबुआ), मुंगेर, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, नालंदा लखीसराय	औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, कैमूर (भुबआ), पटना, रोहतास, सारन, सीवान	बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, पटना, पुर्णिया, समस्तीपुर, सारन, वैशाली	
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, धमतारी, जंजगीर-चंपा, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंदा, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा	बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, धमतारी, जशपुर, कांकेर, कावरधा, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव	राजनंदगांव	कोरबा
5.	दिल्ली	पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली	पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पश्चिम दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली		उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम जिलों में नजफगढ़ नाले के साथ

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दाहोद, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, नर्मदा, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दाहोद, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, मेहसाना, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा		
7.	हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाडी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत
8.	हिमाचल प्रदेश		उना, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, कुल्लू		
9.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी, उधमपुर	जम्मू, कठुआ, अनंतनाग, कुपवाड़ा		जम्मू (गंगयाल), बारी, ब्रह्मा, कठुआ
10.	झारखंड	बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, पलामू, रामगढ़, रांची	चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, लोहरदग्गा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, साहिबगंज	साहेबगंज	जमशेदपुर
11.	कर्नाटक	बगलकोट, बेंगलूरु बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चमाराजनगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, देवनगिरी, धारवाड़, गड़ग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोलार, कोप्पल, मंड्या,	बगलकोट, बेंगलूरु, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकमंगलूर चित्रदुर्ग, देवनगीर, धारवाड़, गड़ग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागू, कोलार,	रायचूर और यादगीर जिला	

1	2	3	4	5	6
		मैसूर, रायचूर, तुमकुर	कोप्पल, कुर्द, मांड्या, मैसूर, रायचूर, सिमोगा, तुमकुर, उडूपी, उत्तर-कन्नडा		
12.	केरल	पालक्काड, अलप्पुझा, इडुक्की, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम	अलप्पुझा, इडुक्की, कोल्लम, कोट्टायम, कोनिक्कोड, मलप्पुरम, पालक्काड, पत्तनमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, वयनाड		अर्नाकुलम, कोल्लम
13.	मध्य प्रदेश	अलिराजपुर, बालाघाट, बरवानी, बैतूल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, दिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, झबुआ, खरगौन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, सतना, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, सिधि सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा	अलिराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बरवानी, बेतूल, भिंड, भोपाल, बुराहनपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, खण्डवा, खरगोन, कटनी, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रायगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सिवानी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सिधि, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमारिया विदिशा		बालाघाट, बरवानी, दामोह, दतिया, देवास, धार, दिंडोरी, गुना, ग्वालियर, रायसेन, राजगढ़, सतना, सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, विदिशा
14.	महाराष्ट्र	अमरावती, बीदु, चंद्रपुर, भंडारा, धुले, गडचिरौली, गोंडिया, जालना, नागपुर, नांदेड़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुल्दाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली,		अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, बीड, बुल्दाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, जालना, कोल्हापुर, लातूर,

1	2	3	4	5	6
		यवतमाल	गौण्डिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नन्दुरबार, नासिक, ओस्मानाबाद, परभनी, पुणे, सांगली, सतारा, शोलपुर, वर्धा, वासिम, यवतमाल		नन्दुरबार, नासिक, ओस्मानाबाद, परभनी, रत्नागिरी, सतारा, थाणे, वर्धा, वासिम, यवतमाल
15.	मणिपुर			बिष्णुपुर, थोबल	
16.	ओडिशा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बौध, कटक, देवगढ़, ढेनकैनाल, जाजपुर, क्योंझर, खुर्दा, मयूरभंज, नयागढ़, नयापाड़ा, सोनपुर	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बोलांगीर, बौध, कटक, देवगढ़, ढेनकैनाल, गजपति, गंजम, जे. सिंहपुर, जाजपुर, झारसगुडा, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवपाड़ा, नयागढ़, फुलबनी, पुरी, संबलपुर, सुंदरगढ़, सोनपुर		
17.	पंजाब	अमृतसर, बरनाला, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, रोपड़, संगरूर, तरन-तारन	अमृतसर, बरनाला, भटिंडा फरीदकोट, फतेहगढ़साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, रूपनगर, संगरूर, तरन-तारन	मनसा, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, रोपड़	अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, मुक्तसर, रोपड़
18.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा,	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, बूंदी, भतरपुर, भीलवाड़ा,		झुंझुनू जिला (खेतड़ी तांबा भंडार), पाली, जयपुर (सांभर झील, सांगानेर)

1	2	3	4	5	6
		बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर	बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर		
19.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, करूर, कृष्णागिरी, नामक्कल, पेरम्बलोर, पुदुकोटाई, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगई, तेनी, तिरूवन्नामलाई, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, वेल्लौर, विरूधुनगर	चेन्नई, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, मदुरई, नामक्कल, नीलगिरी, पेरम्बलोर, पुद्दुकोटाई, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगई, तेनी, तिरूवन्नामलाई, तंजावुर, तिरूनेवल्ली, तिरूवल्लुर, त्रिची, तूतीकोरीन, वेल्लौर, विल्लूपुरम, विरूधुनगर		डिंडीगुल, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम
20.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, एटा, कांशी, राम नगर, फिरोजाबाद, जौनपुर, महामाया, नगर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, सोनभ्रद, वाराणसी, उन्नाव	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जीबी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर,	बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर, खेरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थ, नगर संत रविदास, नगर उन्नाव	मुजफ्फरनगर, मथुरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, भदोही, गाजियाबाद, जौनपुर, कानपुर, रायबरेली, सोनभद्र

1	2	3	4	5	6
			झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, लखीमपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, रायबरेली, रामपुर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, उन्नाव		
21.	उत्तराखंड		देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर		
22.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, बर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, नादिया, पुरुलिया, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी 24 परगना	बांकुरा, बर्द्धमान	बर्द्धमान, हुगली, हावड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना	मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, कोलकाता

[हिन्दी]

कपास उत्कृष्टता केन्द्र

1203. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 'कपास उत्कृष्टता केन्द्र' की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाना बनाने के लिए बायो-गैस को बढ़ावा देना

1204. **श्री दुष्यंत चौटाला : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एलपीजी के मूल्यों में आवधिक वृद्धि होते रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने के लिए बायो-गैस को एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) जी, हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में खाना पकाने वाले ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बायो-गैस तथा खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय बायो-गैस तथा खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय बायो-गैस तथा खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए 8.5.2014 से दी जाने वाली सब्सिडी का विवरण

क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र तथा श्रेणी	पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए केंद्रीय सब्सिडी दरें (प्रतिदिन 1 से 6 घनमीटर क्षमता)* (रुपए में)	
		1 घन मीटर	2-6 घन मीटर
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर) तथा जिसमें इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाले वर्ग शामिल हैं	15,000	17,000
2.	असम के मैदानी क्षेत्र		
3.	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु का नीलगिरि क्षेत्र दार्जिलिंग के कुर्सेयोंग तथा कलिम्पैंग उप-प्रभाग, सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल) और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10,000	11,000
4.	सिक्किम तथा अन्य पहाड़ी राज्यों उपरोक्त क्र.सं. 3 में दिए गए क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के अलावा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग।	7,000	11,000
5.	अन्य सभी	5,500	9,000

*शौचालय सम्बद्ध बायोगैस संयंत्रों के लिए 1200/- रुपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है।

सुरक्षित यात्रा हेतु नई प्रौद्योगिकी प्रारंभ करना

1205. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **रेल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जोन-वार हुई रेल-दुर्घटनाओं की संख्या और जानमाल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने भारतीय रेलवे के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की है और रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां प्रारंभ की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान जोन-वार व्यय की गई निधियां कितनी हैं;

(घ) क्या रेलवे का रेल सुरक्षा हेतु तकनीकी और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं सहित डॉ. अनिल काकोदार की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2014 तक) के दौरान सड़क वाहन उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनधिकृत रूप से प्रवेश की घटनाओं को छोड़कर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की ज़ोन-वार और वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:—

रेलवे	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 जून, 2014 तक	
	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए
मध्य	5	—	7	1	7	4	2	26
पूर्व तट	8	10	8	—	4	—	4	1
पूर्व मध्य	7	11	7	1	7	—	5	6
पूर्व	6	6	4	—	5	1	0	0
उत्तर मध्य	9	71	5	—	2	1	2	0
पूर्वोत्तर	2	1	2	10	1	—	1	29
पूर्वोत्तर सीमा	7	—	3	—	3	—	1	0
उत्तर	9	1	7	9	10	2	2	0
उत्तर पश्चिम	4	—	1	—	4	3	0	0
दक्षिण मध्य	5	—	4	30	4	2	3	1
दक्षिण पूर्व मध्य	1	—	3	2	6	1	0	0
दक्षिण पूर्व	1	—	2	1	6	2	2	0
दक्षिण	3	11	1	—	3	1	0	0
दक्षिण पश्चिम	2	—	6	26	3	28	3	0
पश्चिम मध्य	7	4	3	—	1	—	1	0
पश्चिम	1	—	4	—	4	9	0	0
कोंकण	—	—	1	—	1	—	1	0
मेट्रो/कोलकाता	—	—	—	—	—	—	0	0
कुल	77	115	68	80	71	54	27	63

(ख) और (ग) भारतीय रेलों द्वारा अपनाए गए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से और ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाता है। भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अपनाई जा रही नई प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी)

(ii) गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस)

(iii) गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस)

(iv) सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी)

(v) कोहरा संरक्षा उपकरण (एफएसडी)

(vi) मोबाइल गाड़ी रेडियो संप्रेषण (एमटीआरसी)

(vii) एलएचबी डिज़ाइन के उन्नत किस्म के क्रैशवर्दी सवारी डिबबे शामिल करना

(viii) सवारी डिब्बों में अग्नि रोधी सामग्रियों का उपयोग

(ix) व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर (डब्ल्यूआईएलडी)

(x) पटरियों पर थर्मिट वेल्डिंग के स्थान पर उन्नत किस्म की फ्लैश बट वेल्डिंग तकनीक का अधिक उपयोग।

(xi) पटरियों पर कमज़ोर स्थानों/दोषों, जो स्पष्ट नहीं दिखाई देते, का पता लगाने के लिए बेहतर किस्म के अल्ट्रासॉनिक फ्ला डिटेक्टर (यूएफएसडी) उपकरणों का उपयोग।

उपर्युक्त प्रणालियां परीक्षण और कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं और उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार निधियां आबंटित की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, सिगनल एवं दूरसंचार में इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली, डिजीटल धुरा काउंटर, ऑप्टिक फाइबर केबल, मोबाइल गाड़ी रेडियो संप्रेषण जैसी नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने पर हुए व्यय का ज़ोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

रेलवे	सिगनल एवं दूरसंचार एवं व्यय (योजना शीर्ष-33)			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (मई, 2014 तक)
1	2	3	4	5
मध्य	34.74	46.39	49.07	7.45
पूर्व	73.21	59.56	57.15	7.26
उत्तर	101.39	99.91	77.89	16.37
पूर्वोत्तर	36.95	34.99	34.16	1.65
पूर्वोत्तर सीमा	46.86	38.3	30.52	1.23
दक्षिण	42.6	45.4	52.62	14.52
दक्षिण मध्य	42.24	51.52	77.49	7.61
दक्षिण पूर्व	59.57	47.46	48.54	3.33
पश्चिम	58.53	77.73	72.74	3.28
पूर्व मध्य	42.31	71.46	81.19	18.65
पूर्व तट	54.78	48.78	55.58	5.3
उत्तर मध्य	144.45	171.69	121.26	28.11
उत्तर पश्चिम	22.25	22.46	29.44	7.88
दक्षिण पूर्व मध्य	29.77	30.52	40.93	3.81
दक्षिण पश्चिम	21.92	29.67	48.82	3.12

1	2	3	4	5
पश्चिम मध्य	27.8	41.28	31.07	3.28
चिरेका	0.11	0	0	0
सडिका	0.09	0.08	0.12	0
म.प.प	2.96	12.08	4.12	0
कुल	842.53	929.28	912.71	132.85

(घ) और (ङ) उच्च स्तरीय समीक्षा समिति (काकोडकर समिति) की सभी 106 सिफारिशों को लागू करने से पहले उन्हें स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति न देने के निर्णय के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रौद्योगिकी संबंधित पहलुओं पर गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इन सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्वीकृत करने योग्य/आंशिक रूप से स्वीकृत करने योग्य सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

पंचायतों को अधिकार

1206. श्री जुगल किशोर : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए संघ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि संविधान तिहत्तरवां संशोधन अधिनियम का सभी राज्यों में अक्षरक्ष: अनुपालन हो;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायतों के कर्मी जम्मू और कश्मीर के विशेष संदर्भ में आतंकवाद/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी भय के अपने कार्यों को कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज में पंचायतों के सशक्तिकरण, सक्षमता एवं जवबादेही से संबंधित विस्तृत श्रेणी के मामलों के प्रति "पंचायती राज के लिए एक रोड मैप" तैयार किया है। दस्तावेज को राज्यों के साथ साझा किया गया है। बारहवीं योजना हेतु स्कीम तैयार करते समय रोड मैप की सिफारिशों का ध्यान रखा गया है। पंचायती राज मंत्रालय राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करना है। इस योजना के तहत, राज्यों को उनके द्वारा शुरू की गई एक श्रेणी की गतिविधियों हेतु जैसा संविधान के 73वें संशोधन में प्रतिस्थापित किया गया है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों में भरोसा जगाने, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा उनमें धमकी की अनुभूति को कम करने हेतु कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं (i) सुरक्षा चक्र को सुदृढ़ करना एवं सुभेद्य क्षेत्रों को सुकर बनाना; (ii) यदि आवश्यक हुआ तो पंचायत सदस्यों को सुरक्षा कवर प्रदान करने हेतु पुख्ता सुरक्षा मूल्यांकन कर हल निकालना; (iii) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु विभिन्न एजेंसियों के बीच निकटतम समन्वयन एवं साहचर्य सुनिश्चित करना; (iv) प्रतिदिन के आधार पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई गुप्त सूचनाओं को साझा करना, एवं (v) सुभेद्य क्षेत्रों में सेना द्वारा रात्रि पेट्रोलिंग को तेज करना एवं क्षेत्र में वर्चस्व कायम करना। राज्य सरकारें इस मामलों में संवेदनशील हैं तथा पंचायत चुनावों के परिणाम/चालू अंतरण प्रक्रिया पूरी तरह गतिशील हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तरों पर हस्तक्षेप किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजधानी रेलगाड़ियों का मार्ग

1207. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राजधानी रेलगाड़ियों हेतु मार्ग के चयन हेतु कोई मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या राजधानी रेलगाड़ियों का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को राज्य राजधानियों के साथ जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन करने का है ताकि इसके मार्ग को वाया संभलपुर किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) राजधानी एक्सप्रेस सेवाओं सहित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्ग निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ संभावित यातायात की पेशकश और परिचालनिक व्यवहार्यता जैसे कारकों पर निर्भर है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। 22811/22812 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस आद्रा, बांकुरा के रास्ते और 22823/22824 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस बोकारो स्टील सिटी, टाटा नगर के रास्ते चलती हैं और ये गाड़ियां अपने मौजूदा मार्गों पर इस समय काफी अधिक लोकप्रिय हैं और इस प्रकार, 22811/22812 और 22823/22824 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस का मार्ग संभलपुर के रास्ते परिवर्तित करने का प्रस्ताव नहीं है। मार्ग में परिवर्तन करना न तो परिचालनिक दृष्टि से व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है क्योंकि इसका मौजूदा उपयोगकर्त्ताओं द्वारा विरोध किया जाएगा।

धरोहर मार्ग

1208. श्रीमती दर्शना फिल्म जरदोश : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-दांडी सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के कतिपय खंडों को धरोहर मार्ग घोषित किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अहमदाबाद से दांडी के धरोहर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228 घोषित किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मार्ग के पुन:सरेखण को प्रस्तावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ङ) अहमदाबाद-दांडी मार्ग को जनू, 2006 में राष्ट्रीय राजमार्ग-228 के रूप में घोषित किया गया था। चूंकि, राष्ट्रीय राजमार्गों और धरोहर मार्ग के कार्य अलग-अलग होते हैं इसलिए धरोहर मार्ग का विकास रारा-228 के विकास से अलग करने और इस मंत्रालय के संबंधित मानदंडों और मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार की योजना का पूर्व में निर्णय लिया गया था। तद्नुसार, इस मंत्रालय ने मौजूदा ज्यामितीय, भावी ज्यामितीय सुधार के लिए भूमि अधिग्रहण की न्यूनतम आवश्यकता और राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग के विकास की भावी संभावना को ध्यान में रखते हुए सरेखण को अंतिम रूप दिया था। "अनापत्ति" का अनुरोध करते हुए दिनांक 23.11.2012 को राज्य सरकार को इस प्रकार अंतिम रूप दिया था। "अनापत्ति" का अनुरोध करते हुए दिनांक 23.11.2012 को राज्य सरकार को इस प्रकार अंतिम रूप दिए गए रारा-228 के सरेखण की सूचना दी गई थी क्योंकि इसमें राजीव राजमार्ग और अन्य मुख्य मार्गीय सड़कें सम्मिलित थीं। राज्य सरकार ने प्रस्तावित सरेखण का समर्थन नहीं किया था।

सरेखण के मुद्दे पर 12 मार्च, 2014 को सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा ली गई बैठक में गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ दुबारा विचार-विमर्श किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ मंत्रालय के अधिकारियों को संपूर्ण सरेखण का पुन: दौरा करना चाहिए और सरेखण पर एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। तद्नुसार, सरेखण का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। बाद में, सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में 5 जून, 2014 को एक बैठक आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि गुजरात सरकार बैठक के दौरान विचार-विमर्शित बिंदुओं को देखते हुए मंत्रालय और गुजरात सरकार के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान सुझाए गए सरेखण के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन और रजमार्ग मंत्रालय, गांधी नगर के परामर्श से चैनेज-वार ब्यौरा देते हुए दांडी मार्ग के संशोधित सरेखण को तैयार करेगी और भेजेगी। रारा-228 के सरेखण और रारा-228 के क्रिसक्रॉसिंग और समांतर चलने वाले पैदल रास्ते और संस्कृति मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त लंबाई के संबंध में संस्कृति मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया था।

सरेखण के मुद्दे पर नई दिल्ली में 9 जून, 2014 को माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री, गुजरात के बीच आयोजित बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि रारा-228 (अहमदाबाद-दांडी मार्ग) के सरेखण का प्रस्ताव सभी संबंधित ब्यौरों सहित गुजरात सरकार

द्वारा भेजा जाएगा। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् संरेखण को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

1209. श्री गणेश सिंह : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार के पास देश में पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के संबंध में कोई सूचना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

(ख) क्या संघ सरकार का विचार देश में सभी पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग हेतु नई योजना प्रारंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु कितनी निधियां निर्धारित किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ई-पंचायत स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्या प्रगति हुई है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटित और प्रयुक्त निधियां कितनी हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (घ) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) देश भर में पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्क की संख्या के किसी भी डाटाबेस का रखरखाव नहीं करता है। पंचायती राज मंत्रालय का देश में पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग हेतु नई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिनांक 25.10.2011 को अनुमोदित दूर संचार विभाग (डीओटी) की राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) स्कीम के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पंचातयों को ऑप्टिकल फाईवर (ओएफसी) केबल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से पंचायतों में ई-शासन को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 11 सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग पंचायतों के कार्यकरण के सभी पहलुओं के संबोधन को परिकल्पित करते हैं। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को अपनाने की राज्य/संघ राज्य-वार स्थित संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्यों को पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ई-पंचायत के लिए जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्यों के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर बैठकें आयोजित कर परियोजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिनांक 27-30 मई, 2014 के बीच नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी में चार क्षेत्रीय परामर्श-बैठकें आयोजित किए गए जिसमें ई-पंचायत के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

विवरण-I

ई-पंचायत के अंतर्गत अनुप्रयोगों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अंगीकरण

अनुप्रयोगों के नाम	राज्य/संघ राज्य-वार क्षेत्रों द्वारा इस्तेमाल
1	2
प्रिया-सॉफ्ट[1]	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
प्लान-प्लस[2]	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
नेशनल पंचायत पोर्टल[3]	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

1	2
स्थानीय शासन निर्देशिका[4]	नागालैंड, मिज़ोरम एवं दिल्ली को छोड़कर समस्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र।
ऐक्शन शॉफ्ट[5]	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल।
राष्ट्रीय परिसंपत्ति डायरेक्टी[6]	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
एरिया प्रोफाईलर[7]	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
सर्विस-प्लस[8]	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र

1. प्रिया-शॉफ्ट = राज्य वर्ष 2013-14 ऑनलाईन बाउचरों की प्रविष्टियां कर रहे हैं।
2. प्लान-प्लस = राज्य वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाएं अपलोड कर रहे हैं।
3. नेशनल पंचायत पोर्टल = वे राज्य जहां पंचायतों के लिए डायनामिक वेबसाईटें सृजित की गई हैं। (राज्यों के अनुरोध पर)
4. स्थानीय शासन निर्देशिका = वे राज्य जहां पंचायतों अथवा समतुल्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए विशिष्ट कोड परिभाषित किए गए हैं।
5. ऐक्शन शॉफ्ट = राज्य जहां पंचायतों द्वारा शुरू किए गए कार्य की प्रगति को कैप्चर किया जाता है।
6. राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिसंपत्ति डायरेक्टी = वे राज्य जहां पंचायतों ने अपनी परिसंपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक क्षेत्र में रखना शुरू कर दिया है।
7. एरिया प्रोफाईलर = वे राज्य जहां स्थानीय प्रोफाइल (चुनाव विवरण, जनांकीकीय आंकड़े, पारिवारिक पंजी आदि सार्वजनिक क्षेत्रों में रखने शुरू कर दिए है।
8. सर्विस प्लस = वे राज्य जहां सर्विस प्लस को पंचायतों के माध्यम से सेवा प्रदायगी हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है।

विवरण-II

वर्ष 2011-12 में राज्यों एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन की स्थापना हेतु राज्यों को निधियों की निर्मुक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रति राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कुल राशि (आंकड़े लाख रुपए में)	उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति (आंकड़े लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.49	प्राप्त किया जाना है
2.	आंध्र प्रदेश	171.35	112.4
3.	अरुणाचल प्रदेश	81.46	प्राप्त किया जाना है
4.	असम	163.29	प्राप्त किया जाना है
5.	बिहार	202.08	प्राप्त किया जाना है
6.	चंडीगढ़	25.19	प्राप्त किया जाना है

1	2	3	4
7.	छत्तीसगढ़	153.87	प्राप्त किया जाना है
8.	दादरा और नगर हवेली	3.50	प्राप्त किया जाना है
9.	दमन और दीव	6.99	6.99
10.	गोवा	28.68	प्राप्त किया जाना है
11.	गुजरात	159.79	प्राप्त किया जाना है
12.	हरियाणा	120.62	59.40
13.	हिमाचल प्रदेश	132.55	प्राप्त किया जाना है
14.	झारखंड	174.84	प्राप्त किया जाना है
15.	जम्मू और कश्मीर	145.81	14.53
16.	कर्नाटक	152.08	प्राप्त किया जाना है
17.	केरल	117.85	प्राप्त किया जाना है
18.	लक्षद्वीप	3.50	प्राप्त किया जाना है
19.	मध्य प्रदेश	244.03	8.18
20.	महाराष्ट्र	212.94	प्राप्त किया जाना है
21.	मणिपुर	56.64	प्राप्त किया जाना है
22.	मेघालय	27.96	प्राप्त किया जाना है
23.	मिज़ोरम	31.46	प्राप्त किया जाना है
24.	नागालैंड	41.94	प्राप्त किया जाना है
25.	ओडिशा	195.81	प्राप्त किया जाना है
26.	पुदुचेरी	13.98	प्राप्त किया जाना है
27.	पंजाब	138.82	प्राप्त किया जाना है
28.	राजस्थान	162.92	प्राप्त किया जाना है
29.	सिक्किम	60.86	39.16
30.	तमिलनाडु	137.38	14.00
31.	त्रिपुरा	104.24	प्राप्त किया जाना है
32.	उत्तर प्रदेश	317.41	प्राप्त किया जाना है
33.	उत्तराखंड	114.35	प्राप्त किया जाना है
34.	पश्चिम बंगाल	135.32	46.73

वर्ष 2012-13 में राज्यों को राज्य एवं जिला स्तर पर निरंतर कार्यक्रम प्रबंधन समर्थन के लिए निर्मुक्ति निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रति राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कुल राशि (आंकड़े लाख रुपए में)	उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति (आंकड़े लाख रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	54.13	प्राप्त किया जाना है
2.	दमन और दीव	2.34	प्राप्त किया जाना है
3.	मध्य प्रदेश	79.34	प्राप्त किया जाना है
4.	सिक्किम	25.18	प्राप्त किया जाना है

वर्ष 2012-13 में आरजीपीएस के अंतर्गत ई-सक्षमता के लिए राज्यों को निर्मुक्ति निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (आंकड़े लाख रुपए में)	उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति (आंकड़े लाख रुपए में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	64.13	प्राप्त किया जाना है
2.	छत्तीसगढ़	50.80	प्राप्त किया जाना है
3.	हरियाणा	460.00	प्राप्त किया जाना है
4.	हिमाचल प्रदेश	533.00	प्राप्त किया जाना है
5.	पंजाब	200.00	प्राप्त किया जाना है
6.	राजस्थान	200.00	प्राप्त किया जाना है
7.	उत्तराखंड	125.00	प्राप्त किया जाना है

वर्ष 2013-14 में आरजीपीएस के अंतर्गत ई-सक्षमता के लिए राज्यों को निर्मुक्ति निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राशि (आंकड़े लाख रुपए में)	उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति (आंकड़े लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7624	प्राप्त किया जाना है
2.	बिहार	861	प्राप्त किया जाना है
3.	दादरा और नगर हवेली	112	प्राप्त किया जाना है
4.	गुजरात	3165	प्राप्त किया जाना है
5.	जम्मू और कश्मीर	944	प्राप्त किया जाना है
6.	झारखंड	1645	प्राप्त किया जाना है
7.	ओडिशा	2583	प्राप्त किया जाना है

1	2	3	4
8.	राजस्थान	1545	प्राप्त किया जाना है
9.	सिक्किम	315	प्राप्त किया जाना है
10.	तमिलनाडु	5779	प्राप्त किया जाना है
11.	त्रिपुरा	453	प्राप्त किया जाना है
12.	पश्चिम बंगाल	823	प्राप्त किया जाना है

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को छह लेन का बनाना

1210. श्री रवनीत सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से अमृतसर तक राष्ट्रीय-1 को छह-लेन का बनाने का कार्य पूरा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (पुराना) का दिल्ली-पानीपत खंड पहले से छह/आठ लेन का है। पानीपत-जालंधर खंड का 96.00 किमी. से 387.100 किमी. तक छह लेन बनाने का कार्य मुकद्दमे के कारण रुका पड़ा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 17.04.2014 और 24.04.2014 के आदेशों के तहत रियायतग्राही को निर्देश दिया है कि वह 31.03.2015 तक कार्य पूरा करे। जनवरी, 2014 में जालंधर-अमृतसर खंड का 387.100 किमी. से 407.100 किमी. तक छह लेन बनाने का कार्य शुरू हो गया है। जालंधर-अमृतसर खंड की 407.100 किमी. से 456.100 किमी. की शेष लम्बाई पहले से ही 4 लेन की है और यह वर्तमान में छह लेन बनाने के लिए योग्य नहीं है।

[हिन्दी]

अपर्याप्त समपारों के कारण रेल दुर्घटनाएं

1211. श्री राहुल कस्वां : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त रेलवे समपारों के कारण रेल दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को कटनी रेल लाइन, जोकि इन समपारों से वंचित है, में समपारों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (घ) मौजूदा नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी नए समपार (एलसी) की व्यवस्था सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए न तो मौजूदा लाइन पर न ही नई लाइन पर की जाती है। मौजूदा नीति संबंधी अनुदेशों के अनुसार राज्य सरकार/स्थानीय निकायों से अनुरोध प्राप्त होने के आधार पर उपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचला सड़क पुल (आरयूबी)/सबवे की व्यवस्था की जाती है ताकि जनता रेलपथ पार कर सके। इस संबंध में ऐसा कोई अनुरोध लंबित नहीं है। पिछले 3 वर्षों में, 61 आरयूबी स्वीकृत किए गए जिसमें से 38 पूरे हो गए हैं। इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों चालू वर्ष में बीकानेर मंडल के रामपुरा बेरी और हरपालू स्टेशनों के बीच किमी. 199/2 पर जहां पर अनधिकृत प्रवेश स्थल है, 09.11.2012 को एक दुर्घटना की सूचना मिली है।

चौकीदार/चौकीदार रहित आरओबी/आरयूबी

1212. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :
श्री नित्यानन्द राय :
श्री ओम प्रकाश यादव :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ सहित राज्यों से चौकीदार/चौकीदार सहित रेलवे समपारों, फुटओवर ब्रिजों (एफओबी), सड़क उपरिपुलों/सड़क अधोगामी मार्ग (आरयूबी) के निर्माण हेतु राज्य-वार और स्थान-वार कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृत प्रस्तावों का कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) समपारों पर फाटकों को खोलने और बंद करने के कार्य को विनियमित करने हेतु निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है और इन फाटकों पर मानव त्रुटि के कारण हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) समपार के बदलने ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी), चौकदार वाले समपारों/बिना चौकीदार वाले समपारों के प्रावधान, पैदल पार पुलों आदि के निर्माण के लिए प्रस्तावों को सामान्यतः क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

नीति के अनुसार, संरक्षा के दृष्टिकोण से कोई नया समपार उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जन उपयोग के लिए निक्षेप शर्तों पर पैदल पार पुलों की व्यवस्था की जाती है।

राज्य सरकार से लागत में भागीदारी और समपारों को बंद करने पर सहमति के संबंध में विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद समपारों के बदले आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों को रेल निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर आगे कार्रवाई की जाती है।

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत आरओबी/आरयूबी का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	13	34	0
2.	असम	1	3	6	0
3.	बिहार	20	1	37	5
4.	चंडीगढ़	1	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	2	5	23	1
6.	गोवा	0	5	0	0
7.	गुजरात	3	41	7	0
8.	हरियाणा	1	10	38	0
9.	झारखंड	4	3	35	1
10.	कर्नाटक	0	23	10	7
11.	केरल	4	11	21	1
12.	मध्य प्रदेश	12	64	32	4
13.	महाराष्ट्र	7	29	7	3

1	2	3	4	5	6
14.	ओडिशा	4	2	19	0
15.	पुदुचेरी	0	3	0	0
16.	पंजाब	1	9	18	1
17.	राजस्थान	30	43	38	1
18.	तमिलनाडु	28	22	15	0
19.	उत्तर प्रदेश	24	62	68	9
20.	उत्तराखंड	1	10	0	0
21.	पश्चिम बंगाल	30	20	15	0
	कुल जोड़	186	379	423	33

(ग) और (घ) संसाधनों की सीमित उपलब्धता और पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड के कारण कार्य जहां तक संभव हो, निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रगति कर रहा है।

आरओबी/आरयूबी आदि के निर्माण जैसी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी का कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना को नहीं कहा जा सकता है।

(ङ) सड़क उपयोकर्ताओं की संरक्षा सुनिश्चित करने और बेहतर गाड़ी परिचालन के लिए समपारों को बंद करने एवं खोलने के लिए विस्तृत तकनीकी नियमों को निर्धारित किया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मानवीय चूक या अन्यथा, के कारण चैकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के कारण हताहतों की संख्या निम्नानुसार है:—

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
06	18	06	04

टीएससी/एनबीए के अंतर्गत कार्य निष्पादन

1213. श्री जगदम्बिका पाल : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)/निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित की गई कमियों/अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए या किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितनी निधियां राज्य-वार जारी की गई है; और

(च) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) से (ग) भारत सरकार, स्वच्छता सुविधाओं के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराकर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करके निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का कार्यान्वयन करती है। भारत सरकार, समीक्षा बैठक और वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा करती है। कार्य में आने वाली बाधाओं के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। चूंकि ग्रामीण स्वच्छता राज्य का विषय है और स्कीमों का संचालन राज्यों द्वारा किया

जाता है, अत: एनबीए के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितताओं के बारे में केन्द्र सरकार को सूचरा प्राप्त होने पर इनमें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को इसकी सूचना भेजी जाती है। विशिष्ट शिकायतों का भी राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षणकर्त्ताओं की जांच एवं उनके निष्कर्षों तथा उनकी रिपोर्टों के माध्यम से संबंधित राज्यों को अवगत कराया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान पुरस्कार राशि के रूप में अवमुक्त की गई राशि संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) इस योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2011 में ग्रामीण स्वच्छता के विषय पर कार्य करने वाले एक पृथक मंत्रालय का गठन किया। इसके अतिरिक्त, निम्नांकित प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए:—

- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान, पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के (एपीएल) परिवारों तक बढ़ाया गया (सभी अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे और सुविधाहीन किसान, अधिवास वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला आश्रित परिवार)
- एनबीए के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, 3200/- रुपए की पूर्ववर्ती राशि को बढ़ाकर 4600/- रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 5400/- रुपए तक का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 900/- रुपए के लाभार्थी अंशदन के साथ ही शौचालय की कुल इकाई लागत अब 10,900/- रुपए है (पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 11,400/- रुपए)
- आईईसी गतिविधियों के लिए जिला परियोजनाओं के कुल परिव्यय में से चिन्हित 15% की राशि के साथ सूचना, शिक्षण और संप्रेषण (आईईसी) पर अधिक बल।
- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ संयुक्त दृष्टिकोण।
- स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, महिला और बाल कल्याण सहित संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए) के तालमेल पर बल देना।
- मनरेगा के साथ तालमेल करके ठोस तथा तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के घटकों को परियोजना आधारित दृष्टिकोण में बदलना।
- स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना, 12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 37159 करोड़ रुपए पर निर्धारित किया गया है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के 6540 करोड़ रुपए से 468% अधिक है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2011-12	2012-13*	2013-14**	2014-15***
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	142			
2.	अरुणाचल प्रदेश	14			
3.	असम	5			
4.	बिहार	6			
5.	छत्तीसगढ़	124			

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	422			
7.	हरियाणा	330			
8.	हिमाचल प्रदेश	323			
9.	जम्मू और कश्मीर	2			
10.	झारखंड	0			
11.	कर्नाटक	103			
12.	केरल	7			
13.	मध्य प्रदेश	212			
14.	महाराष्ट्र	442			
15.	मणिपुर	0			
16.	मेघालय	365			
17.	मिज़ोरम	53			
18.	नागालैंड	17			
19.	ओडिशा	48			
20.	पंजाब	19			
21.	राजस्थान	32			
22.	सिक्किम	0			
23.	तमिलनाडु	51			
24.	त्रिपुरा	0			
25.	उत्तर प्रदेश	41			
26.	उत्तराखंड	63			
27.	पश्चिम बंगाल	36			
	कुल	2857			

*वर्ष 2012-13 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि एनजीपी के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा था।

**वर्ष 2013-14 तक के पुरस्कार के लिए पात्र जीपी हेतु चयन प्रक्रिया पर इस समय कार्रवाई की जा रही है।

***वर्ष 2014-15 के लिए पुरस्कारों के लिए पात्र जीपी की चयन प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

विवरण-II

वर्ष 2011-12 में राज्यों को एनजीपी पुरस्कार राशि के रूप में रिलीज की गई राज्य-वार निधि

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2011-12 में पुरस्कार राशि (लाख रुपए) के रूप में रिलीज की गई निधि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	311.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00
3.	असम	20.00
4.	बिहार	22.00
5.	छत्तीसगढ़	139.50
6.	गुजरात	540.50
7.	हरियाणा	342.00
8.	हिमाचल प्रदेश	430.50
9.	जम्मू और कश्मीर	2.00
10.	झारखंड	0.00
11.	कर्नाटक	322.00
12.	केरल	35.00
13.	मध्य प्रदेश	270.00
14.	महाराष्ट्र	536.50
15.	मणिपुर	0.00
16.	मेघालय	187.00
17.	मिज़ोरम	28.50
18.	नागालैंड	21.00
19.	ओडिशा	148.00
20.	पंजाब	14.00
21.	राजस्थान	73.50
22.	सिक्किम	0.00
23.	तमिलनाडु	85.00
24.	त्रिपुरा	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	47.50
26.	उत्तराखंड	38.50
27.	पश्चिम बंगाल	177.00
	कुल	3798.00

टिप्पणी:

1. वर्ष 2012-13 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि एनजीपी के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा था।
2. वर्ष 2013-14 तक के पुरस्कार के लिए पात्र जीपी हेतु चयन प्रक्रिया पर इस समय कार्रवाई की जा रही है।
3. वर्ष 2014-15 के लिए पुरस्कारों के लिए पात्र जीपी की चयन प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

[अनुवाद]

शौचालय सुविधाएं

1214. श्री जैदेव गल्ला :
श्री हंसराज गंगाराम अहीर :
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री इदरिस अली :
श्री सी.एन. जयदेवन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशतता कितनी है जिनमें शौचालय उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की कमी से महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकार बनती हैं, क्योंकि उन्हें प्रायः खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है और यदि हां, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के पिछड़े रहे राज्यों के लिए कोई विशेष बल दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में स्वच्छता/शौचालयों के निर्माण की वर्तमान स्कीम की समीक्षा की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या परिणाम हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार एक बड़ी आबादी के पास शौचालय सुविधा उपलब्ध न होने के आलोक में उक्त स्कीमों को परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : (क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या तथा प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है, जहां शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) घरों में शौचालयों की सुविधा न रहने के कारण लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों को, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तथापि, जहां शौचालय उपलब्ध है, वहां भी शौचालय के उपयोग के संबंध में व्यवहारगत मुद्दे तथा व्यक्तिगत इच्छा प्रमुख हैं। भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के जरिए खुले में शौच करने की प्रथा का उन्मूलन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का पूरे देश में संचालन करती है। एनबीए का उद्देश्य सम्पूर्ण समुदायों में एक चरणबद्ध संतृप्तिबोध रीति से स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान कर सतत् व्यवहारगत परिवर्तन लाकर 'निर्मल ग्राम' की स्थिति प्राप्त करना है। एनबीए का लक्ष्य, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 100% स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों तथा पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के (एपीएल) परिवारों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान, जिसमें सभी अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे और सुविधाहीन किसान, अधिवास वाले भूमिहीन मजूदर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला आश्रित परिवार शामिल हैं।

- एनबीए के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, 3200/- रुपए की पूर्ववर्ती राशि को बढ़ाकर 4600/- रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 5400/- रुपए तक का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 900/- रुपए के लाभार्थी अंशदान के साथ ही शौचालय की कुल इकाई लागत अब 10,900/- रुपए है (पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 11,400/- रुपए)।

- आईईसी गतिविधियों के लिए जिला परियोजनाओं के कुल परिव्यय में से चिन्हित 15% की राशि के साथ सूचना, शिक्षण और संप्रेषण (आईईसी) पर बल दिया गया है।

- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया गया है।

- स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, महिला और बाल कल्याण सहित संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए) के तालमेल पर बल देना।

- स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना 12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 37159 करोड़ रुपए पर निर्धारित किया गया है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के 6540 करोड़ रुपए से 468% अधिक है।

(ग) मंत्रालय, राज्यों के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना अनुमोदित करती है, जिसमें स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए संतुलित उद्देश्य परिलक्षित हों। राज्यों के संतुलित उद्देश्यों के आधार पर प्रतिवर्ष उन्हें निधियां आबंटित की जाती हैं।

(घ) मंत्रालय नियमित रूप से निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है जिसमें आवधि प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों, वीडियो-कान्फ्रेंसिंग, अधिकारियों के दौरे, राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षकों की रिपोर्टों आदि द्वारा समीक्षा शामिल है। जिन राज्यों ने कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावशाली ढंग से नहीं किया है, उन्हें उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक सलाह दी जाती है।

(ङ) कार्यान्वयन की गति में सुधार लाने के लिए स्कीम में, जब भी आवश्यकता हो, परिवर्तन लाया जाता है। देश में स्वच्छता कवरेज की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से मंत्रालय स्कीम की समीक्षा कर रहा है।

विवरण

जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय की सुविधा रहित ग्रामीण परिवारों की संख्या तथा प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवार	परिवार जहां परिसर में शौचालय नहीं है	परिवारों का % जहां शौचालय उपलब्ध नहीं है
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59030	22973	38.92
2.	आंध्र प्रदेश	14246309	9277643	65.12
3.	अरुणाचल प्रदेश	195723	86616	44.25
4.	असम	5374553	2066999	38.46
5.	बिहार	16926958	13776940	81.39
6.	चंडीगढ़	6785	386	5.69
7.	छत्तीसगढ़	4384112	3733268	85.15
8.	दादरा और नगर हवेली	35408	25040	70.72
9.	दमन और दीव	12750	4360	34.20
10.	गोवा	124674	34157	27.40
11.	गुजरात	6765403	4449164	65.76
12.	हरियाणा	2966053	1254203	42.29
13.	हिमाचल प्रदेश	1310538	426566	32.55
14.	जम्मू और कश्मीर	1497920	873092	58.29
15.	झारखंड	4685965	4295812	91.67
16.	कर्नाटक	7864196	5356694	68.11
17.	केरल	4095674	229103	5.59
18.	लक्षद्वीप	2523	42	1.66
19.	मध्य प्रदेश	11122365	9612238	86.42
20.	महाराष्ट्र	13016652	7262645	55.80
21.	मणिपुर	335752	41208	12.27

1	2	3	4	5
22.	मेघालय	422197	181784	43.06
23.	मिज़ोरम	104874	13531	12.90
24.	नागालैंड	284911	63563	22.31
25.	राष्ट्रीय राजधानी, क्षेत्र दिल्ली	79115	10684	13.50
26.	ओडिशा	8144012	6896152	84.68
27.	पुदुचेरी	95133	56685	59.59
28.	पंजाब	3315632	931868	28.11
29.	राजस्थान	9490363	7579854	79.87
30.	सिक्किम	92370	13730	14.86
31.	तमिलनाडु	9563899	7007398	73.27
32.	त्रिपुरा	607779	93644	15.41
33.	उत्तर प्रदेश	25475071	19649918	77.13
34.	उत्तराखंड	1404845	632710	45.04
35.	पश्चिम बंगाल	13717186	7036829	51.30
	भारत	167826730	112997499	67.33

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्री (सुश्री उमा भारती) : माननीय अध्यक्ष, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) वापेकोष लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 116/16/14]

(2) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 117/16/14]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : माननीय अध्यक्ष, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 118/16/14]

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 119/16/14]

(तीन) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 120/16/14]

(चार) जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 121/16/14]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 122/16/14]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1 नं. 7 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 249(अ) जो 31 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जूट वर्ष 2013-14 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन का न्यूनतम 90% तथा चीनी के 20% पैकेजिंग की जूट पैकिंग अनिवार्य की गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 123/16/14]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : महोदया, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 124/16/14]

(3) दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 125/16/14]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टीएचडीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 126/16/14]

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 127/16/14]

(तीन) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 128/16/14]

(चार) एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 129/16/14]

(5) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 का उपधारा (1) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम (निगम के चेयरमेन, सदस्य और सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2014 जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 196(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 130/16/14]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति की श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी तैनाती किए जाने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 131/16/14]

(3) (एक) रेल लैंड डेवलपमेंट अर्थॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल लैंड डेवलपमेंट अर्थॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 132/16/14]

(5) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2, 20 और 36 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 376(अ) जो 4 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि रेल यात्री कोचों में अथवा स्टेशन परिसर या स्टेशन परिसर में रेल की पटरियों पर वाटर फ्लश सेनेटरी शौचालयों की सफाई के लिए नियोजित किसी व्यक्ति को उनमें उल्लिखित, सुरक्षात्मक गीयर और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(दो) सा.का.नि. 377(अ) जो 4 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा "रेल प्राधिकारी" से, संबंधित मंडलों के क्षेत्राधिकार वाला अपर रेल मंडल प्रबंधक और मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों/कार्यशालाओं, शेडों आदि तथा संबंधित उत्पादन इकाइयों अथवा शोध अभिकल्प और मानक संगठन के क्षेत्राधिकार में सफाई बनाए रखने वाले विभाग का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अथवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी अभिप्रेत है।

(तीन) सा.का.नि. 378(अ) जो 4 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा स्वास्थ्य अथवा वाणिज्यिक निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है और जहां कहीं भी उन्हें स्वच्छता की निगरानी का कार्य समनुदिष्ट किया गया है, उनमें एतदद्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर शक्तियां निहित की जाती है जिसका अभिनिश्चय मंडल में अपर रेल मंडल प्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी और संबंधित उत्पादन इकाइयों अथवा शोध अभिकल्प और मानक संगठन के क्षेत्राधिकार में स्वच्छता बनाए रखने वाले विभाग का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अथवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 133/16/14]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं वर्ष 2014-15 के लिए पंचायती

राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 134/16/14]

अपराह्न 12.02 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

माननीय अध्यक्ष : मद संख्या 9 – श्री संतोष कुमार गंगावार।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदया, महोदया, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:—

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति की दूसरी रिपोर्ट के संबंध में प्रस्ताव

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा 16 जुलाई, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 16 जुलाई, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

एक पत्रकार की हाफिज सईद के साथ हुई बैठक के बारे में

माननीय अध्यक्ष : अब, हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

श्री खड़गे जी,

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, पिछली बार माननीय विदेश मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि वह पाकिस्तान में भारतीय दूतावास से आवश्यक सूचना प्राप्त करेंगी और पाकिस्तान में हाफिज़ सईद के साथ वैदिक के साक्षात्कार के बारे में सदन को सूचित करेंगी। तीन दिन बीत चुके है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पुन: अनुरोध करूंगा कि वे तत्काल एक वक्तव्य दे क्योंकि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सरकार को शीघ्र संपर्क करना चाहिए और सदन को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि संपूर्ण सदन बहुत चिंतित है कि क्या हुआ है और भारतीय दूतावास और सरकार के बीच क्या बातचीत हुई है।

हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्या बातचीत हुई है। लोग बहुत आशंकित है और इस सभा के माध्यम से हम देशवासियों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचा रहें है। अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि विदेश मंत्री इस मामले पर एक वक्तव्य दें। हमने इसे कई बार उठाया है परंतु मुझे कहते हुए बहुत दु:ख है कि हमें सरकार से उचित उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर यही मुद्दा अन्य सभा या सभा के बाहर उठाया जाएगा, तो वे शीघ्र उत्तर देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि हमें कैसे हमारे मुद्दे पर बहस करनी चाहिए, क्या हमें घंटो तक एक साथ इस पर बहस करनी चाहिए या हमें नियमों के अनुसार सरकार से अनुरोध करना चाहिए।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, सरकार इस मुद्दे पर प्रतिक्रियात्मक और संवेदनशील भी है। माननीय विदेशी मंत्री ने उस दिन तत्काल ही प्रतिक्रिया दी और आज माननीय मंत्री दूसरी सदन में व्यस्त है क्योंकि वहां प्रश्न पूछे गए थे। अत: मैं सभा की भावनाओं को माननीय मंत्री तक पहुंचा दूंगा...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : वे वहां व्यस्त हैं। वह दो स्थानों पर कैसे उपस्थित रह सकती है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा मत कीजिए, अभी तुरंत कैसे मानेंगे। किरीट सोमैया जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : वह कन्वे करेंगे, आपको बता दिया है। आज नहीं तो कल बतायेंगे। प्लीज, आप बैठ जाईये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कल और परसों तीन छोटे निवेशकों, गरीब किसानों ने आत्महत्या कर ली। एक नया चिट फंड घोटाला, जेसे पश्चिम बंगाल में शारधा चिट फंड घोटाला हुआ था, उसी प्रकार का महाराष्ट्र में केवीपीएल घोटाला हुआ है। लोगों के लगभग पचास हजार करोड़ रुपए डूब रहे हैं। हजारों छोटे निवेशक, जिनमें मजदूर हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, छोटे-छोटे गरीब मजदूर, किसान हैं। वे तंग आ चुके हैं। दो महीने पहले राज्य सरकार के पास राज्य की पुलिस और सीआईडी ने 991 करोड़ के इस घोटाले की रिपोर्ट दी थी। आज महाराष्ट्र में नासिक हो, जालना हो, औरंगाबाद हो, वहां पर लोग रास्ते पर आ रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी से प्रार्थना करूंगा कि चिट फंड कंपनियों के घोटाले बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार विशेष तौर पर महाराष्ट्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। महाराष्ट्र सरकार को मैंने इस प्रकार की 41 कंपनियों की सूची दी हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग दस लाख छोटे निवेशकों की पूरी सेविंग्स डूब रही है। सरकार इन गरीब किसानों को आत्महत्याओं के बचाये, वित्त मंत्री सेबी को निर्देश दें और गृह मंत्री राज्य सरकार को कहें। मैं कल से महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को संपर्क कर रहा हूं, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि जो अनेक लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कृपया उन्हें बचायें, महाराष्ट्र के इस चिट फंड घोटाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मालिक विदेश भाग गये हैं, उनसे गरीबों के पैसे की रक्षा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शिवकुमार उदासी की श्री किरीट सोमैया के विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।

श्री अजय कुमार (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश को तराई क्षेत्र में बसा कृषि की दृष्टि से बहुत अच्छी कृषि भूमि वाला क्षेत्र है, जहां गन्ना व धान की बहुत अच्छी फसल होती है। परंतु पिछले कुछ समय से चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान न होने के कारण तथा बाढ़ के कारण उक्त क्षेत्र के धान के दागी हो जाने की वजह से सरकारी क्रय केन्द्रों सहित चावल मिलों में भी जो धान बिक नहीं पाता है, के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बेहत खराब हो गई है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार गैर परंपरागत खेती जैसे मसालों व औषधियों की खेती को, जिसके लिए लखीमपुर की कृषि भूमि उपयुक्त है, को बढ़ावा देने के साथ-साथ मुख्य उपजों पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना कराये, जिससे किसान औषधि, मसालों की खेती की तरफ आकर्षित हो। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षिक करते हुए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जब उन्होंने कहा कि वह उस सदन में व्यस्त हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही समय वह यहां पर भी हों।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको जवाब जरूर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अभी और तुरंत तो नहीं हो सकता है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मना तो नहीं किया है। उन्होंने मना तो नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जगदंबिका पाल जी बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक लोक महत्व और तात्कालिक विषय पर आपके माध्यम से पूरे सदन का

ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* वर्तमान समय में जब लोक सभा का सत्र चल रहा है...*(व्यवधान)* कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के सभी चुने हुए जन प्रतिनिधि अपने-अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए इस सदन में मौजूद हैं।...*(व्यवधान)* दुर्भाग्य से इस बार जो मानसून है, अल-नीनो के प्रभाव के कारण देश के लगभग 500 जनपदों में कम मानसून आया है।...*(व्यवधान)* यह हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जब वह वहां से आएगा तब मैं आपको बताऊंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : पिछले जून के महीने में जो सामान्य वर्षा होती है, उससे 43 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ज़ीरो ऑवर में रिसपांस नहीं मिलता है।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : एक तरफ किसानों के समक्ष वर्षा का अवर्षण होने के कारण, दूसरी तरफ खरीफ की फसल...*(व्यवधान)* उनको अपनी धान की फसल को बैठाने के लिए पानी की जो आवश्यकता है, वह दोनों चुनौतियां इस समय देश के किसानों के समक्ष हैं।...*(व्यवधान)* जब किसान को सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली चाहिए...*(व्यवधान)* दूसरी तरफ सूखा पड़ा हुआ है।...*(व्यवधान)* खेती मानसून से हो नहीं सकती है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों की 27 प्रतिशत बुवाई कम हुई है।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आज राज्य में किसानों के समक्ष खरीफ की फसल की बुवाई को लेकर सिंचाई के लिए बिजली की जो मांग है, उस बिजली की आपूर्ति के लिए व्यवस्था की जाए।...*(व्यवधान)* क्योंकि 27 प्रतिशत बुवाई कम हुई है। बिजली का जो शिड्युल है,...*(व्यवधान)* वह दिन में आती है।...*(व्यवधान)* अगर वह सुबह से शाम तक मिले तो शायद किसानों को या ग्रामीण क्षेत्रों में जो घोषित निर्धारित घंटे हैं, वे पूरे हो सकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि इस पर चाहे आप सरकार से रिसपांड करने के लिए कह दें।...*(व्यवधान)* या इस पर चर्चा करा लें।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समझता हूं कि आज दिल्ली में पीक ऑवर में 5 हज़ार मेगावाट की जरूर पड़ती है।...*(व्यवधान)* अगर बिजली का संकट इस तरह रहेगा तो बहुत समस्या होगी।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप मेरी बात तो सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भगवंत मान (संगरूर) : महोदया, दिल्ली में लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.13 बजे

इस समय श्री भगवंत मान आए सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप हर बात पर मत आ जाया करें। ऐसे नहीं आया करते हैं। आप नए सदस्य हैं। आप ज़रा सीखिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। आप वापस जाइए। वे सक्षम हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाए। मैं आपको अब चेतावनी दे रही हूं। *[हिन्दी]* आप नए सदस्य हो। बात को समझा करो। ये लोक सभा के तरीके नहीं होते हैं। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप समझते क्यों नहीं है? समझा कीजिए। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.14 बजे

इस समय श्री भगवंत मान अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपने रिक्वेस्ट किया तो मैंने आपको अलाऊ किया। हालांकि आप देर से आए थे, फिर भी अलाऊ किया। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है वह राज्य सभा में व्यस्त हैं। एक

व्यक्ति दो जगह तो नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि वे संदेश दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री भगवंत मान : अध्यक्ष महोदया, हम सदन से वॉकआउट करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.14½ बजे

श्री भगवंत मान और कुछ अन्य सदस्यों सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) **:** अगर उनका विषय है तो एजेंडा होने के बाद लीजिए।...*(व्यवधान)* कितने बजे होगा, वह तो पता चले। समय बता दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ज़ीरो आवर में ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आपने बुलाया और तुरंत आया। ऐसा नहीं हो सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : वे महिलाओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रही हैं, आप उसे सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. करुणाकरन, क्या आप कैंसर रोगियों के मुद्दे को उठाना चाहोगे?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, मैं किसी को इस प्रकार विवश नहीं कर सकती। उन्होंने बोला है, मैं नहीं कर सकती।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : करुणाकरन जी, ऐसा लगता है, आप मुद्दे को उठाने के इच्छुक नहीं हैं।

श्रीमती पी. के श्रीमथि टीयर।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने बोला है, यह कंपल्शन नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.17 बजे

इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जीरो आवर में ऐसा कंपल्शन मत करो। एक अलग ट्रेडिशन मत डालो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीयर (कन्नूर) **:** अध्यक्ष महोदया, मैं एक गंभीर मुद्दा उठा रही हूं, जिस पर इस सदन को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध निरंतर यौन के संबंध में है, विशेषत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में...*(व्यवधान)*। हम गत कई वर्षों से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु यौन उत्पीड़न की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कुछ माह पहले, जब एक युवा ब्रिटिश महिला का भारत में निर्दयता से बलात्कार हुआ था, और किसी ने नहीं बल्कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था 'भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। क्या यह देश के लिए शर्म की बात नहीं है? मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे क्रूर अपराधों से नारी जगत को बचाने के लिए क्या कोई सख्त कानून है?...*(व्यवधान)*

13 जुलाई को दिल्ली में हुई घटना ने मुझे इस मुद्दे को उठाने के लिए प्रेरित किया। एक 24 वर्षीय स्पेनिश महिला पर्यटक को सरे आम लोधी गार्डन, नई दिल्ली में लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया। इसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, में, कुछ माह पूर्व, एक डच महिला से भी बलात्कार किया गया था...*(व्यवधान)*

महिलाओं के विरुद्ध ऐसे अत्याचारों को होने की अनुमति कब तक दी जा सकती है? महोदया, आपके जरिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से पृथक रूप से ऐसे मामलों को समयबद्ध रूप से देखने और दोषियों को उचित दंड देने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष त्वरित न्यायालय शुरू करने का विनम्र अनुरोध करती हूं। मामलों की लंबी ट्रायल दोषियों को बचने में

मदद करेगी और वे ऐसे अपराध बार-बार करेंगे...*(व्यवधान)* धन्यवाद, मैडम।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. करुणाकरन को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीयर द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री सुशील कुमार।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड़) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपना मुद्दा उठाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन : अध्यक्ष महोदया, यह मुद्दा कैंसर पर चिंताजनक रिपोर्ट से संबंधित है। प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कैंसर के मामले बढ़े हैं...*(व्यवधान)* मैं सरकार से कैंसर रोगियों के लिए एक विशेष कैंसर उपचार कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध करता हूं। यदि कोई व्यक्ति कैंसर से प्रभावित है तो बेशक, उसके परिवार की सारी आस्तियां चली जाती है।

अत: सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि सभी राज्यों, विशेषत: सरकारी अस्पतालों में अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। इसके साथ कैंसर रोगियों को उनके उपचारार्थ वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जानी चाहिए. ..*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी सोलंकी को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

अपराह्न 12.18 बजे

नियम 377 के मामले*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर रखे जाएंगे जिनका सदस्यों के नियम 377 के अंतर्गत आज मामले उठाने के लिए अनुमति दी गई है और उन्हें प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के अंदर मामले के विषय को सभा पटल पर रख सकते हैं। केवल उन मामलों को रखा हुआ माना जाएगा, जिनके लिए निर्धारित समय के अंतर्गत मामले को विषय सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और हमीरपुर जिलों में नदियों से अवैध तरीके से रेत खनन को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर) : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर एवं हमीरपुर जनपदों में पड़ने वाली नदियों से पट्टाधारकों द्वारा पोकलैन्ड एवं लिफ्टर से भारी मात्रा से मौरंग का अवैध खनन स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। जिसके कारण नदियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। लगातार मशीनों के चलने के काण प्रदूषण बढ़ रहा है। नदियों में रहने वाले जलीय प्राणी व पक्षी प्रदूषण के कारण असमय मौत के शिकार हो रहे हैं। अवैध खनन के कारण क्षेत्र की जनता को समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। विगत कई वर्षों से क्षेत्र में कई स्थानों पर जमीन फटने जैसी अप्राकृतिक घटनाएं घट चुकी हैं। पट्टाधारकों द्वारा खनन मानकों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। मशीनों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन को रोकने की तुरंत आवश्यकता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि सरकार द्वारा सख्ती के साथ चिन्हित स्थानों पर मानकों के अनुसार सभी सुरक्षा उपायों के साथ तय पट्टे की जगह पर ही मौरंग खनन कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(दो) देश में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. नेपाल सिंह (रामपुर) : पिछले कई वर्षों से देश में उच्च शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। इसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश सहित देश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों को न भरा जाना है। जिस प्रकार शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी मानदेय अथवा रिटायर्ड शिक्षकों को दी जा रही है, उससे यह स्थिति और भी भयावह हो रही है।

शैक्षिक सत्र समय पर नहीं चल रहे हैं। परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है। प्रेक्टिकल परीक्षाएं तो राम भरोसे चल रही है। रिसर्च कार्यों में विराम सा लग गया है। जो छात्र 12वीं पास करने के बाद महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, उन्हें जब वस्तुस्थिति का पता चलता है, तो वे अपने को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

मैं माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे उपरोक्त स्थिति को विस्फोटक होने से बचाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें जिससे छात्रों के ज्ञान को बढ़ाया जा सके और रोजगार के नए अवसर खुल सकें।

(तीन) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर) : संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को जिन्होंने केन्द्रीय बजट 2014-15 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 14,389 करोड़ रुपए आवंटित कर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र सरकार द्वारा 250 से अधिक की आबादी के ग्रामों को जोड़ने के लिए वर्ष 2000 में शुभारंभ किया गया था। इस योजना के दिशानिर्देशानुसार इसे 9 से 12 महीने के भीतर पूरा करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि मेरे जिले में कुछ ग्रामीण सड़कों का निर्माण 13 साल के बाद भी कार्य समाप्त नहीं है, ग्रामीण सड़कों की हालत जर्जर है तथा योजना के दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, ठेकेदारों एवं एनपीसीसी अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ का पता चला है साथ ही साथ एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि 2008-09 के बीच मंजूर सड़कों का पूरा किया जाना अभी भी बाकी है तथा जो भी सड़क बनी है उसमें गुणवत्ता का अभाव है। इसमें निविदा प्रक्रिया में मानक तथा पात्रता मूल्यांकन की अनदेखी की गई है। यह एक नकसल प्रभावित क्षेत्र है तथा दूरदराज के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कार्यान्वयन शैली को लेकर घोर आक्रोश है।

अतः अनुरोध है कि ग्रामीण भारत को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना को विफल होने से रोकें तथा एक विशेषज्ञों द्वारा निष्पक्ष जांच कराएं।

(चार) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हर वर्ष घाघरा नदी में बाढ़ और इसके कारण कटाव को रोकने के लिए उक्त जिले में घाघरा नदी पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में शारदा नदी के किनारे लखीमपुर जनपद पर बांध बना है, परंतु सीतापुर की सीमा में बांध नहीं है जिसकी वजह से सीतापुर में अक्सर बाढ़ और कटान होता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि शारदा नदी के किनारे सीतापुर की सीमा में भी बांध बनाया जाए जिससे सीतापुर में बाढ़ एवं कटान से मुक्ति मिल सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश में, आगरा और इटावा के बीच बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी) : आगरा से फतेहाबाद-बटेश्वर होकर इटावा नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण में जो कि वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई थी और रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई है, परंतु आगरा और इटावा जिला प्रशासन से भूमि का कब्जा न मिल पाने के कारण पूर्ण नहीं हुई है। यह लाइन आगरा इटावा और अन्य शहरों में रहने वाले हजारों नागरिकों को लाभान्वित करेगी। मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को भारत सरकार शीघ्रातिशीघ्र निर्देश देकर पूरा कराये।

(छह) राजस्थान में, विशेष रूप से बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए कृषि उत्पादों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : मेरा बीकानेर संसदीय क्षेत्र में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की एमएसपी योजना के तहत वर्तमान में कृषि उत्पाद चने की खरीद विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जा रही है। मेरी जानकारी में आया है कि संस्थाओं द्वारा चने की खरीद किये जाने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, इससे किसानों में रोष उतपन्न हो रहा है। मेरा भारत सरकार के कृषि मंत्री से यह मांग है कि एमएसपी योजना के तहत जो भी कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद की जाती है उनका भुगतान समय पर कैसे संभव हो इसका कोई मैकिनिजम विकसित करना चाहिए। जिससे किसानों को हर बार भुगतान की मांग नहीं करनी पड़े। यूपीए सरकार पिछले दस वर्षों में समय पर भुगतान की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पायी है और उसी व्यवस्था के तहत कार्य संपादित हो रहे हैं। इसी शृंखला में कृषि मंत्री से मांग है कि खरीद करने वाली राज्य सरकारों की एजेंसियों से वार्ता कर भुगतान की पुख्ता व्यवस्था करे विशेषकर राजस्थान के मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर में जो चने की सरकारी खरीद हुई है और उसका भुगतान बकाया है उसका समय पर भुगतान करने की व्यवस्था करे।

(सात) उत्तर प्रदेश में कन्नौज से सीतापुर तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर कन्नौज से व्यापारिक नगर सीतापुर तक फोर लेन मार्ग के निर्माण की आवश्यकता है। कन्नौज से सीतापुर मार्ग प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं एवं व्यापारिक कार्यों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 नई दिल्ली-कानपुर वाया कन्नौज के किलोमीटर 350 से शुरू होकर पवित्र मां गंगा को पार करता हुआ मल्लावां नगर संडीला नगर वाया कोथांवा एवं रामगढ़ चीनी मिल के समीप से नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ होकर सीतापुर नगर तक जाता है। इसके निर्माण से दिल्ली-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग वे दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग का आपस से जुड़ना संभव हो जायेगा। इसके बन जाने से मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख तथा मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यापारिक कार्यों में गति आ जायेगी। जिससे क्षेत्र की जनता का सर्वांगीण विकास संभव हो जायेगा। कन्नौज एक ऐतिहासिक नगर है। इतिहास में इसका वर्णन आज भी मौजूद है। पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पवित्र मिश्रिख तीर्थ जो महर्षि दधिची के त्याग के इतिहास को अपने आप में संजोये हुए है। इन दोनों पवित्र तीर्थ स्थलों पर करोड़ों देशवासियों को अगाध श्रद्धा एवं विश्वास है इन पौराणिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए फोर लेन मार्ग का बनना अतिआवश्यक है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि कन्नौज से सीतापुर तक फोर लेन मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(आठ) झारखंड के रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और उपदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र रांची में स्थित हेवी इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन के मजदूरों एवं कर्मचारियों के साथ हो रही अनियमितता संबंधी कार्यकलापों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस कॉर्पोरेशन में कई प्लांट एवं डिवीजन है जिसमें मशीन टूल्स इत्यादि का निर्माण मजदूरों एवं कर्मचारियों द्वारा होता परंतु खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि एचइसी में मजदूरों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दिये जाने वाले पेंशन व ग्रेच्यूटी का भुगतान हुआ ही नहीं है। इसके लिए मजदूरों एवं कर्मचारियों को इधर उधर भटकना पड़ता है एवं उनके परिवारों को कई तरह का कष्ट उठाना पड़ता है, कई परिवार तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के न मिलने पर भुखमरी के शिकार हो जाते हैं।

सरकार से निवेदन है कि एचईसी से सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी एवं मजदूरों को उनके पेंशन एवं ग्रेच्यूटी का भुगतान तत्काल किया जाये।

(नौ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और कस्बों के विद्युतीकरण कार्य को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त निधियां मंजूर किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : मैं राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों का प्रतिनिधितव करता हूं जो पिछड़े है और वहां बुनियादी सेवाओं का अभाव है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इन जिलों की 50 प्रतिशत आबादी बिजली से वंचित है। भारत सरकार ने राजीव गांधी गामीण विद्युतीकरण मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को लगभग 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। तथापि राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले के 50 प्रतिशत एपीएल और बीपीएल परिवार अभी भी बिजली से वंचित है।

द्वितीय चरण के अंतर्गत एपीएल और बीपीएल श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवारों के घरों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार ने 100 से अधिक की आबादी वाले कस्बों वाली (धणियो) के विद्युतीकरण के कुछ कार्यों की स्वीकृति दी है परंतु अभी भी 22,300 बीपीएल परिवारों को विद्युत प्रदान नहीं की गई है। 100 से अधिक की आबादी वाले 23,809 धाणियो का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

द्वितीय चरण में कुछ खंडों जैसे - सिवाना, बलोत्रा, बाड़मेर, चौथन, शिव, बायतू और जैसलमेर में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। परंतु निधियों की कमी के कारण कार्य आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने तीन वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया कि शेष गांवों और धाणियों का वर्ष 2015-16 तक विद्युतीकरण किया जाएगा।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन के अंतर्गत निधियां स्वीकृत की जाए जैसा कि पहले किया गया था जिससे कि शेष बचे उपर्युक्त गानों/धाणियों के विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र आरंभ किया जा सके।

(दस) केरल के तेलीचेरी अथवा वटकरा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक शाखा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकरा) : सरकार का ध्यान देश के विभिन्न भागों में सीजीएचएस सेवा में भारी कमियों की ओर दिलाया गया है। योजना की पहुंच इतनी सीमित है कि अनेक पात्र लोग विशेषकर जीवन के आखरी पढ़ाव के लोग सुविधा प्राप्त करने से वंचित है क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात जहां वे निवास करते है वह क्षेत्र योजना के अंतर्गत कवर नहीं होता है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। केरल के उत्तरी जिले इसके उदाहरण है। इन क्षेत्रों के रोगी सीजीएचएस पर भरोसा नहीं कर सकते जिसका केवल तिरुअनंतपुरम में कार्यालय, क्लीनिक और केन्द्र है।

मैं यह समझता हूं कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। सभी क्षेत्रों में सीजीएचएस के कार्यकरण का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से उत्तरी केरल के लोगों के लाभ के लिए तेलीचेरी अथवा वताकरा में सीजीएचएस की शाखा खोलने की मांग करता हूं।

(ग्यारह) तमिलनाडु में कुंभकोनम से विरुद्धाचलम तक बड़ी रेललाइन को पूरा किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने और त्रिची से तंजावुर, कुंभकोनम तक रेललाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.के. भारती मोहन (मइलादुथुरई) : कुंभकोणम आवश्यकता में स्थित है कहां वर्ष 2016 के आरंभ में हम महाकुंभ का उत्सव मनाने जा रहे है जो उत्तर भारत में महाकुंभ की भांति 12 वर्ष में एक बार आता है। परिवहन के लिए रेल माध्यम सबसे बेहतरीन था पिछले महाकुंभ मेले के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों ने कुंभकोणम की यात्रा की। वर्ष 2016 में अगले महागम मेले के दौरान एक करोड़ तीर्थयात्रियों द्वारा यात्रा करने की संभावना है। अगले महामहम के दौरान यात्रियों की आवक में भारी वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार रेल मंत्रालय से कुंभकोणम के साथ तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से कुंभकोणम से विरुद्धाचलम तक बड़ी रेल लाइन को समय से जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का निवेदन करता हूं। इसलिए बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर मैं महामहम मेले से पूर्व तिरिचे-तंजावुर लाइन के दोहरीकरण तथा इसे कुंभकोणम तक विस्तारित किए जाने की मांग करता हूं।

(बारह) तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुद्र निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण स्थापित किए जाने और भारतीय पुरातत्व विभाग को वहां रहने वाले लोगों से निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर जोर न दिए जाने हेतु उपयुक्त आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री के.एन. रामचन्द्रन (श्री पेरुम्बदूर) : मेरे संसदीय क्षेत्र श्री पेरुम्बुदूर में अनेक दशकों से लाखों लोग ताम्बरम, पलईवरम और अन्य विधान सभा क्षेत्रों में रह रहे हैं।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की है और रूपरेखा तथा आवासीय योजनाओं को भी अनुमोदित किया है। परंतु पुरातत्व विभाग स्थानीय निकायों और अन्य राज्य सरकार की ऐजेंसियों को (पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधित और विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 का हवाले देते हुए उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से रोक रहे हैं। इसके अतिरिक्त एएसआई की अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग कर रही है परंतु उसे यह प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को मात्र इसे जारी करने की शक्ति प्राप्त है और उक्त निकाय की अभी तक स्थापना नही की गई है।

वास्तव में पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम एक बाधा है और इससे लोगों को कठिनाई हो रही है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से क्षेत्र के लोगों के लिए बुनियादी कार्यकलाप आरंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर बल देने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने का निवेदन करता हूं।

(तेरह) देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकों और स्व-सहायता समूहों के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली) : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जिसे अब 'आजीविका' का नया नाम दिया गया है, देश में सबसे व्यापक और गरीबी कटौती की एक विशिष्ट पहल है। परंतु जब बात कार्यनिष्पादन की आती है, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऋण वितरण के प्रति दृष्टिकोण काफी धीमा है। एनआरएलएम के कार्यनिष्पादन में बैंकों के साथ समन्वय करने में स्वयं-सहायता समूहों को काफी कठिनाई होती है। जब एनआरएलएम हेतु डीसीसी की उप-समिति की बैठकों की बात आती है, तो बैंक बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्व-सहायता समूह और बैंकों के मध्य उत्पन्न होने वाली समस्याओं का स्व-सहायता समूहों द्वारा कैसे समाधान किया जाएगा। सरकार को राष्ट्रीय बैंकों को अनुदेश देने चाहिए कि वे ऐसी बैठकों में भाग लें ताकि एनआरएलएम को लागू कर रहे स्व-सहायता समूहों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके। बैंक और स्व-सहायता समूह के मध्य लिंकेज अवरोध रहित होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों,

विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के बीच में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऋण संवितरण की प्रक्रिया सुकर होनी चाहिए। मैं इसे सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब राज्य पहले ही वित्तीय भार में दबे हैं, तो उनके भार को केन्द्र द्वारा वहन किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जमीनी स्तर पर ग्रामीण बैंकों में वरीयता प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण को तत्काल बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बैंकरों के चिन्तन को भी बदलने की आवश्यकता है ताकि एनआरएलएम न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में सफल हो बल्कि इससे गरीबी भी समाप्त होगी।

(चौदह) देश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर) : भारत वह देश है जहां 315 मिलियन विद्यार्थी पाये जाते हैं और इनमें 112 मिलियन विद्यार्थी 4 वर्षीय आयु के हैं। गत दशक में विद्यालयों में विद्यार्थियों की भर्ती 79 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत तक पहुंची है किंतु अभी भी 1.4 मिलियन विद्यार्थी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं सरकार ने देश में शिक्षा व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए अनेक योजनाएं प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर शुरू की हैं उनमें से एक मध्यान्ह भोजन देना भी है। इस योजना में बालकों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। सरकार सोचती है कि अच्छे और पुष्ट भोजन से आकर्षित बालक विद्यालयों में अपनी उपस्थिति रखने में रूचि लेंगे परंतु योजना अच्छी होने के बावजूद उसका क्रियान्वयन उचित न होने के कारण लक्ष्य पाने में असमर्थ दिख रही है। विषाक्त भोजन की घटनाओं ने बालकों व पालकों में आकर्षण के स्थान पर भय पैदा कर दिया है। हमारे राज्य बिहार में विषाक्त भोजन बांटने की घटनाएं आम बात हो चुकी है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि इस योजना के क्रियान्वयन में प्रभावी संशोधन हो। यदि क्रियान्वयन को स्वच्छ और स्वस्थ नहीं किया जा पाता हे तो बालकों को नकद राशि देकर उनमें शिक्षा के प्रति आकर्षण बनाये रखना चाहिए।

अपराह्न 12.19 बजे

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन, विधेयक, 2014

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।"

महोदया, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : क्या आप इसको स्टेंडिंग कमेटी में भेजने की बात कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, जैसा आप आदेश दें। आप आदेश दें तो अभी बोलूंगा, आप आदेश देंगी तो बाद में बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसको स्टेंडिंग कमेटी में भेजा जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, आप जो निर्णय करें, जो आप आदेश दें, चूंकि यह विधेयक संसद की सम्पत्ति हो गया है। आप जो निर्णय करेंगी, वह शिरोधार्य होगा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए।

श्री थावर चंद गहलोत : ठीक है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब आम बजट पर चर्चा शुरू करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.21 बजे

इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सबको भी बात माननी पड़ेगी। आपको हाउस को डिस्टर्ब करना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने ज़ीरो आवर की मुझसे बात भी की थी, लेकिन आप लेट आए थे, तो भी मैंने कहा कि मैं सदन में उठाने दूंगी। अगर यहां से, सत्ता पक्ष से मानते हैं तो मुझे कोई ऑब्जैक्शन नहीं है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : एक तो यहां खड़े रहकर मुझसे बात नहीं करोगे। कृपया अपनी सीट पर जाइए। मैं खड़गे जी से बात कर रही हूं, आपसे नहीं। यह तरीका नहीं है वैल में खड़े रहकर बात करने का। खड़जे जी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि "वह दूसरे सदन में व्यस्त है तो" अगर वे बोलेंगे तो वहां तक आपकी बात पहुंचाएंगे। थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। आप कंपैल नहीं कर सकते कि अभी, तुरंत हो। वह अगर बोलेंगे तो मुझे कोई ऑब्जैक्शन नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकती। आपको डिस्टर्ब करना हो तो अब यह आप पर है।

श्री मुलायम सिंह यादव

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तो उनके ऊपर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) **:** मैडम, इनको हटाइए पहले। क्या फायदा है? ऐसे में कैसे मेरा भाषण हो जाएगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्ग) **:** महोदया, मैंने आपसे बात की थी...*(व्यवधान)* यह आपका उत्तरदायित्व है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब उसको हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला है वहां करेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि वे चले गये हैं, वे कहीं भी गए हों इससे मतलब नहीं, मगर वहां से आना चाहिए। मैं तो स्टेटमैंट नहीं दे सकती हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बेहतर जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। वह करेंगे। अब कब करेंगे, इसको मैं नहीं कह सकती हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनसे बात करके बाद में कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यहां क्यों नहीं, यह आप पूछ सकते हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : उनको आने दो, बात करेंगे।

श्री मुलायम सिंह जी।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, ऐसे में मैं कैसे बोल सकता हूं...*(व्यवधान)* ऐसे में हम कैसे बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यह तरीका नहीं है। वैल में खड़े एक भी व्यक्ति से मैं बात नहीं करूंगी। खड़गे जी बोल रहे हैं, बोलें। मगर बात यह है कि मैं कंपैल नहीं कर सकती। जब आएंगे आप तब सुनें। अब उन्होंने एश्योर किया है कि वे वहां तक बात पहुंचाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब चाहें आप बोलें, मामला उठाएं और चर्चा हो, यह नहीं होता है। मैंने आपकी मदद की है, आपको मामला उठाने का मौका दिया। उन्होंने बता दिया, उन्होंने उत्तर दे दिया है। ऐसी बात नहीं है। पर ऐसा होना चाहिए। प्लीज़।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ही नहीं है। माफ कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बोलें कैसे? ऐसे में बड़ा मुश्किल है बोलना।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब आप उनको रिक्वेस्ट करें। यह तरीका है उनका। मैं भी क्या करूं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह मामूली बात नहीं है, देश का बजट है। इनको शांत कीजिए।...*(व्यवधान)* यह क्या बात हो गई ?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, हर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। *[अनुवाद]* श्री वैंकय्या जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : पहले आप सभी अपनी अपनी सीट पर वापस चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, सबको अपनी सीट पर जाने दें। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कहीं खड़ा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.24

इस समय, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कोई नहीं बोलेगा। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगी। यदि संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं तो उन्हें कहने दीजिए। *[हिन्दी]* हर कोई उठकर खड़ा होकर बोले, यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री खड़गे जी काफी वरिष्ठ नेता हैं। वह सभा के नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह जानते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि सरकार समय का निर्धारण करे, परंतु उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए और उस मामले की महत्ता को देखते हुए, जोकि उन्होंने उठाया है, मैं बाहर गया और विदेश मंत्री से बात की है। उनका राज्य सभा में कार्य समाप्त हो गया है, और यथाशीघ्र वह इस सदन में आएंगी। वह श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर वक्तव्य देंगी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यही बात मैं आप को बता रही थी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री मुलायम सिंह जी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने बोल तो दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का आभारी हूं। उन्होंने वादा किया है। उनका दिल काफी बड़ा है! छाती कम है, लेकिन हार्ट लार्ज है। मैं उनसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : लेकिन आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : लेकिन दिल से मैं आपके तर्क से सहमत नहीं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष मैं बता तो रही थी कि वह बाहर गए थे। परंतु आपको मुझ पर विश्वास नहीं था। अब ठीक है।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम जिस विषय में खड़े हुए थे, उसके बीच में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एससी-एसटी एक्ट को स्टैंडिंग कमेटी को रैफर करने के लिए आपसे अनुरोध किया, जिसे मान लिया गया, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्शन यह है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : उसको आप अब नहीं उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, क्यों नहीं उठा सकते हैं? वह ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खरगे जी, ऐसा नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, हम लोग एक प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए लाए गए आर्डिनेंस को एक्सैप्ट करते हैं, यह तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एससी-एसटी एक्ट है।...*(व्यवधान)* यह कानून 23 परसेंट जनता के लिए बनाया गया है। अगर 23 परसेंट जनता के लिए बनाए गए आर्डिनेंस को कानून में तब्दील ही नहीं करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खरगे जी, यह हो गया है, यह वापस नहीं आ सकता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय अध्यक्ष : खरगे जी आप बेहतर जानते हैं। आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, *[हिन्दी]* वह जो हो गया, उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जा सकती है। उस समय तो आप हल्ला कर रहे थे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब यह मामला समाप्त है, श्री मुलायम सिंह।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह मैटर अब स्टैंडिंग कमेटी में गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच मुनियप्पा (कोलार) : हमें अपनी प्राय: 30% जनसंख्या के बारे में चर्चा करनी है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह स्टैंडिंग कमेटी में गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : हमने इसे स्थायी समिति को भेजा है *[हिन्दी]* आप बात को समझिए। आप इस पर स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा कर सकते हैं। आप हल्ला कम किया करो, तभी बात समझ में आएगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : जी, हां। श्री मुलायम सिंह जी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं आपके संज्ञान से लाना चाहता हूं। कृपया मुझे मेरी बात तो सुनिए।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अब उस बात पर मैं वापस नहीं जा सकती।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जो मेटर हो गया है, मैं उस पर वापस नहीं जा सकती हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको उसी समय यह बात बोलनी चाहिए थी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री मुलायम सिंह जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब आप वही बात बार-बार कह रहे हैं, जो मुझे खेद है। हल हो चुकी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलने के लिए खड़ा हूं।

महोदय, इस बजट के साथ बुरे दिनों की शुरूआत हो गयी है क्योंकि मोदी साहब ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, कृपया एक मिनट। वे आ गई हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.30 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन — *जारी*

एक पत्रकार की हाफिज सईद के साथ हुई बैठक के बारे में

[हिन्दी]

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मुझे अभी-अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि शायद यहां कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने श्री वेद प्रताप वैदिक की हाफिज़ सईद से मुलाकात के संबंध में हाई कमिशनर की रिपोर्ट के संबंध में जानना चाहा है।

पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन यह प्रश्न यहां उठा था, उस दिन मौखिक्र रूप से उत्तर देते हुए मैंने बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी थी कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि भारत सरकार का उस यात्रा से या उनकी हाफिज़ सईद से मुलाकात का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद यह मामला यहां समाप्त हो गया था। कोई और प्रश्न मुझसे किया नहीं गया था, कोई उत्तर भी मैंने नहीं दिया था। लेकिन दूसरे सदन में एक परंपरा है क्लैरिफिकेशंस की, हालांकि वह सुओ-मोटो स्टेटमेंट्स पर होती है, पर उन्होंने थोड़ा नियमों में ढील देकर वहां स्पष्टीकरण मांगे थे। उसमें से एक स्पष्टीकरण यह था। किसी ने कहा कि, शायद वैदिक ने ही किसी इंटरव्यू में यह कहा है कि इंडियन हाई कमिश्नर से रिपोद्व मांगी है जो अपेक्षित है। वह रिपोर्ट आने के बाद मैं सदन को बताऊंगी। यहां यह मामला चूंकि आया नहीं था, इसलिए मैंने नहीं कहा। लेकिन यह अपना सदन है, खड़गे जी जानना चाह रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि इंडियन हाई कमिशनर को मेरी मुलाक़ात के बारे में पता था, तो मैंने उसके उत्तर में यह कहा था कि मैंने हाई कमिश्नर से रिपोर्ट आयी है और उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ उसमें कहा है कि न तो उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी कि वे हाफिज़ सईद से मिलने जा रहे हैं, इसलिए भेंट को फैसिलिटेट करने का तो प्रश्न ही पैदा ही नहीं होता। वे बिल्कुल उनकी जानकारी के अभाव में श्री वैदिक से मिलने गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनपर मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आज आप को क्या हो गया है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, प्लीज़ बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.33 बजे

सामान्य बजट (2014-15) सामान्य चर्चा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें — (सामान्य) (2011-12) — *जारी*

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और कांग्रेस के साथियों को भी धन्यवाद जो मुझे बोलने के लिए अवसर दे दिया।

महोदया, जहां तक इस बजट का सवाल है तो मेरा स्पष्ट कहना है कि इस बजट के साथ बुरे दिनों की शुरूआत है क्योंकि यह कहा गया था कि अच्छे दिनों की शुरूआत होगी। हमारा स्पष्ट कहना है कि बुरे दिनों की शुरूआत हुई है। क्या इस बजट से महंगाई घटेगी? मैं पूछना चाहता हूं, जो भी हों, यहां माननीय मंत्री बैठे हैं, वे बताएं कि क्या आपके इस बजट से महंगाई कम होगी? इसका कहीं ज़िक्र ही नहीं है। देश के सामने सबसे ज्यादा गंभीर समस्या महंगाई की है। महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई और बढ़ गयी है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था, उस दिन से महंगाई बढ़ने लगी है। इस बजट के माध्यम से अच्छे दिनों की शुरूआत नहीं, बल्कि बुरे दिनों की शुरूआत है। इसलिए हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इनकी दिशा क्या है, प्राथमिकता क्या है?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खरगे जी, आज क्या हुआ है? खरगे जी, आज बात क्या है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : केवल श्री मुलायम सिंह जी का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस तरीके की बातचीत रिकॉर्ड में नहीं जाती है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा कि केवल आपकी ही बात रिकॉर्ड में जायेगी। आप बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं तो बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया ऐसा नहीं करें। आज बात क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने टाइम इनको दिया है कि मुझे दिया है?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ये बोल रहे हैं, उसमें आपको कुछ ऑब्जैक्शन है?

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमारा सहयोग लेना चाहते हो कि नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं) **:** नेताजी बोल रहे हैं, यह बहुत गलत बात है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपका समर्थन करेंगे, हमें बोल लेने दीजिए।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : इनका समर्थन मत करिये, इनका समर्थन तो हो चुका।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उसी की वजह से ये हारे हैं।...*(व्यवधान)* हमने इनकी सरकार बचाई थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्षा जी, मैं यह कह रहा था कि इस बजट के माध्यम से... *(व्यवधान)* हम कैसे बोल लेंगे? हम तो नहीं बोल सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम) **:** माननीय अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अभी पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, क्या पाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री धर्मेन्द्र यादव : कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। अब आप बोलकर दिखा देना।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी इन्हें तो रोको, भाई। आप बाद में बात कर लेना, हम भी आपका साथ देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव : आपने नेताजी को डिस्टर्ब बहुत कर दिया, अब कोई वक्ता बोलकर दिखा दे। यह कोई तरीका है? नेता जी को टाइम एलाट था। यह क्या तरीका है, हम भी आपको नहीं बोलने देंगे। कोई बोलकर दिखा दे।...*(व्यवधान)* नेताजी के भाषण के समय डिस्टर्ब कर रहे हैं। .

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर : माननीय अध्यक्ष जी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप नियम बताइये। आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

डॉ. शशि थरूर : मैं नियम 376(1) के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, व्यवस्था का प्रश्न इन नियमों की व्याख्या या प्रवर्तन करेगा जो सभा को कार्यवाही को विनियमित करते है और ऐसा प्रश्न उठाएगा जो आपके संज्ञान के भीतर हों...*(व्यवधान)*

महोदया, हमारे नेता श्री खड़गे जी यह कह रहे थे कि सभा में अव्यवस्था और अवरोध के दौरान जब यह निणर्य लिया गया कि इस राष्ट्र की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बेहतर जीवन को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए जबकि विगत 60 वर्षों से सभा की कार्यपद्धति रही है कि विधेयक में परिवर्तित अध्यादेश को स्थायी समिति को भेजा नहीं जाता।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप भी एक बात को समझिये। पाइंट ऑफ ऑर्डर, जो बिजनेस अभी चल रहा है, उसी के लिए उठा सकते हैं। आपके हल्ले-गुल्ले में जो हो गया, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। श्री मुलायम सिंह यादव।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर : परंतु महोदया ऐसा तब हुआ है, जब सभा में व्यवस्था नहीं थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, प्लीज़। जो बिजनेस है, वह चल रहा है, वह हो गया। आप बेहतर जानते हो, आप मंत्री रह चुके हो।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर : परंतु महोदया, हम इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह कैसे संभव है? *[हिन्दी]* हम उसके आगे बढ़ चुके हैं तो पहले क्या हुआ, उसको पाइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं उठाते, अभी जो हो रहा है। यदि आपको डिस्कशन पर ऑब्जेक्शन है तो आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खरगे जी, आज बात क्या है। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या?

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम मानते हैं, लेकिन हमने जो... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी एक मिनट। ऐसा है कि 314 नये सदस्य हैं, इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा बोल रही हूं, ऐसा समझ लीजिए। आप तो समझे हुए लोग हैं। ये जो बात उठा रहे हैं, माननीय मंत्री थावर चंद गहलोत जो एससी, एसटी का बिल आज लाए थे, उस पर यह बात हुयी है कि यह स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। स्पीकार को इसका अधिकार है। स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी में सभी प्रकार के लोग रहेंगे, दोनों पक्षों के लोग, पक्ष और विपक्ष सभी रहते हैं। जितनी भी ये चर्चा करना चाहें, चर्चा करके बिल वापस यहां पास होने के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि शेडयूल कास्ट्स, शेडयूल ट्राइब्स के लिए कोई अन्याय, अत्याचार की बात यहां नहीं होनी चाहिए, यह भी बात नहीं है। एक बार यहां चेयर से निर्णय किया गया और हम नेक्स्ट आइटम पर चले गए। आप उस समय शोर कर रहे थे, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। चेयर ने निर्णय दे दिया है, मुझे लगता है कि इस पर दोबारा अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में सभी प्रकार के लोग रहेंगे।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप उस पर चर्चा करके जो भी आपको कहना है, कह सकते हैं। यह भी आप कई बार कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब प्लीज शांत हो जाइए। मुलायम सिंह जी आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हम वापस नहीं आ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना) : आप खुद सीरियस नहीं थे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : गणेश सिंह जी, आप बैठ जाइए। चेयर ने निर्णय दे दिया है, अब उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : निर्णय हो चुका है कि यह स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। इस बजट के बारे में मैं कह सकता हूं कि यह बुरे दिनों की शुरूआत है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब अच्छे दिनों की शुरूआत हुयी है। यह कहा था कि महंगाई 25 फीसदी तो हम तुरन्त कम कर देंगे, तो क्या महंगाई कम हुयी? महंगाई बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कम करने की बात कही

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

थी, लेकिन महंगाई बढ़ी है। जब इसका जवाब देंगे तो जरूर बता देना कि अच्छे दिनों की शुरूआत में बुरे दिनों की शुरूआत क्यों हुयी और महंगाई क्यों बढ़ी? इसी पर आप चुनाव जीते हैं। क्या हमेशा जनता को धोखा देकर जीतेंगे? सदन में आप धोखा नहीं दे पाएंगे। भले ही संख्या कम है, लेकिन अध्यक्ष महोदया आपकी कृपा रहेगी तो मजबूती से बात रखेंगे और देश के सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितना असत्य बोलकर जनता को गुमराह किया है। आपके पास बहुमत आ गया। अब आपको कोई बहाना भी नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदया, हम जानना चाहते हैं कि सरकार की प्राथमिकतायें क्या हैं? बजट में कहीं जिक्र नहीं है कि महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे। यह कहा था कि प्रतयेक नौजवान को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। आप बताइऐ कि कब देंगे?...*(व्यवधान)* कब देंगे और कितने लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे।...*(व्यवधान)* यह आपने जनता के बीच वादा किया है। नौजवान आपके पक्ष में खड़ा हो गया कि उसे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अब आपका बहुमत हो गया।...*(व्यवधान)* अभी तक कई सालों से एक दल को बहुमत नहीं था। अब बहाना नहीं मिल सकता है, अब तो आपको बहुमत है। आपने जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा कब करेंगे? कुछ तो आपने वादे ऐसे किए थे कि ओथ लेते ही पूरा कर देंगे। महंगाई 25 फीसदी घटा देंगे, तो महंगाई घटने के बजाए बढ़ी है। एक महीने के अंदर महंगाई कम करने को कहा था, लेकिन अब डेढ़ महीने हो गए हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि लगभग तीस साल से गठनबंधन की सरकारें चल रही थीं। अब आपको बहुमत मिल गया है। आपको अब कोई बहाना नहीं मिल सकता है। सीधी-सादी जनता को जो वादे किए हैं, उन वादों को आप पूरा करिए। इसकी कब से शुरूआत करेंगे, अभी तक तो आपने शुरूआत नहीं की है, महंगाई और बढ़ा दी। आपने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, हम काला धन वापस लाएंगे। आप कितना काला धन वापस लाए हैं? यह भी मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे। आप यह भी बता दें कि कितना काला धन है? आप विदेशों से काला धन वापस ला नहीं सकते हैं। मुझे पता है। आपने इस संबंध में वायदा किया था, लेकिन आप इसे नहीं ला पाए। हमारे देश में भी काला धन कम नहीं है। आप अपने देश का ही काला धन निकाल दें। आपने छोटे-छोटे दुकानदानों पर छापा मारा। आप सदन को बताएं कि कितना काला धन मिला? आप ने कितना काला धन वसूल किया है? बड़े लोगों पर छापा मारने की हिम्मत आपके पास नहीं है। यह क्यों नहीं है? हमें सब पता है। एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति कहा हैं? गुजरात में छः उद्योगपति हैं। प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं। यूपी के संसदीय क्षेत्र बनारस से चुनाव जीतकर, वे प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन वे गुजराती तो हैं। एशिया के सबसे बड़े 6 उद्योगपति गुजरात में हैं। क्या आपने उनसे मदद ली? क्या आपने उनसे बातचीत की? वे आपके प्रदेश के हैं तो निश्चित रूप से बातचीत हुई होगा। उनसे कया बातचीत हुई, यह सदन जानना चाहता है। हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। इस देश में काला धन वापस आए और देश का विकास हो। हम इस पक्ष में हैं। आप बताएं कि आपने कितना काला धन वसूल किया है? इस देश में कितना काला धन है?

आपने एक काम जरूर किया है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपने काला धन वसूलने के लिए कमेटी बना दी। उस कमेटी ने क्या किया? कमेटी ने आपको क्या राय दी? क्या आपने कमेटी की बैठक बुलाई? क्या आपने उससे संपर्क किया? आपने निश्चित रूप से उससे संपर्क किया होगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो कमेटी बनी है, उससे आप ने जरूर कोई न कोई बात की होगी। अगर, विदेशों में जमा काले धन को आप छोड़ भी दें तो मैं कहना चाहता हूं कि एफडीआई और निजी क्षेत्र के धन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इतना धन हमारे देश के अंदर है। हम भरोसा है कि वित्त मंत्री जी अपने उत्तर में इसका जिक्र करेंगे कि कितना और कब तक काला धन अर्थव्यवस्था में शामिल होगा? आप एक काबिल व्यक्ति हैं। आप विद्वान और आप समझदार भी हैं।

क्या इस बजट से बेरोजगारी कम होगी? इसके बारे में बजट में कही जिक्र नहीं है। देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करेंगे। इसके खतरनाक संकेत हो सकते हैं। आपने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है। आपने उन्हें नौकरी देने का वायदा किया है। नौजवान हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहते थे, सारे नौजवान आपके साथ चले गए।...*(व्यवधान)* मैं सदन के सामने देश की सच्चाई रखना चाहता हूं। हम क्यों घुमा-फिरा कर बात करें। नौजवान नौकरी के लिए आपके साथ चले गए। आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिया है, नौकरी दी है और कितने नौजवानों को कब तक नौकरी-रोजगार देंगे? बजट में इसका कहीं जिक्र नहीं है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि अगर नौजवानों का गुस्सा फूटा तो देश के सामने इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। इसलिए, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे बजट में आपने नौजवानों से जो वायदा किया था वह कहीं नहीं है।...*(व्यवधान)*

इस बजट में उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हम लोगों की स्पष्ट नीति रही है। जब तक घर-घर में कुटीर उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, आप बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे, इतनी नौकरियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत अवसर हैं। कुछ नौकरियां देनी शुरू कीजिए। हम आपके पक्ष में ही बोल रहे हैं। हम देश

को बचाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि नौजवान सब सुन रहा है। वह ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करेगा। अगर वह खड़ा हो गया तो देश के लिए खतरनाक संकेत होंगे। उसमें हमें नौजवानों का साथ देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। आपने रोजगार और नौकरी का वायदा किया है, वोट लिया है। सब नौजवानों ने आपको वोट दे दिया और आप बहुमत में आ गए। बहुमत में आ गए हैं तो कोई बहाना नहीं मिलेगा। अभी तक हमारी और इनकी मिली-जुली सरकार थी। हमें बहाना मिलता था कि हम क्या करें, हमारे अकेले दल की सरकार नहीं है। अब आपकी अकेले दल की सरकार है तो बहाना खत्म हो गया।

आप यहां कह रहे हैं, स्मार्ट शहर बनेंगे, बढ़िया हवाई अड्डे बनेंगे। आप यह भी बताइए कि उनमें कितने लोगों को रोजगार देंगे। क्या आपके पास इसके आंकड़े हैं? आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो सब चीजें आपके सामने आई होंगी। इससे ही पता चल जाएगा कि आप कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आप शहर बनाएंगे लेकिन गांव क्यों नहीं बनाएंगे। मैं यह पूछाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* हमारा हिन्दुस्तान गांवों में बसा हुआ है। जब तक गांव संम्पन्न नहीं होगा लोग खुशहाल नहीं होंगे, किसान संपन्न नहीं होंगे, तब तक हिन्दुस्तान कभी मजबूत नहीं हो सकता। यह कृषि प्रधान देश है। सबने स्वीकार किया है। आपने भी स्वीकार किया, इन्होंने किया और हमने भी किया। चौधरी चरण सिंह जी का जिंदगीभर यही भाषण रहा। वे किसान, गांव, गरीबी से अपनी बात शुरू करते थे और उसी से अंत करते थे। सारे किसानों ने उन्हें अपना नेता मान लिया और मानते रहेंगे। वे अभी तक निर्विवाद हैं। आपने क्या किया? आपने न किसान के लिए कुछ किया और न ही नौजवान के लिए कुछ किया है। रोजगार के लिए कोई समाधान नहीं निकाला कि कितने लोगों को रोजगार देंगे, कितने दिनों में देंगे।

मंत्री जी अपने जवाब में अस्थायी और स्थायी दोनों तरह की नौकरियों और उनकी संख्या के बारे में बताएं कि इतने लोगों को स्थायी नौकरी देंगे और इतने लोगों को अस्थायी नौकरी देंगे। मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि 6 करोड़ लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 6 करोड़ से ज्यादा लो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। खेतीहर मजदूर और अन्य मजदूर जो असंगठित हैं, वे अलग हैं। हिन्दुस्तान में लगभग 18 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इन 18 करोड़ लोगों को जिस दिन रोजगार मिल जाएगा उसी दिन हिन्दुस्तान मजबूत, संपन्न और खुशहाल हो जाएगा। आप इतना काम ही करके दिखा दीजिए। हम आपका साथ देंगे। आपके बजट में इस बारे में कुछ नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार देंगे। क्या इस बजट से किसानों को कुछ लाभ है?

यहां माननीय हुक्म सिंह जी बैठे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ नहीं किया? क्या सिंचाई मुफ्त नहीं की, क्या पढ़ाई मुफ्त नहीं की, क्या दवाई मुफ्त नहीं की? कैंसर, लिवर, किडनी, दिल आदि जितनी गंभीर बीमारियां हैं, हिन्दुस्तान में अगर उनका मुफ्त इलाज कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश में है। अगर कहीं पढ़ाई मुफ्त है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर कहीं दवाई मुफ्त है तो वह उत्तर प्रदेश में है। आप कोई काम तो करेंगे।...*(व्यवधान)* इसलिए आपको कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* क्या किसानों को नहीं कहा?...*(व्यवधान)* क्या हम अपनी बात समाप्त कर दें?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बोल रहे हैं, आप इन्हें रोकिए।.. .*(व्यवधान)* हम बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करने वाले हैं। हमें ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना है। हमें सरकार से साफ-साफ बात करनी है कि वह क्या कर रही है, हम और देश की जनता सरकार के काम के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि हमारे आरोप हैं। अभी आपको सरकार में आये हुए डेढ़-पौने दो महीने हो गये हैं, लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया है। मैं मानता हूं कि आपने डेढ़-दो महीने कुछ नहीं किया। आपने कहा था कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन डेढ़ महीना हो गया है। ऐसा नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* यह मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि अब भी आपके पास काफी समय है। मंत्री जी जब आप जवाब दें, तो इन सब बातों का भी जवाब दीजिए। आप, कम से कम, लोगों को रोजगार दीजिए, महंगाई घटाइये। आपने बजट में भूमिहीन किसानों को कर्ज देने की बात कही और उसमें व्यवस्था भी 8 करोड़ रुपए की है। आप यह ध्यान रखिए कि जो भूमिहीन हैं, उन्हें यह सुविधा मिले, क्योंकि उन तक तो यह सुविधा पहुंच ही नहीं पाती। माननीय वित्त मंत्री जी आपने 8 करोड़ रुपया दिया है, तो जिनके लिए दिया है, उन्हीं के पास पहुंचे, वर्ना जिनके पास जमीन है, उनको भी पहुंच जायेगा। ऐसा होता रहा है। आप कम से कम गरीबों को जो रुपया दें, वह उन्हीं के पास पहुंचे। आपने कहा किसानों को स्किल सिखायेंगे, तो क्या आप हिन्दुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं? जब आप किसानों को स्किल सिखायेंगे, तो किसान खेती से हटेगा। इससे पैदावार घटेगी। जब पैदावार घटेगी, तो फिर कहां से खाने के लिए अनाज आयेगा? कम से कम किसान अपनी मेहनत से खाने लायक अनाज तो उत्पन्न कर लेता है। हमारी सरकार ने कुछ सुविधाएं तो दी हैं। सिंचाई मुफ्त दी हे आदि आदि।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आपकी बात हो गयी। आप अपना मुद्दा पूरा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी हमने कुछ नहीं कहा।...*(व्यवधान)* कानून व्यवस्था बिल्कुल गलत बात है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपस की बातचीत कार्यवाही में नहीं जायेंगी।

*(व्यवधान)...**

श्री मुलायम सिंह यादव : सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में खराब है।...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा रेप के केसेज मध्य प्रदेश में है।...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा रेप के केसेज राजस्थान में हैं।...*(व्यवधान)* क्या ये आंकड़े सही नहीं हैं?...*(व्यवधान)* आप सब बैठ जाओ।...*(व्यवधान)* यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे बता दें।...*(व्यवधान)* गृह मंत्री जी बता दें कि सबसे ज्यादा रेप के केसेज मध्य प्रदेश में हैं। सबसे जयादा रेप के केसेज राजस्थान में हैं।...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान में सबसे कम रेप के केसेज हैं, तो वह उत्तर प्रदेश के हैं। वहां केवल 2 फीसदी ही रेप के केसेज हैं।...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में 10 फीसदी रेप के केसेज हैं।...*(व्यवधान)* ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, आपके गृह मंत्री जी के आंकड़े हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : राकेश सिंह जी, आपकी बात आ गयी है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप पढ़कर देखिये। मैं आपके गृह मंत्री जी के आंकड़े दे रहा हूं, अपने नहीं दे रहा हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 2 फीसदी रेप के केसेज हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 9.8 फीसदी रेप के केसेज हैं।...*(व्यवधान)* यही हाल राजस्थान की है।...*(व्यवधान)* दिल्ली की हालत के बारे में आप पता लगा लीजिए।...*(व्यवधान)* सबसे कम रेप के केसेज हिन्दुस्तान में कहीं हैं, तो वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ की जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर वहां रेप के केसेज बहुत कम हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए आप असत्य बोलकर जीत नहीं सकते।...*(व्यवधान)* किसानों के लिए ऋण दिया जा रहा है। बड़ा हिस्सा खेती वालों के पास पहुंच जायेगा, इस बारे में मैंने आपको सावधान कर दिया है।...*(व्यवधान)* आपने कृषि की बहुत उपेक्षा की है।...*(व्यवधान)* क्या हम बोलना बंद कर दें?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मुझे पांच मिनट और बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा किसानों की उपेक्षा की गयी है। मुझे आश्चर्य है। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं। वित्त मंत्री, क्या आप किसानों की उपेक्षा बर्दाश्त करेंगे? आप वहां के रहने वाले हैं जहां किसान सबसे ज्यादा जागरूक है और आज मेरा भाषण सुनाकर और जागरूक हो जायेगा। इस बजट में किसानों की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है। किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया है।...*(व्यवधान)* अगर दिया गया है तो बता दें।...*(व्यवधान)* हमने किसानों को बहुत साधन, सुविधा दिया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि एफडीआई से सीमा को खतरा है।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि आज ही चीन ने हमारी सीमा में प्रवेश किया है। रोजाना चीन हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा है। इससे जयादा और क्या हो सकता है? हमारी तीन सेनाएं हैं। तीनों सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन मुझे जानकारी है कि तीनों सेनाओं को पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। वे देश की रक्षा कैसे कर सकेंगी? मेरा आरोप है। यहां पर जनरल साहब बैठे हैं। वे मिनिस्टर भी बन गये हैं। जनरल साहब ही खड़े होकर कह दें कि जब वे जनरल थे तब क्या उन्हें पूरी सुविधाएं प्राप्त थीं।

अपराह्न 1.00 बजे

सेना के तीनों अंग हैं, एयर फोर्स भी है, आर्मी भी है और नेवी भी है, तीनों सेनाओं में अभी कमियां हैं जितनी सुविधाएं उनको होनी चाहिए, वह नहीं है। इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है। यह सरकार तो खतरे पैदा कर रही है। सीमा को खतरे में डाल रही है। गरीबी बढ़ रही है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जहां सवाल यह है कि वित्त मंत्री जी ने नये करों का संकेत नहीं दिया। नहीं दिया, तो यह नई परंपरा है कि संसद को दरकिनार कर दीजिए और जब सदन बंद हो जाएगा, तब टैक्स बढ़ा दीजिए। और सदन न चले, तो टैक्स फिर बढ़ा दीजिए। यह तो बड़ी चालाकी हो रही है। देश के साथ चालाकी हो रही है। आप संसद की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगी। इन्होंने लगातार ऐसा ही किया। संसद चलने के पहले कर बढ़ा दिया और बाद में और बढ़ा देंगे और सदन की उपेक्षा करेंगे। सदन की उपेक्षा करके ये बाद में टैक्स बढ़ाते हैं। ये चालाकियां क्या हम नहीं जानते? जनता जानती है। इन चालाकियों से देश नहीं चलता है। हम मानते हैं, आपकी इच्छाशक्ति मैंने देखा, वह मजबूत लगी। आपने भाषण भी दिया और बजट में भी कुछ जिक्र किया है। इच्छाशक्ति तो मजबूत है, लेकिन आर्थिक विकास की गाड़ी को सभी राज्यों के दलों को और हम लोगों को बैठाकर, यदि यह काम करते, तो अच्छा हो सकता है। इतना तो हम सब लोग सहयोग दे सकते हैं। सभी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दलों के लोगों को बुलाइए, देश की स्थिति गंभीर है, हम अपने देश को दुनिया के सामने कैसे आगे बढ़ाएं? तो इसमें हम सब लोग सहयोग करेंगे। आप सभी दलों के लोगों को बुलाइए। दूसरों से भी बात कीजिए, किसानों से भी बात कीजिए, अन्य संगठनों से भी बात कीजिए। आप गंगा की सफाई की जो बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय, इस बात को जानना चाहिए, कुछ लोग जानते हैं, इन नदियों को साफ करने के लिए वर्ष 1957 में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने एलान किया था कि नदियों को साफ करो। इसका आंदोलन चला था। हम छात्र थे, छोटे क्लास में थे, लेकिन हम नारा लगाते थे - रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा-पढ़ाई मुफ्त हो। हमने ऐसा करके दिखा दिया।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में दवाई मुफ्त है, पढ़ाई मुफ्त है और किसानों के 1650 करोड़ रुपए माफ कर दिया है...*(व्यवधान)* और सिंचाई मुफ्त कर दिया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए मुलायम सिंह जी।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह एलान कर दिया है कि किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। यह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है।

माननीय अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए मुलायम सिंह जी।

श्री मुलायम सिंह यादव : दो मिनट दीजिए, अध्यक्ष महोदया। मुझे तो ज्यादा समय देना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सात हजार करोड़ रुपए से ज्यादा धन की व्यवस्था पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की है। ये जो आप कर रहे हैं, इसमें जो आप सात हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, देश के पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह मेरा आरोप है। इस पर अलग से बहस करा दीजिए। बहस में हम साबित कर देंगे कि आप देश के बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सात हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं। यह रुपया गरीबों के लिए नहीं जा रहा है। जहां तक नदियों के सफाई की बात है, तो वर्ष 1957 में सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी ने इसके लिए आंदोलन चलाया। लोहिया जी ने वर्ष 1957 में एलान किया, यह आप पढ़ लेना। उन्होंने कहा था, नदियां साफ करो। यदि नदियों को साफ करना है, तो गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, उन लोगों से बात कीजिए, स्थानीय निकायों से बात कीजिए, हम लोगों से बात कीजिए। सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे, तब तो आप कामयाब हो सकते हैं। वरना कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो नदियों के किनारे बसे शहरों में बसे हैं, आप उनसे बात कीजिए, स्थानीय निकायों से बात की जाए, वहां की नगर पालिकाओं के लोग हैं, महानगर के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, उनसे बात की जाए, यदि सब मिलकर नदियों की सफाई का काम करें तो यह काम तो अच्छा है। मैं यह कह सकता हूं कि आपने अच्छा एलान किया है। लेकिन कैसे करेंगे, इसका कहीं जिक्र नहीं है। आप केवल भाषण नहीं कर सकते हैं। आप हमारा, सबका सहयोग लीजिए। नदियां साफ करने के लिए सब लोग सहयोग करेंगे, पानी सबको पीना है, गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। लोक सभा चलने से पहले टैक्स बढ़ा दो, फिर खत्म हो जाए, तो फिर टैक्स बढ़ा दो। अगर आप संसद की ऐसी उपेक्षा करें, तो बहुत दिनों तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितनी हमारी पार्टी की शक्ति है, सड़कों पर कहेंगे कि यह क्या कर रहे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि कम से कम अब आप लोग संघर्ष कीजिए। आपने बहुत लंबे समय तक मौज ली है, अब थोड़ा समय मिला है।...*(व्यवधान)* आपकी लगातार सरकार रही है, लेकिन अब आपको सड़कों पर आना चाहिए, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* हम लोग भाषण देने वाले नहीं है, हम सड़कों पर आने वाले लोग हैं। यह बजट अच्छे दिन लाने वाला नहीं है, यह बजट बुरे दिन लाने वाला है। मुझे काफी कुछ कहना है, लेकिन आप कह रही हैं, तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण** (दिंडोरी) : मोदी सरकार के पहले आम बजट में देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की पूरी तैयारी की है। देश की आर्थिक सूरत बेहतर बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बुनियादी क्षेत्र की नींव मजबूत करने की पूरी कोशिश की गयी है। साथ ही आम जनजीवन को बेहतर और आधुनिक सुख-सुविधाओं से पूरा करने का खाका पेश किया है। बजट में बुनियादी ढांचा विनिर्माण से लेकर कृषि क्षेत्र तक विकास पर जोर दिया गया है। यह बजट 'अच्छे दिन' लाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आम बजट में शहीदों का उसम्मान और पूर्व सेनिकों की चिंता, बाहरी और आतंरिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है।

आम बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता मिलने से किसानों व ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। बजट में इस बार कृषि अनुसंधान केन्द्र व बागवानी यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रावधान किया है वह कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा में निर्णायक कदम होगा। मेरे क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा अंगूर, अनार, प्याज और सब्जियों का उत्पादन होता है। इसलिए मेरे क्षेत्र दिंडोरी में कृषि अनुसंधान केन्द्र और बागवानी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत महाविद्यालय की जरूरत है। मेरा क्षेत्र दिंडोरी अंगूर, अनार, प्याज और सब्जी का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। मेरे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 12 नए मेडिकल, कॉलेजों की स्थापना करने का एलान किया है। मेरा क्षेत्र दिंडोरी आदिवासी बहुल होने के कारण यहां पर आदिवासी मेडिकल कॉलेज की सख्त जरूरत है। उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए आदिवासी अभियांत्रिकी कॉलेज की जरूरत है। इन दोनों आदिवासी महाविद्यालयों के कारण महाराष्ट्र के आदिवासी विद्यार्थियों की प्रगति होगी।

शिक्षा की नयी दिशा में कदम उठाते हुए महाराष्ट्र में, मेरे क्षेत्र दिंडोरी में आईआइएम (इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) की स्थापना हो और दिंडोरी आदिवासी क्षेत्र में नया इतिहास रचे।

सुनिश्चित सिंचाई हेतु "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" और नदी को जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत मेरे क्षेत्र की पश्चिम वाहिनियां, आर-पार नदियों पर डैम बनाने से पूरे उत्तर महाराष्ट्र की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का हल होगा। इसलिए आर-पार योजना के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

मेरे जिले नासिक में आने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले में 3 लाख साधू और लगभग 1 करोड़ यात्री आने वाले हैं। इसके लिए 2378 करोड़ रुपयों की मांग केन्द्रीय सहायता एक बारगी आबंटन (ओटीएसीए) के अंतर्गत की गयी है। इसलिए बजट में इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और करोड़ों यात्री आने की वजह से गोदावरी नदी प्रदूषित होने की संभावना है। गंगा संरक्षण मिशन की तरह गोदावरी नदी की सफाई के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने की जरूरत है।

संस्कृति और पर्यटन के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। मेरे नासिक जिले में नासिक की भूमि जो प्रभु रामचंद्र के चरणों से पावन हुई है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, त्र्यंबकेश्वर, एक ज्योतिर्लिंग है। वणी, तहसिल दिंडोरी में सप्तश्रुंगीदेवी का गढ़ है। इन सबको राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा तथा आध्यात्मिक आवर्धन अभियान में जोड़ने की जरूरत है तथा पर्यटन सर्किट में भी समावेश करने की जरूरत है।

वाराणसी की तरह मेरे क्षेत्र दिंडोरी में येवला तहसील में पैठनी साड़ी का हथकरघा उत्पादन होता है। पैठनी साड़ी का उद्योग और उसके कारीगर आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनके लिए केन्द्र से बड़ी उम्मीद है। 'सबका साथ, सबका विकास' की सोच पर चलने वाली हमारी सरकार, देश में बड़ा परिवर्तन लाएगी।

इसी के साथ, मैं आम बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पी. कुमार** (तिरुचिरापल्ली) : केन्द्रीय बजट 2014-15 में वह गंभीरता परिलक्षित होती है जिसके साथ भारत की नई सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने और समष्टि अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने संबंधी चुनौतियों का सामना करने का कार्य निर्धारित किया है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी भरा दस्तावेज है जिसने वित्तीय समझदारी को अग्रणी स्थान पर रखा है और साथ ही यह नई सरकार से की गई बड़ी उम्मीदों को पूरा करता है। यह सकारात्मक रूप से एक दूरदर्शी कार्य है। इस बजट में ईमानदारी के साथ समस्याओं और मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में की गई कई घोषणाओं को भी इस बजट में मूर्त रूप प्रदान किया गया है।

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट वित्तीय रोडमैप दिया गया है। व्यय प्रबंधन आयोग की स्थापना एक स्वागतयोग्य कदम है और मैं आशा करता हूं कि यह आयोग देश के उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में और लोक कल्याण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए व्यय प्रबंधन के मुद्दे का समाधान करेगा। मुझे उम्मीद है कि आयोग के समक्ष गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को भोजन और ईंधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में हमारी चिंताओं को दूर करने का अवसर होगा। मैं वित्त मंत्री जी के आश्वासन का स्वागत करता हूं कि वित्तीय स्वायत्ता और राजस्व हानि की भरपाई के मुद्दे से जुड़े जीएसटी के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए वे उचित रूप में कार्य करेंगे। जीएसटी संबंधी आवश्यक विधि के अधिनियमन के लिए केन्द्र सरकार के समायोजनकारी और रचनात्मक दृष्टिकोण से मार्ग प्रशस्त होगा।

एफडीआई को अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्तावों पर सावधानी पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, ई-कामर्स प्लेटफॉर्म सहित खुदरा बिक्री के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने के लिए एफडीआई की सहायता से स्थापित निर्माण कंपनियों को अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव में खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नही प्रदान की जानी चाहिए।

हम 100 स्मार्ट सिटी स्थापित करने के कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। पोन्नेरी को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार को ध्यान्यवाद देते हैं, बड़े राज्यों में से सबसे अधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु में स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में योजनाबद्ध स्मार्ट सिटी होने चाहिए। हमें इस कार्यक्रम का ब्यौरे की प्रतीक्षा है और आशा करते हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए इस बजट में 7060 करोड़ रुपए और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

शहरी नवीकरण हेतु 50,000 करोड़ रुपए के पूलबद्ध वित्तपोषण के प्रावधान में से अपनी उचित हिस्सेदारी प्राप्त होगी।

बजट भाषण में उल्लिखित राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे से चेन्नई को जोड़ते हुए चेन्नई-बंगलुरु औद्योगिक गलियारा और विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा, जिससे कि पड़ोसी राज्यों को इनके प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने में सहायता मिले, इससे तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों और जिलों को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे तमिलनाडु के भीतर इन गलियारों को और आगे विस्तारित करने पर भी विचार करें। तमिलनाडु द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित मुदुरै-थुतुकुरी औद्योगिक गलियारे पर विशाखापत्तन-चेन्नई गलियारे को और दक्षिण की ओर विस्तार कर पूर्वी तटीय गलियारे के एक भाग के रूप में विचार किया जा सकता है।

मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आबंटन में वृद्धि करने का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि पात्रता मानदंड में भी उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा क्योंकि मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही अनुरोध किया था कि तमिलनाडु जैसे राज्य, जिसने ग्रामीण संपर्क के लिए पहले ही निवेश कर चुका है, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार के लिए अपने आबंटन से वंचित न हों। इन बाधाओं को देखते हुए वित्त मंत्री ने छूट की सीमा को 2,50,000 रुपए तक बढ़ाकर व्यक्तिगत आय सीमा में कुछ कर छूट प्रदान किया है जिससे कामकाजी वर्ग को लाभ होगा। वित्तीय बचत में वृद्धि करने के लिए धारा 80 सी में बचत सीमा को बढ़ाकर 1,50,000 रुपए करना एक स्वागतयोग्य कदम है।

शहरी जनसंख्या के संबंध में तिरुचिरापल्ली, जिसकी जनसंख्या 8.69 लाख और प्लवमान जनसंख्या 2 लाख की है, तमिलनाडु में चौथा सबसे बड़ा शहर और देश में 52वां सबसे बड़ा शहर है। वर्ष 2010-11 में चेन्नई के बाद तिरुचिरापल्ली से लगभग 20 लाख लोगों ने विभिन्न उद्देश्यों हेतु श्रीलंका, 17 लाख लोग मलेशिया, 87322 लोग सिंगापुर, 17948 लोग यूएई की हवाई यात्रा की। देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही वाले शहरों में तिरुचिरापल्ली का स्थान 11वां है जबकि कोयम्बटूर का स्थान 17वां है।

यद्यपि इस शहर का विकास सभी स्तरों पर हो रहा है इसके बावजूद भी इसे जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन में शामिल नहीं किया गया है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस शहर को जेएनएनयूआरएम की प्रथम श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और इसके लिए अवसंरचनात्मक योजनाओं की घोषणा करें।

चूंकि, मेरे संसदीय क्षेत्र की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है तथा तापमान अधिक रहता है इसलिए वहां 5000 मेगा वाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। अत:, सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और इससे सौर विद्युत का उत्पादन होगा यहां सौर पेनल लगाने के लिए बड़ा क्षेत्र है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यहां सौर विद्युत उत्पादन के लिए समुचित निधि के आबंटन के लिए आगे आए।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम एक महत्वपूर्ण तीर्थ केन्द्रों में से एक है। पूरे देश से पूरे साल पर्यटक "रंगनाथन मंदिर" दर्शन के लिए आते है। यह हमारे तमिलनाडु की प्रिय मुख्यमंत्री डॉ. पुराची शात्यैवी का विधानसभा क्षेत्र है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह 100 स्मार्ट शहरों की योजना के अंतग्रत इस शहर को शामिल करने के लिए कदम उठाए।

***श्री बी. सेनगुट्टुवन** (वेल्लोर) : मैं इस भाषण को समय की कमी के कारण इस सम्मानित सभा के पटल पर रखता हूं। कम से कम हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक संप्रभु समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें अपने नागरिको के सभी अधिकारों की रक्षा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, मतावलंबन और उपासना की स्वतंत्रता तथा पद अवसर की समानता देने का वादा किया गया है। हम इस मार्ग से हट नहीं सकते।

हमारी पार्टी की नेता डॉ. पुराची शलैवी अम्मा, जो एम प्रबुद्ध विचारक एवं महान प्रशासक हैं तथा उनमें कुशलता भी स्पष्टता है, ने पहले ही इस बजट को प्रगतिशील कहा है जो स्वंय में वित्त मंत्री की सराहना है। तथापि, हमारी पार्टी की नेता ने कुछ मांग की है। मैं इन सुझावों को वित्त मंत्री के विचारार्थ सादर प्रस्तुत करता है जिसे अतिरिक्त मांग के रूप में माना जाए।

भारतीय जीवन बीमा निगम आधुनिक भारत की सफलता की गाथा का सबसे बड़ा और महान निर्माता है। जीवन बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति से इसका विकास अनावश्यक रूप से प्रभावित होगा, और इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। दूसरी ओर रक्षा में एफडीआई सही दिशा में स्वागतयोग्य कदम है। हमारे सभी बड़ी रक्षा खरीदें अब तक विदेशों से हुई हैं जिसके बाद कड़वे आरोप और भ्रष्टाचार का दाग बचे रह जाते हैं। अत:, नई आयुध निर्माणियों की स्थापना में एफडीआई से देश को कोई हानि नहीं होगी। इससे यदि विदेशी मुद्रा अर्जित नही होगी तो कम से कम विदेशी मुद्रा बचेगी अवश्य।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए निधि आबंटन इतना कम है कि इससे कुछ नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने बार बार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

(प्रकाश सिंह के मामले आदि में) आग्रह किया है कि पुलिस को अपराध का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जांच करनी चाहिए। इसके लिए अपराध जांच विभाग में विशेषज्ञ होने चाहिए जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता होती है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में पुलिस का सौम्य व्यवहार भी शामिल है।

नक्सलवाद का प्रमुख कारण लोगों की आवाज का लंबे समय तक सुना न जाना है। सामान्य लोग भी कानून का उल्लंघन करने वालो का जीवन अपना लेते है क्योंकि राज्य उन्हें शालीन जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की उपेक्षा करता है। इन क्षेत्रों में लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना विशेष बलों को नक्सलियों से लड़ने कैसे प्रयोजन सिद्धि नहीं होगा। मेरा विचार है कि तमिलनाडु में नक्सल प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक चीजें मुफ्त में दी जाएं। मुफ्त में दी जाने वाली वस्तुओं की कीमतें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को भेजने की लागत से कम होगी। लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर हम उन्हें अनुभव करा पाएंगे कि हथियार बेकार है। इससे राज्यों में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

इस देश में ईमानदार लोगों की अपेक्षा है कि सरकार स्विटजरलैंड में जमा काला धन वापस लाए जिसे कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा। इस दिशा में ईमानदार प्रयास आवश्यक है।

वेल्लोर शहर की सड़कों पर बहुत भीड़भाड़ है। इन सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है। वेल्लोर में सड़क की सभी लंबित अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने की अत्यधिक आवश्यकता है।

वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शैक्षिक, आध्यात्मिक एवं चिकित्सा पर्यटन में सुधार की व्यापक संभावना है तथा इस क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है।

वेल्लौर शिक्षा केन्द्र है। चूंकि बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान जुड़ रहें हैं इसलिए यहां केन्द्रीय सहायता या एफडीआई द्वारा आईटीपाई की स्थापना की जाए।

वेल्लोर भी सतुवचारी से गुजरने वाले एनएच 46 का हिस्सा अत्यधिक दुर्घटनाप्रवण है। इस पर वर्ष भर में सैंकड़ों लोगों की जान जाती है और बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस मार्ग पर विशेषरूप से वल्लार और सतुवचारी जंक्शनों पर उपयुक्त अंडर पास बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो पूरे मार्ग को एलिवेटेड टॉल वे में बदल दिया जाए।

गुडियट्टम कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 से कम से कम दस किमी दूरी पर है। सड़क संकरी है तथा वहां राजमार्ग से जोड़ने के लिए बाई-पास की आवश्यकता है।

गुडियट्टम नगर बहथकरघा लुंगियों और हाथ से बनी हुई माचिसों के लिए प्रसिद्ध है जो कि वास्तव में विदेशी-मुद्रा कमाने के साधन हैं। इन व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए समयावधिक निर्यात प्रदर्शनियां आयोजित करने की आवश्यकता है जो श्रीलंका, मलेशिया और दक्षिण पूर्वी ऐशियाई देशों के विदेशी ग्राहकों को आमंत्रित करती हैं।

अम्बुर, वनियंबाडी और परनंबट नगर व्यापक रूप से चर्मशाला पर केन्द्रित हैं। यह चर्मशालाएं चमड़े का शोधन करती हैं और इसको अच्छा उपभोक्ता उत्पाद बनाती हैं जो हमारे लिए अतिआवश्यक विदेशी-मुद्रा कमाते हैं। हालांकि यद्यपि पिछले कुछ समय से चर्मशोधन इकाइयों के प्रदूषण के कारण उठाए गए पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के कारण उत्पादकता और श्रम रोजगार में भारी कमी आई है। इस संबंध में केन्द्र को पर्यावरणीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए चर्मशालाओं को नवोन्मेशी तकनीकी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यह भी आवश्यक समझा गया है कि इनमें से किसी एक नगर में चमड़ा तकनीकी में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए।

ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत पालर बेसिन के पास के गांव जल प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं इनको पेयजल की सुविधा प्रदान की जाए।

नदियों को परस्पर जोड़ने वाली केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पालर-पेन्नई नदियों और पालर-नेथरावथी नदी परियोजनाओं को जोड़ दिया जाए ताकि पालर नदी का पुनरूद्धार हो सके।

यदि केन्द्रीय वित्त मंत्री अपने वर्ष 2014-15 के बजट में इन मांगों का पूरा करेंगे तो मैं उनका अत्यधिक आभारी रहूंगा।

***श्री वी. एलुमलाई** (अरानी) : मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री और एआईएडीएमके की नेता अम्मा को 16वीं लोक सभा के पहले बजट पर आम चर्चा में मेरे विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। मैं अपने अरानी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी पार्टी की नेता और पार्टी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हूं और भाषण दे रहा हूं।

मेरी आदर्श और महान नेता अम्मा ने कहा था कि यह बजट राजकोषीय सूझ-बूझ वाला एक बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण दस्तावेज है जिसके मूल में भविष्योन्मुखी बजट है जिससे आर्थिक पुनरूद्धार होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

व्यय प्रबंधन आयोग की स्थापना सहित अनेक प्रस्ताव है, जिनमें महिला और बच्चों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

ई-वाणिज्य माध्यमों सहित उनके उत्पादों को खुदरा बिक्री के माध्यम से बिक्री के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ विनिर्माण कंपनियों को अनुमति देने के प्रस्ताव को खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नही दी जानी चाहिए।

मेरी नेता अम्मा के मनरेगा योजना में संशोधन के सुझावों के लिए परिसंपत्तियों का सृजन और उनको कृषि संबंधी कार्यों से जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित करके कार्यों को अधिक उत्पादक बनाने को स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

राज्य में टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर की स्थापना की योजना एक स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री से मेरे निर्वाचन क्षेत्र अरानी नगर में सिल्क पार्क की स्थापना करने जो कि लंबे समय से लंबित है का अनुरोध करता हूं।

चूंकि, कांचीपुरम के समीप स्थित अरानी रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसकी 60,000 से अधिक जनसंख्या है जिसमें से 35,000 लोग परिधान बनाने के व्यवसाय में हैं। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम फहराया गया झंडा रेशम का था जिसे 'अरानी' में ही बनाया गया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अरानी के रेशम बुनकरों द्वारा हमारी मातृ-भूमि के लिए किए गए इस ऐतिहासिक योगदान द्वारा हम पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हम अपनी स्वतंत्रता के 67वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय वाणिज्यि और उद्योग राज्य मंत्री से इस कार्य को त्वरित आधार पर करने का अनुरोध करता हूं।

हमारी पुराची थलाईवी अम्मा ने हमारे तमिलनाडु के लिए बहुत सामाजिक कल्याण योजनाएं अर्थात् नि:शुल्क चावल और गरीब विवाहित जोड़ों को 4 ग्राम सोना देने की योजनाएं लागू की हैं। कृपया निधियां आबंटित करें।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि नदियों को जोड़ने के लिए बजट संबंधी योजना त्वरित गति से कार्यान्वित की जाए क्योंकि इससे अनेक अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान होगा। मेरा जन्म किसान माता-पिता के घर में हुआ है और मैं किसानों की पीड़ा को समझता हूं। हमारा देश विचित्र स्थिति का सामना कर रहा है। एक तरफ लाखों किसान सुखे के कारण उनकी कृषि भूमि के लिए पानी के लिए परेशान हैं और दूसरी और कई लाख किसान बाढ़ के कारण परेशान हैं। नदियों को त्वरित गति से जोड़ने से अवश्य ही स्थिति में परिवर्तन आएगा और देश के सभी किसानों को पूरे वर्ष कृषि उत्पाद करने में मदद मिलेगी।

गरीब लोगों के लिए मिट्टी का तेल भोजन पकाने का ईंधन है। 11 जुलाई के मुख्य मंत्री अम्मा के वक्तव्य के अनुसार उनकी प्रधानमंत्री के साथ अंतिम बैठक के क्रम में राज्य के साथ मिट्टी के तेल के आबंटन में भेदभाव किया गया है और भारी कटौती की है। जबकि राज्य में राशन कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार तमिलनाडु की आवश्यकता 65,140 कि. लीटर है राज्य का मिट्टी के तेल का वर्तमान मासिक आबंटन 29,056 किलोलीटर है जो इसकी आवश्यकता का केवल 45 प्रतिशत है। वास्तविक आवश्यकता के मुकाबले यह भेदभावपूर्ण और 55 प्रतिशत से अधिक की भारी कटौती गरीब और वंचित लोगों विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई "भारी कटौती" और इसको लगातार जारी रखने से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि गरीब लोगों को जलावन की लकड़ी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी राज्य के साथ किए गए अन्याय को रोकने और राज्य को देय मासिक आवश्यकता 65,000 किलोलीटर से अधिक मिट्टी का तेल आवंटित करने के लिए शीघ्र और निर्णायक हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिंसी शहर और इसके समीपी क्षेत्रों में उत्तर से एक राजा-देसिंह का शासन था और उसने पहाड़ों के ऊपर एक किले और महलों का निर्माण किया था। उसने संपूर्ण क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि के लिए शासन किया था। यह स्थान पंथ निरपेक्षता का प्रतीक है। पुदुचेरी से कृष्णागिरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस जगह की देखभाल इन दिनों पुरातत्व विभाग कर रहा है।

इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर, दो पर्वत हैं और उन पर दो पैलेस बने हुए हैं, जिनका नाम है- रानी पैलेस और राजा पैलेस। मोहम्मद खान नाम का उनका एक लेफ्टिनेंट था। उनका उसमें अथाह विश्वास था और मोहम्मद खान उसका कमांडर था। जब आर्कट नवाब का आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद खान ने जंग में अपने मित्र देसिंग राजा के लिए अपनी जान दे दी। यह स्थल आज पंथ निरपेक्षता का प्रतीक है, जहां हिंदू, मुसलमान, जैन और अन्य समुदाय शांति से रह रहे हैं।

इस स्थान को पर्यटन केन्द्र घोषित करने के लिए कई बार अनुरोध किया गया और अगर इसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाता है, तो यह एक और महाबलीपुरम जैसा होगा। इसलिए, मैं माननीय पर्यटन मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस स्थान का दौरा करें और दौरे के बाद वह निश्चित तौर पर जिंजी टाउन को पर्यटन केन्द्र घोषित कर देंगे, जिससे यहां काफी पर्यटक आएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती रक्षाताई खाडसे** (रावेर) : माननीय वित्त मंत्री को महिलाओं व अन्य समाज के घटकों को ध्यान में रखते हुए पेश गए हुए सर्व समावेशी बजट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेन्द्रभाई मोदी और उनके जनादेश 'सबका साथ सबका विकास' के नेतृत्व में सरकार के पहले बजट में घोषित उपाय आने वाले 3-4 वर्ष में 7.8 प्रतिशत स्थिर विकास दर को सामने रखते हुए और उन्हें हासिल तथा पाने के लिए कठोर प्रशासनिक उपाय किए जाने की जरूरत है। माननीय वित्त मंत्री ने सूचित किया है कि स्थिर और पुनर्निधारण कर व्यवस्था निवेशक अनुकूल और तीव्र विकासकारी हो।

इस देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। उनके पूर्ण संरक्षण के लिए सब्सिडी की व्यवस्था को ज्यादा लक्षित। युवाओं को रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराने के कदम में रोजगार कार्यालयों को कैरियर केन्द्रों के रूप में कार्यान्वित किया जाना। किसानों के लिए नई यूरिया की नीति को बढ़ावा देना। आयकर के संबंध में निपटान आयोग का विस्तारीकरण जिससे आयकर मामले को जल्दी निपटाने का प्रावधान को गति देना। बैंकों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक पूंजीकरण में जनता की शेयरधारिता को बढ़ावा देना। 100 स्मार्ट शहरों के विकास की परियोजना। किसानों के लिए सिंचाई का सुनिश्चितकरण करने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए भारी मात्रा में राशि का प्रावधान करना जैसे उपाय सराहनीय है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण नगर विषयक अवसंरचना और संबद्ध सेवाएं मुहैया कराने हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन का आयोजन करके ग्रामीण इलाकों के लिए आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी बजट में शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उप सम्प्रेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए शुरूआत की जाएगी जिससे 24×7 बाधारहित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु फीडर पृथक्करण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए बड़ी मात्रा में प्रयोजन बजट में शामिल है। 60 वर्षों और उसके ऊपर की आयु वाले नागरिकों के लिए एक साल के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना पुनजीर्वित करने का प्रस्ताव उत्साह बढ़ाने वाला है।

सरकारी ईपी स्कीम में सभी सदस्यों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन व यूनिफॉर्म अकाउन्ट नंबर जैसी सुविधा देना तथा महिला सुरक्षा के लिए सेफ्टी ऑफ वुमन ऑन पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट की प्रायोगिक परीक्षण योजना और महिला बाल विकास के लिए सभी जिलों के सरकारी और निजी अस्पतालों में क्राइसेस मैनेजमेंट सेन्टरों की स्थापना करना प्रस्तावित है। बालिका के प्रति उदासीनता से बाहर आने के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना का प्रस्ताव और उसके लिए बड़ी मात्रा में राशि का प्रावधान करने की योजना सराहनीय है।

महिलाओं को मुख्य धारा में लाने हेतु भावनात्मक बनाने वाले अभियानों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा विद्यालय पाठयक्रम में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए पृथक अध्याय का प्रावधान तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अच्छी मात्रा में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावित हैं।

सबके लिए स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क औषधि तथा निःशुल्क निदान सेवा प्राथमिकता के आधार पर शुरू करना एवं टीबी मरीजों के इलाज तथा शिविर गुणवत्तापूर्ण निदान के लिए एम्स में दो केन्द्रों को स्थापित करना। चार और राज्यों में नए एमस जैसी संस्था स्थापित करना और 12 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों को बढ़ाना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बड़ी धनराशि का प्रावधान करके प्रथम चरण में बालिका विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने का प्रयास, नए प्रशिक्षण संबंधी उपकरण प्रदान करने तथा अध्ययनों और अध्यापकों को अभिप्रेरित करने के लिए पं. मदन मोहन मालवीय नव अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके प्रारंभिक राशि आवंटित करना। उच्च शिक्षा के लिए 5 नए आईआईटी और 5 नए आईआईएम स्थापित करना इत्यादि सराहनीय कदम हैं।

जमीन/मृदा स्वास्थ्य का बिगड़ना कृषि में चिन्ताजनक विषय है। सरकार ने प्रत्येक किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सीापित करने का ऐतिहासिक निर्णय करके किसानों को भारी मात्रा में राहत प्रदान की हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के माध्यम से इस चुनौती का सामना करने को भी शामिल किया गया है।

भूमिहीन किसान गारंटी के रूप में भूस्वामित्व प्रदान करने में अक्षम है। इस चालू वित्त वर्ष में संयुक्त कृषि समूहों को भूमिहीन किसान योजना के तहत 5 लाख की राशि देने की योजना। किसानों की कृषि उपज के लिए मुख्यत: स्थिरीकरण हेतु निधि स्थापित करना। राज्य सरकार को शहरी क्षेत्रों में किसानों के लिए बाजार विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने के लिए सक्षम बनाना इत्यादि को भी इस बजट में शामिल किया गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ऐसे सभी क्षेत्रों में लाभकारी योजनाओं का प्रावधान करके माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए राहत योजना को इस बजट में प्रस्तुत किया हैं, मैं उन्हें उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

अंत में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे रावेर संसदीय क्षेत्र में निम्नलिखित मांगों को जनहित में बजट में शामिल करने की कृपा करें: स्मार्ट सिटी के तहत भुसावल तथा मुक्ताईनगर मध्यम आकार के शहरों का समावेश किया जाए। वहनीय स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सुधार में तथा स्वास्थ्य की देखभाल सुविधाओं के लिए मेरे संसदीय ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाएं। पूरे देश में केला की आपूर्ति मेरे संसदीय क्षेत्र रावेर से बड़ी मात्रा में होता है। इसको और बढ़ावा देने के प्रयास में मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का होना जरूरी है। इसलिए हमारे संसदीय क्षेत्र रावेर में मोबाइल मृदा प्रयोगशाला का प्रावधान किया जाए।

***श्री ए.टी. नाना पाटील** (जलगांव) : हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अरुण जेटली जी ने देश को दिशा दिखाने वाला बजट पेश किया है। हमारी सरकार ने केवल 50 दिन में इस तरह का बजट पेश करके भारत देश के आम आदमी को एक नई उम्मीद दी है। इस बजट में देश के और आम आदमी के उन सभी विषयों को ध्यान में रखा है जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ता है। देश की दशा और दिशा के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट नीतिगत संकेतकों को दर्शाने वाला बजट सरकार ने अपने पहले बजट में दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओर उनके जनदेश 'सबका साथ सबका विकास' के नेतृत्व में सरकार की विकासपरक कार्यनीतियों द्वारा जनता को उसका लाभ मिलने वाला है। इस बजट से अगले 2-3 वर्षों में देश के विकास 7 से 8 प्रतिशत की दिशा में ले जाने का शुरूआत है। हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण नीतियों पर काम करेंगी जैसे की नई यूरिया नीति तैयार करने के बारे में हो या जीएसटी को लागू करने पर जोर देना हो और जैसे रोजगार कार्यालयों को कैरियर सेन्टर के रूप में कायांतरित किया जाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान हो। इस तरह की अनेक देशहित नीतियों पर हमारी सरकार काम करेगी। भारत देश की विश्वस्तर पर पहचान बनाने के लिए 'सौ स्मार्ट शहरों' के विकास की परियोजना चालू करने के लिए 7060 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है। इससे देश के ग्रामीण जो गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं उन्हें रोकने के लिए हमें बड़ी सफलता मिलेगी और हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसानों की व्यथा को ध्यान में रखकर 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' बनाने की घोषणा कर देश के किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसी के साथ मनरेगा को कृषि के साथ जोड़कर एक बड़ा काम किया है क्योंकि अभी जब से मनरेगा शुरू हुआ है तब से ग्रामीण भागों में कामगारों की बहुत दिक्कत हो रही है। जो किसानों को समस्या हो रही थी अब मनरेगा को कृषि का काम करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसका लाभ अवश्य उत्पादन करने में मिलेगा। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ने से हजारों किसान अपना घर खेत, जानवर सब कुछ खो चुके हैं और सरकार ने इस भयंकर स्थिति को देखते हुए जो राहत पैकेज दिया था वह अभी तक सही किसानों के पास पहुंचा नहीं है इस विषय में हम लोगों ने संसद में कितनी बार अवाज उठाई, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि इसके संज्ञान लेकर पीड़ित किसानों को इसका लाभ दिलाएं और अभी भी देश के अनेक भागों में मानसून नहीं हो रहा है सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठाने वाली है। इसके लिए प्रत्येक राज्य के माननीय सांसदों को बुलाकर इस विषय पर चर्चा करके कोई ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। जिससे अभी से पता चल सके कि उनकी क्या मांगे हैं क्योंकि यदि मानसून ऐसा रहा तो देश में बहुत बड़ी दिक्कते आने वाली हैं। इसके देखते हुए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं देश के किसानों की ओर से एक बड़ी समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय को सरकार भी अच्दी तरह से जानती है कि देश के कृषि उत्पादन का 40 प्रतिशत अन्न, फल, सब्जियां आदि केवल गांवों से खेतों तक पक्का सड़क नहीं होने के कारण मानसून में खराब हो जाता है। इस विषय में सरकार द्वारा कई रिपोर्टो में इसके बारे में कदम उठाने की जरूरत पर बात की गई है। मगर आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हमने सरकार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में खेतों से गांवों को जोड़ने के लिए फील्ड अप्रोच रोड बनाने का प्रस्ताव भेजा था और इस पर महाराष्ट्र सरकार ने भी कार्यवाही करते हुए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा है हम लोग इस संबंध में पिछली सरकार से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यदि इस विषय के गंभीरता को देखकर सरकार इस पर कार्यवाही करेगी तो केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के तौर पर मंजूरी दी जाए। इसी के साथ ही गांव से गांव जोड़ने की भी जरूरत है। जैसे एक गांव की हद और दूसरे गांव की शुरूआत में नाले होते हैं, जिसे पार करके ही दूसरे गांव जा सकते हैं। उन नालों को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसे जोड़ने के लिए पुल बनाए जाएं और इसी के साथ ही हमारे यहां बहुत से प्रकल्पों को धनराशि आवंटित नहीं होने से या उसे मंजूरी नहीं मिलने से पाउलसरे धरण, वाधुर प्रकल्प, गिरण व मन्यार नदी जोड़ो प्रकल्प और वरखेड लोंडे धरण, तितुर प्रकल्प जैसी सभी योजनाओं पर कोई काम नहीं होने से यहां के किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरी सरकार से मांग है कि इन सभी विषयों पर विचार कर इस पर तुरंत काम शुरू करने की जरूरत है और जलगांव क्षेत्र में बोरी नदी, अंजनी नदी, तपी नदी, गिरणा नदी पर केटीवेअर बनाने के लिए विशेष धनराशि दी जाए जिससे यहां के किसानों को इसका लाभ मिल सके और देश के विकास में भागीदारी हो और इससे किसानों को दी जाने वाली सिंचाई सुविधाएं बढ़ सकती है।

हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के बड़े नगरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की स्कीम के लिए 150 करोड़ की राशि दी है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी जिलों में इस वर्ष सरकारी तथा निजी अस्पताल में 'सशक्त प्रबंधन केन्द्र' और महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता व उनके सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने व सहायता हेतु 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना हेतु 100 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

सरकार ने पूरे देश को जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया नाम से प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इससे पूरे देश को इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा जिससे देश के आम लोगों को अपने आप में विकसित होने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और सरकार का हर निर्णय हो या योजनाओं की जानकारी हो यह सभी सीधे आम आदमी तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ सरकार ने शिक्षा विभाग पर भी बहुत ध्यान दिया है। मैं इस विषय पर यही कहूंगा कि देश के ग्रामीण भागों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो और उन्हें प्रशिक्षण देकर गांव के विद्यार्थियों को किस तरह से उस स्तर तक ले जाएं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है साथ ही मेरी यह भी मांग है कि देश के हर प्राथमिक तथा मध्यमिक स्कूलों में वाल कंपाउन्ड बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि बजट में घोषणा की है कि देश में स्किल डेवलपमेंट केन्द्र की स्थापना होगी मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में केली, कपास का उत्पादन बहुत होता है। इसे देखते हुए जलगांव में स्किल डेवलपमेंट केन्द्र की स्थापना की जाए जिससे यहां की आम जनता को अपने ही उत्पादन पर आगे क्या कर सकते इसकी जानकारी मिलेगी तो यहां विकास के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरी सरकार ने खेती उत्पादन प्रक्रिया प्रकल्प लगाने के बारे में प्रयोजन किया है। इसके तहत मेरे क्षेत्र जलगांव में एक कलस्टर दिया जाए। इससे किसानों को उत्पादित माल का भाव मिलेगा और नौजवानों को बड़े पैमाने में रोजगार मिलेंगे और छोटे उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान में हर तालुक स्तर पर (एक सीबीएससी) स्तर का पीपीपी के तहत मॉडल स्कूल खोलने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं और कॉरपोरेट कंपनियों ने प्रस्ताव भेजा है उन प्रस्तावों पर तुरंत विचार कर मंजूर करने की विनती है।

[अनुवाद]

***श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** (वडकरा) : सारा देश इस बजट के प्रस्तुतीकरण की ओर देख रहा था, क्योंकि इसने देशभर के लोगों के मन में काफी उम्मीद जगाई थी। तथापि, अपना प्रभाव छोड़ पाने में बजट विफल रहा, क्योंकि यह भारत को तीव्र आर्थिक विकास और वृद्धि के रास्ते पर नहीं ले जाता। यह घोषणा की गई थी कि आम बजट तीव्र आर्थिक सुधारों और नवोन्मेष आर्थिक उपायों के युग में लेकर जाएगा। यह भी घोषणा की गई थी कि यह बजट पिछली सरकार के वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट से बिल्कुल अलग होगा।

सत्ता में काबिज इस पार्टी ने प्रमुख रूप से कीमतों में वृद्धि और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछले चुनाव और जीता। सबसे पहले मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री से है कि मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार कौन से नवोन्मेषी और साहसिक कदम उठाएगी। सरकार ने यह भी वादा किया था कि कालाबाजारी और जमाखोरी का पता लगाने के लिए कठोर उपाय किए जाएंगे। चूंकि हमारी भावनाएं भी आम आदमी से जुड़ी हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस बिंदु पर रोशनी डालने का निवेदन करता हूं।

विदेशों में जमा काला धन भी एक ऐसा मुद्दा था, जिसका राग वर्तमान सत्ताधारी पार्टी वर्षों तक अलापती रही। विपक्ष के सत्ता पक्ष में आने के बाद माननीय वित्त मंत्री इन मुद्दों पर बिल्कुल मौन हैं। भ्रष्ट अमीर लोगों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा काले धन के मुद्दे पर काफी कुछ कहा गया। तो फिर विदेशों में जमा इस काले धन को वापस लाने में हिचकिचाहट कैसी?

यह सच है कि सरकार की मंशा बड़े पैमाने पर विनिवेश करके हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कमजोर करने की है। सरकार सभी परियोजनाओं में पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) पद्धति अपनाने जा रही है। इससे हमारा देश अंततः तेजी से निजीकरण की ओर जाएगा। रक्षा क्षेत्र में '49 प्रतिशत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), जैसाकि बीमा क्षेत्र में है, के गंभीर परिणाम होंगे। जहां तक रक्षा उत्पादन का संबंध है, तो हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की सुरक्षा दावं पर है।

मुझे इस सत्ताधारी दल की स्थिति याद है जब संप्रग सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लाने का प्रयास किया था। क्या वित्त मंत्री संसद के

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अंदर और बाहर अपने दल द्वारा मचाए गए शोर को भूल गए है। आप अपने विचारों से क्यों मुकर गए है? ऐसा दोहरा मापन क्यों हैं?

राजसहायता समाप्त करने की सरकार की मंशा आम आदमी के लिए ठीक नहीं होगी क्योंकि वह इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।

संप्रग सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम 'मनरेगा' ने रोजगार अवसर प्रदान करके गांवों में क्रांति ला दी है। यह उचित दिशा में एक बड़ा कदम था क्योंकि इसकी मंशा गांवों से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने की थी।

आपको याद हो कि यह संप्रग सरकार थी जिसने गरीब किसानों के अशोध्य ऋणों को बट्टे में डाल दिया था। भारतीय किसानों की स्थिति अभी भी बहुत खराब है और वे ऋण में दबे हुए है। उनकी वास्तविक समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान किया जाना चाहिए।

केरल राज्य के बारे में मैं उल्लेख करूंगा कि इस सरकार द्वारा पांच नई आईआईटी घोषित किए गए है जिसमें से एक केरल में है। यह कोई नया निर्णय नहीं है क्योंकि पूर्व सरकार ने केरल सहित प्रत्येक राज्यों में आईआईटी शुरू करने का निर्णय लिया था।

संप्रग सरकार ने केरल सहित देशभर में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया था। यह बहुत निराशाजनक है कि सरकार ने इस राज्य की लंबे समय से लंबित मांग के लिए धनराशि प्रदान नहीं की है।

केरल ने कोची मैट्रो रेल परियोजना हेतु 878 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके लिए केवल 463 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए है जो पूर्ण रूप से अपर्याप्त है।

एफएसीटी तीव्र वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और 990 करोड़ रुपए की आवश्यकता की तुलना में केवल 42.66 करोड़ रुपए रखे गए है।

वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि घरेलू मत्स्य पालन में मत्स्यन क्रांति हेतु 50 करोड़ रुपए रखे गये है। यह एक नगण्य धनराशि है जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। वित्त मंत्री तटीय मछुआरों, जो वास्तव में मत्स्य क्रांति लाए है जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश ने अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है, को पूर्ण रूप से भूल गए हैं।

मैं यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बड़े पैमाने पर तेजी से निजीकरण और विनिवेश करना और रक्षा तथा बीमा क्षेत्रों में 49 प्रतिशत एफडीआई इस बजट की पहचान है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह रक्षा तथा बीमा क्षेत्र में एफडीआई और पीएसयू के विनिवेश पर निर्णय लेते समय उपयुक्त सावधानी बरतें।

राजग सरकार का यहां तक कि लाभ कमाने वाले परिक्षस्यू के विनिवेश के प्रति अस्पष्ट भेदभाव था और पूर्व राजग सरकार के दौरान विनिवेश मंत्रालय संभालने के लिए उनके पास एक मंत्री था।

मैं पुन: इस बजट का विरोध करता हूं।

***श्री एम.के. राघवन** (कोझीकोड) : मैं निम्नलिखित तथ्यों के लिए इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूं।

इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि घाटे को नियंत्रित करने के लिए आय की कैसे पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। चूंकि संप्रग पूर्ण रूप से एफडीआई के विरुद्ध नहीं है, जिसे अभी भी नियंत्रण करना बाकी है, एफडीआई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रस्ताव स्पष्ट रूप से यह भी दर्शाते है कि राजग संप्रग द्वारा परिकल्पित योजनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बजट में श्रम क्षेत्र में सुधार और रोजगार सृजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि समष्टि-अर्थव्यवस्था संकेतक यह है जिसकी कल्पना संप्रग द्वारा की गई थी। मध्यम वर्ग हेतु घोषित सॉप्स भी पर्याप्त नहीं है। बजट में लाभकारी सुधारों के अलावा विकास में कोई वृद्धि नहीं दर्शाइ गई है, मुद्रास्फिति का समावेश है तथा और अधिक रोजगार सृजन है क्योंकि देश की आधी आबादी युवा है। बजट कमी से उभरने के लिए कोई सुझाव नहीं है।

बजट की प्रतिक्रिया को न्यायसंगत ठहराते हुए प्रस्तुतीकरण के तुरंत बाद यह उल्लेख करना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीडीपी के 4.1 प्रतिशत के घाटा लक्ष्य पर संदेह के कारणा सेंसेक्स 72 बिंदु नीचे पर बंद हुआ। यह बाजार आधारित बजट के लिए एक संकेत है।

अधिकांश बजट ब्रोकरिंग हाउसों में बाजार मूल्यों से संबंधित है जो कि अर्थव्यवस्था के कल्याण के लिए अच्छा संकेत नहीं है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर को 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की भी चिंता है। वहीं दूसरी और, बजट में आवंटनों को कम और योजनाओं का पुनर्नामांकन किया गया है।

यहां तक कि संप्रग की आलोचना करते समय, राजग ने संप्रग के अंतर्गत मनरेगा और एनएफएसए जैसी प्रमुख योजनाओं की अच्छाईयों को स्वीकार किया है। वित्त मंत्री ने मनरेगा के लिए क्रमश: 1000 करोड़ रुपए और 59000 करोड़ रुपए की वृद्धि सुनिश्चित की है जो एक बड़ी उछाल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अच्छे संप्रग की धारणाओं पर एक और संकेत है। इससे संप्रग की सामाजिक प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से स्थापित होती है और इन्हें आवश्यक रूप से जारी रखना राजग द्वारा स्वीकार किया गया है। और यहां, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम दस (10) सड़क परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, निविदा जो वर्तमान स्वरूप है उसमें कोई भी इच्छुक नहीं है और इसलिए राज्य निर्धारित लोक निर्माण विभाग दरें स्वीकृत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह भी सुझाव दिया जाता है कि एमपीलैड अत्यधिक स्वीकृत विकास योजना है। जैसा कि विदित है, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। केरल में प्रत्येक विधानसभा सदस्य प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए के लिए अधिकृत है जबकि एमपीलैड के अंतर्गत संसद सदस्य को केवल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस विसंगति को देखते हुए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमपीलैड को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में एकता प्रतिमा के निर्माण की घोषणा की है। यद्यपि यह हमारा प्रयास रहा है कि हमारे नेताओं को सम्मानित किया जाए, सरकार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा दिल्ली में बनानी चाहिए। इसी प्रकार, शंकराचार्य जिन्हें भारत से सबसे सम्मानित दार्शनिक और धर्मविज्ञानी माना जाता है ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। वह दो पृथक दार्शनिक सिद्धांतों आत्मा और ब्राह्मण के सिद्धांतों के एकीकरण के लिए जाने जाते है। उन्हें भी समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए और उनके जन्म स्थल कलादी, केरल में एक प्रतिमा बनाई जानी चाहिए।

रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की वृद्धि राष्ट्र के लिए एक चिन्ता का विषय है। सामरिक स्थिति को देखते हुए रक्षा स्थापनाओं में एफडीआई केवल 26% पर रहनी चाहिए।

100 आधुनिक शहरों का विकास एक उत्कृष्ट अवधारणा है। केरल को कोझीकोड जैसे अपने द्वितीयक और तृतीयक शहरों में अधिक विकास की आवश्यकता है।

भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है और इसी प्रकार विभिन्न रोगों में भी वृद्धि हुई है। 2010 में अकेले कैंसर से भारत में 5,56,400 लोग मारे गए थे, इनमें से अधिकतर 30-69 वर्ष के आयु समूह में थे। डायलिसिस रोगियों की संध्या में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वृद्धावस्था ने प्रशामक देखभाल रोगियों की संख्या में भी वृद्धि की है। देश को इस श्रेणी के लोगों की देखभाल का उत्तरदायित्व उठाना चाहिए। यह सुझाव है कि कैंसर, मधुमेह और डायलिसिस की देखभाल के लिए नाको जैसा प्राधिकरण स्थापित किया जाए। वस्तुत: प्रत्येक जिला मुख्यालय में डायलिसिस केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। जिससे वहनीय देखभाल के साथ रोगियों को कुछ राहत मिलेगी जोकि अन्यथा निजी क्षेत्र में महंगा उपचार है। इसी प्रकार वृद्धावस्था और प्रशामक देखभाल क्षेत्र हेतु एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जाना चाहिए।

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता हैं और यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का भाग हैं, जोकि 2005 में प्रारंभ हुआ था। यह अपेक्षा है कि प्रत्येक गांव में आशा होगी जनवरी, 2013 तक इनकी संख्या 8,63,506 हो जाएगी। ये ग्राम स्तर पर मूल स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में सहायता करती हैं। यद्यपि इन्हें स्वयंसेवी कहा गया है, यही सही समय है कि हम इनके भत्तों को 700 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाएं। सरकार को इसे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने पर विचार करना चाहिए। यह भी ज्ञात हुआ है कि इनके भुगतान में काफी बकाया है और इसके तत्काल भुगतान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

आंगनवाड़ी कर्मियों को 5000 रुपए (केन्द्रीय हिस्सा 3000 रुपए और राज्य हिस्सा 2000 रुपए) दिए जाते हैं और आंगनवाड़ी सहायिका (केन्द्रीय हिस्सा 2000 रुपए और राज्य हिस्सा 1500 रुपए) दिये जाते हैं। इनकी कोई निश्चित सेवानिवृत्ति आयु नहीं है जिसपर विचार किया जा सके। इन्हें ईएसआई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और इनके वेतन/योगदान में उपादान का भी अनुपात होना चाहिए।

केरल में आईआईटी खोलने की घोषणा एक स्वागतयोग्य कदम है, इस परियोजना को यूपीए 2 शासनकाल के दौरान परिकल्पित किया गया था।

सरकार ने इन वर्षों में गरीबों को सुरक्षित घर प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इस सरकार ने पैरा 69 में विद्यमान प्रणाली को जारी रखना इंगित किया है। प्रत्येक वास हेतु निधियों के वर्तमान आवंटन को 3 लाख रुपए से बढ़ाने की आवश्यकता है, चूंकि विद्यमान राशि के साथ सुरक्षित वास को निर्मित करना कठिन है।

भारत में मत्स्यन भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। देश में 2 मिलियन से अधिक पूर्णकालिक मदुसारे हैं, 1.5 मिलियन अंशकालिक मछुआरे हैं, और 3 मिलियन कभी-कभार मछली पकड़ने वाले हैं। 'आश्चर्य है, इस समुदाय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उनके मुद्दे जैसे सुरक्षा, आधुनिकीकरण, मॉनसून के दौरान स्थान बदलना, सामाजिक प्रतिबद्धताएं इत्यादि जैसे सभी मुद्दों को इस क्षेत्र के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के अंतर्गत एक आयोग गठित किया जाए ताकि मछुआरा समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का अध्ययन किया जाए।

पैरा 107 में मंत्री ने वाराणसी में व्यापार सुविधा केन्द्र और 7 केन्द्रों में वस्त्र संकुलों की स्थापना की घोषणा की थी। केरल में कन्नूर में सबसे बड़े हथकरघा उद्योगों में एक एक है और यह योजना केरल में कन्नूर में भी विस्तारित की जानी चाहिए। वस्तुत: कन्नू में हथकरघा इकाइयों में 3 लाख से अधिक हथकरघा कर्मी कार्यरत हैं और यह हथकरघा हेतु प्रसिद्ध निर्यात केन्द्र है। इसलिए कन्नूर वस्त्र संकुल के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए और अन्य प्रस्तावित केन्द्रों को दी जाने वाली सुविधाएं, कन्नूर, केरल को भी प्रदान की जानी चाहिए।

विझिंहिंजम बंदरगाह की परिकल्पना मूलत: 25 वर्ष पूर्व की गई थी। वर्तमान में तीन चरणों में कुल परियोजना लागत 6595 करोड़ रुपए है और यात्री आवाजाही, कंटेनरों और अन्य स्वच्छ कार्गो के आलोक में इसके द्वारा भू-स्वामी बंदरगाह मॉडल को अनुसरित करना प्रस्तावित है। यदि विकसित किया गया, तो यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। मंत्री जी ने 16 नई परियोजनाएं इंगित की हैं। विझिंजम परियोजना को 16 प्रस्तावित परियोजनाओं में से एक के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जोकि देश के लिए एक गौरव स्थल होगा।

राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय) के अंतर्गत 5000 वर्ष पुराने शहर गुरुवयूर में प्रसिद्ध गुरुवयूर मंदिर है जोकि प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संध्या के अनुसार चौथा सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर की महत्ता को देखते हुए, इसे सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, सबरीमाला जहां मौसम के दौरान 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, को भी नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिसेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुवल आगमेंटेशन ड्राइव (प्रसाद) के अंतर्गत सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ये दोनों केन्द्र तीर्थ केन्द्रों के रूप में महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि बजट भाषण के पैरा 149 में इंगित किया गया है।

पैरा, 147 में पर्यटन पर बल दिया गया है। केरल (जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों दोनों हेतु देश में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मालाबार क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं, जिनका दोहन करने की आवश्यकता है। इसलिए बेहतर पर्यटन संवर्धन और उचित दोहन हेतु वयनाड - काक्कयाम, मुन्नार-वेमबानाड-अलेप्पी-कोच्चीन और कुमारकोम् वेमबानाड-मलेप्पी-कोचिन सर्किटों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि थमरशेरी और व्याथिरी, जहां सबसे सुन्दर दृश्य हैं, के बीच रोपवे लगाया जाए ताकि इससे यात्रा करते हुए इन दृश्यों का आनंद उठाया जा सके।

केरल में 44 नदियां हैं और इनमें से 41 नदियां दक्षिण की ओर अरब सागर में गिरती हैं। केरल को विशेषकर मानसून मौसम के दौरान अरब सागर में जल के अत्यधिक बहाव से हानि हो रही है और कभी-कभी विशेषकर गर्मी के मौसम में पेयजल की बड़ी कमी हो जाती है। जल के उचित इस्तेमाल और सूखे क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए पैरा संख्या 153 में नदियों को जोड़ने की घोषणा एक स्वागतयोग्य उपाय है। मेरा सुझाव है कि राज्य की नदियों के दोहन का प्रयास किया जाए और इस बजट में घोषित योजना में शामिल किया जाए।

मंत्री जी ने अपने भाषण के पैरा 154 में गंगा संरक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका दो अन्य जगहों पर भी विस्तार किया जाए। वास्तव में, पंपा नदी, जो इस राज्य में 244 किमी से अधिक बहती है, भगवान अयप्पा का वास है, सबरीमाला की तराई में अवस्थित है। इस नदी का महिला पवित्र गंगा नदी के समान है। सबरीमाला मौसम के दौरान यहां दो करोड़ से अधिक भकतजन आते हैं। इसलिए, पंपा नदी के संरक्षण और विकास के लिए भी इसी प्रकार की योजना बनायी जाए।

केरल एथलिट, फुटबाल, वॉलीबॉल, तैराकी इत्यादि में देश को कुछ बेहतरीन खिलाड़ी देता है। तथापि, ये उपलब्धियां खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत प्रयास के आधार पर हासिल की है। मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए साथ ही साथ केरल में भी इसका एक ऑफ कैम्पस खोला जाए।

सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए पैरा 173 में ठीक ही इंगित किया है। इससे रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में कमी आएगी और कैंसर जैसी बीमारियों सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का काफी हद तक समाधान होगा। मेरा सुझाव है कि जैविक क्षेत्र हेतु गंभीर चिंतन के लिए एक पृथक विभाग बनाने पर विचार किया जाए। यह योजना केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हो। केरल जैविक कृषि के लिए एक अच्छी जगह है और इसलिए केरल के लिए भी इस घोषित बजट में से कुछ हिस्सा भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन, सब्सिडी और अनुसंधान प्रावधानों से जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

भाषण समाप्त करते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों पर विचार किया जाए और अपने उत्तर भाषण में इसे जोड़ा जाए।

[हिन्दी]

***श्री हरिभाई चौधरी** (बनासकांठा) : वर्तमान सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का जो जनरल बजट पेश किया है वह एक ऐसी संजीवनी है जो देश की मरणासन्न की पड़ी अर्थव्यवस्था को जीवित करने काम करेगी। इस

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट से देश के विकास को नई दिशा मिलेगी और देश के गरीब एवं कुचले तबको को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। यह बजट हर वर्ग की आशाओं को पूरा करने में कामयाब होगा। आर्थिक सुधार व सामाजिक सरोकार के बीच संतुलन साधने की जटिल चुनौतियों को सुलझाने का रास्ता दिखाकर वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली ने अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया है।

इस जनरल बजट में किसान और उद्योग सभी के लिए कुछ न कुछ है साथ ही महंगाई से त्रस्त जनता को बिना कर दरों में बदलाव किए आयकर में छूट सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की है। देश में आज भी कई लोगों के पास अपने रहने के लिए मकान नहीं है और शहरों में मकानों के भाव आसमान छू रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए इस बजट से बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के साथ-साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को असली जामा पहनाने की शुरूआत हो गई है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहत जरूरी निवेश को एकत्र करने का माहौल बनाने का अहम कदम उठाया हैं। उद्योग में निवेश लौटाने के लिए टैक्स विवादों और जटिलताओं को दूर करने की तरफ कदम बढ़ाया है सस्ते आयात से बचाने के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहनकारी कदम उठाए हैं। घरेलू उद्योग से देश में रोजगार तो बढ़ाया ही जा सकती है और दूसरी ओर देश के छोटे मोटे संसाधनों का भरपूर प्रयोग हो सकेगा।

इस रेलवे बजट में घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए 80सी के तहत निवेश की सीमा, हाउसिंग लोन के ब्याज पर आयकर छूट सीमा और पीपीएफ में निवेश की सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाकर देश में निवेश बढ़ाने का काम किया है। इस रेलवे बजट में पूरे देश और तकरीबन हर तबके को तवज्जो दी गई है। पूर्वोत्तर भारत से लेकर जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देकर देश की एकता का परिचय दिया है।

गंगा स्वच्छता के लिए नमामि गंगे के नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की शुरूआत की गई है और साथ ही नदी जोड़ो योजना हेतु 100 करोड़ दिया है इससे देश में बाढ़ एवं सुखाड की समस्याओं का निदान काफी सीमा तक किया जा सकता है।

देश में सेहत और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। जनता को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए देश में चार नए एम्स खोलने का एलान किया है यही नहीं प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पांच नए आईआईटी और पांच नए आईआईएम खोलने का एलान करके वित्त मंत्री जी ने उच्च शिक्षा का फायदा सबको पहुंचाने का कार्य किया है।

देश में हर साल 3 अरब की सब्जी एवं फल खराब हो जाते हैं इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकाठा में टमाटर, आलू एवं अरंडी काफी मात्रा में होता है परंतु इनके भंडारण की कमी एवं उनका प्रसंस्करण न होने से यह काफी मात्रा में खराब हो जाता है। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आलू, टमाटर एवं अरंडी पर आधारित उद्योग स्थापित होने चाहिए इससे यहां कि किसानों को बहुत फायदा होगा।

इस सरकार को देश की खस्ता हालत मिली और यह हालत इतनी खस्ता थी कि लोग उद्योग एवं व्यापार में निवेश करने से घबराते थे इस जनरल बजट में निवेश को बढ़ाने हेतु कई कदम उठाने का संकल्प लिया है। देश में कर प्रणाली में कई दोष थे, सरकार ने इस बजट के माध्यम से इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया है एवं अर्थव्यवस्था के ढांचे को सही ढंग से चलाने के लिए कई घोषणाएं की है जो देश में कर प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करेगी। बजट बनाने के लिए एक महीने का समय मिला, अगर समय पूरा मिलता तो यह बजट कई और दृष्टियों से बहुत अच्छा होता।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट में बुजर्गों को काफी फायदा होगा, 60 साल के उम्र वालों के लिए आयकर सीमा 3 लाख कर दी है इससे संगठित क्षेत्र के 26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा और 50 लाख कर्मचारियों को पेंशन मिलने का रास्ता इस बजट ने खोला है। फसल बीमा योजना, जो वर्तमान समय में लागू है, किसान हित में नहीं है। किसानों के फायदे में अच्छी नीति बनायी जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में हीरा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाने चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक दिसा एयरपोर्ट है वहां पर उड़ान संबंधी सेवा शुरू करने हेतु सारी सुविधा है। अतः वहां से अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में बीएसएनएल के दूरसंचार संबंधी मेटेरियल उपलब्ध नहीं है जिसके कारण बीएसएनएल अच्छी सेवा नहीं दे पा रहा है, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में बीएसएनएल को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जाए। मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश जनरल बजट का समर्थन करता है।

माननीय अध्यक्ष : आज बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, तो सदन की अनुमति से आज लंच ब्रेक नहीं करते हैं।

डॉ. उदित राज।

[अनुवाद]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : आपका धन्यवाद।

मैं इस बजट पर अपनी टिप्पणी देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने इस बजट को एक-दो बार पढ़ा है। मैंने पाया कि यह बजट किसी विशेष वर्ग अथवा समुदाय का नहीं है बल्कि मैं तो कहूंगा कि यह बजट पूरे राष्ट्र का है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें समाज के बारे में गहरी अंतदृष्टि और समझ है। इसलिए यह बजट गरीब एवं अमीर लोगों की पानी, बिजली, आवास की समस्याओं और अमीर से गरीब तक सामाजिक न्याय की बात करता है।

अपराह्न 1.07 बजे

[डॉ. एम. तंबिदुरै *पीठासीन हुए*]

माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव पूछ रहे थे कि किसानों के लिए इस बजट में क्या मैं तो कहूंगा कि यदि आप पिछले बजट और इस बजट को पढ़ें तो आप पाएंगे कि इस बजट में किसानों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री की एक और बेहतरीन उपलब्धि यह रही है कि पहले राजकोषीय घाटा 4.7 प्रतिशत था, और अब यह 4.1 प्रतिशत है। राजकोषीय समेकन अनिवार्य है। उन्होंने इस थोड़े से समय में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। बजट को देखते हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि वह राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की स्थिति में होंगे।

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मेरा सुझाव है कि कर आधार को विस्तारित किया जाना चाहिए; न केवल कर बल्कि गैर-कर राजस्व को भी बढ़ावा जाना चाहिए और ऋणों को न्यूनतम किया जाना चाहिए। अब तक बड़ी मात्रा में ऋण लिए गए हैं और सरकार एक बड़ी राशि का भुगतान ब्याज के रूप में कर रही है। इससे भी राजकोषीय घाटा हो रहा है।

आपका बार विदेशी निवेशकों और घरेलू व्यापारियों के लिए उतसाहवर्धक है। वे अब देख रहें कि राजकोषीय घाटा कम हो रहा है। नि:संदेह आपने यही परिकल्पित किया है कि आने वाले वर्षों में कम राजकोषीय घाटे को कैसे बनाए रखा जाए या प्राप्त किया जाए। आने वाले वर्षों में वह इसे 3.6 तक लाने में सफल होंगे और फिर 2017 में तीन प्रतिशत तक। मैंने व्यापार के मूड और शेयर बाजार को देखा है; और वे इस कदम से काफी खुश हैं। यद्यपि उन्हें कुछ विरासत में प्राप्त हुआ है। इनहैरिटेंस के रूप में बहुत सारी चीजें आपको मिली हुई हैं। फिर भी उन्होंने इसे कम करने का भरसक प्रयास किया है। *[हिन्दी]* 50,000 करोड़ रुपए का जो इनकट टैक्स का रिफंड था, वह मार्च के पहले इश्यू नहीं हुआ था। इस तरह से 50,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ गई, जिसे हमारी सरकार फेस कर रही है। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, 2010 में इस पर बैठक हुई थी, इसमें प्रॉमिस किया गया था कि मुआवजे के रूप में, स्टेट्स को दिया जाएगा। वह भी करीब 32,000 करोड़ रुपए वर्कआउट होता है। यह पैसा भी पिछली सरकार छोड़कर चली गई। इस तरह से कुल मिलाकर यह 82,000 करोड़ रुपए बनते हैं, जो पहले की लायबिलिटी है, जिसे हमारी सरकार को भरना है, कंपनसेट करना है।

रेलवे के किराए बढ़ाने की बात सब जानते हैं कि यह पहले ही प्रपोज हो चुका था। मैं सुबह 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में पढ़ रहा था - *[अनुवाद]* मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि माल्य की किंगफीशर एअरलाइन 'किंग ऑफ डिफाल्टर्स है। *[हिन्दी]* किंगफिशर एयरलाइंस पर 4022 करोड़ रुपए का एनपीए है, जो सरकार को देना है। इसी तरह विन्सन डायमंड 3243 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया पर 2653 करोड़ रुपए, कॉर्पोरेट पावर पर 2487 करोड़ रुपए, सर्टलिंग बाइटेक पर 2031 करोड़ रुपए, रेवेन्यू प्रेशर्स पर 1754 करोड़ रुपए का एनपीए है, जो सरकार को देना है। यह पहले की विरासत है। लोन हज़ारों करोड़ ले लिया जाता है और बाद में अपने को दिवालिया घोषित कर दते हैं। *[अनुवाद]* उन्होंने स्वयं को दिवालिया घोषित किया और अपनी नई कंपनियों के नाम पर धन का अन्यत्र प्रयोग किया वे न केवल इस देश में बल्कि बाहर भी बेहतर जीवन बिता रहे हैं। *[हिन्दी]* लेकिन पिछली सरकार एनपीए पर कभी गंभीर नहीं रही है और इसका नतीजा यह है कि आज एनपीए की रकम लगभग पांच से छ: लाख करोड़ रुपए है। अगर यह पैसा रिकवर हो जाता है तो हमें सब्सिडी बढ़ाने पर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। मेरा सुझाव भी है कि किसानों की सब्सिडी कम नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा आज मैंने देखा कि *[अनुवाद]* "आयकर विभाग ने एक वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय को प्रकट किया *[हिन्दी]* एक लाख करोड़ रुपया टैक्स इवेडिड इनकम एक साल से सर्च एंड सीजर से हुआ है। मेरा ख्याल है कि जो बजट डेफिसिट है, उसे मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। *[अनुवाद]* मुझे पूरी आशा है कि हमारे समर्थ और वस्तुत: समझदार वित्त मंत्री ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि एक्सपेंडिचर साइज को कट नहीं किया जाना चाहिए, हां, एक्सपेंडिचर को मैनेज जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन काटा नहीं जाना चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन पर इम्फेसिज़ देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मैंने अभी भाषण देना शुरू किया है। मैं पहली बार भाषण दे रहा हूं। कृपया मुझे अनुमति दें। मैं कर संबंधी कार्यों से जुड़ा था। मैं सहायक आयुक्त था, मैं उपायुक्त और अपर आयुक्त रहा हूं। मुझे समय मिलना चाहिए। मुझे वित्त के संबंध में थोड़ी जानकारी है। कृपया मुझे अनुमति दें। यह पहला अवसर है जब मैं बोल रहा हूं।

बजट में विकास की तरफ ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हम भविष्य में 7 से 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि प्राप्त करेंगे। हम हर क्षेत्र में विकास करेंगे। इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं ताकि कृषि, कौशल विकास जैसे कई क्षेत्रों में विकास हो। बचत में भी वृद्धि होने जा रही है क्योंकि 80ग के और आवास = ऋण के अंतर्गत अधिकतम सीमा भी बढ़ाया जा रहा है।

[हिन्दी]

माननीय वित्त मंत्री जी ने ग्रोथ में जो 37,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रोड बनाने के लिए पैसा दिया है, इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नेंस की ओर बड़ा ध्यान दिया है, इसलिए हम चहुंमुखी ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के लिए 500 करोड़ रुपया जो आपने पानी के लिए दिया है। *[अनुवाद]* मैं आपका आभारी हूं और दिल्ली के सभी संसद सदस्यों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

बैंक की जो सबसे बड़ी समस्या थी जो आपने सोर्ट-आउट की है, जिसका समाधान स्वतंत्रता के पश्चात नहीं हो पाया था, जो यह एसएलआर और सीआरआर है उसे प्री-कंडीशन जो रिलैक्स किया है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉग-टम इंवेस्टमेंट होगा और बैंक का जो कैपिटल है, उसे बैंक मैनटेन कर सकेंगे, मिस-मैच नहीं होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, समय की कमी के कारण मैं जल्द से जल्द अपनी बात समाप्त कर रहा हूं अन्यथा मैं इन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करता।

[हिन्दी]

एग्रीकल्चर के बारे में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1000 करोड़ रुपए की आई है, अभी माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे किसानों के लिए क्या किया है तो पहली बार 1000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत रखा गया है। नेशनल मार्किट अगर स्थापित होता है तो किसान अपना सामान कहीं भी देश में बेच सकता है। इसलिए किसानों का जो पहले शोषण होता था अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।

[अनुवाद]

मैं आपको भारत में 2000 उत्पादक संगठन बनाने के लिए उत्पादक संगठन विकास निधि हेतु नाबार्ड को 2000 करोड़ रुपए देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

किसानों का जो 2000 करोड़ रुपया है जब किसानों का संगठन बनेगा तो इससे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं इसके बारे में निश्चित हूं।

5000 करोड़ रुपया जो आपने वेयर-हाउसिंग के लिए आपने निकाला है उससे जो पैरिशेबल आइटम्स हैं जिनके कारण किसान को काफी नुकसान होता है *[अनुवाद]* उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कर राजस्व के बारे में है। मैं योजना और गैर-योजना बजट पर विचार नहीं कर रहा हूं। किंतु मैं कहना चाहता हूं कि हमें राजस्व को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा हैं वित्त मंत्री जी ने बहुत से उपाय किए हैं। सीबीडीटी और सीबीईसी को लाकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो कराधान एवं विवाद पर किसी संदेह को स्पष्ट करेगी। इससे व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। वे उनसे संपर्क कर सकते हैं तथा मुकदमेबाजी में पड़ने से बच सकते हैं।

आपने कहा कि निपटान आयोग को विस्तार दिया जाएगा। मैं आपसे सहमत हूं। यह व्यवहारिक कदम है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि निपटान आयोग को जिम्मेदार बनाया जाए...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने 15 मिनट ले लिया है।

डॉ. उदित राज : मुझे एक मामले की जानकारी है जहां निर्धारण अधिकारी ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की कर देयता निर्धारित की किंतु निपटान आयोग ने 25 करोड़ रुपए से कम में निस्तारण किया। अत: निस्तारण आयोग पर कुछ जिम्मेदारी निर्धारित किया जाए।

[हिन्दी]

चार लाख के आयकर टैक्स का जो डिस्प्यूट अभी पड़ा हुआ है वह लिटिगेशन में है उसके बारे में आपने बहुत कुछ किया है। मैं एक बात

और कहना चाहता हूं कि इस देश में ह्यू एंड क्राई है कि बहुत टैक्सेस हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं, आप कृपया मुझे पढ़ने दें। आस्ट्रेलिया में 50 परसेंट इंडिविजुअल टैक्स रेट है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

डॉ. उदित राज : फ्रांस में 45 परसेंट है, जापान में 50 परसेंट है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : आपने पन्द्रह मिनट ले लिया है।

[हिन्दी]

डॉ. उदित राज : नीदरलैंड में 52 परसेंट है। स्वीडन में 57 परसेंट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

***श्री शरद त्रिपाठी** (संत कबीर नगर) : मैं आम बजट का समर्थन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार गांव के किसानों एवं महिलाओं तथा बेरोजगार नौजवानों को कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित करके उनके द्वारा उत्पादित सामानों जो गांव या क्षेत्र के आसपास के कच्चा मालों पर दर आधारित हो उसकी खरीदारी के लिए ब्लॉक स्तर पर बाजार बनाया जाए तथा उनके बने माल को उस बाजार के माध्यम से या शहरों में बहुराष्ट्रीय या राष्ट्रीय कंपनियों के बने हुए बाजार (मॉल) में अनिवार्य कर दिया जाय कि ग्रामीणों द्वारा उत्पादित सामानों को 25% अवश्य खरीदारी करें।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. गद्दीगौदर (बागलकोट) : मैं माननीय वित्त मंत्री को राष्ट्र को भविष्य को समृद्ध बनाने वाले आदर्श बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

कर ढांचे के लिए अपनाए गए व्यवस्थित दृष्टिकोण सराहना योग्य कदम है। व्यय को न्यायसंगत बनाने के लिए, क्योंकि यह कहा जाता है। कि एक रुपए बचाना-एक रुपए कमाना होता है, व्यय सुधार पर गौर करने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग गठित किया गया है। ये भी सराहनीय है।

विकास के लिए संपूर्ण देश में जीएसटी शुरू करने पर जोर देना एक सराहनीय कदम है। बीमा और रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना, विकास का संकेत है।

लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं और विचारणीय योजनाएं तथा अन्य विभिन्न पहलुओं के लिए बजटीय आवंअन करना भी एक स्वागत योग्य पहल है।

मैं यह महसूस करता हूं कि निम्नलिखित योजनाओं के बजट में वृद्धि करके 1000 करोड़ रुपए करना चाहिए।

1. लिंग समानता लाने के लिए बालिका की देखभाल करने के लिए "बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ"
2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-सभी को प्रकाश देना
3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन – ग्रामीण लोगों के लिए अवसंरचना तथा संबद्ध सेवा

मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि भारत एक कृषि आधारित देश है और विभिन्न योजनाओं तथा नाबार्ड के सहयोग से कृषि क्षेत्र के पुनरूद्धार को बहुत महत्व दिया जा रहा है।

नाबार्ड के सहयोग से किसानों को समय पर और बिना प्रतिभूति के 5 लाख का ऋण प्रदान करने संबंधी योजना सराहनीय है।

मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई हैं। मैंने कर्नाटक में भी एक खेल विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की हैं चूंकि यहां पर काफी प्रतिभा है तथा यहां अवसंरचना तथा समुचित स्थितियां आदि मौजूद है जो इसमें योगदान दे सकते हैं।

उत्तरी कर्नाटक में 12 जिले पूर्णत: पिछले हैं और 12 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान निधि योजना में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् कर्नाटक राज्य के बगलकोट के बारे में मेरी विशेष मांगें हैं।

बागलकोट जिले में 1 लाख से अधिक बुनकर हैं। वे पूर्णत: बुनाई पर ही निर्भर हैं और कुछ स्थानों विशेषरूप से इलकल, गुलीडगुड्ड, कम्माटिगी, राबाकवी, बनाहट्टी, रामपुर आदि में सुप्रसिद्ध साड़ियों और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अन्य हथकरघा उतपादों का उत्पादन होता है। माननीय वित्त मंत्री ने हथकरघा उत्पादों के विकास और संवर्धन के लिए छः मेगा क्लस्टरों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। केन्द्र सरकार बागलकोट जिले में एक टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर की स्थापना हेतु कदम उठा सकती है।

यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बागलकोट जिला ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि पट्टडकल, ऐहोले, बादामी के लिए प्रसिद्ध है और अनेक धार्मिक स्थल जैसे कि कुडालसंगम, बनशंकरी और शिवयोग मंदिर भी वहां स्थित हैं। मैंने पर्यटन के विकास के लिए बहुत प्रयास किए हैं लेकिन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। हाल ही में हमारे जिले के विधायक के साथ हमारे अपर मुख्य सचिव की उपसिीत में हमारे जिले के मंत्री श्री एस.आर. पाटील की अध्यक्षता में हमारी एक बैठक हुई थी। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से सड़कों और अन्य सुख-सुविधाओं का विकास करने के लिए चालूक्या विकास प्राधिकरण बनाने और निधियां आबंटित करने हेतु एक प्रावधान बनाने के लिए अनुरोध्र करता हूं।

जलवायु में परिवर्तन और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ओला वृष्टि के कारण किसानों को भारी हानि हुई है जिससे उनके जीवन में समस्याएं पैदा हो गई हैं। मैं सरकार से शीघ्र क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

शहरी सहकारी बैंक विकास संबंधी प्रक्रिया की जीवन रेखा हैं। मैं सरकार से सभी के हित में सहकारी आंदोलन के विकास हेतु इस क्षेत्र पर से कर समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

***प्रो. सौगत राय** (दमदम) : मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी ने पुराने ढर्रे को तोड़ते हुए नया रास्ता तैयार करने का एक अच्छा मौका खो दिया। वर्ष 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज समाप्त कर, रुग्ण पड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बीआईएफआर को संदर्भित कर और विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोलते हुए एक अनूठा काम किया था। उनके बजट को अब तक एक शानदान बजट कहा जाता है। श्री जेटली पूर्वव्यापी कराधान को समाप्त करने और प्रत्यक्ष कर संहिता की व्यवस्था को शुरू करने के लिए समयसीमा तय करने तथा वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) को शुरू करने में विफल रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का रास्ता चुना और बीमा तथा रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी, जिसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं।

श्री जेटली एक ऐसी सरकार में मंत्री हैं, जिसमें उनकी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। पिछले वर्ष, देश में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन का अनुमान था और सरकार के पास 62 मिलियन टन का कुल खाद्य भंडार था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट सहज हो रहा था, चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.7 प्रतिशत तक नीचे आ गया था, फिर भी अर्थव्यवस्था में सफलता के संकेत नहीं दिखाई दिए। यहां तक कि महंगाई भी कम हुई, लेकिन प्याज की आसमान छूती कीमतों के साथ गत दो महीनों में कीमतों का प्रबंधन बुरा ही रहा।

बजट से भ्रम के संकेत मिलते हैं। एक तरफ तो, देश में पांच और आईआईटी तथा पांच आईआईएम की स्थापना करके डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, हालांकि न्यूनतम व्यय के साथ। वहीं दूसरी तरफ, इसमें आरएसएस का एजेंडा भी शामिल है। कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वसन के लिए 500 करोड़ रुपए, नमामि गंगे के लिए 2000 करोड़ रुपए और वन बंधु कल्याण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कहा जाता रहा है कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री की प्रमुख योजनाओं में से एक सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही, वित्त मंत्री जी की पसंद की 28 योजनाओं के लिए भी प्रत्येक के लिए महज 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बजट में इसका उल्लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं समझी, जिसका कुल व्यय करीब 18 लाख करोड़ रुपए परिकल्पित है।

जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, तो बजट उनके लिए बुरी खबर है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से 2.03 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है, जिसके लिए इसे चालू वर्ष में 28,000 करोड़ रुपए मूल और ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। गत तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल सरकार ब्याज के भुगतान पर आस्थगन का अनुरोध कर रही है। यूपीए-II की सरकार इस मांग को अनसुना करती रही, और अब वर्तमान एनडीए की सरकार भी वही कर रही है। 'नतीजनत, पश्चिम बंगाल के पास विकास के लिए बेहद थोड़ा धन बचेगा। पटसन, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें दो लाख कामगार कार्यरत हैं। और करीब 40 लाख पटसन किसान हैं। यह उद्योग उस वक्त से संकट में है, जब से यूपीए की सरकार ने पटसन पैकेजिंग अनिवार्यता के आदेश के महत्व को कम किया। पूरे बजट भाषण में कहीं भी पटसन शब्द का उल्लेख नहीं है। पिछली सरकार ने पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप के गहरे समुद्र में पत्तन की स्थापना करने का वादा किया था। वित्त मंत्री के बजट भाषण में हालांकि तूतिकोरिन पत्तन का जिक्र है, लेकिन इस प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में रुग्ण पड़े चाय बागानों के पुनरूद्धार के लिए भी किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है।

हालांकि, बजट की कुछ खास बातें स्वागत योग्य हैं, जैसे व्यय प्रबंधन आयोग एक अच्छा कदम है। 500 करोड़ रुपए का मूल्य स्थिरिकरण कोष,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

1000 रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने का प्रस्ताव अच्छे कदम हैं। बड़ी और ऊर्जा परियोजनाओं और पवन विद्युत क्षेत्र के लिए रियायतों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।

वैयक्तिक आयकर छूट की सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ाने से करदाताओं को अधिकतम 5150 रुपए की बचत होगी। लेकिन यह राहत बहुत कम है। कर छूट, जो 5.73 लाख करोड़ रुपए थी, उसे 7,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। अपने उत्पाद का ऑनलाइन विज्ञापन करने वाली कंपनियों पर लगने वाले सेवा कर में वृद्धि करने से ई-कॉमर्स व्यवसाय को नुकसान होगा।

कुल मिलाकर, लंबे-चौड़े बजट भाषण वाले इस बजट में न तो कोई विजन है और न ही कोई एकीकृत विचार। इसमें इस विशिष्ट बात की भी कमी है कि विनिर्माण विकास को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। बेरोजगारों, तथा शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां कैसे मिलेंगी और उनके 'अच्छ दिन' कैसे आएंगे, महंगाई कैसे सही रास्ते पर आएगी? यह अच्छी बात है कि सरकार ने मनरेगा या खाद्य सुरक्षा अधिनियम का समाप्त नहीं किया, यद्यपि उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 37,880 करोड़ रुपए का आवंटन स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जेएनएनयूआरएस को बंद करने से महानगरीय शहरों का विकास रूक जाएगा। यह सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करने के मामले में यूपीए-II का अनुसरण कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं।

मैं जानता हूं कि बजट को ज्यादा तूल देना अर्थहीन है। 42 प्रतिशत बजट राजसहायता, रक्षा और ब्याज के भुगतान से चला जाएगा और 36 प्रतिशत राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा। केन्द्रीय योजना, कुल व्यय का महज थोड़ा सा प्रतिशत है। फिर भी वित्त मंत्री जी को महंगाई कम करने, विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट खाका तैयार करना चाहिए था। सरकार ऐसा करने में विफल रही है। यह सरकार यूपीए सरकार के रास्ते पर ही चल रही है, बस इन्होंने अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए श्यामा प्रसादजी और दीन दयाल जी के नाम जोड़ दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) संघ की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के एक तिहाई सबसे गरीब लोग भारत में रहते हैं। इस बजट में उनके लिए कोई वादा नहीं किया गया है। और न ही इसमें विदेश से काले धन को वापस देश में लाने के तरीकों का जिक्र किया गया है।

माननीय सभापति : आपको पांच मिनट दिए गए थे लेकिन आपने 15 मिनट ले लिए। आगे आप जो भी कहना चाहते है, आप मंत्री जी को लिखित में दे दीजिए।

अब प्रोफेसर बोस बोलेंगे।

प्रो. सुगत बोस (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट पर एक रचनात्मक आलोचना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम जानते है कि यह माननीय वित्त मंत्री का पहला बजट है और उन्होंने यह बताने में काफी मेहनत करनी पड़ी कि उनके पास बजट तैयार करने के लिए केवल 45 दिन थे। इसलिए, हमें श्री मुलायम सिंह जी की तरह उनके वित्तीय प्रस्तावों पर अपना आकलन देने में ज्यादा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। एक बार एक लेखक ने अपनी पहली पांडुलिपि को एक महान व्यक्ति डॉ. जॉनसन के उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी थी। उसे पढ़ने के बाद डॉ. जॉनसन ने कहा कि इसमें कुछ अच्छी और कुछ नई चीजें हैं। लेकिन इसमें जो अच्छी चीजें है वो नई नहीं है और नई चीजें अच्छी नही है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी के पहले बजट को उसी स्वरूप में देखा जा सकता है।

समष्टिगत आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "सर्वाधिक व्यापक कार्य योजना" होने के बजाय, यह बजट बिना कोई स्पष्ट मार्ग प्रारूप प्रदान किए तीन या चार वर्षों में एक गंतव्य पर पहुंचना चाहता है लेकिन यह नहीं पता कि वहां कैसे पहुंचा जाए। 2016-17 तक वित्तीय घाटे को कम करके जीडीपी के 3 प्रतिशत तक बजट घाटे में कमी लाना एक प्रशंसनीय है। किन्तु महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इस बजट ने एक दिशा निर्धारित की है लेकिन हम लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करे, इस पर यह आशा के विपरीत अस्पष्ट है। यह सरकार जो कि सैद्धांतिक तौर पर कर न बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध है, इस बात पर चुप है कि कर आधार किस प्रकार विस्तृत किया जा सकता है - जिसके बारे में पूर्व वक्ता सत्तापक्ष से जानना चाहते थे- न कि वह यह जानना चाहते थे कि सूचना प्रौद्योगिकी को किस प्रकार से लागू किया जाएगा। यह सर्वविदित है कि खर्चों में कटौती होगी लेकिन यह मंशा व्यय प्रबंधन आयोग की स्थापना के निर्णय में दब गई। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस भाषण के उत्तर में इस आयोग की स्थिति बताएगें और यह भी बताएगें कि उनकी सरकार पर इसकी सिफारिशें लागू होंगी या नहीं।

यदि संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत उन्हें अच्छे लगते है तो वित्त मंत्री को अपनी बेसब्री को कम करना होगा और माल और सेवा कर पर चर्चा को समाप्त नहीं करेंगें। सिद्धांततः, हम जीएसटी शुरू करने के पक्ष में है क्योंकि हमारा विश्वास है कि यह हमारी विस्तृत और विविध भूमि में लघु और मध्यम पैमाने के उद्यमों के लिए अच्छा होगा। तथापि, इसे राज्यों के राजस्व की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों की चिंताओं का पूर्ण रूप से समाधान होना चाहिए और जीएसटी शुरू करने का बड़ा कदम उठाने से पहले केन्द्र द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकारों की गारंटी दी जाती है। कुछ वर्ष पहले सीएसटी घटाने से हमें बहुत परेशानी हुई थी जो कि केन्द्र द्वारा किए गए वायदों पर आधारित थी।

वास्तविक सहकारी संघीय मांग न केवल कर राजस्वों की हिस्सेदारी का उचित आधार है अपितु राज्यों और केन्द्रों द्वारा कराधान की शक्तियों की समुचित हिस्सेदारी भी है। मैं समझता हूं कि यह सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रंशसा करता हूं जिनके नाम पर वित्त मंत्री अपनी नई योजनाओं का नाम रखा है। यदि मैं सत्ता पक्ष को याद करूं जिसमें दूरदृष्टा देशभक्त और केन्द्रीय विधानसभा के सदस्य ने इस मामले में कहा था। उन्होंने 1908 के विकेन्द्रीकृत आयोग को बताया:

"वर्तमान में प्रचालित एकात्मक सरकार को संघीय प्रणाली में परिवर्तित किया जाना चाहिए। प्रांतीय सरकारें मात्र सर्वोच्च सरकार प्रतिनिधित्व करेंगी परंतु उन्हें अर्द्ध-स्वतंत्र सरकार बनाया जाना चाहिए।"

ये मालवीय जी के शब्द थे, मेरे नहीं। 1909 के लाहौर के कांग्रेस अध्यक्षीय संबोधन में मालवीय जी ने घोषित किया था:

"आवश्यकता यह है कि भारत सरकार उचित धनराशि का योगदान करें और शेष राजस्वों को प्रांतीय उद्देश्यों के लिए खर्च करने दिया जाए।"

सभापति महोदय, अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा तीन ऐसे स्तंभ है जिस पर भारत को अगामी दशक में विकास की इमारत खड़ी करनी चाहिए। जहां तक अवसंरचना में निवेश का सवाल है मैं सरकार की स्पष्ट दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। सड़कों और विद्युत स्टेशनों, विमानपत्तनों और समुद्री पत्तनों हेतु आवंटन प्रभावी है तथा हो सकता है वर्तमान राजकोषीय स्थिति में यह सबसे श्रेष्ठ हो। सरकारी परिव्यय पर्याप्त नहीं होंगे तथा हमें समाष्टि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करनी पड़ेगी ताकि हमारी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैश्विक धनराशि को आकर्षित किया जा सके।

तथापि, मैं यह न देखने के कारण सरकार से निराश हूं कि सतत् आर्थिक विकास और विकास के लिए स्वास्थ्यकारी और शिक्षित लोग अनिवार्य है। यदि सभापति महोदय कल का संदर्भ ले तो वित्त मंत्री ने एक समाचार-पत्र में साक्षात्कार दिया है कि वह किसी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन यह काफी नहीं है। देश जन स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटन में 4.2 की नाममात्र की वृद्धि की गई है लेकिन यदि हम पिछले वित्त वर्ष के 8.6 प्रतिशत की मुद्रास्फिति को समायोजित करते हैं तो वास्तव में यह 4.4 की गिरावट है।

बजट की सबसे बड़ी निराशाजनक बात यह है कि इसमें शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। सत्ताधारी दल के घोषणा-पत्र में यह घोषणा की गई थी कि शिक्षा पर खर्च को जीडीपी के 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। यह मानदंड ज्यादातर एशिया के है और यह भारत में राष्ट्रीय सर्वसम्मति का मामला होना चाहिए। इसे जीडीपी के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने के उद्देश्य को हासिल करने की वित्त मंत्री की रूपरेखा कहां है? इस बजट ने 3.2 प्रतिशत के वास्तविक आवंटन के साथ शिक्षा क्षेत्र में देश को पिछे ला खड़ा किया है जो कि युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने पंडित मालवीय के नाम पर नए अध्यापक प्रशिक्षण हेतु 500 करोड़ दिये होते तो वे आज के हालात देख कर खुश नहीं होते।

इस आधार पर, नए आईआईटी और आईआईएम और जय प्रकाश नारायण के नाम पर एक मानवीकीय केन्द्र हेतु और अधिक 500 करोड़ रुपए की घोषणा के साथ सरकार की बड़े पैमाने की प्राथमिकताओं में विद्यालयी शिक्षा की अपेक्षा उच्चतर शिक्षा की स्थिति बेहतर है। अत:, हम ग्यारह नए स्थानों में ईंट और गारे पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद लगा सकते है। लेकिन क्या इन नए शैक्षणिक संस्थानों हेतु संकाय सहित मानव संसाधन की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है? क्या उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत पहुंच और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यह एक उचित रणनीति है? इतना ही पैसा उभरते हुए दस कॉलेजों, केन्द्र और राज्य दोनों के, में निवेश क्यों नहीं करते, जिसमें हाल के वर्षों में कमी आई है, लेकिन इसे दूरदर्शी नेतृत्व और न्यायपूर्ण रणनीतिक निवेश के जरिए बदला जा सकता है? दुनिया को शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में अपने कम से कम आधा दर्जन विश्वविद्यालयों को शामिल करने के लिए चीन ने ठीक यही किया।

मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) शब्द का दुरूपयोग न करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है, जो यूनिवर्सल (सार्वभौमिक) हो। किसी भी तरह से मणिपुर में खेल अकादमी की स्थापना करें और इसे उसी नाम से बुलाएं, जो यह है। रेलवे पॉलीटेक्नीक और ट्रेनिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं। यह अच्छा कदम है। साथ ही, आपके बागवानी संस्थान भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय कहना विश्वविद्यालय के विचार का मजाक है। मैं हार्वर्ड में पढ़ाता हूं और इसलिए मैं विश्वविद्यालय की परिभाषा को लेकर बहुत सचेत हूं। मुझे दुख है कि वित्त मंत्री जी ने जिन बागवानी विश्वविद्यालय, मैं इन्हें संस्थान कहूंगा, की स्थापना का प्रस्ताव किया है, उनमें से एक भी बंगाल में स्थापित नहीं की जाएगी। अगर मैं श्री अरुण जेटली को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आमंत्रित कर पाता, तो मुझे यकीन है कि वह भी इस बात से सहमत होंगे कि सबसे स्वादिष्ट फल और सब्जियां तथा खूबसूरत फूल भी बरुईपुर, सोनारपुर और भांगर नाम की जगहों से

आते हैं, जिनमें से कोई भी नवोन्मेष बागवानी संस्थान के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार के एक ही संस्थान के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि उचित होगी। तथापि, सरकार के एजेंडा में शामिल फ्लैडशिप राष्ट्रव्यापी योजनाओं को बड़े धूम-धड़ाके से घोषित किया गया था, उनका महत्वपूर्ण संसाधनों द्वारा समर्थन किए जाने की आवश्यकता है और बड़े पैमाने पर परिव्यय की मांग करते हैं। यह शर्म की बात है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि देश के अनेक भागों में बालिकाओं के प्रति अब भी उदासीन रवैया बना हुआ है। यह और भी ज्यादा शर्म की बात है और बेहत उदासीनता का संकेत है कि उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना' के लिए महज 100 करोड़ रुपए रखे हैं। सुश्री ममता बनर्जी की कन्याश्री योजना को 1000 करोड़ रुपए का राज्य बजटीय समर्थन प्राप्त है। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए महज 100 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। मैं, वित्त मंत्री से उनके उत्तर में मांग करता हूं कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति थोड़ा सा सम्मान दिखाते हुए इन प्रत्येक आवंटनों में सीधे-सीधे दस गुना की बढ़ोत्तरी करें। केदारनाथ से पटना तक सात शहरों में घाटों के विकास और नदियों के सौंदर्यकरण के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, मैं बस इतना कह सकता हूं कि गंगा पटना तक आकर बहना नहीं छोड़ देती। अत: हमें ऋण राहत की आवश्यकता है और हमें बंगाल में कोयला संबंधी रॉयल्टी की बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि देश के पूर्वी क्षेत्र के साथ न्याय किया जाए।

निष्कर्ष के तौर पर, महोदय, प्रतीकात्मक मूल्य के बजटीय मद के बारे में अंतिम शब्द। मैं भारत के लौह पुरुष को लोहे के सांचे में ढालने के लिए किए गए 200 करोड़ रुपए के आवंटन का संदर्भ देना चाहता हूं। मुझे हैरानी है कि सरदार वल्लभाई पटेल इसका क्या करते। मुझे थोड़ा संदेह है कि बारडोली सत्याग्रह का हीरो इस राशि को उस ग्रामीण विकास के लिए दान करने को प्राथमिकता देते, जो सही मायनों में 3.2 प्रतिशत की बजटीय कटौती झेल रहे हैं। और उनके बड़े भाई विट्ठलभाई पटेल, जिन्होंने शुरूआती 1930 में सुभाष चन्द्र बोस के साथ यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया, वो तो संभवत: इस बेकार के खर्च के लिए सरकार की अच्छे रसे खबर लेते, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने इन प्रांतों के वाकपटुता से बोलते हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य और तत्कालीन प्रेजिडेंट के रूप में ब्रिटिश को उत्तरदायी ठहराया था स्वामी विवेकानंद सहित पटेल भाईयों और अन्य महान विभूतियों के सम्मान में हमें ईमानदारी और एकता, सेवा और त्याग के उनके आदर्शों का अनुसरण करने की आवश्यकता है, न कि लोहे या पत्थर के रूप में उनकी पूजा करने की। हमें विवेकानन्द की खूबसूरत प्रतिमा अच्छी लगेगी लेकिन हम जानते हैं कि जो बड़ा है, वह महान नहीं है। हम उचित व्यय चाहते हैं।

मेरे अंतिम शब्द हैं, इस तीक्ष्ण खाद्य महंगाई के समय में एक साधारण बजट पेश करने के लिए हमें हमारे वित्त मंत्री का आभारी होना चाहिए। लेकिन हम बंगाली असंशोधनीय हैं। हमारे एक कवि ने काव्य को विदाई दे दी, क्योंकि भूख के साम्राज्य में दुनिया नीरस बन गई और यहां तक कि पूर्णमासी का चांद भी एक जलती हुई रोटी जैसा नजर आने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी कविता में कहा: "कबिता तोमाय दिलाम अजीके छुट्टी, खुधर राज्ये पृथीबी गदमामोय, पूर्णिमा चांद जेनो झलसानो रूटी।" मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे लोग गरीब हैं। आपका व्यय प्रबंधन आयोग चाहे जो कहे, खाद्य राजसहायता में कटौती न करे। उर्वरक राजसहायता पर निशाना साधे। मेरे अधिकांश साथी राजसहायता प्राप्त दरों पर भोजन करने सेंट्रल हॉल जा चुके हैं। हमारे देश के एक तिहाई लोग गरीब हैं। दुनिया के एक-तिहाई गरीब लोग भारत में रहते हैं। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री जी आपका पहला काम, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे देश के गरीब और निचले तबके के व्यक्ति के लिए दो जून की रोटी सुनिश्चित करना है।

धन्यवाद सभापति महोदय।

[हिन्दी]

***श्री धर्मेन्द्र यादव** (बदायूं) : वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण की शुरूआत यह कहकर की थी कि "भारत के लोगों ने निर्णायक रूप से परिवर्तन के लिए वोट किया है"। अगर वित्त मंत्री जी यह मानते हैं तो मेरे ख्याल से भारत के लोग इस बजट से बहुत ही असंतुष्ट होंगे क्योंकि इसमें पोलिसी बदलाव के नाम पर कुछ भी नया नहीं है। वहीं, मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में पारदर्शिता और जवाबदेही की खूब बातें की थी लेकिन बजट में एक बार भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

महंगाई के कारण मोदी सरकार की प्राथमिकता सामान्य नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ के बजाय राजकोषिय घाटा कम करने की तरफ ज्यादा- और इस तरह बड़े उद्योगों को राहत पहुंचाने की तरफ अधिक है। जेटली जी ने बजट घाटे को 4.1 प्रतिशत पर रखने का इरादा जाहिर किया है। लेकिन वे इसे कैसे करेंगे, इस पर कोई ठोस कार्यप्रणाली को उजागर नहीं किया। ऐसे वादे पूर्व सरकार ने भी किए थे, लेकिन असल हालात सबको पता है।

बजट घाटा कम करने का एक तरीका है कि आय बढ़ाई जाये, जो विकास से बढ़ेगी, दूसरा तरीका है यह कि खर्च कम किया जाए। कहीं भी कॉरपोरेट घरानों को दी जाने वाली रियायत में कमी और सरकारी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का इरादा नहीं जताया है। आज कॉर्पोरेट घराने को दी जाने वाली रियायत साढ़े पांच लाख करोड़ रुपयों से अपर है। गरीबों, ग्रामीणों को केवल पुरानी योजनाओं के नाम पर ही संतुष्ट कर दिया है और गरीबी उन्मूलन वे बेरोजगारी पर बजट में कोई गाइडलाइन्स नहीं है।

बहुत सारी योजनाओं के लिए इतनी छोटी रकम आबंटित की है कि सरकार की गंभीरता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। जहां एकता की मूर्ति के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए वहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सिर्फ 100 करोड़ रखे हैं। मेरे ख्याल से यह रकम बहुत ही कम है। 100 स्मार्ट शहरों के लिए सिर्फ 7060 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जानकारों के मुताबिक इतना पैसा तो एक शहर में सीवर बिछाने में लग जाएगा।

बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाकर सत्ता में तो काबिज हो गए पर इस नीति को भाजपाई अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर बजट में सरसरी निगाहें भी डाली जाए तो ऐसी घोषणाओं की भरमार है जिन्हें सुनकर सिर्फ फील गुड होता है लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक है। मसलन-हमारी सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है। युवाओं को मकान खरदीने के लिए गृह ऋण पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहूंगा... " — पर यह समस्या यथावत है कि 5 लाख की वार्षिक आमदनी वाला आदमी महानगर में अपना घर कैसे खरीदेंगे- अकेले मुंबई में 55 प्रतिशत लोग स्लम में रहते हैं। कैस घर देंगे? जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है साफ-साफ क्यों नहीं बताते 5 साल में कितने घर दे दोगे।

बेहतर होता कि सरकार 300-500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले घरों के निर्माण के लिए कोई हाउसिंग स्कीम की घोषणा करती और निजी बिल्डरों को प्रेरित करती। कुछ यूरोपीय देशों में इसके लिए रिटेल स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत बहुत मामूली धनराशि प्रतिमाह के आधार पर गरीबों को घर दिए जाते हैं। "सबके लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निःशुल्क दवा सेवा तथा निःशुल्क निदान सेवा। क्या सरकार कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना ला रही हैं? अगर नहीं तो सरकार सबको स्वास्थ्य सेवा कैसे मुहैया कराएगी? इसमें स्पष्टता नहीं है। आज करीब 3 लाख डॉक्टरों की कमी है देश में 4-5 एम्स और एक दर्जन मेडिकल कॉलेज खोले जाने से बात नहीं बनेगी।

प्रत्येक घर को 2019 तक एक सेनिटेशन उपलब्ध कराने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान" — यह क्या है और कैसे होगा? हर घर में शौचालय का वित्त मंत्री का सपना कब पूरा होगा? इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। हर कार्य में नये तौर तरीकों की बात करने वाली मोदी सरकार से उम्मीद थी कि नए बजट में कुछ नए, रेडिकल सुधारों की घोषणा करेगी। परंतु योजनाएं पूरी करने के लिए धन कहां से आएगा और क्या रोडमैप होगा, वित्त मंत्री इस तक पर मौन हैं। करीब 200-250 योजनाएं पहले से चल रही हैं और इस सरकार ने भी करीब इतनी ही योजनाओं की घोषणा की है। इस तरह ये करीब 400 के पार चली गई हैं। जबकि राजस्व बढ़ाने के नए उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कैसे क्या करेंगे- देखने का विषय है। सरकार ने काले धन के विषय पर भरोसा दिलाया था, लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। हमारे सफेद धन की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है, काले धन की अर्थव्यवस्था और यदि इस समांतर व्यवस्था पर काबू पाया जा सके और विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जा सके तो राजाकोषीय घाटा शून्य किया जा सकता है।

एफडीआई पर बजट में बहुत जोर दिया गया है, पर इसका नफा नुकसान अच्छी तरह समझ लेने की जरूरत है। रक्षा में 49 प्रतिशत एफडीआई की बात कही गई है, परंतु इसमें अभी बहुत स्पष्टता की जरूरत है और इसके सभी मुद्दों पर संसद में विस्तार से बहस होनी चाहिए। डीसीटी यानि ग्राहकों के खाते में सीधे धन हस्तांतरण के बारे में भी कुछ कहा नहीं गया है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी परंतु यहां भी निराशा ही हाथ लगी है। शिक्षा के क्षेत्र में कुल जीडीपी का तकरीबन 3 प्रतिशत खर्च हो रहा है। जबकि इसे बढ़ाकर कम से कम 6 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुल जीडीपी का महज 1.2 प्रतिशत बचत है जो किसी भी हिसाब से तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। आयकर छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया है 80 सी के तहत छूट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है पर इसमें आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि देश में आयकर देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। गरीबों और किसानी करने वाली करीब 60 प्रतिशत देश की जनता को इससे कोई सरोकार नहीं। सरकार ने युवाओं और महिलाओं को भी चुनावी सफर के दौरान काफी सपनें दिखाए थे। पूर्व सरकार ने भी प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा था पर बमुश्किल 15 लाख लोगों का प्रतिवर्ष रोजगार मुहैया कराया जा सका। महिला श्रमशक्ति की बात करें तो 1984 में तकरीबन 34 प्रतिशत महिलाओं के पास रोजगार था, आज यह अनुपात 27 प्रतिशत रह गया है। बजट में इन पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया गया। युवाओं के लिए स्किल इंडिया अभियान की घोषणा की है, लेकिन इन पर अमल कितना होगा, किसी को नहीं पता। सरकारी शिक्षा को कैसे निजी विद्यालयों के बराबर लाया जाए उस पर बजट में कोई गाइडलाइन्स नहीं है। वर्ड क्लास एमस हॉस्पीटल बनाने के लिए कम

से कम 2000-2500 करोड़ लगेंगे पर सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ रुपए आबंटित किया है।

बुलेट ट्रेन, स्मार्ट शहर आदि सब ठीक है, पर उस आदमी का क्या जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है वहीं जिसके जीने के लिए 33 रुपए और 27 रुपए काफी होते हैं और जिसकी ताजा संख्या आंकड़ों में 36 करोड़ है, पर हकीकत में इससे दोगुना होंगे। बजट में उस आदमी के लिए कुछ नहीं है और उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया है।

आशा करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर वित्त मंत्री गौर करेंगे और इनका निवारण करने कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

***श्री रायपति सम्बासिवा राव** (नरसाराओपेट) : मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट 2014-15 का समर्थन करता हूं।

एक लंबे समय के बाद देश को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी मिले। पहले, हमारे यहां गठबंधन सरकारें रही थी जो देश के साथ न्याय करने में सक्षम नहीं थी। मोदी जी एक ऊर्जावान और बहुत ही सक्षम नेता है। मुझे यकीन है कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत एक महान शक्ति बनेगा।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात् आंध्र प्रदेश के लोगों ने मेरे नेता श्री नारा चन्द्रबाबू नायडू को चुना और उन्हें राज्य पर शासन करने के लिए जनादेश दिया। उन्होंने उन्हें राज्य के विकास पर उनकी पूर्व दूरदृष्टि के कारण चुना है। उनके पास राज्य, विशेष रूप से हैदराबाद, को आईटी केन्द्र के रूप में विकसित करने का अनुभव है। यह सर्वविदित है कि वह एक कुशल प्रशासक और एक सक्षम नेता है। विभाजन के पश्चात्, लोगों ने अपनी आकाक्षांओं को पूरा करने के लिए श्री चन्द्रबाबू नायडू को जनादेश दिया है। मुझे यकीन है कि उनके कुशल नेतृत्व में नया आंध्र प्रदेश राज्य बड़ी ऊचाईयों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व के अधीन, हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू जी भी मोदी जी की तर्ज पर राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात्, हमारा राज्य विद्युत की अत्यधिक कमी, बेरोजगारी, जल समस्या और अवसंरचना की कमी से ग्रसित है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि भाजपा ने भी बड़ी सरलता से तीन राज्य बनाए थे। लेकिन जब आंध्र प्रदेश विभाजित हुआ, तो संप्रग सरकार द्वारा बहुत विरोध हुआ और गलतफहमी फैलाई गई तथा आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय किया गया। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी को आंध्र प्रदेश के आम चुनावों में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और यहां तक कि उन्हें संसद सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य की एक भी सीट नहीं मिली।

यह एक विकासोन्मुख बजट है और अवसंरचना, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और पत्तनों पर जोर देता है। स्मार्ट शहरों के लिए 7060 करोड़ रुपयों का आवंटन और करदाताओं को कुछ रियायत देना देश के विकास के लिए एक अच्छा निर्णय है।

मैं मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपऐ, जो पूर्व संप्रग सरकार द्वारा दिए गए आवंटन की तुलना में कहीं अधिक है, प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री का भी धन्यवाद देता हूं।

संप्रग सरकार के दस वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था बिखरी हुई थी। रुपए के मूल्य में गिरावट आई। सरकार का ऋण तीन गुना बढ़ गया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी आसमान छू रही है जिससे आम आदमी को जीवन व्यतीत करने में कठिनाई हो रही है।

मैं कृष्णापत्तनम औद्योगिक स्टार शहर हेतु धनराशि की मंजूरी के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं विशाखापत्तनम और चेन्नै के बीच औद्योगिक गलियारा प्रदान करने तथा काकीनाड़ा पत्तन के विकास हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए भी वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं हिंदूपुर में एक राष्ट्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क अकादमी ओर काकीनाड़ा में एक हार्डवेयर उद्योग की मंजूरी के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। परंतु इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि आवंटन को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं कर स्लैब बढ़ाकर छोटी कर छूट देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

राजकोषीय घाटा हुआ है। कुछ लोग कहते है यह बहुत बड़ा घाटा है। लेकिन इसका एक बड़ा भाग ब्याज लागतों और राजसहायताओं के कारण है। हमें धीरे-धीरे राजसहायताएं कम करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने और अधिक केन्द्रित खाद्य और ईंधन राजसहायता के लिए कदम उठाने का वायदा किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैं वित्त मंत्री द्वारा किए गए उन वायदों का भी स्वागत करता हूं कि वह एफसीआई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके खाद्य मुद्रास्फिति को नियंत्रित करेंगे। इससे लोगों को अपने परिवार बजट को संभालने में मदद मिलेगी।

मनरेगा के संबंध में धनराशियों का दुरूपयोग हो रहा है। सरकार का निर्णय उन लोगों को, जो काम की तलाश में अपने गृह नगर से बाहर जा रहे है, काम देने का है। इसके अलावा धनराशि का गांवों

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

को समुचित सड़कों से जोड़ने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिससे और अधिक लाभकारी संपत्ति का निर्माण होगा और जिसे कृषि से भी जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री ने एकल-खिड़की-सीमा शुल्क की मंजूरी का भी वायदा किया है जिससे आयातकों को विनियामक कठिनाई नहीं होगी। मैं निपटान हेतु अग्रिम नियमावली और परिभाषित समितियों सहित बेहतर कर मूल्यांकन के लिए वित्त मंत्री की पहल का भी स्वागत करता हूं।

मैं प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की वित्त मंत्री की पहल का स्वागत करता हूं। पांच आईआईटी और पांच आईआईएम की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन है। मेरे राज्य के लिए आईआईवाई और एम्स जैसे संस्थान को मंजूरी देने के लिए मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए गए वायदे के अनुसरण में एक आईआईएम की स्थापना पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं।

मैं कर विधान प्रक्रिया को आसान बनाने का स्वागत करता हूं। यह अच्छा है और एकल खिड़की मंजूरी का निर्माण भी अच्छा है। 31 दिसंबर तक एकल सरकारी पोर्टल की भी योजना है जिसमें आपको कारोबार करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी मिल सकेगी।

वित्त मंत्री वर्ष में 43,000 करोड़ का विनिवेश करना चाहते हैं और तत्पश्चात् अन्य 15000 करोड़ का विनिवेश भी जिससे राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। विभाजन के कारण, राज्य को प्रमुख वित्तीय परिसपंत्तियों की हानि हुई है, अत्यधिक दायित्व बढ़ गए हैं तथा यहां तक कि ऋण चुकाने के लिए राज्य के पास अब संसाधन नहीं है। अतः, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश को एक विशेष श्रेणी राज्य घोषित करें ताकि 15 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था को अत्यंत आवश्यक राहत मिल सके।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्य में औद्योगीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहनों की पेशकश सहित उपयुक्त राजकोषीय उपाय करेगी। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 15 वर्षों की अवधि के लिए औद्योगिक निवेशों हेतु कर प्रोत्साहन और रियायत प्रदान करने के लिए आदेश जारी करे ताकि राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके।

मैं, वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह विशेष विकास पैकेज के अंतर्गत वर्तमान वर्ष के बजट के दौरान 5000 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी की घोषणा करें।

मैं वित्त मंत्री से 10,090 करोड़ रुपए की ऋण धनराशि को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने का भी अनुरोध करता हूं।

इन मामलों पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखे है। मेरे प्रस्तावों को स्वीकार करके मैं आंध्र राज्य के साथ न्याय करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने किसानों के ऋण समाप्त करने का वायदा किया है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मामले में हस्तक्षेप करें और आंध्र प्रदेश के किसानों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे राज्य को उदार धनराशि प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आम बजट 2014 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुंबई) : माननीय सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के समर्थन में खड़ी हुई हूं, सुझाव देने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं शुरूआत इस रूप में करना चाहती हूं कि यह मेरी पहली बारी है जब मैं सुझाव दे रही हूं। आपने मुझे सुझाव देने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि इस बजट को देखते हुए हम एक ही सीख ले रहे हैं, जिस मूल मंत्र को लेकर हम अभ्यास करते हैं, वह मूल मंत्र है - लैस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। हम ज्यादा लोगों तक काम करके पहुंचाना चाहते हैं। जब हम लैस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो मुझे व्यंग याद आता है। विपक्षी दल की तरफ से पहला भाषण किया गया और कहा कि यूपीए सरकार के समय जीडीपी इस रुपए से उस रुपए तक बढ़ गई। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि जब एनडीए सरकार 2003-04 में थी तब जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4 प्रतिशत था और जब यूपीए सरकार 2013 तक पहुंची तो ग्रोथ रेट 4.8 प्रतिशत था। आज हम शुरूआत उलटे से कर रहे हैं। यह परंपरा लेकर एनडीए आपके सामने आ रही है ओर इसी हिसाब से वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। हम पिछले कई सालों से लोकसभा का बजट देखते आ रहे हैं और चर्चाओं में फिसकल डेफिसिट सुनते आ रहे हैं। हर वक्त इसी शब्द का प्रयोग लोग बात में करते आ रहे हैं। जब बजट पेश किया गया तो फिसकल डेफिसिट की जगह फिसकल डिसिपलिन एक नया शब्दकोश दिखाई दिया। मैं इतना कहूंगी कि जब तक हमारे बजट में राजकोषीय अनुशासन नहीं होगा, तब तक एक्सपेंडिचर बढ़ता जायेगा, इन्कम कम होती जायेगी और जिस प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों तक हमारा काम पहुंचे, हमारी मोर गवर्नेनस हो, वह वहां से दिखाई नहीं देती। हम देख रहे हैं कि पिछले दस सालों से यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने कहा था कि हमारे

पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं किसी और के पास जादू की छड़ी नहीं है और न हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी है। लेकिन हम यह कहते हैं कि वित्त मंत्री जी एक चाबुक आपके सामने लाये हैं। जिस प्रकार से पिछले दस सालों की यूपीए सरकार की पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था है, उसे चाबुक से सीधा करके एक फिस्कल डिसप्लिन, राजकोषीय अनुशासन लाकर आज वित्त मंत्री ने अपने बजट में दिखाया कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रेल आगे जाकर पटरी पर आये। मैं इतना ही कहूंगी कि गत सालों से जिस प्रकार से हम परंपरा लेकर चल रहे हैं और इन चालीस दिनों में हमने जिस प्रकार से बजट पेश किया, इस बजट का मैं समर्थन करती हूं। इसके कई क्षणिक पाइंट्स हैं, कई मुद्दे हैं, मैं एक युवा सांसद इनका समर्थन करना चाहती हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं। सबसे पहले बहुत अच्छा मुद्दा मैन्युफैक्चिरिंग का उठाया गया है और उन्होंने उनकी बहुत मदद की है। मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादकता। जब हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी ने कहा कि समुद्र है, किसी ने कहा कि टापू है, टापू या समुद्र जिस प्रकार से इसे आगे बढ़ाना है। यह भी कहा गया कि यूपीए की सरकार के प्रयत्न से हमने देश को एक तीसरी ताकत बनाया, जबकि आप यदि इसे आर्थिक रूप से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम देश को सच में तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में देखना चाहते हैं तो जब तक हमारे देश में उत्पादकता निर्माण नहीं होगी, जब तक निर्माण इस देश में नहीं होगा, तब तक छोटे और मध्यम आकार के व्यापारों को हम ज्यादा चालना नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि 11 करोड़ का कैप्स लेकर 25 करोड़ का कैप से उन्होंने मध्यम और छोटे व्यापारियों को मदद की। उससे 15 प्रतिशत अवमूल्यन मिलता है, जिससे हमारे जैसे बहुत से अच्छे विचारों के ऐसे युवा है, जो इस देश में छोटे-बड़े व्यापार करना चाहते हैं, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं कहती हूं कि छोटे-बड़े व्यापार, रिटेल इंडस्ट्रीज वाले लोगों को एक प्रकार का समर्थन वित्त मंत्री ने 25 करोड़ के आगे 15 प्रतिशत के अवमूल्यन पर दिया। क्योंकि जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हमारी उत्पादकता, हमारा निर्माण नहीं होगा तो हमें नौकरी के अवसर नहीं मिलेंगे, हमारी इकोनोमी को ताकत नहीं मिलेगी। जब हम नये एशियाई और अफ्रीकी देशों को देखते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं तो पाते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा ताकत देने में और सशक्त करने में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का हाथ रहा है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ताकत दी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब मध्यमवर्गीय लोग समाज में रहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज से हर वक्त हम कहीं न कहीं पीछा छुड़ाना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हम परंपरा लेकर आ रहे हैं और अर्थ मंत्री जी ने विचार करके आगे आकर यह विचार दिया कि यह अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी से बाहर है, लेकिन हमारे लोग जो नियमित रूप से टैक्स दते हैं, उन्हें कहीं न कहीं हम पहले चालीस दिनों में कुछ राहत दें, तो यह एक बहुत अच्छा नियम, बहुत अच्छा निर्माण है। सिर्फ चालीस दिनों में वित्त मंत्रालय ने एक बहुत अच्छा बजट बनाकर पेश किया। ऐसा कहा जाता है कि where the home is the heart is. जब तक आपका दिल खुश नहीं होगा, दिल अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके घर में खुशहाली नहीं होगी, देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने टैक्सेशन में पचास हजार की वृद्धि करके हरेक मध्यमवर्गीय आदमी को ताकत दी।...*(व्यवधान)* हर जगह पचास-पचास हजार की वृद्धि की और उस हिसाब से ताकत दी, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा विगत कई सालों से चल रहा है और एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों का था, उनके सपनों का था - जीएसटी। आज वित्त मंत्री जी ने हमें सिर्फ कथनी और करनी में जो फर्क हम गत दस सालों से यूपीए में देख रहे थे, उस कथनी और करनी में आज फर्क कम दीख रहा है। जो कथनी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि एक नियमबद्ध, समयबद्ध जीएसटी एक साल के अंत में मैं लाऊंगा। उन्होंने हर राज्य से बात की। वित्त मंत्रालय से बात की, राज्यों के लोगों से बात की और उन्होंने नियमबद्ध रूप से कहा कि गत चार सालों से जिस प्रकार का 32 हजार करोड़ के टैक्स हमें जीएसटी के रूप में चाहिए, वह खुद लाना चाहते हैं और उस नियमबद्ध रूप से, टाइमबाउंड रूप से जीएसटी के रूप में एक छत्र में टैक्सेशन लाने की वह कोशिश भी कर रहे हैं और वह समय की परिसीमा दे भी चुके हैं।

इससे एक और महत्वपूर्ण बात बैंकिंग सेक्टर में आती है। वित्त मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि बैंकिंग अब तक पूरे देश में 58 प्रतिशत लोगों तक पहुंची है। आज हम चाहते हैं कि जिनकी पूंजी और निवेश है, उनका सम्मान हो। लोगों की पूंजी और निवेश का सम्मान करने के लिए वित्त मंत्री जी ने यह कोशिश की है कि बैंक के रूप से हम 90 प्रतिशत लोगों तक पहुंचे। हमने 58 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत लोगों तक पहुंचने की ताकत इस बजट के रूप से दिखाई है। हम आगे इसलिए बढ़ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात थी, सब चीजों की बात थी। लेकिन जब तक आपका बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी इमारत अच्श्रछी नहीं बन पाती है। आज वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर हमारे बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है। मुझे याद है कि जब हम अफ्रीकाई और एशियाई देशों

में जाते हैं, जिनके साथ हमारी कंपीटीशन होने वाली है, उन देशों में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए फैड्रल गवर्मेंट की इन्वेस्टमेंट होती है। एक पुरानी कहावत थी और हर वक्त मेरे पिता जी भी मुझे पढ़ाते-सिखाते थे कि जब अमरीका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने तीन-चार ऐसे नियम बनाए थे, उनमें एक नियम ऐसा था कि ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, रास्तों में, रास्तों के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे, जिससे रास्ते निर्माण होंगे तो देश की मंजिल अपने आप आगे बढ़ने को मिलेगी। हमारी मंजिल तो तैयार है लेकिन रास्तों के निर्माण के लिए वित्त मंत्री जी ने 37 हजार करोड़ रुपए दिए, जिससे हम आगे मंजिल तक जल्दी पहुंच सकें। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि सन् 2022 तक हम सब भारतीयों के सिर पर छत हो। हमें पक्का घर मिले। रोटी, कपड़ा और मकान से गत 60 सालों से हम जूझते आ रहे हैं। लेकिन आज हमें घर मिले इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे रूप से अपना सपना प्रस्तुत किया है। उस सपने के रूप में जब वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया तो उन्होंने हाउसिंग लोन पर हम लोगों के लिए मदद की। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से हमें घर मिले, वह पीपीपी मॉडल से हो, एफडीआई से हो, लेकिन हर एक भारतीय के सर पर एक घर हो। इसलिए बहुत अच्छे रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सपना, जो हर किसी के मन में होता है, उसका समर्थन वित्त मंत्री जी ने दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विपक्षी और हम सब साथ काम करें, स्टेट और लोकल बॉडी लेकर प्रधानमंत्री जी काम करना चाहते हैं। इसके साथ जब हम विचार करते हैं तो उत्तरी-पूर्वी राज्यों को गत 10 सालों से जो ताकत मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए उन्होंने एक मिनिस्ट्री भी बनाई थी कि उत्तर-पूर्वी राज्यों का कल्याण हो और वे हमारे साथ आगे बढ़ें। इसी बजट में नॉर्थ-ईस्टर्न राज्यों के लिए, उनके हक के लिए, उनके सम्मान के लिए काफी कुछ किया गया है। चाहे वह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर हो, वहां के बच्चों के लिए शिक्षा हो, हर किसी के लिए वित्त मंत्री जी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों को उनका हक और उनका सम्मान दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

जब सन् 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और मुंबई में उसका सबसे बड़ा अधिवेशन हुआ था, तब के अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि - अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। कमल तो खिल गया है, लेकिन अंधेरा छंटने के लिए भी कमल को ही मदद करनी पड़ेगी। पूरे देशभर में बिजली की समस्या है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि किसी ने एक बार मुझसे प्रश्न पूछा था कि तुम जिंदगी में क्या चाहेगी? क्योंकि तुम सांसद हो, तुम्हारा सबसे पहला सपना क्या होगा? मैंने इतना ही कहा कि जब तक 24 घंटे बिजली पूरे देशभर में उपलब्ध नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम अंधेरे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से आगे देख नहीं पाएंगे। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस प्रकार से पावर सेक्टर में, जहां पर अंधेरा छंटने की बात है, और उसके लिए काम करने की कोशिश की है, उन सब पॉवर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को दस साल के लिए टैक्स होलिडे दिया है, वह भी अच्छी बात है। जब पॉवर जनरेशन होगा, तब ही उजियारा होगा और गांव-गांव, गली-गली अंधेरा छंटेगा और जैसा अटल जी ने कहा सूरज खिलेगा।

मैं खुद महिला हूं और युवा भी हूं। युवा महिला कांबिनेशन मेरे लिए ज्यादा फलदायी होता है। जब मैं लोगों तक जाती हूं तो लोग मुझसे महिलाओं के विषयों पर भी मुझे पूछते हैं और युवाओं के विषयों पर भी पूछते हैं। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए अच्छा कदम उठाया है। आज आप 21वीं सदी देख रहे हैं। अभी-भी भ्रूण हत्या हमारे आस-पास के इलाके में हो रही है। चाहे वह गरीब तबके के घर में हो या अमीर के घर में हो, लेकिन भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है। महिलाओं के सम्मान के रूप से कहीं न कहीं हम विचार नहीं कर रहे हैं या देश की संस्कृति में कहीं न कहीं छेद हो गया है। लेकिन जब तक मेरी बेटी मेरी कोख से पलकर पढ़ेगी और बढ़ेगी नहीं, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम देश की जनता की 50 प्रतिशत पॉपुलेशन में बराबर के भागीदार हैं।...*(व्यवधान)* ऐसा करके आप मुझे बोलने का और समय दे रहे हैं, यह अच्छी बात है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, इस बजट में महिलाओं के लिए शुरूआत है। जब महिलाओं की सुरक्षा का विषय आता है, चाहे हाइवे पर हो या कहीं और हो तो वित्त मंत्री जी ने अपने रूप से उनको बहुत ताकत दी है। महिलाओं की भ्रूण हत्या से लेकर, जैसा मैंने कहा कि 21वीं सदी में कोख से बेटी हमारी जब तक आगे पलेगी, बढ़ेगी नहीं, हमारे यहां यही संस्कार सिखाये जाते हैं कि जब एक महिला पढ़ती है, तो उसका घर पढ़ता है, जब उसका घर पढ़ा लिखा होता है, तो उसका समाज पढ़ा लिखा होता है और आगे बढ़ता है और जब समाज पढ़ा लिखा होता है तो देश आगे बढ़ता है। उस महिला को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे, उसे शिक्षा और सुरक्षा नहीं देंगे तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ पायेगा।

मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कोख से लेकर बेटी आगे बढ़े, इसके लिए वित्त मंत्री जी

ने बहुत अच्छा निर्णय किया है और उसके लिए अच्छे रूप से 100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है।

एक नयी बात है कि जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात होती है, बाद में जब बेटी पढ़कर आगे जाती है, तो वह गृहणी होती है, वह छोटे-छोटे उद्योगों में मदद करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, 11 की हो या 21 की हो, हम सब साथ आते है तो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, महिलाओं के लिए नए रूप से चार प्रतिशत ब्याज की दर से, हमारे यहां पर गांव में भी होता है, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सात प्रतिशत ब्याज दर से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद की है। वहीं 150 जिले इन्होंने फिर से इसमें ऐड किए हैं और इन 150 जिलों में से चार प्रतिशत ब्याज दर से उन्होंने एसएचजी को मदद दी है।... *(व्यवधान)*

सुदीप बंदोपाध्याय जी बहुत सीनियर हैं, वे अभी यहां उपस्थित नहीं है, वे यहां बैठे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जिस प्रकार से मदद की, ऐसी ही स्वामी विवेकानंद जी को मदद करनी चाहिए, उनके वास्तु के लिए मदद करनी चाहिए। मैं उनको कहना चाहती हूं और सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि जिसने अनेकता में एकता, देश को जोड़ने का काम किया, देश को एक साथ लाए, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने मदद दी और उनके निर्माण के लिए, उनके विचारों के लिए और आने वाली पीढ़ी की ताकत के लिए उन्होंने मदद की तो मैं उनका यह सुझाव भी लेना चाहती हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जिस प्रकार से हमने सशक्त रूप से ताकत दी है वैसी ही स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति निर्माण के लिए हम ताकत दें।

महोदय, बस मैं इतना ही कहूंगी कि यह बजट दो मुद्दों पर है। गरीब, पिछड़ा, माइनोरिटी, मेजोरिटी, हमारी रीढ़ की हड्डी किसान, इस देश की शक्ति महिलाएं, हमारे देश का भविष्य युवा, सबका समावेश लेकर यह बजट बनाया गया है और यही मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास लेकर इस बजट को आगे बढ़ाया गया है।

महोदय, मैं बस एक ही बात कहूंगी कि जिस चुनाव क्षेत्र से मैं चुनकर आयी हूं, आप मुझे सिर्फ 30 सेकेंड का समय दीजिए, जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आयी हूं, वह मुंबई शहर है। वह इस देश की आर्थिक राजधानी है और एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है। 500 करोड़ रुपए एनसीआर दिल्ली को दिये गये हैं, नयी 100 स्मार्ट सिटीज के लिए सात हजार करोड़ रुपए के आबंटन का प्रावधान दिया है। मैं वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि जिस शहर ने इस देश के साढ़े आठ लाख करोड़ के टैक्स में से, जब आपके यहां टैक्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, उसमें से ढाई लाख करोड़ टैक्स मुंबई शहर से यानी 25 प्रतिशत मुंबई शहर ताकत देता है। इससे भी ज्यादा मुंबई शहर ताकत दे क्योंकि नैवर से डाई ऐटिटयूड, जिस शहर से मैं आयी हूं, वहां बम विस्फोट हो, मानसून की बरसात हो, डूब जाये मुंबई, लेकिन मुंबई का आदमी आगे आकर हर वक्त मुंबई के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए मदद करता है। उस मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस मुंबई की मीठी नदी के लिए, उस मुंबई के हाउसिंग विषय के लिए, वह सीआरजेड से जुड़ा हुआ हो। आप हांगकांग देखते हैं, सिंगापुर देखते हैं, आप न्यूयार्क देखते हैं, ऐसी आर्थिक राजधानी को ताकत देने के लिए आप मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग को प्रावधान दें। मैं आपसे इतनी अपेक्षा करती हूं।

अंत में मैं इतना ही कहूंगी, यहां पर मेरे बहुत मित्र बैठे हुए हैं, परसों लोक सभा की डिबेट में कहा गया था कि यह बहुत हॉफ हार्टिड बजट है, आधे स्टेप आगे हम आये हुए हैं, उनको मैं इतना ही कहूंगी कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन हम बढ़ते गये रास्ता देखकर, लेकिन खुद-ब-खुद मंजिल भी आ गयी मेरा हौंसला देखकर। ये हौंसला देश की जनता ने हमको दिया है और इन हौंसलों के साथ मैं हमारे वित्त मंत्री जी के इतने सुन्दर बजट को अनुमोदन और समर्थन देती हूं और मेरा सुझाव लें, इसकी बहुत-बहुत अपेक्षा करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री जी. हरि** (अराकोनम) : मैं, माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलावी अम्मा का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे निर्वाचन क्षेत्र अराकोनम का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद सदस्य बनाया। माननीय पुराची थलावी अम्मा ने आम बजट का स्वागत किया है। आर्थिक स्थिति और महंगाई को नियंत्रित करने को ध्यान में रखते हुए यह एक विवेकपूर्ण बजट है। पूर्व यूपीए सरकार के स्वार्थी और दिशाहीन शासन के साथ बुरी तरह असफल होने वे बाद हमें वर्तमान एनडीए सरकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में राष्ट्र की अधिक वृद्धि और सतत प्रगति की आशा है।

मेरी आपके विचारार्थ और उपयुक्त कार्यवाही के लिए कुछ मांगे रखता हूं।

पुराची थलावी अम्मा के समर्थ निदेशन में आज तमिलनाडु प्रगति के पथकर अग्रसर है। हमें आगे प्रगति के लिए केन्द्र सरकार की नैतिक और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

जब सुनामी और थाणे चक्रवात ने तमिलनाडु को नष्ट किया था, तो लोग प्रभावित हुए थे। जानमाल और संपत्ति की हानि के बाद पूरा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राज्य सदमे में था। पुराची थलावी अम्मा ने राहत और पुनर्वास कार्यों हेतु 5000 करोड़ रुपए की मांग की थी। पूर्व यूपीए सरकार इस संबंध में चिन्तित नहीं थी और तमिलनाडु राज्य को आवश्यक सहायता प्रदान करने में भेदभाव दर्शाया गया था। पुराची थलावी अम्मा ने प्रभावित लोगों के दुखों को कम करने के लिए पूरे तमिलनाडु का दौरा किया। यह केवल अम्मा के प्रयासों के कारण है, कि तमिलनाडु के लोग सुनामी और थाणे चक्रवात के कारण हुई अपार हानियोंउ से उबर सके।

सीमित संसाधनों की उपलब्धता के साथ पुराची थलावी अम्मा ने गरीबों और असहायों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं लागू करने में काफी सहृदयता दर्शाई है। तमिलनाडु सरकार को 4490 करोड़ रुपए की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध केवल 600 करोड़ रुपए मिले। पुराची थलावी अम्मा वृद्धावस्था पेंशन योजना, विवाह प्रयोजन के लिए गरीब लड़कियों को 4 ग्राम सोना, बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, साइकिल, लैपटॉप और यूनिफॉर्म इत्यादि प्रदान करने सहित अनेक योजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैं केन्द्र से आग्रह करता हूं कि ऐसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के अबाधित कार्यान्वयन हेतु तमिलनाडु के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की जाएं।

गरीब लोगों द्वारा खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी तेल का उपयोग किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु पुराची थलावी अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री को 3 जून, 2014 को प्रस्तुत एक ज्ञापन में कहा था कि तमिलनाडु को प्रतिमाह 29,060 किलोलीटर प्रति माह के वर्तमान घटे हुए आवंटन की तुलना में 65,140 किलोलीटर का पूर्व कोटा ही बहाल किया जाए। जैसी कि अम्मा द्वारा मांग की गई है, मैं ईमानदारी से एनडीए सरकार से मांग करता हूं कि तमिलनाडु को 65,140 किलो लीटर प्रतिमाह की अपेक्षित मिट्टी तेल का आवंटन करें।

तमिलनाडु औद्योगिक विकास सहित सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति कर रहा है। वर्तमान बजट में पोन्नेरी की घोषणा स्मार्ट शहर के रूप में की गई है। इसके अवसंरचना विकास हेतु आवश्यक निधियां आवंटित की जाएं। मैं आग्रह करता हूं कि अराकोनम - लोगों की अखंडता के लिए प्रसिद्ध शहर- और कटपाड़ी को स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया जाए और आवश्यक निधियां जारी की जाएं।

मैं अनुरोध करता हूं कि तिरुतानी को भारत के पर्यटन स्थल के मानचित्र में धार्मिक केन्द्र के रूप में सम्मिलित किया जाए क्योंकि यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। मैं तिरुवानी के अवसंरचना विकास हेतु आवश्यक निधियां जारी करने का आग्रह करता हूं।

रानीपेट, अम्बूर और वनियमबाड़ी में चर्मशोधन उद्योग बड़ी संध्या में हैं और ये चर्मशोधनशालाएं अपने बहिस्रावों सहित भूजल प्रदूषण के अतिरिक्त समीपीय क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय खतरा हैं। इन चर्मशोधनशालाओं को नियंत्रित करने के अतिरिक्त इस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक निधियां आवंटित की जानी चाहिए।

मैं अराकोनम-तिरुवानी-तिरुपति मार्ग पर चार मार्गी रेल लाइन की स्थापना हेतु आवश्यकता पर भी बल देना चाहता हूं जो पर्यटकों और नियमित यात्रिकों के भारी यातायात के साथ भरा रहता है।

मैं आपसे अनुरोध करता दूं अराकोनम और रानीपेट जैसे पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जाए ताकि इन क्षेत्रों को विकसित किया जा सके और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सके।

मैं एआईएडीएम के पार्टी की ओर से वर्तमान बजट का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह हमारे राष्ट्र का आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा।

मैं एक बार फिर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पुरातचितालैवी अम्मा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम बजट पर हो रही चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

***श्री राकेश सिंह** (जबलपुर) : मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व वित्त मंत्री माननीय जेटली जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार ने लोक सभा में आम बजट प्रस्तुत किया है।

सरकार को बने हुए कुल 6 सप्ताह ही हुए हैं और जिस तरह की परिस्थितियां देश के सामने हैं, एक और, जहां यूपीए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर छोड़ा है, वहीं दूसरी ओर, हमारे कृषि प्रधान देश के सामने कमजोर मानसून संकट बढ़ रहा है तो तीसरी ओर, इराक के आंतरिक संकट ने देश की परेशानी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां देश के सामने हैं। इन सबके बावजूद भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में श्री अरुण जेटली जी ने इस देश के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति और इक्कीसवीं सदी के भारत के निर्माण के संकल्प के साथ अत्यंत राहत भरा और विकासशील बजट प्रस्तुत किया है।

लोगों के मन में एक डर था कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई भी सरकार जनभावनाओं के अनुकूल बजट प्रस्तुत नहीं कर सकती लेकिन आज हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने के साथ-साथ सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश की जनता की आसमान छूती उम्मीदों के बीच आर्थिक सुधारों व सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन साधना एक कठिन चुनौती थी लेकिन एनडीए सरकार ने न केवल इस चुनौती का सामना किया है बल्कि महंगाई से त्रस्त देश की जनता को राहत भी प्रदान की है। करों की दर में बदलाव किए बिना आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि महंगाई से परेशान जनता को राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यह देश कृषि प्रधान देश है फिर भी आजादी के बाद से किसान अपेक्षित ही रहा है। आज भी 70 प्रतिशत से अधिक किसान सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने की घोषणा की है, निश्चित ही यह योजना देश के किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी।

इतना ही नहीं देश का किसान कृषि की आधुनिक तकनीकों को समझे, अत्याधुनिक व परंपरागत सभी तरह की जानकारियां समय-समय पर उसे मिलें, इसके लिए किसान टीवी की घोषणा भी इस बजट में की गई है। घाटे की खेती से त्रस्त किसान को उबारने के लिए कृषि क्षेत्र हेतु 8 लाख करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था सरकार ने की है।

इस देश में जब-जब भाजपा या एनडीए की सरकारें बनी हैं, देश के किसानों व ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास का ढांचा तभी तैयार हुआ है। देश कैसे भूल सकता है कि ग्रामीण विकास में रीढ़ का काम करने वाली "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" श्रदेय अटल जी की सरकार की देन है और अब माननीय मोदी जी की सरकार ने इस योजना के लिए 14369 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नीरांचल योजना, ग्रामीण उद्यमिता योजना, ये सभी माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रारंभ हो रही वे योजनाएं हैं जो भविष्य के ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

इस सरकार का लक्ष्य है विकसित और समृद्ध भारत। इसलिए सरकार ने देश में 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण का संकल्प लेकर इसके लिए 7060 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। यही नहीं, आगामी 10 वर्षों में सरकार पीपीपी के जरिए 500 शहरी बसावटों में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु भी संकल्पित है।

शहरी बसावटों के विकास में संसाधन जुटाना भी एक बड़ी समस्या है, इसके लिए सरकार ने नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का प्रावधान किया है।

इस बजट में सरकार ने वृहत और व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए सभी क्षेत्रों की चिन्ता की है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। देश के प्रतिभाशाली युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए 5 नए आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को खोलने की घोषणा की है।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश में आंतरिक व बाल सुधार पर ध्यान देने की है। देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक रक्षा उपकरणों का बड़ा हिस्सा हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। संकल्प व तकनीक के अभाव में हमारे रक्षा संस्थानों का समुचित उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों, विदेशों से आयात करने के बदले देश में ही आधुनिकतम रक्षा उपकरणों का उत्पादन हम कर सकें, इसके लिए सरकार ने एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से हमारी सेना आत्मनिर्भर व सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी।

देश के सामने आज कड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर मजबूत होना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में यूपीए सरकार के नेतृत्व में लगातार कुल 4 से 5 प्रतिशत की विकास दर तथा लगातार बढ़ते वित्तीय घाटे ने देश के विकास को अवरुद्ध कर दिया था। ऐसे में यह बजट बदली हुई आर्थिक नीति का एक ऐसा दस्तावेज है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

जो देश अपनी संस्कृति व परंपराओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं, वहां देश एकता के सूत्र में अपनी जनता को बांध पाते हैं। हमारी एक विशिष्ट संस्कृति व गौरवशाली परंपरा हैं। मां गंगा जिनकी प्रमुख सूत्रधार हैं किन्तु संकल्प के अभाव में हमारी मां गंगा की धारा प्रदूषित हो गई। आजादी के बाद के 67 सालों में यह चिन्ता नहीं की गई कि मां गंगा की धारा के प्रदूषित होने का मतलब है हमारी संस्कृति प्रदूषित होना लेकिन हमारी सरकार ने अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि हम मां गंगा के प्रवाह को पुन: निर्मल करेंगे और इसके लिए एकमुश्त 2037 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया।

अंत में मैं पुन: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी व जेटली जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बजट के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि एनडीए सरकार का अपना कोई राजनैतिक एजेंडा इस बजट में नहीं है बल्कि देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों व देश की जनता के भविष्य के भारत का निर्माण ही सरकार की प्राथमिकता है और देश की जनता को विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विकास का एक नया अध्याय लिखेगा।

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू (अलथूर) : मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत 2014 के बजट पर अपने विचार और चिंताएं व्यक्त करता हूं।

नई सरकार का बहुचर्चित बजट 2014 निसंदेह कॉर्पोरेट के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आया है और इससे आम आदमी को घोर निराशा हुई है। यदि आप शिक्षा, स्वास्यि परिचर्या, ग्रामीण भारत, कृषि क्षेत्र या वंचित या व्यापक कर प्रस्ताव या अवसंरचना सृजन और पूंजी बाजार जैसे कई प्रस्तावों पर विचार करें तो गंतव्य बहुत स्पष्ट है। यह कॉर्पोरेट क्षेत्र जो नरेन्द्र मोदी सरकार को चुनाव के दौरान नि:संदेह मदद कर रहा था, का बहुत हितैषी है। यह निजी सार्वजनिक दृष्टिकोण का अनोखा मिश्रण है जोकि नया मंत्र है जिससे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को गति मिल रही है तथा यह केवल कॉर्पोरेट के प्रति प्रतिबद्ध है।

इस बजट में जिस क्षेत्र को अपना हिस्सा नही मिला है, वह कृषि क्षेत्र है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री ने बाहरी दिखावे से कुछ अधिक किया है। इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नही दिया गया कि आने वाले समय में बढ़ते मूल्यों से किस प्रकार निपटा जाएगा तथा भंडारण क्षमता एक खाद्य वस्तुओं की प्रभावी आपूर्ति के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मूल्य स्थिरीकरण के लिए सांकेतिक रूप में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है जोकि कृषि की विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत कम प्रतीत होता है। यद्यपि 100 करोड़ रुपए की लागत से कृषि अवसंरचना निधि एवं झारखंड और असम में दो और कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे कुछ दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं जिससे आगे चलकर इस क्षेत्र को फायदा मिलेगा एवं इससे किसानो और उपभोक्ताओं को हाल में कोई राहत नहीं मिलेगी।

वित्तीय समेकन सार्वजनिक व्यय को कम न करके बल्कि अमीरों पर कर लगाकर राजस्व में वृद्धि कर किया जाना चाहिए। बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सेवाओं तथा महिला और जल विकास के केन्द्रीय योजना परिव्यय में भारी कटौती का प्रस्ताव है। मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है बल्कि वस्तुत: इनमें कटौती की गई है। कुल योजना आवंटन में वास्तव में मोटे रूप में 4 प्रतिशत की गिरावट भी आई है। इसके अलावा, जनसंख्या के अनुपात योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.जा और अजजा के कुल योजना व्यय में क्रमश 47000 करोड़ रुपए और 14000 करोड़ रुपए की कमी आई हैं। साथ ही रिपल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (आईईआईटी) एवं अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (आईआईटी) जो कि नकदी जुटाने के स्रोत हैं, को अवसंरचना क्षेत्र में वित्तीय अक्षमता के समाधान के लिए सरकार द्वारा स्पष्ट स्थिति प्रदान कर बढ़ावा दिया गया है।

जेटली जी ने राजसहायता और अनावश्यक व्यय, जिस पर वे और उनका दल लगातार हमला कर रहा था, पर काफी चतुराई से सीधी चोट नहीं करते हुए, इन व्ययों के मामलों को देखने का कार्य व्यय प्रबंधन आयोग को सौंप दिया है। यह आयोग उन विचित्र समितियों में से एक ही जिनका बजट में व्यय संबंधी सुधारों के लिए प्रस्ताव किया गया है।

बजट में पेट्रोलियम पर 22054 करोड़ की सब्सिडी में कमी करने का प्रस्ताव है जिससे लोगों पर ज्यादा भार पड़ेगा और मुद्रास्फीति का और दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा बजट में दो अंकों वाली खाद्य मुद्रास्फीति विशेषकर तब जब खराब मानसून की आशंका कि खाद्य वस्तुओं के मूल्यों के बढ़ने का अनुमान है, को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

बजट में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को सुधार कर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। निवेश कम है और घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है बल्कि बजट निवेश आधारित कटौती के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन पर मुख्यत निर्भर है जो पूर्व के वर्षों में निवेश जुटाने में पूरी तरह असफल रहा है। इसके अलावा सरकार ने बीमा, रक्षा और रिपल इस्टेट में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की जिसे पिछली सरकार कड़े विरोध के कारण क्रियान्वित नहीं कर पाई। सरकार की प्राथमिकता 'यूनिटी स्टेटस' के लिए 200 करोड़ रुपए तथा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जिसकी घोषणा लड़कियों को बचाने और उनके कल्याण के लिए दी गई के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन तक सीमित है।

क्षेत्रीय भेदभाव एक अलग महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए केरल की कई जगहों पर अपेक्षा हुई। राज्य द्वारा एम्स, सिसिंजम पत्तन, अंतर्देशीय जल पर्यटन, खेल विकास इत्यादि को लेकर लंबे समय से की जा रही मांग को बजट में खारिज कर दिया गया है।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बजट में 'कार्यान्वयन के सिद्धांत' और भविष्य की रूपरेखा का अभाव है। इसमें 'क्या किया जाना है' की अधिकता है और 'कैसे किया जाना है' इस बात की कमी है।

***श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** (आनंदपुर साहिब) : माननीय सभापति महोदय, मुझे सामान्य बजट (2014-15) पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया, जिससे पटरी से उतरी भारत की अर्थव्यवस्था फिर

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

से पटरी पर लौट आएगी। पिछली यूपीए सरकार द्वारा पेश किए गए बजट कितने पगुं थे, यह इस बात से पता चलता है कि उनके बजट का 85 प्रतिशत गैर-योजनागत व्यय की मद में खर्च होता था। उत्पादन की उच्च लागत के कारण, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ही इसकी मार झेलनी पड़ती थी। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर थीं। कई बार, पैसे को खर्च नहीं किया गया और पैसा अप्रयुक्त ही पड़ा रहा। उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी होती रही।

महोदय, सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, गेस कंपनियां 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही थीं। कीमतों में निरंतर वृद्धि की मार से आम आदमी त्रस्त होता रहा। रॉयल्टी के नाम पर विदेशी पूंजीपति और अमीर होते गए। इससे गरीबी और ज्यादा बढ़ती गई। तथापि, इस बजट में गैर-योजनागत व्यय में कमी की गई है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। व्यय में कमी की गई है और आय बढ़ाने के लिए अन्य कदम उठाए गए हैं।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। मृतप्राय आर्थिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बजट में कई कदम उठाए गए हैं। स्वतंत्रता के वक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का 52 प्रतिशत योगदान था। अब यह घटकर जीडीपी का महज 12 प्रतिशत रह गया है। यह प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। कृषि को लाभकारी बनाना होगा।

महोदय, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। तथापि, यह बेहद तुच्छ राशि है और इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। महोदय, पंजाब सिंचाई के लिए अपने भू-जल का अति-दोहन कर चुका है और अब संकट से गुजर रहा है। इसलिए, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत पंजाब को निधि का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए।

महोदय, बाढ़ो ने भी पंजाब के लिए गंभीर समस्या खड़ी की है। पर्वतों और तराई पर भारी वर्षा के परिणामस्वरूप पंजाब में नदियों में बाढ़ आ रही है। 4000 मिलियन क्यूनिक मीटर वर्षा जल से पंजाब में बर्बादी हुई है। अत:, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पंजाब के लिए बहुत मददगार होगी। मैं इस योजना हेतु बजट में प्रावधान करने के लिए माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, बाढ़ इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित राज्यों को उबारने की आवश्यकता है। चेक-डैम्स इत्यादि के निर्माण हेतु ऐसे राज्यों को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने चाहिए। फसल बीमा योजना को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ सभी राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं वित्त मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने कृषि क्षेत्र में ब्याज दर को 7 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक घटाने का प्रयास किया है। तथापि, पंजाब में किसान ऋण से दबे हुए है। पंजाब के किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का बहुत भारी ऋण है। पूर्व सरकार ने किसानों की 70,000 करोड़ रुपए की ऋण धनराशि को समाप्त कर दिया था। तथापि, पंजाब को उस समय अपने कृषि क्षेत्र का पुनरुज्जीवित करने के लिए 35000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। लेकिन, केवल 150 करोड़ रुपए की नगण्य धनराशि पंजाब को दी गई थी। अत:, मैं माननीय वित्त मंत्री से इस विसंगति को दूर करने के लिए अनुरोध करता हूं। पंजाब के किसानों की संपूर्ण ऋण धनराशि को समाप्त किया जाना चाहिए। कृषि के पेशे को लाभदायक बनाने के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।

महोदय, प्राय: खड़ी फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। किसानों को इसके परिणाम भुगतने पड़ते है। ऐसे स्थानों पर बाढ़ लगाने का कार्य किए जाने की आवश्यकता हैं और केन्द्र सरकार को इसका खर्च उठाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में उदुहा-सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

महोदय, समय की मांग यह है कि सिंचाई को विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाओं में शामिल किया जाए। सिंचाई आधारभूत अवसंरचना का एक भाग होना चाहिए।

महोदय, खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग का उत्थान किए जाने की आवश्यकता है। खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग कृषि-उद्योग का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। 9 प्रतिशत से 7 प्रतिशक के इस 2 प्रतिशत के अंतर से इस क्षेत्र को मदद मिलेगी।

महोदय, भांडागारो के निर्माण हेतु 5000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए है। इससे कृषि के विविधिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र को 7 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलना चाहिए।

महोदय, पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया था। पंजाब के साथ अन्याय हुआ था। पंजाब सीमा पर स्थित एक राज्य है। तथापि, हिमाचल प्रदेश इत्यादि जैसे पड़ौसी राज्यों को उनके उद्योगों को उबारने के लिए प्रोत्साहन और पैकेज दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर, पंजाब के पहले से ही मृतप्राय उद्योगों को अधर में छोड़ दिया गया था। पंजाब में उद्योग पहले से ही बिखरे पड़े हैं। जिसके परिणामस्वरूप, पंजाब से पड़ौसी देशों में उद्योगों का पलायन होता था। अत:, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पंजाब में उद्योगों को विशेष 'सीमा क्षेत्र' पैकेज और प्रोतसाहन प्रदान करें।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री हमारे इस्पात उद्योग की मदद करना चाहते है। उन्होंने इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की है। मैं उनके इस कृत्य के लिए धन्यवाद करता हूं। तथापि, हमारे कबाड़ उद्योग को 'मानित छूट' मिलनी चाहिए जो इसे पहले दी गई थी लेकिन बाद में बंद हो गई थी।

महोदय, मैं पुन: दोहराता हूं कि पंजाब के किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए के ऋण को समाप्त किया जाना चाहिए। पंजाब ने उग्रवाद समय के दौरान बहुत मुश्किल समय का सामना किया है। इस उथल पुथल के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। पंजाब के किसानों की ऋण धनराशि पर ब्याज प्रतिवर्ष से बढ़ रहा है। सबसे पहले, ऋण धनराशि पर इस ब्याज को समाप्त किया जाना चाहिए।

महोदय, पंजाब की अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जवित और उसका पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि माननीय वित्त मंत्री इस दिशा में कदम उठाएंगे। उनके द्वारा सीमा और उत्पाद शुल्क पर लगाई गई कटौती से हमारे उत्पादों को मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन होगा तथा हमारी अर्थव्यवस्था को अत्यावश्यक प्रोत्साहन मिलेगा। देश प्रगति और विकास के मार्ग पर चलेगा।

महोदय, भारत के लोगों ने राजग सरकार में अपना विश्वास जताया है। यह बजट निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हम सभी को साथ लेंगे और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे।

सभापति महोदय, अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री आनन्दपुर साहिब की ओर दिलाना चाहता हूं। बजट में 'तीर्थयात्री सर्किट' के बारे में उल्लेख है। श्री आनन्दपुर साहिब एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। गुरु तेगबहादुर साहिब देश के लिए शहीद हुए। नैना देवी और चिन्तपूर्णी के पवित्र स्थान भी यहां है। बाबा बालकनाथ और गुरु रविदास जी के मंदिर भी इस क्षेत्र में स्थित है। अत:, श्री आनन्दपुर साहिब को एक 'तीर्थयात्री सर्किट' के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। 22 किमी रेल लाईन खंड के लिए बजटीय सहायता दी जानी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को बढ़ाया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। श्री आनन्दपुर साहिब को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए।

***डॉ. रत्ना डे** (नाग) (हुगली) : श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी-एनडीए सरकार भारत के व्याकुल मध्यम वर्ग और युगमों को "अच्छे दिन" (अच्छा समय) के सपने दिखाते हुए सत्ता में आई। अत: सरकार के पहले बजट को उसी प्रकाश में देखा जाना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जैसा कि समस्याएं पहले से ही ज्ञात है, तो "अच्छे दिन" का अर्थ पूर्णतया कम मुद्रास्फीति, उच्च विकास ओर बेहतर राजकोषीय प्रबंधन है। इन तीनों मुद्दों पर, बजट 2014 बुरी तरह से विफल हो गया। सरकार का अपना ही आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि 9 जुलाई को जारी हुआ था, इस बात का साक्ष्य है। सर्वेक्षण खुलकर इस बात को स्वीकारता है कि वर्ष 2014-15 के लिए जीडीपी विकास 5.4 से 5.9 प्रतिशत आंका जाएगा। मार्च 2015 तक, मुद्रास्फीति 7.5 से 8 प्रतिशत तक हो सकती है, जो कि वर्तमान स्तर के 5 से 6 प्रतिशत से अधिक है। जीडीपी के 4.1% तक राजकोषीय घाटे को रखने का वित्त मंत्री जी का आश्वासन भी अविश्सनीय है क्योंकि यह कर एकश्रीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों के विनिवेश पर आधारित बहुत ज्यादा आशातीत है। स्वयं वित्त मंत्री, अरुण जेटली जी को यह पता है कि और उन्होंने यह अपने बजट भाषण में स्वीकारा है।

तो 2014 के इस मोदी-जेटली बजट से हमने क्या प्राप्त किया? हम जो प्राप्त नही कर सके वह स्पष्ट है- हम उच्च विकास नहीं प्राप्त कर सकते; हम महंगाई को कम नहीं कर सकते; हम बेहतर राजकोषीय प्रबंधन नहीं कर सकते। लेकिन हमने कुछ नई चीजें प्राप्त की। और वह राजनैतिक है। भारत की राजनैतिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र को प्रदान की गई अभूतपूर्व भूमिका में यह प्रतिबिंबित होता है। राजसहायता में कटौती और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारी विनिवेश के पर्याप्त संकेत हैं।

बीमा और रक्षा क्षेत्रों में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

विद्युत का उत्पादन करने वाले कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए 10 वर्ष के कर अवकाश की घोषणा की गई है।

यहां तक कि कृषि के लिए बजट प्रस्ताव का लक्ष्य भारतीय किसानों को मार्किट-लिंक्ड फार्मिंग की ओर भेजना था। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

इसके अलावा, पूर्ववर्ती 'केन्द्र से वामपंथी' केन्द्र सरकारों द्वारा बनाई गई 'पात्रता व्यवस्था में ढील के पर्याप्त सूचक हैं। इस बजट में मनरेगा का आवंटन में जो 34000 करोड़ रुपए है, में पिछले बजट की तुलना में मात्र 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष का 33,000 करोड़ रुपए का आवंटन आवश्यकता से बहुत कम था जिससे लाभार्थियों के मजदूरी के भुगतान में अत्यधिक विलंब हुआ। यदि गरीबों को रोजगार की वास्तविक गारंटी देनी है तो संशोधित मनरेगा में उच्चतर बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए था।

ज्यादा बाजारोन्मुखी वैचारिक परिवर्तन से रोजगार सृजन और मुद्रास्फीति कमी के लक्ष्य को प्रापत करने में असफल होगा जोकि भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों गरीबों के लिए आवश्यक है। यह बजट कॉर्पोरेट और उच्च मध्य वर्ग के लिए है न कि गरीब और निम्न तबको के लिए है। यह संभवत् नए दक्षिणपंथी भारत की शुरूआत है। निष्कर्ष रूप में मैं हमारी संघीय सरकार द्वारा निधि वितरण के प्रयास पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करता हूं।

मैं पश्चिम बंगाल में एक नए एम्स की स्थापना की घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह पश्चिम बंगाल में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा।

पश्चिम बंगाल ऋणग्रस्त राज्य है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों भारी ऋण भार के कष्ट को दूर करेंगे। हमारे पास भारत सरकार से लगातार तीन वर्षों से वार्षिक अनुदान के अनुरोध के रूप में ब्याज पुनर्भुगतान अधिस्थगन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री भी इस अनुरोध पर विधिवत विचार करेंगे।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के बुनकरों की रक्षा करें तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाए एवं पश्चिम बंगाल में बुनाई क्लस्टर बनाएं।

***श्री डी.के. सुरेश** (बंगलौर ग्रामीण) : एनडीए ने हाल में हुए लोक सभा चुनावों में जीत हासिल की है तथा सरकार बनाई है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोजी जी अभी एनडीए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

एनडीए बिलियन (दस खरब) लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के कारण सत्ता में आई है। आम आदमी की बहुत सी अपेक्षएं हैं।

माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने पिछले सप्ताह केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया है। बजट ने देश के लोगों को निराश किया है एक यह लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नही उतरा है। बजट आम आदमी विरोधी है एवं इसमें आम आदमी आकांक्षाओं, का प्रतिबिंब नहीं हैं यह बजट कॉर्पोरेट और एनडीए के मित्रो के लिए है ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के आवंटन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गई है जो यह दर्शाता है कि यह बजट एनडीए को सत्ता में आने में मदद करने वालों को धन्यवाद स्वरूप बनाया गया है।

यदि मोदी जी सत्ता में आए है तो यह भाजपा के बजटीय कौशल के कारण हुआ जिसने महंगाई और मुद्रास्फीति के संबंध में देश के लोगों को गुमराह किए। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के एक महीने के अंदर रेल किरायों और पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं हुआ। वही लोगों जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे अब निरुत्तर हो गए हैं और पिछली सरकार पर झूठा दोषारोपण कर बच रहे हैं।

जहां तक महंगाई की बात है, बजट मुद्रास्फीति से निपटने और ठोस कदम उठाने में असफल प्रतीत होता है। जब भाजपा विपक्ष में भी तब उसने यह कहते हुए शोर-शराबा किया कि यूपीए सरकार महंगाई के मुद्दे से निपटने में अच्छम है। सत्ता में आने के बाद वे मूल्यवृद्धि से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में संप्रग सरकार के राजस्व और घाटे के आंकलन पर प्रहार किया है। उन्होंने संप्रग सरकार द्वारा प्रस्तुत राजकोषीय घाटे के पूर्व में लक्ष्य को स्वीकार किया हैं इस बजट में कुछ भी असाधारण नहीं है ओर यह संप्रग के लक्ष्य को अपना रहा है।

बजट में आम लोगों के कल्याण के लिए कोई बड़ा उपाय नहीं किया गया है। इस बजट में किसी नजरिए का अभाव है और इसमें देश के विकास अथवा लोगों के कल्याण से संबंधित किसी रणनीति का अभाव है।

बजट के अधिकांश आंकड़ों और नीतियों में यूपीए सरकार के बजट के आंकड़ों और लक्ष्यों की मूल मान्यता को स्वीकार किया गया है। कुछ योजनाओं का नाम बदलने के अलावा इसमें कुछ भी नया या प्रेरणादायी नहीं है। फरवरी 2014 में जब यूपीए दो सरकार ने अपना अंतरित बजट पेश किया था, तो इसी बीजेपी ने यूपीए सरकार और तत्कालीन वित्त मंत्री पर यह कहते हुए हमला किया था कि ये आंकड़े मनगढ़ंत है ओर बड़ा-चढ़ा कर बताए गए हैं। आज उसी बीजेपी सरकार ने अपने पहले ही बजट में उन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। आखिर इस सरकार को पिछली सरकारों के आंकड़ों और लक्ष्यों को स्वीकार क्यों करना पड़ा? बीजेपी की नई सरकार के लिए ये आंकड़े मनगढ़ंत से अचानक हकीकत में कैसे बदल गए? माननीय वित्त मंत्री को देश और इस सभा को इन आंकड़ों और लक्ष्यों के पीछे छिपे तथ्यों को समझाना चाहिए। उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि यूपीए के शासन में आर्थिक विकास क्यों कम हुआ और इस विकास को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या सख्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होगी।

हमारे देश के लोगों ने पांच वर्षों के लिए एक दूरदृष्टि, प्रमुख सुधारों और कुछ राहत की उम्मीद की थी। यह बजट लोगों को महंगाई और मुद्रास्फीति से राहत देने में विफल रहा है। बजट भाषण की अवधि लंबी थी, करीब ढाई घंटे का, लेकिन अर्थ में छोटा था।

वहीं दूसरी तरफ, यूपीए-। और यूपीए-॥ की उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ एक ही विफलता, यदि कोई है तो, वह अपनी उपलब्धियों को आम आदमी की भाषा में उन्हें समझाने की असमर्थता रही।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री मनमोहन सिंह जी, मैडम सोनिया गांधी जी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए-। और यूपीए-।। शासन ने कई सुधार किए।

शासन और पारदर्शिता हेतु यूपीए सरकार ने इन्हें अधिनियमित किया:

- **सूचना का अधिकार अधिनियम**
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और**
- **ई-गवर्नेंस**

भ्रष्टाचार-निरोधी उपायों में सरकार इन्हें लाने में सफल रही:

- **लोकपाल विधेयक**
- **विस्हिल ब्लॉअर्स संरक्षण बिल**
- **शिकायत निवारण विधेयक, और**
- **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम**

केन्द्रीय बजट 2014-15 और कुछ नहीं, बल्कि "निजी क्षेत्र" की सेवा है। यूपीए सरकार के शासनकाल में सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जिसके उदाहरण हैं मनरेगा और भारत निर्माण।

इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस हमेशा सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के पक्ष में रही है। यूपीए की योजनाएं ग्रामीण भारत में गहराई तक फैली हुई हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है, जो 2006 में शुरू हुई थी।

12 अक्तूबर, 2012 को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए हमारे देश के एक बड़े नेता श्री आडवाणी जी ने मनरेगा की तारीफ की थी और कहा था कि इस योजना से ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को पुनजीर्वित करने में मदद मिली है।

इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन ही जाने वाली मजदूरी में इस योजना की शुरूआत से लेकर अब तक लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। यह 65 रुपए से लेकर 128 रुपए हो गई है। 2012-13 में इस योजना से 4.98 कराड़ के ज्यादा परिवारों को रोजगार मिला, जिससे 213 करोड़ श्रम दिवस रोजगार का सृजन हुआ। ऐसी अफवाहें हैं कि भविष्य में मनरेगा में संशोधन किया जाएगा। इस योजना के साथ छेड़खानी करने से किसान क्रोधित हो जाएंगे।

वर्ष 2004-14 तक यूपीए शासन के दौरान अल्पसंख्यकों पर व्यय में दस गुना बढ़ोत्तरी हुई थी। एनडीए द्वारा पेश किए गए केन्द्रीय बजट में अल्पसंख्यकों के लिए बमुश्किल ही कुछ उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए यह बजट अत्यंत निराशाजनक है।

यूपीए शासन के दौरान खाद्य-राजसहायता में तीन गुणा वृद्धि हुई है मैडम गांधी द्वारा संचालित प्रख्यात खाद्य सुरक्षा अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। मेरे राज्य कर्नाटक में, बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक महीना के लिए 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। यह अधिनियम क्रांतिकारी था।

यूपीए के अंतर्गत किसान कल्याण हेतु - 2004 से गेहूं और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दुगना कर दिया गया है, जबकि अन्य अनाजों के लिए एमएसपी तीन गुना हो गया है।

2012-13 के दौरान बैंकिंग प्रणाली द्वारा 650 लाख से अधिक किसानों का वित्तपोषित किया गया है।

यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अतिरिक्त, यह भूमि तीनों को आजीविका, पुर्नावास और वित्तीय लाभ प्रदान करेगा। किसान भू माफियों से सुरक्षित है और उन्हें उचित मुआवजा मिलता है। ऐसी सूचना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को निकट भविष्य में संशोधित किया जाएगा। आप निजी क्षेत्र की सहायता के लिए ही अधिनियम को संशोधित कर रहे है। अधिनियम की प्रभावकारित को कम करना आपके लिए जोखिम भरा होगा और किसान विरोधी होगा।

यूपीए शासन के दौरान गरीबी में दो प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष कमी हुई थी। आगे गरीबी को कम करने के लिए एनडीए की क्या योजना है? बजट में शायद ही गरीबी में कमी करने के बारे में कहा गया है।

यूपीए शासन के दौरान अवसंरचना विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है- 5,44,464 किलोमीटर से अधिक को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,99,000 कि.मी. सड़कें पूरी की गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन 12वीं पंचवर्षीय योजना में 88 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। 54,478 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग अनुमोदित किए गए और इनमें से 21787 कि.मी. सड़कें पूरी की गई है।

जहां तक बैंगलौर-मुंबई और बैंगलौर-चैन्नई-चित्रदुर्ग के बीच औद्योगिक गलियारों की बात है, उन्हें स्वीकृति मिल गई है और प्रारंभिक कार्य हमारी यूपीए सरकार के दौरान चालू हो चुका था। आपके बजट में आप उन्हें ऐसे प्रस्तुत कर रहें हैं जैसे आप इस परियोजना को नए तरीके से पेश कर रहे हो। आप केवल लोगों को भ्रमित कर रहे है।

कौशल विकास के बारे में हमारी यूपीए सरकार ने 2251.89 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे लाभान्वित हुए लोगों की संख्या 19,54,300 है। यह कोई छोटी उपलब्धि नही है। अब नव निर्वाचित एनडीए सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने पहली बार कौशल विकास को प्रारंभ किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंतर्गत 129 प्रशिक्षण स्कूल और 29 क्षेत्र विकास परिषद देश में कार्य कर रहे हैं।

यूपीए सरकार में शहरी विकास दर काफी जोर दिया गया था। हमारी सरकार ने जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) प्रारंभ किया। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम से शहरी अवसंरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जिससे 61 शहरों में 85% से अधिक शहरों जनसंख्या और साथ ही छोटे शहरों की 1 लाख से अधिक जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। यूपीए सरकार ने शहरी अवसंरचना को सुधारने के लिए 46000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

अब वर्तमान बजट में मात्र 7060 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ देशभर में 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गयी है। माननीय वित्त मंत्री यह अवश्य बताए कि किस प्रकार से यह राशि उपयोग की जाएगी क्योंकि यह राशि 100 स्र्माट सिटी के निर्माण हेतु एक आंतरिक सर्वेक्षण के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

मैं एनडीए सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि यूपीए सरकार ने छोटे और मझला शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) प्रारंभ की थी जो कि जेएनएनयूआरएम का एक घटक है। शहरों और नगरों के नियोजित विकास के लिए यूपीए सरकार का यह मिशन एक अकेला सबसे बड़ा प्रयास है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा वोट प्राप्त करने के लिए एक नौटंकी थी। एनडीए ने स्मार्ट सिटी के इरादे से लोगों को गुमराह किया है। यूपीए ने पहले ही शहरों और नगरों के विकास पर करोड़ों खर्च किए हैं।

इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा कि बैंगलौर को आईटी कैपिटल, खान कैपिटल, सिलिकॉन शहर, गार्डन शहर और अन्य विभिन्न नामो से जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यदि कोई विदेशी गणमान्य अतिथि भारत का दौरा करे, तो उसे सबसे पहले बैंगलौर आना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ज्ञान शहर के रूप में बंगलौर को स्वीकार किया है। बंगलौर ने भारत को विश्व के मानचित्र पर उभार दिया है।

यह इसलिए संभव हुआ कि श्री एस.एम. कृष्णा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने आईटी/बीटी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आज पूरे विश्व के लोग भारत को हमारे ज्ञान के कारण विस्मय पूर्वक देखते हैं और यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है।

संप्रग सरकार ने बंगलौर के विकास के लिए करोड़ो रुपए खर्च किए। किन्तु इस बजट में राजग सरकार ने बंगलौर को महत्व नहीं दिया है।

सबसे अधिक राजस्व का सृजन आईटी केन्द्रों से होता है एवं अनेकत्म तालुक में इलैक्ट्रॉनिक सिटी आती है जो मेरे बंगलौर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। सैकड़ों आईटी कंपनियों ने न केवल बंगलौर से बल्कि देश और विश्व के विभिन्न भागों के लाखों लोगों को रोजगार दिया है।

दुर्भाग्यवश, अवसंरचना विकास इलैक्ट्रॉनिक सिटी के विकास की गति के अनुरूप नहीं हो पाया है। परिवहन, पेयजल स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं का स्तर नही बढ़ा है। बंगलौर और इलैक्ट्रॉनिक सिटी के अवसंरचना विकास की उपेक्षा से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। बजट में बंगलौर की विशेषकर इलैक्ट्रॉनिक सिटी के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है।

अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह बंगलौर और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रॉनिक सिटी भी बंगलौर के लिए तेजी से अवसंरचना विकास करने हेतु समुचित निधि प्रदान के संबंध में तत्काल कदम उठाएं।

जहां तक स्वास्थ्य पर्यटन की बात है, बंगलौर इस कार्य के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। पूरे एशियाई देशों से लोग चिकित्सा उपचार के लिए बंगलौर आना पसंद करते है। राजग सरकार के बजट में बंगलौर के लिए एम्स जैसे संस्थान की घोषणा नहीं की गई है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री सिद्धारभैय्या जी ने सरकार को पत्र लिखा कि बंगलौर के निकट एम्स जैसे संस्थान के लिए 200 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है तथा इसकी जानकारी केन्द्र सरकार को दी गई है। फिर भी कर्नाटक के लिए एम्स जैसा संस्थान स्वीकृत नहीं किया गया है। बजट कर्नाटक के लिए बहुत निराशाजनक है क्योंकि राज्य के लिए न तो एम्स जैसे या आईआईटी जैसे संस्थान की घोषणा की गई है।

माननीय वित्त मंत्री को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर राज्य सरकारों से शीघ्र समझौते हेतु कदम उठाना चाहिए। बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने राजस्व हानि के संबंध में राज्यों को कोई गारंटी नही दी हैं क्योंकि यह राज्य सरकारों के लिए जीएसटी के क्रियान्वयन की सबसे बड़ी बाधा है। माननीय मंत्री को देश में जीएसटी को लागू करने से पहले राज्यों के इन सब मुद्दों पर विचार करना चाहिए।

जहां तक एफडीआई की बात है, जब संप्रग सरकार ने बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई का प्रस्ताव किया था तो भाजपा ने इसका विरोध

किया था। किन्तु अब भाजपा बीमा क्षेत्र में एफडीआई भागीदारी को बढ़ाने का श्रेय ले रही है।

माननीय वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की घोषणा की है। पुन: भाजपा ने अपने रूख में बदलाव कर लिया है। भाजपा का दोहरा मानदन क्यों है। मंत्री जी को दृष्टिकोण में बदलाव के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि लोग भाजपा सरकार के रूख के बारे में भ्रमित है।

एफडीआई की पीपीपी जिसका विरोध भाजपा ने तब किया था जब वे विपक्ष में थे, को छोड़कर एनडीए के बजट में पूरी तरह कोई नई चीज नही है। व्यक्तियों को दिए जाने वाली कर रियायत बहुत नाममात्र की है। यही माननीय वित्त मंत्री जब वे विपक्ष में थे तो उन्होंने संप्रग सरकार के बजट प्रस्तुत करते समय रिकॉर्ड पर कहा था वैयक्तिक आप कर सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। मंत्री स्वयं अपनी मांग की घोषणा करने में असफल क्यों रहे?

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं यह बजट देश के लोगों के लिए बेहद निराशाजनक है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रसिद्ध कवि सर्वग्ना का उद्धरण देना चाहता हूं:

इसका अंग्रेजी में अनुवाद का हिन्दी रूपातंरण इस प्रकार है।

जो बिना दिखावे के कार्य करता है, वही श्रेष्ठ है

जो देता है और कहता है, वह मध्यम दर्जे का है

केवल धूर्त बहुत बातें करते हैं और कुछ नही देते हैं।

यह एनडीए के बजट का सार है।

***डॉ. हिना विनय कुमार गावीत** (नन्दुरबार) : परिवर्तन के लिए निर्णायक मत लोगों को आगे बढ़ने, गरीबी के अभिशाप से मुक्त होने तथा समाज द्वारा दिए गए अवसर के उपयोग को दर्शाता है। देश अब बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं, अवसंरचना की कमी एवं उदासीन शासन को बर्दाश्त करने वाला नहीं है पांच प्रतिशत से कम विकास और दो अंकों में मुद्रास्फीति के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण है। राजग सरकार के पहले बजट में उस दिशा में विस्तृत नीति सूचकों को निर्धारित किया गया है जिस दिशा में हम सरकार को ले जाना चाहते है। घोषित कदम अगले 3 से 4 वर्षों में 7 से 8 या इससे अधिक वृद्धि सतत रूप से बनाए रखने की शुरूआत है तथा इससे समष्टि आर्थिक स्थिरता उत्पन्न होगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और उनका नारा "सबका साथ, सबका विकास" के साथ लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं विकास में परिलक्षित होंगी।

वर्ष 2011-12 में जो वित्तीय घाटा 5.7 प्रतिशत था, वह 2013-14 में घटकर 4.5 प्रतिशत रह गया। ऐसा व्यय में कमी करने के कारण हुआ, न कि अधिक राजस्व जुटाने से। 2012-13 में 4.7 प्रतिशत से वर्ष के अंत तक 1.7 प्रतिशत तक चालू खाता घाटे में सुधार प्रमुख रूप से गैर-आवश्यक आयात पर प्रतिबंध और संपूर्ण सकल मांग में मंदी के कारण हुआ। चालू खाता घाटा (सीएडी) पर नज रखने की आवश्यकता है। दो वर्षों तक जीडीपी की कम वृद्धि स्थिर औद्योगिक विकास, अप्रत्यक्ष करों में सीमित बढ़ोतरी, राजसहायता का बोझ और कर में उत्साहजनक वृद्धि न होने की पृष्ठभूमि में 4.1 प्रतिशत का वित्तीय घाटा चुनौतीपूर्ण काम है।

हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में क्रमश: नरमी के साथ मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर रही है। काले धन की समस्या को पूर्णरूप से हल किया जाना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में चुनिंदा रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देना है। पूर्ण भारतीय प्रबंधन और एफआईपीबी के जरिए नियंत्रण से विदेशी निवेश की समग्र सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। पूर्ण भारतीय प्रबंधन और एफआईपीबी के जरिए नियंत्रण से बीमा क्षेत्र में समग्र सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत की जाए। विनिर्माण इकाईयों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित खुदरा बाजार के जरिए अपना उत्पाद बेचने की अनुमति दी जाए।

चालू वित्त वर्ष में "सौ स्मार्ट सिटी" विकसित करने की परियोजना के लिए 7060 करोड़ रुपए प्रदान दिए गए हैं।

सुनिश्चित सिंचाई हेतु "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाइ योजना" के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

एकीकृत परियोजना के लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के लिए फीडर विभक्तिकरण हेतु "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए 14,389 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत अधिक उत्पादक, परिसंपत्ति का निर्माण करने वाली और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी हुई मजदूरी रोजगार प्रदान किए जाएंगे।

एससी योजना के अंतर्गत 50,548 करोड़ रुपए की राशि और टीएसपी के अंतर्गत 32,387 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए "वन बंधु कल्याण योजना" शुरू की गई है, जिसके लिए शुरूआत में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र की नागरिकों के लाभ के लिए 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक की सीमित अवधि के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) को पुनर्जीवित किया गया है। एक समिति इस बात की जांच और सिफारिश करेगी कि पीपीएफ, डाकघर, बचत योजनाओं इत्यादि में अदावाकृत राशि का इस्तेमाल किस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के वित्तीय हितों के संरक्षण और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

"सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा" संबंधी योजना के प्रायोगिक परीक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए का परिव्यय तय किया गया है। बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की योजना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के सभी जिलों के सरकारी और निजी अस्पतालों में इस वर्ष "आपदा प्रबंधन केन्द्र" स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए जागरूकता फैलाने और कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता के सुधार में मदद पर केन्द्रित योजना "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना" के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विद्यालय के पाठ्यक्रम में लैंगिक मुख्यधारा संबंधी पृथक अध्याय शामिल किया जाए।

आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी बसावटों विषैले तत्वों, कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित 20,000 को आगामी तीन वर्षों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2019 तक "स्वच्छ भारत अभियान" के अंतर्गत प्रत्येक घर को स्वच्छता सुविधा प्राप्त होगी।

"सभी के लिए स्वास्थ्य" को लक्ष्य निशुल्क औषध सेवा और निशुल्क नैदानिक सेवा से हासिल होगी। एम्स, नई दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नै में दो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की स्थापना की जाएगी। उच्च दंत चिकित्सा अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और परामर्श संस्थान की स्थापना की जाएगी) आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है। इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। नई औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को खोलकर और 31 मौजूदा राज्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाकर राज्य के औषध विनियामक और खाद्य विनियामक तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा। ग्रामीण आबादी से संबंधित स्थानीय स्वास्थ्य के मुद्दों संबंधी अनुसंधान के लिए 15 आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

सरकार पहले चरण में सभी कन्या विद्यालयों में शौचालय और पेयजल प्रदान करने का प्रयास करेगी। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए 28635 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिए 4966 करोड़ रुपए जा रहें हैं। नए प्रशिक्षण उपकरण मंगाने और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई "पंडित मदन मोहन मालवीय नव शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

मध्य प्रदेश (एमपी) में जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की जाएगी। जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में 5 आईआईटी; हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में 5 आईआईएम की स्थापना करने के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। मानदंडों को आसान बनाने से उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेना आसान होगा।

सरकार का विचार यह है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से अगले दस वर्षों में 500 शहरी बसावटों को अवसंरचना और सेवाओं के नवीनीकरण के लिए सहायता दी जाएगी। नगर निगम के वर्तमान ऋण दायितव सुविधा कोष की जमा राशि को 5000 करोड़ रुपए के बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

100 करोड़ रुपए की राशि "कृषि तकनीक अवसंरचना निधि" के लिए रखी गई है। प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने हेतु एक मिशन मोड प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और देशभर में 10 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु 5.6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है।

भूमिहीन किसानों को संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए, 'नाबार्ड' के माध्यम से "भूमिहीन किसान" योजनागत संयुक्त कृषि समूहों को 5 लाख रुपए का वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव है। 2014-15 के दौरान कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं ग्रामीण अवसंरचना विकास कायिक निधि (आरआईडीएफ) अंतरिम बजट में दिए गए 25000 करोड़ रुपए के दिए गए लक्ष्य के अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाएगा। 5000 करोड़ रुपए का आवंटन भांडागार अवसंरचना निधि के लिए प्रदान किया गया है। 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कायिक निधि के साथ "दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण निधि" की स्थापना सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए की गई है।

एफसीआई की पुन:संरचना, परिवहन और वितरणगत हानि तथा पीडीएस की प्रभावोत्पादकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार

समाज के कमजोर वर्गों को किफायती दामों पर गेहूं और चावल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब आवश्यकता होगी तब सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुला बाजार=विक्रय करेगी।

सड़क क्षेत्र को भारी राशि के निवेश की और मंजूरी लेने की उलझनों को खत्म करने की आवश्यकता है। 37,880 करोड़ रुपए की राशि एनएचएआई और राज्य सड़कों में निवेश करने का प्रस्ताव है जिसमें 3000 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर के लिए है। चालू वित्त वर्ष में 8500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। औद्योगिक गलियारों के विकास हेतु इनके समांतर चयनित एक्सप्रेस है पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। परियोजना की तैयारी के लिए, एनएचएआई 500 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखेगा।

किसान विकास पत्र (केवीपी) को पुन: प्रारंभ किया जाए। बालिकाओं की शिक्षा और विवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष लघु बचत योजना प्रारंभ की जाए। लघु बचत कर्त्ताओं के लिए बीमा के साथ एक राष्ट्रीय बचत पत्र अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा। पीपीएफ योजना वार्षिक सीमा 1 लाख वर्तमान से बढ़ाकर 1.5 लाख प्रति वर्ष की जाएगी।

निजी आयकर छूट सीमा 50,000/- रुपए बढ़ा दी गई है जोकि 60 वर्ष से कम आयु वाले "वैयक्तिक करदाता के मामले में 2 लाख रुपए से 2.5 लाख की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट सीमा 2.5 लाख से 3 लाख तक बढ़ा दी गई है। आयकर अधिनियम धारा 80सी के अंतर्गत निवेश सीमा 1 लाख से 1.5 लाख तक बढ़ा दी गई है।

अब, मैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र नंदुरबार (महाराष्ट्र) के बारे में निम्नलिखित बातें उठाना चाहूंगा।

एनएच 6 के चार लेन का करने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लोग इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे है। अंकलेश्वर बुरहनपुर राज्यमार्ग जो कि वर्तमान में राज्य राजमार्ग है, उस पर काफी ट्रैफिक रहता है जोकि प्रत्येक दिन होने वाली कई दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस समस्या से बचने के लिए राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नीत किया जाए।

तकनीकी समस्या के कारण रेलवे उपरि पुल का कार्य अब तक पूरा नही हुआ है इसलिए इसे शीघ्रता से निपटाया जाए। चालू कार्य प्रारंभ किया जाए जो कि अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु कृपया निधि शीघ्रता से जारी की जाए।

नर्मदा-तापी विपथन योजना केन्द्र सरकार से मूल रूप से सहमत है और डीपीआर पहले से ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। यह परियोजना पूर्णतया जनजातीय क्षेत्र में है। इससे 100% जनजातीय जनसंख्या लाभान्वित होगी, इसलिए इस परियोजना के लिए निधि प्रदान की जानी चाहिए ताकि कार्य शुरू हो सके।

नंदुरबार जिले में, कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार हेतु, मैं सरकार से नंदुरबार में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू करने का अनुरोध करता हूं। अन्य जिलों की तुलना में इस जिले में सिकल कोशिका अनिमिया और थैलासीमिया प्रचलित है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नंदुरबार में सिकल कोशिश अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ करे।

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 लोगों के लिए चल रहा है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में लोग दूर-दूर रहते हैं और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचने के लिए काफी यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए अति जनजातीय और ग्रामीण जिलों में प्रत्येक 10,000 लोगों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाए। इसलिए, जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्रामीण अस्पताल खोलने के लिए मानदंडों में छूट दी जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में, केला, चावल, गन्ना और कपास की खेती विस्तृत पैमाने पर चल रही है, इसलिए नंदुरबार में एक और कृषि विज्ञान केन्द्र प्रारंभ किया जाए। मनरेगा योजना के अंतर्गत और निधि जारी की जाए और अनियमितताओं पर रोक लगाई जाए तथा पूर्व के राशियों के दुरुपयोग की जांच की जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में अक्काकुआ और धाडगांव के आंतरिक क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना आवश्यक है क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में काफी सारे जनजातीय लोग रहते हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) के सदस्यों देशों के सम्मेलन (सीओपी) की भारत की अध्यक्षता के दौरान नगोया प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के बारे में*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) : मैं सभापटल पर वक्तव्य रखता हूं। जैविकीय विविधता अथवा जैव-विविधता के अंतर्गत पृथ्वी पर विद्यमान

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 135/16/14

समस्त प्राणि-वैविध्य समाहित है। जैव-विविधता वह ताना-बाना है, जिसके हम अभिन्न अंग हैं और उस पर हम पूर्णतया आश्रित भी हैं। मानवजाति को जैविक संसाधनों से खाद्यान्न, दवाइयां, ऊर्जा एवं अनेक औद्योगिक उत्पाद प्राप्त होते हैं।

भारत की पहचान एक बहुवैविध्य देश के रूप में है, जो जैव-विविधता तथा इससे संबंधित परंपरागत ज्ञान से समृद्ध है। मात्र 2.4 भू-भाग के बावजूद हमारे यहां 7-8. अभिलिखित प्रजातियां हैं, जिन पर 18. मानवजाति और 18. मवेशी आश्रित हैं। भारत संबद्ध परंपरागत ज्ञान से भी समृद्ध है, जो भारतीय औषधीय पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में अभिलिखित होने के साथ-साथ, अप्रलेखित मौखिक परंपरा के रूप में विद्यमान है। मानव जाति के हित के लिए आनुवांशिक संसाधनों और संबद्ध परपम्परागत ज्ञान का उपयोग औषधियों, कृषि पद्धतियों, शृंगार प्रसाधनों आदि से जुड़े उत्पादों और सेवाओं का व्यापक पैमाने पर विकास करने के लिए किया जा सकता है।

भारत, जैव-विविधता संबंधी कन्वेंशन (सीबीडी) का एक पक्षकार है, जोकि वर्ष 1992 में आयोजित रियो अर्थ सम्मेलन के दौरान अंगीकृत किए गए करारों में से एक है। सीबीडी के तीन उद्देश्यों में से एक पहुंच और लाभ सहभागिता (एबीएस) से संबंधित है, जो आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच बनाने और उनके प्रयोग के फलस्वरूप उतपन्न लाभों को प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा लाभ प्रदाता देशों के साथ आदान-प्रदान करने के तौर-तरीकों से संबंधित है। सीबीडी में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आनुवांशिक साधनों तक पहुंच राष्ट्रीय विधायन के अध्यधीन है। तदनुसार, भारत ने विस्तृत परामर्शी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीबीडी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2002 में जैव-विविधता को अधिनियमित किया था। भारत ऐसा विधायन अधिनियमित करने वाले थोड़े से देशों में पहला देश था। तथापि, उपयोगकर्ता देश द्वारा किए जाने वाले उपायों के भारी अभाव के कारण संसाधन प्रदान करने वाले देश से एक बार संसाधन दिए जाने के बाद उपयोगकर्ता देश में एबीएस प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए, सीबीडी के तत्वावधान में पहुंच और लाभ सहभागिता संबंधी एक प्रोटोकॉल पर वार्ता की गई है जिसे नगोया, जापान में अक्तूबर, 2010 में आयोजित पक्षकारों के दसवें सम्मेलन (सीओपी-10) में अंगीकृत किया गया है। भारत ने एबीएस वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है और इनमें अपना सार्थक योगदान दिया है। एबीएस संबंधी नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों की निष्पक्ष एवं समान सहभागिता है।

यह प्रोटोकॉल, अनुसंधानकर्ताओं और उद्योग सहित आनुवांशिक संसाधनों के प्रदाताओं और प्रयोक्ताओं दोनों के लिए अधिकतम विधिक सुनिश्चितता और पारदर्शिता की व्यवस्था करके आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों की निष्पक्ष और समान सहभागिता संबंधी कन्वेंशन के उद्देश्य को महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाता है। यह प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों और संबद्ध परंपरागत ज्ञान प्रयोग को बढ़ावा देकर और उनके प्रयोग से प्राप्त लाभों की तथा समान सहभागिता के अवसरों को सुदृढ़ बनाकर जैव-विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत् उपयोग को प्रोत्साहन देगा और सतत् विकास तथा मानव कल्याण में जैव-विविधता के योगदान को और बढ़ाएगा। इसलिए नगोया प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कार्यनीतिक महत्व का है।

भारत ने इस प्रोटोकॉल पर 11 मई 2011 को हस्ताक्षर किए थे और 9 अक्तूबर, 2012 को इसका अनुसमर्थन किया था। नगोया प्रोटोकॉल को जैव-विविधता अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा।

भारत ने अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में सीबीडी के सीओपी-11 सम्मेलन की मेजबानी की थी और वर्तमान में भारत अक्तूबर, 2014 में प्योंग चांग, कोरियाई गणतंत्र में आयोजित होने वाली सीओपी-12 सम्मेलन के आयोजन तक सीओपी का अध्यक्ष है।

नगोया प्रोटोकॉल को 14 जुलाई, 2014 को अपेक्षित 50वां अनुसमर्थन दस्तावेज प्राप्त हुआ है और इस प्रकार यह 90वें दिन अर्थात् 12 अक्तूबर, 2014 को लागू होगा। प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक प्योंग चांग में सीओपी-12 सम्मेलन के आयोजन के साथ-साथ 13-17 अक्तूबर, 2014 के दौरान आयोजित होगी।

इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि के शीघ्र प्रवर्तन को सहज बनाना, पक्षकारों के सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते भारत की प्राथमिकता रही है। इस प्रयोजनार्थ भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से पिछले 21 महीनों में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मंत्री का प्रभार ग्रहण करने के बाद मैंने इस मामले में व्यक्तिगत रूचि दिखाई और दिनांक 16 जून, 2014 को वीडियो के माध्यम से मॉन्ट्रियल में सीबीडी बैठक को संबोधित किया। मैंने दिनांक 26 जून, 2014 को नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण असेम्बली में भी एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने प्रोटोकॉल का शीघ्र अनुसमर्थन करने के लिए देशों से आग्रह किया था। नैरोबी बैठक के दौरान मैंने संबंधित देशों के अपने समकक्ष मंत्रियों से मुलाकात की और उनसे इस प्रोटोकॉल का शीघ्र अनुसमर्थन करने का आग्रह भी किया।

नगोया प्रोटोकॉल का सीबीडी के 51 पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना प्रथम वैश्विक ऐची जैव-विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लक्ष्य 16 प्राप्त करने की निर्धारित तिथि से एक वर्ष से भी अधिक समय पूर्व प्राप्त किया जाना, विशेष रूप से

उल्लेख करने योग्य है, क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल 2015 तक लागू और प्रवर्तित होना था। भारत द्वारा इस उल्लेखनीय एवं असाधारण कार्य की उपलब्धि में निभाई गई निर्णायक भूमिका एक बार फिर से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जैव-विविधता के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को परिलक्षित करता है।

अपराह्न 2.04 बजे

सामान्य बजट (2014-15) सामान्य चर्चा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें — (सामान्य) (2011-12) — *जारी*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, हमारे विद्वान मंत्री जी यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं उनके एब्सेन्स में इस देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

बजट पर बोलने के पहले मैं कल की उस रिपोर्ट के बारे में बोलना चाहूंगा जो मंत्री महोदया नजमा हेपतुल्ला जी ने इस देश की स्थिति के बारे में प्रकाशित की है। आज़ादी के 67 सालों के बाद रिपोर्ट में, सरकारी आंकड़ों में जब देश के 72% से ऊपर आम-आवाम की स्थिति यह है तो गांव में जब प्रवेश करके हम जानेंगे, तब स्थिति कितनी विकराल होगी, यह मुझे समझ में नहीं आता है। उसके बाद इस बजट की प्रासंगिकता क्या है? जिस तरीके से ब्रिक्स के सम्मेलन में लगातार तीन दिनों से रुस, चीन जैसे देशों के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं जो बैंकिंग का सवाल है, एक तरफ नजमा हेपतुल्ला जी की रिपोर्ट इस देश की विकराल स्थिति को दर्शाती है और दूसरी तरफ ब्रिक्स है। जिस देश की 93 प्रतिशत जनता आज भी सिसकती हो, रोती हो, जिस देश का गरीब इस देश की जरूरतमंद चीजों से आज भी दूर हो और वहां ऐसे बजटों में अच्छाई और बुराई के बीच देश फंस कर रह जाये तो यह समझ में आता है कि इस सदन में बैठकर हम लोग क्या करते हैं।

दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं कभी-कभी व्यक्तिगत तौर पर इस बात को सोचता हूं कि यह अखबार के माध्यम से पढ़-पढ़ कर जो बाजीगरी की जाती है तो मुझे लगा कि यह बाजीगरी तो ऋषि-मुनियों के काल से लेकर है, सिर्फ आज नहीं, तथाकथित विद्वानों की और तथाकथित राजा-महाराजाओं की इस बाजीगरी से न तो कृष्ण बचे, न राम बचे, न जीसस बचे, न नानक बचे, न मौहम्मद साहब बचे, न बुद्ध बचे, न महावीर बचे। इस दुनिया में तथाकथित विद्वानों की बाजीगरी और अर्थशास्त्रियों से जब राम-रहीम नहीं बचे तो इस देश की आम जनता कैसे बचेगी, यह बहुत ही गहरी चिन्ता का विषय है। मुझे कभी-कभी लगता है, जब तक ये उद्योगपति, पूंजीपति और तथाकथित विद्वान आईएएस, आईपीएस रहेंगे, ये न तो हम लोगों को जीने देंगे, न हम लोगों को मरने देंगे। यह इस देश की स्थिति है कि इस देश को अवाम को न मरने देता है, न जीने देता है।

अब मैं इसी पर आता हूं, आप चिन्ता न करिये। अच्छे और बुरे के बीच में मैं आपको कहना चाहता हूं। जनता ने आपको हंसाने के लिए जनमत दिया है, आपको यहां रोने के लिए नहीं दिया कि विरासत में क्या मिला। आप इसके पहले भी जानते थे कि विरासत में यदि कुछ नहीं है तो आप 15 साल का समय जनता से मांगते कि तैं 15 साल के बाद आपको दुनिया बनाकर दूंगा, लेकिन आपने जादू की छड़ी दिखाने की कोशिश की।

दूसरी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, आप गाली देते हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 साल की भी रही और संयुक्त सरकार में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश में कभी मंत्री थे। इस देश के 67 सालों में जिन लोगों ने देश को चलाया, उनमें नेहरु भी थे, लालबहादुर शास्त्री भी थे। आप बंगलादेश और पाकिस्तान को मत भूलिये और दुनिया जो आज देश का सम्मान करती है, नरसिम्हा राव जी के समय जो देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इन्हीं मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया था, उस दिन को हमें नहीं भूलना चाहिए। आपको नरसिम्हा राव जी की सरकार को भी नहीं भूलना चाहिए और संयुक्त सरकार, जब जनता पार्टी की थी, तब और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तब, सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि 30 साल, 30 साल, उन 30 सालों में आप भी थे और सबसे बड़ी बात कि आदरणीय वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं, 1990-91 में जो देश के हालात थे, इसके लिए मनमोहन सिंह जी से मिलकर बात करने गये थे कि आपने देश को कैसे उबारा था, यह अखबार में आया है। आदरणीय मंत्री जेटली साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि हम जाकर मनमोहन सिंह जी से मिले थे और जाकर हमने पूछा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम क्या करें। यह आपके मंत्री जी ने स्वीकार किया है और इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनते ही प्रथम बार अपना गुरुमंत्र लेने के लिए मनमोहन सिंह जी के पास ही गये थे और आप उन्हीं को गाली देते हैं, जिसने देश के 67 सालों में पूरी दुनिया में, चाहे आर्थिक समृद्धि का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे जिन चीजों का डेवलपमेंट हुआ, उसमें देश के 67 सालों में उन्होंने बहुत काम किया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को यहां कोसने नहीं आया हूं। उस व्यक्ति का विजन था। मैं अटाल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ाई करता हूं। आज ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अटाल

बिहारी वाजपेयी का अतिसम्मान करता हूं। मनमोहन सिंह जी ने जो दस सालों में किया, नरसिम्हा राव के समय से लेकर जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक समृद्धि के बारे में, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने पत्र लिखकर मनमोहन सिंह जी के बारे में जिन शब्दों को उद्धृत किया है, उसके बाद कुछ कहने के लिए मनमोहन सिंह जी के बारे में और यूपीए की सरकार के बारे में नहीं बचता है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज देश कहां हैं?

महोदय, अब मैं किसान के बारे में कहना चाहूंगा। आजादी के वक्त 70 प्रतिशत किसानों का जो बजट प्रोवीजन 60 प्रतिशत था, आज किसानों का बजट प्रोवीजन केवल 13 प्रतिशत है। क्या यह वित्त मंत्री जी को पता है? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरी तरफ किसानों के बारे में यह बात अभी छपी है कि 70 परसेंट हिन्दुस्तान के किसान खेती पर निर्भर हैं। उनके बच्चे, युवा किसान अब खेती, किसानी नहीं करना चाहते हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उन युवा किसानों को किसानी करने के लिए बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया ताकि वे प्रोत्साहित हो सकें, उनको प्रोत्साहन मिले और वे युवा किसान अपनी खेती को करने के लिए आगे आये। किसानों के लिए इन्होंने बजट में कोई प्रावधान ही नहीं किया।

महोदय, हिन्दुस्तान की स्थिति के बारे में मैं कुछ सवाल उठाना चाहूंगका। आजादी के 67 सालों के बाद एक तरफ फाइव स्टार स्कूल खोले गए हैं और दूसरी तरफ जहां जानवरों को बांधा जाता है, बंद किया जाता है, वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इस हिन्दुस्तान में 92 प्रतिशत है। एक तरफ जिस शिक्षक के पास कोई गुणवत्ता नहीं है, वह शिक्षक हिन्दुस्तान के 92 प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई की शुरूआत करते हैं और दूसरी तरफ फाइव स्टार की संस्कृति में पढ़ने और पलने वाला, चाहे वह पप्पू यादव का लड़का हो, चाहे राष्ट्रपति का, उनके पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति को आप देखिए। हिन्दुस्तान का बजट बनता है, यदि हम सिर्फ एजुकेशन और अस्पताल की बात करें तो आप बिहार के अस्पतालों में चले जाइये या हिन्दुस्तान के किसी छोटे गांव के अस्पताल में चले जाइये, क्या अस्पतालों में आपको किसी तरह की सुविधा मिलेगी? कहां हैं हम लोग? कुपोषण की हिन्दुस्तान में क्या स्थिति है? कुपोषण के मामले में हम कहां हैं? वर्ष 1995 से लेकर अब तक हिन्दुस्तान में 2 करोड़ 96 लाख 438 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नवजात शिशु जो खतरनाक स्थिति में जन्म लेता है, साल में पांच करोड़ नवजात शिशु हिन्दुस्तान में मरते हैं। 25 लाख लोग कैंसर से पांच साल के अंदर हिन्दुस्तान में पीड़ित होते हैं। आप इन चीजों पर दृष्टि क्यों नहीं डालते हैं? आपकी स्थिति हिन्दुस्तान में क्या है? क्या आप स्कूल की तरक्की की बात नहीं करेंगे, किसान की तरक्की की बात आप नहीं करेंगे, गांव के अस्पतालों की तरक्की की बात नहीं करेंगे? आपने स्कूल के अध्यापक और शिक्षक के लिए क्या व्यवस्था की है? आप गांव में जाइए, स्कूल के अध्यापक और शिक्षक मिड-डे-मील के भोजन और भवन बनाने में लगे रहते हैं, वहां बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आपने क्या कोई ऐसा प्रावधान स्कूल के शिक्षकों के लिए अपने बजट में किया है, जिनमें कम से कम स्कूल के शिक्षक को पचास हजार से ज्यादा तनख्वाह मिल सके और वह सिर्फ पठन-पाठन पर अपना ध्यान दे सके, दूसरी कोई व्यवस्था में शिक्षक न लगे, क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनी है?

दूसरी चीज, यह जो हिन्दुस्तान में क्लासिफिकेशन है, एक तरफ बड़ी संस्कृति, बड़ी ऊंच पहुंच वाले बच्चों की पढ़ाई और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के 92 प्रतिशत लोगों की पढ़ाई, क्या कभी हिन्दुस्तान का एजुकेशन समान होगा? सिलेबस एक है, लेकिन पढ़ाई अलग-अलग है। महोदय, मैं अस्पतालों की स्थिति के बारे में भी कहना चाहूंगा।

महोदय, मैं थोड़ा सा बिहार के बारे में कहना चाहूंगा। रोमिला थापर ने लिखा है कि प्राचीन बिहार का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास है। सन् 1948-1992 तक केन्द्र फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया था, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब भी बिहार की स्थिति बहुत बुरी थी। तब भी, हम अरबों-खरबों के घाटे में थे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिना बिहार की तरक्की किए, देश की तरक्की की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह थापर के शब्दों में है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर आज तक बिहार को विशेष पैकेज देने की बात उठी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने बात उठी। प्रधान मंत्री जी ने बिहार में जाकर कहा है कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे।

मैं बिहार के बारे में बताना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में तीन विश्व विद्यालय हुआ करते थे, जिनमें से दो विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में थे - एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री अमृत सेन हैं। यूपीए ने नालंदा विश्वविद्यालय को अत्यधिक बजट देकर इसे विश्व के मानचित्र पर लाने की कोशिश की, इसका पुनरुत्थान करने की कोशिश की। इनके बजट में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक पैसा नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बुद्ध की धरती, राजगीर, गया, वैशाली - जो दुनिया की सबसे पहली गणतंत्र की धरती कही जाती है, वैशाली के लिए बजट में कुछ नहीं है। नालंदा के लिए बजट में कुछ नहीं है। राजगीर के लिए बजट में कुछ नहीं है। अगर, आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, तो आप बिहार को क्यों विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं? बिहार की स्थिति बहुत बुरी है। बिहार के किसानों के ऊपर जो ऋण हैं, चाहे

किसी भी योजना के अंतर्गत ऋण लिए गए हों, क्या आपने बिहार के किसानों को किसी भी ऋण से छूटकारा दिलाने की पॉलिसी बनाई है? बिहार में विद्युत या कोयले के लिए जो सब्सिडी दी जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। कया आपने उन पर दी जाने वाली सब्सिडी में ढील देने का बजट में प्रयास किया है?...*(व्यवधान)* बिहार के तीन हिस्से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कोसी, कमला, महानंदा, गंडक, गंगा नदियों से हम घिरे हुए लोग हैं। मिथलांचल और कोसी का इलाका 6 महीनों तक बाढ़ से प्रभावित रहता है। वहां तूफान आता है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बिहार में कोसी हाईडैम या किसी नई विद्युत परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आखिर आप बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? आपने कोसी के लिए कोई योजना नहीं दी है। आपने कोई नया नेशनल हाइवे बिहार को नहीं दिया है।

महोदय, मधुबनी की पेंटिंग दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भागलपुर के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बाबा विश्वनाथ, सिंहेश्वर जो दुनिया का सबसे बड़ा स्थान है, बाबा धर्मराज पर्यटन स्थल, सिंहेश्वर - जो राम-सीता की भूमि है और वैशाली के लिए क्या प्रावधान किया है?

दुनिया में मक्का सबसे ज्यादा बिहार में होती है। मक्का पर आधारित उद्योग कैसे लगाए जाएं, इस के बारे में आपने कुछ नहीं किया है। दूध उद्योग के लिए आपने कुछ नहीं किया है। आप उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं...*(व्यवधान)* लेकिन आप कृषि पर आधारित उद्योग के लिए देश में किसी तरह की स्कीम नहीं लाए हैं सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि पर आधारित कोई उद्योग नहीं है। हिन्दुस्तान में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। आप कृषि से संबंधित छोटे उद्योग की बात करते हैं। आप युवा किसान को कृषि के लिए बढ़ावा नहीं देते हैं, आज कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। मक्का बिहार की सबसे बड़ी चीज है।

हमारा इलाका 14 नदियों से जुड़ा है। बिहार में 14 प्रकार की मछली होती है।...*(व्यवधान)* यदि मछली उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा तो बिहार तरक्की करेगा, यह मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सहरसा, सुपोल, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर का इलाका मछली पर आधारित है। इसलिए मछली उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। आपने बिहार की चीनी मिलों के लिए कुछ नहीं किया। बिहार की कई चीनी मिलें बंद हैं। मैं नई चीनी मिलें लगाने की व्यवस्था के लिए आग्रह करना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* आपने जूट मिल के लिए क्या किया। कटिहार की सबसे बड़ी जूट मिल, पेपर मिल के लिए आपने कया किया। मैं चाहूंगा कि जूट को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जाए। मछली उद्योग को बढ़ावा दिया जाए।... *(व्यवधान)* बिहार की चीनी मिलों के लिए कोई ऐसी योजना लाई जाए जिससे बिहार को फायदा हो सके। बिहार के किसानों को तरक्की मिल सके।...*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहूंगा कि इनकी संख्या 282 है। अब इन्हें क्रान्ति करनी चाहिए। यह भी हिन्दुस्तान की तरक्की चाहते हैं। 67 सालों से हिन्दुस्तान का आम आदमी फंसा हुआ है। मैं इनसे सिर्फ तीन बातें कहना चाहूंगा - एक, युवाओं के लिए। आप किसान को ऋण देते हैं, सब कुछ देते हैं। इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ऐसी स्कीम लाई जाए ताकि वह जीवंतता के साथ आगे बढ़ सके। हिन्दुस्तान का किसान इनके बजट में नहीं है। हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यक सच्चर कमेटी के मूल मंत्र में थे। वह इनके बजट में नहीं है।...*(व्यवधान)* आज हिन्दुस्तान के मुसलमानों के भीतर सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जीवन के साथ क्या होगा।...*(व्यवधान)* यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सबको साथ लेकर चलेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***श्री अभिजित मुखर्जी** (जंगीपुर) : जैसा कि हमारे नेताओं द्वारा संसद सहित विभिन्न मंचों पर पहले ही बताया गया है अधिकांश कांग्रेस की संप्रग सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जारी रखना बजट के सकारात्मक पहलू को दर्शाता है जिसका मैं स्वागत करता हूं। तथापि, चूंकि राजग सरकार भारी बहुमत के साथ आई है इसलिए भारत के लोगों की उम्मीदें थी कि यह बजट एक अच्छा बजट होगा जो उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा। दुर्भाग्यवश, इस बजट में इसका पूर्णरूप से अभाव हैं। हमें लगता है कि बजट से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं मिलेगा जैसा कि उम्मीद की गई थी।

मैं सरकार को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमतें गत एक महीने में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दोहरे अंकों, तक बढ़ी है। हम प्याज की कीमतें बढ़ने के दोषी थे, मैं यह सोचकर हैरान हूं कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर लोगों को कैसे समझाएंगे।

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि चुनावों में निर्णायक जनादेश से यह उम्मीदें जगी थी कि बजट में त्वरित विकास को आयम मिलेगा।

शेयरों की बिक्री और रक्षा तथा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के माध्यम से बैंक पुन: पूंजीकरण स्पष्ट रूप से कोई अलग बात नहीं है जिसे पूर्व सरकार पहले ही कर रही थी या उसने किया था। यहां तक कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में बिना प्रबंधन और नियंत्रण के एफडीआई सीमा को 26 से 49 प्रतिशत तक बढ़ाना कोई उपाय नहीं है जो निवेश और प्रौद्योगिकी अंतरण लाने में विदेशी कंपनियों को सहमत कर सकता है।

रक्षा विनिर्माण उद्योग में अनुसंधान और विकास में कोई प्रोत्साहन नहीं है। जब तक हमारे प्रौद्योगिकीविदों, अकियंताओं, तकनीकविदो द्वारा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण या समेकन नहीं किया जाएगा तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे या हमें स्वयं के रक्षा उपकरण बनाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी।

हमारे देश में बड़ी संख्या में सक्षम अभियंता, प्रौद्योगिकीविद् और तकनीकि विशेषज्ञ हैं और जब भी उन्हें मौका दिया गया है वे सदैव मौको पर खरे उतरे और उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में चमत्कार किया है। अन्य देश तथा भारत के बाहर की कंपनियां उन्हें कार्य, उत्तरदायित्व इत्यादि का समुचित अवसर देकर उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठा रही है। लेकिन दुख की बात है कि हम ऐसा करने में असफल हुए है।

बजट में संसाधनों और वस्तुओं के विकास में कौशल और व्यापार के उन्नयन के लिए किए गए उपायों की मैं सराहना करता हूं जो कि एक स्वागत योग्य उपाय है लेकिन साथ-ही-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि शिल्पकार पीढ़ियों से एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं और वे अधिकांशत: समाज के हाशिए पर चले गए वर्गों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा उवर्ग इत्यादि से है। उन्हें भी यह सुविधा दी जा सकती थी। सरकार इस बारे में विचार कर सकती है।

खाद्य सुरक्षा के संबंध में, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे राज्य पश्चिम बंगाल और अधिकांश राज्यों में हमारे किसानों को जैसा घोषित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर अपने उत्पाद बेचने की सुविधाओं की कमी के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिलता। उन्हें सामान्य रूप से दलालों द्वारा लुभाया जाता है जो उत्पादकों/कृषकों से बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदते हैं और उन्हें एमएसपी पर या तो एफसीआई को या अन्य प्रापण एजेंसियों को बेचते हैं, जिसके कारण एमएसपी के लाभ वंचित लोगों को हस्तांतरित नहीं हो रहे है। अत:, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एफसीआई को प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों/कृषकों/किसानों से या तो गांव की मंडी (यदि संभव हो) से या कम से कम जिले के संबंधित ब्लॉकों में प्रत्येक पंचायत से खरीद करना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह बहुत मुश्किल कार्य है लेकिन माननीय मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुदृढ़ीकरण के लिए एफसीआई की पुनर्संरचना और परिवहन तथा वितरण लागत इत्यादि को भी कम करने की बात की है।

अंतर्देशीय नौवहन के संबंध में, बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर पवित्र शहर इलाहाबाद और हल्दिया पत्तन के बीच गंगा नदी पर "जलमार्ग विकास" नामक एक परियोजना का विकास किए जाने का प्रस्ताव है। मैं इस परियोजना का स्वागत करता हूं लेकिन मैं इस संबंध में यह बताना चाहूंगा कि हल्दिया कलकत्ता पत्तन से एनटीपीसी फरक्का तक बॉयलर-क्वॉलिटी कोयले के परिवहन के लिए गंगा नदी पर जलमार्ग विकास नौवहन चैनल का प्रयोग करने से हाल ही में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले के जंगीपुर में गंगा नदी के दोनों किनारों पर बहुत अधिक मृदा अपरदन हुआ है। सरकार से मेरा सविनय निवेदन है कि गंगा के इस जलमार्ग को वाणिज्यिक प्रयोग में लाने से पूर्व इस जलमार्ग के दोनों तटों को संरक्षित किया जाए। इलाहाबाद की पावन नगरी और हल्दिया के मध्यपूरे जलमार्ग में ऐसा ही किया जाए।

बजट में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जंगीपुर में पद्मा और गंगा के मार्ग बदलने के कारण भूमि अपरदन पर कुछ नहीं कहा गया है। यद्यपि, फरक्का बैराज प्राधिकरण को इसके नियमित प्रचालनों हेतु व्यय की राशि स्वीकृत की गयी है, यह मेरी मांग है कि गंगा और पद्मा नदियों के दोनों तटों पर विशेषकर जंगीपुर में भूमि अपरदन को रोकने के संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट तेयार करने के लिए संबंधित मंत्रालय कृपया इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाए क्योंकि पानी राज्य विषय है।

हो सकता है कि राजकोषीय समेकन अभियान ने सरकार को कुछ कड़े कदम लेने से रोका हो। यह बजट महत्वाकांक्षी नहीं है ओर इसमें केवल छोटे दिशात्मक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। यह जीडीपी के 4.1 प्रतिशत राजकोषीय वित्तीय घाटा लक्ष्य तक सीमित है। वृद्धि की गति में तेजी लाए बिना राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। सरकार गंगा और उत्पादन क्षमता संवर्धन के लिए पूंजी व्यय को बढ़ाना चाहिए। परंतु इस वित्तीय वर्ष के पहले दो माहो में राजकोषीय घाटा पहले ही पूरे वर्ष के राजकोषीय घाटा लक्ष्य का 45 प्रतिशत है। यह विकास के लिए वित्तीय उत्प्रेरक हेतु काफी कम गुंजाइश छोड़ता है। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के 6 प्रतिशत से कम आने और वास्तविक जीडीपी वृद्धि (अर्थात् मुद्रास्फीति हेतु समायोजित वृद्धि दर) के 5-5.5 प्रतिशत तक रहने की आशा है 13.4 प्रतिशत मामूली वृद्धि लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा।

जबतक वृद्धि को उत्प्रेरति नहीं किया जाना सुधार के लिए कर वृद्धि की काफी कम संभावना है। जब तक कर-जीडीपी अनुपात नहीं बढ़ता, तब तक वित्तीय घाटा लक्ष्य को पाना कठिन होगा। यह व्यय बढ़ाने की संभावना को सीमित करेगा, इसलिए वृद्धि संभावनाओं को अवरुद्ध करेगा। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कड़े कदमों की आवश्यकता थी। यदि राजसहायताओं को अधिक दृढ़तापूर्वक हम किया गया होता, तो इनसे पूंजी व्यय को बढ़ाने का अवसर मिलता। और पीएसयू शेयर बिक्री और एफडीआई (इससे क्षमता और मांग दोनों को उत्प्रेरित करने के लिए निवेश बढ़ेगा सुविधा से वृद्धि में गति लाना संभव हो सकता था, परंतु वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष धीमी गति में चलने का निर्णय लिया है, जबकि वृद्धि को निर्णायक बल प्रदान करने का यह अहम् समय था।

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव हमारी आंख में धूल झोंकते हैं। एक ओर, निजी आयकर छूट सीमा को 50,000 रुपए बढ़ाकर 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए किया गया है, जोकि करदाता को 5000 रुपए की कुल बचत प्रदान करेगा। दूसरी ओर दीर्घावधि बचतों में घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत निवेश सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार इस सुविधा का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत निवेशकों के पाए व्यय की जाने वाली आय 45,000 रुपए घट जाएगी। सरकार को विनिर्माण क्षेत्र संवर्धन के लिए उपभोक्ता मांग में तेजी लाने हेतु विस्तारवादी नीति अपनानी चाहिए, और वृद्धि दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए न कि केवल बचतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को लोगों को अधिक व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परंतु व्यक्तिगत कर दाता की व्यय की जाने वाली आय में कमी के कारण, सरकार इस अवसर को खो देगी।

विद्युत क्षेत्र कई कारणों से अर्थव्यवस्था हेतु काफी अहम है। आज भी लाखों भारतीयों के लिए 24 घंटे निरन्तर बिजली एक स्वप्न मात्र है। उद्योगों को अपने प्रचालनों हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है। जब तक तत्काल सुधार नहीं किए जाते हैं, यह क्षेत्र भविष्य में भी आज सामना की जा रही समस्याओं से घिरा रहेगा। राज्य विद्युत बोर्ड/कंपनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति ने इनकी पुरानी अवसंरचना को बदलने से इन्हें रोका है। बिजली चोरी, अव्यवहारिक बिजली दरें और राज्यों में विनियामक ढांचे की एकरूपता न होने और पूर्वानुमान नहीं लगा पाने के कारण निजी निवेश को रोका है। 31 मार्च 2017 तक विद्युत उत्पादन, वितरण और पारेषण शुरू करने वाले उपक्रमों को 10 वर्ष कर टूट की प्रस्तावित योजना के अतिरिक्त, इस बजट में कोई ठोस सुधार उपाय नहीं हैं। नि:संदेह दिल्ली को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए विद्युत सुधारों हेतु 200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। यद्यपि, यह सही दृष्टिकोण है, अन्य राज्यों के लिए वहां स्थित बड़े शहरों हेतु उन राज्य सरकारों के लिए इस प्रकार की सहायता जिससे विद्युत सुधार उपायों को लागू किया जा सके पूर्णत: अभाव है।

केन्द्रीय बजट में "महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक सड़क परिवहन" नामक प्रायोगिक परीक्षण योजना पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें गृह मंत्रालय द्वारा बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। ये स्वागत योग्य कदम है और मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। यह कहा गया कि हाल ही में महिलाओं और लड़कियों के प्रति कई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक अपराध की घटनाएं हुई हैं। राज्य सरकारों को ऐसे अपराधों को रोकने में उनके प्रयास को समर्थन देने के कुछ पहल की जानी चाहिए थी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई आशाजनक कदमों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जम्मू, छत्तीसगढ़ गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में पांच और आईआईटी एवं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा तथा महाराष्ट्र में पांच आईआईएम की स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालयों एवं तेलंगाना और हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालयों के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए है। मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय तथा उत्तराखंड में हिमालयी अध्याय के लिए राष्ट्रीय केन्द्र हेतु प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए दिए गए है। यह उभरता हुआ भारत, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा संस्थान जिनकी स्थापना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी — 21 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8 नए आईआईटी, 7 आईआईएम एवं दस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अभी पूरा क्षमता से शुरू किया जाना है क्योंकि इनमें विश्वस्तरीय शिक्षा देने के लिए आवश्यक संरचना अभी प्रदान नहीं की गई है। बजट घोषणा में इस पहलू का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

हमारे देश के मुसलमान युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मदरसों का आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है ताकि वे अनुभूति कर सके और राष्ट्र के विकास में योगदान देने में समर्थ हो सके। मदरसा आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए है। किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में हजारों मदरसे हैं, अत: इस राशि को बहुत कम नहीं होना चाहिए कि बंटवारे में यह बहुत ही कम हो जाए। इससे कार्यक्रम का प्रभाव कम हो जाएगा।

लखनऊ और अहमदाबाद में मैट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे 46

भारतीय शहर है जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, यह आश्चर्यजनक है कि किसी अन्य शहर को मेट्रो के विकास हेतु प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

कृषि उत्पादों के मूल्य में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। वस्तुत: किसी सरकार के लिए खाद्य मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती है। खाद्य वस्तुआं का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूसीआई) स्फीति 2013-14 के समाप्ति तक पांच वर्षों में औसत 12.2 प्रतिशत वार्षिक थी जोकि गैर-खाद्य वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक है। खाद्य मुद्रास्फीति आपूर्ति शृंखला में खाद्य वस्तुओं के खराब होने के कारण होते हैं तथा यह वितरण चैनल की अक्षमताओं के कारण भी होता है। यह सर्वविदित है कि राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम ने कृषि उत्पादों हेतु इनके वितरण की प्रतिस्पर्द्धी स्थितियों के सृजन और राष्ट्रीय बाजार के सृजन को रोक दिया है। खाद्य वस्तुओं के वितरण में कई स्तरीय मध्यस्थता से खुदरा की कीमतें बढ़ी हैं। अत: वितरण चैनल और आपूर्ति चैनल में खाद्य की बर्बादी पर ध्यान देना चाहिए। बाजार अवसंरचना जैसे भांडागार, शीतागार और आधुनिक पैकेजिंग में निवेश से सुदृढ़ वितरण चैनल का निर्माण होगा। विशिष्ट खाद्य प्रसंस्करण पर उत्पाद शुल्क को कम करने का प्रस्ताव एवं पैकेजिंग मशीनरी पर शुल्क 10 से घटाकर 6 प्रतिशत करने को छोड़कर बजट घोषणा में और कोई ठोस उपाय नहीं किए गए।

मैं बजट में उक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन नहीं कर सकता।

***श्री नलीन कुमार कटील** (दक्षिण कन्नड़) : "कर्मणये वाधिकारस्ते का फलेषु कदाचन" के आदर्श-वाक्य के साथ ही नई सरकार ने श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। मेरा विचार है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों को निश्चित रूप से नई दिशा और नई उम्मीद देंगे।

माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा वर्ष 2014-15 का दूरदृष्टि वाला बजट पेश किए जाने से यह अच्छी तरह साबित हो चुका है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों को किसान-हितैषी, आम-जन-हितैषी और देश को विकासोन्मुखी बजट देने के प्रयास के लिए बधाई देता हूं।

देश के लोगों ने 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वादे पर भरोसा जताया है और यूपीए सरकार के बुरे शासन का युग समाप्त कर हमें पंथ निरपेक्ष विजय दिलाई है। अब भारत के 125 करोड़ लोगों का ध्यान रखना हमारा दायित्व है।

माननीय वित्त मंत्री ने सभी राज्यों और समाज के सभी वर्गों को भी कुछ न कुछ देकर प्रत्येक व्यक्ति को खुश करने का प्रयास किया है। बजट में रक्षा और बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान किया गया है, और सड़क निर्माण, बांध, एयरपोर्ट, पर्यटन और महिला सुरक्षा में सुधार, तीर्थस्थल केन्द्रों का विकास, स्वच्छ भारत अभियान, नदियों को परस्पर जोड़ना, औद्योगिक गलियारों के विकास, विनिर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार इत्यादि सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

यह किसानों का देश है। 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग किसान हैं। किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी एनडीए सरकार ने किसान विकास पत्र (केवीपी) को पुन: आरंभ किया है, जो छोटे बचतकर्त्ताओं में बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा किसान टीवी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया गया है।

सिंचाई सुविधा में सुधार करने के मकसद से सरकार ने "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" नाम से नई योजना शुरू करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कृषि के क्षेत्र में यह वास्तव में स्वागत योग्य कदम है।

बजट में संपूर्ण देश में 100 नए शहर बनाने की घोषणा की गई है और 100 स्मार्ट सिटी के लिए 7060 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आने वाले दिनों में यह भारत के विकास के लिए वास्तव में वरदान साबित होगा।

जहां तक संगठित क्षेत्र में सेवारत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का संबंध है, तो सरकार ने संगठित क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए न्यूनतम 1000 रुपए मासिक पेंशन का उल्लेख किया है। इस कदम से उन करोड़ों लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

निशक्त व्यक्तियों के संबंध में, सरकार ने उनके लिए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है सहायता और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए निशक्तजनों को सहायता (एडीआईपी)। इसका मकसद उन्हें समान अवसर देने और सम्मान के साथ सशक्त जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। इसके अलावा, बजट में चालू वित्त वर्ष के दौरान पंद्रह नई ब्रेल प्रेस की स्थापना करने और दस मौजूदा ब्रेल प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को सहायता दिया जाना भी प्रस्तावित है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सरकार ब्रेल जैसे चिन्ह वाली मुद्रा भी छापेगी। इस प्रकार, बजट में आम लोगों के कल्याण के लिए कई बड़े उपाय शामिल हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14.389 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए पहली एनडीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में शुरू की गई थी।

यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार शहरी और ग्रामीण भारत के बीच के अंतर को कम करने का हर संभव प्रयास करेगी।

जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र का सवाल है, तो "सबके लिए स्वास्थ्य" का उद्देश्य सुनिश्चित करने के लिए बजट में दो प्रमुख पहल का उल्लेख किया गया है, अर्थात् निशुल्क औषध सेवा और निशुल्क नैदानिक सेवा। यह समय की मांग है क्योंकि हमारे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को कीमत अधिक होने के कारण दवाइयां खरीदने में कठिनाई हो रही है।

बजट में हमारे देश के आम लोगों का ध्यान रखा गया है ताकि वे बेरोजगारी, अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं, अवसंरचना के अभाव से पीड़ित न हो। इस तरह से, यह एक आम जन हितैषी बजट है।

जहां तक कर्नाटक राज्य का सवाल है बजट में "मैसूर में वस्त्र मेगा क्लस्टर का विकास", "प्रस्तावित चेन्नै-बैंगलोर औद्योगिक गलियारे सहित तुमकुर में एक स्मार्ट सिटी हेतु एक मास्टर प्लान," 'बैंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले जैव-प्रौद्यागिकी क्लस्टर में सुधार' बैंगलौर में यह नए ऋण वसूली अधिकरणों में से एक की स्थापना करने" की घोषणा की गई है। ये कुछ योजनाएं हैं जो केन्द्रीय बजट में की गई है। इनके अलावा, बजट में यह उल्लेख है कि खनिजों पर रॉयल्टी दर के संशोधन पर कर्नाटक सहित कई राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार विचार किया जाएगा। इस कदम से कर्नाटक सहित राज्य सरकारों को अत्यधिक राजस्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि वे निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए कुछ आवश्यक उपाय करें और मेरे राज्य के लोगों को बेहतर जीवन बिताने में मदद करें।

जल सुविधा किसानों की बड़ी चिन्ता है। वर्तमान में देश के कई भागों विशेषरूप से कर्नाटक राज्य में सूखे की स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार को इन प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक क्षति का पता लगाने के लिए एक दल भेजना चाहिए। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जाए। कावेरी जल के वितरण के संबंध में भी केन्द्र को यह देखना चाहिए कि कर्नाटक राज्य जहां से कावेरी का उद्भाम होता है उस राज्य के साथ कोई अन्याय न किया जाए।

जल के पश्चात् विद्युत का मुद्दा कर्नाटक राज्य के लिए समस्या बना हुआ है। कर्नाटक के विद्युत मंत्री ने कहा "कोई विकल्प नहीं है, केवल भगवान ही हमें विद्युत समस्याओं से बचा सकते है।" बल्कि वे अलौकिक शक्ति पर यह सुनिश्चित करने के लिए भरोसा कर रहें है कि राज्य अंधेरे में न चला जाए। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, मैं कर्नाटक को विद्युत समस्या से बचाने के लिए भारत सरकार पर भरोसा करता हूं। किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिल रही है। वे अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते है। बैंगलोर जैसे शहरों में बार-बार विद्युत कटौती के कारण सॉफ्टवेयर कंपनियां प्रभावित हुई है। प्रतिदिन 1000 मेगावाट विद्युत की कमी है, वर्तमान में कर्नाटक की प्रतिदिन औसत मांग 8500 मेगावाट है लेकिन निजी कंपनियों से खरीद सहित उपलब्धता 7500 मेगावाट है। अत:, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सेन्ट्रल ग्रिड से और अधिक विद्युत के आवंटन के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

मैने कर्नाटक के कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। मुझे यकीन है कि अच्छे दिन आएंगे, मुझे यकीन है कि इस गंभीर समस्याओं, जो मैंने ऊपर प्रतिपादित की हैं, के समाधान के लिए केन्द्र सरकार मेरे कर्नाटक राज्य की मदद के लिए आएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार का बहुत आभारी हूं जो सदैव राज्य की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैं आम बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***साध्वी निरंजन ज्योति** (फतेहपुर) : आपने मुझे बजट 2014-15 के संबंध अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। परिवर्तन की दिशा में निर्णायक मतदान, लोगों का विकास करने, खुद को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने और समाज के द्वारा उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने की इच्छा को दर्शाता हैं देश बेरोजगारी, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं, अभावग्रस्त बुनियादी संरचना और भावशून्य शासन को सहने के मूड में नहीं है।

यह देश की दशा और दिशा के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट नीतिगत संकेतकों को दर्शानेवाला एनडीए सरकार का पहला बजट है। 2013 तथा 2014 में विश्व अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर की रिकवरी 36 प्रतिशत देखी गई है।

गांवों के विकास को ध्यान में रखते हुए 20 हजार कस्बों तक शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 3600 (छत्तीस सौ) करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बहुत-बहुत धन्यवाद। अत: मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर के भी सभी कस्बों को शुद्ध पानी मुहैया हो सकेगा।

इसी तरह वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए नीरांचल योजना के तहत 2142 (इक्कीस सौ बयालीस) करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे देश में जल संभरण विकास को गति मिलेगी। गांवों में विद्युतीकरण के लिए पांच सौ करोड़ आबंटित किए गए हैं, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसका लाभ फतेहपुर जनपद (उत्तर प्रदेश) के अब तक विद्युतीकरण से वंचित गांवों को जरूर मिलेगा। किसानों को तीन प्रतिशत तक आर्थिक मदद 2015 तक जारी रहेगी जिसका मैं स्वागत करती हूं।

पांच हजार करोड़ रुपए लघु अवधि के लिए रुरल क्रेडिट फाइनेन्स फंड के लिए दिए गए हैं। गांवों के सम्मानित निवासियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। देश में इंटरनेट विस्तार पर जोर देते हुए गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 500 करोड़ और गांवों में गवर्नेंस सुधार के लिए 100 करोड़ दिए हैं। सभी मंत्रालय और विभागों को इस साल के अंत तक ई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, निश्चित ही यह स्वागत योग्य कदम है। कृषि क्षेत्र में आढ़तियों की जमाखोरी से निपटने के लिए कस्बों और शहरों में किसान बाजार बनाए जाएंगे। भारतीय खाद्य निगम में आमूल-चूल बदलावों का ऐलान माननीय मंत्रीजी द्वारा किया गया है। वर्ष 2014-15 में आठ करोड़ का कृषि ऋण जुटाने का लक्ष्य है तथा कृषि की जानकारी के लिए सौ करोड़ रुपए के किसान टीवी खोलने की घोषणा की गई है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

अनाज भंडारण के विस्तार के लिए पांच हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र में भी अब अनाज का भंडारण संभव हो सकेगा। दौ सौ करोड़ रुपए से देशभर में दो हजार उत्पादक संगठन बनेंगे जिसका लाभ निश्चित रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र को भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि पांच सौ करोड़ रुपए से फसल मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा, जो स्वागत योग्य है। माननीय वित्त मंत्री जी ने आवास क्षेत्र पर जोर देते हुए वर्ष 2022 तक सबको घर के भारतीय जनता पार्टी के वादे को पूरा करने के लिए किफायती घर मुहैया कराने के लिए चार हजार करोड़ रुपए आबंटित किए हैं, इसका भी लाभ फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) की सम्मानित जनता को जरूर मिलेगा।

युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए दस हजार करोड़ रुपए स्टार्ट अप कंपनियों के फंड के लिए रखे गए हैं। ग्रामीण युवकों को प्रोत्साहन के लिए सौ करोड़ रुपए का स्टार्ट अप विलेज इंटर प्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। यंग लीडर्स प्रोग्राम के लिए सौ करोड़ रुपए हैं तथा दिल्ली, चेन्नई में बुजुर्गों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजिंग योजना है। अक्षमता के शिकार लोगों के लिए नई योजना दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14389 (चौदह हजार तीन सौ नवासी) करोड़ रुपए दिए गए हैं जिसका मैं स्वागत करती हूं। अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर तथा बांदा, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर व जालौन आदि जिलों को भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। सड़कें मानक के अनुसार बननी चाहिए।

सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु 500 (पांच सौ) करोड़ के परिव्यय से एक प्रायोजिक परीक्षण स्कीम तथा बड़े नगरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की स्कीम के लिए 150 (एक सौ पचास) करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता व उनके सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने व सहायता हेतु बेटी बचाओ योजना आरंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके जनादेश "सबका साथ सबका विकास" के नेतृत्व में सरकार की विकास पर कार्य नीतियों में जनता की प्रत्याशा परिलक्षित होती है। देश में सौ स्मार्ट शहरों के विकास की परियोजना के लिए राजकोष में 7060 (सात हजार साठ) करोड़ की राशि मुहैया कराई जाएगी। निश्चित तौर पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आशा है कि इसमें फतेहपुर को भी शामिल किया जाएगा।

सुनिश्चित सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 100 (सौ) करोड़ दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरवन मिशन का आरंभ किया गया है। बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ योजना हेतु 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नि:शुल्क दवा सेवा तथा नि:शुल्क निदान सेवा प्रदान की जा रही है। पहले चरण में सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय और पेयजल सुविधा मुहैया करायी जाएगी, इससे सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 (अट्ठाइस हजार छ: सौ पैंतीस) करोड़ तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 4966 करोड़ की राशि वित्त पोषित की जा रही है, स्वागत योग्य है। देश में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को संस्थागत वित्त पोषण उपलब्ध कराते हुए यह प्रस्ताव है कि नाबार्ड के जरिए भूमिहीन किसानों के 5 लाख संयुक्त कृषि वाले समूहों को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। रुपए 500 प्रति जोड़ा से अधिक परंतु 100 प्रति जोड़ा से कम खुदरा मूल्य वाले जूत-चप्पल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 12 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया गया है। यह आम जनता के हित में उठाया गया एक अच्छा कदम है। इससे गरीब एवं अमीर सभी परिवारों को लाभ मिलेगा। सौ करोड़ रुपए के साथ युद्ध स्मारक और पचास करोड़ रुपए के आबंटन के साथ राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना का प्रस्ताव है, इसका मैं स्वागत करती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर के खजुहा कस्बे में वावनइमली स्थान पर 52 लोगों को फांसी दे दी गई थी, उनकी स्मृति में स्मारक का निर्माण कराया जाए।

संस्कृत विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया जाए। बहराइच में बांदा राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग को रायबरेली बछरावा, फतेहपुर एवं बहुआ होते हुए बांदा से चित्रकूट तक चार लाइन करने की मांग सम्मानित क्षेत्र लोगों द्वारा की जा रही है। अत: माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस मार्ग को चार लाइन करने का प्रावधान किया जाए। पीने का पानी एकल पेयजल के माध्यम से दिया जाए।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस (एर्नाकुलम) : महोदय, हम नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले बजट पर चर्चा कर रहे हैं, इससे पूर्व हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की थी और हमने रेल बजट पर भी चर्चा की थी। सत्ता पक्ष द्वारा एक बात को बार-बार दोहराया गया है कि मोदी सरकार को बीमार अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई है।

महोदय, मेरे पास 18 मई, 2014 की एक समाचार कतरन... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन : मैं किसी पार्टी से नहीं इंडिपेंडेंट जीता हूं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री पप्पू यादव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्य से केवल एक बात जानना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : वह आपके सदस्य हैं। कृपया उन्हें नियंत्रित करें।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री पप्पू यादव, मैं यह नहीं चाहता।

यह सही नहीं है, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष को भी चेतावनी दे रहा हूं। यह इसका स्थान नहीं है।

मैं पीठासीन अधिकारी हूं और आप इस तरह बात कर रहे हैं। क्या यह संसद है? आप जो कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। आप केन्द्रीय कक्ष में जाएं और सभी चीजों पर चर्चा करें। यह जगह इसके लिए नहीं है।

प्रो. के.वी. थॉमस : दिनांक 18.5.14 को आई समाचार के अनुसार '264 मिलियन टन को रिकॉर्ड अनाज उत्पादन नई सरकार की मदद करेगा।' क्या यह भार है? क्या यह कमजोर अर्थव्यवस्था है।

महोदय, आइए 67 वर्ष पीछे देखते हैं, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, उस समय हमें 40 करोड़ लोगों के लिए बर्मा से चावल, अमरीका से गेहूं और इंग्लैंड से कपड़े आयात करने पड़ते थे। इस देश में एक पेपर पिन भी निर्मित नहीं होती थी। उस समय से भारत ने इतना विस्तार किया है कि आज हम सबसे बड़े कृषि-उत्पाद उत्पादक राष्ट्रों में से एक हैं। न केवल यह, बल्कि योजना जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने शुरू किया, उसने इस देश को इस प्रकार मदद की है कि जब मैंने इसमें सभा खाद्य सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया था, तो कुछ सदस्यों ने मुझसे पूछा कि क्या हमारे पास विधेयक के सतत् कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त खाद्यान्न हैं। यह विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ था। आपको याद होगा कि इस सभा में आठ घंटे और अन्य सभा में आठ घंटे चर्चा चली थी। उस समय मैंने कहा था कि हमारे पास 2039-40 तक के लिए न केवल खाद्य सुरक्षा विधेयक हेतु पर्याप्त खाद्यान्न थे बल्कि निर्यात हेतु भी है। 2039-40 में हमारा अनुमानित उत्पादन लगभग 280 मिलियन टन होगा। यह काफी बढ़ी सफलता है। ऐसे देश में जहां खाद्यान्न जहाज से मुंह तक पहुंचता था, आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां यह किसान से रसोई में पहुंच रहा है।

यह सही है कि कीमतों में वृद्धि हुई है। कीमत वृद्धि को रोकने के लिए बेहतर तंत्र प्रभावी लोक वितरण प्रणाली है। भारत उन कुछ देशों में से है, जहां लोक वितरण प्रणाली कार्य कर रही है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यदि आप बैठक बात करेंगे, तो मैं कार्यवाही करूंगा। यह स्थान इसके लिए नहीं है। जब अन्य माननीय सदस्य बोल रहे हों, तो कृपया बात न करें। आप लॉबी में जाकर चर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदय, हम उन कुछ देशों में से हैं, जहां प्रभावी पीडीएस, यद्यपि, इसमें कुछ कमियां हैं। एक प्रश्न हमेशा उठाया जाता है कि खाद्यान्न सड़ रहे हैं। विगत से वर्षों में यूपीए-I और यूपीए-II सरकारों ने 2004 में नुकसान को 2.5 प्रतिशत से कम कर 0.01 प्रतिशत करने की दिशा में काफी प्रभावी उपाय किए हैं। यह भारतीय खाद्य निगम की सफलता है। 2004 में हमारी भंडारण क्षमता 45 मिलियन टन थी, जिसे हमने अब विकसित कर 75 मिलियन टन तक कर दिया है। क्या यह इस सरकार पर भार है?

हाल ही में, मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की श्रीहरिकोटा से उपग्रह प्रक्षेपण को देखते हुए की गई एक टिप्पणी को सुना: उन्होंने कहा कि: "इस अवसर पर भारतीय गर्व कर सकते हैं"। परंतु हमें गर्व है कि 1969 में पंडितजी ने थिरुवनंतपुरम में इसरो को प्रारंभ किया था। 1975 में श्रीमती गांधी ने आकाश में आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की अंतरिक्ष-उपग्रह राष्ट्रों के समुदाय में

भारत के सदस्य बनने पर आलोचना की गई थी। अब, हमने चंद्रयान प्रक्षेपित किया है, और हमने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसकुलवी) की मदद से विदेशी उपग्रह भी प्रक्षेपित किए हैं। क्या यह भार है? क्या यह सफलता नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में और जन माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया था कि ई शासन सशक्तीकरण, समता और प्रभाविता लाएगा। मैं इस सभा में 1984 में आया था। मैंने तब कंप्यूटर नहीं देखे थे, और मैंने मोबाइल फोन नहीं देखे थे। तब केवल लैंडलाइन फोन थे और तब भी हमें नंबर का उल्लेख करना पड़ता था। श्री राजीव गांधी ने इस समय सपना देखा और भारत की दूरसंचार प्रणालियों को विकसित किया। क्या यह सफलता नहीं है? क्या यह इस सरकार को विरासत में नहीं मिला है?

यदि हम भारत में वर्तमान सड़क अवसंरचना को देखते हैं, हमारे पास 50 लाख किमी की सड़क अवसंरचना है, मैं एक छोटे मछुआरों के गांव में पैदा हुआ था। मेरे स्कूल और कॉलेज के दिनों में मुझे 10-15 किमी चलना पड़ता था। अब सारे देश में सड़कों का नेटवर्क है। इसलिए इस गलतफहमी में न रहें कि देश के 67 वर्षो के इतिहास में कांग्रेस ने 60 वर्षो तक केवल नेतृत्व ही दिया है। हमने राष्ट्र के विकास में काफी योगदान दिया है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) ने इस देश के स्वास्थ्य के विकास में काफी योगदान दिया है।

मेरा विचार यह है कि आप यह नहीं भूल सकते कि विगत 67 वर्षो के दौरान कांग्रेस ने साठ वर्षो तक नेतृत्व दिया है। हम लोगों के निर्णय को स्वीकार करते हैं। इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को श्रेय जाता है क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखा गया है। विश्व के किसी देश में लोगों के 67 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, और यही कारण है कि यह सरकार सत्ता में आई है। सरकारें आएंगी और जाएंगी। वर्तमान सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तथापि, एक दल के रूप में हमारे लोग देश के हर कोने में हैं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

यद्यपि इस सरकार को सत्ता में आए हुए महज 45 या 50 दिन ही हुए है लेकिन इस अवधि के दौरान मिले कुछ संकेत बहुत चिन्ताजनक है।

हमारे यहां मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था है। मंत्रीमंडलीय सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री शीर्ष होता है लेकिन अन्य सभी समान है। आमतौर पर हमारी व्यवस्था के पदानुक्रम में किसी को "नंबर दो" भी माना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने नेपाल और ब्राजील की यात्रा की लेकिन अभी यात्रा के दौरान यहां पर नम्बर दो का उल्लेख क्यों नहीं किया गया सभी समान है लेकिन नंबर दो 'का उल्लेख क्यों नहीं किया गया' मेरा एकमात्र प्रश्न यही है कि क्या यह सरकार एक टीम के रूप में काम कर रही है या सामूहिक नेतृत्व प्रदान कर रही है। यहा केवल एक ही व्यक्ति है, नरेन्द्र मोदी और बाकी सभी चीजे उसके आस-पास घूमती है।

मैंने केन्द्र और केरल राज्य दोनों सरकारों में काम किया है परंतु मैंने एक ऐसा सरकारी पत्र देखा है जिसमें मंत्रिमंडल के सच सहयोगियों को इस बात से मना किया है या चेतावनी दी है कि वे ऐसे व्यक्तियों को निजी सचिव न रखे जिन्होंने पिछली सरकार में काम किया है। महोदय, आपको इसके बारे में पता है आप स्वयं सरकार में रहे है। कई लोगों ने निजी सचिव या अपर निजी सचिव के रूप में कार्य कार्य है। मैं सरकार पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम मंत्रिमंडल की एकता के प्रति चिन्तित है। यह सामूहिक दायित्व है। हम इस सरकार से एक प्रकार की पारदर्शिता और गरिमा चाहते हैं।

इस सरकार के सत्ता में आने के बाद कितने राज्यपालों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस सरकार के पास ऐसे पैदायशी नेता होंगे जिन्हें ये राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है और इस पर कोई आपत्ति नही है। लेकिन कितने राज्यपालों, जैसे श्री राम.के. नारायणन, जो सत्ता में थे को हटा दिया गया है? यह इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है।

इस बात पर गौर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मीडिया से किस तरह से व्यवहार करते है। प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते है वे मीडिया के लोगों, जो न केवल सरकारी एजेन्सियों से संबंध रखते है अपितु अन्य अन्य एजेन्सियों से भी संबंध रखते है, को अपने साथ ले जाते है। मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि इस सरकार में सब कुछ सही नहीं है। सरकार और मीडिया एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करते है।

यह सरकार पिछले 45 दिन से सत्ता में है। यह कहकर आप हम पर दोष नही लगा सकते कि आपको विरासत में एक कमजोर अर्थव्यवस्था मिली है आपको एक गतिशील अर्थव्यवस्था मिली है। खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित होने के बाद मैं एफएओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम गया था। सभी राष्ट्रों में इस साहसिक कदम के लिए भारत को बधाई दी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक विधान है क्योंकि यह लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देता है। हमने यह अधिकार देने वाला विश्व का सबसे बड़ा विधान बनाया।

मैं उस समय के दौरान श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री लालकृष्ण आडवाणी से मिले समर्थन की सराहना करता हूं। हमने चर्चा की थी और

इसे पारित करने में हमें चार साल लग गए? यह एक महत्वपूर्ण विधान है। तथापि दुर्भाग्य से इस बजट में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने केवल इतना कहा कि सरकार खाद्य क्षेत्र में सुधार करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन, ढुलाई तथा वितरण संबंधी नुकसान को कम करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता पर गौर करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां तक खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने का संबंध है, तो ये किस दिशा में जा रहे हैं। जब खाद्य सुरक्षा विधेयक तैयार किया गया था तक हमने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारों सहित सभी राज्य सरकारों के साथ चर्चा की थी। इस संबंध में कुछ स्पष्टता होनी चाहिए।

इसी प्रकार आपको स्मरण होगा कि नरेगा व्याम का अधिकार प्रदान करने वाला प्रमुख कार्यक्रम है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जाता था जनादेश अन्तिम होता है। हम इस बात को स्वीकार कर रहे है। लेकिन सरकारें आती-जाती रहती है। इस बात में जरा सा भी सन्देह नहीं है। अत: हम सभी को साथ-मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, माननीय प्रधानमंत्री के इस कथन को उद्धृत किया गया है "हम साथ मिलकर काम करें।" हम साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है लेकिन इन्हें हमको विश्वास में लेना होगा। यह एक लोकतांत्रिक सरकार है। हम विपक्ष में है। हमारे पास केवल 44 सदस्य है। आप 237 से अधिक हो सकते हैं लेकिन हम भी जनता की आवाज है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री आर गोपालकृष्णन** (मदुरै) : सबसे पहले मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलावी अम्मा का आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे लोगों की सेवा का अवसर दिया है। और आम बजट 2014-15 पर अपने विचार व्यक्ति करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने देश की सबसे श्रेष्ठ योजनाओं में से एक लागू की है, जिसका नाम अम्मा उनावगम के मध्य से खाद्य सुरक्षा योजना है, जो लोगों को अत्यधिक सस्ती दरों पर भोजन प्राप्त करने में मदद करता है। यद्यपि देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, अम्मा उनावगम में खाद्य वस्तुओं की कीमतें अभी भी समान है। तमिलनाडु के लोग इस योजना से काफी खुश हैं और बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना से लाभ हो रहा है। मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु की इस योजना को आदर्श मानते हुए इस लोकप्रिय योजना को पूरे देश में लागू करें।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में अस्तित्व के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता है। लोग बेरोजगारी, गरीबी, अपर्याप्त मूल सुविधाओं, अवसरंचना की कमी इत्यादि से परेशान होने के मूड में नहीं हैं। यह एक चुनौतिपूर्ण स्थिति है। यह पांच प्रतिशे से कम वृद्धि दर और दोहरे आंकड़े में मुद्रास्फीति के कारण है। इसे केवल विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में वृद्धि के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है व्यय सुधारों पर कार्यवाही के लिए व्यय प्रबंधन आयोग की स्थापना मददगार हो सकती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए इसे कार्यरत होना चाहिए।

रोजगार केन्द्रों को कैरियर केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तमिलनाडु में मदुरै सहित देश के सभी भागों में ऐसे कैरियर केन्द्र होने चाहिए। ग्रामीण आवास के समर्थन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को 8000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आवंटन से तमिलनाडु के ग्रामीण लोगों को मदद मिलेगी।

कृषि और अवसंरचना क्षेत्रों दोनों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की समग्र आर्थिक वृद्धि हेतु दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। सुनिश्चित सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इस सुनिश्चित सिंचाई के लाभ देश में प्रत्येक ग्राम तक पहुंचने चाहिए।

प्रवास का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों को प्रवास करते हैं। इससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। इसलिए शहरों को अधिक जनसंख्या उका बोझ सहना पड़ाता है। 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 7600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तमिलनाडु में मंदिर शहर मदुरै को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यह तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के लोगों का केन्द्र बिन्दु है। मदुरै में मैट्रो ट्रेन, हेलिकॉप्टर पर्यटन, आधुनिक रेल डिब्बों इत्यादि के साथ अधिक रेल सेवा जैसी अवसंरचनाएं मिलनी चाहिए। मदुरै शहर के बाहर बाहरी रिंग रोड़ के निर्माण पर तत्काल बयान दिए जाने की आवश्यकता है। यह काफी लंबे समय से की जा रही मांग है और इसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए। यह मदुरै शहर में ट्रैफिक की बेहतर आवाजाही में मददगार होगा। यह मदुरै शहर की आर्थिक वृद्धि के लिए लाभकारी होगा।

तमिलनाडु में मदुरै शहर न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के सबसे अधिक पारंपरिक स्थानों में से एक है। यह शहर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का मिश्रण है, परंतु विगत 2 से 3 वर्षों में इस शहर में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, जिस कारण शहर सूखे का सामना कर रहा है। लोगों, विशेषकर, गरीब किसानों और मजदूरों का अपरा दैनिक जीवन जीने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है। संघ सरकार को तमिलनाडु

राज्य सरकार को आवश्यक बजटीय आवंटन प्रदान करना चाहिए ताकि राज्य सरकार मदुरै को सूखे जैसी स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर सके।

हमारी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री तमिलनाडु के लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में काफी रूचि लेती हैं। हमारी मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु कई करोड़ रुपए के उपबंध हेतु केन्द्र सरकार से संपर्क किया था। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए और तमिलनाडु में पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु बड़ा हुआ केन्द्रीय हिस्सा सुनिश्चित करना चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में अधिक बजटीय आवंटन और सहायता की आवश्यकता है। एम्स जैसे संस्थान तमिलनाडु में भी स्थापित किए जाने चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र का प्रस्तावित मॉडल तमिलनाडु में भी स्थापित किया जाना चाहिए।

मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु के लोगों के लाभ हेतु वर्तमान बजट में ही उपरोक्त प्रस्तावों को सम्मिलित करने पर विचार करें।

अपराह्न 2.41 बजे

[**प्रो. के.वी. थॉमस** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति जी, देश की जनता ने जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ हमारे दल की सरकार को चुनकर भेजा, उसी विश्वास के साथ हमारी सरकार के वित्त मंत्री जी ने अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने ऐसा बजट पेश किया, जिसमें राजकोषीय घाटे को कम करते हुए, देश के आर्थिक विकास को नई गति देते हुए और सामाजिक जन कल्याण के विषयों को ध्यान में रखा गया है। हमने सरकारी धन को नकद बांटने को काम नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से सरकारी धन का व्यय जिन मदों में होना चाहिए, उन्हें ध्यान में नहीं रखा, जिसके कारण आज हमारा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।

पिछली सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू कीं। उन्होंने कहा कि फैलोशिप योजना के माध्यम से देश में गरीबों का ध्यान रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल लाए, जिससे देश के हर गरीब के पेट में रोटी जाए। उन्होंने कैश ट्रांसफर स्कीम और आधार कार्ड को लागू करने की बात भी कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। वह सरकार ऐन चुनाव के पहले फूड सिक्योरिटी बिल लाई। उस फूड सिक्योरिटी कानून में अनियमितताओं के कारण उसका सही उपयोग नहीं हो पाया। जब देश में सर्वे ही नहीं कराया गया कि किस गरीब को अनाज मिलना है, राज्य सरकारों ने भी सर्वे नहीं किया कि कितने गरीब हैं, तो यह कैसे कामयाब हो सकता है। लेकिन पिछली सरकार जल्दी में यह बिल लाई, जिसकी वजह से जिस गरीब को लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला और देश के धन का भी सही उपयोग नहीं हुआ।

सभापति महोदय, इसी तरह पिछली सरकार ने कैश ट्रांसफर स्कीम लागू की कि लोगों को सब्सिडी सीधे उनके खातों में जमा होगी। लेकिन आज भी हमारे देश में 57 प्रतिशत से ज्यादा बैंकों में ट्रांजेक्श नहीं कर पाते है, लेकिन फिर भी पिछली सरकार ने योजना बना दी कि हम सब्सिडी को सीधे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करेंगे। जब बैंकिंग सिस्टम इतना ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम कैसे कैश ट्रांसफर स्कीम को लागू कर पाएंगे। इसी कारण हमारे देश में लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ता रहा। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि वर्ष 2016-17 में हम राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत पर ला देंगे। कोई वित्त मंत्री इतनी प्रतिबद्धता के साथ ऐसी बात नहीं कह सकता है, लेकिन उनका अपना विजन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने गुजरात को एक मॉडल स्टेट बनाया। किस तरह से देश में औद्योगिक विकास हो सकता है, किस तरह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से सर्विस सेक्टर के माध्यम से विदेशी धन और आय को बढ़ाया जा सकता है, ये सारे विजन मुख्यमंत्री रहते हुए, वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने स्टेट में स्थापित किये।

सभापति महोदय, अगर हम उत्पादन और रेवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे और बिना राजस्व को बढ़ाए हुए नगर सब्सिडियों के आधार पर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के धन को व्यय करने लगेंगे, तो हम अपने देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए इस बजट के अंदर माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक विजन दिया है कि हम कृषि की उपज को बढ़ाएंगे, घरेलू उत्पाद को इस तरह से बढ़ाएंगे कि सारे विश्व के अंदर हम अग्रिम पंक्ति के देश बन सकें। हमें सेवा के रूप में राजस्व प्राप्त हो। हमारा पर्यटन, हमारा मेडीकल टूरिज्म, हमारा एजुकेशन टूरिज्म, ये तीन सेक्टर हैं जिन्हें आत्म-निर्भर करने के लिए हमारा संकल्प है। देश में कहीं बोलावृष्टि है कहीं अकाल की स्थिति है, इसलिए सरकार ने कहा है कि हम किसान को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जमीन का रकबा बढ़ नहीं सकता है। उस जमीन में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे और उत्पादन करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। अगर हम सिंचाई के सिस्टम को उन्नत नहीं करेंगे तो बिजली और डीजल से किसान को खेती महंगी पड़ेगी। इसलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से अधिक से अधिक किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसकी कार्य-योजना बनाई है।

पिछली सरकार ने वन-पर्यावरण के नाम पर जो पूरे देश में बांध बनने थे, जो सिंचाई योजनाएं बननी थीं, उन्हें रोक दिया, जिससे सिंचित इलाका जो बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ा। हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में नयी शुरूआत की है। हमने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया है। आज हमें पीड़ा होती है कि हमारा पड़ोसी चीन जो हमसे बाद में आजाद हुआ, उसका घरेलू उत्पादन पूरे विश्व में छाया हुआ है। हमने कार्य-योजना बनाई है कि घरेलू उत्पाद के लिए कैसे हम टैक्स की पॉलिसी बनाएं, कैसे कस्टम ड्यूटी का सरलीकरण हो, सेंट्रल एक्साइज को कैसे हम कम करें? एसईजेड बनाकर ज्यादा से ज्यादा घरेलू उत्पाद बढ़ाएं। वह सबसे सस्ता और बेहतरीन हमारे यहां बने। इसके लिए नयी नीयत और पॉलिसी हम लाए हैं।

सभापति महोदय, इंडस्ट्री सेक्टर के साथ-साथ हमारा बहुत बड़ा खनन् का उद्योग है। इसलिए हमने एमएमडीआर एक्ट-1957 को संशोधन करने के लिए विचार रखा है। हमारी जमीन में जो धन है, जिसका उपयोग करके हम आज भी विश्व में चाहे कोयला हो, चाहे इस्पात हो तमाम चीजों को खान से निकाल कर लोकल इंडस्ट्री डेवलप करके उसके उत्पादन के माल से विश्व के बाजार पर कब्जा कर सकते हैं इसलिए हमने यह विचार भी बनाया है।

महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में आज हिन्दुस्तान सबसे आगे हो सकता है। पिछली सरकार ने पर्यटन को किस तरीके से करके दायरे में लाया जाए, ऐसे काम किए हैं। हमने प्रयास किया, हमने घोषणा की है कि हम पर्यटन के नए क्षेत्रों को भी डेवलप करेंगे और सेवा कर भी मुक्त रखेंगे। हम तीन सेक्टरों के माध्यम से देश के राजस्व को बढ़ाने की बात करेंगे।

महोदय, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे हैं। हमारा देश आज भी 67 साल के बाद बुनियादी ढांचे के लिए तरस रहा है। गांव के अंदर सड़क, बिजली, पानी नहीं है। आज भी देश के लोगों को हम शुद्ध पेयजल नहीं दे सकते हैं। आज भी उनके घरों में हम रोशनी नहीं कर सकते हैं। यह बजट नगद सब्सीडी या नगद भुगतान देने का नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर लोगों को रोजगार के साथ जोड़ कर उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार कर सकें। जिस मनरेगा की चर्चा हमारे कइ सदस्य कर रहे थे, आज मनरेगा के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, मनरेगा को पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है। मजदूर को काम भी मिले, हमारी परिसंपत्तियां भी अर्जित हों ताकि मनरेगा में जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम पूरे देश को नया बना सकें। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां बहुत प्रबल संभावना है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। हम हिन्दुस्तान के सबसे बड़े भूभाग के अंदर हैं। आज आवश्यकता है कि 2 लाख 47 हजार किलोमीटर के इस क्षेत्र का किस तरीके से उपयोग कर सकें इसके लिए मंत्री जी से कहूंगा कि इस इलाके में जहां सौर ऊर्जा के रूप में हम नए कदम बढ़ा रहे हैं वहां एसईजेड लाकर नई इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी करना चाहिए। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कच्छ के इलाके को नया आयाम दिया है। राजस्थान के अंगर नदियों जो जोड़ने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। यदि जोन वाइज नदियां जोड़ें, तो इससे खेत में किसान को सस्ती सिंचाई करने को मिलेगी। वहां एक जगह अकाल पड़ता है और एक जगह बाढ़ आती है, इससे राहत मिलेगी। पहले हमें जोन वाइज तीन-तीन, चार-चार नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। राजस्थान में इसकी प्रबल संभावना है इसलिए नदियों को जोड़ कर हम पूरे राजस्थान को सिंचित कर सकते हैं।

मैं कोटा से आता हूं जहां एक लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमें आवश्यकता है हम एजुकेशन, टूरिज्म को डेवलप करें और एजुकेशन टूरिज्म को डेवलप करने के बाद पूरे विश्व का विद्यार्थी हिन्दुस्तान की धरती पर पढ़ने के लिए आएगा। आजादी के पहले और आजादी के बाद हमारे देश का विद्यार्थी इंग्लैंड में पढ़ने जाता था। हमारा एजुकेशन टूरिज्म इतना डेवलप होना चाहिए कि पूरे विश्व का विद्यार्थी अगर पढ़ने आए तो हिन्दुस्तान में आए। यहां इलाज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सस्ता और बेहतरीन इलाज आज भी हिन्दुस्तान में है, इसलिए हमें मेडिकल टूरिज्म को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। महोदय, वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता कि राजस्थान के अंदर हमारे रेगिस्तानी भूमि को नए एससीजेड बनाने की, हमारे राजस्थान के इलाके को एजुकेशन टूरिज्म के नए संसाधन देने की और राजस्थान के अंदर जो छोटी-छोटी ढानिया हैं, उन्हें किस तरीके से इलैक्ट्रिफाई किया जा सकता है, उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है और किस तरह से नदियों को जोड़ कर प्लान कर सकते हैं, इसकी योजना बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बजट विज़न वाला बजट है। यह बजट एक संकल्प का बजट है और यह बजट देश की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट है जो देश के विकास को नए आयाम देगा और हिन्दुस्तान पूरे विश्व के अंदर विकास की दर में सबसे आगे होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

***श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर) : मैं सरकार का ध्यान आकर्षिक करते हुए बताना चाहता हूं कि मैं एक वरिष्ठ सदस्य के रूप

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में लोकतंत्र के आधुनिक मंदिर का गवाह रहा हूं और मैं बजट पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस बार यदि बजट पन्द्रहवीं लोक सभा के अंतिम बजट की पुनरावृत्ति हैं सभा में बजट प्रस्तुत करने एवं सभा पटल पर इसे चर्चा के लिए रखने के उपरांत इसमें कुछ भी नया नहीं है और मुझे आश्चर्य है कि यह बजट किस प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकेगा। जब तक मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक इसे प्रस्तुत और हमें मूर्ख बनाने की क्या आवश्यकता है। क्या यह बजट सुशासन देता है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के देखें तो गरीबों के साथ क्या हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे है और धनी और धनी होते जा रहे हैं। क्या वर्तमान बजट का यही आदर्श वाक्य है?

परिवर्तन के लिए निर्णायक मत लोगों की आगे बढ़ने की आकांक्षा, गरीबी के दुष्चक्र से स्वयं को मुक्ति पाने तथा समाज द्वारा प्रदत्त अवसरों का अभिव्यक्त करता हैं देश बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, अवसंरचना की कभी और उदासीन शासन को बर्दाश्त करने की मुद्रा में नहीं है। पांच प्रतिशत वृद्धि की दोहरे अंक में मुद्रास्फीति, जो लगातार गिर रही है, के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है तथा यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्व की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि के संबंध में वैश्विक रिकवरी तथा दिखाए गए वृद्धि की रिकवरी के लिए खतरा है।

एनडीए सरकार का पहला बजट इस दिशा में व्यापक नीति के सूचकों को निर्धारित करता है जहां हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं। घोषित कदम केवल सतत विकास की दिशा में अर्थपूर्ण यात्रा है। लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं सरकासर के विकास की रणनीति में परिलक्षित होंगी। विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र के विकास में पुन: जान डालने की आवश्यकता है एक जीडीपी में कर की दर में सुधार होना चाहिए और गैर कर राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए। चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि – अच्छा दिन आयेगा – शानदार भारत को देखने के लिए अच्छा दिन आ रहा है। किन्तु उद्घोषणा और घोषणा की सरकार द्वारा पूरी तरह उपेक्षा की गई है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए सब्जी से लेकर आम जीवन की वस्तुओं के मूल्य बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसका उपचार क्या है? टेलीविजन और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने के लिए कर और शुल्कों से मुक्ति करने की घोषणा गरीबों, आदिवासियों, गिरिजन और अनुसूचित जाति आदि के लिए थोड़ा भी उपयोगी नही है। क्या इस मुक्त कराधान से देश के गरीब लोगों की मदद होगी? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह मोदी सरकार अपने सत्ता में आने के आरंभ से ही मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में क्यों असफल रही है? मैं सदाशयी नागरिकों और जन प्रतिनिधियों से भी आश्चर्यचकित हूं। यह कब तक चलेगा? यदि मूल्य वृद्धि बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं हुई, तो बजट जो चर्चा के लिए पटल पर रखा गया है का कोई उपयोग नहीं है। क्या यह काला धन है जो बाजार से सफेद धन को बाहर निकालेगा? मैं सभा का ध्यान राजकोषीय घाटे की ओर दिलाना चाहता हूं जो अधिक राजस्व की वसूली के बजाय व्यय में कमी करके हुआ है। मुद्रास्फीति बढ़ी है जो धीरे-धीरे सही होगी। काले धन की समस्या को नियंत्रित किया जाये। राजनेताओं के स्विस बैंक और अन्य देशों में भी जमा धन के संबंध में आपके वादे की क्या है स्थिति है? मैं ओडिशा विधानसभा की सम्मानित सभा में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला राजनेता हूं। मैं याद दिला रहा हूं कि कृपया कार्रवाई की जांच कर लें। जब तक किसी राजनेता, किसी नौकरशाह, किसी व्यापारी का काला धन जब्त नहीं होगा, आप मूल्य वृद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति में उथल-पुथल हो सकता है।

मैं सरकार का ध्यान प्रशासनिक पहलुओं की और आकर्षित करना चाहता हूं। कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए सरकार के संप्रभु अधिकार का अनुपालन किया जाना चाहिए। एक सही और अनुमानित कराधान व्यवस्था निवेशक हितैशी होगी। वृद्धि के अनुसार निवासी करदाता उनके आयकर दायित्व के संबंध में अग्रिम नियम प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आयकर समाधान आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है और सीमान्त व्यक्तियों के पूर्ण संरक्षण हेतु राजसहायता वाले क्षेत्र को और अधिक लक्ष्योन्मुखी बनाया जाय। कर कानूनों में स्पष्टता लाने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए व्यापार और उद्योग संघों से नियमित आधार पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने की आवश्यकता है। व्यय सुधारों की जांच-पड़ताल के लिए व्यय प्रबंधन की स्थापना करने का मैं स्वागत करता हूं। रोजगार कार्यालय कैरियर केन्द्रों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। उनके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकार महिला मतदाताओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? महिलाओं की अनदेखी करके महिला विधेयक काफी समय से लंबित है और आप देश की भी अनदेखी कर रहे हैं। आपका घर इसलिए अच्छे से चल रहा है क्योंकि इसे महिलाएं अच्छे से चला रही हैं। यदि मूल्य वृद्धि नियंत्रित नहीं होती है, तो महिलाएं कैसे भोजन उपलब्ध कराएंगी। महिला संरक्षण नहीं है यहां तक कि हमने पिछले सरकार के कार्यकाल में त्वरित न्यायालय गठित किया था - क्या यह उपयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। बलात्कार न्यायालय से भी अधिक गति से हो रहे हैं। समाचार पत्रों में प्रतिदिन महिलाओं की हत्या, बलात्कार और छेड़छाड़ की रिपोर्ट आती है। महिलाओं को बचाने के लिए कितने लुटेरों को सजा दी गई और जेल में डाला गया। तत्काल एक कानून बनाया जाना चाहिए और देश में शराब की दुकानें बंद की जानी चाहिए। समाचार पत्रों में दिखाई जा रही महिलाओं की नग्न तश्वीरों पर प्रतिबंध लगाया जाय। छात्रों समुदाय की रक्षा के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में मोबाइल फोनों

के उपयोग पर शीघ्र प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। आपने हमारे राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की शीघ्र आवश्यकता है। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार ओडिशा को 30 विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, लेकिन ओडिशा में केवल 16 विश्वविद्यालय हैं। व्यापार के लिए राज्य की शिक्षा पर अतिक्रमण के लिए बाहरी व्यक्तियों को मत आने दीजिए। राज्य में स्थानीय विश्वविद्यालय को उनके द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है संवर्धन किए जाने की आवश्यकता है। मैं यहां पर ऐशियन स्कूल ऑफ बिजनिस मेनेजमेंट जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र, भुवनेश्वर के अंतर्गत आता है का एक ज्वलंत उदाहरण दे सकता हूं जिसने प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत लंबे समय तक योगदान दिया है। इसका उद्‌घाटन हमारे देश के पूर्व उप-राष्ट्रपति द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल की उपस्थिति में किया गया था। ओडिशा राज्य प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने में एएसबीएम के योगदान को दर्ज किया गया है और अन्य महाविद्यालय जैसेकि कृपाजल, सी.वी. रमन संस्थान, गीता और प्रबंधन के अन्य प्रस्तावित विश्वविद्यालय संबद्धता कार्य पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह अति आवश्यक है कि बाहर व्यक्तियों जो व्यापार के लिए प्राय: अतिक्रमण करते रहते हैं को अनदेखा कर इन्हें शीघ्र मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री का देश के प्रथम प्रबंधक विश्वविद्यालय अर्थात् ऐशियन स्कूल ऑफ बिजनिस मेनेजमैंट की शीघ्र घोषणा हेतु हस्तक्षेप के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए वैश्विक समग्र डिजाइन संबंधी सहायता की योजना के क्षेत्र में हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना चाहिए और महिलाओं के क्षेत्र में हमें महिला विश्वविद्यालयों की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से वर्तमान राज्य सरकार की मदद के लिए अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एएसबीएम के लिए एक प्रबंधन विश्वविद्यालय की तत्काल स्थापना हेतु अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं ताकि नारित्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा हो और महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं। यदि महिला शिक्षित होगी, तो राज्य शिक्षित होगा। भाषा के लिए मैं अपील करता हूं कि उडिया भाषा विश्वविद्यालय आरंभ करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणापत्र में पहले ही उल्लेख कर दिया है। मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय मंत्री से मेरे राज्य ओडिशा को शिक्षा के क्षेत्र के लिए और अधिक निधियां आबंटित करके समस्या को दूर करने की अपील करता हूं।

हमारे राज्य की महानदी और कथागोडी, गंगा और यमुना नदियों के जल को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। गंगा और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए बजट में की गई घोषणा और उल्लेख के अनुसार कृपया कार्य आरंभ कीजिए और इसी के साथ ही महानदी और हमारे राज्य की अन्य नदियों का जल भी स्वच्छ किया जाये। यह ओडिशा विधान सभा की सभा में दर्ज हो गया है। यदि महानदी में बाढ़ आती है, तो यह रुशीकुलिया नदी से जुड़ी हुई नदियों में आ सकती है। यदि दक्षिण ओडिशा की रुशीकुलिया नदी में अधिक पानी आता है, तो यह महानदी में आसानी से आ जाएगा और बाढ़ को रोका जा सकता है और नौवहन और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दोनों नदियां उपयोगी होंगी और मेरा यही प्रस्ताव वाजपेयी सरकार के समय भी दुहराया गया था जिस पर कार्य नहीं हुआ था कृपया यह सरकार प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए विशेष ध्यान दे। मैं अगले बजट में धन के शीघ्र आबंटन की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस विशेष विषय पर बोलने का मौका दिया। चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं सबसे पहले तो उनको बधाइ देना चाहूंगा। जेटली साहब बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे वकील भी हैं और उनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है। वह अगर सामने हाते तो बड़ा अच्छा होता। मोदी जी ने कहा है कि यह गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए सरकार है। उनके दिल में भी गरीबों के लिए दर्द है। मुझे मालूम है, जब गरीब लोग जेटली जी के पास केस लेकर जाते हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत से लोगों के लिए बिना फीस के वे लड़ते हैं। मैं इसके लिए उनको मुबारकवाद देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फाइनेंस बिल से जेटली साहब के रहते हुए जो 45 दिन में बना, बड़ी उम्मीदें हैं कि वह इस मुल्क और गरीबों की भलाई के लिए जो उनकी सोच है, जो वादे हैं, वे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि समय कम है, मुझे जेटली साहब से यह कहना है कि महंगाई के बोझ से आज हिन्दुस्तान का 98 प्रतिशत इंसान मरा जा रहा है। इसके लिए भी उनको सोचने की जरूरत है। मैं वित्त मंत्री जी की जगह पर जो भी साहब हैं, चाहता हूं कि वह यह नोट कर लें कि ट्रेन का भाड़ा जो 15 दिन पहले 14 प्रतिशत बढ़ा दिया गया, उसको देख लें। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब, "तुम्हीं हो माता, पिता तुम्हीं हो, तुम्हीं हो बंधु, सखा तुम्हीं हो"। घर की जो कमाई लाता है, वही घर का बड़ा होता है। आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपके हाथ में इस मुल्क की पूरी बागडोर ऊपर वाले ने दे दी है, इस मामले में रेलवे मिनिस्टर साहब ने हमारी नहीं सुनी। कोई बात नहीं

लेकिन आप तो सुन सकते हैं। आपका सुनने वाला दिल भी है और कान भी हैं। मैं व्यक्तिगत तरीके से आपको जानता हूं। मुझे उम्मीद है कि रेलवे बजट के अंदर चूंकि इसी से सभी चीजों का भाव बढ़ता है और हर इंसान पर इसका बोझ पड़ता है। इसी के साथ मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गंगा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बजट दिया। हम इससे खुश हैं लेकिन इसी के साथ चूंकि मैं नॉर्थ-ईस्ट से आया हूं, आसाम से आता हूं।

ब्रहमपुत्र हमारे लिए ऊपर वाले का एक गजब बन गया है। ब्रहमपुत्र नदी हमारे इस 25-30 साल के अंदर 1 करोड़ 27 हजार हेक्टेअर जमीन बर्बाद कर चुकी है। 30 लाख लोग बेघर हो चुक हैं और अपने घरवार का पता नहीं, लेकिन जिन लोगों की हजार हजार बीघा जमीनें थीं, आज वे भिखारी हो गये हैं। जैसे गंगा के लिए वह सोच रहे हैं, उसी तरह से ब्रहमपुत्र नदी के लिए भी वह जरूर सोचें। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकवाद दूंगा और चूंकि मॉइनॉरिटीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, असम को रिप्रेजेंट करता हूं, उन्होंने जो गरीबों के लिए, असम के लिए, 3734 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। पहले मिनिस्टर साहब के मुकाबले कुछ बढ़ाकर ही दिया है लेकिन अभी भी इसमें बहुत बढ़त की जरूरत है।

यह ऑल इंडिया बजट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कितना इसमें से जाएगा, इसका उल्लेख नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद बिहार में गया, वहां क्या जाएगा, बंगाल में गया है, वहां क्या जाएगा, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को मुसलमानों की एजुकेशन से बहुत दिलचस्पी है और वे मुसलमानों को पढ़ा-लिखा देखना चाहते हैं। मैंने अपने आसाम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच की डिमांड की। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में भी ख्याल रखा जाएगा और बजट में इसके लिए एलोकेशन रखा जाएगा। ब्रहमपुत्र नदी को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंस के अंदर इसका ख्याल रखा जाएगा।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान मदरसा एजुकेशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार मदरसा एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहती है, मॉडर्नाइज करना चाहती है लेकिन बजट 100 करोड़ रुपया रखा है। आज हिन्दुस्तान के मदरसों में इसे बांटा जाए तो मैं समझता हूं कि एक मदरसे को पांच लाख रुपया ही मिलेगा। कैसे मदरसों का मॉडर्नाइजेशन संभव होगा? मदरसा में तीन तरह की एजुकेशन है - गवर्नमेंट फंडिंग, नॉन फंडिंग और दरमियाना जो दोनों तरफ से लेते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 96 प्रतिशत मुसलमान बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं या ड्रापआउट हो रहे हैं। इस तरह से चार प्रतिशत मदरसों में जा रहे हैं। आपने मदरसों की फिक्र की मैं इसकी तारीफ करता हूं, वैलकम करता हूं लेकिन फिक्र करने की जरूरत उन 96 प्रतिशत बच्चों की जो स्कूलों में जा ही नहीं रहे हैं या जा रहे हैं तो मैट्रिक से आगे नहीं जा रहे हैं। तीन या चार परसेंट हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। जब तक आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। आप 96 प्रतिशत बच्चों की फिक्र जरूर करें।

महोदय, आपने स्मार्ट सिटीज की बात कही, आपको इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद। स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए और देश की तरक्की इसी से होगी। मैं गोहाटी के लिए डिमांड करूंगा कि इसे स्मार्ट सिटीज में शामिल किया जाए। मेरा क्षेत्र धुबरी, गोरपेटा, करीमगंज, है। यहां एमपी साहिबान बैठे हैं अगर मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा।

महोदय, मेरी डिमांड है कि फ्लड एंड इरोज़न को नैशनल कैलेमिटी डिक्लेयर किया जाए और असम की तबाही से पूरे असम क्षेत्र को बचाया जाए। जैसा आपने गंगा नदी के लिए किया है, ब्रहमपुत्र नदी के कंट्रोल के लिए ऐसे ही ख्याल रखिए। आप तो मुंबई के हैं, आपकी फैमिली को मैं जानता हूं, आपकी फैमिली बहुत दिलवाली है।

महोदय, एमाउंट टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज, मेरे इलाके में सबसे बड़ा ब्रिज का काम है। मैं पांच साल से इसके लिए कह रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस में कुछ तो ऐसा करेंगे कि वहां पत्थर लग जाए, लोगों को उम्मीद हो जाए। सीलिंग ऑफ बार्डर, हमारे यहां सबसे बड़ा मसला बांग्लादेशियों का है। मैं मुसलमान होकर कहना चाहता हूं, हम इस भारत के नागरिक हैं लेकिन हमारे माथे पर कलंक लगा हुआ है कि ये सब बांग्लादेशी हैं। मैं कल होम मिनिस्टर साहब से मिला और बहुत तफसील से मिला, वे बहुत, संतुष्ट हुए। हमारी पार्टी चाहती है कि फैंसिंग का ढोंग बंद किया जाए, 60-65 साल से नाटक चल रहा है, लूटमार हो रही है। इसे सील किया जाए।

महोदय, आईआईएम और आईआईटी के एस्टाबलिशमेंट की बात नॉर्थ ईस्ट खासतौर से लोअर असम के लिए कही गई। मैं जोरदार डिमांड करता हूं क्योंकि माइनोरिटी के बच्चे पढ़ने में बहुत पिछड़ रहे हैं। अगर आप इसे करेंगे तो उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह मैंने स्पेशल कैम्पस ऑफ अलीगढ़ के लिए डिमांड दी है।

हमारे इलाके की तरक्की के लिए रुपसी एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। इसे मिनिस्ट्री क्लियर कर चुकी है सिर्फ फंड एलॉट करना है और काम शुरू हो जाएगा। अब मैं रिओपनिंग ऑफ एयरपोर्ट और सी-पोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए थोड़ा फंड एलॉट करेंगे। एस्टाबलिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, मैंने धुबरी में मेडिकल कॉलेज का काम करा लिया है। आपके यहां से थोड़ा फंड जाएगा तो यह शुरू हो जाएगा। आपको दुआएं मिलेंगी, गरीबों का भला हो जाएगा।

अंत में मैं इस बजट की भरपूर तारीफ करता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं बिहार के मधुबनी संसदीय क्षेत्र से आता हूं, जो नदियों के जाल से घिरा हुआ क्षेत्र है, बाढ़ से हर साल परेशान होने वाला क्षेत्र है। हमारे वहां की भाषा मैथिली है। मैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज इस सदन में खड़ा होकर मिथिलांचल के करोड़ों लोगों की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान देकर हमारा सम्मान किया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी केर समय में मिथिलांचल में फोर लेन की सड़कें बनी थी, द्वारिका से लेकर कोहिमा तक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया था, कोसी में पुल बना था। सभी छोटी रेल लाइन को उन्होंने बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट किया था, कुल 1100 किलोमीटर सड़कें एनएच की स्वीकृत हुई थी, उसमें से सात सौ किलोमीटर उन्होंने केवल मिथिलांचल के लिए दिया था, इसके लिए भी मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं।

महोदय, आजादी के इतने दिनों के बाद भी मिथिलांचल पिछड़ा रहा, मैं उस समय संघ का स्वयं सेवक होने के साथ-साथ समाजवादी आंदोलन में डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करता रहा। 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, 1967 में जब विधायक बना, तब से 1977 में लोक सभा में आने तक 17 वर्षों में से पांच वर्ष मुझे कांग्रेसी राज की जेल में सड़ाया गया। वह दिन भी याद है जब सात फीट चौड़ी और 11 फीट लंबी कोठरी में हम लोगों को बंद करके खतरनाक बंदी की हैसियत से रखा जाता था। एक घड़ा पानी और एक गमला दिया जाता था। क्या अपराध था, यही कि हम गांव की बात करते थे, किसान की बात करते थे, गरीब की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, निर्धन, निर्मल, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित वंचित लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते थे। जिसके कारण कांग्रेस के राज में हम लोगों को जेल में बंद किया जाता था। रोम-रोम से आज भी वह ज्वाला भड़कती है। अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारे गुरु डा. लोहिया ने 1967 में नारा दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर गैर कांग्रेसवाद की एक योजना बनी थी। तब उन्होंने नारा दिया था- कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, वह सपना अधूरा था। परंतु जब नरेन्द्र मोदी जी बोल रहे थे तो उन्होंने गांधी, लोहिया और दीनदयाल का नाम लिया था। मैं लोहियावादियों की तरफ से तथा देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, पीड़ितों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने गांधी, लोहिया, दीनदयाल तीन महान राजनीतिक गुरुओं का नाम लिया था, उनके आदर्शों पर भारत के निर्माण का संकल्प लिया।

सभापति जी, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं, वह ब्राजील में ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं, उन्होंने नये भारत का जो सपना देखा था, मैं इस संसद से खड़ा होकर विदेश में बैठे प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत के यश की विजय पताका दुनिया में फहराने का काम किया है। इससे विश्वास होता है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की एक महान शक्ति के रूप में खड़ा होने वाला है। बैंक शंघाई में बनेगा, लेकिन उसका प्रथम सीईओ भारतीय बनेगा, यह सम्मान भारतीयों को मिला है और इस सम्मान के लिए हर भारतीय की छाती गर्व से फूल जानी चाहिए। मैं आपसे प्रर्थना करना चाहूंगा और इन कांग्रेस के लोगों को सुनाना चाहूंगा कि माननीय ज्योदिरादित्य जी कांग्रेस के नये उदीयमान नेता हैं। उनके पिता जी भी मेरे साथ सदस्य थे। तब भी वह मेरी बात को सुनते थे। उस दिन वह कांग्रेस की तरफ से बहस का प्रारंभ करके आंकड़े दे रहे थे। सभापति जी आंकड़े सुनते-सुनते मेरे 74 वर्ष गुजर गये, उससे देश के लिए क्या निकला - 3 में 13 डालो, 13 में 15 डालो, 15 में 18 डालो, 18 से 27 निकालो, 27 में 22 डालो, यह हिसाब सुनते-सुनते इस देश के पिछड़े, निर्बल किसानों और मजदूरों को क्या मिला है। हम अपनी जवानी के दिनों में जेल में बंद होकर गाते थे। आज भी वही गीत हम गाते है और आज भी खेत में किसान, मजदूर, पिछड़े और दलित जब काम करते हैं तो वे राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। तब भी हम कहते थे - धूप-ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प-तड़प कर मरते, फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रो कर, हम चलो बसाएं नया नगर। हम तो नया नगर बनाने वाले गरीब, निर्धन, निर्बल हैं, नया हिन्दुस्तान को बनाने का सपना देखा था। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखा था। मैं हिन्दुस्तान के किसानों, मजदूरों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, निर्धनों, निर्बलों, उपहासित और उपेक्षित लोगों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस बार उस सपने को पूरा किया है और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, वह संकल्प आगे बढ़ेगा और पूरा होगा। हम भी पांच वर्ष उस तरफ बैठे थे। यहां से वे बोल रहे हैं इससे पहले पांच वर्ष हम वहीं बैठे थे, दूसरे बेंच पर, मेरा डिविजन नंबर 462 था। उस समय हमारे दल से प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वाज थीं। उनके सफल नेतृत्व में हम विरोधी दल के आचरण का निर्वाह कर रहे थे। इस संसद में विरोधी दल ने एक नए इतिहास का निर्माण किया था। आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष में हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि तब भी कांग्रेस वालों को सुनाया करता था। ये समाजवाद की बात करते हैं। ये समता की बात करेंगे। ये क्या-क्या बात करेंगे।

"उहरहि अंत न होई निबाहुं,
कामनेमि जिवि रावण राहू"

रावण ने भी तपस्वी बन कर सीता माता का हरण किया था। कालनेमि भी साधु बनकर हनुमान के मार्ग को रोकने गया था। लेकिन वह पकड़

में आ गया। उनके पर्दे उठ गए। आपके पर्दे भी उठ चुके हैं। अब थोड़ा बाकी है। जब वह पूरा उठेगा, तो आप कहां रहोगे, वह भगवान जाने, वह ईश्वर को पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिसके लिए मैं इतने दिनों तक लड़ा हूं मैं उस दिन को देखना चाहता हूं कि सदन में कांग्रेस नाम की कोई चीज न रहे, कोई पार्टी न बैठे और उनकी तरफ से कोई सदस्य न रहे। ऐसे भारत का हम सपना देखते हैं। उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं। वह दिन आने वाला है। वह इस देश की जनता करेगी। नौजवान करेंगे। जब हम आपके खिलाफ लड़ते थे तो उनका आह्वान करते थे–

"आओ श्रमिक, कृषक मजदूरों
इंकलाब का नारा दो।
शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियो,
अनुभव भरा सहारा दो।
तब देखे कांग्रेसी सत्ता,
कितनी बर्बर और बौराई है।
तिलक लगाने तुम्हें जवानों,
क्रांति द्वार पर आई है।"

हम तो वह जमाना पार कर के आए हैं। इसी सदन में डॉ. लोहिया ने 16 मार्च, 1965 को कहा था, मैंने वहां से भी सुनाया था। आप जिस समय सत्ता में थे, उस समय डॉ. लोहिया ने आपको सुनाया था। लेकिन क्या आपने इस बात को ध्यान दिया था। हमारे बहुत साथी समाजवाद की बात करते हैं। लोहिया की बात करते हैं, उनके गीत गाते हैं। लेकिन उनके दर्शन को समझ नहीं पाए हो? इस सदन में उन्होंने कहा था कि भारत की दृष्टि क्या हो, दिशा क्या हो, संकल्प क्या हो, राह क्या हो? उन्होंने एक मार्गदर्शक का काम किय था, जिसको मैं आज पढ़ कर अपने सदस्यों को थोड़ा सुनाना चाहता हूं, जो उनको समझ लें। समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह, एक होता है थोक, एक होता है फुटकर। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से कोई एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी और नीचे उतरो आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब उसके बाद आएगी समता, संर्पूण समता, संभव समता। एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब होगी अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाव। यह है भारत का दर्शन। अगर इसके आधार पर भारत का निर्माण हुआ होता तो आज भारत में गरीबी नहीं रहती, निर्धनता नहीं रहती, अशिक्षा नहीं रहती। गांव नर्क नहीं रहता। हरियाणा और पंजाब जैसे आस-पास के कुछ राज्य हैं, वहां के गांवों से हमारे गांवों की तुलना मत करो।

सभापति महोदय कभी किसी को अगर मेरे गांव में रहना पड़ा होगा, तो उस दर्द को जानता होगा, जब तीन महीने पानी में खड़े रहते हैं। हमारे घर के मर्द क्या औरतें भी घुटने भर पानी में शौच को जाती हैं। उस हिन्दुस्तान को हमने देखा है। उस नर्क की जिंदगी को हमने जिया है। नर्क की जिंदगी जिलाने वाले कौन हैं। आप हैं। आपने भारत के गांव के किसान को, मजदूर को नर्क की जिंदगी में बंद रखा। कीड़-मकौड़े के जैसे रखा। आपने उनको जानवर से भी बदतर बना कर रखा।

आज उसके जीवन में एक नये संकल्प, एक नये जीवन की संभावना है, उसके मन में एक आशा जगी है। नरेन्द्र मोदी उनको एक संभावना दिखायी है कि ओओ मेरे साथ, तुम्हें एक नया देश बनाकर देंगे, एक नया संकल्प बनायेंगे, एक नये देश में तुम्हें खुशहाली देंगे, रोटी-कपड़ा और मकान देंगे, इज्जत देंगे, वह सब इस बजट में है। इस बजट में क्या नहीं है? मैं हिन्दुस्तान के गरीब, किसान के नाते इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन इस नाते नहीं करता हूं कि मैं सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हूं। मैं इसका इसलिए समर्थन करता हूं कि मैं अपने जीवन में जिसके लिए लड़ता आया, उसकी रोशनी इस बजट में दखाई पड़ रही है और एक नयी किरण दिखायी पड़ी है कि नये भारत का निर्माण होने वाला है। इस बजट में क्या नहीं है? आदरणीय जेटली जी आ गये हैं, मैं इनकी योग्यता, विद्वता, प्रतिभा क्षमता को नमस्कार करता हूं। लेकिन मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, पहले आया था कि एक रुपए में 33 पैसे कम, पिछली बार आया 27 पैसे कम, इस बार आया है 24 पैसा कम, मैं कहता हूं कि इस कमी से भारत को कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं। अगर भारत संकल्प करे तब मुक्ति मिलेगी।

किसान विकास पत्र है। किसान विकास पत्र के लिए एक नियम बना दिया जाये। मैं उसमें अपने को भी ऑफर करता हूं कि इस देश का हर आदमी, जो सरकारी खजाने से वेतन, भत्ता उठाता है, यह अपने वेतन, भत्ते का एक एक चौथाई किसान विकास पत्र में लगायेगा और 20 वर्ष तक उसके पैसे उसमें लगे रहेंगे। 20 वर्ष के बाद यह पैसा वापस होगा। ऐसा करने से इतना धन आयेगा कि हिन्दुस्तान का गांव स्वर्ग बन जायेगा। हम ऐसा कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं एक बात और सुनाकर दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे बहुत साथी इसमें आते हैं, वे बड़ी-बड़ी बातें सुनाते हैं, लेकिन भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रखर हिन्दुत्व की बात आती है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। ये संघ के दर्शन नहीं हैं, ये किसी भाजपा के नेता के नहीं हैं। इसी संसद में डॉ. लोहिया ने भारत के इतिहास की आलोचना करते हुए कहा था- "समन्वय दो तरह का होता है, एक दास भाव का समन्वय, एक स्वामी भाव का समन्वय। पिछले हजार के बरस के इतिहास से हिन्दुस्तान ने स्वामी भाव

का समन्वय नहीं सीखा है। यह एक दास भाव का समन्वय रहा है। इस संबंध में मैं खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं, वे सभी जहर से बिल्कुल खुल जाते हैं। आज भारत में दो इतिहास के स्कूल हैं। एक डॉक्टर ताराचन्द और एक डॉ. मजूमदार, ये दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विशेषता के धारा के हैं। भारत क्या है, इसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं, उनकी तरफ निगाह चली जाती है। दास भाव का समन्वय। हम उठते हैं और कहते हैं कि हमने सांस्कृतिक समन्वय किया है। हमने सभी धर्मों के साथ समन्वय किया है। डॉ. लोहिया ने कहा कि भारत में अगर हमने दूसरे धर्मों के साथ सांस्कृतिक समन्वय किया है तो दास बनकर समन्वय किया है, हमने स्वामी बनकर समन्वय नहीं किया है। भारत में स्वामी भाव से समन्वय की धारा चलनी चाहिए तब कहीं जाकर भारत का स्वाभिमान जगेगा, भारत की आशापूर्ति होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

अंत: में मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं पिछड़ा हूं, पिछड़ों के लिए अगर न मांगूं तो मेरे लिए मांगेगा कौन? अपने लिए मैं न मांगूं, दूसरा कोई मांगे नहीं, अपने लिए मांगने में संकोच कर जाऊं तो फिर पाऊंगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के केन्द्रीय सचिवालय में एक भी पिछड़ी जाति और दलित जाति का सचिव नहीं है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है इतने दिन में? ये बड़ी डींग मारते हैं कि इन्होंने बहुत दिया। आज भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय में पिछड़ी और दलित जाति का एक भी सचिव नहीं है। आज भी बैंक के डायरेक्टर बनते हैं, उस बैंक के डायरेक्टर में 14-15 डायरेक्टर होते हैं, उसमें एक भी पिछड़ा और दलित नहीं होता है। जितने अधिवक्ता बनाये जाते हैं, उनमें पिछड़ों और दलित को स्थान नहीं दिया जाता। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूंगा कि हिन्दुस्तान के उन करोड़ों, दलितों, पिछड़ों की तरफ से मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नरेन्द्र मोदी आये हैं, नया भारत बनायेंगे, इनके आने से देशभर के पिछड़ों में एक आशा जगी कि हिन्दुस्तान में पहला निर्धन, निर्बल, अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वह गद्दी पर आयेगा और मेरे लिए कुछ करके जायेगा।

आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारत की नौकरियों में, भारत के विश्वविद्यालयों में, भारत के सचिवालयों में, भारत के आयोगों में, भारत के हर बोर्ड में, भारत के हर अंडरटेकिंग्ज़ में पिछड़े और दलित समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए - डायरेक्टर होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए जिससे उनको सम्मान मिले। आशा है कि इन सबकी पूर्ति होगी।

[अनुवाद]

***श्री बी. विनोद कुमार** (करीमनगर) : माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किए गए 2014 के बजट प्रस्तावों पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आने के छह हफ्तों के भीतर ही अर्थव्यवस्था की अनेक चुनौतियों का सामना कर रही थी, जिनसे निपटने के पूर्ण उपाय इस बजट में परिलक्षित होते हैं। महंगाई, कम आर्थिक विकास दर और चालू खाता/वित्तीय घाटा तीन ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जिन्हें नई सरकार द्वारा तुरंत हल किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था का इसकी पूरी क्षमता तक पुनरुद्धार किया जा सके। इस संदर्भ में, बजट में इन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मैं श्री अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं। इस बजट को चुर्निदा धुंआधार उपायों के बजाय संक्षिप्त रूप में '100 छोटे कदमों' का एजेंडा कहा जा सकता है।

सबसे प्रमुख तौर पर, मैं बजट में की गई निम्न घोषणाओं का, उन पर अपनी टिप्पणियों के साथ स्वागत करता हूं। एनएचएआई और राज्य की सड़कों के लिए 37860 करोड़ रुपए के आवंटन के माध्यम से 8500 किमी. सड़कों का निर्माण कर सड़क अवसंरचनात्मक ढांचे में बढ़ोत्तरी 100 छोटे शहरों के लिए 7080 करोड़ रुपए का आवंटन तेलंगाना राज्य में करीब 5 लाख की आबादी वाले पांच कस्बों को कृपया इस पहल के अंतर्गत शामिल किया जाए। एससी योजना के अंतर्गत 50,548 करोड़ रुपए और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत 32,387 करोड़ रुपए का आवंटन इस बात को दर्शाता है कि एनडीए को आम धारणा के विपरित देश की हाशिए पर चली गई आबादी की फिक्र है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए 14,389 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अधिक उत्पादकता, परिसंपत्ति सृजित करने वाले और व्यापक रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े कार्यों के माध्यम से मजदूरी रोजगार मनरेगा को जोड़ना। मनरेगा का यह पुनरुद्धार तेलंगाना जैसे कृषि राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां हम प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत एक लाख एकड़ भूमि लाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। देश में ग्रामीण आवास का विस्तार और उसे सहायता जारी रखने के मद्देनजर राष्ट्रीय आवासीय बैंक (एनएचबी) हेतु वर्ष 2014-15 के लिए 8000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह हमारे तेलंगाना राज्य के लिए लाभदायक होगा, जहां हमारी पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को तीन लाख रुपए से एक बेडरूम, रसोई और हॉल वाले घर देने का वादा किया है।

वेतनभोगी वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को 1,00,000 रुपए तक की कर राहत दी गई है। तथापि, हम चाहते हैं कि सरकार अपने घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार 5 लाख रुपए तक की कर राहत दिए जाने के वादे को पूरा करे। 10,000 करोड़ रुपए के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एसएमएसई) क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहनपूर्ण और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नवोन्मेषी उपाय किए गए। मैं बजट भाषण के इस विचार से सहमत हूं कि अधिकांश एसएमएसई का स्वामित्व और संचालन अ.जा., अजजा और अ.पि.व द्वारा किया जाता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए ठोस सुझाव देने हेतु वित्त मंत्रालय, एसएमएसई मंत्रालय और आरबीआई की समिति के गठन की भी मैं सराहना करता हूं, क्योंकि इससे जनसंख्या के कमजोर वर्गों को लाभ होगा। मैं वित्त मंत्री से इस बात को सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि समिति अपना काम तक समयसीमा में पूरा करे।

राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर के लद्दाख में अल्ट्रा मेगा और विद्युत परियोजनाएं शुरू करने के प्रस्ताव के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन भी सराहना योग्य है। इस संदर्भ में, मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि महबूबनगर जिलों को पहले ही सौर विद्युत के लिए विशेष जोन के रूप में चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन तेलंगाना में अत्यंत पिछड़ा जिला होने के कारण इस पर अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के लिए भी विचार किया जाए। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्यों में और आईआईटी, आईआईएम, एम्स और मेडिकल कॉलेज खोलने का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं तेलंगाना राज्य के लिए एक आईआईएम, एक मेडिकल कॉलेज और एमस स्वीकृत करने का वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं, क्योंकि संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के दौरान तेलंगाना राज्य में उच्च शिक्षा की अनदेखी की गई।

अंत में, मैं बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषित की गई कई पहलों की सराहना करता हूं। चूंकि, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 60 प्रतिशत लोगों के लिए यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है।

कृषि क्षेत्र के सशक्तीकरण के लिए 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, किसान टीवी एपीएमसी अधिनियम में सुधार के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार की स्थापना जैसी कई पहल स्वागत योग्य हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री से नम्र निवेदन है कि वह बजट में कृषि क्षेत्र की इन सभी महत्वपूर्ण पहल संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करें। इन पहलों की प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई और सतत् समीक्षा से ही कृषि क्षेत्र का सशक्तीकरण सुनिश्चित होगा, तभी 4 प्रतिशत के सतत् विकास को हासिल किया जा सकेगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा, इस बजट में कुछ धमाकेदार घोषणाओं के बजाय 100 छोटे कदमों का उल्लेख किया गया है। मैं, अपनी पार्टी टीआरएस की ओर से इस उपलब्धि के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि बजट में शामिल सभी पहलों के संबंध में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की जाए और तिमाही अंतराल के बाद प्रगति की जानकारी संसद को दी जाए।

***श्री एडवोकेट जोएस जॉर्ज** (इडुक्की) : मैं केरल के इडुक्की संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि एक अविकसित और उपेक्षित क्षेत्र है जो जनजातियां, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित कृषक जनसंख्या बाहुल्य है बजट प्रस्ताव देखने पर, पहली बार में ही, मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारा प्रश्न है, बजट का धारणा दृष्टिकोण और रवैया पूर्णतया निराशाजनक है।

इडुक्की जिले में कम उत्पादकता उच्च उत्पादन लागत, रबर, इलायची, काली मिर्च, कोको आदि जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट के कारण पैदा हुई कृषि संबंधी समस्याओं के कारण पृथक समुदायों को अपना अस्तित्व बयाने के लिए समस्या आ रही है। केन्द्र सरकार की नीतियां, जोकि वैश्वीकरण और आर्थिक उदारता के एक भाग के रूप में अनुसरण किया जा रहा है, से लोगों की व्यथा में बढ़ोतरी हुई है। इडुक्की संसदीय क्षेत्र कोई अपवाद नहीं है बल्कि देश के गरीब किसानों का एक व्यापक प्रतिनिधित्व है जो कि काफी यातनाएं झेल रहे हैं और अस्तित्व के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारता के इस क्रूर युग में, एक सरकार के लिए यह सुविधाजनक है जोकि औद्योगिक विकास और जीडीपी दरों के आधार हाशिए पर आई और गरीब कृषि समुदाय के हितों को अनदेखा करने के लिए विकास पर ध्यान दे रही है और इसकी वकालत कर रही है।

अवसंरचनात्मक विकास के संदर्भ में में, अविकसित गांव और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद भी अनदेखा किया जा रहा है। सड़क संपर्क जैसी अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और मानदंड मेरे संसदीय क्षेत्र जैसे क्षेत्र में, पहाड़ी रास्तों और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं को शामिल करने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मौजूदा मानदंड के आधार पर व्यवहार्यता की कमी के कारण, अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी विकासात्मक योजनाओं के लाभ वांछित लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे है। इससे दूरवर्ती कृषि समुदायों की भावनाओं में इससे और आक्रोश आ सकता है कि उनके प्रति सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। भेदभाव की यह भावनाएं, सामाजिक असंतोष को बढ़ा सकती है; जिसके परिणाम स्वरूप अराजकता आएगी। इसलिए, यही समय है जब केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त बनाने के लिए दिशा-निर्देशों और मानदंडों पर पुन: कार्य किया जाए। इडुक्की जिले में कृषि संकट के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या में हुई वृद्धि के कारण, भारत सरकार ने इडुक्की के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है ताकि इडुक्की में उक्त संकट को समाप्त किया जा सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लेकिन दुर्भाग्यवश, सरकारी तंत्रों की उदासीनता के कारण, परियोजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकी है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की गई कुल राशि के 20% से कम का उपयोग किया गया है। लेकिन पैकेज का उपयोग करने का समय गत वर्ष दिसंबर में समाप्त हो गया है यह स्पष्ट है कि सरकार ने मुक्त पैकेज की समय सीमा नहीं बढ़ाई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषि समुदायों की मौजूदा हालत वर्ष 2009 में जब उक्त पैकेज की घोषणा की गई थी, तब से ज्यादा खराब है, इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर इडुक्की पैकेज को और अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाए।

अगला जो मुद्दा है सरकार के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों से पश्चिमी घाटों में रह रहे लोगों के बिना शामिल किए और उनकी भागीदारी बिना उनकी आजीविका के विकल्पों को हानि हो सकती है। वर्ष 2009 के दौरान विश्व विरासत समिति को एक आवेदन जमा करके यूनेस्को की विश्व विरासत प्राकृतिक स्थलों की सूची पर पश्चिमी घाटों में 39 स्थलों को शामिल करने हेतु सरकार ने प्रयास प्रारंभ कर दिए है। यह स्पष्ट है कि यह प्रयास वास्तव में इस प्रयोजनार्थ विदेशी वित्तपोषण एजेंसी के सहयोग से अभियान चला रहे और पैरवी कर रही गैर सरकारी संगठनों से प्रेरणा लेकर किए गए हैं। विश्व विरासत समिति ने यह कहकर कई बार प्रस्ताव पर विचार को टाल दिया है कि वैज्ञानिक आधार पर एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर पश्चिमी घाटों में विनियामक व्यवस्था में अस्पष्टता है। प्रस्ताव को अंततः 29 जून, 2009 को स्थगित किया गया। तत्पश्चात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तत्कालीन प्रभारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ पैरवी कर रहे एनजीओ की निर्वाचित सभा में 4 मार्च, 2010 को डब्ल्यूजीईईपी की घोषणा की गई है। मंत्री जी ने डब्ल्यूजीईईपी के गठन की घोषणा की है एक एनजीओ के साथ निकट संबंध जिसे पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों से सलाहकार बोर्ड सदस्य के रूप में वित्त प्राप्त होता है। डब्ल्यूजीईईपी को क्षेत्र में रहने वाले लोगों; स्थानीय स्वशासन, संस्थाओं और सभी संबंधित पक्षकारों को शामिल करके व्यापक परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया था लेकिन दुर्भाग्य से पैनल ने यह काम नहीं किया?

सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आईयूसीएन जोकि एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और जो विश्वदाय समिति तथा सरकार के बीच मध्यस्थ का काम कर रही थी ने 06.01.2013 को एक पत्र जारी किया जिसमें मौजूदा बांधों की स्थिति, प्लांटेशन और उसमें कीटनाशकों का उपयोग तथा पश्चिमी घाटों में प्रस्तावित 39 स्थलों की निकटता सुनिश्चित करने पर विशेष उल्लेख किया गया था। तत्पश्चात् डब्ल्यूजीईईपी ने 31.08.2013 को आपने रिपोर्ट पेश की थी जिसमें आईयूसीएन और विश्वदाय समिति द्वारा व्यक्त की गई सभी चिन्ताओं का समाधान किया गया था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डब्ल्यूजीईईपी की रिपोर्ट जिसे माधव गाडगिल रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, को विश्वदाय प्राकृतिक स्थल में उल्लिखित 39 स्थलों को डब्ल्यूएचसी की संतुष्टि हेतु शामिल कराने के प्रयोजन से तैयार कराया गया था?

डब्ल्यूजीईईपी की अधिकतर सिफारिशें पश्चिमी घाट में रहने वाले लोगों के हितों के विरुद्ध है। इसलिए इस संबंध में हुए व्यापक प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इस बारे में और अध्ययन करने तथा व्यवहारिक सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यदल (एचएलडब्ल्यूजी) का गठन किया। लेकिन दुर्भाग्य से डब्ल्यूजीईईपी के निष्कर्षों से असहमति जताते हुए एचएलडब्ल्यूजी ने 4156 गांवों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील गांवों के रूप में वगीकृत किया जिसमें 123 गांव केरल में हैं। इसमें 48 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। यह वर्गीकरण एचएलडब्ल्यूजी द्वारा अंगीकृत मानदंडों के विरुद्ध है और कम से कम केरल के 123 गांवों के मामले में तो ये यही स्थिति है। हमारे 48 गांव घनी आबादी वाले क्षेत्र है और इनमें से कुछ शहरी क्षेत्र हैं। सच यह है कि हम हमेशा से पश्चिमी घाटी का संरक्षण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सरकार से सहयोग करने के लिए तैयार रहे है बशर्ते कि हमें विश्वास में लिया जाए और जो पहल की जाए उनमें लोगों को शामिल किया जाए तथा हमारी आजीविका के विकल्प को प्रभावित किए बिना लोगों की चिन्ताओं के बारे में बताया जाए।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोगों की आजीविका के विकल्पों को प्रभावित किए बिना उन्हें विश्वास में लेकर तथा लोगों की सहभागिता और संलिप्तता के साथ पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए नवीन पहल की जानी चाहिए।

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हासन) : माननीय सभापति महोदय, मैं आम बजट 2014-15 के प्रस्तावों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं केवल भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जिन्होंने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया है, का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वह कहते है:

> "मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता और भूख की कोई नस्ल नहीं होती तथा निराशा का कोई स्थान नहीं होता। हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती गरीबी के अभिशाप को समाप्त करना है।"

अपराह्न 3.22 बजे

[**श्री हुक्मदेव नारायण यादव** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं राष्ट्रपति के संबोधन के विस्तार में नहीं जाना चाहता। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे अनेक मुद्दे उठाए। उन्होंने मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार; गरीबी जैसे प्रमुख मुद्दों तथा अन्य चीजों का उल्लेख किया। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भूमि उपयोग नीति के प्रति प्रतिबद्ध है जो गैर कृषि योग्य भूमि की वैज्ञानिक ढंग से पहचान करने और इसके रणनीतिक विकास को सुकर बनाएगी।

महोदय जो कुछ मुझे समझ में आया, माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कर ढांचे के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया था कि यह एनडीए सरकार का पहला बजट है। इसे एनडीए सरकार का बजट कहना इनकी उदारता का परियायक है क्योंकि जनता पार्टी से अलग होने के बाद गठित भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 280 सीटों के साथ स्पष्ट जनादेश मिला है।

मैं देश में व्याप्त राजनैतिक वातावरण के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

पहली बार लोगों ने वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार का जनादेश दिया है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए। गठबंधन सरकारें अभीष्ठ परिणाम देने में विफल रही। इस पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंतर्गत स्थिर सरकार जिसे देश के लोगों द्वारा जनादेश दिया गया है, को स्वीकार करना चाहिए।

आज ऐसा दिन रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के पास उठाने के लिए बहुत से मुद्दे हैं किन्तु बात यह है कि मैं समझ सकता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल की संख्या के आधार पर बोलने के लिए समय दिया जाने वाला है। इस सभा को बहुत से महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना है। अत: मैं कार्य मंत्रणा समिति से सादर अनुरोध करता हूं कि आम बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए समय का आवंटन करते समय सिर्फ संख्या बल को ध्यान में न रखा जाए विशेष रूप से तब जब बहुत से दलों के केवल एक या दो या तीन या चार सदस्य होते हैं। यहां तक कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल है, जिसने इस देश में 60 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया, के पास भी पार्टी के रूप में मान्यता के लिए संख्या नहीं है। किन्तु यह मुद्दा नहीं है। संख्या बल मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनका योगदान है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिया है। यह एनडीए पर भी लागू होता है प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार ने इस राष्ट्र के अधिक निर्माण में जो योगदान दिया है, उसे भी संज्ञान में लेना चाहिए।

जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उत्तर किया तो उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया वह प्रतिशोध की भावना से कार्य नहीं करेंगे। यह उनकी उदारता को दर्शाता है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए उनके भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था।

हम सभी किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं यह कहने को आतुर नही हूं कि इस सभा में केवल मैं ही कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। निश्चित रूप से कृषक समुदाय महत्वपूर्ण है। आबसे बड़ी समस्याओं में से एक बेरोजगारी का समाधान करना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में कार्यबल अब घटकर 58 प्रतिशत हो गया है। पहले यह लगभग 70 प्रतिशत था। हम किस प्रकार अधिक रोजगार का सृजन करेंगे और वर्तमान परिवेश में रोजगार समस्या का समाधान करेंगे? मेरा मानना है कि आईटी क्षेत्र में रोजगार अपने चरम स्थिति पर पहुंच चुका है। एक बार हमने रोजगार के सृजन के लिए आईटी के विकास को महत्वपूर्ण क्षेत्र मानकर इस पर ध्यान दिया। मैं 1991 की स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं जब देश बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उस समय वरिष्ठतम नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे। इस सभा में समाजवादी पार्टी का केवल एक सदस्य था।

मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नही कहने जा रहा हूं। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पूर्व प्रधानमंत्री, जो आर्थिक सुधार के मार्ग दर्शकों में से एक थे, ने इस देश को ऋण के जाल में फंसने से निकाला तथा 150 टन सोना गिरवी रखने के लिए बाध्य हुए। अंतत: उन्होंने इस देश में पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर आर्थिक सुधार लाया। हम पुन: प्रत्यक्ष विदेशी को आमंत्रित कर रहे है। मैं सरकार की मजबूरियों को समझ सकता हूं। इसलिए मैंने रेल बजट पर बोलते हुए इसका स्वागत किया था। किन्तु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में देश की सुरक्षा का मुद्दा पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।

मैं समय-सीमा का उल्लंघन नहीं करने जा रहा हूं। मैं माननीय सभापति की घंटी बजने का सम्मान करूंगा। मैंने कभी भी अध्यक्षपीठ का अपमान नहीं करता हूं। किन्तु कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। गठबंधन की सरकारें भी अच्छा शासन दे सकती है। क्या श्री वाजपेयी जी ने उन छह वर्षों में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की? क्या कांग्रेस ने कोई उपलब्धि नहीं हासिल की? क्या श्री नरसिम्हा राव, जो इस देश को उस समय ऋण के जाल रूपी आर्थिक संकट से उबारने के लिए जिम्मेदार थे, ने कोई उपलब्धि नहीं हासिल की? अत: हम इन सभी चीजों को नहीं भूल सकते।

उस समय जब हर चीज पर सभा में चर्चा चल रही थी, तो श्री मोरार जी देसाई पर दोषारोपण किया गया; श्री वी.पी. सिंह पर दोषारोपण किया गया और थोड़े समय के लिए श्री चन्द्रशेखर सत्ता में थे, उन पर भी दोषारोपण किया गया। मुझे अभी भी याद है कि उन पर पूरी तरह आरोप लगाया गया कि वे ही हैं जिन्होंने देश को ऋण के जाल में लाने और 150 टन सोना गिरवी रखने के लिए जिम्मेदार है। बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने आर्थिक स्थिति को उस स्तर तक ला दिया है। उक्त अवधि के दौरान भारत आईएमएफ और विश्व बैंक की शर्तों को मानने के लिए बाध्य था। इसी सभा में बहस हुई थी कि बजट विश्व बैंक और आईएमएफ के निर्देश पर तैयार किया गया है। यह आरोप उस समय विपक्ष ने लगाया था। मैं कार्यवाही बड़े ध्यान से देख रहा था। मुझे इसके लिए खेद है।

वर्ष 1991 में आर्थिक 13 धारों का पहला चरण सामने लाया गया। यह अब समाप्त हो गया है। अब हम दूसरे चरण में कई क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति दे रहे है। आज कृषि क्षेत्र किस प्रकार दुर्दशा का शिकार है? क्या हम आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन के पश्चात् इस देश में मौजूद समस्याओं से निपट पाए हैं? क्या यह कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए संभव था? हमें ईमानदारी से इस सब चीजों के संबंध में आत्मावलोकन करना चाहिए। यह किसी की आलोचना का प्रश्न नहीं है। हम किसी की भी आलोचना कर सकते है लेकिन एक दूसरे की आलोचना करने की कुछ मर्यादा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए यही कहा है। उन्होंने ऐसी उदारता दिखाई जिसने हमें प्रभावित किया। मैं इसे ध्यान से देख रहा था। आज यही बदला राजनीतिक परिवेश है।

महोदय, गरीबी किसी एक समुदाय या जाति या पंथ से नहीं जुड़ी है। गरीबी चारों ओर व्याप्त है। खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाया गया था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया बड़ा कदम था। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण विधेयक भी लाया गया। किसानों की सैकड़ों वर्षों की परेशानी के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया गया था। मैं इस तरह से कई उदाहरण दे सकता हूं जिसके माध्यम से हमने उपलब्धियां हासिल कीं। आज एक अच्छी शुरुआत हुई है।

इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री को सहृदय से धन्यवाद देता हूं। नई सरकार के गठन के बाद हर व्यक्ति को आशा है कि सरकार कॉर्पोरेट घरानों की सलाह मान सकती है; यह बजट गरीबों या कामकाजी वर्ग के लोगों के लिए मददगार नहीं हो सकता। यह ऐसे मुद्दों में से एक है जिसे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के दौरान उठाया गया। वे यह देखने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह कॉर्पोरेट हितैषी बजट नही है। मैं इसे बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं।

मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं एक सामान्य किसान के तौर पर कह रहा हूं कि यह बजट अमीरोन्मुखी नहीं है। इसके लिए मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

मुझे इस सभा की दया से बोलने का समय मिला है। मेरे नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार मात्र साढ़े दस महीने ही रही थी। माननीय वित्त मंत्री देख सकते है कि उस दौरान हमने अनेक निर्णय कैसे लिए थे। सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 6100 करोड़ रुपए का पैकेज शुरू करने के लिए कौन उत्तरदायी थे? मैंने सात दिन तक लगातार इन सातों राज्यों की यात्रा की थी? मैंने मात्र घोषणा करने के लिए 6,100 करोड़ रुपए की घोषणा नहीं की थी? हम सितंबर, 1996 में अनुदानों की अनुपूरक मांगों में इसे लाए थे। पद छोड़ने के बाद श्री आई के गुजराल ने उत्तर-पूर्वी राज्यों की यात्रा की। उन्होंने इसमें और सुधार किया। तत्पश्चात् श्री वाजपेयी जी वहां गए उन्होंने न केवल हमारे सभी कार्यक्रमों को जारी रखा बल्कि आवंटन को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया? क्या हम गंगा जल विवाद का समाधान करने के उत्तरदायी नहीं है?

आज मेरे मित्र मुझे गलत न समझें। पीने का पानी कर्नाटक की एक बड़ी समस्या है। मैं पीठ की अवज्ञा नहीं करना चाहता। कृपया मुझे कुछ बातें कहने दें?

हमारे यहां ऐसी अनेक नदियां हैं जो विभिन्न राज्यों से गुजरती है। सिंचाई आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी कि 28 तालुकों को हमेशा सूखे का सामना करना पड़ता है। 1,500 मीटर गहरा बोरवैल लगाने के बावजूद भी हमें पानी नहीं मिलता। मुझे नहीं पता कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। मैं विवाद या अधिकरण का उल्लेख नहीं करूंगा। कोलार, चिकबल्लापुर; तुमकूर; हासन, मांडया, मैसूर, बंगलौर शहर, चिकमंगलूर, कुर्ग को पीने की पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन राज्यों में पेयजल की स्थिति का जायजा लेने के लिए सरकार चाहे तो कोई टीम भेज सकती है। मुझे इसके बारे में चिंता नही है।

मुझे पता है कि 1986-87 में मैडम गांधी ने पेयजल की नीति बनाई थी और इसे पहली प्राथमिकता कहा था? स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने इसे तैयार किया था। आज यदि आपको लगता है कि पेयजल सबसे जरूरी चीज है तो चाहे आप किसी भी जलाशय से पानी ले या न ले लेकिन इन सभी क्षेत्रों की पेयजल के लिए स्थायी स्रोत होना चाहिए। अन्यथा दो करोड़ लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा?

[अनुवाद]

इसलिए, और अधिक समय आवंटित किए जाने की आवश्यकता है, शायद एक और सप्ताह। हम इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। हम सिर्फ सत्ता पक्ष पर आरोप नहीं लगा सकते। हमें पता है कि पिछले पांच वर्षों में विपक्ष ने कैसे व्यवहार किया है। मैं इसका साक्षी रहा हूं। मैंने कभी नहीं बोला। हमने बहुत समय बर्बाद किया। हमने 18 मिनट में बिना चर्चा किए 17 विधेयक पारित किए। यह काम करने का सही तरीका नहीं है। मैं सदन के नेता और कांग्रेस के नेता से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि, जब वह कार्य मंत्रणा समिति में बैठते हैं, तो अपना विवेक इस्तेमाल करने के लिए क्या उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में पहचान दी जाती है। हम यहां सिर्फ 2000 रुपए प्रतिदिन का टीए/डीए लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहां राज्यों में लोगों द्वारा झेली जा रही विभिन्न समस्याओं से संबंधित अहम मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। हर राज्य की अपनी समस्या है। क्या हमने मेट्रो के संबंध में निर्णय नहीं लिया, जो 12 वर्षों से लंबित थी? श्री साहिब सिंह वर्मा बीजेपी से मुख्यमंत्री थे। हमने राजनीतिक विचारण पर कोई निर्णय नहीं लिया।

महोदय, नर्मदा परियोजना को कार्यान्वित करते समय महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें थीं और सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी और उस सरकार ने इसका विरोध किया। लेकिन उन्होंने बिना कोई राजनीतिक विचारण किए निर्णय लिया। ये बेहद जटिल मुद्दे हैं, जहां प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी समस्या है और इस देश के लोगों ने उन्हें इन कुछ समस्याओं को उठाने के लिए जनादेश दिया है।

मैं सदन के नेता और सभी विपक्षी दलों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे कुछ मुद्दों पर कुछ सार्थक चर्चा के लिए समय आवंटित करें। अन्यथा, सत्ता पक्ष के पास उनके गठबंधन सहयोगियों सहित 330 सदस्य हैं। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र इत्यादि के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की शुरुआत की है। मैं इस पर बोल सकता था कि इन उपायों से रोजगार कैसे पैदा होंगे, लेकिन समय की कमी है। अगर आप मुझे किसी और अवसर पर अनुमति दें, तो मैं इन कुछ मुद्दों पर रोशनी डालने का प्रयास करूंगा।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्हें देश के ग्रामीण विकास और कृषि के विकास की चिन्ता है। हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। यह सिर्फ मेरे अकेले की चिन्ता नहीं है, बल्कि इस सम्मानीय सभा में बैठे सभी सदस्यों की चिन्ता का विषय है। माननीय वित्त मंत्री ने इस सरकार के सत्ता में आने के 45 दिन के भीतर ही अपना बजट पेश कर दिया। अनुपूरक मांगों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को और आवंटन करने के लिए उन्हें अपना मन बनाना होगा। अतः हम इन मुद्दों पर ज्यादा शोर न मचाएं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें अपने सारे विचार कार्यान्वित करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय, जब घंटी बजने लगी हो, तो मैं पीठ का अनादर नहीं करना चाहता। जब भी मुझे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर मिलेगा, मैं तब बोलूंगा क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं हूं। इसलिए, मैं एक भी मिनट अनावश्यक रूप से बेकार नहीं करना चाहता। मैं यहां बैठकर सदन की कार्यवाही देख रहा हूं, क्योंकि बजट पर सामान्य चर्चा बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होती है। मैं सदन के प्रत्येक पक्ष से सदस्यों द्वारा की गई आलोचनाओं को गौर से सुन रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छी चर्चा नहीं थी। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि यहां वाद-विवाद का उच्च स्तर बनाए रखें। आओ एक नए युग की नई शुरुआत करें। यह एक स्थायी सरकार है। सत्ता पक्ष बिना किसी की दया पर निर्भर रहे, पांच साल तक सरकार चला सकता है। वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम एक सदस्य को विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए।

महोदय, इस देश में हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं। हाल ही में, माननीय प्रधानमंत्री ने एक नई रेल लाइन का उद्घाटन किया था। हमारी सरकार के शासनकाल में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उरी जल विद्युत परियोजना बेहद अहम परियोजना है। मैं सारा ब्यौरा दे सकता हूं कि हमने 10 महीने के थोड़े से समय में क्या कुछ किया है। मैं हर दिन 16 से 18 घंटे काम करता था। मैं मौजूदा बजट की तुलना यूपीए-I और यूपीए-II के दौरान श्री चिदंबरम द्वारा पेश किए गए बजट से कर सकता हूं और गठबंधन सरकार के दौरान श्री चिदंबरम द्वारा पेश किए गए बजट से भी तुलना कर सकता हूं और किन क्षेत्रों को हमने ज्यादा प्राथमिकता दी थी।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुरू किया गया था। मेरा अपना कोई समय नहीं है। सदन किसी अन्य अवसर पर इस चर्चा के लिए कुछ समय की अनुमति दे सकता है। आप एक बार 1996-97 के चिदंबरम के पहले बजट को देखें। उस पर सिर्फ नजर डालो।...*(व्यवधान)*

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा, जो इसे नोट कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* लोहियावादी जा चुके हैं, लेकिन मोदी साहब को लोहियावादी याद हैं। कई समाजवादियों का विलय हो चुका है। इन सब बातों की चर्चा मत कीजिए।

मेरे मित्र राजेश रंजन पंथ निरपेक्षता की चर्चा कर रहे थे। उनका रुख क्या हैं? वे जो चुके हैं। इसलिए, नए प्रधानमंत्री ने कहा, गरीबी एक धर्म तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने यही कहा था। मुझे अनावश्यक रूप से और चर्चा में न घसीटें। महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। अतीत की उपलब्धियों पर उदार मत अपना कर आगे बढ़ें। हमारा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

***श्री वी. पन्नीरसेलवम** (सलेम) : मैं अपनी तमिलनाडु की स्थायी मुख्यमंत्री, क्रांतिकारी नेता पुराच्यी थलाइवी अम्मा और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति सलेम से मुझे संसद सदस्य चुनने के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2014-15 के लिए 10 जुलाई, 2014 को पहला आम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में, पूरे भारत के लिए वित्त मंत्री ने विभिन्न नई योजनाओं की घोषणा की है।

जिस एक क्षेत्र में वित्त मंत्री ने आगे के बारे में सोचा है और अपने बजट व्यय में सरकार की प्राथमिकता दी है, वह अवसंरचना पर व्यय है। राजमार्गों के लिए आबंटन में 50% की गिरावट आई है और यह 37800 करोड़ रुपए हो गया है जबकि 11635 करोड़ रुपए तूतीकोरीन पत्तन पर एक नाटरी पोतक्षय बनाने के लिए दिया जाएगा। 16 पत्तनों पर निजी निवेश के 8000 करोड़ रुपए अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपए अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के लिए नगर निगम ऋण के प्रबंधन हेतु दिए है।

बजट में, सरकार की प्राथमिकता अवसंरचना उपलब्ध कराना है। बजट की इच्छा सूची में हरेक गांव के लिए अधिक और बेहतर सड़कें, निर्षाध विद्युत आपूर्ति ब्रॉडबैंड लाइनें, औद्योगिक गलियारे, पत्तन, नए और बेहतर शहर और भी बहुत कुछ है।

यह केवल विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय नही है। परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएं यह महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है "भारत विकास के विभिन्न चरणों में 900 परियोजनाओं के साथ विश्व में बड़े पीपीपी बाजार के रूप में ऊभरा है।"

700 करोड़ रुपए 100 नए "स्मार्ट शहरों" के निर्माण हेतु आबंटित किए गए। हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस परियोजना का स्वागत किया है। नए स्मार्ट शहरों के अंतर्गत अलग रखी गयी राशि साफ तौर पर अपर्याप्त है। ऐसे "हरित क्षेत्र" शहरों, जहां पर अपेक्षित निवेश काफी ज्यादा है, इनके बजाय पैसा तमिलनाडु में पहले से उभर रहे "हरित गृह" परियोजनाओं पर खर्च करना बेहतर है जोकि हमारी मुख्य मंत्री द्वारा प्रारंभ की गई है, और यह हमारे देश के गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए काफी उपयोगी है। और यह हमारे देश के जरूरतमंद लोगों के लिए स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित राशि के अंतर्गत "हरित गृह" के नाम से अनेक छोटे किफायती घरों का निर्माण करेगा जिन्हें "हरित क्षेत्र" कहा जाता है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार करे और हमारे तमिलनाडु राज्य में इस वर्ष कुछ और वित्त बजट प्रारंभ करे जोकि तमिलनाडु के लोगों के लिए और अधिक लाभदायक होगा। हम इस पर विचार क्यों नहीं करते?

[हिन्दी]

***श्री पी.पी. चौधरी** (पाली) : यह बजट वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यूपीए के जो बजट बनाए थे को वर्तमान को ही ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। इसी कारण से जो जीडीपी के ग्रोथ के लिए एनडीए सरकार ने रोड मैप तैयार किया था उसे इन दस वर्षों में हानि पहुंची है। 1998 से 2004 के एनडीए के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट 9.4 प्रतिशत थी, जो यूपीए-2 के समय 5 प्रतिशत तक घटकर वर्ष 2013 तक 4.5 प्रतिशत ही रह गई।

हमारे द्वारा इस बजट में जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 8 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। हमें हमारे चाईना जैसे पड़ोसी देशों से सबक लेना चाहिए, जिनका ग्रोथ रेट 9 से 10 प्रतिशत तक स्थिर बना रहता है। जहां तक महंगाई की बात है, एनडीए सरकार के समय महंगाई दर 5 प्रतिशत थी, जो यूपीए शासन के 10 सालों में एवरेज 9 प्रतिशत तक पहुंच गई और नवंबर-दिसंबर 2013-2014 में यह दर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और इस चुनौती को हम मिल कर दूर करेंगे।

जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट का सवाल है मैं बताना चाहूंगा कि पिछली एनडीए सरकार के समय 1.5 प्रतिशत सरपल्स जो यूपीए सरकार के समय-3.07 प्रतिशत हो गया। अगर निर्यात की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए सरकार के समय निर्यात बढ़ा था, लेकिन यूपीए के समय आयात बढ़ने की वजह से स्थिति खराब रही। जहां तक बैलेंस ऑफ ट्रेड का सवाल है, एनडीए के समय ट्रेड डेफिसिट 2 बिलियन था, जबकि यूपीए के समय यह 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया। यूपीए के राज में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला इंडस्ट्रीयल सेक्टर विकट स्थिति से गुजर रहा है, जहां दुनिया में मंदी का दौर है और भारत कठिनाईयों के बावजूद विकास के रास्ते पर दृढ़ता से चल रहा है। बजट पढ़ने के बाद स्पष्ट धारणा बनेगी कि यह एक और विकास परक और निरन्तरता का बजट है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, दलित उत्थान, अल्पसंख्यक कल्याण की मदों में ऐतिहासिक वृद्धि कर सरकार ने अपने दृष्टिकोण को अत्यंत स्पष्ट कर दिया है कि उपेक्षित वर्ग को हर प्रकार से समान अवसर उपलब्ध करवाते हुए देश के विकास में भागीदारी-सुनिश्चित की जाएगी। मैं इस शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बचत पर कर छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। आय पर कर छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख है। पीपीएफ में भी बचत की सीमा 1.5 लाख कर दी गई है।

शिक्षा सरकार की उच्च प्राथमिकता है। बालिकाओं के लिए स्कूलों में शौचालय तथा पेयजल की सुविधा सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण, वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ करने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए 5 नए आईआईटी व 5 आईआईएम स्थापित करने की घोषणा की गई है। शिक्षा हेतु ऋण को भी आसान बनाने का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा शिक्षा बजट में 12.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। स्वास्थ्य बजट में 5.1 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। 'सबके लिए स्वास्थ्य' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुफ्त दवा एवं उपचार को प्राथमिकता दी गई है। देश भर में चार नए एम्स, दंत चिकित्सा युक्त 12 नए मेडिकल कॉलेज, राज्य स्तर पर दवा परिक्षण केन्द्रों को और सक्षम बनाया जाएगा। प्रोडेक्शन तथा एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी अनदेखा किया गया, जबकि एनडीए के समय इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले एनडीए के कार्यकाल के प्रारंभ में कांग्रेस सरकार 4 प्रतिशत ग्रोथ रेट छोड़ गई थी जो एनडीए के समय की नीतियों के कारण वर्ष 2006 तक 20 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। यह एक विरासत के रूप में यूपीए सरकार को दी गई थी, लेकिन यूपीए की गलत औद्योगिक नीति होने की वजह से 2004 से लगातार गिरते हुए फरवरी, 2009 में 7.20 हो गई और 2013 तक -0.6 रही।

कृषि पर देश की जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग निर्भर रहते है और यूपीए सरकार द्वारा इन 70 प्रतिशत लोगों को इग्नोर किया गया, जिसके कारण कृषि का जीडीपी में योगदान 60 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत रह गया। 1998-2000 तक एनडीए के शासन काल में यह हिस्सा 26 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2012-13 में 13 प्रतिशत ही रह गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यूपीए सरकार द्वारा कृषि को नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन एनडीए ने पुन: कृषि को बहुत अधिक महत्व देते हुए बजट पेश किया है। हमारी सरकार को जानकारी है कि बजट वर्तमान की बजाय भविष्य का होना चाहिए और इन्डस्ट्रीयल व एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन ग्रोथ के माध्यम से आज के इस वातावरण में 7 से 8 प्रतिशत तक जीडीपी की ग्रोथ रेट प्राप्त की जा सकती है।

किसानों को लेकर हमारे वित्त मंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है। किसानों को विकास पत्र जारी करने उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने का निर्णय भी इस बजट में लिया गया है। शत-प्रतिशत एफडीआई के माध्यम से डिफेन्स उपकरणों को बाहर से खरीदा जाता था, जिसके कारण कई सेक्टरों व देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता था। सरकार द्वारा डिफेन्स उपकरणों को खरीदने के लिए बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा तथा ऐसे इक्युपमेंटों को देश में बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ इससे संबंधित निर्णयों में भी हमारा कंट्रोल होगा।

जीसीटी को लेकर भी माननीय वित्त मंत्री जी का अपना एक अनपैरेलल विजन है। इसकी वजह से टैक्स ईवेजन, हरासमेंट तो कम होगा, साथ-साथ जीडीपी में भी बढ़ोत्तरी होगी। मैं बजट में दिए गए आंकड़ों की और बौछार नहीं करना चाहता, मेरे योग्य साथी बड़े विस्तार से उसमें चर्चा कर चुके है। देश में एक ऐसी सेवाओं के शोध के लिए आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य शोध केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है। पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सभी घरों को अगले पांच वर्षों में स्वच्छता के दायरे में लाने की योजना बनाई गई है। इस बजट में विकलांग लोगों का जीवन आसान बनाने तथा विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए संबंधित उपकरणों की खरीद को आसान बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 15 नई ब्रेल प्रेस तथा ब्रेल लिपि वाली नोटों की छपाई करने का भी निर्णय लिया गया है।

इस बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की जागरूकता और प्रभावशीलता बढ़ाई जाएगी। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर भी बल दिया गया है। दिल्ली के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में विशेष आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है।

बजट में आवास ऋण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते ऋण के माध्यम से कम लागत की आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विशेष मिशन की शुरुआत की गई है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से मलिन बस्तियों के विकास को अनिवार्य बनाया जाएगा, ताकि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डिजीटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिक आधारित सरकारी सेवाएं, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का देश में निर्माण, ग्रामीण स्तर तक ब्रॉडबैंड की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट टेक्नोलॉजी मिशन और ई-क्रान्ति के तहत सभी सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी। स्मार्ट शहर योजना के अंतर्गत 100 नए स्मार्ट शहरों को निर्माण किए जाने की योजना है, जो शहरों की तरफ आती आबादी को समायोजित करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। इसके साथ-साथ देश के औद्योगिक

गलियारों को और विकसित किया जाएगा। भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए इस बजट में कई योजनाएं लाई गई हैं। रक्षा तथा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई है। सस्ते आवास की योजनाओं में सीधे विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। एक ही काउंटर पर कार्य निपटाने के लिए 24 घंटे का ई-बिज पोर्टल स्थापित किया गया है।

देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जहाजरानी, हवाई अड्डों, नौवहन तथा सड़क निर्माण के क्षेत्र में निवेश की घोषणा की गई है। हवाई यात्रा के इच्छुक लोगों का सपना पूरा करने के लिए टियर 1 तथा टियर 2 शहरों में नए हवाई अड्डों की योजना बनाई जा रही है। अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाने के लिए बजट में ऊर्जा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वच्छ तथा अधिक सक्षम ताप विद्युत को प्रोत्साहन दिए जाने, गैस पाईप लाईन को मजबूत बनाने के साथ-साथ पुरानी व बंद पड़ी कोयले की खानों को पुन: चालू किए जाने की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और हरित ऊर्जा गलियारे से संबंधित क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रावधान करने पर जोर दिया गया है। भारत युवाओं का देश है और प्रत्येक युवा भारतीय को लाभप्रद रोजगार की जरूरत है। बजट में राष्ट्रीय बहु-कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रेंटिसशिप अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किए जाने की योजना तैयार की जा रही है। लघु एवं मंझोले उद्यमों में निजी निवेश के लिए 10000 करोड़ का विशेष कोष बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है।

यह बजट खिलाड़ियों के लिए भी नई सुविधाएं लेकर आया है। बजट में विश्वस्तर की खेल अकादमियों के निर्माण के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर में इनडोर तथा आउटडोर स्टेडियम व मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। आगामी एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की भी घोषणा बजट के माध्यम से की गई है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रमुखत: वाणिज्यिक एवं जैविक खेती का विकास, बेहतर रेल संपर्क तथा अरुण-प्रभा नाम से टीवी चैनल आरंभ करने की योजना है।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लोक सभा में पहली बार बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया है।

मित्रो, जब हम लोग लोक सभा का चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग गांव में जाकर नारा देते थे कि हम लोग अच्छे दिन लाने वाले हैं। हम लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। हम लोगों ने 'सबका साथ सबका विकास' करने का नारा दिया था। इस नारे पर विश्वास करके देश की जनता ने, खासकर नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, किसानों ने, सबने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। हम लोग बजट आने से पहले अपने क्षेत्र में गए। गांव के नौजवान, छात्र और किसान, हमसे कहते थे कि आप वित्त मंत्री जी से बात करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करिए कि आप लोगों ने नारा दिया था कि अच्छे दिन लाने वाले हैं। हम लोग अच्छे दिन का एहसास करना शुरू कर दिए हैं। सरकार के शपथ ग्रहण के पहले ही, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से मछुआरे छोड़े गए, तमाम देशों ने हिन्दुस्तान का जिस प्रकार से स्वागत किया, उससे आम जनता को अच्छे दिन का एहसास हो रहा था, लेकिन बजट को लेकर लोगों में संशय था कि कहीं बजट से महंगाई न आ जाए, विभिन्न वस्तुओं के दाम न बढ़ जाएं। हम जब गांव में जाते थे तो लोग इन सभी मुद्दों पर सुझाव देने के लिए कहते थे। माननीय वित्त मंत्री जी का आशीर्वाद, खासकर नौजवानों को, व्यक्तिगत रूप से मुझे बराबर मिलता रहता है, मैंने भी सोचा कि इस संबंध में सुझाव दूं, लेकिन जिस प्रकार हम लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जेटली जी और सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई थी, सबको यह ध्यान में था कि पिछले दस वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाई है, उससे त्रस्त होकर, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इस नाते मुझे पूरा विश्वास था कि जब जेटली जी बजट लाएंगे तो निश्चित रूप से, जो हम लोगों ने नारा दिया था, 'सबका साथ सबका विकास', 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत', और 'अच्छे दिन आने वाले हैं', इन नारों पर ध्यान देते हुए यह बजट आएगा। निश्चित रूप से माननीय जेटली जी और माननीय प्रधानमंत्री को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। *कल सिंधिया जी, अपने भाषण में* कह रहे थे, और भाषण देने के बाद, जब वह बाहर लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि जेटली जी ऐसा बजट लाए हैं, भाजपा ऐसा बजट लाई है कि इस पर हम लोग मंच से तो आलोचना करते हैं, लेकिन इसमें *आलोचना करने के लिए कुछ नहीं है।...(व्यवधान)* इसके लिए मैं जेटली जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।... *(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, मेरा नाम लिया गया है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि मैंने यह वक्तव्य कब दिया है, जरा वह बात आप सभा पटल रख रखिए। ...*(व्यवधान)*

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : मैं वक्तव्य की बात नहीं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं कि इन्होंने जो कहा है, उसके बारे में यह सदन को बताएं कि मैंने यह कब कहा?...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : इन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी : जब आप माननीय वित्त मंत्री जी और कुछ सांसदों से मिल रहे थे तो जिस प्रकार की प्रसन्नता थी, मुझे ऐसा एहसास हुआ।...*(व्यवधान)* मुझे विश्वास था कि जब बजट आएगा तो चाहे किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, छात्रों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, माननीय वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से सब पर ध्यान देंगे। उन्होंने सब पर ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बस्ती पड़ता है। मैं वहां से चुनकर आया हूं। जब मैं वहां गया तो किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आलोचना नहीं की। किसी भी श्रमिक संगठन, छात्रों के संगठन, मजदूरों, कर्मचारियों के संगठन द्वारा कोई आलोचना नहीं हुई। मैं कह सकता हूं कि हमने जिस प्रकार सपना देखा था, मोदी जी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब भ्रष्टाचार मुक्त, नौजवानों को रोजगार देने वाला, किसानों की समस्याओं का समाधान करने वाला, महिलाओं की सुरक्षा करने वाला भारत बनाना है। ऐसा बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, जो सपना देखा था, निश्चित रूप से उसे पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे मन में भी संशय था कि बजट आता है तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि हमारी पार्टी कहां-कहां जाती है, समाज के किन लोगों का वोट पाकर जीती है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश पर ध्यान दिया है। हमने यह नहीं देखा कि यहां हारे हैं यहां जीते हैं, यह नहीं देखा कि किस जाति का वोट पाया है किस जाति का वोट नहीं पाया है, किस धर्म का वोट पाया है किस धर्म का वोट नहीं पाया है। हमने सबके विकास की चिन्ता की है, सभी क्षेत्रों की चिन्ता की है।

मैं कल अपने क्षेत्र के एक मरीज को दिखाने एम्स गया था। वहां मुझे पता लगा कि उसे दो साल बाद की डेट मिली है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एम्स की घोषणा की है। उन्होंने पूर्वांचल के लिए भी किया है। हमारे वहां से लोग यहां आते हैं,...*(व्यवधान)* महीने, दो महीने रहते हैं, पैसा ज्यादा खर्च होता है, परेशान होते हैं। गोरखपुर में हर साल महामारी आती है, तमाम बच्चे मारे जाते हैं। गोरखपुर में एम्स की स्थापना की जाए। साथ ही आईआईएम की घोषणा की गई है। नौजवानों को रोजगार देने की दृष्टि से काम किया गया है। सौ स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई है।

मेरा वित्त मंत्री जी को एक सुझाव है।...*(व्यवधान)* जब हम घोषणा करते हैं, जहां सुविधाएं होती हैं, खासकर अधिकारियों का ध्यान उधर ही जाता है। बड़े-बड़े शहरों में उद्योग धंधे बनाए जाते हैं, बड़े-बड़े संस्थान बनाए जाते हैं, उसी तरफ ध्यान जाता है। सौ स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई है। मुझे लगता है कि अगर उसमें छोटे शहरों को लिया जाएगा, खासकर जिस जिले से मैं आता हूं वह कमिश्नरी केन्द्र है, वहां अगल-बगल दो-तीन जिले बहुत पिछड़े हैं, हाईवे पर है, रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर बस्ती को स्मार्ट सिटी में लिया जाएगा तो उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा। छोटे जिलों से दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, कोलकाता आदि तमाम कड़े शहरों में पलायन हो रहा है। लोग नौकरी खोजने के लिए जाते हैं। अगर छोटे जिले डेवलप किए जाएंगे तो उन्हें वहीं रोजगार मिलेगा।

हमारे जिले में बहुत बड़ी समस्या है। गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर सारे जिलों में हर साल बहुत भयंकर बढ़ आती है। स्थायी रूप से उसकी चिंता उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है और केन्द्र में भी तमाम प्रोजैक्ट गए हैं। बाढ़ की चिन्ता की दृष्टि से स्थायी बांध बनाया जाए, ऐसी मांग मैं वित्त मंत्री जी से करता हूं।

हमारे जिले में मखौड़ा धाम है। भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने जो पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, वह स्थान मखौड़ा है। पर्यटन की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी नारायण छपिया, स्वामी नारायण सम्प्रदाय के लोग पूरी दुनिया में हैं और सब लोग वहां जाते हैं। स्वामी नारायण छतिया हमारे जिले से सटा हुआ है। वह रास्ता भी जिले से होकर जाता है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पर्यटन की दृष्टि से अगर वहां डेवलप किया जाये, तो स्वामी नारायण छपिया भी वहीं है, मखौड़ा धाम भी वहीं पर है। हमारे यहां शहीद स्थल है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में छावनी एक ऐसा स्थान है जहां पर लगभग डेढ़ सौ लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। अगर वहां डेवलप किया जायेगा, तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ पूरे पूर्वांचल का विकास होगा। जब पूर्वांचल का विकास होगा, तो निश्चित रूप से बड़े-बड़े शहरों में लोग जो रोजगार खोजने आते हैं, उस समस्या का भी समाधान होगा।

इन्हीं बातों के साथ पुन: एक बार मैं माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना शानदान, इतना ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री रबीन्द्र कुमार जेना** (बालासोर) : मैं माननीय मंत्री जी को देश द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही बाधाओं के बावजूद एक भविष्योन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं बजट की आलोचना मात्र केवल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं सत्तापक्ष से नहीं हूं।

बजट ने अनेक मुद्दों को छूआ है जो मेरी स्मृति अनुसार किसी अन्य बजट ने नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बजट हमारी कई इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका है, जो बात किसी भी समझदार व्यक्ति को समझ आ सकती है।

बजट की सबसे बड़ी कमी इसमें व्याप्त भारी क्षेत्रीय असंतुलन है। चाहे यह राजनीतिक कारणोंर से हो या अन्यथा, इसे बजट प्रस्ताव के अवलोकन द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। यह कहने के बाद मैं सभा के समक्ष (मूतलक्षी और मुद्दे) के समाधान संबंधी निर्णय को रहना चाहूंगा जोकि एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जो हमारे देश से न केवल पूंजी के जाने को रोकेगा अपितु हमारे देश में निवेश परिवेश में भी सुधार करेगा, जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव होगा और यह जीडीपी में योगदान। रोजगार सृजन, कर राजस्व इत्यादि को बढ़ाने में योगदान देगा।

10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी का उपबंध न केवल युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट कदम है, बल्कि यह हमारे देश से प्रतिभा पलायन को भी रोकेगा।

विनिर्माण, एमएसएमई पुर्नपरिभाषा इत्यादि इस दिशा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम हैं।

कृषि पर आते हुए, देश के अधिकतर भाग को सिंचित करने का निर्णय एक परिवर्तनकारी निर्णय है, क्योंकि इसका हमारे किसानों के भविष्य पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें एक वर्ष में तीन फसलें पैदा करने का अवसर होगा। यहां यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि विश्व के किसी भी देश ने बढ़ती खाद्य महंगाई के साथ समृद्धता प्राप्त नहीं की है, तो भारत लगभग 10 वर्षों से 8 से 10% की खाद्य महंगाई के साथ इसे कैसे प्राप्त कर सकता है।

हालांकि, यह सत्य है कि हममें से बहुतों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है परंतु देश के राजकोष में राजस्व की किस प्रकार वृद्धि की जाएं, इस पर शायद ही कभी चर्चा होती है।

मैं इनमें से कुछ को सामने रख रहा हूं और यदि माननीय वित्त मंत्री इसे उचित समझें तो कृपया इसका क्रियान्वयन करें जो न केवल हमारे देश के संसाधनों के मुद्दे का समाधान करेगा बल्कि माननीय प्रधानमंत्री के भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों में समानता सहित बहुत से महत्वाकांक्षी कथनों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

ओडिशा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 25,000 रुपए है। यदि आप 70 निजी कंपनियों/व्यक्ति, जिनके खनन के पट्टे है, की आय पर विचार करे तथा ओडिशा में उनके वी/एन और आप पर मंथन करें तो ऐसे प्रति कंपनी की औसत आय लगभग 300 करोड़ रुपए है और शेष जनसंख्या की आय 25000 रुपए से कम है। ऐसा इस तथ्य के कारण कि हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने एक समय ऐसी नीति बनाई तथा संपूर्ण राष्ट्र की कीमत पर कुछ चुनिंदा लोगों बहुत लाभ हो रहा है। अत: इसके कारण निम्नलिखित मुद्दों से वृद्धि हुई है। क्या हमें भारत सरकार के खनिज संसाधन आवंटन नीति पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए तथा देश के लोगों के हित को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए? क्या हमें मौजूदा खनिज पट्टे की समीक्षा पर विचार नहीं करना चाहिए जिसे पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है?

इस कार्रवाई से ही भारत सरकार की झोली में प्रतिवर्ष कई लाख करोड़ रुपए वर्ष दर वर्ष आएंगे। यदि कोई उपर्युक्त बात से सहमत नहीं है तो मैं इस विषय पर चर्चा करने और सभी को विश्वास दिलाने के लिए तैयार हूं। प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह कार्य करना चाहती है या कुछ निहित स्वार्थों के दबाव में आना चाहती है जोकि इन वर्षों में हुआ है।

आज किसानों/मंडी से एफसीआई जैसे के गोदामों में खाद्यान्नों के परिवहन तथा कई अवसरों पर खाद्यान्नों को उन्हीं किसानों वापस भेजने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है जिससे कई बार बचा जा सकता है। अत: क्या सरकार स्थानीय भंडार गृह खोलने तथा स्थानीय वितरण सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है और इस प्रक्रिया में कई हजार करोड़ रुपए बचेंगे।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र बालासोर जो देश के सर्वाधिक शिक्षित जिलों में से एक है की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि रोजगार अवसर के अभाव में प्रति व्यक्ति आय कम है मैं कहना चाहता हूं कि बालासोर और मयूरभंज जिलों को ओडिशा में उद्योग रहित जिला घोषित किया जाए तथा पूंजी निवेश सब्सिडी और दस वर्षों के लिए कर में छूट देने की घोषणा की जाए जिससे आदिवासियों

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सहित उत्तरी ओडिशा के लोगों का आर्थिक उत्थान होगा जो गुमनामी में कष्ट झेल रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री को वर्ष 2014-15 के बजट के लिए धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि अगले बजट 2015-16 में ओडिशा के साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा।

श्री तारिक हमीद कर्रा (श्रीनगर) : माननीय सभापति महोदय, इस सम्माननीय सभा में यह मेरा पहला भाषण है और मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज सामान्य बजट पर चर्चा में मुझे बोलने की अनुमति दी गई।

सभापति महोदय, इस सदन में बैठा हर शख्स यह बात अच्छी तरह जानता है कि जम्मू और कश्मीर के लोग, फिर चाहे वो किसी भी उम्र, लिंग, परिवेष या राजनीति दल से संबंधित हों, पिछले दो दिन से भी ज्यादा वक्त से उथल-पुथल के विनाशकारी परिणामों से जूझ रहे हैं।

महोदय आज देश और राज्य को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है ताकि वो राज्य में पिछले छह दशकों से जारी राजनीतिक अस्थिरता को स्थायित्व प्रदान करें और राज्य के लोगों को सम्मान और मर्यादा पुन: प्रदान करे।

आज, राज्य के लोग शांति में भागीदार बन चुके हैं और अब वो भूंडलीकरण और आर्थिक उदारवाद के फल का रसास्वादन करना चाहते हैं। राज्य में विधान प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर राज्य में रहने वाले लोगों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए ताकि वे अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकें।

महोदय, राज्य के युवाओं को इसके विकास के लिए उत्पादक, आत्मविश्वासी और प्रतिबद्ध शक्ति के रूप में उभारने के लिए सुस्पष्ट और कल्पनाशील नीतियां निदेशित की जानी चाहिए। राज्य के युवाओं के लिए आर्थिक और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के लिए रचनात्मक उद्यम हेतु न सिर्फ सरकार, बल्कि वैयक्तिक, संस्थानों और संगठनों सहित पूरे राष्ट्र को एक साथ आना होगा।

महोदय, दुर्भाग्य से कश्मीर से जुड़ी अधिकांश पहल कभी भी तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। चाहे फिर वो कश्मीर संबंधी प्रधानमंत्री का कार्य समूह हो, कश्मीर संबंधी प्रधानमंत्री का विशेष कार्यबल हो या फिर वार्ताकारों की रिपोर्ट हो, में सभी पहल, चुनिंदा लोगों से बातचीत की अद्यतन पहल के अतिरिक्त कभी भी धरातल पर ठोस कार्रवाई नहीं की।

यह सुस्त रवैया इन सब कवायदों की यथार्थता पर राजनीति और जनता के बीच गंभीर संदेह पैदा करता है।

जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक सुलह और आर्थिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया को महज प्रतीक्षात्मक कवायद के बजाय और अधिक व्यापक और अर्थपूर्ण बनाए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

महोदय, हम माननीय वित्त मंत्री द्वारा विविध और बहुआयामी समस्याओं से निपटने में आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। हमें यह भी अहसास है कि सत्ता में आने वाली हर नई सरकार को पिछली सरकार की ओर से हमें अच्छी और बुरी धरोहर विरासत में मिलती है।

कहने का आशय यह है कि एक राज्य राज्य के रूप में हमें एनडीए और यूपीए की उत्तरोतर सरकारों द्वारा कतिपय अच्छी पहल की गई हैं।

महोदय, यदि एनडीए इतनी दयालु है कि उसने प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना और उत्तर-दक्षिणी गलियारे को स्वीकृति दी, तो यूपीए भी उतनी ही दयालु थी और उसने हमें ऐतिहासिक डल झील के पुनरुद्धार और इसके अलावा मनरेगा, एनयूआरएम और एनआरएचएम के लिए पैकेज दिया।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन महोदय, इस बार विशेषकर हमारे राज्य में शासन की कमी है, जिसके कारण ये कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पातीं। अत:, मैं कार्यान्वयन और उत्तरदायित्व पर और अधिक जोर देना चाहूंगा।

महोदय, यद्यपि सदन में बजट भाषण संपूर्ण देश के लिए उम्मीदों से भरा है, फिर भी जम्मू और कश्मीर को यह ज्यादा प्रेरित नहीं करता। अत: इस अंतर को कम करने के लिए माननीय वित्त मंत्री से मैं अपने कतिपय मांगों अथवा अनुरोधों पर उदारतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, जम्मू और कश्मीर के संबंध में, हर किसी को यह बात समझनी होगी कि जम्मू और कश्मीर दो राजधानी शहर वाला विशिष्ट राज्य है। अत: तद्नुसार, राज्य को कुछ भी देते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, बजट में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को पुनर्जीवित करने का वादा किया गया है। हम एक एसईजेड कश्मीर मंडल में बनाने का अनुरोध करते हैं। इसी प्रकार, जम्मू के लिए आईआईटी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करते हैं कि एक आरआईटी कश्मीर मंडल में भी स्थापित की जाए।

हम जम्मू और कश्मीर से एक वस्त्र पार्क के लिए भी अनुरोध करेंगे। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त करघे हैं जो कि हमारे शाल वहां बनाते है, जम्मू और कश्मीर में एक वस्त्र पार्क बनाना एक स्वागत योग्य कदम होगा। इसके अतिरिक्त, माननीय वित्त मंत्री जी ने विभिन्न राज्यों

में 100 स्मार्ट शहरों की घोषणा की थी। हम उनके आग्रह करेंगे कि जम्मू और कश्मीर को भी स्मार्ट शहर में शामिल किया जाए।

इसके अतिरिक्त, पूर्व सरकार द्वारा एक आईआईएम दिया गया था। लेकिन किसी तरह से उसे एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उन्नयन कर दिया गया। इसलिए, अब वह आईआईएम हमारे पास नहीं है, और इसके लिए मैंने कई बार अनुरोध किया है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की घोषणा की है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जम्मू और कश्मीर दोनों शहरों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादितय माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, जिनका मेडन स्पीच हो, उनको टाइम लिमिट नहीं दिया जाता है। उन्हें ज्यादा समय दिया जाए। वह जम्मू और कश्मीर से है। उनको बोलने का मौका दिया जाए।

माननीय सभापति : हर पार्टी का जितना समय है, उससे ज्यादा इनको दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री तारिक अहमद कर्रा : महोदय, जैसा कि आप को पता है कि जम्मू और कश्मीर एक पर्यटन राज्य है। हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। माननीय मंत्री जी ने देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटन सर्किट के लिए घोषणा की है। इसलिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जम्मू और कश्मीर को भी उस पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाए।

हमने देखा है कि पूर्वोत्तर राज्यों को काफी वित्त पोषण दिया गया है। मैं जानता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों की अलग स्थिति है और वह अशांत क्षेत्र है। लेकिन जहां तक जम्मू और कश्मीर की बात है, यह भी अशांत क्षेत्र से कम नहीं है। इसलिए, मैं आग्रह करूंगा कि जम्मू और कश्मीर में वित्त पोषण पूर्वोत्तर राज्यों के पैर्टन के आधार पर किया जाए।

महोदय, जहां तक पश्मीना विकास के लिए 50 करोड़ रुपयों की बात है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से इसे बढ़ाने का आग्रह करना चाहूंगा।

इसी प्रकार, माननीय वित्त मंत्री जी ने सीमा ग्राम विकास क्षेत्र के लिए 990 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जैसा कि आप सब को पता है कि संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य एक सीमावर्ती राज्य है। इसलिए, जम्मू और कश्मीर राज्य के गांवों को भी सीमा क्षेत्र विकास निधि में शामिल किया जाना चाहिए।

जहां तक हवाई अड्डे का सवाल है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तारिक हमीद कर्रा : महोदय, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि अगर हम आधा घंटा भी बोलें, वह भी कम है। हम अपने राज्य की प्रॉब्लम्स को यहां फाइनेंस मिनिस्टर साहब की नॉलेज में लाने के लिए खड़े हुए हैं, अगर उस पर भी आप सीमा लगा देंगे, तो कैसे हमारी स्टेट आगे बढ़ेगी।

माननीय सभापति : हमारी सामने समय की सीमा है और जितना समय आपकी पार्टी के लिए था, उससे पांच मिनट ज्यादा समय आपको दे दिया है। अब आप समाप्त कीजिए, मैं दूसरे सदस्य का नाम बुला रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री तारिक अहमद कर्रा : महोदय, जहां तक हमारे राज्य की बात है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था पर्यटन से चलाई जाती है और इसलिए दो हवाई अड्डों के उन्नयन की आवश्यकता है। जहां, तक जम्मू की बात है, इसके उन्नयन की आवश्यकता है और जहां तक श्री नगर हवाई अड्डे की बात है, इसे आगे विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसलिए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में, मैं आपके ध्यान में राजकोषीय प्रबंधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु लाना चाहूंगा। इस बजट की सबसे मुख्य विशेषता इसकी मौलिक सार्वजनिक व्यय नीति है। यह बजट वितरण – संचालित सार्वजनिक व्यय नीति से एक आबंटन-आधारित सार्वजनिक व्यय नीति की ओर जा रहा है।

इस तरह से आय वितरण में सुधार से उत्पन्न मांग में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास नहीं होगा। बल्कि, यह आबंटन कुशलता में सुधार से आएगा।

यह सार्वजनिक निवेश आधारित विकास मॉडल से एक निर्णयात्मक समाप्ति दर्शाता है। अब यह सार्वजनिक व्यय द्वारा प्रेरित हो रहा है जो कि निजी निवेश को सुकर बनाता है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए, मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री तारिक अहमद कर्रा : महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट फिस्कल मैटर है।...*(व्यवधान)* कृपया मुझे दो मिनट का समय दें।

माननीय सभापति : आप पत्र लिखकर वित्त मंत्रीजी को दे दीजिए। अब समय नहीं है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल।

[अनुवाद]

श्री तारिक अहमद कर्रा : मैं उन्हें वित्त मंत्री के संज्ञान में लाना चाहूंगा। कृपया मुझे दो मिनट का समय दें।

इसका अर्थ यह है कि बजट, पात्रता आधारित वित्तकोषीय अंतरणों से अधिक फलदायी आस्तियों के सृजन के प्रति उन्मुख है।

देश के लिए यह अच्छी पहल है। जिम्मू एवं कश्मीर के मामले में यह वैसा नहीं है। जिसे सार्वजनिक निवेश से अधिक वित्तकोषीय अंतर्थ्यों पर निर्भर रखा गया है। समस्त सार्वजनिक निवेश में हमारा हिस्सा कभी भी एक प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा है। महोदय, अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि पहले 10,000 करोड़ रुपए के कायिक "निधियों की निधि" से, 100 करोड़ रुपए जम्मू एवं कश्मीर को उपलब्ध कराने का आपसे अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)* जिससे यह हमारी अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखे।

[हिन्दी]

***श्री राम टहल चौधरी** (रांची) : आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच को साकार करने की दिशा में अरुण जेटली ने रेल बजट के रूप में जो कदम उठाए हैं उससे देश की बिगड़ती हालत को सुधार करने का मौका मिलेगा। यह बजट दीर्घकालिक विकास का संकेत दे रहा है। एक तरफ इस बजट में उद्योगों के लिए राहत है तो दूसरी तरफ आम आदमी को करों में रियायत भी है। आर्थिक सुधार के साथ-साथ बुनियादी ढांचा खास तौर से बिजली, पानी और सड़क के साथ कृषि पर ज्यादा जोर है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनका विकास भी आने वाले सालों में प्राथमिकता के रूप में होगा।

बड़े शहरों का बोझ कम करने के लिए मंझले शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री के सपने को जमीन पर उतारने के लिए जेटली जी ने इसी बजट से शुरूआत की है। इस बजट में अरबन मायने वाले गांवों में शहरों जैसी सुविधा फार्मूले पर सरकार आगे बढ़ी है।

कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख और ऊर्जा पंप सेट लगाने की योजना भी लांच करने का ऐलान किया है। इसके लिए वित्त मंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। नहरों के तट पर एक मेगावाट के सोलर पार्क के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी कॉरीडार परियोजना को इस वित्तीय वर्ष में और गति देने का भी ऐलान किया है।

देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चों के साथ जीने के लिए समुचित आवास नहीं है। इस सरकार ने सभी लोगों को 2022 तक आवास देने का वायदा किया है। इसके लिए स्मार्ट सिटी योजना और होम लोन के ऋणों में रियायत देने की बात कही है। इस सरकार का यह पहला जनरल बजट एक तरह से विकासोन्मुखी है जो देश के औद्योगिक, व्यापारिक, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार करने का काम करने वाला है। मात्र 50 दिन से भी कम समय में नई सरकार की ओर से पेश यह बजट विकास के रास्ते खोलेगा। इसमें युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के प्रावधान किए गए हैं। अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देने वाले मैन्यूफैक्चरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा यह बजट वित्तीय बाजार को मजबूती प्रदान करेगा। मोदी सरकार के बजट से बचत प्रोत्साहनों को बढ़ावा मिलने के साथ ही वित्तीय बाजार में निवेश में आ रही कई दिक्कतें भी दूर होंगी।

बजट की मुख्य घोषणाओं पर गौर करें तो वस्तु एवं सेवा कर और डायरेक्ट टैक्स कोड, व्यय आयोग के साथ बैंकों की मूलभूत जरूरतों के लिए धन जुटाने की अनुमति देना आदि सहूलियतें दी गई हैं। कुल मिलाकर बजट में यह संकेत देने का प्रयास किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती ही मिलेगी, विकास दर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास पर खास ध्यान दिया गया है, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, स्मार्ट सिटी विकसित करने, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने, आवासीय और सामाजिक क्षेत्र के विकास तथा वित्तीय क्षेत्र में बचत के प्रोत्साहन आदि प्रावधान किए गए हैं। रियल इंवेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट की अनुमति देना मोदी सरकार की व्यापक सोच का परिचायक है।

बजट में आयकर की धारा 80 सीसी के तहत आय सीमा बढ़ाने, निजी भविष्य निधि में योगदान सीमा वृद्धि और गृह ऋण लेने पर दिए जाने वाले ब्याज पर मिलने वाली आयकर राहत की सीमाओं को बढ़ाने जैसे प्रस्ताव आम लोगों में निवेश और बचत की प्रति रुचि पैदा करेंगे। पिछले कुछ सालों में वित्तीय बाजार में निवेश की बजाय लोगों के सोना खरीदने के प्रति रुझान से देश की आर्थिक रफ्तार घटी है। नई सरकार के बजट प्रोत्साहन से इसे रोकने का काम किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जो प्रावधान किए हैं उससे देश के वित्तीय बाजार में निवेश के प्रति लोग आकर्षित होंगे, इससे उत्पादन और व्यापार को विस्तार करने में मदद मिलेगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पिछले चार सालों के दौरान जीडीपी की तुलना में वित्तीय बाजार में हुए निवेश पर गौर करें तो इससे 12 फीसदी तक गिरावट आई है। ऐसे में बजट प्रावधान से वित्तीय बचतों में वृद्धि से जीडीपी का बढ़ना स्वाभाविक है। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग और पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश में बढ़ती बेरोजगारी को रोका जा सकेगा। लंबे समय से बीमा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाए जाने की मांग मानकर आज की परिस्थितियों में एक सही निर्णय लिया गया है। आयकर छूट सीमा बढ़ाने, बुजुर्गों को और रियायतें दिए जाने से राजकोषीय घाटा के बढ़ने जैसी आशंका नहीं। सीमा और उत्पादन शुल्क घटाने से घरेलू उद्योगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कर निर्धारण संबंधी विवादों के समाधान के लिए व्यापक प्रयास संबंधी प्रस्तावों से, सालों से चल रहे वित्तीय मुकदमों को निपटाने में मदद मिलेगी। बजट में मोदी सरकार स्थायी कर प्रणाली, मैक्रो इकोनोमिक्स स्थायित्व, राजकोषीय समेकन, व्यापार के लिए लाइसेंस आदि आवेदन को हफ्ते भर में निपटाना, चौबीस घंटे ई-फाईलिंग की सुविधा तथा श्रम और कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार का बीड़ा उठाया जाना देश को विकास के रास्ते पर ले जाने में मदद करेगा।

खेलों के प्रति भी वित्त मंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। खेलों के विकास के लिए देश के दो सीमावर्ती राज्यों में 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें जम्मू-कश्मीर में खेल स्टेडियमों का विकास तथा मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

देश में बुनिवादी सेवा, बिजली आज लोगों की एक आवश्यकता बन चुकी है। घरों से लेकर उद्योगों तक इसकी मांग बढ़ रही है और आज भी देश के कई हिस्सों में एवं गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। इस सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का संदेश दिया है और बिजली वितरण क्षेत्र में गांवों को बिजली वितरण के लिए अलग से लाइन दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। इससे शहरों और गांवों में बिजली उपलब्ध कराने में जो भेदभाव किया जाता है उसको दूर किया जा सकेगा। बिजली कंपनियों को बिजली पैदा करने और उसके वितरण क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए बिजली कंपनियों को दस वर्ष तक टैक्स में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ, एक चार अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग किए जाने के कई प्रावधान किए हैं जो बिजली की कमी को दूर करने में सहयोग देंगे।

अंत में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र रांची झारखंड की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है जो पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा हुआ है। हर क्षेत्र में विकास दर बहुत नीची है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि शहर हो या गांव, सड़कों का निर्माण कराया जाए। हर गांव में बिजली की व्यवस्था की जाए। बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सोलर पंप की अधिक व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाए। खाद्य सुरक्षा योजना में जो कमी की गई है उसे पहले की तरह बत्तीस किलो दी जाए। रोजगार देकर भारी मात्रा में हो रहे पलायन को रोका जाए। एचईसी के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को बकाया ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का शीघ्र भुगतान कराया जाए। स्वर्ण रेखा परियोजना, चांडील के विस्थापितों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कराया जाए। एचईसी धूर्वा रांची के विस्थापित परिवारों को खाली जमीन वापस कराई जाए। चूंकि किसानों ने कारखाने के लिए जमीन दी थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहां झारखंड में अनेक जलप्रपात हैं जिसका विकास कर सुन्दरीकरण किया जा सकता है। ये है हुडसुफौल गोतमधारा, हिरणी फौल आदि। हमारे यहां ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनका विकास कर सुन्दरीकरण किया जा सकता है जैसे रज्जरप्पा मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, जोन्हर फौल आदि इससे काफी टूरिस्ट आयेंगे, जिससे ये अच्छे पर्यटक स्थल बन सकते हैं एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे एवं सरकार को आमदनी भी होगी। हमारे यहां छोटी-छोटी एवं बड़ी नदियां हैं उसे जोड़कर सिंचाई सुविधा बढ़ाई जा सकती है। हमारे यहां बहुत सी माइन्स हैं, जैसे सीसीएल, बीसीएल, आईसीएल, आदि अनेक प्रकार के खदान हैं परंतु वहां के लोग बेरोजगार हैं। शिक्षा में बहुत बड़ा गिरावट है। स्कूलों में शिक्षक की कमी है। हर स्कूल में चाहे प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो, एक दो ही शिक्षक हैं जिससे गांव के गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों की कमी की भरपाई की जाए। इन सभी समस्याओं का समाधान करने हेतु झारखंड को अतिरिक्त धन देने का बजट में प्रावधान किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डाकघर के कर्मचारी दैनिक मजदूर के समान हैं। कर्मचारियों को मजदूरों से भी कम वेतन मिलता है। न इनका पीएफ कटता है न ही अन्य सरकारी सुविधा केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह इनको मिलती है। इनको किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। अत: केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह वेतन एवं हर सुविधा देने की मांग करता हूं।

अत: मैं वित्त मंत्री द्वारा जो जनरल बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए एवं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर) : माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट देश की दशा एवं दिशा के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट नीतिगत संकेतों को दर्शाने वाला एनडीए सरकार का पहला बजट है। वर्तमान बजट की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। यह एक बहुत ही संतुलित बजट है जो जन-कल्याणकारी एवं देश हित में है। बिहार का मेगा कलस्टर,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आईआईएम एवं अन्य लाभकारी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। मैं उसका स्वागत करती हूं।

अच्छे दिन आयेंगे इस पर अभी तक किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी कांग्रेस की सरकार आई वह अच्छे दिन नहीं ला पाई है। आजादी के बाद अच्छे दिन की जो तैयारी हुई है उसके परिणाम जरूर अच्छे होंगे। 60 वर्षों तक राज करने वाले को धैर्य रखना चाहिए। सभी योजनाएं सच में पूरी होने वाली हैं।

इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। आम बजट में महिलाओं और बच्चों को सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला एवं बाल विकास कोष पर बल दिया जा रहा है विश्वस्तर के शहरों का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और गंगा को अविरल बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। आवास ऋण पर ब्याज में कटौती की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख किया गया है। छोटे उद्यमी को प्रोत्साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ते का प्रस्ताव है। देश में घटती हुई घरेलू उत्पादन दर चिन्ता का विषय है। दु:ख की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में घरेलू उतपादन की दर घटती जा रही है। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण हमारी सरकार के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि वह देश में विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक एवं महंगाई दर 5 प्रतिशत से कम सुनिश्चित करने की दिशा में समुचित कार्रवाई करेगी। किसानों की अनाज रखने की व्यवस्था पहले से ही नहीं रहने के कारण अनाज बाहर रहने से सड़ जाता है और बरसात में बर्बाद हो जाता है। अत: इस बात की आवश्यकता है कि अनाजों के समुचित भंडारण हेतु सुविधा मिले। महंगाई पर लगाम समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गरीबों को जो दिक्कतें हैं उसे युद्धस्तर पर दूर करने की जरूरत है।

किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रावधान किसानों की बेहतरी के लिए काफी उपयुक्त होगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को भी किसानों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की आवश्यकता है।

बिहार में बिजली की मांग 3000 मेगावाट के करीब है। इसे पूरा करने के लिए 400 मेगावाट का प्लांट मुजफ्फरपुर और 700 मेगावाट बाढ़ में लगाए जाने की योजना कोल लिंकेज के कारण ठंडे बस्तों में पड़ी हुई हैं। बिहार में बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश से जो एमओयू तैयार किया गया था, उसका भी कोई लाभ बिहार को नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का भी विशेष लाभ बिहार को नहीं मिला है।

विश्व भर में युवाओं और खेलों के प्रोत्साहन के लिए कार्य हो रहे हैं। ऐसे में देश का युवा चाहता है कि उसकी सरकार भी इस दिशा में ठोस पहले करे। ऐसे परिपेक्ष्य में इस वर्ष के खेल मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी स्वागतयोग्य कदम है। इस बजट में युवाओं पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव खेलकूद को मुख्य धारा की दिशा में सही पहल है। देश के नौजवानों विशेषकर खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे देश में ही नहीं ओलम्पिक में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकें।

माननीय उमा भारती जी के गंगा के कायाकल्प की जिम्मेदारी दी गई है। गंगा नदी में डॉल्फिन की घटती हुई संख्या चिन्ता का विषय है। इसे राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया तो उम्मीद की गई थी कि इनका संरक्षण तथा संवर्धन होगा। बिहार के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 50 कि.मी. जल क्षेत्र डॉल्फिन सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह देश का इकलौता डॉल्फिन सुरक्षित क्षेत्र है और बिहार की एक जन प्रतिनिधि होने के नाते इस जल क्षेत्र के विकास की चिन्ता मुझे सदा रहती है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार डॉल्फिन के संरक्षण तथा संवर्धन पर और अधिक ध्यान दे।

अब मैं आपका ध्यान अपने शिवहर क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का मधुबनी कला केन्द्र अब देख-रेख और वित्तीय मदद के अभाव में धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर आ रहा है। वर्षों से वहां कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं हुआ है और यह केन्द्र आज भी उपेक्षित है। हमारी मांग है कि आप भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली अतीत को संरक्षित करने एवं विकास के लिए तत्काल उचित निर्देश देने की कृपा करें।

चकिया बनझुला से शिवहर सड़क की अवस्था काफी जर्जर हो गई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 घोषित हो चुका है। चकिया बनझुला-शिवहर तक की सड़क को जल्द से जल्द निर्मित करने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया और बाद में जो बजट पेश किया उनमें तालमेल है। जीडीपी दर 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। राजकोषीय घाटे को सही स्तर पर लाने के लिए हर संभव कोशिश होगी। यह बजट विकास के रास्ते खोलेगा। इसमें युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के प्रावधान किये गये हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्र सरकार के प्रयासों से नागरिकों

और महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। नक्सलवाद एवं आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जायेंगे। आदरणीय मोदी जी की अगुआई में हमारा देश विकास एवं समृद्धि की नई ऊंचाईयों को छुएगा।

माननीय सभापति : श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आप बोलिए। अब उनकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और किसानों, सिर्फ इन दो पर ही केन्द्रित करूंगा। आपने इस परंपरा को इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ रखा है। मैं पिछले चार वर्षों से देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच काम कर रहा हूं। मैं अटल जी की सरकार के समय इस सदन का सदस्य था। मुझे उस समय सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी का पहली बार एहसास हुआ जब अटल जी की सरकार ने इस देश के 44 करोड़ असंगठित मजदूरों के बारे में एक कानून बनाया। जो भवन बनाने वाले मजदूर थे, अटल जी का अपना तरीका था कहने का कि भवन बनेंगे, अट्टालिकाएं बनेंगी, सड़कें बनेंगी, लेकिन उस गरीब का क्या होगा। तब से सेस कटना शुरू हुआ। मैं कांग्रेस के मित्रों के भी भाषण सुन रहा था, इस बजट को भी मैं देख रहा था। बजट में आदरणीय जेटली जी ने ईपीएम स्कीम के तहत 1000 रुपए प्रति महीने पेंशन की घोषणा की। मैं आश्चर्यचकित था कि सदन का एक भी सदस्य तालियां नहीं बजा रहा है। यह सदन की स्थिति है। हम पर आरोप लगते हैं, यहां पर बहुत लोग मजदूरों की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन्स की बात करते हैं, हम पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था कि मजदूरों के बारे में इतना बड़ा फैसला होने के बाद भी सदन ने उसको सराहा नहीं। मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि आप 1000 रुपए महीने पेंशन की बात सिर्फ पैसे तराजू पर तौलते हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि किसी संगठित क्षेत्र के किसी संस्थान में काम करने वाला, ठेके का मजदूर जिसका पीएफ नंबर बड़ी मुश्किल से बनता है, अगर उसकी सामाजिक सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं लेगा, तो इस देश का क्या होगा। अभी बाकी काम बचा हुआ है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि मैं पिछले सदन में नहीं था, लेकिन मैंने बजट को पढ़ा है, मैं ढूंढ रहा था कि क्या उसमें कहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का नामोनिशान है। हम कल्पनाएं करते रह गए, लेकिन आपने फैसला नहीं किया। यह मेरा आप पर आरोप है। जहां तक सवाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है, अभी सूची तय नहीं हुई है, पहले 37 नाम थे, अभी 62 नाम हुए हैं, लेकिन अभी उनको चिन्हित नहीं किया गया है। पंजीयन का काम श्रम मंत्रालय का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। लेकिन आपने क्या किया, आप कहते हैं कि यह यूपीए का बजट है, हम बताना चाहेंगे कि यह यूपीए का नहीं, बल्कि हमारी सरकार का बजट है। मैं उन बातों को उद्धृत करूंगा जो इस बजट में हैं, लेकिन यूपीए सरकार के बजट में नहीं थीं। मैं पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम लूंगा। आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इस योजना को जारी रखा। लेकिन सिंधिया जी से बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि यह योजना जो 2007 और 2008 में 500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली थी, वे गांव 2014 तक क्यों नहीं जुड़ सके, क्या इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे।

मैं अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करता हूं, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्ण से पश्चिम को जोड़ने वाली थी। खंडूरी जी के समय में वह योजना नौ महीने आगे चल रही थी। आज वह 2014 तक पूरी नहीं हो सकी, जिसे 2008 में पूरा होना था। मुझे लगता है कि हमें इन विषयों पर सदन में ईमानदारी से बहस करनी चाहिए। मैं सही आकलन कर रहा हूं, मेरी पार्टी कर रही है इसलिए मैं सिर्फ पार्टी के लिए कहूंगा, मुझे लगता है कि यह ईमानदारी नहीं होगी और इस देश के साथ न्याय नहीं होगा।

कृषि से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, मैंने पिछले बजट में देखा है, जो 93 पाइंट में था। उस समय मैं सदन में नहीं था। उसमें युवाओं को सिर्फ ट्रेनिंग देने की बात ही कही गई थी। लेकिन जेटली जी के बजट में जब यह कॉलम आता है तो उसमें बताया जाता है कि ढलाईगर, बढ़ई, मोची, राज-मिस्त्री, बुनकर आदि को भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जब तक आप किसी तरह से भी रोजगार करने वाले को तकनीक का सहारा नहीं देंगे, उसका अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी कभी आगे बढ़ सकती है।

मैं मध्य वर्गीय किसान का बेटा हूं, मेरे घर में एक पाई भी बाहर से नहीं आती है, अगर खेती घाटे का सौदा है तो मेरा बेटा खेती की तरफ नहीं जाएगा। वह दफ्तर में जमीन बेचकर चपरासी बनने को तैयार है, क्योंकि उसे गारंटी मिलती है कि उसे हर माह की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। इससे उसका परिवार चलेगा और वह खेती की तरफ नहीं जाएगा। इस सच्चाई से देश को परिचित करना पड़ेगा। सदन को इस बात पर चिंता करनी होगी। मुझे लगता है कि कृषि फायदे का धंधा कब बनेगी, कैसे बनेगी, तो मैं इसमें तीन-चार बातें देखता हूं।

इस मुद्दे पर सदन में बहस नहीं होती है। जब कभी इस बारे में कोई कानून आता है तो कितनी जल्दबाजी में वह पास होता है, वह सदन में हम सबने देखा है। अगर हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कृषि चैनल की घोषणा की है, तो इसकी तारीफ होनी चाहिए कि देर-सबेर ही सही, 60 साल के बाद भी, कम से कम जो हमारे सभापति जी जैसे

लोग हैं, उस चैनल पर आएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी कृषि के महत्व को समझेगी। कृषि आज देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

जहां तक बुनकरों का सवाल है, उनकी भी समस्याओं के बारे में हमें सोचना होगा। आज दुनिया चाहती है कि हाथ का बना हुआ कपड़ा पहले। भले ही उसकी कितनी भी कीमत क्यों न हो। लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं है। उसका रास्ता कहीं नहीं है। इसलिए हमें कम से कम उन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिस आधार पर ये बातें आगे चल पाएं। मैं कहना चाहता हूं कि हम जैसे लोग तो रेडिया की बात करते थे। मैंने इसी सदन में भाषण दिया था कि कृषि चैनल की जगह रेडियो ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस बजट में कृषि चैनल की घोषणा हुई है तो मैं सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

मौसम बदल रहा है, सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस बारे में कोई प्रबंध नहीं किया गया। मौसम को हम नहीं बदल सकते, लेकिन कोई विकल्प दे सकते हैं। राष्ट्रीय अनुकूलन निधि का प्रावधान इस बजट में करके सरकार ने बेहतरीन काम किया है, इसकी सराहना होनी चाहिए, जो आप नहीं कर सके।

इस बजट में प्रधानमंत्री ग्राम योजना की बात कही गई है। मैं इतना मानता हूं कि अटल जी ने यह योजना लागू करके सिर्फ छोटा-मोटा काम नहीं किया, बल्कि क्रांति की है। यह देश में हरित क्रांति के बाद दूसरी क्रांति होगी। आप हरित क्रांति की बात करते हैं, लेकिन उसने देश को कुछ दुष्परिणाम भी दिए हैं, इस बात को भी समझना चाहिए। इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज समय नहीं है, लेकिन जब कभी कृषि पर बोलने का मौका आएगा तो मैं अपनी बात कहूंगा। इस बजट में प्रोटीन क्रांति की भी बात है, हमें खाने के लिए देना होगा। हरित क्रांति ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी वास्तव में सामयिक चर्चा होनी चाहिए। जब समय आएगा तो इस पर बात होगी।

भूमिहीन किसान, जिसके पास जमीन नहीं है, हम उसे जमीन देने की बात करते हैं। उसे नाबार्ड से लोन मिलने का प्रावधान किया गया है, क्या आपने पहले ऐसा प्रावधान किया था। इन बातों के जवाब आपको भी खोजने होंगे। जहां तक खेती के स्वास्थ्य बिगड़ने का सवाल है, यह सबको पता है। आपके भी कई वक्ताओं ने इसे बताया है कि कौन से खाद डलनी चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड डालना चाहिए, किस चीज से जमीन की बर्बादी होगी, कहां पर सीपेज है, जिस कारण जमीन बंजर हो रही है। मैं इससे संबंधित समिति का सदस्य रहा हूं, उस पूरी वेस्टलैंड का उपयोग कैसे हो सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज सौर ऊर्जा आदि तमाम तरीकों को अपनाने पर, लेकिन यह करने की नीयत होनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि वास्तव में मेरी जमीन का स्वास्थ्य मुझे नहीं पता, किसान को वाकई में नहीं, पता, लेकिन अगर ऐसा प्रावधान हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि किसान की खेती लाभ के सौदे की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है।

इस बजट में नीरांचल की बात कही गई है। किसान विकास पत्र की बात कही गई है। सब लोग बैंकिंग की बात करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं तमाम स्कीम्स आती हैं, पढ़े-लिखे लोग, व्यापारी अपना धन उनमें निवेश करते हैं। इस बजट में जो गैर बैंकिंग व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। आज किसान के पास पैसा है, सोना है लेकिन उसे निवेश करने का तरीका नहीं आता है। यह सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं किसान का बेटा हूं, हमारे पास पैसा है, सोना है लेकिन निवेश का तरीका नहीं था, माननीय वित्त मंत्री जी ने वह रास्ता खोला, मैं आपको उसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। आपको तय करना पड़ेगा कि वास्तव में आप करना क्या चाहते हैं? गांव की समस्या क्या है? गांव की समस्या गंदगी है और उस गंदगी को दूर करने के लिए हमने कोई मिशन नहीं चलाया, हम नेताओं की तरह कहें कि साहब सब कुछ सरकार कर देगी तो माफ करना देश में सारा काम सरकार नहीं कर सकती है। जो समाज को करना है उसके लिए समाज को प्रेरित करना पड़ेगा और यह कहने का नैतिक साहब आपमें तब आयेगा जब वास्तव में आप अपनी जगह पर ठीक होंगे।

मैं आग्रह करता हूं कि बुजुर्गों की सार्वजनिक भविष्य निधि का जो मामला है, जो दावा-रहित राशि पड़ी रहती है, आपने दावा-रहित राशि जो बुजुर्गों की थी उन्हीं बुजुर्गों के कल्याण की बात करके कि पैसा उन्हीं पर खर्च होगा, मैं मंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं पहली बार वहां से चुना गया हूं। चंदेल एवं परमार कालीन व्यवस्था वहां पर जल की थीं। बुंदेलखंड में शताब्दियों से कम वर्षा होती है लेकिन उन्होंने पानी का प्रबंध किया। बीच में सामंतशाही के विवादों के कारण उनके स्रोत रोके गये और आज वहां अकाल है, गरीबी है। लेकिन मेरे क्षेत्र में भीमकुंड जगह है जहां पर डिस्कवरी चैनल के लोग गये। वहां 300 मीटर पर जल-स्रोत है लेकिन आदमी प्यासे बैठे हुए हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने वहां नियोजन नहीं किया। कल माननीय सिंधिया जी भाषण कर रहे थे, मैं बहुत आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन उन्हें इतना ही कहूंगा कि आपके जो नेता हैं वे फिजिक्स के उस प्रोफेसर की तरह हैं जो एक बार अपने बच्चों को लेकर टूर पर जा रहा था। नदी में पानी आ गया तो उसने नापा कि कितना पानी है, उसने तीन जगह जाकर नापा और औसत हाईट निकाली, बच्चे को नापा, सब औसत हाईट से ऊपर थे, बच्चों को पानी में उतार दिया, पता चला कि बच्चे सारे के सारे डूब गये। बाद में माथा पीटकर कह रहा है कि "हिसाब-किताब ज्यों का त्यों फिर भी कुनबा डूबा

क्यों।" कागजी बातों से काम नहीं चलता है, जर्मीन पर जाकर हमें चिन्ता करनी पड़ेगी।

सभापति जी, कल मैंने इसी सदन में जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया था। हमारे मित्र कह रहे थे कि इस पर भी चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि धन तो हम देते हैं। जो केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए कानून हैं उनकी जम्मू और कश्मीर में दुर्दशा है। जब तक उनकी समीक्षा का रास्ता नहीं निकलेगा, वो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए धारा 370 का दुरुपयोग करें, लेकिन मजदूरों के लिए फांसी का फंदा न बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा।

कल मैंने कहा था कि 30000 हजार रुपया एक साल में खच्चर पर टैक्स है, किसी भी राज्य में मोटर-व्हीकल एक्ट के तहत कार पर इतना टैक्स नहीं है जितना वहां खच्चर पर है। ऐसा मजाक लोगों के साथ न किया जाए।

अंत में मैं इस बजट का समर्थन करते हुए जोकि गरीब, किसान और गांव के हित में है माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

***श्री जुगल किशोर** (जम्मू) : केन्द्रीय बजट जो हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने पेश किया, बहुत अच्छा बजट है। कई सालों के बाद ऐसा बजट पेश हुआ है जिसमें हर क्षेत्र एवं हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

यही एक ऐसा बजट है जिसमें किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की गई। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में गांवों और गरीब लोगों को ध्यान में रखा है और किसानों को भी राहत दी है जिसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे—बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नदियों को जोड़ना, शिक्षा क्षेत्र में आईआईटी एवं आईआईएम कॉलेजों की स्थापना करना इत्यादि।

वित्त मंत्री ने पहली बार इतना महत्व जम्मू कश्मीर को दिया है। मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हम जम्मू के विद्यार्थियों के लिए आईआईटी, कॉलेज एवं जम्मू के लोगों के लिए खेल एवं स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए, पश्मीना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए, कश्मीरी पंडितों के पुर्नवासन के लिए 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए भी जरूर कुछ करें जो अपने अधिकारों की लड़ाई 67 सालों से लड़ रहे हैं। मैं पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात कर रहा हूं जिन्हें आज भी स्थाई नागरिकता प्रदान नहीं की गई है और विधान सभा एवं पंचायती चुनाव में भी उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। उनके बच्चे को चौथी श्रेणी में भी नौकरी नहीं मिल सकती। इसके साथ ही पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के 12 लाख के करीब रिफ्यूजी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में अपने घर, जमीन, जायदाद छोड़कर उनको आना पड़ा था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उनको यह विश्वास दिलाया था कि आप लोगों का पुनर्वास जल्द किया जाएगा परंतु आज तक भी उनको वायदे के अनुसार जमीन और बाकी अधिकार नहीं दिये गये। आज भी उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके लिए एक रिफ्यूजी डवलेपमेंट बोर्ड का गठन किया जाए और वनटाइम सेटलमेंट के तहत उन्हें राहत दी जाए। इसके साथ ही बार्डर एरिया के साथ लगी कांटेदार तार के उस पार कई लोगों के घर भी है, जमीन भी है, लेकिन 10 सालों से न उनको जमीन का मुआवजा दिया गया, न उनको घर जाने दिया गया और न ही वे वहां पर खेती कर सकते हैं। प्रार्थना है कि उनके लिए कोई पैकेज की घोषणा की जाए। जम्मू के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाये जायें और इसके साथ-साथ ही जम्मू कश्मीर लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा की जाए। जम्मू और कश्मीर में सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है इसके लिए धन उपलब्ध कराया जाए।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए सामान्य बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सीआर चौधरी** (नागौर) : मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्तमंत्री को लोकप्रिय, जनकल्याण उन्मुखी, विकासशील और दूरदर्शी बजट राष्ट्र को देने के लिए अभिनंदन, बधाई और धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों से जो वायदा किया था वह इस बजट में परिलक्षित होता है। इस बजट से जनता के सभी वर्ग और बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा को उचित ध्यान एवं महत्व दिया गया था। पेंशन समाधान के लिए एक रेंक एक पेंशन की नीति सरकार द्वारा अपनाई गई है।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश की 70% से अधिक जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि में संलग्न है। हमारे वित्त मंत्री किसानों और कृषकों के लाभ हेतु निधियां आवंटित करते समय बहुत उदार रहे हैं। किसानों को मिशन माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। सरकार ने उत्कृष्टता वाले कृषि अनुसंधान संस्थान दो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और दो केन्द्रीय पशुविज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया है, जो

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुसंधान क्षेत्र में मदद करेगा और कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश देगा।भाषण सभापटल पर रखा गया। कृषि ऋण के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी, हम कुल कृषि भूमि के 50% से अधिक की सिंचाई के अंतर्गत नहीं ला पाए। हमारी सरकार "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" सुनिश्चित सिंचाई के लिए मुहैया कराए गए 1000 करोड़ रुपए के बारे में अधिक चिन्तित है।

हमारी सरकार ग्रामीण विकास के बारे में अधिक चिन्तित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित अवसंरचना के लिए एकीकृत परियोजना है।

500 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए पृथक फीडर हेतु "दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना" हेतु मुहैया कराए गए हैं। पीएमजीएसवाई को सुदृढ़ करने के लिए, वित्त मंत्री ने 14389 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ग्रामीण आवास सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक हेतु 8000 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ आवंटन किया गया है। नया कार्यक्रम 'नीरांचल' 2142 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ देश में वाटरशेड विकास को बल मिलेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने एससी और एसटी जनसंख्या के लिए योजनाओं का उचित ध्यान रखा है। आदिवासियों के कल्याण हेतु 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ "वन बंधु कल्याण योजना" प्रारंभ की गई है।

पेयजल और स्वच्छता, महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों हेतु अनेक नए प्रावधान किए गए हैं।

व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को 50,000 रुपए बढ़ाया गया है, इसे व्यक्तिगत करदाताओं के मामले में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत निवेश की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने सेना कर के राष्ट्र के करोड़ों लोगों को राहत प्रदान की है। माननीय वित्त मंत्री ने व्यवसाय और व्यापार के विकास हेतु अनेक अच्छी योजनाओं की घोषणा की है।

माननीय वित्त मंत्री ने कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास और खेल एवं युवा मामले हेतु अच्छे उपबंध किए हैं।

'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' लड़कियों के समग्र विकास में काफी मददगार सिद्ध होंगे। माननीय वित्त मंत्री ने बाल और महिला विकास तथा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों को भी महत्ता दी है। इसी प्रकार विद्युत, ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को भी विधिवत महत्ता दी गई है।

2014-15 का यह बजट पर्यटकों, पूर्वोत्तर राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के हितों का भी अच्छी तरह ध्यान रखेगा।

हम वित्त मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने लोकोन्मुखी और लोकप्रिय बजट प्रस्तुत किया है, जो राष्ट्र में हर किसी का ध्यान रखेगा। मैं बजट का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी) : सभापति जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट 2014-15 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से सामान्य बजट पर बोल रहा हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण की प्रथम पंक्ति में ही उल्लेख किया है कि भारत के लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। उसी को ध्यान में रखकर माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को तैयार किया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करता हूं।

बजट सामान्यत: आय-व्यय का लेखा जोखा माना जाता है। परंतु मेरे विचार में बजट आज को संभालता है और भविष्य को संवारता है। वर्तमान की समस्याओं का समाधान है तो भविष्य के सपनों को साकार करता है। यही बजट की कसौटी है। बजटीय घाटा आज देश की अर्थव्यवस्था का संकट बना है। पिछली सरकार भी इस समस्या से चिन्तित थी और वर्तमान सरकार भी इस समस्या को सबसे बड़ी चुनौती मानकर चल ही है। पिछली सरकार के वित्त मंत्री ने इस वित्तीय घाटा को कम करने के लिए सरकारी खर्च में कटौती का रास्ता अपनाया था। वर्ष 2011-12 में जीडीपी का 5.7 प्रतिशत वित्तीय घाटा था जो वर्ष 2012-13 में 4.8 प्रतिशत हुआ और 2013-14 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो गया। वर्तमान वर्ष में इसे घटाने का लक्ष्य 4.1 प्रतिशत है। मैं नहीं समझता हूं कि वर्तमान वर्ष में यह वित्तीय घाटा कम करना बड़ी चुनौती है। पिछले वित्त मंत्री जी ने इस घाटे को कम करने के लिए जो व्ययों में कटौती के रास्ते को अपनाया उसे वर्तमान वित्त मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। परंतु पिछले वित्त मंत्री जी ने जो व्यय घटाए हैं वो न्यायोचित नहीं कहे जा सकते। आवश्यकता तो यह थी कि गैर योजना व्यय घटाए जाते हैं पर उन्होंने तो योजना व्यय घटाकर वित्तीय घाटा को कम करने की कोशिश की थी।

वर्ष 2013-14 के बजट में योजना व्यय 5 लाख 55 हजार 322 करोड़ का तय किया गया था किन्तु इस व्यय को 4 लाख 75 हजार 532 करोड़ रुपए कर दिया गया था जो दुर्भाग्यपूर्ण कदम था। मुझे प्रसन्नता है कि इस राशि को पुन: माननीय वित्त मंत्री जी ने 5 लाख 55 हजार करोड़ रुपए 2014-15 के बजट में रखा गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार गैर विकासीय व्यय जिसमें सबसे बड़ी राशि ब्याज भुगतान की है, उसमें कटौती लाये और इसके लिए देश पर बढ़ते हुए कर्ज के बोझ को कम करना होगा। 2012-13 में ब्याज पर दी जाने वाली राशि 3 लाख 13 हजार 170 करोड़ रुपए थी जो 2013-14 में 3 लाख 80 हजार 66 करोड़ रुपए रह गई और वर्तमान 2014-15 में 4 लाख 27 हजार 11 करोड़ रुपए होगी। अन्न उत्पादक व्ययों को कम करके ही हम देश के विकास को गति दे सकते हैं। आज इस बदलते हुए माहौल में सरकार को प्राथमिकताओं के आधार पर आय को व्ययों में विभाजित करना होगा। जैसा मैंने पहले कहा हमारे व्यय इस प्रकार होने चाहिए कि वे वर्तमान में समस्याओं का समाधान करें और भविष्य के स्वर्णिम सपनों को साकार करें। देश में खेती की उन्नति ही सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। दुर्भाग्य है कि खेती की आज तक अनदेखी की गयी।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। महोदय, अगर आपसे समय नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अगर आप मुझे समय नहीं देंगे, तो मुझे कौन समय देगा। उसका परिणाम है कि खेती का भागीदारी देश के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 12 प्रतिशत रह गयी है खेती आज एक अलाभकारी काम बनकर रह गया है। हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। देश में 80 प्रतिशत लघु और सीमान्त किसान हैं जो मात्र वर्ष भर के उपयोग के लिए ही अन्न का उत्पादन कर रहे हैं। उसे समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति लाभान्वित नहीं रही है। इसलिए जरूरी है कि इस दिशा में नीति बदले। समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ उत्पादन लागत में कमी करने के ठोस कदम उठाये तभी देश के किसान वर्ग की खेती लाभान्वित होगी और किसान खुशहाल एवं देश संपन्न होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने के अंतर्गत बाजारीकरण को प्रोत्साहन मिला और देश में देखा गया कि वे क्षेत्र जो विशुद्ध सामाजिक हैं सेवा के क्षेत्र हैं वे लाभ कमाने वाले उद्योग बन गए हैं।

मेरा इशारा चिकित्सा और शिक्षा की ओर है। ये दोनों क्षेत्र उद्योग के रूप में पनप गए हैं और आज इतने महंगे हो गए हैं कि देश का निर्धन वर्ग क्या मध्यम वर्ग भी इनकी पहुंच से बाहर हो गया है।

चिकित्सा व्यवस्था के महंगा होने के कारण देश में प्रतिवर्ष लगभग चार करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। हमारा वित्त मंत्री जी से आग्रह है इसमें सुधार कीजिए और शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य को ठीक रखना आज की आवश्यकता है तो स्कूल में बच्चे को भेजना भविष्य की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण अंचलों के परिवारों को अपने आय का 7 प्रतिशत इसी चिकित्सा पर व्यय करना पड़ रहा है। 2000 से 2012 तक के दौरान चिकित्सा व्ययों में 205 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी यह वृद्धि 390 प्रतिशत के करीब है। मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य को ठीक रखना आज की आवश्यकता है तो स्कूल में बच्चों को भेजना भविष्य की आवश्यकता है।

मेरा अनुरोध है कि सरकार इन क्षेत्रों में इस औद्योगिकरण की प्रवृत्ति पर अविलंब अंकुश लगाए और इसके लिए इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी व्ययों की राशि में वृद्धि करे ताकि देश में आम आदमी को निजी क्षेत्र के अस्पतालों की और स्कूल कॉलेजों की महंगाई से राहत मिले और उनको भी विकास का समान अवसर उपलब्ध हो। इस बजट में बुनियादी सुविधा सड़क, आवास, शौचालय, बिजली पर काफी जोर दिया गया है। इसलिए मैं माननीय नरेन्द्र मोदी और माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयास की सराहना करता हूं। मैं अपनी ओर से और अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सदन में मुझे पांचवां बजट सुनने का अवसर मिला है। मैं किसी की प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं लेकिन झोपड़ी से लेकर महल तक और गांव से लेकर शहर तक अगर सबसे कम आलोचना मेरे बीच-पच्चीस साल के राजनीतिक जीवन में किसी बजट की हुई है तो यह बजट मैं देख रहा हूं। लेकिन हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि बजट में जो वादा किया गया है, इस वादे को यह सरकार कैसे पूरा करेगी या क्षेत्र में घोषणापत्र के माध्यम से जो वादा देश की जनता के सामने किया गया, उस वादे को यह सरकार कैसे पूरा करेगी? मैं विपक्ष को यह बताना चाहता हूं कि दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी:

"है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में,
"ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़
और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।"

दुनिया के अंदर कुद भी असंभव नहीं है। आपकी तो शंका व्यक्त करने की आदत पड़ गई है। आपको विश्वास करना चाहिए। क्या आपको विश्वास था कि आप जाने वाले हैं?...*(व्यवधान)*

हमारे देश में जब राजनीति की चर्चा होती थी और जो राजनीति के भविष्यवक्ता हैं, वे लोग कहते थे कि हिन्दुस्तान की राजनीति में अब किसी एक पार्टी के आने की संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन इस देश की जनता ने, इस देश के गरीब ने, मैंने कहा कि झोंपड़ी

से लेकर महल तक, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके आपको वहां भेजने का और भाजपा को इधर भेजने का काम किया। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। कमी प्रबंधन में है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अभी हमारे मित्रों ने कहा था कि हमने विरासत में आपको बहुत कुछ दिया है और उसी का आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपने कुछ अच्छा भी विरासत में दिया है और कुछ खराब भी दिया है। हमारे जनपद के अंदर एक कवि पवार साहब होते थे। उन्होंने 20-25 वर्ष पहले एक कविता लिखी थी:

"धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे
और कलम के पुजारी अगर सो गये तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे।"

आपने क्या नहीं बेचा? आपने विरासत में हमें बहुत कुछ दिया। इतने घोटाले आपने किये कि आपको भी याद नहीं है, हमें भी याद नही है और देश की जनता को भी याद नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पैसे की कमी नहीं है बल्कि प्रबंधन की कमी है। हमारे वित्त मंत्री जी खेल से जुड़े हैं। कॉमन वैल्थ की मैं चर्चा करना चाहता हूं। जिस समय 2003 में आईओ ने बोली लगाई थी, उस समय हमारा 1200 करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन आपने समय पर काम नहीं किया। आपने ध्यान नहीं दिया और 1200 की जगह पर 70000 पर भी जाकर यह कॉमन वैल्थ का गेम नहीं रुका। अगर इसको जोड़ा जाए तो 1 लाख से भी ऊपर जाएगा। हमारे जनपद में एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे जनपद में एक सरयू नहर सिंचाई परियोजना है। यह 1974 में शुरू हुई थी। यह 299 करोड़ की योजना थी। इसको अब तक पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन 12000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यह योजना आज 40 प्रतिशत तक पहुंची है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर भारत सरकार का पैसा खर्च हो चुका है और अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। रेल मंत्री जी ने संकेत दिया है और आपने भी संकेत दिया है कि पुरानी योजनाओं को पूरा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने की जरूरत है कि वह किस स्थिति में हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। जिस उद्देश्य से उन योजनाओं को बनाया गया था उसकी पूर्ति होनी चाहिए।

महोदय, इस सरकार को दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और आप हिसाब-किताब मांगने लगे। मैं हमेशा देखता हूं कि महंगाई पर चर्चा होती है, आलू, प्याज, तिलहन, दलहन पर चर्चा होती है। किसान जो वस्तुएं पैदा करता है केवल उन चीजों की महंगाई पर चर्चा होती है। कारखानों में पैदा होने वाली चीजों की चर्चा आज तक मैंने अपने कानों से नहीं सुनी है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के बाद एक बार इन पर चर्चा होनी चाहिए। फीस, किताब, दवाई के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती, खाद की चर्चा क्यों नहीं होती? मैं अपने क्षेत्र में गया था तो एक बच्चा गाना गा रहा था—

का हमरा दिनवा बहुरी है कि नांही,
का हमरा दिनवा बहुरी है कि नांही,
बांस की झोंपड़िया महलिया से पूछे
कि का हमरा दिनवा बहुरी है कि नांही,
दिन भर खेतवा में हलवा चलावें
शाम को पेट भर रोटियां न पावें
दहियां की पीड़ा धननवा से पूछे
पेटवा की भूख महजनवा से पूछे
तोहरी तिजोरी कबो भरी है कि नांही
तोहरी तिजोरी कबो भरी है कि नांही

आज समीक्षा करने की जरूरत है। आज जिस तरह से गांव में लोग रह रहे हैं, आपने इसकी चिन्ता अपने भाषण में की है, श्री प्रह्लाद पटेल जी ने अपने भाषण में की है। लोग कहते थे कि किसी भी पार्टी की सरकार अकेले नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जीवन में कभी भी अकेले नहीं आने वाली है। इन झोंपड़ी वालों ने, इन्हीं गांव वालों ने, गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है जिस कारण आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। असंभव संभव हुआ है।

महोदय, कांग्रेस के मित्र मनरेगा की बात पर बड़े फूले घूमते हैं। मैं मानता हूं आपकी नीयत ठीक थी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मनरेगा ही नहीं जितनी भी केन्द्र पोषित योजनाएं राज्यों को दी जा रही हैं, अगर उनकी मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई तो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निगरानी समिति या कोई भी तंत्र डेवलप करें। जब तक केन्द्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, तंत्र को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कोई योजना सफल नहीं हो पाएगी।

महोदय, अब मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना की बात कहना चाहता हूं। बड़ी कंपनियों को ठेके दिए गए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने इस सरकार में अपने दो-चार जिले के खराब काम के बारे में कंपलेंट की। मैं कम्पलेंट के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि यह डिमांड के विपरीत आया। जहां इतना खराब काम हुआ था, बीपीएल को कनेक्शन देना था लेकिन काम नहीं हुआ और जब मैंने कंपलेंट की तो लिखकर आ गया कि माननीय सांसद कंपलेंट करने के आदी हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो काम हुए हैं कि वे इतने खराब हुए हैं, यह सदन सहमत होगा कि प्रधानमंत्री विद्युत योजना के जो काम हुए हैं, वे केवल कागजों में हुए हैं। वहां खराब खंबे लगाये गये हैं, टूटे हुए खंबे लगाये

गये हैं, वे केवल शोपीस बनकर रह गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके प्रति किसी को संदेह नहीं है, संदेह इनको हो सकता है, लेकिन इस देश की जनता को संदेह नहीं है। देश की जनता यह जानती है कि मोदी जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन उन्हें यह विश्वास है और वह उसी विश्वास के साथ काम करेंगे। यदि आप हमसे दो महीने का हिसाब लेना चाहते हैं तो 47 साल का हिसाब हम भी आपसे लेना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि आज यह देश जहां पहुंचा है, किसी ने कहा है कि जिस स्थिति में यह देश पहुंचा है, किसी ने कहा है - "दर्द कौन लेगा यह बताया जाए, लोग सब चले गये बाजार उठाया जाए, अकेले गुनाह मेरा नहीं है साहब, अदालत में रोशनी को भी बुलाया जाए।" यह अंधेरा बोला। आपने पचास सालों तक राज किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देश की जनता आपके साथ मजबूती के साथ खडी है और आपकी जो भी योजनाएं हैं, आप उन्हें लागू कीजिए, बस निगरानी तंत्र मजबूत कीजिए, वरना जैसे इनकी योजनाएं धरी की धरी रह गईं, वैसा कहीं हमारे साथ न हो।

[अनुवाद]

***एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर** (दक्षिण गोवा) : मैं, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत आम बजट - 2014 का समर्थन करता हूं। कार्यभार संभालने के मात्र 45 दिनों के बाद प्रस्तुत किया गया यह बजट एक ऐतिहासिक, विकासोन्मुखी और वित्तीय समेकन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अर्थव्यवस्था को वापस रास्ते पर लाने के लक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। बजट ने समाज के सभी वर्गों की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक वृद्धि हेतु रूपरेखा तैयार की है।

वित्त मंत्री सभी क्षेत्रों अर्थात् युवाओं, महिलाओं, गरीब, मध्यम वर्ग, किसानों, विनिर्माताओं, निवेशकों, बैंकिंग, अवसंरचना, शिक्षा और रोजगार निर्माण के विकास हेतु उठाए गए कदमों के लिए बधाई के पात्र हैं। सही अर्थ में, यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार का लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की ओर एक कदम है।

कृषि, एक मुख्य कार्यकलाप है और देश की अधिकतर जनसंख्या अपनी जीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। मैं वित्त मंत्री को कृषि हेतु प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के विकास के लिए एक 'कृषि-प्रौद्योगिकी अवसंरचना निधि की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के लिए बधाई देता हूं। प्रत्येक किसान के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन्हें उनकी कृषि कार्यकलापों हेतु काफी मददगार सिद्ध होगा तथा वे उर्वरकों और मृदा की उत्पादकता में संतुलन स्थापित रखते हुए पेशेवर ढंग से काम कर सकेंगे।

इस वर्ष में, हम वर्षा की कमी महसूस कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन तो होंगे ही, बल्कि इसका कृषि कार्यकलापों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि की स्थापना करना सराहनीय कदम है। मैं माननीय वित्त मंत्री को मनरेगा को कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से जोड़ने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' और 'किसान विकास पत्र' जैसी योजना को प्रारंभ करने से कृषि समुदाय को सुनिश्चित सिंचाई और बचत में मदद मिलेगी।

आज का युग ज्ञान आधारित और सूचना के आदान-प्रदान का है। किसानों को नई कृषि तकनीकों, कृषि व्यवसाय, कृषि के तरीके इत्यादि के बारे में किसानों को सूचनाएं प्रदान करने के लिए किसान टीवी को प्रारंभ करना एक सराहनीय कदम है जिसका विशेष रूप उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है।

'नारी सम्मान', भारतीय संस्कृति में धर्मनिहित है। महिलाओं और/या लड़कियों के प्रति अत्याचार या उदासीनता हाल ही की कुछ घटनाओं ने हमें शर्मशार किया है। इस पृष्ठभूमि में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना। प्रारंभ करने का प्रस्ताव महिलाओं के लिए सराहनीय कल्याणकारी योजना है।

माननीय वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु 'वन बंधु कल्याण योजना' हेतु 100 करोड़ रुपए का आवंटन करने के लिए, मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

मैं, आईआईटी की स्थापना और गोवा में विश्वस्तरीय सम्मेलन केन्द्र के विकास के प्रस्ताव हेतु भी धन्यवाद देता हूं।

फुटबाल में गोवा ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी पैदा किए हैं। राज्य सरकार ने गोवा फुटबाल विकास परिषद की स्थापना की है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि उक्त गोवा फुटबाल विकास परिषद और अन्य खेलों के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में उनकी मदद करें।

गोवा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत खनन क्षेत्र से प्राप्त होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर प्रतिबंध लगाने से गोवा की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और राज्य को 1500 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व की हानि हुई है। खानों के बंद होने के कारण एक लाख से अधिक लोगों ने अपनी जीविका खोई है। संघ सरकार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ने विगत 7 से 8 वर्षों में निर्यात कर और आयकर से 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए की राशि कमाई है। इस स्थिति की भरपाई के लिए गोवा सरकार ने केन्द्र सरकार से खनन प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में 3000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि खनन प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु गोवा के वित्तीय सहायता के रूप में 3000 करोड़ रुपए की सहायता अनुमोदित की जाए।

***श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे** (नासिक) : मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्री कार्यभार ग्रहण करने पर आदरणीय श्री अरुण जेटली साहब द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में बधाई देने वालों से सबसे पहला सदस्य में ही था मैंने देश की सेवा हेतु उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनसे नासिक में होने वाले कुंभ मेला के लिए अधिकतम निधि स्वीकृत करने का अनुरोध किया ताकि कार्य समय सीमा के भीतर अच्छी तरह से हो सके।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह डीपीसीसी तथा जिला कलेक्टर नासिक द्वारा अनुरोध की गई राशि को शामिल करें क्योंकि कुंभ मेला, 2015 के जुलाई महीने में शुरू होगा तथा यह उत्सव (फेस्टिवल) पूरे देश का है और इसमें लाखों तीर्थयात्री आते हैं। आप कुंभ और हमारे धर्म में इसके अत्यधिक महत्ता के बारे में जानते हैं।

मैंने माननीय संस्कृति मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक से भी अनुरोध किया था कि वे सरदार पटेल मेमोरियल ग्राउंड, जिला नासिक में भगूर में स्वतंत्र वीर सावरकर मेमोरियल की स्थापना करें। दोनों स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की स्वाधीनता में समान रूप से योगदान दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उक्त मेमोरियल को स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करें।

इसी भावना के साथ मुझे विश्वास है कि आप केन्द्रीय वित्त मंत्री से आम बजट में समुचित व्यवस्था की मांग करेंगे ताकि विभिन्न एजेंसियां कुंभ के लिए एक निश्चित समय के भीतर अच्छी गुणवत्ता से अपना कार्य कर सकें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भगूर में स्वतंत्र वीर सावरकर मेमोरियल के लिए निधि आवंटित करें।

***श्री पी. करुणाकरन** (कासरगौड) : मैं आम बजट, वर्ष 2014-15 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

भाजपा की यह सरकार भारी बहुमत से सत्ता में आई है। लोगों ने इस विचार के साथ उनके पक्ष में मतदान किया है कि सरकार चुनाव अभियान में किए गए वायदे के मुताबिक कीमतों की वृद्धि को नियंत्रित करेगी। लेकिन स्वयं सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम मूल्य वृद्धि के लिए है। पेट्रोल की कीमतें 1.69 से 1.70 पैसे की वृद्धि की डीजल में 50 पैसे की वृद्धि हुई है। इसके बाद मिट्टी के तेल पर सब्सिडी को कम कर दिया गया है। दूध, चीन और सब्जियों के दाम बढ़ गए है। रेलवे के किरायों में वृद्धि हुई है जिससे कीमतों में और वृद्धि होगी। यात्री किराए में 14.5% और पार्सल के किराए में 5% वृद्धि हुई है। इस निर्णय से सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। सामान्य रूप से कीमतों में 6.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 98 प्रतिशत, सब्जी में 8.6 प्रतिशत और दूध तथा अन्य वस्तुओं में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अत: सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह मोदी सरकार का पुरस्कार है। सरकार ने सामरिक क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति देने का निर्णय लिया है। रक्षा में पहले एफडीआई 26 प्रतिशत था और अब यह 49 प्रतिशत है। संचार के क्षेत्र में यह 49 प्रतिशत है और रेलवे में भी उन्होंने एफडीआई लाने का निर्णय किया है। यह वास्तव में पिछली सरकार की नीतियों को जारी रखना है।

सरकार महंगाई भी भ्रष्टाचार की कीमत पर सत्ता में आई है क्योंकि पिछली सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में असफल थी। किन्तु मोदी सरकार के नीतिगत निर्णय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

कृषि की गंभीर स्थिति के बारे में रिपोर्ट मिल रही है। किसानों का ब्याज मुक्त ऋण देने के संबंध में स्वामीनाथन समिति ने रिपोर्ट दी थी। किन्तु यह सरकार इस मुद्दे पर चुप है।

'मनरेगा' में बदलाव करने की बात की जा रही है। किन्तु वास्तविक कार्ययोजना तैयार नहीं है। योजना का नाम स्वयं महात्मा गांधी को विर्निदिष्ट करता है। वह राष्ट्रपिता का नाम बदलकर किसी और विद्वान का नाम कैसे रख सकते हैं।

इस बजट में भी, केरल की पूरी तरह अनदेखी की गई है। केरल की अर्थव्यवस्था के तीन स्तंभ हैं; (1) कृषि और वाणिज्य, (2) अनिवासी भारतीय [एनआरआई] और (3) पारंपरिक उद्योग। सरकार की आयात नीति के कारण, केरल के किसान, विशेषकर रबड़ की खेती करने वाले किसान गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष 1 किलो रबड़ का मूल्य 235 रुपए था और इस वर्ष यह भी घटकर 130 रुपए पर आ गया है। ऐसा रबड़ की आयात नीति के कारण हुआ। इसमें 100 रुपए प्रतिकिलो का नुकसान हुआ है। नई सरकार भी पिछले सरकार के ही पदचिन्हों पर चल रही है।

केरल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक थोमट, काजू, हथकरघा, बीड़ी इत्यादि जैसे परंपरागत उद्योगों पर निर्भर है। इनके लिए राज्य को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और जिससे भारत सरकार को अच्छी खासी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन एनआरआई लोगों के लिए कोई पुनर्वसन योजना या कल्याणकारी योजना नहीं है। हम इराक का दर्दनाक अनुभव झेल चुके हैं।

राज्यों के लिए आईआईटी को स्वीकृति दिए जाने की मैं सराहना करता हूं, लेकिन केरल एम्स के दर्जे वाले राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। सरकार ने विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और हथकरघा के उत्कृष्ट केन्द्र खोले हैं। केरल हथकरघा की भूमि है और केरल की ही अनदेखी की गई।

सरकार प्रतिगामी संरचना का अनुसरण कर रही है, जिसमें आम आदमी को बोझ झेलना पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए करों से यह बात स्पष्ट होती है। इलैक्ट्रॉनिक सामानों पर सीमा शुल्क में कमी करने से इलैक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में कमी आएगी। इससे इस क्षेत्र को कुछ राहत मिलेगी। हम केरल राज्य में विशेषकर रासरगोद में एंडोसल्फान के पीड़ितों के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। केरल सरकार ने पिछली सरकार से एंडोसल्फान के पीड़ितों की राहत के लिए 475 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था, लेकिन कोई सहायता नहीं दी गई।

पिछले बजट में, 5,66,000 करोड़ रुपए का कर माफ कर दिया गया। यह वास्तव में अमीर लोगों और बड़े व्यवसायों को भी दी गई कर छूट है। पिछले वर्ष यह 5,26,000 करोड़ रुपए था। ये सभी आंकड़ें इस अवधि के बजट घाटे से कहीं ज्यादा हैं। यह सरकार भी अमीर लोगों को ऐसी ही छूट देती है।

खाद्य सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए चिन्ता का बड़ा विषय होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) महंगाई को रोकने का सशक्त साधन है। जब खाद्य सुरक्षा के उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हों, तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर कुछ न कहा जाना गलत है।

सरकार गुजरात मॉडल की बात करती है। लेकिन केरल, तमिलनाडु और अन्य कुछ राज्य गुजरात से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक मॉडल है। केरल में साक्षरता और अन्य कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। तो सरकार किस मॉडल की बात करती है? हमें एक भारतीय मॉडल की आवश्यकता है।

केरल में सहकारी आंदोलन बेहद मजबूत है। कुछ निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक ने लिए और कुछ निर्णय बैंकिंग संशोधिन अधिनियम के संशोधन के माध्यम से भी आए। राज्य के सहकारी आंदोलन के कार्यकरण में कठिनाईयां आ रही हैं। बैंकिंग संशोधन अधिनियम के 80पी में बैंक की कृषि सहकारी समितियों को कुछ रियायतें दी गई हैं। चूंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों से लेन-देन व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्हें 80पी के कार्यान्वयन से छूट दी गई है। लेकिन विभाग ने केरल में सहकारी क्षेत्र को यह उपखंड 80पी लागू करने पर जोर दिया और दिन प्रतिदिन के कामों तक सीमित है। दूसरी समस्या, जिसका वे सामना करते हैं, वह आयकर अधिकारियों की तरफ से है, जो सहकारी बैंकों में जाकर उनके रिकॉर्ड की जांच करते हैं। एक आदमी, जो पांच लाख रुपए जमा करता है, उसे सारा ब्यौरा आयकर विभाग को देना पड़ता है। लेकिन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी बैंकों पर यह बात लागू नहीं होती। इससे भी सहकारी बैंकों का कार्यकरण बुरी तरह प्रभावित होता है। अत:, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर विचार करें।

यह सरकार, संप्रग सरकार को गिराकर सत्ता में आई है। महंगाई और भ्रष्टाचार पिछली सरकार की हार के प्रमुख कारण थे। अगर नई सरकार भी उसी रास्ते पर चलेगी, तो इस सरकार के परिणाम और अनुभव भी ठीक वैसे ही साबित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस साल को जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी और भारत सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस सदन में और इस सदन के आज तक के इतिहास में सबसे युवा सांसद के बतौर जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी बहुत आती है कि सदन में युवाओं के बारे में बात कीजिए। वित्त मंत्री जी ने चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या खेल हो, इनके प्रति गंभीरता दिखाने का काम किया है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो पांच नये आईआईएम और पांच नये आईआईटी बनाने की बात की गई है। परंतु मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यदि हम आज अपने आईआईटीज और एनआईटीज की बात करें तो जो फैकल्टी स्टॉफ वहां हैं, लगभग तीन सौ स्टाफ की कमी है, लगभग 30 परसेन्ट लोगों की कमी है, दूसरी तरफ हम और नये इंस्टीटयूट्स बनाने की बात करते हैं, जिनकी इस देश को जरूरत है। मगर जो पुराने इंस्टीटयूट्स हैं, उनमें सुधार की भी बहुत जरूरत है, उनके अपग्रेडेशन की भी जरूरत है।

यहां एजुकेशन की बात रखी गई कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, करोड़ों रुपए उसके लिए रखे गये। आज हमारा देश मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा है, दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हम अपने आपको

एक डेवलप्ड कंट्री से कंपीट करता हुआ देखते हैं। यहां 15 दिन पहले मैंने सरकार से सवाल किया था कि क्या सरकार आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल्स में कम्प्यूटर एजुकेशन शुरू करेगी? आज उसका जवाब आया और सरकार ने साफ तौर पर नकारने का काम किया। मैं वित्त मंत्री के माध्यम से देश को उम्मीद बंधाना चाहता हूं कि आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल में भी इस देश के बच्चों को, जो गवर्नमेन्ट के प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार करेगी।

यहां रिसर्च की बात आई, मैं धन्यवाद करता हूं कि फरीदाबाद में में एक रिसर्च इंस्टीटयूट रखने की बात आई और दूसरी तरफ हरियाणा में एक हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात भी रखी गई। हरियाणा के ऊंचाणी, करनाल के अंदर एक एग्ज़िस्टिंग हार्टिकल्चर सेंटर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगी या फिर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसको यूनिवर्सिटी के बतौर डिवेल्प करने का काम करेगी। उसके लिए सरकार को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जो एग्ज़िस्टिंग फैसिलिटीज़ सरकार द्वारा वहां पर निर्धारित की गई हैं, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। जहां रिसर्च पर बात करें, तो एनिमल रिसर्च पर, जो लाइवस्टॉक रिसर्च की बात सरकार द्वारा रखी गई, 50 करोड़ रुपए केवल इस रिसर्च के लिए निर्धारित किया गया है अगर हम भारत की बात करें तो भारत आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्युसर है। मैं उम्मीद रखता हूं कि डेयरी को या और जो लाइवस्टॉक है, जैसे शीप है वूल के लिए, ऐसे लाइवस्टॉक्स के अपग्रेडेशन के लिए 50 नहीं 200 करोड़ तक का प्रावधान रखें। जिससे जो रिसर्चर्स वहां पर बैठे हैं, उनको विदेशी कंपनियों से इंवेस्टमेंट लाकर पेटेंट दूसरे देशों में न भेजने पड़ें। जो पेटेंट हो, वह हमारे देश में ही हो। जिससे पैसा हमारे देश के अंदर बरकरार रहे। एक युवा होने के नाते दूसरा मुद्दा खेल का आता है। सरकार द्वारा सौ करोड़ रुपए एशियन गेम्स के लिए रखा गया है। खुद वित्त मंत्री जी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में इंवॉल्व्ड हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत लंबे समय से इस चीज की उम्मीद थी। मैं यही अपील करता हूं कि सौ करोड़ रुपए एशियन गेम्स के लिए रखा गया है परंतु आने वाले समय इससे बड़ी जिम्मेवारी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर आती है, जब पूरी दुनिया हमारे खिलाड़ियों को देखती है, वह ओलंपिक्स की जिम्मेदारी है। सन् 2016 के ओलंपिक्स के लिए, मेरा यह मानना है कि अगर आज से हमारे खिलाड़ी पूरी तौर पर प्रिपेयर हों तो कम से कम 500 करोड़ का प्रावधान खिलाड़ियों के लिए रखने का काम करना चाहिए। दूसरी ओर पूरे बजट में एक कमी दिखी। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े-बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेल्प किए गए हैं। मगर पूरे बजट के अंदर उन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्टेडियम बनाने के लिए कोई प्रोविजन वित्त मंत्री द्वारा नहीं रखा गया है। मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय में जब वित्त मंत्री सप्लिमेंट्री रखने का काम करें, उसके अंदर जो एग्ज़िस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जैसे हिसार के एचएयू के अंदर बहुत बड़ा गिरि स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स है, जिसकी हालत आज जर्जर हो चुकी है। वैसे पुराने स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूट्स जिन्होंने बड़े-बड़े गोल्ड मैडलिस्ट हमारे देश को पैदा कर के दिए हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए पैसा देने की बात भी सरकार करे।

रोज़गार की बात करें तो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं देने का काम किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं।

जब मैं एक साल का था तो इसी सदन के अंदर चौ. देवीलाल जी ने एक बात कही थी कि भारत आज भी गांवों में बसता है। मैं आज दोबारा यही बात कहता हूं कि आज फिर देश को देखने की जरूरत है कि भारत अभी भी गांवों में बसता है। हम सौ नए शहर बसाने के लिए 760 करोड़ देने का प्रावधान करते हैं, मगर एक सांसद को उसके लोक सभा क्षेत्र के विकास के लिए मात्र 5 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है। भारत सरकार और वित्त मंत्री से मेरी यही अपील है कि किसी ने किसी ऑल्टरनेट तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार एडिशनल फंड्स सांसदों को दे, जिससे वे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकें...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। दूसरे सदस्य को भी बोलना है।

...*(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत चौटाला : सभापति जी, मैं एक कृषि परिवार से आता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं धन्यवाद करूंगा कि एक नई यूरिया पॉलिसी की बात सरकार ने की है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अगले सदस्य हैं माननीय श्री राज्यवर्धन राठौर

...*(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : यहां यूरिया पॉलिसी की बात रखी गयी। मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा मगर और बड़ी आल्टरनेटिव खाद और बीज की समस्याएं आज हमारे किसानों को फेस करनी पड़ती हैं। मेरी यही अपील रहेगी कि किसानों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी जाये ताकि जब फसल का समय हो तो उनको खाद और बीज की समस्या का सामना

न करना पड़े। मैं धन्यवाद करूंगा कि जो हमारी यूपीए सरकार द्वारा मनरेगा की स्कीम चलायी गयी थी।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कर्नल राज्यवर्धन राठौर सिंह जी, अब आप बोलिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी ने उस स्कीम को किसानों के लिए उपलब्ध कराने की बात कही है। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप एक मिनट कितनी बार लेंगे? अब आप बैठ जाइये। अब उनको बोलने दीजिए। राठौर जी, आप बोलिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मुझे समाप्त तो करने दीजिए।

***श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी** (झंझारपुर) : मैं अपने भाषण को सभापटल पर रखता हूं। मैं बिहार राज्य के झंझारपुर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। इस बजट में किसानों और गरीब तबके के लोगों के हित को ध्यान में रखा गया है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की चर्चा करता हूं। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र कोशी-कमला नदी की गोद में पड़ता है, इस क्षेत्र के लोगों के प्रत्येक साल बाढ़ और सुखाड़ से जूझना पड़ता है। इस समस्या के निदान के लिए कोशी-कमला नदी पर डैम बनाने की जरूरत है। डैम बन जाने से जहां बिजली का उत्पादन होगा, वहीं किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल जायेगी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सड़क की बहुत कमी है इसलिए इस क्षेत्र में सड़क बनाने की बड़ी जरूरत है। खास करके एनएच-104 जो सीतामढ़ी जिला से लेकर जयनगर, लदनिया, लौकहा-लौकही होते हुए एनएच-57 नरहिया में मिलती है और एनएच-105 जो दरभंगा जीरो माइल से भाया रहिका होते हुए जय नगर में एनएच-10 में मिलती है। ये दोनों सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आग्रह करता हूं कि जनहित में इन दोनों सड़कों का जल्द निर्माण कराया जाए। राजनगर राज कैम्पस में पूर्व कृषि मंत्री ने कृषि कॉलेज का शिलान्यास किया था, आपसे आग्रह है कि राजनगर में कृषि महाविद्यालय की घोषणा करने की कृपा करे। मधुबनी जिला की आबादी 50 लाख से ऊपर होगी, यहां रांटी में आकाशवाणी केन्द्र का शिलान्यास माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ वर्ष पहले किया था। आग्रह है कि आकाशवाणी को भी रांटी में बनाने की कृपा की जाये।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मिनिमम गवर्नेंस, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको आप मिनिमम समय मत करें, मुझे बोलने के लिए थोड़ी सी रियायत दें। यह मेरी सदन में पहली स्पीच है।

माननीय सभापति : आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें निर्धारित समय में ही इस बहस को पूरा करना है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : जिस तरह से खिलाड़ी मैदान में प्रवेश करने से पहले मैदान को नमन करता है, उसी तरह से मैं इस भारत को, जयपुर ग्रामीण को और इस सदन को नमन करता हूं।

महोदय, चर्चा का विषय है बजट, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं सीधे तथ्य पर आता हूं। किसी भी चीज की सफलता इसी में मानी जाती है कि उसका श्रेय कौन लेना चाह रहा है? कल से इस सदन में जो चर्चा हो रही है, अजूबे की बात यह है कि अपोजिशन भी इसका श्रेय ले रहा है। अपोजिशन कल से कह रहा है कि यह तो हमारा बजट है।

महोदय, यह तो वैसे ही हुआ, जैसे हमने चार पहिये की गाड़ी ली, जहां आपने चार पहिये की गाड़ी ली तो हमने कहा देखिये हमारी नकल की। यह तो सब जानते हैं कि ताकत टायर में नहीं होती, ताकत इंजन में होती है और हमारे इंजन में तो 56 इंच का डाइनमो लगा है, जो इस देश के युवाओं की ताकत से दौड़ता है।

महोदय, यह महान देश परिस्थितियों के बोझ के तले नहीं दब सकता। अपोजिशन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। यह देश परिस्थितियों का गुलाम नहीं बन सकता। हम कठिन परिस्थितियों में मजबूत इरादे से इस देश का भविष्य बनायेंगे। यूपीए को बहुत मौके मिले, मौके की शिकायत ये नहीं कर सकते। ये परिस्थितियों की शिकायत कर सकते हैं, हालात की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मौके की शिकायत नहीं कर सकते। यह हमारा बजट सात महीनों का बजट नहीं है, इसमें फिगर्स सात महीने की हो सकती हैं, लेकिन यह भारत के भाग्य और भविष्य की बुनियाद रखने वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए सबके लिए कुछ न कुछ है। यह एक ऐसा बजट है, जो पूरी दुनिया में एक उम्मीद जगाता है और पूरी दुनिया को वापस फिर भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर करता है, उसी इज्जत से और उसी उम्मीद से जैसे कई साल पहले देखते थे।

सेना के लिए, जिसमें आन्तरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों को लेकर इस बजट में काफी धन रखा गया है। वॉर मेमोरियल, जो इस देश के अंदर इतने शहीद हुए, लेकिन उनको याद करने के लिए एक भी कोई यादगार समारोह नहीं किया जाता, उसको ध्यान में रखते हुए एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है। अफसोस इस बात का है कि महात्मा गांधी का यह देश, जो शान्तिपूर्ण देश है, एक ऐसी चीज में नंबर वन बन गया

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है, जिसमें इसे नंबर वन नहीं होना चाहिए। आज भारत वेपन इम्पोर्ट के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा देश बन गया है। चाइना और पाकिस्तान से तीन गुणा ज्यादा हथियार आयात होते हैं इस भारत के अंदर। उसका भी समाधान इस बजट में दिया गया है। 49 प्रतिशत जो एफडीआई है, उससे आत्मनिर्भरता बनेगी और साथ-साथ यहां युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। डेवलपमेंट प्लैंक के मामले में वित्त मंत्री ने बहुत सारा धन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रखा, एनर्जी सेक्टर के डेवलपमेंट पर रखा, युवाओं के रोजगार के लिए एक अलग फंड की तैयारी की गई।

महोदय, खेलों के बारे में माना जाता है कि वह दिलों को जोड़ता है लेकिन आज तक उसके माध्यम से हम राज्यों को अपने दिल से नहीं जोड़ पाए। वित्त मंत्री ने खेलों के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए और नॉर्थ-ईस्ट के लिए अलग से फंड रखा है। यह बहुत दूर की सोच है कि वे खेलों के माध्यम से हमारी टीम का हिस्सा बनें और हमसे जुड़ें। साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमीज़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति जी, हर राज्य और हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। अगर नॉर्थ ईस्ट वाले तीरंदाज़ी में अच्छे हैं, बॉक्सिंग में अच्छे हैं, फुटबॉल में अच्छे हैं तो हरियाणा के बॉक्सिंग में अच्छे हैं, रैस्टलिंग में अच्छे हैं। राजस्थान के शूटिंग में, घुड़सवारी में और एथलैटिक्स में, केरल एथलैटिक्स और वॉलीबॉल में, गोवा फुटबॉल में, बंगाल फुटबॉल में अच्छे हैं। सबकी अपनी-अपनी खासियत है और उस खासियत को ध्यान में रखते हुए वहां जब नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमीज़ बनाई जाएंगी तो न केवल उन खेलों का, बल्कि वहां के लोगों का भी उन खेलों में स्तर बढ़ेगा।

महोदय, अपोज़ीशन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि अरुण, वास्तविक संसार में आपका स्वागत है। कि कहां तुम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते थे और बजट को भी कांग्रेस मुक्त नहीं बना पाए। जब मैंने यह सुना तो महात्मा गांधी का ध्यान आया। सभापति जी, जब महात्मा गांधी को कोई चिट्ठी देता था तो वे चिट्ठी में से पिन निकालकर रख लेते थे। कहते थे कि जो चीज जरूरी है, उसको मैं रख लेता हूं। उसी तरह हमने अभी तक की सभी पॉलिसीज में से जो जरूरी था, जो सही था, उसको रख लिया और बाकी को छोड़ दिया। यह बजट आसानी से नहीं बना है। कहते हैं कि परफॉर्मेन्स तो कोई भी दे देता है लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में जो परफॉर्मेन्स दे, वही मुकद्दर का सिकन्दर होता है। वित्त मंत्री जी ने समय और स्थिति दोनों को परास्त करके यह बजट पेश किया है।

[अनुवाद]

सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है, कि वित्त मंत्री काफी विपक्ष के प्रति प्रतिशोध की भावना न रखते हुए काफी परिपक्व और शालीन है। हमने चुनावी प्रचार की कड़वाहट को पीछे छोड़ दिया है। यह भारत है और भारत में, सरकारें बदलती है, व्यवस्था नहीं। संविधान सर्वोपरि है और यह देश हम सबका है। यह बजट हम सबका है।

***श्री एम.बी. राजेश** (पालक्काड़) : बजट 2014-15 से केवल एक दिन पहले प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण ने हमारी अर्थव्यवस्था द्वारा सामना किए जा रहे मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ मुद्दे मुद्रास्फीति, रोजगार वृद्धि में गिरावट और विनिर्माण की वृद्धि दर में कमी है। तथापि, यह बजट अर्थव्यवस्था की इन मुख्य समस्याओं के समाधान करने में असफल हुआ है।

इस बजट का जोर एफडीआई, पीपीपी और राजसहायता को कम करने पर है। रक्षा उत्पादन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की वर्तमान 26% की सीमा को बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव विदेशी पूंजी का तुष्टिकरण करने के सिवाए कुछ नहीं है। सरकार ने रियल एस्टेट में भी एफडीआई मानदंडों में छूट दी है।

वित्त मंत्री दावा करते है कि उनका बजट आगामी 3-4 वर्षों में 7-8% की सतत विकास की ओर यात्रा की शुरुआत है। तथापि, बजट में घरेलू मांग बढ़ाने और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने हेतु मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। विशेषत: वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमे सुधार की पृष्ठभूमि में बिना लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि किए अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता। 2013-14 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, निजी अंतिम उपभोग में विकास, जोकि 2003-04 से 2011-12 में औसत 7.8 था; 2012-13 में गिरकर 5% हो गया और 2013-14 में और गिरकर 4.8% हो गया। यह इस परिप्रेक्ष्य में है कि 2013-14 सीएसओ अंतिम तिमाही के लिए अग्रिम प्राक्कलन, जो कि संपूर्ण विकास दर 4.6% की एक खराब स्थिति और विनिर्माण में नकारात्मक विकास दर्शाता है। अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। यद्यपि, 2010-11 से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों में ही जीडीपी और निवेश के अनुपात में नियमित गिरावट आई है। यह बजट वास्तव में कुल नियोजित व्यय में आवश्यक वृद्धि लाने में विफल रहा है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सहायता हेतु कुल बजट समर्थन बजट अनुमानों की तुलना में वास्तव में कम हो गया है। यह वित्त मंत्री की राजकोषीय घाटे पर रोक लगाने की चिन्ता के कारण है। राजकोषीय नियंत्रण के नाम पर योजना व्यय में वृद्धि के प्रति यह अनिच्छा वृद्धि दर को पुन: बढ़ाने की योजनाओं पर विपरीत प्रभाव डालेंगे।

जैसा कि यह देश कमजोर मानसून की चुनौती का सामना कर रहा है, इस सरकार ने वास्तव में कृषि और संबंधित क्षेत्रों, ग्रामीण विकास,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सामाजिक सेवाएं और महिला एवं बाल विकास में केन्द्रीय योजना व्यय में भारी कटौती का प्रस्ताव दिया है। बजट से कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कमजोर और विलंबित मानसून द्वारा उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार किया जा सके। जबकि भारत अभी भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, और जबकि श्रीलंका भी उच्च मानव विकास श्रेणी में शामिल हो चुका है, सामाजिक क्षेत्रों में काफी अधिक निवेश नहीं बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। यह और भी चौंकाने वाली बात है कि कुल जनसंख्या के अनुपात पर आधारित योजना आयोग के निर्देशानुसार योजना व्यय में एससी और एसटी का हिस्सा 4700 करोड़ और 14000 करोड़ रुपए तक कम हो गया है। इस बजट का अन्य मुख्य उद्देश्य राजसहायता में कटौती करके राजकोषीय घाटा कम करना है। बजट में पैट्रोल पर राजसहायता में 22054 करोड़ रुपए की भारी कटौती का प्रस्ताव है। इससे आगे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। यह बजट चरणबद्ध तरीके से डीजल और एलपीजी राजसहायताओं को छुपे हुए तरीके से कम करने की परिकल्पना भी करता है। वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए बजट में कोई भी तत्काल उपाय प्रस्तावित नहीं किए गए है। यह बजट महंगाई नियंत्रित करने के लिए वस्तुओं के सट्टा व्यापार पर पाबंदी लगाने के मुख्य कदम पर चुप है और दूसरी ओर बजट में ईंधन की कीमतों में कमी करने जैसे प्रस्ताव है जिनसे मुद्रास्फीति और ज्यादा बढ़ेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के दौरान 1999-2000 से 2004-05 की तुलना में रोजगार विकास दर केवल 0.5% थी जो कि पहले 2.8% थी। बजट में रोजगार में वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए है। बजट का दृष्टिकोण निवेश बढ़ाने और घरेलू मांग बढ़ाने का नहीं है। बल्कि इसमें निजी क्षेत्र को निवेश से संबद्ध छूटों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। तथापि, यह अतीत में निवेश बढ़ाने में पूरी तरह असफल रहा है।

बजट में राजस्व जुटाने के निर्धारित लक्ष्य उच्च अपेक्षाओं पर आधारित है। तथापि, कर दरों में अधिक वृद्धि नहीं की गई है। गत दो वर्षों में हमारा अनुभव दर्शाता है कि राजस्व का संशोधित अनुमान बजट अनुमान से कम रहा और राजस्व में कमी की स्थिति में व्यय में और कमी आ सकती है।

प्रत्यक्ष करों पर बजट प्रस्ताव से 22,200 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से राजस्व 7525 करोड़ रुपए तक बढ़ता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि बजट प्रस्ताव अमीर वर्ग को राहत देते हैं जबकि आम आदमी पर अधिक भार डालते हैं।

अत्याधिक कर रियायत का प्रचलन जारी है। वर्ष 2012-13 में यह 5.66 लाख करोड़ रुपए था और वर्ष 2013-14 में यह 5.72 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। जब सरकार राज सहायता और वित्तकोषीय घाटे के बारे में अधिक बात कर रही है, बजट इन भारी रियायतों के बारे में मौन है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये कर प्रोत्साहन हटा लिए जाएंगे। अतः इस बजट ने पूर्ववर्ती सरकार का समान नव उदार मार्ग अपनाया है।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी) : इस बजट पर टिप्पणी करने का मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

बजट भाषण का प्रथम वाक्य निम्नानुसार है: "भारत की जनता ने परिवर्तन के लिए निर्णायक रूप से मतदान किया है।"

राष्ट्रपति के संबोधन और बजट भाषण में, सरकार का नारा 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन' के रूप में उद्धृत किया गया है। परंतु समय ही यह सिद्ध करेगा कि आप किस प्रकार का परिवर्तन करने जा रहे हैं। किस प्रकार के सुधार आप करने जा रहे हैं और किस प्रकार का सुशासन आप शुरू करने जा रहे हैं।

यदि आप हमारे अनुभव के 30-40 दिनों का सत्यापन करें, मैं पूर्ण विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने गलत दिशा में चलना शुरू कर दिया है। यूपीए सरकार समावेशी विकास समाज के सभी वर्गों के विकास, वंचित वर्ग और गरीब लोगों के लिए थी। गरीबी उन्मूलन, यूपीए सरकार के मुद्दों में शीर्ष पर था। परंतु जहां तक इस सरकार की बात है, इस बजट में भी यह गरीबों को भूल गई है; इसका ध्यान मात्र 'संभ्रातों' पर है न कि 'वंचितों' पर।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संबंध में पैरा 53-57 के स्वास्थ्य क्षेत्रक पर बात करें, तो सरकार की पहल आईआईएम जैसे कुछ संस्थानों या कुछ अनुसंधान संस्थानों को शुरू करने के बारे में ही सीमित है। यह अच्छी बात है परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपने देश के स्वास्थ्य क्षेत्रक में समग्र पहल करना भूल गए हैं। इस देश में कुपोषण की ज्वलंत समस्या का हम कैसे समाधान करने जा रहे हैं? ग्रामीण भारत में हम स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का कैसे समाधान करने जा रहे हैं? दुर्भाग्यवश, इस बजट में सभी समस्याओं के मूल का समाधान नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, मैं एक अति महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गुर्दा रोग चिन्ताजनक रूप से बढ़ रहा है। कई मामले रिपोर्ट किए गए हैं। एक छोटे से गांव में भी आप दर्जनों गुर्दा रोगियों को देख सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गुर्दा संचालन संबंधी जांचें भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं सरकार से गुर्दा रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक पृथक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रतिपादित करने का आग्रह करता हूं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो यह एक नेक कार्य होगा, जो आप इस देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कर सकते हैं।

अल्पसंख्यकों की बात करें, तो मैं अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरा संगठन मुख्यत: अल्पसंख्यक मामलों पर ध्यान दे रहा है। जहां तक इस बजट की बात है, आपने अल्पसंख्यकों को नजरंदाज किया है चूंकि उनके लिए कोई नई योजनाएं या नई परियोजनाएं नहीं हैं। आपने नाममात्र के लिए ही इस पर विचार किया है। यदि आप इस कार्यनीति को अपनाएंगे तो आप इस देश में कैसे परिवर्तन लाने जा रहे हैं? कृपया ऐसा ना सोचें कि आप इस देश के अल्पसंख्यकों को नजरंदाज कर सकते हैं।

आपकी प्राथमिकता क्या है? गुजरात सरकार और भारत सरकार के बीच एक बड़ी संयुक्त उपक्रम परियोजना, गुजरात में आ रही है। आपने सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं इस पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। भारत सरकार और गुजरात सरकार उस निर्णय को ले सकती है परंतु प्राथमिकता निर्धारित करते समय आपको न्याय करना चाहिए। आपको देश की संपत्ति को न्यायपूर्ण रूप से संवितरित करना चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है।

हम इस तथ्य पर वर्ग कर सकते हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 तक भारत को कार्यशील आयु समूह में 65 प्रतिशत की आबादी सहित विश्व में सबसे युवा देश बनने वाला कहा गया है। परंतु दुर्भाग्यवश, इस बजट में, हमारी जनशक्ति को उपयोग करने की दृष्टि नहीं दिखाई है। चीन ने वाणिज्य, व्यापार और विनिर्माण क्षेत्र में विश्व बाजार पर कब्जा कर लिया है। भारत चीन से काफी आगे जा सकता है। दुर्भाग्य से, विश्व रोजगार बाजार के अनुसार जनशक्ति आवश्यकता की उचित योजना के बारे में आपका कोई दृष्टिकोण नहीं है मैं सुझाव दूंगा कि हमें हमारे प्रयासों को उस दिशा में भी लगाना चाहिए।

अगला मुद्दा शिक्षा के संबंध में है। सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? सभी सशक्तिकरण का यंत्र शिक्षा और केवल शिक्षा है। मैं समझता हूं कि आपने इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को गंभीरता से नहीं लिया है। मैं आपको इस सब पर ध्यान देने का सुझाव दूंगा। मैं आपसे शिक्षा को राजनीति से न मिलाने का अनुरोध भी करता हूं। आपने हाल ही में आईसीएचआर के अध्यक्ष को नियुक्त किया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता परंतु सभी इतिहासकार जैसे रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब, कहते हैं कि वह ऐसे बड़े पद को धारण करने के लिए योग्य नहीं हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

उनकी विश्वसनीयता और उनकी योग्यता सिर्फ यह है कि वह आपकी पार्टी के प्रति वफादार हैं। आप अपनी निष्ठा के एक व्यक्ति को ले सकते हैं। मैं, इस पर प्रश्न नहीं कर रहा, परंतु यदि आप इतिहास और शिक्षा को राजनीतिक पसंद के साथ मिलाते हैं, तो यह उचित नहीं है।

अंत में, मैं आपकी विदेश नीति के बारे में बात करना चाहूंगा। परसों सभा ने क्या देखा? इसने एक दुखद दृश्य देखा। हम गाजा घटना का उल्लेख कर रहे थे। सभी विपक्षी दलों के नेता गाजा और इसके समीपीय क्षेत्रों में व्याप्त दयनीय स्थिति का उल्लेख कर रहे थे। दुर्भाग्यवश आपने उन सभी बातों को सुना परंतु आपके द्वारा पेलेस्टाइन के भाई और बहनों जो निर्दयतापूर्वक मारे जा रहे हैं के बारे में कोई संवेदना भरा शब्द नहीं कहा गया। आपका अपना राजनीतिक मत हो सकता है, परंतु भारत की गौरवमयी परंपरा है। आप इस गौरवमयी परंपरा को नष्ट न करें। ये मेरी आपसे सविनय अपील है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***डॉ. के. गोपाल** (नागापट्टिनम) : हमारी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री अम्मा ने इस बजट का स्वागत किया है "बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वित्तीय विवेक को आगे रखते हुए नई सरकार की इच्छाओं और उम्मीदों को भी संबोधित करता है। एफडीआई को स्वीकृति ध्यानपूर्वक प्रदान करनी होगी।"

मेरे साथियों ने पहले ही बजट के बारे में अनेक सुझाव दिए हैं, मैं कुछ विषयों जैसे कृषि, सड़क अवसंरचना, मछुआरों और आंतरिक सुरक्षा के बारे में अपने विचार सभापटल पर रखना चाहूंगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे देश में अधिकतर लोग कृषि कार्यकलापों में कार्यरत हैं। सरकार को कृषि कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन कदमों को उठाना होगा जो हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाना है उत्पाद की कम से कम बर्बादी किसानों को ऋण सुविधा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर।

यद्यपि सरकार कृषि क्षेत्र में सम्मिलित प्रौद्योगिकी ढांचे को स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है, तथापि गुणवत्तापूर्ण बीजों की पर्याप्तता, मृदा, सिंचाई, मॉनसून असफलता, अप्रत्याशित वर्षा या सूखे जैसी समस्याएं हैं। जहां तक कृषि भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु परिवर्तित करने का संबंध है, इस वर्तमान दशक के दौरान कृषि उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है।

प्रत्येक किसान को मिशन मोड में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने की एक योजना प्रारंभ की गई है और इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और देशभर में 100 मोबाइल मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु अतिरिक्त 56 करोड़ की राशि दी गई है।

जलवायु परिवर्तन के बदलते स्वरूप का सामना करने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ 'राष्ट्रीय अनुकूलन निधि' की स्थापना की गई है कृषि में 4% सतत् वृद्धि प्राप्त की जाएगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रौद्योगिकी आधारित दूसरी हरित क्रांति में प्रोटीन क्रांति सहित उच्च उत्पादकता मुख्य क्षेत्र होगा।

देशी पशु नस्लों के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है और उतनी ही राशि अंतर्देशीय मत्स्यन में नीली क्रांति के लिए रखी गई है।

सौर विद्युत-कृषि पम्प सैटों और वॉटर पम्पिंग स्टेशनों के लिए 400 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

एफसीआई पुनर्गठन – परिवहन और वितरण हानियों को कम करना और पीडीएस की कार्यकुशलता को वरीयता पर किया जाएगा। सरकार जब आवश्यक होगा कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए खुले बाजार में बिक्री करेगी।

भूमिहीन किसानों को संस्थागत वि त्त प्रदान करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि नाबार्ड के माध्यम से 'भूमिहीन किसान' के 5 लाख संयुक्त कृषि समूहों को वित्त प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि हेतु 8 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। भांडागार अवसंरचना निधि हेतु 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

किसानों के लाभ के लिए "दीर्घावधि ग्रामीण क्रेडिट निधि" स्थापित की जा रही ताकि 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कायिक निधि के साव्य सहकारिता बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जा सके और अल्पावधि सहकारिता ग्रामीण क्रेडिट के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

सरकार ने एनएचएआई और प्रस्तावित राज्य सड़कों में 37,850 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, जिसमें पूर्वोत्तर के लिए 3000 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। चालू वर्ष के दौरान 8500 किमी का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। कृपया नीचे वर्णित सड़कों को तत्काल स्वीकृत करें। टीएनजे से नागापट्टनम तक एन-एच; और विकरापांडी से टीएनजी (थंगरमा) तक एनएच।

आंतरिक सुरक्षा हेतु – समुद्रतटीय पुलिस स्टेशन के निर्माण जेटी और नावों की खरीद इत्यादि हेतु 150 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

तमिल मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना से बचाने के लिए नई जेटी के निर्माण होने तक चैन्ने और कराईकल मार्ग बंदरगाह पर नौसेना जहाज-बर्थ, 100 दिवस कार्य को बढ़ाकर 150 दिवस किया जाए और दैनिक दिहाड़ी को 150 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाया जाए।

एमपीलैड राशि को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर दस करोड़ रुपए किया जाए, सभी बांधों और नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और बारहमासी नदियों को अन्य नदियों से जोड़ा जाए।

डॉ. कंभमपति हरिबाबू (विशाखापट्टनम) : महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया।

आज, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हूं। यह बजट विकासोन्मुखी बजट है। यह बजट इस देश के लोगों को नई आशा देने के लिए है। पिछले दस वर्षों से देश नीतिगत अपंगता से जूझ रहा है। सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तथा सरकार द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा था। बिजली की स्थिति बदतर हो गई क्योंकि कोयले के आबंटन की समस्या है। किसानों, घरों और उद्योगों के लिए बिजली नहीं है। सप्ताह में तीन दिन बिजली नहीं आती है। अत: बहुत से उद्योग बंद हो गए और बहुत से लोगों का रोजगार चला गया। देश बड़ी आशाओं के बावजूद विध्वंसक स्थिति में है।

लोगों ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मत देने का निर्णय लिया और वह भी इस आशा के साथ कि उनके नेतृत्व में देश प्रगति करेगा। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में अवसंरचना विकास, अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार, राजकोषीय घाटे को रोकने तथा चालू खाता घाटा को कम करने के संबंध में देश को बहुत आशास्वित किया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अर्थव्यवस्था को गति होने के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार करें। चालू खाता घाटा में निर्यात में वृद्धि की तुलना आयात में अधिक वृद्धि के कारण हुआ है। आयात घटकों में कमी की जाए। इस संदर्भ में एथनाल को पैट्रोलियम उत्पादों में मिलाने से कच्चे तेल के आयात में कमी हो सकती है जिससे निश्चित रूप से चालू खाता घाटा को रोकने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऑटोमोबाइल कर में रियायत देने पर विचार करें जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में बिजली से चलता है। यदि आप इसे कम करते हैं तो कच्चे तेल के आयात में कमी होगी और विदेशी मुद्रा बचेगी। इसी तरह यदि आप देश में बिजली की स्थिति में सुधार करते हैं तो उद्योग और संगठन जो बिजली पैदा करने के लिए डीजल जनरेटिंग सेटों का उपयोग करने के लिए बाध्य है वे ऐसा नहीं करेंगे और डीजल की बचत होगी।

अत: यदि देश में बिजली की स्थिति सुधरती हैं तो चालू खाता घाटा की समस्या पर ध्यान दिया जा सकता है और इसी तरह कच्चे तेल के आयात में कमी लाई जा सकती है यदि ऑटोमोबाइल डीजल और पेट्रोल

की जगह विद्युत से चलें। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऑटोमोबाइल क्षेत्र को कर में छूट देने पर विचार करे जोकि ई लाइन का निर्माण करते हैं तथा जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में बिजली से चलते हो इस प्रकार के नवोचारी उपाय देश को अच्छी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेंगे। मैं आशा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएगी तथा देश को नीतिगत अपंगता से बचाएगी और देश के आगे ले जाएगी।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार हॉसदाक (राजमहल) : सभापति महोदय को मैं मुझे मौका प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, वह कहीं न कहीं भ्रामक और आंखों में धूल झोंकने वाला है। अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति दिखाई गई है, उसमें कहीं न कहीं यह दिखाया जा रहा है कि देश को बहुत ही जटिल और मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसा करते हुए दिशा और दशा दोनों का अभाव है।

अपराह्न 5.07 बजे

[**डॉ. एम. तंबिदुरै** *पीठासीन हुए*]

मुद्रास्फीति की दर ऊंची है और थोक मूल्य सूचकांक में 2013-14 में कम 5.98 प्रतिशत दिखायी गई है, लेकिन इसका असर कीमतों के घटने पर नहीं दिख रहा है। इस पर सरकार कड़े कदमों का रोना रो रही है। पैट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों, खाद्य पदार्थों आदि में दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने की बात की जा रही है, लेकिन इसका बोझ किस पर पड़ रहा है? एक तरफ आप अगर देखें तो जो बहुमत आपको मिला है, उसमें कहीं न कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान आपको इसमें मिला है। कहीं न कहीं यह लोड महिलाओं पर ज्यादा पड़ रहा है, जो युवा छात्र दूसरे प्रदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन पर पड़ रहा है और किसानों पर पड़ रहा है।

एक तरफ इन पर जो बोझ पड़ रहा है, उसको न देखते हुए, उद्योग जगत को 5.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी क्यों दी जा रही है। नई यूरिया पॉलिसी की बात की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनमें किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी, इस पर चर्चा जरूर की जानी चाहिए। आपकी पार्टी हमेशा से जीएसटी का विरोध करती रही है, लेकिन सरकार बनते ही बहुत जल्दी से उस पर अमल करने पर आगे बढ़ गई है।

आज की तारीख में चार लाख करोड़ से ज्यादा रुपया टैक्स विवादों में फंसा हुआ है और सरकार कर प्रशासन में सुधार की बात कर रही है। इसका निपटारा कैसे होगा, इसकी समयबद्ध योजना होनी चाहिए। सरकार को हर मर्ज की दवा विदेशी पैसे, एफडीआई में दिखाई दे रही है और वह उसी के प्रोत्साहन में लगी हुई है। एफडीआई किन क्षेत्रों में आनी चाहिए और कहां नहीं आनी चाहिए, कम से कम इस पर एक खुली बहस की जरूरत है। मनमाने तरीके से लिए गए निर्णय घातक साबित हो सकते हैं। रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में इसमें सावधानी बरती जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में स्वावलंबन की जरूरत है और अन्य विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लगभग ढाई लाख करोड़ रुपएकी इस साल व्यवस्था करनी होगी। एक तरफ तो सरकार उनकी हिस्सेदारी बेचकर पैसा ले रही है और दूसरी तरफ इतना बड़ा बोझ, धनराशि की व्यवस्था करने को कहा गया है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निपटाने की कहीं कोई योजना तो नहीं है।

हमारा देश किसानों का देश है। इस बजट में किसानों की बहुत बुरी तरह से उपेक्षा की गयी है। सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की बात कर रही है। किसानों के विरोध के कारण यह कानून बनाया गया था। इसमें संशोधन करने से किसानों के हितों को कुचला जाएगा। देश पीने के पानी और सिंचाई दोनों के संकट से गुजर रहा है। कहीं न कहीं इसको हल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट में कोई प्रावधान हमें नहीं दिखा। मैं झारखंड से बिलांग करता हूं। हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं। मैं खुद आदिवासी हूं। इस बजट में सौ करोड़ रुपए मुहैय्या कराए गए हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं है। आदिवासियों के बच्चों, मजदूरों के बच्चों तथा कारखानों में काम कर रहे कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को अपने उत्पाद स्वयं बेचने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध होना चाहिए। उनकी फसल मार्केट में कैसे पहुंचे, इस पर कहीं न कहीं चर्चा करने की जरूरत है।

गंगा परियोजना के बारे में कहूंगा कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र में साहबगंज जिला पड़ता है, गंगा हमारे यहां से क्रॉस कर रही है, लेकिन झारखंड को गंगा परियोजना में कहीं शामिल नहीं किया गया है। दस वर्षों से वहां पुल निर्माण की बात चल रही थी जो कि बंगाल, बिहार और झारखंड तीनों के लिए बिजनेस का बहुत बड़ा द्वारा खोलेगा। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर जरूर नजर डाली जाए।

एक विशेष खेल के मसले को लेकर कुछ कहना चाहूंगा। इसमें शायद हमारे बीजेपी के भी सदस्यगण समर्थन करेंगे। झारखंड में फुटबाल बहुत प्रेम से खेला जाता है। हाकी से हमें ऑलरेडी कई खिलाड़ी मिले हैं, लेकिन वहां फुटबाल को बढ़ावा देने की जरूरत है। एक फुटबाल एकैडमी अगर वहां खोली जाए तो इस देश को एक फुटबाल टीम झारखंड से मिल सकती है, यह मैं जरूर कह सकता हूं, वादा कर सकता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

***श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** (अहमदनगर) : आम बजट का मतलब होता है देश के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए फंड का आवंटन ताकि हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, रोजगार, आवास इत्यादि के अवसर प्राप्त हो। हर व्यक्ति को वे सभी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें जिससे उसकी जीवन शैली में सुधार हो सके। साथ ही बजट में आयकर कानून में सुधार व टैक्स में मिलने वाली छूट का प्रस्ताव रखा जाता है। आम आदमी की दिलचस्पी सबसे अधिक इसी बात में रहती है कि इस बार उसे कितना कम टैक्स देना पड़ेगा ताकि उसकी मेहनत की कमाई उसके पास ही रहे। वित्त मंत्री ने भी आम जनता की इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में आयकर की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा ताकि महंगाई के इस दौर में करदाता अपने लिए अधिक पैसा बचा सके।

बजट 2014-15 के विश्लेषण से पहले जिस पृष्ठभूमि में इसे पेश किया गया है, उसे समझना आवश्यक है। सत्ता में आने से पहले नई सरकार ने "अच्छे दिन" लाने का वायदा किया था। यह बजट उसके लिए मजबूत रोडमैप है। यह वित्तीय कौशल और विकास को वरीयता देने वाला है।

यह बजट विकासोन्मुखी है। इसमें आधारभूत ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के आवंटन में बढ़ोत्तरी के अलावा इस क्षेत्र के वित्त पोषण की दिक्कतों को दूर करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे रीयल इस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन और आधारभूत क्षेत्र की फाइनेंसिंग के लिए बैंकों के स्टेट्युअरी लेंडिंग (एसएलआर) और नकद आरक्षित जमा अनुपात (सीआरआर) में ढील देना आदि। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश पर 15 फीसद अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आम बजट में बचत को बढ़ावा देने के लिए कई अहम उपाय किए हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में लोग सोने में अंधाधुंध निवेश कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि इससे सोने का आयात लगातार बढ़ता गया और बचत की दर में भारी गिरावट आ गई। बजट में आयकर की धारा 80सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए होने से खासकर नौकरीपेशा वर्ग अब ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। बचत बढ़ाने के लिए सरकार ने पीपीएफ में सालाना निवेश की सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए और किसान विकास पत्र को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इससे सरकार को अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने में कई मोर्चों पर राहत मिलेगी। साथ ही लोगों में बचत करने की आदत बढ़ेगी जिसका उन्हें भविष्य में काफी फायदा मिलेगा।

जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं सुगम नहीं है वहां पर किसान विकास पत्र यानी केवीपी बहुत ही लोकप्रिय थे, क्योंकि निवेश के लिए अब भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे विकल्पों की तलाश करते हैं। जहां उनकी रकम एक निश्चित अवधि में दोगुनी हो जाए। जिन इलाकों में बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं वहां रकम को "डबल" यानी दोगुना करने का आकर्षण कुछ ज्यादा ही होता है।

बजट में डाकघर से जारी किए जाने वाले राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) को बीमा कवर के साथ लांच करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि छोटी बचत करने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा लड़कियों की पढ़ाई और शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष लघु बचत योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। जाहिर है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नए उत्पाद डाकघर द्वारा ही बेचे जाएंगे। बहरहाल, पीपीएफ में निवेश की सीमा बढ़ने, किसान विकास पत्र योजना को बहाल और एनएससी को आकर्षक बनाने से डाकघर की उपयोगिता बढ़ेगी। जिन इलाकों में अभी तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वहां लोगों को बचत के लिए और अच्छे विकल्प मिलेंगे।

कुल मिलाकर करदाताओं को टैक्स में कुछ राहत तो मिली है लेकिन यह जरूरी है कि इस रकम को सोच-समझकर निवेश किया जाए ताकि यह वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार हो।

इस बार के बजट में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने जीवन बीमा में विदेशी निवेश सीमा को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है। बीमा कंपनियां भी इसकी लंबे समय से मांग कर रही थीं। हालांकि इसका सीधा फायदा बीमाधारक को तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन आने वाले वर्षों में बीमा क्षेत्र में इसका अच्छा असर जरूर दिखाई देगा। आम बजट में वित्त मंत्री द्वारा बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 फीसदी किए जाने से अब बीमा क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिल सकेगा।

इस तरह बीमा कंपनियों को भारी मात्रा में पूंजी निवेश मिलेगा और वह अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दे सकेंगी साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों तक भी इन कंपनियों की पहुंच बढ़ेगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पर्यटन क्षेत्र की रौनक बढ़ने के आसार है। आम बजट में पहली बार पर्यटन क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इनकी वजह से पर्यटकों की तादाद में 30-40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी और करीब पांच करोड़ लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। भारत आने वाले पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान बनाने के वास्ते अगले छह माह के दौरान देश के नौ हवाई अड्डों पर ई-वीजा सर्विस शुरू की जाएगी। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इस सेक्टर में 3.5 करोड़ रोजगार मिले थे। बजट में सरकार ने 500 करोड़ रुपए में थीम के आधार पर पांच टूरिस्ट सर्किट बनाने का ऐलान किया है। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस सर्किट विकसित किया जाएगा। हेरिटेज शहरों के रखरखाव और विकास के लिए 200 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय विरासत नगर विकास संवर्द्धन योजना शुरू की जाएगी। पुरातत्व महत्व वाली जगहों के संरक्षण के लिए भी सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

सरकार यूरिया के लिए नई नीति बनाएगी, वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई यूरिया नीति भी बनाई जाएगी। विभिन्न तरह के उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन को लेकर चिंताए बढ़ी हैं क्योंकि इस असंतुलन से मृदा खराब हो रही है।

सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बसाने के लिए मौजदा वित्त वर्ष के बजट में 7060 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। आपने सभी राज्यों के पिछड़े हुए शहरों का बीआरजीएफ के तहत चयन किया है, परंतु मेरा यह सुझाव है कि उसकी नियमावली में परिवर्तन करके, प्रत्येक पंचायत समिति जिसमें 10-12 गांव होते हैं उसमें से एक गांव का चयन करके उस गांव में इंदिरा आवास योजना, चेक-डेम बांधना, पेयजल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युतीकरण करना, निर्मल ग्राम योजना इत्यादि योजनाओं को चरणबद्ध पद्धति से लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। आने वाले 25 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास का लक्ष्य निर्धारित करना है। जो गांव केन्द्र व राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है, उसे बीआरजीएफ की राशि आबंटित की जाये ताकि बीआरजीएफ की राशि का सही सदुपयोग हो सके। ऐसा करने से जहां गांवों में उत्पादकता बढ़ेगी, वहीं लोगों का गांवों से पलायन रुकेगा और लोग गांवों में रहना पसंद करेंगे। इसके कार्यान्वियन से सरकार की आदर्श ग्राम बनाने की योजना का लाभ हर जिले के 50 प्रतिशत गांवों को दिया जा सकेगा और पैसे का सदुपयोग भी होगा। गांवों के समग्र विकास के साथ साथ जनता का सरकार पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। एक गांव में 2000 (दो हजार) लोग रहते हैं, जिनके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए बीआरजीएफ के तहत दिये जाते हैं। जो कि प्रति व्यक्ति 1.60 रुपए ही मिलता है, जो न्याय संगत नहीं है। जिस उद्देश्य से आप पैसा दे रहे हैं वह पूरा नहीं हो रहा है और विकास नहीं होने से सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में मेरे जिले अहमदनगर को लगभग 150 करोड़ रुपए बीआरजीएफ के तहत दिया गया है। जबकि विकास शून्य के बराबर हुआ है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने 2014-15 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच 100 स्मार्टसिटी बसाने की है जिन्हें बड़े शहरों के उपनगर के रूप में तथा मझौले शहरों के उपनगर के रूप में तथा मझौले शहरों के आधुनिकीकरण से विकसित किया जाएगा। आदर्श गांव की कल्पना को हिवरे बाजार गांव के श्री पोपटराव पवार ने मूर्त रूप दिया है। इस संकल्पना का प्रसार देश के सभी गांवों में करने की नितांत आवश्यकता है।

आम बजट में आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की सुस्ती दूर करने पर जोर दिया गया है। जाहिर है इसका शेयर बाजार पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

सरकार के सूत्रवाक्य "सबका साथ सबका विकास" के तहत वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। 28 योजनाओं में से प्रत्येक पर 100 करोड़ आवंटित करना समावेशी विकास का संकेत है। सरकार ने सेंट्रल टैक्स प्रशासन को मजबूत करने के लिए सही दिशा में कई कदम उठाए हैं।

मेरी राय में यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसाकि वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद ठीक ही कहा है कि यह यात्रा का अंत नहीं बल्कि अभी तो शुरुआत है। इसी के साथ ही मैं इस संतुलित बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पी.आर सेनाथिकनाथन** (शिवगंगा) : मैं, हमारी नेता पुराची थलैवी अम्मा की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं कि मुझे शिवगंगा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने में मदद की ताकि मैं लोकतंत्र के मंदिर में लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाऊं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को इस सम्मानित सभा में मुझे अपनी पसंद का नेता चुनने के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

मैं तमिलनाडु की मदर गाडेस को नमन करता हूं और तमिल की वैश्विक शिक्षात्मक संहिता तिरुक्कुरल का संदर्भ देना चाहता हूं।

"मुरैसैधू कप्पन मन्नावन मक्काटकू इरै एंद्रू वैक्काप्पादुम"।

इस कविता का अर्थ है कि शासक जो सभी नागरिकों को एक समान न्याय और सुरक्षा प्रदान करे उसे भगवान के समान माना जाएगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारी सम्मानित अम्मा ने ऐसा प्रशासन दिया है जो अम्मा अनावागम के माध्यम से वहनीय लागत पर खाद्यान्न, अम्मा फॉर्मेसी के माध्यम से आवश्यक दवाएं, अम्मा सास्ट के माध्यम से आयोडीनयुक्त नमक, अम्मा मिनरल वॉटर के माध्यम से लोगों की प्यास बुझाने के लिए प्यूरिफाइड पेयजल और सभी लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। अत: उन्हें तमिलनाडु के लोगों द्वारा देवी माना जाता है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष के केन्द्रीय बजट की सराहना की है।

मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन और विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कर जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत से कल्याणकारी उपाय किया है जिससे लोगों को एकाधिकारवादी लाभ कमाने का दृष्टिकोण रखने वाले निजी पूंजीवादी उद्योगों से सुरक्षा प्रदान किया जाए।

बजट जिसका स्वागत हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा ने किया है, मैं हमें मुख्य विशेषताओं के रूप में स्मार्ट सिटी, तुतिकोरीन में आउटर पोर्ट का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण हेतु 37 करोड़ रुपए से अधिक का बंटवारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन में वृद्धि तथा अगले पांच वर्षों में भारत के सभी राज्यों में एम्स जैसे अन्य संस्थानों की स्थापना की घोषणा है।

कर केवल विलासिता की वस्तुओं जैसे सिगरेट और पान मसाला पर ही लगाया गया है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारी माननीय अम्मा द्वारा भी यह संकेत दिया गया था कि सरकार के लिए यह दोगुना लाभ होगा कि लोगों को ऐसे नशीले पदार्थों से दूर रखे जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और राजस्व कमाएं।

जैसा कि हमारी नेता द्वारा इस घोषणा का स्वागत किया गया था, मैं भारत की सभी मुख्य नदियों को जोड़ने संबंधी किए जाने वाले अध्ययन की घोषणा का हार्दिक स्वागत करता हूं जो कि समुद्रों में नदियों के द्वारा पानी को बेकार ही बहाने की समस्या से निपटने के लिए है।

इस बजट में दिए गए प्रस्तावों के माध्यम से बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को एक विस्तृत रूप में प्रारंभ किया जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रायोगिक परियोजना स्थापित करे और तमिलनाडु को एक विद्युत-आधिक्य वाला राज्य बनाने की हमारी सरकार की इच्छा को पूरा करने हेतु तमिलनाडु में इसे प्रारंभ करे।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विभिन्न राज्यों की सरकारों से सुझावों और प्रस्तावों का वे स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन हेतु एक आदर्श के रूप में राज्यों से मुख्य योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अर्थपूर्ण रूप से, केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में सफल रूप से कार्यान्वित किए गए वर्षा जल संचयन कार्यक्रम की प्रंशसा की है।

सुशासन का अर्थ लोगों की पंसद के अनुसार योजनाओं का इस ढंग से कार्यान्वियन किया जाए कि उन पर और ज्यादा कर भार न पड़े। कुशल सरकार विभिन्न अभिन्न तरीकों से संसाधन उत्पन्न कर सकती है। तमिलनाडु में, मुफ्त चावल, विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप, मिक्सी और ग्राइंडर का वितरण, गाय भेड़ों और बकरियों का वितरण और गरीबों को ग्रीन आवास प्रदान करना 2700 करोड़ रुपए की लागत पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में तमिलनाडु सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हमारी काबिल मुख्य मंत्री, माननीय अम्मा ने तमिलनाडु में कुशलता उसे वित्तीय स्थिति का सामना किया ताकि उक्त वर्णित उनकी प्रसिद्ध प्रिय परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध हो सकें।

तमिलनाडु में भारत के सभी राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में, वित्तीय संसाधनों का संग्रहण एक मानवीय और वैज्ञानिक तरीके किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उत्पाद जो कि सस्ती दर पर बेचे जाते है, उनकी नीलामी में निजी कंपनियां ही शामिल हुआ करती थीं। लाभ कमाने के लिए, वे लाभ के उद्देश्य से, अपनी स्वयं की कीमतें निर्धारित किया करते थे। हमारी नेता ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी चीजें निजी कंपनियों के हाथों में न जाएं बल्कि आम लोगों को लाभ मिले जो कि इन्हें जुटा नहीं सकते। इसलिए हमारे पास अम्मा जल, अम्मा फॉर्मेसी आदि है जो कि स्वयं राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं ताकि सरकारी कोष में राजस्व सुनिश्चित रहते हुए लोगों को लाभ मिलें।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु सरकार की आदर्श राजस्व प्रणाली को केन्द्र सरकार द्वारा अपनाया जाए जैसा कि हमारे खुले विचारों वाले प्रधानमंत्री ने कहा है। वर्ष 2001 और 2011 में, जब हमारी नेता, माननीय अम्मा ने तमिलनाडु सरकार संभाली, उन्हें खजाना खाली मिला था। लेकिन दोनों ही अवसरों पर, उन्होंने वित्तीय प्रबंधन संचालन की अपनी कुशलता के साथ इस चुनौती का समाधान किया।

राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने के एक पूर्व प्रयास के रूप में, हमारी मुख्य मंत्री अम्मा ने तमिलनाडु में कुछ नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि सिंचाई और पेयजल हेतु पर्याप्त जल सुनिश्चित हो सके।

मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल में देश की बारहमासी मुख्य नदियों को जोड़ सके। मैं बेसब्र से इस सरकार द्वारा गंगा को कावेरी से जोड़ने की उपलब्धि की आशा करता हूं।

तमिलनाडु में, हमारे पास 39202 सिंचाई हेतु तालाब है। इन तालाबों में से, 13500 मेरे संसदीय क्षेत्र में है। इन सिंचाई तालाबों का महत्व यह है कि इन्हें पिछले कुछ वर्षों से आपस में जोड़ दिया गया है। यह वर्षों से स्थानीय शासकों को जल प्रबंधन में कुशाग्रता को दर्शाता है। कमोवेश, प्रत्येक गांव कृषि और पेयजल प्रयोग के लिए टैंकों में वर्षा जल संरक्षित करेगा। यदि एक स्थान पर टैंक भर जाता है, तो अतिरिक्त जल प्राकृतिक रूप से पास के गांव में तलाब में चला जाएगा। उन्होंने इसे इसी तरह से किया है। पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहने वाले हमारे जैसे स्थान पर वर्षा जल संचयन था एक आदर्श स्थापित करने के लिए मैं केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक मॉडल परियोजना के रूप में ई निर्वाचन क्षेत्र में इन तालाबों का समग्र नवीकरण और अनुरक्षण करने पर जोर देने अनुरोध करता हूं। मैं आपसे इस परियोजना के अंतर्गत विशेष वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करता हूं। हमारी तमिलनाडु की सरकार ने महत्वाकांक्षी द्वितीय-हरित क्रांति शुरू की है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन और अपेक्षित धनराशि प्रदान करके अम्मा के कुशल नेतृत्व में हमारे राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए।

वर्ष 1999 और 2004 के बीच जब श्री वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान दूरदराज को गांवों सहित संपूर्ण देश में बड़े पैमाने पर पक्की सड़कें बनाकर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी।

यही नहीं, उस सरकार ने स्वर्णिम चर्तुभुज राज्यमार्ग परियोजना के अंतर्गत देश के बड़े कस्बों को चार लेन की सड़कों को जोड़ने की स्मरणीय उपलब्धि हासिल की थी?

उस दौरान लोगों के लाभ के लिए एक अन्य स्वागतयोग्य योजना शुरू की गई थी और इस परियोजना का नाम था स्वर्ण जलधारा पेयजल परियोजना। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों के लिए पेयजल योजनाएं शुरू की जा सकती थीं जिनमें उन योजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि का लगभग 10 प्रतिशत खर्च जनता द्वारा उठाया जाए।

ऐसी योजनाओं की बहुत सराहना की गई और लोगों द्वारा इनका स्वागत किया गया तथा वर्तमान केन्द्र सरकार से ऐसी बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं की आशा की जा रही है जिनके लिए अपेक्षित धनराशि का आवंटन किया जाए। इस वर्ष के बजट जिसमें भविष्य के लिए सशक्त रूपरेखा तैयार की गई है, में अनेक व्यवहारिक परियोजनाओं की घोषणाएं की गई है जिनके लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार सही मार्ग पर चल रही है। साथ ही मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करे। 1999 से 2004 के दौरान बनाई गई सड़कों का रख-रखाव किया जाना चाहिए। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तीन वर्षों में एक बार कम से कम सड़कों के रख-रखाव हेतु निधियां प्रदान करें ताकि लोगों को सड़क संपर्क सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्याएं अब भी विद्यमान है। इसलिए केन्द्र सरकार को पेयजल मिशन के अंतर्गत स्वर्ण जल धारा जैसी योजनाओं को अपनाना चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानों में, उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली ग्रेफाइट उपलब्ध है। हमारी आदरणीय अम्मा ने उन खनिजों के खनन और विपणन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई स्थापित करने हेतु निधियां प्रदान की है जिससे हमारे क्षेत्र का औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो सके। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उस परियोजना में भाग ले ताकि रोजगार अवसरों के सृजन के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर विपणन के लिए उन संसाधनों के संग्रह को बढ़ाया जा सके। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वहां पर हमारी ग्रेफाइट इकाइयों की आवश्यकताओं को जानने हेतु इसे एक विशेष कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ करे ताकि विस्तार संभावनाएं तलाशी जा सकें।

जब केन्द्र द्वारा और आईआईटी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हैं, तो मैं केन्द्र सरकार से मेरे संसदीय क्षेत्र शिवगंगा जो कि दक्षिण तमिलनाडु के लिए एक केन्द्रीय स्थित स्थान है। में एक आईआईटी और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता है।

जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के बारे में बताता हूं, जो केन्द्र द्वारा पूरी की जा सकती है; मैं एनएच-210 त्रिचि-रामेश्वरम की बात कर रहा हूं। कराईकुडी और रामेश्वरम के बीच सड़क संपर्क अभी प्रारंभ होना बाकी है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि काफी समय से लंबित परियोजना को पूरा करने हेतु अत्यावश्यक पर्याप्त राशि प्रदान करें। इसी प्रकार, उक्त हेतु राशि जारी होने के साथ मदुरै-रामेश्वरम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को भी प्रारंभ किया जाए।

केन्द्र सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की थिरुमयम में एक सहायक इकाई है वह मेरे संसदीय क्षेत्र शिवगंगा में आती है। सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के वायदे पर सरकार उन लोगों को प्राथमिकता दे रही है जिन परिवार के सदस्यों की भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। यदि आवश्यकता हुई तो इकाई को एक पूर्ण रूपेण इकाई के रूप में विस्तारित किया जा सकता है ताकि सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने के लिए और अधिक रोजगार अवसर सृजित हो सकें। मेरे संसदीय

क्षेत्र को जो क्षेत्र कवर करता है, उसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विज्ञान पृष्ठभूमि रही है लेकिन औद्योगिक कार्यकलापों के अभाव के कारण यह अब भी पिछड़ा है। हमारे क्षेत्र में काफी बंजर शुष्क भूमि है और अधिक श्रम शक्ति है जो, दोनों, ही अप्रयुक्त पड़े है। इसलिए, मैं केन्द्र से आग्रह करता हूं नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करे ताकि एलनगुड़ी, थिरुमयम, थिरुपत्थुर, मनमाडुराई, कराइकुडी और देवाकोट्टाई के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कम से कम 10,000 नए रोजगार सृजित किए जा सकें।

बजट का समर्थन करते हुए इसकी प्रशंसा करते हुए और अपनी मांगों पर पुरजोर बल देते हुए, अब मैं समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें। प्रत्येक सदस्य को बोलने के केवल पांच मिनट मिलेंगे। इसलिए आप इस प्रकार से अपना भाषण तैयार करें कि आप जैसे चाहे वैसे महत्वपूर्ण और मुख्य विशेषताएं कवर करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास वक्ताओं की लंबी सूची है और हमें इसे सायं 6 बजे से पहले पूरा करना है। यदि आवश्यक हुआ तो, हम एक घंटा सभा का समय विस्तारित कर सकते है। हमें यह देखना है कि संपूर्ण चर्चा आज ही पूरी हो जाए क्योंकि माननीय मंत्री जी कल जवाब देंगे। इसलिए, मैं आप सबसे पीठ का सहायता करने का अनुरोध करता है। आप में से प्रत्येक अधिकतम पांच मिनट बोल सकता है क्योंकि मेरे पास लंबी सूची है और मुझे उस सूची को समाप्त करना है। मैं एक बार फिर से आग्रह कर रहा हूं कि संक्षेप में बोलें और अपने भाषण की केवल मुख्य विशेषताएं ही बताएं।

डॉ. किरीट सोलंकी, जो मैंने कहा कि आप पर भी लागू होता है। कृपया केवल पांच मिनट के लिए ही बोलें।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : सभापति जी, धन्यवाद। आपने मुझे एक ऐसे बजट पर बोलने का मौका दिया है जो एक विजनरी बजट है। वर्ष 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, यह उसका पहला बजट है। मैं इस सदन में दूसरी बार आया हूं। इस सदन में मैंने पहले भी बजट में पार्टिसिपेट किया है लेकिन इस बजट की जो खासियत है, मैं समझता हूं कि इस देश का जो अर्थतंत्र पटरी से उतर गया था, उसे पटरी के ऊपर लाने के लिए एक विजनरी बजट बनाया गया है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहब और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मित्रो, पिछले कई सालों से पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों का विश्वास पॉलिटिकल सिस्टम पर से डगमगा गया था। भारत एक संघीय ढांचा है। एक राज्य में एक मॉडल प्रस्थापित करके, एक राज्य को गुड गवर्नेंस देकर, एक राज्य को विकास की पटरी पा लाकर, देश की 125 करोड़ जनता में जिन्होंने एक अहम भाव जगाया। जब पूरा देश बौखलाए हुए तब उन्हें श्री नरेन्द्र भाई मोदी के प्रति श्रद्धा की एक किरण दिखाई दी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को एक पहचान दिया है। पूरे देश की जनता में पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति निराशा पैदा हो गई थी तब इन्होंने एक भावना एक संचार किया है। जो पहला बजट दिया गया है, इससे पता चलता है कि इस देश की जो दशा और दिशा बिगड़ गई थी, उसको सही रास्ते पर ले जाना वाला, यह बजट है। इसका मैं स्वागत करता हूं।

मित्रो, जब एनडीए की सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। वे भी अर्थतंत्र को सही दिशा में ले गए थे। वे अर्थतंत्र को पटरी पर ले गए थे। इसके बाद यूपीए की सरकार दो बार आई और अर्थतंत्र पटरी पर से उतर गई। यह हमारा दायित्व है, लोगों ने हम पर भरोसा किया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर भरोसा किया है, जीडीपी ग्रोथ 8 प्रतिशत तक ले जाने वाले इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 'सबका साथ और सबका विकास' का एक मंत्र दिया था। इस मंत्र की वजह से देश के सभी लोग, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म के हो, अमीर हों या गरीब, सभी को साथ लेकर चलने की जो मंशा व्यक्त की थी, इस बजट में जो प्रतिबिंब पड़ता है, वह इसी दिशा में पड़ता है। यह सभी वर्गों के लोगों पर पड़ता है।

सभापति महोदय जी, मैं अहमदाबाद, वेस्ट संसदीय क्षेत्र से आता हूं। यह क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र है। इस बजट में हमारे क्षेत्र के लिए मेट्रो रेल का प्रावधान किया गया है। इसमें अहमदाबाद और लखनऊ के लिए मेट्रो रेल का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। इस बजट में, देश को मेट्रो रेल की ओर ले जाने का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, वर्तमान मूलभूत नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि प्रस्थापित करके 5 हजार करोड़ रुपए से लेकर 50 हजार करोड़ रुपए तक का प्रावधान करने के लिए अपनी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। अगले 10 सालों में करीबन 500 से ज्यादा नए शहर बसाने का जो संकल्प सरकार ने किया है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनदंन का करता हूं।

मित्रो, जब नरेन्द्र भाई मोदी ने अपना भाषण लोकतंत्र के मंदिर में दिया था तो उन्होंने रोड मैप दिया था कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी – हम गरीबों, दलितों और वनवासियों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, ओबीसी के प्रति हमारा दायित्व रहेगा। जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने 50,548 करोड़ रुपए

का आवंटन किया है। इसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मैं खुद ही इसके लिए गौरव महसूस करता हूं।

सरकार और वित्त मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस योजना के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम जोड़ा जाएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय, शोषितों और गरीबों के लिए जो कार्य किया था, उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हमारे कांग्रेस के मित्र अभी बोल रहे थे कि वनवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए इस बजट में कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार वनवासियों, उनके वन के हक के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। हाशिए पर रहे निर्धनों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के पूर्ण संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने सब्सिडी व्यवस्था को ज्यादा लक्षित बनाने का जो संकल्प किया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं।

मैं पेशे से सर्जन, डॉक्टर हूं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में सबके लिए स्वास्थ्य का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। निशुल्क सेवा, दवा, निदान के लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। सभी राज्यों में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट का प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो संकल्प किया है, मैं समझता हूं कि पूरे देश के सभी राज्यों में एम्स जैसा टरशियरी अस्पताल हो और टीचिंग इंस्टीट्यूट उसमें होने वाला है।

जहां तक कुपोषण का सवाल है, नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कुपोषण के लिए गुजरात में एक मुहिम चलाई थी। उन्हें एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया था। इस बजट में भी इसे मिशन के रूप में जब स्वीकारा गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।...*(व्यवधान)* 12 सरकारी कॉलेज का जो संकल्प किया गया है, मेरी मांग है कि गुजरात में भी एक सरकारी कॉलेज दिया जाए।

जहां तक वरिष्ठ नागरिकों का सवाल है, उनके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। थैलीसीमिया एक निवारणीय रोग है और गुजरात को थैलेसिमिया मॉडल एक निवारणीय मॉडल है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गुजरात के थैलेसिमिया मॉडल को अपनाया जाए।... *(व्यवधान)* मैं अहमदाबाद से आता हूं। वहां टैक्सटाइल मिल बंद है। एक जमाने में अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। मिल बंद होने से उनके जो कारीगर अनइम्प्लॉयड हुए हैं, उन्हें बसाने के लिए...*(व्यवधान)*

***श्रीमती अंजू बाला** (मिश्रिख) : माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट 2014-15 पर आपने मुझे विचार रखने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह बजट देश की आवश्यकता के अनुरूप है। बजट में देश के हर हिस्से तथा समाज के हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है।

हमारे देश के लोगों ने अपनी इच्छा लोक सभा के सामान्य निर्वाचन 2014 में प्रदर्शित कर परिवर्तन की दिशा में निर्णायक मतदान किया है जो देश के निवासियों का विकास करने, स्वयं को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने एवं उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने की इच्छा दर्शाता है। देश के नागरिक बेरोजगारी, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं, अभावग्रस्त बुनियादी संरचना, भावशून्य विचारधारा, भ्रष्टाचारमुक्त शासन के साथ चलने के लिए तैयार है। ऐसा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 के परिणामों से अनुभव हो रहा है।

भारत नि:संकोच रूप से विकास करना चाहता है। उच्च वृद्धि अनिवार्य है, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि इस देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रही है। यह गरीब ही है जो सबसे अधिक दु:ख सहन करता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अच्छी तरह लक्षित हो और भ्रष्टाचारमुक्त हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली यह सरकार भारत का विकास एवं "सबका साथ-सबका विकास" की कल्पना के साथ स्थापित हुई है। सरकार का एक और संकल्प है "न्यूनतम शासन अधिकतम अभिशासन" इसको देश की जनता के समक्ष दर्शाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। सरकार को इसके लिए प्रयास करना होगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के नागरिकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय अनुकूलन निधि तथा पशुपालन में देशी नस्लों के विकास, मत्स्य उद्योग में मिली क्रान्ति, स्वच्छ भारत अभियान, दक्ष भारत, स्मार्ट शहर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकता के प्रतीक सरदार वल्लभभाई पटेल की विशालतम प्रतिमा निर्माण, एससी/एसटी महिला और बच्चों तथा वरिष्ठों के कल्याण के लिए योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास, जलसंभर विकास, सुरक्षित शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, कुपोषण से मुक्ति सभी के लिए आवास जैसी अन्य बहुत सी जनकल्याणकारी योजनाएं प्रस्तावित की हैं जिनके क्रियान्वयन में सरकार को पारदर्शिता लाने की आवश्यकता होगी।

अंत में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूं कि देश के नागरिकों का विकास तभी संभव होगा जब हम और हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होंगे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तथा भारत निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सभी कार्यक्रम पारदर्शी होंगे। देश के विकास के लिए कृषि का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में आज भी लगभग 72 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। जिनका जीवन कृषि पर ही निर्भर रहता है। यदि इनकी जेब में रुपया नहीं होगा तो हम औद्योगिक क्रान्ति कितनी ही कर ले परंतु जब उपभोक्ता ही नहीं होंगे तो औद्योगिक उत्पादों का क्या होगा। हमारे कारखाने कैसे गति से चलेंगे। हमारी जीवन के लिए भोजन और सुरक्षा की महती आवश्यकता है। इसलिए कृषि और रक्षा पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

यह सामान्य बजट अच्छा जन-उपयोगी, देश के नागरिकों की इच्छा के अनुरूप है। हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मैं बजट का समर्थन करती हूं तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को शुभकामनाओं के साथ इस शुभ कार्य के लिए बधाई देती हूं।

[अनुवाद]

***श्री एंटो एन्टोनी** (पथनमथिट्टा) : मैं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आम बजट पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। इस बजट पर मेरा पहला विचार यह है कि यह यूपीए नीत पूर्ववर्ती सरकार के लिए यह एक उत्तम टिप्पणी है। बजट 2014-15 ने यूपीए सरकार के अधिकतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। यह यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के क्रम में है सिर्फ इसके अलावा कि इसका ध्यान गरीब से हटकर कॉर्पोरेट की तरफ चला गया है।

बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए प्रतिबद्धता सरकार की प्राथमिकता में नहीं रही है। यह आश्चर्यजनक है कि वित्त मंत्री ने खाद्य महंगाई से निपटने के लिए कोई अल्पकालीन उपाय घोषित नहीं किया है। पहली चीज जो बजट की आवश्यकता है, वह आपूर्ति श्रृंखला, विशेषत: शीत भंडारण को, विकसित करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है, यदि वह खाद्य महंगाई से गंभीरता से निपटना चाहती है। दूसरा इसे धीरे-धीरे एपीएमसी या कृषि उत्पाद बाजार समिति कानूनों को समाप्त करने और इन्हें ऐसे ढांचे से प्रतिस्थापित करना जो किसानों को सीधे ही क्रेताओं और उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए अनुमत्त करता है। राज्यों में छोटे व्यापारियों और कृषि बिचौलियों दलों और प्रचार निधियों के मुख्य अंशदाता होने के कारण द्वारा लिए जा रहे राजनीतिक प्रश्रेय के चलते यह कहना करने से ज्यादा आसान है। फुटकर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस दिशा में पहला कदम है, और माननीय प्रधानमंत्री को अपने राजनीतिक प्रभाव को इसे आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए चाहे इस मुद्दे पर अपने दल की विचारधारा के विरुद्ध जाना पड़े।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह कहना पर्याप्त नहीं है कि निजी और विदेशी निवेश, सरकारी संसाधनों के अंतर को भरेगा; विशुद्ध अवसंरचना क्षेत्रों में अधिकतम निवेश प्राय: सभी देशों में अधिकांशत: सार्वजनिक धन से किया जाता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) एक सीमा तक कार्य करती है, जैसा कि बजट भाषण में नोट किया गया था।

भारत के पास विश्व में ऐसी पीपीपी परियोजनाओं में से अधिकतम संख्या उनमें से 900 है। और वे विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। यदि आप पीपीपी मॉडल से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हरसंभव रूप से ऐसा करें, क्योंकि निजी निवेश आवश्यक है और कई कारणों के चलते इसका स्वागत किया जाना चाहिए। परंतु सरकारी धन का जहां निवेश किया जाना चाहिए। वह उसका एक विकल्प नहीं है।

जबकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता उत्साहवर्धी है बजट के कर और खर्च अवधारणाओं पर शंकाएं बाकी हैं। कई बजट आंकड़े अविश्वसनीय हैं। कर राजस्व के करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ना परिलक्षित है। साधारण सकल घरेलू वृद्धि के 13-14 प्रतिशत (महंगाई के लिए 9 प्रतिशत के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के लिए पांच प्रतिशत) से अधिक नहीं बढ़ने की संभावना के चलते यह विश्वसनीयता को चुनौती देता है। यह विश्वसनीयता को भी चुनौती देता है क्योंकि हम जानते हैं कि इस वित्तकोषीय वर्ष की पहली तिमाही में पहले ही, वार्षिक वित्तकोषीय घाटा 45 प्रतिशत पहुंच चुका है।

माननीय वित्तमंत्री अपनी धारणा में या तो गलत हैं या बजट से कतिपय तथ्यों को छिपाने में अति चालाक हैं। यदि वित्तकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्राप्त करना है। यह बृहत्तर अर्थव्यवस्था के अच्छा या बुरा होने पर निर्भर करते हुए बढ़ेगा या घटेगा। माननीय मंत्री ने सूखे के वर्ष में 18% के कर राजस्व बढ़ने के साथ राजस्व उत्पलावकता की संकल्पना की थी। यदि वृद्धि नहीं होती है। राजस्व नहीं होगा और तब घाटा ज्यादा होगा और संपूर्ण गणित पर प्रश्न उठेंगे। अत: बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अर्थव्यस्था गत दो वर्षों से बहुत बेहतर करेगी।

उसी बिन्दु पर दूसरी तरह देखें, तो बजट, कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 10.2% से 10.6% तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। यह गत पांच वर्षों में 10.2% या कम रहा है। अत: यदि एक बड़ी सफलता के लिए नहीं तो यह एक ठोस परिवर्तन के लिए मांग है। यह हो सकता है, परंतु आपको ऐसी राजस्व उत्पलावकता की आवश्यकता होगी, जो हमने कुछ समय से नहीं देखी है- जिसे कर छूटों के ऊपर प्राप्त किया जाना है, जिसे घोषित किया जा चुका है।

माननीय मंत्री ने कठोर निर्णयों को अन्य व्यय समिति पर डाल दिया है। उनका राज सहायता बिल इस वर्ष उर्वरकों के लिए सात प्रतिशत और

खाद्य के लिए 25 प्रतिशत अधिक जाता है। और पैट्रोलियम पर वह राजसहायता में 25 प्रतिशत गिरावट की उम्मीद करते हैं।

परंतु बजट इस मूल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता है कि कैसे पैट्रोलियम राजसहायता उस स्तर तक नीचे आएगी। याद करें, गत वर्ष पैट्रोलियम राजसहायता का वास्तविक भार करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए था। अत: वह राजसहायता को घटाने या स्थिर रखने पर ज्यादा नहीं आगे बढ़े हैं। जब तक कि उनके पास डीजल मूल्यों को मुक्त करने या रसोई गैस मूल्यों को बढ़ाने की कोई योजना हो।

"एक अर्थव्यवस्था जो प्रतिबंधित कर दरों द्वारा बाधित हो, हमारे बजट को संतुलित करने के लिए पर्याप्त राजस्व कभी नहीं देगी, जैसे कि यह पर्याप्त रोजगार या पर्याप्त लाभ नहीं देगी।"

एक संदेश जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत स्पष्ट है कि 'अच्छे दिन काफी दूर हैं'। महंगाई 8.5 प्रतिशत पर चल रही है जो उभरते बाजारों में उच्चतम है; राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का सात प्रतिशत है। चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत है और वृद्धि गिरावट और स्वर्ण आयातों पर नियंत्रण के द्वारा नियंत्रण में है; भयावह मानसून से कम वृद्धि उच्च महंगाई और बढ़े हुए के रूप में विनाश की संभावना है; तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। यद्यपि बजट 2014-15 पृष्ठों के संदर्भ में लंबा है परंतु वास्तविक रूप में हल्का है।

***डॉ. ए. सम्पत** (अटिंगल) : सम्मानपूर्वक, नए वित्तमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय बजट केसरिया लेबल वाली नई बोतल में पुरानी शराब है। यह राजग-II सरकार आर्थिक नीति में सामान्य रूप से संप्रग III है।

कृषि क्षेत्र, जो पूरी आबादी के करीब 60% भाग को रोजगार देता है, के लिए अधिक सरकारी निधियों की आवश्यकता है। काफी लंबे समय से, भूमि सुधारों की अनदेखी की गई है। कृषि उपज नहीं बढ़ रही है। किसान आत्महत्या जारी है। भूमि का भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए विपथन हो रहा है। जल संसाधन चिन्ताजनक रूप से घट रहे हैं। शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन अल्प संसाधनों पर ज्यादा दबाव डाल रहा है। बेरोजगारी का समाधान नहीं हुआ है। संगठित क्षेत्र "रोजगार विहीन वृद्धि" दर्शाता है। असंगठित क्षेत्र में, मजदूरी दर और अन्य लाभ नहीं बढ़े हैं। ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था को दुश्चक्र में धकेल रहे हैं। नया बजट इस दुश्चक्र को तोड़ने की कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति का संकेत नहीं देता है।

कॉर्पोरेट घराने गरीब और आम आदमी की कीमत पर मलाई खा रहे हैं। 'प्रोत्साहनों' की आड़ में, वे उत्पाद शुल्क, निगमित आयकर, सीमा शुल्क इत्यादि छूटों का लाभ ले रहे हैं। परंतु हमारी अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि पर वापस लाने में उनका क्या योगदान है? कितने नए रोजगार उन्होंने मुहैया कराए हैं? जबकि प्रतिवर्ष "छोड़े गए राजस्व की राशि" बढ़ रही है, राजसहायता कम करने के लिए हाय-तौबा मची हुई है। ईंधन मूल्यों, रेल किरायों में वृद्धि और जीएसटी लागू करने में विलंब, सभी ने दो अंकों में महंगाई बढ़ाई है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। कोई भी सरकार अपने लोगों की नाराजगी से नहीं बच सकती।

यह बीजेपी सरकार बहुमत में इसलिए आई क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती यूपीए II सरकार द्वारा जनविरोधी नीतियां अपनाई गईं। संसद में सीपीआई(एम) और वामपंथी दलों द्वारा बार-बार चेतावनी के बाद और राष्ट्रीय मजदूर यूनियनों द्वारा प्रदर्शनों के बाद भी पूर्ववर्ती सरकार ने हमें जब रोम जल रहा था, उसके शासक नीरो की याद दिलाई। बजट ने नई सरकार पर लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। 1.50 मिलियन से अधिक रिक्तियां भारत सरकार और इसके सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत भरी जानी हैं।

यह ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं है कि इस सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा की है। वित्तीय क्षेत्रक और फुटकर विपणन भी आएगा। पूर्ववर्ती सरकार के पैट्रोल और डीजल मूल्यों को अविनियमित करने के निर्णय को रद्द करने का कोई इरादा नहीं है। राज सहायताओं की 'आधार कार्ड' और बैंक खाते के साथ अनिवार्य लिंकिंग अधिकांश लोगों के लिए समस्या है। नव मध्य-वर्ग को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री गरीबों, कामगार, दलितों और वंचितों को संबोधित करना भूल गए। हमारी सरकार गरीबी मापदंड निर्धारित करने के मामले में लुकाछिपी खेलने की कोशिश कर रही है; और साथ में मनमानी गरीबी रेखा के आधार पर राजसहायताएं निर्धारित हैं। यह कुछ नहीं है। परंतु एक तथ्य कि भारत की वर्तमान जनसंख्या का 40% भाग बीपीएल है, जिसकी संख्या इस देश के जन्म के समय कुल जनसंख्या से काफी अधिक है।

आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए बिना महंगाई नहीं रोकी जा सकती। भारतीय खाद्य निगम को सुदृढ़ करना चाहिए। राज्य नियंत्रण के अंतर्गत भंडारण सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। न तो वकील की दलील और न ही मंत्री की उम्मीदें लोगों की भूख की ज्वाला को समाप्त करेंगी। बीजेपी कई महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर अपने चुनावी घोषणापत्र में शांत थी। इसी प्रकार तत्काल आर्थिक समस्याओं जैसे, कृषि संकट, विनिर्माण क्षेत्र में स्थिरता, रोजगार वृद्धि की कमी, उच्च महंगाई दर, कॉर्पोरेट द्वारा प्राकृतिक संपदा की लूट, बढ़ता काला धन, बच्चों व महिलाओं का शर्मनाक कुपोषण इत्यादि के लिए निवारक उपायों पर वे मौन हैं। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में भारत 2012 में 134वें स्थान से 136 पर खिसक गया है। क्या वित्त मंत्री

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जी हमारे सामाजिक सुरक्षा उपायों को निजी क्षेत्रक की दया पर छोड़ रहे हैं? मैं आपको स्मरण कराता हूं कि पेंशन एक सुविधा नहीं अधिकार है।

मुझे इस सरकार के बजट की प्रशंसा करने के लिए कोई गुणात्मक नीति बदलाव का पता नहीं चला है। एक मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए मुहैया कराना सत्तापक्ष के सदस्यों में से कुछ के लिए रोमांचक हो सकता है। परंतु आप स्वतंत्रता के बहादुर लड़कों और स्थानों और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के लोगों को क्यों भूल गए हैं? यह वर्ष 1721 में था जब लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में उठ खड़े हुए और अजेंगो किले पर आक्रमण करके अटिंगल में एक क्रांति शुरू की। मैं इस स्थान को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित करने की मांग करता हूं और इसके विकास के लिए 50/- करोड़ रुपए निर्धारित किए जाएं।

यह बजट कोट्टूर - अंबसमुद्रम अंतर्राज्यीय (केरल-तमिलनाडु) राजमार्ग पर भी मौन है, जो प्रतिमाह ईंधन के रूप में करोड़ों रुपए बचाएगा और यात्रा समय के रूप में लाखों मानवीय घंटे बचेंगे।

हम चाय बागान पर्यटन पैकेज की मांग करते हैं जो पौधारोपण क्षेत्रों को जोड़ेगा। आंतरिक जल परिवहन और पर्यटन को शीघ्रतम अधिक निधियां आवंटित की जानी चाहिएं।

तिरुवनंतपुरम में विजिमम पत्तन के लिए एक भी पैसा आबंटित नहीं किया गया है। उसी तरह, केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु, हमें अधिक धन चाहिए। पीपीपी और निजीकरण से समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

मैं वित्तमंत्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि ऊपर से नीचे तक सभी को विकास के फलों का लाभ लेने या कम से कम रखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। हम सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का त्याग नहीं कर सकते। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और इसलिए मैं बजट का और अनुदान मांगों का भी विरोध करता हूं।

***श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू** (चेन्नई उत्तर) : माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक संतुलित और विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और आशा है कि नई सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। पांच प्रतिशत जो पिछले एक दशक से डांवाडोल है से कम की विकास दर और बढ़ती महंगाई के कारण हमने गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। औद्योगिक और कृषि उत्पादन में कमी आने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी कम वृद्धि हुई है।

आज हमारे देश में सूखे जैसे हालात है। मौसम पूर्वानुमान दर्शाता है कि इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। इसलिए कृषि उत्पादन में कमी आने की स्थिति में हमारे समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए गंभीर प्रयास और आपातकालीन योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है। सब्जियों, फलों, दालों, दूध, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। जमाखोरों और कालाबाजारियों पर लगाम लगाने और किफायती मूल्यों पर आम आदमी के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संवितरण हेतु राज्यों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सबसे आगे है और यहां बड़ी संख्या में इसके लाभार्थी है। लेकिन केन्द्रीय पूल से पर्याप्त आवंटन नहीं किया जा रहा है और राज्य सरकार को आवश्यकता पूरी करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए में केन्द्र सरकार से तमिलनाडु के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली वस्तुओं के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं।

पिछले कई वर्षों में कड़े पैमाने पर उर्वर कृषि भूमि का गैर कृषि उद्देश्यों के लिए विपथन किया गया है। इससे अन्तोगत्वा हमारी उत्पादन क्षमता में कमी आई है। इसलिए इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक तथा बिजली मिलनी चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण मिलना चाहिए। लेकिन वे आज भी साहूकारों की दया पर निर्भर है। फसल बर्बाद होने की स्थिति में देश के अनेक किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये घटनाएं नई नहीं है तथा ये घटनाएं हर वर्ष होती है। उनके परिवार को भुखमरी से बचाया जाना चाहिए। उन्हें जल संरक्षण, नवीन और नवोन्मेषी तकनीकों के बारे में सिखाया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है अत: जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसके इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों के लिए समर्पित 'किसान टीवी चैनल' की लंबे समय से मांग की जा रही है। इसे शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

'मनरेगा' योजना को कार्यान्वित करने से खेतीहर मजदूरों की भारी कमी हो गई है और इससे हमारी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। सरकार को इस बात के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से कृषि संबंधी कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो। तथापि, जैसा कि हमारी नेता, डॉ. अम्मा का सुझाव है कि इसे उन जगहों पर अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, जहां इस योजना को कृषि संबंधी कार्यों से जोड़े जाने की संभावना न हो।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तमिलनाडु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और कई जगहों पर पानी में फ्लोराइड, आर्सनिक या लवणता का स्तर बहुत ज्यादा है, जिसके परिणामस्वरूप लोग पेयजल के लिए भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। इस समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार से इस बात की बड़ी आशा है कि वह तटवर्ती इलाकों में अलवणीकरण पौधे लगाने की राज्य की पहल में सहायता करे।

जहां तक शिक्षा की बात है स्कूली शिक्षा के लिए आवंटन पर्याप्त नहीं है। देश के कई स्कूलों में पेयजल, शौचालय, अच्छे फर्नीचर आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है और स्कूल की इमारतें बेहद बुरी स्थिति में हैं। इस प्रयोजनार्थ राज्यों को आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये सुविधाएं विद्यार्थियों तक पहुंचे।

इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकारी/पीएसयू कर्मचारियों और अन्य श्रेणी के लोगों के आश्रित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और वहनीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) देश के विभिन्न जिलों/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद नहीं हैं। उत्तरी चैन्नई के मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, जो चैन्नई महानगर शहर का हिस्सा है, के लोग लंबे समय से केवी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, इस निर्वाचन क्षेत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी और महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं अपने उत्तरी चेन्नई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम दो केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं। देश में पांच और आईआईटी तथा आईआईएम की स्थापना करने के प्रस्ताव से उच्च शिक्षा में प्रमुख रूप से तेजी आएगी।

जहां तक उद्योग का संबंध है तो पिछले कुछ वर्षों में कुछ क्षेत्रों में हमारे औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है और इससे हमारा विकास तथा रोजगार प्रभावित हुआ है। उद्यमियों के लिए निवेश का उचित माहौल तैयार किया जाना चाहिए। सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। मैं, सरकार द्वारा प्रस्तावित सौ स्मार्ट सिटी में तमिलनाडु की पोन्नेरी को शामिल करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं। पोन्नेरी चेन्नई शहर के पास है और यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पड़ोस में है। यह एक आदर्श जगह है, जहां काफी भूखंड इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, डॉ. अम्मा ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। हम शहरी नवीकरण परियोजनाओं सहित इस प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु पर्याप्त धनराशि के आवंटन किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

तमिलनाडु सौर, पवन इत्यादि जैसे काफी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से समृद्ध है। राज्य सरकार इस ऊर्जा के संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठा रही है और कुछ हद तक इससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। तथापि, धन की कमी के कारण पर्याप्त तरीके से इसका दोहन नहीं हो पा रहा है। तमिलनाडु में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रस्ताव का कार्यान्वयन स्वागत योग्य कदम है। इसी प्रकार, केन्द्र को पवन ऊर्जा का दोहन करने के लिए भी राज्य सरकार को सहायता देनी चाहिए।

पर्यटन के संबंध में बात करें, तो यह क्षेत्र अपर्याप्त आवास, पर्याप्त अवसंरचनात्मक ढांचे, अच्छे संपर्क वाली सड़कें, रेल और विमान सेवा की कमी, अपराधी तत्वों आदि से त्रस्त है। सरकार को इन तत्वों पर गंभीरता के विचार करना चाहिए। पर्यटक पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों के लिए मोबाइल पर्यटक पुलिस की गाड़ियां चलाने के लिए राज्य सरकार को सहायता करना चाहिए और उदारतापूर्व तरीके से धन दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु की तटरेखा काफी बड़ी है और इसकी उचित तरीके से सुरक्षा की जानी चाहिए। पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के बिना ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य में समुद्री पुलिस स्टेशन की स्थापना करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करे।

औद्योगिक गलियारों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पड़ोस के राज्यों के साथ चेन्नई को जोड़ने से राज्य के अंदरूनी जिलों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभ नहीं होगा।

इस समय, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री के सुझाव पर और बल देता हूं कि विजाग-चैन्ने और तमिलनाडु के भीतर चैन्ने-बंगलुरु औद्योगिक गलियारे का और विस्तार करें इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित मदुरै-थोथुकुड्डी औद्योगिक गलियारे पर भी पूर्वी तट गलियारे के रूप में विचार किया जाए और इसके लिए विजाग-चैन्ने गलियारे को दक्षिण की ओर और बढ़ाया जाए।

15 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना, दस विद्यमान प्रेसों का आधुनिकीकरण ब्रेल-सदृश चिन्हों वे अंकन साथ मुद्रा नोट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन तथा सेन्टर फॉर स्पोर्ट्स संबंधी सरकार के प्रयासों की कार्यकर्त्ताओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है। तमिलनाडु निशक्त लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है और उन्हें शिक्षा, रोजगार और समाज कल्याण योजनाओं में इनके संवर्धन हेतु इसकी वास्तविक आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु में भी नई ब्रेल प्रेस की स्थापना की जाए। मद्रास मेडीकल कॉलेज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की स्थापना का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

विभिन्न राज्यों में लोक परिवहन में महिला सुरक्षा चिन्ता का मुख्य मुद्दा है और देश के विभिन्न भागों से हाल के वर्षों में अनेक अशोभनीय घटनाएं सूचित की गई हैं। महिलाएं सामान्यत: रात में बसों में यात्रा करने में स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। तमिलनाडु में महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में महिला बड़ी संख्या में कांस्टेबलों की भर्ती की गई थी। जहां तक बालिकाओं का संबंध है, तमिलनाडु ने दो दशक पूर्व 'क्रेडल बे' योजना और बालिका शिक्षा योजना प्रारंभ की थी और इन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। यद्यपि इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा आवंटित निधि काफी कम है, ऐसी आशा की जाती है कि तमिलनाडु जोकि इस क्षेत्र में बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहा है, उसके लिए बाद में निधि आवंटन को बढ़ाया जाएगा।

जहां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध है, अनेक राज्यों में ग्रामीण सड़क संपर्क अत्यधिक खराब हालत में है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तमिलनाडु ग्रामीण सड़कों पर जोर दे रहा है और इस परियोजना हेतु केन्द्र के अनुदानों को पहले ही निवेश कर चुका है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य की ग्रामीण अवसंरचना हेतु इसे बढ़े हुए आवंटन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक कराधान प्रस्तावों का संबंध है, वेतनभोगी वर्ग ने राहत की सांस ली होंगी। निजी आयकर सीमा को 50,000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव; धारा 80सी के अंतर्गत निवेश सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करना अपने घरों में रहे मकान हेतु ऋण पर ब्याज की कटौती सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने से इनके कर भार को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

***श्रीमती प्रियंका सिंह रावत** (बाराबंकी) : मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वित्त मंत्री माननीय जेटली जी को बधाई देना चाहती हूं। अभी-अभी सरकार ने लोक सभा में जो आम बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

सरकार बने हुए कुल कितना समय हुआ है और जिस तरह विषम परिस्थितियां देश के सामने हैं, उन सबके बावजूद भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस देश के सामने इक्कीसवीं सदी के भारत के निर्माण के संकल्प के साथ अत्यंत राहत भरा और विकासशील बजट प्रस्तुत किया है।

लोगों के मन में एक शंका थी कि इतनी विषम परिस्थितियों में सरकार द्वारा जनभावाओं के अनुकूल बजट प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होगा लेकिन आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने के साथ-साथ सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

देश की जनता ने सरकार से जो उम्मीदें लगायी थीं, उन उम्मीदों को साकार करते हुए सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों व सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन साधना एक कठिन चुनौती थी लेकिन सरकार ने न केवल इस चुनौती का सामना किया है बल्कि देश की जनता की उम्मीदों को भी सम्मान दिया। करों की दर में बदलाव किये बिना आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि महंगाई से परेशान जनता को राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है फिर भी आजादी के बाद से किसान उपेक्षित ही रहा है। आज भी 65 प्रतिशत से अधिक किसान सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने की घोषणा की है, निश्चित ही यह योजना देश के किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी।

सरकार द्वारा किसान टीवी चैनल की घोषणा जो इस बजट में की गई है, वह बेहद सराहनीय कदम है। आजकल हर क्षेत्र के लिए टीवी चैनल उपलब्ध हैं परंतु किसान जो इस देश की रीढ़ है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था जिसका फायदा उठाकर वे आधुनिक तरीकों से खेती कर सके। टीवी द्वारा देश का किसान कृषि की आधुनिक तकनीकों को समझेगा, अत्याधुनिक व परंपरागत सभी तरह की जानकारियां समय-समय पर उसे मिल सकेंगी। घाटे की खेती से त्रस्त किसान को उबारने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र हेतु 8 लाख करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था की है। यह बेहद स्वागत योग्य एवं किसान हित में उठाया गया कदम है।

सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" जो श्रद्धेय अटल जी की सरकार की देन है, के लिए 14369 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। इससे ग्रामीण जनता अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नीरांचल योजना, ग्रामीण उद्यमिता योजना, ये सभी माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रारंभ हो रही वे योजनाएं हैं जो भविष्य के ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

इस सरकार का लक्ष्य है, विकसित और समृद्ध भारत। इसलिए सरकार ने देश में 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए 7060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यही नहीं, आगामी 10 वर्षों में सरकार पीपीपी के जरिये 500 शहरी बसावटों में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु भी संकल्पित है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

शहरी बसावटों के विकास में संसाधन जुटाना एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके लिए सरकार ने नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का जो प्रावधान किया है, वह छोटे कस्बों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

इस बजट में सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए सभी क्षेत्रों की चिंता की है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। देश के प्रतिभाशाली एवं होनहार युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए 5 नये आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को खोलने का कदम बेहद सराहनीय है।

मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी, (हैदरगढ़, फतेहपुर, जैतपुर, रामनगर विधान सभाओं) को इस बजट से लाभ मिलेगा। बाराबंकी क्षेत्र को कस्बां तक राष्ट्रीय पेयजल योजना के अंतर्गत शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा। साथ ही विद्युतीकरण को लेकर जो धनराशि 500 करोड़ रुपए आवंटित की गयी है, बाराबंकी जनपद (उत्तर प्रदेश) को भी इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मेरे क्षेत्र बाराबंकी में सड़कों का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जायेगा। आवास आवंटन योजना को लेकर जो बजट पेश किया गया है, मुझे पूरी उम्मीद है, इसका लाभ मेरे क्षेत्र बाराबंकी को भी मिलेगा।

मेरे क्षेत्र बाराबंकी में रामनगर विधान सभा में महादेव लोजेश्वर मंदिर ऐतिहासिक स्थल है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए क्योंकि यहां सावन में शिवरात्रि में तथा बसंत में देश-विदेश से लोग आते हैं। मेरे बाराबंकी क्षेत्र में कोई भी एक ट्रामा सेन्टर खोला जाए। मेरा पूरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। घाघरा नदी में स्थायी बांध बनाकर पूरे बाराबंकी क्षेत्र को बाढ़मुक्त कराने की कृपा करें।

अंत में मैं पुन: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी व जेटली जी को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने इस बजट के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि एनडीए सरकार को अपना कोई राजनैतिक एजेंडा इस बजट में नहीं है बल्कि देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों व देश के जनता को विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विकास का एक नया अध्याय लिखेगा।

[अनुवाद]

***श्री सी. महेन्द्रन** (पोल्लाची) : सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस सम्मानित सभा अपने अनुरोध रखने का अवसर दिया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय पुराची थलावी अम्मा को विनम्रतापूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस सम्मानित सदन का संसद सदस्य बनने का अवसर दिया।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची में करीब 92000 हेक्टेयर भूमि में नारियल की खेती होती है। तमिलनाडु में नारियल क्षेत्र का यह एक चौथाई हिस्सा है।

दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मानसून की विफलता के कारण कुओं के साथ-साथ भूजल का भी स्तर काफी घट गया है। अपर्याप्त पानी और रखरखाव की ऊंची लागत के कारण नारियल उगाने वाले किसान गंभीर संकट में हैं और इसके उत्पादन में भारी नुकसान झेल रहे हैं। इसलिए, मेरे संसदीय क्षेत्र में नारियल का उत्पादन घटता जा रहा है।

इसके बावजूद 2,02,000 एमटी नारियल का उत्पादन हो रहा है। नारियल किसानों के लिए जीवनयापन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नैफेड ने नारियल के लिए सिर्फ 52.50 प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, जो लाभकारी नहीं है और वो लोग अब खेती के लिए किसी और फसल का विकल्प तलाश रहे हैं, जो इससे ज्यादा लाभकारी हो। उन्होंने 15 से 20 साल तक नारियल की खेती को बनाए रखा, क्योंकि नारियल की खेती एक दीर्घकालिक फसल है। अब मुश्किल से 50 प्रतिशत किसान ही बड़ी कठिनाई के साथ नारियल के खेती कर रहे हैं।

वर्ष 2012-2013 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय पुराची थलावी अम्मा ने 1.755 करोड़ रुपए गैर-डेल्टा क्षेत्र के किसानों के लिए सूखा राहत पैकेज के रूप में दिए थे। इस पैकेज के छह घटक करीब 17.9 लाख ऐसे किसानों के लिए थे, जिनकी 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी। विभिन्न किस्मों की फसल उगाने वाले किसानों को कुल 835.21 करोड़ का मुआवजा दिया गया।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय पुराची थलावी अम्मा ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा था कि यह पैकेज वित्त मंत्री के नेतृत्व में बनी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए आकलन पर आधारित है। इससे पहले वित्त मंत्री ने जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पर गौर करने के अलावा 18 जिलों का दौरा कर किसानों के प्रतिनिधियों और जिले के अधिकारियों से बातचीत की थी।

6,25,786 एकड़ से ज्यादा भूमि पर धान की खेती करने वाले 6,25,481 किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने के लिए 312.89 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। आपदा राहत संबंधी केन्द्रीय मानदंडों के अनुसार, धान के छोटे और सीमांत किसानों, जिनकी 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई हो, को सिर्फ

2,429 रुपए प्रति एकड़ रुपए निर्धारित किए गए थे जबकि हमारी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय पुराची थलावी अम्मा ने नारियल उगाने वालों सहित लगभग 50,908 किसानों को दीर्घकालिक फसलों के लिए 4,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से सहायता दी है। पिछले वर्ष 1,08,383 एकड़ भूभाग को कवर करते हुए 43.35 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई।

तमिलनाडु के नारियल किसानों के लिए दीर्घकालिक दूरदृष्टि और मिशन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नारियल बोर्ड की भागीदारी का मदद से नारियल उगाने वाले किसानों के लाभ के लिए 83.66 एकड़ सरकारी जमीन का आवंटन कर उदुमलपह-संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारियल प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जाए, ताकि नारियल किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले अंकुर मिल सकें।

उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार नारियल के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर दोगुना करने अथवा 100 रुपए प्रति किलो करने का कोई प्रस्ताव लेकर आएगी, ताकि नारियल की खेती करने वाले किसानों को मौजूदा वित्तीय संकट से राहत मिल सके?

श्री नरेन्द्र मोदी जी में मेरा 100 फीसदी विश्वास है कि वह नारियल के मूल्य संकट से निपटने के लिए तमिलनाडु के किसानों के कल्याण हेतु अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे और वर्तमान में बजट 2014-15 में घोषित कृषि स्थिरिकरण कोष से कुल वित्तीय सहायता प्रदान करें, तो नारियल उगाने वालों को काफी मदद मिलेगी।

मैं माननीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वह नारियल उत्पादकों को प्रोत्साहन देकर उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त मुआवजा दें ताकि नारियल उगाने वालों को वर्तमान नारियल मूल्य संकट से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज) : सदरे मोहतरम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया। जब भी कोई बजट आने वाला होता है तो लोग बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार बजट में उनके मसाइल का हल होगा और उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आएंगी। शायद उन्हें महंगाई की मार से कुछ राहत मिलेगी। इस बार भी नई सरकार से लोगों की ऐसी ही उम्मीदें वाबिस्ता थीं। बहुत शोर और हंगामा था कि एनडीए का ड्रीम बजट आम जनता के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। मगर जब मोहतरम वज़ीरे खजाना ने बजट का पिटारा खोला तो पता चला कि इसमें आम आदमी और गरीबों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। लिहाजा अवाम् के साथ-साथ मुझे भी इस बजट के मुताले से बेहद मायूसी हुई। दर हकीकत इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका बिना पर हम उसे एक मुतावाजिन और मुस्बत बजट कह सकें। इंतखाबात के वक्त जब बड़े-बड़े वायदे किए गए थे, सबका साथ सबका विकास का फलक शगाफ नारा लगाया गया था, वह सब इस बजट को पढ़ने के बाद महज एक दिखावा नजर आता है। इस बजट को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह हुकुमत गरीबों और नादारों को नहीं बल्कि अमीरों, खुशहालों और सनतकारों की खेर ख्वाह है और सनतकारों के लिए हुकुमत की फराक दिली इस बजट में साफ जाहिर भी है। इज्जतमआब, इस बजट में जिस तरह एससी, एसटी की फलाह व बहबुद के लिए वीजरे खजाना की तरफ से एक रकम मुकतस की गई है जो एक अच्छी बात है। मगर मुस्लिम अकलियत जिनकी हालत एससी, एसटी से भी बदतर है, उनके लिए किसी खास पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि अकलियतों खासकर मुस्लिम अकलियत के लिए वजीरे खजाना को फराक दिली का सबूत देना चाहिए था। उनकी मुआशी, सामाजी, तालीमी पसमंदगी को दूर करने के लिए एक कसीर जहती मनसूबे का ऐलान होना चाहिए था। इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। मगर इस बजट को सुनने और पढ़ने के बाद अकलियतों को बेहद मायूसी हुई है। सिर्फ मदरसों की जदीदकारीर से उनके मसायल का हल नहीं होने वाला है। उसके पसे पर्दा हुकुमत की क्या मंशा है, वह भी किसी पर मखफी नहीं है। इज्जतमआब इस मुल्क में सबसे बड़ी अकलियत के ताल्लुक से इस बजट में जो रकम मुखतस की गई है, वह ऊंट के मुंह में ज़ीरा के मुतारादिफ है। इससे उनके मसायल का एजाला नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि जिंदगी के तमाम शोबे में आगे बढ़ाने के तरीकों पर गौर किया जाए और उनकी तालीमी पसमांदगी, मुआशी, जबूहाली और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुअस्सर इकदामात किए जाएं। अगर आप सबके विकास की बात करते हैं तो आपका यह ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत का विकास न हो। इज्ज़तमआब इस आम बजट में खुशहाल भारत को जो ख्वाब दिखाया गया है, वह महज एक ख्वाब तक ही सिमटा रह गया। उसे ताबीरी और अमलीजामा पहनाने के लिए कोई कोशिश इस बजट में कहीं नजर नहीं आती। बजट से पहले बड़ी-बड़ी कयास-आराइयां की जा रही थीं और नयी हुकूमत से लोग बहुत ज्यादा पुरउम्मीद थे कि वजीरे खजाना शरहेनमु को बढ़ाने और अफरातेजर को कंट्रोल करने के फार्मूले पेश करेंगे, माली खसारा को कम करने के तरीके बतायेंगे। मगर वजीरे खजाना ने आम आदमी को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। इस आम बजट के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि—

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतर-ए-खून न निकला।

इज्ज़तमआब, मेरा हल्का इंतकाब किशनगंज और उसके इर्द-गर्द फैले हुए सीमांचल के इलाके तालीमी, मुआशी, सामाजी और हिफज़ाने सेहत के लिहाज से तशवीशनाक एक हद तक पसमांदा हैं। पिछली यूपीए सरकार की मेहरबानी से किशनगंज में एएमयू सेन्ट्रल का कायाम अमल में आ चुका है, जिसके जरिये पूरे इलाके में इल्म की रोशनी तेजी के साथ फैलनी शुरू हो गयी है। अब उस सेंट्रल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है। लेकिन उस इलाके में आबोहवा की बदतरीन सूरत-ए-हाल की वजह से जानलेवा बीमारियां जैसे हार्ट, किडनी और कैंसर की मोहलिक बीमारियां में जबरदस्त इज़ाफा हो रहा है और वहां इलाज की सहुलियतें नहीं के बराबर हैं। अफसोसनाक सूरत-ए-हाल यह है कि उस पूरे इलाके में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। सदरे मोहतरम आपके तव्वासुत से सरकार से मेरा यह मुतालबा है कि किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ एम्स की तर्ज पर एक बड़ा अस्पताल बनाया जाये। इसी तरह मेरे इलाके में गरबी की एक बड़ी वजह यह है कि हिमालय के दामन में आबाद वह इलाका महानंदा, डौक, मेछी, कंकाई, कोल, परवान और बकरा जैसी तेज बहाव वाली तबाहकुन नदियों में घिरा है। हर वर्ष हजारों एकड़ जराअती जमीन और दर्जनों गांव अपना वजूद खो देते हैं। पिछली यूपीए सरकार की मेहरबानी से उन नदियों में बांध बांधने के लिए महानंदा सबबेसिन स्कीम मंजूर है। मेरा मोतालबा है कि इस स्कीम को जल्द आगाज किया जाये और काम को पूरा करके पूरे इलाके को महाशी तबाही से बचाया जाये। उसी के साथ एक दरख्वास्त यह भी है कि इलाके में रोजगार के मवाके पैदा करने के लिए हैवी इंडस्ट्रीज के साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया जाये। उस इलाके के लाखों नौजवान अपने खानदान की रोजी-रोटी के लिए मुल्क के दूर-दराज शहरों में मजदूरी करते हैं।

इन्हीं मुतालिबात के साथ मैं वजीरे खजाना को अपना पहला बजट पेश करने के लिए मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने जवाब के दौरान वे हमारे मुतालिबात के हवाले से ऐवान में मुसबत ऐलानात करेंगे। मैं अपनी पार्टी की कयादत...*(व्यवधान)* का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया।

***श्री डी.एस. राठौड़** (साबरकांठा) : आपने मुझे वर्ष 2014-15 के आम बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस सदन में देश की कोटि-कोटि जनता के हृदय सम्राट तथा हिन्दुस्तान की राजनैतिक धारा बदलने वाले हमारे नेता तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं। आज मेरे यहां पर होने का श्रेय प्रेरणापुंज श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को जाता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में तथा आदरणीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के अथक परिश्रम से एक महीने की अल्प अवधि में तैयार किया गया यह एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बजट है इसके लिए मैं वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों को भी अभिनंदन करता हूं। देश और विदेश का मीडिया भी इस बजट को भारत के विकास का रोड-मैप बता रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में हर जगह देश के आम आदमी को राहत दिये जाने का अभिनंदनीय प्रयास किया है। उन्होंने महंगाई पर तत्काल लगाम लगाने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं तथा आने वाले समय में फलों-सब्जियों और खाद्यान्नों की देश में भरपूर पैदावार हो, इसी उद्देश्य से बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसके लिए वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि ऋण हेतु 8 लाख करोड़ रुपए निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है। नई कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और जैविक कृषि जैसे विषयों पर किसानों को समय पर जानकारी देने के लिए किसान टीवी को 100 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

हमारे गुजरात में, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के स्वर्णिम दिनों में अपने किसानों की मिट्टी का हेल्थकार्ड जारी करने की एक सफल योजना की शुरुआत की थी। इस बजट में इस योजना को पूरे देश में लागू करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इसके तहत देश भर में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। देश के अन्नदाता किसान के हित में किए जा रहे तमाम प्रयास इस बात के परिचायक है कि एक उज्ज्वल एवं समृद्ध भारत का सपना रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मन किसानों के लिए दया एवं करुणा से द्रवित है। वो हर हालत में देश के किसानों की दशा बदलने की इच्छाशक्ति रखने वाले अद्वितीय नेता हैं। मैं उनके किसान हितैषी प्रयासों के लिए पुन: उनका अभिनंदन करता हूं तथा अपने संसदीय क्षेत्र साबरकंठा गुजरात की पशुपालन एवं कृषि पर आधारित जीविका अर्जित करने वाली जनता की तरफ से कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

यह बजट देश में बिजली, पानी, देश की सुरक्षा तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप में एक परिपूर्ण बजट है।

इस बजट में गंगा माता की पवित्रता और शुद्धता को अक्षुण्ण बनाए रखने का भगीरथ प्रयास किया है तथा इस पुनीत कार्य के लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही साथ एनआरआई फंड बनाने का निर्णय लिया है।

मैं अंत में एक बार पुन: इस समग्रता पूर्ण बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा वित्त मंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्रीमती बुत्ता रेणुका** (कुरनूल) : मैं पहली बार संसद सदस्य चुन कर आई हूं और मुझे संसद सदस्य के रूप में अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए इस सम्मानित सभा का आर्शीवाद और सहयोग की आवश्यकता है, मैं अपने वरिष्ठों से आग्रह करती हूं कि जब भी गलत हूं तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें।

चाहे लोग द्वि विभाजन के सख्त विरोध में थे, लेकिन उन्हें मुझसे काफी आशाएं है। केन्द्र द्विविभाजन पर एकतरफ आगे बढ़ गया। मैंने और मेरे दल ने इसका हर संभव विरोध किया है। मैं राज्य के द्विविभाजन के माहौल में चुनी गई हूं। यह सर्वविदित है कि राज्य के अवांछित द्विविभाजन के कारण आंध्र प्रदेश में काफी गंभीर असंतोष व्याप्त है और राज्य को एक दुविधा में छोड़ दिया गया है और यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि आंध्र प्रदेश के लिए एक समान स्तरीय माहौल निर्मित करे। राज्य के लोग राज्य के पुनर्निर्माण के लिए मदद के तौर पर केन्द्र की ओर देख रहे हैं।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में कई वायदे किए गए है और उनमें से कई को इस बजट में शामिल किया गया है जैसे एम्स, कृषि विश्वविद्यालय, आईआईटी आदि। लेकिन आंध्र प्रदेश को उससे कहीं ज्यादा की आवश्यकता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की ओर केन्द्र खुला रुख अपनाए। हमें राज्य की नई राजधानी बनानी है और राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थान बनाने है। आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए हम विशेष वर्णन और राज्य की राजधानी के लिए निधियों के आवंटन की आशा कर रहे थे।

इस बजट में, हम आईआईएम, आईआईएसईआर, जनजातीय विश्वविद्यालय, पैट्रोलियम विश्वविद्याल, जैसे और राष्ट्रीय संस्थानों को आशा कर रहे थे, जिनका अधिनियम में पहले से वायदा किया गया है।

आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी दर्जे की मांग अब भी लंबित है। बजट में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार आंध्र प्रदेश के बजट में घाटा पूरा किया जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सभा में यह वायदा किया गया था कि केन्द्र घाटा पूरा करने में राज्य की मदद करेगा। राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के लिए हमें विशेष विकास पैकेज की आवश्यकता है, जिसका पुनर्गठन अधिनियम में भी वायदा किया गया है।

सभा को यह भली-भांति ज्ञात है कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और प्रभावी यातायात प्रणाली प्रदान करने के लिए मैट्रो रेल आवश्यक है। यद्यपि अधिनियम में विजाग और गुटुंर-विजयवाडा-तेनाली का वायदा किया गया है, लेकिन बजट इस पर खामोश है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं पर संवेदनशील रहे और अधिनियम में किए गए सारे वायदे और सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वायदों को बजट में शामिल किया जाए।

मैं सरकार को 100 स्मार्ट शहर विकसित करने की पहल करने के लिए बधाई देना चाहूंगी। मैं कुरनुल से संसद सदस्य हूं, जो कि हैदराबाद से पूर्व आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। मैं 100 स्मार्ट शहरों की सूची में कुरनुल को शामिल करने के लिए सरकार से आग्रह करूंगी।

मैं अपने दल और अपने नेता को मुझे मेरे राज्य के ज्वलंत मुद्दे को प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

***श्री नारणभाई काछड़िया** (अमरेली) : माननीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पहला बजट जो माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी के कर कमलों के द्वारा सदन के पटल पर पेश किया गया, सरकार की मात्र 45 दिनों की उपलब्धियों की देन है, और मैं इसका खुले तह दिल से समर्थन करता हूं।

हम जानते है कि पिछले कई दशकों से देश में यूपीए सरकार सत्ता में थी, तथा पूर्व सरकार द्वारा आज तक जो बजट पेश किया जाता रहा, वह वोट बैंक पर आधारित हुआ करता था, और पूर्व सरकार के लोक-लुभावन बजट के कारण देश की दुर्गति हुई, इनकी गलत नीतियों एवं नियम के कारण देश में आर्थिक व्यवस्था का संतुलन बिगड़ा, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी, जो देश के विकास में बाधक बना।

इस बजट में वर्तमान सरकार के द्वारा कम से कम संसाधनों का व्यवस्थित रूप से उपयोग करते हुए, अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार ने 5 नये आईआईटी तथा 5 नये आईआईएल जैसे संस्थानों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है जो अति सराहनीय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 नये एम्स खोलने का प्रावधान किया गया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक था। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार होगा, और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस बजट में रोजगार का विशेष ध्यान रखा गया है और इस बजट में 100 नये स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की गई है, इसके निर्माण कार्य से काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। यह एक प्रगतिशील कदम है। इस बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 38,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्षों से लंबित योजनाएं पूर्ण होंगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

डिफेंस, रेलवे तथा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की भागीदारी के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं, इस भागीदारी के द्वारा डिफेंस में सेना का आधुनिकीकरण किया जा सकता है तथा रेलवे में एफडीआई की भागीदार से वर्षों से लंबित परियोजनाएं पूर्ण होंगी, तथा यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकेंगी और बीमा क्षेत्र में एफडीआई के आगमन से बीमा सेक्टर में तेजी आयेगी, और उसका तीव्र गति से विकास होगा तथा इसके साथ लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी।

पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक सड़क के निर्माण के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है तथा इस योजना से गांवों का पूरा विकास होगा। हमारे देश में कृषि मानसून पर आधारित है। कृषि की सिंचाई तथा विकास के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। गुजरात मॉडल के अनुसार देश में किसान विकास पत्र योजना को पुन: शुरू करना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत नदियों को जोड़कर सिंचाई करने की व्यवस्था होती है जो देश के लिए एक प्रगतिशील कदम है, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन पर कार्य करना, "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इंदिरा आवास योजना तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को पुनर्जीवित करना, कृषि को मनरेगा में शामिल करना, विकलांग व्यक्ति की गरिमा एवं स्वाभिमान से जुड़े कार्य हाथ में लेना, 12 नये मेडिकल कॉलेज बनाना, 9 एयरपोर्ट पर ई वीजा की सुविधा, बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ अभियान, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष ध्यान, ग्रामीण आवास योजनाएं, मनरेगा, जल संभरण, गांवों तक सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर ध्यान, प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान, वर्ष 2011 तक सभी के लिए आवास, कुपोषण की स्थिति को रोकना, कृषि क्षेत्र में नये आयाम, कृषि ऋण, खाद्य सुरक्षा में सुधार, किसान टीवी चैनल चालू करना तथा साथ ही साथ श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार में मदरसों के विकास में भी विशेष ध्यान देना इस सरकार की प्राथमिकता होगी।

गंगा का शुद्धिकरण हमारे देशवासियों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ की राशि आवंटित की है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कदम है।

अत: मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और इसका समर्थन करने हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान बजट एक प्रगतिशील एवं विकासशील बजट है और सरकारी की खुली नियत का परिचय देता है। इस बजट से भारत का सर्वांगीण विकास होगा।

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र** (बांदा) : मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाए गए बजट का समर्थन करता हूं। पिछली सरकार द्वारा खाली छोड़े गए खजाने के बावजूद माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाया गया बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के आगामी वर्षों में भारत को विश्व में अग्रणी पंक्ती में खड़ा करने की सोच के अनुरूप है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव है कि विदेशी कंपनियों को किसी भी कीमत पर मॉल खोलने की इजाजत छोटे शहरों एवं कस्बों में न दी जाए जिससे फुटकर व्यापारियों के हित भी सुरक्षित रहें। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए धान एवं गेहूं की तरह दलहन एवं तिलहन एवं मोटे जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की जानी चाहिए। अक्सर यह देखा गया है कि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बुन्देलखंड क्षेत्र को कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दो प्रांतों में बंटा है लेकिन उसकी समस्याएं समान हैं। अत: दोनों प्रान्तों में आने वाले जिलों को मिलाकर एक विशेष बुन्देलखंड विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए। उसके लिए एक विशेष बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे इस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके।

यहां बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। हर दिन ट्रेनों एवं बसों में भरकर काम की तलाश में लोग सुदूर क्षेत्रों में अपने घर परिवार को छोड़कर जाते हैं। अस्तु इस क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाने की जरूरत है जिससे यहां की श्रमशक्ति का उपयोग हो सके। पहले से बंद पड़ी बांदा की कताई मिल को शुरू कराकर तथा वरगढ़ में लगने वाली ग्लास फैक्ट्री का निर्माण कराकर कुछ हद तक इस कमी को पूरा किया जा सकता है। बांदा एवं चित्रकूट जिले में एक थर्मल पावर का बड़ा प्रोजेक्ट लगाकर यहां की बिजली की समस्या हल की जानी चाहिए। यहां की सभी नदियों को आपस में जोड़कर हर खेत को पानी दिया जा सकता है। यमुना नदी में लिफ्ट की कुछ और योजनाओं द्वारा बांदा एवं चित्रकूट जनपद में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। यहां पर चित्रकूटधाम जो कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश का एक मात्र प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है, को पर्यटन व धार्मिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानचित्र में लाकर इसे विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहां हवाई पट्टी बनकर तैयार है जहां से नियमित उड़ाने शुरू की जानी चाहिए। यहां खनिज संपदा भरपूर है जिस पर आधारित उद्योग धंधे लगाकर यहां का विकास हो सकता है और यह देश के अन्य भागों की तरह विकसित किया जा सकता है। यहां पर कलींजर एवं मड़का के किले व गनेश बाग व वाम्बेश्वर पर्वत जैसे विश्व को आकर्षित करने वाले स्थान हैं। रामायण जैसे राष्ट्रीय ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली राजापुर व भरतकूप व बाल्मीक आश्रम जैसे स्थान हैं। जिन्हें विकसित

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कर टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सकता है। यहां का किसान पिछले कई वर्षों से कभी सूखे व कभी अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से तबाह हो चुका है। कई बार प्रदेश सरकार व पिछली केन्द्र सरकार ने सर्वे कराया और आश्वासन दिया और कुछ घोषणायें भी की कि बुदेलखंड के किसानों का पिछला बकाया कर्जा व ब्याज माफ किया जाएगा व सहायता दी जाएगी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। अस्तु आपके माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि बुन्देलखंड के विपन्न किसानों की हालत को देखते हुए उनके पिछले कर्जे एवं ब्याज माफी की घोषणा को इस बजट में शामिल कर आत्महत्या पर मजबूर किसानों को बचाया जाना चाहिए। यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अस्तु इस समस्या के समाधान के लिए इस क्षेत्र में एक एम्स एवं एक कैंसर हॉस्पीटल बांदा या चित्रकूट में खोला जाना चाहिए। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री के "सबका साथ - सबका विकास" की सोच के साथ लाया गया है।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अच्छे बजट लाने के लिए जिसमें उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है बधाई देता हूं।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : सभापति जी, मैं आम बजट की कुछ विशेषताओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में इसमें विशेष प्रयोजन किया है। अभी तक हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बहुत सारे बजट पेश होते रहे, लेकिन इस बार जो विशेष प्रयोजन हुआ, उसे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बजट में पूरे भारत, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो विशेष प्रयोजन किया गया है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि हम आवास युक्त भारत की कल्पना करते हैं, तो इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। मैंने अनुभव किया कि अभी तक ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में एवरेज दो या तीन आवास दिये जाते थे, जबकि आज इसकी अधिक आवश्यकता है।

मैं वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में इस सेक्टर के बारे में विचार किया है। उनका यह पहला बजट है। इस बजट में जो भी प्रावधान किया है, वह सही है, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में भी विचार किया गया है।

दूसरा, ग्रामीण आवास है। इंदिरा आवास की जो कल्पना हुई है, उसमें विशेषकर 60 परसेंट का जो प्रयोजन हुआ है, उससे एससी और एसटी लोगों को लाभ मिलेगा। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि देश में हमेशा इस बारे में राजनीतिक आधार पर चर्चा होती है, परंतु जब इन वर्गों के बारे में बात होती है, तो कभी इस पर विचार नहीं हुआ। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अधिकांश जो बीपीएल श्रेणी में लोग हैं, उनके लिए और उनके साथ-साथ जो हमारे एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं उनको 60 प्रतिशत इस सेक्टर से लाभ पहुंचने वाला है। यह इस महत्वपूर्ण बजट की विशेषता है। इसलिए इस सेक्टर को आज छूने का प्रयास किया गया है। जहां तक अन्य योजनाओं का सवाल है, मैंने देखा है कि इसमें एक महिला बाल विकास योजना है। यह जो एकीकृत महिला बाल विकास योजना है, खासतौर से शिशुओं के लिए, मैं देख रहा था कि हमारे अनेक सदस्यगण कहते हैं कि इस क्षेत्र में खासतौर से उनके आहार के बारे में, यह एक बड़ी विशेषता है कि उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। यह भी अपने आप में महत्व रखता है। इस देश की महिलाओं के लिए एक तरफ हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके साथ जब अन्याय होता है, उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, आज इस बात की खुशी है, इस बजट में ये जो प्रावधान किये गये हैं, उस बात के लिए मुझे इस सदन को कहना है और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को चुना है, वित्त मंत्री जी ने इसमें प्रावधान किया है। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में किया गया हैं अनेक ऐसे क्षेत्रों में, जहां पर हम स्वास्थ्य सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं। विशेषकर जो कैपिटल्स हैं, जब एम्स की बात आती है, तो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हम लोगों से सांसद होने के नाते लोग पूछते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग पूछते हैं। स्वास्थ्य सुविधा में संक्रामक बीमारियों अथवा इस प्रकार की अन्य बीमारियों के संबंध में उनको सहायता राशि देने के बारे में, मैं कह सकता हूं कि ऐसी अनेक योजनाओं के बारे में सोचा जाता है। परंतु जब इसकी योजना बनती है, तो उस योजना के बारे में सोचने से पहले एक बार अपने आप में विचार करना चाहिए। इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे जो ऑल इंडिया स्तर के हॉस्पीटल्स हैं इस आयाम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने विचार किया है। ऐसे ही कुछ हमारे ट्राइबल सेक्टर हैं। इसके बारे में स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। जनजातीय क्षेत्र में, विशेषकर बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना है। यह अपने आप में महत्व रखता है। इस योजना के लिए एक हजार 58 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ, वनबंधु योजना के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैं कई बार देश के अन्य हिस्सों में देखता हूं, तो यह जो योजना है, यह गुजरात से प्रारंभ हुई। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के उन हिस्सों को ध्यान में रखकर हमारे वित्त मंत्री जी को आदेश दिया है कि इस योजना को पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक विशेष मॉडल के तौर पर इस योजना को प्रारंभ करने का लक्ष्य तय हुआ है। इसलिए हम इस सेक्टर में काम करते हैं, इस क्षेत्र में काम करते हैं। इस बात के लिए भी सभी को प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्व होता है, जब इस प्रकार की योजनाओं को, देश में उन लोगों के लिए, जो वास्तव में गरीब हैं, उन गरीब क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और समाज को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे रोजगार

का कार्यक्रम हो या कृषि के सेक्टर में हो, इसका अपने आप में महत्व है कि इस सदन में वित्त मंत्री जी ने इन योजनाओं के लिए इसमें विशेष प्रयोजन किया है। सभापति जी, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में अनेक सेक्टर हैं, केवल योजना का नाम दिया गया है। वनबंधु कल्याण योजना, इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो इस देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं, विशेषकर यह जो वर्ग है, उन वर्गों को हम आर्थिक दृष्टि से अधिक सक्षम बना सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसके बारे में सरकार ने विचार किया है। मैं एक बार फिर वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस सेक्टर को उन्होंने विशेष प्रयोजन देकर इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने इस देश में ख्याति अर्जित करने का काम किया है।

[अनुवाद]

***श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़) : एक कारण यह है कि, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय पश्चात एनडीए के नए वित्त मंत्री से हर किसी को उम्मीद काफी अधिक है। परंतु कुछ और भी है। मतदाताओं ने असाधारण अधिदेश दिया है और यह स्पष्ट रूप से इसके लिए बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध वित्त मंत्री के जरिए यह बदले में एक था दो बड़ी चीजें करने की घोषणा करने का एक अवसर था और बदले में अति आवश्यक उत्साह और चारों तरफ सदभाव लाने वाला एक यादगार बजट बनाकर इसका लाभ उठाते।

अन्य उछाल जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को 37,000 करोड़ रुपए और ग्रामीण सड़कों के लिए 14,000 करोड़ रुपए के साथ अवसंरचना को मिला। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित धन से, जेटली जी ने देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 3,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं।

वर्ष 1980 से 2012 तक 47,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है, जिसमें से करीब 23000 कि.मी. एनडीए के 5 से 6 वर्षों की अल्पावधि के दौरान बना है। जबकि 10 वर्षों के दौरान यूपीए ने 16,000 कि.मी. बनाया है। यह ब्यौरा यूपीए ने स्वयं, उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत अपने शपथपत्र में दिया है।

अनुमानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति प्रतिवर्ष ट्रकों के 70,000 करोड़ रुपए तक के डीजल की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। इस बर्बादी को रोकना तेल आयात खर्च को घटाएगा। खराब सड़क स्थितियां वाहनों की प्रचालन अवधि को घटाने के अलावा 30 प्रतिशत तक ट्रकों के आवागमन समय को बढ़ाएंगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ताप संयंत्रों को कोयला आपूर्ति में बाधाएं, ऊर्जा क्षेत्र की खराब स्थिति के पीछे बड़ा कारण रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र में नई कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, वित्त मंत्री ने उनके लिए 10 वर्ष की कर छूट घोषित की है।

रीयल एस्टेट और अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जेटली जी ने रीयल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रेट्स) और अवसंरचना निवेश ट्रस्टों को शुरू किया है। उनके नेतृत्व के स्वप्न 100 स्मार्ट शहरों के महत्वाकांक्षी परियोजना को 7,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय समेकन के मोर्चे पर, वित्त मंत्री का लक्ष्य चालू वर्ष में वित्तकोषीय घाटे को 4.1% तक लाने का है और वित्तीय वर्ष 2017 तक करीब 3 प्रतिशत तक लाने का। कम वित्तकोषीय घाटा महंगाई रोकने में दूर तक सहायक होगा, परंतु यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

जेटली जी ने रक्षा बलों के लिए आवंटन को 12 प्रतिशत बढ़ाकर 229,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है, और इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। रक्षा क्षेत्रक में विदेशी निवेश की सीमा को 26% से 49% तक बढ़ाने से विदेशी मुद्रा बचेगी और दूरगामी रूप से चालू खाता घाटे को रोकेगा इससे रुपया और मजबूत होगा।

2014-15 बजट का दूसरा सार्थक पहलू एक समान वस्तु और सेवा कर है। सरकार जहां तक संभव है। पूर्व प्रभावी मांगों के साथ कर प्रणाली को अस्थिर न करने का प्रस्ताव करता है।

कृषि उत्पाद हेतु प्रस्तावित एकीकृत राष्ट्रीय बाजार से बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधे अपने उत्पादों को ग्राहकों को बेचने की अनुमति होगी। यह न केवल महंगाई को रोकेगा, परंतु खराब होने वाली वस्तुओं की खराबी को भी रोकेगा।

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लिए सुनिश्चित सिंचाई हेतु 1000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं।

अत्यंत कठिन चरण से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था और इसलिए अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना अति महत्वपूर्ण है। श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में राजग सरकार ने 2004 में पद छोड़ते समय सकल घरेलू उत्पाद दर 8.1% थी। अब यूपीए के पद छोड़ते समय सकल घरेलू उत्पाद 5% से कम पर थी।

एमओएसपीआई द्वारा 738 बड़ी परियोजनाओं की मूल लागत 9.05 लाख करोड़ रुपए थी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत अब महंगाई के कारण 10.79 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है।

चालू खाता घाटा : 2004 : (+) 7.36 बिलियन डॉलर (अधिशेष) 2013: (-) 80 बिलियन डालर। 1998 में यह-2 था जिसे एनडीए ने वर्ष 2004 में + 2.3 किया जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने इसे वर्तमान में -5 पर दिया।

व्यापार घाटा : 2004 : (-) 13.16 बिलियन डॉलर 2013 : (-) 180 बिलियन डॉलर।

राजकोषीय घाटा : वर्ष 1998-99 में यह -6.29 था जिसे एनडीए ने वर्ष 2004-05 में -3.8 कर दिया था जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए इसे वर्ष 2012-13 में -5.75 ले आया।

मुद्रास्फीति : 1998-2004 - 5 प्रतिशत और 2004-2013 में 9 प्रतिशत (दोनों आंकड़े उनके संबंधित कार्यकाल से लिए गए हैं)

खाद्य मुद्रास्फीति

	कुल महीने	10 प्रतिशत से अधिक रही खाद्य मुद्रास्फीति का औसत	कुल कार्यकालका प्रतिशत जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से अधिक रही
यूपीए का कार्यकाल	108	63	58 प्रतिशत
एनडीए का कार्यकाल	72	केवल 12	केवल 17 प्रतिशत

खाद्य मूल्य

मद	एनडीए के दौरान मूल्य (मई, 2004)	यूपीए के दौरान मूल्य (मई, 2013)	वृद्धि प्रतिशत में
आलू	2	20	900 प्रतिशत
गेहूं	9	28	211 प्रतिशत
दूध	14	45	.221 प्रतिशत
वनस्पति तेल	40	78	.95 प्रतिशत
डीजल	22.50	56.10	1.49 प्रतिशत

विदेशी कर्ज : मार्च 2004 : 111.6 बिलियन डालर, मार्च 2013: 390 बिलियन डॉलर।

इस तुलना में यूपीए का प्रदर्शन बेहतद खराब है और ये विशेषकर यूपीए-2 के दौरान भूतलक्षी कर विधान और अन्य प्रतिगामी नीतियों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तथा करेन्सी में विश्वास की कमी का परिणाम है।

वर्ष 1999-2004 में एनडीए के कार्यकाल के दौरान 60.7 मिलियन रोजगार सृजित हुए थे जबकि यूपीए 1 के कार्यकाल में केवल 2. 7 मिलियन रोजगार सृजित हुए थे। इससे स्पष्ट होता है कि रोजगार रहित विकास यूपएी की बड़ी विफलता है।

एचडीआई : वर्ष 2004 : 2004 में 0.453 अंको के साथ मानव विकास सूंचकांक में विश्व में भारत का 123वां स्थान था। 2013 :- वर्ष 2013 में भारत 0.554 अंको के साथ विश्व में 13 स्थान नीचे खिसककर 136वें स्थान पर आ गया था।

एनडीए की नीति	यूपीए की नीति
कम मुद्रास्फीति - कम ब्याज दर लेकिन उच्च विकास दर - उच्च रोजगार; न्यूनतम शासन अधिकतम सुशासन	उच्च मुद्रास्फीति - उच्च ब्याज दर लेकिन कम विकास दर - कम रोजगार अधिकतम शासन न्यूनतम सुशासन

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पिछली सरकार ने नई सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को स्तर पर इस प्रकार की स्थिति विरासत में दी थी जिसके परिणामस्वरूप नई सरकार को पहले की गई गलतियों में सुधार करने और उसके बाद विकास की गति को बढ़ाकर उसे सही रास्ते पर लाने का जटिल कार्य मिला था।

कुल मिलाकर 2014-15 का बजट एक शेसी कवायद है जिसके परिणाम कुछ समय के बाद सामने आएगें।

धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए मांग : कर्नाटक में आईआईटी और धारवाड में एम्स की स्थापना : सरकार ने हाल के बजट में चार नए एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार की संपूर्ण देश में एम्स स्थापित करने की योजना है। कर्नाटक में बंगलौर जोकि राज्य की राजधानी है के बाद हुबली-धारवाड शहर दूसरा बड़ा शहर है। ये दोनों शहर तीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों, तीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा चार इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ शिक्षा, उद्योग और वाणिज्य के केन्द्र बने हुए है। राज्य और उत्तरी कर्नाटक द्वारा एम्स जैसी सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं से युक्त अस्पताल का निर्माण किए जाने की मांग लंबे समय से लंबित है।

कृषि उत्पादों विशेषकर मिर्च को खराब होने से बचाने के लिए एपीएमसी यार्ड हुबली में शीतागार बनाया जाना चाहिए। हुबली-धारवाड को 100 स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हुबली में आयोजित रैली में मिर्च पाऊडर और इसके उत्पादों के निर्यात करने के लिए मिर्च उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि प्रसंस्करण ईकाईयां। यूनिट शुरू करने की घोषणा की।

नवलगुंड, कंडगोल, कालाघाटी और हुबली ग्रामीण ताडका में पानी की अत्यधिक कमी है क्योंकि ये तालुक पूरी तरह से भूजल/बोरवैल पर निर्भर करते है। अत: इन क्षेत्रों में सतही न पेयजल प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने पांच मिनट देने की बात कही है, मैं कहता हूं कि मुझे एक मिनट और बढ़ा दीजिएगा, मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, लोक सभा के परिणाम सामने आते ही मोदी सरकार के आम बजट की प्रतीक्षा शुरू हो गयी थी। जैसे-जैसे सरकार के शपथ ग्रहण का समय करीब आता गया, वैसे-वैसे लोगों की उम्मीदें बढ़ती गयीं। जब आम बजट आया, तब लोगों की उम्मीद घटनी शुरू हो गयी। आज यह हालत हो गयी कि रेल बजट आने के पहले रेलवे के किराए में बढ़ोत्तरी कर दी गयी। इतना ही नहीं, जब रेलवे का किराया बढ़ाया गया, उसमें स्लीपर और जनरल बोगी में चलने वाले मुसाफिरों का भी किराया बढ़ाया गया। इन्होंने कमरतोड़ महंगाई लाने का काम किया। कहा जाता था कि जब-जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो महंगाई लेकर आती है, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी, वह भी महंगाई लेकर आई।

सभापति महोदय, बेहद अफसोस की बात है कि मैं बिहार से आता हूं। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बजट की बाजीगरी से यही लगता है कि भाजपा की सरकार बिहार से नाराज हो गयी है। चुनाव के दौरान इन लोगों ने वोट मांगा था कि महंगाई दूर हो जाएगी, जिसका सपना भी दिखाया, मगर आज केन्द्र में सत्ता में बैठे लोग वायदे को याद रखने वाले नहीं हैं। महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है, महंगाई की मार और बढ़ेगी। इस बजट में कोई नई बात नहीं है। बजट पेश होता है और हो गया। अच्छे दिन आने के लक्षण दूर-दूर तक नहीं दिखाई पड़ते हैं। बजट में अमीर राज्यों का ही ख्याल रखा गया है। समावेशी विकास एवं पिछड़े राज्यों के विकास का कोई नजरिया नहीं है। बजट में बिहार सरीखे पिछड़े राज्यों की अनदेखी की गयी है। गरीब और अमीर राज्यों के बीच की खाई को पाटने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। उम्मीद था कि बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात होगी, मगर उसकी कोई चर्चा तक नहीं है। चुनाव के दौरान बिहार को विशेष पैकेज और पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाने के वायदे किए गए थे, जिन पर अमल तक नहीं हुआ है। केन्द्र के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार ने प्रति व्यक्ति आय और विकास दर वर्ष 2005-06 से वर्ष 2011-12 तक सर्वाधिक मानी गयी और गरीबी कम होने की दर भी सर्वाधिक है। इस आधार पर पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए, जो नहीं हुआ। चुनाव में मतदाताओं को ठग कर वोट प्राप्त कर लिया गया।

महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी ने इन्द्रधनुषी क्रान्ति का एक बड़ा रोड मैप तैयार किया था, उसको सहायता देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पूर्वी राज्यों में कृषि की अपार संभावनाएं हैं, इसके बावजूद बिहार में पूर्व कृषि विश्वविद्याल को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की कोई चर्चा नहीं की गयी है। यह भी नहीं कहा गया कि पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय हरित क्रान्ति को किस तरीके से मजबूती प्रदान करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में बुद्ध सर्किट को छोटा कर दिया गया। माननीय वित्त मंत्री जी वैशाली और राजगीर को भी भूल गए।नालन्दा में नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को मजबूती प्रदान के लिए इस विश्व धरोहर के बारे में कुछ नहीं कहा

गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए 450 एकड़ जमीन भी दी, लेकिन केन्द्र सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक ईकाई किशनगंज में प्रस्तावित है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जमीन की उपलब्धता भी कराई, लेकिन इस विश्वविद्यालय के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। टैक्स-टेरर की बात करने वाले जब सत्ता में आए, तो आयकर में 50 हजार रुपए तक छूट दी गयी, जो मामूली है और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसकी आर्थिक नीति क्या होगी। यह बजट आम गरीबों के लिए नहीं है, गांवों में 60 फीसदी किसान टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। युवाओं और नौजवानों के लिए चुनाव के वक्त बड़े-बड़े वायदे किए गए तथा महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का सपना दिखाया गया। यदि हम बेरोजगारी के पहलू पर बात करें तो पूर्व सरकार ने प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह भी धरातल पर नहीं उतर पाया, मात्र 15 लाख लोगों को ही रोजगार मुहैया कराया जा सका। यदि हम महिला श्रम शक्ति की बात करें, तो 1984 में तकरीबन 324 प्रतिशत महिलाओं के पास रोजगार था, लेकिन आज अनुपात 27 प्रतिशत पर आ गया है। बजट में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए स्किल इंडिया अभियान की घोषणा की है। इस पर अमल कैसे होगा, कितना है, इस बारे में स्पष्ट नीति नहीं है। मैं मांग करता हूं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जाए।

विदेशी बैंकों में जमा कालाधन जमा कराने वालों की सूची तैयार करने का वादा भी इस सरकार ने किया था। सरकार ने यह भी कहा था कि वह कालाधन देश में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूची की बात तो जाने दीजिए, बजट में कालेधन के बारे में कहीं कोई संकेत नहीं है। इसलिए बजट में आशा और उत्साह का संचार पैदा करने के स्थान पर निराशा ही हाथ लगती है।

इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री व्योरा नरसिम्हम** (काकीनाडा) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मैंने पहले भी सरकार से अनुरोध किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान किया जाए और यह भी अनुरोध किया कि इस अवधि को 15 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। बंटवारे के बाद मेरे राज्य ने अपनी सभी आर्थिक परिसंपत्तियों को छोड़ दिया है और भारी देयताओं को विरासत में प्राप्त किया और यहां तक कि ऋण भरने के लिए कोई संसाधन नहीं बचा है। 20 फरवरी, 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने राज्य सभा के पटल पर केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान करने का वायदा किया था ताकि राज्य के वित्त को मजबूत रखा जा सके। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य को तत्काल विशेष दर्जा प्रदान करें और इसे 15 वर्षों के लिए बढ़ाया जाए।

इससे पहले आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया था कि आंध्र प्रदेश के रायालसीमा के पिछड़े जिलों और उत्तरी तटीय क्षेत्र को विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के नौ तटीय जिले और रयालसीमा में चार जिलों में प्राकृतिक आपदाओं की हमेशा संभावना बनी रहती हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं विशेष विकास पैकेज के अंतर्गत चालू वर्ष के बजट के दौरान आंध्र को 5000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाए।

मेरा राज्य एक नवजात शिशु की भांति है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 94(I) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य में औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने सहित उपयुक्त राजकोषीय उपाय करेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 15 वर्ष की अवधि हेतु कर प्रोत्साहन और औद्योगिक निवेश हेतु रियायत प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया जाए ताकि मेरा राज्य विकास पथ पर आगे बढ़ सके।

मैं सरकार से यह आग्रह भी करता हूं कि इन वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 10,090 करोड़ रुपए की ऋण राशि को अनुदान में परिवर्तित किया जाए और बकाया ईएपी राशि को 90% केन्द्रीय अनुदान और 10% राज्य देयता के रूप में परिवर्तित किया जाए।

अपने पूर्व भाषण में, मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं जैसे थोरापल्ली, झंझावती, हंदरी-निवा, गलेरु-नगिरी इत्यादि को पूरा किया जाए, परंतु सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस वर्ष कोई निधि आबंटित नहीं की है, मैं मांग करता हूं कि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता आधार पर पूरा करने के लिए सरकार आंध्र प्रदेश राज्य को निधियां आवंटित करे।

मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि इस बजट में भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। आंध्र प्रदेश केवल एक मात्र राज्य है जिसे राजधानी दिए बिना ही विभाजित

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कर दिया गया है। हमारी कोई राजधानी नहीं है मैं पुरजोर मांग करता हूं कि आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य में नए राजधानी शहर हेतु अवसंरचना के विकास हेतु चालु बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया जाए। आंध्र प्रदेश राज्य को अगले दस वर्ष की अवधि में अवसंरचना और सेवा के संदर्भ में हैदराबाद के समान शहर के निर्माण के लिए न्यूनतम 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि विजयवाडा-गुंटूर-तेनाली शहरी बसावट के आसपास बाहरी रिंग रोड के कार्यनिष्पादन हेतु 19,700 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएं।

मैं सरकार को बड़े शहरों के उपग्रह नगरों और विद्यमान मध्यम आकार शहरों को आधुनिक कर "एक सौ स्मार्ट शहरों" के रूप में विकसित करने की घोषणा के लिए बधाई देता हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशाखापट्टनम, विजयवाडा, और तिरुपति को मेगा शहर श्रेणी और श्रीकाकुलम, विजयनगरम, काकीनाडा, राजमुंद्री, इलुरु, गुंटूर, ओंगल, नेल्लौर, चित्तूर, अनंतपुर, कर्नूल और कडावा को स्मार्ट शहर श्रेणी में सम्मिलित किया जाए और इन विद्यमान शहरों को आधुनिक बनाया जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्री की मेरे काकीनाडा और इसके समीपीय क्षेत्रों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और बंदरगाह को विकसित किया जाएगा जो हार्डवेयर विनिर्माण पर विशेष ध्यान के साथ क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का मुख्य उत्प्रेरक होगा।

और मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एमपी लैड को प्रति वर्ष प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए किया जाए।

[हिन्दी]

***श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर** (दाहोद) : 2014-15 के जनरल बजट में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने उन सब बातों की व्यवस्था की है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने सपने संजोए हैं, उन सभी घोषणाओं का बजट में जिक्र है, जिनके बारे में आदरणीय मोदी बोलते रहे हैं। फिर चाहे, वह गंगा की सफाई, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का दावा हो या युवाओं के लिए कौशल विकास की बात हो। इन सबके अलावा नये आईआईटी, आईआईएम खोलने, साढ़े आठ हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान है। रक्षा और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के साथ बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और वेतनभोगियों को राहत देने वाला यह बजट है, जिसकी सर्वत्र क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है।

माननीय जेटली ने इस बजट के माध्यम से वित्तीय घाटे को 4.1 प्रतिशत तक लाने के बारे में कहा है, जो देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ला सकेगा। इस बजट में बचत और निवेश को बढ़ाये जाने का संकल्प लिया है, जिससे देश की विकास दर को 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत किया जा सके। इस बजट के माध्यम से गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नमामी गंगे मिशन के लिए पहली बार 2036 करोड़ रुपए की बड़ी राशि आबंटित की है, जो सराहनीय है। देश में कृषि और उद्योग की हालत बहुत दयनीय हो गई है। लोग उद्योग को चलाने एवं कृषि व्यवसाय को शुरू करने का काम को घाटे का सौदा समझते हैं, सरकार ने टूटे भरोसे को दोबारा बहाल करने के लिए बजट में लांग टर्म और शाट टर्म लोन की व्यवस्था की है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन लोनों की निगरानी की जानी चाहिए। जिस कार्य के लिए लोन लिया जाये वह कार्य पूरा किया जा सके, इससे देश के विकास को गति मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

भारत गांवों का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और उन्हें आधुनिक तकनीकी वाला प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। देश में जनजातियों की आबादी 16 प्रतिशत के करीब है। इसमें कुछ ही जातियों को विकास के अवसर मिल रहे हैं बाकि अभी तक पिछड़ेपन के शिकार है। जिन क्षेत्रों में जनजातियां रहती हैं, वहां पर न तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, न ही वहां पर सिंचाई के साधन है अगर हम जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन एवं डेयरी उद्योग खालें तो इससे देश के विकास को बल मिलेगा, दूसरा जनजाति वाले क्षेत्रों में रहने वालों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सकेगा।

हमारे देश में कई ऋतुएं हैं। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं नदियां हैं। तीन दिशाओं में समुद्र है और देश में विशाल वन संपदा है, परंतु इनके दोहन के लिए कोई विशेष प्रयास नहींर किये गये हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास दर वर्तमान समय में 10 साल में सबसे कम रही है। वर्तमान समय में यह विकास दर केवल 4.7 है, जो बहुत कम है। सरकार ने देश की संपदा का पूरा फायदा उठाने के लिए 2.5 लाख करोड़ एफडीआई लाने की बात कही है, बजट में डिफेंस, हाउसिंग और इंश्यरेंस में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है।

देश का वस्त्र उद्योग एक जमाने में विश्व का एक प्रसिद्ध उद्योग था। भारत में बने कपड़े की दुनिया के हर देश में सदैव मांग रहती थी। एक अंगूठी से कपड़े के कपड़े थान गुजर जाते थे। सरकार ने टैक्सटाइल के क्षेत्र में देश में 6 स्थानों, बरेली, लखनऊ, सूरत, कच्छ, भागलपुर और मैसूर में टैक्सटाइल मेगा कलस्टर के लिए 500 करोड़ रुपए दिये हैं दिल्ली

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में हथकरघा और जम्मू में कश्मीर में पश्मीना उत्पादन केन्द्रों के लिए 20 एवं 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये हैं। इस वस्त्र उद्योग के तकनीकी उन्नयन के लिए 2300 करोड़ की व्यवस्था की है।

देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने की पूरी संभावनायें हैं। देश में खाद्य उत्पादन, जो 2006-07 में 20.8 करोड़ टन था, वह आज 26.3 करोड़ टन हो गया हैं सरकार ने सिंचाई, अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा के लिए करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए रखे इससे कृषि उत्पादन को बल मिलेगा। 8 लाख करोड़ के लोग किसानों को दिये जाने का वायदा इस बजट में किया गया है, जो किसानों की दशा को सुधारने का काम करेगा। देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है। परंतु सरकार ने इस महंगाई पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि महंगाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और जमाखोरों के खिलाफ नये कानू भी आने चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति आयोजन के तहत 50,548 करोड़ और टीएसपी के अंतर्गत 32,387 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। 100 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन से जनजातियों के कल्याण के लिए वनबंधु कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

सरदार वल्लभभाई पटेल की विशालतम प्रतिमा के निर्माण का मिशन शुरू किया है। सरकार पटेल एकता के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। एकता प्रतिभा की स्थापना करने की गुजरात सरकार की इस पहल में सहायता करने के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि के निर्धारण के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। ग्रामीण आवास योजना ने ग्रामीण आवास निधि के जरिये ऋण लेने वाली ग्रामीण आबादी के बड़े भाग को लाभान्वित किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए वर्ष 2014-15 हेतु 8000 करोड़ का आवंटन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा है। पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के निकाय में महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए तथा पंचायतों/ग्राम सभाओं के क्षमता निर्माण के लिए 27 राज्यों के 272 पिछड़े जिलों में बीआरजीएफ कार्यान्वित की जा रही है।

देश का निर्यात बढ़ रहा है आज 313 अरब डॉलर का निर्यात हो गया है। देश में 566 विशेष निर्यात जोन का पंजीकरण हो चुका है, परंतु इसमें 185 ही काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह निर्यात जोन क्यों नहीं काम कर रहे हैं। इस बात का पता लगाये और इन निर्यात जोनों को चालू करवाये, जिससे देश के निर्यात को बढ़ाया जा सके। साथ ही देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत है और इसमें पढ़े लिखे एवं इंजीनियर भी है। यदि हम इन बेरोजगार लोगों के लिए विदेशों में रोजगार की व्यवस्था सरकारी स्तर पर करें तो हम इन बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकेंगे और काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर एवं साफ्टवेयर जानने वाले और कंप्यूटर पर काम करने वाले जो विदेशों में कार्यरत हैं, उन्होंने भारत का बड़ा नाम कमाया है। इस पद्धति को अन्य शिक्षा वाले क्षेत्रों में लागू किया जाये।

भारत के सकल उत्पाद की विकास दर आजकल 5 प्रतिशत है। चीन में 7.7 है। अमेरिका में 1.9 है। इस विकासोन्मुख बजट से आने वाले 15 सालों में हमारा देश तीसरे नवंबर पर होगा। देश में 6 सालों के दौरान बचत 5 प्रतिशत कम हुई है और इन्वेस्टमेंट भी एक साल में घटकर 35 प्रतिशत रह गया है। बचत एवं निवेश दोनों देश के विकास के लिए आवश्यक है। सरकार ने कम हो रही बचत दर और निवेश दर का गहनता के साथ अध्ययन किया है। सरकार ने उन सब बीमारियों का पता लगाया है जो देश को बीमार कर रही थी और उसके लिए इलाज की व्यवस्था की है, उससे देश की हालत सुधरेगी।

वित्त मंत्री द्वारा उजो जनरल बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री चंदूलाल साहू (महासमन्द) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रस्तुत बजट अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है। भारत देश शुरू से ही अध्यात्म, कला, संस्कृति, दर्शन और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आज हम इस स्थिति में हैं कि अगर हमें किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करना हो तो बाहर से सामान मंगाना पड़ता है। वित्त मंत्री जी ने इसीलिए देश में पांच-पांच आईआईटी और आईआईएम खोलने की बात कही है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है।

इस बजट में किसानों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। इस बजट में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, संबंधित प्रदेशों से सहमति लेकर उन्हें जोड़ने का काम करने का भी प्रावधान किया गया है। यह किसानों के हित में है। आज देश में 71 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण किसान कई जगहों पर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। किसान के बारे में पुरानी कहावत है कि किसान

कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। इससे निजात पाने के लिए जरूरी है कि हम सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दें। आज देश में सिंचाई की सुविधा जो 30-35 प्रतिशत क्षेत्र तक सीमित है, उसे कैसे बढ़ाकर 70-75 प्रतिशत किया जाए, इस पर प्रयास होना चाहिए। अगर यह हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा।

आज भू जल का स्तर गिर रहा है। ऐसी स्थिति में जो नदियों को जोड़ने की व्यवस्था करने की बात है, वह वास्तव में सराहनीय है। आज देश में बाढ़ की संभावना कहीं-कहीं पर है, लेकिन सूखे की आशंका काफी है। इससे फसल सही नहीं हो पाएगी, यह अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए इस बारे में भी पर्याप्त व्यवस्था करना जरूरी है।

अब मैं अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगों के बारे में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र महासमन्द में छूरा विकास खंड, जो ट्राइबल विकास खंड है, उसमें एक महत्वपूर्ण बांध लगभग 25 साल से लंबित है। पीपरछड़ी बांध की फाइल पर एनओसी नहीं मिलने की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है, उसे स्वीकृति दी जाए। इसके साथ-साथ रायपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है, उसे सुदूर बस्तर अंचल से जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। रायपुर से लेकर धमतरी तक फोर लेने की स्वीकृति दी जाए। धमतरी शहर में एक बाईपास सड़क की स्वीकृति दी जाए। इसके साथ-साथ महासमन्द शहर की घनी आबादी हो गई है, वहां पर बाईपास सड़क का निर्माण बरसों से किया जा रहा है, राज्य सरकार से इस बारे में प्रस्ताव पास करके भेजा चुका है। तो महासमुद्र में भी और बागबाड़ा में भी बाई-पास रोड की स्वीकृति दी जाए। इसके साथ-साथ जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, एक रत्नपुर से लेकर पेंडरा-अमरकंटक जाने वाली सड़क है फाइल एनओसी के अभाव में लटका हुआ है। विद्युत-का लाइन है, सिंचाई का बांध बनना है इसमें फाइल एनओसी के अभाव में लटका हुआ है। पूर्व सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि जितने भी फाइल एनओसी के लिए लटका हुआ है, उसे स्वीकृति दी जाए, जिससे बहुत से निर्माण कार्य, बांध के कार्य शुरू हो जाएं, जिससे सुविधा मिल जाए।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है, निश्चित रूप से हमारी बहने अशिक्षित रह जाती हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। निर्भया कांड की पुरारावृत्ति न हो, इसीलिए 150 करोड़ रुपए की विशेष रूप से व्यवस्था की गयी है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

गांव का विकास बहुत जरूरी है, हमने 100 स्मार्ट शहर बसाने के लिए इसमें व्यवस्था की है लेकिन गांव के विकास की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। इसलिए गांव में भी शहरों की तरह की सुविधाएं दी जाएं। इसके साथ-साथ हर गांव में कम से कम 10-15 तालाब हैं जिन्हें कम से कम 10 फीट गहरा किया जाए और इसके लिए हरित-सरोवर योजना लागू की जाए। उस तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जाए जिससे उस स्थान और तालाब का सौंदर्यकरण हो जाए। ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन्हें समझकर किया जाए। अंत में मैं बजट का समर्थन करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री राहुल कस्वां** (चुरू) : माननीय सभापति महोदय, आपने सामान्य बजट पर विचार रखने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं, मैं सामान्य बजट 2014-15 का समर्थन करता हूं। तमाम अंदेशों के बावजूद यह बजट राहत भरा है। आम बजट के जरिए देश की जनता को कहीं कड़वी दवा नहीं दी गई। वित्त मंत्री जी ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद समाज के हर तबके को कुछ न कुछ देने का काम किया है वे साथ ही साथ सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने की हर संभव कोशिश की है। आम बजट के जरिए नई सरकार ने सुधार की जो तस्वीर पेश की है, वह प्रभावी दिख रही है। महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत प्रदान करने की कोशिश की गई है, यह बजट देश को विकास और समृद्धि के शानदार रास्ते पर ले जाने वाला बजट है, सरकार द्वारा पहले आम बजट में देश की तस्वीर और तकदीर, देश की आर्थिक सूरत बदलने, बुनियादी क्षेत्र की नींव मजबूत करने की पूरी कोशिश की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों की एक रैंक-एक पेंशन की मांग की ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन किया है, इससे लाखों भूतपूर्व सैनिकों को फायदा होगा। देश की 60 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न है। 13 लाख कर्मचारियों वाली रेल के लिए देश में अलग से बजट का प्रावधान है, लेकिन कृषि क्षेत्र से करोड़ों की आबादी जुड़ी है, उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था में जो दुर्दशा किसान की है, वैसी ही स्थिति कामगारों, कारीगरों की है। नई सरकार ने इस बार किसान को राहत देने का काम किया है। नई सरकार से अब आशा है कि कृषि की उपेक्षा बंद होगी। सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 11 हजार करोड़ से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। आम बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता मिलने से किसानों व ग्रामीण क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खेतीबाड़ी के जोखिम को कम करेगी, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कृषि क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को बजट में तवज्जो देने का ऐलान किया गया है। मनरेगा के लिए 34000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मनरेगा का वर्तमान स्वरूप किसी को भी राहत नहीं दे रहा है, इसे किसान के कार्यों के साथ जोड़ा जाए। इस स्कीम के तहत वाटर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हारवेस्टिंग पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस योजना के तहत रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाए। आज ग्रामीण क्षेत्र में 40-40 किलोमीटर तक रेल समपार/रेल अंडर ब्रिज नहीं है, ग्रामीण अपने खेत में ऊंट गाड़ी तक नहीं ले जा पा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में इस योजना के तहत पहले भी रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन बाद में भारत सरकार के निर्देश से मजदूरी और सामग्री का जो औसत 60:40 प्रतिशत का संधारण जिला लेवल पर होता था, उसे पंचायत स्तर पर करने के कारण आओबी के कार्य बंद हो गए। मेरा निवेदन है कि श्रम एवं सामग्री रेशो पूर्व की भांति जिला स्तर पर ही किया जाए। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के लिए 2823 करोड़ का आवंटन किया गया है, इसे बढ़ाया जाए। इस योजना में काफी विसंगतियां हैं, इससे किसान के हितों की रक्षा के स्थान पर कंपनियों के हितों क़ी रक्षा की जा रही है। वर्ष 2013-14 में भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा प्रीमियम को बढ़ाने का कार्य किया है। प्रीमियम 200 रुपए प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 528 रुपया प्रति हेक्टेयर किया गया है, इसे 200 रुपए प्रति हेक्टेयर ही रखा जाए। 2013-14 में फसल बीमा कंपनियों ने तापमान के पैमाने में संशोधन करते हुए चुरू में तापमान की शर्त-2 डिग्री से बढ़ाकर - 2.7 डिग्री कर दी है, यह एक कठोर शर्त है, इतने माइनस तापमान के स्थान पर -0 डिग्री के तापमान को आधार माना जाए, अन्य जिलों पर -0 डिग्री पर ही पूरा क्लेम दिया जा रहा है। तापमान के इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। इनका कंट्रोल हैदराबाद से हो रहा है। कंपनियां अपने हिसाब से तापमान रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रही हैं। यह एक गंभीर अपराध है। कृषि ऋण का लक्ष्य 8 लाख रुपए किया गया है, सरकार का यह स्वागतयोग्य कदम है लेकिन किसान को केसीसी व अन्य लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंक कर्मचारी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसान भीख मांग रहा है। इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है। लोन लेने के लिए किसान को एजेंट का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में महलाना उत्तरादा गांवों के लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, शाखा सादुलपुर, जिला चुरू में केसीसी व अन्य लोन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बैंक मैनेजर, कैशियर द्वारा पार्टी को पैसा नहीं देकर एजेंट को भुगतान किया गया है, उसमें किसानों का लगभग 7.00 लाख रुपए का कम भुगतान हुआ है। आज भी यह प्रकरण पुलिस के पास विचाराधीन है।

देश भयंकर सूखे की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान की हालत और भी चिन्ताजनक है। सबसे ज्यादा चिन्ता पशुधन को बचाने की है। राजस्थान सरकार को इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में पीने के पानी का विकट संकट है। इसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 14000 करोड़ का आवंटन किया गया है। उक्त योजना में सरकार द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में 250 की आबादी वाले गांवों को जोड़ा जाना है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आज भी ऐसी काफी बस्तियां हैं, जिनकी आबादी 250 से भी ऊपर है, लेकिन रेवेन्यू विलेज नहीं होने के कारण उन्हें नहीं जोड़ा जा रहा है। इन बस्तियों को जोड़ा जाए एवं 100 की आबादी वाले बस्तियों को भी जोड़ा जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र के चुरू, रतनगढ़ व सरदार शहर में हैंडिक्राफ्ट का कार्य बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है इस प्रोत्साहन दिया जाए। 1981 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच पानी बंटवारे का जो समझौता हुआ था, उसका पालन आज तक नहीं किया गया है। राजस्थान के हिस्से का पानी दिलवाया जाए एवं पक्के नालों के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : सभापति महोदय, मैं सामान्य बजट का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि अल्पसंख्यकों के उत्थान की हर योजना को तुष्टीकरण बताते हुए सत्ताधारी दल उसका विरोध करता रहा है।

मैं कुछ अनुभवसिद्ध आंकड़ों के जरिए उन्हें आलोकित करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि इन अनुभवसिद्ध आंकड़ों से भी तुष्टीकरण वाली उनकी राय में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इन्हें जानने के बाद उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा।

योजना आयोग के अनुसार, गरीबी संकेतक कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 12.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 27.9 प्रतिशत मुस्लिम लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। क्या यह तुष्टीकरण है?

महोदय, आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। 35 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का बीएमआई 18.5 प्रतिशत से कम है और 54.7 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं। ये योजना आयोग के आंकड़े हैं। मुस्लिम बच्चों की बात करें, तो शिशु मृत्यु दर 52.4 प्रतिशत है; जन्म के समय पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर 70 प्रतिशत तक है। महोदय, यदि आप इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2011 को पढ़े, तो उसमें लिया है कि मुस्लिम या तो भूमिहीन हैं या सीमांत भूस्वामी हैं।

महोदय, एनएसएसओ सर्वेक्षण के मुताबिक, हिन्दू, ईसाई और सिखों की तुलना में मुसलमानों का प्रति व्यक्ति व्यय कम है। एनएसएसओ के सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि अन्य धर्मों के मुकाबले मुस्लिम धर्म में बेरोजगारी ज्यादा है। क्या यह तुष्टीकरण है?

अब इसे उस बजट के साथ मिला दीजिए, जो अल्पसंख्यक कार्यों के लिए घोषित किया गया है...*(व्यवधान)* अगर आप बोलना चाहते हैं, तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं इसका जवाब दूंगा मैं आपको जवाब दूंगा...

(व्यवधान) मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे अगले 24 घंटे तक बहस कर सकता हूं। आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे।

सभापति महोदय, इसे उस बजट के साथ मिला दीजिए, जो अल्पसंख्यक कार्यों के लिए घोषित किया गया है, आप देखें कि बजट क्या है। यह कुल बजट का 0.21 प्रतिशत है; अल्पसंख्यक कार्यों के लिए जीडीपी का प्रतिशत 0.03 प्रतिशत है। यह क्या है? यह दिखावा है। क्या यह तुष्टीकरण है?

महोदय, सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मैं आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि 'आधुनिकीकरण' शब्द संरक्षण वाला है। आप केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 'आधुनिकीकरण' शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप हमारी धार्मिक शिक्षा में हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं? इसमें दखल न दें...*(व्यवधान)* सुन लीजिए। मैं अपना नजरिया रखना चाहता हूं। हमें यह मदरसों का आधुनिकीकरण नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट और शिक्षा विकास सूचकांक रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि इस वर्ष प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम छात्रों का नामांकन 14.20 प्रतिशत से बढ़कर 14.35 हुआ है; प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर यह आंकड़ा 12.11 प्रतिशत से बढ़कर 12.52 हो गया है। मुस्लिम पढ़ना चाहते हैं। आपको उन्हें मौका देना होगा। इन मदरसों को हम पर छोड़ दें। हम अपने इमाम बना लेंगे; हम अपने खतीब बना लेंगे; हम अपने मोहादिस बना लेंगे। हम नहीं चाहते कि आप हमें 100 करोड़ रुपए दें। गृह मंत्री जी को कहने दें कि कितने मदरसे हैं। आप इस 100 करोड़ रुपए को उनमें बांट दे। एक मदरसे के हिस्से सिर्फ 15 रुपए आएंगे। आप हमारे लिए स्कूल खोलिए।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की बात करें, तो इसके लिए भी नाममात्र की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुस्लिम बच्चे टायर पंक्चर लगाने वाली दुकान पर काम करते हैं; उसके पिता भी टायर पंक्चर लगाने वाली दुकान पर काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह रूढ़िवादी धारणा है। ऐसे मुस्लिम युवा भी हैं, जो मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हमें संरक्षित न करें और न हमें रूढ़िवादी धारणा में बांधें।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की बात करें, तो आंकड़े बताते हैं कि एक छात्रवृत्ति के लिए 11 मुस्लिम बच्चे लाइन में लगे है। यह अपने आप ही साफतौर से साबित करता है कि मुस्लिम समुदाय में काफी ज्यादा बदलाव आया हैं वो उच्च तौर पर शिक्षित होना चाहते हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में मुझे एक बात समझाइए। आप अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देते हैं। इसकी राशि 760 करोड़ रुपए है। लेकिन जब अल्पसंख्यकों की बात आती है, तो यह राशि बमुश्किल 300 करोड़ रुपए है। क्या यह तुष्टिकरण नहीं है? क्या यह दिखावा नहीं है? इस देश में, 100 स्नातकों में से, महज तीन ही मुस्लिम स्नातक हैं। क्या यह सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि वह मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में इजाफा करे और इसे योग्यता-सह-साधन और मांग अनुरूप बनाएं? इसे मांग-प्रेरित बनाएं। मैं आरक्षण नहीं मांग रहा हूं। इसे मांग-प्रेरित बनाने से आपको कौन रोक रहा है।

अब, एमएसडीपी की बात करें, तो यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना थी लेकिन दुर्भाग्यवश, अब, इसे राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता बना दिया गया है। कौन सी राज्य योजना इस राशि को अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रयोग करना चाहेगीत्र पूर्व सरकार ने, काफी अनुनय विनय के बाद 710 खंड और 66 शहर शामिल किए थे। यदि आप इसे 1250 से भाग करे, तो यह 1 करोड़ प्रति शहर या प्रति खंड होता है। इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है? इससे, या तो एक विद्यालय बनाया जा सकता है या एक आईटीआई या एनआरएचएम बनाया जा सकता है। मैं इसे सरकार की बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूं।

महोदय, आप 15- सूत्रीय कार्यक्रम की बात करे। इस सरकार को स्पष्ट करने दे। क्या वे प्रधानमंत्री इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रति समर्पित है या नहीं? मैं कहना चाहूंगा कि यह 15 सूत्रीय कार्यक्रम एससी उपयोजना और एसटी उपयोजना की तर्ज पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हम 550 करोड़ रुपए की यह हज चार्टर राजसहायता नहीं चाहते है। भगवान के लिए इसे वापस ले लिजिए। हम यह हज राज सहायता नहीं चाहते है। आप मुस्लिम महिलाओं को छात्रवृत्ति दीजिए। हम चाहतें है कि हमारे बच्चे पढ़े। हम यह राजसहायता नहीं चाहते। भगवान के लिए इसे बंद कर दीजिए। यह सांकेतिक है; किसी को खुश करने के लिए नहीं है।

महोदय, वित्त मंत्री जी बड़े ही वर्ग से दावा किया कि वह नई योजना की घोषणा कर रहे थे - कला, संसाधन और माल में परंपरागत कौशलों का उन्नयन। लेकिन बजट दस्तावेजों चाहे वो अल्पसंख्यक हेतु हो या अन्य हैड में इसका कुछ भी वर्णन नहीं है। क्या यह मात्र एक घोषणा है जो कि गई थी? यहां क्या हो रहा है?

महोदय, उनका घोषणापत्र ऊर्ई भाषा के संरक्षण के बारे में बात करता है। लेकिन उनके एचआरडी दस्तावेजों में, उन्होंने ऊर्ई शिषकों की नियुक्ति के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। ये क्या है? क्या ये संतुष्टिकरण है? क्या यह मात्र संकेत नहीं है?

महोदय, माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं? एमएचए का बजट 65,000 करोड़ रुपए है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा। यह किस प्रकार

का संघवाद है? सरकार ने तेलंगाना सरकार को एक योजना यह कह कर भेजी कि हैदराबपाद शहर प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। क्या यह संघवाद के प्रतिकूल नही हैं? क्या यह विरोधाभासी नहीं है कि यह पार्टी हमेशा कहती है कि हैदराबपाद को कानून और व्यवस्था राज्यपाल द्वारा चलाए जाएंगे? महोदय, यह असंभव है।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या रक्षा बजट में, वे एमएमआरसीए सौदे को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। इससे, लागत बढ़ गई है।

महोदय, निष्कर्षत:, मैं एक प्रख्यात अर्थशास्त्री ने जो कहा था उसे उद्धृत करना चाहूंगा, जो कि कभी एनडीए सरकार के वित्त मंत्री के वित्तीय सलाहकार थे। उन्होंने एक समाचारपत्र में यह कहकर अपना लेख समाप्त किया था: अच्छे दिन दूरस्त।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : माननीय सभापति जी, कल से बजट पर चर्चा चल रही है। अनेक टिप्पणियां आई हैं और अनेक टिप्पणियां बताई गई हैं जो अखबारों में छपी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि इसमें विजन नहीं है। किसी ने कहा कि नयी बात नहीं है। जिनको विजन की समस्या है, उनको वह नहीं दिखाई देगा, ऐसा मैं मानता हूं।

मैंने अनेक बजट सुने हैं। मैंने देखा है कि किस प्रकार से वोट बैंक का हिसाब लगाकर योजनाएं बनाई जाती हैं। मैंने यह भी देखा है कि कैसे गेम चेंजर कोई मिल जाए तो कैसे डूबती नाव को कोई बचा ले, इस प्रकार का प्रयास पहले वित्त मंत्री करते रहे थे। मैं इस बजट की दो छोटी छोटी नयी बातें बताना चाहता हूं। यह वोट बैंक का बजट नहीं है। यह पूरे देश का बजट है जिसके अंदर पूरे क्षेत्र का और सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह काम्प्रीहेंसिव और ऑल इंक्लूसिव बजट है। यह गेम चेंजर भी नहीं है। यह फेट चेंजर है। इस बजट से हिन्दुस्तान का भाग्य बदलेगा और किसी प्रकार का गेम चेंचिंज प्लान इसके अंदर नहीं है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

दरअसल समस्या नीति की केवल नहीं है। कल से बहुत चर्चा हुई है तथा नीति भी बहुत बदली गई है। सवाल नीयता का भी है। केन्द्र सरकार ने सोलर एनर्जी के जनरेशन के लिए योजना बनाई। राजस्थान और गुजरात दोनों प्रदेशों के अंदर सोलर बिजलीघर निर्माण होने थे। हम सब जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से गुजरात और राजस्थान की परिपस्थितयां एक समान हैं। समान रूप से वहां पर सोलर एनर्जी का प्लांट लग सकता था। फर्क यह था कि गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी थे। दो साल पहले 500 मेगावाट का सोलर एनर्जी का जो बिजलीघर है, वह देश को समर्पित किया जा चुका है। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में दामाद जी ने एंट्री ले ली। दामाद जी की एंट्री का एक कमाल यह हुआ कि आज तक वहां पर किसी प्रकार का सोलर एनर्जी के उत्पादन का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे जो मित्र हैं, वह दामाद जी की रक्षा करते रहे और देश की जनता ने देश को दामाद जी से बचाने का निर्णय कर दिया और भाजपा के नेतृत्व में यहां पर एनडीए की सरकार आ गई।

कृषि और गांव, गांव और किसान देश की प्रगति की अमृतकलश, यह वहां बसता है। वित्त मंत्री जी ने इसकी पर्याप्त चिन्ता की है। जब तक किसान को उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होगा तब तक किसान की और देश की समस्या हल नहीं होगी। मैं चलते-चलते एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 2010 के अंदर जो मिनिमम प्राइस था, उचित और लाभकारी मूल्य जो था, उसमें गन्ने का मूल्य तय किया गया। वह 129 रुपये 84 पैसे था। बाद में 10 रुपए बढ़ाकर 139 रुपए बारह पैसे किया गया। इसमें 7 तत्व थे। जमीन, बीज, खाद की लागत इत्यादि भी इसमें थी। मैंने मंत्रालय से इस विषय में पूछा कि आपने रकम कैसे प्राप्त की, आप इसका विवरण बताइए। विवरण पूछने पर मुझे जो उत्तर मिला, मैं आज उसको कोट करना चाहता हूं, जो 2010 का जो उत्तर है, *[अनुवाद]* "संसदीय ग्रंथालय में उपलब्ध स्रोतों से कुछ महत्वपूर्ण पता नहीं चल पाया। मामले को संबंधित मंत्रालय को भेजा गया है और हम इसे प्राप्त करते ही आपको जानकारी दे देंगे।"

[हिन्दी]

यानी किसान के गन्ने का दाम तय करते हुए बड़ी बाराकी से बताया गया कि 129.84 नये पैसे, 139 रुपए बारह पैसे लेकिन इसका डिटेल उनके पास नहीं है। किसान के उत्पाद के दाम के प्रति जब तक इस प्रकार की लापरवाही रहेगी तब तक किसान का भला नहीं होगा। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि उसको ठीक करें।

मेरे यहां चौधरी चरण सिंह जी का जन्मस्थान है। मैं इसके लिए भाग्यशाली हूं। चौधरी साहब इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनका जन्मस्थान हापुड़ के पास नूरपुर मडैया एक छोटा सा गांव है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति महोदय : अब छह बज चुके हैं। हमारे पास बोलने वाले सदस्यों की लंबी सूची है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : यहां कितने सदस्य हैं?

सायं 6.00 बजे

माननीय सभापति महोदय : अभी कई सदस्यों को बोलना हैं इसलिए, मैं सुझाव दे रहा हूं कि यदि सदन को लगता है, तो हम 'शून्य काल' परिचर्या को 8 बजे शाम तक बढ़ा सकते हैं। आम बजट पर परिचर्या शाम 7.30 बजे तक पूर्ण हो जाएगी। तत्पश्चात् हम 'शून्य काल' को शुरू कर सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : शाम '8' बजे तक, आप परिचर्या जारी रख सकते हैं, क्योंकि हर कोई आम बजट पर बोलना चाहता है।

माननीय सभापति : ठीक है शाम 8 बजे तक, हम देखेगें क्या स्थिति है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : आप कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का फूड प्रोसेसिंग अनुसंधान केन्द्र बन जाए। यह उनके लिए श्रद्धांजलि होगी और क्षेत्र के किसानों को इससे लाभ होगा। आईटी हार्डवेयर की स्थिति बहुत खराब है, मैं पिछली सरकार के पूरे आंकड़े नहीं देना चाहता हूं जो पैसा एलॉट किया गया वह खर्च नहीं हुआ। यदि आईटी हार्डवेयर का उत्पादन नहीं होगा तो सुरक्षा के गंभीर खतरा होगा।

उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य हैं एक आईआईएम, एम्स या आईआईटीर से काम नहीं चलता है। मैं मानता हूं कि संसाधनों की कमी है, पिछली सरकारों की योजना की कमी है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरठ (पश्चिम उत्तर प्रदेश) में अगले एक या दो साल बाद इस प्रकार के संस्थान खोलने का काम प्रियारिटी में रखें। एनसीआर में पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत प्रमुख केन्द्र है। राजस्थान, हरियाणा का विकास हुआ लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ, खास तौर से मेरठ का विकास नहीं हुआ। मेरी प्रार्थना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ का ठीक गति से विकास हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए बजट प्रस्तावों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत के लोग नए बजट प्रस्तावों या राजग द्वारा बनाई गई नई सरकार से नए बजट भाषण को सुनने के लिए काफी उत्सुक थे। लोगों को नए बजट प्रस्ताव से बहुत उम्मीदें और आशाएं थीं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 16वीं लोकसभा के चुनावों का प्रचार किया गया था, लोग अनुमान लगा रहे थे कि बजट में कुछ नया आएगा। भाजपा एक अलग दल है और श्री नरेन्द्र मोदी जी अलग चरित्र के व्यक्ति है। लोगों ने चुनावी घोषणापत्र नारों और प्रचारकों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विश्वास किया।

महोदय चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा दिए गए आश्वासनों में विश्वास करते हुए, लोगों ने भाजपा को वोट दिया। उन्हें 283 सीटें मिलीं और एक बहुमत वाली पार्टी के रूप में उभरी। यह भारत में गठबंधन राजनीति के डेढ़ दशक के पश्चात हुआ है। अत: लोकसभा में बजट घोषणा करते और पढ़ते समय क्या हुआ, हवा निकले हुए गुब्बारे की तरह सारी उम्मीदें और आशाएं गायब हो गई हैं। यह हुआ क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, बजट में कोई नवप्रवर्तनकारी चीज नहीं है। बजट में दूरदृष्टि नहीं हैं। बजट में कोई नया कार्यक्रम या नई योजना नहीं है। बजट में कोई दूरदृष्टि नहीं है। बजट भाषण लंबा था परंतु इसने कुछ नया नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत के लोगों की उम्मीदें और आशाएं टूट चुकी हैं, जिन्होंने भाजपा के प्रचारक श्री नरेन्द्र मोदी जी, को भिन्न योग्यता वाला व्यक्ति समझा। उन्होंने उम्मीद की कि इस बजट में कुछ नया आएगा, परंतु इसने समूचे मतदाताओं को निराश किया है। जिन्होंने इस सरकार के लिए मत दान किया। वर्ष 2014-15 के लिए बजट घोषणा का यह परिणामी प्रभाव है।

महोदय, अर्थव्यवस्था के अधिकांश आलोचकों ने पहले ही इसका वर्णन कर दिया है कि यह यूपीए बजट का अनुवर्ती है। मुझसे पहले दूसरी तरफ से कुछ विद्वान मित्र दलील दे रहे थे कि यदि यह यूपीए का बजट है, यदि इसकी समानता यूपीए के बजट से है, तो क्यों आप इसका समर्थन नहीं करते हो? महोदय अर्थव्यवस्था के आलोचकों में से एक ने इसे केसरिया मोहर वाला यूपीए का बजट बताया। यह उद्धरण या वर्णन वह है जो एक आर्थिक विशेषज्ञ द्वारा दिया गया है। इस बजट में अधिकांश चीजें आम बजट से मेल खाती हैं, जो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा घोषित किया गया था। इसे जांचते हैं। समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। जब हम आम बजट और अंतरिम बजट दोनों में वित्तकोषीय घाटों संबंधी ब्यौरों के बारे में जानते हुए, यह उल्लेख किया गया है कि इसे कुल सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा और राजस्व घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद के 2.9 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। सरकारी परिव्यय संबंधी, अंतरिम बजट में यह कुल सकल घरेलू उत्पाद का 13.4 प्रतिशत प्रस्तावित है और नियमित बजट में 13.9 प्रतिशत प्रस्तावित है। मात्र 0.1 प्रतिशत का अंतर है। विनिवेश आय संबंधी, जो सरकार इस बजट से या अंतरिम बजट से उम्मीद करती है या अनुमान लगाती है, ज्यादातर समान है। और इस बजट

में 18 अग्रणी कार्यक्रम घोषित किए गए हैं जो अंतरिम बजट में भी थे। तीन कार्यक्रमों - पीएमजीएसवाई, एआईबीपी और एसएसए के अलावा - सभी अन्य 15 अग्रणी कार्यक्रमों में, बजट आवंटन प्राय: समान है। तो मैं सत्ता पक्ष से जाना चाहूंगा कि अंतर क्या है। क्या यह एक अंतर वाला दल है? क्या वे एक भिन्न योग्यता वाले नेता हैं?

बीजेपी के नेतृत्व में बनी नई राजग सरकार का आर्थिक दर्शन क्या है? नीति तुलना करते समय, इस सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति क्या है? पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान रक्षा क्षेत्र में 126 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी। अब यह 100 प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। बीमा क्षेत्र में, यह 26 से 49 प्रतिशत तक बढ़ रहा है। रेलवे में भी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया है। तत्कालीन रक्षा मंत्री, श्री ए.के. एंटोनी ने विशिष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यह खतरनाक है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए विनाशकारी है। यदि आप रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई अनुमत्त कर रहे हो। यह निश्चित रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि औद्योगिक इकाईयों चार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में आ जाएगी और ये कंपनियां विश्व की चार बड़ी शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जा रही है। इसका अर्थ है कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। इस संबंध में स्वदेशी जागरण मंच का नारा क्या है? डॉ मुरली मनोहर जोशी कहां हैं? उन्होंने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के विरुद्ध लड़ाई में वामपंथी दलों के साथ हाथ मिलाए थे। रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई के बारे में आपका क्या विचार है? मैं मानता हूं कि अभी स्वीकार करता हूं, यह 49 प्रतिशत है और इसे 100 प्रतिशत करने की घोषणा की जाएगी। इसलिए नीति-वार भी यह अंतर काफी सीमित या आंशिक कहा जाएगा।

मैं बीमा के संबंध में एक बात इंगित करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1955 से हमारे देश की राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया में काफी अहम भूमिका निभाई है। इसने देश में बीमा कवरेज सहित आर्थिक वृद्धि में काफी अच्छा काम किया है। हम 49 प्रतिशत तक एफडीआई आमंत्रिक कर रहे हैं? भारत में बीमा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में निजी कंपनियों, विशेषकर एमएनसी का क्या अनुभव हैत्र? माननीय वित्त मंत्री को निजी बीमा कंपनियों के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा करनी है।

भाजपा के निर्वाचन घोषणापत्र के संबंध में और जो काम किए गए हैं, यूपीए के विरुद्ध इनके घोषणापत्र में लगाया गया विशिष्ट आरोप था:- मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार और नीति संकट। इसे यूपीए के कमजोर शासन के रूप में भी वर्णित किया जाता हैं इस बजट में क्या किया जा रहा है? इस बजट में क्या नई और नवाचारी चीजें की गई हैं?

मैं एक और बात सामने रखना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री भी यही हैं। चुनाव अभियान के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी जी का मुख्य नारा था "मैं देश में काला धन वापस लाऊंगा भाजपा घोषणापत्र अनुसार:

"भाजपा, विदेशी बैंकों और विदेशी खातों में जमा काले धन का पता लगाने और वापस लाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रतिबद्ध है।" अब माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के शब्द क्या हैं? इसमें कहा गया कि: "हम काले धन की समस्या को हल करेंगे, जोकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है।" इसका अर्थ है कि यह माननीय मंत्री द्वारा केवल शैक्षणिक टिप्पणी मात्र है, और काले धन को समाप्त करने या हमारे देश में काले धन को वापस लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक आप आर्थिक नीतियों की समीक्षा नहीं करेंगे - इस देश में 1991 से प्रारंभ ये नव-उदारवादी आर्थिक सुधार - से आप इस देश के लोगों की भलाई नहीं कर सकेंगे और जनता द्वारा कोई अंतर महसूस नहीं किया जाएगा। इसलिए, मैं इस बजट का विरोध करता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला) : माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा हाल ही में 2014-15 के लिए आम बजट पेश किया गया है, स्वागतयोग्य है। यूपीए की सरकार ने जिस तरह से गत 10 वर्षों से देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल किया है उसे पटरी पर लाने के प्रयास किए गए हैं। हालाकि अभी स्थिति को सुधारने में समय लग सकता है, परंतु फिर भी आगामी 8 महीनों के लिए ताकि आने वाले वर्षों में देश को किस दिशा में आगे ले जाना है उसके एक रोडमैप के रूप में इसकी झलक नजर आ रही है।

रोजगार बढ़ाने के लिए मैनुफैक्वर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को आने वाले दिनों में अधिक रोजगार उपलब्ध होने के आसार ज्यादा है। इसी प्रकार 100 स्मार्ट शहरों की स्थापना के लिए 7060 करोड़ रुपए के माध्यम से शहरों की ओर बढ़ रही आबादी की समस्या उका समाधान हो सकेगा। गांवों में किसान अपनी भूमि का पूरा सदुपयोग कर सके इसके लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना से गांवों में अधिक खुशहाली आएगी। समाज के बुजुर्गों के लिए 'वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना' की शुरूआत के लिए 6095 करोड़ रुपए का कोरपस रखा गया है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विकास की उप-योजनाओं में धन का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति की उप-योजना में 50,548 करोड़ रुपए व जनजाति उप-योजना के लिए 32,387 करोड़ रुपए का प्रावधान करके इन वर्गों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। सभी घरामें में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो उसके लिए 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' की शुरूआत की गई है जिसके लिए 500 करोड़ रुपए को रखा गया है। शिक्षा बेहतर हो और अच्छे अध्यापकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से योजना को चलाया जायेगा उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए से शुरूआत की जाएगा ताकि अध्यापकों की ट्रेनिंग समय समय पर होती रहे। 5 आईआईटी तथा 5 आईआईएम द्वारा अच्छे संस्थानों की स्थापना हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए भी एक आईआईएम देने की घोषणा की गयी है जिसका प्रदेश में भरपुर स्वागत किया गया है। इससे पहाड़ी प्रदेश के बच्चों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। किसानों के लिए ऋण अधिक सुविधाजनक तरीके से मिल सके। इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए समय से ऋण अदायगी पर 3 प्रतिशत का लाभ मिल सकेगा। सड़कों के निर्माण में भी काफी राशि रखी गयी है ताकि आवागमन का माध्यम अच्छा व प्रभावी तथा अधिक आधुनिक हो सके। इसमें 5000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है जो कि अंतरिम बजट में 25000 करोड़ रुपए थी। किसानों की उपज के अच्छे भंडारण की व्यवस्था के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में आगामी दिनों में 8500 कि.मी. सड़कों के निर्माण हेतु एनएचएआई के माध्यम से 37,880 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई लाकर एक अच्छा निर्णय लिया गया है क्योंकि जब तक हमारे देश में रक्षा उपकरण बनने शुरू नहीं होंगे तब तक हम आत्म निर्भरता की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। इस तरह हमारे साईंटिस्टों द्वारा रक्षा के सभी उपकरण यदि यहीं बनना शुरू हो जाएंगे तो अरबों का बजट जो देश से बाहर चला जाता है वह बच सकेगा।

आयकर दाता के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अब वरिष्ठ नागरिकों जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, को 3 लाख रुपए तक टैक्स में छूट होगी जबकि अन्य सभी को 2.50 लाख रुपए तक की छूट है। 80सी के अंतर्गत अब 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट होगी तथा हाउसिंग लोन में भी अब यह छूट 2.0 लाख रुपए तक होगी। यह भी स्वागत योग्य है। नशे वाली वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने से नि:संदेह लाभ होगा तथा इससे आने वाली आमदनी से स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में योजनाएं बनेगी तो देश के लोगों को लाभ होगा।

मैं वित्त मंत्री जी से हिमाचल प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछली यूपीए की सरकार ने प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है कि जो अटल जी ने इस पहाड़ी प्रदेश को दस वर्ष के लिए 'औद्योगिक पैकेज' दिया था उसे कम कर दिया था और जिसके कारण वहां के लाखों युवाओं को जो रोजगार मिल रहे थे वह बेरोजगार हो गए हैं। अरबों का निवेश उद्योगों के माध्यम से हो रहा था उस पर लगाम लगी है। जो उद्योगपति वहां निवेश करना चाह रहे थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि इस ओर अवश्य ध्यान दें कि क्या यह पैकेज 2020 तक बढ़ाया जा सकता है। यदि यह होता है तो लाखों युवाओं के लिए वहां रोजगार के पुन: दरवाजे खुलेंगे। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां सेब काफी मात्रा में होता है। वहां के बागवान की आर्थिक स्थिति इस पर निर्भर करती है। प्रदेश की आर्थिकी में भी इसका काफी महत्व है। गत कुछ वर्षों से सेब बाहर से काफी मात्रा में आ रहा है। इसलिए यहां के सेब उत्पादकों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अत: मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि सेब को स्पेशल केटेगरी में लाकर उस पर आयात शुल्क 100 प्रतिशत किया जाए।

कुल मिलाकर मौजूदा बजट जो मात्र 8 महीने के लिए ही बना है परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादे अपने आम चुनाव के दौरान लोगों के सामने किए थे, उस दिशा में वित्त मंत्री जी ने खराब आर्थिक स्थिति होते हुए भी पूरी कोशिश की है कि उससे आने वाले दिनों में देश को लाभ पहुंचे तथा देश आगे की ओर चले।

[अनुवाद]

श्री सुरेश सी अंगड़ी (बेलगाम) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आम बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं सरकार को एक आधुनिक प्रगतिशील और वृद्धि-उन्मुखी तथा वर्ष 2014 में लोगों के हितों वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। यह वस्तुत: एक संसूचक है, जिसमें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के अग्रपथ पर हमारे देश को प्रगति करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

आज सुबह मुलायम सिंह जी बोल रहे थे कि बुरे दिन चालू हो गए हैं। अभी-अभी शाम को मालूम पड़ा कि बारिश आने से दिल्ली में अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे प्रिय मित्रों अभी सुबह ही श्री मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि अच्दे दिन नहीं आएंगे। बारिश आने से आज दिल्ली में अच्छे दिन प्रारंभ हो गए हैं।

हमारे देश में समाज के शिक्षित और अशिक्षित वर्ग दोनो में अनेक बेरोजगार युवा हैं। वर्तमान रोजगार कार्यालयों को कैरियर केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने के लिए कदम उठाया गया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इससे उक्त वर्ग के युवाओं को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को चयनित रूप में बढ़ाने पर जोर दिया गया है, और पूर्ण भारतीय प्रबंधन के साथ 49 प्रतिशत के विदेशी निवेश की कंपोजिट सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव एक कड़ा कदम है तथा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया यह सराहनीय कदम है। उद्योगपति और निवेशक अपने धन को निवेश कर सकते हैं, और हम युवाओं के लिए रोजगार सृजन कर सकते हैं।

राष्ट्र की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, तेजी से बढ़ रहे शहरों में मूल अवसंरचना और सुविधाओं का प्रावधान करना, समय की मांग है। इसलिए सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए 7600 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर सही कदम उठाया है। वह दिन दूर नहीं है, जब सभी शहर विकसित होंगे और हमारा देश विकसित देश होगा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का एक कड़ा कदम है। मैं उन्हें इस अवसर पर बधाई देता हूं।

संप्रग सरकार ने किसानों और भूमिहीन किसानों के कल्याण का हमेशा ध्यान रखा है। 'भूमिहीन किसान' नाम से एक योजना का जिक्र गया है, जिसमें भूमिहीन किसानों के लिए वित्त निवेश से पांच लाख संयुक्त किसान समूहों को वित्त प्राप्त होगा। 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' के अंतर्गत किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि एक बेहद स्वागत योग्य कदम है और इससे देश के किसान समुदाय को निश्चित रूप से मदद मिलेगी तथा किसान खुशहाल होंगे।

महिला और बाल विकास के संबंध में पर्याप्त ध्यान रखा गया है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। अब सरकार द्वारा देश की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह कन्याओं के लिए नया उपक्रम है, ओर इस बजट में घोषित की गई अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ वित्त मंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो एक अच्छा कदम है।

परिवहन संपर्क के संबद्ध स्मार्ट सिटी पर जोर देने के साथ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए शुरू किए गए औद्योगिक विकास प्रस्ताव में शहरीकरण के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के विकास का विशेष जिक्र है, जिसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए।

भारत नदियों का देश रहा है। नदियों को जोड़ने संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है और एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन "नमामि गंगे" के लिए 2,037 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है यह भी इस बजट का स्वागत योग्य कदम है। यह एक बहुत अच्छा कदम है और मैं इस प्रावधान के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह गंगा-कावेरी नदियों को जोड़े जाने के लिए प्रावधान करें। इस देश की जनता और किसान गंगा-कावेरी नदियों को जोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द किया जाए, जिससे रोजगार के अधिक मौके पैदा हों और अधिक कृषि उत्पादन होगा यही देश का धन है। इसलिए, इस अवसर पर, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह गंगा-कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रावधान करें।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपकर में छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे माननीय वित्त मंत्री ने पूरा कर दिया। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

अंत में, शहरी सहकारी सोसायटियां ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक चला रही हैं। कर्नाटक में, अधिकांश सहकारी सोसायटियां ऐसे बैंक चला रही हैं। छोटे किसान और युवा इन सहकारी सोसायटियों/बैंकों से धन ले सकते हैं। इन सोसायटियों पर कर लगाया जाता है और उसके कारण कर्नाटक में ये सोसायटियां काफी मुश्किलों से जूझ रही हैं। शहरी सहकारी बैंक मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछली सरकार द्वारा इस संसद में पारित वित्त अधिनियम, 2006 के अनुरूप, यह निवेदन है कि इन शहरी सहकारी बैंकों को स्वीकार्य आयकर छूट मिलनी चाहिए। ये सोसायटियां कर्नाटक में और देश के अन्य भागों में अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी गत 12 दशकों से अस्तित्व में हैं। इसलिए, मैं सरकार और वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्द हो सके इन शहरी सहकारी बैंकों को कुल कर-रियायत देने के मामले में थोड़ी दया दिखाएं।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, जो कि इस देश के लिए विकासोन्मुखी बजट है। मैं एक बार फिर से एक बहुत अच्छा बजट पेश करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम) : माननीय सभापति महोदय, गत संसदीय चुनावों में, राजग का प्रमुख चुनाव अभियान चार मुद्दों के पास केन्द्रित था अर्थात् (1) महंगाई; (2) भ्रष्टाचार; (3) बेरोजगार; और (4) वित्तकोषीय घाटा व चालू खाता घाटा। राजग को स्पष्ट जनादेश मिला चूंकि लोगों ने उम्मीद की थी कि इन मुद्दों का समाधान हो जाएगा। तथापि, इस आम बजट में, हमें पता चलता है कि इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं और इन्होंने इन मुद्दों को देखने के लिए कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की है।

हाल के रेल बजट में, केरल को पूर्ण रूप से नजरंदाज कर दिया गया है। दलगत नीति से ऊपर उठकर केरल के सभी सांसदों ने इसका

विरोध किया है। हमने मंत्री जी से सभा में उनके उत्तार देने से पूर्व मुलाकात की है। इसके बावजूद, हमें न्याय नहीं प्राप्त हुआ है।

हमने केरल के लिए आम बजट में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की उम्मीद की थी। परंतु हमें आश्चर्य है कि शिक्षा, कृषि, क्रीड़ा विश्वविद्यालय, नदी संरक्षण, जैविक खेती इत्यादि के संबंध में बजट में जो सभी परियोजनाएं और संस्थान घोषित किए गए थे, वे कहीं और दे दिए हैं, जबकि इन पर केरल का वैध दावा है।

मेरे अधिकांश साथियों ने केरल के विशिष्ट संदर्भ में राष्ट्रीय मुद्दों और सुझावों के विषय में गहराई और विस्तार से बोला है। मैं समय की कमी के कारण उन मुद्दों पर पुन: चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केरल की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहता हूं।

महोदय, वहां दस लाख से अधिक किसान रबड़ की खेती करते हैं और उनमें से 99 प्रतिशत छोटे किसान हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान अर्थात् करीब 3 वर्ष पूर्व, रबड़ का मूल्य 240 रुपए प्रति किलो था, जो अब 140 रुपए तक नीचे आ गया है। यह किसी भी तरह किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। सभी किसान धीरे-धीरे इसकी खेती छोड़ रहें हैं। यह मुख्यत: प्राकृतिक रबड़ के अंधाधुंध आयात के कारण है जो कि आयात शुल्क में गिरावट से संभव हुआ है। अब, मैं भारत सरकार से अंतिम 6 महीनों के आंकड़ों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। जनवरी से जून तक ही, रबड़ उत्पादन 3,79,000 मीट्रिक टन था और मूल्य में गिरावट के कारण इसमें 3,038 करोड़ रुपए की हानि हुई। केरल सरकार को राजस्व घाटा हुआ। इसने आम आदमी को भी प्रभावित किया है। इसका सब तरफ प्रभाव हुआ है। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक वर्ष के लिए रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आयात शुल्क बढ़ाना चाहिए।

महोदय, हम जानते हैं कि भारत रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ अध्ययन, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में हम प्रथम स्थान पर हैं। हमें इस स्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि हम इस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम रास्ता इस विशेष क्षेत्र में और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता। मैं भारत सरकार से प्रस्ताव करता हूं कि केरल में विशेषत: कोट्टायम में जहां, रबड़ बोर्ड स्थित है। एक रबड़ विश्वविद्यालय शुरू किया जाए। अभी, रबड़ बोर्ड शोध में अच्छा कार्य कर रहा है। जब हम रबर विश्वविद्यालय खेलेंगे तो हम संपूर्ण विश्व को प्राकृतिक रबड़ का उपयोग करने के सार्थक लाभों के बारे में बता सकते हैं। वास्तव में, अभी 50,000 से अधिक रबर आधारित उत्पादों का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा, अध्ययन से पता चला है कि रबड़ वृक्ष किसी अन्य वृक्ष से अधिक कार्बन डाईऑक्साईड अवशोषित करते है। यह वैश्विक तापन के खतरे का उत्तर है। यह भारत सरकार को विश्व अर्थव्यवस्था से कार्बन उत्सर्जन घटाने के संबंध में अधिक निधि प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

एक अन्य प्रमुख बिन्छु का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। अंतिम बजट में, 16 पत्तनों के लिए निधि आवंटन किया गया था। परंतु प्राकृतिक रूप से गहरे समुद्री पत्तन, विलिंग के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। मैं सरकार से इस पत्तन के लिए भी निधि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

केन्द्र द्वारा गंगा नदी वे संरक्षण हेतु, 2,037 करोड़ रुपए का आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है। केरल में 44 नदियां हैं। उनमें से अधिकतम नदियां प्रदूषण के कारण खत्म हो रही है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन नदियों के संरक्षण हेतु भी कुछ प्रतिशत राशि का आवंटन किया जाए।

भारतीय नौवहन के लिए 4200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत में नौवहन के लिए सबसे सक्षम राज्य केरल है परंतु नौवहन के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि निधियों के आबंटन के संबंध में माननीय वित्त मंत्री का उत्तर केरल के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप केरल राज्य के लिए संतोषप्रद होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा) : सभापति जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदय, मैं बजट का समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को समाज के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों के हितों को ध्यान देने के लिए धन्यवाद देती हूं। बजट में गांव, गरीब और किसान को विशेष ध्यान में रखा गया है। आम जन-जीवन को बेहतर आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस करने ग्रामीण-शहरी असमानता दूर करने का प्रयास किया गया है। बुनियादी ढांचा, सड़क, रेल क्षेत्र के विकास, गांव तक इंटरनेट, साफ पानी, 24 घंटे बिजली, किसान बाजार, किफायती घर, महिलाओं, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के कल्याण, शहीदों का सम्मान और पूर्व सैनिकों की चिन्ता की गई है। महंगाई कम करने, नियंत्रण रखने, युवाओं को शिक्षा, कौशल, हुनर सभी की व्यवस्था बजट में है। आयकर छूट की सीमा पचास हजार बढ़ाकर मध्यम वर्ग, सरकारी कर्मचारी और युवा व्यावसायियों को सुविधा दी गई है। धारा 80 सी के तहत निवेश की सीमा पचास हजार बढ़ा कर डेढ़ लाख की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ा कर एक हजार रुपए प्रति माह करने से 28 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ होगा।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ मांगे उनके सामने रखना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा लोक सभा क्षेत्र जो प्रदेश का सबसे बड़ा एवं पॉवर हब जिला होने के बाद भी एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। जिलम में 36 उप डाक घर संचालन के बाद भी प्रधान या मुख्य डाकघर नहीं है। जिला पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी बीजीआरएफ योजना शामिल नहीं है। 70 से 80 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र होने के बाद भी हार्किल्चर, बागवानी मिशन, शीतघर अनाज भंडारण के गोदाम जैसी सुविधा नहीं है। जिला में प्राकृतिक रूप रसे स्थापित का कोटपी-सोनार मगरमच्छ अभ्यारण की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाई है। जिले में एक सुसज्जित आउटाडोर, इनडोर स्टेडियम का निर्माण तथा ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के विभिन्न स्थानों के संरक्षण के लिए बजट में प्रावधान की मैं मांग करती हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें बजट संबंधी चर्चा ओर शून्य काल को रात्रि 8.00 बजे से पहले पूरी करनी है। इसलिए मैं उन सदस्यों, जिन्हें बोलना है, से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात संक्षेप में कहे। जैसाकि पहले ही सूचित किया जा चुका है कि अन्य इच्छुक सदस्य अपना भाषण सभापटल पर रख सकते है।

डॉ. अम्बुमणि रामदास (धर्मपुरी) : महोदय, मैं बजट का स्वागत करता हूं। मैं वित्त मंत्री की हमें एक स्पष्ट और बेहतरीन बजट देने के साथ-साथ भारत के लोगो की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रशंसा करता हूं।

मैं मंत्री जी और सरकार की सामाजिक क्षेत्रों विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जेसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए सराहना करता हूं। मैं आज केबल इन तीन विषयों पर बोलूंगा।

कृषि क्षेत्र के संबंध में सिंचाई और अन्य नदी जल परियोजनाओं में निवेश में वृद्धि किए जाने संबंधी मुद्दे पर बजट प्रस्तुतिकरण मैं का स्वागत करता हूं। मैं विशेषकर किसानों के लिए किसान टेलीविजन शुरू किए जाने की घोषणा का स्वागत करता हूं।

नदियों को परस्पर जोड़ने की अवधारणा के लिए इस परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूर्व में वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के दौरान श्री सुरेश प्रभु को नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मैं सरकार से इस परियोजना को लागू करने के लिए इनकी सेवाएं लेने का अनुरोध करता हूं।

लेकिन विभिन्न राज्यों में नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी होगा। मुझे नहीं पता कि विभिन्न राज्यों में नदियों को परस्पर जोड़ने की दिशा में हम कहा जा रहे है।

'मनरेगा' के संबंध में, मेरे चुनाव अभियान के दौरान गांवों में मत मांगते समय मैंने देखा कि महिलाओं मैं यह आशंका देखी कि नई सरकार के आने के बाद मनरेगा जारी रहेगी या नहीं। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने इस आशंकाओं को समाप्त किया और इस योजना को जारी रखने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में कृषि मजदूरों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

चूंकि, मंत्री जी ने कहा कि मनरेगा कृषि के लिए मजदूरों के प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करेगा, उन्हें मेरी इस सलाह पर विचार करना चाहिए। अनन्य रूप से कृषि मजदूरों के प्रयोजन के लिए, यदि 150 रुपए का योगदान केन्द्र सरकार द्वारा, 50 रुपए राज्य सरकार द्वारा और 50 रुपए किसान जो कि सेवाओं का उपयोग करता है, द्वारा किया जाए तो कुल पारिश्रमिक जो कि मजदूरों को मिलता है, वह 250 रुपए प्रतिदिन पहुंचता है। और यह सभी के लिए लाभदायक होगा। किसान को अपना मजदूर मिलता है, कामगारों को लगभग 250 रुपए प्रतिदिन मिलते है, और यह कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाएंगे जिससे देश की उत्पादकता बढ़ेगी।

महोदय, मेरी पार्टी कुछ भी नि:शुल्क देने के विरोध में है। तथापि, कुछ अपवाद हो सकते हैं और हम प्रत्येक पंचायत को मुफ्त ट्रैक्टर दे सकते हैं। इन ट्रैक्टरों की सेवाएं कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती है और इनका नियंत्रण पंचायत के मुखिया को दिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करे, तो मैं मंत्री जी को तंबाकू पर कर 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन यह काफी नहीं है। मैं वित्त मंत्री से इसे 200 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह करता हूं। और, न केवल सिगरेट पर बल्कि सभी तंबाकू उत्पादों पर एक समान कर लगने चाहिए। वित्त मंत्री ने बीड़ियों को कर मुक्त रखा है। हम सभी तंबाकू उत्पादों पर एक समान कराधान चाहते है क्योंकि तंबाकू देश के लिए एक बड़ी समस्या है।

डब्ल्यूएचओ का अध्ययन कहता है कि पिछले एक साल में भारत में तंबाकू सेवन के कारण कुल स्वास्थ्य और अन्य प्रकार का भार लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का है। यह व्यक्तिगत एवं सरकार के लिए बहुत अधिक बोस है, जबकि उद्योग उसके आकार की तुलना में आधी है। इसलिए, मंत्री जी को अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी कर लगाना चाहिए। आज, तंबाकू से देश में लगभग 10 लाख लोग मारते हैं। यह मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसके एचआईवी/एड्स, क्षय रोग, मलेरिया या सड़क दुर्घटना से भी अधिक लोग इसके कारण मरते हैं।

लेकिन आज भारत में सबसे अधिक लोग शराब से मरते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक राष्ट्रीय शराब नीति बनाए। शराब पीना न केवल एक स्वास्थ्य समस्या है बल्कि यह एक सामाजिक समस्या भी है। लाखों परिवार शराब के सेवन के कारण बर्बाद हो गए है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 कहता है कि यह राज्य की जिम्मेदारी कि पोषण स्तर, रहन-सहन के स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाए। यह कहता है कि राज्य उन मादक द्रव्यों और दवाओं के चिकित्सा प्रयोग को छोड़कर, उनके सेवन पर पाबंदी लगाने का प्रयास करेगा जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यद्यपि, दुर्भाग्यवश भारत में गुजरात के सिवाय किसी भी राज्य में इस पर पूर्ण पाबंदी नहीं है।

मेरे चुनाव प्रचार के दौरान, जब मैं श्री नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा था, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से कहा कि गुजरात मॉडल, कि तरह, श्री मोदी जी, प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश में पूर्ण निषेध लगाएगें। मैं, इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि निषेध संबंधी गुजरात मॉडल को पूरे देश में लगाया जाए क्योंकि मद्यपान के कारण देश में बहुत से लोग मरते हैं। प्रति वर्ष लगभग 18 लाख लोग शराब पीने के कारण मर रहें हैं।

कुछ अन्य कहते है कि यदि आप निषेध करेंगे तो अवैध शराब बढ़ेगी। हरेक राज्य में प्रतिवर्ष केवल 100 लोग अवैध शराब से मरते हैं। लेकिन सरकार द्वारा बेची जा रही शराब से, लगभग एक लाख लोग मर रहे हैं और लाखों परिवार तबाह हो रहें हैं।

स्वास्थ्य के लिए आबंटन के मुद्दे पर, मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे वर्षों में स्वास्थ्य के लिए बहुत कम आवंटन किया गया है। पहले यह 0.9 प्रतिशत था और आज यह जीडीपी का 1.2 प्रतिशत है। मुझे विश्वास है कि आगामी पांच वर्षों में मंत्री जी स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम से कम तीन प्रतिशत आबंटित करेगें।

शिक्षा के संबंध में पूर्व सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाई थी जो कहता है कि छ: से 14 वर्ष की आयु के बच्चे शिक्षा के अधिकार के पात्र है। विद्यालय से पूर्व बच्चे और किंडरगारटन बच्चे इस अधिनियम में नहीं आते। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अधिनियम में संशोधन करके शून्य से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इसमें शामिल करे। इससे प्लस टू स्तर के बच्चे भी शामिल हो जाएंगे। यह किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य है।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि शिक्षा का एक एकरूप पाठ्यक्रम लाएं। आज हमारे पास आईसीएसई, सीबीएसई, राज्य पाठ्यक्रम, मैट्रिक, एंग्लो इंडियन और अन्य कई सारे पाठ्यक्रम है। हमारे पास कई पाठ्यक्रम है जो कि देश भर में लोग असमानता के अनुसार लोगों की भुगतान क्षमता के अनुरूप अपनाए जा रहे हैं। इसलिए, यह असमानता समाप्त होनी चाहिए और पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली और एक पाठ्यक्रम होना चाहिए।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि विद्यालयों में शौचालयों पर और खर्च करे क्योंकि हम देखते है कि मांए अपनी लड़कियों को 12 या 13 वर्ष की आयु के दौरान रजोधर्म के समय विद्यालय नहीं भेजती है क्योंकि विद्यालय के शौचालयों में पानी नहीं होता है। हमने देखा है कि कई लड़कियां विद्यालय नहीं जा रही है।

महोदय, मैं, फिर से वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत को एक अच्छा बजट दिया। उनसे काफी उम्मीदें थी। बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान, वित्त मंत्री कुछ कष्ट महसूस कर रहे थे लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि देश कष्ट मुक्त रहे और निर्धनता को भी दूर किया जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहांपुर) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 2014-15 के बजट के समर्थन के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं।

भारत का सपना, हमारी पार्टी का सपना 'श्रेष्ठ भारत, एक भारत, समृद्धशाली भारत' का है और इस सपने को देखने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया है। आजादी के बाद से सत्ता हमारे विपक्ष के साथियों के हाथ में रही, किन्तु दुर्भाग्यवश हमारी जो पिछली सरकारें थीं, उनकी नीयत और नीति जनता के हित में नहीं थी, न ही देश के हित में थी, इस कारण हम सब और हमारा देश बहुत पीछे चला गया।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की 70 फीसदी आबादी गांवों में निवास करती है। हमारे देश में वर्षों-वर्ष से देश की जनता को एक छत, पेट भर रोटी और तन को ढकने की आस थी, लेकिन पिछली सरकारों ने हर पांच साल बाद आकर के वायदा खिलाफी की। हमारी सरकार और इसमें हमारे वित्त मंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण पूरे देश ने हम सब का समर्थन किया और एक आस जगी कि शायद अब भारत खुशहाल भारत होगा और जो भारत की पहचान थी, वह वापस अपना स्थान प्राप्त कर सकेगा।

हमारे इस 2014-15 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने गांवों की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसमें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 34 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस अवसंरचना

में शहरी क्षेत्रों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अर्बन मिशन हेतु धन उपलब्ध कराया गया है। इससे गांवों में और शहरों में भी जो तमाम बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। साथ ही हमारी सरकार हर गरीब को छत देने के लिए भी कटिबद्ध है। इसके लिए भी हमारे वित्त मंत्री जी ने इन्दिरा आवास योजना के तहत गांवों के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मकान देने हेतु 16 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए हैं, जिसमें से 60 परसेंट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आबंटित किया है। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं।

इस देश की जनता की आवश्यकता शुद्ध पेयजल की भी है। वर्षों वर्ष बीत गए, हम लोग स्वच्छ पानी के लिए तरसते रहे हैं। आज हमें ऐसा जल उपलब्ध हो रहा है, जो पीने को तो छोड़िए, खेत/खलिहानों के लिए भी उपयोगी नहीं है। वह पानी रासायनिक है, आर्सेनिक है, जिसके कारण हमारा खेत बंजर होता जा रहा है ओर खेत की उपज घटती जा रही है। इस कारण भी हमें शुद्ध पेयजल की आवश्यकता थी। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत 11 हजार करोड़ रुपए स्वच्छता हेतु 4,260 करोड़ रुपए इंडिया मार्का पेयजल के लिए रखे हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से गुजारिश है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंडिया मार्का हैंडपंप है, उसकी अधिक से अधिक पूर्ति हेतु धन बढ़ाने का कष्ट करें।

जब हमारी एनडीए वन की सरकार आयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के गरीबों के भूखे रहने की चिन्ता की। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाकर पूरे देश में खाद्यान्न की व्यवस्था की। इसके तहत प्रत्येक परिवार को कम से कम दो जून की रोटी मुहैया हो, इसकी व्यवस्था उसी एनडीए सरकार में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, जिन्होंने देश की जनता की आवश्यकता और गरीबी को देखते हुए 181 हजार करोड़ रुपए भारतीय खाद्यान्न निगम एवं राज्य सरकारों के लिए गोदाम निर्माण हेतु दिया। यह एक बहुत सराहनीय कदम है। इससे हमारे देश में भंडारण की कमी नहीं होगी, गरीबों को खाद्यान्न मिलने में कमी नहीं होगी। 160 हजार करोड़ रुपए भंडारागार क्षमता के निर्माण हेतु भवन का भी आपने धन आबंटन किया है, जिससे मुझे लगता है कि जो हमारे देश की जनता भुखमरी के कगार पर थी, उनको राहत मिलेगी।

महोदय, मेरी कुछ अपने क्षेत्र की भी आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखूंगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 1,418 करोड़ रुपए बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु आबंटन किया है। मेरा आपसे निवेदन है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि ये जो यहां पर ऑफिसेज हैं, जो जिला स्तर पर हैं, इन्हें ब्लॉक स्तर पर न हो तो, तहसील स्तर पर उतारने का आप एक सराहनीय कार्य करेंगे तो ग्रामीण जनता को आसानी होगी और रोजगार सुलभ होंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों का भी यही सपना था, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर इनके सपने धरातल पर होते, कागजों पर न रह गये होते तो आज ये दुर्दिन हम हिन्दुस्तान के लोगों को, भारतवासियों को न देखने पड़ते। बार-बार गलती की बात करते हैं कि हमसे गलती हुयी। बजट वही है, जो यूपए वन और यूपीए टू का था। यह सच बात है, सपना सबका था, लेकिन नीति और नीयत में कहीं न कहीं खोट थी, कहीं न कहीं गलती थी। मैं दो लाइनों में कहना चाहूंगी कि इतिहास के पन्नों में वह दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पायी। मान्यवर, इन्होंने तो इतनी खता की है, इसके लिए यही कहूंगी कि कब हम लोगों को मुक्ति मिलेगी? लेकिन ऐसा ईश्वरीय, संस्कार, परंपराओं और धर्म का देश होने के कारण कभी न कभी किसी की उत्पत्ति होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर हमारे देश को संभालने का काम कर रहे हैं। हमारा सपना निश्चित रूप से साकार होगा।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की दो-तीन समस्याएं हैं। मेरा जिला बाढ़ से ग्रसित है।...*(व्यवधान)* नदियों से जोड़ने का आपका प्रावधान है, माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। मेरा जनपद नदियों से घिरा हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : आप दस मिनट ले चुके हैं। कृप्या बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा राज : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मुझे एक ही प्रश्न पूछने दें। क्या बजट पास करना अकेले वित्त मंत्री का ही कार्य है?...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत मं कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति : कृप्या अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैं खड़ा हूं। कृप्या बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हूं आपको बैठ जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : चर्चा जारी है। वित्त मंत्री सभा में उपस्थित हैं। वह चर्चा का जवाब देने वाले हैं।

प्रो. सौगत रॉय : अकेले।

माननीय सभापति : अकेले नहीं। आपके दल के सदस्य कहां हैं? ऐसे मुद्दों को अनावश्यक न उठाएं।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। इस पर आगे परिचर्या नहीं होगी।

श्री सी.एन. जयदेवन :

श्री सी.एन जयदेवन (त्रिस्सूर) : बजट पर मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

महोदय, कई यूपीए सदस्य कह रहे थे कि यह वही बजट है जो वे पिछली बार लाए थे और इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। यह बजट यूपीए-II की आर्थिक नीतियों का ही विस्तार है। यह अमीरों का बजट है और इसमें गरीबों तथा शोषितों को पूरी तरह से अनदेखी की गई है। यह बिल्कुल विरोधाभासी है कि एक दल जो आर्थिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का पक्ष समर्थन करता है, उसने हमारी अर्थव्यवस्था और संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीकरण शुरू कर दिया है।

इस बजट ने अमीरों और कॉर्पोरेट घरानों का एकतरफा पक्ष लिया है और लोकप्रिय योजनाओं जैसे मनरेगा को अतिरिक्त आवंटनों की अनदेखी है। अत्यधिक चिन्ता का मामला सामरिक क्षेत्रक जैसे रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शुरू करना है। रक्षा क्षेत्र में निवेश की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। यह बड़ी चिन्ता की बात है कि प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा आदिवासी क्षेत्रों से होकर बनाया जा रहा है जिसके आज अनिवार्य रूप से आदिवासियों और गरीब वर्ग के लोगों का विस्थापन होता है।

बीमा और बैंकिंग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभों में से एक हैं और यह विडंबना है कि हमारी सरकार ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के लिए छोड़ दिया है। ईंधन राजसहायता की कटौती करने का प्रस्ताव अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को स्वत: ही बढ़ाएगा जिससे गरीब आदमी की जिंदगी और कष्टमय होगी।

अत: मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि यह पूर्णरूप से गरीब विरोधी, जन-विरोधी बजट है। बजट की दृष्टिकोण संदर्श, लक्ष्य और उद्देश्य केवल अति-घनवान व्यापार क्षेत्रकों और कॉर्पोरेट गठजोड़ की मदद करना है। यह सरकार भारतीय एकाधिकारों की सरकार है और वास्तव में यह पूंजीवादी मार्ग से विकास का उद्देश्य रखती है।

यह बजट का नकारात्मक हिस्सा है जो मैं सभा के समक्ष लाया हूं। बजट में कुछ सकारात्मक हिस्सा भी है। वास्तव में पूंजीवाद विकास का मार्ग है और यह विकास करता है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृप्या अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सभापति : आपक व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मेरा व्यवस्था प्रश्न लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, 15वां संस्करण के नियम 349 के अंतर्गत है। यह माननीय सदस्य के संदर्भ में है...*(व्यवधान)*।

माननीय सभापति : मैंने इस पर निर्णय दिया है। इसे दोबारा न शुरू करें। मैंने पहले ही निर्णय दिया है कि मंत्री जी उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं मात्र नियम का उल्लेख कर रहा हूं। इसके अनुसार:

"जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य अपना भाषण देने के तुरंत बाद सभा से बाहर नहीं जाएगा"

टीएमसी सदस्य जिन्होंने भाषण दिया वे कहां हैं?...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सी.एन. जयदेवन : महोदय, मैंने सभा के समक्ष कुछ नकारात्मक बातें रखी हैं, परंतु कुछ सकारात्मक भाग भी है, जैसा कि मेरे मित्रों द्वारा कहा गया है। श्री नरेन्द्र मोदी जी अपने चुनावी भाषणों में कहते थे कि वो तत्काल कुछ परिवर्तन लायेंगे। मुझे लगता है कि यह एकाधिकार की कार है। श्री नरेन्द्र मोदी ड्राइवर सीट पर बैठ सकते हैं और कांग्रेस से कहीं अधिक एक्सिलेटर दबा सकते हैं, ताकि यह कार अधिक गति से

चले। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ सकारात्मक बातें भी हैं, जो पूंजीवादी विकास को गति प्रदान करेंगी।

***श्री पी.आर. सुन्दरम** (नामाक्कल) : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पुराची धलावी अम्मा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आम बजट पर बोलने की अनुमति दी। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु में लागू वर्षा-जल संचयन योजना की तहेदिल से सराहना की है। श्री मोदी जो ने देश को अन्य राज्यों से भी तमिलनाडु की तरह वर्षा जल संचयन योजना को लागू करने के लिए कहा है। यह योजना माननीय अम्मा के मस्तिष्क की उपज है। न केवल वर्षा जल संचयन, बल्कि माननीय अम्मा द्वारा लागू की गई अन्य सभी योजनाओं का भी अन्य राज्यों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की उत्तर पदेश सरकार ने भी तमिलनाडु मॉडल का अनुसरण करते हुए निशुल्क लैपटॉप देने की योजना लागू की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा सरकार ने तमिलनाडु में लागू की जा रही निशुल्क मिक्सर, ग्राइंडर और टेबल फैन देने की योजना लागू की है। तमिलनाडु का अनुसरण करते हुए, कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को निशुल्क साइकिलें देने की योजना लागू की है।

तमिलनाडु में कार्यरत अम्मा उनवगम-कैंटीन सुविधा के कार्यकरण को व्यक्तिगत रूप में देखने के बाद, राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने ऐसी ही योजना राजस्थान में लागू की है। यहां तक कि तमिलनाडु से प्रेरणा लेकर, गुजरात सरकार ने भी तमिलनाडु का अनुसरण करते हुए यह योजना लागू की है। न केवल भारत में बल्कि मिस्र में भी यह योजना लागू की जा रही है। तमिलनाडु, इस महान राष्ट्र के सभी अन्य राज्यों के लिए पथप्रदर्शक बना हुआ है। संपूर्ण राष्ट्र माननीय अम्मा की ओर देख रहा है, जो अत्यंत उत्कृष्टता के साथ तमिलनाडु राज्य का शासन करती हैं। यही कारण है कि इस सम्मानीय सभा में एआईएडीएमके के 37 संसद सदस्य हैं और उनमें से 33 धोती पहनते हैं। माननीय अम्मा जो सभी तमिलों की संरक्षण है, ने कल राज्य की विधानसभा में दिए अपने संबोधन में तमिल संस्कृति के महत्व और धोती पहनने पर जोर दिया था। पूरे विश्व में माननीय अम्मा के वक्तव्य की तमिलभाषियों द्वारा सराहना की जा रही है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति महोदय, राजग सरकार द्वारा पेश किए गए वर्तमान बजट के बारे में बोलते हुए माननीय अम्मा ने कहा था कि यह एक दूरदर्शी बजट है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का पुनरूद्धार और देश का विकास है। बजट में यह घोषणा की गई है कि 7600 करोड़ रुपए की राशि से 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। माननीय अम्मा ने इस पहल का स्वागत किया है। इन स्मार्ट सिटी की सूची में पोन्नेरी को शामिल किया गया हैं हम दिल से इसका स्वागत करते हैं। पेयजल शोधन के लिए 3600 करोड़ रुपए के आवंटन का स्वागत करते हुए माननीय अम्मा ने केन्द्र सरकार से तमिलनाडु में अलवणीकरण संयंत्र की स्थापना में मदद करने का अनुरोध किया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने तमिलनाडु को 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। उस वक्त डीएमके सत्ता में थी। उसके बाद एआईएडीएमके सत्ता में थी। उसके बाद एआईएडीएमक सत्ता में आई। परंतु पिछली संप्रग सरकार के उदासीन रवैये के कारण यह योजना लंबित पड़ी रही। जिन लोगों के कारण यह योजना लंबित रही, उन्हें आज तमिलनाडु के लोगों ने ठुकरा दिया है। लोक सभा में तमिलनाडु से कांग्रेस दल का एक भी संसद सदस्य नहीं है। न सिर्फ कांग्रेस, बल्कि डीएमके, जो 1,80,000 करोड़ रुपए के 2जी घोटोले में शामिल थी, उसका भी इस लोकसभा में एक भी संसद सदस्य नहीं हैं अम्मा के कारण, कई मान्यता प्राप्त दलों ने अपनी मान्यता खो दी।

माननीय सभापति महोदय, एलईडी/एलसीडी के दामों में कमी, किसान टीवी चैनल शुरू करना, उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अलग टीवी चैनल शुरू करना आदि बजट की कुछ स्वागत योग्य पहल हैं। मैं राज्य में डिजिटल टीवी केबल नेटवर्क संचालित करने हेतु लाइसेंस देने के लिए तमिलनाडु की लंबे समय से की जा रही मांग पर भी जोर देना चाहूंगा। माननीय अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अंतर्देशीय पर्यटन को दिए गए प्रोत्साहन का स्वागत करते हुए माननीय अम्मा ने कहा कि इसके साथ ही कांचीपुरम और वैलंकणी श्रीरंगम को प्रमुख तीर्थस्थल केन्द्र के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है और तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले कर में भी बढ़ोत्तरी की गई है। माननीय अम्मा ने इन बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है।

माननीय सभापति महोदय, विदेशों में बैंकों में जमा काले धन को वापस भारत लाया जाना चाहिए। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया हैं लेकिन इस बजट में इसका कहीं कोई जिक्र नही है। आम आदमी की सरकार के रूप में, इस सरकार को विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। श्रीलंका की नौसेना ने हमारे मछुआरों को उस वक्त गिरफ्तार कर निलया जब वो कर्चथिवा के पास मछली पकड़ने गए थे। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिल मछुआरों की नाव और बाकी सामान भी जब्त कर लिया था। यह एक

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद के हिंदी रुपांतर।

निरंतर चलने वाला मुद्दा है। तमिल मछुआरों के मुद्दे का हल तलाशने के लिए केन्द्र सरकार को श्रीलंका से कच्छथिवा वापसल लेना चाहिए। श्रीलंका के विदेशी मंत्री ने दिल्ली में हमारे विदेशी मंत्री के साथ मुलाका भी की थी। लेकिन यह मुद्दा एजेंडा में शामिल नहीं था। यह गंभीर चिन्ता का मामला है।

पुलिस बल ने आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान आंतरिक्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। मैं अनुरोध करता हूं कि और धन आवंटित किया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई 136 से बढ़ाकर 142 फुट किए जाने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है। मैं कावेरी नदी जल अधिकरण की सलाह के आधार पर जल्द से जल्द कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना करने का भी अनुरोध करता हूं अंत में, सभी संसद सदस्यों की ओर से, मैं निवेदन करता हूं कि एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिवर्ष आवंटित की जाने वाली वर्तमान 5 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए किया जाए।

तमिलनाडु में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए माननीय अम्मा ने 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं और इस हिसाब से एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह जोड़ कुल 12 करोड़ रुपए होता है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इससे प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए प्रदान करे। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत जनरल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी इस लोक सभा के चुनाव से पहले देश में बड़ी विषम परिस्थितियां थीं। बड़े-बड़े घोटालों, भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी और उसी के परिणामस्वरूप देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जनादेश दिया और यह जनादेश अकारण नहीं दिया है। यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए दिया है, क्योंकि जब पहले भारतीय जनता पार्टी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, उस समय भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे ठीक किया था।

सायं 7.00 बजे

जिस-जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उसने उस प्रदेश के लोगों के लिए और जब देश में सरकार रही है तो देश के लोगों के लिए अच्छे काम किये हैं। इसी कारण लोगों ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था। माननीय वित्त मंत्री जी ने, इस जनादेश की जो उम्मीदें थीं, जो आशाएं इस देश के लोगों की थीं, उसे इस आम बजट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया है।

सायं 7.01 बजे

[**प्रो. के.वी. थॉमस** *पीठासीन हुए*]

वास्तव में बहुत कठिन परिस्थितियां थीं, ऐसी परिस्थिति में जब देश का बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो देश की जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और सरकार का यह दायित्व भी होता है कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए, एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो ही, साथ ही लोगों को भी लगना चाहिए कि सरकार हमारी चिन्ता कर रही है। बहुत कठिन परिस्थितियों क बावजूद, माननीय जेटली जी ने ऐसा करने का प्रयास किया है। मैंने कार्यकर्ता के रूप में कई बार उनका भाषण सुना है। वे जब भाषण देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई फिजिक्स या मैथ्स का प्रोफेसर बोल रहा है, जो कठिन से कठिन सवाल को भी हल करने के लिए बहुत सरल सूत्र निकालते हैं और ऐसा ही उन्होंने किया है। इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं, देश का खजाना खाली है, राज्यों को बहुत सारा रुपया देना है, बहुत सारा पैसा टैक्स के मुकदमों में फंसा है, देश की आर्थिक व्यवस्था खोखली हो चुकी है, लेकिन इन सबके बावजूद माननीय जेटली जी ने एक ऐसा सुंदर बजट प्रस्तुत किया है, जिससे लोगों की उम्मीदें, लोगों की अपेक्षाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें रक्षा, चिकित्सा तथा शिक्षा, जिन क्षेत्रों में खर्चे कम नहीं किये जा सकते थे, उनमें कोई खर्च कम नहीं किया है। उसके बावजूद इस देश में मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, टेक्सटाइल सेक्टर को पांच हजार करोड़ रुपए देने का काम, किसानों के लिए बहुत सारी अच्छी नीतियां, पूर्वोत्तर राज्यों, जो हमेशा उपेक्षित रहते थे, उन राज्यों को बहुत सारी सुविधाएं और योजनाएं दी हैं, जिससे वे राज्य आने वाले समय में निश्चित रूप से विकसित होंगे। बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किये हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, महिला सुरक्षा के लिए, जल मार्ग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को उन्होंने बयालिस सौ करोड़ रुपए दिया है। उन्होंने टैक्सटाइल का हब बनाने के लिए भी पांच हजार करोड़ रुपए दिया है। इस सबके बावजूद कोई भी टैक्स पेयर

ऐसा नहीं है, जो यह कहर सके कि मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ है। सभी का टैक्स कुछ न कुछ कम किया गया है। जो टैक्स की सीमा थी, उसे भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। उस सबके बावजूद लघु और मध्यम उद्योगों में इस तरीके की छूटें दी हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, रोजगार में वृद्धि, चिकित्सा शिक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनायी है जिससे मुद्रास्फीति में कमी आएगी और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पिछली सरकार के समय में जब जीडीपी घट गया था, तो एक डॉलर के मुकाबले में अड़सठ रुपए तक रुपए का भाव गिर गया था। जिस तरीके का यह बजट प्रस्तुत किया गया है, मुझे यह विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग एक वर्ष के अंदर आठ प्रतिशत का जीडीपी प्रापत कर लेंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। उसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने पूरे देश के लिए काम किया है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी आपने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। मैं लखीमपुर जिले से चुना गया हूं, वहां के लिए मैं तीन-चार बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारा जिला एक बाढ़ प्रभावित जिला है, जहां पर जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक हो गयी है। जिसके कारण वहां पर पीने का पानी खराब हो गया है। पेयजल की जो योजना बनायी गयी है, उसमें लखीमपुर जिले को प्राथमिकता दिया जाए और वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था जरूर की जाए। इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र दूर-दूर जंगलों में बसा हुआ एक जिला है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहां पर 40-40 किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है, जिसके कारण महिलाओं और बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भी कुछ काम हो। दुधवा नेशनल पार्क के पास पलिया एक कस्बा है, वहां पर आज से 20 वर्ष पहले करोड़ों रुपया खर्च करके एक एयरपोर्ट बनाया गया था, आज भी उसको व्यवस्थित करने के लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, मैं आपसे चाहता हूं कि वहां पर नियमित रूप से विमान की सेवाएं प्रारंभ की जाए ताकि उस एयरपोर्ट का उपयोग हो सके। माननीय वित्त मंत्री जी ने देश आकांक्षाओं व आशाओं पर खरा उतरते हुए एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिससे देश के लोगों में मोदी जी की सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। हमो विरोधी दल के लोग हमें वही नारे याद दिलाते हैं - अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्होंने यह वादा किया है। हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, हमने जो वादे किए हैं, उनको पूरा करेंगे, लेकिन 45 दिन के अंदर आपको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम कर रही है कि पांच साल के अंदर सारे वादे पूरे हो जाएंगे, इसलिए आप घबराएं हुए हैं। इसीलिए आप 45 दिनों में ही ऐसे अपेक्षा कर रहे हैं कि पांच साल का काम केवल 45 दिन में पूरा हो जाए। निश्चित रूप से इस समय बुनियादें बन रही हैं और पांच साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, तो अपना रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर जाएगी, यह हमारे नेताओं ने कहा है। हम सारे वादे पूरे करेंगे। अच्छे दिन आएंगे। मेरा मानना है कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था पहले बहुत खराब हो गयी थी, आने वाले वर्षों में मजबूत होगी।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री तथागत सत्पथी (धेन्कानल) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। इस बजट, वर्ष 2014-15 के राजग के पहले बजट पर कई छाप लगी हैं। कईयों ने इसे कुछ भी प्रशंसनीय नहीं, सबकुछ नाममात्र के लिए कहा है। मैं इसे 'मील चौडा-इंच गहरा' कहूंगा। कुछ लोग, अभी भी, वास्तव में, आपकी जीत से अति प्रफुल्लित हैं और वे इस बजट का आलोचनात्मक विश्लेषण स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे वास्तव में बहुत जल्द परिवर्तित होंगे और आपको भी यह पता हैं कि यह बड़े नाटकीय ढंग से होगा। वे लोग जिन्होंने उन उम्मीदवारों को, जो चुनाव जीतने के लिए निकले हैं, को खुश करने के लिए जिन्हें पाईपलाइनों से गंदगी हटाने की अपेक्षा थी, सरकार ने बहुत कम काम किया जिससे राष्ट्र की कमजोर और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर मूर्त छाप छोड़ सके। आपने देश के लोगों की उम्मीदों और आशाओं को जगा दिया है। वे सभी आपकी जादुई छड़ी के हिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृप्या इसे यथाशीघ्र हिलाएं, दौड़ायें और चलाएं। हम सब आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हैं, आपके लिए नहीं, परंतु देश के भले के लिए। इसे एक परिवर्तन की आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सक्षम हैं और आप लोगों की आशाओं और उम्मीदों को साकार करने में समर्थ हैं।

स्वतंत्रता पश्चात भारत में बहुत से राजनीतिक नेताओं को इस प्रकार का अवसर नहीं मिला। 1971 में यह इंदिरा जी को गरीबी हटाओ नारे के साथ प्राप्त हुआ हो; पुनः 1972 में बांगलादेश युद्ध पश्चात उन्हें यह प्राप्त हुआ हो; 1984 में उनकी हत्या पश्चात राजीव गांधी जी को यह प्राप्त हुआ हो। परंतु हमारी स्मृति में दामोदर-दासजी की जीत प्रशंसनीय है, जो हम सभी आशा करते हैं कि काफी परिवर्तन लाएगा। न केवल गुजरात के लोग, परंतु सुदूर बनारस में भी, मुझे विश्वास है वहां काफी लोग होंगे, जो उनके कहने पर अरब सागर में छलांग लगा देंगे। यह ऐसा अवसर है जो प्रत्येक चुनाव पश्चात प्रत्येक नेता को नहीं मिलता है। परंतु पूर्व में हमने देखा है कि इसका दुरुपयोग किया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब हम उम्मीद करते हैं कि इसका उचित रूप से उपयोग किया जाएगा।

मैं इस अवसर का अपने राज्य के बारे में बोलने के लिए उपयोग करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक जी, ने कहा था "केन्द्रीय बिक्री कर में घाटे की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हेतु राज्यों की चिंताएं सुलझाई नहीं गई हैं। अग्रणी योजनाओं में मामूली बढ़त राज्यों को विकास प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा।" इससे दिखता है कि आपकी नीतियों की सभी द्वारा सराहना, नहीं हुई है, जिसकी आपको अपेक्षा थी। एक कटफोड़वे की तरह 'सबके लिए एक आकार' का 100 करोड़ रुपए का बजट, कई विषयों पर चौथा प्रहार है। आपने कई विषयों को छुआ है। परंतु आपको यह भी पता है कि अधिकांश महत्वपूर्ण विषय, जैसे - मैं कुछ नाम लूंगा - परिवार नियोजन, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण और खेती, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, को अनदेखा किया गया है। किसानों को न केवल मौसम की मार जैसे सूखा जैसी स्थिति जो अब हम देख रहे हैं। जो करीब पूरे देश में मंडरा रही है परंतु खराब बाजार ताकत से भी उनको बचाने की आवश्यकता हैं हर कोई बाजार शक्ति और सुधारों के बारे में बात करता है। परंतु बाजार शक्तियां भारतीय खेती और भारतीय कृषकों की रीढ़ को बर्बाद करने पर तुले हैं। खेती के लिए काफी विचार की आवश्यकता है कि कैसे इसे समृद्ध बनाया जाए और कैसे इसे आकर्षक बनाया जाए कि इस देश का युवा वास्तव में जमीन पर वापस जाने में इच्छुक होगा और उसे आकर्षक पाएगा, आपने सपनों को पूरा करने में इसे लाभकारी पाएगा।

आप सौ स्मार्ट शहरों को सृजित करने के बारे में बात कर रहे थे। मैं सुझाव दूंगा कि आप हजार स्मार्ट गांवों के लिए क्यों नहीं करते हैं.. .*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृप्या अब समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी : मैं समाप्त करूंगा। कल, हमारा मिलन समारोह था, जहां पर कुछ संसद के साथी सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने सुझाव दिया: "सौ स्मार्ट शहरों या गांवों के बारे में भूल जाईए, आप संसद को स्मार्ट क्यों नहीं बनाते हैं जिससे कि यहां आने वाले लोगों को कागज बर्बाद न करना पड़े, हस्ताक्षर न करना पड़े या हजारों टन कागज न लेना पड़े और वनों तथा वृक्षों को बर्बाद न करना पड़े।" हम इससे स्मार्ट संसद बना सकते हैं।

पूर्वी राज्य जैसे उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों को कांग्रेस द्वारा लंबे समय से विशेषत: यूपीए सरकार द्वारा अनदेखा किया गया है। इन राज्यों ने केन्द्रीय खजाने को यह हमारी खनिज संपदा की वजह से, वन संपदा जो हमारे पास है, की वजह से अत्यधिक योगदान दिया है, लेकिन इन राज्यों को आज तक जब से मालभाड़े को युक्तियुक्त बनाया गया है, के बाद से स्वास्थ्य और कृषि के संदर्भ में पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति : आपको पांच मिनट दिए गए हैं।

श्री तथागत सत्पथी : मझे बोलते हुए पांच मिनट नहीं हुए हैं।

माननीय सभापति : आप इससे जयादा समय ले चुके हैं।

श्री तथागत सत्पथी : मैं एक मिनट और लूंगा।

माननीय सभापति : ठीक है।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण जिसे विजन दस्तावेज भी कहा जा सकता है, मैं पूर्व सरकार की 'पूर्व की ओर देखो नीति' के बारे में उल्लेख किया गया है और इस एनडीए सरकार ने कहा है कि "हम इस नीति को जारी रखेगें"। लेकिन यदि आप बजट को देखेगें तो यहां कोई 'पूर्व की ओर देखो' नहीं है। लेकि यहां शायद भारत थे उत्तर या दक्षिण की ओर नहीं देखा गया है बल्कि किसी अन्य देश के उत्तर या दक्षिण की ओर देखा गया है।

इसी प्रकार मध्याहन भोजन के बारे में भी मैं बजट में विभाजित की गई राशि और लाभार्थी बच्चों की संख्या की गणना कर रहा था। प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन और प्रति खाने के लागत 4.70 रुपए है। माननीय मंत्री सहित यदि हमसें कोई माननीय सदस्य इस बात को जानने की इच्छा रखता है मैं इस बात को जानने की इच्छा रखता हूं कि बड़े होते बच्चों को 4. 70 रुपए में कितना पोषण और किस प्रकार का खाना मिलेगा? इसलिए बच्चों के बारे में भूल जाइए। उसकी पोषकता कितनी होगी?

माननीय सभापति : श्री तथागत सत्पथी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप सात मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी समाप्त करता हूं।

मेरे राज्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारे ओडिशा में इस उपमहाद्वीप का 10 प्रतिशत ताजा जल बहता है लेकिन इस पर बांध नहीं बना पाए ताकि इसे रोक सके और पीने के साथ-साथ सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर सके। इसलिए हमारे राज्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हमारे यहां अनेक वर्षों से रॉयल्टी दरों की समीक्षा नहीं

की गई है। इसलिए रॉयल्टी की समीक्षा दिए जाने की जरूरत है और हम संबंध उचित हिस्सा चाहते है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण यादव बोलेंगे।

श्री तथागत सत्पथी : आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि न केवल गंगा बल्कि नर्मदा, महानदी, ब्राह्मणी जैसी नदियों पर विशेष ध्यान देने और सुधार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री तथागत सत्पथी : यह आखिरी मुद्दा है। मैं सरकार से इस पर पुन: गौर करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति : नहीं, आप ज्यादा समय ले चुके है। श्री लक्ष्मी नारायण यादव। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। कृपया सहयोग करे। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप ज्यादा समय ले चुके हैं। अब श्री लक्ष्मी नारायण यादव बोलेंगे।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

****श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** (गिरिडीह) **:** मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट का समर्थन करता हूं।

पिछले 10 वर्षों की निराशा के बाद देश की जनता ऐसे बजट की अपेक्षा कर रही थी जो समाज के हर वर्ग के लिए खरा उतरे। माननीय वित्त मंत्री ने बहुत कम समय में देश के हर वर्ग को खुशी एवं सुखद भविष्य की ओर ले जाने वाला बजट दिया है। इस बजट की प्रशंसा सभी तबके के लोग कर रहे हैं। यह बजट 'आपका साथ-सबका विकास' के सिद्धांत पर खरा उतरा है। औद्योगिक क्षेत्र से लेकर कृषि के क्षेत्र तक सभी के लिए संसाधन जुटाए गए हैं। यह बजट आगामी 5 वर्षों में होने वाले विकास के नींव रखने की शुरूआत है। 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर तक पहुंचाने की चुनौती वित्त मंत्री ने ली है, यह बधाई योग्य है। यूं तो बजट में सभी क्षेत्रों के लिए कुछ-न-कुछ है, पर मैं कुछ खास मुद्दों पर प्रकाश डालकर अपनी सहमति दे रहा हूं। छोटे/बड़े किसानों के लिए 8 लाख रुपए ऋण का लक्ष्य खुशी का विषय है। वित्त मंत्री से मेरा आग्रह है कि सरकारी बैंकों से यह सुनिश्चित कराया जाए। झारखंड एवं असम में 'कृषि अनुसंधान संस्थान' खोलने के प्रस्ताव एवं आवंटन के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कृषि में उपयोग होने वाले मशीन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपिंग सेट, दवा छिड़काव आदि की मशीनों पर करों में छूट देने का भी आग्रह करता हूं।

व्यक्तिगत आयकर में छूट सीमा बढ़ाने पर, पीपीएफ की सीमा के बढ़ाने पर, आवास ऋण पर ब्याज की कटौती की सीमा बढ़ाने पर एवं किसान विकास पत्र को फिर से शुरू करने पर लोगों में अपार खुशी है। लोगों को अच्छे दिन आने की शुरूआत दिखने लगी है। नदियों को जोड़ने की योजना, गंगा को निर्मल बनाने की योजना, मदरसों के लिए 100 करोड़ का आबंटन, ऊर्जा के क्षेत्र में ध्यान, स्मार्ट शहरों की योजना, ये सभी देश को विकास की पटरी पर फिर से लाने में सहायक होगी। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर भी वित्त मंत्री ने पूरा ध्यान दिया है। राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण कर आवंटन 60% बढ़ाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो माओवादियों से जूझ रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा। माननीय वित्त मंत्री ने मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय का प्रावधान किया है। मेरा अनुरोध है कि ऐसा भी एक विश्वविद्यालय झारखंड में खोला जाए/झारखंड का आदिवासी बहुल समुदाय इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश के लिए कई मेडल ला सकता है। झारखंड में आईआईटी की मांग एवं इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को आईआईटी का दर्जा देने की पुरानी मांग हम वित्त मंत्री के समक्ष फिर से रखते हैं।

अंत में मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर) **:** माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देश की जनता हृदय से बजट का समर्थन कर रही है और वास्तव में देखा जाए तो जो यहां बजट का विरोध कर रहे हैं उनकी राजनैतिक मजबूरियां हैं वरना उनके क्षेत्र के लोग भी इस बजट की तारीफ कर रहे हैं।

इस बजट पर जब तीन-चार दिन तक टीवी पर प्रतिक्रियाएं चल रही थीं तो जिनकी राजनैतिक मजबूरी थी उन्हें छोड़कर सब लोग इसका पूरा समर्थन कर रहे थे। यहां तक कि बाजारों में खड़ा आदमी भी इस बजट का समर्थन कर रहा था।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस बजट में एक बहुत अच्छी योजना सरकार ने दी है जिससे देश के 50 परसेंट से ज्यादा आदमी उस योजना को पढ़कर खुश हैं और उनके दिलों में एक अलग तरह की अनुभूति पैदा हुई है। यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। जब यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो इस योजना से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। माननीय अटल जी के जमाने में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी उसी प्रकार से यह योजना है जो देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

इस बजट में दूसरा अच्छा पहलू नदी जोड़ो योजना का है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी इसमें कम पैसा दिया है लेकिन मेरा अपने प्रदेश का अनुभव है कि हमारे प्रदेश में नर्मदा और शिपरा को जोड़ दिया गया है जो एक अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रयास करके नर्मदा और क्षिपरा को जोड़ दिया। मालवा के बारे में कहा जाता था कि "मालवा धरती गहन गंभीर, पग-पग रोटी डग-डग नीर।" पिछले 20-22 सालों से पानी की इतनी कमी हो गयी थी, इस योजना से वह कमी भी पूरी होगी। जिस दिन इस योजना का उद्घाटन हो रहा था वहां लाखों की संख्या में जनता उपस्थित थी। मालवा में अब यह संदेश चला गया है कि पानी की समस्या का हल अब जल्दी हो जाएगा।

माननीय वित्त मंत्री जी, मेरा कहना है कि कृषि बीमा योजना की फिर से जांच होनी चाहिए, उसका रिलूक होना चाहिए, उसे देखा जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह योजना किसानों के हित में नहीं है, उससे किसानों को नुकसान ही होता है, उनका पैसा कट जाता है और वापस नहीं मिलता है - इस प्रकार की उसमें व्यवस्थाएं हैं।

इस सरकार ने लक्ष्य रखा है "एक भारत समृद्ध भारत।" उसमें शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा होगा। हमर सब लोग गांव में रहते हैं और इस बात को देख रहे हैं कि आज शिक्षा में एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा है - गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा में अंतर है। शहर के उच्च शिक्षा संस्थानों में देखा गया है कि गांव के लड़कों को बहुत कम प्रवेश हो रहा है। यह जो समस्या खड़ी हो रही है तो मेरा एक सजेशन है कि जो देश भर के जिलों में एक-एक नवोदय विद्यालय चलता है, अगर आप ब्लॉक के स्तर पर एक-एक नवोदय विद्यालय ले जाएंगे तो आप तय जानिये कि गांव में भी जो टेलेंटेड लड़के हैं वे इन विद्यालयों में प्रवेश पाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। नवोदय विद्यालयों की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां का वातावरण भी पढ़ने वाला होता है। वेसे पूर्व सरकार ने मॉडल स्कूल की स्कीम लांच की थी, उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर गांव की प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना है तो सरकार को चाहिए कि एक-एक नवोदय विद्यालय ब्लॉक लेवल पर खोले।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : आप छह मिनट से अधिक का समय ले चुके हैं। भाजपा के अनेक सांसद है जो बोलना चाहते हैं। इसलिए आप सहयोग कीजिए और अपना भाषण समाप्त की कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है और सदन में कई बार बुंदेलखंड के बारे में चर्चा हुई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अगले वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूं।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बुलेट ट्रेन की गति से बोलने का प्रयास करूंगी।

आज मेरा भाषण कुछ व्यथित हो सकता है। परंतु मैं अपने नेता राजीव जी को याद करना चाहूंगी। उन्होंने एक बार कहा था भारत एक पुराना देश है, परंतु एक युवा राष्ट्र है और प्रत्येक जगह के युवाओं की तरह हम व्यक्ति हैं। हम बड़ी बेसब्री से यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस निर्णायक जनादेश के पश्चात कुछ बदलाव होगा। मैं स्वयं बहुत उत्सुक थी। मैंने जेटली जी का भाषण सुना। उन्होंने भाषण आरंभ करते हुए कहा कि लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया। मैं यह कहना चाहूंगी कि भारतीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ है और हम सब जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट में इसी परिवर्तन को देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं जानती हूं कि सरकार काम-काज की तुलना में सरकार आंकलन करना जल्दबाजी है। परंतु उन्होंने अपने भाषण में एक इशारा दिया है और हमने देखा कि वे मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनकी कार्य प्रणाली में कुछ भी नया नही है और आपसे बेहतर उन्हें और कौन अच्छी तरह से जानेगा। सभापति महोदय यूपीए सरकार ने भी यही कार्य पद्धति अपनाई थी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमने जेटली जी को लोकलुभाव अनिश्चितता और व्यर्थपूर्ण व्यय के बारे में बात करते और उसे टालने के बारे में सुना। उन्होंने वित्तीय विवेक सख्त कदम और बेहतर विकास पर बल दिया है। उन्होंने राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे पर चिन्ता व्यक्त की है। परंतु बहुत महत्वपूर्ण घाटा जो उभर कर सामने आया है वह घाटा चुनाव प्रचार और उसके बजट के बीच है। जिन लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया वे इसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट मिशन से भिन्न है? क्या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना एआईबीपी से भिन्न है? क्या श्याम प्रसाद मुखर्जी मिशन जेएनएनयूआरएस और यूआईडीएसएमटी से भिन्न है? क्या दीन दयाल उपाध्याय फीडर सैवरेशन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से भिन्न है? इस बजट की तुलना में एक मात्र दिखाई देने वाला और सुस्पष्ट परिवर्तन रक्षा और बीमा क्षेत्र में एफडीआई में उनके रूख में परिवर्तन है।

29 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछाना चाहूंगा कि क्या केवल मात्र यह लोकलुभावना है। पिछली सरकार द्वारा घोषित किए गए आईआईएम का हस्र जाने बिना पांच नए आईआईएम की घोषणा करना व्यर्थपूर्ण व्यय होगा। मेरी इच्छा थी कि माननीय वित्त मंत्री रेल मंत्री के बजट से कुल भी नहीं लिया है जिसमें उन्होंने बार-बार यह कहा है कि नई परियोजना को आरंभ करने से पूर्व पिछली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। आज मैंने हेडलाइन्स में देखा कि अनेक आईआईएम को उनके परिसरों के लिए भूमि तक आवंटित नही हुई है।

महोदय, जब कभी नीति पंगु हो जाती है और किसी भाषण में अनिश्चितता आती है मुझे यह कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। दृढ़ इच्छा की कमी के कारण अनेक सत्र बाधित नही हुए हैं, परंतु विपक्ष द्वारा इस सभा की कार्यवाही में बाधा डालने की दृढ़ इच्छा के कारण है। यह संसद जंतर मंतर बन चुकी है।

महोदय विरासत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

[हिन्दी]

विरासत की बात हमने बहुत वार संसद में सुनी है।

[अनुवाद]

क्या भूखे को भोजन बेरोजगार को रोजगार और सभी के लिए शिक्षा आपको विरासत में नही मिली है? आप इन्हें अनुदान और व्यर्थ व्यय मान सकते हैं। हम इसे असमान समाज में संतुलन बनाने के रूप में देखते है। हमें एनडीए सरकार से विरासत में क्या मिला? *[हिन्दी]* जब हमने संसद में कहा था कि टेलीकॉम रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी आपने हमें विरासत में दी थी, तब आपको वह बात पंसद नही आई थी।

[अनुवाद]

सत्ता पक्ष के संसद सदस्य अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं जबकि देश आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए हमें मौलिक परिवर्तनों की बात करनी चाहिए जो हम एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते है।

मैं युवा हूं और मेरा एक सपना है राजीव जी ने कहा था आज मैं कहूंगी मैं युवा हूं और मेरे सपने हैं। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र को सशक्त और आत्मनिर्भर क्षेत्र के रूप में उभरता देखना चाहता हूं। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान की स्थापना से ही यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ा है। हमारी 5300 कि.मी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और हमारी सफलता अधिकांशत बंगलादेश, म्यांमार, भूटान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ विदेशी और आर्थिक नीति पर निर्भर है। परंतु मैं इस पर दूसरे दिन चर्चा करना चाहूंगी। 53000 करोड़ रुपए के आवंटन में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के लिए 20,000 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। परंतु पूर्वोत्तर के लिए आवंटन ही एकमात्र समाधान नहीं हैं पूर्वोत्तर को विकास और सुनियोजित ढंग से निवेश की आवश्यकता है।

आज मणिपुर के लिए खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। परंतु, मैं आपसे पूछाना चाहूंगा कि क्या कोई विश्वस्तरीय ट्रेनर मणिपुर जैसे राज्य में जाना चाहेगा, जहां कोई वायु संपर्क नहीं है, जहां राजमार्गों में सड़क बंद कर दिए जाते हैं? ये वह प्रश्न हैं, जो हमें स्वयं से पूछने चाहिए।

हमें यह देखना होगा कि ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क के लिंक को पूरा किया जाए। महोदय, जिरिणाम-मोरेह लाइन के 219 किलोमीटर को पूरा किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि बांग्लादेश के लिए सड़क संपर्क में सुधार होगा।

हम सरकार का पूर्वोत्तर हेतु 24x7 नए चैनल को प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद करते हैं। परंतु पूर्वोत्तर में विद्युत की अत्यधिक कमी है। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)* परंतु भारत एक बेहतर कल की उम्मीद कर रहा है। हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम लोगों के लिए बोलते हैं।

महिला संसद सदस्य के रूप में, मैं कहना चाहूंगी कि मुझे आशा थी कि निर्भया निधि के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक दिए जाएंगे। मुझे आशा थी कि महिला संबंधी बजट अधिक प्रोत्साहित करने वाला होगा परंतु वास्तव में यह वृद्धि आंशिक है।

मुझे यह समझ नहीं आया – यह मेरी अंतिम बात है- कि अल्पसंख्यकों हेतु कला, स्रोत और सामान में पारंपरिक कौशलों के उन्नयन का अल्पसंख्यकों हेतु क्या अर्थ है। मैं इसे वाराणसी के मतदाताओं हेतु एक लोकप्रिय राजनिति के रूप में देखती हूं।

सभापति महोदय, हमने सत्ता पक्ष से बार-बार सुना है कि वे जनादेश को लेकर कितने खुश हैं। परंतु आज मैं आपको इस बजट भाषण के बाद यह आत्मचिन्तन करने के लिए कहती हूं कि जिन लोगों ने आपको जनादेश दिया है, क्या वे सचमुच आप पर गर्व कर रहे हैं? यहां, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर) : महोदय, जिस विश्वास के साथ भारत की इस महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया, यह बजट उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और एक अनुभवी पार्टी के हाथ में खासतौर पर 10 वर्ष तक देश की बागडोर रही। पूरा देश और विश्व भी यह चाहता था कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। लेकिन गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, कमजोर इच्छा शक्ति के कारण हमारी आर्थिक ताकत कमजोर होती चली गई, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई। हम सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमारी निर्भरता के बेस पर अपने आपको क्षमा नहीं कर सकते हैं।

महोदय, आज युवा सांसद सिंधिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एनडीए द्वारा पेश यह बजट समुद्र में एक टापू के समान है। सिगार, सिगरेट का रेट बढ़ाना, 19 इंच से कम टेलीविजन की कीमतें न बढ़ाना, ड्रिंक्स पर बढ़ाना, देश का हजारों करोड़ रुपया आयातक होने के नाते सेना के क्षेत्र में 49 प्रतिशत की एफडीआई लाना, क्या टापू की बात करना है? भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखती है। दीन दयाल जी द्वारा एकात्म मानववाद पर निर्भरता रखती है। भारतीय जनता पार्टी उन व्यवस्थाओं में विश्वास रखती है जिनमें अन्त्योदय की योजना में विकास की सीढ़ी पर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात होती है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जेटली जी, सुषमा जी, राजनाथ जी सहयोगियों के साथ देश में सरकार बनाना मात्र राजनैतिक घटना नहीं है बल्कि ईश्वरीय घटना है। हमें इसे स्वीकार करना होगा।

हमें विरासत में मिली कमजोर आर्थिक व्यवस्था के बावजूद आदरणीय जेटली ने जो बजट पेश किया है, चाहे अखबार में बात हो या जनता में बात हो, इसे सराहने के लिए मजबूर हैं। यह एक सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि मात्र 45 दिन के समय में इतना सुंदर बजट पेश किया गया है अगर इसकी वास्तविकता को दिल से खोजें तो शायद विपक्ष के लोग भी आलोचना नहीं कर पाएंगे। मैं पेशे से डॉक्टर हूं। मैं समझता हूं कि शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य देश की मजबूती के द्योतक हैं, देश की प्रगति के इंडीकेटर्स हैं। वित्त मंत्री जी ने चार एम्स और 12 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। मैं इस विषय पर लंबी चर्चा चाहता हूं। सच्चाई यह है कि आज देश में साढ़े छह लाख डॉक्टर हैं और चार लाख डॉक्टरों की कमी है। 12 मेडिकल कॉलेजों से 1200 डॉक्टर प्रतिवर्ष मिलेंगे। इसमें और बढ़ोत्तरी की जरूरत है।

मैं अपने क्षेत्र नाएेडा की बात कहना चाहता हूं। यह मात्र उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि एनसीआर की शो विंडो है। अगर मैं उसकी बात न कहूं तो बेमानी होगी। वर्ष 2020 में दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से विश्व की दूसरी आबादी वाला शहर हो जाएगा। अगर इसकी जनसंख्या को अपलोड करके एनसीआर नोएडा जैसे क्षेत्र में ले जाना है तो टोल माफ कराना होगा। टोल के रास्ते से गुड़गांव जाने में समय लगता है, घंटे बर्बाद हो जाते हैं इसलिए डीएनडी पर टोल माफ करना होगा। किसानों की हालत यह है कि भूमि अर्जन के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्राइवेट कॉलेजों की भरमार है, यूनिवर्सिटियों की भरमार है, यहां केवल एक डिग्री कॉलेज है। मेट्रो रेलवे की कनैक्टिविटी बढ़ानी होगी। नोएडा जैसी जगह को फ्री होल्ड करके दिल्ली का बोझ खत्म करना होगा। गंगा नदी की सफाई की बात हुई है वहीं दिल्ली की जीवनरेखा, नोएडा के गौतमबुद्ध नगर की जीवनरेखा यमुना और हिंडन नदी की सफाई की योजना बनानी होगी। नोएडा जैसे क्षेत्र में आठ से दस घंटे बिजली नहीं रहती है। यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत कुछ करना बाकी है। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर बजट की परिकल्पना नहीं हो सकती। आदरणीय मोदी जी जैसे व्यक्ति, जो गरीबी में पैदा होकर आए, गरीबी में रहे हैं, गरीबी को करीब से देखा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जेटली जी ने जनता के सपनों को साकार करने के लिए बजट पेश किया है। यह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सपनों को साकार करने का बजट है, आम जनता का बजट है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बजट है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर. ध्रुवनारायण** (चामराजनगर) : मैं एनडीए सरकार के पहले बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। भाजपा और इसके सहयोगी दलों, ने चुनाव प्रचार के दौरान 'अच्छे दिन' का वादा किया था और अब जब समय आया है कि उन वादों को वास्तविकता में बदला जाए, तो सरकार अपने चुनावी वादों से मुकर गई है। इस बजट को देखने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के बाद, लोगों ने मोदी जी पूछना शुरू कर दिया हे कि "मोदी जी के अच्छे दिन आ गए, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे?"

अनेक लोगों ने सोचा था कि सरकार का पहला बजट पांच वर्षों हेतु एक विज़न बृहद सुधारों और कुछ कटु दवाई लेकर आएगा। दुर्भाग्यवश इसमें कोई वित्तीय विज़न नहीं है, केवल सूक्ष्म सुधार और कड़वी दवाओं की जगह चीनी-युक्त गोलियां हैं।

दीर्घावधि विज़न की बजाए, बजट भाषण अवधि में लंबा था। हमें जनसंख्या के 2.9.6% के लिए 'अच्छे दिन' के वादे को लेकर अभी भी संदेह है। यह डॉ रंगराजन समिति द्वारा भारत में पूर्ण गरीब जनसंख्या का एक नया स्तर है। अब ऐसा लगता है कि सरकार ने उन 'अच्छे दिन' को 4 वर्षों के लिए टाल दिया है। इसका अर्थ है कि सरकार ने आम आदमी को किए गए 'अच्छे दिन' के वादे को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया है क्योंकि जैसा कि श्री पी. चिदंबरम जी द्वारा अपने अंतिम भाषण में अनुमान लगाया गया था कि अच्छे दिन स्वत: ही 3-4 वर्ष के बाद आ जायेंगे। इस सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं है, यह केवल झूठा चुनावी वादा है।

श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में 28 योजनाओं हेतु प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। यह बजटीय प्रावधान काफी कम है और इस बजटीय आवंटन से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।

यहां महिला सशक्तीकरण पर मैं डॉ. बी.आर अम्बेडकर के विजन का उल्लेख करना चाहूंगा। **"मैं किसी समुदाय/देश की प्रगति का माप महिलाओं की प्रगति से करता हूं।"** परंतु इस सरकार ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम" के लिए केवल 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। भारत में महिला साक्षरता 65.56% है।

मैं इस सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उसके पास इस देश के कमजोर तबके के कल्याण के लिए क्या दृष्टि और विचार हैं। मुझे मध्यमवर्ग और कमजोर तबके के कल्याण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता पर वाकई संदेह है।

अनेक चुनावी सभाओं में मोदी जी और उनके सहयोगियों ने महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज पर घंटों भाषण दिए। लेकिन जब सकारात्मक कार्रवाई करने का समय आया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार आने पर फिर से पीछे हो गई है। इस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु मात्र 100 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया है। इससे साबित होता है कि सरकार अपने दिए गए आश्वासनों पर प्रतिबद्ध नहीं है। अब भारत के गांव वृद्धा होते जा रहे हैं, ग्रामीण युवाओं की कृषि में रुचि कम हो रही है।

"अच्छे दिन" का वादा लगता है किसानों के लिए नहीं था, यह कॉर्पोरेट घरानों के लिए था जिन्होंने चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के दलों का सहयोग किया। यह इस बजट में प्रतिबिम्बित हो रहा है। सरकार ने "नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी अध्ययन आरंभ करने" के लिए केवल 100 करोड़ रुपए दिए हैं। इन प्रावधानों से गरीब ग्रामीण और किसानों की मौजूदा स्थिति में कोई विवेच्य परिवर्तन नहीं होगा। इन प्रावधानों का तर्कसंगत आधार क्या है?

बजट में ब्यौरे की कमी है और इसमें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद को 4.10% तक कम करने का वादा दिखाई देता है। साथ ही राजसहायता के लिए और अधिक प्रावधान किए गए हैं। यह कैसे संभव होगा? बजट में ब्यौरे की कमी है।

सरकार ने बीमा और रक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा (49%) बढ़ा दी है। हमें यह जानना है कि सरकार इस महान राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है अथवा उन कॉर्पोरेट घरानों के कल्याण के लिए जिन्होंने चुनावों में उनकी मदद की। बीमा क्षेत्र एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। करोड़ों मध्यमवर्गीय लोगों ने खराब समय में उपयोग के लिए अपनी कमाई की बहुमूल्य बचत इसमें लगाई है। विदेशी कंपनियों के कारण इस क्षेत्र में हुए किसी गलत आबंटन और घोटालों से पूरे देश के लाखों परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा।

पुन: रक्षा क्षेत्र एक अन्य क्षेत्र है जिसमें सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा वृद्धि के सावधानी पूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता है। सरकार को तकनीकी हस्तांतरण/हिस्सेदारी और अन्य संवेदनशील मुद्दों के लिए कठोर नीति तंत्र स्थापित करना चाहिए।

दूसरी ओर सरकार की विभिन्न ब्रांडों वाले खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर दोहरी सोच है। पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार के प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न ब्रांडों वाले खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दृष्टिकोण किसानों और खाद्य प्रसंस्करण और शीत भंडार उद्योग को सहयोग देने का था। वास्तविक लाभार्थी किसान समुदाय है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इस समुदाय की ओर कम ध्यान दिया है।

देश में मुद्रास्फीति में सतत् वृद्धि हो रही है, खाद्यान्न के बढ़ते हुए मूल्य देश में आम आदमी के कल्याण को नितान्त रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस स्थिति में मुद्रास्फीति जिसके दो अंकों (दहाई) को छूने की संभावना है से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने प्रस्ताव हैं? इस पहलू पर बजट में ब्यौरे की पूर्णत: कमी है।

जब चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी ने बंगलौर का दौरा किया था तो उन्होंने अनेक वादे किए थे और बंगलौर शहर के बारे में अपने अपने

साझा किए थे। लेकिन उनके सभी वादे और दृष्टिकोण केवल उनके चुनावी भाषण तक ही सीमित थे, कुछ भी लागू नहीं हुआ। यद्यपि बंगलौर को भारत का सूचना प्रौद्योगिकी शहर (सिलिकॉन सिटी) माना जाता है, पर सरकार द्वारा इस तथ्य की देश के नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए उपेक्षा की गई। बंगलौर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रावधान से उद्योग और संस्था के बीच साथ काम करने का एक सशक्त माध्यम होता।

अब मैं इस सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार के इस निर्णय के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है? देश में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालयों और तेलंगाना और हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना एक सराहनीय कदम है। लेकिन पहले से विद्यमान देश के 60 से अधिक कृषिक्षेत्र के विश्वविद्यालयों के बारे में क्या है? ये विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के लिए बुनियादी अवसंरचना की कमी से भी जूझ रहे हैं, इन्हें केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार के पास विकास की दूरदृष्टि का अभाव है और यह एक गंभीर मुद्दा है।

ग्रामीण-शहरी पलायन की समस्या से शहरी, मलिन बस्तियों के अश्युदय और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए श्रमिकों की कमी के लिए बजट में किसी ठोस कार्यक्रम का सुझाव नहीं दिया गया है। आज, भारत के गांव वृद्धाश्रम बन चुके हैं, ग्रामीण युवाओं की कृषि में रुचि खत्म हो रही है, जिसके कृषि विकास और देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर निहितार्थ होंगे।

बजट में कृषि विकास को और सशक्त बनाने वाले प्रस्तावों का अभाव है, जबकि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि देश में किसानों की संख्या लाखों में है और बाकी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं।

कुछ महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण मुद्दे, जिन की सरकार ने अनदेखी की है, इस प्रकार हैं:- मौजूदा संस्थानों का सशक्तीकरण; ग्रामीण अवसंरचनात्मक ढांचा - सड़क, परिवहन, बाजार, प्रसंस्करण और भंडारण इत्यादि; ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र - कृषि; कृषि मजदूर - मशीनीकृत खेती; जलवायु परिवर्तन - मशीनीकरण अनुकूलन और अनुकूलन रणनीतियां; प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)।

[हिन्दी]

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य) : माननीय सभापति, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और अपनी पार्टी के साथ बजट का समर्थन करता हूं। शिव सेना के संस्थापक श्रद्धेय माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने एक स्वप्न देखा था कि यह देश जनता के लिए हो और जनता द्वारा शासित हो ताकि छोटे से छोटे काम करने वाले को शासन में भागीदारी का हक मिले, अपनी बात कहने के लिए सशक्त मंच मिले। मोदी जी की सरकार श्रद्धेय माननीय बाला साहब ठाकरे जी का स्वप्न साकार करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बजट द्वारा हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार से प्रावधान किए हैं, उसमें प्रत्येक वर्ग को राहत देने वाले हैं। बजट में युवा वर्ग को रोजगार, किसानों को राहत और विद्यार्थियों को सुविधाएं और महिलाओं को सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। श्रद्धेय बाला साहब जी के विचारों को यदि हम अपने व्यवहार में लाएं तो निश्चित ही जनता की भलाई का कार्य कर पाएंगे और जनता को अच्छा जीवनयापन के अच्छे रास्ते निकाले जा सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। सभापति जी, मैं शिवसेना पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष उद्धव जी के नेतृत्व में मुंबई से आता हूं और मुंबई के बारे में आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मुंबई शहर भारत की वाणिज्यिक राजधानी और राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र रहा है।

मुंबई भारत का सबसे बड़ा समुद्री पत्तन और व्यापार, वाणिज्य और वित्त का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। देश के कुल विदेशी व्यापार का एक-तिहाई मुंबई के दो पत्तनों पर होता है और इन पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की आवाजाही की हिस्सेदारी क्रमशः करीब 38 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

प्रमुख वित्तीय और सरकारी प्रतिष्ठान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों के मुख्यालय, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और बीएआरसी, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन जैसे परमाणु ऊर्जा केन्द्र, नौसेना का पश्चिमी कमान मुख्यालय, मझगांव डॉक इत्यादि मुंबई में स्थित हैं। यह एक प्रमुख विनिर्माण केन्द्र है और यहां देश का 30 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन होता है तथा अनुमानतः 10 प्रतिशत औद्योगिक रोजगार उपलब्ध हैं। भारत के कर राजस्व का एक-तिहाई से ज्यादा इसका योगदान है। इस प्रकार, प्रत्येक वित्त वर्ष में सीमा शुल्क और आयकर की प्राप्तियों से केन्द्रीय राजस्व में इसका प्रमुख योगदान है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पांच प्रतिशत इस शहर में सृजित होता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुंबई शहर विशिष्ट भूमिका निभा रहा है।

महोदय, संपूर्ण देश के शहरों ने, विशेषकर महाराष्ट्र के, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर

खींचा, जिससे शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ। मुंबई की जनसंख्या देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी उच्च दर से बढ़ रही है।

महोदय, इस शहर की सड़कों की लंबाई 1,900 किमी., सीवर नालों की लंबाई 1,400 किमी., 300 किमी की ट्रंक लाइनें और 4000 किमी लंबी फीडर/वितरक साधन हैं।

महोदय, इसके परिणामस्वरूप 4.97 मिलियन से ज्यादा आबादी झुग्गी-बस्तियों में रह रही है। यहां राजधानी में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के कारण देश के अन्य भागों से काफी संख्या में लोग आए हैं, जिसके कारण जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 9.9 मिलियन से बढ़कर 12.46 मिलियन हो गई है।

महोदय, इतनी बड़ी आबादी के लिए जलापूर्ति, सीवर सेवाएं, सड़कें, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन, गैस कचरा प्रबंधन सेवाएं, अग्निशामक सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन, निवारात्मक स्वास्थ्य सेवा का प्रबंधन के साथ अस्पताल, कब्रिस्तान, बाजार इत्यादि की जिम्मेदारी वृहनमुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) के पास है। मैं माननीय वित्त मंत्री से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मुंबई के लोगों के लिए इन सब सुविधाओं को सुकर बनाने के लिए और अधिक केन्द्रीय फंड आवंटित करें।

महोदय, मुंबई में किया गया निवेश कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। इसलिए, मुंबई के अवसंरचनात्मक ढांचे और विशेष परियोजनाओं में किया गया निवेश देश के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुंबई की जो इम्पोर्टेंट प्रोजैक्ट्स हैं, उनकी सबमिशन इसके पहले 14वें फाइनेन्स कमीशन के पास की गई थी, उसमें मुंबई की कोस्टल रोड के बारे में सबमिट किया गया था। कोस्टल रोड के लिए, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मुंबई को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, रोड और ब्रिजेज के लिए कुल रिक्वायरमेन्ट 2041 करोड़ की है। उसमें कोस्टल रोड और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट रोड, स्टोर्म वॉटर ड्रेन इम्प्रूवमेन्ट के लिए 3,927 करोड़ की आवश्यकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए लगभग 1,617 करोड़ की रिक्वायरमैन्ट्स है। हैल्थ केयर हॉस्पिटल और स्पेशियलिटी सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए लगभग 2,340 करोड़ की रिक्वायरमेंट है।

[अनुवाद]

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल) : सभापति महोदय, हम सुरक्षित नहीं हैं। छत में लीकेज है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राहुल रमेश शेवाले : एजूकेशन के लिए 2,126 करोड़ की रिक्वायरमैन्ट है। फायर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 2,514 करोड़ रुपए की रिक्वायरमैन्ट है। ओवरऑल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 71,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेन्ट है। इसके पहले स्टेट गवर्नमेन्ट ने और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 14वें फाइनेंस कमीशन के लिए सबमिशन किया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह चिन्ता का विषय है। माननीय सदस्य ने छत में कुछ लीकेज की बात कही है और इससे समस्या हो सकती है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : इसकी जांच की जा रही है। हम वाद-विवाद जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राहुल रमेश शेवाले : सभापति महोदय, इस बजट में यूनिटी ऑफ स्टेचू के लिए बजट प्रोविजन किया गया है तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री को रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए इंदू मिल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का प्रावधान है, उसके लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए बजट प्रोविजन करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी (अनन्तपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर मुझे पहले भाषण देने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में अपना कौशल, पैमाना और गति दर्शाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बजट अग्रगामी और विकासोन्मुख है।

जैसा कि मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है वर्तमान दयनीय आर्थिक स्थिति हमें संप्रग द्वारा प्राप्त हुआ है। संप्रग के माननीय सदस्यगण व्यापक आलोचना कर रहे है कि न कि वास्तविक आलोचना जो स्पष्ट

रूप से यह दर्शाती है कि वे एक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, टीडीपी और बीजेपी के मेरे कई साथियों ने बजट की प्राथमिकताओं का वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न प्रस्तावों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया है तथा बजट को और अधिक वास्तविक बनाने का भी सुझाव दिया है।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं बजट के कुछ पहलुओं और आंध्र प्रदेश राज्य की कुछ न्यायसंगत मांगों, जो पीछे छूट गई थी, के बारे में ही बताना चाहूंगा। मेरा राज्य सहायता के लिए केन्द्र सरकार की ओर देख रहा है ताकि यह आत्मनिर्भर बन सके।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुसार भारत एक कल्याणकारी राज्य है। गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन करना केन्द्र और राज्यों के लिए जरूरी है। मैं सहमत हूं कि समावेशी विकास के जरिए सभी गरीब, अ.ज., अ.ज.जा., अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन कल्याण के नाम पर उत्तरवर्ती सरकारें और दलें मुफ्त सौगात बांट रहे है।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हम किस हद तक मुफ्त सौगात बांट सकते है? क्या यह जीडीपी का एक प्रतिशत या दो प्रतिशत या तीन प्रतिशत है? अब, राजनीतिक दलों में होड़ लगी है कि अगर 'अ' 1000 करोड़ रुपए बांटता है तो 'ब' परिणामों को देखे बगैर 2000 करोड़ रुपए बांटता है। वे सभी यह कर रहे है लेकिन किस कीमत पर? यह करदाताओं की कीमत पर है। ठीक है; लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, क्या गरीब लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं? नहीं, तो फिर उत्तरवर्ती सरकारें इस देश को कहां ले जा रही है? वे इस देश को बंगाल की खाड़ी में डुबाने ले जा रही है। वे देश को विदेशी निर्भरता की अवधि की ओर ले जा रहे है।

महोदय, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि कल्याणकारी उपायों और मुफ्त सौगातों पर सीमा लगाई जाई। मैं इस पर एक निश्चित सीमा लगाने का सुझाव नहीं दूंगा। यह सभा को निर्धारित करने दें। बजट पर यह सीमा 10 या 20 या 30 या 40 प्रतिशत हो जो राज्यों और केन्द्र द्वारा कल्याणकारी उपायों पर खर्च की जाएंगी।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, सदन में वर्षा का जल गिर रहा है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : इसकी जांच की जा रही है। चर्चा आगे बढ़ाइए।

जी हां, रूडी महोदय, जारी रखिए।

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी : महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री मुझे सुनेंगे...*(व्यवधान)*

दक्षिण में, कल्याणकारी उपायों पर ऐसे ही धन खर्च किया जा रहा है। कुछ लोग मुफ्त टीवी और कुछ लोग थालियां दें रहे हैं जो केवल विवाहित महिला का प्रतीक है। ऐसी चीजों के लिए वे बहुत धन खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम कोई ठोस कार्य नहीं कर पाए हैं। इसीलिए राज्यों में हम सभी परेशान हैं।

महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता वह नदियों को परस्पर जोड़ने की है। माननीय प्रधानमंत्री नदियों को परस्पर जोड़ने में बहुत उत्सुक और इच्छुक है। उन्होंने अपनी चुनाव शैलियों में इसके बारे में कई बार कहा है और वायदा किया है कि वह नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना शुरू करेंगे। गुजरात में कुछ नदियों को परस्पर जोड़कर उन्होंने यह साबित किया है। मैं इस कदम की सराहना करता हूं और तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं क्योंकि मैं यह गंभीरता से महसूस करता हूं कि नदियों को परस्पर जोड़े बिना न केवल कृषि, विद्युत उत्पादन में विकास प्राप्त करना अपितु पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों हेतु पर्याप्त जल प्राप्त करना असंभव है। उनके वायदे के अनुसार, उन्होंने इलाहाबाद और हल्दिया के बीच जल मार्ग विकास नामक एक परियोजना की पहल की है। यद्यपि यह एक जलमार्ग है लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी : विवरण की गहराई में न जाकर मैं बताना चाहूंगा कि गंगा और कावेरी नदियों को परस्पर जोड़ने की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं अनन्तपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं।

माननीय सभापति : कृपया आप बैठ जाइए। आप समय समाप्त हुआ।

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : महोदय, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आम बजट पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं नमन करता हूं मेरी पार्टी के उन नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और विचार परिवार के सभी सहयोगियों का और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता का जिन्होंने मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचाया।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने आम बजट पेश करने के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा की गयी घोषणा सबका साथ, सबका विकास को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत नींव और आधार रखा है। वित्त

मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट ने देश के सभी वर्गों की आवश्यकता और विकास को ध्यान में रखकर एक ऐसा बजट बनाया है, जिससे देश में ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है और साथ ही विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। वित्त मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में जिसमें कि मध्यम वर्ग को आयकर में छूट देकर बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। साथ ही साथ देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के उद्योगों, लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर जो नींव रखी है, हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश में औद्योगीकरण को बहुत बढ़ावा मिलेगा।...*(व्यवधान)*

मैं वित्त मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,389 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, इससे हमारे देश के सभी गांवों के लिए सड़कों का एक ऐसा जाल विकसित होगा, जिससे ये सड़कें हमारे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट साबित होंगी।

महोदय, यह बहुत हर्ष का विषय है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने देश के गांव के उस गरीब व्यक्ति का दुख समझा है, जिसके घर में रोशनी नहीं होती है। मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से 500 करोड़ के बजट के साथ उस गरीब के घर में भी रोशनी पहुंचाने की योजना रखी है, जो एक रोशनी की उम्मीद लिए बैठा था।

महोदय, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए, देश के पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक हमारी मूल संरचना पर, जो भारत देश की आत्मा है, वह हमारी संस्कृति है, हमारा पर्यटन है, उसके लिए भी उन्होंने पांच सौ करोड़ का एक आवश्यक बजट का प्रावधान करके अपनी भावनाओं को, देश के प्रति अपने जज्बे को प्रदर्शित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी यह भावना एक बड़े वृक्ष के रूप में जन्म लेगी और हमारे देश की संस्कृति बहुत फलेगी-फूलेगी और हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनायी। एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिसके माध्यम से उन्होंने हजार करोड़ रुपए का एक बजट का आबंटन किया। मैं सोचता हूं कृषि, जैसे यूपीए की सरकार के जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पैसे पेड़ से नहीं, जमीन से उसकी फसल पैदा करने का निर्णय लिया और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत उन्होंने एक ऐसी योजना बनायी है, जिससे हर खेत को पानी मिले, हर किसान को रोजगार मिले। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

महोदय, इसके साथ ही मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान के लिए वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय दिया है। मैं राजस्थान की ओर से वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्थान के लिए उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय दिया है।

महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया था और देश की नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में सोचा था। एक ऐसी योजना उन्होंने बनाई थी। हमारे देश में एक तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, जैसे हमारे एक माननीय सदस्य सुबह कह रहे थे कि चार-चार फीट पानी में से होकर उनको गुजरना पड़ता है, नरक का जीवन जीना पड़ता है और दूसरी तरफ हमारे देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जहां हमारे किसान सूखे के मारे मरते हैं। वाजपेयी जी ने इस चीज को समझा था। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने देश की इस पीड़ा को समझा।...*(व्यवधान)* एक मिनट।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पांच मिनट ले चुके हैं। बहुत सारे सदस्य बोलना चाहते हैं।

मेरा छोटा सा सुझाव है। मेरे पास बोलने वाले सदस्यों की लंबी सूची है। मैं चार बार घंटी बजा चुका हूं। यदि आप ज्यादा समय लेंगे तो हम समाप्त नहीं कर पाएंगे।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैं साफतौर पर संपूर्ण सभा को यह सुझाव देना चाहता हूं कि चार मिनट के बाद मैं घंटी बजाऊंगा। आपको पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करनी होगी। अन्यथा यह कभी भी खत्म नहीं होगा।

अब आप जारी रख सकते हैं। आप एक मिनट और बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया : महोदय, नदियों को जोड़ने का एक ऐसा बीड़ा उन्होंने उठाया है, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में आगामी वर्षों में बहुत दूरगामी लाभ होंगे। देश को कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जो बाढ़ से परेशान होगा और देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो सूखे से ग्रसित होगा। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं देश की जनता की ओर से कि उन्होंने इस दर्द को समझा।

महोदय, मैं राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी बहुत असिंचित भूमि है। लगभग 1 लाख 20 हजार हेक्टेयर भूमि असिंचित है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से इतना सा आशीर्वाद और ध्यान चाहूंगा कि उस भूमि पर लगभग चार लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है।...*(व्यवधान)* सभापतिजी, आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल** (महाराजगंज) : सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 का प्रथम लोकप्रिय केन्द्रीय बजट पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह आम-बजट देश के सवा सौ करोड़ लोगों का हर संभव ख्याल रखने वाला है। मैं केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए इस लोकप्रिय, जनप्रिय एवं विकास प्रिय बजट का समर्थन करता हूं। बजट में सरकार की सोंच आम आदमी के साथ दिख रही है। यह लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह बजट देश के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है। यह बजट एक प्रगतिशील बजट है। यह बजट झोपड़ी से महल तक का ख्याल रखा है। यह बजट सभी धर्म-वर्ग को ध्यान रखा कर बनाया है।

मैं ऐसे लोकप्रिय बजट पेश करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को अपने लोक सभा क्षेत्र की आम लोगों के तरफ से पुन: धन्यवाद करता हूं। चूंकि सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 15 अगस्त को वित्तीय समावेश मिशन नामक एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिकतम लोगों को बैंकिंग सुविधा मिले इसके लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां बैंक शाखाओं की संख्या काफी कम है वहां और अधिक बैंकों की शाखाएं खोली जाएं। विशेष रूपर से बनियापुर प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, जलालपुर प्रखंड में भी एसबी आई एवं बनियापुर प्रखंड के ही धोबलवल बाजार में पंजाब नेशनल बैंक, एकमा प्रखंड के बड़ेजा बाजार में पीएनबी शाखाएं खोली जाएं।

इस बजट में आम आदमी को आयकर में 50,000 रुपए की छूट दी गई है जो एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कम आय वर्ग के लोगों, जिनकी संख्या देश में काफी है, को बड़ी राहत मिलेगी।

आज देश निर्माण क्षेत्र में मंदी के दौर से गुजर रहा है। जो हमें यूपीए के दस वर्षों के शासन के कारण विरासत में प्राप्त हुआ है। निर्माण क्षेत्र में जान फूंकने के लिए और आशा का संचार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने आवास ऋण के ब्याज पर 50,000 रुपए की आयकर छूट दी है। यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला सराहनीय कदम है।

उत्पादन क्षेत्र को इस बजट के केन्द्र में रखा गया है, जो अभूतपूर्व है। इससे जहां एक ओर देश के सकल घरेलू को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा जिससे देश में बड़े पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा। जब तक आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो जाता तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इस तथ्य को गंभीरता से स्वीकारते हुए माननीय वित्त मंत्री ने देश के 100 शहरों को विकसित करने की घोषणा की है और इसके लिए निधि का आवंटन किया है। इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।

आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है। माननीय वित्त मंत्री ने इस महत्व को स्वीकारते हुए स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया है। इसके साथ-साथ तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है।

इस बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भी विशेष महत्व दिया गया है। देश के विभिन्न राज्यों में नए एम्स खोलने की घोषणा की गई है जो एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत की कुंजी है। हमारे देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आय की है। हमारा देश युवा है और देश के युवाओं के स्वास्थ्य की चिन्ता करना हमारी पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में दिए अपने भाषण में इसका प्रमुखता से उल्लेख किया था और माननीय वित्त मंत्री ने उस सोच को आगे बढ़ाते हुए ठोस कदम उठाने की घोषणा अपने बजट भाषण में की है। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना की अपने बजट में प्रावधान कर माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। तमाम कानूनों के बावजूद आज भी देश में कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है, बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं। यह समस्या पूरे देश के पैमाने पर व्याप्त है। हमारी सरकार ने इस पर चिन्ता करते हुए इस पर ध्यान दिया है और समुचित बजट का प्रावधान किया है। हमारे समाज में बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यदि हम उनका संरक्षण करेंगे तो हमारे देश में समृद्धि स्वयं आयेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि "यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" माननीय वित्त मंत्री ने इसी सोच को आगे बढ़ाया है इसके लिए उन्हें कोटिश: बधाई।

माननीय वित्त मंत्री ने किसान विकास पत्र को पुन: शुरू करने की घोषणा की है। यह स्वागत योग्य है। इससे देश में लघु बचत को बढ़ावा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मिलेगा और जमीनी स्तर पर समृद्धि आएगी। पीपीएफ बचत को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है इससे, आम आदमी अधिक बचत कर सकेगा। और उसे आयकर में भी छूट मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ एक प्रगतिशील और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बलका सुमन (पेड्डापल्ली) : बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं पहली बार लोक सभा में बोल रहा हूं। यह मेरा पहला भाषण है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोकतंत्र के इस मन्दिर में सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था और न ही कभी इसकी आशा की थी।

आज मैं यहां पर दो महान हस्तियों को याद करना चाहता हूं। पहला डॉ. बाबासाहेब भीमराम अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता जिन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया। आरक्षण की सहायता से हमने अध्ययन किया और हमें अनेक अवसर मिले। दूसरा श्री के चन्द्रशेखर राव: तेलंगाना के जनक। इनके नेतृत्व में हमने पिछले 14 वर्षों के दौरान पृथक तेलंगाना के लिए संघर्ष किया है। आखिर में मैडम सोनिया गांधी जी, बीजेपी और इस सभा के अनेक दलों की सहायता से हम अपना लक्ष्य प्राप्त किया।

माननीय सभापति मुझे पेड्डापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने मुझे 2,91,000 मतों के भारी अंतर से विजयी बनाया? लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक सामान्य छात्र नेता एक करोड़पति को हरा सकता है। मेरे मामले में यही हुआ है।

आम बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने समाज के सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है और उन्होंने कृषि, उद्योगों, विनिर्माण क्षेत्र मध्य आय वर्ग विशेषकर नौकरी पेशा वर्ग आदि पर ध्यान दिया गया है।

बजट में अनुसूचित कल्याण के लिए 50,548 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संपूर्ण के विकास के मापदंडों पर संपूर्ण देश में अनुसूचित जातियों का थोड़ा ही विकास हुआ है। इसे महसूस करते हुए तेलंगाना राज्य ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रतिवर्ष तेलंगाना 10,000 करोड़ रुपए का पृथक बजट निर्धारित किया। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्र को देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय बजट का कम से कम 16 प्रतिशत धनराशि निर्धारित करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया का पालन करे।

इसी तरह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्र को पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। देश में पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए पृथक धनराशि निर्धारित करके इसे पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए।

सभी पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक बजटों में शिक्षा पर जोर देने के बावजूद साक्षरता दर और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालो विशेषकर महिलाओं अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों की दर बहुत अधिक है। इसी को महसूस करते हुए तेलंगाना सरकार ने केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया है। इसलिए मैं वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से इस अवधारणा को संपूर्ण देश में शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

चूंकि, मैं तेलंगाना राज्य से हूं और हम सामान्य बजट और रेल बजट से बहुत निराश है। तेलंगाना के चार करोड़ लोगों की पूरी तरह से उपेक्षा और अनदेखी की गई है।

अब मैं अपने राज्य से संबंधित कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। मैं भारत सरकार से हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईसीआईआर) के लिए धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

तेलंगाना राज्य में कृष्णा और गोदावरी नामक दो प्रमुख नदियां हैं। लेकिन हमारी स्थिति हिन्दी फिल्म के एक गाने "सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है" जैसी है। हमारे यहां दो नदियां हैं लेकिन हमारे पास पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से तेलंगाना राज्य की दो परियोजनाओं पहली कृष्णा नदी पर और दूसरी गोदावरी नदी पर जिसे "प्रणाहित चैवला" को राष्ट्रीय दर्जा देन का अनुरोध करता हूं।

यहां पर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक निष्क्रिय इकाई भी है जिसका पुनरुद्धार और इसे पर्याप्त गैस दिए जाने की आवश्यकता है। एफसीआई की ऐसी ही एक इकाई मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पेड्डापल्ली को रामागुंडम में है जिसका पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है। मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से इसे तेलंगाना राज्य से होकर जाने वाली पाइपलाइनों के माध्यम से पर्याप्त गैस आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य कृपया एक मिनट रुक जाइए। अब आठ बजने वाले हैं। अनेक सदस्य बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम सभा के समय के आधे घंटे की वृद्धि कर सकते हैं। सभी पार्टियों को आवंटित समय समाप्त हो चुका है।

मैं सदन की अवधि को और आधे घंटे के लिए आगे बढ़ाने के संबंध में सदन की राय जानना चाहता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

माननीय सभापति : सभा का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री बलका सुमन : सिंगरेनी कोयला खदानों के कर्मचारियों, जोकि जोखिमपूर्ण स्थितियों में काम करते हैं, द्वारा आयकर छूट संबंधी मांग निरंतर की जाती रही है। हमारी तेलंगाना सरकार ने राज्य विधानसभा में इस संबंध में एक संकल्प पारित किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तेलंगाना राज्य को औद्योगिक गलियारे - कागजनगर से काठागुडेन वाया मंचरयल और हैदराबाद से वारंगल।

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बलका सुमन : महोदय यह मेरा पहला भाषण है, मैं समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति : ठीक है, एक मिनट और ले लीजिए।

श्री बलका सुमन : महोदय, ने तेलंगाना भारतीय संघ का नया राज्य है, इसलिए इसे वित्तीय और राजकोषीय उपायों और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सामाजिक क्षेत्रों के संदर्भ में अवसंरचना के संबंध में काफी सहायता की उम्मीद थी। तेलंगाना राज्य के दस जिलों में से 9 अति पिछड़े हैं और बीआरजीएफ के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर रहे हैं।

यहां तक कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अध्यादेशित मुद्दों का भी बजट में स्थान नहीं दिया गया है, सिवाए बागवानी विश्वविद्यालय। यहां तक कि प्रधानमंत्री के समक्ष रखे गए मुद्दों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे यह समझ नहीं आता कि मेरे राज्य तेलंगाना के साथ अकेले ऐसा क्यों किया जा रहा है।

मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करें, तेलंगाना एक नया और सबसे युवा राज्य है, इसलिए हमारी चिन्ताओं, हमें निधियां और योजनाओं को विशेष मामला माना जाए।

***डॉ. के. कामराज** (कल्लाकुरिची) : मैं आदरणीय और सम्मानीय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय 'अम्मा' को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का आभारी हूं।

मैं, माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके पहले बजट भाषण के लिए बधाई देता हूं, जैसा कि उन्होंने अपने बजट में सही कहा है कि भारत के लोगों ने परिवर्तन के लिए मतदान किया है। भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को भारतीय लोकतंत्र के लोग द्वारा दोषसिद्ध किया है। विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, सुपर प्रधानमंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था को 5% कम वृद्धि की ओर ले गए और दोहरे अंकों में खाद्य महंगाई, उनकी अकार्यवाही, अनिर्णय और वोट बैंक राजनीति के परिणाम हैं। बजट प्रस्तुति के समय वित्त मंत्री द्वारा कंधे और पीठ की दर्द की परेशानी वस्तुत: भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।

हमारी माननीय मुख्यमंत्री "अम्मा" ने आशा जताई है कि "यह भविष्योन्मुखी बजट" आर्थिक पुनरुद्धार करेगा।

जल ही जीवन है। दुनिया पानी के बिना नहीं रह सकती। मैं सभा के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि देश का भूजल स्तर संकटपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है। पेयजल आवश्यकताओं और कृषि प्रयोजन के लिए पानी प्राप्त करना काफी कठिन है। आज देश को भूजल स्तर में सुधार, वर्षा जल संचयन, नए बांधों, झीलों का निर्माण, बांधों से गाद निकालने और नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री 'अम्मा' ने लगभग एक दशक पूर्व वर्षा जल संचयन प्रारंभ और लागू किया था।

मैं नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई सुविधा अधिगम में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए और नीरांचल कार्यक्रम के अंतर्गत देश में पनधारा कार्यक्रम को बल प्रदान करने के लिए 2142 करोड़ रुपए के आवंटन हेतु धन्यवाद करता हूं।

यद्यपि, मंत्री जी ने सही दिशा में प्रयास किए हैं उपर्युक्त योजनाओं के आबंटन को अवश्य बढ़ाया जाये और देश में जल की कमी की समस्या के समाधान के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम कुछ नदियों को आपस में अवश्य जोड़ा जाये। 5 वर्षों के अंत में यदि सरकार देश में भू-जल के स्तर को बढ़ाने समर्थ हुई तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

मैं मंत्री जी से सलेम जिले के वीरागनुर के पास पचमलाई की तराई में बांध, जो गंगावली और थलाईवासल जिलों के लोगों को पेयजल प्रदान करेगा के निर्माण के लिए निधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 1/6 है और जनसंख्या का लगभग दो तिहाई कृषि पर निर्भर है। मंत्री जी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं यह स्वागत योग्य कदम है, इसके विपरीत पूर्व प्रधानमंत्री ने किसानों को कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र पर छोड़ने की सलाह दी थी। मंत्री ने कुछ कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया है जिनसे कृषि संबंधी तौर-तरीकों के ज्ञान का प्रसार होगा और यह एक स्वागत योग्य कदम है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं कृषि तकनीकियों, जल संरक्षण, जैविक कृषि आदि के बारे में कृषि समुदाय को ज्ञान प्रदान करने के लिए किसान टीवी आरंभ करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मैं कीट और पत्तवार प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए भी मंत्री से अनुरोध करता हूं जो कृषि के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण है।

कृषि के क्षेत्र में विभिन्न विकास संबंधी निधियों के आबंटन को बढ़ाने के लिए मंत्री जी के प्रयासों से किसानों की समस्या का समाधान होगा और आने वाले वर्षों में प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

मैं मंत्री जी से कृषि संबंधी मशीनों का मूल्य कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि कृषि की तकनीकियां मशीनीकृत हो जाएं जिससे कृषि मजदूरों की आवश्यकता में कमी आएगी। मैं परिसंपत्तियों के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करके और उनको कृषि कार्यों से जोड़कर कार्यों को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" में संशोधन करने के लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्री "अम्मा" द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करने के लिए भी मंत्री जी की सराहना करता हूं।

मैं माननीय मंत्री से शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए सब्जियां, फल और हरी पत्ती उगाने वाले किसानों के लाभ के लिए थलाईवसल, सलेम जिले में प्रशीतक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" से फ्लोराइड, संखिया, अत्यधिक विषैले तत्वों आदि की अधिक मात्रा से प्रभावित लोगों को सामुदायिक जल शोधक संयंत्रों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की परेशानियों को कम किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सेलम जिले के अयोथियापट्टिनम खंड के अनेक गांवों जो पानी में अधिक फ्लोराइड की मात्रा से प्रभावित हैं में जल शोधक संयंत्र लगाने के लिए निधियां आबंटित करने हेतु अनुरोध करता हूं।

सभी के लिए स्वास्थ्य - गरीब लोगों को नि:शुल्क नैदानिक सेवा और नि:शुल्क औषधि सेवा प्रदान करने की योजना बीमारियों का शीघ्र निदान और उपचार होगा और इसके फलस्वरूप बीमारियों के कारण रुग्णता और मृत्यु कम होगी।

मैं मंत्री जी को चैन्नई में मद्रास मेडीकल कॉलेज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की मंजूरी देने के लिए जो वृद्ध रोगियों की चिकित्सा देखभाल के लिए जरा-चिकित्सा औषधि और जरा-शल्य-चिकित्सा विभागों के साथ आरंभ होने वाला देश का पहला संस्थान है के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

समाज की शिक्षा जरूरतों को पूरी करने और उसमें सुधार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में एम्स, आईआईएम और आईआईटी की स्थापना करने की योजना प्रशंसनीय है। मैं मंत्री जी के और सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बड़े शहरों में पहले से ही स्थापित सभी संस्था कार्य कर रही हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी तरह उपेक्षा हो रही है। मैं मंत्री जी से ग्रामीण क्षेत्रों में एक एम्स जैसे संस्थान की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं ताकि लोगों को उनके क्षेत्रों में बड़ी मदद मिल सके। आगामी बजट में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना के लिए कल्लाकुरुची एक आदर्श स्थान है क्योंकि ट्रॉमा और आपातकाल के मामले में वहां से लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 70 से 100 कि.मी. दूर जाना पड़ता है।

मैं मंत्री जी से इंटरनेट पर "किसान टीवी" जैसे टीवी चैनल और शैक्षणिक चैनल शुरू करने के लिए भी अनुरोध करूंगा ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य और विधि संबंधी जानकारी दी जा सके।

गांवों में बेहतर ब्राडबैंड कनेक्टिवीटी सुनिश्चित करने के लिए "डिजीटल इंडिया" कार्यक्रम से देश में इंटरनेट की पहुंच में सुधार होगा। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि यदि समुदाय को विकिरण संबंधी खतरे नहीं हों तो वह तारयुक्त ब्राडबैंड कनेक्टिवीटी की बजाय बेतार ब्राडबैंड प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें।

टीयर-एक और टीयर-दो शहरों में नए विमानपत्तन के विकास की योजना से अतिआवश्यक वायु संपर्क मिलेगा और बड़ी संख्या में जरूरतमंद भारतीयों के समय की बचत होगी।

मैं आपसे सलेम विमानपत्तन, जो आम लोगों के अंशदान की मदद से देश में बनने वाला पहला विमानपत्तन है, पर सुविधाओं को बेहतर बनाने और वायु सेवा को पुन: आरंभ करने के लिए अनुरोध करता हूं।

वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण के 8500 किमी. के लक्ष्य से सड़क संपर्क बेहतर बनेगा। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध भी करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी बाईपासों को शीघ्र ही दो लेनों की बजाय चार लेनों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाएं दो लेन बाईपास में होते हों। मैं मंत्री जी से वन और आरक्षित वन क्षेत्रों में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी अनुरोध करता हूं।

सौर और पवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। सौर, पवन ऊर्जा और बायोगैस संयंत्रों के क्षेत्र में मशीनरी और उपकरण के विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क में छूट देने के मंत्री जी के प्रस्ताव से कोयला, डीज़ल इत्यादि से प्राप्त गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता कम हो जाएगी और इसे भविष्य की

पीढ़ी के लिए बचाया जा सकेगा। मैं तमिलनाडु में अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर परियोजनाओं के प्रस्तावों तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषिगत पम्प सेटों हेतु शुरू की गई योजनाओं का भी स्वागत करता हूं। स्वदेशी तथा आयातित सौर ऊर्जा उत्पादों पर कर को कम किया जाए ताकि लोगों द्वारा कम लागत के आवासीय सौर ऊर्जा संयंत्र लिए जा सकें।

आयात निर्भरता को कम करने के लिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इलैक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर उत्पादों, जैवचिकित्सीय उपकरणों, स्वचालित मशीनों और कृषिगत मशीनों के उत्पाद में विशेष आर्थिक ज़ोन की स्थापना पर ध्यान दें।

एकसमान अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों को अपनाने और सभी क्षेत्रों में केवाईसी अभिलेखों की 'अंतर-प्रयोज्यता' और वित्तीय कराधान हेतु एकल डीमैट खाते को आरंभ करने से निवेशकों की समय, प्रक्रिया और लागत में कमी आएगी। पूंजी बाजारों का सुदृढ़ीकरण करने और रातों-रात गायब जाने वाले प्रचालकों का उन्मूलन करने के लिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आईपीओ और अनुवर्ती निर्गमों को लाने के लिए ठोस नियमों को अधिनियमित करें ताकि निवेशक समुदाय के हित को सुरक्षित रखा जा सके।

मैं बालिका शिक्षा और उसकी विवाह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लघु बचत योजनाएं लाने के मंत्री जी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री "अम्मा" ने बालिका हित (विवाह सहायता और 4 ग्राम सोने का सिक्का) सुरक्षित रखने हेतु "क्रैडल बेबी योजना" और मुख्य मंत्री बालिका सुरक्षा योजना पहले ही कार्यान्वित की है।

मैं बजट का स्वागत करता हूं, वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए अपने 45 दिन के कार्यकाल में संतुलित रूप से कार्य किया है।

रात्रि 8.00 बजे

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं।

सभापति जी, आज इस देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है और वह गरीबी की मार झेलती है। वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में गरीबी-रोधी कार्यक्रम बनाकर "सबका साथ, सबका विकास" का मूलमंत्र देकर एक नयी, सशक्त, ईमानदार और बहुआयामी, सर्वस्पर्शी, विकासोन्मुख जो पहल की गयी है, वह जीवंत और मजबूत भारत का सृजन करेगी।

पिछले अनेक वर्षों से यूपीए की सरकार का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और अवस्थापना सृजन का जिस तरीके का कुप्रबंधन रहा है, उसने पूरे देश को चौराहे पर खड़ा किया है। इसमें ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं है। अभी संसाधन जुटाने हैं और यह चुनौती भरा काम है। इस चुनौती को वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वीकार कर ताकत के साथ मुकाबला कर धैर्यपूर्वक आश्वासन भी दिया है। वित्त मंत्री जी ने साहसपूर्वक यह कहा है कि हम केवल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कर्ज लेकर विकास कार्यों की बात नहीं करेंगे। उन्होंने राजकोषीय घाटा बढ़ाकर भावी पीढ़ियों को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल कर कर्जदार नहीं बनाना चाहा, बल्कि वे उपलब्ध संसाधनों से विकास का कार्य करेंगे।

कांग्रेस, यूपीए सरकार तो इस सिद्धांत पर चल रही थी—

यावत जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत।

जब तक जीओ, अच्छा जीओ, चाहे कर्ज करो, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलामी की जंजीरों में भेजो, लेकिन सुख से रहो। इस कहावत को चरितार्थ कर इन्होंने देश को, देश के राज्यों को गर्त में धकेला है।

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमें राजकोषीय विवेक लागू करने की जरूरत है। इससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और अनुशासन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरपीढ़ीगत साम्यता के महत्व के कारण राजकोषीय विवेक मेरे लिए सर्वोच्च महत्व का है। इसलिए राजकोषीय घाटा न बढ़ा कर, भवी पीढ़ी को गुलामी की ओर न धकेल कर एक नयी पहल उन्होंने की है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

मैं यह समझता हूं कि यदि इस बजट को देखा जाए तो यह हिन्दुस्तान की जमीन पर खड़ा होकर उसकी आत्मा के रूप में परिलक्षित होता है। बजट बनाते समय देश की भावना और उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश की गयी है। भारतवर्ष की पूरी आबादी का क्षेत्रवार समस्याओं का आकलन कर उसके समाधान का व्यवस्थित सूत्र निकालते हुए इस बजट को केवल आंकड़ों का ही बजट नहीं बनाया है, बल्कि मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, सरकारी, गैर सरकारी कर्मियों से लेकर उद्योग जगत तक हर वर्ग और देश के हर क्षेत्र, हर कोने का स्पर्श करके बजट ने जो काम किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 125 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलेंगे। यदि 125 करोड़ लोग एक-एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो देश 125 कदम आगे बढ़ेगा, यह इस बजट में परिलक्षित हो रहा है। उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैं समझता हूं कि जहां तक महंगाई का सवाल है तो यह यूपीए की गवर्नमेंट में क्या था और एनडीए की गवर्नमेंट में क्या है, यह

उधर के सदस्य और इधर के सदस्य जानना चाहते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सुरक्षित निधि, रिजर्व फंड की व्यवस्था की है। इससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी और निश्चित रूप में इसके सुनिश्चित परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। जो प्याज और आलू की कीमत इन दिनों में 70 रुपए प्रति किलो और 80 रुपए प्रति किलो तक चली जाती थी, उनकी कीमत को इन्होंने नियंत्रित किया है जिसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि डॉलर और यूरो की मनमानी को खत्म करने का प्रयास किया गया है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो समान विचार धारा के देश हैं, उनके साथ स्थानीय परिस्थिति, स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्थानीय बाजार और स्थानीय मुद्रा के आधार पर आपसी व्यापार और लेन-देन कर सकेंगे। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है।

श्रीमन्, व्यय प्रबंधन आयोग बनाया गया है। राज्यों के सशक्तीकरण की बात की गयी है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, अभी पांच मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं घड़ी देखकर कह रहा हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : नहीं, मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं दे सकता। यह वास्तविक रूप में संभव नहीं है कि पांच मिनट से अधिक का समय दिया जाए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर) : महोदय, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण की शुरुआत इस घोषणा से की थी कि 'भारत के लोगों ने परिवर्तन के लिए निर्णायक मतदान किया है।' वस्तुत:, लोग ऐसे बजट की आशा कर रहे थे, जो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर सके; बेरोजगारी को रोके; और विकास को बढ़ावा दे, परंतु आम लोगों के लिए यह पूर्ण निराशा थी। सरकार, विकास में निवेश हेतु निजी क्षेत्र पर निर्भर कर रही है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या बीमा और रक्षा क्षेत्रों में एफडीआई को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय देश के लिए लाभकारी होगा या नहीं।

जैसा कि रेल बजट में किया गया है, आम बजट में भी केरल की पूर्ण अनदेखी की गई है। अंतरिम बजट में केरल के कर हिस्से को 9101 करोड़ रुपए से घटाकर वर्तमान बजट में 8972.51 करोड़ रुपए किया गया है।

केरल को एक भी एम्स या आईआईएम नहीं दिया गया है। यहां तक कि बन रही कोच्ची मेट्रो परियोजना के लिए 878 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जबकि बजट में घोषणा की गई राशि केवल 462.17 करोड़ रुपए थी, जोकि निश्चित रूप से इसे समय पर पूरा होने को प्रभावित करेगी, फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, जोकि वित्तीय संकट का सामना कर रही है और बंद होने के कगार पर है, को बजट में 42.66 करोड़ रुपए की काफी कम राशि दी गई है। यह रसायन और उर्वरक मंत्री के आश्वासन के बावजूद किया गया है, कि 900 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृति के अंतिम चरण में है। बजट में केरल में प्रस्तावित विझिनजम पत्तन हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के दक्षिणी कोने में स्थित विझिनजम पत्तन को पूरा करना कितना आवश्यक है और यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज मार्ग के निकट है, जोकि भारत के लिए व्यापक व्यापार आकर्षित करेगा।

मैं, माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त मांगों के अतिरिक्त केरल के संबंध में निम्नांकित पर भी विचार किया जाए।

सर्वप्रथम, केरल के मालाबार क्षेत्र विशेषकर कासरगौड जिले में अनेक लोग कैंसर सहित एंडोसल्फान से ग्रस्त हैं, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कन्नूर में मालाबार कैंसर सेन्टर को यथाशीघ्र राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित किया जाए। केरल में एम्स जैसे अस्पताल की यथाशीघ्र स्थापना की जाए।

दूसरे, केरल द्वारा खेल के क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं का योगदान सर्वविदित है, प्रसिद्ध भारतीय धावक श्रीमती पी.टी ऊषा केरल खेल स्कूल से ही आई हैं, धावकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए सम्मान अर्जित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि केरल में इंडोर और आऊटडोर स्टेडियम के निर्माण सहित एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी की स्थापना की जाए, ताकि राज्य और पड़ोसी राज्यों में उभरती खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा सके। परियोजना हेतु कन्नूर में भूमि आसानी से उपलब्ध है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तीसरे, पर्यटन वैश्विक स्तर पर एक बड़े पैमाने पर नौकरी सृजन करने वाला क्षेत्र है। विश्व में अनेक अर्थव्यवस्थाओं को पर्यटन सहारा देती हैं। केरल की पर्यटन क्षमता का प्रयोग घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया जाना चाहिए और इसके द्वारा देश के लोगों के लिए अधिक नौकरियां सृजित होंगी। राज्य में आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन हेतु अपार संभावनाएं हैं और इसलिए इसे भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सबरीमाला, दक्षिण भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, इसे नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पीरिचुअल ऑर्गमेंटेशन ड्राइल प्रोग्रम के अंतर्गत एक धार्मिक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। थिरुवनंतपुरम, गुरुवयूर और कन्नूर में कोटियूर जहां क्रमशः श्री पद्मानाभा स्वामी मन्दिर, गुरुवयूर श्रीकृष्णा मंदिर और कोटियूर मंदिर अवस्थित को भी इन शहरों के विरासत स्वरूप के संरक्षण और परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत लाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि केरल के लोगों की वास्तविक मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करें।

[हिन्दी]

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : सर, मैं ऐसे शहर को रिप्रेजेंट करती हूं, जहां तीन बड़े उद्योग हैं। सबसे पहले तो मैं अरुण जी का धन्यवाद करने यहां खड़ी हुई हूं। *[अनुवाद]* सूरत भारत का तेजी से विकसित होने वाला शहर है। *[हिन्दी]* और तीन बड़े उद्योग डायमंड, टैक्सटाइल और जरी उद्योग हैं। मैं सोच रही थी कि पांच साल वहां रहे और पांच साल यहां आने के लिए जो सफर हमने तय किया है तो सर को उसके लिए बहुत सारे धन्यवाद देने हैं। नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में डेवलपमेंट तो हम लोगों ने गुजरात में बहुत देखा और अनुभव भी किया है। लेकिन विरासत में जो भी मिला था, इनमें से कई सारी बातें हैं, जो हमें मिली हैं और उसका सोल्यूशन भी मिल गया है।

सबसे पहले डायमंड ज्वैलरी उद्योग में जो आर्थिक व्यवहार को ठीक करने के लिए बैंक फैसिलिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 120 दिन की मिलती थी, उसे यहां से 2011 से 80 दिनों के लिए कर दिया था। यह सीमा वर्तमान सरकार द्वारा 120 दिनों की करने की वजह से जैम एंड ज्वैलरी उद्योग को फायदा होगा। साथ ही उनके द्वारा सूरत की पहचान टैक्सटाइल हेतु क्लस्टर बनाने हेतु भी सूरत को पसंद किया है तो इससे दो इंडस्ट्रीज़ कवर हो गई हैं।

तीसरी इंडस्ट्री जरी उद्योग है, जो डायमंड के साथ-साथ सोने और चांदी के भावों के ऊपर निर्भर रहती है, जो लघु उद्योग में आता है। वैसे तो लघु उद्योग के लिए बहुत सारी योजनाएं और फंड एलोकेट किया है, लेकिन इस उद्योग को सर्वाइव करने हेतु और भी कलस्टर जिस तरह से अन्य शहरों को मिला है, उस तरह से सूरत को भी मिलना चाहिए।

मेरी एक और डिमांड है, वैसे तो बहुत सारे धन्यवाद देने हैं,

[अनुवाद]

श्री गणेश अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा *[हिन्दी]* अरुण जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। सबसे भारी मतों से जीतने के बाद मैं सूरत को रिप्रजेंट करता हूं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 200 करोड़ का फंड रखा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। महिला होने के नाते मैं यहां खड़ी हुई हूं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, काफी कुछ हम लोगों ने गुजरात में किया भी है, अनुभव भी किया और आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारे धन्यवाद और पांच साल में भी मिलेंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी के साथ-साथ ट्विन सिटी के प्रोजेक्ट के लिए भी सूरत नवसारी के बीच में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाये। विरासत में एक और बात जो हमें मिली है, शुगर मिल के ऊपर 6 हजार करोड़ का इंकम टैक्स जो है, उसको दूर करने हेतु भी मैं रिक्वेस्ट करती हूं।

निर्भया फंड के लिए जो फंड दिया है, उसे पिछले बजट में एलोकेट किया था, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ था तो मैं समझती हूं कि यह नये पांच साल के लिए निर्भया फंड जो सुरक्षा के नाम पर, जो महिलाओं को सुरक्षित रखने हेतु, शिक्षा हेतु दिया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं।

मेरी एक और डिमांड है।

[अनुवाद]

सूरत के सबसे बड़ा उत्पादन केन्द्र होने के बावजूद भी *[हिन्दी]* 100 में से 80 डायमंड्स बनते हैं। रफ डायमंड माइनिंग कंपनीज जो वर्ल्ड सेल के ऊपर गुड्स थ्रू ऑक्शन और वहां एंटवर्प, मास्को, जोहन्सबर्ग, दुबई, तेलअबीब, हांगकांग जहां ऑक्शन थ्रू छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं, उनको यह सब खरीदने का मौका मिलता है। अगर सूरत को स्पेशल नोटीफाई जोन दिया जाए तो ये व्यापारी भी सर्वाइव हो सकते हैं। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी रिक्वेस्ट है। वर्तमान सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में कार्य करने हेतु जो हैंड्रड करोड़ रुपए का आबंटन किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, इसलिए छोटे और लघु उद्योग को महत्व दिया गया, पॉवर सेक्टर इन्वेस्टमेंट हेतु बेनेफिट मिला है, एक्साइज कम करने के कारण फायदा मिला है। ये सारे बेनेफिट हमें मिले हैं उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं, उनको ये सब खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन अगर सूरत को स्पेशन नोटिफाई जोन दिया जाये तो यह व्यापारी भी सर्वाइव कर सकते हैं। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी यह भी रिक्वेस्ट है।

[अनुवाद]

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्माम) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने 2.9 प्रतिशत के राजस्व घाटे के लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और चालू वर्ष 2014-15 के लिए के साथ वित्तीय वर्ष 2014-15 की 17.98 लाख करोड़ का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। मैं वित्तीय सुदृढ़ीकरण के प्रति वित्त मंत्री की प्रतिबद्धता से प्रसन्न हूं। क्या वह वर्ष 2014-15 के बजट योजना व्यय में अच्छी-खासी कटौती किए बिना ऐसा कर सकते हैं? केन्द्र सरकार को वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित किए गए बजट पर 45.6 प्रतिशत का वित्तीय घाटा और 53.6 प्रतिशत का राजस्व घाटा पहले ही हो चुका है। मुझे जानकारी है कि वर्तमान सरकार इस असाधारण स्थिति के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है।

महोदय, पूर्व वित्त मंत्री श्री चिदंबरम को वर्ष 2013-14 के उनके 4.6 प्रतिशत के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजटीय योजना व्यय में एक लाख करोड़ रुपए की कटौती करनी पड़ी थी। अन्यथा यह सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत होता।

यदि सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य का अनुपालन करने के लिए योजना व्यय में कटौती करेगी तो इस देश का सकल घरेलू उत्पाद प्रभावित होगा। इसके परिणामस्वरूप राजस्व प्रभावित होंगे, सरकार को और उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम अगले 3 से 4 वर्षों में 7 से 8 प्रतिशत तक का सतत् विकास कैसे प्राप्त कर सकेंगे? यह जानकर दु:ख हुआ कि केन्द्र सरकार के निवल कर राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत खर्चों और उधारी के ब्याज का भुगतान करने पर व्यय हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के लिए केन्द्र सरकार की कुल बकाया देयताओं का अनुपात पहले ही 46 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

अवसंरचना में सरकारी निवेश को बढ़ाना हर हाल में समय की मांग है। य़पि इसका मतलब यह है कि हमें पूंजी और योजना व्यय को बढ़ाने के लिए और अधिक ऋण लेना चाहिए, हमें ऐसा करने में झिझकना नहीं चाहिए। अन्यथा हम निम्न निवेश निम्न विकास और निम्न राजस्व के दुष्चक्र में लगातार फंसे रहेंगे।

अब मैं अपने राज्य तेलंगाना पर आता हूं जो मात्र तीन महीने पहले ही बना है। बजट में तेलंगाना राज्य की उम्मीदों की उपेक्षा की गई है, हैदराबाद में बागबानी विश्वविद्यालय और ऋण वसलू अधिकरण की स्थापना की घोषणा को छोड़कर बजट में राज्य से संबंधित कोई अन्य विकास संबंधी उपाय नहीं किए गए हैं। मैं सरकार से खम्माम जिले के अश्वाराओपेट में जो बहुत पिछड़ा है ओर बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी से घिरा है बागबानी विश्वविद्याल की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं जिसका वादा किया गया था।

मैं तेलंगाना राज्य के खम्माम और कोथागुडेम शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चयन करने का भी अनुरोध करना चाहता हूं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से वर्तमान बजट में तेलंगाना के लोगों की इन समस्याओं का समाधान करके तेलंगाना राज्य को न्याय देने का अनुरोध करता हूं।

***डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे** (कल्याण) : मैं संसद का पहली बार सदस्य बना हूं और माननीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे और माननीय श्री उद्धवजी ठाकरे के आशीर्वाद से शिव सेना का एक युवा घटक हूं। मैं एक सकारात्मक सोच के साथ माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी की यह प्रशंसा करना चाहूंगा कि अंत में देश उस मार्ग पर चल रहा है जिस पर वह विश्व में अपना एक सुनहरा इतिहास दर्ज कर सके।

इस सम्मानीय सभा में यह मेरा प्रारंभिक भाषण है। मैं रोजगार के विषय पर बात करना चाहूंगा क्योंकि संभवत: यह एक ऐसा विषय है जो इस महान देश के युवाओं को प्रभावित करता है।

यदि आप विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार संबंधी जानकारी की मांग करेंगे तो आप उभरते हुए आंकड़ों से विस्मित हो जाएंगे। वर्ष 1999 से 2004-05 तक 5 वर्षों के लिए रोजगार में अगले पांच वर्षों के लिए 61 मिलियन की वृद्धि हुई है। पहले 2.7 मिलियन की ही वृद्धि हुई थी। कृषि और विनिर्माण - ये दो बड़े क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार भारत को प्रति वर्ष लगभग 9 मिलियन की वार्षिक दर पर वर्ष 2015 और 2020 के दौरान 44 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों की आवश्यकता होगी। यह आगामी वर्षों में युवाओं के लिए नौकरियों के अत्यधिक विस्तृत स्पेक्ट्रम बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

आगामी दशकों में कुशल कार्यकल की अत्यधिक कमी पर ध्यान देते हुए हमें आईटी, दूरसंचार, लॉजिस्टिक, रिटेल, इंजिनियरिंग, हेल्थकेयर और अन्य को ऊर्जावान बनाना चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र जी मोदी ने इन कमियों का सही ढंग से पता लगाया है और 'कुशल भारत' का नया मंत्र दिया है। योजना में अत्यधिक संभावना है और इसे गुजरात में साबित किया गया है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में, ठाणे नगर निगम ने 100 हेक्टेयर भूमि पर एक बहुत बड़े शिक्षा केन्द्र का प्रस्ताव दिया है जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा को समर्पित इस बड़े केन्द्र में कुशल भारत के लाभों को लेकर आए।

मैं देशभर में 8 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु स्थान के रूप में कल्याण का नाम देने का अनुरोध करता हूं।

मुझे विश्वास है कि बजट में घोषित किए जा रहे उपायों के साथ सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के आयाम लाभदायक होंगे।

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में हमारा कार्य-निष्पादन उत्तम रहा है। बढ़ रहे असाध्य रोगों के साथ-साथ संक्रामक रोगों की उच्च दर, प्रजनन एवं शिशु देखभाल समस्याएं और पोषक तत्वों की कमी भी घर कर गई है। शिशु एवं मातृ मृत्यु-दर अभी भी उच्च बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ये आंकड़े भयानक हैं।

सरकार को अंशदायी या राजसहायता प्राप्त निजी स्वास्थ्य योजनाओं के विरुद्ध कर निधीयन की सार्वभौम कवरेज के विचार को अपनाना चाहिए।

सरकार ने चार नए एम्स की शुरुआत करके चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की ओर दृढ़ कदम उठाया है और क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा एक केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है, मैं इस अत्यंत जरूरी और अपेक्षित सुविधा के लिए इस सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं।

मैं यह सुझाव दूंगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर हमारा निधियन कई देशों की तुलना में कम है। अत:, प्रथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और गरीब लोगों तक इसे समान रूप से पहुंचाने के लिए अतिरिक्त संसाधन दिए जाने चाहिए। इस संबंध में चिकित्सकों और परिचारिकाओं की भारी कमी की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की अध्यक्षता करने वाले डॉ. हर्षवर्धन जैसे अनुभवी चिकित्सक के साथ मुझे विश्वास है कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली बुराईयों से बाहर निकलेगी और तेजी से सुधरेगी। मुझे यकीन है कि माननीय नरेन्द्र जी मोदी की दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता और प्रभावी कर्मठता से यकीनन भारतीय नागरिकों का स्वास्थ्य सुधर जाएगा।

किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अवसरंचना विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इस वर्ष के बजट में ऐसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक ध्यान दिया गया है। एक्सप्रेसवे, राजमार्गों और ग्रामीण सड़क विकास जैसे क्षेत्रों के लिए उद्देश्योन्मुखी कार्ययोजना बनाई गई है।

तत्कालीन एनडीएस सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों जो मुख्य सड़कों से जोड़ने की बाट जोह रहे थे, के लिए एक वरदान है। इसलिए इस बजट में इस सफल योजना के प्रावधान में 14,389 की वृद्धि ठीक ही की गई है।

मैं वित्त मंत्री की उनके विजन के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं गडकरी जी का अभार मानूंगा यदि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए सड़कों को स्वीकृति प्रदान करें जोकि लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है और यहां अच्छी सड़कें नहीं हैं।

मैं अपने ठाणे जिले में प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। ये है-मुंबई-नासिक राजमार्ग संख्या 3 को 8 लेन का बनाना, कल्याण-मुरबद राज्य राजमार्ग को 4 लेन का बनाना, और मलसेज घाट पर समपार बनाना तथा वहां पर सड़क नेटवर्क पर पड़ने वाले भार को कम करना। रेलवे के लिए माल और वस्तु के बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए यह करना बहुत जरूरी है।

परियोजनाओं में होने वाले अत्यधिक विलंब को कम किया जाना चाहिए और विलंब के उत्तरदायी लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए?

हमारे प्रधानमंत्री के न्यूनतम शासन, अधिकतम सुशासन के विजन से हमारे परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा?

शहरी जनसंख्या घनत्व का प्रबंधन सदैव एक चुनौती रही है। इस क्षेत्र के जलापूर्ति, स्वच्छता और आवागमन जैसे मुख्य क्षेत्रों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता के पूर्वनिर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के स्वच्छ भारत को अपेक्षित महत्व दिया है।

यहां मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अपशिष्ट जल प्रबंधन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए शहरी परिधि क्षेत्र में इस अपशिष्ट जल को कृषि के लिए प्रदान किया जा सकता है।

गुजरात के 7 शहरों के आस-पास इस सूत्र को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जल संकट से निपटने के लिए जल अर्थव्यवस्था जोकि संसाधन विकास पद्धति पर आधारित है को प्रभावी तथा कुशल प्रबंधन पद्धति में रूपांतरित कर देंगे।

इस दिशा में ठोस कदम उठाने के रूप में मैं माननीय मोदी जी से विश्वस्तरीय जल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अनुरोध करता है जिसमें जल विद्युत, सिंचाई, शहरी और ग्रमीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित किया जाए?

नई सरकार ने 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में मैट्रो के लिए पहल शुरू की है। तथापि सभी प्रकार के परिवहन साधनों को उच्च गुणवत्तापरक फीडर सेवाओं के साथ समेकित किया जाना जरूरी है।

सड़क और रेल के अलावा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कल्याण-थाणे-मुंबई-नवी मुंबई के बीच नए वैकल्पिक जलमार्ग की संभावना तलाशने की जरूरत है ताकि विद्यमान सेवाओं पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके।

संपूर्ण भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की पहल के लिए सरकार की प्रशंसा किए जाने की आवश्यकता है और मैं ऐसा पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसकी जोर शोर से प्रशंसा करूंगा यदि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कल्याण शहर को इस महत्वपूर्ण सूची में शामिल किया जाए।

कल्याण का कल्याण कर दो।

वित्त मंत्री ने भिन्न रूप से सशक्त लोगों के सशक्तीकरण का प्रस्ताव करके प्रशंसनीय संवेदनशीलता दिखाई है।

उन्होंने समान अवसर प्रदान करने के लिए निशक्तजन खेल केन्द्र का भी प्रस्ताव किया है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं वित्त मंत्री की ध्यानकेन्द्रित करने वाले दृष्टिकोण की सराहना करता हूं।

अच्छे दिन की शुरुआत के रूप में वित्त मंत्री ने कर छूट की सीमा को 2.5 लाख करने के साथ-साथ नव मध्यमवर्ग को कर संबंधी कई छूट दी हैं।

इसी प्रकार से कराधान को सरल बनाने और दोहरे कराधान से बचने के लिए वस्तु और सेवाकर को लागू करना भी एक स्वागतयोग्य कदम है।

नासिक क्षेत्र में हाल में हुए केबीसी घोटाले को देखते हुए मैं वित्त मंत्री जी से न्यू रेज्यूलूशन कॉर्पोरेशन स्थापित करने का अनुरोध करता हूं जो घाटे में चल रही वित्तीय धर्मों की पहचान करेगी और असजग उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करते हुए सुधारात्मक कदम उठाएगी।

प्रदूषण देशभर में मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ जीव जन्तु और वनस्पतियों को प्रभावित कर रहा है। मैं चाहता हूं कि निर्धारित मानकों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। हर कोई मुद्रास्फीति के बारे में बात कर रहा है किन्तु कोई भी व्यक्ति जनसंख्या के बारे में बात नहीं कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रित नहीं किए जाने पर सरकार द्वारा किया जाने वाला हर उपाय निरर्थक साबित होगा।

महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किले हैं और यहां का समृद्ध इतिहास रहा है। ये सभी किले प्राकृतिक सुन्दरता से ओत-प्रोत है और इन्हें बड़े पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन किलों और ऐतिहासिक स्थलों को वैश्विक मंच पर लाने के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन करें।

पुरातत्व विभाग महाराष्ट्र में ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षा करती रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन किलों का जीर्णोद्धार करें ताकि पर्यटक इनके पूर्व के गौरव को समझ सकें। यदि इन किलों में आधारभूत संरचनाओं सहित ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन की व्यवस्था हो तो इससे न केवल रोजगार में वृद्धि होगी अपितु स्थानीय व राज्य की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा।

मुंबई के समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विशाल मूर्ति स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह ऐसा स्मारक होगा जो विश्व में कहीं नहीं होगा और इससे देश के प्रति पर्यटक आकर्षित होंगे। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए भारत सरकार पर्याप्त वित्त पोषण करें क्योंकि इस राज्य ने प्रतिष्ठित एकता की मूर्ति की स्थापना का समर्थन किया है।

मैंने इस महान सदन में केन्द्रीय बजट के संबंध में अपने कुछ सुझाव रखे हैं। मैं माननीय नरेन्द्र मोदीजी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और चुनावी अभियान के दौरान जिन रास्तों पर चलने की बात कही, उन रास्तों पर चल पड़े हैं।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में सबका साथ, सबका विकास के आधारिक सिद्धांत को सही मायने में परिलक्षित किया है।

मैं माननीय हिन्दुहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे, माननीय श्री उद्धवजी ठाकरे और मेरे सभी वरिष्ठ शिव सेना नेताओं के प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुंबई उत्तर) : सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2014 के जनरल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उत्तर मुंबई के मतदाताओं का आभारी हूं। उनकी तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना

चाहता हूं। वित्त मंत्री, अरुण जेटली जी, रेलवे मंत्री सदानंद गौड़ा जी और उनके सहयोगी मंत्री मनोज सिन्हा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस बजट में, हमारे विपक्ष के सदस्य ने कहा कि हम बुलेट की स्पीड में भाषण करेंगे। उनके कहने से मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे युवा मित्रों ने नरेन्द्र मोदी जी के बुलेट ट्रेन को स्वीकार किया है। हमें आने वाले दिनों में बजट पर भाषण बुलेट की स्पीड से करना होगा। हमें देश का विकास बुलेट की स्पीड में करना होगा। हमें देश से भ्रष्टाचार बुलेट की स्पीड से ही कम करना होगा। इस देश को हमें बुलेट की स्पीड से आगे ले जाने का काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस बजट में हमें युवाओं का भविष्य दिखाई देता है। इस बजट में हमें ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान दिखाई देता है। इस बजट में हमें महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी भी दिखाई देती है। इसलिए अरुण जेटली जी को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट में दलित, मुस्लिम और आदिवासियों के साथ भी न्याय किया गया है, हमें यह देखने को मिलता है। कांग्रेस के मित्र ने इस बजट पर भाषण करते हुए कहा है कि इस बजट में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी सोच बहुत सही है, क्योंकि आपने आदिवासियों को आदिवासी माना है, लेकिन हमने आदिवासियों को दीन-बंधु माना है। इस बजट में दीन-बंधुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है।

सभापति महोदय, हमारे मुस्लिम सांसद भाइयों ने कहा है कि इसमें माइनॉरिटिज के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी का पहले ही दिन से मानना है कि जस्टिस फॉर ऑल और अपीजमेंट फॉर नन। इस बजट में जो व्यवस्था और सुविधा हिन्दुओं के लिए है, वही व्यवस्था और सुविधा मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए भी है। मैं आगे जाकर यह कहूंगा कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए नरेन्द्र मोदी जी ने मदरसों का जो मॉडर्नाईजेशन किया है, यह मुस्लिम समाज को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने के लिए एक कदम है। इसे हम सभी को मानना चाहिए।

सभापति महोदय, इस बजट में कश्मीर के विस्थापितों के लिए भी व्यवस्था है। इस बजट में पहली बार कश्मीर से प्रस्थापित लोगों के लिए भी व्यवस्था है। इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी कश्मीर के पंडित 15 साल से दर-दर भटक रहे थे। कांग्रेस के लोगों ने उनकी अनदेखी 15 साल तक की है। अरुण जेटली जी ने साहब करते हुए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार उनके लिए व्यवस्था की है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट में गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

****श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (मेहसाणा) : वर्ष 2014-15 के 8 मास की शेष अवधि के लिए मोदी सरकार का यह पहला बजट है। हम सभी जानते हैं कि इस सरकार को बजट तैयार करने के लिए बहुत कम समय मिल पाया है। बजट की तैयारी में अमूनन तीन से चार महीने लगते हैं। मार्च में बजट पेश करने के लिए दिसंबर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस सरकार को सिर्फ एक महीने का समय मिला है। इतने कम समय में देश की दशा और दिशा का बोध कराने वाला यह बजट तैयार करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने रात दिन मेहनत कर इस बजट की तैयारी में अपना योगदान किया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इतना बढ़िया और बेमिसाल बजट प्रस्तुत करने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। इस बजट की तारीफ मैं नहीं कर रही हूं देश-विदेश का सारा मीडिया इसकी सराहना कर रहा है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार वित्त मंत्री ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सबको कुछ न कुछ देने के साथ-साथ सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त करने की हर संभव कोशिश की है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य उद्योग व्यापार की तरक्की के लिए प्रशासनिक स्तर पर तेजी और चुस्ती लाना है। देश-विदेश में हर कहीं बजट की तारीफ हो रही है।

अब मैं उन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो इस बजट को सुपर बजट की संज्ञा दे रहे हैं और हमारे कितने ही अर्थशास्त्री इस बजट को विकास का रोडमैप बता रहे हैं। सबसे पहले तो यह बजट महंगाई कम करने वाला बजट है। पिछले एक दशक में हमारे देश की जनता ने और स्वयं हम सबने कैसा दौर देखा है यह किसी से छिपा नहीं है। 100 रुपए किलो प्याज खरीदना पड़ा है। रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजों के लिए भी तरसना पड़ा है। इसलिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी पूरे तौर पर महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। रोजमर्रा की जरूरत वाली किसी भी चीज के दाम बजट में नहीं बढ़ाए गए हैं। इतना ही नहीं बजट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आगे आने वाले समय में फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों की भरपूर पैदावार हो। इसी उद्देश्य से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना इस सरकार की प्राथमिकता है।

कृषि जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि हेतु ऋण 8 लाख करोड़ रुपए निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को अपने फल-फूल, सब्जियों और अनाजों के भंडारण में बहुत अधिक परेशानी होती हैं, क्योंकि इसके लिए स्टोरेज की बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। नई कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और जैविक कृषि जैवे विषयों पर किसानों को समय पर जानकारी देने के लिए किसान टीवी को 1000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। नीली क्रांति मछली पालन के उद्योग का उद्देश्य है।

हमारे गुजरात में, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसानों की सोईल का हेल्थ कार्ड जारी करने की एक बहुत ही कामयाब योजना शुरू की थी। इससे गुजरात के लाखों किसानों को फायदा हुआ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से इसे पूरे देश में लागू करने का संकल्प व्यक्त किया है। देश भर में 100 मोबाइल सोईल परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की जायेंगी। सोईल परीक्षण और सोईल हेल्थ कार्ड जारी करने के मद में 156 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दालें हमारे देश में प्रोटीन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इस्तेमाल होती है। हमारे देश में दालों की पैदावार कम हो रही है। इसलिए इन्हें विदेश से आयातित करना पड़ रहा है। दालें रोजमर्रा के खाने की चीजों में से है और इतनी महंगी है कि आम आदमी आसानी से नहीं खरीद सकता है। इसलिए बजट में दूसरी हरित क्राति के साथ-साथ प्रोटीन क्रांति की बात पर भी बल दिया गया है। मेरा विश्वास है कि उपरोक्त कदमों से एक साल के अंदर महंगाई पर काबू पाने में सहायता मिलेगी।

बिजली और पानी इस देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे प्रतिपक्ष के लोग दिल्ली की सड़कों पर रोज हंगामा कर रहे हैं- बिजली नहीं-पानी नहीं-बिजली नहीं-पानी नहीं। पिछले 15 वर्षों में आप जो काम नहीं कर पाए हमसे उम्मीद करते हैं कि 15 दिनों में हो जाए।

आप लोग इतने उत्साह से प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कहीं जनता हमेशा के लिए आपको प्रतिपक्ष की भूमिका ही न सौंप दे। आपने दो-तीन महीने का भी धैर्य नहीं दिखाया। आपने बजट को पेश होने दिया होता-फिर आप देखते कि मोदी सरकार बिजली, पानी को लेकर कितनी चिन्तित और गंभीर है। बिजली और पानी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश के हर नागरिक को बिजली और पानी मिले ये हमारा सपना भी है और इरादा भी है। बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए और बिजली उत्पादन के नए स्रोत तलाशने की दिशा में 'जोर-शोर से काम हो रहा है। अल्ट्रा-मार्डन-सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी नामक नई योजना पर कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि प्रदान की है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा लद्दाख में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। नहरों के किनारे एक मेगावाट के सौर पार्कों के लिए भी 100 करोड़ रुपए की आरंभिक धनराशि प्रदान की गई है ताकि इस दिशा में डिजाइनिंग और स्थल पहचान आदि का कार्य शुरू किया जा सके। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला की अबाधित आपूर्ति की दिशा में कदम उठाए गए हैं। देश की जनता को विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी इस बजट में ध्यान दिया गया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के तहत देश के प्रत्येक घर को 2019 तक सैनिटेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत अभियान चलाए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है।

पिछले दो-तीन सालों में देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता बहुत उद्वेलित रही है। इस मुद्दे पर कई बड़े आंदोलन भी हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछली सरकार ने स्विस बैंकों में जमा धनराशि का पता लगाने और उसे भारत लाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। हमारी सरकार ने पहल निर्णय लिया कि काला धन वापस लाया जाएगा और इसके लिए एक अधिकरण का गठन किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में जानकारी दी है कि इसके लिए 6 नए वसूली अधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

पिछली सरकार ने न केवल सिर्फ कमरतोड़ महंगाई को बढ़ावा दिया अपितु बेरोजगारी को भी बढ़ावा दिया। इसके कारण देश के करोड़ों पढ़े-लिखे युवा बेरोजगार हो गए। उन्हें रोजगार नहीं मिला। योग्यता और पात्रता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार-सृजन के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। देश में बड़े पैमाने पर नई योजनाएं चलाने की तैयारी हो रही है-जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नीरांचल कार्यक्रम, वन-बंधु कल्याण योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, पंडित मदन मोहन मालवीय नए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी कई योजनाओं और सुविधाओं की शुरुआत की गई है। इनसे लाखों की संख्या में रोजगार सृजन होगा और हमारे 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यह कानून व्यवस्था के साथ-साथ महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच से भी जुड़ा मुद्दा है। यद्यपि महिलाओं की सुरक्षा चाहे वो गांव हो या शहर

सब जगह जरूरी है लेकिन हमारे महानगरों में यह चंद मिनटों में मीडिया में पहुंच जाता है और इससे देश-विदेश में हमारी छवि खराब होती है। यहां जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके मन में हमारे प्रति गलत धारणा बनती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यद्यपि कई कदम उठाए गए हैं। इनमें पुलिस और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कुछ नई स्कीमें भी लागू की गई हैं। सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। बड़े नगरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की स्कीम के लिए भी 150 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है और इसके लिए अलग से धनराशि आवंटित की गई है।

लोग कहते हैं कि हमारे देश में गर्वमेंट थी लेकिन गवर्नेंस गायब थी। इस सरकार को मैंडेट गुड गवर्नेंस के लिए मिला है और सरकार ने इस दिशा में पहले दिन से कार्य शुरू कर दिया है। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि गुड गवर्नेंस का मतलब डंडा चलाना नहीं है अपितु समाज के निचले से निचले वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना, उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना और उन्हें देश का जिम्मेदार नागरिक बनाना है। गुड गवर्नेंस का एक ही मंत्र है खुद जिम्मेदार बनो। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे परिश्रम की पराकाष्ठा कर देंगे। देश के लोगों की खुशहाली के लिए वह प्रतिदिन 20 घंटे कार्य कर रहे हैं। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम सब उनका अनुसरण करने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब देश में यत्र-तत्र-सर्वत्र गुड गवर्नेंस को हम हकीकत में बदलता देख पाएंगे।

देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा को बाहर से ही खतरा नहीं होता अपितु देश के अंदर भी अराजक तत्व इसके लिए आए दिन चुनौतियां खड़ी करते रहते हैं। इस बजट में देश की सुरक्षा पर विशेष कर आंतरिक सुरक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती अवसंरचना को मजबूत बनाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

महोदय, इस बजट की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं—

नदियों को जोड़ने का माननीय अटल जी का सपना श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरा करेंगे जोकि इस बजट में परिलक्षित होता है। दरिंदगी की शिकार महिलाओं को तत्काल इलाज सुनिश्चित कराने के लिए निर्भया कोष का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बजट से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलने वाला है क्योंकि मोदी सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जोकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं और उत्पादन में बड़ा योगदान करते हैं। इसके लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का एक फंड स्थापित करने वाली है। एक चुनोतीपूर्ण आर्थिक माहौल में वित्त मंत्री ने व्यापक बजट पेश किया है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की पहल सराहनीय है। आईटी उद्योग के लिए यह सराहनीय होगी। हर घर तक गुजरात पैटर्न की तरह बिजली पहुंचाने का करिश्मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दिखना चाहते हैं और इसके लिए बिजली कंपनियों को 10 साल तक टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया है। गांवों में बिजली वितरण के लिए अलग लाइन और एक साथ 4 अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का अहम फैसला मोदी सरकार ने जमीन ने जमीन पर उतारा है।

यह एनडीए का बजट पास होने के पहले ही खुदरा महंगाई दर ढाई साल में 1 प्रतिशत घट गया है। जून में महंगाई का दर 8.28 से घटकर 7.31 प्रतिश ही रह गया है। यह ढाई साल में सबसे कम है। महंगाई पर सरकार ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए मूल्य स्थिरता कोष की स्थापना का ऐलान किया है। किसानों के लिए नए टीवी चैनल-इसके जरिए किसानों को नई तकनीक और सही और सटीक जानकारी मिलेगी। पूर्वोत्तर के लिए अरुण प्रभा चैनल शुरू किया जाएगा। यह आम बजट मरणांसन पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है। यह बजट भारत को विकास की नई ऊचाईयां तक ले जाने वाला है। गरीबों और समाज के दबे-कुचले तबकों के लिए यह आशा की एक किरण है। मोदी जी और जेटली जी ने दीर्घकालिक विकास की दिशा दिखाई है। विकास की सियासत से कहीं भी समझौता न करने का प्रतिबद्धता इस बजट में व्यक्त की गई है। इस बजट में बीएसपी पर जोर दिया गया है। जेटली जी ने खजाने की थैली खोली है और सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ अवश्य दिया है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले रियल स्टेट को रियायतें दी हैं जिससे निवेशकों को रूझान बढ़ेगा। इससे 80 लाख लोगों को नौकरियों के अवसर मिलने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की शुरूआत अच्छा संकेत है और स्किल इंडिया की बात को तवज्जो मिलती है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सीनियर सिटीजनों को, मध्य वर्गीय नौकरी पेशा लोगों को इन्कम टैक्स में होम लोन पर रियायतें देकर मध्यम वर्ग को खुश किया है। जवानों की शहादत को सलामी देते हुए एनडीए सरकार ने वर्षों से लंबित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (150 करोड़) और पुलिस स्मारक को साकार करने की नींव रख दी है। रक्षा बजट में 12.44 फीसदी की वृद्धि की है। एक रैंक-एक पेंशन को 1000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया है। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए 500 करोड़ का आवंटन करने का ठोस कदम उठाया है। गंगा को निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन की घोषणा की

है। कुपोषण से लड़ने के लिए का नया मिशन चलाने का कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। एयर इंडिया की खस्ता हालत को 9474 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देकर संजीवनी प्रदान की है। पेट्रोलियम पदार्थों के तहत राज्यों को देने वाली रॉयल्टी में सुधार के लिए कमीशन बिठाया जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी (गुजरात के लिए) 200 करोड़ रुपए दिए हैं वह सराहनीय है। मनरेगा के कार्यकलाप में सुधार की प्रक्रिया-दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के लिए संजीवनी समान होगी। अंत में मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। मैंने किसी कवि की ये पंक्तियां पढ़ी हैं कि–

मेरे मन में उठता यह प्रश्न प्रबल है कि
गंगा का कितना पानी गंगाजल है।

गंगा मां की जो दयनीय स्थिति है वे सभी को पता है। गंगा हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। गंगा का जल, अब गंगा जल नहीं है। गंगा इतनी मैली और प्रदूषित हो चुकी है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में है। गंगा के अस्तित्व को खतरा होने का मतलब है भारत की संस्कृति को खतरा होना। हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता दिखाते हुए गंगा की सफाई का चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार किया है। इस बजट में इसके लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न शहरों में गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा गंगा की पवित्रता और शुद्धता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक एनआरआई फंड बनाने का निर्णय लिया गया है। हमें उम्मीद है कि एक दो सालों में गंगा इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि लोग खुशी-खुशी गंगा स्नान करने जाया करेंगे। इस बजट में कोई टैरर नहीं है। लेकिन 5 टी में प्रतिबद्धता है। 5 टी यानी ट्रडिशन, टेलेंट, टूरिज्म, ट्रेड और टेक्नोलाजी है।

अंत में मैं इस बजट के बारे में किसी शायर की लिखी हुई ये पंक्तियां बोलना चाहूंगी:

इस बजट से देश की तामीर (शक्ल-सूरत) बदलेगी
अनगिनत लोगों की अब तकदीर बदलेगी।
अब नहीं है दूर अच्छे दिन किसी से भी
जल्द ही अब दोस्तों तस्वीर बदलेगी।

***श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन) : राजग सरकार के मुखिया माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत बजट भारत वर्ष के आमजन के कल्याण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है जो भारत वर्ष के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस बजट के दूरगामी परिणाम भारत देश को महाशक्तियों के रूप में देखा जाएगा।

अभी तक सम्मानीय संसद सदस्यों ने इस बजट पर जो विचार व्यक्त किए है जिस लोक सभा जालौन गरौठा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र मूल रूप से सभी क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। मैं इस बजट में पूर्ण रूप से आशान्वित हूं। यह बजट पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतोदय के सिद्धांत को जिसे संपूर्ण जालौन गरौठा में मान्यता प्रदान की है, के अनुरूप साबित होगा। इससे कृषि वाणिज्य लघु उद्योग में उन्नति होगी तथा बेरोजगारी व भारी अशिक्षा का पूर्ण रूप से विनाश होगा।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए तमाम योजनाएं जैसे सिंचाई, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए फसल ऋण सहकारी संस्थाओं का पुर्नजीवन आदि शामिल है।

पूर्ववर्ती सरकार ने किसान के द्वारा उत्पादित माल के भंडारण की समुचित व्यवस्था कभी नहीं की जिससे किसानों द्वारा उत्पादक करोड़ों टन खाद्य पदार्थ खुले में नष्ट हो गए हैं।

माननीय जेटली जी द्वारा भंडारण की अवधारणा इस नजर में की है। वह इस कमी को दूर करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

माननीय श्री अटल बिहारी जी की सरकार में, माननीय राजनाथ सिंह जो वर्तमान में गृहमंत्री है, ने किसान कॉल सेंटर की व्यवस्था की थी जिससे लाखों किसान आज भी लाभान्वित हो रहे हैं।

आज टेलीविजन का युग है। प्रत्येक घर में टीवी उपलब्ध है। माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा स्थापित मापदंड पर सोने पर सुहागा रखते हुए किसान टीवी स्थापना का जो संकल्प लिया है जिससे संपूर्ण देश के किसान अपनी समस्याओं का निदान टीवी के माध्यम से प्राप्त करते हुए खाद्यान्न कई गुणा बढ़ा सकेंगे।

माननीय जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट मानव जीवन के हर पहलू पर छूता हुआ है चाहे जो अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, चाहे अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण की बात हो, वरिष्ठ नागिरिक पेंशन का प्रश्न हो, मातृ सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा का विषय हो, उद्योग का विषय हो – सभी क्षेत्रों में बहुआयामी माननीय वित्त मंत्री जी ने अमिट छाप छोड़ी है।

जैसाकि मैंने पहले कहा है कि मैं जिस लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह सभीर क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। नवयुवकों को शिक्षा, रोजगार की समुचित सुविधा, किसानों पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है। उनके द्वारा उत्पादित माल के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं विनियामक ढांचे में बदलाव की जरूरत है। 16 मई के बाद आस लगाए आम मतदाता को भी अच्छे दिनों का एहसास हो। विकास की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

शुरूआत गांव से हो। रोजगार के अवसर सृजित हो, नगरों की ओर पलायन रोकने हेतु रेलवे की नई लाईन हेतु धन मुहैया कराया जाए तथा बुंदेलखंड को बुंदेलखंड विशेष पैकेज देकर पावर प्लांट लगाए जाए तथा मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का लाभ दिलाना सुनिश्चित कर मेरे लोक सभा क्षेत्र में रामपुरा ब्लॉक के अंतर्गत पांच नदियों का अदभुत संगम है जिसे हम पंचनदा के नाम से जानते हैं। वहां एक पंचनदा बांध बना के किसानों की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके।

मान्यवर, मेरे लोक सभा क्षेत्र में उद्योग स्थापना की आपार संभावनाएं हैं। खाद्य संवर्धन से संबंधित उद्योग लगाने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के पर्याप्त अवसर मेरे क्षेत्र में है।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि आज पार्लियामेंट की छत रो रही है, पार्लियामेंट से भी पानी चूने लगा है।...*(व्यवधान)* वर्ष 2014 में हमारे देश के अच्छे दिन आ गए हैं।...*(व्यवधान)* बीजेपी द्वारा बजट के बाद मास एसएमएस भेजे गए जो प्रकाश जावड़ेकर जी की तरफ से थे – *[अनुवाद]* बजट 14 बहुत शानदार बजट है जिसमें भविष्य की दिशा है – प्रकाश जावड़ेकर *[हिन्दी]* चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद लोग मार्किटिंग नहीं चाह रहे हैं। आप अभी भी मार्किटिंग कर रहे हैं। इस बार देश को बजट अच्छा देना था न कि मार्किटिंग अच्छी देनी थी। आपने बजट अच्छा नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैडम, मार्किटिंग से ही दुकान चलती है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रंजीत रंजन : अब नहीं चलेगी। आप एक बार धोखा देंगे दुबारा नहीं दे सकते।...*(व्यवधान)* आपने क्या दिया – बुलेट ट्रेन। महिला, यूथ, किसान, बेटी, बच्चियां, बलात्कार के बारे में आपने क्या किया। ...*(व्यवधान)* बुलेट ट्रेन बनाम किसान, मैं यहां बुलेट ट्रेन बनाम एफसीआई की बात करने आई हूं। आपने मुंबई टू अहमदाबाद मात्र एक जगह जहां बहुत अच्छी कनैक्टिविटी है, लोग प्लेन से जाते हैं। अगर आज से 12 साल बाद बुलेट ट्रेन चलेगी तो उसका किराया भी 10 हजार रुपए होगा। वहां हीरों के व्यापारियों के लिए बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं थी। यहां जेटली साहब नहीं हैं। मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि उस 60 हजार करोड़ रुपए से हम कितने एफसीआई गोदाम पंचायतों को दे सकते थे। आज हमारा अनाज गोदाम की कमी के कारण सड़ जाता है। क्या हम 60 हजार करोड़ रुपए एफसीआई गोदाम के लिए खर्च नहीं कर सकते थे?...*(व्यवधान)* यह आपकी गलती नहीं है। जिस महिला का परिवार होता है, अगर महिला उस बजट में होती है, बात बहुत छोटी लगती है। लोग महिला की बात करते हैं तो किचन की बात करते हैं। लेकिन किसी महान लिजेंड ने कहा था – अगर पुरुष अपने आपको महिला से कम्पयेर भी करता है तो यह उसका बचपना है न कि महानता। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि बजट में महिला की क्या क्वालिटी होती है। जब जेटली जी मनमोहन सिंह जी के पास जाकर सजैशन ले रहे थे, मैं जरूर कहूंगी कि अगर महिला तीन महीने घर से बाहर चली जाती है तो घर का बजट चरमरा जाता है। आज आपकी सत्ता में परिवार की वैल्यू आपको रियलाइज हो रही होगी, इस देश को रियलाइज हो रही है कि अगर परिवार और महिला उस सत्ता में नहीं होती, प्रधानमंत्री अकेला होता है तो उस बजट का क्या होता है जो देश के गरीबों के लिए था न कि सिर्फ कैपिटलिस्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए था।

आपने जो बजट दिया, यह वही बात हुई कि 10 प्रतिशत लोगों को फाइव स्टार का खाना देना चाहते हैं और 90 प्रतिशत किसान जो गांवों में एफसीआई गोदाम के लिए रो रहे हैं, सही फैसीलिटी के लिए रो रहे हैं, उन्हें दरकिनार किया।...*(व्यवधान)* दो जून की रोटी बनाम फाइव स्टार होटल दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* प्लीज़ मुझे दो मिनट का समय और दिया जाए।...*(व्यवधान)* मुझे आश्चर्य है कि यहां बैठे हुए सब लोग जिनमें ज्यादातर नए हैं, उन्हें नहीं पता कि महिलाओं के लिए क्या किया। सब इनकी बड़ाई कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत किया। क्या किया महिलाओं के लिए?...*(व्यवधान)* आपने दो लाख रुपए से ढाई लाख रुपए टैक्स ऐग्जेम्पशन दिया। क्या महिलाओं के लिए तीन लाख रुपए किया?...*(व्यवधान)* सिंगल वूमैन, डायवोर्स के बहुत केस हैं, सिंगल वूमैन पेरैंट को कम से कम पांच लाख रुपए की सुविधा देनी चाहिए ताकि अकेली महिला अपने बच्चों को पढ़ा सकती।...*(व्यवधान)*

आपने युवाओं के लिए क्या किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

****श्री अरविंद सावंत** (मुंबई दक्षिण) : मैं माननीय वित्त मंत्री को शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं जिसमें हमारे सपनों को साकार करने की नींव रखी गई है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित एम्स और आईआईएम देने के लिए धन्यवाद देता हूं। शिवसेना के युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे लंबे समय से पिछली सरकार से मांग कर रहे थे लेकिन उन्होंने उनकी वास्तविक मांग पूरी नहीं की। अत: यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि माननीय वित्त मंत्री ने हमारी मांग पूरी की है।

मुझे इस बात का भी वर्ग है कि वर्चुअल क्लास रूम स्कीम जिसे हमारे शिव सेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे ने तीन वर्ष पूर्व एमसीजीएम के म्युनिसिपल स्कूलों के छात्रों के लिए शुरू किया था, वह अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है जिससे म्युनिसिपल और जिला परिषद के स्कूलों में पढ़ने वालों छात्रों के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पेंशन में वृद्धि सुधार की दिशा में एक और कदम है।

आपने दूरसंचार विभाग के कर्मचारी जिन्हें बीएसएनएल में सभापोषित किया गया था, को पेंशन हेतु बजटीय सहायता दी है किंतु एमटीएनएल में समायोजित दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एमटीएनएल में समायोजित दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को बजटीय सहायता प्रदान करें क्योंकि पिछली सरकार ने एकमात्र अच्छा कार्य एमटीएनएल में समायोजित दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने का किया था एवं तद्नुसार अधिसूचना जारी की गई थी।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एनडीए सरकार ने, जब श्रीमती सुषमा स्वराज दूरसंचार मंत्री थी, तब दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को एमटीएनएल में समायोजित करने का निर्णय लिया था। जब सरकारी पेंशन का मामला उठाया गया तब भी एनडीए की सरकार थी और जब स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन संचार मंत्री ने तब वर्ष 2002 में सरकारी पेंशन का भुगतान करने को सिद्धांत: स्वीकार किया गया था।

परंतु, उक्त आश्वासन का कार्यान्वयन नहीं किया गया चूंकि एनडीए सरकार ने सत्ता खो दी। तब से कर्मचारियों ने अनेक आंदोलन किए और जब अंतत: सरकार ने 2014 में निर्णय लिया कि एमटीएनएल में आमेलित दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को सरकारी पेंशन का भुगतान किया जाए और तद्नुसार अधिसूचना जारी की गई और इसलिए मैं आशा कर रहा था कि वित्त मंत्री एमटीएनएल कर्मचारियों के लिए बजटीय प्रावधान करेंगे। चूंकि यह बजट में नहीं है, मैं माननीय मंत्री से आशा करता हूं कि वे तत्काल आवश्यक प्रावधान करें और एमटीएनएल कर्मचारियों और एमटीएनएल को राहत प्रदान करें। न केवल एमटीएनएल बल्कि सभी पीएसयू जैसे एअर इंडिया बैंक बीमा के जीर्णोद्धार के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें चूंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी और बहुतायत में पुरानी चालों में रहने वाले लोग हैं। जैसा कि माननीय मंत्री ने दिल्ली को मौद्रिक सहायता प्रदान की है, मुझे आशा है कि मंत्री द्वारा इसका प्रयोग मुंबई के गरीब और निम्न मध्य वर्ग लोगों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। मुंबई को वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है और इसलिए मैं मुंबई के जीर्णोद्धार के लिए अधिक सहायता की उम्मीद कर रहा था। मुझे आशा है कि कुछ समय में आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

शिवसेना प्रमुख श्री उद्धवजी ठाकरे, के मार्गदर्शन के अंतर्गत एमसीजीएम ने एक तटीय सड़क प्रस्तावित की है ताकि सड़क द्वारा यात्रा करने और ट्रैफिक जाम सहने वाले लाखों मुंबई के लोगों को राहत प्रदान की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमसीजीएम ने इसका सारा खर्चा उठाने की इच्छा जताई है।

मुझे आशा है कि हमारी एनडीए सरकार मुंबईवासियों के लिए इस स्वप्निल परियोजना को पूरा करने में पूरे दिल से मदद करेगी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं पूर्व में अरब सागर और दक्षिण तट से लगी हुई हैं। मुंबई बंदरगाह ब्रिटिशकाल से ही सबसे पुराना ओर मुंबई का गौरवपूर्ण बंदरगाह है। काफी लंबे समय से गाद निकालने का काम नहीं किया गया है, जिस कारण मुंबई बंदरगाह के गोदी पर बड़े जहाजों को लाने में कठिनाई हो रही है। हमारे गौरव बंदरगाह को दमदार बनाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि मुंबई बंदरगाह न्यास के लिए गाद निकालने हेतु प्रावधानों को शीर्ष वरीयता पर आबंटन किया जाए। मुंबई बंदरगाह न्यास नुकसान में चल रहा है और जेएनपीटी के लाभ दिनोदिन घट रहे हैं, क्योंकि कंटेनरों में समान चढ़ाने के लिए गोदियों की संख्या में कमी है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि स्थिति खराब होने से पूर्व इन बंदरगाहों के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जाए।

जहां तक एमपीलैड योजना का संबंध है, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इमारत की मरम्मत हेतु सहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाए। जैसा कि मैंने बताया है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बस्ती बसावटें और पुरानी चालें हैं, इनमें से कुछ 100 से अधिक वर्ष पुराने हैं और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन इमारतों की मरम्मत हेतु एमपीलैड निधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि मैं इन चालों के लाखों निवासियों को राहत प्रदान कर सकूं। मैं आपसे आगे यह भी अनुरोध करता हूं एनटीसी के मिल कर्मियों (वस्त्र) हेतु काफी लंबे से की जा रही मुक्त आवास की मांग को भी पूरा करें) मैं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करूंगा।

वर्ष 2015 में नासिक में कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। नासिक, महाराष्ट्र का एक धार्मिक नगर है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता

हूं कि वर्तमान बजट में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करें ताकि शहर का दौरा करने वाले लाखों लोगों हेतु अवसंरचना तैयारी प्रारंभ की जा सके।

अंत में, चूंकि मुझे वित्त मंत्री द्वारा समाज के प्रत्येक मानव, गरीब से अमीर, विद्यार्थी से श्रम समूह, छोटे व्यापारियों से लेकर उद्योगपतियों और युवाओं से बुजुर्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों के बारे में अपनी प्रसन्नता जाहिर करने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं इस ऐसे विजन बजट को प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री को दिल से बधाई देता हूं। मैं अपनी उपरोक्त छोटी मांगों सहित इसके कार्यान्वयन की आशा करता हूं।

[हिन्दी]

हमारे विपक्ष के आदरणीय सदस्यगण माननीय वित्त मंत्री जी को 'सपनों का सौदागर' कहकर आलोचना कर रहे थे। उनके लिए दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं:

"मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है
उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है।"

हमारी सरकार के हौसले बुलंद हैं और जो बचत उन्होंने दिया है, वह पूरा करेंगे। यह हमें विश्वास है। ये तो अच्छे दिनों का अच्छा बजट है।

इसलिए मैं पुन: माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करते हुए, मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा लगता है कि आज अंतिम वक्ता के रूप में मैं अपनी बात को रख रहा हूं। अभी जैसे ही हमारी बहन रंजीता रंजन जी ने सदन में पानी टपकने की बात कही, तो उधर से बहुत तेजी से बातें आयीं। माननीय वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो गलतियां हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, चूंकि बहुत कम बातों में अपनी बात को समाप्त करना है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी को एक सलाह देना चाहूंगा कि महात्मा गांधी की सोच नशा मुक्त भारत की थी। चूंकि यहां युवाओं की बातें आयीं, कृषि की बातें आयीं, महंगाई की बातें आयीं, बेरोजगारी की बातें आयीं, लेकिन नशा मुक्त भारत की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने की थी, उस पर कुछ नहीं कहा गया। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे हत्या हो या गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध हों, उनके लिए कहीं न कहीं 90 प्रतिशत नशा उत्तरदायी है। क्यों नहीं हम भारत को नशा मुक्त को एक आंदोलन का रूप दें और उस पर काम करें, जिससे पूरा देश नशा मुक्त हो। एक नशा मुक्त भारत जो युवा भारत की कल्पना है, उसे हम बना सकें।

सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें भी यहां रख दूं, क्योंकि आप तुरंत घंटी दबा देंगे। भागलपुर जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, निश्चित रूप से भागलपुर केवल बिहार के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के मानचित्र पर है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भागलपुर गंगा और कोसी दोनों नदी से पूरी तरह से कटाव पीड़ित है। दोनों नदियां वहां की जमीन को काटने का काम करती हैं, सारे लोगों को अस्त-व्यस्त करने का काम करती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वहां फंड देकर कटाव प्रभावित क्षेत्रों को बचाने का काम किया जाये, क्योंकि जो विक्रमशीला सेतु वहां पर बना हुआ है, इस बार यदि उसे बचाया नहीं गया तो विक्रमशीला सेतु बंद हो जायेगा, उसकी अप्रोच रोड कट जायेगी। वह सोरहा में कटा है। अगर उसे नहीं रोका गया, तो फिर रेलवे लाइन कट जायेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं समझ रहा हूं कि आप बार-बार हमें बोलने के लिए रोक रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय भी थक गये हैं और उनके सिर के ऊपर से भी बातें जा रही हैं, इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी कल जब जवाब देंगे, तब नशा मुक्त भारत बनाने के बारे में भी कहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी जो वर्ष 2014-15 का जनरल बजट लेकर आये हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया है। मैं सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बात करना चाहता हूं। वर्ष 2014-15 के बजट के माध्यम से मंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, वह आज नहीं, कुछ दिन बाद प्रतिपक्ष के साथियों को पता लगेगा कि आखिर क्या होने वाला है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के लिए एक सौ करोड़ रुपया बजट में दिया गया है। इसमें निश्चित रूप से भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोका जायेगा। मणिपुर में एक करोड़ रुपए की लागत से खेल विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा जैसे कार्यक्रम हेतु 50 करोड़ रुपए दिये हैं। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है इसलिए वहां उपरोक्त योजना हेतु एक्सपर्ट अकादमी खोली जाये। जमशेदपुर एक

लौह नगरी है। एक छोटा-मोटा भारत है। देश के विभिन्न प्रांतों से वहां लोग आते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अभी दो और सदस्यों को बोलना है। यदि सभा सहमत हों, हम इस चर्चा का समय दस मिनट बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

माननीय सभापति : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो : महोदय, वहां क्लास टू के बाद शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप वहां एजुकेशन हब देने के साथ-साथ एक आईआईटी देने का काम करें। क्योंकि वहां टाटा टिन-प्लेट जैसे बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे यहां कृषि उत्पादन के भंडारण के लिए पांच हजार करोड़ रुपए दिये गये हैं। जमशेदपुर का सुदूर देहात क्षेत्र किसानों का है, इसीलिए वहां पर कोल्ड-स्टोरेज की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि योजना में एक हजार करोड़ रुपए दिये गये हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुवर्णरेखा परियोजना लगभग वर्ष 1972 में शुरू हुई, लगभग 42 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक यह परियोजना पूरी नहीं हुई है। आपके माध्यम मैं चाहूंगा कि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय विद्युत निगम को 440 करोड़ रुपए दिये गये हैं, मैं चाहता हूं कि वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे, क्योंकि वहां पर यूरेनियम का भंडार है, इसलिए झारखंड में यह लगे। आपने अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर) **:** सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बजट के बारे में एक-दो बातें कहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और अभी ज़ीरो ऑवर भी बाकी है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। एक बात यह है कि सात हजार करोड़ रुपए रखे गये हैं सौ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। 70 करोड़ रुपए में एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है जबकि ढाई सौ करोड़ में तो एक शॉपिंग मॉल बनता है, पता नहीं अब ये कौन-सी प्लानिंग है? कैसे सात हजार करोड़ रुपए में सौ स्मार्ट सिटी बनेंगे? स्मार्ट गांवों के बारे में क्यों नहीं कहा गया, मानसून के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मानसून ऑलरेडी वीक आ रहा है, सूखा प्रभावित इलाके के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मैं तो एक छोटी-सी कविता बोलकर बैठ जाऊंगा। उसमें सब कुछ हैं। उसमें मैंने बजट और जनरल बातें एड की हैं। उसे अगर ध्यान से सुन लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वह यह है कि

"पहले किराया बढ़ाया रेल का,
फिर नंबर आया तेल का,
खुद ही दस साल करते रहे नुक्ताचीनी,
आते ही दो रुपए किलो महंगी कर दी चीनी,
हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है,
आम लोगों को अब डर चीन से नहीं, चीनी से लग रहा है।

दुनिया मून पर सरकार हनीमून पर,
पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं,
महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं,
लोगों को तो बस दो वक्त की रोटी के लाले हैं,
सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं?

शायद पता नहीं है कि इराक है किस इलाके में,
भारतीय इराक में फंसे हैं, सुषमा जी गईं थीं, ढाके में,
बंगलादेश को ये विदेश मंत्रालय का वफ़द क्या
दस दिन बाद नहीं जा सकता था,
क्या कंधार की तर्ज़ पर विदेश मंत्री का जहाज
बगदाद नहीं जा सकता था,
मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं,
जिन्होंने इस महंगाई के दौर में भी बच्चे पाले हैं,
लूटने वाले ज्यादा, बस गिनती के रखवाले हैं,
प्लीज सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं?

मेरे सपने में कल रात बुलेट ट्रेन आयी,
मैंने कहा जी बधाई हो बधाई,
सुना है तुम मेरे देश आ रही हो,
मेरे देश के तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो,
बुलेट ट्रेन बोली- मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं,

अरे मैं बिजली से चलती हूं गोबर गैस से नहीं।
माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण लोगों को खूब जंचे हैं,
एक ही राहत की बात है
कि विदेशों से कालेधन वापस आने में मात्र पचास दिन बचे हैं,
हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं,
हमें तो हर सरकार से डंडे खाने हैं,
हमने तो सड़कों पर और पार्लियामेंट में ये पूछने के
लिए ही मोर्चे संभाले हैं
कि बताइए अच्छे दिन कब आने वाले हैं?"

[अनुवाद]

श्रीमती पूनमबेन माडम (जामनगर) : सभापति महोदय आपका धन्यवाद। इस सदन में यह मेरा पहला भाषण है। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और अपनी पार्टी को मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के सम्मानीय नागरिकों की ऋणी हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जाताया और लोकतंत्र के इस मंदिर में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को इस महत्वपूर्ण बजट के लिए बधाई देना चाहूंगी। पूर्ववर्ती सरकार जिन्होंने लगातार बजट पेश किए और इनमें उल्लिखित योजनाओं के संबंध में नीतिगत निर्णय नहीं लिए गए, के बाद उन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया।

हमने विरासत में क्या पाया? विरासत के संबंध में यहां काफी चर्चा हुई है। यह सच है कि वर्तमान सरकार को विरासत में घटी हुई विकास दर, अत्यधिक बेरोजगारी, उच्च चालू खाता और मुद्रास्फीति, उच्च खाद्यान्न महंगाई, अवरुद्ध औद्योगिक विकास, नीतियों का खराब कार्यान्वियन, इत्यादि मिला।

गत दो दिनों से, चूंकि मैं इस सदन में नयी हूं, मैं देख रही हूं कि विपक्षी दल यह कह रहे हैं कि भाजपा ने चुनावी अभियान के दौरान जो कुछ भी कहा था, यह बजट चुनाव के दौरान दिए गए आश्वासन के अनुरूप नहीं है। महोदय, मेरा यहां विपक्षी दल से भिन्न विचार है क्योंकि मैं महसूस करती हूं कि यह बजट चुनावी अभियान के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वादों का प्रतिबिम्ब है।

महोदय, यह एक सर्व समावेशी बजट है क्योंकि इसमें समाज के सभी तबकों, देश के सभी भागों को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। सभी नीतियां लागू की गई है ताकि समाज के मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और गरीब वर्ग को और परेशानी न हों पड़े। इस बजट में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में विपक्षी दलों ने पहले कभी नहीं विचार किया। माननीय नरेन्द्र भाई ने चुनाव के दौरान जो *'सबका साथ, सबका विकास'* का सूत्र दिया, उसे वर्तमान सरकार द्वारा अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रमों में जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को शामिल कर पूरा किया गया है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के 45 दिनों के अंदर में जो कठोर निर्णय लिए है उससे इस क्षेत्र में विकास होता दिखाई दे रहा है। महंगाई में भारी गिरावट आयी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सरकार ने 45 दिनों में वे उपाय किए हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार 3650 दिनों में भी नहीं कर पायी। हम दस वर्ष के कुशासन के साक्षी रहे हैं कि किस प्रकार मध्यवर्ग, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को इस अवधि में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

बचत सदा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की निहित शक्ति रही है। मैं सदन को 2008 की वैश्विक मंदी की याद दिलाना चाहूंगी की किस प्रकार हमें वित्तीय और आर्थिक दुःखों का सामना करना पड़ा था। विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा किन्तु भारत इसके विरुद्ध मजबूती से खड़ा रहा। सभी अर्थशास्त्रियों ने और सभी सर्वेक्षणों में यह कहा गया कि भारतीयों की बचत की आदत, जिसमें हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए बचत करते हैं, ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया है। किन्तु दुर्भाग्यवश विगत दस वर्षों में मध्यवर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। हम धीरे-धीरे अत्यधिक ऋण वाली अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। धीरे-धीरे नीतिगत अनिर्णय और नीतियों के कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग के लोगों के हाथों से धन निकल गया है।

इसी प्रकार पिछले तीन-चार वर्षों की अवधि में हमने भारतीय होने के नाते अपने देश के इतिहास की सबसे शर्मनाक अवधि देखी है जब हमारे अपने ही निवेशकों ने हमारे देश में एक भी पैसा निवेश करने से मना कर दिया। हमारे अपने निवेशक, जिन्हें अपने देश से स्नेह है, जो अपने देश का सम्मान करते हैं और देश का विकास चाहते हैं, ने एक पैसा भी निवेश...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती पूनमबेन माडम : महोदय, मैं न तो इस बजट और न ही अपने संसदीय क्षेत्र के साथ न्याय कर पाऊंगी। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मुझे कुछ मिनट का समय और दिया जाए...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। यह संभव नहीं है। विस्तारित समय भी समाप्त हो गया है।

श्रीमती पूनमबेन माडम : यह मेरा पहला भाषण है। महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी कुछ बातें कहना चाहती हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार हूं।

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति : हम 'शून्य काल' शुरू कर रहे हैं। विस्तारित समय भी समाप्त हो चुका है। आपको यह समझना चाहिए। आप सभा में नए सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, आम बजट पर चर्चा पूरी हो गई है। अब हम 'शून्य काल' पर विचार करेंगे और अब श्री कौशल किशोर बोलेंगे।

***डॉ. थोकचोम मेन्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** (आंतरिक मणिपुर): मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा इस महीने की 10 तारीख को प्रस्तुत 2014-15 के केन्द्रीय बजट (सामान्य) पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं बजट का विरोध करता हूं। तथापि, मैं माननीय वित्त मंत्री के पहले केन्द्रीय बजट के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट को प्रस्तुत करते समय व्यवहारिक और स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया है जो सराहनीय है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने विगत बजट की स्पष्ट निरंतरता बनाए रखते हुए बजट बनाने का प्रयास किया है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट कुल मिलाकर एक साधारण बजट है। विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए वित्त मंत्री ने इस बजट वर्ष में गैर-मुद्रास्फीतिकारी वृद्धि वाले बजट को प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया है। वित्त मंत्री एनडीए सरकार के **न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन** सिद्धांत की प्रतिबद्धता की बात करते हैं। बहुत अच्छा। अब इसके लिए हमें अपने संविधान की संरचना और कार्यकरण पर विचार करना होगा। इस महान देश में 'विविधता में एकता' वास्तविकता है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की भूमिकाएं समग्र रूप में इस देश के विविध मुद्दों के समाधान में समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि, देश की आंतरिक सुरक्षा, उग्रवादी गतिविधियां, नक्सली गतिविधियां, माओवादी गतिविधियां, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम का निरसन, आतंकवाद जलवायु परिवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का मुद्दा हो सकता है।

मेरे विचार में इन सभी मुद्दों पर सरकार को लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र विकसित करनी चाहिए। कार्यक्रम को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए लोगों को समुचित जानकारी दी जाए। यूपीए का शिक्षा का अधिकार अधिनियम लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक साधन है। देश मानव संसाधन में संपन्न है तथा इस संसाधन का समुचित विकास किया जाए। मैं पुन: कहता हूं कि मानव संसाधन का विकास हर चीज की वास्तविक कुंजी है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त मंत्री स्कूल शिक्षा के लिए अधिक निधि का आवंटन करें। मैं वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों क्षेत्रों के लिए शिक्षा हेतु अधिक निधि प्रदान करें। मूलभूत विज्ञान का क्षेत्र जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों और विज्ञानों के लिए स्वर्ग है, के अनुसंधान और विकास हेतु अधिक मात्रा में निधि का आवंटन किया जाए। यह अन्यथा रूप से स्थापित परंपरागत वैज्ञानिक मूल्यों और वैज्ञानिक विचार को लंबे समय तक बनाए रखेगा। ऐसा करके जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों, देश की ऊजा सुरक्षा तथा अंधविश्वासों आदि से अच्छी तरह से निपटा जा सकता है। हम मांग करते हैं कि जीडीपी का न्यूनतम 6 प्रतिशत आवंटन शिक्षा पर किया जाए।

मैं आग्रह करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र अधिक मात्रा में निधि उपलब्ध कराया जाए क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांवों का देश है जोकि एक वैश्विक सत्य है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लगभग सभी तरह से बहुत ज्यादा वंचित हैं। उनकी भलाई करना ईश्वर की सेवा है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना बिल्कुल नहीं है। वहां न तो सुरक्षित पेयजल है, न ही बिजली, बुनियादी सुविधाएं, अच्छे स्कूल और अच्छी सड़कें हैं। हमें इन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कुछ करना है और इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक मात्रा में निधि चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि के लिए निधि की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरटीई अधिनियम का कड़ाई से और विवेकपूर्ण क्रियान्वयन किया जाए। हमें सभी राज्यों या क्षेत्रों का समान विकास करना चाहिए। हमें क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना चाहिए। इसके लिए सरकार वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को आवश्यक रूप से नई नीति बनानी होगी। यदि कोई राज्य या क्षेत्र विकास के साथ-साथ चलने में पीछे छूट रहा है तो मुझे डर है कि इससे असंतोष और विद्रोह पनपेगा।

अत: हमें अपनी आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रबंधन पर नए ढंग से सोचने और नई पहल करने की आवश्यकता है। पिछड़े क्षेत्रों या राज्यों पर और अधिक ध्यान दिया जाए। समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री जी का मेरे राज्य मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। मंत्री महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस संबंध में मैं सभा को इस तथ्य से अवगत करना चाहूंगा कि संप्रग शासन के दौरान मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल अकादमी पहले ही स्थापित हो चुकी है। मैं माननीय मंजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या अकादमी और विश्वविद्यालय दो भिन्न निकायों के रूप में पृथक रूप से कार्य करेंगे

या फिर अकादमी का एक विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जा रहा है।

(1) मेरे राज्य मणिपुर में विभिन्न स्वदेशी खेल मौजूद हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जा सकता है, उदाहरणार्थ; सागोल कांगजी (पोलो); सागोल का अर्थ है घोड़ा और कांगजी का अर्थ है हॉकी की छड़ी। इसकी उ त्पत्ति मणिपुर में हुई है; मुक्ना कांगजी (कुश्ती के साथ-साथ हॉकी); मुक्ना (कुश्ती)। यूबी लाक्पी (रग्बी का एक रूप जो तेलयुक्त-नारियल के साथ खेला जाता है); और कांग इत्यादि।

इन स्वदेशी खेलों की मौजूदगी के कारण मणिपुर ने हॉकी, जूडो, तीरदांजी, भारोतोलन, साइक्लिंग, मुक्केबाजी में कई ओलंपियन/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/विश्व चैंपियन पैदा किए हैं। हाल ही में मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली श्रीमती मैरी कॉम मेरे राज्य मणिपुर से है। अतः, मेरे राज्य को उच्चतम खेल संस्थान (अकादमी/विश्वविद्यालय) बनाना एक अच्छी पहल है। मंत्री महोदय, आपका पुनः धन्यवाद।

पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ है। वहां की कानून एवं व्यवस्था हमेशा से ही इन विलंबों का कारण रही है। इस संबंध में, केन्द्र सरकार और गृह मंत्रालय से इन सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर रेल संपर्क हेतु अंतरिम बजट में प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय परियोजना जीरीबल-तुपुल-इंफाल रेल परियोजना में अत्यधिक विलंब हुआ है और 2010 के प्रारंभिक लक्ष्य की तुलना में हाल ही में परियोजना को पूरा करने हेतु 2022 का लक्ष्य रखा गया है। अतः, देश के उस भाग में इन सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु विशेष सुरक्षा एक आवश्यकता बन गई है। वित्त मंत्री द्वारा आवंटित की गई यह धनराशि अभी भी बहुत कम है और यह की भी पर्याप्त नहीं होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 मणिपुर की दो जीवन रेखाओं में से एक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा से ही अनावश्यक नाकाबंदियों/फिरौतियों से प्रभावित रहा है जिसके परिणामस्वरूप जीवन-रक्षक औषधियों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में बहुत असुविधा होती है।

इन अवांछित गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए आने वाली वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं (कभी-कभी लगभग दुगुनी/तिगुनी/चौगुनी) हो जाती है। यहां फिर से भारत सरकार और गृह मंत्रालय से इन अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए एक राजमार्ग सुरक्षा बल की स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है। सिल्चर और इंफाल को जोड़ने वाले वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को बारहमासी सड़क बनाया जाए। यहां पर भी कार्य की गति बहुत धीमी है। और इसी तरह से, निष्पादनकारी एजेंसी बीआरओ पर हमेशा से दोषारोपण किया जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस यह चाहते है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा हो ताकि मेरे राज्य को उचित दरों पर जीवन रक्षक औषधियों के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की बे रोक टोक आपूर्ति की जा सके। इन असुविधाओं के कारण हम जो अत्यधिक मूल्य देते हैं उसे रोकने के लिए पर्याप्त परिवहन राजसहायता एक विकल्प हो सकती है। अतः, हम इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु यात्रियों और वस्तुओं के सुचारू आवागमन हेतु पूर्वोत्तर में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विशेष सुरक्षा बल; जीवनरक्षक औषधियों और आवयश्यक वस्तुओं की कीमत वृद्धि को रोकने के लिए इन राजमार्गों पर ट्रांसपोर्टर्स के लिए पर्याप्त परिवहन राजसहायता; और पूर्वोत्तर में सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु विशेष सुरक्षा की मांग करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की समस्या की बात करें तो मैं मणिपुर राज्य से आता हूं। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ-साथ मणिपुर की अधिक से अधिक पांच देशों अर्थात् नेपाल, भूटान, चीन, म्यनमार और बांग्लादेश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में लगभग इसी प्रकार के लोग रहते हैं। उनके बच्चे एक-दूसरे से विवाह करते हैं। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर उनके खेत हैं। वहां पर वास्तव में बहुत रोचक तथा विशिष्ट स्थिति है। यदि कोई समस्या होती है तो स्थायी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए एक वास्तविक मानवीय दृष्टिकोण हमेशा ही जरूरी होता है।

उपरोक्त तर्क को सुकर बनाने के लिए बच्चों की समुचित शिक्षा और सतत् आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होने चाहिए जहां केन्द्र सरकार राज्यों की सहायता कर सके। समुचित शिक्षा एक बेहतर भविष्य के लिए बदलाव ला सकती है और अंत में, हमें विश्वास है कि हम सभी वित्तीय समस्याओं से उभर जाएंगे और एक आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। हर समस्या का समाधान होता है। हर समस्या को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। हमारे मामले में, राजनीतिक हल होना चाहिए। हमें इन समस्याओं के राजनीतिक हल के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।

अब, मैं एमपीलैड के बहुचर्चित मुद्दे के बारे में बात करूंगा। मेरे साथी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि छोटे राज्यों के मामले में एमपीलैड निधि अच्छे की बजाय और अधिक नुकसान करती है। इस योजना के अंतर्गत निधि के थोड़े से आवंटन से हम में से कुछ विचित्र स्थिति में फंस गए है। आप जानते हैं, क्यों? गोवा के प्रत्येक संसद सदस्य के पास 20

विधानसभा क्षेत्र हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे पास 32 विधानसभा क्षेत्र हैं; अरुणाचल के प्रत्येक संसद सदस्य के पास 40 विधानसभा क्षेत्र हैं; सिक्किम के संसद सदस्य के पास 32 विधानसभा क्षेत्र हैं; मिज़ोरम संसद सदस्य के पास 40 विधानसभा क्षेत्र तथा नागालैंड संसद सदस्य के पास 60 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन राज्यों में विधानसभा सदस्यों के पास संसद सदस्यों की तुलना में स्थानीय क्षेत्र विकास निधियां अधिक है। अब, हमारी मांग है कि या तो एमपीलैड की योजना समाप्त किया जाए या इसमें युक्तिसंगत बढ़ोतरी की जाए।

मैं हमेशा से ही सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को निरस्त करने की पैरवी करता रहा हूं। यह अधिनियम चरित्र में राष्ट्रीय और प्रयोग में क्षेत्रीय है। वास्तव में यह बहुत कुख्यात और बुरा है। न्यायाधीश रेड्डी समिति, विरप्पा मोइली की एआरसी, हामिद अंसारी की कश्मीरी आईपीसी और निर्भया के वर्मा आयोग की सभी रिपोर्टों ने इस अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की है।

पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर में इस अधिनियम के लगातार प्रयोग से फर्जी मुठभेड़, विधवाओं/विधुरों, अभिभावकों जिन्होंने अपनी संतान खो दी, गुमशुदा लोगों, हिरासत में मृत्यु और फिरौतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहां इस अधिनियम का प्रयोग किया जाता है उस क्षेत्र में जीवन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं जानता क्या होगा। मैं केन्द्र सरकार से हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को तत्काल निरस्त करने का अनुरोध करता हूं।

मैं पुन: आम बजट 2014-15 का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज) : मैं वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता है बल्कि सरकार द्वारा पूरे वर्ष के लिए विकास की योजनाओं का लेखा-जोखा होता है। बजट में सरकार की विकास की दिशा का उल्लेख होता है। आज नई सरकार को विरासत में जो आर्थिक स्थिति मिली है वह बहुत ही निराशाजनक है। देश में पहली बार पिछली सरकार में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि न तो घरेलू निवेश और न तो विदेशी पूंजी निवेश हो रहा था जिसके कारण उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही थी। उसी कारण देश का विकास दर घटकर 4.7 प्रतिशत रह गया था। ऐसी परिस्थिति में फिस्कल डेफिसिट भी काफी बढ़ गया। लोगों का विश्वास उठ रहा था। देश के घेरलू निवेश करने वाले औद्योगिक घराने के लोग भी भारत से बाहर निवेश करने लगे। इस बार के बजट से देश के सभी वर्गों में विश्वास पैदा हुआ है। इस बार नई सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे एवं उत्पादन पर ज्यादा है। नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि है कि इस वर्ष बीजेपी एंड एनडीए सरकार ने 2014-15 के लिए 17,94,892 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। प्रस्तावित खर्च देश द्वारा पिछली सरकारों के द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज एवं रक्षा संबंधी मामलों में खर्च किया जाएगा। इस बार सरकार को राजस्व की प्राप्तियां 19 प्रतिशत अधिक होगी। भारत सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर मेनेजमेंट कमीशन की स्थापना की जाएगी जो सरकार द्वारा खर्चों में सुधार के उपायों का सुझाव देगी। अभी भी सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों को विदेशों से आयात किया जाता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि भविष्य में रक्षा उपकरणों को आयात करने के बजाय भारत में ही उत्पादन करेंगे जिसका नियंत्रण केवल भारतीयों के हाथ में होगा। इसीलिए रक्षा उपकरणों के उत्पादन में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत एफडीआई करने का निर्णय लिया गया है।

इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत एफडीआई की जाएगी। वर्ष 2018 तक पब्लिक सेक्टर बैंक में 2,40,000 करोड़ रुपए की इक्विटी का समावेश किया जाएगा। सरकार द्वारा इनकम टैक्स में भी 50,000 की छूट दी गई है। अब देश के नागरिक जो 60 वर्ष की उम्र तक के हैं उन्हें 2 लाख से अब 2.5 लाख की पूर्णतया छूट मिलेगी। 60 से 80 वर्ष के लोगों की तीन लाख रुपए तक की छूट होगी। 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार की इस बार प्राथमिकता होगी कि पिछले कई वर्षों से करों के संबध में 4 लाख करोड़ रुपए का विवाद न्यायालयों में लंबित है। वर्तमान समय में देश में टैक्स पेयर्स की संख्या 3 करोड़ 80 लाख है। सरकार जीएसटी लाने का प्रयास करेगी जिससे 1 प्रतिशत विकास दर बैठेगी। फिस्कल डेफिसिट तभी बढ़ता है जब आमदनी से ज्यादा सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। पिछली सरकार में आमदनी कम होती जा रही थी दूसरी तरफ खर्चा लगातार बढ़ रहा था। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को वर्ष 2014-15 में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत पर लाने का निश्चय किया गया। विकास दर तभी बढ़ सकती है जब ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा। रोजगार बढ़ने से देश का विकास दर भी बढ़ेगा।

भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं विद्यमान है, उसे विकसित करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा संभावनाएं बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों में है। उन्हें बेहतर सड़क, रेल एवं हवाई मार्गों से जोड़कर बौद्ध परिपथ का निर्माण करना है। बौद्ध परिपथ से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान पिपरहवा (कपिलवस्तु), जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। आज तक साल में लाखों लोग जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हें वहां तक पहुंचने में असुविधा होती

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। अत:, उत्तर प्रदेश के पिपरहवा (कपिलवस्तु), श्रावस्ती, कुशीनगर एवं सारनाथ को बौद्ध परिपथ से जोड़ने से पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जिससे भारत के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। क्योंकि इस सरकार ने पिछली सरकार के सोशल सेक्टर स्कीम में न तो कोई परिवर्तन करने का निर्णय लिया है और न तो बजट में कोई कमी की है। इसलिए हमें अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। इस बार बजट में एक्साइज ड्यूटी भी कम करने का निर्णय सरकार ने लिया है। बैंकिंग सुविधा अभी देश के केवल 58 प्रतिशत तक जनता को ही मिलती है। इसलिए देश के हर परिवार के दो सदस्यों के बैंक के खाते खुलवाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में पिछले वर्ष की तुलना में 4692 करोड़ रुपए की वृद्धि की गयी है। इस वर्ष 14391 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जबकि पिछले वर्ष केवल 9699 करोड़ का परिव्यय था। इसी तरह से बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) में 10950 करोड़ का परिव्यय है वह भी पिछले वर्ष की तुलना में 3150 करोड़ रुपए अधिक है। इन्दिरा आवास में 16000 करोड़ एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में 5145 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार ने देश से जुड़ी हुई विकास की योजनाओं में अधिक परिव्यय निर्धारित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी और एनडीए सरकार द्वारा सिंचन क्षमता वृद्धि के लिए नदियों को जोड़ने की प्रतिबद्धता सरकार द्वारा की गई है। इस बार सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्र रक्षा, खाद्य एवं वितरण प्रणाली एवं ग्राम विकास में ज्यादा धन का प्रावधान किया है। सरकार द्वारा कृषि की विकास दर को बढ़ाने के लिए 9 लाख करोड़ के ऋण का प्रावधान किया गया है। मैं वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट से उम्मीद करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता है। जिसमें मध्यम वर्गीय एवं नौकरीपेशा लोगों को डायरेक्ट टैक्स में छूट देकर उन्हें बचत करने का अवसर मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर (जेई) एवं एईएस से हजारों बच्चे प्रत्येक वर्ष मृत्यु के गाल में समा हैं। मैं इन्हें बचाने के लिए एईएस के उपचार के लिए दवा के ईजाद हेतु धन की व्यवस्था का अनुरोध करता हूं। नेपाल से निकलने वाली नदियों के पानी से बाढ़ के प्रलय से बचाने के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए पावर प्लांट की स्थापना हेतु भी धन की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. मुरली मोहन** (राजामुन्दरी) : मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले बजट का स्वागत करता हूं जो किए जन हितैषी बजट है। यह विगत कुछ महीनों के दौरान हुए परिवर्तनों का द्योतक है और यह बजट सही दिशा में उठाया गया कदम है। पिछले शासन के दौरान देश में कई घोटाले हुए और भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट आई। पिछली सरकारों के शासनकाल के दौरान वित्तीय और आर्थिक सूचकांकों में भारी गिरावट आई थी।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्र सरकार ने शेष बचे हुए आंध्र प्रदेश में एम्स, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, आईआईटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश के हित में इन सभी प्रस्तावित संस्थाओं की स्थापना के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करें।

मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वे अनुपूरक बजट में पर्याप्त निधियों का आवंटन करके विशाखापत्तनम में एक केन्द्रीय विश्वविद्याल और राजामुन्दरी शहर में एक आईआईएम की स्थापना करें।

मैं यह नोट करके भी प्रसन्न हूं कि केन्द्रीय सरकार ने विशाखापट्टनम में पेट्रोरसायन परिसर और मैट्रो रेल की सुविधा की स्थापना करने और विजयवाड़ा-तेनाली-गुन्टूर महानगर शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना, विजाग चैन्ने औद्योगिक कोरिडोर और कडप्पा में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह प्राथमिकता के आधार पर इन परियोजनाओं की स्थापना करने के कार्य में तेजी लाए और बजट में पर्याप्त निधियां निर्धारित करे।

गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर तबकों के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित किए गए अन्य कल्याणकारी उपायों के अलावा उन्होंने 37,887 करोड़ रुपए की धनराशि का आबंटन करके देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को और अधिक प्राथमिकता प्रदान की है।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक शहर राजामुन्दरी बेगवती नदी गोदावरी के तट पर स्थित है।

पुष्करम प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आता है जबकि महापुष्करम प्रत्येक 144 वर्षों के बाद आता है और आगामी महाकुंभ मेला अगले वर्ष अर्थात् जुलाई, 2015 में आयोजित होगा। चूंकि, राजामुन्दरी पुष्करमों के दौरान आकर्षण का मुख्य केन्द्र होगा, लाखों यात्री देशभर से रेलगाड़ी से माता गोदावरी में स्नान करने और अर्चना करने और गोदावरी नदी के आस पास के मंदिरों में दर्शन करने आएंगे।

राजामुन्दरी शहर को बहुत सी समस्याओं जैसे तंग सड़कों और जल निकासी की खराब सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमिगत जल निकासी की समुचित सुविधाओं के अभाव और तंग सड़कों के कारण राजामुन्दरी की प्रगति ठप्प पड़ चुकी है। सड़कों को चौड़ा करने और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

समुचित जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

राजामुन्दरी का सौन्दर्यकरण भी समय की मांग है। राजामुन्दरी शहर और यहां आयोजित होने वाले पुष्करमों (महाकुंभ मेला) जो अगले वर्ष जुलाई 2015 में आयोजित होगा, के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भूमिगत जल निकासी व्यवस्था का निर्माण करने, सड़कों को चौड़ा करने, हरियाली के साथ शहर के सौन्दर्यकरण और नए प्लेटफॉर्मों के निर्माण और राजामुन्दरी रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के द्वारा राजामुन्दरी शहर के विकास हेतु पर्याप्त निधियां कम से कम 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित/स्वीकृत करने की कृपा करें।

आंध्र प्रदेश में कतिपय संस्थाओं की स्थापना करने पर केन्द्र सरकार का स्वागत करते हुए मैं शेष आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं।

संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के समय पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि शेष आंध्र प्रदेश को 10 वर्ष तक विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश के समक्ष वित्तीय संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देने की अवधि को 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष किया जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देने की अनुमति प्रदान करने में विलंब होने के क्या कारण हैं। विभाजन के कारण आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार अधिकांश राजस्व से हाथ धो बैठी है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची के अनुसार केन्द्र सरकार ने इस सभा को आश्वासन दिया है कि शेष आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाने के लिए हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तथापि, नई राजधानी का निर्माण करने के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि नई राजधानी के निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मुहैया करवाके केन्द्र सरकार इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान करेगी।

मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध भी करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश के लिए राजधानी नगर का निर्माण करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने की कृपा करें।

मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध भी करता हूं कि वे गोदावरी नदी की सफाई करने के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत करें जो कि समय की मांग है क्योंकि उन्होंने यमुना नदी की सफाई के लिए उदारतापूर्वक धन का आवंटन किया था।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट 2014-15 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे** (मावल) : आपने मुझे जनरल बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सबसे पहले मैं अपने नेता शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे का आभार मानता हूं जिनके नेतृत्व में मेरे सरीखे जैसे छोटे कार्यकर्ता को संसद में बैठने का मौका मिला।

माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने यह बजट बहुत ही संतुलित बनाया है समाज के सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है देश का युवा वर्ग, नौकरी पेशा लोग, किसान, छोटे उद्योजक, मध्यम उद्योजक और बड़े उद्योगपति आदि सभी की निगाहें इस बजट की ओर थी इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान किये गए है जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। आजादी के बाद यह एक ऐसा बजट है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र, कृषि, कृषक वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बारे में सोचा गया है।

गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के निर्माण का मिशन शुरू किया है इस प्रतिमा निर्माण हेतु सरकार ने इस बजट में 200 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव किया है मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

सरकार द्वारा मुंबई में समुद्र के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा के निर्माण करने का प्रस्ताव है, महाराष्ट्र सरकार के बजट में इसका प्रस्ताव किया गया है मैं भारत सरकार खासकर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा के लिए भी निधि का प्रस्ताव करे जिससे इस विशाल प्रतिमा के निर्माण में देश का भी सहयोग रहेगा।

पूना एवं पिम्परी-चिंचवड शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पिछली सरकार ने पूना एवं पिम्परी-चिंचवड में मेट्रो चलाने की घोषणा की थी लेकिन इस बजट में सरकार ने पूना एवं पिम्परी-चिंचवड शहर के लिए कोई उल्लेख नहीं किया है पूना एवं पिम्परी-चिंचवड शहर में देश भर के नौजवान नौकरी एवं शिक्षा हेतु आते हैं बढ़ती यातायात की कठिनाई को दूर करने के लिए पूना एवं पिम्परी-चिंचवड शहर में मेट्रो चलाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बजट में पूना एवं पिम्परी-चिंचवड में मेट्रो चलने हेतु विशेष धनराशि जारी करने की मांग करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वित्त मंत्री ने पुरातत्व स्थलों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है लेकिन यह प्रावधान पर्याप्त नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र मावल में दो ऐतिहासिक किले हैं राजमाची और लौहगढ़, उसी तरह कारला और भाजा यह दो बौद्ध कालीन गुफाएं हैं इन चारों स्थान पर पुरातत्व विभाग ने अपना एक बोर्ड लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन स्थानों के रख रखाव और सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाये, कारला की गुफाएं काफी ऊंची पहाड़ी पर हैं वहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं इसलिए वहां तक पर्यटकों के जाने के लिए रोप-वे की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के कोंकण भाग में समुद्र तट अधिक है यदि सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन हेतु विकास करने का प्रस्ताव करती है तो इससे इस क्षेत्र में देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा और सरकार को अच्छी आमदनी भी प्राप्त होगी।

देशभर में प्राकृतिक आपदा से किसानों को केन्द्र और राज्य से सहायता राशि देने की घोषणा की जाती है लेकिन समय पर यह राशि न मिलने से किसान आत्महत्या करते हैं इस प्राकृतिक आपदा से किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

आजादी के बाद यह पहला बजट है जिसमें कृषि सिंचाई के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव किया है इस योजना के साथ-साथ किसानों को 7 फीसदी ब्याज पर कर्ज देने की बात की है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा की इस प्रतिशत को 7 से घटाकर 5 फीसदी करें। जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में भी केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

नदियों को जोड़ने की योजना एनडीए शासन काल में शुरू की गई थी, यह योजना पुन: तीव्रगति से शुरू किए जाने की जरूरत है। देश की एक विडम्बना है, कि देश के एक हिस्से में बाढ़ आती है तो दूसरे हिस्से में अकाल होता है अगर बाढ़ से बह जाने वाली पानी को जहां उसकी नितांत आवश्यकता है वहां तक ले जायेंगे तो दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इसी विचारधारा से सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनायी है। इस परियोजना पर सरकार को बहुत जल्दी काम करना है अन्यथा यह विडम्बना बनी रहेगी।

आज के समय में जीवन बीमा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है लेकिन पिछली सरकार ने जीवन बीमा को भी सर्विस टैक्स के दायरे में ला दिया था आज के भाग-दौड़ भरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन बीमा करने हेतु शिक्षित करने की जरूरत है अत: जीवन बीमा पर लगने वाले सर्विस टैक्स को भी खत्म करने की जरूरत है। कृषि उत्पादन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने 500 करोड़ का फंड प्रस्तावित किया है इससे ऐसा लगता है, सरकार आने वाले समय में कीमतों पर नियंत्रण कर पाएगी।

गंगा नदी की सफाइ के लिए सरकार वचनबद्ध है और मजे की बात यह है कि पिछली सरकार ने भी राष्ट्रीय गंगा बेसिन रिवर अथॉरिटी बनाई थी और लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किये थे लेकिन गंगा मैली की मैली ही रह गई, मैं जानना चाहूंगा कि उस 2000 करोड़ रुपए का क्या हुआ यह एक जांच का विषय है लेकिन यह सरकार वाकई में गंगा का जल पीने लायक करेगी ऐसा मुझे विश्वास है मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार राज्यों को भी नदियों की सफाई हेतु विशेष अभियान चलने के निर्देश दें एवं नदियों को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने को कहें।

लोक सभा चुनाव के दौरान एनडीए ने देश की जनता को जो भी आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पूरा करने के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। हमें सबका साथ चाहिए। सबका विकास हो चाहे वो किसी भी वर्ग से हो चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय, धर्म से हो, हमें सबको साथ लेकर विकास के मार्ग पर चलना है।

इस बजट के द्वारा देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की जो साख गिरी है उसमें सुधार आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, बिहार में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री कौशल किशोर के निवेदन के सिवा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

रात्रि 8.40 बजे

इस समय, श्री राजेश रंजन आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय सभापति : आप अपने स्थान पर वापस जाए। आप इसे कल उठा सकते हैं। आपने कोई भी सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप इसे कल पूछ सकते हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति : आप अपने स्थान पर वापस जाए। आप इसे कल उठा सकते हैं।

रात्रि 8.41 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 जो लखनऊ से दिल्ली आता है। उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जनपद लखनऊ से आगे सीतापुर में एक गांव पड़ता है अटरिया और नगर पंचायत सिधौली और कमलापुर। पिछले माह में उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिधौली, कमलापुर और अटरिया में 300 दुकानें और मकान बने हुए थे, जिला प्रशासन सीतापुर ने उन दुकानों मकानों को गिराने का काम किया है तथा एक पैसा भी मुआवजे के रूप में देने का काम नहीं किया है। मान्यवर, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के जिला प्रशासन ने जानबूझकर भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 का उल्लंघन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लंघन और अवमानना की है। वहां पर जो लोग बसे हुए थे, जिनकी दुकानें और मकान थे, वे इस कार्य से बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा उनके मकानों और दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। उनके मकान और दुकान आबादी में दर्ज हैं, वोटर लिस्ट में नाम हैं। वे लोग बकायदा नगर पंचायम में हाउस टैक्स और अन्य टैक्स पे करते हैं। मैंने जब इस संबंध में सीतापुर के जिला अधिकारी ने कह दिया कि इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अटरिया, कमलापुर और सिधौली के जिन लोगों की दुकाने और मकान ध्वस्त किए गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए और नियम के विरुद्ध जिसने यह कार्रवाई की है, सीतापुर के जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भीमराव बी. पाटील (जहीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि 130 किलोमीटर लंबी बोधन-बिदान रेलवे लाईन जिसका प्रस्ताव काफी पहले दिया गया था, आज भी शुरू नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*। यह रेलवे लाईन निजामाबाद जिला और तेलंगाना और कर्नाटक के अन्य जिलों के त्वरित विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं...*(व्यवधान)*। इस रेलवे लाईन का पूर्व बजट में भी उल्लेख किया गया था...*(व्यवधान)*।

माननीय सभापति : आप कृपया बैठ जाइए। आप सदैव समस्या उत्पन्न करते हैं। सत्ता पक्ष अपने सदस्यों का ध्यान रखे।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : पप्पू यादव जी, मैं खेद के साथ कहता हूं कि आपने कोई भी सूचना नहीं दी है। हम उन सदस्यों को बुला रहे हैं जिन्होंने सूचना दी है।

श्री भीमराव बी. पाटील : इस संबंध में एक सर्वेक्षण कार्य का आदेश दिया गया था लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से यह प्रारंभ नहीं हो सका। इस पर भी ध्यान दिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी की की फैक्टरी बोधन में स्थित है जो कि तेलंगाना के निजामाबाद जिले में है। कई यात्री व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए भी बोधन से बीदर तक रोज यात्रा करते हैं। यह समय की आवश्यकता है कि इस रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए यह सर्वेक्षण तुरंत किया जाए।

माननीय सभापति : अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब, श्री वीरेन्द्र कश्यप बोलेंगे।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, मुझे एक मिनट दे दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : सभापति जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष कुछ मांग करना चाहता हूं। देश के अधिकांश प्रदेशों में जंगली जानवरों द्वारा आम जनमानस का जीना दूभर हो रहा है, खासकर किसानों का। हिमाचल प्रदेश भी इस परेशानी से जूझ रहा है। प्रदेश में जंगली जानवर, जिनमें सुअर, बंदर, नीलगाय आदि किसानों की फसलें तबाह करने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की लगभग 85 प्रतिशत पंचायतें जंगली जानवरों के आतंक से परेशानी से जूझ रही हैं। किसानों ने खेतों में फसल बोना बंद कर दिया है, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना भी मुश्कल हो रहा है। जंगली जानवरों को मारना मना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टशन एक्ट, 1972 के तहत किसी भी जानवर को मारने पर पाबंदी है। आज तो स्थिति यह आ गयी है कि कोई किसी जानवर को मारते हुए पकड़ा जाए तो उसका बचना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुश्किल है जबकि किसी आदमी को मार दिया जाए तो वह बच सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां हिमाचल प्रदेश में किसान के पास एक ही विकल्प बचा हुआ है कि वह या तो अपनी जमीन को बंजर बना दे या फिर उसे बेचकर भूमिहीन बन जाए। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि इस समस्या का समाधान कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए। धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दो पीढ़ियां जो गुजर गयीं और दो पीढ़ियां जो आने वाली हैं के दर्द के प्रति आकृष्ट करना चाहता हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं 25 हजार लोगों और एक लाख गायों के दर्द के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिस धरती ने हम सभी का सिर गौरव के साथ ऊंचा किया है उस पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उस पोखरण की धरती में जहां साढ़े सात सौ स्कवायर मील एरिया में एशिया की सबसे बड़ी युद्धाभ्यास की रेंज बनी हुई है। वह रेंज जब वर्ष 1966 में बनाई गयी थी तब 20 गांव उजाड़े गये थे और सभापति महोदय, उन 20 गांवों को उजाड़ने के बाद में विस्थापन का दर्द उन दो पीढ़ियों ने सहा है और जब वे दो पीढ़ियां अपने को नयी जगह पर व्यवस्थित कर पाई हैं तब एक बार फिर विस्थापित होने का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। सभापति महोदय, शाहगढ़ बल्ज में, जैसलमेर में भूमि अब उपलब्ध है, वहां सर्वे भी हो चुका है लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण से सिंचित भूमि को और ऐसे लोगों को जिन्होंने एक बार पहले से विस्थापन का दर्द झेला है पुन: विस्थापित करने का षडयंत्र किया जा रहा है। हम लोग ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत धैर्य है। हम लोगों ने ऑपरेशन विजय के समय में लगातार हमारे खेतों को रौंदा गया लेकिन हमने उफ तक नहीं की। लेकिन अगर अब हमें राजनैतिक षडयंत्र के तहत उजाड़ा गया तो हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध किए जाने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : सभापति जी, पंजाब में बिजली का गहरा संकट चल रहा है। वहां पर 12 से 15 घंटे घरेलू बिजली में कट लगा रहा है। धान की फसल के लिए तीन घंटे भी बिजली नहीं आ रही है और लघु उद्योग बंद पड़े हैं। बड़ी विडम्बना और अफसोस की बात है कि पंजाब के जो उप-मुख्यमंत्री हैं वे बयान दे रहे हैं कि पंजाब के पास बिजली सरप्लस है और यह बिजली हम पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब अंधेरे में डूबा हुआ है और उप-मुख्यमंत्री पाकिस्तान को बिजली देना चाहते हैं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि इसमें इंटरवीन करके पंजाब को इस संकट से निकालें। धन्यवाद।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति जी, जनपद हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पशु-वधशाला के लिए दी गयी अनुमति के संबंध में मेरी प्रार्थना है। सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत 161 संडीला विधान सभा के औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से 25 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीसी ने आवंटित कर दी है जिसमें यह कंपनी पशु-वधशाला खोलने जा रही है। जिसके तहत कंपनी ने जिला अधिकारी हरदोई को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। वह प्रार्थना पत्र संडीला एसडीएम के पास पहुंचा, सीओ सन्डीला के पास पहुंचा, पुलिस इंस्पेक्टर सन्डीला के पास पहुंचा, जिन्होंने यह लिखा कि यहां पशु वधशाला नहीं खुलनी चाहिए। फिर भी डीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में आकर वहां पर वधशाला खोलने की अनुमति दे दी। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह कहना चाहती हूं कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाए। वहां लोग अनशन पर बैठ गये हैं, यह एक गंभीर मामला है और 19 तारीख से लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसीलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि अनापत्ति प्रमाण पत्र को निश्चित रूप से निरस्त करवाया जाए तथा यहां पशु वधशाला का निर्माण कभी भी न हो। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री जगदम्बिका पाल को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध किए जाने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री राजन विचारे (ठाणे) : महोदय, मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले मुसाफिरों पर क्या बीतती है, इस बात का उल्लेख करने के लिए आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। रत्नागिरी के इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी तुषार जाधव रत्नागिरी से कोंकण कन्या एक्सप्रेस से पनवेल स्टेशन पर उतरा। परवेल से अपने घर जाने के लिए उसने सुबह पांच बजे पनवेल ठाने लोकल गाड़ी पकड़ी और घनसोली स्टेशन के पास किसी ने तेज धार वाले हथियार से उसका गला चीर दिया और उसके पेट पर कई बार किए। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। उस समय महिलाओं के डिब्बे में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन्होंने यह पुकार सुनी थी। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकने के बाद सुरक्षाकर्मी ने जाकर देखा कि तुषार खून में लथपथ पड़ा था। जब उसे अस्पताल ले गए तो उसे मृत घोषित किया। बेटे की हत्या के बाद पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से अनुरोध

करूंगा कि उस परिवार का दीपक बुझ गया है और उनके बाद परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अनुकम्पा के आधार पर उस परिवार के किसी सदस्य को रेल विभाग में रोजगार दिया जाए।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि झारखंड राज्य की दामोदर नदी एशिया की सबसे बड़ी प्रदूषित नदी हो गई है। नदी के तट पर कई कोलवाशरी और कल कारखाने होने के कारण उनका दूषित जल दामोदर नदी में जा मिलता है। जिससे नदी दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। नदी के जल का उपयोग करोड़ों की संख्या में करते हैं तथा जानवर भी नदी के पानी का उपयोग करते हैं जिसके कारण उन्हें गंभीर बीमारियां लग गई हैं।

महोदय, अत: आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से मांग करता हूं कि दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सख्त कदम उठाएं जिससे जनमानस को नदी के जल का उपयोग करने में आसानी हो।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एमएसपी के माध्यम से जो सरकार की एजेंसियां होती हैं चाहे नेफेड हो या जैसे हमारे राजस्थान में राजफेड हो, वह एग्रीकल्चर खरीदती हैं लेकिन उनका भुगतान समय पर नहीं होता है। ऐसा मैकेनिज्म विकसित होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूज खरीदने के बाद उनका समय पर भुगतान हो जाए। मैं यह मांग आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से करना चाहता हूं क्योंकि हमारे यहां अभी मूंगफली की खरीद हुई है, लेकिन दो महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। चने की खरीद हुए एक महीना हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई तंत्र विकसित होना चाहिए, जिससे समय पर पेमेंट हो जाए।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान और सरकार का ध्यान उद्योगविहीन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र सासाराम बिहार पूर्वांचल का वह इलाका है जहां बुनकर, शिल्पकार एवं कुशल कामगारों की बहुतायत है। यहां हथकरघा, हथशिल्प तथा कारपेट इंडस्ट्री क्षेत्र है। यहां कच्चा माल की उपलब्धता एवं सूत धागा की बहुलता है। यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की असीम संभावनाएं हैं। यहां से निर्यात के योग्य वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उद्योग धंधों के अभाव में यहां के कुशल कामगार दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यदि इस क्षेत्र में उद्योग लगाये जाएं तो जहां एक ओर यहां के कुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी ओर क्षेत्र का विकास भी होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति (प्रो. के.वी. थॉमस) : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति जी, अपनी बात रखने के लिए जो आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। झांसी से लेकर कानपुर के बीच फोर लेन और सिक्स लेन बना हुआ है। झांसी से लेकर कानपुर तक वह बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है और उसमें पूरी रोड में गड्ढे बने हुए हैं और वहां से निकलने वाले लोग तथा वाहनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वहां पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जहां जहां पुलियां बनी हुई थीं, वहां वहां यह रोड एक फुट नीचे धसक गई है और उसके साथ तो वहां रोड ही नहीं बनी हुई है। फोर लेन नहीं बनी है और उसके पास जो रोड है, वहां रोड के अंदर आधा आधा फुट गड्ढे, जैसे कच्चे रोड्स पर गड्ढे हो जाते हैं, वैसे गड्ढे हो गये हैं और वहां टोल टैक्स लिया जा रहा है। हमारे वहां मौथ के पास सेवनी में टोल टैक्स लिया जा रहा है। आंटा के बाद टोल टैक्स लिया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां रोड ही नहीं बनी हुई हो, वहां टोल टैक्स लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

हमारे लोक सभा क्षेत्र में 12 टोल टैक्स पड़ते हैं। क्षेत्र की जनता से 120 रुपया वसूला जा रहा है। इसलिए इसको रोका जाए और जनता पर होने वाले अन्याय को रोका जाए। धन्यवाद।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर) : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर महाराष्ट्र में पीने के पानी की बहुत समस्या है। करीब 5 लाख की आबादी का शहर है। वहां पिछले तीन साल से महीने में दो बार ही पानी मिलता है। धनेगांव डैम से पानी आता है, उसमें 1 अगस्त तक का ही स्टॉक में है। उसके बाद में पानी का नियोजन नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि लातूर की जनता की दिक्कतों का ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण करे।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय सभापति जी, बड़े व्यथित हृदय से आज उत्तराखंड की त्रासदी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गत वर्ष 16-17 जून को उत्तराखंड त्रासदी के समय में मैं अपने परिवार के साथ प्राणरक्षार्थ श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में था। मैं उक्त घटना का भुक्तभोगी हूं तथा तीन दिनों तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता रहा था। उस महाप्रलय में अपने साथ गये 15 जनों में से 7 लोग कालकल्वित हो गए तथा बड़ी संख्या में अनेक लोगों को अपनी इन पथरीली आंखों से जल के तेज प्रवाह में बहते हुए देखा था, जो हृदय विदारक दृश्य जीवनभर अविस्मरणीय रहेगा।

संपूर्ण उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 40 से 50 हजार आदमी मौत के घाट उतर गये लेकिन आज उसके बारे में कोई रोने वाला नहीं है। उक्त त्रासदी को एक वर्ष से भी अधिक समय हो गया किन्तु न तो अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा,...*(व्यवधान)* यह महत्वपूर्ण विषय है।

माननीय सभापति : अब समाप्त करिए। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। उस त्रासदी को एक वर्ष से भी अधिक समय हो गया किन्तु न तो अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा कालकल्वित लोगों का सही आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है और न ही बहुतायत आश्रित परिजनों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि तथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है जिसकी संख्या देश के विभिन्न राज्यों की हजारों में है। विशेषकर बिहार में बहुतेरे आश्रित परिवारों को न तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और न ही मुआवजा राशि दी गई है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास सामने मृत दो जनों जिनमें से बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा तथा उनकी धर्मपत्नी संगीता मिश्रा का वहां के एसडीएम के समक्ष शिनाख्त करने के बावजूद भी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक अप्राप्य है जबकि उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वत: स्व.मिश्रा के संबंध में मीडिया के प्रथम चिन्हित शव के रूप में दर्शाया गया था।...*(व्यवधान)* केवल आधा मिनट...*(व्यवधान)* मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मृतक तीर्थ यात्रियों की स्मृति में नई दिल्ली या हरिद्वार में "नमामि श्रद्धावन" की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : माननीय सभापति जी, इस देश के लाखों छात्रों के भविष्य की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों के साथ किये जा रहे भेदभाव के संबंध में कहना है कि हम हिन्दुस्तानी हैं। संसद में भी हमें हिन्दी में लिखने और बोलने के लिए कहा गया है। इस देश की प्रमुख भाषा भी हिन्दी है। तब फिर हिन्दी भाषा को दरकिनार करते हुए यूपीएससी के छात्रों पर पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी के विरुद्ध और अंग्रेजी के पक्ष में भेदभाव पूर्ण नीतियां लागू की जा रही हैं जिससे हिन्दी में लिखने वाले छात्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सी-सैट प्रणाली को हटाते हुए सिविल सेवा परीक्षा में वर्ष 2014 की मुख्य परीक्षा हिन्दी में रखी जाए। यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। हिन्दी भाषा में यदि परीक्षा नहीं ली जाती है तो हिन्दी भाषी छात्रों के साथ यह बहुत अन्याय होगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब यह समाप्त हो गया है। सभा कल 18 जुलाई, 2014 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.01 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 18 जुलाई 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	141
2.	श्री राम टहल चौधरी श्रीमती रमा देवी	142
3.	श्री सुशील कुमार सिंह डॉ. किरीट पी. सोलंकी	143
4.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार श्रीमती बुत्ता रेणुका	144
5.	प्रो. के.वी. थॉमस श्री डी.के. सुरेश	145
6.	श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया श्री एम.बी. राजेश	146
7.	श्री अभिजित मुखर्जी	147
8.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	148
9.	श्री सुवेन्दू अधिकारी	149
10.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे श्री ए. टी. नाना पाटील	150
11.	श्री सुल्तान अहमद	151
12.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	152
13.	श्री पूरनो अगितोक संगमा	153
14.	श्री एम.के. राघवन श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	154
15.	श्री तारिक अहमद कुमारी शोभा कारान्दलाजे	155
16.	श्री बी. श्रीरामुलु	156
17.	श्री हुकुम सिंह	157
18.	श्री जय प्रकाश नारायण यादव	158
19.	श्री राकेश सिंह श्री पी.सी. गद्दीगौदर	159
20.	श्री एन. क्रिष्टप्पा	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1010, 1044, 1063, 1078, 1102
2.	श्री सुवेन्दू अधिकारी	1123, 1125
3.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	1007, 1100, 1180, 1200, 1214
4.	श्री सुल्तान अहमद	1127, 1195
5.	श्री बदरुद्दीन अजमल	990, 1014, 1050, 1083, 1177
6.	श्री इदरिस अली	1076, 1170, 1214
7.	श्री एंटो एन्टोनी	1012, 1103, 1122, 1148, 1201
8.	श्री कीर्ति आजाद	1061, 1165
9.	श्री बी. श्रीरामुलु	1029, 1037, 1117, 1197
10.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	1044, 1078, 1102, 1125, 1133
11.	श्री पी.के. बिजू	993, 1033, 1048, 1060, 1091
12.	श्री ओम बिरला	1028, 1083, 1134, 1190, 1202
13.	श्री पी.पी. चौधरी	990, 1072, 1133, 1134, 1168
14.	श्री जितेन्द्र चौधरी	1033
15.	श्री दुष्यंत चौटाला	990, 1094, 1132, 1195, 1204
16.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	1062, 1133, 1138, 1159, 1214

1	2	3
17.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	992, 1088, 1165
18.	श्री थुपस्तान छेवांग	1025
19.	श्री राम टहल चौधरी	999, 1099, 1104, 1188
20.	श्री अधीर रंजन चौधरी	1079
21.	कुमारी सुष्मिता देव	1042
22.	श्रीमती रमा देवी	1098
23.	श्री संजय धोत्रे	1031, 1068, 1132
24.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1015, 1105, 1127, 1159
25.	श्री निशिकांत दुबे	1066, 1068, 1070, 1163, 1189
26.	मोहम्मद फैज़ल	1018, 1041, 1091, 1106, 1187
27.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1155
28.	श्री जैदेव गल्ला	1036, 1047, 1146, 1147, 1214
29.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	1064, 1136, 1161
30.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	1046, 1103, 1146
31.	श्री लक्ष्मण गिलुवा	1049, 1149
32.	श्री राजेन गोहैन	1053
33.	श्री प्रतापराव जाधव	1057, 1154
34.	डॉ. संजय जायसवाल	1055, 1077, 1171, 1212
35.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	1016, 1142, 1157, 1208
36.	श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	1035, 1124, 1134
37.	श्री सी.एन. जयदेवन	1027, 1114, 1127, 1170, 1214
38.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	1095, 1175, 1177
39.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	998, 1011
40.	श्री राहुल कस्वां	999, 1097, 1202, 1211
41.	श्री रत्न लाल कटारिया	1030, 1146, 1156
42.	श्री नलीन कुमार कटील	1029, 1060, 1066, 1090, 1189
43.	डॉ. रामशंकर कठेरिया	996, 1033, 1093
44.	श्री कौशल किशोर	1013, 1037, 1165
45.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1092, 1196
46.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	1124, 1126, 1194
47.	श्री चन्द्रकांत खैरे	1006, 1057, 1091, 1124, 1154
48.	श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान	1081, 1172
49.	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	1036, 1083, 1084, 1136, 1195
50.	श्री जुगल किशोर	1040, 1139, 1206
51.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1021, 1110, 1127, 1205
52.	श्रीमती कोथापल्ली गीता	990, 1019, 1020, 1109, 1183
53.	श्री एन. कृष्टप्पा	1132, 1200
54.	डॉ. अरुण कुमार	1033, 1056
55.	श्री शैलेश कुमार	1069, 1083, 1127
56.	श्री रविन्दर कुशवाहा	1071, 1164, 1165
57.	श्रीमती सकुंतला लागुरी	1017
58.	श्री छोटेलाल	1033
59.	श्रीमती पूनमबेन माडम	1000, 1135

1	2	3
60.	श्री धनंजय महाडीक	1058, 1125, 1127, 1133, 1138
61.	श्री भर्तृहरि महताब	1068, 1127, 1132
62.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	1065, 1162
63.	डॉ. तापक मंडल	1038
64.	श्री जोस के. मणि	997, 1119, 1155, 1175
65.	श्री भगवंत मान	1073
66.	श्री अर्जुन लाल मीना	1031
67.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	990, 1082, 1115, 1186
68.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1037, 1135, 1137
69.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	1059, 1157
70.	श्री अभिजित मुखर्जी	1083, 1123, 1192
71.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1024, 1113, 1201, 1202
72.	श्री बी.वी. नाईक	1003, 1088, 1125, 1127, 1166
73.	श्री अशोक महादेवराव नेते	1005, 1031, 1099, 1179
74.	श्रीमती मौसम नूर	1084
75.	श्री असाद्दूदीन ओवैसी	986, 1085, 1125, 1127, 1184
76.	श्रीमती कमला देवी पाटले	987, 1029, 1107, 1181
77.	श्री जगदम्बिका पाल	1045, 1145, 1213
78.	श्री विनसेंट एच. पाला	1032
79.	श्री देवजी एम. पटेल	1004, 1049, 1212
80.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1033, 1116, 1203
81.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1126, 1144, 1194, 1212
82.	श्री संजय काक पाटील	1155
83.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	1029, 1034, 1124, 1133, 1141
84.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	1041, 1122, 1140, 1207
85.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	1048, 1141, 1148, 1151
86.	श्री एम.के. राघवन	1129
87.	श्री नित्यानन्द राय	1055, 1212
88.	श्री राजन विचारे	1029, 1034, 1124, 1133
89.	श्री एम.बी. राजेश	1036, 1058, 1087, 1175
90.	डॉ. मनोज राजोरिया	1054, 1153
91.	श्री सी.एस. पुट्टा राजू	1019, 1041, 1108, 1125, 1182
92.	श्री राजेश रंजन	995, 1067, 1083, 1150
93.	श्रीमती रंजीत रंजन	1067, 1083
94.	श्री रामसिंह राठवा	989, 1037, 1112, 1143, 1185
95.	श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी	944, 1076, 1173
96.	श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	1080
97.	श्री नेफिउ रिओ	1042
98.	प्रो. सौगत राय	1015, 1050
99.	श्री राजीव प्रताप रूडी	1043, 1132, 1205
100.	श्री ए. सम्पत	1022, 1111, 1129, 1133

1	2	3
101.	श्री पूरनो अगितोक संगमा	1128
102.	श्री राजीव सातव	1058, 1083, 1125, 1127, 1133
103.	श्री एम.आई. शनवास	1074
104.	श्री राजू शेट्टी	1026, 1195
105.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	1052, 1132, 1152, 1212
106.	श्री प्रताप सिम्हा	1002, 1090, 1174
107.	श्री गणेश सिंह	1009, 1082, 1143, 1209
108.	श्री भरत सिंह	1010, 1023, 1083, 1164
109.	श्री हुकुम सिंह	1033, 1082, 1130, 1198
110.	श्री रामा किशोर सिंह	1146
111.	श्री रवनीत सिंह	1008, 1081, 1101, 1200, 1210
112.	श्री सुशील कुमार सिंह	1083, 1120, 1189
113.	श्री सुनील कुमार सिंह	1033, 1133, 1146
114.	डॉ. किरीट पी. सोलंकी	1131
115.	डॉ. किरीट सोमैया	1001, 1149, 1167
116.	श्रीमती सुप्रिया सले	1039, 1082, 1125, 1138, 1205

1	2	3
117.	श्री पी.आर. सुन्दरम	1058, 1138
118.	श्री डी.के. सुरेश	1037, 1090, 1132, 1176
119.	श्री रामदास सी. तडस	1033, 1044, 1141
120.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	991, 1042, 1053, 1086
121.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	998, 1096, 1133, 1141, 1178
122.	डॉ. एम. तंबिदुरै	1129
123.	डॉ. शशी थरूर	1075, 1169, 1200
124.	प्रो. के.वी. थॉमस	1122, 1191
125.	श्री शिवकुमार उदासी	985, 988, 1089
126.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	1124, 1193
127.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	1121, 1190
128.	श्री चिन्तामन नवाशा वांगा	1051, 1146
129.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1063, 1160, 1200
130.	श्री जय प्रकाश नारायण यादव	1118, 1199
131.	श्री ओम प्रकाश यादव	1060, 1083, 1149, 1158, 1212
132.	योगी आदित्यनाथ	1060, 1082, 1083, 1133, 1159

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कोयला	:	156, 159
पेयजल और स्वच्छता	:	148, 155
अल्पसंख्यक कार्य	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	
पंचायती राज	:	
विद्युत	:	143, 157, 160
रेल	:	144, 149, 152, 158
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	147, 150
ग्रामीण विकास	:	141, 145, 153, 154
पोत परिवहन	:	
वस्त्र	:	142
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार	:	145, 151

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कोयला	:	1080, 1088, 1092, 1108, 1142, 1163, 1188, 1200
पेयजल और स्वच्छता	:	1000, 1028, 1094, 1136, 1161, 1213, 1214
अल्पसंख्यक कार्य	:	988, 992, 1003, 1012, 1016, 1025, 1085, 1105, 1119, 1182
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	987, 1023, 1027, 1029, 1043, 1045, 1117, 1160, 1174, 1189, 1204
पंचायती राज	:	993, 1206, 1209
विद्युत	:	985, 989, 1004, 1014, 1018, 1056, 1068, 1069, 1072, 1076, 1083, 1107, 1113, 1120, 1131, 1148, 1166, 1173, 1180, 1183
रेल	:	991, 997, 998, 999, 1002, 1005, 1006, 1007, 1013, 1031, 1037, 1042, 1048, 1049, 1054, 1060, 1079, 1082, 1090, 1093, 1095, 1098, 1103, 1110, 1111, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1130, 1140, 1141, 1146, 1149,

		1152, 1155, 1165, 1167, 1169, 1177, 1190, 1192, 1196, 1198, 1201, 1205, 1207, 1211, 1212
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	996, 1008, 1009, 1011, 1017, 1032, 1033, 1034, 1035, 1041, 1046, 1047, 1051, 1052, 1065, 1066, 1073, 1074, 1078, 1086, 1096, 1097, 1102, 1104, 1112, 1132, 1134, 1137, 1139, 1150, 1156, 1157, 1158, 1159, 1162, 1175, 1208, 1210
ग्रामीण विकास	:	990, 994, 1001, 1010, 1015, 1019, 1022, 1036, 1044, 1055, 1058, 1063, 1067, 1075, 1089, 1091, 1109, 1115, 1128, 1135, 1138, 1145, 1147, 1172, 1176, 1178, 1181, 1194, 1195
पोत परिवहन	:	1057, 1106, 1122, 1184, 1191
वस्त्र	:	1070, 1101, 1118, 1144, 1151, 1154, 1179, 1185, 1187, 1203
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार	:	986, 995, 1020, 1021, 1024, 1026, 1030, 1038, 1039, 1040, 1050, 1053, 1059, 1061, 1062, 1064, 1071, 1077, 1081, 1084, 1087, 1099, 1100, 1114, 1116, 1129, 1133, 1143, 1153, 1164, 1168, 1170, 1171, 1186, 1193, 1197, 1199, 1202

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।